उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड २६

अंक १ से १५ तक

जुलाई ७, १०, ११, १२, १४, २८, २९, ३० तथा
सितम्बर १६, १७, १८, १९, २२, २३, २४ सन् १९५२ ई०

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद
१९५७

मूल्य—बिना महसूल २ आने, महसूल सहित ३ आने ।
वार्षिक चन्दा—बिना महसूल ४ रुपये, महसूल सहित ५ रुपये ।

विषय-सूची

(खंड २६)

विषय पृष्ठ संख्या

कौंसिल के पदाधिकारी ... . झ

सरकार ... . ट-ठ

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र ... ड-ढ

उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव कौंसिल की कार्यवाही की अनुक्रमणिका खंड २६ ... ... १-३०

सोमवार, ७ जुलाई, सन् १९५२ ई०

सदस्यता की शपथ ग्रहण करना २

सन् १९४७ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा २

सन १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा। २

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा ... २

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्त) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा २

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा ... २

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृत की घोषणा २

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) (विधेयक)--माल मंत्री--प्रस्तुत किया गया .. ३

सदन का कार्यक्रम ३

सन् १९५२-५३ ई० का आय-व्ययक बजट--(उद्योग मंत्री--प्रस्तुत किया गया।) ३-२८

सदन का कार्यक्रम २८-२९

गुरुवार, १० जुलाई, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ३२-३३

वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्यायें २०८१--टी-पी/३०--१०९७-टी-५१ और १६९६-टी-पी/३०--१००५-टी-५०, तारीख २३ मई, १९५२ ई० की प्रतिलिपियां--(शिक्षा मंत्री--श्री हर गोविन्द सिंह--मेज पर रखी गई।) ३३

विषय पृष्ठ संख्या

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमों की प्रतिलिपि --(शिक्षा मंत्री श्री हर गोविन्द सिंह--मेज पर रखी गई।) ३३-३४

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति, लखनऊ के लिये दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव--(स्वीकृत हुआ) ३४

प्रदेशीय म्यूजियम, लखनऊ की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव--(स्वीकृत हुआ) ३४

प्रदेशीय आर्कोलाजिकल म्युजियम, मथुरा की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव--(स्वीकृत हुआ) .. ३४

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव--(स्वीकृत हुआ) ३४

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक--(शिक्षा मंत्री--श्री हर गोविन्द सिंह)--विचार किया गया तथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ .. ३४--३९

सदन का कार्यक्रम ३९-४०

शुक्रवार, ११ जुलाई, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ४२

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश लगान के नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा ... ४२

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा ४२

वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद ४३-९१

सदन का कार्यक्रम ९१

शनिवार, १२ जुलाई, सन् १९५२ ई०

सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद ... ९४-१५०

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये दो सदस्यों का चुनाव ... १५०

बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश के लिये एक सदस्य का चुनाव १५०

स्टेट म्यूजियम, लखनऊ की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव १५०

आरकोलाजिकल म्यूजियम, मथुरा की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव १५०

सदन का कार्यक्रम १५०-१५१

सोमवार, १४ जुलाई, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर १५४

सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद (समाप्त) १५४-२०८

15581

विषय पृष्ठ संख्या

सोमवार, २८ जुलाई, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर २१०--२११
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल--मेज पर रखा गया ... २११
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०--(विद्युत् मंत्री--श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--उपस्थित किया गया।) २११
सन् १९५२-५३ ई० के लिये २२ स्टैंडिंग कमेटियों के लिये चुनाव का प्रस्ताव--(वित्त मंत्री--प्रस्ताव किया गया तथा स्वीकृत हुआ।) २११--२१२
किंग एडवर्ड सप्तम सैनेटोरियम, भुवाली की एडवाइजरी कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव--(वित्त मंत्री--प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।) २१२
प्रस्ताव कि कौंसिल के नियमों का नियम १२५ (२) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, सन् १९५२ ई० के विचार किये जाने के सम्बन्ध में स्थगित किया जाय--(प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)... ... ... २१२
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रेप्रिएशन बिल)--(वित्त मंत्री--विचार के प्रस्ताव पर विवाद जारी।) ... २१२--२५२

मंगलवार, २९ जुलाई, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर २५४--२५६
श्री शिवमूर्ति सिंह, सदस्य, लेजिस्लेटिव कौंसिल के त्याग-पत्र की घोषणा २५६
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल)--(वित्त मंत्री--विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ) २५६--२९९
सदन का कार्यक्रम २९९
नत्थियां ३००--३०६

बुधवार, ३० जुलाई, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ३०८--३२०
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन विधेयक)--(वित्त मंत्री--विचार किया गया तथा स्वीकृत हुआ) ३२०--३४८
सदन का कार्यक्रम ३४८
नत्थी ३४९--३५०

मंगलवार, १६ सितम्बर, सन् १९५२ ई०

सदस्यता की शपथ ग्रहण करना ३५२
प्रश्नोत्तर ३५२--३५७

विषय — पृष्ठ संख्या

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक—(सेक्रटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा) ३५७
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक—(सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा) ३५७
सन् १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक—(सेक्रटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा) ३५७
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान (सिनेमाघर) विधेयक—(सेक्रटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा) ३५७
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश, नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक—(सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा) ३५८
सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक—(सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा) ३५८
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक—(सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा) ... ३५८
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति की घोषणा ... ३५८
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति की घोषणा ... ३५८
सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा ३५८
सन १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा ३५८
उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (विविध व्यवहार) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५२ ई० (माल मंत्री—मेज पर रखी) ... ३५९
वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४२९१-टी/३०-७५९-टी-१९४९, ता० १५ नवम्बर, १९५१ ई०—(गृह मंत्री—मेज पर रखा) ... ३५९
वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १३६३-३-टी० पी०/३०—५०-टी-(८)-१९५२, तारीख २ जुलाई, १९५२ ई०—(गृह मंत्री—मेज पर रखी) ३५९
एक सदस्य का नार्दन रेलवे (पुरानी ई० आई० आर०) की लोकल एडवाइजरी कमेटी के लिये चुनाव का प्रस्ताव—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री—स्वीकृत हुआ) ३५९
एक सदस्य का संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के लिये चुनाव का प्रस्ताव—(शिक्षा मंत्री—स्वीकृत हुआ) ३५९
दो सदस्यों का आगरा युनिवर्सिटी सिनेट के लिये चुनाव का प्रस्ताव—(शिक्षा मंत्री—स्वीकृत हुआ) ३५९
सदन का कार्यक्रम ... ... ३६०—३६१

विषय ... पृष्ठ संख्या

बुधवार, १७ सितम्बर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ... ... ३६४—३७४

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक—(सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा गया) ३७४

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक—(सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा गया) ३७४

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक—(सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा गया) ... ३७४

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अस्थायी कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक—(सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—मेज पर रखा गया) ३७४

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक—(खाद्य तथा रसद मंत्री—विचार किया गया तथा स्वीकृत हुआ) ... ... ३७४—३८८

सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्युऐंस आफ पावर्स (संशोधन) विधेयक—(खाद्य तथा रसद मंत्री—विचार किया गया तथा स्वीकृत हुआ) ... ... ३८८—४०५

सदन का कार्यक्रम ... ... ४०५—४०६

नत्थियां ... ... ४०७—४२३

गुरुवार, १८ सितम्बर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ... ... ४२६—४२९

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमीदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के संबंध में उचित कार्यवाही की जाय—(श्री कुंवर गुरु नारायण—प्रस्तुत किया गया—विचार किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।) ४२९—४५०

प्रस्ताव कि सरकार सन् १९३९ ई० के कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधन करे या इस सम्बन्ध में नया कानून बना कर चकबन्दी की उचित व्यवस्था करे—(श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—प्रस्तुत किया गया—विचार किया गया तथा वापस लिया गया।) ... ४५०—४६०

प्रस्ताव कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के लिए सरकार एक कुटीर उद्योग संघ की स्थापना करे और ऐसे उद्योगों तथा धन्धों की उन्नति तथा विकास के लिये उपयुक्त योजना तैयार करे—(श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—प्रस्तुत किया गया—विचार जारी।) ... ... ४६०—४७२

सदन का कार्यक्रम ४७२

शुक्रवार, १९ सितम्बर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ... ... ४७४—४७९

विषय — पृष्ठ संख्या

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) (विधेयक)——(खाद्य तथा रसद मंत्री——विचार किया गया तथा पारित हुआ।) ... ४८१——५२४

सन् १९५२ ई० का उत्तरप्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक——(खाद्य तथा रसद मंत्री——विचार किया गया तथा पारित हुआ।) ... ५२४——५२५

नार्दन रेलवे की लोकल एडवाइजरी कमेटी, कानपुर के लिये एक सदस्य का निर्वाचन ५२५

संस्कृत शिक्षा परिषद् के लिये एक सदस्य का निर्वाचन ... ५२५

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन। ... ५२५

सदन का कार्यक्रम ५२६

नत्थियां ... ... ५२७——५३४

सोमवार, २२ सितम्बर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ... ... ५३७——५४६

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक——(वित्त मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——विचार किया गया तथा पारित हुआ।) ... ... ५४६——५६२

सदन का कार्यक्रम ... ... ५६२——५६३

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूमपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक——(वित्त मंत्री श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——विचार किया गया तथा पारित हुआ।) ... ... ५६३——५७२

सन् १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक——(गृह मंत्री——डाक्टर सम्पूर्णानन्द——विचार किया गया तथा पारित हुआ।) ५७२——५७३

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) (विधेयक)——(वित्त मन्त्री——विचार किया गया तथा पारित हुआ।) ... ... ५७३——५७६

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) (विधेयक)——(वित्त मंत्री——विचार किया गया तथा पारित हुआ।) ५७६——५७९

नत्थियां ... ... ५८०——५८७

मंगलवार, २३ सितम्बर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ... ... ५९०——५९१

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद——(माल मंत्री——विवाद जारी।) ... ५९१——६३२

सदन का कार्यक्रम ... ... ६३२——६३३

बुधवार, २४ सितम्बर, सन् १९५२ ई०

प्रश्नोत्तर ... ... ६३६——६४१

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद——(माल मंत्री——विवाद समाप्त।) ... ६४१——६८३

विषय पृष्ठ संख्या

मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों को परामर्श देने के लिये परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन के संबन्ध में नियमों की स्वीकृति का प्रस्ताव--(माल मंत्री---स्वीकार किया गया) ६८४

पूरक अनुदान १९५२-५३ के लिए मांगे--(माल मंत्री--उपस्थित की गई) ६८४

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विधयक (मेज पर रखा गया) ६८४

सदन का कार्य-क्रम ६८४--६८५

नत्थी ६८६--६९२

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

के

पदाधिकारी

चेयरमैन

श्री चन्द्रभाल

श्री डिप्टी चेयरमैन

श्री निजामुद्दीन

सेक्रेटरी

श्री श्याम लाल गोविल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सरकार

गवर्नर

श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी।

मंत्रि परिषद्

पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन तथा सहकारी मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, पुनर्वास तथा उद्योग मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल०-एल० बी०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, न्याय तथा आबकारी मंत्री।

श्री हर गोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन मंत्री।

उप-मंत्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, संसदीय प्रक्रिया तथा सहकारी उप-मंत्री।

श्री जग मोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, बन उपमंत्री।

श्री फूल सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, जेल उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री।

श्री राम मूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई उपमंत्री।

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपा शंकर, विधान सभा सदस्य।

खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री के सभा-सचिव

१—श्री बनारसी दास, विधान सभा सदस्य।

२—श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान सभा सदस्य।

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस०), पी० एच० डी०, विधान सभा सदस्य।

माल तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य, विधान सभा सदस्य।

उद्योग तथा पुनर्वास मंत्री के सभा-सचिव

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

अब्दुल शकूर नजमी, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री	नाम निर्देशित।
इन्द्र सिंह नयाल, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
उमानाथ बली, श्री	नाम निर्देशित।
कन्हैया लाल गुप्त, श्री	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
कुंवर गुरु नारायण, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
कुंवर माहवीर सिंह, श्री	"
केदार नाथ खेतान, श्री	"
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री	"
खुशाल सिंह, श्री	"
गोविन्द सहाय, श्री	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
चन्द्र भाल, श्री (चेयरमैन)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
जगन्नाथ आचार्य, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री	"
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री	"
तारा अग्रवाल, श्रीमती	नाम निर्देशित।
तेल्लू राम, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
दीप चन्द्र, श्री	"
नरोत्तम दास टण्डन, श्री	"
निजामुद्दीन, श्री (डिप्टी चेयरमैन)	"
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
प्रभु नारायण सिंह, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री	"
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री	"
पन्ना लाल गुप्त, श्री	"
परमात्मानन्द सिंह, श्री	"
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
बशीर अहमद, श्री	"
बालक राम वैश्य, श्री	"
बाबू अब्दुल मजीद, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
वीर भान भाटिया, डाक्टर	नाम निर्देशित।
वेणी प्रसाद टंडन, श्री	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
वंशीधर शुक्ल, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
ब्रज लाल वर्मन (हकीम), श्री	"
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
महमूद अस्लम खां, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
महादेवी वर्मा, श्रीमती	नाम निर्देशित।

मानपाल गुप्त, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
मुकुट विहारी लाल, प्रोफेसर	स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।
राजाराम शास्त्री, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
राना शिव अम्बर सिंह, श्री	,,
राम किशोर रस्तोगी, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
राम किशोर शर्मा, श्री	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
राम नन्दन सिंह, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
राम लखन सिंह, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
राम लगन सिंह, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री	नाम निर्देशित।
रुकुनुद्दीन खां, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
लल्लू राम द्विवेदी, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
लालता प्रसाद सोनकर, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
लाल सुरेश सिंह, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
विजयानन्द आफ विजयानगरम, डाक्टर, महाराज कुमार	नाम निर्देशित।
विश्वनाथ, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
शान्ति देवी, श्रीमती	,,
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती	,,
शिव सुमिरन लाल जौहरी, श्री	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र।
श्याम सुन्दर लाल, श्री	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।
सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री	,,
सभापति उपाध्याय, श्री	नाम निर्देशित।
सरदार सन्तोष सिंह, श्री	,,
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री	,,
हृदय नारायण सिंह, श्री	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र।
हयातुल्ला अन्सारी, श्री	नाम निर्देशित।
हर गोविन्द मिश्र, श्री	,,

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई ।

उपस्थित सदस्य (५६)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
इन्द्र सिंह, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डा०
उमानाथ बली, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नरायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डा०
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हक़ीम)
बृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम ख़ां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मुकुट बिहारी लाल, प्रो०
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन ख़ां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
विजय आनन्द आफ़ विजयानगरम्, डा०
    महाराजकुमार
विश्वनाथ, श्री
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय,श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हरगोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री सैयद अली जहीर, न्याय मंत्री ।
श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम, वित्त मंत्री ।
श्री हुकुम सिंह, उद्योग मंत्री ।
श्री हरगोविन्द सिंह, शिक्षा मंत्री ।

सदस्यता की शपथ ग्रहण करना

श्री सभापति उपाध्याय, एम० एल० सी० ने संविधान के प्रति सदस्यता की शपथ ली।

सन् १९४७ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९४७ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ५ मई, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का आठवाँ ऐक्ट बना।

सन १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आत्ययिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति २४ मई, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का नवाँ ऐक्ट बना।

सन १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति ५ जून, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का दसवाँ ऐक्ट बना।

सन १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति ५ जून, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का ग्यारहवाँ ऐक्ट बना।

सन १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति ५ जून, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का बारहवाँ ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारक) (द्वितीय) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारक) (द्वितीय) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति ५ जून, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का तेरहवाँ ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--Sir, I beg to introduce the U. P. Stay of Suits and Proceedings (Mirzapur) Bill, 1952.

सदन का कार्यक्रम

चेयरमैन--एजेन्डे पर इस समय बजट प्रस्तुत करने का जो आइटम था वह दो बजे लिया जायेगा। गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि इसमें सुविधा होगी कि वह दो बजे लिया जाय। इसलिये दो बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(११ बजकर १० मिनट पर कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी)।

[अवकाश के पश्चात् दोपहर के दो बजे से कौंसिल की कार्यवाही फिर चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।]

सन् १९५२--५३ ई० का आय-व्ययक बजट (प्रस्तुत किया गया)

The Minister of Industries: Sir, I rise to present the budget for 1952-53.

2. This is the first Legislature of the State to be elected by adult franchise under the Constitution of India; and I am deeply sensible of the honour of presenting their first budget to this House which is so fully representative of the people.

3. In the ordinary course the budget of a financial year is laid before the Legislature a month or two before the termination of the previous financial year. A departure from the normal practice has become necessary on the present occasion, because, as a result of the recent general elections, a new Legislature came into existence in the early part of the current financial year. The previous Government rightly took the view that, since a budget is essentially an expression, in financial terms, of the policies and programme of the Government for the year to which the budget relates, it would be but proper to leave the formulation of the budget of the current year to the new Government. Accordingly in March last they obtained only a Vote on Account from the old Legislature merely to enable committed expenditure to be met during the first four months of this year until the budget proper, which I am presenting to-day, is passed. Article 206 of the Constitution requires that, before a Legislature is asked for a Vote on Account, the annual financial statement (i e., the budget) in respect of which the Vote is asked for should be first presented. The previous Government, therefore, laid a provisional budget before the old Legislature, basing their estimates of receipts on the existing sources of revenue and their estimates of expenditure on the requirements of existing services. They left the formulation of new policies of expenditure and taxation, and the presentation of the real budget of the current financial year, to the present Government

4. This Government was formed only a few weeks ago and we have naturally not been able to finalise all our revenue and expenditure proposals. But our main aims and objectives are clear, and Members will

find those aims and objectives fully reflected in the budget. Stated very briefly, our policy is to do everything within our means to create in the State conditions favourable for the rapid economic growth and intellectual and cultural advancement of the people. We are well aware that the implementation of this policy calls for intense activity in a hundred different directions and also that an attempt to advance equally on all fronts at the same time may lead to a dissipation of effort prejudicial to success. Members will find our solution of this question of priorities also clearly embodied in the budget figures.

5. It is evident that a country like ours which is industrially undeveloped cannot, if it wishes to make any kind of progress, indeed even if it merely wishes to avoid economic disaster, afford to be dependent for its food supplies on foreign countries ; and industrialisation requires time and technical resources. In our programme of action, therefore, we have given first priority to major and minor irrigation schemes, schemes of agricultural development and schemes for the development of cattle wealth designed to help the country to become self-sufficient as quickly as possible in the matter of food. Most of our difficulties in respect of producing enough food for ourselves arise out of the fact that over a considerable area of the State the cultivator is wholly dependent upon the monsoons for growing his crops and the failure of the monsoons in any year means food shortages and the necessity to import food from outside at heavy cost. It is true that the methods of cultivation employed by our farmers are somewhat primitive ; we are attacking that aspect of the problem also. But even with their existing methods our farmers could make the country more or less self-sufficient, if all the cultivable area had assured sources of irrigation and was not dependent so much on the vagaries of the monsoon. The construction of new irrigation work is, therefore, both a matter of vital necessity from the point of view of present economy and also the most effective step we can take to lay the foundations of our future prosperity. This item accordingly occupies the place of pride in our development programme. It will mean a huge outlay of revenue and capital expenditure; but, I think, everyone will agree that the expenditure should be incurred and that too at the fastest rate compatible with efficiency. This will undoubtedly involve a good deal of present sacrifice on the part of the people. But again, I think, everyone will agree that if that sacrifice will enable us to get rid of the necessity of importing costly grain from abroad and to eliminate the tremendous unproductive expenditure involved in the supply and rationing of foodgrains to urban populations, to control floods, to reduce the chances of famine and to avoid the necessity of spending large sums of money on administrative arrangements for the relief of distress in scarcity stricken districts, then any present hardship will be worth undergoing in order to secure such results. Members will accordingly find that there is a record provision in the budget for the maintenance, extension and new construction of irrigation works. We have already a number of schemes in hand for the construction of dams, reservoirs, canals, tube-wells, masonry wells, etc. For all of them we have made the fullest possible provision in the budget. In addition to that we have made new provisions this year of Rs. 6½ lakhs for small irrigation and hydro-electric schemes in the hill districts, Rs. 10 lakhs for extension of the Sarda Canal in the Jais area ; Rs. 20 lakhs for minor irrigation schemes to be worked out during the year particularly for the scarcity districts, Rs. 10 lakhs for restarting work on the Rihand

Dam; Rs. 60 lakhs for speeding up the construction of the Chandra Prabha, Ahraura, Mata Tila and Arjunpur Dam, which when completed will irrigate 4 lakhs acres of at present unirrigated land, and another half a crore of rupees for a new scheme of 100 tube-wells for the eastern districts. Apart from all this provison for works, Members will find that there is provision in the budget for instructing the agriculturists in better and more modern methods of farming; for promoting the growth of more economic units of farming by encouraging the consolidation of holdings and the establishment of co-operative farms; for the reclamation and cultivation of large areas of waste and barren land; for the providing of better facilities for agriculture in the shape of improved seeds, manures, fertilizers, tools, workshop facilities etc. for cane development; for encouraging mechanised farming; and for improving the cattle wealth of the State by all the methods known to modern science of which we can make use in this country. The agriculture, animal husbandry and irrigation budgets, revenue and capital, which provide for the expenditure on all the above mentioned services add up to no less than Rs. 14.4 crores for the current financial year.

6. Once the claims of the Grow More Food schemes have been satisfied, next in our list of priorities come the plans which we have drawn up for the construction of electric power houses and transmission lines. It hardly requires to be pointed out that increase of wealth through industrial progress is impossible without a plentiful supply of cheap motive power; and apart from food our greatest need at the moment is the increase of the productivity of our labour through industrialisation even agriculture under modern conditions demands that bulk supplies of power should be readily available. We have, therefore, decided that irrespective of other consideration, all the funds needed for the rapid implementation of the State Five Year Plan for the development of electric power should be provided in the budget of the current year. The limiting factors here have, therefore, been not any considerations of finance but the difficulty of acquiring necessary material and machinery and to some extent the difficulty of securing trained technical persornel. In spite of these limitations, however, the various power schemes which provide for the maintenance and extension of existing power houses, the setting up of new power houses, the construction of electric transmission lines, etc. account for an expenditure revenue and capital of Rs.54 crores during the current year. Out of this amount about Rs. 80 lakhs will be utilised on increasing the generation and transmission capacity of the power houses of the Kanpur Electric Supply Administration and Rs.20 lakhs in starting the construction of certain new power houses in the eastern part of the State.

7. At this stage I need refer only briefly to the remaining development schemes. In the sphere of industries proper, it will be noted that we are increasing the expenditure on schemes for the betterment of cottage industries by about another Rs. 7 lakhs a year; and will be incurring an expenditure of one and a quarter crore of rupees on the Government Cement Factory, Mirzapur, which is under construction. The Roads and Buildings budget accounts for an anticipated expenditure of Rs. 710 lakhs, of which nearly Rs. 219 lakhs are for new constructions (including a large mileage of cement concrete tracks, crete

ways, etc., in sugar factory zones) and for improvements to existing works The Education and Medical and Health grants show increases of Rs. 73 lakhs and Rs. 31 lakhs mainly because of increased expenditure on development schemes Special provision has been made in the budget as a whole for better facilities for technical education, particularly for higher education in engineering subjects. Another line of development which has received our special attention is the promotion of co-operative enterprises. It is generally accepted that, consistently with the retention of the democratic way of life, our rate of economic progress will depend largely on the extent to which the co-operative principle is understood and worked by the governments and the people of the country. Fostering the growth of co-operative organisations is, therefore, an important part of the policy of this Government. It will, accordingly, be found that the budget contains special provisions for self-help schemes; for the promotion of co-operative farming; and for loans and subsidies to co-operative societies for the construction of tube-wells, small power houses, etc. Other important budget provisions, which I might mention here relate to the relief of distress, particularly in scarcity areas ; afforestation schemes in respect of trees of industrial utility ; financial assistance to the gaon panchayats ; implimentation of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act ; intensified measures for the control and eradication of malaria ; labour housing schemes; schemes for the housing of middle-class people ; and a new scheme of reformatory utilisation of convict labour in jails.

8. The purpose which I had in view in referring to the above facts was not so much to explan in any detail what various provisions we have made in the budget—that I shall attempt in a later part of this speech—but to make it clear to the House that, no matter what difficulties stand in the way, the Government are now firmly resolved to increase the tempo of development activities in the State in order to ensure that the benefits of the State Five Years Plan in the shape of improved standards of living begin to become available to the common man not in the distant future but immediately. This necessarily means that during the current year, and in the next two or three years, the Government will have to incur unusually heavy expenditure. As a matter of fact, the budget reveals that the revenue deficit in the current year is likely to be of the order of Rs 4,24 lakhs. In addition, considerable sums of money will be needed for financing the large capital programme. From the fact that the provisional budget which was presented to the Legislature in March last and which was based only on the existing level of expenditure showed a revenue deficit of Rs.47 lakhs, it is evident that the existing resources of the State are entirely inadequate to finance the Government's development schemes at the projected rate of implementation. We shall, of course, try to obtain as much help as possible from the Government of India and from any other source which may be open to us. We shall, if necessary, draw further upon our reserves to the extent practicable. But it is clear enough that the funds we can obtain by these methods will be totally insufficient to meet the very heavy cost of our accelerated development programme. It will, therefore, be necessary for the Government to ncrease their resoures by additional taxation to be imposed during the course of the current year. The only available alternative to additional

taxation would be the postponement or slowing down of the development programme. In the present internal and international circumstances, it would be neither wisdom nor prudence to delay any further the implementation of the plans drawn up by the Government for improving the present low standards of living of the people, financial difficulties notwithstanding. This is one of those occasions which arise every now and again in the history of every nation when all the people must get together and make a fighting effort for the preservation of the safety and welfare of their country. Considering the stakes involved, I am sure the people of the State will shoulder quite gladly such extra burden as they may be called upon to bear in the larger interest.

9. I would digress a little at this stage to observe that the aims and objectives of this Government as explained by me above are not to any extent different from those adopted by the previous Government. Indeed it would have been strange if they had been different; considering that the previous Government also was formed by the Congress Party and was led by the same Chief Minister. That being so, such of the Members as have been newly elected may ask what the Ministry succeeded in accomplishing during its last term of office and why the development plans of the State could not have been further speeded up during that period. Partly for the benefit of those Members and partly in order that a fully integrated picture of the Government's plans and policies may be placed before the House, I shall recount briefly the framework of circumstances within which the Government had to function during their last term of office.

10. The House will remember that just before we assumed office in 1946, the State was under an Advisory Regime of British officers for whom the maintenance of imperial law and order represented the main function of Government and all other activities were of relatively small significance. Even though, because of wartime inflation, revenue surpluses had accumulated, they had not undertaken any development work worth the name. The few development activities which the first Congress Government had been able to initiate between 1937 and 1939 had been negleted and relegated to the back ground. The inflation which had been resorted to as a temporary measure for financing war time requirements. had reached dangerous proportions and was showing every sign of getting out of hand. Much capital wealth had been worn out or wasted in the war effort, but no effective steps has been taken to facilitate its replacement, Capital formation was, therefore, more or less at a stand still. The productivity of industry was decreasing. Indeed the stage was fully set for a further fall in the already extremely low standards of living in the country, and immediate corrective action was necessary. But no real effort had been made to halt and reverse these dangerous tendencies. The first concern of the Congress Government on taking over office in 1946, therefore, was to chalk out a development programme which would help to shield the people from the worst effects of the economic crisis which was brewing.

11. Even a rough survey was, however, sufficient to indicate that there was so much leeway to be made up that the cost of what might be considered the minimum programme of development would be extremely

heavy and apparently quite beyond the then financial capacity of the State. The Central Government, however, came forward just at that juncture with a promise of a subvention of about Rs. 46 crores towards the expenditure on development schemes to be spread out over a period of fewyears. The main difficulty in the way of the development programme, which was the inability of the Government to find the necessary funds, was thus removed at a single stroke. The construction of a large number of schools, hospitals and government buildings, roads, dams, power houses, irrigation works, etc. was taken in hand immediatly. Work was started on big land reclamation and colonisation schemes and on schemes for the improvment of agriculture and cattle wealth. Work was also started on legislation relating to radical measures of social and agrarian reform. A number of plans were also prepared for the promotion of the social welfare of the people. It was thus under conditions which were justifiably considerd to be very propitious that the development programme of the State was inaugurated in 1947, and, had circumstances continued to be favourable, there is no doubt that many more useful schemes could have been completed during the last five years than actually were. But adverse factors beyond our control came into existence within a year of the launching of the programme. Because of events arising out of the partition of the country and owing to certain other causes, the Centre found themselves compelled to discontinue their subvention, leaving it to the State to bear the financial burden of the commitments which had been entered into on the strength of the promised Central help. The partition had converted certain large foodgrains surplus areas of the country into foreign territory, leading to severe food shortages, and a great intensification of inflationary forces, within the country. This also placed unexpected additional financial burdens upon the State. As a result of the sharp rise in prices, the cost of all services increased very appreciably. Unproductive expenditure running into crores of rupees had to be incurred on the working of foodgrains rationing schemes in urban areas. The heart-rending circumstances under which the displaced persons poured into the State gave rise to a period of acute communal tension; and heavy expenditure had to be incurred in strengthening the police forces and in making special arrangements for the prevention of breaches of the peace. On account of these and other causes, the Government found themselves faced with very large, unexpected, and economically, unproductive, demands on their financial resources. At the same time their expectations in respect of financial receipts received a setback which could not possibly have been foreseen. They had in the normal course taken it for granted that a fair portion of the funds needed for financing their capital expenditure would be provided by the money markets. But actually, although there was heavy inflation in the country the necessary public loans could not be raised, because certain complex changes had taken place in the distribution pattern of incomes in the country and the money markets had become most unresponsive to loan issues. The result was that not even a reasonable fraction of the amount which had been expected was received by the Government through public loans. None of the adverse circumstances mentioned above, it may be observed, could be altered by any action that the State could take; and jointly those circumstances rendered the financing of even the schemes already in hand a matter of the greatest difficulty. One of the ways out of the difficulty would certainly have been to go in for additional taxation. But it was of peramount importance at that time, when prices were mounting steeply, to avoid doing any thing likely to strengthen the forces of monetary inflation. Another course would have been to abandon the development projects which had been undertaken on the assurance of Central assistance. But this would not only have resulted in heavy losses but would also have meant the more or less complete stoppage of the economic progress of the State, and that was a position which we were certainly not prepared to accept. In the end, I am glad to say, we were able to adopt a solution which, although it involved a great deal of administrative restriction which was extremely irksome, enabled us to maintain, and, in respect of certain schemes, even increase, our development expenditure while at the same time refraining from imposing additional taxes. This we were able to do by enforcing strict economies in all departmental expenditure and by exercising less important expenditure in order to divert the savings towards the financing of the development schemes. By the adoption of these means we were enabled to make an appreciable amount of progress towards the realisation of our objectives and the extent of the progress is best illustrated by a few figures. The grant for the Education Department, for example, which was Rs. 2.65 crores in 1945-46 rose to Rs.7.41 crores in 1951-52. The Agriculture and Animal Husbandary Departments which were getting about Rs. 1,14 lakhs in 1945-46 were receiving nearly Rs. 4,49 lakhs in 1951-52. On the capital side, similarly, expenditure on irrigation, for instance, went up from Rs. 49 lakhs in 1945-46 to about Rs. 3,37 lakhs in 1951-52; and expenditure on hydro-electric works from Rs. 52 lakhs to Rs. 2,89 lakhs. In 1945-46 there was no capital outlay on schemes on industrial development. The revised estimate of expenditure in 1951-52 under this head was Rs.69 lakhs. The expenditure, both revenue and capital, incurred on the construction of new roads and buildings during the last five years has been of the order of Rs. 20 crores; and an amount of Rs. 3¼ crores has been invested in nationalising road transport in certain areas of the State. Under normal conditions this capital expenditure should have been met from public loans; but for reasons which I have already explained the total amount we received as loans from the open market amounted to only Rs.4½ crores. The result was that the State had to depend on such loans as were made available by the Government of India; and to the extent they fell short of the requirements utilize its own reserves. No further explanation is needed as to why the rate of implementation of the development programme could not be stepped up any further during our last term of office.

12. It is necessary that I should point out to the House at this stage that if we succeeded in stepping up our development expenditure during a period of severe financial stringency without the imposition of additional taxation, that was not done at the cost of the financial soundness of the State. Indeed even during that difficult period we took all possible care to see that the financial position of the State was always fully safeguarded. Each of the years 1946-47, 1947-48 and 1948-49 ended with substantial revenue surplus. In one year only, i.e. 1949-50, and that too entirely because of the sudden reduction in Central subsidy, was

there a revenue deficit which necessitated a withdrawl from the Revenue Reserve Fund. Strict economies and other adjustments in expenditure were, however, carried out immediately; and the year 1950-51 again ended with a revenue surplus. As regards 1951-52, the final accounts are not yet available; but the revised estimates indicated that even after allowing for a transfer of a sum of Rs.1 crore to Capital to meet the extremely heavy losses on the foodgrains scheme caused by the big increase in the cost of imported wheat, there was likely to be an excess of expenditure over revenue of the order of only Rs.41 lakhs; and even that excess was likely to be reduced to a nominal amount or perhaps wiped out altogether in certain arrears of grants due to the State from the centre were accounted for in the final account of the year.

13. In our public debt policy, we have been most careful to adhere to a course of caution and safety. As Members will notice, the interest which the State earns from its projects of public utility more than covers the interest charges payable by the State on its public debts. Members will also notice that large sums of money are being set apart every year for the reduction or avoidance of these debts. Even where it is not compulsory for the Government to have sinking funds for debts, we have built up such funds and are making substantial annual contributions to them. For an illustration of the results of the policy which we have been following, I would refer the Members to the fact that the money needed for the repayment of the debt of Rs.2 crores which is repayable this year had been fully collected in the appropriate sinking fund last year itself. These facts are, I think, sufficient to show that our revenue and expenditure policy during our last term of office was conducted on very sound lines throughout.

14. From what I have said during the last few minutes it will have been noted that during our previous term of office we were continually compelled to adjust our development programme to suit the economic and financial needs of the country as a whole. A stage has, however, been now reached when that necessity does not exist to the same extent and it is at last possible to take up a more positive attitude towards the problems of our own state. The results of the various disinflationary measures taken by the Central and State Governments have at last begun to manifest themselves ; and inflation within the country has been checked and controlled and the prices of a number of important commodities are now slowly on the decline. The problems created by the partition have been largely overcome. The law and order position has been stabilized. The international situation, if it cannot be described as particularly hopeful, has so far at least been comparatively quiet. Because of the merger of the erstwhile Indian States and the return to office of strong Congress Governments in most part of the country, the internal political situation has acquired a cohesiveness never known before. So far as our own State is concerned, thanks to the various irrigation schemes which we have been able to complete in the past few years, we have made considerable progress towards self-sufficiency in food. Now that the rains have come and promised to be normal, we can consider ourselves as having reached a point where we can seriously contemplate the possibility of getting rid of the expenditure involved in the supply and distribution

of foodgrains. Industrial production is increasing. The labour situation is satisfactory. But most important of all is the fact that our unremitting efforts over the last five years for the abolition of the zamindari have at last been crowned with success and the cultivator has been liberated from an economic bondage which had for generations frustrated all his attempts at self-improvement. For the first time in centuries he appears on the economic scene again as a free man with an abiding interest in the land which he tills and as a potential builder of the co-operative commonwealth which we so earnestly desire our country to be. Indeed it was a very proud moment for this Ministry when on last Tuesday it was officially announced that zamindari was legally abolished and the biggest stumbling block on the path to rural prosperity had been finally removed. With the achievement of this fundamental change in the structure of agricultural economy and the executive organization of the *gaon panchayats*, the ground has been now prepared for a large-scale effort for the improvement of the countryside through the co-operation of the villagers. The Etawah Pilot Project, an experiment in what may be called 'guided self-help', has proved to be an unqualified success; and American aid has been promised for similar experiments on a larger scale in various parts of the State. Finally, as a consequence of the recent general elections, the Government can look forward to an uninterrupted period of five years in which to bring to completion any schemes which they may now take in hand. In view of all these facts, conditions must be deemed to be specially favourable at the moment for the launching of a really vigorous drive to implement our development plans which have been held up for so long by the distractions of pressing administrative problems and by financial stringency.

15. The justification, indeed the imperative necessity, for embarking on an all-out development drive is, I should imagine obvious to every one. Our people have had for too long to live on a low level of subsistence. Dependent on the caprices of the monsoon for their food, short of raiment, ill-housed with little or no opportunity for educating themselves and bettering their lot by their own efforts, they had hope fully looked forward when the country attained her freedom to an early dawn of economic prosperity. It was a bitter experience for us to find ourselves impeded at every step by political, economic and financial difficulties in our efforts to provide the people in sufficient measure with those agricultural, industrial and other technical facilities which, if they were available, would have transformed the face of the county. Good land, extensive forests, large reservoirs of water capable of serving as inexhaustible sources of power, plentiful supplies of man-power, all those. and more, we posses. What we lack is the means of rapid development of these material resoures for the immediate economic benefit of the country, Even the methods and programme of development have to a large extent been worked out and embodied in the State and Central Five-Year Plans. But the difficulty of acquiring the means of development has undoubtedly slowed down the peace of progress far too much; and this difficulty, I would repeat, arose mainly out of the necessity during the last four years to divert the country's financial resources for dealing with emergent political and economic problems from which there was no escape. But now that these problems are on the way to solution we propose to bend our full energies and devote our undivided

attention to our main objective in assuming office, namely, to do every thing which lies in our power to bring greater prosperity and contentment to the common man. It would not be right to minimise the difficulties in the way of reaching this goal. But we for our part mean to strain every nerve and muscle to accelerate our nation-building activites. We shall create the necessary financial resources, though that will mean additional taxation. We shall ask for more loans, and trust that the people of the State and particularly the larger commercial institutions operating within the State and deriving their sustenance from the State, will co-operate with us whole-heartedly. We hope the Government of India will help us generously. We also hope that the response to our appeal for voluntary contributions in the shape of money or labour towards local self-help schemes will be sufficiently encouraging. All this will necessarily involve a good deal of self-sacrifice on the part of the people. They will all have to work harder. They will have to produce more. But I would ask them to keep in mind the fact that what is being attempted is their own good. They should remember that for whatever effort they put in now they and their children will be repaid a hundred-fold in the future. They should also remember that in these matters the Governments can only co-ordinate and direct the national effort. The burden of the effort will fall upon, and must be borne by, the people themselves. Every nation has to earn its prosperity by its own hard work. There is indeed no other way.

16. I shall refer now to the financial position of the Government as reflected in the budget estimates for the current year, the revised estimates of last year and the actual of the year before last.

17. The following statement summaries the accounts for the year 1950-51:

	In Lakhs of Rupees	
	Original budget	Actuals
Opening balance	61,	2,46,
I—Consolidated Fund:—		
(a) Revenue Heads—		
(i) Receipts	52,26,	51,89,
(ii) Charges	52,21,	51,84,
Balance	+5,	+5,
(b) Capital Expenditure...	11,48,	9,45,
(c) Net receipts from public loans	+6,00,	+85,
(d) Other debt and deposit heads (Net) ...	+4,03,	+3,35,
II—Contingency Fund	...	+4,00,
III—Public Account (Net)	+1,67,	+5.88,
Net result of all the transactions in the year ...	+27,	+4,68,
Closing Balance ...	88,	7,14

18. It will be seen that the actual revenue receipts and revenue expenditure were both slightly less than in the original budget by roughly the same amount with the result that the actual surplus was the same (to the nearest lakh of rupees) as had been estimated in the original budget. Owing to the fact that the Government of India advanced a much smaller amount than had been originally expected, capital expenditure on rehabilitation schemes for displaced persons was less by nearly Rs. 2 crores. Expenditure on State Trading Schemes was less by over Rs.4½ crores, because procurement of foodgrains did not come up to expectations. It was decided during the course of the year to set up a State Contingency Fund for meeting unforeseen and unavoidable expenditure pending its authorisation by the legislature, and a sum of Rs.4 crores was transferred to this Fund.

19. The position in respect of the revised estimates of 1951-52 is summarised below :

	IN LAKHS OF RUPEES.	
	Original budget	Revised
Opening balance	91,	7,14,
I—Consolidated Fund :		
(*a*) Revenue Heads :—		
(i) Receipts	61,26,	57,06,
(ii) Charges	61,51,	57,06,
	—25,	...
(*b*) Capital Expenditure	16,79,	15,39,
(*c*) Net receipts from Public loans ...	+4,00,	+6,18,
(*d*) Other debt and deposit heads (Net) ...	+11,39,	+10,57,
II—Contingency Fund	...	...
III—Public Account (Net)	+1,61,	—6,64,
Net result of all the transactions in the year	—4,	—5,28,
Closing balance	87,	1,86,

20. The revised estimates of revenue receipts and expenditure were both nearly Rs.4¼ crores less than the original budget estimates mainly because the Zamindari Abolition and Land Reforms Act did not come into force in 1951-52. The estimated revenue receipts, however, include about Rs.41 lakhs transferred from the revenue Reserve Fund to meet an anticipated excess of expenditure over revenue. The likely non-utilization of the provision made in the original budget for the Government's contribution towards the construction cost of the Sindri Fertilizer Factory and

lower expenditure than originally expected on the Government Cement Factory project, Mirzapur, explain the anticipated fall in capital expenditure.

21. The budget estimates are as follows :—

	(In lakhs of rupees)
Opening balance	22,
I—Consolidated Fund :	
(*a*) Revenue Heads : —	
Receipts	60,99,
Charges	65,23,
	—4,24,
(*b*) Capital Expenditure	20,74,
(*c*) Net receipts from Public Loans	+11,00,
(*d*) Other debt and deposit heads (Net)	+3,88,
II—Contingency Fund	
III—Public Account (Net)	+11,80,
Net result of all the transactions in the year	+1,70,
Closing balance	+1,92,

22. With the abolition of zamindari the revenue receipts have now finally crossed the sixty crore rupees mark. But, as has been already explained, owing to the heavy development programme which the Government have undertaken and the unusually large foodgrains losses caused by the increase in price of the wheat which had to be imported, the estimate of revenue expenditure exceeds the estimate of receipts by as much as Rs.4,24 lakhs. The same reasons account also for the increase of the estimate of Capital Expenditure to Rs. 20,74 lakhs, the principal provisions being Rs.9,38 lakhs for irrigation, hydro-electric and steam-electric works, Rs.6,56 lakhs for the likely net outgoing under the State Trading Schemes, Rs.1,25 lakhs for the Cement Factory Project, Rs.191 lakhs for buildings and roads, and Rs.1,49 lakhs for other capital items including Schemes for the rehabilitation of displaced persons.

23. I shall now explain briefly for your information some of the concrete benefits which have been received by the people of the State as a result of the financial and administrative policies followed by the Government during its last term of office. I shall also at the same time attempt to indicate what further benefits may be expected in the current financial year if we succeed in reaching the targets set by the budget estimates.

24. I would begin by reminding the Members that, from the administrative and economic point of view, the last five years were in many respects an abnormal period ; and we had repeatedly to face critical situations which not only diverted our energies and resources away from nation building activities but actually threatened to disrupt the normal functioning of the life of the community and cause a setback even in the progress so far made by the country.

Law and Order

25. It will be recalled that within a short time of our taking over the administration we had to face a very difficult law and order position. The uncertainties of the political situation just before the transfer of power and the reactions of the people here to the disturbances which occurred outside the State at the time of the partition gave rise to tensions capable of exploding any moment into widespread breaches of the peace. At the same time, as always happens after a war, crimes of violence, such as dacoities, robberies, murders, etc., were also strongly on the increase. For a while some people even feared that the Administration would be unable to cope with the forces of disorder. It is, therefore, a matter of some satisfaction to be able to say that, by firm and impartial action, by strengthening and reorganizing the police force, and by sending out special police parties to hunt out and exterminate dacoit and robber gangs, we not only succeeded in tiding over the initial crisis but also in restoring normal conditions in the State within a very short time.

Displaced persons

26. Also arising out of the Partition was the problem of the refugees. Emergent arrangements had to be made by us for housing, feeding and clothing hundreds of thousands of people who had been uprooted from their homes and had arrived here in varying degrees of destitution. At a later stage came the tremendous problem of rehabilitating these displaced persons and absorbing them into the social structure of the State. As a result of the various measures taken by us, more than two hundred thousand of these people have now been settled in some trade or industry. We have in hand for the benefit of the remaining displaced persons the establishment of four large refugee townships in different parts of the State. We can now claim that this problem, which at one time raised so many diffilcuties and caused so much administrative anxiety, is now well on the way to solution.

Commodity Controls

27. Simultaneously with the above problem we had to contend against the difficulties caused by acute shortages of essential consumer goods within the country, in particular the food shortages. We were compelled to take upon ourselves the administrative and financial burdens of enforcing State control over the supply and distribution of various essential commodities, there being no other practical method of ensuring that every citizen would be able to secure at least his minimum requirements of food, cloth and other essential goods at reasonable prices. Decontrol was tried out as an all-India policy for a brief period in 1948; but, in the absence of sufficiently large stocks of essential goods in the country to prevent unsocial practices by the trade, did not prove successful; and controls had to be imposed again. The cost of supply of foodgrains to the public at the existing issue prices has meant a drain of crores of rupees on the finances of the State. But, because of determination to keep down the costs of the necessaries of life, we had so far desisted from raising the issue prices. Recently, however, the Government of India discontinued their subsidy on imported wheat; and the rate of loss on the basis of the present issue prices became quite enormous. It is a matter of great thankfulness that just at this juncture circumstances

should have combined to bring about a position which permits us to hope that we may be able to do away altogether with the system of controls and the colossal unproductive expenditure which it involves. Owing to exceptionally heavy procurement and steady imports, both the State and the Central Governments now hold comfortably large stocks of grain. A number of irrigation works, which were under execution during the last few years, have now come into commission ; and the area of irrigated land has gone up appreciably. With the recent fall in the prices of cash crops, the tendency to convert food crop areas into cashcrop areas is now likely to be arrested. The recent contraction of bank credit has done much to curb the capacity for mischief of hoarders and black-marketeers. The lessening of in flationary pressure all over the world is also likely to induce the prices of foodstuffs to come down a little. And, at least as important as any of the foregoing factors, the rains have broken this year at the proper time and look like being normal. In view of these circumstances, the Government have taken the decision to make fundamental changes in the foodgrains supply and rationing arrangements. It has accordingly been declared that from the first day of this month there will be no State control over the movement or sale of foodgrains within the boundaries of the State. As a measure of precaution, however, the existing ration shops will be kept going for the present and it will be open to any ration-card-holder to continue to get his rations from those shops at the existing issue rates. But this should be a purely temperary arrangement ; and we sincerely hope that the normal trade channels will function with sufficient efficiency and consciousness of public duty to enable us to close down the ration shops after a short period of time and avoid the expenditure which their continuance will involve. Thus, we hope, ends another of the administrative headaches which had come to us as a legacy from the last war.

Flood and Famine Relief

28. As a matter closely related to the food problem, I would mention the problem we have had to face regarding flood and famine relief. Members are aware that this State has suffered from a succession of agricultural calamities during the last four years. In 1948 there were heavy floods which caused great damage and destruction. In 1950 unusually heavy rains and floods again did great damage to the *kharif* crops, particularly in the eastern districts. These rains and floods were followed by a long spell of drought which damaged the *rabi* crop also. In 1951 the rains failed. The loss of successive crops in this manner brought about scarcity conditions in various parts of the State, specially in the eastern districts. It has been our constant endeavour to do everything possible to relieve distress in those areas. We have opened test works and relief works wherever they were needed. We have rushed foodgrains to such areas and introduced Austerity Provisioning Schemes regardless of the cost involved. We have sanctioned suspension and remissions of rent and revenue, and distributed *takavi* loans liberally. Members will notice that the provision for gratuitous relief and *takavi* loans in the present budget is specially large. The amount of *takavi* distributed since May, 1951 for the construction of *kachcha* wells, purchase of seed, purchase of bullocks, etc., amounts to no less than Rs.1,61 lakhs. The expen-

diture sanctioned for test works and relief works during the same period amounts to another Rs.46 lakhs. We have under consideration plans for the construction of a number of major and minor irrigation works in the scarcity districts. One important project known as the Banganaga Canal Project has already been started in Basti district. We have now decided that whenever test or relief works have to be started in such areas in future, such work should be done as far as possible on some project of permanent value, preferably forming a part of the Five-Year Plan, so that not only immediate relief but also permanent protection is provided for the people of the locality. I am glad to say that through our unremitting efforts we have been able to prevent conditions of really serious distress from arising in any part of the State; and have been able to redeem the pledge which we gave to the people that so long as we were in power we would not allow starvation deaths to occur in the State.

Zamindari Abolition

29. I come now to the measures of social and agrarian reform which we have put through with a view to removing some of the obstructions which stood in the way of our economic progress. By far the most import of these measures is the enactment which has resulted in the abolition of zamindari. The abolition of zamindari had for long been one of the main planks of the declared policy of the Congress. One of our earliest actions on assuming office was, therefore, to obtain the approval of the Legislature to the principle of zamindari abolition. Owing to the complicated land tenure system then in force in the State, the examination of the details and the framing of the necessary legislation proved to be a task of considerable difficulty. Nevertheless we placed the necessary Bill before the Legislature by the middle of 1949. The Act was passed in 1950. The zamindars, however, challenged the validity of the Act and the question was taken right up to the Supreme Court. In may, 1952, the Supreme Court held that the Act was valid. On July 1, 1952, i. e., six days ago, the Act was enforced ; and an agrarian revolution of vast dimensions was brought to a succesful conclusion through entirely peaceful and constitutional means. Our peasants are now free to work out their own salvation by their own efforts, undeterred by fears of economic exploitation. They can now effect improvements to their land with the confidence that it will be they themselves, and not some one else, who will reap the profits of their labour. They are no longer beholden to any man for their livelihood ; and can walk with their heads erect. That the State will benefit tremendously in the increased wealth and mainliness of its people by this great change in our agrarian system cannot possibly be doubted.

From the budget point of view the abolition of zamindari has meant a large increase of revenue, the increase in the current year being of the order of Rs. 4.78 crores. A portion of this additional revenue will be needed for meeting the expenditure on various items of work connected with the abolition of zamindari, such as, the preparation of compensation rolls, etc. The remainder we propose to transfer to the Zamindari Abolition Fund for payment of compensation to the ex-zamindars. Members are aware that this Fund was originally set up to enable the tenants to contribute towards the costs of liquidation of zamindari and, in the process, to acquire valuable *bhoomidhari* rights in their holdings, the arrangement being that by contributing a sum equal to ten times their annual rent, the tenants acquire *bhoomidhari* rights which, among other things, confer complete protection against ejectment. The contributions so far made to the Fund by the tenants exceed Rs. 32 crores.

It may, however, be mentioned in this connexion that the additional revenue due to Zamindari Abolition will decrease each year as more and more tenants acquire *bhoomidhari* right and that in any case the additional revenue will at no time be available to the Government for development purposes because it will have to be wholly utilized in the payment of compensation to ex-zamindars.

Panchayat Raj

30. The other important measure of rural reform which we have carried out is the setting up of the Panchayat Raj. Its aim is to organize the village to function as the ultimate executive unit of local self-government through which the rural development policies of the Union and the State Governments can be translated into effective action at the village level. The Panchayat Raj Act was passed in 1947. There are now nearly thirty six thousand Gaon Panchayats and over 8,400 Panchayati Adults functioning. Many of these bodies have already acquired the experience of establishing and running village primary schools, libraries, reading rooms, *akharas* etc. They have constructed many miles of village roads and have built a large number of *Panchayat Ghars*, village *chabutras*, etc. The work so far done holds good promise for the future. In the current year we hope to harness the services of these village organizations in the execution of self-help schemes in the villages. It should be possible later on to utilize their services for the implementation of schemes of consolidation of holdings, co-operative farming, co-operative marketing, etc. When fully developed, they should become the pivot of all planning and development activities in the villages. The Government have now decided that the salaries of the secretaries of these Panchayats should be paid by Government; and that Government should have a certain amount of control over those officials. A provision of Rs.50 lakhs, therefore, appears in the budget for the payment of those salaries. These officials will be given training in malaria control this year and will be expected to co-operate with the special anti-malaria units which will be set up by the Public Health Department. Another provision of Rs.1 lakh has been made for grants to Panchayats in scarcity-striken areas.

Co-operative Organization

31. Fragmentation of agricultural holdings and the lack of organized marketing facilities are two of the main reasons for the present low productive capacity of the rural areas. The only practical remedy for these defects is the setting up of appropriate co-operative organizations. We have, accordingly, been doing whatever is possible to help in this direction. Co-operative societies dealing with one kind of village economic activity or other are consequently now working in at least one out of every three villages in the State. A Provincial Marketing Federation linates the activities of the consumers' co-operative societies and f similar societies of producers. The financial side is being manag-

ed by the Provincial Co-operative Bank and its subsidiaries. These two bodies, the Federation and the Bank, have been steadily extending their activities in the villages. Land colonization co-operative societies and co-operative milk unions have also been organized ; and are working satisfactorily. The latest experiment has been the setting up of societies for co-operative farming and for management of tube-well irrigation. The results so far achieved are very encouraging. We have accordingly made special provisions in the budget for setting up more societies for co-operative farming, for sanctioning loans to co-operative societies for the construction of tube-wells, the setting up of small power houses, etc.

Prohibition

32. We have so far enforced prohibition in eleven districts of the State. To prevent financial and administrative difficulties from arising, progress in this matter has to be somewhat gradual, because a mere declaration of prohibition is not by itself enough unless the ideal of temperance also gets firmly established. Stress is, therefore, being laid at present upon temperence activities and propaganda. Excise duties and licence fees have been steadily raised. The consumption quota of opium for the whole of the State was further reduced last year ; and another reduction of the quota will be made in the current year.

Uplift of Harijans and other backward classes

33. I will now mention briefly the steps taken by us to remove the disabilities or hardships peculiar to certain classes of people or sections of the community. In order to help the so-called backward classes, we have created a special agency called the Harijan Sahayak Department under a Provincial Harijan Sahayak Officer. We have also set up a Provincial Harijan Board to advise on schemes for the welfare of Harijans. We have provided special educational facilities and opportunities of employment to people belonging to these classes. Ten per cent of all Government posts filled by direct recruitment have been reserved for Harijans and other scheduled caste candidates.

Labour welfare

34. In the sphere of industrial relations, we have effected a number of reforms. We have taken steps to standardize wages in the larger industrial undertakings. Since standard wages have in most cases been related to the cost of living index and as workers in many industries are also receiving bonus when there are profits, it is true to say that labour has to a large extent been protected from the adverse effects of the present increased cost of living. Medical aid, maternity and child-welfare benefits and recreational and sports facilities are being provided to the workers at forty welfare centres maintained by the Government at various places in the State. We propose to open two new centres at Rampur and Jhansi in the current year. An important scheme of health insurance for workers has been now brought into force at Kanpur. An up-to-date T.B. Clinic for working class people has also been started there. We have paid special attention to the question of labour housing. The construction of a large number of houses for sugar factory workers is at present in hand. Action is also being taken to clear up labour slums in cities like Kanpur. If the necessary financial help is forthcoming from the Central Government, we hope to start work this year on the construction of a large number of

houses for factory workers at Kanpur and Lucknow. A provision of Rs. 75 lakhs has been made in the budget for this purpose. It is a matter of satisfaction to us that there has been no major industrial dispute in the State during the last two years.

Political Sufferers

35. Another class of people for whose relief we have taken special steps are the political sufferers. When we came into office, we released all the political prisoners without delay. We passed orders for the refund of fines which had been imposed by the courts on people who had taken part in the 1941-42 freedom movement. Compensations were awarded to individuals and organizations who had suffered loss by way of damage to, or confiscation of, property in connection with the 1942 movement. Monthly pensions were sanctioned to political sufferers who had become old and infirm. The recurring expenditure on this account now amounts to about Rs. 3 lakhs per annum. We have also made provision for special scholarships to the dependents of political sufferers. The provision in the budget on this about is of Rs.75,000.

Low paid Government Servants

36. I may also mention here that soon after we assumed office, we took steps to increase the salaries of low paid Government servants. We have now made a beginning in the matter of construction of houses for them. In the current year's budget we have also made a special provision of Rs.25 lakhs for schemes of housing for middle class persons.

Education

37. I will now briefly touch upon our activities in respect of the social services.

38. The largest revenue expenditure, which the Government are at present incurring, is on education. The expenditure, which was Rs 2,65 lakhs in 1945-46, now amounts to as much as Rs. 8,10 lakhs. The number of students receiving education has gone up from a little over 20 lakhs in 1946 to over 32 lakhs now. As against nineteen thousand primary schools in 1946, there are now thirty-three thousand such schools. Compulsory primary education for boys is now in force in eightysix municipalities of the State. As against 17 colleges there are now 48. The strength of secondary schools, technical institutions etc. has also similarly increased. In the field of education our real objective is not merely to impart academic instruction but to give such training of a practical nature as will enable the student later on to become a useful, productive and self reliant citizen of the Union. Since much of the activity in this country is necessarily agricultural we are giving more and more importance to practical agriculture as a subject for study in our schools. Every normal school will now have a farm attached to it for purposes of practical training. We hope that within the next few years it will be possible for us to introduce some form of social service also as a regular part of school and college syllabuses. So far as technical education is concerned, improved facilities are becoming available to students every year. The Roorkee University is being gradually developed into a

centre of instruction in higher engineering subjects. Facilities at the various medical colleges are being steadily extended. Special courses in automobile engineering have been organised by the Transport Department and vocational instruction in number of trades and crafts is being imparted at the tuitional classes run by the Directorate of Cottage Industries.

While on this subject of education, I feel that it is necessary that I should refer to a matter which has been a cause of concern for the Government. Members are aware that certain of our Universities have contracted heavy debts and that the subject has been a matter of common discussion in public. A stage has been reached where effective action has to be taken to eliminate the causes which have led to the present financial deterioration. In the interests of education, Government would be prepared to sanction the necessary grants to enable those Unversities to wipe out their debts provided adequate means can be devised to safeguard the future credit and reputation of those Universities

(इस समय डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

Medical and Public Health

39. With our present financial resources it is impossible to provide medical facilities on an adequate scale to all the people in the State. But to the extent practicable we have increased such facilities. The number of rural dispensaries has been nearly doubled. We have supplied almost every district hospital now with X-ray equipment. A new T. B. Sanatorium has been established at Dakpathar. By effective enforcement of health measures the severity of epidemics has been perceptibly reduced. In order to increase the number of trained doctors in the State increased facilities for medical education have been provided. In the current year we propose to establish a few more allopathic dispensaries; but the most important item of work which we propose to take in hand is the creation of ten anti-malaria units as part of a plan to eliminate maleria from the State within a period of five years. We shall also be incurring heavy expenditure in the current year on improvements to the buildings and equipment of the existing hospitals in the State. On account of these decisions the medical and public health budget shows an increase of Rs.31 lakhs over the previous year's estimate.

Law and Justice

40. In the sphere of judicial administration we have made a number of improvements designed to improve the efficiency and strengthen the independence of the judiciary. In order to place the entire judicial system of the State under the High Court at Allahabad, the High Court and the Chief Court of Lucknow were amalgamated in 1948. Separation of judicial and executive functions has been effected in eighteen districts. Provision has been made in the current year for the setting up of civil courts in the Kumaun also. Steps have been taken to expedite the disposal of cases by the various courts. The number of subordinate judicial officers has been considerably increased. A high-powered Judicial Reforms Committee was appointed last year to make recommendations for simplifying the legal system and eliminating causes of delay in the disposal of cases. The Committee has submitted its Report and the report is now under examination by the Government.

Improvement of Food Production

41. It remains now to say a few words about our schemes for the development of the material resources of the State, i.e., the development of agriculture, animal husbandry, irrigation, electric power, industries, roads and road transport.

42. As I have already explained in an earlier part of the speech, Government have given first priority to their schemes for the improvement of agricultural production and cattle wealth. Even when financial stringency was most acute we have provided whatever money was needed for these schemes by cutting down the demands of the other departments, if necessary. The results of this policy have been sufficiently impressive. By the end of March, 1952, in the Bundelkhand Region, the Nagwa Dam and the Lalitpur Dam had been completed and the Saprar Dam and the Kabrai Lake Project had reached advanced stages of construction. Ninty-six tube-wells were constructed in the Eastern Districts. Two small gravity canals, the Rohin and the Danda, and the Ramgarh Pump Canal, were constructed in Gorakhpur District. Ninety-seven miles of minor irrigation channels were completed and opened for irrigation in the food scarcity districts of Almora, Naini Tal, Garhwal and Tehri-Garhwal. 1,569 miles of channals and extentions on the Sarda canal system were brought into operation in the central regions of the State. Sixteen tube-wells were also constructed in this region. Another 446 tube wells were constructed in the western districts. As a result of all these irrigation works, the irrigable area was increased during the last five years by nearly thirteen lakh acres. The actual irrigation done in 1951-52 was seventy lakh acres as against sixty lakh acres which was the highest figure ever reached before 1946. During the current year, work on the Lalitpur and Saprar Dams and the Kabrai Lake Project will be completed. Work on the Matatila, Arjun. Chandraprabha and Atrawra Dams which when completed will provide irrigation for four lakh acres of land will be speeded up to the maximum extent possible with a view to their early completion. Work on the Rangavan Dam and the Belan canal will also be expedited to the maximum extent possible. The construction of minor irrigation works in the hill districts will be continued. Work on another 431 miles of channels and extentions on the Sarda canal system will be completed. The construction of tube-wells under the 440 tube-wells scheme will be expedited

We have included in our Five-Year Plan construction of 1,000 tube-wells in eastern districts—400 in the districts of Gorakhpur, Deoria and Basti, 300 in the districts of Azamgarh, Ghazipur and Ballia and 300 in the districts of Faizabad and Sultanpur. Besides these three schemes included in the basic part of the plan we also contemplate as part of our supplementary plan a programme of 1,000 tube-wells out of which 400 are to be located in the districts of Mainpur, Farrukhabad and Etah. The Government of India have under the Indo-U. S. Technical Co-operation Agreement recently approved the construction of 99 tube-wells which cover two of the three schemes of our basic plan and also include the major part of the programme scheduled for the central districts. As regards the third scheme of the basic plan—the Azamgarh, Ghazipur, Ballia group of tube-wells—the State Government proposes to start work on 100 tube-wells in this region also. Meanwhile a detailed survey of the eastern districts will be made which will also enable small irrigation projects to be worked out for areas where major forms of irrigation are not possible. A lump sum provision of Rs.20 lakhs has been made in the budget for the construction of such works. One such work, the Banganga Project, estimated to cost Rs. 24 lakhs has been already taken in hand. As a result of the steps which are being taken to increase the capacity of the Sarda Canal it will be possible in future to irrigate a larger area of rice and late Kharif crops. It is proposed to take advantage of these supplies to provide irrigation facilities for Pratapgarh and Sultanpur districts by constructing what will be known as the Jais Branch extention of the Sarda Canal. A provision of Rs. 10 lakhs has been made in the budget for the commencement of this work. Seventy more tube-wells will be sunk in the western part of the State. As a result of the works to be completed during 1952-53 the irrigable area is expected to increase by another three lakh acres within the next few months. As members are aware, the Government have a fully worked out project, known as the Rihand Dam project, ready for implementation the moment necessary funds become available. This project is of vital importance for the development of the eastern and south-eastern parts of the State. The project has now been examined by the Government of India and declared to be sound both from the engineering and from the economic point of view. The Government propose to request the Centre for special financial assistance for the implimentation of this project. Meanwhile, a provision of Rs. 10 lakhs has been made in the budget to enable all construction preliminaries to be completed well in time.

In addition to the construction of irrigation works a great deal of other work has also been done for increasing food production in the State. About 11 lakh acres of jungle and waste land have been reclaimed and made fit for cultivation. Thousands of masonry wells have been constructed. Large quantities of improved seed and fertilizers have been distributed. Mechanisation of agriculture has been encouraged. Workshops have been set up for the manufacture and repair of agricultural implements and machines. A plant protection service has been set up. Two agricultural schools have established. For the improvement of the quality of the milch and draft cattle, which are so important a factor in agricultural production, we have established a number of cattle breeding farms and artificial insemination centres. A degree college in veterinary science has been established at Mathura.

Electric Power

43. In order to increase the industrial power supply of the State, the Government have been incurring a great deal of capital expenditure every year on the expansion of the existing power houses or the construction of new ones. The Mohammadpur Power House with an installed capacity of 9,300 Kws. the Sohawal Power House extension (2,000 Kws.) and the Gorakhpur Pilot Oil Engine Power Station (2,290 Kws.) are now practically complete. Work on the extension of the Harduaganj Power Station (6,000 Kws.) has reached an advanced stage. The construction of the Sarda Power House (41,400 Kws.) and the Pathri Power House (20,400 Kws.) is proceeding steadily. Work is also proceeding on the

construction of the Ganga and Sarda transmission lines. In addition to the above mentioned works, it is now proposed to take in hand the construction of two new steam stations—one at Gorakhpur and the other at Mau of 10,000 Kws. capacity each These will supply power to the districts of Azamgarh, Ballia, Ghazipur, Basti, Deoria and Gorakhpur. It is also proposed to further extend the Sohawal Power Station by another 7,500 Kws. A provision of Rs. 20 lakhs has been made for these schemes in the budget year. Survey work for installing small hydro-turbines in hill districts has also been taken in hand; and a provision of Rs. 4 lakhs has been made for this scheme in the current year. The Government have also taken in hand a project for a 15,000 Kws. extension of the KESA Power House at Kanpur. The provision for this work in the current year amounts to Rs. 80 lakhs.

Industries

44. As regards our schemes of industrial development, mention should be first made of the Cement Factory Project and the Precision Instruments Factory. Construction work on the Cement Factory is going on; and a provision of Rs. 1.25 crores has been made in the budget for this purpose. A major part of the factory building has been completed. Two-third of the plant and machinery ordered from the United Kingdom at a cost of about Rs. 1·5 crores has been received. The Government of India have agreed to construct a rail-road from the factory site to Chunar; and the work has already started. The factory when completed will have an out-put of 700 tons of cement a day. The Precision Instruments Factory at Lucknow is now manufacturing ½ inch water meters, several hundreds of which have been already sold. It is hoped that in the current year the target of production of 1,000 meters per month will be achieved. The factory proposes to manufacture some microscopes also during the course of the year.

(इस समय फिर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

The important place which cottage industries hold in a rural economy does not require to be stressed. Our aim has been to facilitate the development of these industries by making available to the cottage workers increasingly better technical and educational facilities and efficient marketing organizations. In order to improve the technique and efficiency of production, we started a scheme of tuitional-*cum*-production centres which impart training in improved methods of manufacture and improved design and finish. The existing number of such centres is 115. The results achieved by these centres have been highly satisfactory; and it is proposed to raise the number of the centres to 150 in the current year. Production centres have also been set up for the manufacture of improved varieties of handloom cloth. A finishing and dyeing factory has been set up at Mau (Azamgarh). A fruit preservation and canning institute has been set up at Lucknow. 20,000 spinners have been trained in the manufacture of *khadi*. Two occupational institutes have been opened, one at Lucknow and the other at Allahabad; and a technical school has been opened at Ghazipur Small polytechnics have been opened in the hill districts. A scheme for quality control of the products of the cottage industries, has been started. In the current year it is intended to lay at least as much stress on production as on training and demonstration.

Four new centres for the production of handloom cloth and three new centres for the production of woolen cloth will accordingly be opened at a cost of Rs.3½ lakhs. A tanning centre, a pottery and ceramics centre, a centre for the canning and dehydration of fruits and vegetables and four new centres for training in glass-bead manufacture will also be opened in the current year. Three new polytechnics will be opened at Meerut, Dehra Dun and Jaunpur.

Roads

45. In 1946, when a large Central subvention was expected, the Government launched an ambitious programme for the improvement and extention of the roads in the State. Owing to the withdrawal of Central subsidy three years later this programme could not be completed. A large amount of work has, however, been done. About 2,100 miles of local roads have been reconstructed. About 1,900 miles of new roads have been built or are approaching completion. 4,500 miles of unmetalled road have been built. Some miles of cement concrete tracks have also been constructed. A provision of Rs.2,04 lakhs has been made in the Public Works Department Budget of the current year primarily for the completion of the incomplete works. Another provision of 6 lakhs appears in the loans budget for advances to sugar factories for the construction of tramways in sugar factory zones.

Road Transport

46. The road transport organization set up by us with a view to provide cheaper and better transport facilities to the public as steadily expanded. The total capital invested in it now amounts to Rs.3¼ crores. The organisation owns 1,335 buses, 496 trucks and 51 taxies; operates on more than 460 miles of metalled road and carries about 4 crores. of passengers annually over 242 different routes. City bus services have been started in some of the larger towns and have become very popular. The organisation now possesses an adequate number of fully equipped workshops at the regional headquarters and a large central workshop at Kanpur. It provides special amenities for passengers, such as, printed time-tables, waiting sheds, drinking water facilities, refreshment stalls, a service of porters, etc. unknown to the road travelling public before. We do not intend to expand the organisation to any extent in the current year; but some new expenditure will be incurred in taking over certain overlapping routes ; constructing residential accommodation for the workers at the central workshop; and effecting various improvements in internal working designed to increase the efficiency of the organisation as a public utility

Planning and Co-ordination

47. It is obvious from what I have been saying till now that the Government have in hand a large amount of development work involving huge expenditure. It is essential that in carrying out this work there should be careful co-ordination and planning. An agency for that purpose was, therefore, created in 1947 with a Development Commissioner at its head. The organization had to be somewhat modified subsequently on the basis of experience and to meet changed requirements ; and a State Planning

Board consisting of selected non-officials and secretariat officers was set up at the headquarters of the Government. At the district level, district planning committees were formed. Whole-time district planning officers were provided ; and all staff, irrespective of the department to which it belonged which was engaged in development work in the districts was polled together and placed under the district planning officers. This was done with a view to secure co-ordination in the preparation of development plans and efficiency and economy in their execution. The organization now devised will be able to devote its full energies to the discharge of development duties without being burdened by the cares of routine district administration.

I would say a few words here about the pilot development project of Etawah. The object of this scheme was to get the inhabitants of certain selected villages to place themselves under the expert guidance of the officials in charge of the project and under their directions to do rural development work for the benefit of their own villages. It was essentially a question of the officials winning the confidence of the villagers and getting them to accept good advice. The scheme has been an outstanding success, and economic conditions in the selected villages have shown an all-round improvement. Similar projects are at present being tried ouit in certain eastern districts of the State and it is hoped they will agan meet with the same success. As Members are aware an agreement was excuted early this year between the Indian and the United States Governments under which similar community projects are to be started all over the country. There will be six such community projects in this State. These community projects are being located in different regions of the State, three of them falling in the western districts where new tube-well programmes are also being undertaken, one in the mid-western region which also be served by a proposed new tube-well programme, one in Jhansi and one in the Kumaun districts. The programme of work in these Projects will embrace all the diffe ent aspects of community life including improvement in agriculture and cottage industries, communications, health and education. Detailed propoisals are being worked out for each project and it is hoped to start work in some of the areas of these projects by the beginning of ensuing *rabi*. Necessary provision for these projects will be made through a supplementary estimate.

Merged States and Enclaves

48. Before I conclude this factual review, I should like to mention briefly one other subject. The erstwhile States of Banaras, Rampur and Tehri-Garhwal and certain small enclaves previously belonging to the Vindhya Pradesh marged into our State between August, 1949 and January, 1950. This merger has added some 7,000 sq. miles of territory to our State and about 15 lakhs to the population. The standards of administration in the merged areas were naturally lower at the time of the merger; but steps were taken by us to raise those standards to the level existing else where in the Uttar Pradesh. On this account these States and enclaves are likely to prove a financial liability to us at least for

the next few years. A problem which faced us at the time of the merger was what to do with the numerous, and mostly ill-qualified, employees of the erstwhile administrations of those areas. Such of the persons as were fit for the State service were absorbed in our services and the rest were given liberal pensions or gratuities and were discharged. A special financial and audit organization was set up for the prompt disposal of their claims.

49. It has not been possible for me within the time at my disposal to give anything like a full account of all the governmental activities extending over a period of five years. But the brief review which I have just concluded will have given the Members some idea of what was accomplished in spite of the various difficulties we had to overcome during that period. A great deal more, however, remains to be done before we can say that the conditions necessary for the prosperity of the State have been brought into existence. We shall be able to make that claim only when important projects, such as, the Riband Dam project, the 2,000 Tube-well project which is under consideration, the various large irrigation works, power houses, etc., at present in hand, and the first phase of our original road programme are completed, facilities for education particularly technical and vocational education, are very greatly increased, medical facilities are made available to a much larger extent than has been possible so far and the present housing shortage has been overcome. The minimum programme of development which we must carry out within the next three or four years for the attainment of this objective is set out in the State Five Year Plan. It will involve very big outlays of revenue and capital expenditure. But it is essential or the welfare of the people that the expenditure should incurred; and that nothing should be allowed to stand in the way of the progress of the Plan. Our present resources are not enough for this purpose, Additional resources must, therefore, be raised, whether it be in the form of taxes, or of loans, or of voluntary contributions in money or labour. The main portion of the funds which are needed will, of course, have to come from new taxation. In determining the nature of this taxation we shall attempt to adhere as closely as possible to the lines indicated in their draft report by the Planning Commission and shall endeavour to ensure that as far as possible each citizen is called upon to bear the burden in proportion to his means and capacity. It is but reasonable and fair that, while every citizen of the State should make his contribution for the progress of the State, those people who have benefited financilly from the development works so far completed by the State should contribute something extra in order that areas which have not been developed till now may now benefit in their turn. The Government, therefore, intend to bring in necessary legislation imposing a development levy on all irrigated land. A development levy at a considerably lower rate will be imposed on unirrigated land and on houses in municipal areas. The proceeds of these levies will be transferred to a Fund for financing capital expenditure mainly on irrigation, hydro-electric and urban housing schemes forming part of the Five Year Plan. These development levies will be raised only during the current financial year and the next. They will not be levied in areas where scarcity conditions exist. In respect of land for which irrigation facilities are hereafter provided by the State, a betterment

[redacted]

levy will be imposed. In addtion to these levies we intend to mak certain increases in the existing rates of taxation under the Stamp an Registration Acts, the Motor Vehicles Taxation Act and the Sales o Motor Spirit Taxation Act. Steps will also be taken to increase revenu receipts under the Sales Tax Act and from electricity rates. Slight increases will be made in the transport rates to cover the increased cos of petrol, tyres, spare parts, etc., used by the Government Transpor Organization. We shall need the fullest co-operation of the people i raising these resources. For our own part, we shall strain ourselve to the utmost limit to see that nothing delays the speedy completion o the works which we take in hand; and for the sake of the country w shall devoutly hope that our efforts will be attended with success.

50. It will be an omission on my part if on this occasion I forget to thank Sri B. G. Rau. the Finance Secretary, who has all through been very vigilant and managed the finances of this State with prudence and ability. He has taken pains to maintain the soundness of the State finances. I thank him for the hard task he had to perform as Finance Secretary of the State. I also thank Sri Bharat Narain, Deputy Secretary, Sri K. S. Goyal and Sri N. C. Ray, Under Secretaries, and in particular Sri Keshav Das, Under Secretary in charge of the Budget Section of the Finance Department, for the very good work done by them in connection with the preparation of the Budget. My thanks are also due to the other officials of the Finance Department and to the staff of the Translation Department and of the Government Presses at Allahabad and Lucknow for their contribution in getting the budget literature ready in time.

सदन का कार्यक्रम

वित्त मंत्री (हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैं जनाब वाला से अर्ज करता हूं कि ११ तारीख़ से सेशन शुरू किया जाय।

चेयरमैन—हाउस कब से बजट पर बहस करना चाहता है। ३ दिन इस पर बहस होगी, तो क्या ११, १२, और १४ तारीख़ ठीक रहेगी? यह बिल जो आज मेज़ पर रक्खा गया है वह कब लिया जाय?

वित्त मंत्री—यह परसों लिया जाय।

चेयरमैन—अगर यह बिल १० तारीख के लिये रक्खा जाय तो क्या ठीक होगा?

श्री कुंवर गुरुनारायण—यही ठीक है।

वित्त मंत्री—अगर किसी को बाहर जाना है तब तो ठीक है।

प्रो० मुकुटबिहारी लाल—चूंकि ९ तारीख को यूनिवर्सिटी खुलेगी, इसलिये १० तारीख ही ठीक है।

वित्त मंत्री—१० को ही लिया जायेगा।

श्री रुक्नुद्दीन खां—अगर ११ तारीख के लिये रक्खा जाय तो ठीक होगा क्योंकि यह छोटा सा बिल है। इस पर कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

चेयरमैन—११, १२ और १४ तारीख को बजट पर आम बहस होगी। अगर हैं इसे ११ तारीख को लेते हैं तो बहस के लिये समय कम मिलेगा। इसलिये १० को ही इसे ले लिया जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण--अगर १० तारीख को लें तो ठीक है।

चेयरमैन--हाउस का जनरल सेन्स (general sense) यही है कि १० तारीख को यह बिल लिया जाय और ११, १२ और १४ को जनरल डिस्कशन (general discussion) हो। मेरा ख्याल यह है कि हाउस को १० तारीख को दो बजे बुलाया जाय। कौंसिल १० तारीख को दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ३ बज कर ३० मिनट पर दिनांक १० जुलाई, १९५२ ई० को दिन के दो बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
दिनांक ७ जुलाई, १९५२ ई०

पी० एस० यू० पी०--२६ एल० सी०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक विधान भवन, लखनऊ में २ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (४९)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डा०
उमानाथ बली, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलूराम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभूनारायण सिंह, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डा०
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
बृजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
महमूद असलम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामकिशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
रामलगन सिंह, श्री
लल्लूराम द्विवेदी, श्री
लालताप्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ विजयानगरम, डाक्टर महाराज कुमार
शांति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिवसुमरन लाल जौहरी, श्री
श्यामसुन्दरलाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वायत्तशासन मंत्री)

प्रश्नोत्तर

जिला नैनीताल के ग्राम लोहरियामाल के पंचातत घर का बनना

१—**श्री इन्द्र सिंह नयाल**—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला नैनीताल के ग्राम लोहरियासाल का पंचायत घर जनता की मर्जी के खिलाफ वहाँ के ग्राम सभा के सभाप ने अपने घर के पास, गांव के मध्यस्थ स्थान को छोड़ कर बनाना शुरू किया था ?

स्थानीय स्वशासन मन्त्री (श्री मोहन लाल गौतम)—ग्राम पंचायत के बहुम से ही लोहरियासाल पंचायत घर कठघरिया में बनाना आरम्भ किया गया था ।

श्री राजाराम शास्त्री—क्या सरकार ग्राम पंचायत की उस मीटिंग को बतला की कृपा करेगी कि किस तारीख को मीटिंग में बहुमत से यह पास हुआ कि वहां प यह पंचायत घर बनाया जाय ?

स्थानीय स्वशासन मन्त्री—ग्राम पंचायत लोहरियासाल की दिनांक २६-१-५ की बैठक में तीन के विरुद्ध तेरह सदस्यों के द्वारा यह फैसला हुआ था ।

२—**श्री इन्द्र सिंह नयाल**—(क) क्या यह मामला सरकारी कर्मचारियों विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो कब से ?

(ग) सरकार इस मामले को कब तक तय करेगी ?

स्थानीय स्वशासन मन्त्री—(क) जी नहीं। जिला पंचायत अधिकारी ने सब की सलाह से २८ जून, १९५२ ई० को आपसी मतभेद दूर करा दिया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील चकिया, जिला बनारस की ग्राम सभाओं और अदालत-पंचायतों के लिये मुहरें बनवाने की व्यवस्था

३—**श्री राम नन्दन सिंह (अनुपस्थित)**—क्या स्थानीय स्वशासन मंत्री को यह ज्ञात है कि तहसील चकिया, जिला बनारस की ग्राम सभाओं और अदालत पंचायतों के लिये मुहरें बनवाने की व्यवस्था जिला कार्यालय बनारस से की गई थी ?

स्थानीय स्वशासन मन्त्री—जी हां ।

४—**श्री राम नन्दन सिंह (अनुपस्थित)**—यदि हाँ, तो क्या स्थानीय स्वशासन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितना व्यय हुआ और वह रुपया किस मद से दिया गया ?

स्थानीय स्वशासन मंत्री—इस तहसील के लिये मोहरें बनवाने में कुल व्यय १४५ रु० २ आना शासन से स्वीकृत सहायक अनुदान से हुआ ।

५—**श्री राम नन्दन सिंह (अनुपस्थित)**—क्या यह सच है कि तहसील चकिया जिला बनारस की कुछ ग्राम सभाओं और अदालत पंचायतों में मुहरों की व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी ?

स्थानीय स्वशासन मन्त्री—कुछ मोहरें त्रुटिपूर्ण थीं । उन्हें सुधारने के लिये ठेकेदार को दे दिया गया है। सुधर कर आ जाने पर यह मोहरें सम्बन्धित गाँव सभाओं को भेज दी जावेंगी ।

प्रदेश के पंचायत मंत्रियों को वेतन का न मिलना

६––श्री गोविन्द सहाय (अनुपस्थित)––(क) क्या यह सही है कि प्रदेश के पंचायत मंत्रियों को पिछले पांच, छः मास से वेतन नहीं मिला ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस उपेक्षा का क्या कारण है ?

स्थानीय स्वशासन मंत्री––(क) हां कुछ जिलों में कुछ पंचायत मंत्रियों को कुछ महीनों का वेतन नहीं मिला।

(ख) वेतन देने का उत्तरदायित्व गांव सभाओं पर है। कर वसूली की स्थिति संतोषजनक न होने के कारण कुछ गाँव सभायें पंचायत मंत्रियों के वेतन–भार को सहन करने में असमर्थ रही हैं।

७––श्री गोविन्द सहाय (अनुपस्थित)––क्या सरकार को यह भी मालूम है कि बिजनौर जिले के पंचायत मन्त्रियों ने ५ जून तक वेतन न मिलने पर सामूहिक भूख–हड़ताल करने का निर्णय घोषित किया है।

स्थानीय स्वशासन मन्त्री––नहीं सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

८––श्री गोविन्द सहाय (अनुपस्थित)––(क) क्या सरकार पंचायत मन्त्रियों की इस माँग के औचित्य को स्वीकार करती है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है और कब तक ?

स्थानीय स्वशासन मन्त्री––(क) प्रश्न में मेरी राय मांगी गई है, राय देना उचित नहीं।

(ख) बजट में व्यवस्था कर दी गई है।

वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्यायें २०८१–टी० पी०/३०––१०९७ टी०–५१ और १६९६–टी० पी०/३०––१००५–टी०–५०, तारीख २३, मई १९५२ ई० को प्रतिलिपियों को मेज पर रखना

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)– मैं वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्यायें २०८१–टी० पी०/३०––१०९७–टी०–५१ और १६९६–टी० पी०/३०––१००५-टी०–५०, तारीख २३ मई, १९५२ ई० की प्रतिलिपियों को मेज पर रखता हूं, जिनके द्वारा सन् १९४० ई० के मोटर वेहिकिल्स रूल्स में संशोधन किये गये हैं।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमों की प्रतिलिपि को मेज पर रखना

शिक्षा मन्त्री––मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमों की प्रतिलिपि को मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति, लखनऊ के लिये दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री––मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें, दो सदस्य उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति, लखनऊ के लिये चुनें।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जिस तारीख चेयरमैन आदेश दें, दो सदस्य उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति, लखनऊ के लि चुने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेशीय म्युजियम, लखनऊ की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री--मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जि तारीख को चेयरमैन आदेश दें, एक सदस्य प्रदेशीय म्युजियम, लखनऊ की मैनेजिंग कमे के लिये चुने।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जिस तारीख चेयरमैन आदेश दें, एक सदस्य प्रदेशीय म्युजियम, लखनऊ की मैनेजिंग कमेटी के लिये चु

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेशीय आरकोलाजिकल म्युजियम, मथुरा की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव

शिक्षा मन्त्री--मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जि तारीख को चेयरमैन आदेश दें, एक सदस्य प्रदेशीय आरकोलाजिकल म्युजियम, मथुरा क मैनेजिंग कमेटी के लिये चुने।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें, एक सदस्य प्रदेशीय आरकोलाजिकल म्युजियम, मथुरा की मैनेजि कमेटी के लिए चुने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन के लिए एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री--मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें, एक सदस्य उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन के लिए चुने।

चेयरमैन--प्रश्न यह कि लेजिस्लेटिव कौंसिल, जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें, एक सदस्य उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन के लिए चुने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन--इन सब चुनावों के लिये सदस्य कब तक नाम दे देंगे? परसों १२ बजे तक क्या आप सब नाम सेक्रेटरी को दे सकेंगे?

(सर्वसम्मति से यह स्वीकार हुआ।)

चेयरमैन--परसों १२ बजे तक इन सब चुनावों के लिये नामजदगियां सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल को दे दी जायं।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक

शिक्षा मंत्री--श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने के (मिर्जापुर) विधेयक पर विचार किया जाय।

जिला मिर्जापुर में कैमूर रेन्ज (range) का जो इलाका है उसमें अभी तक सन् १९२६ ई० का ऐक्ट लागू है और उस ऐक्ट के अनुसार लोग बेदखल हो सकते हैं और उनके जरिये से उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है । अब इधर जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जब तैयार हुआ तो उसमें इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि कुछ संशोधनों के साथ वह ऐक्ट इस इलाके में भी लागू किया जाय । इससे वहां एक स्थिति यह पैदा हो गई है कि बहुत से लोग जो जमींदार हैं, वह लोगों को बेदखल करके अपनी जमीन बढ़ाना चाहते हैं । तो यह विधेयक आपके सामने इसीलिये प्रस्तुत किया गया है, जिससे वहाँ की जो इस समय स्थिति है वह कायम रहे और जिसमें कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट कुछ संशोधनों के साथ उस इलाके में भी लागू हो सके और यही इस ऐक्ट का उद्देश्य है। मुझे आशा है कि भवन इसको मंजूर करेगा।

***श्री प्रभुनारायण सिंह**--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी जो बिल जिस उद्देश्य और प्रयोजन से हमारे सदन में रक्खा जा रहा है, उसका हम स्वागत करते हैं। खासतौर से इस वजह से कि वह इलाका एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका रहा है और जहां पर वहाँ के रहने वालों की तकलीफों की कोई इन्तिहा नहीं है । आज के इस प्रगति के युग में वहाँ पर उनकी तकलीफों की कहानियाँ ज्यादा लम्बी चौड़ी हैं और उनका बयान करना इस सदन के अन्दर नामुमकिन है । लेकिन आज इस सदन के अन्दर, खास तौर से जो मुकदमें उन इलाकों में दाखिल हुये हैं या बेदखली के जो मुकदमे दाखिल होने वाले हैं उनको रोकने के लिये और उनके ऊपर अमल-दरामद करने के लिये जो प्रस्ताव यहाँ पर रक्खा गया है, मैं उसके सिलसिले में माननीय मंत्री जी को यह बतलाना चाहता हूं कि जहां तक स्टेट (state) की प्रोसीडिंग्स (proceedings) को रखने का सवाल है तो वह सवाल यहाँ पर नहीं है, बल्कि जो ज्यादतियाँ आज वहाँ पटवारियों की तरफ से हो रही हैं, उसकी कोई इन्तिहा नहीं है । वहाँ ऐसे इलाके हैं, जहां पर किसानों को समता का हक नहीं है। इसके सिलसिले में मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वह के जो नकशे बनते हैं, वह कच्चे बनते हैं और अभी तक पक्के नकशे बनाने की व्यवस्था वहां पर नहीं हुई है। इसके साथ-साथ मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वहां के जो पटवारी हैं वे वहाँ के राजा के समान उन पर हुकूमत करते हैं और इसकी वजह यही है कि वहाँ कच्चे नकशे बनाये जाते हैं और इसकी वजह से उनको छूट है कि वह दूसरे के कब्जे पर किसी दूसरे का कब्जा दिखाते हैं और जब चाहें एक का कब्जा दूसरे के नाम दिखा देते हैं। मुझे तो यहाँ तक मालूम हुआ है कि वहाँ के पटवारी पालकियों पर सफर करते हैं । आप सोच सकते हैं कि ऐसा करना कहां तक वाजिब है और कितनी ज्यादती वहां के किसानों के ऊपर हो रही है। इसके सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस प्रयोजन से यह बिल आया है कि वहाँ के किसानों को राहत मिले और जल्द से जल्द वहाँ के जो नान रेगूलेटेड एरियाज (non regulated areas) हैं वह रेगुलेटेड (regulated) हो जायं। अभी जनवरी सन् १९५२ में जो इलेक्शन हुआ तो उस सिलसिले में हमारे माननीय मंत्री मिर्जापुर जिले में दौरा कर रहे थे तो उस समय एक सभा में बोलते हुये उन्होंने यह बतलाया था कि जल्दी ही ऐसे नान रेगुलेटेड एरिया को रेगुलेटेड एरिया में तब्दील किया जायेगा। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि जल्दी ही वह एरिया रेगूलेटेड एरिया के रूप में परिवर्तित हो सके। इसके साथ ही साथ वहां की जो भूमि व्यवस्था है उसमें भी तब्दीली हो, जिससे वहां के किसानों को और वहां के लोगों को राहत मिल सके।

***श्री राजाराम शास्त्री**--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। वास्तव में इस किस्म के

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राजाराम शास्त्री]

विधेयक की आज आवश्यकता थी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो बातों की तरफ आकर्षित करूंगा। पहली बात तो यह है कि शिकमी काश्तकार दो तरह के हैं। एक तो ऐसे शिकमी काश्तकार हैं, जिनका उस खेत पर कब्जा है और कई सालों से वे खुद उनको जोतते चले आये हैं, मगर पटवारी के वहां उनका नाम दर्ज नहीं है। तो उन काश्तकारों में कई शिकमी काश्तकार ऐसे हैं जोकि इन अधिकारों से वंचित कर दिये गये हैं, तो आज इस प्रस्ताव के सम्मुख होते हुये मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस बात की जांच करें। बहुत से ऐसे काश्तकार जो होते हैं वे सही माने में अपनी जोत करते हुये शिकमी काश्तकार कई सालों से चले आ रहे हैं। मान लीजिये आपने इसकी जांच कराई तो भले ही वह काश्तकार उसमें न हो, वह भले ही अपने को उसके अधिकार में न मानता हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह उसके अधिकार में है। मेरे ख्याल में ऐसे काश्तकार जांच की आशा करते हैं। दूसरे काश्तकार ऐसे हैं, जिनका कि नाम दर्ज है, लेकिन लाठी के जोर से जमींदारों ने उनके खेतों को छीन रखा है, जैसा कि हमारे सूबे से एक रिपोर्ट भी आई है। हमारे बहुत से आदमी जो आजमगढ जिले से यहां आये हैं वे बतलाते हैं कि देहातों की हालत यह हो रही है कि जमींदार जो छोटे-छोटे गरीब किसान हैं उनके खेतों पर खुद जोत लेते हैं और वे लोग यह चाहते हैं कि किसी तरह से उन गरीबों को उनके खेतों से निकाल दिया जाय। मान लीजिये हम शिकमी काश्तकार हैं और हमें इस तरह का कब्जा हासिल है और हम अपने खेतों को जोतते हैं, तो जमींदार लाठी के जोर से उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। किसानों की हालत तो सब लोग समझते हैं, जब जमींदार जबरदस्ती करते हैं तो दोनों के बीच में लाठियां चल जाती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि जमींदार अपने ताकत के जोर से और दूसरे लोगों के जोर से उस पर अपना कब्जा कर लेता है। आजमगढ़ में अभी हाल ही में ऐसा ही हो चुका है। इस तरह से वहां यह होता है कि जिसकी लाठी में जोर है, वही खेत में अधिकार कर लेता है और इस तरह से जमींदार की लाठी में ज्यादा ताकत है, मगर इसके साथ ही यदि किसानों को भरोसा हो जाय कि सरकार बीच में नहीं पड़ेगी तो जमींदारों के मुकाबले में काश्तकारों के लाठी में ज्यादा ताकत है, तो इस तरह से यह सरकार का फर्ज हो जाता है कि वह इस चीज को देखे कि जमींदार लोग नाजायज तौर से किसानों के खेतों पर अपना कब्जा न कर सकें। तो इस तरह से सरकार देखे कि जिनके नाम पटवारी के कागजात में दर्ज हैं, मगर जमींदारों ने उनको निकाल कर खुद कब्जा कर लिया है, तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये, जिससे कि किसानों को उनके पूरे अधिकार मिल सकें। अगर आप पांच साल पीछे का भी देखें तो उसका नाम पटवारी के कागजात पर दर्ज मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि वह आपसे रक्षा पाने का अधिकारी है। मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक जो लाया गया है उससे किसानों की रक्षा होगी और यह बड़े अच्छे अवसर पर लाया गया है। जिन बातों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है, आशा है कि माननीय मंत्री जी उस ओर ध्यान देंगे और और उन बातों को स्वीकार करेंगे और जो शिकमी काश्तकार हैं उनकी रक्षा करने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

शिक्षा मन्त्री—मुझे खुशी है कि विपक्ष की तरफ से इस बिल का स्वागत किया गया। इस बिल को इस भवन में लाना यही इस बात का सबूत है कि गवर्नमेंट वहाँ की हालत को देखते हुये यह समझती है कि इस बिल की इस समय अत्यन्त आवश्यकता हो गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जमीन्दारी उन्मूलन ऐक्ट की कुछ धारायें ऐसी हैं, जिनसे साफ है कि वह ऐक्ट प्रांत के उन क्षेत्रों में भी लागू किया जाय कुछ संशोधनों के साथ, जिनमें अभी तक यह कानून आराजी लागू नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार यह चाहती है कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट सारे प्रान्त में एक रूप से लागू हो। निस्संदेह यह सत्य है, मैंने उस इलाके को देखा है, वहां की दशा एक अजीब सी है, वहां के मनुष्य का जीवन स्तर इतना नीचा है उससे ऐसा मालूम होता है कि वह प्रदेश हमारे प्रान्त का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र

है। उसमें जैसा कहा गया, हो सकता है, संभव है, मैं स्वीकार कर सकता हूं कि वहां के पटवारी के जरिये से ऐसी बातें होती हैं और अब शायद होती होंगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वह ऐसा क्षेत्र है, जहां पहुंचना मुश्किल है। मैं सुबह मिर्जापुर से चला, कार से और रास्ते में रात हो गई और हाथानाला के डाक बंगले में मुझे रुकना पड़ा और दूसरे दिन मैं पहुंचा। वहां का रास्ता भी बड़ा वैसा है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि वहाँ रेहन डैम बनने की व्यवस्था है, इसलिये वहां सड़क बन गई है और वहां लोग आसानी से जा सकते हैं। वहां की व्यवस्था सुधरेगी और जहां तक संभव होगा सरकार इस बात का प्रयत्न करेगी कि वह क्षेत्र भी हमारे प्रान्त के अन्य क्षेत्रों के साथ मिल कर हमारी विकास की योजनाओं में सम्मिलत हो, जिस समय वहाँ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट लागू होगा, उस समय क्या व्यवस्था होगी और किस प्रकार से सेटिलमेन्ट (settlement) किया जायेगा और क्या जांच की जायेगी, वह इस समय इस भवन के सामने मैं बताने में असमर्थ हूं, क्योंकि इस समय उस पर विचार नहीं किया गया। लेकिन जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के वहां लगाने की जो जरूरत हुई तो यह देखा गया कि वहाँ एक ऐसा ऐक्ट लागू है, जो सन् १६२६ में पास हुआ था। चूंकि वहाँ वह ऐक्ट लगा हुआ है, इसलिये यह किया गया जिससे कानून के द्वारा अदालत से कोई आपत्ति न हो। इस जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के लागू करने में या सरकार के रास्ते में कोई रुकावट पैदा न हो, उस ऐक्ट के लागू करने में या वहां की जनता पर कोई कठिनाई उपस्थित न हो। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि बेदखलियाँ और इल्लीगल ट्रान्सफर्स (illegal transfers) जो हैं, बन्द हो वह यह सही है कि वहाँ का काश्तकार अदालत में नहीं जा सकता है, उसके पास न तो धन है और न समझने की बुद्धि है, वह गरीब किस्म का काश्तकार है, उसके रास्ते में कोई कठिनाई उपस्थित न हो जाय और सरकार के रास्ते में भी जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के लागू करने में कोई बाधा न उपस्थित हो जाय इसलिये यह बिल लाया गया है। जिस समय वहां जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट लागू किया जायेगा, इस बात का भरसक प्रयत्न किया जायेगा कि जिनका खेत पर कब्जा रहा है, उनका कब्जा कायम रहे और उचित रूप में वहाँ के लोगों के साथ इन्साफ किया जाय।

दूसरी बात जो श्री राजाराम जी ने कही है वह इससे संबंधित नहीं है। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट पहली जुलाई से जो लागू हुआ, उसमें यह सम्भव है और अवश्य हुआ भी होगा कि देहातों में चूंकि जमींदार या जिसका खेत है, वह यह समझता है कि अगर यह खेत हमारे हाथ से निकल गया तो हमेशा के लिए निकल जायेगा। किसान भी यह समझता है कि अगर हमारे हाथ से यह इस समय निकल गया तो फिर हमेशा के लिए निकल जायेगा। इसलिए दोनों इस बात का प्रयत्न करते हैं कि इस खेत पर हमारा कब्जा रहे। जहाँ किसान मजबूत हैं, वहाँ मैं यह भी जानता हूं, आजमगढ़ जिले की ही एक घटना है कि एक जमींदार को तमाम किसानों ने मिल कर उसको छावनी से निकाल दिया और कहा कि तुम जौनपुर जिले के रहने वाले हो, अब जमींदारी टूट गई है, तुम यहाँ क्यों रहते हो। गोकि वहां उन जमींदार की सीर थी और उनकी सीर पर किसानों ने कब्जा कर लिया। तो यह स्वाभाविक है कि जहाँ किसानों का संगठन मजबूत है, वहाँ वह चाहते हैं कि हम जमींदार की सीर पर कब्जा कर लें, इस प्रकार से जमींदारों के लिए भी दिक्कत पैदा हो गई है। इसी तरह से जमींदार भी इस तरह के प्रयत्न करते होंगे, यह नहीं है कि सरकार को इसका पता न हो। सरकार जानती है और उसका प्रबंध भी कर रही है। लेकिन उसमें कानून की अड़चन आ जाती है। सरकार किसी खेत को चाहे वह गलत तरीके से ही बेदखल क्यों न हुआ हो, लेकिन सरकार उस खेत को लेकर सही आदमी के कब्जे में नहीं दे सकती। उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जरूरत होगी। तो जब ऐसे मामले सरकार के समक्ष आयेंगे, उस पर जो कानूनी कार्रवाई हो सकेगी, वह सरकार के द्वारा की जायगी, यह तो अमनोअमान के ख्याल से सरकार के लिए आवश्यक है ही। मैं राजाराम जी का आभारी हूं कि उन्होंने सरकार का ध्यान

[शिक्षा मंत्री]

इस ओर आकर्षित किया है। जहां तक इस बिल का संबंध है, मैं समझता सभी को यह मान्य है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहा करने के (मिर्जापुर) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड २ और ३

कुछ वाद और व्यवहारों का रोकना।

२---समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हु अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणी के सब वाद, प्रार्थनायें या व्यवहार (suits, applic and proceedings) चाहे वे आरम्भिक न्यायालय, पुनर्वाद या पुनरीक्षण (app revision) में इस अधिनियम के दिनांक पर विचाराधीन हों अथवा इसके बाद दाखि जायं, प्रस्तुत किये जायं या प्रारम्भ की जायं, उस समय तक जब तक कि यह अधि प्रभावशाली रहेगा स्थगित कर दिये जायेंगे और स्थगित (stayed) रहेंगे।

नियत अवधि से समय का निकाल देना।

३---धारा २ में निर्दिष्ट किसी ऐसे वाद, प्रार्थना या व्यवहार (suit, applica and proceeding) के लिये, जो इस अधिनियम के अभाव में इसके प्रचलित रह अवधि में दाखिल, प्रस्तुत या प्रारम्भ किया जा सकता था और जो इस अधिनियम की स के बाद दाखिल, प्रस्तुत या प्रारम्भ किया जाय, नियत अवधि के परिगणन में computing the period of limitation) वह अवधि जिसमें यह अधि प्रचलित रहेगा, निकाल दी जायगी।

चेयरमैन---एक संशोधन शिड्यूल (schedule) के सम्बन्ध में मेरे पास आया चूंकि और कोई संशोधन नहीं है, इसलिए मैं दो और तीन खन्डों को सदन के सामने रखता

प्रश्न यह है कि खन्ड २ और ३ इस विधेयक का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

(देखिये धारा २)

आगरा टेनेंसी ऐक्ट, १९२६ के, जैसा कि वह धारा १ की उपधारा (२) में निर्दिष्ट में लागू है, अधीन---

धारा ४०, ४१, ४४, ६१, ६२, ७०, ८६, ९२ और १५२ के अधीन वाद, प्रार्थनायें व्यवहार।

श्री इन्द्र सिंह नयाल--अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन को करता हूं:---

"अनुसूची में संख्या ८२ और अर्धविराम संख्या ७० और ८६ के बीच में जोड़ी जाय"

अध्यक्ष महोदय, इस कानून से कुछ मुकदमे जो मिर्जापुर में किये जा रहे हैं या कि जायंगे या अदालत में हैं उनको रोक दिया जायगा। जमींदारी उन्मूलन कानून, मिर्जापुर लागू किये जाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त यह जरूरी है कि जो मुक

ती के चल रहे हैं वे रोक दिये जायं। इस धारा में संख्या ८२ के दावों को रोकने का नहीं है। अगर संशोधन नहीं किया जाता है तो किसान इस कानून के जरिये से संख्या अनुसार बेदखल किये जा सकते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि संशोधन पास किया जावे।

शिक्षा मंत्री--मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि अनुसूची में संख्या ८२ और अर्धविराम, संख्या ७० और के बीच में जोड़ी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची बिल का भाग बनी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और खंड १

मिर्जापुर जिले के उस भाग में जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है भौमिक कारों (land tenures) से सम्बद्ध कुछ वाद और व्यवहार (suits and ceedings) स्थगित (stay) करने को व्यवस्था करना उचित और आवश्यक है ;-

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का मर्जापुर) अधिनियम, १९५२ होगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार मिर्जापुर जिले के उस भाग में होगा, जो कैमूर पर्वत श्रेणी के ण में स्थित है।

(३) यह तुरन्त प्रभावशील होगा।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खण्ड १ बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शिक्षा मंत्री--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश वाद र व्यवहार स्थगित करने के (मिर्जापुर) विधेयक को जैसा कि वह इस सदन द्वारा शोधित किया गया है पारित किया जाय।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित रने के (मिर्जापुर) विधेयक को जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित किया गया है रित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन का कार्य-क्रम

चेयरमैन--कल से हम लोग बजट पर बहस शुरू करेंगे। इसलिये कल ११ बजे से दिन की कार्यवाही आरम्भ होगी। जो माननीय सदस्य इस बहस के सिलसिले में बोलना ाहते हैं, वे कृपा करके अपना नाम सेक्रेटरी को दे दें और उसमें यह भी लिख दें कि किस दन बोलना चाहते हैं, पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन। अगर वे यह और लिख ं कि कितना समय चाहते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा तो यह है कि अधिक से धिक लोग पहले दिन बोलें, क्योंकि यह देखा गया है कि बाद में समय नहीं मिल पाता है। ीसरे दिन कम से कम आधा दिन तो गवर्नमेंट को जवाब के लिये चाहिये। इस तरह से

[चेयरमैन]

सच पूछिये तो ढाई दिन अन्य सदस्यों को मिलते हैं। मेरा अनुभव यह है कि ३०,३२ सदस्य बजट पर बोलना चाहते हैं, इसलिये कम से कम १० या १२ को तो अपना नाम पहले दिन के लिये दे देना चाहिये।

कल ११ बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(कौंसिल २ बज कर ३४ मिनट पर दूसरे दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित

लखनऊ:
१० जुलाई, १९५२ ई०।

श्याम लाल गोवि
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौं
उत्तर प्र

पी० एस० यू० पी०—३० एल० सी०—१९५३—८२०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५५)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
इन्द्र सिंह, श्री
ईश्वरीप्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरुनारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
गोविंद सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभुनारायण सिंह, श्री
प्रसिद्धनारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

महमूद अस्लम खां, श्री
मुकुटबिहारीलाल, प्रोफेसर
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामकिशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
रामलगन सिंह, श्री
लल्लूराम द्विवेदी, श्री
लालताप्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आफ विजयानगरन्,
    महाराजकुमार, डाक्टर
विश्वनाथ, श्री
व्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्तिस्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिवसुमरनलाल जौहरी, श्री
श्यामसुन्दरलाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे---

श्री चन्द्र भानु गुप्त (खाद्य मन्त्री)।
श्री सैयद अली जहीर (न्याय मन्त्री)।
श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)।
श्री हुकुम सिंह (उद्योग मन्त्री)।
श्री हरगोविंद सिंह (शिक्षा मन्त्री)।
श्री कन्हैया लाल मिश्र (ऐडवोकेट जनरल)।

प्रश्नोत्तर

नैनीताल के अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों का भेजा जाना

श्री इन्द्र सिंह--१ (क)--क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नैनीताल ने हाल ही म सिविल सर्जन, नैनीताल, से जिले के हर अस्पताल को आवश्यक दवायें भेजने के लिय कहा था ?

(ख) क्या यह सही है कि बहुत से स्मृति-पत्र (reminders) भेजने पर भी सिविल सर्जन, नैनीताल, ने इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं की ?

1. **Sri Indra Singh**: (i) Is it a fact that the District Board, Naini Tal, recently asked the Civil Surgeon, Naini Tal, to supply the requirments of medicines with regard to each hospital in the district?

(ii) Is it a fact that, in spite of reminders, the Civil Surgeon, Naini Tal; took no steps in this direction ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)—(क) जी हां,

(ख) जी नहीं, सिविल सर्जन ने तुरन्त औषधालयों से सूचनाएं इकट्ठा करना शुरू किया, किन्तु उनके एकत्रित करने में काफी समय लग गया जिसके लिये कार्यवाही की गई है और सिविल सर्जन महोदय से यह भी कह दिया गया है कि इस सम्बन्ध में जिला बोर्ड्स के अधिकारियों से हमेशा सम्पर्क रखें।

Health Minister (Sri C. B. Gupta)—(*a*) Yes.

(*b*) No. The Civil Surgeon took step for collecting information from all dispensaries. This took a long time. Suitable instructions to avoid such delays have been issued. The Civil Surgeon has also been told to remain in touch with the authorities of the Board in this connection.

श्री इन्द्र सिंह—यह कार्यवाही कब तक समाप्त होगी ?

स्वास्थ्य मंत्री—जब ये कागजात मेरे सामने आये तो मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि इस कार्यवाही में एक वर्ष लग गया। सिविल सर्जन महोदय को वार्निंग दी गयी है और उन्हें हिदायत भी दी गयी है कि यह कार्यवाही शीघ्र ही समाप्त हो।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश लगान के नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश लगान के नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति १३ जून, १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का चौदहवां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति १५ जून, १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का पन्द्रहवां ऐक्ट बना।

वित्तीय वर्ष १९५२–५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद

प्रो० मुकुट बिहारी लाल—माननीय अध्यक्ष, इस वर्ष का बजट पिछले वर्षों के बजट से अधिक महत्व का बजट है। क्योंकि यह बजट अगले चार वर्षों के बजट का प्रतीक है। इस से पता चलता है कि अगले चार वर्षों में भी हमारी सरकार किस प्रकार से इस प्रदेश का प्रबन्ध करना चाहती है और किस प्रकार इस प्रदेश का विकास करना चाहती है। यद्यपि मैं सोशलिस्ट पार्टी का एक सदस्य हूं फिर भी यदि मैं यह समझता कि इस बजट के द्वारा इस देश की जनता का सर्वांग विकास हो सकता है तो अवश्य मैं इसका समर्थन करता। मुझे खेद है कि माननीय वित्त मन्त्री को इस बजट के लिये बधाई देना मेरे लिये संभव नहीं है।

जमीन्दारी उन्मूलन के बाद यह बजट बनाया गया और हमारे सामने पेश किया गया है। जमीन्दारी उन्मूलन क्रान्ति की ओर एक बहुत जरूरी कदम था। जमीन्दारी उन्मूलन के बिना देश की आर्थिक व्यवस्था में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन संभव नहीं था। इस जमीन्दारी उन्मूलन के बाद इस बात की आशा थी कि सरकार हमारे सामने कोई एक क्रान्तिकारी बजट पेश करेगी जिसके जरिये से हमारी आर्थिक व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो सके लेकिन हमें अफसोस है कि इस बजट में कोई क्रान्तिकारी झलक नहीं दिखायी देती। कुछ अंशों में यह बजट सुधारवादी कहा जा सकता है और कुछ अंशों में यह बजट प्रतिक्रियावादी है। यह हमारी वित्त नीति के प्रतिक्रियावादी अंश को बदलने के बजाय उसको और सुदृढ़ बनाता है।

मुझे शोक से कहना पड़ता है कि सरकार की वित्त नीति ने जमीन्दारी विनाश ने क्रान्तिकारी अंश तक को सुधारवादी बना डाला है। इंगलैन्ड के भूतपूर्व वित्त मन्त्री डाक्टर डालटन ने अपनी पुस्तक "प्रिंसिपिल्स आफ पब्लिक फाइनेन्स" में लिखा है—

"Of the terms of tenancy are the same, it makes no substantial difference to a tenant whether his landlord is a public authority or a private person."

हमने जमीन्दारी खत्म की, जमीन्दारों के बजाय सरकार के हाथ में जमीन का प्रबन्ध दिया, लेकिन लगान व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया और यही कारण है कि आज जमीन्दारी विनाश के बाद भी हमें यह दिखायी नहीं देता कि किसान पहले से अधिक सुखी हो सके। यह ठीक है कि शायद अब वह ऐंठ कर खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर उसका पेट कमर से लगा होगा तो उसके ऐंठ कर खड़े होने से कोई विशेष लाभ न होगा। मैं इस सम्बन्ध में जमीन्दारी विनाश कमेटी की रिपोर्ट के कुछ उदाहरण इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। जमीन्दारी विनाश कमेटी ने जिसमें इस मन्त्रि-मंडल के कई प्रमुख सदस्य सामिल थे, इस बात को तसलीम किया था कि जमीन्दारी के खत्म होने के साथ ही साथ लगान व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि "जमीन्दारों अथवा विभिन्न श्रेणियों के काश्तकारों की जमीनों के लगान में जो भेद है उसका वस्तुतः कोई आर्थिक औचित्य नहीं है। भूमि की व्यवस्था के अत्याचार पूर्ण इतिहास के कारण जो विषमतायें और अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गयी हैं और जिनके लिये राज्य कर सम्बन्धी कोई ठोस आधार नहीं है, उनका शीघ्र ही अन्त हो जाना चाहिए।" उसने यह भी कहा है कि "जमीन पर मालगुजारी क्रमिक होना चाहिए जो स्टैन्डर्ड दर हो वह १० एकड़ से कम रकबे वाली आराजियों पर क्रमशः कम और इससे ऊंचे रकबे की आराजियों पर अधिक होनी चाहिए। उसकी राय में "लगान में कमी आवश्यक है, विशेषतः छोटे काश्तकारों के लगान में।" कमेटी ने इसकी सिफारिश के सम्बन्ध में एक स्कीम भी दी है, जिसमें उसने इस बात की सिफारिश की है कि "एक एकड़ तक की आराजियों पर प्रति रुपया ६ आने, ४ एकड़ तक पर प्रति रुपया ४ आने, ६ एकड़ तक की आराजियों पर प्रति रुपया २ आने और १० एकड़ की अलाभकर आराजियों पर प्रति रु० १ आ० के हिसाब से शीघ्रातिशीघ्र कमी कर देना चाहिए।" सन् १९४८ ई० में जब कि कीमतें बढ़ी हुई थीं हमारे मन्त्रि मंडल के प्रमुख सदस्य ने कमेटी के मेम्बर होने की हैसियत

[प्रो० मुकुट बिहारी लाल]

से इस बात की जरूरत समझी थी कि लगान की फिर से व्यवस्था की जाय। और गरीब किसानों के ऊपर से लगान का बोझ कम किया जाय पर अब उन्होंने उसकी जरूरत को भुला दिया है। ठीक है लड़ाई के जमाने से आज किसानों की हालत बहुत बदली हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगस्त, १९४८ और मई, १९४९ में किसानों की हालत में इतनी बड़ी तब्दीली हो गयी कि उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर, माल मंत्री, अगस्त, १९४८ में यह कहें कि लगान में कमी की जरूरत है, नये लगान व्यवस्था की जरूरत है। और मई, १९४९ में किसानों की अच्छी हालत देखकर उन दोनों बातों पर अमल करना जरूरी न समझें। यह ठीक है कि मेरा सम्बन्ध गांवों से उतना घनिष्ट नहीं है जितना सम्बन्ध हमारे पुराने माल मंत्री और मौजूदा उद्योग मंत्री का है। लेकिन मैं तो उन्हीं की बातों का हवाला देता हूं और उन्हीं की बातों के आधार पर यह कहता हूं। कि लगान व्यवस्था बदलने की जरूरत है। लगान व्यवस्था बदलते समय ज्यादा लगान करना पड़ेगा, यह दलील ठीक नहीं है। आप नई लगान व्यवस्था करते समय लगान का रेशियोंप्रपोर्शन आमदनी के रूप में बदल सकते हैं। इन तमाम सिफारिशों पर मैं अर्ज करना चाहता था कि हमारी मौजूदा सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसे बिलकुल भुला दिया है।

करीब डेढ़ महीना हुआ पिछले मई के महीने में हमारे उद्योग मंत्री जी ने हमसे कहा था कि ४० वर्ष तक लगान व्यवस्था में कोई तब्दीली नहीं होगी। यह कानून हमने इसलिये बनाया कि हम किसानों के ऊपर ४० साल तक कोई लगान वृद्धि करना नहीं चाहते, लेकिन आज इस डेढ़ महीने के बाद जब हम वित्त मंत्री का वक्तव्य सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि विकास करके नाम पर, डेवलपमेंट टैक्स के नाम पर उन किसानों के ऊपर नया कर लगाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि मौजूदा लगान व्यवस्था प्रतिक्रियावादी है और नये कानून में हम उसे और प्रतिक्रियावादी रिग्रेसिव बनाते, हैं इसके लिये मैं सरकार के पास एक बड़े डा० सेन का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। उन्होंने "ए स्टडी आफ दि वार टाइम बजट आफ दि यू० पी०" जो कि सरकार की तरफ से प्रकाशित हुआ है उसमें लिखा हुआ है :—

"As a sheme of Taxation, it (land rent) is most regressive and violates the very canons of progression for it does not increase with the ability to pay."

हम सभी जानते हैं कि सारे प्रदेश में एक सी लगान व्यवस्था नहीं है। सीर और खुदकाश्त पर जो लगान देना होगा वह अलग होगा और भूमिधरों को भी आधा लगान देना होगा। कहा जा सकता है कि उन्होंने तो १० साल का लगान अदा किया है। इसके जबाब में यह भी कहा जा सकता है कि बहुत से जमीन्दारों ने भी लाखों रुपया दे कर जमीन्दारी खरीदी थी। फिर वह जमीन्दारियां क्यों खत्म कर दी गई अगर वे जमींदारियां सामाजिक न्याय के नाम पर खत्म कर दी गई, तो फिर सीरदार भी न्याय के नाम पर इस बात की मांग करेंगे कि उनका लगान और भूमिधरों का लगान एक हो। आज भूमिधरों ने उन हकों को दस साल का लगान देकर ही पाया है कल सीरदार न्याय के नाम पर उसे पाने की कोशिश करेंगे, दोनों में संघर्ष होगा।

भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कर व्यवस्था है। मैं आपकी तवज्जह रामपुर जिले के बारे में दिलाऊंगा। रामपुर जिला, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, और पीलीभीत के पास है और उसकी जमीन भी आस-पास के जिलों की जमीन के समान है, लेकिन यदि आप वहां की लगान व्यवस्था का मुकाबिला अन्य जिलों की लगान व्यवस्था से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस रामपुर जिले का सरकिल रेट आस-पास के जिलों के सरकिल रेट से दुगना है।

मुझे अच्छी तरह से पता है। कि जब पिछली जून में नैनीताल में कांफ्रेन्स हुई थी जिसमें कुछ सरकारी अफसरों और कांग्रेस के मंत्रियों के अलावा रामपुर कांग्रेस के लोग भी मौजूद थे

उस समय रामपुर कांग्रेस के कार्यकर्तात्रों ने इस सवाल को उठाया था। कांग्रेस में मंत्रियों की ओर से कहा गया था कि यह बात गलत है। लेकिन मैं फिर दावे के साथ कहता हूं कि रामपुर में लगान का सर्किल रेट रामपुर के आसपास के जिलों के सर्किल रेट से अधिक है। अगर सरकार रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या अपने रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से इस बात को पूछे तो उसको इस बात का पता चल जायगा। यही नहीं अगर आप वहां के लगान व्यवस्था को देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से आराजियों का सर्किल रेट बहुत ज्यादा है। मैं जानता हूं कि मौजूदा सरकार इसके लिये जिम्मेदार नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में जब किसी की जमीन को लेने के लिये ४,५ काश्तकार तैयार होते थे तो वहां के अफसर साहब पहले के सर्किल रेट से कहीं ज्यादा उनसे लगान वसूल करते थे। इस तरह बहुत से किसानों को सर्किल रेट से ज्यादा लगान देना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूं कि रामपुर में पुराने मालगुजार और नवाब तथा उनके दोस्त, रिस्तेदारों पर बहुत सी जमीने हैं जिनपर वे सर्किल रेट से कहीं कम लगान दे रहे हैं। मैंने यह भी सुना है कि मौजूदा गवर्नमेन्ट की हमदर्दी भी उनके साथ है और उसमें कांग्रेस के जो बड़े बड़े उपनेता हैं उनको भी बहुत सी जमीनें सर्किल रेट से बहुत कम लगान पर दी हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से लगान की व्यवस्था न तो रामपुर जिले में ही रह सकती है और न सारे प्रदेश में रह सकती है। तो इस बात को विचार करके रामपुर के अन्दर इस तरह से लगान लिया जाय जैसा कि सर्किल रेट और जिलों के किसानों से लिया जाता है और इसी तरह से न्यायोचित लगान की व्यवस्था पूरे प्रदेश के लिये की जाय। और कोई दूसरी बात इसके लिये हो भी नहीं सकती है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट और जो उस कमेटी की सिफारिशें हैं, उसमें उसने लगान की व्यवस्था के नियमों और सिद्धान्तों का अच्छी तरह से संकेत कर दिया है।

इस जमींदारी के खात्में से गरीब किसानों को माली फायदा नहीं हुआ क्योंकि लगान में कोई कमी नहीं की गई है। उसके जरिये से कुछ सरकार को भी कोई लाभ नहीं हुआ है। शायद वित्त मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ४ करोड़ रुपया, जो बचेगा वह रकम भी विकास योजना में खर्च नहीं की जायेगी, सामाजिक सेवाओं पर खर्च नहीं की जायेगी सब कम्पेनसेशन में खर्च कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार पर है। मैं जानता हूं कि आप शायद मेरी बात मानने के लिये तैयार न हों, इसलिये मैं सरकार के सम्मुख एक अफसर द्वारा कहे हुये एक वक्तव्य का उदारहण देता हूं। डाक्टर सेन ने कहा है:

"Such a heavy compensation would be an unsound fiscal and financial proposition, A sound economic policy seems to be . . . first reducing the rents and next fixing the compensation on the basis of reduced rents."

हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में हमारे सामने एक विकास की योजना रखी है। इसमें कोई शक नहीं आज हमारी आर्थिक परिस्थिति, हमारी सामाजिक परिस्थिति बहुत गिरी हुई है और ऐसी हालत में हम सदा रह नहीं सकते। हमें अपने आर्थिक विकास के लिये प्रयत्न करना होगा। और उसके लिये जरूरी कुरबानियां भी करनी होंगी। विकास योजना बनाते समय वित्त मंत्रियों के सामने यह सवाल उठता है कि इस विकास योजना का खर्चा किस तरह से चलाया जाय। क्या कर्ज लेकर विकास योजना को चालू किया जाय या कर लेकर विकास योजना को चालू किया जाय। उन्नीसवीं सदी में अर्थशास्त्र के विद्वानों का और सभी उदारवादी राजनीतिज्ञों का यह विचार था कि विकास योजना के लिये कर नहीं लगाना चाहिये बल्कि उसके लिये कर्जा लेना

[प्रो० मुकुट बिहारी लाल]

चाहिये। उनका यह विचार था कि इस विकास योजना के जरिये से मौजूदा जेनेरेश का नहीं बल्कि आने वाली संतति का लाभ होता है। इसलिये आने वाले जो जेनेरेशन है उस पर इसका बोझ पड़ना चाहिये। लेकिन बीसवीं सदी के अर्थशास्त्र के विद्वानों का विचार उस विचार से जरा भिन्न है। मिसाल के तौर पर डा० डाल्टन। अपनी पुस्तक में यह यह बताया है।

"From the point of view of distribution they (public works) a better financed by taxaton than by loans."

उन्होंने ने इस बात पर विचार करते हुये कहा है कि अगर कर्जा लेक विकास योजनायें की जाती हैं तो आगे चल कर उस कर्जे पर हमें सूद देना पड़ता। वह सूद की रकम काफी बड़ी रकम हो जाती है। रईसों से जो टैक्स वसूल किया जाता। वह करीब करीब उस विकास योजना पर जो कर्जा है उस कर्जे के सूद में ही खर्च हो जाता है और इसलिये चालू खर्च का सारा बोझ गरीबों पर पड़ जाता है, इसलिये उन्होंने य कहा है कि कर्जा लेकर विकास योजनाओं पर लगाने के बजाय कर लगाकर विकास के का करना चाहिये। लेकिन जब उन्होंने यह बात कही है उस वक्त उनका साफ मतलब य था कि वह कर रईसों से लेना चाहिये और कर्जा लेने के बजाय कर की शक्ल में, टैक्स की शक्ल में रुपया लिया जाय और उस रुपया को योजना के काम में लगाया जाय यह आजकल के प्रगतिशील अर्थ शास्त्री डा० डाल्टन आदि अर्थशास्त्रियों के विचार हैं।

यहां कुरबानी का सवाल उठता है। डा० डाल्टन ने कहा था कि कर एक कुरबानी का ही नाम है। उन्होंने कहा कि कर एक वह रकम है जो वसूल की जाती है, लेकिन इस रकम के बदले में फौरन ही कोई चीज सरकार की ओर से नहीं दी जाती है। अगर कोई काम होता है तो सारी जनता को उससे फायदा होता है। करदाता को ही कोई विशेष रूप से फायदा नहीं होता है। उन्होंने इसलिये ही करों को कुरबानी माना है। लेकिन सवाल उठता है कि जब कर एक कुरबानी है, विकास कर भी एक कुरबानी है तो वह कुरबानी किस तरह की हो और वह कुरबानी किससे ली जाय। कोई प्रतिक्रियावादी कह सकता है कि सब से बराबर कुरबानी होनी चाहिये। सब से ४–४ या ५-५ रुपया ले लिया जाय, सभी देश के रहने वाले हैं, सभी को फायदा होगा, सब को ही बराबर रकम कर की शक्ल में देना चाहिये। यह बात किसी समय में कही जाती थी लेकिन आज के वित्त शास्त्री इन बातों को नहीं मानते हैं। आज के वित्त शास्त्रियों ने कम से कम कुर्बानी का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे सब लोगों को कम से कम कुरबानी करना पड़े। आगे चल कर इन बातों का विस्तार करते हुये प्रगतिशील विद्वानों ने बताया कि जैसे ही धन की मात्रा बढ़ती जाती है, धन की कीमत भी कम होती जाती है। यह अर्थ शास्त्रियों का एक साधारण सा सिद्धान्त है। अगर मेरे पास सौ रुपया है तो सौ रुपयों की जितनी कीमत मेरी जिन्दगी के लिये है उसकी उतनी कीमत उस शख्स के लिये नहीं है जिसकी आमदनी हजार, दो हजार या दस हजार है। इस सिद्धान्त को ही काम में लाकर आज के प्रगतिशील विद्वानों ने बताया है कि मिनिमम सैक्रीफाइस का मतलब यह होता है कि हम गरीबों से कम कर लें और रईसों से ज्यादा लें। मैं आपको एक कोटेशन डाक्टर डाल्टन का सुनाऊंगा :

"Assuming that the relations between income and economic welfare is the same for all tax-payers and that the marginal utility of income diminishes fairly rapidly as income increases, the principle of equal sacrifice leads to progressive taxation; the principle of proportional sacrifice, to still steeper progressive taxation; and the principle of minimum sacrifice, as already pointed out to a relatively high level of exemption and very steeply progressive taxation of those not exempt." डाक्टर डाल्टन के इन सिद्धान्तों के माने साफ शब्दों में यह हैं कि जो गरीब हैं उनको करों से मुक्त किया जाय और जो पैसेवाले हैं, जैसे ही उनके पैसे ज्यादा बढें, उनके करों में वृद्धि की जाय ।

जो सुझाव स्थूल रूप से वित्त मंत्री ने अपनी तकरीर में पेश किया है उससे पता चलता है कि वित्त मंत्री इस मौजूदा बिक्री कर को कायम ही नहीं रखना चाहते हैं बल्कि किसी शक्ल में उसमें वृद्धि करना चाहते हैं । जब उसकी पूरी शक्ल हमारे सामने पेश होगी तब हम कह सकेंगे कि वह बिक्री कर वास्तव में किस हद तक प्रतिक्रियावादी है । लेकिन फिर भी बिक्री कर एक प्रतिक्रियावादी, एक रिग्रेसिव टैक्सेशन है। इस बात को सभी वित्त शास्त्र के विद्वान एक आवाज से तस्लीम करने के लिए तैयार है । डा० डाल्टन ने अपनी पुस्तक में लिखा है:--

"A practicable sales tax tends almost inevitably to be regressive. . It is a fundamental weakness of a sales tax that it can not make allowance for domestic circumstances and indeed that it tends to fall more heavily as between tax-payers of equal income, on those who have the largest number of dependants. Nor it is possible, except by a very elaborate differentiation of the rates of tax on various commodities, to make a sales tax progressive as between different tax-payers of unequal incomes."

गरीब किसानों पर विकास कर लगा कर हम उत्पादन को भी जैसा बढ़ाना चाहते हैं वैसा किसी तरह से भी बढा न सकेंगे। डा० डाल्टन कहते हैं--

"Any person's ability to work will be reduced by taxation which reduces his efficiency. There is, therefore, a strong presumption against imposing any taxation upon the poorer members of mordern communities for these are still so poor that a reduction in their incomes will generally mean a reduction both in the present efficiency of adults and the future efficiency of children."

इसके साफ माने यह है कि जिस वक्त हम यह कहते हैं कि विकास के लिये जो टैक्स लगाया जाये वह कम आमदनी वालों पर न लगाया जाये तो इसलिए ही नहीं कहते हैं कि हम यह चाहते हैं कि टैक्सेशन के जरिए से आमदनी का ठीक वितरण हो सके या ठीक वितरण में सहायता मिले बल्कि इस लिए भी कहते हैं कि अगर हम ने गरीबों पर टैक्स लगाया तो उसकी वजह से उनकी क्षमता में कमी पैदा होगी और क्षमता में कमी के कारण पैदावार में उतनी एफीशेंसी से हम काम न कर सकेंगे जितनी क्षमता से करने की जरूरत है । विकास कर के लिए हम इनहैरिटेन्स टैक्स प्रापर्टी टैक्स मंजूर कर सकते हैं। डा० डाल्टन कहते हैं--

"An inheritance tax, therefore, by reducing these expectations, stimulates work and saving by prospective inheritors; and the heavier the tax, the greater the stimulus."

यहां वह बताते हैं कि जहां गरीबों पर टैक्स लगाने से हमारे देश के श्रमिकों की क्षमता में कमी होगी, पैदावार में कमी होगी, वहां इनहेरीटेंस टैक्स लगाने से उन लोगों को जिनको विरासत में जायदाद मिलती है सुस्त रहने की आदत छोड़नी पड़ेगी । और उनकी प्रवृत्ति काम

[प्रो० मुकुट बिहारी लाल]
करने की तरफ होगी। इसलिए इनहैरीटेन्स टैक्स उत्पादन में बाधक होने के बजाय बहुत हद तक साधक होगा। डा० डाल्टन ने एक दूसरी जगह पर भी कहा है :—

"It would, therefore, be desirable from the point of view of distribution to graduate an inheritance tax not only according to the amount received by inheritors but also according to the amount of wealth which the latter possesses."

एक दूसरा टैक्स, प्रापर्टी टैक्स है उसको भी आज के उदारवादी वित्तशास्त्री बहुत अच्छा समझते हैं। डा० डाल्टन का करना है कि:—

"It is an argument in favour of a graduated property tax, that it strikes more heavily than an equally progressive income-tax, great wealth held passively by elderly people and strikes the young and middle-aged more lightly."

इन तमाम बातों से पता चलता है कि आज के प्रगतिशील वित्तशास्त्र के पंडित और वित्त मंत्री इस बात को तस्लीम करते हैं कि कई दृष्टि से इनहेरिटेंस टैक्स और प्रापर्टी टैक्स इनकम टैक्स से भी कहीं अच्छी चीज है और उसके जरिये से हमें विकास योजना के लिये कर वसूल करना चाहिये।

पुरानी गली सड़ी लगान व्यवस्था को कायम रखकर और गरीब किसानों पर और विकास कर लगा कर हम देश का आर्थिक विकास नहीं कर सकते। अगर हम देश का आर्थिक निर्माण करना चाहते हैं तो हमें आज की गली सड़ी लगान व्यवस्था की जगह न्यायसंगत आधार पर नई कर व्यवस्था बनानी होगी। विकास के लिये हमें उन लोगों पर विकास कर लगाना होगा जो विकास कर देने के लिये ज्यादा क्षम्य हैं। सच तो यों है कि अगर हम विकास के नाम पर मुल्क से कुरबानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं, अगर हम यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधान मंडल के सभी सदस्य कुरबानी के पैगाम को गांव-गांव में लेकर जायें, जनता को यह बतलायें कि देश के निर्माण के लिये सबको कुरबानी करने की जरूरत है, तो वह कुरबानी हमें सब से पहले अपने से शुरू करनी होगी। हम तो वेतन में से उस वेतन पर आय कर भी न दें और दूसरे से जाकर कहें कि मुल्क के लिये कुरबानी करो जिसकी आमदनी हमारे वेतन की दसवां हिस्सा भी न हो तो क्या वह हमारी बात को सुनेगा। हमने भी चन्दा वसूल किया लेकिन जब हम युनिवर्सिटी में चन्दा जमा करने जाते हैं तो जो रकम हम अपने नाम पर चन्दा में लिख देते हैं वही रकम हम अपने दोस्तों से वसूल करते हैं। लेकिन अपने आप चन्दे में कुछ न दें और दूसरों से जाकर चन्दे में बड़ी रकम मांगें तो कोई हमें चन्दा देने को तैयार न होगा। यह सही है कि कुछ भाइयों ने बहुत बड़ी कुरबानी की है और उन कुरबानियों के नाम पर जनता से कुरबानी की मांग कर सकते हैं। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि सार्वजनिक जीवन में पुराने कामों की बुनियाद पर कोई शख्स जिन्दा नहीं रह सकता। सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को पानी पीने के लिये रोज कुआं खोदना पड़ता है। जनता आंखें-फाड़कर सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के कार्यों को देखती है। यदि आज उसके काम को बुरा पाती है तो उसकी पुरानी बातों को भूल जाती है। आज की बातों की चर्चा करने लगती हैं।

एक आवाज तभी ९० फीसदी आय हैं।

प्रो० मुकुट बिहारी लाल—मैं समझता था कि ६० फीसदी इस लिये आये हैं कि कांग्रेस अब भी देश की सेवा कर रही है। आपकी बातों से पता चलता है कि पुरानी कुर्बानियों की बुनियाद पर आप ६० फीसदी आये हैं। अगर आपका ख्याल यह है कि पुरानी कुर्बानियाँ जो

आपने की है उसकी बुनियाद पर आप ६० फीसदी आ गये हैं और आगे चल कर उन्हीं कुर्बानियों की बुनियाद पर ६० फीसदी की तादाद पर आगे भी आ सकते हैं तो आप इसे भूल जाइये आप अपने वोटों की संख्या को देखिये किन लोगों ने पहले आपको वोट दिया था और किन लोगों ने अब दिया है। जिन्होंने १९४५ ई० में वोट दिया था उन लोगों ने अबकी बार काँग्रेस को वोट नहीं दिया है। जिन लोगों ने उस समय काँग्रेस को वोट नहीं दिया था उन्होंने इस बार दिया है। इससे साबित होता है कि आज काँग्रेस की स्थिति क्या है। मैं इसलिये नहीं कहता कि मैंने उनसे ज्यादा कुर्बानियाँ की हैं और मुझे जनता उनसे ज्यादा अच्छा समझती है। मैं यह बतलाने के लिये कहता हूं कि जिनका समर्थन उन्हें कल प्राप्त था आज उनका समर्थन प्राप्त नहीं है। जिन लोगों ने काँग्रेस को १९४६ में खुशी–खुशी वोट दिया था उन्होंने वोट नहीं दिया है और अगर दिया भी है तो हंसते-हंसते नहीं दिया बल्कि रोते–रोते दिया है और वह दिन भी आने वाले हैं जब वे घर बैठना पसन्द करेंगे या विरोधी को वोट देना पसन्द करेंगे और अपने पुराने बुजुर्गों को वोट देने के लिये तैयार न होंगे। खैर यह मेरा मशविरा है। अगर आप इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो आप गाँवों में जा करके देख लीजिए कि वे उनकी पुरानी कुर्बानियों को दसवाँ हिस्सा भी कद्र करने के लिये तैयार नहीं हैं। जो चन्दा वह पहले देने के लिये तैयार थे आज वह उस मिकदार में देने के लिये तैयार नहीं हैं। जिस खुशी से पूंजीपतियों ने अंग्रेजी सरकार को लड़ाई के जमाने में कर्जा दिया था उस खुशी से और उस मिकदार में पूंजीपति कांग्रेस सरकार को कर्जा भी नहीं दे रहे हैं।

खैर, मैं एक और बात की ओर आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि हमने जो विकास योजना को इस प्रस्ताव में रखने का इरादा किया है उसमें एक बहुत बड़ी मौलिक गलती है। भौतिक विकास की ओर हमने ध्यान दिया है मानव की हमने अवहेलना की है। इस सम्बन्ध में मैं डाक्टर डालटन का एक जुम्ला पेश करता हूं। वह कहते हैं :

"To promote the growth of material capital at the expense either of human capital or of knowledge is a mistaken policy which will tend to diminish and not to increase production but to promote the growth of material capital at the expense of consumption which does not add appreciably to human efficiency is a policy which will increase production."

यदि इस विकास योजना को हम देखे तो हमें पता चलता है कि जहाँ हमने १५–२० करोड़ रुपये की भौतिक विकास की योजना पेश की है वहाँ शिक्षा द्वारा मानव विकास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

यों तो योजना के द्वारा कुछ लोग इस योजना में लग ही जायेंगे बेकारी इससे दूर ही हो जायेगी लेकिन एक व्यापक रूप से बेकारी रोकने के लिये इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है। डाक्टर अदार्कर ने जो देश में शास्त्र के एक बहुत बड़े पन्डित हैं और केन्द्रीय सरकार के एक सलाहकार भी हैं। वित्त शास्त्र की एक पुस्तक में लिखा है—

"The central problem of public finance is the complete and comprehensive utilization of the available human and material resources for the maximum production of wealth and for the realization of maximum social welfare."

आगे चलकर वह कहते हैं—

"I have calculated that at the present level of efficiency India is annually losing something like 100 crore rupees as a result of unemployment of human and physical resources."

[प्रो० मुकुट बिहारी लाल]

इस बेकारी को दूर करना हमारा एक मानव कर्तव्य ही नही है बल्कि देश के आर्थिक विकास के लिये निहायत जरूरी है। लेकिन हमने इसकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा को देखिए। कौन होगा जो यह नहीं मानता होगा कि हमारे में अशिक्षितों की बहुत बड़ी तादाद है और उसको दूर करने के लिये शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है। पिछले मई के महीने में इस प्रदेश के राज्यपाल ने जो संभाषण विधान मंडल के सामने पढ़ा था उसमें इस सरकार की ओर से राज्यपाल ने यह वायदा किया था कि वे पाँच साल के अन्दर प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बना देंगे।

इस साल के जो हमारे समाने बहुत से कागजात सरकार ने रखे हैं उनमें से एक कागज में यह साफ तौर पर कहा गया है कि पाँच साल में प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिये जरूरी होगा कि हम प्रति वर्ष चार हजार चार सौ प्राइमरी स्कूल यहाँ पर खोलें। जब यह स्कीम बनी थी उसके बाद ११ हजार प्राइमरी स्कूल खोल दिये गये। इसलिये अगर पाँच साल में हमें प्राइमरी शिक्षा को व्यापक बनाना है तो जरूरी होगा कि हम कम से कम हर साल दो हजार प्राइमरी स्कूल इस प्रदेश में खोलें। पिछले दो वर्षों में यानी ५०–५१ और ५१–५२ कि रिपोर्टों से पता चलता है कि हमने प्रति वर्ष साढ़े पाँच सौ नये स्कूल खोले लेकिन इस वर्ष हम ढाई सौ प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते है। जिस वर्ष हम यह प्रतिज्ञा करते है कि हम पाँच वर्ष में प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बना देंगे उस वर्ष पिछले वर्ष से अधिक स्कूल खोलने के बजाय और कम स्कूल खोलते है। यानी साढ़े पाँच सौ के बजाय इस वर्ष ढाई सौ स्कूल खोलते हैं। जब मै विद्यार्थी था तब मैंने अर्थमेटिकल और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन (progression) पढ़ी थी लेकिन इस बजट में तो प्रोगरेशन की बजाय रिग्रेशन (regression) ही है। शायद डाक्टर प्यारे लाल साहब हमें यह बात बतला सकेंगे कि इसमें अर्थमेटिकल रिगरेशन होगा या ज्योमेट्रिकल रिग्रेशन होगा। अगर हम साढ़े पाँच सौ से ढाई सौ की प्रगति से चलते है तो हम जीरो (zero) पर पहुंचेंगे या इनफीनिटी (infinity) पर पहुंचेंगे। उस पत्र को पढ़ने से यह भी पता चलता है कि अगर्चे हमने पिछले पांच साल में ११ हजार स्कूल कायम कर दिये है लेकिन उनमें से ६ हजार स्कूलों के पास भवन नहीं है और हम उस कमी को पूरा नहीं करना चाहते है बल्कि इस कमी को और बढ़ाना चाहते है। इरादा किया ढाई सौ स्कूल खोलने का और भवन बनायेंगे, केवल दो सौ स्कूलों के लिये। मै फिर डाक्टर प्यारे लाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे गणित शास्त्र का प्रयोग करके अपनी तकरीर करते समय बतलायें कि अगर यह रफ्तार हमारी रही जब तक कि हमारी प्रारम्भिक शिक्षा व्यापक होगी उस समय स्टेट में कितने स्कूल होंगे जिनके पास कोई भवन नहीं होगा।

एक अजीब बात यह है कि ढाई सौ नये प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही है लेकिन उनका वेतन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे और इसका क्या प्रबन्ध होगा इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। हम सबको मालूम है कि प्रारम्भिक स्कूलों में अध्यापकों को ठीक तरह से वेतन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं दे पाती है। उनके ऊपर हर साल नया बोझ डालते जा रहे हैं। स्कूल खोले जा रहे हैं मगर भवन नहीं है, अध्यापकों के वेतन के लिये रुपया नहीं है और फिर भी स्कूल खोले जा रहे है और शिक्षा का विकास हो रहा है। वायदा किया था कि प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, माध्यमिक स्कूल खोलेंगे, यूनिवर्सिटी खोलेंगे और अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करेंगे। ऐसा मालूम होता है कि वायदा करने के बाद बजट बनाते समय सरकार उन सब बातों को भूल गयी।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस साल का शिक्षा का बजट पार साल के शिक्षा के बजट से कहीं ज्यादा गिरा हुआ बजट है। इसमें कोई नया आइटम (item) नहीं है। इसमें कोई नयी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं इस साल के बजट में मिसाल के तौर पर स्त्रियों

की शिक्षा के विकास के बारे में कहना चाहता हूं। पारसाल हमने स्त्री शिक्षा के लिये २,५०० रुपया रखा था, लेकिन इस साल के बजट में कोई रकम बढ़ाई नहीं गई है। पारसाल हमने बी० ए०, बी० एस-सी०, एम० ए०, एम० एस-सी० के अच्छे विद्यार्थियों को स्कालरशिप देने की व्यवस्था की थी इस साल के बजट में इसकी अवहेलना की गई है। इसी तरह से आप देखें कि जहाँ पार साल ५५० स्कूल खोले गये थे वहाँ अब इस साल २५० स्कूल खोले गये हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ हट रहें हैं।

दूसरा प्रश्न सामाजिक शिक्षा का प्रश्न है। आजकल हमको सामाजिक शिक्षा को बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है। किसानों को अधिक श्रमिक बनाने की जरूरत है। प्रजातन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिये सामाजिक शिक्षा की जरूरत है और जनता में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिये सामाजिक शिक्षा की जरूरत है लेकिन हमारे इस बजट में सामाजिक शिक्षा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। यह भी नहीं कहा गया है कि सामाजिक शिक्षा की जरूरत इस समय है। हमारे कांग्रेस भाई बराबर इस को कहते चले आये हैं कि सोशलिस्ट पार्टी भौतिक बातों पर जोर देती है, उसके कार्यक्रम में स्प्रिचियुल वेल्यूज और ह्यूमेन वेल्यूज पर ज्यादा जोर नहीं है। इस बजट में मानव विकास की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है और मैं समझता हूं कि इस बात में सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी से कहीं अच्छी है। कांग्रेस ने कई वायदे मानव विकास के लिये किये लेकिन उनको पूरा नहीं किया जा रहा है।

Maharajakumar Vizianagram—Sir, It is an old convention that one can speak about anything under the sun during the budget discussion, but I shall refrain from doing so and shall confine myself, as far as possible, to the budget.

First of all, I would like to congratulate the Finance Minister on the presentation of the budget, a very excellent budget. In my own way I can call it a tiller's budget, a kisan's budget or a farmer's budget. From that point of view I look at it, and I certainly support it. Of course I have one or two suggestions to make which I shall do later on. There is a deficit of about 4 crores and I would not like that it should be repeated next year. Four and a half crores are meant for welfare schemes. So there is every justification that there has been some taxation; for instance, a tax on agriculturists or tillers of soil for irrigation purposes. So there is every justification in taxing them because they would benefit out of these schemes. It is, of course, just wishful thinking for anybody to say that there should be no taxation. No, Sir, no Government can be run without taxation, but at the same time one can indulge in any criticism and say that the taxes are too heavy and that they should not be imposed on certain items. I grant that, but at the same time you know, Sir, that no Government can ever possibly be run unless there is a certain amount of taxation. For instance there is taxation on electric power. Obviously, there is every justification for that, because we shall be having more power houses and electrical schemes. I, for one, would like to see this State as progressive as Mysore. I have been to Mysore several times, being a Southerneri myself, and in Mysore even villages and small hamlets have been electrified. The streets for miles and miles are illuminated. They have electricity there and it is very useful to the pedestrians. Well, such things could, in course of time, materialise in this State, and the very fact that electricity is being given such an important place in the

[महाराजकुमार विजयानगरम]

budget of our State apparently shows that this State will also emulate that very well-run Government of Mysore.

I know very little about education. I do not happen to belong to any educational institution at all but from what little I have been able to see of the budget, the new system augurs well, as it will certainly minimise unemployment to a great extent.

Now, I come back to a subject that I am more associated with and that is physical fitness. Although I happen to be stout myself, though not healthy in the real sense of the term, my physical fitness has been adversely affected through a disease which I contracted some years ago but still my favourite subject remain as it was and I would like the State to introduce compulsory physical training for all young men whether it be schools or colleges. I would even go to the extent of saying that it should be introduced in the villages as well. In my opinion it brings out the best in man. If he is physically fit he is mentally fit also. That is how I feel about it.

Take the case of Russia. I have nothing to say about their ideology or about the political system prevalent in that country—but so far as physical fitness is concerned I see no harm in emulating her example in this respect. My view is that if physically fit people are available in the country who have some inkling of military training as well; that training will stand the State in good stead in the years to come. Well the same is the case with France, where everybody whether he may be a noble-man, a rich man or a poor man, he will never be exempted from a two years' compulsory physical training course.

Coming back to Europe, Sir, I must say that Germany did a great deal in the matter of physical fitness of her people for which Hitler was mainly responsible. Though I am not a lover of Adolph Hitler, I must say that so far as this matter is concerned, he did what any country in Europe has not been able to achieve so far. I must make it clear that Hitler was the person responsible for creating unnecessary bloodshed and other evils connected with the war, but, as I have already said, I have nothing to do with all these extraneous matters. The three things on which he laid special stress were: (1) Lebensraum, i.e. Room to live (2) A pint of milk for every child (3) Compulsory physical training including a rudimentary knowledge of military drill, etc. which was the outcome of the first two items. The result was that Germany was converted over night into a very strong nation, indeed, although as I have already said, I do not subscribe to what Hitler had done. Nevertheless he got Germany up to a level of physical fitness that was unknown in history. And, therefore, I would very respectfully suggest to the Finance Minister that physical fitness is an item which he might look into and of course from my own point of view I would suggest a moderate sum of Rs. 25 lakhs to be reserved for that purpose. You know Sir, that there is an old historical saying that "The battle of Waterloo was won on the playing-fields of Eton and Harrow". This is the spirit which I would like this State to have.

In my last speech on the Governor's address I pointed out that we should be the first in the field to decontrol and de-ration things. It was my ambition to see this State stand first in the field, but, as it happened, a few days afterwards, Madras stole a march upon us. I do beg our Ministers to see that we, on future occasions give a better lead to the country that we have so far done.

I would also like to make a suggestion to the Hon'ble Finance Minister that apart from the taxation on toilets and other articles of luxury, from my own point of view taxation on bus fares is a very very difficult problem for the man in the street. For the man in the street, I must say that his income remains at a standstill. In my view a tax may be imposed on the tillers of the soil and on other producers as it may have some justification because they will benefit by the welfare schemes; but the poor man who travels by the buses and Roadways transport will find it difficult to foot the increased bill on this account.

I think that it would be a new tax on the already overburdened lower middle and even poor classes of society and I would very much like to see the Finance Minister press for the discontinuance of this levy on the poor travelling public of the State at the next Cabinet meeting.

Now, to come back to a subject that I know rather well, that is Sport. I may inform the House, Sir, that I very often go into the jungles and indulge in sport myself. Well, Sir, in this connection I have seen villagers stranded who cannot cross rivers and streams in the rainy season. The routes to villages, of course are no less inconvenient, and people are marooned for days on end because of the difficulty that they cannot make the crossing owing to the fact that we have no bridges and these are very essential things. With the freedom of the country, we should, as far as possible, take modern Turkey into account. In modern Turkey it is said that there is not a river, not a stream, where there is no bridge and all cultivators get water and feel no difficulty in moving about in any season of the year. These things could also be attended to here if the Finance Minister could have more funds at his disposal to erect a large number of bridges and culverts. Of course, I know, Sir, that it is very difficult, well-nigh impossible to do all this overnight but whatever is possible in this direction, should be done. I can assure the House that it will mean a great relief to the toiling masses.

Now, the other thing that strikes me is the railway crossings which are nothing short of a nuisance near towns. People have to wait in a queue for hours together and cars, lorries, etc., are badly stranded at times. I have myself experienced this difficulty more than once and I may, if permitted to do so, request the Governmnet to look into this matter. My own feeling is that there should be some alternative passage for means of conveyance and pedestrains by the side of railway crossing. Of course, this question will have to be taken up with the Government of India.

Sir, I am not in the habit of making long speeches and dabble in budget figures. That frankly, Sir, is not my job. So far as my observations are concerned, I would keep them for myself. And, so I would leave what is called 'going into action' to my colleagues. But before I close, I would very much like to pay my humble tribute to the Hon'ble Pandit Govind Ballabh Pant, our Chief Minister, for having given us so much prosperity and peace in this State, and along with that, I would like to congratulate his colleagues in the Cabinet who have each done a fine job in his own way.

[महाराज कुमार विजयानगरम]

Before I close, Sir, I would once more like to congratulate the Finance Minister on the very good effort he has made considering the fact that he took charge of this portfolio only this year, and I must say that it is a feather in his cap.

श्री गोविन्द सहाय--अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मन्त्री जी की स्पीच को काफी गौर से पढ़ा और तीन दिन तक एसेम्बली में जो डिस्कशन (discussion) हुआ और जो बातें वहां पर हुईं उनको भी काफी गौर से सुना। यह सही बात है कि इस बजट के अन्दर इस प्रदेश को सभ्य बनाने और समृद्धिशाली बनाने की प्रतिज्ञा है और यह भी सही है कि उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये जनता से सहयोग करने और कष्ट सहने की अपील है। यह भी सही है कि इसमें नये कर भी लगाये गये हैं। यही बात नहीं है कि चूंकि टैक्स लगाये गये हैं इसलिये विरोध किया जा रहा है, बल्कि और भी बहुत सी बातें हैं। इस बजट की स्पीच में मैंने यह भी देखा कि पिछले पांच-छः सालों में स्टेट की जो एक्टिविटीज (activeties) बढ़ी है या उनके बढ़ाने की और ख्वाहिश की गई है उन पर भी रोशनी डाली गई है। यानी गवर्नमेंट फन्ड से उन एक्टीविटीज में प्रोग्रेस (progress) करना जैसे पानी का बढ़ाना, खेत की पैदावार को बढ़ाना, बिजली को बढ़ाना ये सब बातें हैं। आजकल के जमाने में किसी स्टेट की तरक्की इस तरह से नहीं देखी जाती है कि उसकी गवर्नमेंट क्या करती है। किसी स्टेट की तरक्की के आंकने का मापदन्ड इस बात से जांचा जाता है कि किसी गवर्नमेंट के मातहत जो जनता रहती है उसने गवर्नमेंट की एक्टीविटीज को बढ़ाने में कितनी मदद की और उसकी एक्टीविटीज कितनी बढ़ी। जनता की एक्टीविटीज की झलक जिस बजट में दिखाई देती है वह जनता का बजट कहलाता है।

जहां तक बजट का ताल्लुक है, दो-तीन बातें हैं और उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्टेट की तरक्की किस माने में हुई?

(१) उस गवर्नमेंट ने अपने नेतृत्व में इन्सान की ताकत, जमीन की ताकत, बिजली की ताकत, पहाड़ों के अन्दर छिपी हुई दौलत या जितनी ताकत इस प्रदेश की है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है या नहीं, या जो नहीं किया गया है उसके पूरा करने की कोशिश की जा रही है या नहीं।

(२) दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जिस जनता के लिये यह सब कुछ किया गया है उस जनता का रहने का स्टैन्डर्ड (standard) ऊपर उठा या नहीं। उसकी डेलीलाइफ (daily life) में, जीवन में उन्माद या उत्साह पैदा हुआ या नहीं। यह जो जीवन को ऊंचा बनाने की प्रवृत्ति होती है, वह पैदा हुई या नहीं।

अगर यह दोनों चीजें किसी स्टेट में हमको दिखायी देती हैं तो हम यह कहने को विवश होते हैं कि इस स्टेट की पालिसी जनता के दिल व दिमाग की स्टेट बनाने की है लेकिन जब मैं इस स्टैन्डर्ड से इस बजट को देखता हूं तो मुझे कुछ निराशा सी दिखाई देती है और मेरा अपना ख्याल है कि आज वह चीज इस बजट में नहीं दिखाई देती है जिसकी हमको खास जरूरत है। जो गवर्नमेंट आज है वह ६ साल से है। ६ साल पहले उसमें उमंग थी, उत्साह था, जोश था लेकिन आज ६ साल के बाद, सातवें साल के शुरू में उसमें कुछ थकान सी दिखाई देती है। उसकी जो पिछले ६ सालों में पालिसी रही है आज वह इस सातवें साल में खत्म होती दिखाई देती है। मेरा अपना ख्याल है कि हम में मेटीरियल (material) शक्ति का, भौतिक शक्ति का, मारेल (moral) शक्ति का लोप होता जा रहा है। तो जब मैं यह देखता हूं कि मेटीरियल शक्ति का उपयोग नहीं होता है, नौ जवानों को काम नहीं मिल रहा है, बे रोजगारी बढ़ती जा रही है, जितने रोजगार खुलने चाहिए उतने नहीं खुल रहे हैं और लोगों का मारेल इतना गिरता जा रहा है कि आज कदाचित् ही कोई ऐसा निकले जो यह समझे कि कोई काम ईमानदारी से हो सकता है, तो मुझे बहुत ज्यादा निराशा होती है। आज हर एक समझता है कि बिना झूठ बोले

बिना बेईमानी से कोई काम नहीं हो सकता है। हर जगह पर सिफारिशें होती हैं। मैं देखता हूं कि हमारी स्टेट उस ताकत को नहीं इस्तेमाल कर पा रही है और लोगों की रोजाना की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। जब इन सब बातों को देखता हूं तो मैं यह कहने पर विवश होता हूं कि आपकी नियत चाहे कितनी ही अच्छी हो, मैं आपकी नियत पर अविश्वास नहीं करता, मुझे यह यकीन है कि आपकी नियत इस स्टेट को प्रगति देने की रही है लेकिन बावजूद आपकी नियत के स्टेट की कान्स्टेन्ट प्रोग्रेस (constant progress) होने के बजाय वह पीछे जा रही है और जितनी उन्नति होनी चाहिए थी उतनी नहीं की गई है। कल इस सूबे के मुख्य मन्त्री ने बहुत कुछ बातें कहीं। मैं जो उनके उद्गार हैं उनको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि "हमारे राज में करोड़ों को भोजन नहीं मिलता, पढ़े-लिखे नवयुवकों को नौकरी नहीं मिलती है। पर इसका इलाज कोसना नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था को बदलना है।" इस सूबे के चीफ मन्त्री इस बात को कबूल करते हैं। हर ईमानदार आदमी इस बात को कबूल करेगा। इन सब बातों के होते हुए आज यह सवाल आता है कि जो आपका लक्ष्य है उसको पूरा करने में सफल हुए हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या आपने इन सब बातों को दूर करने के लिये कोई कदम उठाया है। अगर आपने नहीं उठाया है तो मैं यह कहूंगा कि यह सब आपकी कोरी कल्पना की बातें हैं। मैं यह कहने के लिये विवश हूं कि अगर आप अपना ढांचा नहीं बदलते हैं और कोरी कल्पना की बातें करते हैं तो आप इस सूबे को आगे नहीं ले जा सकते हैं। आज इस प्रान्त में यह टेकनीक हो गई है कि अपोजिशन जो भी अच्छी बातें कहता है उनको भी अपोजीशन की बातें कह कर टाल देते हैं। अभी इस बजट के दो फिकरे मैंने पढ़े, उसमें लिखा गया है कि इस सूबे की कल्चर (culture) और इन्टेलेक्चुअल एक्टीविटीज (intellectual activities) को हमको आगे बढ़ाना है। मेरी समझ में नहीं आता है कि कल्चरल (cultural) एक्टीविटीज (activities) को बढ़ाने के लिये क्या किया गया है। इस बजट में कहीं ५ पैसे भी तो उसके खर्चे के लिये नहीं रखे गये हैं। शायद हम सूबे के कल्चर (culture) को एग्रीकल्चर (agriculture) का हिस्सा समझते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--आपने पढ़ा नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय--मैंने इसको पढ़ा है और समझने की कोशिश भी की है, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम होता है कि कलचरल एक्टीविटीज को बढ़ाने के लिये इसमें कुछ किया गया है। उसके बाद इन्टेलेक्चुअल की बात आती है। इन्टेलेक्चुअल की शुरुआत तालीम से होती है। तालीम की व्यवस्था के बारे में हर एक ने कहा है कि वह खराब हो रही है। यानी इस सूबे के अन्दर जो एबिलेस्ट (ablest) आदमी हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट में जो एबिलेस्ट मिनिस्टर हैं यानी बाबू सम्पूर्णानन्द जी, उनके चार्ज में एजूकेशन (education) रही है। ६ साल के अन्दर हर एक आदमी ने माना है कि सूबे की तालीम का स्टैन्डर्ड गिरा है, जनरल नालेज (general knowledge) खराब हो रही है। जो लड़के आई० ए० एस०, पी० सी० एस० के इम्तहान में बैठते हैं, वह सवालों के जवाब देते हैं, उनसे एजूकेशन के स्टैन्डर्ड की तस्वीर सामने आ जाती है। एक लड़के ने बताया था कि काफी (coffee) और टी (tea) इस सूबे की एग्रीकलचरल प्रोडक्सन (agricultural production) हैं। अब हमें यह बताया गया है कि इस एजूकेशन को बदला जायेगा। एक कमेटी मुकर्रर कर दी गई है, जिसका नाम है नरेन्द्र देव कमेटी। क्या आप समझते हैं कि कमेटी मुकर्रर करने से तालीम की व्यवस्था बदल सकती है। हम जानते हैं कि तमाम कमेटियाँ बनती रहती हैं, लेकिन उनमें से एक की भी रेकमेन्डेशन (recommendation) इम्प्लीमेंट (implement) नहीं होती। जितनी कमेटी इस प्रदेश में बैठी हैं, उतनी किसी प्रदेश में भी नहीं बैठी। कमेटियों में सिवाय इसके कि मेम्बरों के लिये झगड़ा हो और कुछ नहीं होता। कौन मेम्बर हो, कौन न हो इसी पर झगड़ा होता है। मेम्बरों का सिर्फ एक मेयार होता है और वह यह कि उसमें आने से कुछ घूमने घामने को मिल जाता है। जितनी कमेटीज आपकी बैठी हैं, उनमें से किसी की भी रेकमेन्डेशन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाये हैं। इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर

[श्री गोविन्द सहाय]

पं० गोविंद वल्लभ पन्त को भी आज ६ साल के बाद यह मन्जूर करना पड़ा है कि ह्यूज स्ट्रक्चर (huge structure) जो हमने बनाया है, जिसे प्लानिंग डिपार्टमेंट (planning department) कहते हैं, विलेज (village) पन्चायत डिपार्टमेंट (department) कहते हैं they are huge structure आज तक किसी अपोजीशन वाले ने भी ऐसा नहीं कहा है। ६ साल के भगीरथ प्रयत्न के बाद, बेहतरीन लीडरशिप (leadership) के बाद जो स्ट्रक्चर (structure) आप बनाते हैं, उस इमारत को बनाने वाला कलाकार यह कहता है कि इसमें रूह नहीं है। तो मैं अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या गारन्टी हो सकती है कि आगे आप रूह डाल देंगे। ६ साल पहले आप में अधिक वाईटेलिटी (vitality) थी, अधिक जोश था, जब आप पहले नहीं कर सके तो अब जब कि आपकी ईवनिंग आफ लाइफ (evening of life) का पीरियड (period) है तो हमसे कैसे यह उम्मीद की जा सकती है कि हम जाकर लोगों से कहें कि आज एक नयी दुनिया बनने जा रही है, एक नई और आलीशान व्यवस्था का निर्माण होने वाला है, इस लिये सब लोग उसके निर्माण में गवर्नमेंट की मदद करें और कुर्बानी करें।

सैकरीफाइसेज माँगने का लीडरशिप को हक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अब मैं आपके सामने कुछ थोड़ा सा वेलफेयर स्टेट (welfare state) के बारे में कहना चाहता हूं। वेलफेयर स्टेट कोई सेवा समिति नहीं होगी। वह एक स्टेट होती है जो इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि वह इस मुल्क के हर एक आदमी की अखलाकी, जिस्मानी तरक्की के लिये जिम्मेदार है, हर आदमी के रोजगार और सोशल तरक्की की जिम्मेदार है। उसके बदले में हर एक इन्सान इस स्टेट का यह सोचता है कि हम स्टेट के लिये अपने दिल और दिमाग को हर वक्त अर्पित करने के लिये तैयार हैं। वेल फेयर स्टेट के लिये चार चीजों का होना जरूरी है। पहली बात एक बोल्ड डायनामिक (bold dynamic) लीडरशिप (leadership) की आवश्यकता होती है। आजकल के जमाने में बगैर सोशल व्यवस्था के एक स्टेट अच्छी तरह नहीं हो सकती है। ऐसी व्यवस्था हो, जिसके अन्दर करोड़ों इन्सान अपने दुख—सुख को समझ कर आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज उस लीडरशिप के लिये किसी एफीसियेन्ट सर्विस (efficient service) की जरूरत होती है। क्योंकि सर्विसेज एक आला है, जिसके जरिये से बड़े बड़े काम किये जाते हैं। इसलिये सर्विसेज को अपनी स्टेट से लगाव हो। तीसरी चीज जनउत्सुकता यानी जो कुछ स्टेट करती है उसके लिये उत्साह के साथ जो स्टेट की योजना हो उसको अपनी योजना समझें। चौथी चीज स्टेट की तरक्की के लिये उन तमाम सोशल और इक्तसादी संस्थाओं में वक्त के लिहाज से तब्दीली करें और उनको अपने मुताबिक बनावें। अगर इन चार चीजों में हम तरक्की कर लें तो अपनी प्रगति की ओर हम अपने को पाते हैं। मैं लीडरशिप के बारे में और अधिक कहना नहीं चाहता क्योंकि इसके बारे में पं० जवाहर लाल नेहरू और कांग्रेस के बड़े—बड़े नेताओं ने भी बहुत ज्यादा कहा है फिर मैं भी जिन्दगी भर कांग्रेस में काम करने के बाद, और किसी से कम जेल भी नहीं गया, इससे अधिक कुछ कहना बेकार समझता हूं। इसलिये मैं इतना ही कहूंगा कि लीडरशिप आपकी फ़िक्र कर रही है, उसके अन्दर लोगों को ढकेलने की ताकत कि किस तरफ लेजाना चाहिए कि एक डायनामिक (dynamic) बात न हो, नहीं है। वर्ना इस मुल्क के अन्दर एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है कि मेरे अन्दर कन्ट्रोल (control) तोड़ने की प्रेरणा आई है इसीलिये मैंने अपने प्रदेश में कन्ट्रोल (control) तोड़ने का निश्चय कर लिया है। ५ साल तक तो वह बराबर कहते रहे कि कन्ट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अभी तक बराबर कहते चले आ रहे हैं कि मुल्क में गल्ले की कमी है और एकाएक उनके दिल में

प्रेरणा उठी कि कन्ट्रोल तोड़ देना चाहिए, इसलिये कन्ट्रोल तोड़ दिया जाता है। ५ साल से बराबर कहते चले आ रहे हैं कि गल्ले की बहुत कमी है और सेंट्रल के एक मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कौन कहता है कि मुल्क में गल्ले की कमी है, हमारे यहाँ बहुत गल्ला है। देश में एक लहर दौड़ जाती है कि मुल्क में बहुत गल्ला है। आप गाँधियन फिलासिफी को मानते हैं, सोशलिस्ट फिलासिफी (socialist philosophy) को मानते हैं, ईस्टर्न फिलासिफी (eastern philosophy) को मानते हैं, वेस्टर्न फिलासिफी (western philosophy) को मानते हैं, आप सब को लेने की कोशिश करते हैं और इस तरह आप सबकी अच्छाइयों को छोड़ देते हैं। जहाँ तक सर्विसेज का ताल्लुक है कांग्रेस लेजिस्लेचर्स कहते हैं कि चूंकि सर्विसेज खराब हैं, इसलिये मुल्क में खराबी है। ७५ फीसदी सर्विसेज ऐसी हैं, जिनको ६० या ६५ रुपये से कम मिलता है और इसलिये वह semi-starvation की हालत में रहती हैं, मुल्क का काम मिनिस्टर से नहीं बनता है, बल्कि इन्हीं नीचे के लोगों से चलता है। आज नीचे के आदमी वह हैं, जो ६०-६५ से कम पाते हैं और सभी स्टार्वड हैं। आजादी के बाद इस देश के सर्विसेज वाले लोग, नौजवान लोग देश के लिये उतनी ही कुर्बानी देने के लिये तैयार थे, जितना हम लोग थे। वह चाहते थे कि देश के लिये वह भी काम करें। लेकिन आपने उनको क्या मानसिक खुराक दी। जिस समय के बाद आप आये यहां ब्यूरोक्रेटिक ढंग का ढाँचा था। उस समय आफिशियल्स काम करते थे। डाक बंगले में ठहरते थे और ऊपर से जो हुक्म आते थे उन्हें वफादारी से मानते थे। आपने सुना कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है इसलिये इसे खत्म करना चाहिए। पहिले आपने ब्यूरोक्रेटिक टेम्परामेंट (bureaucratic temperament) को खत्म किया। आपने किसी पर यकीन नहीं किया। आपने उनके कामों में इंटरवीन (intervene) किया और आप किसी डेमोक्रेटिक (democratic) व्यवस्था की ओर नहीं ले जा सके। आप देख सकते हैं कि आजकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जितनी पावर्स हैं, उतनी शायद किसी वक्त में नहीं थीं। लेकिन साथ ही आज वह जितना हेल्पलेस (helpless) है उतना कभी नहीं था। एक जगह आप विश्वास करते हैं दूसरी जगह नहीं करते हैं। सर्विसेज से आप कहते हैं कि तुम में आदर्श नहीं है। आपको चाहिए कि आप सर्विसेज को ट्रस्ट करिए। वैसा नहीं करेंगे तो वह रिपोर्ट देने के आदी हो जायेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यह रिपोर्ट देते हैं कि क्राइम्स कम हो रहे हैं। डकैतियाँ कम पड़ रही हैं तो उनको ज्यादा लेटीच्यूड (latitude) न दीजिए। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि सर्विसेज को गवर्नमेंट की योजनाओं से कोई लगाव नहीं है। यह साफ बात है कि सर्विसेज को गाली देने से आपका काम नहीं चल सकता है, उस पर आपको विश्वास करना होगा, उसको कांक्रीट एण्ड पाजिटिव बाडी (concrete and positive body) आप समझिये उसको एक जिन्दा चीज बनाइए, उसको मेन्टली कन्वर्ट (mentally convert) कीजिए। हम जब किसी अफसर से बात करते हैं, जैसे जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के बारे में कई डिप्टी कलेक्टरों से मेरी बात हुई। वह कहते हैं कि यह स्कीम नाकामयाब होगी। इसकी वजह क्या है। वजह यह है कि आपकी स्कीम को पूरे तौर से वे समझ नहीं पाते। आप समझते हैं कि आप हाउस में बिल पास करके करोड़ों व्यक्तियों की जिन्दगी बदल देंगे। मौजूदा एटमास्फियर (atmosphere) को बदल देंगे मगर यह गलत बात साबित होगी। आप ऐसा कभी नहीं कर सकेंगे। जो लीडरशिप है, पहले आपको उसे बदलना होगा। उसका असर सारी चीजों पर पड़ेगा। एक पंडित जवाहर लाल नेहरू की मिसाल को छोड़ दीजिए। वैसे आपका अप्रोच (approach) डिफेक्टिव (defective) है। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में जो कानून जिनके लिये बनाया जाय, उसका डिस्कशन रोजाना वे लोग करें, तब उनका आपको सहयोग होगा और आपके प्लान्स (plans) सक्सेसफुल (successful) होंगे। तभी वह एक वेलफेयर स्टेट होगी वरना प्रदेश में कोई तरक्की नहीं हो सकती है। अब मैं थोड़ा सा प्लान्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। आपने देखा कि दूसरे मुल्क कन्ट्रोल और राशनिंग से सुधर रहे हैं। आपने भी उसे रायज कर दिया। आपने देखा कि अमरीका, इंगलैन्ड, चीन, रूस, फ्रान्स, आस्ट्रिया

[श्री गोविन्द सहाय]

वगैरह मुल्कों में फाइव-ईयर प्लान्स (five-years plan) से तरक्की हुई है। आपने भी वही रास्ता अख्तियार कर लिया। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि आपका फाइव ईयर प्लान क्या है और मेरा ख्याल है कि यहाँ के किसी भी मेम्बर ने शायद ही उसे पढ़ा हो। मैंने चाहा भी था कि उसे पढ़ूं पर वह मुझे कहीं नहीं मिल सका। यहाँ के मेम्बरान को छोड़ दीजिए, मैं समझता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर्स ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि फाइव ईयर प्लान क्या है। फाइव ईयर प्लान के लिये यह जरूरी है कि एक १० वर्ष का बच्चा भी समझे कि यह प्लान क्या है ? जहाँ तक मुझे पता है मैं कह सकता हूं कि आपके पास कोई फाइव ईयर प्लान्स नहीं है। और न आपने पिछले ५-६ वर्षों में कोई ऐसा प्लान बना ही पाया है और न आप देश के किसी आदमी को मोल्ड (mold) ही कर पाये हैं। जो आपकी अप्रोच होती है उसका पता उस हर आदमी के जीवन में चलता है, उसका पता देश भर में चलता है, उसका पता देश के हर व्यक्ति में मिलता है। मेरा यह ख्याल है कि आपकी यह अप्रोच बिल्कुल गलत होती है। आप हर चीज को काँग्रेस और अनकाँग्रेस, गाँधियन और अनगाँधियन की लाइट में लेते हैं।

आपकी अप्रोच (approach) अनगान्धियन है, अनकांग्रेस है। कई बातों से ऐसा पता चलता है कि इस देश में भलाई की बात रह ही नहीं गई है। दो मिसालें मैं देता हूं---आपने एम० एल० एज० के रहने के लिए यहां दारुलसफा में एक बिल्डिंग बनाई है, क्या ही खूबसूरत बिल्डिंग है अगर यह स्विटजरलैंड में होती तो वायसे फक्र होती, ये बेचारे जो देहातों से आकर इसमें रहते हैं और साथ में अपने बीबी बच्चों को भी तमाशा दिखलाने के लिये लाते हैं, तो उनसे पूछिये कि गर्मी के दिनों में क्या हाल होता है आपने तो उनके रहने के लिये एक नया ही ढंग निकाल दिया है जो कि उनकी जिन्दगी के प्रतिकूल है। आपका जो अप्रोच है, वह इन्डियन नहीं है और न वह (progressive) ही है मुझे खुद कई एम० एल० एज० ने बतलाया कि जिन मकानों में वे स्वयं अपने घर में रहते हैं और जब यहां दारुलसफा में आते हैं तो अपने-अपने घर में जाने पर यह डर लगता है कि कहीं मिट्टी में पैर न पड़ जाय। जितने रुपये इसमें लगे हैं उतने रुपये में तो हर एक एम० एल० एज० के लिये कम से कम दो तीन कमरे बन सकते थे।

इसके बाद आपने कम्युनिटी प्रोजेक्ट (community project) की बात कही है। मैं इटवा से अभी आया हूं, वहां के आफिसर्स में मैंने काफी उत्साह भी पाया है और उन से मेरी बातचीत भी हुई है उन के दिमागों में एक ऐसा सेट कुछ सवाल के जवाब का है जो पूछे जाते हैं। मैंने भी उन से कुछ सवालात पूछे थे। मैंने देखा कि जो कुछ वहां किया जा रहा है उससे वहां के किसानों को कुछ भी ज्ञान नहीं है, जब मैंने वहां के रहने वाले लोगों से इस बारे में कुछ सवालात किये तो जो आफिसर्स वहां थे, वे उनका मुंह देखने लगे और जिससे सवाल किये थे, वे आफिसर्स का मुंह देखने लगे। जिससे साफ मालूम हो रहा था कि इन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, इस तरह का अप्रोच आपका कम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में है।

आपका जो अप्रोच अस्पताल के बारे में है, उसमें यह नहीं है कि लोगों की बाडी बने, वे तन्दुरुस्त रहें, बल्कि आपको तो यही ज्यादा फिक्र है कि बीमारियां कम हों और डाक्टरों की तादाद ज्यादा हो, आपका सारा अप्रोच कोई बुनियादी तरीके से नहीं है, उसकी एक मिसाल मैं अंग्रेजों के जमाने की देता हूं, हालांकि अंग्रेजों का अप्रोच ब्यूरोक्रेटिक था, फिर भी उनके जमाने में यह बात थी कि उनका एक जिले में एक आफिसर होता था, वह बड़े शान के साथ हाथ में एक स्टिक (stick) लिये जाता था तो भी उसमें एक झलक दिखाई देती थी। यह एक ब्यूरोक्रेटिक तरीका था, परन्तु कभी भी किसी काम में कमी नहीं आने देता था, जो उसे कहा जाता था उसे वह अच्छी तरह से कर

के देता था। आज भी आप का जिले में एक आफिसर रहता है। हर जिले में आप को वह आफिसर मिलेगा। वह तो हर बात में निराला है। एक चौड़ी सी पतलून पहिने हुये और एक अजीब सा कोट पहिने हुये मिलेगा, और जिस से भी बात चीत करेगा, बिल्कुल ढीले ढाले ढंग से करेगा और साथ यह भी होगा कि अगर आप उससे कुछ पूछें तो उसे उन बातों का पता भी नहीं होगा। मेरे जिले में एक डिप्टी-कलेक्टर हैं, जो नायब तहसीलदार से प्रोमोशन पाये हुये हैं। जब मैं पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी था तो जब कभी मैं वहां जाता था तो वे मुझ से मिलने के लिए मुरादाबाद आते थे और एक लम्बा फर्जी सलाम करते थे। एक बार वहां एक मिनिस्टर महोदय के सामने सब आफिसर्स की एक मीटिंग हुई इनसे भी हाल पूछा गया तो आप कहते हैं कि सब ठीक ठाक है, किसी भी बात की तकलीफ नहीं है। हां, जो कुछ गुंडे थे, वे कांग्रेस छोड़ गये हैं। इस तरह की मिसाल आज आपको सर्विसेज में मिलेंगी। जब आपने इस तरह का मैटिरियल सर्विस में रखा है तो उन से क्या प्रोड्यूस (produce) हो सकता है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि आप का अप्रोच ठीक नहीं है। आप का अप्रोच बिल्कुल साइन्टिफिक (scientific) नहीं है। आप का अप्रोच इस तरह का नहीं है कि आप अपोजिशन की बातों पर गौर करें। पिछले दिनों यहां पर चीन का काफी जिक्र हुआ है और कहा गया है कि वहां इस तरह से काम हुआ और यह किया गया तो उसके लिये हर एक मिनिस्टर की ख्वाहिश यह है कि इस तरह की बात को मिनिमाइज (minimize) किया जाय और वहां क्या खराबी हुई उसकी तरफ भी न जायं। वहां जो कपड़ा एक गरीब पहिनता है, वही कपड़ा वहां के माऊ साहब भी पहिनते हैं।

जब हमारा कपड़ा एक होता है तो हम महसूस करते हैं कि हम लीडर के साथ हैं। हमारे में इक्वीलिटी आफ ड्रेस (equality of dress) है चीन को ही ले लीजिये, वहां के मिनिस्टर अपनी गाड़ियों को सिर्फ आफिशियल परपजेज (official purposes) के लिये ही इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर रिक्शा में सवार होते हैं। लेकिन यहां पर हमारे लीडरों में यह बात नहीं पाई जाती है। चीन में लीडर जनता की बात का यकीन करते हैं, वहां वह कांग्रेस पार्टी तक का यकीन नहीं करते हैं कांग्रेस के मेम्बर की तो बात ही क्या है। आप को स्टेट का स्ट्रक्चर एक आदमी पर नहीं रखना चाहिये। जिस तरह से यह देश आपको प्यारा है उसी तरह से हमको भी प्यारा है। हमने भी देश के लिये आपकी तरह कुर्बानियां की हैं। हमारा भी यही मंशा है कि देश की तरक्की हो। देश की तरक्की से हमको खुशी होती है। हमारी ख्वाहिश है कि यहां की पैदावार बढ़े, यहां की बेकारी दूर हो। मुल्क में खुशहाली नजर आये यही हमारी आवाज है, गो कि यह अवाज बहुत धीमी है, लेकिन यह दिल से निकलती है। हम भी यह चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की के दरजे पर पहुंच जाय।

इसके बाद अब मैं फूड (food) के बारे मे कुछ अर्ज करना चाहता हूं। यह बात सही है कि हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चरल लैंड (agricultural land) है और यहां पर भूमि की व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। जमीन्दारी का तो खात्मा हो गया है, लेकिन उसका जो असली मकसद है वह पूरा नहीं हुआ है। जनाब वाला, मैं बहुत अदब के साथ आप के जरिये से अर्ज करना चाहता हूं कि इस जमीन्दारी खत्म होने के बाद कोई खास बात नजर नहीं आती। उसमें आपने कोई खास काम नहीं किया। यह तो वही हालत है कि डाक्टर ने मरीज को दवा दे दी और कहता है कि मरीज की हालत अच्छी है, लेकिन मरीज कहता है कि उसको कोई फायदा ही नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जमीन्दारी विनाश का जो स्ट्रक्चर है, उससे किसानों को कोई खास फायदा नहीं है। आपका ख्याल था कि १७२ करोड़ रुपया वसूल हो जायेगा, क्योंकि किसानों के

[श्री गोविन्द सहाय]

पास पैसा है । तीन महीना में आप रुपया वसूल करना चाहते थे, उसके लिये आपने आफिसर मुकर्रर किये। लेकिन हम तीन महीने में सिर्फ १८ करोड़ ही जमा कर पाये। तो जनाब वाला, मै आपके जरिये से यह पूछना चाहता हूं कि यह पास मार्क हैं या फेल मार्क हैं। यह आपके लीडरशिप का टेस्ट कैलकुलेशन (test calculation) है । हमको चाहिये कि लैन्ड की प्राब्लम (problem) को हल करने के लि एक दूसरा सौल्यूशन (solution) ढूंढे, एक नुमाइन्दे की हैसियत से मैं जो कुछ समझा वह अर्ज करता हूं । आपकी स्कीम में किसानों के लिये कोई विशेष बात नहीं कही गई है ।

इस स्कीम का सबसे बड़ा फेल्योर यह है कि उसने गवर्नमेन्ट को रुपया नहीं दिया है और आपको भी खुद इस बात का पता है, रुपया इकट्ठा करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यह इस बात का सबूत है कि आपको कितनी बड़ी फेल्यो का सामना करना पड़ा है । अब सवाल यह आता है कि उसे आप किधर ले जाना चाहते हैं? मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप इस तरह से देश को नहीं बचा सकते हैं । दूसरी जगहों में क्या हुआ । इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो बेसिस (basis) आपके जमीन्दारी अबालिशन का था, वह फेल हो गया है। अब दूसरा चा वह चाइना का रास्ता हो, रूस का रास्ता हो, इंगलैन्ड का रास्ता हो, लेकिन उससे व और भी दूभर हो गया है । मैं कहता हूं कि वह रास्ता तबाही का रास्ता है । इससे लोगों का दिल व दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है और जो मकसद इस जमीन्दारी अबालिशन का था, वह इससे कतई पूरा नहीं हुआ है । इस सिलसिले में जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि उन्होंने जमीन्दारी अबालिशन करके तरक्की का एक सुन्दर कदम उठाया है और आखीर में बोलते हुये कहा था कि अब इस बिल को पास करके हमने इस सूबे का अच्छा इन्तजाम कर लिया है और अगर इस तरह से देश में कम्यूनिज्म आ भी गया तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है। और वह इस देश में कभी भी पनपने नहीं पायेगा। बहरहाल, जो कुछ भी हो, जो कुछ उन्होंने कहा है उस सिलसिले में मैं इतना ही कह सकता हूं कि जमीन्दारी अबालिशन करके उन्होंने व्यक्तिगत सम्पत्ति (private property) की पवित्रता को क्षीण कर दिया है और प्रचलित है कि ईश्वर की तरफ से जो अमीर और गरीब के विचार थे, आपने इस नई पालिसी को अपना कर उनके विचार को तोड़ दिया है और आपने यह बता दिया है कि स्टेट की ही पालिसी ऐसी है, जो अमीरों को जन्म देती है और गरीबों को पैदा करती है और स्टेट की पालिसी से ही अमीर और गरीब एक हो सकते हैं । आपने इसके ऊपर इतना रुपया खर्च किया, मगर इससे आपका जो मकसद था, वह मकसद आपका खत्म हो गया है और आपका जमीन्दारी अबालिशन असली मकसद को डिफीट (defeat) करके एक फेल्योर टारजेट (failure target) हो गया है। इसलिये इसके बारें में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं । अब सवाल यह आता है कि आगे क्या भूमि व्यवस्था होगी तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूं। हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि जमीन्दारी अबालिशन द्वारा आप की सूबे में पहली शिकस्त हुई है । किसी को ३३ मार्क्स आउट आफ १७२ या ३३ मार्क्स ११० में से हो तो यह अच्छा या बुरा है वह तो उसी के तै करने की बात है कि उसने इतना ही क्यों पाया। आपका कैलकुलेशन फेल हो गया है, इसलिये उसमें जो खराबी है वह तो लौजीकल (logical) ही है।

कल चीन के बारे में कुछ चर्चा चल रही थी । मुझे तो चीन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जितने लोग आते हैं, आपके एम्बेसडर (Ambassador) लोग आते हैं और दूसरे लोग आते हैं वह सब यही कहते हैं कि वहां मासेज (masses) के अन्दर अजीब उत्साह है, वहां जगह-जगह पर बेकारी के खिलाफ और अन्य दूसरी

चीजों के खिलाफ जनता की अवाज बुलन्द है। मैं कहता हूं कि जिस मुल्क में जनता की कोई आवाज़ नहीं होती है उसका सप्रेशन (suppression) नहीं होता है। यह बात जो आपके एम्बेसडर हैं वे कहते हैं तो उनका क्या असर देश पर होता है यह बात तो सभी जानते हैं। उसे आप ऐसा कहें जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर चीन की स्थिति यहां होती तो अपोजिशन यहां नहीं बैठ सकते थे। मैं बड़े अदब से यह कहता हूं कि अगर चीन वाले यहां होते तो अपोजिशन यहां होता और कांग्रेस वाले कहीं नहीं दिखाई देते और वे पावर वाले नहीं हो सकते थे। यह इसका लाजिकली कान्सीक्वेन्सेज (consequences) है। आप रसा को ले लीजिये, रसा के १९१७ ई० के रेवोल्यूशन (revolution) को ही ले लीजिये कितना कम वायलेन्स था। तो यह तो एक मानी हुई बात है कि आज जो कुछ उधर के बैठने वाले हैं वही आज इधर वाले हैं।

बहरहाल चीन के बारे में इस तरह से तरह तरह की बातें कही जाती हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जो कुछ चीन में हुआ है वह यहां नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल के युग में यह कैसे पासिबिल (possible) हो सकता है क्योंकि जब यहां ब्लैकमार्केटिंग (black-marketing) हो सकता है, करप्शन (corruption) बढ़ सकता है, कैपटलिज्म आ सकता है, होर्डिंग हो सकता है गो इस इन्टरनेशनल (international) दुनिया में दैनिक जीवन के स्टैन्डर्ड का ख्याल रखते हुये सब कुछ मुमकिन हो सकता है और बाहर से सब कुछ एडाप्ट (adopt) भी किया जा सकता है। रसा में भी इस तरह से हुआ और स्टेन्डर्ड को सेटअप करने के लिये वहां कम्युनिज्म आया और फिर इसी तरह से चाइना में हुआ, तो इस मुल्क में भी क्यों नहीं आ सकता है। लेकिन इस तरह से कह देना कि यहां आ ही नहीं सकता है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हमें हर बात को फेस (face) करने के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये। वैसे ऐडमिनिस्ट्रेशन (administration) के सेटअप (set-up) से ही और उसके द्वारा की गई सर्विसेज से ही डेमोक्रेसी की जांच की जा सकती है। मैं जानता हूं कि आपका स्टेन्डर्ड ६ साल में क्या रहा, एक मिनिस्टर किसी बात का आदेश देता है, मगर जब दूसरा मिनिस्टर उसकी जगह पर बदल दिया जाता है तो वह उसको रद्द कर देता है। पिछले दिनों आनरेबुल मिनिस्टर आफ इनडस्ट्रीज ने एक आर्डर (order) पास कर दिया था, मगर जब मिनिस्टर बदल गये तो आर्डर भी बदल गया। तो यह कोई डैमोक्रेटिक उसूल का तरीका नहीं है और यह सर्विसेज का स्टेन्डर्ड नहीं कहा जा सकता। इस तरह करने से अच्छे स्टेन्डर्ड (standard) का ट्रेडिशन (tradition) कायम नहीं होगा और मुल्क में केआस (chaos) फैल जायेगा और उसकी हालत खराब होती चली जायगी। मगर आज तो अब सब बातें स्टेटिक्स के जरिये से साबित की जाती हैं। पता नहीं यह स्टेटिक्स क्या बला है? कन्ट्रोल लगाया या हटाया जाता है तो स्टेटिक्स दिये जाते हैं और इस तरह से स्टेटिक्स और फीगर्स देकर कह दिया जाता है कि इस सूबे में इतने क्राइम्स हुये हैं तो उसकी भी यह फीगर है और इतना मिस एप्रोप्रिएशन (missappropriation) है तो उसकी भी यह फीगर्स है। मैं तो इसके बारे में कुछ जानता नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि आपको इस बात का भी फख होना चाहिये कि आपको इतने ज्यादा वोट मिले मगर यह कैसे मिले यह मैं नहीं कह सकता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इतने वोट मिले और मुझे इस बात का कोई अफसोस भी नहीं है, मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि ६ साल के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लोगों ने कैसे उनको अपने सारे के सारे वोट दे दिये जबकि उसने उन लोगों के लिये कुछ भी नहीं किया। लोग कहते थे कि अगर कांग्रेस हार गई तो मुल्क में केआस हो जायेगा, इस मुल्क में कम्युनिज्म आ जायेगा और वह बरबाद हो जायेगा। मगर जब वह आज जीत गई तो मैं ही क्या हर एक यह मानता है कि वह डेमोक्रेटिक तरीके से जीती है। इसके खिलाफ

[श्री गोविन्द सहाय]

कोई कुछ भी नहीं कह सकता है, लेकिन इन सब बातों के होते हुये भी, डेमोक्रेसी होते हुये भी और इस देश के अन्दर लोहा, सोना और चांदी सब चीजें मिलते हुये भी आज इत क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, इतनी बेकारी क्यों फैली हुई है। डेमोक्रेसी में इस तरह से क्राइम्स क बढ़ना तो ठीक नहीं है। अगर पीपुल (people) का फाल्ट (fault) हो तो उसको ठी करने के लिये दूसरा सिस्टम (system) बनाइये, अगर सर्विसेज का फाल्ट हो त उसके लिए दूसरा सिस्टम आप लागू कीजिए जब तो आप मुल्क की तरक्की कर सक हैं। अपोजीशन का एक रोल होता है उसको वह पूरा करता है जहाँ तक कंस्ट्रक्टि सजेशन (constructive suggestion) देने की बात है वह जगह दूसरी है जैसे मैं कहना चाहता हूं आप अगर वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, बनायें। यदि पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं तो पुलिस स्टेट बनायें। जब पुलिस स्टेट हो जायें तो यह कम से कम हो ही जायेगा कि लोगों की जानोमाल की रक्षा होगी। ला ऐं आर्डर (law and order) मेन्टेन (maintain) होगा, लेकिन आपका तरीका है यह है कि आप वेलफेयर स्टेट भी बनाना चाहते हैं और पुलिस स्टेट भी बनाना चाह हैं और दुनिया में जितने और भी तरीके हैं उन सब को भी यहाँ लागू करना चाह हैं। इस तरह से आप मुल्क की तरक्की नहीं कर सकते हैं। अगर मुल्क की तरक्की करना है तो उसके लिए एक तरह की स्टेट बनाइये और उसके लिए पहले साल कुछ काम कीजिए और दूसरे साल और आगे बढ़िए। मैं समझता हूं कि आ को बड़ा अच्छा मौका मिला है अगर आप इसको नहीं कर पायेंगे तो इतिहा लिखने वाला दूसरी बात लिखेगा और मुल्क में केआस लाने की जिम्मेदारी आपक होगी न कि इधर के लोगों की।

चेयरमैन--कौंसिल स्थगित करने से पहले २ बातें मुझे आपसे कहनी हैं। एक तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे यहाँ का कायदा यह है कि चेयर को एड्रे (address) किया जाता है, विपक्ष को नहीं और आप शब्द का प्रयोग कम कीजिये आप से मतलब चेयर का होता है।

दूसरी बात यह है कि चेयर सदस्यों को इन्टरप्ट (interrupt) करना नहीं चाहती है। सदस्यों को समय का ख्याल खुद रखना चाहिये। आज मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन मेरे पास जितने नाम हैं सभी को बोलना है। ज्यादा बोलने के लिये और भी मौके मिलेंगे। कोशिश यह की जाय कि १५ या २० मिनट से ज्यादा कोई न बोलें और जहाँ तक हो सके बजट के संबंध में ही कहें।

कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(इस समय सदन की बैठक १ बजकर २ मिनट पर स्थगित हुई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन, (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

डिप्टी चेयरमैन--आज अभी ९ मेम्बरों को और बोलना है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक मेम्बर १५ या २० मिनट से ज्यादा न बोलें।

Sri Ram Kishore Sharma : Mr. Chairman, Sir, I have to congratulate the Finance Minister for presenting a budget which is neither revolutionary or reactionary nor a poor man's budget. It is a budget containing Development schemes which will increase the welfare of the masses in this State. Deficit budgeting is not against the canons of

public finance or the principles laid down by authorities on public finance like Dalton and others. Though many of the abstract principles which are being read out to this House may not be applicable to this country, because principles differ according to differences in the conditions of the country, every tax is not a bad tax. We judge the merit of the tax by its credit side and not by the revenue side. Our present budget is also a deficit budget, but excuse me, Sir, if I say that this deficit is rather an imaginary one. If we look to the figures which have been allotted to some of the departments I can assure you, Sir, that not more than 70 per cent. of that money is going to be spent by these departments during the remaining months of the year. I may give you two examples. The amount of rupees 9 crores which has been budgeted for the P.W.D. Buildings and Roads will not be spent during the year. I think a part of it at least will not be spent at all. Similarly about 11 crores of rupees have been granted to the Irrigation Department. Here, again, I fined that the money will not be spent during the year. Most of these grants are inflated grants and if a scrutiny is done, even now this deficit budget can be turned into a surplus one. The top priority given by the Finance Minister to most of the Development schemes is praiseworthy. He has got the welfare of the masses at heart. But I may be permitted to point out that the mild attitude of the State towards education and public health is not conducive rather detrimental to the interests of the citizens of this State.

It is gratifying to note that the Finance Minister has promised to wipe off the deficits of our universities. They need all financial help but this does not mean that the proper financial brake is not applied to the spending power of these Universities. For the efficient working and the smooth sailing of the affairs of these Universities and without stunting the autonomous nature in academic matters, it is desirable that in future all appointments be made by the Public Service Commission. This will enable the universities remedy the existing evils and fair name of the highest academic institutions of the Province will be kept untarnished.

Unfortunately, the Government has not made any provision for paying the dearness allowance to the teachers of the Government institutions, I see no reason why different treatment should be meted out to the teachers of the aided institutions. This step-motherly treatment is being felt by all. Give humanitarian treatment to these teachers when you want them to do some very essential service. You want them to produce future leaders and Ministers, and at the same time, you do not want to give them life worth living. Financial stringency or some other consideration may stand in the way of the State. For this purpose, my humble opinion is that the State can levy a small tax, you may call it the educational tax, on the rental value of the landed property in the Province. This property has earned a huge unearned increment and it is the claim of society to take some share out of this.

There is another important point. That is regarding the divorce which has been brought about between the Power Department and the Irrigation Department of this State. These two departments are allied and I am quite sure that if there is a complete reorganisation, a committee may be appointed to reorganise both these departments There will be a large saving running into lakhs of rupees and which will wipe off the deficit very easily.

[श्री राम किशोर शर्मा]

One glaring example of non-co-ordination between these two departments is the existence of more than 152 tube-wells lying in the western part of the State which had been constructed long ago but which are not in a working condition today simply because the Power Department is unable to co-operate with the Irrigation Department in suplying energy to these tube-wells. Had there been complete co-ordination, had there been complete understanding, this state of affairs would not have existed today? Unless we appoint a committee for this purpose and amalgamate these three departments, Agriculture, Power and Irrigation into one, we cannot have better harmony and better co-operation there.

Another point that calls for reform is the criminal waste of money by the Public Works Department and specially the Buildings and Roads Branch thereof where you find huge stocks of coal, iron and timber, etc. lying in the godowns for the last so many years. Why have they been purchased at all ? Perhaps there was plenty of money in the budget for them and the heads of Departments were obliged to go in for all these things before the close of the financial year so that the money may not lapse. There is scarcity of these materials in the open market but huge amounts of money are blocked up by the heads of Departments, irrespective of the convenience or otherwise of the people of this State.

There is another thing about the question of levying increased fare on the roadways. These fares have been increased so many times in the last few months that they are telling very heavily on the poor travelling public of these provinces. The fares are not increased because there is increase in the price of petrol, price of tyres or the price of spare parts. The increase is due to the fact that we have to foot the high cost of maintenance, bear the high losses due to negligence, corruption and nepotism which are rampant in the roadways these days. It has become common to see petrol, spare parts and everything being sold in the open streets in so many big cities of this State where these workshops are located. Let us appoint a committee to examine the entire working of the roadways and find out the economies which can be effected in the administration. We can even cut down the number of officials who have been provided with high salaries and cars and are drawing huge allowances. All this unnecessary expense causes deficit in the working of the roadways and compels us to increase the rates of these houses. There is another alternative. Let the roadways be converted into a public corporation and let it not be worked departmentally by the State Government. This will bring about more economies and it will be in the interest of the masses also. Let us not mince matters. Let us face the realities and stop the rising tide of corruption and dishonesty in these roadways.

Let me say one thing more about the non-inclusion of any member of this Council in the posts of Ministers or Deputy Ministers or even of Parliamentary Secretaries. This is a contemptuous ignoring of the members of this Council. We have not come here as mere guests. We have been elected by various constituencies and I think the future set up of the Government will take this point into consideration also.

Next there is something about the sugar scandal which was due to the slump in the prices of sugarcane. The prices of sugarcane went down very low but the prices of sugar in India is stationary. This has benefited the mill owners and capitalists who are building their palaces on the ruins of the poor growers. It is high time that this control on sugar be removed. Let sugar be sold at competitive rates in the market. I think it is not a secret that in the Rohilkhand Division a sort of supply slip which is called "Purji" is being sold at annas 4 to 8 a maund and whoever pays this premium gets the "Purji" from the society.

Again it is my duty to say that sufficient attention is not paid to the public health of the State. Our hospitals are ill-equipped. Our facilities of medical aid are very few. We need more hospitals and cheaper medical aid in the State.

Last but not the least important is an item regarding my own city of Bareilly which has over two lakhs of people and we are without water-works. It is the constituency of the Premier but even this claim does not entitle the management of the Municipal Board to receive a loan of a few lakhs of rupees for the purpose of improving the sanitation and public health of that big city.

I may be permitted to say in this connection that the Government has made a provision of 50 lakhs of rupees for the construction of a few tube-wells in the districts of Basti, Azamgarh and Ghazipur and I can say with some confidence that even a half of this amount will not be spent during the year. Part of this grant may be diverted towards a loan to some of these municipalities which are without water-works today.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं बजट के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। पूर्व इसके कि मैं इसके संबंध में कुछ कहूं मैं आनरेबुल वित्त मंत्री, (फाइनेन्स मिनिस्टर) (Finance Minister) का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने बजट के प्रारम्भिक भाषण में न सिर्फ गवर्नमेन्ट की वर्तमान स्थिति और कार्यक्रम बतलाया है कि गवर्नमेन्ट क्या करना चाहती है बल्कि उसके साथ उन्होंने हमको यह भी बतलाया है कि पिछले ५ साल में गवर्नमेन्ट ने किस किस दिशा में क्या क्या काम किया है। उसके देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी गवर्नमेन्ट इस ५ साल में कर सकी है वह ऐसा है कि उसके लिये कोई भी गवर्नमेन्ट गर्व कर सकती है और यह दावा कर सकती है कि उसने जो कुछ भी किया है वह देश के कल्याण के लिये बहुत काफी है। मैं तो यह समझता हूं कि पंचायत राज जो नया कानून उन्होंने बनाया है और तदनुसार ३६,००० पंचायतें जो उन्होंने कायम की हैं उससे प्रजातंत्र की जड़ को काफी मजबूत किया है। साथ ही जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाकर जमींदारी को खत्म किया है उससे एक बड़ी तादाद में कृषकों को दासता से मुक्त किया है जो सदियों से चली आती थी। अगर यही दो बातें होतीं तो भी हम कह सकते थे और मैं समझता हूं कि बहुत से भाई मुझ से सहमत होंगे कि यही दो बातें ऐसी हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि पिछले ५ साल में हमारी गवर्नमेन्ट ने यहाँ पर जो कुछ किया है उसमें काफी सफलता मिली है। लेकिन इसका यह मंशा नहीं है कि इससे हमको संतोष है। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में कहा है कि गवर्नमेन्ट भी जानती है कि उनको अभी बहुत कुछ करना है। गरीबी देश के अन्दर है बेरोजगारी है, यह सब जानते हैं। उस गरीबी को दूर करना है बेरोजगारी को दूर करना है। इसके लिये जो भी साधन इस्तेमाल किये जाने चाहिये उनको इस्तेमाल करना है और यह देखना है कि हमको किस रफ्तार के साथ उनको चलाना है। हमारे बहुत से भाइयों ने यह कहा है कि गवर्नमेन्ट ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। मैं तो खुद भी

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

मानता हूं कि हम बहुत से काम नहीं कर सके। लेकिन इसके यह माने नहीं है कि हमारी जो नियत है कि हम राज्य का कल्याण कर रहे हैं इसमें कोई शक है।

हम नये नये प्रोग्राम्स रोज बनाते हैं इस बजट के अन्दर भी बीसों मदें ऐसी रखी गई हैं जिनको अगर हम पूरा कर सकें तो देश का बहुत कल्याण हो सकता है। पंचवर्षीय योजना (Five Years Plan) का जिसका जिक्र मेरे एक दोस्त ने किया है, अगर हम देखें तो अगले चार साल में ६४ करोड़ रुपये इन मदों पर खर्च करना है अगर योजना की सब मदें पूरी हो जायं तो इससे हम राष्ट्र को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं कृषि, सिंचाई, बिजली वगैरह ऐसी चीजें हैं कि उनके संबंध में जो हमने अपना लक्ष्य रखा है उसको अगर हम पूरा कर सकें तो अपने राष्ट्र को हम कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से काम जो हमको करने हैं उनका तजकिरा उसमें है लेकिन अगर आप उनके महत्व को न समझकर कुछ न करें तो कोई लाभ देश का नहीं हो सकेगा। अगर जमींदारी एबालिशन से कोई फायदा उठाना है तो जितनी अनइकोनामिक होल्डिंग्स (uneconomic holdings) हैं हम उनकी चकबन्दी करके हम उनको इस अवस्था में लावें कि पैदावार बढ़ सके। मौजूदा अवस्था में काश्तकार को अपनी खेती में अधिक उत्साह नहीं होता, वह न उसकी हिफाजत ही कर सकता है और न पानी ही दे सकता है अगर उसके पास २५ बीघा जमीन है और वह सब एक जगह कर दी जाय तो काश्तकार को बहुत सहूलियत होगी। उसमें वह कुंआ बना सकता है सुरक्षा का प्रबन्ध कर सकता है दूसरी सहूलियतें पहुंचा सकता है और अगर उसमें दो मन फी बीघा पैदा होता था तो उसकी उपज तिगुनी व चौगुनी तक हो जायगी इसलिये मैं, गवर्नमेन्ट का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और अपील करता हूं कि वह चकबन्दी की तरफ ज्यादा ध्यान दे। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में इसका तजकिरा है। लेकिन मेरी समझ में जितनी तवज्जह हमारी इस तरफ होनी चाहिये उतनी नहीं है। सन् १९३९ में कान्सोलिडेशन आफ होलडिंग्स ऐक्ट (Consolidation of Holdings Act) पास हुआ था। उसके आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स (objects and reasons) से प्रकट होता है कि सरकार काश्तकार को मजबूर करके भी चकबन्दी करना चाहती थी, परन्तु उस कानून से भी इस आवश्यक काम में कोई सहारा नहीं मिला। अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कान्सोलिडेशन आफ होलडिंग्स ऐक्ट (Consolidation of Holdings Act) के अन्दर आवश्यक अमेन्डमेन्ट किये जायं ताकि चकबन्दी में असानी हो और उसमें जो दिक्कतें हैं वह दूर हो सकें। एक बात इस कानून में वैलुएशन यानी कम्पेंसेशन (compensation) की आती है इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि वह कम्पेनसेशन के रुपये रखना उचित न होगा, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अब जमींदारी उन्मूलन कानून बनने के उपरान्त राज्य के कल्याण के लिए यह जरूरी है कि चकबन्दी की व्यवस्था तुरन्त कर दी जाय और अगर ऐसा हो गया तो कोई वजह नहीं है कि हमारे देश की, पैदावार काफी न बढ़ सके।

इसके अलावा एक चीज और है जिसकी तरफ मैं गवर्नमेन्ट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह है कि काटेज इन्डस्ट्री (cottage industry) यानी जो छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज हैं। जो घरेलू इन्डस्ट्रीज हैं जिन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं उन की तरफ मैं खास तौर से अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पाँच वर्ष के प्लान को इस बजट में देखने से यह मालूम होता है कि हम इन्डस्ट्रियलाइजेशन (industrialization) की तरफ ज्यादा तवज्जह देना चाहते हैं बजाय छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज के मगर मैं यह समझता हूं कि इसमें हमारे देश का ज्यादा फायदा नहीं है। मुझे खुशी है कि पाँच साला योजना के बारे में प्लानिंग कमीशन ने इस बात को माना है और कहा है कि जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज (small scale Industries)

हैं उसको हमें फर्स्ट प्रायर्टी देनी है। इसलिये मैं अपनी गवर्नमेन्ट से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह विलेज इन्डस्ट्रीज (village industries), काटेज इन्डस्ट्रीज (cottage industries) और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के विकास के लिये एक ऐसी तजवीज बनाये, जिससे वह धन्धे बढ़ सकें और हमारा फायदा हो सके। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार ने कई टेक्निकल स्कूल खोले हैं और कितने ही प्रोडक्शन सेन्टर (production centre) भी बनाये हैं लेकिन इस से काम नहीं चल सकता है।

इसके साथ ही एक और सवाल यह भी है कि बहुत से लोग आज बेकारी के कारण परेशान हैं उनको काम, इम्प्लायमेंट (employment) नहीं मिलता। कुछ ऐसे भी हैं जो अन्डर इम्प्लायमेंट हैं क्योंकि जो काश्तकार हैं वे साल में १५० दिन औसतन बेकार रहते हैं इसलिये उनके लिये भी सप्लीमेन्टरी इम्पालायमेंट (supplementary employment) पैदा करना है। साथ ही साथ जो मिडिल क्लास कहलाती है उन में भी बेकारी दूर करने का सवाल है इसके अतिरिक्त जो हमारे शहरों के कालेजों से या यूनिवर्सिटियों से हजारों की तादाद में ग्रेजुयेट्स निकलते हैं वे सब दफ्तरों के ही दरवाजे झांकते हैं। उन को ऐसी शिक्षा मिलती है जिससे मुल्क का फायदा नहीं होता और उनकी मेन्टेलिटी (mentality) (मनोवृत्ति) दूसरी ही तरफ जाती है। जब तक आप उनके लिये काम पैदा नहीं करेंगे उस वक्त तक यह बेकारी और खास तौर से मिडिल क्लास (middle class) की बेकारी दूर नहीं हो सकती है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेन्ट के हर डिस्ट्रिक्ट में जहां गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं उन की जगह टेक्निकल स्कूल जारी किये जाने चाहिये जहाँ कि वोकेशनल ट्रेनिंग (vocational training) दी जा सकती है। मैं अपने जिले मेरठ की ही बात बतला सकता हूं। वहाँ पर इतने हाई स्कूल हैं कि गवर्नमेन्ट हाई स्कूल की कोई खास जरूरत नहीं है। गवर्नमेन्ट चाहे तो उसको टेक्निकल स्कूल बना सकती है।

इसके अलावा एक और बात अपने जिले की बाबत कह देना चाहता हूं। करीब १० साल हुये कि स्वर्गीय चौधरी मुख्तार सिंह ने, जिन्हें बहुत से लोग यहाँ जानते हैं, एक विज्ञान कला भवन दौराले में जारी किया था। उसका बहुत से मिनिस्टरों ने निरीक्षण किया है जिन में हमारे मुख्य मंत्री और श्री सम्पूर्णानन्द जी भी हैं। यह संस्था इस लाइन्स पर चलती है कि हिन्दी मिडिल पास लड़कों को उद्योगों की और वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है। जो लड़के पाँच साल का कोर्स कर के वहाँ से निकले हैं उन की बाबत कहा जा सकता है कि उन की साइन्टिफिक नालेज (scientific knowledge) जितना एस० सी० का होता है उतना अवश्य होता है। जहाँ तक उद्योग की शिक्षा का बी० सवाल है बहुत सी चीजें वहाँ ऐसी बनती थीं और उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वहाँ से निकलने के बाद वे लड़के इस काबिल हो जाते थे कि अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से जिस शख्स के दिमाग की वह चीज थी और जो उसे चला रहे थे, उनका करीब दो साल हुए इन्तकाल हो गया है और उस के बाद से वह संस्था बन्द पड़ी है।

मैं समझता हूं कि उस के पास करीब एक लाख से ज्यादा नकद रुपया है इसके अलावा करीब डेढ़–दो लाख की इमारत है और करीब दो लाख की मशीनरी है। यदि सरकार उस को अपने हाथ में ले ले और वहाँ एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन (technical institution) बना दे तो बहुत फायदा हो सकता है। उस पर जो कुछ खर्चा हो वह सरकार को करना चाहिए क्योंकि इसमें पढ़ कर बेचारे गरीब लड़के टेक्निकल एजुकेशन (technical education) हासिल कर सकेंगे और इस काबिल बन सकेंगे कि वह अपनी जिन्दगी में कुछ कर सकें। मैं मंत्री महोदय की तवज्जह एक और बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं। ३ जुलाई को मैं गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के एक ट्रेनिंग टेक्निकल स्कूल को देखने गया था। मेरे साथ मेरे मित्र श्री विष्णुशरण दुब्लिश, एम०

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

एल० ए० भी थे। इस इंस्टीट्यूशन में रेडिओ इन्जीनियरिंग (Radio engineering) वायरलेस (wireless) ट्रेनिंग, जिल्दसाजी, टेलरिंग (tailoring) प्रिंटिंग (printing) वगैरह की तालीम दी जाती है। इसमें दो तीन वर्ष पहले ६ सौ के करीब तालिबइल्म थे मैं समझता हूं कि राज्य के पश्चिमी भाग में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। इस किस्म के इंस्टीट्यूशन गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के हैं लेकिन उसका इन्तजाम यू० पी० सरकार के हाथ में है। यह इंस्टीट्यूशन मिलिट्री बैरेक्स में है और इन की कुछ छतें बिल्कुल बेकार हो गई हैं। अगर उसमें ५ या ६ हजार रुपया छतों की मरम्मत में लगा दिया जाय तो यह बिल्कुल ठीक हो जाय। मैं गवर्नमेन्ट की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं। चूंकि अब मेरा समय हो गया है, इसलिये अब मैं अपनी स्पीच को यहीं खत्म करता हूं। मुझे इस समय कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय न होने की वजह से विवश हूं।

श्री इन्द्र सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस भवन में विरोधी दल की तरफ से दो प्रमुख सदस्य के भाषण हुये। उन्होंने करीब दो घंटे तक भाषण दिया लेकिन उन्होंने बजट के संबंध में कोई ऐसी बात नहीं कही कि इस बजट में यह नुक्स है या इसमें यह कमी है या इसमें यह खराबी है इस को निकाल दिया जाय। दो घंटे के भाषण के बावजूद भी विरोधी दल के दो प्रमुख सदस्य इस बात को नहीं कह सके कि इसमें कोई खराबी है या यह कमी है, तो इसके यह माने हैं कि उनको इस बजट में कोई कमी नहीं मिली।

मेरे मित्र गोविन्द सहाय जी ने एक डिप्टी कलेक्टर का जिक्र किया जिसने कि कुछ अपमानजनक शब्द उनके कांग्रेस से निकल जाने के बाद कहे हैं। मैं समझता हूं वह डिप्टी कलेक्टर बहुत ही नालायक आदमी है उसको ऐसे अपमानजनक शब्द उनके प्रति नहीं प्रयोग करने चाहिये थे जबकि गोविन्द सहाय जी कहते हैं कि जब पहले वे कांग्रेस में थे तो वह उनकी खुशामद किया करता था। अगर उसने ऐसे अपमानजनक शब्द कहे तो उसका उदाहरण दे कर के यह कहा जाय कि सर्विसेज में सब लोग ऐसे ही हैं जिनको कुछ काम नहीं है सिवाय इसके कि वे नमस्ते करते फिरते हैं। मेरे ख्याल में इस तरह का नतीजा निकाल लेना बिल्कुल गलत है। ऐसे व्यक्तिगत बातों के आधार पर परसनल फीलिंग (personal feeling) के आधार पर इस भवन में बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर ऐसी बातें कहना मैं समझता हूं कि कोई माने नहीं रखता है और वह इस भवन की प्रतिष्ठा और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला नहीं है। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करूंगा कि आइन्दा वह अपनी पर्सनल फीलिंग (personal feeling) को ऐसे विषयों के अन्दर न लावेंगे। उनको काफी अरसा कांग्रेस को छोड़े हुए हो गया है, उनको अपनी व्यक्तिगत कड़ुवाहट को भूल जाना चाहिए। जो प्रश्न है उस पर प्रकाश डालने के लिये भवन के अन्दर इस प्रकार का भाषण करेंगे कि जिससे भवन को असली निर्णय पर पहुंचने में मदद मिल सके मैं समझता हूं कि वह इस प्रकार भवन की और स्वयं अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ायेंगे। इसी प्रकार की बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि लीडरशिप क्रैक्ड (cracked) है मुझे याद है कि जब वे राज्यपाल के सम्बोधन में बोले थे तो उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश की कांग्रेस की लीडरशिप उत्तम है और आज वह कहते हैं कि वही लीडरशिप क्रैक्ड है। जब जो कुछ उनकी भावना में आता है उसे बगैर सोचे-समझे कह डालते हैं आपने एक नई चीज कही है कि सरकार नीचे से चलती है मगर यह नहीं कहा कि सरकार हमेशा ऊपर से चलती है। यह ऐसी बातें हैं कि जिनके ऊपर ज्यादा कहना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता।

हमारे मित्र प्रोफेसर साहब ने एक लेक्चर दिया, लेकिन उनके लेक्चर में जो बजट की खास बातें हैं उनका कोई खास जिक्र नहीं है। टैक्स लगाने का क्या सिद्धान्त

है तो इसके अलावा कोई खास बात उन्होंने नहीं कही है जिससे बजट पर प्रकाश पड़ता। बजट में टैक्स लगाने के जो प्रस्ताव हैं वह उन सिद्धान्तों के अन्तर्गत हैं जिनको प्रोफेसर साहब ने पढ़कर सुनाया है।

इसलिये मैं भी उस मुबारकबाद में शरीक होता हूं जो कि वित्त मंत्री जी को कई दिनों से मिलती चली आ रही है और मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने इस बजट में प्रोवाइड किया है। जितना रुपया वह इस भवन और दूसरे भवन से मंजूरी के लिये माँग रहे हैं वह उनको दे दिया जाना चाहिये ताकि उसको वह राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में लगा सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों भवन उनको खुशी से इसकी मन्जूरी देने के लिये तैयार होंगे और इसके साथ ही साथ इस बात की भी आशा है कि सरकार अपने इस वर्ष के कार्यक्रम को पूरा करने में सफल होगी। जेनरल बजट के सिलसिले में मैं अपने जिले की जिन बातों की तरफ खास तौर से गवर्नमेन्ट का ध्यान दिलाना चाहता हूं उनमें से एक यह है कि हलद्वानी भाभर में सिचाई की इतनी कमी हो गई है कि लोग बहुत परेशान हैं और पीने के लिये पानी भी वहाँ हरएक इन्सान को नहीं मिल पा रहा है और न लोग सिचाई ही ठीक से कर पा रहे हैं। मैं इस बात की तरफ वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वे इसको प्रमुखता (top priority) देने की कोशिश करें। दूसरी बात जिसकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूं वह यह है कि नैनीताल जिले में जो छोटी छोटी आवश्यक सड़कें हैं जिससे कि वहाँ की जनता की भलाई हो सकती है और जिनमें कि जनता भी हमेशा कार्य करने के लिये और सहयोग देने के लिये तैयार है, उनको अगर ठीक से बना दिया जाय तो ज्यादा बेहतर नतीजा होगा। इसके सिलसिले में मैं इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनता के सहयोग से ही वह काम पूरा हो सकता है। तीसरी बात जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं वह यह है कि नैनीताल में डिग्री कालेज खुल गया है। चूंकि वहाँ भारत के सब प्रदेशों से लोग आते हैं और वहाँ नैनीताल, जो कि अंग्रेजों के जमाने में शिक्षा का एक अच्छा केन्द्र बना दिया गया था, अगर वहाँ एक विश्वविद्यालय खोल दिया जाय तो इससे सारे प्रदेश का ही हित नहीं होगा बल्कि इससे हमारे देश का भी हित होगा। तो इस ओर मैं उनका ध्यान विशेषतः आकर्षित करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--आपके २ मिनट और बाकी हैं।

श्री इन्द्र सिंह--आपने जितने मेम्बरों के नाम बोलने के लिये बताये हैं उनके लिये काफी समय बच रहेगा और ४ बजे तक सब काम खत्म हो जायेगा।

डिप्टी चेयरमैन--आपके २ मिनट बाकी हैं और समय दूसरों के लिये नहीं बचेगा।

श्री इन्द्र सिंह नयाल--जो मेम्बरों के नाम आपने बताये हैं जितना वक्त है उनमें काफी समय बच जायेगा। वैसे जैसी आपकी आज्ञा। मैं समाप्त कर सकता हूं।

मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। सरकार ने जो रुपयों की मंजूरी ली है उनकी योजनायें उत्तम हैं, वह योजनायें पूरी हो जायं तो देश का कल्याण हो जायेगा लेकिन इसमें यह जरूरी है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन (administration) की जो मशीनरी है जिसके द्वारा काम लेना है वह ठीक हो। अगर वह ठीक काम नहीं करती है तो आप की कोई स्कीम ठीक ढंग से पूरी नहीं हो सकती है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चाईना की तरह से भ्रष्टाचारी को गोली मारने की जरूरत नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार रोकने की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा इसको रोकने के लिये नई मशीनरी आप को बनानी होगी, आप को एक मिनिस्टर फार एन्टीकरप्शन (Minister for Anti Corruptions) के लिये बनाना होगा जिसके जिम्मे और कोई डिपार्टमेन्ट न हो और उसका सम्पर्क पब्लिक से हो वह गुप्तरूप से पूरी जानकारी रखे कि उसके यहाँ काम करने वाले क्या कर रहे हैं तो इस तरह से आप को एक मिनिस्टर रखना

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

चाहिये और उसको कोई दूसरा काम नहीं देना चाहिये जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक तरक्की नहीं हो सकती है, मैं सोचता हूं अगर इस सजेशन को सरकार गम्भीरता-पूर्वक विचार करेगी तो अच्छा होगा।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत के बालिग मताधिकार के द्वारा चुने हुये लेजिस्लेचर के सम्मुख हमारे माननीय वित्त मंत्री ने आज यह जो बहुत ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बजट रखा है मैं उसके लिये उनको बधाई देना चाहता हूं। देश में एक राजनीतिक क्रान्ति हुई जिसके फलस्वरूप हमको राजनीतिक आजादी प्राप्त हुई और उसके साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी बढ़ी और यह आवश्यक हो गया कि इस देश में आर्थिक क्रान्ति भी हो, जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठे। यह काम आज हमारे सामने है।

हमारी जो कांग्रेस सरकार पिछले ४-५ वर्षों से रही है उसका एकमात्र लक्ष्य यही रहा है कि इस आजादी के प्राप्त करने के बाद हमारे प्रदेश की आर्थिक उन्नति हो और जनता का जीवन-स्तर ऊंचा हो। जो आज बजट पेश किया गया है यह भी एक जरिया है आर्थिक उन्नति करने का। इससे हम अपने प्रदेश की उन्नति कर सकते हैं इसमें जो कुछ भी कार्य किया गया है उसमें काफी कुछ पिछले वर्षों और इस वर्ष में निर्माण-कार्य में खर्च किया गया है। इस वर्ष भी काफी रुपया निर्माण-कार्य में खर्च किये जाने की योजना है। इस आर्थिक क्रान्ति का एक बड़ा काम जमींदारी उन्मूलन का था। अब जमींदारी को खत्म कर दिया गया है और किसान को उसकी जमीन का मालिक बना दिया गया है यह एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रान्ति हुई है और भविष्य में यह कार्य स्वर्णाक्षरों में इतिहास में लिखा जायेगा। इसके जरिये से हमारी जनता का भी जीवन-स्तर काफी ऊंचा उठा है। हमारे किसानों की हालत पहले बहुत गिरी हुई थी। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है किसानों की काफी उन्नति हुई है उनका रहन-सहन भी ऊंचा हुआ है। पहले किसान बहुत काफी मेहनत भी करता था लेकिन फिर भी उसको ठीक प्रकार से खाना-कपड़ा नहीं मिलता था। आज किसानों ने काफी उन्नति की है। हमारे प्रान्त में ७१ फीसदी किसान हैं और उनका जीवन-स्तर काफी ऊंचा किया गया है। इस मौजूदा बजट में निर्माण-कार्य के लिये बहुत रुपया रखा गया है। इस सिलसिले में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि निर्माण योजनाओं में अगर पहले स्माल प्रोजेक्ट्स (small projects) लिये जायं तो बहुत अच्छा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काफी समय और रुपया लगता है। जनता के धैर्य की सीमा होती है। इसलिये यह जरूरी है कि पहले स्माल प्रोजेक्ट्स लिये जायं।

यहां यह भी कहा गया है कि यह एक डेफिशिट बजट है। सरकार चाहती तो सरप्लस बजट भी बना सकती थी। लेकिन उससे आर्थिक प्रगति और निर्माण का कार्य रुक जाता। इसलिये यह कहना कि यह डेफिशिट बजट है, ठीक नहीं मालूम होता है। जो निर्माण योजनायें पूरी की जा रही हैं वह हमारे लिये असेट हैं और भविष्य में हमारे लिये बहुत लाभप्रद साबित होंगी।

हमारे लिये यह भी जरूरी हो गया है कि हम फाइव इयर प्लान को इम्प्लीमेन्ट करें। इसके लिए भी हमको काफी धनराशि रखनी थी। जैसा कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है हम भी चाहते हैं कि जनता का स्तर ऊंचा से ऊंचा उठे। हम चाहते हैं कि किसानों की दशा और भी अच्छी हो। हम भी चाहते हैं कि विदेशों के किसानों की तरह हमारे देश के किसानों का भी रहन-सहन अच्छा हो, कलेक्टिव फार्मिंग हो। किसानों के रहने के लिए अच्छे मकान हों। उनके बच्चे भी तालीमयाफ्ता हों। लेकिन एक दिन में यह सब नहीं हो सकता। उसमें भी थोड़ा समय लगेगा।

मुझे ला ऐंड आर्डर (law and order) के सम्बन्ध में भी कुछ कहना है। हमारे यहाँ अब भी जो क्राइम्स की रिपोर्ट हैं वह पूरी की पूरी सरकार के सामने नहीं आतीं। वह काफी सप्रेस कर ली जाती हैं और बहुत कम क्राइम्स दिखाये जाते हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी सरकार सशंक रहे। मैंने सुना था कि ऐसा सरकुलर जारी हो गया है कि जो पुलिस थानों में रिपोर्टें आती हैं उनको किसी तरह भी छिपाया न जाये। अगर ऐसा है तो मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं। ब्रिटिश सरकार के जमाने में हथियार गाहे बेगाहे मिलते थे लेकिन आज गाँव-गाँव में काफी इल्लीगल आर्म्स हैं। इस तरफ भी सरकार को तवज्जह देना चाहिए कि कहाँ बनते हैं कैसे लोगों को उपलब्ध होते हैं।

कंट्रोल के मुतालिक मुझे यह निवेदन करना है वैसे तो बहुत काफी कहा जाता है कि सर्विसेज में काफी करप्शन है। लेकिन उसमें कुछ बढ़ा-चढ़ा कर कहा जाता है। लेकिन जहाँ तक कंट्रोल डिपार्टमेन्ट का ताल्लुक है उसमें करप्शन जरूर है। हम जनता तक जाते हैं इन चीजों को लेकर जनता हमसे बहुत कुछ कहती सुनती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ सख्त कदम उठाए। मैं चाहता हूं कि सप्लाई डिपार्टमेन्ट से शुरुआत कीजिये और यह देखा जाये कि इससे करप्शन खतम हो उसके लिये मेरा यह सुझाव है कि इस काम की शुरुआत ऊपर के अफसरों से हो जो सप्लाई विभाग के बड़े-बड़े अफसर हैं। उनके मुतालिक पब्लिक ओपीनियन का पता लगाया जाये। जाँच कराई जाये कि उनकी इन्टेग्रिटी डाउटफुल है या नहीं इसके लिये मैं सुझाव दूंगा कि दस आदमी नान-आफिशल में से और दस आफिशल आदमी लिए जावें। यह आदमी अलग-अलग पता लगावें, और इस बात का भी ध्यान रखा जावे कि न आफीशल्स को मालूम हो कि कौन कौन नान-आफिशल जाँच कर रहे हैं और न नान आफिशल्स को मालूम होने पावे कि कौन आफीशल्स जाँच कर रहे हैं। आफिशल्स और नान-आफिशल्स अलग-अलग अपनी रिपोर्ट सरकार को दें और उनकी रिपोर्ट पर सरकार कदम उठाये।

डिकंट्रोल जो हुआ है उसका प्रान्त में काफी तौर से स्वागत हुआ है। लेकिन अभी तक गल्ले का कंट्रोल हटा है और एक आध चीजों का कंट्रोल हटा है जिसका स्वागत जनता कर रही है। मगर अभी सीमेंट का कंट्रोल है उसकी वजह से जनता बड़ी परेशान है। काँग्रेस वालों को पिछले इलेक्शन में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है वह मिट्टी का तेल, सीमेन्ट वगैरह ऐसी चीजें हैं कि जहाँ कहीं मीटिंग करनी होती थी वहाँ यह समस्या हमारे सामने आती थी और यह समस्यायें काफी हमारे लिये नुकसानदेह साबित हुईं। सीमेन्ट कोई इसेन्शियल कमोडिटीज में से नहीं है जिसकी वजह से कोई भूका रहे। सरकार की तवज्जह मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं। हो सकता है सीमेन्ट का कंट्रोल हट जाने से कुछ दाम बढ़ जाये। १०-१५ रु० तक हो सकता है। दाम एक बार इसका बढ़ जाये फिर भी मैं अर्ज करूंगा कि सीमेन्ट से कंट्रोल हटा दिया जाय।

कोआपरेटिव आर्गेनाइजेशन की बाबत जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री ने कहा कि इस कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट पर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल गवर्नमेन्ट का होना चाहिये। जहाँ तक कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसायटीज का ताल्लुक है उनमें कोई अच्छा काम नहीं चल रहा है जो पदाधिकारी उनमें हैं जो जिम्मेदार लोग उसमें हैं उन लोगों ने काफी रुपया जनता का गबन किया है। यह काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कोआपरेटिव सोसाइटीज पर सरकार स्ट्रिक्ट वाच रखे वर्ना ऐसा होगा कि एक दिन जो इतना रुपया जनता का उसमें लगा है वह उसको वापस भी नहीं मिलेगा

डिप्टी चेयरमैन---२ मिनट सिर्फ और बाकी हैं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा—इम्प्लीमेन्टेशन के मुताल्लिक यह निवेदन करना है कि अभी तक जो इन्डस्ट्रीज के केसेज में अवार्ड्स (awards) हुये हैं बहुत से अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुये हैं। उसकी ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एजूकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है बड़ा ही खराब कार्य सरकार का रहा है। लेकिन मौजूदा बजट में इसकी ओर सरकार ने कोई तवज्जह नहीं दिया, मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे। एक खास बात घाटे की पूर्ती के लिये जो टैक्सेज की तरफ सरकार ने इशारा किया है उसके मुताल्लिक में निवेदन करना चाहता हूं कि सेल टैक्स से जनता काफी परेशान है, क्योंकि यह एक ऐसा टैक्स है कि किसी किसी कमोडिटीज पर मल्टीपल हो जाता है। यह एक ऐसा जुआ है कि इसमें दोनों पार्टी ही हारती है। इससें बढ़ाने का जो प्रपोजल है वह न हो। सेल्स टैक्स में लाइसेंस फी ६ रुपया लिया जाता है, हो सकता है कि सरकार उसको बढ़ाकर ८ रुपया करदें। उनकी तादाद ५० हजार या एक लाख हो सकती है और इससे भी रेवन्यू मिल सकती है और इससे डेफीसिट का कोटा पूरा हो सकता है। इसके अलावा हलवाइयों को जो चार आना सैकड़ा देकर एक्जेम्पशन (exemption) सर्टीफिकेट मिल सकता है वह अगर चार आना के बजाय छै आना हो जावे तो इससे कंज्यूमर्स पर उसका असर नहीं पड़ेगा। जनता पर सेल्स टैक्स का भार न डाला जाये। कमीशन एजेंट को जो २५ रुपये लेकर उनको जो सेल्स टैक्स की रसीद देने से बरी किया जाता है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। यह मैं सुझाव पेश करता हूं। सिर्फ एक बात मुझे जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बाबत कहना है। मैं सरकार की तवज्जह इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे विभागों में सेक्रेटरीज लोग जो काम कर रहे हैं उनके लिये ऐसा कर दिया जाये कि अगर वह चार वर्ष यहां काम करते हैं तो उनको चार वर्ष के लिये डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दिया जाये ताकि वह मासेज से कांटैक्ट कर सकें। ५ वर्ष यहां पर रहने से वह मासेज से बिल्कुल अलहदा हो जाते हैं। दूसरा एक सुझाव मेरा यह है कि हमारे माननीय मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर डिपार्टमेंटल हेड्स को मौका दें कि वह महीने में एक आध बार उनसे मिल लें, ताकि वह अपनी डिफिकल्टीज को आपके सामन रख सकें। यही मुझे निवेदन करना था। इसके साथ में माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा संस्कृत में बोलने की थी, किन्तु ज्ञात हुआ कि संस्कृत में व्याख्यान लिखने वाला कोई नहीं है, अतः विवश हो कर हिन्दी में ही बोल रहा हूं।

श्रीमान् वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेशीय राज्य का जो बजट (वार्षिक आय-व्यय लेखा) उपस्थित किया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। क्योंकि इस बड़े राज्य का यह प्राथमिक बजट है। सर्व प्रथम ऐसे सर्वांग पूर्ण बजट बनाना मंत्री जी के बुद्धि-कौशल को प्रकाशित करता है। इसलिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

इस समय में संस्कृत भाषा के विषय में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। प्राचीन काल में "संस्कृत भाषा" मनुष्य मात्र की भाषा थी। परन्तु अभाग्यवश भारत का शासन सूत्र सहस्त्रों वर्ष तक विदेशियों के हाथ रहने के कारण संस्कृत भाषा तथा उसकी प्रिय पुत्री हिन्दी का लोप सा हो गया। इसलिये संस्कृत भाषा मृतभाषा शब्द से व्यवहृत होने लगी। ऐसे समय में भी मुट्ठी भर चना खाकर निधन-त्यागी लोगों न अपना कर्तव्य समझ कर इसकी रक्षा की। हर्ष का विषय है कि भारत स्वतंत्र हुआ और अब देश का शासन अपने हाथ में है, अतः आशा है कि भारतीय मनुष्यमात्र की मान्य संस्कृत भाषा की उन्नति होगी, और प्रान्तों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में संस्कृत का अधिक प्रचार है। क्योंकि भूमंडल में काशी ही इसका केन्द्र है तथा वह इसी राज्य में स्थित है। इसी नगरी में लगभग १५० वर्ष पुराना राजकीय संस्कृत महाविद्यालय है, जो संस्कृत विद्वानों का गुरुकुल कहलाता है। इसकी परीक्षा में प्रतिवर्ष १५,००० (१५ सहस्त्र) के लगभग छात्र प्रविष्ट होते हैं और कई हजार उत्तीर्ण भी होते हैं। परन्तु उनकी जीविका के लिये धनिकों या संस्कृत भाषा के

उपासकों द्वारा संचालित विद्यालयों के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है। ऐसी दशा में संस्कृत के छात्रों ने संस्कृत के विद्वान माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री तथा आदरणीय मुख्य मंत्री पन्त जी की सेवा में निवेदन किया कि संस्कृत छात्रों के लिये जीविका का प्रबन्ध होना चाहिए। इनके निवेदन पर उन्होंने ध्यान भी दिया। उन्होंने संस्कृत परीक्षा में भी, व्यावहारिक ज्ञान-वृद्धि के लिये इंगलिश, भूगोल, इतिहास, अथशास्त्र, राजनीति, हिन्दी इत्यादि विषयों का समावेश कर दिया जिससे संस्कृत के छात्र भी प्रत्येक विभाग में कार्य कर सकें।

साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की, कि "इंगलिश लेकर प्रथमा परीक्षोत्तीर्ण छात्र, जूनियर हाई स्कूल के समकक्ष, इंगलिश लेकर पूर्वमध्यमोत्तीर्ण छात्र, मैट्रिकुलेट के समकक्ष, उत्तर मध्यमोत्तीर्ण छात्र, इन्टर के समक्ष का (इंगलिश के साथ) और इंगलिश लेकर शास्त्री उत्तीर्ण छात्र, बी० ए० के समक्ष माने जायेंगे।

जूनियर हाई स्कूल उत्तीर्ण, हाई स्कूल उत्तीर्ण, इन्टर तथा बी० ए० उत्तीर्ण छात्र जिन स्थानों के लिये जा सकते हैं उन्हीं के लिये क्रमशः प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, तथा शास्त्री के छात्र भी लिये जायेंगे। इन घोषणाओं से संस्कृत छात्रों में एक नया उत्साह आया।

सरकार की ओर से मिडिल स्कूलों में भी संस्कृत भाषा रख दी गयी जिससे वहां भी संस्कृताध्यापकों की आवश्यकता पड़ी। इससे संस्कृत छात्रों की समस्या कुछ हल सी होती दिखाई पड़ी और इसलिये माननीय श्री सम्पूर्णानन्द जी के प्रति संस्कृत विद्वानों की गाढ़ सद्भावना होती गई।

साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इस समय संस्कृत विद्यालयों की जो आर्थिक दशा चल रही है वह वस्तुतः शोचनीय है। उनमें अध्यापकों का वेतन बहुत ही कम है। वह भी यथा समय मिलता नहीं। विद्यालयों के संचालक नवीन विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इंगलिश आदि नवीन विषयों के सुयोग्य अध्यापकों के लिये अधिक द्रव्य की आवश्यकता पड़ेगी। अतः सरकार को इन नवीन विषयों के अध्यापकों के लिये विद्यालयों की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए। अन्यथा सरकार की उक्त घोषणा विफल होगी तथा संस्कृत भाषा के लिये भी घातक होगी। इस प्रान्त में १,४०० पाठशालायें हैं। इनमें केवल ४०० पाठशालाओं को ३ लाख के लगभग सहायता दी जाती है, शेष १,००० पाठशालायें सहायता रहित अपनी किसी भी हालत में चल रही हैं। ऐसी दशा में नवीन विषयों के पढ़ाने के लिये कथमपि प्रबन्ध नहीं हो सकता। अधिकांश पाठशालायें टूट जाने की अवस्था में हैं।

बजट में यह कहा गया है कि सब विभागों की अपेक्षा शिक्षा विभाग में अधिक व्यय किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है फिर भी लड़कों को स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा का विभाग कर दिया जाय तथा ऊंची शिक्षा उन्हें ही दी जाय जो प्रतिभा सम्पन्न हों और दूसरों की शिक्षा सीमित कर दी जाय। शिक्षा विभाग में होने वाली उच्छृंखलता रोकने में यह भी बड़ा सहायक होगा। पढ़ने में कमजोर छात्र ही अध्यापकों तथा परीक्षकों से द्वेष करते हैं तथा उद्दंडता करते हैं।

सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि यह कृषि प्रधान देश है और कृषकों की आवश्यकता है। अतः कम पढ़े लिखे लोग ही सुयोग्य कृषक हो सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा तथा कृषि उभय विभाग में सुधार हो सकता है।

आजकल प्रत्येक जगह इंगलिश संस्थाओं में उपद्रव सुने जाते हैं। इंगलिश पढ़ने वाले अधिकांश लड़के अध्यापकों को नौकर समझते हैं। परन्तु संस्कृत विभाग ऐसा नहीं है। संस्कृत के छात्र अपने अध्यापकों को पिता से भी बढ़कर पूज्य मानते हैं तथा श्रद्धा रखते हैं। साथ ही अध्यापक भी पुत्र से कम नहीं समझते। इसका क्या कारण है ? इसका कारण है संस्कृत साहित्य, जो काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं के त्याग के उपदेश से भरा पड़ा है।

[श्री सभापति उपाध्याय]

इसी में भारतीय संस्कृत भरी पड़ी है। यदि प्रत्येक विभाग में उपदेशप्रद शिक्षायें संस्कृत में दी जायं तो यह निश्चय है कि शिक्षा विभाग में उच्छृंखलता न होने पायेगी।

इसलिये मैं पुनः निवेदन करूंगा कि संस्कृत का ज्ञान प्रत्येक को होना चाहिए। इससे ईश्वर में आस्था होती है। कर्त्तव्याकर्त्तव्य रूप धर्माधर्म का ज्ञान होने के कारण बुराई आने की कम सम्भावना होती है।

श्री अब्दुल शकूर नजमी——जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, हाउस के सामने जो बजट पेश है उस पर इस हाउस में कई साहबान ने अपने २ नुक्ते निगाह से अपने अपने ख्यालात जाहिर किये हैं। मैं भी आप की इजाजत से इस बजट के बारे में कुछ अर्ज करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इससे पहिले कि मैं कुछ बातें पेश करूं, मौलिक तौर पर एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर देना कुछ जरूरी सा समझता हूं बात यह है कि मेरा ऐसा ख्याल है कि इस दुनिया में जो कोई भी इन्सान की शक्ल में आया है चाहे वह कितना बड़ा काबिल और योग्य इंसान ही क्यों न हों उससे किसी न किसी जगह पर गलतियों और भूलों का हो जाना लाजिमी बात है। इसी नुक्तेनिगाह को सामने रख कर, मैं बजट के बारे में अर्ज करता हूं कि यह बजट जो हाउस के सामने पेश है हर लिहाज से पूर्ण है या इसमें किसी भी स्थान पर कुछ कमी-वेशी की गुंजायश नहीं है। ऐसा मैं हरगिज नहीं मानता; लेकिन यहां पर सवाल किसी एक बात या कमी को लेकर मानने या न मानने का नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि हर चीज को जांचने की कोई न कोई कसौटी होती है। बजट को भी परखने की कोई न कोई कसौटी होनी चाहिये वर्ना वैसे हम सिवाय वाद विवाद के और किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे।

बाबू गोविन्द सहाय जी ने बजट को जांचने के बारे में और बातों के अलावा दो बातें खास तौर पर बतलाई हैं कि हमें देखना यह है कि बजट पेश करने वाली सरकार ने इस सूबे के रहने वाले लोगों की जिन्दगी का मेयार कितना ऊपर उठाया है या कितना ऊपर उठा है। दूसरे यह कि जनता की जरूरतों, मांगों को पूरा करने में सरकार किस हद तक सफल हुई है और जनता न शासन में सरकार को कितनी सहायता दी है। अगर यह सब कुछ ठीक हुआ है तो उनकी नजर से इस बजट और इसके संबंध में पेश किये गये विचारों पर भी भरोसा किया जा सकता है वर्ना नहीं।

(इस समय ३ बज कर २० मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

एक बात बजट को जांचने के बारे में मैं भी अर्ज करना चाहता हूं। वह उतनी बड़ी बात न सही जितनी बाबू गोविन्द सहाय जी ने पेश की है; लेकिन मेरा विचार है कि किसी भी बात को जांचने के लिये उसको सामूहिक रूप और मजमूई शक्ल में देखना चाहिये कि उसमें अच्छाइयां कितनी हैं और बुराइयां कितनी। अगर किसी चीज में हमको अच्छाइयां अधिक और बहुत ही अधिक दिखलाई पड़ें और बुराइयां कहीं कहीं नजर पड़ें तो जनाबे वाला मेरा जाती ख्याल है कि उस चीज के अच्छा होने के बारे में कुछ ज्यादा सबूत की जरूरत नहीं है। इसी ख्याल के पेशे नजर जब हम बजट पर गौर करते हैं तो जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, आप यकीन फरमायें कि हमको हमारा दिलो-दिमाग मजबूर करता है। इसलिये नहीं कि मैं कांग्रेस टिकट पर चुन कर आया हूं बल्कि इंसान होने की हैसियत से कि मैं इस बजट पर कांग्रेस सरकार के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को दिली मुबारकबाद और बधाई पेश करूं, मेरा ख्याल है कि यह बजट हमारे उत्तर प्रदेश की तवारीख में पहिला बजट है जो ग्रामों की पूरी पूरी आबादी तक काफी गहराई को लेकर आया है। वह बजट जिसमें ३० करोड़ रुपये के लगभग इस सूबे की आबादी की लिखाई-पढ़ाई और सड़कें बनाने पर खर्च किया जाता हो, उस बजट पर खोखला इत्यादि होने का एतराज किया जा रहा है। वैसे एतराज अपनी जगह पर कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर एतराज के पीछे कोई न कोई मंशा और मकसद छिपा हुआ होता है, वह एतराज जिनके उद्देश्य में यह जज्बा छिपा हुआ है कि हमारे सूबे की

रचना तेजी के साथ अच्छे ढंग से हो उस एतराज को सुनना ही पड़ेगा, उसको कहीं कहीं मान कर चलना और अमल भी करना पड़ेगा, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब कुछ एतराज केवल एतराज के लिये ही किये जाते हैं जिनका मकसद होता है जनता में गलतफहमी पैदा करना, सरकार की राह में रुकावटें डालना। इस प्रकार के एतराज करने वाले दो राहों और मार्गों को अपना कर चलते हैं। मैं इस बारे में अपनी बात साफ करने के लिये श्रीमान् की सेवा में दो मिसालें पेश करना चाहता हूं। पहली मिसाल तो हिटलर के प्रोपेगेन्डा मिनिस्टर डा० गोबिल्स की है जिसका अमल यह बतलाता है कि उसका कहना था कि अगर तुम चाहते हो कि जनता सही को गलत और गलत को सही समझने लगे तो सही बात पर ऐसे ढंग से बार बार एतराज करो, गलत बात को इतनी बार दुहराओ, इतनी बार दुहराओ कि जनता गलत को ही सही समझने लगे। दूसरी मिसाल रूसी सर जमीन पर कामरेड लेनिन ने पेश की है। हुआ यह कि एक बार जार शाही के बिल्कुल आखरी दौर में साइबेरिया के इलाके में बहुत जोरों का अकाल पड़ा; वहां के अकाल से दुखी लोगों की सहायता के लिये नाज बांटने, कपड़ा, दवाईयां इत्यादि देने के बारे में जार गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की, उस कमेटी में जार हुकूमत ने सभी दल के लोगों को शामिल किया। कम्युनिस्ट विचार के लोग भी शामिल किये गये, सब ने मिल कर अकाल पीड़ित लोगों की मदद के लिये काम शुरू कर दिया। जब कामरेड लेनिन को यह सब कुछ मालूम हुआ तो लेनिन ने कम्युनिस्ट विचार-वादियों को झाड़ते हुये कहा कि यह क्या जानें कि इन्कलाब और क्रान्तियां किस तरह हुआ करती हैं। इन लोगों को तो चाहिये था कि यह अनाज, कपड़ा इत्यादि साइबेरिया तक न पहुंचने देते, उस में आग लगा देते और तोड़ फोड़ करते। वहां के लोगों में जारशाही के खिलाफ एक नफरत और बेचैनी पैदा करके इन्कलाब और खूनी इन्कलाब लाने के लिये फिसाद उठाये।

श्रीमान् मैं आपके जरिये, हाउस के माननीय सदस्यों के सामने एतराज की यह दो तीन मोटी मोटी शक्लें रख कर यह अर्ज करना चाहता हूं कि पूरी पूरी संजीदगी को सामने रख कर सोचना चाहिये कि किस एतराज के पीछे कौन सी भावना काम कर रही है। अगर कोई एतराज ईमानदारी की बुनियाद पर किया गया है या किसी गलतफहमी का शिकार हो कर एतराज किया गया है तो बात कहने सुनने से साफ़ हो सकती है, लेकिन एतराज इसलिये किया गया है कि हुकूमत के खिलाफ नफ़रत पैदा हो, बेचैनी फैले और उससे नाजायज फायदा उठाया जावे तो इसके बारे में श्रीमान्, मैं इतना ही अर्ज कर सकता हूं कि हम सभी को हाउस की शान और विकार को सामने रख कर कहना-सुनना चाहिये।

अब मैं मुहतरिम प्रोफेसर मुकट बिहारी लाल साहब के एतराजों के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब ने कुछ कोटेशन पेश किये। कई अर्थशास्त्री नीतियों को भी बतला कर आखिर में फरमाया कि चूंकि सरकार ने पिछली बातों को न मान कर मनमानी की है और इन्हीं कोटेशन के आधार पर पेश किया गया कि आज की सरकार किसी भी अर्थ शास्त्री उसूल को नहीं मानती, मैं अपने बुजुर्ग से अर्ज़ करूंगा कि हमको केवल पिछली बातों को ही आधार बना कर नहीं देखना चाहिये। हमको देखना यह चाहिये कि समय के तक़ाज़ों को बजट ने किस हद तक पूरा किया है। अगर सचमुच बजट वक्त की नई नई मांगों को सामने रख कर बनाया गया है तो एक दो नहीं, बल्कि तमाम पिछली इक्तिसादी नीतियों के भी कोई ज्यादा मानी नहीं, वक्त बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। तमाम पिछले विचारों में या तो तब्दीली हो रही है या वह एक एक करके खतम हो रहे हैं। उनकी जगह नये २ विचार फैल रहे हैं। पिछली कहावतें तक बदल रही हैं। हममें से बहुत से लोग अपनी बातों में मिसालें दे चुके होंगे कि चिराग तले अंधेरा, लेकिन अब नये चिराग के नीचे अंधेरा नहीं होता है। ऊपर अंधेरा होता है, यह बल्ब बिजली के चिराग हैं तो एक प्रकार के हैं--देख लीजिये ऊपर अंधेरा है। अभी तवारीख मुकम्मिल नहीं हो गई है। उसमें बहुत से नये २ चेप्टर्स को जुड़ना है। वह बनती ही जावेगी। इसलिये बात तो पूरी उस समय हो सकती है जब हम बीते हुये दिनों के साथ साथ आज के युग को भी, जिसमें से होकर हम

[श्री अब्दुल शकूर नजमी]

गुज़र रहे हैं---उसको भी सामने रक्खें और आगे आने वाले दिनों पर भी निगाह बना रहें। ताने के तौर पर यह भी फरमाया गया है कि काँग्रेस वाले अपनी कुर्बानियों की च बहुत करते हैं, ताकि जनता पर असर पड़ता रहे। यह भी कहा गया है कि काँग्रेस से का अच्छी दूसरी पार्टियों या किसी खास पार्टी की नीति है। दावा यह भी किया गया है कि काँग्रेस को जनता का कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं रह गया है। इसके बारे में सिर्फ इत ही अर्ज़ करना काफ़ी है कि काँग्रेस वालों ने कभी यह दावा नहीं किया कि देश को आज़ाद करा के लिये केवल उन्होंने ही कुर्बानी की है; लेकिन जनता तो कुर्बानी के साथ २ क़ाबलिय और ईमानदारी भी परखना चाहती है। इसका तो फैसला हो चुका है कि काँग्रेस नीति इस समय दूसरी पार्टियों से कहीं ज्यादा बेहतर, साफ़ और ईमानदारी व क़ाबलियत आधारित है। रहा यह सवाल कि काँग्रेस को जनता का सहयोग हासिल है या न और है तो कितना ? इसका फैसला एक बार तो अभी कुछ दिनों पहले हो ही चुका जिसका सबूत इस सदन में बैठे हुये पार्टी के मेम्बर खुद भी हैं। अब कुछ दिनों बाद म डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन और बतलायेंगे कि हर एक फ्रन्ट पर ज किस के साथ है। इस हाउस के सदस्यों के सामने यह भी रक्खा गया कि यह सरकार पूंजी पतियों की सरकार है, ग़रीबों का खून चूस रही है जिस तरह बृटिश सरकार के ज़माने में सरमा दार थे वैसे ही आज भी मौजूद हैं। काँग्रेस सरकार सरमायादारों की ही भलाई के काम क रही है और इसके कुछ ही देर बाद प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि इस सरकार पर से लोगों भरोसा उठ गया है। वह पूंजीपति जो अंग्रेज़ सरकार के ज़माने में क़र्ज़ा लगाने के लि बेचैन से रहते थे वह आज बार बार सरकारी अपील करने पर भी क़र्ज़ देने को तैयार नहीं क्यों कि उनको सरकार पर विश्वास नहीं है। प्रोफेसर साहब ने जो कुछ फरमाया मैं तो समझता हूं कि यह सरकार उनकी निगाहों में सरमायादारों की है और सरमायादारों की भी है। प्रोफेसर साहब से ज्यादा क्या अर्ज़ करूं सिवाय इसके कि उनके विचार आ में खुद ही एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। सचाई यह है कि सरमायादारी को जिस त और तरीक़ों से खत्म किया जा रहा है वह अपनी आप मिसाल है। अंग्रेज़ी दौरे हुकू में सरमायादारों की क्या पोज़ीशन थी और आज किस जगह पर खड़े हैं। यह इत खुला हुआ फ़र्क़ है कि मैं इसके बारे में कुछ और अर्ज़ नहीं करना चाहता सिवाय इसके कि जिम्मेदार जगह से ज़िम्मेदारी की ही बात उठानी चाहिये।

अब मैं बाबू गोविन्द सहाय जी के कुछ विचारों के बारे में जिनकी मैं इज्जत भी करता अर्ज़ करना चाहता हूं। बाबू साहब ने फ़रमाया था कि काँग्रेस सरकार के ज़माने में जीव स्तर गिरा है, जिन्दगी का मैयार ऊपर नहीं उठा है। लोगों की माँगें पूरी नहीं हुई हैं। पैदाव अधिक नहीं बढ़ाई जा सकी है इत्यादि। श्रीमान् जी, अगर हम इंसाफ की बुनियाद क कर ग़ौर करें तो हम पायेंगे कि पिछले ५-६ सालों में हर ज़रूरी चीज़ की पैदावार में का इज़ाफ़ा हुआ है। सीमेन्ट, कपड़ा, ईंट, लोहे का सामान, टीन, बंजर ज़मीनों की नई नई जुता आबपाशी के लिये नये नये कुयें और तमाम छोटी बड़ी नहरें वग़ैरह। मगर हम समझ इ लिये नहीं पाते कि कुछ तो हम समझ बूझ कर भी समझना ही नहीं चाहते और कुछ ह शहरों को देखकर धोखा खाते हैं। वजह यह है कि कुछ अर्से पहले शहरों रहने वाले काफ़ी खुशहाल और पैसे वाले थे। ग्रामों की हालत जहाँ हमारे प्रदेश में फ़ीसदी आबादी रहती है काफ़ी खराब हालत थी, दोनों वक्त पेट भर खाना भी नहीं मि पाता था। मगर अब कुछ सालों से हालत अच्छी हुई। पैसा पास आया, जब पैसा हो है तो आदमी अच्छा खाना भी चाहता है, अच्छा पहिनना भी चाहता है और अच्छा सा मका बना कर रहना भी चाहता है। कुछ दिनों पहिले तो हालत यह थी कि किसान बाज़ार आकर कपड़े का मोल-भाव ज्यादा नहीं करता था। बस यह कहता था कि अच्छ से अच्छा कपड़ा दे दो। मैं श्रीमान् जी आप के ज़रिये बाबू साहब से अर्ज़ करूंगा कि पिछ ५ सालों में क़रीब २ ग्रामों में ४० फ़ी सदी पक्के मकान सीमेन्टेड बने हैं। मैं इटावा जिं

की बात खूब जानता हूं कि अब से पहिले जिन गावों में कच्चे ही कच्चे और वह भी बहुत टूटे फूटे मकानात थे वहाँ भी अब पक्के मकान नज़र आने लगे हैं। माननीय चेयरमैन साहब, मेरे अर्ज करने की मंशा यह है कि क़रीब २ सभी चीज़ों की पैदावार काफ़ी बढ़ाई गई है मगर माँग पहिले से कहीं अधिक है। पहिले माँग केवल शहरों तक ही थी और अब दूर दूर गाँव तक है और इसी से यह भी फैसला हो जाता है कि लोगों का मैयार ऊपर उठा है या नहीं।

इस हाउस में चीन जो हमारा पड़ोसी देश है उसके बारे में भी कहा गया है। वहाँ पिछले २ सालों में जो पैदावार बढ़ी है उसका तज़किरा किया गया है। ज़मींदारी उन्मूलन के बारे में भी मिसाल दी गई। बाबू गोविन्द सहाय जी ने यह भी फरमाया कि कांग्रेस के नेता चीन में जो कुछ हुआ है उससे डर और भय खा रहे हैं। जब चीन के बारे में बताते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उन पर खौफ़ सवार है। चीन में जहाँ तक पैदावार बढ़ने का सवाल है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिये। बात यह है कि जितना हमारे सूबे का कुल रक़बा है क़रीब-करीब इसी के बराबर चीन में ज़रखेज़ और उपजाऊ ज़मीन बेकार पड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ की खाना जंगी की वजह से सही तौर पर काम नहीं हो पा रहा था। वहाँ की खाना जंगी कितनी भयानक थी इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि लंदन जाने से कई साल पहले डा० अशरफ़ इटावा आये थे और उस वक्त उन्होंने चीन की खाना जंगी को बतलाते हुये कहा था कि लगभग एक करोड़ आदमी मारा जा चुका और बिल्कुल तबाह हो चुका है लेकिन अब जैसे ही शान्ति और अमन हुआ वह सब ज़रखेज़ ज़मीन जोत ली गई और चीन में सभी विचार के लोगों ने नये चीन की रचना के लिये एक नारे के सहारे काम किया। अपने यहाँ की तरह भांति-भांति की बोलियाँ नहीं थीं। जहाँ तक ज़मींदारी उन्मूलन का सवाल है, उत्तर प्रदेश का क़ानून कहीं ऊपर उठा हुआ है। चीन के क़ानून में खेती न करने वालों का भी ज़मीन पर हक़ माना गया है, तीसरे चेप्टर की १३ वीं धारा में साफ़-साफ़ है कि चीन के विधान में बाक़ायदा तौर पर यह मान लिया गया है कि जो ज़मीन किसानों की जायदाद है जिस पर खुद काश्त करते हैं या मज़दूरों से कराते हैं उसको और उनकी दूसरी सम्पत्ति को बचाया जायेगा। जितनी ज़मीन खुद काश्त पर लिये हुये हैं उतनी ही लगान पर दूसरों को भी उठा सकते हैं। दूसरे बाब के ६ ठवीं धारा में ऐसा ही है लेकिन अपने यहाँ का कानून साफ़ है। अधिक कुछ नहीं कहना है मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में ज़मीन का जोतने वाला ही ज़मीन का मालिक होगा। यहाँ पर चूंकि कुछ बातें याद आ गई हैं इसलिये माननीय चेयरमैन साहब, मैं उसूली तौर पर बजट के बारे में भी मुहतरिम फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि शहरों और कसबों में सूबे की सरकार की तरफ से जो हाउस टैक्स और जहाँ प्लानिंग हो रहा है जैसे इटावा वहाँ पर प्लानिंग टैक्स लगाने का इशारा किया गया है यह कुछ अच्छा क़दम नहीं होगा। शहर और क़सबे के लोग पहले से ही परेशान हैं। उनकी हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। उनके अंदर से अपनी रोज़मर्रा की जरूरतें पूरी करने की ताक़त भी खत्म सी होती जा रही है। उन लोगों पर यह टैक्स ज्यादती होगी प्लानिंग टैक्स को भी उस समय तक छोड़ दिया जाये जब तक साल डेढ़ साल में वहाँ के लोग प्लानिंग के असल उद्देश्य और उसके लाभों को न समझ लें।

मैं कुछ शब्द सेल टैक्स के बारे में भी अर्ज़ करना चाहता हूं और वह यह है कि इस वक्त सेल टैक्स लगने की जो शक्ल है वह परेशान करने वाली अधिक है। तीन तीन जगह टैक्स अजीबो ग़रीब शक्ल में लगता है। इस टैक्स को एक ही जगह ले लिया जाया करे। मेरे ख्याल से अगर सेन्टरल गवर्नमेंट से इस बारे में मिल कर कोई बीच का मार्ग निकाला जाय तो लोगों को कुछ राहत मिल जावेगी। मैं यह भी साफ़ कर दूं कि इस तरह से बजट में जो कमी और खसारा होगा उसको माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कुछ तो एक्साइज़ और सिनेमा वगैरह तफरीहगाहों पर टैक्स बढ़ाकर पूरा करें और बाकी का सरकारी एग्रीकल्चर फार्मों और जंगलात के मुहकमों से पूरा किया जाये। इनमें खर्च जितने अधिक हैं उस लिहाज़ से आमदनी नहीं है। खर्च कुछ न कुछ कम किया जा सकता है आमदनी भी

[श्री अब्दुल शकूर नजमी]

बढ़ाई जा सकती है। ऐसी गुंजाइश काफ़ी है। समय का ख्याल करते हुये मैं इसके सिर्फ इतना ही कह कर बाबू गोविन्द सहाय जी के एतराजों के बारे में अर्ज करूंगा। बाबू साहब ने एक तन्ज और व्यंग से भरा हुआ क़िस्सा सुना कर काँग्रेस सरकार का मजाक़ उड़ाया। फरमाया कि एक नायब तहसीलदार इस सरकार के जमाने में डिप्टी कलेक्टर बना दिये गये। जब मैं सरकार में था तो वह मुझको लेने के लिये जब मैं बिजनौर जाता था तो मुरादाबाद से आते थे और दिन में कई-कई बार फरशी सलाम करते थे; लेकिन जब मैंने काँग्रेस छोड़ दी तो एक बार एक मिनिस्टर साहब के साथ में बैठा हुआ था कि वही डिप्टी साहब आये। मिनिस्टर साहब ने हाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हुजूर सब ठीक है खराब आदमी जितने थे वे कांग्रेस से निकाल दिये गये। काँग्रेस ऐसे अफ़सर बना रही है। माननीय चेयरमैन साहब मुआफ किया जाये, मैं आप के जरिये बाबू गोविन्द सहाय जी से यह मालूम करना चाहता हूं कि यह नुक्ते-निगाह जो अब हाउस के सामने पेश किया है उस वक्त कहाँ था, जब वह खुद गवर्नमेंट में थे और उनको फरशी सलाम दिन में तीन–तीन बार दिये जाते थे। उसूल की बात तो तब होती जब वह उसी वक्त उसको डाँटते कि यह क्या वाहियात हरकत है, लेकिन उस वक्त खुश होना और अब ऐतराज की शक्ल में पेश करना कोई ऊपर उठी हुई बात नहीं है। मैं इस सवाल में तो पड़ना नहीं चाहता कि वह नायब तहसीलदार किसकी मेहरबानी से डिप्टी बने, क्योंकि उस वक्त तो बाबू साहब भी उन पर नजरे करम रख रहे थे। एक बात बाबू साहब ने जमींदारी उन्मूलन और बजट के बारे में फरमाई कि चूंकि बजट में दावे लम्बे चौड़े हैं, लेकिन काम अब तक कुछ भी नहीं हुआ, इसलिये नाकारा है। बजट अच्छा नहीं है और आगे कुछ और कहा जिसका मतलब है कि बजट बुरा भी नहीं है। ईश्वर की बातें भी की हैं। फरमाया गया है कि चूंकि कानूनी ढंग से जमींदारी खत्म की गई है इसलिये लोगों का भरोसा ईश्वर पर से हट जायेगा। पहिले तो लोग यह समझते थे कि अगर हम गरीब हैं तो ईश्वर की देन है, अगर अमीर हैं तो ईश्वर की देन है, लेकिन अब समझेंगे कि कानूनी ढंग से भी लोग अमीर, गरीब बनते हैं और इसलिये कांग्रेसी खुद कम्यूनिज्म को लाने के जिम्मेदार बन गये हैं, यह कोई अच्छी मिसाल नहीं है। अब मैं बाबू गोविन्द सहाय जी के इन विचारों के बारे में क्या अर्ज करूं सिवाय इसके कि बजट अच्छा भी है बुरा भी है। गरीबी दूर होनी चाहिये, लेकिन इस प्रकार से दूर हो कि ईश्वर से भरोसा न हटे। बाबू साहब ने एक ही नुक्ते पर कभी तो तारीफ की और कभी नुक्ताचीनी। इस मौके पर एक शेर कुछ मौजूं मालूम होता है अर्ज है :––

‘कभी खिंच गये वह मुझसे कभी दे दिया सहारा।
कभी पास से सदा दी कभी दूर से पुकारा ।।’

एक एतराज बाबू गोविन्द सहाय जी ने और फरमाया है कि कांग्रेस वाले चाइना में जो कम्यूनिज्म और सोशलिज्म आया है उसका डर और भय यहां के लोगों को दिखलाया करते हैं। माननीय चेयरमैन साहब मैं आपके जरिये बाबू साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि वह उनका भ्रम है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हिन्दुस्तान से चाइना कई डेपूटेशन गये और किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही। मैंने पं० सुन्दर लाल जी की चीन के बारे में पूरी तकरीर पढ़ी। कहीं जरा सा इशारा भी खौफ का नहीं है। कुमार अप्पा के विचार भी पढ़े बहुत ही सुलझे हुये और हमारे लिये काफी राह दिखाने वाले हैं। उनमें कहीं डर नहीं दिखलाया गया। अभी कुछ दिनों पहिले श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित की लीडरशिप में जो वफ्द चीन गया था जिसमें आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे व्यक्ति भी शामिल थे, उन्होंने भी वहां की किसी न किसी रूप में तारीफ करते हुये यहां के लोगों को कुछ बतलाया ही है। हां, एक बात जरूर है, जिसको कांग्रेस अच्छी निगाह से नहीं देखती, चीन में किसी भी इन्सान को यह हक नहीं है कि वह सरकार के किसी भी काम की निन्दा कर सके। कोई भी संगठन सरकार के विरोध में नहीं बनाया जा सकता, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ना होगा और लगभग १ लाख आदमी पिछले दिनों जान से मार भी दिये गये हैं।

कांग्रेस इन विचारों की जरूर निन्दा करती है। उसके सामने देश के बापू गांधी जी की दिखाई हुई राह और बतलाया हुआ मार्ग है कि हर इन्सान का पैदायशी हक है कि वह अपनी बात दूसरे के सामने रक्खे। अगर किसी को कोई बात किसी को समझानी है तो भाई-चारे के जज्बे से समझानी चाहिये। आज खून, जुनून और तलवार निकाल कर बात मनवाना मजबूती का सबब नहीं, बल्कि बगावतों को तैयार करता है। वह तलवार जो मियान से बाहर निकल आती है, पहले तो वह अपने दुश्मनों पर चलती है। चूंकि उसकी खून चाटने की आदत पड़ जाती है इसलिये वह मियान में नहीं आती फिर अपने भाइयों का खून बहाती है। सन् १९४७ में जो कुछ हुआ है वह इसका पूरा सबूत है। यह फर्क है जो कांग्रेस वाले बतलाते हैं। यह उसूल और सिद्धान्त की बात है अगर ऐसा न होता तो फिर यहां जो सच और झूठ मिला कर रात-दिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है वह हरगिज न होता। यहां तो एतराज की कोई सीमा और हद ही मुकर्रर नहीं है। लेकिन श्रीमान् यह तो हम सब को सोचना चाहिये कि हमारा फर्ज क्या है। समय का मुझे पूरा ख्याल है मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि हमारे कुछ बुजुर्गों ने नसीहत के तौर पर फरमाया है कि हाउस के सब सदस्यों को बहुत कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिये कि कैसे बोला जाता है, कैसे कहना चाहिये। इसमें तो शक नहीं कि नये लोगों को बहुत कुछ सीखना है; लेकिन हमारे बुजुर्गों को जिनके अनुभव की कोई हद् नहीं है जिनकी जानकारी की सीमा मुकर्रर नहीं की जा सकती है, उनको भी ऐसी बातें पेश फरमानी चाहिये जो उनकी शान के लायक और हाउस के विकार की दलील बन सकें।

इसलिये कि इस दुनिया में हर एक को किसी को किसी से और किसी को किसी से सीखना जीवन भर पड़ता है और वह कमी कभी पूरी नहीं होती, मगर सिखाना इस ढंग से चाहिये जिसमें सच्चाई, संजीदगी और गम्भीरता हो, उथलापन और गोबिल्स मार्का प्रोपेगन्डा न हो। आखिर में यह फिर अर्ज करूंगा कि हमको जिद में आकर कोई काम ऐसा न करना चाहिये जो हमारे देश और सूबे को जहन्नुम की तरफ ले जाने का सबब बने।

***श्री शिव सुमरन लाल जौहरी**--माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५२-५३ ई० के बजट पर बहुत सी तकरीरें इस सदन में हुई हैं और जो कुछ भी बातें हुई हैं उन सबका संबंध इस बजट से है और उस पर माननीय वित्त मंत्री स्वयं जवाब दे देंगे, मैं उन बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब जिस रिवोल्यूशनरी बजट के बारे में कह रहे थे और उन्होंने इंगलिश राइटर की एक मिसाल भी दी।

जो सामाजिक व्यवस्था आज हमारी है और जैसा कि उन्होंने यहां रिवोल्यूशनरी बजट पेश करने को कहा ह तो उससे तो मैं यही समझता हूं कि उनकी इस तरह की तकरीर से हमारे देश के लिये रिवोल्यूशनरी बजट पेश करना कतई हितकर नहीं हो सकता है। मुझे कुछ चन्द बातें और सुझाव इस बजट के सिलसिले में खास तौर से कहनी हैं। बजट में कुछ इस तरह के सुधारों की आवश्यकता भी है।

मैंने जब इस बजट को पढ़ा और जो वित्त मंत्री का भाषण है उसे भी पढ़ा उसमें हमारी, नीति, पालिसी यह है कि हमें इस राज्य में ऐसी हालत पैदा करना है जो जनता का आर्थिक विकास और दिमागी तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिये अनुकूल हो। मेरा कुछ फन्डामेन्टल डिफरेन्स है। कांग्रेस सेशन जयपूर में एक रिजोल्यूशन आया था, उसमें यह तै किया गया था कि हमारा उद्देश्य है कि हमें देश में वर्गविहीन समाज कायम करना है और कलकत्ते के सेशन में इसी तरह से पास हुआ था कि हमें कोआपरेटिव कामनवेल्थ (co-operative commonwealth) इसटैब्लिश (establish) करना है। उसका कोई परिभाषा कहीं नहीं की गई है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उसके माने यह है कि देश की सब सम्पत्ति सब लोगों के हित में सहकारिता के रूप में काम करेगी। तो मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इसका कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है। यहां

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शिव सुमरनलाल जौहरी]

(five years plan) पंचवर्षीय योजना का भी जिक्र किया गया है, लेकिन इसका कोई तजकिरा इसमें नहीं किया गया है। जो हमारा जयपुर का रिजोल्यूशन है और जो कलकत्ता सेशन का प्रस्ताव है उसके मुताबिक क्या यह बजट कोई पूर्ति करता है या नहीं। जो हमारा ध्येय है कि वर्गविहीन समाज कायम करेंगे और कोआपरेटिव कामनवेल्थ कायम करेंगे। मैं भी कांग्रेस का एक सदस्य हूं, मैं यह इसलिये पूछता हूं कि मुखालिफीन मुझसे पूंछते हैं और हमारी आलोचना करते हैं। मैं उनको जवाब दे भी देता हूं जो मेरी समझ में आता है और जो मेरे दूसरे साथी हैं वह भी जवाब दूसरे तरीके से देते हैं। सरकार उसका कुछ जवाब देती है हमारे दूसरे साथी दूसरा एक्सप्लेनेशन (explanation) देते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह निश्चित कर दिया जाय कि इसका क्या मतलब है और उसका क्यों जिक्र नहीं आता है। जो भी प्रस्ताव हैं वह हमारे प्रदेश के लिये हितकर है। क्या जो प्रस्ताव जयपुर में पास हुआ है और जो कलकत्ते में पास हुआ है उसकी पूर्ति इससे होती है और मैं जानना चाहता हूं कि उसकी पूर्ति के लिये क्या स्टैप लिये गये हैं ? इस बजट में २ बातें ऐसी हैं जिनको देखकर दुख होता है। हमारे यहां जमींदारी एबालीशन हुआ। हरएक ने जिक्र किया, मगर उसके साथ-साथ एक गरीब तबका भी है उसका जिक्र किसी ने नहीं किया। जितनी जमीन्दारों की तादाद है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके मुलाजिमान की तादाद भी बहुत है। बृटिश सरकार ने हमारे हाथ में जब बागडोर दी थी हमसे वादा करा लिया था कि जो सर्विसेज हैं उनके हक की रक्षा करनी होगी। जब जमीन्दारों से जमीन ले ली गई है और मुलाजिमीन की उपेक्षा नहीं करना चाहते हैं तो बजट में प्रावीजन होना चाहिये था। उनको भी डिसप्लेस्ड परसंस माना जाता। जो लोग इस तरह से अलग किये गये हैं उनके लिये प्रावीजन होना चाहिये था। मैं निवेदन करूंगा कि जिस समय जमीन्दारी अबालिशन का जिक्र किया गया था, उस समय मैंने एक यूनियन आर्गेनाइज किया था उसके द्वारा सरकार से इस बात की मांग की थी कि जो मुआविजा जमींदारों को दिया जा रहा है या जो रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दी जा रही है उसमें से कुछ हिस्सा उनके मुलाजमीन को भी दिया जाय जिनकी खिदमत करने में उम्र का सारा हिस्सा निकल गया। बदकिस्मती से वह यूनियन कामयाब न हो सकी। सरकार के वह भी अंग हैं वह भी प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस पर गौर करे। जो यह तबका निकाल दिया गया है वह अब क्या करेगा। अगर सरकार ने इस पर ध्यान न दिया तो इसका नतीजा खराब निकल सकता है। वह ऐसी बातें करेंगे जो समाज के लिये नुकसानदेह साबित हो सकती हैं।

तीसरी बात मुझे यह कहना है कि हमारे महामान्य राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में साफ शब्दों में यह कहा कि हमारी सर्विसेज अनक्लीन (unclean) और इनएफीशियेन्ट (inefficient) हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बजट में अनक्लीन को क्लीन करने के लिये और इनएफीशियेन्ट को एफीशियेन्ट करने के लिये क्या प्रोग्राम रखा गया है। मेरी समझ में तो यह आता है कि उसका कहीं तजकिरा तक नहीं किया गया है। हमारे गोविंद सहाय जी ने कहा कि बस सर्विसेज में गन्दगी होने का कारण यह है कि उन पर सरकार को विश्वास नहीं है लेकिन मेरा ख्याल यह है कि यह चीज गलत है। मेरा ख्याल है कि जो सरकार के रकीब हैं वह उन सर्विसेज पर जाल डालते हैं और इसलिये वह ऐसा करते हैं। आप देखिये कि जहां एक शुगर फैक्ट्री होती है वहां एक सिपाही की ड्यूटी होती है। उस सिपाही को ३० रुपया तनख्वाह, १५ रुपया एलाउन्स और ५ रुपया क्वार्टर का एलाउन्स मिलता है। इस तरह से उसको ५० रुपया मिलते हैं जबकि फैक्ट्री के अन्दर काम करने वाले को ६० या ६५ रुपया मिलते हैं। सिपाही को २४ घण्टे की ड्यूटी देनी पड़ती है जबकि मजदूर जो ६० या ६५ रुपया पाता है उसको कुल आठ घन्टे काम करना पड़ता है और इसके अलावा उसको ओवरटाइम (overtime) तथा बोनस दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो छोटी सर्विसेज में आते हैं, वह जब शुगर फैक्ट्री में नहीं लिये जाते

हैं तभी आते हैं। इस तरह से मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां राटेन लोग सर्विस के लिये आते हैं। पहले लोग सरकारी मुलाजिमत को प्रिफर किया करते थे, इसलिये कि उनको बहुत सी सुविधायें मिलती थीं, प्राइवेट सर्विसेज में पहले लोग जाना कम पसन्द करते थे, मगर आज बात बिल्कुल उल्टी है। तो मैं अर्ज करूंगा कि जमींदारी एबालिशन के बाद यह बात पैदा हो गई है कि एक हुकूमत फैक्ट्रीज की है और दूसरी सरकार की। पहले तो जमींदार फल वगैरा डिप्टियों के पास भेज दिया करते थे, लेकिन अब मिल मालिक उस काम को कर रहे हैं। जितनी जरूरतें होती हैं वह सब मिल मालिक रफा करते हैं। इस तरह से सबसे पहले वह काम होता है जो मिल मालिक चाहता है और उसके बाद वह काम होता है जो सरकार चाहती है। अभी आपके सामने मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि बिजली घर में एक मजदूर था। उसका मामला कन्सीलियेशन बोर्ड के पास था, लेकिन मालिक उसको क्वार्टर से निकालना चाहता था। एक दिन में ही पुलिस से इंक्वाइरी हो गई और उसी दिन सिटी मैजिस्ट्रेट का आर्डर हो गया कि क्वार्टर खाली कर दिया जाय। हालांकि मामला उसका कन्सीलियेशन बोर्ड के पास था। मैंने कहा कि जब तक मामला फैसल न हो जाय तब तक उसको न निकाला जाय। सिटी मैजिस्ट्रेट ने इस पर जवाब दिया कि एक कानून है जिसके मातहत वह नहीं रखा जा सकता, मैंने उनसे कहा कि अगर फांसी भी होती है तो कुछ कहने का मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक आर्डर है जिसमें इसका रहना जुर्म है। मैंने कहा कि अगर कोई जुर्म करता है तो उस पर मुकद्दमा चलाइये, लेकिन आपको यह हक नहीं है कि आप पुलिस की मदद लेकर क्वार्टर खाली करा लें। मैं इन तमाम बातों की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि सरकार को अपने रकीबों से होशियार रहने की जरूरत है। मेरा यह सुझाव है कि इन रकीबों पर निगाह रखी जाये। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। २८ मार्च सन् १९५२ को महामान्य राज्यपाल हमारे यहां तशरीफ ले गए और उन साहब के यहां गेस्ट (guest) हुए जिनके खिलाफ ५०० बोरे (bags) शुगर (sugar) की ब्लैकमार्केटिंग के संबंध में इन्क्वायरी हो रही थी। मैं अर्ज करूंगा कि ऐसी बातों पर बैन (ban) लगाया जाये कि..........

चेयरमैन--गवर्नर साहब के कार्यों पर टिप्पणी यहां न कीजिये।

श्री राजाराम शास्त्री--अब तो सब लोगों ने यहां सुन ही लिया।

श्री शिवसुमरन लाल जौहरी--मैं अफसरों के लिए बतलाना चाहता हूं, यह अन्दाज लगायें, मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि आज डकैत के यहां कोई डिप्टी कलेक्टर रहने चला जाये तो सरकार क्या राय कायम करेगी। लेकिन एक ब्लैक मार्केटियर के यहां दावत खाता रहे तो उसका क्या नतीजा होगा। इन चीजों को हटा देना चाहिए।

मैं दो विषयों पर खास तौर से कहना चाहता हूं। एक तो लेबर के ऊपर और दूसरे मद्य निषेध पर। किसी साहब ने इस पर रोशनी नहीं डाली। जो भाषण हुआ वित्त मंत्री का उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ १२ जिलों में मद्य निषेध को हम कर सके हैं। मगर इसमें एक संकेत है कि हम लोगों में एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शराब पीना खराब है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जितना प्रोपेगेंडा आप का कारगर नहीं है कि शराब न पीओ उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा इस बात का किया जाता है कि शराब पीओ। सन् १९३० से पहले शराब बिकने का यह तरीका था कि सरकारी दुकानें होती थीं और एक मुकर्ररा कीमत पर शराब की दुकान लाइसेंस पर दी जाती थी और लाइसेंसीज को हिदायत दी जाती थी कि इस कीमत पर शराब फरोख्त करो। मगर सन् १९३० और ३२ में कांग्रेस ने आन्दोलन किया, शराब की दुकानों पर धरना दिया। शराब का रेवेन्यू फाल हुआ। उस वक्त अंग्रेज सरकार थी। उसने कहा कि हम दुकानों का नीलाम करेंगे, उसने कहा कि मुकर्ररा कीमत पर शराब देंगे, लेकिन दुकानदार को अधिकार होगा कि जिस दाम पर वह चाहे बेचे। मैं कहता हूं, वह अंग्रेज सरकार थी, लेकिन हमारी सरकार को तो अगर वह बिजनेस भी करती है तो उसे माडल बिजनेसमैन होना चाहिए। जो ठेकेदार भट्टी लेता है वह चाहता है

[श्री शिवसुमरन लाल जौहरी]

कि चूंकि हमने इतना पैसा ज्यादा दिया है इसलिए हमारी शराब ज्यादा से ज्यादा बिकना चाहिए। मैंने इस बात का अनुभव किया है कि उन मोहल्लों में जहां मजदूर रहते हैं वह जाकर कहता है कि हम उधार शराब देते हैं, लिहाजा वह उधार शराब बेचता है और फिर पैसा जूते के जोर से वसूल करता है। मैं कहता हूं कि अगर आप मद्य निषेध फौरन नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरीक से जिससे शराब बिकती है उसको बन्द कीजिए।

लेबर प्राबलम के मुताल्लिक में यह बात कहना चाहता हूं कि यह ईमानदारी की बात है कि इस छोट पीरियड में सरकार ने जितनी सुविधा मजदूरों के लिए दी है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिसमें नये खर्चे की जरूरत पड़े। उसी मशीनरीज में, उसी खर्चे में काम हो सकता है और उसी से चारचाँद लग सकता है। सबसे बड़ी नुक़सानदेह बात जो है वह यह है कि १५ मार्च सन् १९५१ का जो सरकार का आर्डर है उसने मजदूरों को बहुत परेशान कर दिया है। सरकार ने कहा है कि जो औद्योगिक झगड़े हों वह पहले कन्सिलियेशन बोर्ड में जायं। अगर वहाँ तय न हों तो कन्सिलियेशन आफिसर सरकार में रिपोर्ट भेजे, फिर सरकार पंच मुक़र्रर करेगी। नतीजा इसका लम्बी प्रोसीडिंग्स का यह हुआ कि एक लम्बा अरसा लग जाता है और केस भी तय नहीं हो पाता। जैसा अभी कहा गया कि वह मशीनरी तो वैसे ही अब भी अनक्लीन है। ४–४, ६–६ चक्कर बराबर गवर्नमेंट में लगते हैं तब जाकर किसी का मामला ऐडजुडिकेशन में होता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि १५ मार्च सन् १९५१ का आर्डर सरकार तब्दील कर दे, ताकि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन मशीन का ताल्लुक़ है वह बड़ी सुस्त है। जिन पर आखिरी फैसला लेबर ट्रिब्युनल का हो गया है आज तक वह लागू नहीं किये गये। इसके लिये एक इन्सपेक्टर रखा जाये जो यह देखे कि कौन से ऐसे केसेज हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जहाँ पर ऐसा पाया जाय, उनसे वह रुपया जो उस पर लगा है, वापस किया जाय।

तीसरी बात लेबर वेलफेयर की है। जो किताब सरकार की ओर से सन् ५० में इस सिलसिले में छपी थी उसकी रिपोर्ट आसानी से आ गई है। मजदूरों के मुताल्लिक जितनी भी कमेटियाँ बैठीं उनमें से किसी से भी राहत मजदूरों को नहीं मिली। निमकर कमेटी पर काफ़ी रुपया सरकार ने खर्च किया। वह निमकर कमेटी की रिपोर्ट आउट भी हो गई, मगर अभी तक लागू नहीं हुई। उसी तरह से स्टैन्डर्डाइजेशन कमेटी है। अगर कोई मामला पेंडिंग हो तो उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, मगर मिल मालिक कोशिश करते हैं कि वह कामयाब न हो और दूसरी तरफ़ छटनी भी करते हैं। इसलिये मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि अगर स्टैन्डर्डाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट लागू होने वाली है तो ऐसा आर्डर हो जाय कि जब तक रिपोर्ट लागू न हो तब तक के लिये छटनी बन्द रहे। इसके अलावा एक चीज और है मजदूरों के शोषण को रोकने के लिये जो सरकार ने किया। मैं मजदूरों की तरफ उसके लिये सरकार को बधाई देता हूं। एक चीज मुझे क्वार्टर्स के मुताल्लिक और कहना है। बहुत से मिल मालिक ऐसे हैं जो क्वार्टर्स बनवाने के लिये तैयार नहीं हैं, हालाँकि सरकार उनको हेल्प (help) करने के लिये तैयार है। हमारे यहाँ पीलीभीत में एक शुगर फैक्ट्री है, जिसको सरकार एक लाख रुपया देने के लिये तैयार है, मगर वह बनवाने क्वार्टर्स के लिये तैयार नहीं है। आप उनको मजबूर करें कि वह क्वार्टर्स बनवायें। इसके बाद मुझे दो एक बातें डेवलपमेंट के बारे में कहना है। अब चूंकि मेरा समय कम है इसलिये मैं डेवलपमेंट के बारे में न कह कर कोआपरेटिव के बारे में कहूंगा। कोआपरेटिव के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। हमारा ख्याल है कि कोआपरेटिव जहाँ से खत्म होना चाहिये वहाँ से हमारे यहाँ शुरू होता है। कोआपरेटिव यहाँ पर इसलिये होता है कि गल्ला किस तरह से फरोख्त किया जाये। वह इसलिये नहीं है कि प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाया जाय। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये कुछ नहीं किया जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कोआपरेटिव मशीनरी है, उसका नाम अगर कोआपरेटिव के बजाय नानकोआपरेटिव रख

दिया जाये तो ठीक होगा। क्योंकि वह किसी बात में कोआपरेट नहीं करते। कोआपरेटिव के अफ़सर लोग नानआफिशल्स से कोआपरेट नहीं करना चाहते। जहाँ तक करप्शन का सवाल है मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा करप्शन शायद आजकल किसी डिपार्टमेंट में न होगा। मुझे इस बात की शिकायत नहीं है कि वहाँ पर करप्शन है। हाँ, इस बात की जरूर शिकायत है कि सरकार को इस करप्शन की बाबत कोई खबर नहीं है। मैं इसका एक इंस्टांस अपने यहाँ का देना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक गबन का केस था। जिस आडिटर ने उस ग़बन को पकड़ा था उसका ट्रांसफर टेलीग्राम से किया गया और उस सेक्रेटरी की हिमायत के लिये जिसने कि ग़बन किया था सारा डिपार्टमेंट दौड़ पड़ा। मैं भी चूंकि उसका मेम्बर था इसलिये मैंने उसके ऊपर एक्शन लेने के लिये सिफारिश की थी। उसकी मदद के लिये रजिस्ट्रार कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और दूसरे आफ़िशल्स भी आये। इस पर मैंने अपना इस्तीफ़ा भेज दिया और उसके अन्दर मैंने सारी बातें लिख दीं कि किन वजूहात की वजह से मैं यह इस्तीफ़ा दे रहा हूं। यह सब बातें जो हैं वह रिकार्ड में मौजूद हैं, लेकिन मेरे रेज़िगनेशन के कंटेंट्स की बाबत कोई ग़ौर नहीं किया गया और मेरा रेज़िगनेशन मंजूर कर लिया गया। बाद में उसी सेक्रेटरी के ऊपर सेशन से मुक़दमा चलाया गया। चूंकि वह केस अभी कोर्ट में है इसलिये मैं उसकी बाबत कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आखिर डिपार्टमेंट कब तक ऐसी बातों को छिपाता और डिपार्टमेंट को उसके ऊपर केस चलाना पड़ा। तो मेरा कहना यह था कि डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार से लेकर सब आफिसर्स एक हो गये क्योंकि मैं वहाँ पर एक नान-आफ़िशल मौजूद था। मेरे कहने का मतलब यह था कि उसके ऊपर पहिले भी ऐक्शन लिया जा सकता था और उससे यह होता कि 'प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर' लेकिन यहाँ तो मालूम यह होता है "कि क्योर इज़ बेटर दैन प्रिवेंशन"। मेरा समय चूंकि अब ख़त्म हो गया है इसलिये मैं अपना भाषण ख़त्म करता हूं।

श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरि प्रसाद—श्रीमान् सभापति जी, हमारे प्रान्त के वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसके लिए मैं उन्हें और गवर्नमेंट को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बजट में हमारे प्रदेश की भौतिक उन्नति के लिए जो कुछ किया जा सकता था किया गया, मनुष्य की आवश्यकता की जो चीज़ें हैं, जैसे कृषि है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही साथ सिंचाई के लिए ख़ास ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के ऊपर भी काफी ध्यान दिया गया है। इन सब चीज़ों के लिए मैं वित्त मंत्री और गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ दो एक चीज़ों के ऊपर मुझे कुछ सुझाव भी देना है। सिंचाई के संबंध में नहरों के बढ़ाने की तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा विचार है कि कुछ प्राकृतिक बाधाएं हैं जिनका चेक गवर्नमेंट के पास नहीं है और यही वजह है कि अक्सर फसल नहीं हो पाती है। अगर ऐसा है तो सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिये और अगर यह सही है कि बन कट जाने की वजह से मानसून और वर्षा में कमी है तो मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट को पेड़ अधिक से अधिक लगाने की कोशिश करनी चाहिये

इधर पेड़ों और जंगलात की रक्षा का जितना प्रयत्न किया गया है, नतीजा उसका उल्टा हुआ है और बाग़ात और जंगलात अधिकाधिक नष्ट किये हैं। कुछ पंडितों का कहना है कि वैदिक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि जंगल के पेड़ों में बरना (वरुण) के पेड़ में मेघा (मानसून) को आकर्षित करने की शक्ति है और इस पेड़ की उपस्थिति जल वृष्टि में सहायक होती है। यह बात समझ में भी आती है। जल का देवता वरुण वैदिक साहित्य में माना गया है और उसी के नाम पर इस वृक्ष का नाम रक्खा गया है। सम्भव है यह नाम इसी अर्थ के साथ रक्खा गया है। बरना या वरुण वृक्ष की इस जलवर्षक शक्ति का अन्वेषण गवर्नमेंट को कराना चाहिये और यदि बात सही निकले तो इस प्राकृतिक साधन से लाभ उठाना चाहिए।

स्वास्थ्य और चिकित्सा की तरफ गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है, आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहन दिया है। यह पद्धति विशेषतः वनस्पतियों पर अवलम्बित है, मगर जो वनस्पति हैं वह जंगलों के न रहने से अप्राप्त हैं इसलिये उनके लिए यह आवश्यक है कि बनस्पति उद्यान

[श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरि प्रसाद]

बनाये जायं और साथ ही सार्वजनिक सड़कों के किनारे ऐसे पेड़ लगाये जायं जिनको लोग अपने बागों में लगाना पसन्द न करते हों और जो औषधियों के काम आते हों। शहरों में मकान बनाने के लिये हाउसिंग सोसाइटी की तरफ बजट में काफ़ी ध्यान रखा गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने उतना ध्यान नहीं दिया है जितना होना चाहिए था। मैं अपने जिले का जिक्र करता हूं। तीन चार वर्ष पहले वहाँ एक सोसाइटी का निर्माण हुआ था और उसने ३०-३२ बीघा जमीन मकान बनाने के लिये अक्वायर करना चाहा था, लेकिन आज तीन साल हो गये अभी तक वह ३०-३२ बीघा अक्वायर नहीं की जा सकी है।

दूसरी तरफ मैंने देखा कि मिर्जापुर जिले में गवर्नमेंट ने रेलवे के लिए इसी क़ानून के मातहत तीन महीने के अन्दर ही जमीन अक्वायर कर ली। तो इस तरह से या तो सरकारी कर्मचारियों की शिथिलता इस तरह हो सकती है या यह कहा जा सकता है कि अगर सरकारी काम हो तो दूसरी तरह से होता है और जनता का सीधा काम हो तो दूसरी तरह से होता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरफ काफी ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद गवर्नमेंट ने जो महत्वपूर्ण काम इस समय जमींदारी उन्मूलन का किया है, उसके संबंध में काफ़ी कहा जा चुका है। उसके संबंध में ज्यादा कह कर मैं समय नष्ट नहीं करना चाहता। इस तरह से विभिन्न चीजों की ओर ध्यान दे कर हमारी गवर्नमेंट ने भौतिक उन्नति का, काफ़ी प्रयास किया है। हमारे माननीय सदस्य प्रो० मुकुट बिहारी लाल ने इस पर आपत्ति की थी कि इस बजट में जितनी भौतिक उन्नति का ध्यान रखा गया है उतनी आध्यात्मिक और मानवी उन्नति का ख्याल नहीं रखा गया है और इस बजट को केवल भौतिक बजट ही कहना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि राजनीति इहलौकिक है और जितना उसका संबंध भौतिक मामलों से है उतना आध्यात्मिक और मानवी से नहीं है। आपको याद होगा कि जब आप कांग्रेस के अन्दर थे और हम भी कांग्रेस के अन्दर थे उस समय कांग्रेस के जितने भी उत्सव आदि काम होते थे वह बन्देमातरम् गायन के साथ शुरू होते थे। आप भी उसका महत्व देते थे। वहाँ उन्हें विश्व बन्दना या ईश्वर बन्दना से नहीं आरम्भ करते थे। समस्त राजनैतिक संगठन भौतिक या लौकिक होते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट का निर्माण भी मुख्यतयः भौतिक अभ्युदय के लिए होता है। इसीलिए हमारी कांग्रेस सरकार ने भी भौतिक उन्नति की तरफ विशेष ध्यान दिया है। जबतक हमारे शरीर तन्दुरुस्त और बलवान नहीं होंगे, तबतक हमारी बुद्धि और मन भी बलवान नहीं हो सकते। जब हमारी बुद्धि शक्तिशाली नहीं होगी तो मानवी और आध्यात्मिक बातों पर कुछ सोच-विचार नहीं हो सकता है। इसलिये हमारी सरकार ने भौतिक उन्नति का विशेष ध्यान दिया है, जिससे आध्यात्मिक तथा मानवीय उन्नति में भौतिक उन्नति सहायता दे सके।

माननीय सदस्य मुकुट बिहारीलाल जी ने कुछ आदर्श सिद्धान्त को उद्धृत करके उनकी कसौटी पर गवर्नमेंट को कसकर देखा और कहा कि गवर्नमेंट इन पर काम नहीं कर रही है। मगर ये काम आदर्शपूर्ण होते हैं और उनकी पूर्ति आंशिक और शनैः-शनैः होती है। अगर हमारी शिशु सरकार उन आदर्शों पर पूरी नहीं उतरती तो आश्चर्य ही क्या है? हमको अपनी शक्ति के अनुसार काम करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सरकार की प्रगति उस ओर है या नहीं?

गवर्नमेंट ने विकास के कामों को करने के लिए इस बजट में कुछ टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। मैं यह मानता हूं कि उसको इस तरह के काम करने के लिए टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ पहले यह बात भी सोचने की है कि अखराजात में कुछ कमी हो सकती है या नहीं? मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के कई ऐसे विभाग हैं जिन पर उसको किफ़ायत के लिए ध्यान देना चाहिए, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामान्य प्रशासन और ट्रान्सपोर्ट विभाग, सिंचाई के संबंध में भी किसानों पर टैक्स लगाने की बात है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहाँ पर सिंचाई का साधन है वहाँ

पर किसानों को कुछ परेशानियाँ भी हैं। अगर उनको नहर विभाग के भ्रष्टाचार से बचाया जा सके तो किसान खुशी से बढ़ा हुआ टैक्स दे देगा। किसानों को भ्रष्टाचार से बचाने की भी बहुत जरूरत है। टैक्स लगाने के साथ ही साथ सरकार को भ्रष्टाचार रोकने की भी कोशिश करनी चाहिए। सरकार शहरों में घरबारा टैक्स लगाने का भी विचार कर रही है। शहरों में अधिकांश मध्यमवर्ग के लोग रहते हैं जो आर्थिक संकट से परेशान हैं। उन पर यह टैक्स लगाना उचित और समयानुकूल नहीं प्रतीत होता।

सरकार ने साम्प्रदायिकता का उन्मूलन कर सराहनीय कार्य किया है और उसमें आशातीत सफलता प्राप्त की है, लेकिन अब मैं उसका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जहाँ साम्प्रदायिकता का विनाश हुआ है वहाँ उसके साथ ही जाति और उपजातिवाद का जन्म हो गया है और वह तेजी से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को इनकी रोकथाम की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं गवर्नमेंट को भौतिक अभ्युदय और कल्याण में सहायक बजट को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं। किन्तु हम अपनी सरकार का इस ओर सजग रहने के लिए भी ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कहीं नौकरशाही भार और सत्ता से प्रजातन्त्र को हानि न हो जाये। नौकरशाही, शक्ति और सत्ता कहीं प्रजातंत्र के लिए घातक न हो जाय इस ओर भी काफ़ी ध्यान रक्खा जाये। मुझे आशा है कि गवर्नमेंट का जहाँ विकास और निर्माण की ओर ध्यान है, वहाँ वह इस तरह की बातों का भी ध्यान रखेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी के इधर दो एक भाषणों से ऐसी सजगता का आभास भी मिलता है और मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस तरफ भी काफ़ी ध्यान देगी और इस तरह से हमारा बजट हमारे सूबे के लिये बहुत कारगर और उपयोगी सिद्ध होगा। मैं इन शब्दों के साथ गवर्नमेंट को पुनः एक उत्तम बजट के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री विश्वनाथ--माननीय चेयरमैन महोदय, हमारे सम्मुख आज जो सन् ५२--५३ के वित्तीय वर्ष के आय व्यय का आनुमानिक लेखा उपस्थित है उसके साँगोपांग, मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ सका, लेकिन थोड़े से समय में जितना कुछ भी सम्भव था और जो कुछ देखने में मैं समर्थ रहा, उसको पढ़ने और देखने के बाद मेरी यह धारणा हुई कि यह योजना जो पेश की गई है वह वास्तव में देश को और हमारे राज्य को आगे ले जाने वाली है और इसमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है। हमारे राज्य के लिये सबसे महत्व का प्रश्न अन्न का है और वह भी इसके अन्दर है और इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं जिनको रख करके हमारे वित्त मंत्री ने हमारी दिक्कतों को बहुत कुछ दूर करने का संकल्प किया है। अतएव मैं इस आय व्यय के लेखे का स्वागत और समर्थन करता हूं।

यद्यपि आय व्यय का रूप बहुत ही अच्छे और सुन्दर ढंग से रक्खा गया है फिर भी हमारे भवन के कुछ माननीय सदस्यों ने विरोध किया है। परन्तु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह तो शायद उन लोगों का सैद्धान्तिक मतभेद है और इसका कारण उनके आंखों के ऊपर लगे चश्मे के रंग की बात है। वे अगर अपनी आँखों पर सफेद चश्मा लगाये हैं तो उनको दुनियाँ सफेद दिखलाई देती है और जब कभी दूसरे किस्म का चश्मा लगाते हैं तो उसी क़िस्म की दुनियाँ उनको दिखलाई देती है। मैं यह मानता हूं और जानता हूं कि जो बजट पेश है वह हर तरह से सम्पूर्ण नहीं है। इसमें बहुत सी बातों की त्रुटियाँ भी हैं। आज जो बजट बनाया गया है उससे भी अच्छा बजट बन सकता था और इससे अच्छी प्रगति की जा सकती थी और जनता का उससे भी अधिक हित हो सकता था। जैसी सूरत इस बजट की रक्खी गई है उससे भी अच्छी सूरत रखी जा सकती थी अगर हमारे साथी जो आजादी की लड़ाई में कन्धे से कन्धा मिलाकर हम लोगों के साथ चलते थे, आज भी हमारे साथ होते, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी मिलने के बाद ही हमारे देश में अनेकों दल बन गये और इन दलों का हमारे देश के प्रति यह कर्त्तव्य होना चाहिये था कि हम तमाम लोग एक दिल से, एक मन से, इस देश के कल्याण के लिये कोई ऐसा रास्ता निकालते, जिससे इस सरकार को उन्नतमय बनाते।

[श्री विश्वनाथ]

यह कमी जो इस बजट में दिखलाई देती है वह मैं समझता हूं कि यह उन्हीं भाइयों के जोश का फल है जो आज अलग होकर हमारे साथ सहयोग न करके और देश के निर्माण कार्य में भाग न लेकर, रचनात्मक कार्यों की आलोचना करते हैं।

श्रीमान्, मैं एक किसान हूं और किसान होने के नाते उनकी दिक्कतों को भी खूब समझता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि आज किसानों को क्या परेशानी है और अगर किसानों की समस्या ठीक ढंग से हल हो गई तो अन्न की जो कठिनाई और मुश्किल हमारे मुल्क में है, वह कठिनाई फिर हर्गिज नहीं होगी। अन्न की समस्या हल हो जाने से हमारे मुल्क की सबसे विकट समस्या हल हो जायेगी। हमारे मुल्क में आज तीन विकट समस्यायें हैं और उन सबमें अधिक विकट समस्या अन्न की ही है। इस समस्या को हल करने के लिये सिंचाई की सबसे पहले आवश्यकता है। जैसा कि हमारी सूबे की सरकार भी जानती है कि इसकी कितनी आवश्यकता है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि सिंचाई की व्यवस्था हो जाने के बाद यह कठिनाई दूर हो जायेगी। लेकिन इस सिंचाई के साथ ही साथ हमें चकबन्दी की ओर भी ध्यान देना चाहिये। इससे हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार इस समस्या को हल कर सकेगी। मैं भी यह समझता हूं कि ये ऐसे तरीके हैं जिससे कि हमारे देश की समस्यायें जल्द से जल्द हल हो सकेंगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण में दिया भी है कि चकबन्दी भी होनी चाहिये। किसानों के छिटके हुये खेतों को चकबन्दी से ही इकट्ठा किया जा सकता है और मैं समझता हूं कि चकबन्दी का करना आज बहुत ही जरूरी चीज है। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आज किसानों के खेतों की चकबन्दी कर दी जाय और जो रुपया इधर-उधर खर्च किया जा रहा है वह सब उस पर खर्च किया जाय तो आज हमारे सामने जो अन्न की कठिनाई दिखलाई दे रही है, वह हमारी समस्या जल्द ही हल हो जायेगी। आज किसानों के खेतों की चकबन्दी का होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और यह सबसे पहले होनी चाहिये। फिर दूसरी बात सहयोगी फार्मिंग के बारे में है, उसका होना भी बहुत जरूरी है। अन्न की समस्या सहयोगी फार्मिंग से भी हल हो जायेगी, लेकिन आज किसानों की माली हालत अच्छी नहीं है। अतः सहयोगी फार्मिंग अधिक खर्चीला पड़ेगा उनके लिये उसको चलाने में पूरी सफलता भी नहीं मिलेगी। परन्तु यह कमी भी चकबन्दी करने से दूर की जा सकती है। अन्न के मसले को लेकर आज बम्बई में सत्याग्रह चल रहा है, समाजवादी भाइयों ने सत्याग्रह किया है। आज इस तरह के सत्याग्रह और दुराग्रह से इस देश को बचाने के लिये अन्न की समस्या को सुधारना ही हमारा सबसे पहला काम है। हमें मंहगे अनाज को सस्ता भी करना है और इसके लिये हमें अन्न की उपज में हर क़िस्म के सुधार करने की जरूरत है।

परन्तु आज जो अन्न सस्ता और मंहगा कहा जाता है, मैं समझता हूं कि बाजार में जब गल्ला अधिक आ जाता है तो अन्न का भाव सस्ता हो जाता है, अगर गल्ला कम आता है या व्यापारी रख लेते हैं तो बाजार का भाव मंहगा हो जाता है। यह गल्ले के मंहगे और सस्ते होने का तरीका है। लेकिन यह तरीका गलत है। मुझे निवेदन तो यह करना है कि वास्तव में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने का तरीका दूसरा है। मैं समाजवादी भाइयों और अर्थ शास्त्रियों से निवेदन करूंगा कि यदि वे वास्तव में अन्न के भाव को देखें तो वह समझेंगे कि क्या भाव होना चाहिये। जैसा कि राज्य सरकार ने माना है कि सवा छै एकड़ इकानामिक होल्डिंग हो सकती है। उसको मानते हुये और प्रोफेसर साहब के ख्यालात की क़दर करते हुये कि कम से कम आमदनी १५० रु० होनी चाहिये उसको भी मद्देनजर रखते हुये, मैंने देखा कि जो आज अन्न का भाव है, वह अन्न का भाव सस्ता है। मैंने बहुत तरीके से हिसाब लगाया और मूल्य निकाला परन्तु मुझे वह मंहगा नहीं मालूम होता है। हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो क्योंकि मैं पढ़ा-लिखा आदमी नहीं हूं। मुमकिन है कि आगे किसी के भाषण के द्वारा या लेख द्वारा मेरी जो शंका है उसका समाधान हो जाय। लेकिन आज जो शंका है, वह इस वक्त तक मौजूद है। मैं समाजवादी भाइयों से निवेदन करूंगा, जो अपने को काश्तकारों का

पथप्रदर्शक कहते हैं और अपनी सब से ज्यादा हमदर्दी किसानों के साथ दिखाते हैं, वह इस बात को भी जानते हैं कि इस मुल्क का तीन-चौथाई हिस्सा किसान है। यदि वह यह चाहते हैं कि उनको हर तरह से सहूलियत रहे जैसा कि उनका सिद्धान्त भी है कि "बहुत जनों का बहुत हित" तो उनका पहला धर्म और कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह अन्न के भाव पर विचार करें जिससे ७५ फ़ीसदी आदमियों का सम्बन्ध है। इन बातों को देखते हुये भी वह किस प्रकार से उनकी उपेक्षा करते हैं। मेरा ख्याल है कि वह उपेक्षा इसलिये करते हैं कि किसान गरीब है, अपढ़ है, वह उनकी चाल नहीं समझते हैं। और शहर के रहने वाले और मजदूर जो हैं वह समझदार हैं, वह अपनी मांग के लिये शोर मचा सकते हैं, इसलिये उनकी उपेक्षा नहीं हो सकती है। इस दृष्टिकोण से वह किसानों को देखते हैं। इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि वे फिर से इस बात पर विचार करें। मैं समझता हूं कि इस पर विचार किया जायेगा तो निश्चय ही जो सत्याग्रह बम्बई में चल रहा है वह न होगा। मैं उनको चैलेन्ज करता हूं और कहता हूं कि वह इस परिस्थिति पर गौर करें और विचार करें कि मेरा कहना सत्य है या असत्य है।

मैं तमाम बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस समय हमारे देश में तीन समस्यायें मुख्य हैं, जिन पर हमें विचार करना आवश्यक है। सबसे पहले तो अन्न की समस्या है। दूसरी समस्या शिक्षा की है और तीसरी समस्या जातिवाद की है। जिस रूप में यह जातिवाद चल पड़ा है वह बहुत ही खतरनाक है। शिक्षा के विषय में मैं दो एक शब्द निवेदन करना चाहता हूं। आज की शिक्षा हमको बेकार बनाती है। हमारे रहन-सहन के स्तर को इतना ऊंचा कर देती है कि वह हमारे लिये एक भार सा हो जाता है। इन सब बातों को देखते हुये यह जरूरी है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाय। मेरा विश्वास है कि अगर परिवर्तन नहीं किया गया और यह इसी प्रकार चलती रही, तो यह हमारे देश के विनाश का कारण होगी। बहुत मुमकिन है कि हमारे मुल्क में आगे चल कर एक खूनी क्रान्ति हो। इसलिये समय रहते हमें समझ जाना चाहिये और शिक्षा में परिवर्तन करना चाहिये।

इसके बाद एक बात की चर्चा करते हुये मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो बजट इस भवन के समक्ष पेश हुआ है उसको ३ दिन के अन्दर पढ़ कर और विचार करके सुन्दर राय देना कुछ कठिन है। होना तो यह चाहिये, कि बैठक होने से एक महीना पहले हम लोगों के पास लेखा भेज दिया जाय, जिससे हम उस पर विचार कर सकें और जब बैठक हो तो यहाँ आकर अपने विचार गवर्नमेंट के सम्मुख रख सकें। उसके बाद केबिनेट उस पर बैठ कर विचार करे। बजट के फेल और पास का प्रश्न इस वक्त न होना चाहिये, बल्कि गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिये कि जो राय दी गई है वह ठीक है या नहीं। सरकार के सामने कोई पक्ष या विपक्ष का प्रश्न नहीं है। जो सुन्दर सलाह हो, चाहे वह किसी पक्ष की हो उसको मान लेना चाहिये और हमारी सरकार मान भी लेती है। फिर संशोधित बजट पास होना चाहिये। बजट बन गया, फिर उस पर बहस हुई और कोई नतीजा न हुआ तो उससे क्या फायदा है। अभी तो पार्टी की बहस में भी बजट नहीं आता है। इसलिये जो बजट रखने का तरीक़ा अब है, वह सही नहीं है। यह विदेशी ढंग और तरीक़ा हमारी मानसिक गुलामी का प्रतीक है।

एक बात हमारे भाई गोविंद सहाय जी ने कही है। उन्होंने कहा कि जमींदारी उन्मूलन के बाद वह लोग जो अब तक आँख बन्द किये खाते हैं उनकी आँखें खुल जायेंगी। आंखें खुल जाने के बाद बहुत मुमकिन है कि वह कम्युनिस्ट बन जायं। मुझे ऐसी बात उनके मुंह से सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ। मैं कहता हूं कि जो सत्य है वह सत्य होकर रहेगा उसे छिपाया नहीं जा सकता है। अगर वह कम्युनिस्ट बन जाते हैं तो इसमें डरने की क्या बात है। पर मेरा ख्याल है कि गोविंद सहाय जैसा वक्ता जब जनता के समक्ष जायगा और वास्तविकता बतलायगा तो वह कम्युनिस्ट नहीं बनेंगे।

[श्री विश्वनाथ]

बल्कि कम्यूनिज्म में क्या खराबियां हैं इसको वह आसानी से समझ सकेंगे। मैं जानता हूं कि गांधीवाद और साम्यवाद का विकास काल एक ही ढंग का होता है। परन्तु साध्य तक पहुंचने के लिए जो साम्यवाद के साधन हैं वह अचूक पवित्र और उतने सुंदर नहीं हैं जितने कि गांधीवाद के हैं। गांधीवाद के साधनों से ही संसार को ऊपर उठाया जा सकता है। हमारे समाजवादी तथा किसान मजदूर प्रजा पार्टी के भाइयों जैसा साथी होते हुए, भले ही वह आज हमसे अलग क्यों न हो गए हों इस बात का डर हमको नहीं होना चाहिए कि सारा देश कम्युनिस्ट हो जायेगा।

इतना कह कर मैं चेयरमैन साहब से क्षमा प्रार्थी हूं, इसलिए कि शायद एक मिनट अधिक हो गया है, जिसके लिए उन्हें सूचना देनी पड़ी।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस समय जो हमारा बजट पेश है उस पर काफी तरीके से और करीब करीब हर पहलू से बहस हुई। जैसा कि पिछली बार राज्यपाल के भाषणों के समय बहुत से सज्जनों ने भाषण किया था और उसके दौरान में यह बात उन्होंने रखी थी कि हमारे इस भवन में वक्तताओं का स्टैंडर्ड पहले के मुकाबिले में नीचे दर्जे का है। आप मुझे क्षमा करें आज जितने भाषण मैंने यहां सुने प्रारम्भ में मेरा विचार इन भाषणों के बारे में वही था जो पहले वाले भाषणों के संबंध में था। लेकिन ज्यों ज्यों मैं सुनता गया मैंने देखा, कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर हो कर कहना पड़ता है कि यह तो एक डिबेटिंग सोसायटी प्रमाणित हो रही है। हम लोगों को यहां पर हाई स्टैंडर्ड रखना चाहिए। और उसी दृष्टिकोण से जितने अनुदान इसमें रखे गए हैं उन पर विचार करना चाहिए। कमी-बेशी सब बातों में हो सकती है टीका-टिप्पणी अच्छी से अच्छी बात की हो सकती है। मैं किसी पक्ष में या विपक्ष में नहीं कह रहा हूं। प्रोफेसर साहब ने जो अपना भाषण दिया था, उन्होंने बजट के संबंध में जो अर्थशास्त्र के सिद्धान्त हैं उसी नुक्तेनजर से आज के बजट को कसौटी पर कसने का प्रयत्न किया, और यदि उनको कहीं कहीं उद्धरण देने पड़े तो उसके लिए वह मजबूर थे। लेकिन उस पर कुछ भाइयों ने जो छींटे कसे उनके लिए मैं समझता हूं कि भवन के लिए शोभा की बात न थी।

मुझे केवल शिक्षा के संबंध में कहना है। इस वर्ष ८,११,१२,८००० रु० की रकम शिक्षा के लिए रखी गई है और शायद इतनी रकम किसी और मद में नहीं रखी गई। लेकिन अगर हम इसे उन अनुदानों के अनुपात से देखें तो हमें मालूम पड़ेगा। अगर हम इन आंकड़ों को गौर से देखें तो मालूम होगा कि दिन ब दिन यह फीसदी में कम होते जा रहे हैं।

५०-५१ में जहां यह ११.५८ फीसदी थे और ५१-५२ में वह १०.२३ हो गया अब की वर्ष ९.४२ फीसदी रह गया। इसी तरह से रेकरिंग इक्सपेन्डिचर की रकम ५०-५१ में १३.७ फीसदी, ५१-५२ में १३ फीसदी और इस वर्ष बजट में वह अब १२.४ फीसदी रह गया है। क्या हम इससे नहीं कह सकते कि देखने में रकम बहुत है मगर फीसदी को देखें तो हमारी फीसदी घटती जा रही है। साथ ही आपको इस बात को भूलना नहीं चाहिय कि इधर ३-४ साल के दौरान में स्कूलों की संख्या बढ़ गई है। १५ सौ के करीब उनकी संख्या हो गई है। अगर इस बात को देखा जाय तो मालूम होगा। यद्यपि एक ओर ८ करोड़ के करीब व्यय कर रहे हैं किन्तु इसका अनुपात कम होता जा रहा है नेशनल प्लैनिंग कमेटी में यह बात कही गई थी :

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

"The economic backwardness of the country is responsible in part for the deficient quality and content of Education, for the low level of economic development and faulty education."

इस उदाहरण से हम जानते थे कि कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन होगा। यदि आप अपने देश के बजट को रूस के बजट की शिक्षा के खर्च से मिलान करें तो वहां जब पांचवां हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है तो यहां आप दसवां हिस्सा खर्च कर रहे हैं। इससे क्या आप कह सकते हैं कि यह ८ करोड़ की रकम जो आप खर्च कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा है। इन बातों को जाने दीजिये। अब जो शिक्षा का ढंग है उन पर आइए। प्राइमरी शिक्षा यहां पर बड़े जोर शोर से बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस रूप से गाड़ी चल रही है अगर देखा जाय तो क्या हम कह सकते हैं कि वास्तव में प्रारम्भिक शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। अध्यापकों और विद्यार्थियों की दशा को जाने दीजिये। जहां पर शिक्षा दी जाती है उसके भवन के लिये आपके बजट में फीगर्स दी गई हैं। जहां २२ हजार प्रारम्भिक शिक्षा स्कूल खुलने की स्कीम थी, वहां पर इस वर्ष केवल १२ हजार एक सौ स्कूल खोले गये। उनमें से नौ हजार स्कूलों के लिये भवन ही नहीं बनवाये गये। इनमें से केवल दो सौ स्कूलों के भवनों के लिये एक हजार रुपया मंजूर किया गया है। अगर आप इसका अनुपात देखें तो आपको मालूम होगा ४४ के अनुपात से है। स्कूलों के लिये इमारतें बनवाने का पहिले ध्यान रखना चाहिये था। इस अनुपात से अगर आप स्कूल बनवाते जायें तो ४५ वर्षों में स्कूल बन पायेंगे। तो क्या आप विद्यार्थियों को ४५ वर्ष तक मई जून की गर्मी और जुलाई अगस्त की बारिश में रखना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि क्या सरकार अध्यापकों और छोटे-छोटे विद्यार्थियों को मई-जून की गर्मी के अंधड़ और जुलाई-अगस्त की बारिश में ४५ वर्ष तक रखना चाहती हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या ही अच्छा होता, अगर माननीय वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री इस ओर ध्यान देकर और स्कूल के लिये छोटी छोटी इमारतें बनवा कर शिक्षकों और विद्यार्थियों को गर्मी के अंधड़ और बरसात के पानी से बचा लेते। एक शब्द मैं अध्यापकों के बारे में जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनकी बाबत कहना चाहता हूं, जहां तक उनके वेतन के बारे में है मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हमारा फर्ज है कि मैं कुछ कहूं। अब भी बहुत से जिला बोर्ड हैं जहां अध्यापकों को ३-३, ४-४ महीनों का वेतन नहीं मिलता है। यह अगर आज नहीं तो कल सरकार को जरूर इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। आजकल आये दिन जो स्कूल पहिले मिडिल स्कूल भी नहीं था वह आज एक दिन में ओवर ए नाइट इंटरमीडियेट और हाई स्कूल में बदल गय। ४-४ और ५-५ कमरों में यह कालिज और हाई स्कूल कायम हैं। आप जानते हैं कि उनके पास साधन नहीं हैं फिर भी उन्होंने इंटर कालिज कायम कर रखे हैं। सरकार ने स्वयं भी कहा है कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनके पास साधन नहीं हैं तो क्या यह धोखा देना नहीं है। वह कैसे काम कर सकते हैं जब कि उनके पास इमारतें नहीं हैं। सरकार को चाहिये कि उनकी इमारतों का ध्यान रक्खें। वह अध्यापकों के वेतन को भी लागू नहीं कर सकते हैं उन अध्यापकों को यह भी नहीं मालूम रहता है कि अगर आज वह नौकर हैं तो कल भी रहेंगे या नहीं।

यहां इस राज भवन के अन्दर, जहाँ हम लोग बैठे हैं, मैं ऐसे स्कूलों के नाम बता सकता हूं जहां अध्यापकों को दो-दो महीनों से तन्ख्वाहें नहीं मिली हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार बरतानियाँ की हुकूमत अब यहाँ नहीं है। पढ़ाई की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है। इसलिये हर आदमी का कर्त्तव्य है कि वह देखे और ऐसे साधन उपलब्ध करे जो जनप्रिय हों, और मेरी राय तो यह है कि बहुत से जो ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चलने के योग्य नहीं हैं उनको फौरन खत्म कर देना चाहिये और जो ठीक रूप से चल रहे हैं केवल उन्हीं को चलने देना चाहिये। अब मैं एजुकेशन की फीगर्स के बारे में बतलाना चाहता हूं।

[श्री विश्वनाथ]
आप देखें कि कैपिटल एक्सपेन्डीचर सन् १९५०–५१ में ९,४४,९३,७९४ रु० था और इसके मुकाबिले सन् १९५१–५२ में १५,३८,७२,००० रु० हुआ और सन् १९५२-५३ में वह बढ़ कर २०,७४,०८,१०० रु० हो गया है। यद्यपि पूंजी व्यय का अनुपात दुगुने से अधिक हो गया है, किन्तु माध्यमिक शिक्षालयों में व्यय ५० फीसदी कम हो गया है। इस सम्बन्ध में सन् १९५०–५१ में तीन लाख खर्च किया गया, सन् १९५१–५२ में एक लाख खर्च किया गया और इस साल एक लाख १५ हजार रुपया रखा गया है यद्यपि चीजों के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, फिर भी इस वर्ष इतने रुपये का कम कर देना कहाँ तक ठीक है यह बात मेरी समझ में नहीं आती। चीजों के दाम बढ़े हुए हैं जैसा कि आपने स्वयं बजट में लिखा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि बहुत सी शिक्षा संस्थाओं की ओर से उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल और इंटरमीडियेट शिक्षा बोर्ड की स्वीकृति से इस वर्ष बहुत सी कक्षायें खोल दी गई हैं। उनमें से अधिकाँश शिक्षा संस्थाओं के पास नामभात्र के लिए भी रुपया नहीं है। १,१५,००० रु० की रकम इस शिक्षा के लिये सहारा के रेगिस्तान में केवल एक बूंद पानी के समान होगी। यदि यह रकम न होती तो अच्छा होता। स्कालरशिप की हालत देखिये युनिर्वासिटी के संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भाई ईश्वरी प्रसाद जी और प्यारे लाल जी इस संबंध में अपने विचार प्रगट करेंगे। माध्यमिक शिक्षा के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं अपना निर्णय दे दें कि यह कहाँ तक उचित है कि माध्यमिक शिक्षालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियाँ दो वर्ष के अन्दर आधी रह गई हैं। सन् १९५०–५१ के १६,४८,३२६ के मुकाबले में केवल ५,६३,००० सन् १९५१–५२ में और ८,४२,१०० रु० सन् १९५२–५३ में रह गये। आर्टस कालिज के लड़कों के लिये १९५०–५१ के मुकाबले १,५६,८९० रु० से घट कर सन् १९५२-५३ में छात्रवृत्तियों की रकम केवल ७०,६०० रु० रह गई है और लड़कियों के लिए इन्हीं वर्षों में ४,८३४ रु० की रकम घट कर केवल २,३०० रु० रह गई है।

यह तो है छात्रवृत्ति। जब हम पढ़ा करते थे तो जापान के उत्कर्ष के बारे में यह लिखा होता था कि अपनी तरक्की के लिये वहाँ की सरकार न स्टेट स्कालरशिप से अच्छे लड़कों को बाहर भेजा ताकि शिक्षा पा करके वे अपने देश की तरक्की कर सकें, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ छात्रवृत्ति की क्या हालत है। जो मिलती भी है उसमें भी कमी हो गई। इसके अलावा लड़कियों को जो छात्रवृत्ति मिला करती थी उसमें भी कमी की गई है। पहले उन्हें ४,८३४ रु० मिला करता था जोकि अब २,३०० रु० रह गया है। इस तरह से यदि सरकार शिक्षा की उपेक्षा नहीं कर रही है तो क्या कर रही है। मैं ज्यादा फीगर्स नहीं देना चाहता क्योंकि समय की कमी है, लेकिन जो वृद्धि माध्यमिक शिक्षा में लड़कों की हुई है उसकी दृष्टि से मैं यह बतलाना चाहता हूं कि वह वृद्धि साढ़े ग्यारह फीसदी हुई है। मगर सरकार ने जो अन्दाजा रखा है वह सिर्फ ३ फीसदी का ही रखा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस कम वृद्धि का शिक्षकों पर क्या असर पड़ सकता है और इससे शिक्षा का स्तर कैसा हो सकता है। एक बेटर मैनेजमेन्ट कमेटी की रिपोर्ट हुई थी उसमें लिखा था कि पब्लिक चैरिटी से रुपया आना बन्द हो गया है उससे जो दाम मिला करते थे उनमें कुछ शिथिलता आ गई है। इस तरह से आप देखिये कि कितनी घटती हो गई है। इससे स्कूलों को पब्लिक से रुपया कम मिलने लग गया है। अब यदि सरकार से भी सहायता न मिले तो शिक्षकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। शिक्षकों पर एक यह असर पड़ा है कि जो मैनडेटरी स्फेल मौजूद हैं उसके अनुसार पे नहीं मिलती है। मैं उसका उदाहरण भी पेश कर सकता हूं। जहां पर आपने १२० रुपया वेतन रखा है वहाँ पर यह होता है कि रसीद तो उतने की ही ली जाती है, लेकिन पे इतनी नहीं दी जाती है तो इसका मौलिक असर आगे चल कर २० या १५ वर्षों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पर क्या पड़ेगा। इससे शिक्षा के स्तर में बड़ी

कमी हो जायेगी । जैसे कि और इनवेस्टमेंट के डिपार्टमेन्ट हैं वैसे ही शिक्षा डिपार्टमेन्ट भी एक तरह से इनवेस्टमेंट का डिपार्टमेन्ट है । अगर आप इस वक्त रुपये लगायेंगे तो आगे चलकर आपको सूद मिलेगा, मैंने आपके सामने जो आपके आंकड़े हैं उनको रख दिया है । इससे मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हमारी सरकार को चाहिये कि शिक्षा पर ज्यादा रुपया खर्च करे और जिस प्रकार जहाँ तक हो सके उसको सुचारु रूप से चलाने का प्रयत्न करे। मुझे अध्यक्ष महोदय केवल इतना ही कहना है ।

सदन का कार्य-क्रम

चेयरमैन--आज १३ सदस्यों ने भाषण दिया। कल के लिये १८ सदस्यों के नाम आये हैं। मुझे उनके लिये कुछ और समय भी निकालना है। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि अगर कल हम लोग साढ़े दस बजे से साढ़े पाँच बजे तक बैठ तो चार-पाँच सदस्यों के लिये इससे गुंजाइश हो सकती है ।

कौंसिल कल १०-३० बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ५ बज कर ७ मिनट पर दूसरे दिन अर्थात् दिनाँक १२ जुलाई, सन् १९५२ ई० को साढ़े दस बजे तक के लिय स्थगित हो गई ।)

लखनऊ:
११ जुलाई, १९५२ ई०

श्यामलाल गोविल
सेक्रेटरी।
लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०--३८ एल० सी०--१९५२--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक विधान भवन, लखनऊ में १०॥ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५३)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राणा शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तौगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
ललिता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ विजयानगरम, डाक्टर महाराजकुमार
विश्वनाथ, श्री
शांति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य-प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:--

श्री चन्द्रभानु गुप्त (खाद्य मंत्री)
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)

सन् १९५२--५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद

श्री कुंवर गुरुनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरी बदकिस्मती है कि जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं तो ट्रेजरी बेंचेज खाली हैं। कोई भी मिनिस्टर साहबान इस समय नहीं हैं और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको दरियाफ्त करना होता ह तो उनका होना जरूरी हो जाता है। बहरहाल अब नेता सदन आ रहे हैं और मैं अपनी शिकायत को वापस लेता हूं।

श्रीमन्, मैंने इस प्रदेश के बजट के संबंध में जो वादविवाद असेम्बली में हुआ और इस भवन में कल से हुआ उसको गौर से सुना। मुझे बजट को पढ़ने के बाद यह आश्चर्य हुआ कि जब इस रिपब्लिक का फर्स्ट बजट फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद आता है वह डेफिसिट बजट के नाम से आता है। यद्यपि यह बजट कहने के लिये तो डेफिसिट जरूर है लेकिन जो मैंने बजट के आंकड़े दखे तो मैं दावे क साथ कह सकता हूं कि यह बजट डेफिसिट केवल इसलिये बनाया गया है कि जनता के ऊपर टैक्स लगाने का एक अवसर या एक बहाना मिल सके। कब्ल इसके कि इस बजट के संबंध में कुछ कहूं मैं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के उस भाषण की ओर ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं जो उन्होंने बजट स्पीच में असम्बली में कहा था। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि इस प्रदेश का साइज और इस प्रदश की पापुलेशन इतनी है जितनी की यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) की पापुलेशन है। लेकिन शायद इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा भी था कि इस प्रदेश का जो रेवेन्यू है वह यूनाइटेड किंगडम की रेवेन्यू का (one hundreth) १/१०० से भी कम है। लेकिन अगर मुख्य मंत्री जी उसके साथ ही साथ यह भी बतला देते कि इस प्रदेश की टोटल इन्कम और यूनाइटेड किंगडम की टोटल इन्कम क्या है तो मामला ज्यादा साफ हो जाता और मुख्य मंत्री के कथन का जवाब स्वयं उनको मिल जाता। और अगर यह भी वह कह देते कि इस प्रदेश की जो पापुलेशन (population) है उसको कितने परसेंटेज (percentage) डाइरेक्ट टैक्स देना पड़ता है और कितने इडाइरेक्ट बमुकाबिला यूनाइटेड किंगडम के तो और भी अच्छा होता है। श्रीमान् मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूं। मैं यह समझता हूं कि अगर प्रदेश को धन की आवश्यकता है तो अपने निर्माण कार्य को चलाने के लिये अवश्य टैक्स लगाना चाहिये। लेकिन टैक्स को वेस्टफुल इक्सपेंडिचर (wasteful expenditure) के लिये लगाना किसी तरह उचित और मुनासिब नहीं है। आपने इसको डेफिसिट बजट किया है वास्तव में यह डेफिसिट बजट नहीं है। अमरिका जो कैपिटलिस्ट (capitalist) कंट्री है सोविएट रूस जो एक कम्यूनिस्ट कंट्री (communist country) है और यूनाइटेड किंगडम, जो सोशलिस्ट कन्ट्री ह, उन तीनों जगह जनता पर काफी टैक्स है। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भूल जाते हैं कि वहां सरकार की जिम्मेदारी भी जनता के प्रति है। अमेरिका में १२० डालर जिसक ६०० रुपये होते हैं हर शख्स को प्रतिमास स्टेट की तरफ से पालन पोषण के लिये मिलता है। इन देशों में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी स्टेट की है। कोई शख्स वहां बेकार नहीं है। वहां पर फुल इम्प्लायमेंट (full employment) है और सारी जिम्मेदारी स्टेट पर होती है। लेकिन इसके बरअक्स हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। रूस में भीख मांगना जुर्म है लेकिन श्रीमान् मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां किसी भी शहर या गांव में चले जाइये आपको सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग भीख मांगते मिलेंगे। अगर यह स्टेट वेलफेयर स्टेट (welfare state) है तो उस पर जनता की जिम्मेदारी भी होनी चाहिये। आप टैक्स लगा देते हैं और उसके बाद जनता पर छोड़ देते हैं कि वह चाहे जिस तरह से गुजर करे अगर वह भूख से मरती है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अभी हाल ही में आपने लैन्ड रिफार्म्स के नाम से जमींदारी को खत्म कर दिया है। ठीक है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जमींदारी खत्म होने के बाद कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है। यह २३ लाख जमींदार और उनके परिवार जिनकी तादाद बहुत बड़ी हो जाती ह और एक करोड़ के ऊपर उनका क्या हश्र होगा। वह क्या

करेंगे, वह अपनी जिन्दगी को किस तरह से गुजारेंगे। उनके पास कोई रोजगार नहीं है वह बेचारे क्या करेंगे। मैं कल पायनियर अखबार में पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि बजाय इसके कि कोई वेलफेयर स्टेट के नाते विचार करें कि कोई शख्स बेकार है उसकी किसी तरह से मदद की जाय उसके लिये हमारे मुख्य मन्त्री जी ने अपनी स्पीच में कहा है। श्रीमान् मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं।

"The Zamindars should be proud that they had contributed towards the . . . "

चेयरमैन--इस विषय पर जो इस सदन की पुरानी रूलिंग है उसकी तरफ से मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"During the course of his speech on the general discussion of the budget, Mr. Ram Chandra Gupta on September 10, 1937, was about to make some comment on the speech of the Hon'ble the Premier the previous day in the Assembly.

The Hon'ble President ruled, "It is not usual to make comments on the speeches made in the other House."

On February 3, 1938, the Hon'ble the President said, "I would like to make one request to Hon'ble Members that they should not make any reference to the debates in the other House. It is not necessary for our purposes to refer to those debates."

श्री कुंवर गुरु नारायण--बहरहाल मैं यह कहना चाहता था कि सरकार रुपया तो करों से वसूल कर लेती है पर जनता का प्रबन्ध स्टेट की तरफ से नहीं होता है इसलिये जब आप टैक्स लगाने की बात कहते हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप टैक्स उस समय जस्टीफाई कर सकते हैं जब आप जनता को पूरा भोजन, उसको कपड़ा और हर प्रकार से उसकी जिम्मेदारी अपने सर लें और इस तरह से बिना किसी जिम्मेदारी के टैक्स लगा देना कोई ठीक बात नहीं है।

श्रीमान्, जहां तक बजट का सम्बन्ध है, मैंने अभी कहा कि यह बजट डेफिसिट बजट नहीं है बल्कि इसको डेफिसिट बनाया गया है महज टैक्स लगाने के लिये। इसके समर्थन में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप तीन साल की पिछली रसीदों की फीगर्स देखें तो जितने बजट के मेन रेवेन्यू हेड्स हैं उसमें सरकार ने बराबर पिछले तीन साल से अन्डर इस्टीमेटिंग किया है।

उदाहरण के तौर पर मैं आप की आज्ञा से बतलाना चाहता हूं --

अन्डर टैक्सेज आन इन्कम--सन् १९५०-५१ में ओरिजनल इस्टीमेट ९ करोड़ २६ लाख था जबकि रिवाइज्ड इस्टीमेट एक करोड़ ४९ लाख था। फिर ५०-५१ में ओरिजनल इस्टीमेट ७ करोड़ ३१ लाख था जबकि ऐक्चुअल रिसीट्स ९ करोड़ ९१ लाख थी। इसी प्रकार ४९-५० ओरिजनल इस्टीमेट ९ करोड़ ३३ लाख था जबकि ऐक्चुअल १ करोड़ ५ लाख था।

अन्डर रेवेन्यू हेड--जिस समय कि आपने जमीन्दारी एबालिशन स्कीम चलायी थी उस समय ५०-५१ में ओरिजनल इस्टीमेट ५ करोड़ ८१ लाख था जबकि ऐक्चुअल ७ करोड़ ७२ लाख था।

अन्डर स्टेट आफ एक्साइज--५१-५२ में ओरिजनल इस्टीमेट ५ करोड़ ८४ लाख था जबकि रिवाइज्ड इस्टीमेट ६ करोड़ १५ लाख था और ५०-५१ में ओरिजनल इस्टीमेट ५ करोड़ ८१ लाख था जबकि ऐक्चुअल ६ करोड़ ५१ लाख था।

अन्डर स्टैम्प्स सन् ५१-५२ में ओरिजनल इस्टीमेट २ करोड़ २५ लाख था जबकि ऐक्चुअल २ करोड़ ४० लाख था और ५०-५१ में ओरिजनल इस्टीमेट २ करोड़ ३१ लाख था लेकिन ऐक्चुअल २ करोड़ ४४ लाख था।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

इसी तरह से अगर आप देखें अन्डर फारेस्ट--सन् १९५०-५१ में ओरिजनल इस्टीमेट ३ करोड़ ६ लाख था जबकि ऐक्चुअल ३ करोड़ ३१ लाख था और ४९-५० में ओरिजनल इस्टीमेट २ करोड़ २१ लाख था जबकि ऐक्चुअल २ करोड़ ७५ लाख था।

इसी तरह अन्डर अदर टैक्सेज एन्ड ड्यूटीज--सन् ५१-५२ में ओरिजनल इस्टीमेट ९ करोड़ १८ लाख था जबकि रिवाइज्ड इस्टीमेट आपका ९ करोड़ ८४ लाख था।

अन्डर हेड इर्रीगेशन--सन् ५१-५२ में ओरिजनल इस्टीमेट ३ करोड़ २ लाख था लेकिन रिवाइज्ड इस्टीमेट ३ करोड़ ६२ लाख था। इसी तरह १९४९-५० में भी ओरिजनल इस्टीमेट २ करोड़ ३७ लाख था जबकि एक्चुअल २ करोड़ ९० लाख था।

तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार ने जो बजट रखा है उसमें काफी अन्डर इस्टीमेटिंग की है, इसका नतीजा यह होता है कि जितने हमारे बनिफिसियल वर्क्स हैं डेफिसिट के डर से वे ठीक ढंग से नहीं हो पाते हैं। मैं समझता हूं कि इस बात की जरूरत है कि बजट में डिपेन्डेबुल (dependable) और करेक्ट फीगर्स (correct figures) होनी चाहिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह फीगर्स जो इस साल के बजट में रेवेन्यू रिसीप्टस में दी गई है ऐक्चुअल फीगर्स नहीं होगी।

यही नहीं सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भी यह प्रथा है और वहां पर मुझे मालूम है कि पिछले साल फाइनेन्स मेम्बर श्रीमान् चिन्तामणि देशमुख ने ९० करोड़ का बजट अन्डर इस्टीमेट किया और मैं समझता हूं कि इतना अन्डर इस्टीमेट करना गलत है और देश हित के प्रतिकूल है। जिस तरह से सरकार ने इस बजट को बना कर रखा है, तो मैं निसंकोच यह कहता हूं कि इस डेफिसिट बजट को जो आपने यहां रखा है, वह सिर्फ टैक्सेज को बढ़ाने के लिये रखा है और इसका कोई दूसरा तात्पर्य नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त मैंने दूसरी बात इस बजट को पढ़ते हुए जो गौर की वह यह थी कि इसमें १२ करोड़ रुपये से अधिक रेवेन्यू रिजर्व फन्ड है। यह जो रेवेन्यू रिजर्व फन्ड है, मालूम नहीं कि इसको एग्जिस्टेन्स कैसे हुई। लड़ाई के जमाने में जब वार कन्ट्रीब्यूशन हुए तो उसमें वार फन्ड का जितना सरप्लस रुपया हुआ तो शायद वह रेवेन्यू रिजर्व फन्ड के नाम से रख दिया गया। इस रेवेन्यू रिजर्व फन्ड में अगर इतना रुपया है तो कम से कम इस १२ करोड़ रुपये में यह साढ़े चार करोड़ रुपया जो सरकार का डेफिसिट बजट है, वह तो निकल हो सकता है, तो इस तरह से सरकार का बजट भी डेफिसिट न होता। इसीलिये तो मैं यह कहता हूं कि यह बजट डेफिसिट है ही नहीं, बल्कि डेफिसिट बना दिया गया है।

इसके बाद मैंने इस बजट में जो एक रकम देखी, वह जमीन्दारी अबालिशन फन्ड के नाम से है। इस जमीन्दारी अबालिशन फन्ड में ३४ करोड़ ४७ हजार रुपया इकट्ठा हुआ। उसमें २२ करोड़ ७१ लाख रुपया सरकार ने इनवेस्ट किया और ११ करोड़ ७६ लाख रुपया अनइनवेस्टेड है। सन् १९५०-५१ में १० करोड़ ७९ लाख रुपया सरकार ने इस फन्ड से एडवान्स लिया और दूसरा एडवान्स साढ़े सात करोड़ रुपये का सन् ५१-५२ में लिया, तो वह साढ़े सात करोड़ रुपया इस बजट में दर्ज है, लेकिन जो १० करोड़ ७९ लाख रुपया एडवान्स लिया गया, वह इस बजट में नहीं है। तो यह जो इनवेस्टेड बैलेन्स आफ दि फन्ड्स की रकम है वह क्या हुई? और मैं एक चीज यह भी जानना चाहता हूं कि यह रुपया जो किसी स्पेसिफिक परपज के लिये रखा गया है और जिसके लिये काश्तकारों ने यह रकम दी है कि वे भूमिधर बनें और फिर जमीन्दारी के अधिकार उनको मिलें, तो इस रकम को और दूसरे कामों में सर्फ किया जाना कहां तक मुनासिब है। काश्तकारों से जो एडवान्स रुपया लिया गया तो उस रकम को उसी परपज में सर्फ करना चाहिए जिसके लिये कि वह लिया गया है बहरहाल ऐसी एडवान्स की रकम का जो इन्टरेस्ट होगा वह भी उनको मिलना चाहिए। और इस तरह से अगर कोई इन्टरेस्ट लिया गया है तो वह भी इसमें दिखलाना चाहिए। यह

चीज एक ऐसी है जिसको मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री जी अपने बजट पर जब आखिर में बोलें तो हम लोगों को बतलायें।

इसके अलावा मैंने देखा कि सरकार की इन्डेटेडनेस (indebtedness) दिन पर दिन बढ़ती जाती है । १९४९-५० में जो थी वह ४२ करोड़ ६९ लाख थी । सन् १९५०-५१ में ४७ करोड़ ४० लाख सन् १९५१-५२ में ६४ करोड़ ६१ लाख और १९५२-५३ में ७७ करोड़ ८३ लाख । मैं समझता हूं कि यह किसी भी गवर्नमेंट के लिये अच्छी चीज नहीं है। एक तो सरकार की इन्डेटेडनेस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ मैं देखता हूं कि जो वैलू प्रोडक्टिव असेस ह उनका मूल्य गिरता जा रहा है इसलिये यह मालूम होता ह कि कुछ न कुछ फाइनेन्स में गड़बड़ है वरना इतना ज्यादा इन्डेटेडनेस का बढ़ना मुनासिब नहीं प्रतीत होता है ।

इसके अतिरिक्त एक बात जो मैंने इस बजट में और रखी वह यह है कि कैनाल्स (canals) का जो रेवेन्यू है वह १९४९-५० में २२० लाख था और अब १५० लाख १९५२-५३ में हो गया है। यह कमी हुई है। जबकि सरकार ५० परसेन्ट सरचार्ज चार्ज करती है। इसके क्या माने? इसके माने यह हैं कि कोई न कोई खामी जरूर है। एक तरफ सरकार यह एडमिट करती है कि १३ लाख एकड़ जमीन हमने इर्रीगेशन में नयी कैनाल्स बनाकर इर्रीगेट किया। अगर मैं यह पूछूं कि इसकी आमदनी बढ़नी चाहिए वह क्यों नहीं हमको मिली उसका रीजन क्या है? अगर हम विचार करके देखें तो वास्तविकता यह है कि जो कैपेसिटी पानी की थी वह उतनी ही रही और इर्रीगेटेड लैन्ड बढ़ा दी गयी। जितना पानी था उससे वह पुरानी इर्रीगेटेड फील्डस जो है उनकी सिंचाई होती या जो नयी जमीन ली गई है उसकी सिंचाई होती। सरकार ने इतनी होशियारी के साथ प्रोपेगेन्डा किया है कि साहब १३ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई बढ़ा दी और यह छिपा लिया कि पानी उतना ही रह गया है। इस तरह से मालूम नहीं होता कि ऐक्चुअल सिंचाई कितनी हुई। इसलिये यह बड़ी चतुरता से इसमें रखा गया है और मैं समझता हूं कि अगर सरकार का यह दावा है कि १३ करोड़ एकड़ जमीन सिंचाई में आई तो यह भी जनता जानने का हक रखती है कि सरकार की आमदनी भी ज्यादा होनी चाहिए थी और वह क्यों नहीं हुई ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मैं एक बात दरियाफ्त करना चाहता हूं । जो आपने फीगर्स दिये हैं उनको आप मेहरबानी करके मुझे दे दें।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मुझे बीच में इन्टरप्ट (interrupt) न किया जाय तो ज्यादा ठीक है मैं बाद में दे दूंगा।

वित्त मंत्री--आपने जो फीगर्स पढ़े हैं वह दे दीजिए।

श्री कुंवर गुरु नारायण--The net revenue from canals has fallen from 220 lakhs in 1949-1950 to 150 lakhs in 1952-53. दि नेट रेवेन्यू फ्राम कैनाल्स हैज फालेन फ्राम २२० लैक्स इन १९४९-५० टू १५० लैक्स इन १९५२-५३ ।

श्रीमान्, इसके बाद मैंने और एक चीज जो इस बजट में देखी है वह यह थी कि ग्रेन प्रोक्योरमेंट आपरेशन्स में ९ करोड़ का घाटा हुआ। उस ९ करोड़ के घाटे में १ करोड़ तो गवर्नमेंट ने १९५१-५२ के रेवेन्यू से चार्ज किया। उसके बाद दो करोड़ रुपया ५२-५३ के बजट में सरकार ने रखा है। इसके माने हैं कि ६ करोड़ अब रह गया। मेरी समझ में नहीं आता कि जिस साल यह घाटा ग्रेन प्रोक्योरमेंट स्कीम के आपरेशन में हुआ उसी साल यह क्यों नहीं बजट में रखा गया। उस वक्त लेजिस्लेचर के सामने यह चीज आती तो उनको इस बात का मौका होता कि वह क्रिटिसाइज करते। लेकिन इस तरह से एडजस्ट कर लेना यह मुनासिब बात नहीं है। शायद गवर्नमेंट की यह मन्शा रही हो कि जब तक जनरल इलेक्शन्स न हो जायं उस वक्त तक कोई ऐसा मौका न दिया जाय जिससे बदनामी हो। लिहाजा उन्होंने यह मुनासिब समझा कि जनरल इलेक्शन्स के बाद हम इसको धीरे-धीरे एडजस्ट कर लेंगे। यह नीति मुनासिब और उचित नहीं थी।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

इसके अतिरिक्त मैं और बजट के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन दो एक बातें एजूकेशन के सम्बन्ध में और कुछ बातें ला एन्ड आर्डर के सम्बन्ध में अवश्य कहूंगा। मुझे दुख है कि इस प्रदेश का एजूकेशन जिस तादाद में बढ़ रहा है वहां उसकी क्वालिटी (quality) बहुत ही डिटेरियोरेट (deteriorate) हो रही है। मुझे नहीं मालूम कि आज हमारे मन्त्री लोग यह जानते हैं या नहीं कि जो बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर इन्टरमीडियेट तक पढ़कर यूनिवर्सिटी में आते हैं उनकी क्या हालत होती है। मैं तो यह कहता हूं कि अगर अंग्रेजों ने भी वही स्टैन्डर्ड कायम कर दिया होता तो आज हमारे देश की लीडरशिप कभी भी इस देश के स्वतन्त्रता के संग्राम को जीत नहीं सकती थी। उन्होंने और चाहे जो कुछ भी किया हो या न किया हो लेकिन यहां के लोगों को पूरी तरह से एजुकेट किया और ऊंचा उठाया। लेकिन अगर वही तरीका स्टैन्डर्ड गिराने का जारी रहा तो यकीन मानिए कि जो आगे के लेजिसलेचर आयेंगे उनकी हालत बदतर और सोचनीय होगी। जहां तक हमारे प्लान्स (plans) का ताल्लुक है हर सरकार अपने हिसाब से प्लान्स बनाती है लेकिन मैं यह कहता हूं कि आज की सरकार के प्लान्स आज की सरकार की नीति और गांधी जी के सामने की नीति में बड़ा अन्तर हो गया है। गांधी जी यूज्ड टू लीड दि मासेज (Gandhiji used to lead the masses) और आज की सरकार तथा आज के लीडरशिप की हालत यह है कि वे आर लेड बाई दि मासेज (they are led by the masses) गांधी जी का चरित्र था कि उनको अपने ऊपर विश्वास था वह समझते थे कि वह जनता को अपने साथ ले चल सकते हैं। लेकिन आज की लीडरशिप में कुछ न कुछ खामी जरूर आ गयी है जिसकी वजह से वह बजाय इसके कि सही रास्ते पर लोगों को ले चलें, अगर मासेज (masses) कह दें कि फलां जगह लूट हो तो कांग्रेसी लीडरान वह गलत रास्ते से मासेज को सही रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं करेंगे।

ला एंड आर्डर (law and order) की आप बात ले लीजिए। ला एन्ड आर्डर की परिस्थिति यह है जब ला एन्ड आर्डर का जिक्र आता है तो इसके माने ऐग्रेरियन रायट्स (agrarian riots) या कम्युनल रायट्स (communal riots) ही नहीं होते। आज आप देहात में जायें तो पायेंगे कि वहां यह हालत है कि पुलिस का सब-इन्सपेक्टर जो चाहे खुल्लम खुल्ला कर सकता है। मुझे मालूम है कि डेलीब्रेटली (deliberately) एस० ओज० पुलिस (S. Os. police) ने कोशिश की कि लड़ाई पैदा की जाये और रुपया वसूल किया जाये। जिले के लोग उसको रोक-थाम नहीं कर सके और जब हायर सर्किल्स में आई० जी० साहब के पास या डी० आई० जी० साहब के पास लोग पहुंचे तब रोक-थाम हो सकी।

मैं कहता हूं कि अगर सरकार खाना कपड़ा नहीं दे सकती तो जो कुछ बचा है उसको तो हिफाजत के साथ लोगों के पास रहने दे। वह तो न लूटने दिया जाये। अगर उसे भी लूट लेने दिया जायगा और खासकर जब सरकारी कर्मचारी लूटेंगे तब कैसे वेलफेयर स्टेट (welfare state) बन सकती है। मैं सरकार से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि वह बगैर किसी तैश में आये हुए ठंडे दिल से अगर विचार करेगी तो सरकार स्वयं कन्विंस्ड (convinced) हो जायेगी कि उसमें कुछ खामियां अवश्य पैदा हो गयी हैं।

कल मुझे बड़ा दुख हुआ जब माननीय उद्योग मन्त्री ने यह कहा कि ९० फीसदी कांग्रेस वाले ही लेजिसलेचर्स में आये हैं। इन बातों को बार बार कहना कि कांग्रेस ओवरह्वेलमिंग मेजारिटी (overwhelming majority) में आ गई कुछ शोभा नहीं देता अगर हम भी इस को बार बार दोहरायें कि ९० फीसदी आप आये तो जरूर लेकिन माइनारिटी वोट्स (minority votes) से आये तो अच्छा न लगेगा क्योंकि यह सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। इन बातों को किसी रिस्पांसिबिल मिनिस्टर के मुंह से सुनकर अच्छा नहीं मालूम

देता । इन बातों को खत्म करके अगर हम आपस में कोआपरेशन के साथ एक बेटर फीलिंग पैदा करें तो देश के निर्माण में बेहतर तरीके से हाथ बटा सकेंगे।

***डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप**--श्रीमान् जी, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने जो बजट पेश किया है, और जिस फाइनेंशियल दिक्कतों में उन्होंने इस बजट को पेश किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस दौरान में कांग्रेस गवर्नमेंट के जो अचीवमेन्ट्स हुए हैं, वह अप्रेशियेबिल हैं। ५,७ अचीवमेन्टस जिनको देखा जाय तो वाकई यह कहना गैर मुनासिब न होगा कि वह अप्रेशियेबिल हैं और मैं उनको अप्रेशियेशन्स की निगाह से देखता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह कहना कि कांग्रेस के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कोई गलती या खामी नहीं थी, यह मुनासिब न होगा। बहुत सी गलतियां थीं। कोई इन्सान या कोई आर्गेनाइजेशन मुकम्मल नहीं होगा इस दुनियां में। गलतियां जरूर होंगी और इन गलतियों से आइन्दा के लिये सबक लेना चाहिए। इसके बाद फाइनेन्शियल पोजीशन जो कही जाती है उसमें एक आला बजट जिसमें सवा चार करोड़ का डेफिसिट दिखाया जाय मैं एक सीरियस मैटर समझता हूं और फिर इस सीरियस चीज को नजरअन्दाज करना मेरे लिये मुनासिब नहीं होगा। सवा चार करोड़ बजट के डेफिसिट का क्या कारण है जो स्टेट का बजट डेफिसिट हुआ। हैवी प्रोग्राम्स आफ फ्यूचर स्टेट का ऐसा है जो हमें बजट को डेफिसिट होने के लिये मजबूर कर देता है।

जहां तक इर्रीगेशन का ताल्लुक है या फूड प्रोबलम्स है वह ठीक तरह से नहीं दिया गया है। जो यह सवा चार करोड़ का डेफिसिट दिखाया गया है उसको तीन बातों से पूरा करने की इच्छा की गई है। पहली बात फूड प्राब्लम टू आबटेन एड फ्राम दि सेन्ट्रल, दूसरे रेज लोन इन दि ओपेन मार्केट, तीसरे रेज फन्ड्स बाई एडिश्नल टैक्सेशन्स। जहां तक पहली दो बातों का ताल्लुक है उससे किसी को एतराज नहीं होगा। और जहां तक रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मिल सकता है वह अच्छा है। यह देखा जाता है कि डाइरेक्ट टैक्सेज जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है जिनका असर मिडिल कलास के लोगों पर पड़ता है मैं समझता हूं कि यह इन्साफ नहीं होगा अगर गवर्नमेंट का मकान हमारी डेवेलपमेंट स्कीम में हो, तो जो रेट्स-लोन के हों वह हमको न दें, ऐसा बजट में नहीं होना चाहिए। क्योंकि कैपिटल इक्सपेन्डीचर का असर आइन्दा के जेनेरेशन पर पड़ता है। फर्ज कीजिए बीस वर्ष के लिये लोन लिया हो। तो ऐसा रखा जाय कि २० साल में वह रुपया मय सूद के अदा हो जाये। जहां तक एडिश्नल टैक्सेशन्स का ताल्लुक है तो मैं किसी एडिशनल टैक्सेशन्स की जरूरत नहीं समझता हूं, क्योंकि एडिशनल टैक्सेशन का असर कनज्यूमर्श पर पड़ेगा और मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ेगा। वह और मजीद टैक्सेशन को बरदाश्त नहीं कर सकते। इन बातों का लिहाज करते हुए मैं समझता हूं प्राहिबिशन स्कीम को पहिले कुछ जिलों में लागू किया गया। यह यहां सक्सेसफुल नहीं हुई प्राहिबिशन स्कीम मद्रास और बम्बई में भी लागू किया गया। वहां पर करीब ढाई करोड़ का सैक्रीफाईज उनको करना पड़ा। लेकिन वहाँ पर भी यह एक कास्टली फोलयोर हुआ। मद्रास में एक कमेटी बैठी जिसने यह बतलाया कि यह स्कीम बहुत कास्टली हुई। मगर मैं समझता हूं कि इस सूबे में जो आशायें हमने बांध रखी थीं वह हमारी आशायें पूरी नहीं हुईं। प्राहिबिशन का वह असर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मैं भी कानपुर प्राहिबिशन कमेटी का प्रेसीडेन्ट था। मैंने कभी किसी तरह का इन्टाक्जीकेशन नहीं इस्तेमाल किया। मैं यह कहने को तैयार हूं कि प्राहिबिशन से कोई फायदा इस सूबे को नहीं हुआ। कानपुर में प्राहिबिशन है और लखनऊ में नहीं है। वहां के मालदार लोग यहां आकर पीते हैं। मालदार लोगों के लिये कानपुर में भी शराब की कमी नहीं है। उनको लाइसेन्स आसानी से मिल जाते हैं। उनके दोस्त आम तौर से पीते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वह अपनी प्राहिबिशन स्कीम को रिवाइज करे। इससे गवर्नमेंट की आमदनी में भी कमी न होगी।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप]

दूसरी बात जो मैं चाहता हूं वह यह है कि मैं यह देखता हूं कि गवर्नमेंट ने जमीन्दारी अबालिशन के बाद लैन्ड रेवेन्यू में ·७८ का इजाफा किया है और यह कहा जाता है कि यह रकम डेवेलपमेंट के काम लाई जायेगी। यह आमदनी करटेलमेंट आफ एक्सपेन्डीचर करके हो सकता है। इस करटेलमेंट में कम से कम १० या १२ फीसदी कमी की जा सकती है। एक बात और है कि आप इकोनामी इन एक्सपेन्डीचर में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट का यह ख्याल होगा कि एक्सपेन्डीचर में कोई इकोनामी नहीं हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इसमें कमी हो सकती है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि—

"There is additional tax particularly on poor and middle classes."

मैं समझता हूं कि इन बातों को ख्याल रखते हुए गवर्नमेन्ट को चाहिए कि वह टैक्सेशन स्कीम को फौरन लागू करने की कोशिश न करे।

दूसरे यह कि जो टैक्स लगाये जाने की तजवीजें हैं "They are inconsistent with the basic principles of taxation."

टैक्सेज दो किस्म के होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जहां तक डायरेक्ट टैक्सेज का ताल्लुक है वह पैसे वालों पर पड़ता है और इनडायरेक्ट टैक्स गरीब और मिडिल क्लास पर पड़ता है उसूल यह है कि—

"A balance must be kept between direct and indirect taxation."

दूसरा उसूल यह है कि फेयर ऐन्ड इक्युटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन एमंग आल दि क्लासेज आफ दि पीपुल होना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं कि टैक्सेज का भार गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए, स्टैन्डर्ड आफ लिविंग पर न पड़े। अगर इतना गवर्नमेंट ख्याल रखे तो टैक्सेज का ज्यादा असर गरीबों पर न पड़ेगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की क्या तजवीज है कि टैक्सेज जो हों उनका असर सब पर पड़े केवल पुअर मासेज पर न हो। मैं समझता हूं कि इसके लिये एक इंक्वायरी कमेटी जरूर मुकर्रर होनी चाहिए। इन सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इस गवर्नमेंट की फाइनेन्शियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए।

जमीन्दारी अबालिशन के मुताल्लिक मैं कहना चाहता हूं कि जमीन्दारी अबालिशन का जहां तक ताल्लुक है यह ओवर डिलेड हो गई। उसकी मांग थी कि उसको जल्दी पूरा होना चाहिए था। मेरे ख्याल में यह बहुत अच्छी चीज की गई है।

"It is not a means to an end but it is a means of urgent reform."

मगर यह ख्याल करना कि जमीन्दारी अबालिशन कर देने से लैन्ड रिफार्म हो गया, यह एक बिल्कुल गलत बात है। अभी गवर्नमेंट को इस सिलसिले में दूसरे कदम उठाने बहुत जरूरी । पहले तो यह सोचना है कि लैन्ड लैस लेबर के लिये आप क्या करेंगे। मेरे याल में इकोनामिक होल्डिंग का होना बहुत जरूरी है और जिस किसी के पास तीस एकड़ ज्यादा जमीन है उसे लेकर लैन्ड लेस लेबर्स को दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि जमीन्दारी ा अबालिशन किसी नाजायज ख्याल की बिना पर नहीं किया गया है। लेकिन जिनकी मीन्दारी अबालिश की जा रही है उनके जितने डिपेन्डेन्ट्स हैं उन सब को लेकर उनकी दाद कुल पापुलेशन का छठवां हिस्सा होगा जिस पर इसका असर पड़ रहा है, उनमें क तिहाई ऐसे होंगे जिनके रिहैबिलिटेशन का ख्याल गवर्नमेंट को रखना है। उनकी हालत ी हो जायेगी जो रिफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड परसन्स की थी। जहां तक रेन्ट कलेक्शन की शीनरी का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि वह ईमानदार होनी चाहिए। अभी तक मुझे ीं मालूम हो पाया है कि वह मशीनरी क्या होगी। मेरा ख्याल है कि अगर पटवारियों को नके लिये रखा गया है तो इन्क्रीज इन करप्शन्स इन दि रूरल एरिया होगा।

इसके बाद मैं डिकन्ट्रोल की नई पालिसी पर आता हूं। तमाम सेक्शन्स आफ कम्युनिटीज इसका स्वागत किया है। यह स्टेट जो पालिसी अख्तियार की है वह बहुत ही प्रेजवर्दी । इस पालिसी को अगर ठीक चलाया जाय तो करप्शन बहुत जल्दी दूर हो जायेगा और

बहुत से लोगों की शिकायतें दूर हो जायेंगी। जहां तक इसमें खर्चे का सवाल है वह भी ठीक हो जायेगा।

अब इसके बाद मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त ने अभी शिक्षा के बारे में कुछ कहा है। हमारे यहां तीन तरह की एजूकेशन है--एक प्राइमरी एजूकेशन, दूसरी सेकेन्डरी एजूकेशन और तीसरी यूनिवर्सिटी एजूकेशन। जहां तक यूनिवर्सिटी एजूकेशन का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसकी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी चाहिए। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एजूकेशन को अपने हाथ मे नहीं लेती है तो वह अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को पूरा नहीं करती है। सेकेन्डरी एजूकेशन का जहां तक ताल्लुक है तो मुझे खुशी है कि सरकार ने इसकी जरूरत को समझा है। उस समय यह तय किया गया था कि जो इन्टरमीडियेट क्लासेज होंगे उनके लिये एक अलग बोर्ड होगा। उस वक्त इस स्कीम को सभी ने अप्रिशियेट किया था लेकिन वह काम नहीं हो सका और वह बोर्ड जो बनाना था नहीं बना। बल्कि यही हुआ कि हाई स्कूल के ही साथ उनकी भी क्लासेज खुली रहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि हम अपनी स्टेट में एजूकेशन का जो स्टैन्डर्ड सेट करना चाहते थे वह नहीं कर सके। श्री सम्पूर्णानन्द जी ने एजूकेशन की तरफ और खास तौर से सेकेन्डरी एजूकेशन की तरफ काफी ध्यान दिया मगर उन्होंने भी अपने साथ कोई एक्सपर्ट कमेटी को नहीं रखा जो कि उनको काम करने के तरीके बतलाती और रिफार्म्स को बतलाती। इन सब का नतीजा यही हुआ कि हाई स्कूल सेक्शन और इन्टरमीडियेट सेक्शन साथ ही रह गये। अब कमेटी आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में बनी हुई है, जो इस मामले पर विचार कर रही है। मगर जहां तक सेकेन्डरी एजूकेशन का ताल्लुक है वह एक हमारे ही स्टेट का प्राब्लेम नहीं है बल्कि एक आल इंडिया प्राब्लेम है। मुझे खुशी है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी इसके लिये मुकर्रर की है। अब देखना यह है कि जब इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट आये तो उसके ऊपर विचार किया जाय। सेकेन्डरी एजूकेशन सब से ज्यादा जरूरी है। उसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत सोच विचार करके ही रिफार्म करना चाहिए वरना जो यूनिवर्सिटी एजूकेशन है और जिसकी बुनियाद सेकेन्डरी एजूकेशन पर है उसकी हालत भी खराब हो जायेगी। जब सेकेन्डरी एजूकेशन की बुनियाद को ठीक नहीं किया जायेगा तो यूनिवर्सिटी एजूकेशन कैसे ठीक हो सकती है। आप इस को भी तरक्की नहीं दे सकते। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर जो कर्जा था उसे दूर करने का वायदा किया है। लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी शर्त रखी है कि बशर्ते आयन्दा इस किस्म की गलती नहीं होगी। तो इस तरह से यह सेफ गार्ड हो गया। अगर सरकार ने यह शर्त लगायी है तो इससे यह होगा कि यूनिवर्सिटी का काम अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि जहां तक कर्जे को दूर करने का सवाल है वह तो इस वक्त हो गया परन्तु इसमें भी रिफार्म करने की जरूरत है। मैं यह चाहता हूं कि कोई इस किस्म की कमेटी बने जो इसमे रिफार्म के बारे में सुझाव दे। दूसरे मैं इससे इत्तिफाक करता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटी एजूकेशन का ताल्लुक है उनके अध्यापकों को पब्लिक सर्विस कमीशन से आना चाहिए ताकि उनका अप्वाइन्टमेंट अच्छी तरह से हो सके। कुछ लोगों ने यह कहा कि एजूकेशन का स्टैन्डर्ड बहुत गिर गया है। इसको भी मैं कुछ हद तक मानता हूं। इसके लिये हमको बच्चों की एजूकेशन की तरफ खास ध्यान देना चाहिये। उनको शुरू ही से इस बात की तालीम देना चाहिए कि शराब पीना खराब है और यह बहुत खतरनाक चीज है। जब शुरू ही से उनके दिल में इसकी तरफ से नफरत पैदा हो जायेगी तो बड़े होकर भी वह इससे नफरत करते रहेंगे। एजुकेशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा बहुत बढ़ता चला जा रहा है उसमें बहुत से जिले शामिल हो गये हैं, जिसकी वजह से उसका सुपरवीजन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। मेरी राय में अगर कानपुर में भी एक यूनिवर्सिटी खोल दी जाय तो लोगों को बहुत आसानी हो जायेगी।

इसके बाद अब मैं लेबर के बारे में कहना चाहता हूं। जहां उनकी मजदूरी का सवाल है वह वाकई में बहुत कम है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसके

[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप]

लिये उनको स्ट्राइक नहीं करना चाहिए बल्कि उनको इसके लिये कोआपरेशन से काम करना चाहिए :

Wages should be linked with the amount of work put in by the workers. मजदूरों की मजदूरी में बढ़ती जरूर करना चाहिए ।

मैं सरकार को एक और बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि उसने मेरी बात को मान लिया है और जुडीशियल आफिसर को बढ़ा दिया है । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आजकल जो टेन्डेन्सी हम हाईकोर्ट्स को पा रहे हैं वह बहुत ही बुरी है ।

Heavy arrears have accumulated.

और इसके नजरिये से जो हाई कोर्ट्स के जजेज हैं उनकी टेन्डेन्सी को ठीक करने की कोशिश की जाय । अगर उनकी इस तरह की टेन्डेन्सी को इन्करेज किया गया तो मुझे अन्देशा है कि जिस मकसद के लिये यह हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट बनाये गये हैं वह मकसद ही खत्म हो जायेगा और जस्टिस को एक बड़ा भारी धक्का इस तरह से पहुंच सकता है। मेरे ख्याल में यह एक बहुत ही अहम मसला है और इस पर हमारी गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए ।

एक और बात की ओर मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह कि म्युनिसिपैलिटियों की हालत मेरे ख्याल में बहुत ही बदतर है इसलिये इसके लिये सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि म्यूनिसिपैलिटीज को खत्म कर दिया जाय और जैसा कि अभी तक यह कहा गया है कि इसका काम कारपोरेशन के सुपुर्द किया जा रहा है । हम कई साल से सुन रहे हैं लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई डिफिनिट राय नहीं बनाई गई है मेरे ख्याल में यह ज्यादा बेहतर होगा अगर इनको कारपोरेशन के सुपुर्द कर दिया जाय ।

एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि बर्थ के ऊपर भी टैक्स होना चाहिए और म्युनिसिपैलिटी ऐसे टैक्स को लगाये तो इससे दो किस्म के मसले हल हो सकते हैं । एक तो यह कि आज जो हमारी पापुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है वह कम हो जायेगी और दूसरा यह कि उसके साथ ही साथ फूड का मसला भी हल हो सकता है । इस तरह से मेरा ख्याल है कि आजकल के नवजवानों में सेल्फ कन्ट्रोल की भावना पैदा होगी और जितना करेप्शन है वह जाता रहेगा । अब मेरी तबियत चूंकि ठीक नहीं है इसलिये मैं अब ज्यादा अर्ज नहीं कर सकूंगा । मैं आखिर में यही अर्ज करूंगा कि अब वक्त आ गया है कि हम भी अपने वर्कर्स के वेलफेयर के लिये ठीक ढंग से काम करें । इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए हमारे मुल्क की तरक्की हो सकती है इसके लिये हम सब का फर्ज है कि हम अपनी गवर्नमेंट का हाथ बटायें और ऐसे कामों में मदद करें । तभी हमारा कन्ट्री एक वेलफेयर कन्ट्री हो सकता है । इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूं :

Dr. Piare Lal Srivastava : With your permission, Sir, I would like to make a few observations on the budget proposals that have been placed before us by the Government. These proposals have been approved and supported by a number of members of this House, while they have been adversely criticised by the Members of the Opposition. I would like this House to consider which of these development schemes should be given up or postponed in the interest of the State. No member of the opposition has stood up and said that this scheme should not be tried or that scheme should not be executed whether it is a scheme of irrigation or whether it is a scheme of electric power or whether it is a question of making a provision for facilities for higher education; particularly in the field of engineering or for relief of the distress or for financial assist-

ance to Gaon Panchayats. All these schemes and several others are before us. Sir, if this House expects that the scheme of development presented to us by the Government should be executed I think each one of us becomes committed to find ways and means to finance these schemes. The proposals that have been placed by the Government before us for raising money by fresh taxation are unwelcome to most of us. My submission to you, Sir, is that these proposals have got to be viewed in the light of the heavy development programme that has been placed before us by the Government and in that context I think each one of us should be prepared here to stand up to support these proposals of the Government. Unless we are prepared to make a sacrifice we cannot make this land of ours, this State of ours better, happier and more prosperous. It may be that we will have to undertake this huge burden at great personal inconvenience. Many of our distinguished leaders of the country died fighting for freedom. It was not given to them to live long enough to see this ndependence. Even the Father of the nation did not live long enough to enjoy the fruits of liberty. Let us have the satisfaction that if we are performing these sacrifices, our children and grand-children will bless us. They will be happier and they will be more prosperous. In that context, Sir, I support the proposals of the Government for additional taxation. As I said, most of these taxation measures are unwelcome to most of us. A point has been raised that the income that has been assessed by Government is under-estimated. None will be happier than myself if that contention is correct. Why should the Government resort to taxation if they do not need funds? It is the duty of the Hon'ble the Finance Minister to look into that matter and see if taxes could be avoided. There has been a suggestion for alternative taxation measures. This too needs careful consideration on the part of the Government.

My friend, Professor Mukut Behari Lal, has proposed a tax on property and an inheritance tax. My submission is that taxes of this kind are meant to tax the rich only. The taxes that have been proposed by the Government fall, in my humble opinion, equally heavily on the poor and the rich alike. There are proposals for increasing motor tax and petrol tax. Who will bear the burden of these except the rich? There are proposals to tax the houses in the municipalities. Who is going to bear this tax except the rich? So if you look to these taxations that have been very carefully designed, I think every member of this House should be prepared to support them considering them absolutely essential and necessary in the interest of the development of the State. Sir, my friend, Mr. Govind Sahai has said that there is no enthusiasm for these budget proposals in the public. I may inform him that there is a bye-election going on in the district of Allahabad to fill the seat rendered vacant by the resignation of Mr. Lal Bahadur Shastri. There are two candidates, one nominated by the Congress and the other nominated by all the other Oppostion parties. I am sure these very proposals will be very much in evidence in the election campaign in this bye-election. Should the Congress win, the conclusion will be irresistable that there is a lot of enthusiasm for these budget proposals. If, on the contrary, the Congress party loses, we may take it that the people

[डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव]

at large have not enthusiastically welcomed these proposals for fresh taxation.

The question of the Abolition of Zamindari has been raised by several members. The common man has vain hope that the additional revenue that will accrue to the State from the Zamindari Abolition will be available for the development of the State. Unfortunately, that is not to be. I am myself disappointed on that score. The Finance Minister has said in his speech, "It may, however, be mentioned in this connection that the additional revenue due to Zamindari Abolition will decrease each year as more and more tenants acquire bhoomidhari right and that in any case the additional revenue will at no time be available to the Government for development purposes because it will have to be wholly utilized in the payment of compensation to ex-zamindars."

This is, Sir, a disappointing picture that the Zamindari Abolition will not yield any additional income to the State for development purposes, but there should be a great satisfaction that our tenants should acquire more and more bhoomidhari rights. They should be able to walk straight and erect. Self-respect of a nation is far more valuable that all the wealth put together. If you judge it from that point of view, Sir, Zamindari Abolition has brought self-respect to an ordinary tenant as nothing else has. He now feels that he is equal to any body else in his village. Mr. Govind Sahai also said that the Government's calculations regarding Zamindari Abolition have failed. Probably they have failed in the sense that the tenants have not acquired the bhoomidhari rights in as large numbers as they should have acquired. This is ntirely due to their ignorance. The moment they realize the benefits f bhoomidhari rights, I am sure, Sir, they will come forward to deposit he necessary amounts to acquire these rights. When these rights were onferred, I myself ran to deposit the necessary amounts to acquire them. When my fellow villagers asked me why I was doing it I told them that as a cool calculating mathematician I find that these were very valuable rights to be acquired. I am sure that with the growth of knowledge and with the growth of consciousness these rights will be acquired and the necessary amount will be forthcoming into the coffers of the Government. While at the Zamindari Abolition, I would like to raise the question of public importance which I hope the Government would seriously consider. I am running these charitable trusts all devoted to the cause of education. I had hoped that these trusts would get annuities from the Government to enable them to continue their beneficent activities. The law member of the Kayastha Pathshala has sent a note to me pointing out that all these trusts which were paying land revenue exceeding Rs. 10,000 a year shall not be entitled to rehabilitation grant and consequently they shall not be entitled to any annuity from the Government. I hope, Sir, our reading of the Act is wrong. I trust the Government will be able to throw light on this point because most of the educational trusts in this State were paying land revenue more than Rs. 10,000 a year on the date of vesting and I hope if the Act stands in the way of these trusts, the Government will take immediate steps to amend the Act. Another plea has been put forward before this House on behalf of the servants of the zamindars. Sir, I do hope that the Government will consider the claims of these servants very sympathetically and try to give them employment wherever they are satisfied that their long record of service is creditable.

From this I pass on to a subject with which I have been connected throughout my life namely Education. The other day my friend, Professor Mukut Behari Lal, asked me whether at the rate at which Government is opening primary schools it would be possible for Government to achieve their objective of making primary education compulsory within five years. My answer to that question is *'certainly not'*. It is true that the Government has been able to give us higher grant for education but this grant is not proportionate to the increase in the number of pupils nor to the increase in the revenues of the State. This is regrettable. I have supported these proposals of taxation. I should have been happier if the Government had proposed another tax exclusively set apart for the improvement of education—say an educational cess.

Whenever the Government makes up its mind to come up to us for such a tax, we shall support it because unless you improve education all your beneficent activities are of no avail. It has been rightly said by several speakers here that the standard of education has gone down during the last 10 or 12 years. I share that view. Acharya Narendra Deo Committee is sitting to find ways and means of improving this education. I am sure that when the recommendation of that Committee come up before us we shall consider them with all the sympathy that they demand. As regards University education, Sir, I must congratulate the Government for its decision to come to the rescue of the Allahabad and Lucknow Universities and to agree to wipe out their deficits by giving them necessary grants. I support Dr. Brijendra Swarup Saheb when he says that this grant should not mean that the autonomy of these Universities should be curtailed. What the Government should do is to give them such block grants for a period of five years as would enable them to expand in a normal manner within that period; and revise those grants every 5 years For incurring expenditure on an entirely new scheme, the Universities must take the previous sanction of the Government. With these safeguards, Sir, it is not necessary that the Government should curtail the autonomy of these Universities. While safeguarding the autonomy Dr. Brijendra Swarup suggested that the appointments in the Universities should be made by the public Service Commission. I entirely oppose that suggestion. With one breath you are helping the Univeriities to maintain their autonomy, with another breath you are taking away that autonomy. Is there any University in the world where appointments are entrusted to the Public Service Commission? The appointments are entrusted to the Public Service Commission for the simple reason that they cannot be made by a party Government. If the Universities are autonomous bodies, not tagged down to any particular party or group, then these Universities should be allowed to recruit their staff.

Sir, one word about the expansion of higher education. We are daily reading in the papers that there is too much rush in the Lucknow University, there is too much ruch in the Allahabad University. As a rule the 3rd divisioners have got no chance of admission in a University. Even where they are lucky to get admission, they cannot get seats in a hostel. I support the suggestion put forward by Dr. Brijendra Swarup that rural Universities should be established. A rural University was

[डाक्टर प्यारे लाल श्रीवास्तव]

to be established at Gorakhpur. I understand that a good deal of money has been collected for this purpose. Government should seriously consider whether it is possible for it to start at least one University either at Gorakhpur or a technical University at Kanpur, because if these Universities are started, there will be less pressure upon the existing Universities and the students may not have to knock from door to door for finding a seat in a hostel or for finding a seat in a University. Sir, as the primary education is to expand, provision should be made for the expansion of secondary education, and a similar provision has got to be made for the expansion of University education. Government cannot shut its eyes to a large number of students clamouring for admission to the Universities. It is a very pathetic tale. Every day large number of University students are coming to me, and to you seeking admission to this college or that college. This is not a happy state of affairs. I, therefore, request the Government to seriously consider whether the Education Budget is to be considerably increased. If it is to be increased, let it be increased now. Sir, with these words I support the proposals that have been put by the Government before us.

Dr. Ishwari Prasad : Mr. Chairman, Sir, in rising to make a few observation on the budget estimates that have been placed before this Council, I desire at the very outset to congratulate the Hon'ble the Finance Minister for the cogency and the clearness with which he has set forth his facts. The Hon'ble Hafiz Mohd. Ibrahim is a seasoned pilot. He entered public life nearly 30 years ago, and he has passed through brilliant sun-shine and stormy weather without allowing his natural serenity to be disturbed by the storms of political life. I congratulate him on his achievements in public life, and it is a great pleasure to see him occupying the high position of Finance Minister in this State. Sir, I have listened to several speeches in this Council. Many speeches have been delivered with great ability and distinction, and I am sure, by our devotion to duty and our industry, backed by your fairness, impartiality and philosophic temper, this Council will develop into a real form of enlightened and progressive discussion not in any way inferior to a popularly elected House. While I say this, there is one point that strikes me, which was mentioned by another member, and it is this. The present Council is quite different from the old Council. That Council consisted of zamindars, aristocrats and of persons who paid high taxes, and their political opinions, the character of their political beliefs, was entirely different from the other House. That is not so now—and I should like, therefore, to stress upon the Government the desirability of choosing Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries from this Council also. There will be no difficulty. The Ministers, the Deputy Ministers and the Parliamentary Secretaries must belong to the majority Party in the Legislature. They must have the same political opinions, the same political allegiance. Now in this Council there is a large number of members who belong to one party, who hold the same political opinion and who bear the same political allegiance, and I see no reason why Government should entirely exclude this Council from its choice when Ministers, Deputy Ministers and Parliamentary Secretaries are appointed. I hope, Sir, you will be good enough to represent our wishes to Government in this matter and I hope something will be done.

Now, Sir, in the budget speach of the Hon'ble the Finance Minister, which, I must say, has been written with great ability, the aims and ideals of Government are set forth with great lucidity. I admire those ideals, but countries are not governed merely by ideals. We have to see how the ideals of Government which are adumbrated in this document which the Hon'ble the Finance Ministers has placed before this House, are to be realized—by what plans and policies—and it is necessary, therefore, for the members of this Council to make a correct and careful appraisal of the policy and methods by which Government wants to realize them. Dull indeed would he be of soul whose heart does not rise in response to the great efforts which our patriotic men who contribute the Government are making to regenerate this country and its people. But if I present to this Council a critical analysis of the plans and policies of the Government, I do so for two reasons.

The first is that it is my duty as a member of this Council to express what I feel honestly about what Government says about Government plans and policies, secondly, Sir, it is my duty to represent to this Council the wishes and sentiments of the enlightened constituency which I have the honour to represent in this House, namely, the Graduates of the universities scattered over the 25 districts of this State. It is for this reason that I want to make a critical estimate of Government's plans. Now, let us look at the budget. The Finance Minister has pointed out to us the priorities in his programme. From these priorities, I am sorry to say, Education has been excluded. There are a number of projects—major and minor—construction of power houses, transmission lines, improvement of cottage industries, afforestation, and many other schemes of a beneficial nature. But, in his speech, he tells us that the State Government is passing through an acute financial crisis, and for these sundry plans, money will have to be found either by loans or by voluntary contributions in money or in labour or by taxation. These are the three alternatives which the Hon'ble the Finance Minister has suggested.

Now, Sir, it would be conceded by everybody that we are no longer a police State, we are a welfare State; although Finance Minister does not say so in his long statement. But, all the same, we are trying to be a welfare State. The European State that you have supplanted was a police State. The first and the foremost duty of the Britisher in this country was to maintain law and order and to exercise the authority of the Government. But we are now a welfare State, and a welfare State as every student of Political Science knows, has multifarious functions to perform. Its function is not merely to secure peace and order, but to develop the personality of the whole man. It is not merely the satisfaction of material wants, but it is also the satisfaction of spiritual desires that must be brought about in a welfare State. If you recognize that we are a welfare State—if you recognize the functions which a welfare State must perform—then it becomes necessary that you must find money. How is the money to come and where is it to come from ? My esteemed friend, Kr. Guru Narain pointed out that Government, by some diabolical ingenuity, had manipulated the figures to show that their income was much less than what it really was. I do not think, Sir

[डा० ईश्वरी प्रसाद]

that Government has deilberately done so. Like a good Baniya, Government has made an immodest estimate of its income—it is always a good thing to make a modest estimate of one's income, because in that case you do not run any risk, and to attribute a motive of that kind would be a very far-fetched thing to do. How is the money to be found. The Hon'ble Finance Minister has ruled out the earlier alternatives. He does not think money will come by loan; he does not think people will make voluntary contributions—he does not think contributions in labour would suffice to carry out those grandiose plans that he has in view, and, therefore, his ultimate resort is to what legislators have always considered objectionabletaxation. His ultimate resort is to taxation, and the taxation that he proposes is likely to impose very heavy burdens upon the people. I shall not go into the details of the matter. Members of the Council have read the proposals of the Finance Minister and they have come to know already what taxes he wishes to impose.

Now, Sir, Professor Adam Smith many years ago laid down the canons of a good scheme of taxation—justice, equality, certainty, conveneience. From this scheme of taxation which the Hon'ble the Finance Minister proposes, I find justice absent. In this scheme the rich and poor will be equally taxed and the burden will not be evenly and proportionately distributed. The burden of most of these taxes will fall upon the poor people. Therefore I object to the scheme of taxation that has been proposed. There is one tax which has become very odius. That is the Sales Tax.

I am not a shop-keeper nor am I a merchant but I have consulted dozens of them about this tax and their opinion is that it is one of the most odius taxes that they have to pay. It is a multi-point tax and to this day I have not been able to understand the obstinacy of the Government in sticking to this in spite of the opposition that has been offered to it. Before the Bombay Government also, the matter has been argued at considerable length and it was pointed out that a multi-point tax was an unjust thing, but the Bombay Government has also been obstinate in this matter throughout. I am sure our Finance Minister will take a more liberal view of the matter and will give it his careful consideration and see whether this multi-point tax is desirable. An article at the present moment, I am told by those who run shops and small commercial establishments is taxed at several places. One article is sometimes taxed six times, Now that is an injustice which must be removed. You may tax an article once, but no Government has a right to tax an article twenty times. In fact the result of this tax, Sir, will be that the consumer will be hard hit and so when I normally wish to purchase four towels, I purchase only one because the price will be much heavier than I can pay. The result will not, therefore, be favourable to trade, it will not be favourable to industry, it will not be favourable to the development of the country; and the object that you have in view will be defeated.

It will be asked what suggestions can you make in regard to this matter. We have admitted that development plans nee money. The Hon'ble the Finance Minister has said that he require 127 crores. He needed 127 crores out of which already somethin has been spent from the general revenues and he still requires 113 crores to carry out the schemes that he has formulated. Rs. 113 crores have to be found. If taxation is necessary, I would suggest, Sir, that it is the rich who must be taxed and not the poor. There must be a graduated tax on all property as my friend Professor Mukat Behari Lal said yesterday. There is no escape from the situation however unpleasant it may be to us. But I think property-owners must recognise that they will have to yield before the pressing claims of the State; and if the State has to perform its functions as a welfare State, money has to be found by some means. A gradated tax on property, therefore, is very necessary. A tax on the unearned increment which property owners have enjoyed for many years can also be legitimately levied. A tax on children as my learned friend Dr. Brijendra Swarup suggested, would be highly undesirable in this country and I think even the Central Government have rejected that. Those members who have followed the discussions in the Central Legislature will remember how Raj Kumari Amrit Kaur stoutly opposed the idea of birth control. She said birth control in this country by contraceptive would be wholly against our genius and culture and, therefore, she would oppose anything of that kind. I do not think it will be right for this Government to levy a tax on children or to make the birth of children scarce. The progress and happiness of a country like ours depends upon her flowing fountain of bright, healthy children, born into, what I hope, will be a broader society and a less confused world. A tax on agriculturists, a tax on other poor people who have no irrigated lands, will be a real hardship, and that you must avoid. What I would suggest, as Professor Mukut Behari Lal pointed out, is that you must tap those resources that have not been tapped so far. Your ground has been psychologically prepared by the abolition of zamindari. People already know that the whole question of property is going to be reviewed by Government, and, I think, Sir, that in these days, an enlightened Government will have to review the whole question of private property—how much private property I am to enjoy and how much is going to be taxed by the State, and what amount of property should remain untaxed. All these things must be discussed and all property-owners must be prepared for the consequences that arise out of these discussions.

There is another point, Sir, which I would like to mention, and it is that the State Government must ask the Central Government to give it a larger share of the income-tax. The Finance Minister has pointed out in his statement that a subvention was given by the Central Government, but it was stopped afterwards. I think it is time that the State Government stressed upon the Central Government the desirability of giving them a larger share of the taxes which they collect from this State and that will help us a great way in carrying out the schemes that we have in view.

The result of taxation, Sir, is always unpleasant. The theory of taxation is that you must always levy those taxes which people pay with consent. If people do not pay taxes with consent, your scheme of taxation is not likely to be successful. You have to carry the people along with you, and therefore it is necessary for the Government to carry the public opinion with it in making its taxation plans successful, because the important effect of taxation as my friend Prof. Mukut

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

Behari Lal said yesterday, will be to lower the standard of the people. Therefore the whole thing deserves very careful consideration and, since the Hon'ble the Finance Minister has said that he has not yet finalised these matters, I will suggest that a Taxation Inquiry Committee may be appointed by Government. We shall explore the possibilities of taxation in this State; we will find out what kind of taxes are to be levied, to what extent they are to be levied, and on what classes of the population. I will, therefore, protest as strongly as I can against the Government's desire to tax the poor and the middle classes in this State. The middle classes are already in a very unenviable position. All those who belong to the middle classes—upper middle classes or lower middle classes—scarcely find it possible to make both ends meet, and to put an additional burden of taxation on their already broken backs will be to enhance their misery interminably. I, therefore, suggest that the whole question of taxation should be examined by a Taxation Inquiry Committee, and thereafter proposals should be formulated.

There is another source from which money can come and that is economy in the expenditure of the State. I know a democratic State is a very expensive State. That is a difficulty which every citizen will realize. But I have carefully looked into the Budget and I find that Government have not made any serious effort to effect economies in the Budget. I had a talk with a member of the Finance Department, the other day, and when I asked him about the economies, he said the only economy was the appointment of Deputy Ministers. Now, Sir, I have looked into the Budget and I find that under several heads economies can be effected. There is the Prantiya Rakshak Dal, a Provincial Cadet Corps, which is a useless body and on which Government spends a considerable sum of money every year. Students do not derive any advantage therefrom. And there are several other things on which expenditure can be minimised.

Now I pass on, Sir, to Education, which is a subject with which I am directly concerned. I am glad the Hon'ble the Minister for Education is present here, and I am sure he will give careful consideration to what I am going to say. It was Plato who said that the post of the Education Minister in a Government was the most important because on his activities, on his plans and policies, depended the future development of the race. I shall be brief—although I have a very long tale of woe. The expenditure of Government on Education if compared with that on Jails and Police, is small. For Jails and Police, Sir, there is a provision in the present Budget (1952-1953) for rupees eight crores twenty-four lakhs forty-nine thousand and seven hundred rupees (8,24,49,700). For Education it is rupees eight crores and eleven lakhs twelve thousand and eight hundred (8,11,12,800) only. That is to say, Government spends more on Police and Jails than Education, and the provision for Jails and Police is higher than the provision made for Education and Public Health which both aggregate to Rs. 9,18,00,000 and something.

Hon'ble Minister for Education (*Sri Har Govind Singh*): You are not concerned with Public Health. Anyway Government is prepared to spend such a huge amount on Education this year.

Dr. Ishwari Prasad: Now, Sir, Education has two sides. One is the administrative side and the other is the teaching or examinations side. On the administra-tive side, I think there has been a great deal of waste and confusion and I will give several instances of this. It is quite true that the number of students has increased, that the number of teachers have increased but the number of officers has also increased almost disproportionately. If I may say so there is one Director of Education, two Deputy Directors at the Headquarters, five Regional Deputy Directors and there are 51 Inspectors now in the State besides a large number of Deputy Inspectors, Sub-Deputy Inspectors and Assistant Incpectors and so on. The staff has abnormally increased. In every district there is a first class officer who is an Inspector. That is not necessary. There are certain districts that can be combined. Ghazipur can be combined with Ballia, Jaunpur and Azamgarh can be combined, Deoria can be combined with Gorakpur and so on regrouping of districts can take place without any inconvenience to Education.

Then there is another thing that was done in the last regime for which my honourable friend the present Minister of Education is not responsible. O. S. D. was appointed on the slightest pretext by the Education Department. As a matter of fact there was a plethora of O. S. Ds. If you look at the Edudation Department's Budget for the last few years, you will find an Officer on Special Duty for primary Education, another Officer on Special Duty for Secondary Education, another Officer on Special Duty for *Siksha* assisted by a photographer who gets Rs. 200 a month, O. S. D. for this O. S. D. for that O. S. D. for everything. There were at one time five O. S Ds. in the Education Department at Allahabad and you will be surprised to hear that there was an O.S.D. who was entrusted with the work of revising the Educational Code. That officer had no experience of educational affairs. He was never a teacher, never an officer in the Education Department and yet he was deputed by Government of look after the Educational Code; a revision of the Educational Code which contains 440 clauses was ordered, I suppose seven or eight years ago, and that revision has not yet been completed. I will, therefore respectfully suggest to Government that these Officers on Special Duty should be minimised. An Officer on Special Duty for *Siksha* is not needed at all. This work can be done by any member of the Educational Service in one of the training colleges, with a small allowance, and a permanent photographer getting Rs. 200 may be dispnesed with. There is an O. S. D. who is entrusted with the work of spinning and weaving. He is only a vernacular middle passed gentleman who draws a salary of Rs. 200—400.

I do not know what work he actually does at present. Each O.S. D. has a large staff to assist him, e.g. the clerks, typists, despatchers, etc. All this, Sir, means a needless waste of public money. I am surprised that the revision of the Educational Code, which was begun many years ago by Thakur Nepal Singh has not yet been completed.

Then, Sir, these Officers on Special Duty have Assistant Officers on special Duty. They also get large salaries, they have stenographers, clerks, and all the paraphernalia which officers require in modern times. All this is a heavy drain on the financial resources of the State and I will, therefore, appeal to the Hon'ble Minister in charge of Education that something should be done even now to simplify this expenditure.

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

There is another thing, Sir. There is a mobile squad. I am not concerned with the squad, but whenever I go to a college, I enquire about the mobile squad, and those persons who are carrying on the work tell me that it is a waste of money, pure and simple. A mobile squad gives in 28 days the training that used to be imparted to an untrained teacher in a single year. Now, Sir, to compress ten months, training into 28 days' training is a feet, I think, which is impossibe for an educationist to perform however efficient he may be. The mobile training squad is, therefore, a waste of money and must be stopped immediately because it does not do any good. I am grateful to Government that normal schools have been started in every district. This is very desirable. It will bring into existence a large body of trained teachers with whose help the standard of rural education is bound to improve.

As regards the Educational corps, for what a provision of Rs. 5,19, 300, has been made in the present budget I may also be allowed to submit, with your permission, Sir, that it is a waste of public funds. It is not doing any useful work, and the time of teachers and students alike is wasted in running about here and there. No equipment has been provided in certain colleges where the scheme has been given a trial for the present, no interest is tken in it. In the course of their regular training for ten months at some Training College, the teachers who are interested in military training, may be given the facilities which are required and this will produce the desired result.

Then, there is another point, Sir, regarding the Banaras Sanskrit College. I paid a visit to the Banaras College lately. The Banaras College is now a decapitiated institution. It was a very important institution in the Province many years ago. And the Ministry and the Government want to establish a University of Sanskrit at Banaras without a Vice-Chancellor, without Faculties and without the necessary paraphernalia required to bring into existence a Modern University. I looked into the classes and found not more than 20 students. All the *gaddis* were vacant. I was told that there is a large number on the roll of this College but the attendance was meagre. Now, that, Sir, is a sorry state of affairs. Government ought not to have wasted money in this manner and if Government was anxious to have a University of Sanskrit, it ought to have appointed a committee and organized a university on a proper basis, so that the Sanskrit learning might have been revived and given a modern touch.

There was another attempt, Sir, to organize astronomical studies at Banaras, and my enquiries revealed to me that Government had wasted a lot of money there too. For Rs. 10,000 a transit was purchased in 1950 which was a 1914 model and is lying useless at Banaras. A telescope was purchased for Rs. 63,000 and that is also lying useless there.

This is how the money of the State has been wasted and I should like the Hon'ble Minister of Education now to look into these things, with an open mind, with an unbiased mind, and to introduce reform wherever he conveniently can without harming public interest.

Now, there is the other side of education, i.e. the teaching and examinations side. I do not wish to say much on this subject. Members have already said that the standards have gone down. Everybody from the Prime Minister of India downwards says that students show a great lack of general knowledge and common sense. Education is divided into three parts—primary, secondary and university. The Primary education must be controlled by the State. In the matter of Secondary education also, there is a great deal of confusion but I hope the committee which Government has appointed will make recommendations which will greatly improve the conditions now prevailing in the Schools and Intermediate colleges. The budgetery provision for the Board of High School and Intermediate Education is Rs. 29,54,300. It is a huge amount and must be properly utilised. Then, Sir, I come to University education. I am thankful to Government for announcing that they will help the Allahabad and Lucknow Universities to wipe out their deficit. That was absolutely necessary. But I do not like the rider that the Government have added that they will lay down the rules by which finances are properly managed in the university. Nobody will object to a proper regulation of the finances but I hope; Sir, Government will not in any way encroach upon the autonomy of the universities. There is no desire on the part of the Government to do so, I hope. The condition of the teachers requires very great improvement. In aided schools and colleges there is a great disparity of pay. The pay must be the same in Government Degree Colleges as well as aided colleges and schools, and there are other minor matters which I will discuss privately with the Hon'ble Minister of Education.

Zamindari Abolition, Sir, has been discussed in this, House. It is no use talking about what the zamindar was. It is no use expatiating on sins of omission and commission committed by the zamindars, but we have now to do something to improve their lot. A large number of men have been deprived of their livelihood and as my friend Dr. Piare Lal Srivastava said, something must be done by Government to find employment for these people. I hope Government will also pay attention to the suggestions that have been made by other friends of mine regarding consolidation of holdings, re-distribution of land and sundry other matters about the management of revenues. In my opinion, Sir, a very important and difficult matter after zamindari abolition is the question of the maintenance of law and order. The abolition of zamindari will give an impetus to lawlessness and in the part of country from which I come, i. e. Agra there is a great deal of lawlessness at the present moment. You know how the dacoit gangs are roving about and they have made the life of the people there miserable. In this connection I would request Government to tighten the administration wherever it is found necessary.

Then again, Sir, Public Health and Sanitation and Medical Education must receive proper attention. Disease must be attacked wherever it is found whether the sufferer is rich or poor on the ground that it is the enemy. It must be attacked just as the fire brigade gives help to the humblest cottage and the richest mansions. Children are the real wealth of a country and I cannot imagine a more unfortunate generation of children than the one that lives today without getting nutritious food in some cases without getting even two square meals a

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

day—and the result is that health is going down day by day. I am sure, Sir, that the Government will do something in order to improve the physique of children reading in schools and colleges.

There is one thing more, Sir, and that is that provision for medical relief should be made on a larger scale by Government. All these things are very necessary and I shall sit down by making one observation only at the end and it is this. The Hon'ble the Finance Minister and that is the conclusion of my speech has said in his speech that his object is to create conditions favourable for rapid economic growth of the State and intellectual and cultural advancement of the people. I do not know whether moral has been deliberately omitted. The duty of the State is to bring about intellectual, moral and cultural advancement of the people. How are these condition to be brought about in this State. Every thinking man will ask himself what the conditions now are. Look at morality. Morality is looked upon as a convention. Education has failed of its purpose. Unfair means at examination are becoming common, and teachers are assaulted for chastising students for doing so.

Hon'ble Minister of Education : That is why there is a huge budget for Police and Jails (*Laughter*).

Dr. Ishwari Prasad: In the administration itself evils have crept in which must be remedied. One member referred to flattery becoming very common in this State. I do not know whether Ministers are fond of flattery but, Sir, flattery is a great evil. You may remember what Burke said, "Flattery corrupts both the receiver and the giver and adulation is not of more service to people than it is to Kings." Corruption, jobbery and nepotism are great evils that must be ended. Government should pay more attention to the facts whether a public servant has done his duty honestly or not and flattery alone should not be considered to be a qualification.

Let us all hope that both Congressmen and non-Congressmen will combine together in order to carry out the great schemes which the Finance Minister has in view and to create in the people that spirit of self-helf and co-operation upon which depends the progressive realization of the goal so near and dear to our hearts. Partyism is the curse of our modern times. Let us put the country above party and strive for common welfare. The ideal which we might place before ourselves was described by our sages thousands of years ago in these words :

सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निराभयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चिद्दुखभाग्भवेत् ॥

" May all enjoy happiness !
May all enjoy health !
May all see thy auspicious day !
May none experience misery and hardship. "

I am very thankful to you, Sir, for the indulgence that you have granted to me.

चेयरमैन—मुझे फिर से यह निवेदन करना है कि माननीय सदस्य चेयरमैन से सहयोग करें नहीं तो इसका नतीजा यह होगा कि कुछ सदस्यों को बोलने का मौक़ा नहीं मिलेगा।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू—माननीय अध्यक्ष महोदय, तुलसीदास जी का एक दोहा रामायण में है, "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी"। इसी प्रकार से इस बजट को भी सबने अपनी अपनी भावनाओं के रूप में देखा और कोई तो कहता है कि यह ग़रीबों का बजट है और कोई कहता है कि यह अमीरों का बजट है और हमारे समाजवादी भाइयों को तो यह बजट कूड़े की टोकरी में फेंकने के योग्य दिखता है, चमड़े की जबान है, कभी फिसल गई तो जो चाहा कह दिया। मगर मुझ को तो यह बजट ग़रीब और अमीर सब का समान हित करने वाला दिखता है। हमारी सरकार ने समय को और देश की स्थिति को देखते हुये बजट को बड़ी बुद्धिमानी से बनाया। हमारे पूर्वी ज़िलों में भी ऐसे ज़िले हैं जहां सिंचाई के साधनों की कमी है वहां आबपाशी के लिये नहर, बांध, कुयें और बिजली के ट्यूबवेल बनवाने की जो योजनायें हमारी सरकार ने इस बजट में रखी हैं वह सराहनीय हैं। मेरी शुभ कामनाएं इस कार्य में अपनी सरकार के साथ हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि बजट में जो योजनायें हैं वह फलीभूत हों और सरकार को उसमें सफलता प्राप्त हो। परन्तु इस बजट में जो अन्य प्रस्ताव हैं उन पर नजर डालते हुये मैं अपना एक सुझाव अवश्य रखना चाहती हूं और इस बात की आशा करती हूं कि सरकार इसको सुधार के रूप में लेगी न कि आलोचना के रूप में। हमारी सरकार ने इस बजट में समाज के हित के लिये बहुत सी बातें रखी हैं परन्तु मिडिल क्लास के हित की कोई बात नहीं रखी है और न इसमें उनके लिये कोई साधन है। हमारे देश में पहले से बहुत ज्यादा टैक्स लगे हुये हैं परन्तु इसमें और भी टैक्स लगाने की बात है यहां तक की जो हमारे रोज़ के खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे चाय वगैरह उस पर भी सेल्स टैक्स लिया जा रहा है। आप जानते हैं कि आज कल मिडिल क्लास मैन कितने कष्ट से अपनी जिन्दगी गुज़ार रहा है और इन सब टैक्सों का भार अधिकतर उसी पर पड़ता है। यदि टैक्स और भी बढ़ाए गये तो उसकी पीठ ही टूट जायेगी। फिर भी यदि देश के हित में टैक्स लगाना आवश्यक है तो आप हमारी सर आंखों पर। आप टैक्स लगाइये हम खुशी से देंगे। क्योंकि देश के लिए हमारी जान भी हाज़िर है। परन्तु हम अपनी इतनी कुरबानी और त्याग का फल देखना चाहते हैं।

पिछले २ वर्षों से हमारी गवर्नमेंट ने इस देश को शिक्षित बनाने के लिये १५ हज़ार के क़रीब ग्राम पाठशालायें खोली हैं। खोली ज़रूर परन्तु क्या इससे देश शिक्षित हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनमें से अधिक पाठशालायें ऐसी हैं, जिनमें यदि मास्टर है तो पढ़ाने के लिये पाठशाला नहीं। यदि पाठशाला है तो मास्टर साहब का पता नहीं है। यदि सौभाग्य से किसी जगह पाठशाला भी है और मास्टर साहब भी मौजूद हैं तो वहां पर पढ़ाने लिखाने का कोई सामान नहीं, न कलम, न दावात, न काग़ज़, न किताबें हैं, तो पाठशाला में बालक और बालिकायें कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और क्या पढ़ाई हो सकती है उससे तो अच्छा यह ह कि यदि इन १५ हज़ार पाठशालाओं के बजाय १५ सौ पाठशालायें खोली जातीं और जो रुपया बचता वह उन मास्टरों को वेतन के रूप में दे दिया जाता जो उनमें पढ़ाते हैं तो अच्छा होता। आप जानते हैं कि ग्रामों में जो मास्टर हैं उनके हाथों में भावी संतान का भविष्य है और यह ग्राम के जो मास्टर्स हैं इनकी तनख्वाह उतनी भी नहीं है, जितनी कि हम अपने नौकरों को देते हैं। उनको नौकरों से भी कम तनख्वाह मिलती है। ऐसे मास्टरों में क्या आत्मबल हो सकता है। ऐसे भूखे नंगे मास्टर क्या हमारे बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। क्या वह हमारे बच्चों को चरित्रवान बना सकते हैं।

यही हाल आज हमारे विलेज डिस्पेन्सरीज का है। आज हमारे गांव-गांव में डिस्पेन्सरीज़ खुल गई हैं। लेकिन न वहां दवा है न इन्सट्रूमेन्ट्स हैं। वहां एक गद्दी बिछी रहती है, डाक्टर साहब उस पर बैठे रहते हैं और दो एक दवा की शीशी रखी रहती हैं, जो हर मर्ज़ में इस्तेमाल की जाती हैं। वहां डाक्टर बैठा रहता है और जब कोई मरीज़ उसके पास जाता है, तो वह कहता है कि मैं क्या इलाज करूं जब यहां कोई दवा ही नहीं है। वह कहता है कि मैं एम० बी०, बी० एस० हूं, मगर यहां आकर मैं अपनी डाक्टरी भूल गया हूं।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

यही हाल पुलिस विभाग का है। हम देखते हैं कि बजट में पुलिस विभाग पर काफ़ी रुपया खर्च किया गया है। हमारी सरकार ने पुलिस की संख्या भी बढ़ा दी है। परन्तु उसके साथ क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। हमारे देश में क्राइम्स बढ़ते ही जाते हैं। यह लखनऊ शहर हमारे राज्य की राजधानी है और अंग्रेज़ों के ज़माने में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिविल लाइन्स में चोरी हो। परन्तु आज चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि हमारे बड़े-बड़े अफ़सरों के घरों में भी चोरी करने से नहीं डरते और बहुत मुमकिन है कि यह यहां तक बढ़ जाय कि कुछ दिनों के बाद दिन दहाड़े चोरी होने लगे। अफसरों की बात तो जाने दीजिये मिनिस्टरों के घरों में भी चोरी होने लगी है। इसका कारण यह है कि चोर यह समझने लगे हैं कि हमारी पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है कि वह उनको पकड़ नहीं सकती है। आज हमारे शहरों की जान माल चोरों के हाथ में है। प्रान्तीय रक्षक दल जिस पर काफ़ी रुपया खर्च होता है वह भी मालूम नहीं किस की रक्षा करता है। हमारे एक भाई जो कल असेम्बली में बोल रहे थे वह कह रहे थे कि पुलिस वालों को वेतन कम मिलता है इसलिये वह डिसआनेस्ट हो गये हैं। यह बड़ी अजीब बात है। हमारा देश एक ग़रीब देश है, हर एक को पांच सौ तनख्वाह नहीं मिल सकती है इसलिये यह जजबात न होने चाहिये कि चूंकि तनख्वाह कम मिलती है इसलिये डिसआनेस्ट हो जाय। आप चाहे जितना पुलिस पर खर्च करें लेकिन अगर सख्ती नहीं बढ़ती है, तो दिन दहाड़े चोरी होने लगेंगी। मुझे तो यह कहना है कि अगर किसी हल्के या थाने में आयन्दा चोरी हो, वहां के थानेदार को फौरन मुअत्तल कर दिया जाय। इससे या तो चोरी पकड़ी ही जायेगी या चोरी होना बंद ही हो जायेगा। हमने पुराने साहित्य में पढ़ा था कि अशोक महाराज के ज़माने में हमारे देश में कभी कोई चोरी नहीं होती थी और रात के समय में भी लोगों के घरों में ताले खुले पड़े रहते थे। लेकिन जब कभी चोरी होती थी तो वहां का कोतवाल पकड़ लिया जाता था और यह क़ानून था कि चोरी के नुक़सान का देनदार वही कोतवाल ठहराया जाता था। यह दस्तूर था। काश कि वही दस्तूर आज भी हमारे देश में लागू होता।

मुझे खुशी है कि हमारे प्रान्त में ज़मींदारी का विनाश हो गया है। हमारी सरकार ने जो इतने दिन हुए वादा किया था वह आज पूरा हो गया और ज़मींदारी की प्रथा हमारे सूबे से आज खत्म हो गई है। लेकिन हमारे जो समाजवादी भाई हैं उनको इसमें भी नुक्स दिखाई देता है। वह इसे ठीक नहीं समझते, उनके हाथ में दुधारी तलवार रहती है। वह ज़मींदारी के बजाय ज़मींदारों को ही खत्म करना चाहते हैं। अगर आज ज़मींदारी प्रथा न हटी होती तो कहते कांग्रेस वाले बड़े खराब हैं यह ज़मींदारी प्रथा को खत्म करने के अपने वादे को पूरा नहीं करते। यदि आज ज़मींदारी हट गई है तो उनको ज़मींदारी हटने की खुशी नहीं है। वह कहते हैं ज़मींदार बने हुए हैं वह ज़मींदारों को ही नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार का यह रुख नहीं है। उनके लिए ज़मींदार काश्तकार दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही उनकी प्रजा हैं उनको ज़मींदारों से दुश्मनी नहीं, वह ज़मींदारों को नहीं बल्कि ज़मींदारी प्रथा को मिटाना चाहते हैं। आज ज़मींदारी समाप्त हो जाने से ज़मींदार वर्ग कष्ट में है। उनके पास काफ़ी पैसा न होने से वह रोज़गार नहीं कर सकते। यह माना कि हमारी सरकार उनको मुआविज़ा देगी। परन्तु वह बहुत थोड़ा थोड़ा करके और बहुत अर्से में मिलेगा। इसलिए मेरा सरकार से बाअदब यह सुझाव है कि मैंने सुना है कि सरकार ३०० नायब तहसीलदार रखना चाहती है, जो ज़मींदारी एबालीशन के बाद ज़मीन का लगान वसूल करेंगे, उनको तीन सौ या साढ़े तीन सौ रुपया माहवार वेतन पर रखा जायेगा। ऐसा क्यों न किया जाये कि उन्हीं ज़मींदारों को ही, जो बेकार हो गये हैं इन जगहों पर रख लिया जाये। वह इस काम को जानते भी हैं और इस काम को निहायत ईमानदारी से कर सकेंगे। थोड़ी बहुत बेकारी हटने से हमारे देश का भी फायदा होगा।

मेरे सुझाव जो हैं वह निहायत ही अल्प बुद्धि के हैं परन्तु जो कुछ मैंने कहा है वह साधारण जनता के हृदय की मांग है, जो मैंने आपके सामने रखी है। साधारण जनता हम कांग्रेस वालों

के साथ आज भी हैं। एक भाई ने यह कहा कि कहा जाता है कि कौन जीता, कौन हारा, कितने वोट किसको मिले, यह बेजा बात है। लेकिन मैं उन भाई साहब से बाअदब कहूंगी कि इधर की तरफ से यह बात नहीं कही गई बल्कि उधर से ही प्रोफेसर साहब ने यह बात कही थी। उन्होंने कहा कि ३ करोड़ वोट्स में से केवल ८५ लाख ही कांग्रेस को मिले। तो इसमें कोई बड़ी महत्व की बात कांग्रेस के लिए नहीं है। मैं उन भाई साहब से कहना चाहती हूं कि ऐसे समय में जब कि छः-छः सात-सात पार्टियां हमारे खिलाफ सारा तूफान खड़ा कर रही हों उस समय एक कांग्रेस का शेर आकर गुर्रा दे और सारी की सारी पार्टियां भाग खड़ी हों तो क्या यह कांग्रेस के लिए कम महत्व की बात है। यह क्या कांग्रेस के लिये गर्व की बात नहीं है? उनके लिये क्या गर्व की बात है? उनकी पार्टी वालों को तो केवल ३०, ३५ हज़ार ही वोट मिले। जिन लोगों ने हमको वोट नहीं दिये वह ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग थे। वह हमसे कुछ बातों की वजह से गुस्सा थे। मसलन् कंट्रोल वगैरह। वह अपना समझ कर हमसे नाराज़ होकर बैठ गये और उनके वोट आज भी हमारे लिए संचित धरे हैं। अगर उनका वोट हमको नहीं मिला तो उन्होंने आपको भी तो वोट नहीं दिये। इसलिये आपको ग़रूर नहीं होना चाहिये। आप देहातों में जाकर देखिये। वहां भी जिनको गंवार कहा जाता है, वह अच्छी तरह से जानते हैं कि किस पार्टी के साथ रहने से हमारा हित होगा। यहां असेम्बली में वोट की बात चीत करने से ज्यादा अच्छा है कि जाकर देहातों में इस तरह की बात चीत कीजिये। इससे आपकी पार्टी का प्रोपेगैन्डा भी होगा। ५ वर्ष की मुद्दत कोई ज्यादा नहीं होती। यदि हमारी सरकार की यह ५ वर्ष की योजना कामयाब हो गई तो कोई भी संसार में ऐसी ताक़त नहीं होगी जो जनता के दिल से कांग्रेस को गिरा दे, और यह जो दो चार मूर्तियां इस वक्त यहां बैठे दिखाई दे रही हैं, वह भी अगले चुनाव में यहां दिखाई नहीं देंगी। सोशलिस्ट पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं उसमें दिखाई देगी।

चेयरमैन--अब आपका समय खत्म हुआ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू--अब मेरा समय खत्म हुआ। यदि मैंने अपने भाषण में कोई ग़लती की हो तो माननीय मन्त्री जी तथा और दूसरे सदस्यगण मुझे क्षमा करेंगे।

*श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार की तरफ से ५२-५३ के चालू वर्ष का जो बजट इस सदन में रखा गया है, उस सिलसिले में मैं यह समझता था कि नवीन संविधान के अन्दर जो सदन बनेगा और उस सदन में जो बजट आयेगा, वह बजट कम से कम किसान, मजदूर तथा निम्न वर्ग की जनता को राहत देने वाला बजट होगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज का बजट यह उसी तरह से प्रतिक्रियावादी है, जिस तरह से यह पिछले पुराने ज़माने में प्रतिक्रियावादी रहता था। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस बजट से किसानों या मजदूरों की जिन्दगी नहीं उठेगी। ग़रीबों को और ग़रीब बनाने वाला यह बजट है। यह साफ़ तौर से कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। बजट को देखने से मालूम होता है कि इस सरकार या कांग्रेस पार्टी की नीति या कार्य-क्रम क्या है। इस सिलसिले में जब मैं बजट को देखता हूं तो उसके देखने से मालूम होता है कि यह ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार का बनाया हुआ बजट है, जो सरकार पूंजी परस्त है और साथ ही साथ वह ग़रीब जनता के साथ सहानुभूति रखने वाली सरकार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस बजट पर बोलते हुये हमने यह देखा कि सरकारी बेंचेज़ की तरफ से जो बातें कही गईं वह बहुत कुछ सरकार के ख़िलाफ कही गईं। दूसरे लोगों ने जो सरकारी बेंचेज़ की तरफ से बोले हालांकि उन्होंने बजट के खिलाफ बातें कहीं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सोशलिस्ट पार्टी वाले इस बजट की मुखालिफत करते हैं। डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर ईश्वरी प्रसाद, जो यहां पर बैठे हुये हैं, कुंवर गुरु नारायण यह सब लोग सोशलिस्ट पार्टी के नहीं हैं। इन लोगों ने भी माना है कि यह जनता का बजट नहीं है। उन्होंने बतलाया कि टैक्जेशन के प्रिंसिपल क्या होना चाहिये। उसका आधार क्या होना चाहिये। डेवेलपमेंट

सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

प्राजेक्ट, फाइव इयर्स प्लान रक्खा गया है उसके लिये जो टैक्जेशन का सवाल है उसके लिये क्या आधार होना चाहिये, उसको बतलाया। माननीय प्रोफ़ेसर मुकुट बिहारी लाल साहब ने बहस शुरू करते हुये बतलाया कि टैक्जेशन का प्रिंसिपल यह होना चाहिये कि जो कम तनख्वाह वाले हैं, कम आमदनी वाले हैं, किसान मजदूर निम्न मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनको टैक्स न करना चाहिये। पहिले उन्हें टैक्स करना चाहिये जिनके लिये मार्जिन यूटिलिटी आफ़ मनी बहुत कम है। उनको टैक्स न करना चाहिये जिनकी मार्जिन यूटिलिटी आफ़ मनी बहुत ज्यादा है। मैं उन बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहता। मैं तो केवल इसकी चर्चा इसलिये कर रहा था कि उन्होंने बतलाया कि प्रिंसिपल आफ़ टैक्जेशन क्या होना चाहिये। लेकिन सरकारी पक्ष ने उस पर ग़ौर नहीं किया। श्री इंद्रसिंह ने कहा कि प्रोफेसर साहब ने कौन सी नई बात कही। तो मैं बतलाना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब ने टैक्जेशन के प्रिंसिपल को कहा। इसलिये मैं कहता हूं कि यह बजट ग़रीबों को राहत देने वाला बजट नहीं है बल्कि उनकी ज़िन्दग़ी को दूभर बनाने वाला बजट है। सवाल यह उठता है कि फिर वह रुपया कहां से आये। उसके लिये दूसरे टैक्जेज़ के सुझाव विरोधी पार्टी की तरफ से दिये गये हैं। डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप ने कहा था कि बजट जो दिया हुआ है और उसमें जो एक्सपेंडीचर दिया हुआ है उसमें से बहुत से मद ऐसे होंगे जहां पर व्यय न हो। तो ऐसी मदें देखने से मुमकिन है कि एक या दो करोड़ की बचत निकल आये। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि इकोनामिक ड्राइव होना चाहिये। बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बहुत काम के न हों, अधिक उपयोगी डिपार्टमेंट न हों उनको हटा देना चाहिय और इस तरह से बचत करना चाहिये। इस डेफिसिट के लिये उसको पूरा करने के लिये मैं दूसरा रास्ता भी बतलाना चाहता हूं। इस सदन में सेलरीज़ बिल के ऊपर बोलते हुये मैंने एक सुझाव रक्खा था जो डेवेलपमेंट की स्कीम में भी लागू हो सकता है। इसके लिये क़र्ज़ का रास्ता खोल देना चाहिये और नेशनल सेविंग सार्टीफिकेट जैसी स्कीम चालू करना चाहियें।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट में यह भी कहा गया है कि पिछली योजनायें चलाई गईं, लेकिन वह कामयाब नहीं हुईं। इसकी वजह यह है कि आपकी प्लानिंग में जनता को यक़ीन नहीं है। आप जो डेवेलपमेंट के तरीक़े इस्तेमाल करते हैं, टाप हेड ऐडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकलता।

जब उन पर विश्वास नहीं है आपकी एकोनामिक पालिसी के प्रश्न पर आज उनको यह खतरा है कि यह सरकार एक बैंकरप्ट के रूप में हमारे सामने आई है आज उनमें से कोई भी ग़रीब और मध्यम वर्ग में से कोई उनकी प्रार्थना पर कैपिटल के रूप में उसमें शिरकत करता, वह ऐसा करने पर तैयार नहीं है। हमारे माननीय प्रोफेसर साहब ने एक बात कही है वह बहुत सही है, आज कैपिटलिस्ट जिनका आप दम भरते हैं, जिनके लिए बजट में काफ़ी प्राविजन होता है, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ कोई झुकाव नहीं होता है वह भी आपकी इकोनामी में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं होते हैं। यह केवल उस बात का नज़रिया है।

जो आज गवर्नमेंट की तरफ से प्लानिंग और डेवेलपमेंट की स्कीमें हैं उनको गवर्नमेंट इकोनामिक पालिसी के आधार पर निर्धारित नहीं करती। प्लानिंग के लिए यह जरूरी है कि किन चीज़ों को प्रायर्टी दी जाय। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर, इरींगेशन वगैरह को ज्यादा प्रायर्टी दिया है। एग्रीकल्चर के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि प्रिछला साल डेफिसिट का साल रहा है। हमारे सदन के नेता हमारे सामने मौजूद हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो भी आपके सामने प्लानिंग की बातें हैं क्या आप समझते हैं कि वाक़ई सरकार अपनी नीति में सफल हो सकती है। अदलपुरा की जमीन आपने डेरी के नाम पर लिया। यह वह जमीन थी जिसमें बीस मन और २५ मन फी एकड़ धान पैदा होता था, उसको मेकानाइज करने के लिए लिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ऐसा तरीक़ा निकालें, जिसके ज़रिये से आपको ऐसा काम न करना पड़े, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी आ जाय। मेकानाइजेशन

के लिए अगर आपको ज़मीन लेनी थी तो ऊसर, बंजर और परती ज़मीन लेते, आपके पास उसे सुधारने के लिए साधन थे । बनारस में चकिया का इलाका आपको मिला, जिस वक्त वह राज्य आपके प्रान्त में मिला, वहां बड़े बड़े पट्टे हुए, छोटे छोटे पट्टे तोड़े गये । वहां जो हज़ारों बीघा ज़मीन परती और ऊसर पड़ी थी वह सब बड़े बड़े लोगों को दे दी गई । किच्छा की तराई ऐसी है, जहां कोई शख्स रहना या खेती करना पसन्द नहीं कर सकता है वहां के लिये कहा जाता है कि वहां ज़मीन पड़ी है कोई बसने को तैयार नहीं है । मैं कहता हूं कि जहां लोग बसे हैं और ज़मीन चाहते हैं वहां के छोटे छोटे ग़रीब लोगों को आप ज़मीन देने को तैयार नहीं होते और दूसरी जगह जहां लोग रहना पसन्द नहीं करते वहां आप ज़मीन दे रहे हैं । तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी प्लानिंग कामयाब होगी । हज़ारों बीघे का पट्टा दीवानचन्द कपूर का बहाल किया गया मगर छोटे-छोटे किसानों के पट्टे बहाल नहीं किये गये ।

इर्रीगेशन के सिलसिले में मैंने जैसा कहा कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जाएं उसके लिये आपने बजट में प्राविजन रखा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने इस बात का सुझाव दिया कि छोटे छोटे ताल का जो पट्टा हो रहा है, वह नहीं होना चाहिए । आपने ज़मींदारी अबालिशन में इसको रिकगनाइज़ किया कि कम्पेन्सेशन दे कर वह वापस लिया जा सकता है । क्या मैं जान सकता हूं कि इसके सिलसिले में बहुत से मुक़द्दमे चलाये गये हैं । यदि आप के ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट में प्राविजन होता कि जो ताल के पट्टे हो गये हैं वे ग़ैर क़ानूनी होंगे तो मैं समझता हूं कि यह एक सच्चाई और सैद्धान्तिक काम होता । लेकिन यह नहीं हुआ ।

इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आप का प्लानिंग का सिलसिला है उस प्लानिंग के बारे में आप के सामने कोई सही चीज़ नहीं है । मैं समझता हूं कि जो आप प्लानिंग करने जा रहे हैं, उससे जनता में क्या आदर्श पैदा होने जा रहा है । उसमें जनता कितना सहयोग करने जा रही है । इससे आप जनता के कितने नज़दीक़ जा रहे हैं । केवल प्लान शब्द से ही काम नहीं चलता है । प्लानिंग की सर्विसेज़ में ऐसे लोगों की आवश्यकता है, जो आप के इकोनामिक प्रोग्राम को चला सकें । आज सरकार के पास इस तरह की कोई मशीनरी नहीं है । मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग या किसी क़िस्म का कोई कालेज इसके लिये खोला है या नहीं ? चीन की बात कही जाती है । हम चीन का ज़िक्र नहीं करना चाहते हैं । हम तो इस बात को मानते हैं कि जहां चीन में इकोनामिक एक्वेलिटी और पोलिटिकल एक्वेलिटी नहीं है, वह कहां तक ठीक हो सकता है । हम तो इसे पसन्द नहीं करते हैं । लेकिन दूसरी तरफ आप भी इकोनामिक एक्वेलिटी और पोलिटिकल एक्वेलिटी की बात को नहीं मानते हैं और सोशलिस्ट पार्टी इसको मानती है । लेकिन साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि चीन अपने प्लान के लिये तीन हजार विद्यार्थियों का एक काडर बना कर यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग दे रहा है । आज आप को भी इसी तरह की जरूरत है । यदि आप प्लानिंग को चलाना चाहते हैं तो सरकार ने इसके लिये जरूरी बातों को इस बजट में नहीं रखा है । इस सिलसिले में मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो आपने हमारे सामने बजट रखा है उसमें किसानों की खुली लूट का कोई बन्दोबस्त नहीं किया है, ताकि किसानों की खुली लूट को बन्द किया जा सके । आप कहते हैं कि हमने किसानों के लिये कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बना दी है और हम ने आज उनके लिये ऐसे ज़राये पैदा कर दिये हैं, जिसे सहयोग के आधार पर कर दिया गया है । जो आप ने कोआपरेटिव की बात कही है, वह यदि होगी तो आप के पेपर पर ही होगी । मैं कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटी का जो विभाग है, वह बहुत ही खराब विभाग है । यदि वह ऐसा चलेगा तो इससे जनता का भला नहीं हो सकता । इसके लिये जो सेन्ट्रल की कमेटियां बैठीं, जिनमें से अग्रेरियन फाइनेन्स कमेटी, कोआपरेटिव प्लानिंग सब-कमेटी और एग्रीकल्चर रिआर्गनाइजेशन कमेटी थीं इन तमाम ने ऐसी बातें कही हैं कि जो कोआपरेटिव बैंक्स की तरफ से रुपया दिया जाय, उसका इन्टरिम पीरियड में सवा छः परसेंट सूद और लांग टर्म में ६ पर्सेन्ट सूद होना चाहिए । लेकिन आपकी क्रेडिट सोसाइटीज़ तो १० और १५ फ़ीसदी सूद ले रही हैं । ऐसी सूरत में आपके सामने यह बात साफ है । जब

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

तक आप ने बड़े बड़े व्यापारियों को इस बात की छूट दी है कि वह मंडियों में बैठ कर किसानों का गल्ला खरीदें तो मैं कहना चाहता हूं कि तब तक ये मल्टी पर्पज सोसाइटीज़ काम नहीं कर सकती हैं। आज आप देखिये जब ये किसान मंडियों में जाते हैं तो उनसे ये लोग रामलीला धर्मशाला और न जाने किस किस संस्था के लिये काफ़ी रुपया वसूल कर लेते हैं। इस तरह से उन्हें दाम कम मिलते हैं। क्या कभी आपने इस पर सोचा ? क्या कभी आप के कोआपरेटिव विभाग ने इस पर ध्यान दिया ? कोआपरेटिव को हम भी मानते हैं और कहते हैं कि यह मल्टी पर्पज़ के आधार पर होना चाहिए, जिससे किसानों को बचाया जा सकता है।

जब किसान फसल बेचने आता है तो भी उसको रुपया देना पड़ता है। लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है।

आपने ज़मींदारी तो खत्म कर दी, लेकिन लगान में कमी के लिये कोई खास व्यवस्था नहीं की। ज़मींदारी विनाश ऐक्ट को दोहरा कर मैं आपके ही उन वादों को दोहराना चाहता हूं जो आपने किसानों से किये थे। अब तो ऐसा मालूम होता है कि शायद आप उन सब वादों को बिलकुल भूल ही गये हैं। आपने एक एकड़ पर ६ आने, ४ एकड़ पर ४ आने, ६ एकड़ पर दो आने और १० एकड़ तथा अलाभकर आराज़ी पर एक आना प्रति रुपया लगाया था। आपने इस बजट में किसानों के लिए कोई ख़ास प्राविजन नहीं किया है।

इसके साथ साथ मैं आपसे मज़दूरों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। आपने मजदूरों के लिए सरमायादारों के मुनाफ़े में से कुछ भी हिस्सा नहीं रखा है और न उसमें उनका कोई हक़ ही क़ायम किया है। मिक्स इकोनामी को मैं मानता हूं। हम यह चाहते हैं कि मजदूरों के लिए इसमें ज़रूर कुछ होना चाहिए। इसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि सरकार को चाहिए कि वह देश में बेकारी को दूर करे। अभी हमारे एक माननीय सदस्य श्री गुरुनारायण ने यह कहा कि हमारे देश में लोग सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं। क्या सरकार ने इन भीख मांगने वालों के लिए कोई प्रबन्ध किया है ? मैं भवन का अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ १५ मिनट बोलने के लिए दिये गये हैं और अब एक बज रहा है, इसलिए मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूं। इसी सिलसिले में मैं चन्द शब्द और कह देना चाहता हूं, मुझे विश्वास है कि चेयरमैन साहब मुझे आज्ञा दे देंगे। वह सुनहले स्वप्न जिसमें आपने लोगों को ज़मीन से आसमान पर बैठाया था, कहां गये। इस बजट में आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। आपको अपने वादों को पूरा करना चाहिए था, और वह सुनहले स्वप्न जिनको पूरा करने के लिएआप ने वादे किये थे, अब उनको पूरा करना चाहिए था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को समाप्त करता हूं।

चेयरमैन--सदन की बैठक २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[सदन की बैठक १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हुई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निज़ामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई]।

श्री पन्ना लाल गुप्त—माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हमारे भवन में जो हमारे माननीय वित्त मंत्री ने आय-व्यय का लेखा सन् १९५२—५३ का रखा है, उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। हमारे बहुत से भाइयों ने बजट की कड़ी से कड़ी आलोचना की और बहुत से भाइयों ने तारीफ की। मगर पुराने बजट को देखते हुये अगर इस बजट को और गहराई से वे देखते तो समझते कि आज का यह बजट उन गलियों में जा रहा है, जहां पहले बजट कहीं नहीं गया जबकि वह बजट पहले जो बना करता था वह सिर्फ उन्हीं सड़कों में जाता था और वहां से लौट आता था। मगर आज का यह बजट हमारे हर देहात के कोने २ में और गलियों में जा रहा है इसलिये मैं उन्हे बधाई देता हूं। मगर एक चीज को मैं बड़े अदब के साथ आपके ज़रिये से कहना चाहता हूं और वह यह कि कोई भी स्कीम या कोई प्लान जो बनाया जाय चाहे वह थोड़ा हो मगर उसको कारबन्द होना चाहिये। हमने देखा है कि स्कीमें बन जाती हैं और वह बनती हैं सिर्फ कर्मचारियों के लिये कि वे उसका ठीक तरह से पालन करें और उसे कामयाब बनायें। मगर जहां पर ऊंचे

की हालत होती है वहां देखते हैं कि वह सिर्फ दौरा करके और अपना टी० ए० बनाकर लौट आते हैं और काम के नाम पर वहां शून्य दिखाई पड़ता है । कागज़ पर तो बड़े से बड़े काम वहां दिखलाई देते हैं, मगर वाकई अगर वहां आप दौरा करें तो देखेंगे कि कागज़ में कितने काम हैं और वहां कितने काम हुये । मैं आपके सामने पी० डब्ल्यू० डी० की एक मिसाल देना चाहता हूं । हमारे कस्बे के पास एक ६ मील का टुकड़ा है, जो हमारी गवर्नमेंट की पी० डब्ल्यू० डी० डिपार्टमेंट में है । उसमें कुटाई हुई, कंकड़ डाले गये, बड़े शौक से वहां दौड़-धूप हुई और काम हुआ, मगर अब की बरसात जब आया तो बरसात अभी खत्म भी नहीं हो पाई कि उसके नीचे जो ईंटें बिछी हुई थीं वह बिलकुल खाली हो गई हैं और उनमें बड़े बड़े खड्डे पड़ गये हैं । पहले उसमें कंकड़ डाली गई और ६ इंच कंकड़ उसमें डाली जाती है, मगर आज उसमें कंकड़ की बात क्या मिट्टी की एक तह भी नहीं है । इस तरह से अगर आज हम ग्राम सुधार में या प्लानिंग स्कीमों पर जायें तो हम देखते हैं कि जो भी काम होता है वह बहुत कम होता है । आफ़ीसर्स दौरा ज्यादा करते हैं और मोटरों पर ज्यादा घूमते हैं, मगर काम बहुत कम करते हैं । कहीं कहीं ऐसे आफ़ीसर्स हैं जो ईमानदारी से थोड़ा सा काम करते हैं और वाक़ई में वह हमारे धन्यवाद के पात्र हैं । मगर ज्यादातर अफ़सरों की हालत ऐसी नहीं है ।

मगर आपको बतलाऊं कि पुलिस की हालत भी ऐसी ही है । अगर हम लोग यह कहें तो यह कोई अनुचित बात नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट के एक माननीय और बहुत बड़े अफ़सर से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आज सब-इन्सपेक्टरों में सौ में क्या हजारों में शायद एक ईमानदार है, जोकि रिश्वत नहीं लेता है । नहीं तो ९९९ ऐसे हैं जो कि रिश्वत लेते हैं । उन्होंने कहा कि आज वह रवैया नहीं है । आज वे दूसरे तरीक़े से रिश्वत लेते हैं । आज वह रवैया बदला हुआ है । पहले हर मामले में डरा–धमकाकर रिश्वत लेते थे, लेकिन आजकल एक खास मामले में रिश्वत लेते हैं और वह इस तरह से कि जब क़त्ल व डकैतियां होती हैं तो उसमें जो फर्स्ट हेन्ड इन्फ़ारमेशन होती है यानी जो पहली रिपोर्ट होती है वे उसे बिगाड़ देते हैं और वहां से मुक़द्दमा तय करना शुरू कर देते हैं । मैं बड़े अदब के साथ आपके ज़रिये से सरकार से कहूंगा कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाय । आपको किसी पुलिस विभाग के ज़रिये से पता चल सकता है कि जहां पहले ९० परसेन्ट केसेज कामयाब होते थे आज वहां मुश्किल से ३० या ३५ केसेज कामयाब होते हैं और ६५ या ७० केसेज़ आपके जजेज कोर्ट या हाईकोर्ट में जाकर छूट जाते हैं, जिससे आज चोरी बढ़ रही है, जरायम बढ़ रहे हैं और ज़ुल्म बढ़ रहे हैं आज जो बदमाश और गुन्डे हैं वे अपने को पुलिस के ज़रिये से सेफ समझते हैं कि अगर वे थोड़ा भी रुपया उनको दे देंगे तो वे ज़ुल्म से बच जायेंगे । मैं बड़े अदब के साथ आपके ज़रिये से यह गुजारिश करता हूं कि काम चाहे थोड़ा हो लेकिन अच्छी तरह से हमारी सरकार को इन बातों को देखना चाहिये और मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि आजतक जो लगाम ढीली रखी हुई है अब वे उसको जरा कड़ी रखें ।

अध्यक्ष महोदय, माफ़ करें इसी बात पर मैं एक कठोपनिषद् का उदाहरण देना चाहता हूं कि शरीर रथ है, आत्मा सवार है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इन्द्रियां घोड़े हैं । अगर सारथी यानी बुद्धि ने मन को यानी लगाम को ढीला कर दिया तो जो हालत आत्मा व शरीर की होती है वही हालत हमारी सरकार की है । यानी सरकार रथ है और ६ करोड़ २२ लाख जनता सवार है, मिनिस्टर सारथी हैं और हेड आफ़ दि डिपार्टमेंट लगाम है और जिला अधिकारी इन्द्रियां हैं । अगर मिनिस्टरों ने लगाम ढीली कर दी तो हेड आफ़ दि डिपार्टमेंट मनमानी तरंगे लेते हैं और जिला अधिकारी मनमानी ढंग से कार्य करते हैं और घोड़ों की तरह इधर–उधर दौड़ें लगाते हैं । अगर यही हालत रही तो पता नहीं कि हम लोग तथा ६ करोड़ २२ लाख जनता गंगा में या जमुना में डूबेगी या गोमती में गोते लगायेगी । मैं आप से फिर कहूंगा कि आप सिंचाई की ओर भी विशेष ध्यान दें । हमारे पूर्वी ज़िलों में इसकी काफ़ी तरक्क़ी की गई है और वहां गांवों में सिचाई का काफ़ी इन्तजाम किया गया है मगर मैं अपने ज़िले की तरफ सरकार का नुक्तेनिगाह दिलाना चाहता हूं कि वहां कोई जरिया भी अभी तक ऐसा नहीं है जिससे यह मालूम हो कि सिंचाई की तरफ वहां ध्यान दिया गया है । हमारे ज़िले में कानपुर

[श्री पन्नालाल गुप्त]

की सरहद से लेकर इलाहाबाद में गंगा जी के रेलवे लाइन के उत्तर की तरफ कोई भी सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है और जी० टी० रोड के बाद वहां कोई सड़क नहीं है न ट्यूबवेल हैं और न नहर हैं। वहां की खेती ईश्वर के भरोसे पर है। अगर पानी बरस गया तो खेती हो गई। यह हमारे जिले की हालत रही तो मैं कैसे कहूं कि किसान खुश और खुर्रम है, किसानों के लिये सिंचाई की जरूरत है, अगर उनको पानी नहीं मिलता है तो कैसे वह पैदावार में तरक्क़ी कर सकते हैं और हम अपने को कैसे अन्न के मामले में सेफ समझें। अगर इस बजट में ध्यान नहीं रहा और मैं समझता हूं कि ध्यान इसलिये नहीं रहा कि एक तरफ तो कानपुर है और दूसरी तरफ इलाहाबाद है जैसे दो पाट के बीच में गेहूं रहता है और उसकी जो हालत होती है वैसी हालत हमारे ज़िले की है।

मैं आप के जरिये से बड़े अदब के साथ कहूंगा। अगर इस बजट को फिर से देखा जाय तो मालूम होगा कि माननीय एजुकेशन मिनिस्टर ने सिर्फ वहां के गवर्नमेंट हाई स्कूल में एक साइन्स डिपार्टमेंट खोलने की व्यवस्था की है और बाकी सब मामलों में जीरो रख दिया गया है। क्यों परवाह नहीं की गई है ? इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया है ? मैं अब भी बड़े अदब के साथ आप के जरिये सरकार से गुजारिश करूंगा कि कभी बजट को रिवाईज किया जाय तो इस तरफ भी ध्यान रखा जाय।

मैं अपने फतेहपुर की बाबत एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि वहां पर एक वाटर वर्क्स खोलने की स्कीम साल भर से चल रही है। मशीन पहुंच गई, कुआं खुद गया, बोरिंग हो गई, मगर ६ महीने में सिर्फ १५ दिन काम होता है और बाकी साढ़े पांच महीने काम बन्द रहता है। कभी यह कहा जाता है कि स्कीम मंजूर हो गई है और अब काम शुरू होगा और फिर यह कह दिया जाता है कि रुपया खत्म हो गया है। हमारी म्युनिसिपैलिटी ने सरकार से ६ लाख रुपये क़र्ज़ मांगा है अगर वह रुपया वहां दे दिया जाय तो वहां पर वाटर वर्क्स वह बनवा सकती है। अब मैं फतेहपुर की हालत बताता हूं कोई भी शरीफ़ घर नहीं है जहां की औरतें रात को ८ बजे और सुबह चार बजे अपने हाथ से पानी न भरती हों। क्योंकि कहारों की हालत यह है कि वह गंगा के किनारे तरी में जा कर थोड़ी सी जमीन लेकर उसमें खरबूजे और तरबूज बो देते हैं और उससे अपनी साल भर की कमाई निकाल लेते हैं और हमारे यहां पानी नहीं भरते हैं। मैं भी चाहता हूं कि आदमी खुद काम करे और मेहनत करे और हर आदमी को काम करना चाहिये अगर हमारी जो पुरानी परम्परा है उसके अन्तर्गत हम अपनी औरतों को पानी नहीं भरने देना चाहते हैं। हम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं कि हमारी औरतें सुबह चार बजे या रात को ८ बजे जाकर पानी भरें। अगर पानी के लिये कुवां न खुद गया होता तो शायद हमको यह कहने का मौक़ा न मिलता। क्योंकि हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं। लोग शिकायत करते हैं और कहते हैं कि अगर कुवां न खुद गया होता तो हम सबर कर लेते, मगर जब यह सब चीजें हो चुकी हैं तो मैं बड़े अदब से आप के जरिये सरकार से गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो कम से कम इस काम को पूरा कर दिया जाय।

मैं एक चीज और आपके सामने कहना चाहता हूं। वह मद्यनिषेध के संबंध में है। जहां तक हमारे पूज्य बापू जी की थ्योरी थी कि मद्यनिषेध करना चाहिये उसी के अनुसार हमारी सरकार ने मद्यनिषेध किया। मगर इसकी हालत आज क्या है। जहां तक ग़रीब आदमियों का सवाल है शहरों में तो उनके लिये ठेके हैं मगर देहात में इसकी बड़ी दुर्दशा है। गांव में ४, ४ या ५, ५ घरों के बीच शराब की भट्ठी लगी हुई है और शराब उतरती है। आपके उन क़स्बों में, जहां पहले दो एक दुकानें थीं, आज वहां घर घर दुकानें हैं। हर आदमी अफ़ीम और चरस जेब में डाले हुये बेचा करता है। आबकारी विभाग को जब पता लगता है तो पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन पुलिस का मुहकमा उस समय कहता है कि हमारें पास आदमी नहीं हैं, इस तरह से उनकी कामयाबी खत्म हो जाती है। अगर पुलिस वालों को पता लगता है तो आबकारी वाले जाकर फूंक देते हैं और अगर आबकारी वालों को पता लगता है तो पुलिस

वाले जाकर फूंक देते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारे यहां दौड़ आ रही है। इस तरह से आज मनमाने ढंग से काम हो रहा है। मैं आपके ज़रिये से कहना चाहता हूं कि अगर आपने मद्यनिषेध किया है तो जहां आबकारी इन्सपेक्टर को दो चपरासी आप देते हैं वहां उनको कुछ आर्म्ड गार्ड भी दीजिये क्योंकि आज देहात की हालत बिगड़ी हुई है और लोग इन्सपेक्टर पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। अगर इस स्कीम को कामयाब बनाना है तो आबकारी विभाग को ताक़त दें, जिससे वह अपराध करने वालों को पकड़ सकें। पुलिस की सहायता अभी बहुत कम मिलती है और कभी कभी तो उनको एक हफ्ता पहले नोटिस देना पड़ता है मगर देन एन्ड देयर सहायता नहीं मिलती है।

एक बात को मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। हमारी पार्टी ने डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बनाये। मैं आपके ज़रिये से अपनी सरकार से निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि क्या इस हाउस में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या डिप्टी मिनिस्टर का काम चला सके। पहले इस हाउस में ३, ३ मिनिस्टर थे, एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था, लेकिन अबसे मैं देखता हूं कि हमारे अच्छे से अच्छे आदमी आपकी पार्टी में आये, लेकिन क्या एक भी आदमी उनमें से इस क़ाबिल नहीं समझा गया कि उसको पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी या डिप्टी मिनिस्टर बनाया जाता। अगर अब भी कोई जगह बाकी हो या आगे बढ़े तो मैं अनुरोध करूंगा कि वह मेरी प्रार्थना को ध्यान में रखें। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा।

***श्री बंशीधर शुक्ल**--यह जो बजट इस भवन में उपस्थित किया गया है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। इसलिए नहीं कि वह कोई रिवोल्यूशनरी बजट है बल्कि इसलिए कि वह केवल बिज़नेस लाइक बजट है जैसा कि हम लोग अपने घरों में रोज़मर्रा के काम के लिए बना लेते हैं।

गवर्नर के ऐड्रेस को मैंने पढ़ा था और उस संबंध में मैंने यह कहा था कि उसमें प्रगतिशीलता के सुझाव हैं। उसमें कहा गया था कि वह अब पुराना रवैया नहीं रहेगा, अब तब्दीली होगी। लेकिन आज जब मैं बजट को देखता हूं तो साफ़ कहता हूं कि वह चीज़ जिसकी ओर गवर्नर के ऐड्रेस में संकेत किया गया था वह नहीं है। मैं राज्यपाल के संबोधन के कुछ अंश आपके सामने कोट करने की कोशिश करूंगा। उसमें यह कहा गया है कि अब तक हमारा जो कार्यक्रम था वह कोई निश्चित नहीं था क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी जिसमें हम वेग थे, लेकिन अब वह ज़माना गुज़र गया, अब हम ऐसे ज़माने में आ गये हैं जब हमें सेटिल्ड स्टेट में आकर कंट्री का इन्तज़ाम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि हम वह निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें देयर विल बी नो डिस्टिन्कशन आफ़ कास्ट, क्रीड आर समथिंग एल्स। इसके आगे उन्हों ने यह भी कहा था कि हर एक इन्डविजुअल को राइज़ करने का पूरा स्कोप होगा और साथ ही साथ उसकी कैपेसिटी के मुताबिक़ श्रम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि एजुकेशन शैल बी रिलेटेड टु दि रियलिटीज़ आफ़ लाइफ़। यह जो बजट है उसमें प्लानिंग की बात कही गई है, लेकिन प्लानिंग की वास्तविकता से हम काफ़ी दूर हैं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए कहा गया है कि हम उनकी तनख्वाह में इज़ाफ़ा करेंगे। मैं एक जिज्ञासा से जानना चाहता हूं तत्पश्चात् सुझाव पेश करूंगा, आप कब तक तनख्वाह बढ़ाते जायेंगे। आप पटवारियों की, चपरासियों की, टीचरों की तनख्वाह बढ़ाते हैं, लेकिन फिर मांग होती है कि तनख्वाह बढ़ाइये यह सब कोई प्लान्ड इकानामी की बात नहीं है। हम जब जेल में थे तब यह प्रश्न हमारें सामने आया था कि जो अल्प वेतन के कर्मचारी हैं उनका क्या होगा। अगर आपने किसी का वेतन १०० रु० से बढ़ा कर २०० रु० कर दिया तो किसी परिस्थिति में २०० रु० का वेतन भी उसके लिए कम होगा। मैं वह योजना जो जेल में हमारें सामने डिस्कस हुई थी उसको विस्तृत रूप से आप के सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैं यह भी दावे के साथ कहता हूं कि आंकड़ों के आधार पर मैंने उस योजना को जांचा है और मैंने देखा है कि अगर उस

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

योजना के अनुसार चला जाये तो जो आज हम तनख्वाहों में खर्च करते हैं उसमें से लगभग ४, ५ करोड़ रु० की बचत हो सकती है। जैसे आप खाने की राशनिंग करते हैं उसमें देखते हैं कि एक घर में कितने आदमी हैं। उसी तरह से आप हर इम्प्लाई की फेमिली यूनिट्स मांग लें। उसके जितने डिपेन्डेन्ट्स हैं उनको बाई वेरिफिकेशन फ्राम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आर अदरवाइज आप मालूम कर लें। ऐसी हालत में जिनका कुटुम्ब बहुत बड़ा नहीं है उनको कम वेतन देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज में बहुत से प्रोफ़ेसर्स हैं, वेचुलर हैं उनको आप ८०० रुपये माहवार दे रहे हैं। क्या जरूरत है कि उनको ८०० रुपया आप दें। कतई जरूरत नहीं है। बहुत से हममें से ऐसे हैं, जिनका कुटुम्ब इतना बड़ा नहीं है, सीमित है तो इस तरह से जब आप खाने में राशन कर सकते हैं तो क्या आप वही बात लो पेड कर्मचारियों के लिये नहीं कर सकते। यह चीज असम्भव नहीं है। मैंने जहां तक जानने की कोशिशकी है वह यह कि डिपार्टमेंट्स की सर्विसेज में अलाउन्सेज भी दिये जाते हैं। यदि इन सर्विसेज को भी उसी तरह से राशन कर दें तो काफ़ी बचत हो जायेगी। इसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आज आपसे शिकायत की जाती है कि छोटे छोटे कर्मचारी रिश्वत लेते हैं। एक पेशकार रिश्वत लेता है, एक कांस्टेबिल रिश्वत लेता है, एक कचहरी का चपरासी रिश्वत लेता है। जैसी आशाइश से आप जिन्दगी बसर करते हैं, उस आशाइश से वह अपनी जिन्दगी नहीं बसर कर पाता। इसके बरअक्स दूसरें लोग, जिनकी जरूरियात इतनी ज्यादा नहीं हैं और जो लक्जरी के जीवन बसर करते हैं, उनको आप २-२ और ३-३ हजार वेतन देते हैं, तो यह जो असमानता है इसको अगर आप इस प्लानिंग में जो मैंने पेश किया है दूर कर दें जोकि आप कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। एक दरोगा जी की मुझसे बातचीत हुई, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर से बातचीत हुई उन्होंने कहा कि आप तनख्वाह बढ़ाते जाइये, मगर हमारें बच्चों का जब तक गुजर नहीं होगा, तब तक हम उनको भूखों मरते कैसे देख सकते हैं, तो जब तक उनके रीयल काज जो हैं उनको हटाने की कोशिश नहीं कीजियेगा, तब तक काम अच्छा नहीं होगा। मैंने १५० रुपया एक यूनिट फैमिली की इन्कम मान कर पेश किया था उसमें काफ़ी बचत आती है। सबआर्डिनेट सर्विसेज के मुकाबिले में सीजन्स ब्यूरोक्रेट्स जिसे कहते हैं उनका व्यवहार बहुत ख़राब है। उनकी तरफ जितना ध्यान हमारें मन्त्रि मन्डल का होना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया जाता है उदाहरण स्वरूप में नहर मुहकमे को लेता हूं। सीतापुर में नहर के मुकहमे के एक बड़े आफ़िसर ने जो बर्बरता का तान्डव ग़रीबों पर किया है वह हमारें ऊपर एक काला धब्बा है जिसे हम नहीं मिटा सकते। एक इंजीनियर साहब जो आदतन अपने छोटे कर्मचारियों मसलन् पतरौल वगैरह को गाली भी देते थे और मारते भी थे यही नहीं उनकी कुछ और बातें भी अजीब थीं। जो पतरौल उनके पास आते थे उनसे वह कहते थे कि जाकर फल लाओ या और कोई चीज लाओ। कर्मचारियों को यह बरदाश्त करना पड़ता था। फलतः इस चीज को कर्मचारी बरदाश्त करते थे। लेकिन इसकी भी कोई हद होती है। नतीजा यह हुआ कि एक पतरौल के साथ उनका ऐसा व्यवहार हुआ कि उसको अन्त में जाकर आत्महत्या कर लेनी पड़ी। आपने उसका तबादिला शाहजहांपुर को करवा दिया। उसको अपने बीबी बच्चों को छोड़ कर जाना पड़ा। उसने मरते वक्त एक पत्र लिखकर छोड़ा कि मैं फलां आफिसर के जुल्म की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं। मैं साफ बतलाना चाहता हूं कि यह कोई नई बात नहीं है। माननीय मंत्री महोदय की नोटिस में यह बात लाई गई। उसकी बेवा ने माननीय मंत्री के क़दमों पर गिर कर सब बातें बतलाई हैं। उसने मुक़द्दमा दायर किया लेकिन उसके बाद भी उस बेवा को भी डरवाया गया। पुलिस के जरिये से, अमीरों के जरिये से उसको धमकी दी गई। उसके वकीलों को लालच दिया गया कि उसका मुक़द्दमा न करें। यह सब बातें हुई। आजकल वह मुकद्दमा हाई कोर्ट में चल रहा है। अभी कुछ महीने हुये वह वहां से तब्दील हो गया है। इसके बाद जो उस ग़रीब बेवा की तरफ से गवाह गये थे, पतरौल वगैरह उनका वहां से तबादला कर दिया गया। अब दूसरें जिलों में उनके खिलाफ इंसीनियज

में कांसप्रेसी हो रही है कि इन पतरौलों की मजाल है कि यह इंजीनियर के खिलाफ गवाही दें। उनको परेशान किया जा रहा है। उनके ऊपर भी सख्ती बरती जा रही है। लेकिन वह लोग भी तुले हुये हैं कि हम गवाही देंगे चाहे हमें इस्तीफा ही क्यों न देना पड़े। कुछ के इस्तीफे तो पहुंच भी गये हैं। यह दर्दनाक कहानी जब मैं सोचता हूं तो मेरा दिल खौल उठता है। यह सब वाक़यात माननीय मंत्री महोदय के कानों में पहुंच भी गये हैं तो भी उन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उस ग़रीब बेवा का कैसे गुज़र होता है। इन्क्वारी के लिये जो साहब भेजे गये उन्होंने पूरे गवाहों के बयान भी सुनना उचित नहीं समझा। डी० एम० ने इन्क्वायरी करने की कोशिश की, लेकिन इंजीनियर ने उनके बंगले पर जाना भी अपनी शान के खिलाफ समझा और लड़की की शादी का बहाना कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसी मिसालें हैं जिसमें लोअर ग्रेड के स्टाफ के साथ अपर ग्रेड स्टाफ बहुत ही बुरा व्यवहार करता है। जब माननीय मंत्री उधर का दौरा करते हैं तो इन ग़रीब लोगों को मिलने भी नहीं दिया जाता है, उनके लिये आज्ञा लेने की आवश्यकता होती है और उनको मिलने नहीं दिया जाता है। उनको यह मौक़ा नहीं दिया जाता है कि वह अपनी दिक्क़तों को कह सकें और शिकायतें कर सकें। यह भी दो एक मौक़ों पर हुआ। इसी तरीक़े से यह सिर्फ इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ही में नहीं है। यह सभी डिपार्टमेंटों में है। एक तरफ तो आप उनको कम वेतन देते हैं, दूसरी तरफ उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। हम उनकी इतनी क़द्र करते हैं कि अगर पब्लिक से भी शिकायत होती है तो नहीं सुनते।

सीतापुर में गैम्बलिंग डेन हैं। वहां पर पुलिस के कांस्टेबुल सादी वर्दी में खड़े रहते थे। वह किसी तरह से बन्द ही नहीं किये जाते थे। आखिर में डी० आई० जी० से यह बात कही गई। इस तरीक़े के कई जुयें के अड्डे हैं जब काफी शोरगुल मचाया गया तब अन-इम्पार्टेंट आदमियों को पकड़ लिया गया। मेरें कहने का मतलब यह है कि अगर हम यह चाहते हैं कि हमारी पार्टी पर अल्प वेतन भोगी लोगों का विश्वास हो तो हमको उनको सुनने की कोशिश करनी चाहिये। उनकी जीविका के प्रश्न पर भी ग़ौर करें। सिर्फ आफ़िशल्स की रिपोर्टों पर ही विश्वास न कर लें।

इसके बाद एजूकेशन के सिलसिले में मुझे आप से यह निवेदन करना है कि यह भी प्लानिंग में है। सवाल यह है कि आपके पास इम्पलायमेंट इक्सचेन्ज है, उसमें आंकड़े रहते हैं, मैं कहता हूं कि आपके यहां जो पढ़े लिखे युवक हों आप उनको आवश्यक शिक्षा दें जिससे उनकी जिन्दगी कुछ सुधर जाय या जो लोग पढ़ रहे हैं आप उनको एफ० ए० और बी० ए० तक शिक्षा दिलाएं साथ ही उनकी देखभाल के लिए निरीक्षक रखें जो यह देखें कि किस युवक का रुझान किस तरफ है उसे उसी तरफ लगाया जाय ताकि वह जीवन में और ज्यादा तरक्क़ी कर सके। अगर ऐसा किया जाय तो इम्पलायमेंट में ज्यादा ओवर क्राउड न होगा और युवक जो देश के वेल्थ समझे जाते हैं ज्यादा लाभदायक साबित होंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि इसके लिये हमारे पास अच्छे साधन नहीं हैं वरना इस तरह से यूथ्स हमारे देश के एक अच्छी वेल्थ हो सकते हैं। हम लोग जेलों में जो स्कीमें बनाया करते थे या जो महात्मा गांधी ने अपने लेखों में लिखा है, जिसका कुछ अंश राज्यपाल महोदय के एड्रेस में आया है, उनसे अब हम क्यों दूर हो रहे हैं।

इसके अलावा सिनेमा जो कि एजूकेशन से को-रिलेट किया जा सकता है उस की ओर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं जानता हूं कि यह सेन्टर का सवाल है लेकिन फिल्म का संचालन तो हमारी प्रान्तीय सरकार कर सकती है। अगर सिनेमा की यूटीलिटी को देखा जाय और उसका उचित प्रयोग हो तो वह हमारे देश को आगे बढ़ा सकता है और एजूकेशन में काफी लाभप्रद साबित हो सकता है। कुछ दिन हुए डा० सम्पूर्णानन्द जी ने इस संबंध में अपनी राय प्रकट की थी उन्होंने कहा था कि "They must be conscious of it" लेकिन इस ओर हमने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। एजूकेशन और दूसरे सुधार में हम इनका यूज कर सकते हैं।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

अब मैं पंचायत राज के सिलसिले में दो एक बातें कहना चाहता हूं। जो अपील करने वाला है उसकी हैसियत और अपराध को देख कर ही जुर्माना करना चाहिए। देखने में यह आया है कि एक आदमी पर ६० और ३०० या ४०० तक जुर्माना कर दिया गया।

इन सब बातों को देखते हुये मैं यह कह सकता हूं कि जो सुझाव मैंने पेश किये हैं उनके आधार पर बजट की प्रगतिशीलता पर हमारा मंत्रि मंडल ध्यान रखेगा। यह बजट एक प्रगतिशील बजट है। जितने साधन हमारे पास थे उन सब का निर्माण किया गया है।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री ने राष्ट्र निर्माण के कार्यों में पहले से अधिक धन सब विभागों के लिये रखा है। इसके लिये मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। यह धन जो रखा है यह और अधिक उपयोगी हो सकता है, इससे अधिक लोगों को लाभ पहुंच सकता है। इस सम्बन्ध में जो मैंने सुझाव सोचे हैं वे मोटे तौर पर ऐसे हैं कि इससे थोड़े रुपये में अधिक काम किया जा सकता है। मैंने यहां देखा कि जो हिसाब के चिट्ठे यानी बजट के चिट्ठे हिन्दी और अंग्रेजी में रखे गये हैं वे मोटी मोटी पुस्तकें हैं। यदि ये सारी पुस्तकें केवल हिन्दी में ही रखी जातीं और जैसा कि हिन्दी राष्ट्र की भाषा भी है तो भी काफी रुपये बच सकते थे। मगर जो चिट्ठा हिन्दी में रखा गया है उसकी भी अजीब हिन्दी है और उस में कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द हैं जिससे हिन्दी में होते हुये भी हमारे सदस्यों को बड़ी कठिनाई होती है। जो अंग्रेजी जानने वाले नहीं हैं वह अंग्रेजी से फायदा नहीं उठा सकते तो हर सदस्य को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में सप्लाई न करने से काफी बचत हो सकती है। हिन्दी में जो कठिन शब्द छपे हैं उनके लिये यह हो सकता है कि ब्रेकेट के अन्दर उनके अंग्रेजी रूप दे दिये जायें। इस प्रकार अंग्रेजी की प्रतिलिपियां न देने से किफायत भी होगी और लाभ भी होगा।

कल हमारे लायक दोस्त बाबू गोविन्द सहाय जी ने एक बात कही थी जो दारुलशफा के संबंध में थी। उन्होंने कहा कि वह इस तरीक़े से बना है कि यदि वह स्विटजरलैंड में बना होता तो मुनासिब हो सकता था। मैं इस संबंध में यही कह सकता हूं कि अगर मैं उनकी सारी बातों का जवाब दूं तो मेरा समय इसी में समाप्त हो जायेगा और मैं अपने सुझाव नहीं दे सकूंगा। जिस समय यह दारुलशफा बना उस समय वे माननीय मुख्य मंत्री के सभा सचिव थे। यदि उस समय उन्होंने ये सुझाव रखे होते तो वह इस तरह से नहीं बनता, इसलिये इस समय भी वे अपनी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। यह बात इसी से समाप्त नहीं हो सकती कि वे यहां आज इसकी समालोचना कर दें।

मुझे जो पहला सुझाव देना है वह कृषि के उत्पादन के बारे में देना है। मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो नियोजन-समितियां उन्होंने बना कर रखी हैं उनमें जो रुपया सर्फ हो रहा है उससे इतना लाभ नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। यदि नियोजन समितियों में गैर सरकारी आदमी भी हों और कार्य चाहे सरकारी नीति से हो तो भी इनमें गांव सभाओं से राय ली जाय। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में अन्न की ज्यादा पैदावार विभिन्न तरीक़ों से होती है और विभिन्न कठिनाईयां और उनकी विभिन्न ज़रूरतें हैं। काम करने वालों की सलाह लेकर यह काम किया जाय तो हम कम रुपये से भी अधिक काम कर सकेंगे।

दूसरी चीज जिसके संबंध में मुझे अर्ज करना है वह स्वास्थ्य का मुहकमा है। स्वास्थ्य के संबंध में मेरा अपना जाती तजुर्बा भी है। ऐलोपैथिक अस्पताल खोले जा रहे हैं, हमारे सूबे में कुछ देशी चिकित्सा प्रणाली भी हैं। हमारे जिले के बोर्ड द्वारा संचालित एलोपैथिक ८ अस्पताल के ऊपर लगभग ५० हजार रुपया और आयुर्वेदिक ८ चिकित्सालय पर ३० हजार रुपया खर्च होता है। जबकि दोनों अस्पतालों में रोगियों की संख्या बराबर है। तो हम को ज्यादा रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है जबकि हम थोड़े ही रुपया में उतना ही काम कर सकते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि ऐलोपैथिक अस्पतालों के बजाय देशी चिकित्सा प्रणाली की तरफ ज्यादा ध्यान दें।

तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह तालीम के बारे में हैं। अंग्रेजों के जमाने में श्री गोखले ने एक प्रस्ताव पेश किया था कि हमारे यहां शिक्षा अनिवार्य निःशुल्क होनी चाहिए। हमारे सूबे में सब से पहला कदम शिक्षा के संबंध में यह होना चाहिए कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क हो। आज हमारे सूबे में अनिवार्य शिक्षा तो जारी की गई है, लेकिन हालत यह है कि वहां पर जो स्कूल हैं उन में किसी की छत नहीं तो किसी में दीवाल नहीं हैं। न तो लू से बच कर बैठने का कोई इन्तजाम है और न सर्दी से बचने का ठिकाना है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इन बातों का ठीक से प्रबंध करे? कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने में आया है कि किसी स्कूल में ४०० लड़के पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ वहां पर ५० ही लड़कों के बैठने का इन्तजाम है। यह तो बगैर जुर्म के जेलखाना है। ऐसी बातों का सरकार को सब से पहले इन्तजाम करना चाहिए। श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से यह कहना चाहता हूं कि इस के लिए कहा जा सकता है कि इतना रुपया आये कहां से। इसके लिए बहुत आसान तरकीब है। अभी तीन साल में जिला बोर्ड मथुरा ने चार लाख रुपयों से स्कूलों के लिए मकान बनाये हैं। इसमें कुछ तो उस का अपना रुपया है और अधिक पब्लिक का रुपया है। सरकार ने एक पाई नहीं दिया है। इस तरह से वहां चार साल के अन्दर लगभग ३०० स्कूल भवन बन गये हैं। इसके साथ साथ मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि यह स्कूल इन्जीनियरों और ओवरसीअरों के जरिये से नहीं बने हैं। अगर उन लोगों के जरिये से बनते तो शायद सिर्फ ५० स्कूल ही बन पाते।

मैं अपना तजुर्बा कहता हूं कि जो स्कूल ठेके में या इन्जीनियरों के द्वारा तैयार किए गए हैं तो उसी स्टैन्डर्ड से उनका नक्शा भी बनाया गया है। एक ऐसे स्कूल का मैं हवाला देता हूं कि वह आठ हजार में बना और वैसा ही स्कूल गांव सभा ने साढे तीन हजार में बनाया। कहीं कहीं ४ हजार भी लग गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इनको प्लानिंग योजना में सरकार रुपया दे तो वह गांव सभाओं को दिया जाय और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये से वह इन्जीनियरों से न बनवाए जायं। इस बात में गांव सभाओं के ऊपर इत्मीनान किया जाय और वहां के अध्यापकों के ऊपर इत्मीनान किया जाय तो जो काम आपका ३ लाख में होता है वह वह १ ही लाख में होगा। इस तरह जो भी तरमीम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रूल्स में करना जरूरी हो वह कर दें और गांव सभाओं के सुपुर्द काम किया जाय। इस तरह से कोई वजह नहीं है कि आपकी स्कूलों के निर्माण में फायदा न हो। इस तरह से जो थोड़ा सा रुपया रक्खा गया है उससे आप आइन्दा सालों में अधिक काम करा सकेंगे। एक चीज और है जिसकी तरफ मैं आपके जरिये से माननीय वित्त मंत्री जी की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि हमें छोटी छोटी बातों में प्लान से काम करना चाहिये और स्कूलों का भी प्लान होना चाहिये। मैं आपके सामने अपना एक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि हमारे जिले में हर गांव सभा के डेढ मील के एरिया में एक प्राइमरी स्कूल हो चुका है, लेकिन अभी बहुत से जिलों में नहीं हो पाये हैं, लेकिन बहुत जल्द ही और जिले में भी होने वाले हैं। इसका तरीका यह होना चाहिये कि हर जिला पंचायत के क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल हो एक ही क्षेत्र में कई जूनियर हाई स्कूल नहीं होने चाहिये। इस समय गांवों में बड़ा जोश और शिक्षा की लगन हमारे गांवों की जनता पैसा देने में भी आगे है, मगर आज सरकार से उनको सहयोग नहीं मिलता है। मैं तो कहता हूं कि जितना गांवों की जनता का सहयोग है उतना सरकार का सहयोग नहीं है। अगर ऐसा न होता तो इन दो सालों के अन्दर गांवों में जूनियर स्कूलों और हाई स्कूलों की बाढ़ न आती। वह इसके लिये रुपया देते हैं और अपना श्रम भी इसमें देते हैं तो इस चीज से हम को फायदा उठाना चाहिये और उसका तरीका यह है कि हम ने कहीं कहीं एक जिला पंचायत के क्षेत्र में ३ जूनियर हाई स्कूल को खोलने के लिये प्रोत्साहन दिया है और कहीं कहीं पूरे १०,१० और २०, २० मील तक के लिये कुछ भी नहीं किया है तो यह नहीं होना चाहिये। मैं यह चाहता हूं कि सब जगहों के बच्चों को

[श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन]

मुनासिब तालीम मिले और हर पंचायत क्षेत्र में पहले एक जूनियर हाई स्कूल खोला जाय और जब तक सभी क्षेत्र में पूरे जूनियर हाई स्कूल नहीं होते तब तक हाई स्कूल न खोला जाय और जब उनका तसल्ली बक्स इन्तजाम हो जाय तब आगे का कदम उठायें। इस तरह से काफी धन का फायदा भी होगा और लोगों के उत्साह का सही तरीके से इस्तेमाल भी होगा। तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह कालेजों के मुताल्लिक है। आज बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन टीचर्स की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती हैं। अगर हमें निर्माण का कार्य करना है तो उसका भी प्लान होना चाहिये। जूनियर हाई स्कूलों का तरीका यह होना चाहिये कि किसी जूनियर हाई स्कूल में खेती का काम सिखाया जाय और किसी में मुर्गी पालने का काम सिखाया जाय किसी में शहद की मक्खी पालने का काम सिखाया जाय और किसी में कपड़ा बुनने का काम सिखाया जाय। लड़कों को यह सब काम सिखाये जायं ताकि जिस में चाहे अपनी जानकारी कर सकें। इसी तरीके से डिग्री कालेजेज में भी होना चाहिये। वहां की पढ़ाई सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिये ही न हो बल्कि उस डिग्री में कोई विशेषता हो जैसे किसी में मेडिकल का काम सिखाया जाय, किसी में एग्रीकल्चरल डेवलपमेन्ट का और इसी तरह से अलग अलग जानकारी लड़कों को अपने देश को उन्नत बनाने के लिये होनी चाहिये। परन्तु यह सब एकदम ही नहीं हो सकता। फिलहाल जब तक रुपया काफी न हो तब तक एक जिले में एक ही डिग्री कालेज रहना चाहिये। इसके माने यह नहीं हैं और डिग्री कालेजेज बन्द कर दिये जायं। किन्तु अन्य कालेजों को सहायता बन्द कर दी जावे इसके लिये हमें रुपये का इन्तजार नहीं करना चाहिये कि जब रुपया ेगा तो तभी काम किया जाय। अगर आपने रुपये का इन्तजार किया तो शायद १० साल में भी हम लाजिमी शिक्षा अपने जिलों में नहीं कर सकेंगे और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए धन बचा सकेंगे

जो ऊंची तालीम के लिये डिग्री कालेजेज खुल रहे हैं और वहां से जो विद्यार्थी निकलते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है और वे सैकड़ों की तादाद में बेकार हो जाते हैं। इस तरह से लोगों का स्टैन्डर्ड बढ़ेगा नहीं जब तक कि उनको कोई काम नहीं मिलेगा और नतीजा यह होगा कि वे चोरी करेंगे, डाके डालेंगे, कत्लें करेंगे और तरह तरह के जुर्म करेंगे और वे आजकल करते हैं और इस तरह से जुर्मों की तादाद भी बढ़ेगी। यदि हम उनकी तालीम को महदूद रखे और बाद में उनको काम दें तो ठीक होगा, वरन् बरबादी। अब सरकार का यह बहाना नहीं चलेगा कि जब रुपया आयेगा तब प्रारम्भिक शिक्षा का काम किया जायेगा। इस तरह की ऊंची तालीम से आज बजाय फायदे के हम देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिये उसको किसी तरह से खत्म किया जाय और उसमें से जो भी रुपया बचता हो वह इस प्राइमरी तालीम में खर्च किया जाय। जब हम उनको तालीम देते हैं तो हमें उनको काम देना चाहिये। अगर हम उनको काम नहीं दे सकते तो इस तरह की ऊंची तालीम कोई माने नहीं रखती। सबसे पहला हमारा फर्ज यह है कि हम लोगों को साक्षर करें और उनको इस योग्य बना दें कि वे अपनी रोटी स्वयं कमा सकें, किन्तु इस तरह से तालीम देकर बेकारों की तादाद बढ़ाना मुनासिब नहीं है। दूसरी बात गांव पन्चायतों के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि ५० लाख रुपया जो उसके लिये हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, जो कि गांव सभा के मन्त्रियों के लिये सरकार ने तन्ख्वाहों के सिलसिले में रखा है, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से गवर्नमेंट के मन्त्रियों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अगर गांव सभायें अपना टैक्स वसूल नहीं कर सकती हैं और मन्त्रियों को तनख्वाह नहीं दे सकती है यह तो यह सब बेकार है। हर एक गांव में दो थोक होते हैं और एक दूसरे के रिश्तेदार या अपने लोग होते हैं उन्हें टैक्स वसूल करने में परेशानी होती है। उनको टैक्स वसूल करने में दिक्कत होती है, सरकार को चाहिए कि वे जिला बोर्ड द्वारा टैक्स वसूल करा लें तथा जिला बोर्ड के सुपुर्द यह काम छोड़ दें मगर यह भार गांव सभा पर न डालें। इसी तरह से गांव से रुपया वसूल हो सकता है।

जिस तरह से सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्युनिसिपल बोर्ड्स को ग्रान्ट देती है, उसी तरह से गांव पन्चायतों को सड़के इत्यादि बनाने के लिये रुपया ग्रान्ट कर दे और मन्त्रियों के वेतन का ५० लाख रुपया न देकर यह रुपया गांवों में सड़क निर्माण में दे दें तो हमारे यहां इन पांच सालों में जरूरत से ज्यादा सड़कें हो जायंगी और जिस तरह से जितना रुपया सड़कों को बनाने के लिये ग्रान्ट दिया गया है, उन रुपयों से काफी सड़कें बन सकती हैं और इस तरह से हमारे प्रदेश की सड़कों की समस्या ५ सालों में पूरी तरह से हल हो जायेंगी

डिप्टी चेयरमैन--दो मिनट में आप समाप्त कर दीजिए।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन--जी हां। तो हमारे यहां गाँव सभा का काम ठीक तरह से होना चाहिए। महात्मा जी ने भी कहा था कि हमारे यहां विकेन्द्रीयकरण हो न कि केन्द्रीयकरण, तो किसी भी काम के लिये इस तरह से रुपया खर्च किया जाय कि वह बरबाद न हो और हमें उससे आगे बढ़ने में भी मदद मिल सके। अगर गांव सभा एक यूनिट के रूप में हो जाय और उसी तरह से काम करे तो इससे विश्वास किया जा सकता है कि हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। गांव सभा के मन्त्रियों पर भी कन्ट्रोल रखना चाहिए। इस तरह से उन पर कन्ट्रोल रहने से गांव के तरक्की के कामों में मदद मिल सकती है और गांव के लोगों से टैक्स वसूल करके उनको अच्छे काम में लगाया जा सकता है। इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर समाज सेवकों द्वारा यूनिटी और कोआपरेशन से काम लिया जायेगा तो इन पांच सालों में हमें इस प्रदेश की दूसरी ही तस्वीर नजर आयेगी।

श्री रामकिशोर रस्तोगी--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५२-५३ के बजट के सिलसिले में अपने विचार रखने के लिये उपस्थित हुआ हूं। यह बजट एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह बजट विधान मंडल के उन सदस्यों के सामने जो स्वतन्त्र भारत में पहली बार चुनकर आये हैं उपस्थित किया जा रहा है। बजट का नजरिया कितना ऊंचा है, कितना महत्वपूर्ण है यह इससे जाहिर होता है कि वित्त मन्त्री जी ने एक जगह अपनी नीति की घोषणा की है और कहा है कि हम इस राज्य में ऐसी हालत पैदा करने के लिये जो जनता के आर्थिक विकास, दिमागी तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिये अनुकूल है, सभी ऐसे काम करेंगे जो हम कर सकते हैं। मैंने वित्त मन्त्री के विचारों को देखा उसमें हमें किसी प्रकार से एतराज करने की जरूरत नहीं है बल्कि गर्व करने की बात है। सम्मानित सदस्यों, आप लोगों ने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के अपने अपने विचार यहां रखें मैं समझता हूं कि बजट एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा आइना है कि हमारा भविष्य कैसा होगा अन्धकारमय होगा अथवा उज्ज्वल। यह सब बजट के जरिये मालूम होता है। मैं किसी और विचार से नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिगत हैसियत से अपने विचार आप के सामने रखता हूं। यह बजट एक सुन्दर और सारगर्भित बजट है। हो सकता है कि किसी के विचार से इसमें खामी हो, लेकिन जिस तरह से यह बजट हमारे सामने है उसको देखने से मालूम होता है कि कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जिसके बारे में ख्याल न रखा गया हो।

मैं अब एक बात अन्न के सिलसिले में कहना चाहता हूं। अन्न के कन्ट्रोल के जमाने से हमने कितने कष्ट झेले हैं। पिछले सालों में हमने देखा कि कितनी दिक्कतें हमको खाने के सिलसिले में उठानी पड़ीं। अन्न का डिकन्ट्रोल हुआ। जनता ने उसका स्वागत किया क्योंकि अन्न के सिलसिले में अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार फैले हुए थे जब मध्यम श्रेणी के लोग बेकार हो जाते हैं और व्यापारी वर्ग लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो उसको अपना पेट पालने के लिये भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केट में जाना पड़ता है और इस तरह की गलत चीजों को प्रोत्साहन मिलता है। खुशी की बात है कि सरकार ने इस सिलसिले में अपनी नीति बदल दी है और मुझे आशा है कि हमारा भविष्य उज्वल होगा। न मालूम कितने करोड़ रुपये अन्न के बदले विदेश चले जाते थे वह अब नहीं जायेगा और हमारे दूसरे विभागों पर वह रुपया खर्च होगा और इस तरह से जो हमारा रुपया दूसरे प्रदेश को भी जाता था वह न जाकर दूसरे

[श्री राम किशोर रस्तौगी]

आवश्यक कामों में खर्च आ जायेगा इस सिलसिले में मैं वित्त मन्त्री की प्रशन्सा करूंगा कि अन्न उपजाने के मामले में भी उन्होंने काफी विचार किया है और नई नहरें निकालने तथा कुयें खुदवाने और दूसरे उन्नति के साधन किये हैं जिनसे पैदावार बढ़ सकती है। श्रीमान् जी, मैं आपके द्वारा अपने सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि वह इस पर विचार करें कि अन्न के सिलसिले में क्या उदारता बरती गयी है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह टैक्जेशन की सिलसिले की बात है। हम देखते हैं कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वह आज महंगाई की वजह से बहुत परेशान हैं। नित्य की जरूरत की चीजें इस महंगाई में और भी महंगी हो रही हैं। मध्यम श्रेणी के लोग आज नित्य प्रति की चीजों को पूरा करने में असमर्थ हैं। आज सफेदपोश बाबू छोटी छोटी तनख्वाहों में किस तरह से गुजर कर रहे हैं और किस तरह से अपनी नित्य प्रति की जरूरतों को पूरा करते हैं इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। गृहस्थी के कार्य, बच्चों का स्वास्थ्य, घर की सफाई तथा अन्य नित्य की चीजों को पूरा करने के लिये उनके पास साधन नहीं होते हैं। लेकिन जब नये नये टैक्स लगाने की बात आती है तो उन पर भार और भी बढ़ जाता है। मैं यह मानता हूं कि और यह सही भी है कि प्रदेश की उन्नति के लिये यदि सोचा जायगा तो नये नये टैक्सों की जरूरत होगी, टैक्स के लिये यह लाजिमी है कि हम उदारता से काम लें। उन स्थानों में जहां सिचाई ज्यादा होगी वहां अधिक टैक्स लगेगा या घरों के ऊपर टैक्स लगेगा तो मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ अशान्ति होगी। क्यों, क्योंकि यदि नये टैक्स लगें तो महंगाई अधिक होगी और ऐसी दशा में एक क्राईसिस का पैदा हो जाना स्वाभाविक है। नित्य प्रति की चीजों को पूरा करने के लिये नागरिकों को विशेषतः मध्यम श्रेणी के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। उनको पैसों की दिक्कत होती है और अगर नये टैक्स लगेंगे तो उनको देना पड़ेगा और कठिनाई होगी। एक सम्मानित सदस्य ने बताया कि पन्चायतों के द्वारा टैक्स वसूल करना मुश्किल हो रहा है। अब यदि फिर भी नये टैक्स लगे तो उसका क्या असर होगा। अगर और टैक्स लगा तो महगाई बढ़ेगी, मजदूर ज्यादा वेजेज मांगेंगे और जब ज्यादा वेजेज होगी तब गल्ला भी महंगा होगा तो इस तरह एक क्राईसिस पैदा होगी।

दूसरी चीज नागरिकों के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं। आज लोग टैक्स के भार से दबे हुए हैं। प्रान्त की उन्नति का सवाल भी हमारे सम्मुख है। उन्नति करने के लिये रुपये की आवश्यकता है। परन्तु गरीबों पर तथा मध्यम श्रेणी पर टैक्स लगाना नितान्त अनुचित है तब मुझ से आप पूछेंगे कि आखिर यह टैक्स कहां से आये या तो विकास बन्द कर दिया जाये या हम इस तरह की बातें सोचना बन्द कर दें। मैं आपसे अदब से यह अर्ज करूंगा कि हम जिस सिद्धान्त पर चलते हैं वह देश में आर्थिक समानता लाने का सिद्धांत है। उसके लिये सबसे अच्छा जरिया यह है कि आज हमारे देश में जितने बिरला और टाटा हैं आज जरूरत है कि उन पर एक्सट्रा टैक्स लगाया जावे, उनकी आमदनी से सरकार पैसा ले और हमारे छोटे भाइयों को मजदूरों को, किसानों को और मध्यम श्रेणी वालों को सरकार ज्यादा छूट दे। तो मैं समझता हूं कि जो स्वप्न गांधी जी देखा करते थे देश में आर्थिक समानता लाने का वह एक दिन अवश्य पूरा होगा। यह एक ऐसी राय है जिससे हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। इसलिये मैं आप से अर्ज करूंगा कि टैक्स आप जरूर लगायें, लेकिन जिसके पास पैसा है उस पर टैक्स लगायें और जिसके पास अपनी रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरा करने के लिये पैसा नहीं है उस पर टैक्स लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरे सुझाव के अनुसार वित्त मन्त्री जी बजट में तब्दीली करने का प्रयत्न करेंगे।

तीसरी चीज मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आज यूनिवर्सिटी खुली है। एक दिन मुझे मौका मिला मैंने साइन्स विभाग में जाकर देखा कि काफी लड़के बड़ी उत्सुकता के साथ भर्ती का इन्तजार करते हैं। लड़के आते हैं एडमिशन के लिये, उन्होंने अपने जीवन

के भविष्य के लिये मार्ग निर्धारित कर लिया है । लेकिन एडमिशन नहीं होता । यह सही है कि वह फर्स्ट डिवीजन में और सेकेन्ड डिवीजन में पास हुये हैं, लेकिन वह नहीं लिये जाते हैं । यदि आपने जिस स्टैन्डर्ड के विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटीज में लेने का नियम बनाया है तो आपका फर्ज हो जाता है कि अगर उस स्टैन्डर्ड के विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहते हैं तो उनके एडमिशन का इन्तजाम अवश्य करें । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कम से कम एक एक सेक्शन साइन्स विभाग में जरूर खोला जाये । एम० एस-सी० के क्लास में एडमिशन के लिये १२० स्टूडेन्ट्स ने अर्जियां दी हैं, लेकिन केवल चालीस सीट्स हैं । एक तरफ तो आप प्रोत्साहन देते हैं कि शिक्षा बढ़े लेकिन दूसरी तरफ हम उनको एडमिशन की सहूलियत नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं कि हम उनको सही माने में इन्करेजमेंट नहीं देते । बी० एस-सी० में एडमिशन के लिये १७० विद्यार्थियों ने दरख्वास्तें दी हैं और शायद ६० या ७० लड़के लिये जायेंगे । इस तरह की बातों की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यूनिवर्सिटी में कम से कम इस चीज का प्रबन्ध कर दिया जावे ताकि उचित और योग्य लड़के उसमें ले लिये जायं और उनका भविष्य उज्जवल हो सके । सम्मानित सदस्यों में विशेषकर कुछ नहीं कहना चाहता ।

दो शब्द मैं पुलिस विभाग के मुताल्लिक, जो हमारी रक्षा का विभाग है, अर्ज करना चाहता हूं । जब मैं पुलिस के उन आदर्श थानों को देखता हूं जो हमारी सरकार ने किसी नजरिये को लेकर बनाया था तो देखता हूं कि उसमें सबसे पहिले ऐसे व्यक्ति रखे गये जो करप्शन में कानून के शिकार सबसे पहिले होकर पकड़े गये । मैं पूछता हूं कि क्या उनका सेलेक्शन करना गलत था जो ऐसे आदमी इन आदर्श थानों में रखे गये या यह कम तन्ख्वाह की वजह से हुआ जो उन पुराने फितरत के तरीके और बेईमानी से काम कर रहे हैं । मैं यह चाहता हूं कि स्वतन्त्र भारत में यह हमारे सिपाही गलत तरीके से दौलत को हथियाने की कोशिश न करें । आज चोरियां जैसे हो रही हैं, हमारी एक बहन ने बतलाया था कि खिड़कियों के जरिये, रोशनदानों के जरिये, आज लोग मजबूर होकर अपने स्टैन्डर्ड को कायम रखने के लिये भी चोरियां कर रहे हैं । अगर पुलिस की तनख्वाह कम है जिसकी वजह से वह नाकाबिलियत दिखा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि सिपाहियों की तनख्वाह मामूली चपरासियों से भी कम है और उनकी तनख्वाह के ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए, मगर उसके साथ ही साथ सख्ती भी होनी चाहिए ताकि कैरेक्टर अच्छा हो और हम उनसे उम्मीद करेंगे कि वह हमारी रक्षा करें । करप्शन का जहां तक ताल्लुक है मैं लखनऊ के मुताल्लिक दो एक शब्द कहूंगा । यहां पर इतने शराब खोरी और जुये के अड्डे खुले हैं जिनका कोई शुमार नहीं । उन्हें जब पकड़ने की बात आती है तो उनको खबर कर दी जाती है या उनके पास ऐसी इन्फरमेशन होती है कि वह पकड़े नहीं जाते हैं । मैं अक्सर सुना करता हूं कि पुलिस वाले भी उनसे कुछ सम्बन्धित हैं और वह कुछ पैसा पाते हैं जिसकी वजह से पुलिस वाले और उनके अधिकारी उन लोगों से प्रभावित रहते हैं और वह लोग पकड़ में नहीं आते । अगर पुलिस इस तरह से नाकाबिल है तो ऐसों को निकाल देना चाहिए और अगर काबिल हैं तो ऐसी निकम्मी चीज फौरन बन्द होनी चाहिए । मैं और कोई बात इस सम्बन्ध में नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत से सदस्य इस सम्बन्ध में कह चुके हैं ।

एक बात कोआपरेटिव के सिलसिले में कहना चाहता हूं । कोआपरेटिव का नाम कितना ऊंचा है जिसकी विचार धारा को लेकर एक विचार यह हुआ था कि इससे हमारे घर घर में सहयोगिता का प्रचार होगा । इसके माने यह नहीं था कि हम कोआपरेटिव स्टोर खोल कर करप्शन को और बढ़ायें । अगर इसके यही माने हैं तो इसको खत्म कर दिया जाय । हमारे लखनऊ शहर की कोआपरेटिव सोसाइटियां तो व्यक्तिगत लोगों की प्रापर्टी बन गयी हैं । वह अफसरान पर भी प्रभाव डाल देते हैं । भले ही वह गल्ला बढ़ाने के लिये इसमें कूड़ा-करकट मिलायें और हमारे खाने पीने का माल खराब कर दें । लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । शिकायत करने से यह कहा जाता है कि उन्होंने यह काम अपनी तरफ से सेवा भाव से किया है वह कोई सरकारी नौकर तो नहीं हैं । वह जो कुछ भी करता हैं बगैर कुछ पाये हुए ही करता है । हम उनका कुछ नहीं कर सकते । मैं चाहता हूं कि

[श्री रामकिशोर रस्तौगी]

उनके दिमागों में सहकारिता की बातें भरी जायें। आम जनता जो है उसके दिमागों में यह बात न भरनी चाहिए कि कोआपरेटिव के माने होते हैं करेप्शन। इससे उनका दिल कोआपरेटिव की तरफ से हट जायेगा। वह सोचते हैं कि इस कोआपरेटिव से अच्छा तो सरकारी ही विभाग है। इससे कोआपरेटिव का अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मैं यह कह कर बजट का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि जो कुछ सुझाव मैंने रक्खे हैं उन पर सोचते हुए बजट पर तब्दीली कर दी जाय। मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--अध्यक्ष महोदय, कल से मैं इस बजट पर स्पीचेज सुन रहा हूं, लेकिन अभी तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो हमारे विरोधी दल की ओर से बातें कही गई हैं उनमें से कोई एक बात भी मेरी समझ में नहीं आई है कि कोई सुझाव रक्खा गया हो या कोई नयी योजना रक्खी गयी हो। जितनी बातें कही गयी हैं उनमें कोई भी नई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि कितने बड़े-बड़े शब्दों में इन्हीं बातों को कहा गया है कि यह रिएक्शनरी बजट है, जनता का बजट नहीं है। यही बातें मैं कल से सुन रहा हूं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस बजट के बदले में कौन सा बजट होना चाहिए। कौन सा बजट पेश होता जिसमें मानवता होती है जिसमें स्प्रिचुअलइज्म होता और कौन सी बातें बढ़ायी जातीं जिससे यह साबित होता कि यह जनता का बजट है। इसलिये मैं समझता हूं कि कोई नयी चीज या नया सुझाव न देकर के बजट की नुक्ताचीनी करना कोई अच्छा ढंग नहीं है। यह तो होता ही है चाहे कोई भी बजट हो उसमें कोई न कोई कमी होती है। चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी का बजट हो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का बजट हो कुछ न कुछ कमी तो होगी ही। मेरा कहना तो यह है कि कोई भी पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि हमारा बजट ऐसा है जिसमें कोई कमी नहीं रह गयी है और उसकी सारी योजनायें पूरी हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे मुल्क जो आजाद हुए उनमें शुरू शुरू में दो, चार दस साल तक गड़बड़ी रही। उनका मुकाबिला अगर हमारे यहां से किया जाय तो मैं समझता हूं कि हमने अपने यहां काफी उन्नति की है। श्री गोविंद सहाय जी ने यह बतलाया है कि यह बजट जनता का बजट नहीं कहा जा सकता है इसलिये कि जनता का वह बजट होता है जिसके अन्दर जनता का कोई इंटरेस्ट होता है यानी ६०,६५ करोड़ का यह बजट है और इसमें चार पांच आने भी ऐसे नहीं हैं जो जनता के इंट्रेस्ट में खर्च किये जाने वाले कहे जा सकें यानी इसमें जो कुछ बजट किया गया है वह शायद जनता के हित के बाहर के लिये किया गया है।

(३ बज कर १८ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

मैं, श्रीमान् जी, आपके द्वारा उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जमींदारी अबालिशन और पन्चायत राज के सम्बन्ध में जो रकमें प्रोवाइड की गई हैं, जो केवल जनता से सम्बन्ध रखती हैं, क्या हम उसको जनता का बजट नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा के बारे में जो किया जा रहा है वह क्या जनता से सम्बन्धित नहीं कहा जा सकता है। हमारे प्रोफेसर साहब ने और दूसरे सज्जनों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं कहता हूं कि शिक्षा सम्बन्धी आंकड़ों को देखने यह पता चलता है कि शिक्षा से सम्बन्धित काफी तरक्की हम कर रहे हैं जहां तक प्राइमरी स्कूलों का सवाल है पिछले साल बहुत से स्कूल खोले गये, उससे पहिले भी बहुत से स्कूल खोले जा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा का जहां तक सवाल है उसमें भी काफी तरक्की हुई है। मैं अपने जिले की बात बताता हूं। जहां पहले दो एक इन्टर कालेज थे वहां अब कई इन्टर कालेज हैं। कानपुर वगैरह में दस दस बारह बारह कालेज हो गये हैं। हमारे बजट में ६५ करोड़ रुपया है और इस रुपये को हमें सब चीजों में बांटना है। एक तरफ तो आप कर लगाने की मुखालिफत करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि शिक्षा, सिंचाई आदि के अन्दर और रुपया होना चाहिए तो यह दोनों चीजें साथ साथ कैसे हो सकती हैं। पन्चायतों और भूमि सुधार पर और रुपया होना चाहिए तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार कोई जगलर है या उसके पास रुपये की खान है कि जब चाहें करोड़ों रुपया निकाल लें

सरकार के पास कुछ साधन हैं उन्हीं साधनों के अन्दर आप रुपया बना सकते हैं और जो विभिन्न मदों पर खर्च होता है।

अब मेरे सुझाव हैं, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उन पर ध्यान देगी। शिक्षा में काफी सुधार हुए हैं मगर दो एक कमियां हैं जैसे हमारी माध्यमिक शिक्षा जो है वह ऐसी है कि जिसको पास करके हर शख्स नौकरी ढूंढ़ता है तो मैं समझता हूं कि माध्यमिक शिक्षा में कुछ ऐसी चीजें कर दी जायें कि, जिससे लड़के फैक्ट्री वगैरह में जा सकें या जो देहात के लड़के पढ़ने जाते हैं उनकी पढ़ाई कुछ इस ढंग की हो, जिससे वह पढ़कर बजाय नौकरी तलाश करने के अपने घर जाकर खेती के काम को सुचारुरूप से चला सकें। बहुत से कालेज ऐसे हैं जिनका इन्तजाम बहुत खराब है, जहां पार्टीबाजी होती है, और जहां रुपये ज्यादातर मुकदमेबाजी पर या पार्टी प्रोपेगेन्डा पर ही खर्च होता है। मैं अपनी मिसाल के लिये बरेली कालेज का हाल आपके सामने बतलाऊंगा। करीब ११ या १२ साल हो गये हैं जब से सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि बरेली कालेज में जो गड़बड़ी है, वहां जो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी है वह सब खत्म हो जाय। सरकार ने इस सम्बन्ध में कमेटी बनायी है उस कमेटी ने अपनी सिफारिशें भी की हैं। लेकिन कालेज ने एक को भी नहीं माना बल्कि सरकार के ही खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन मुकदमे में वह हार गये परन्तु फिर भी सरकार की एक भी बात नहीं मानी। बरेली कालेज को जो ग्रान्ट मिलती है उसका ज्यादातर हिस्सा मुकदमेबाजी में ही खर्च होता है। बड़ी–बड़ी किताबें कालेज के रुपये से पार्टी प्रोपेगेन्डा के लिये छापी जाती हैं। लेकिन उन्होंने आज तक एक भी सरकार की बात नहीं मानी। सरकार ने उनके पास कोई सुझाव भेजा, तो उसे ठुकरा दिया गया। इस तरह से एक लाख रुपया उनको मिला करता है, और भी ऐसे कालेज हो सकते हैं तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि या तो सरकार ऐसे कालेजों को अपने नियन्त्रण में ले या अन्य सुधार करे नहीं तो सरकार का रुपया बेकार जाता है।

दूसरी बात मैं बिजली के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। सरकार की योजना है कि गांव–गांव में बिजली पहुंचायी जाय। उसकी गांवों के लिये भी बिजली की ऐसी योजना है जैसे शहरों के अन्दर है। इसलिये सरकार आज हजारों मील लम्बी लाइन निकाल रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि जो बिजली की प्राइवेट कम्पनियां ह और खास तौर से मार्टिन कम्पनी है, जिसमें फारेन धन लगा है वह उस ढंग से जिस ढंग से काम कर रही है उससे यह साबित होता है कि जनता की भलाई का कोई काम नहीं करती है बल्कि रुपया पैदा करना ही उनका काम है। मैं बरेली की इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को जानत हूं कि वह भी मार्टिन कम्पनी से ताल्लुक रखती है। वह दो साल के अन्दर कई बार अप रेट बढ़ा चुकी है और उसके साथ ही जब कहीं बिजली लगाती है तो यह एग्रीमेंट करती है जितना भी बिजली के लाइन का और मीटर का खर्चा होगा वह कन्ज्यूमर्स को देना है किन्तु उसके दूसरे ही दिन वह रुपया कम्पनी का हो जाता है। कन्ज्यूमर्स लाइन को नहीं सकते हैं। मैं कहता हूं कि यह निहायत अनुचित चीज है। इसलिये मैं चाहता हूं कि स इस कम्पनी को खत्म करके अपने हाथ में ले ले।

तीसरी बात मैं भूमि–सुधार योजना के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जम अवश्य खत्म हो गयी, लेकिन अभी भी देखा जाय तो गांवों के अन्दर कुछ जमीन्दारि हैं। बहुत से गांवों में मैंने यह देखा कि जमीन्दारी खत्म होते वक्त वहां जमीन्दा चारागाह या बन्जर भूमि अथवा खलिहान थे उन सब को किसी ने अपने बाप औ अपने भाई के नाम पट्टे कर दिये। इससे गांवों के अन्दर ऐसी जगह नहीं रह गयी के जानवर चर सकें। तो इस भूमि–सुधार योजना के लिये मेरा यह सुझाव है कि चाहिए कि जिन लोगों के पास दो सौ या चार सौ एकड़ जमीन है उनके पास एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। इस ढंग से जिन जमीन्दारों की जो हैं जिन पर जानवर चरते थे वह जमीन सरकार अपने कब्जे में कर ले और रद्द कर दे ताकि वह जमीन उनसे निकल सकें। एक बात मैं माननीय अध्यक्ष

[श्री प्रताप चन्द्र अजाद]

के जरिये से और अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे प्रान्त में कई कमिश्नरियां हैं। मैं समझता हूं कि उन कमिश्नरियों पर जो खर्च हो रहा है वह बेजा है। उन कमिश्नरियों के काम के लिये कमिश्नर रखे जाते हैं, जिनको लम्बी-लम्बी तनख्वाहें दी जाती हैं और उनका जो स्टाफ रखा जाता है, मैं समझता हूं कि उन पर भी बेजा खर्च होता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि उनसे कोई खास फायदा नहीं है। जो काम वह करते हैं वह काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है। वह काम एक एस० डी० ओ० भी कर सकता है। मेरा अपना विचार है जो उनको लम्बी-लम्बी तनख्वाहें दी जाती हैं वह बेकार दी जाती हैं। उनके रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वह बड़े-बड़े बंगले और वह कार्यालय, जिसमें वह काम करते हैं उनकी भी अब जरूरत नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि उनको अपने काम से निकाल दिया जाय। बल्कि उनको अपने यहां सेक्रेटेरियेट में ही जगह दे दी जाय। आप उनको अपनी किसी और योजना में काम दे सकते हैं।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं वह पानी और वाटर वर्क्स के सम्बन्ध में है। हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत बड़े बड़े-नगर हैं, जहां पर पानी का इन्तजाम ठीक तौर पर नहीं होता है। वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के पास इतना धन नहीं कि वह उसका प्रबन्ध कर सके और न सरकार ही उसको कोई सहायता देती है। कहीं कहीं तो वाटर वर्क्स न होने से बहुत ज्यादा गन्दगी रहती है। मैं आपके सामने बरेली की मिसाल अर्ज करना चाहता हूं। वहां पर पानी का इन्तजाम बहुत ही खराब है। वहां की म्युनिसिपैलिटी के पास इतना रुपया नहीं है कि वह वाटर वर्क्स का इन्तजाम कर सके। इसका नतीजा यह होता है कि शहर के अन्दर काफी रुपया खर्चा करके जो सीमेन्ट की सड़कें बनी हैं उन पर काफी गन्दगी रहती है। जिसकी वजह से काफी बीमारियां फैलती हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह बरेली की म्युनिसिपैलिटी की सहायता करे ताकि शहरों की गन्दगी दूर हो सके। इसी तरह हमारे सूबे के और भी शहरों की हालत ऐसी ही है। सरकार को चाहिए कि उन शहरों में बहुत जल्द वाटर वर्क्स का इन्तजाम करे ताकि पब्लिक की तकलीफ दूर हो जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे थोड़े से सुझाव हैं जो मैंने आपके द्वारा भवन के सामने पेश किये हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार उन सुझावों पर गौर करेगी, या तो वह इसी बजट में हेरफेर करके यह योजनाएं रखेगी या आगे चलकर कोई योजना बनायेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को समाप्त करता हूं।

श्री बालक राम वैश्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५२-५३ का बजट जो इस समय भवन के समक्ष है उस पर मैं आपके द्वारा इस सदन में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय वित्त मन्त्री ने जिस खूबी से इस बजट को बनाया है मैं उसके लिये उनको बधाई देता हूं। यह बजट जो आपके सामने पेश है बालिग मताधिकार का सबसे पहला बजट हमारे प्रदेश का है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। इसमें जहां तक मैंने देखा है और वित मन्त्री के भाषण को पढ़ा है इसमें उन्होंने अपने प्रदेश का अधिक से अधिक ध्यान रखा है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विकास योजना, उत्पादन, अधिक अन्न उपजाओ योजना, बिजली, सिचाई, इत्यादि सभी बातों पर विशेषरूप से ध्यान रखा गया है। सदन के सदस्यों में से किसी ने इसको प्रतिक्रियावादी कहा है और कहा है कि यह बजट सुधारवादी हो सकता है लेकिन क्रान्तिकारी बजट नहीं कहा जा सकता है। मेरी समझ में अगर ध्यान से देखा जाय तो उनकी बात में कहीं भी सत्यता नहीं है। शायद उनका दृष्टिकोण ऐसा ही बन गया है कि इस प्रकार के विचार इस बजट के लिये रख सकते हैं, जिसमें कि साधनों को देखते हुए सभी चीजों का काफी ध्यान रखा गया है। यों तो अपने प्रदेश में इतनी कमियां हैं कि अगर इस बजट की पूरी की पूरी रकम किसी एक काम में भी लगा दी जाय, तब भी कमी ही महसूस होगी। इसकी कुशलता तो इसी बात में है कि पर्याप्त साधन नहीं रहते हुए भी, सभी बातों पर पूरा पूरा ध्यान उनकी आवश्यकतानुसार रक्खा गया है। विरोध करने वालों ने केवल बजट का

एक ही पहलू सामने रक्खा और पूरे बजट पर ध्यान ही नहीं दिया। एक तरफ अगर बढ़ोत्तरी की मांग की गई तो उनको उसके साथ ही साथ वह साधन भी रखने चाहिए कि किस तरह से बढ़ोत्तरी की जाय और वह रकम कहां से आये। मेरे विचार में यह तो करों के लगाने से ही प्राप्त हो सकती है या तो दूसरे मदों में कटौती की जाय तभी मुनासिब हो सकता है। बढ़ोत्तरी की बात तो रखी गयी परन्तु खेद है कि किस प्रकार से वह बढ़ोत्तरी की जाय इसका कोई सुझाव किसी ने नहीं रखा। मुझे तो कभी कभी विरोध करने वालों की बातों पर केवल हंसी सी आती है कि जब वह ऐसी बातें रखते हैं कि जिसका साधन वह इकट्ठा नहीं कर सकते तथा जिसका रास्ता नहीं बतला सकते हैं तो उनको चाहिए कि उन बातों को सामने रखने से पहले उस पर सोच विचार कर लें और सोच विचार कर ही उन बातों को सामने रखें। हमारे प्रदेश की तुलना बजट के मामले में अमेरिका और पश्चिमी देशों से भी की जाती है, जब कि हमारे देश को स्वतन्त्र हुए केवल पांच वर्ष भी पूरे नहीं हो पाये हैं, तो उसकी तुलना ऐसे देशों से करना जो सदियों से स्वतन्त्र रहे हैं और जिनके साधन विस्तृत हैं कुछ असंगत सा प्रतीत होता है। हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है, हमारा शोषण किया गया है, हमारा नैतिक पतन किया गया है, परन्तु हम फिर भी जिन्दा हैं और शान से जिन्दा हैं आगे बढ़ने के जितने साधन हैं उसके अनुसार ही हमको आगे बढ़ने के लिये कार्य करने चाहिए।

कितना भी कुशल बजट बनाने वाला हो मगर उसमें भी कमियां रह ही जायेंगी। जैसे कि अन्न की इस देश में कमी है और अन्न विदेशों से मंगाया जाता है, यहां की "अधिक अन्न उपजाओ योजना" भी कामयाबी से नहीं चल रही है क्योंकि इस देश का वातावरण ऐसा हो गया है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझता ही नहीं है और सारे कामों की जिम्मेदारी वह सरकार पर ही छोड़ देता है। सरकार ने ऐसा नहीं किया, यह नहीं किया, इस तरह से स्लोगन सरकारी कर्मचारी ही नहीं, किसान, मजदूर और नेता लोग, यानी सभी वर्ग के लोग कहा
करते हैं। कभी इन लोगों ने अपने हृदय पर हाथ रखकर यह भी सोचा है कि यह उन
भी जिम्मेदारी है। हमारे सामने जो कुछ भी है वह हम देश के लिये ही सोचना है न कि
पार्टी को देखकर काम करना है। हमें तो सिर्फ यह देखना है कि देश का
बातों में है और किन बातों को करने से देश की हानि हो सकती है। य
कहें, जनता में कहें और इस बात का भी विचार करें कि हम देश
कर रहे हैं। हमारा देश आज स्वतंत्र है, हमें स्वतन्त्रता
करना चाहिये और अगर हम स्वतन्त्रतापूर्वक विचार नहीं
किसी तरह से भी लाभ नहीं हो सकता है। हमारे यहां यह
ने इतना रुपया वार फन्ड में इकट्ठा किया, मगर राष्ट्रीय सरका
यह ठीक है। एक तरफ आज इस सरकार ने राजा महाराजा
और उसने जमींदारों का भी अन्त कर दिया है। जिन श्रेणी
उनका तो अन्त कर दिया गया। साथ ही यह भी कहा जात
सहानुभूति रखती है और यह पूंजीपतियों की सरकार है, त
उचित है। यदि पूंजीपति सरकार के साथ होते तो विका
में इतनी कठिनाई है वह न होती। एक माननीय सदस्य ने अ
रुपया 'वार फन्ड' में इकट्ठा हुआ। मुझे तो इसका ज्ञान न
में इकट्ठा हुआ क्योंकि उस समय मैं तो जल में था और आ
इकट्ठा हुआ इसका भी मुझे अधिक ज्ञान नहीं है। इतना मै
ऋण में आया वह धन हमारी जरूरत भर नहीं था। वह
सकते हैं। एक तो पूंजीपतियों की वजह से क्योंकि उनको
धीरे पूंजीपतियों का विनाश करेगी सरकार को सहयोग देने क
है और जैसा कि सरकार को पूंजीपतियों की सरकार कहा
सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं। जो सरकार का विरोध
समय वे पूंजीपतियों के साथी हो जायं। बहरहाल हमको

[श्री बालक राम वैश्य]

पूंजीपतियों की सरकार नहीं हो सकती है। दूसरी बात पूंजीपतियों ने क्यों नहीं मदद की वह यह हो सकती है कि विरोध करते समय जब जमीन्दारी उन्मूलन की बात चल रही थी तो यह बात आई कि जमींदारी बिला मुआविजा समाप्त होनी चाहिये, इसको देखकर के पूंजीपतियों ने समझा कि यदि हम सरकार को क़र्ज़ देते हैं तो लेजिस्लेचर में एक दिन यह भी पास हो सकता है कि जितना क़र्ज़ की रक़म है वह रद्द की जाती है। तो सरकार को ऋण मिलना या न मिलना यह उसकी दिवालियापन या पुष्टता की बात नहीं है। हमको यह देखना है कि पूंजीपति कितना सरकार के साथ हैं और कितना नहीं। मैं तो यह विश्वास रखता हूं कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता राज्य विलीन हुये और जमींदारी विलीन हुई उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पूंजीपति भी विलीन हो जायेंगे यदि हम दौड़ कर चलेंगे तो गिरने की संभावना है इसलिये आहिस्ता आहिस्ता जो काम हम करना चाहते हैं हम करें।

दो-एक बातें मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। वह है मध्यम श्रेणी के लोगों के विषय में। आज मध्यम वर्ग की बड़ी शोचनीय अवस्था है। वह बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा है और उसकी आखिरी सांस चल रही है। सरकार को इस मध्यम वर्ग की ओर विशेषरूप से ध्यान देना चाहिये और यदि ऐसा न हुआ तो समाज का एक बहुत बड़ा अंग कालग्रस्त हो जयगा। उस समय हम महसूस करेंगे कि उनकी रक्षा न करने से हमने एक बड़ी भारी भूल की है।

दूसरी बात प्राइमरी शिक्षा के विषय में मुझे कहनी है। प्राइमरी शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है चाहे उच्च शिक्षा की ओर उतना ध्यान न दिया जाय। प्राइमरी शिक्षा को तो अनिवार्य होना चाहिये नहीं तो जो फाउन्डेशन स्टोन हमारे देश का होगा वही कमजोर हो जायगा और इस तरह से हमारी फाउन्डेशन अच्छी नहीं होगी। ऊंची शिक्षा का नैतिक स्तर आज बिगड़ गया है। लखनऊ यूनीवर्सिटी के लड़के ऐसी हरकतें करते हैं जो विद्यार्थियों की नहीं होनी चाहिये। वे हजरतगंज में घूमना, काफ़ी हाउसेज में बैठना और तरह तरह की ऐसी दूसरी हरकतें करते हैं, जो विद्यार्थियों के स्तर को नीचा करने वाली हैं। लखनऊ में जब पहले पहल "बस सर्विस" शुरू हुई तो कुछ लेडी कन्डक्टर्स उसमें रखी गई थीं। लखनऊ यूनीवर्सिटी के लड़कों ने उनके साथ जैसा व्यवहार किया वह अशोभनीय है। मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर ऐसी बातें विद्यार्थी करें तो उन पर सख्त से सख्त नियन्त्रण किया जाय। अब समय अधिक हो गया है और मैं वचन दे चुका हूं कि समय ज्यादा न लूंगा इसलिये अध्यक्ष महोदय से क्षमा मांगते हुये मैं माननीय वित्त मंत्री को उनके बजट के रखने के लिये बधाई देता हूं। जय हिन्द।

श्री लल्लूराम द्विवेदी--अध्यक्ष महोदय, आज जो ५२-५३ के वार्षिक बजट पर विवाद चल रहा है वह सरकार को इस बात में सहायता पहुंचाता है कि बजट में त्रुटियां, खामियां कहां हैं और बजट को किस अच्छाई से कार्यान्वित किया जा सकता है। हर सरकार का बजट जब किसी सदन के सामने आता है तो बजट के आंकड़े से जनता एवं दूसरे लोग यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि बजट सार्वजनिक हित के कामों की ओर कितना ले जाने वाला है। बजट की अच्छाई इसी पर निर्भर करती है कि उससे यह मालूम हो कि जो पार्टी बजट को रख रही है वह उन अपने उद्देश्यों को कहां तक पूरा करती है जो उसने जनता के सामने रखे हैं।

हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट सदन के सामने पेश किया है उस बजट के आंकड़ों पर मनन करने से यह तस्वीर आप के सामने आती है कि बजट प्रदेशीय चतुर्मुखी विकास की योजना को पूरा करने के लिए है। बजट की एक बात और खास तौर से सराहनीय है। इस वर्ष बजट में इस बात को जांचा गया है कि हम टाप प्रायर्टी किस विषय को दें। और यह खुशी की बात है कि अपने प्रदेश की तरक्क़ी के लिए, अन्न की कमी को दूर करने के लिए, गांवों की तरक्क़ी के लिए बजट में जो रुपया रखा गया है, जो ग्रान्ट उसमें रखी गई है वह हमारे प्रदेश में अन्न की कमी को दूर करेंगी, हमारे घरेलू उद्योगों को बढ़ायेंगी और साथ ही साथ बिजली व सिंचाई योजना को आगे बढ़ायेंगी। आज के युग में कोई भी मुल्क तरक्क़ी नहीं कर

सकता अगर वह स्वावलम्बी न हो और उसकी स्टेट में रहने वाले लोगों के जीवन के लिए उपयोगी एवं आवश्यक वस्तुयें सरलता से उपलब्ध न हों। यह बजट प्रतिबिम्बित करता है इन वादों को जो कांग्रेस ने जनता से किये थे। बजट सरकार के वादों को पूरा करने वाले प्रयत्नों का एक दर्पण है। यह एक मोटी बात है कि चाहे जिस सरकार का बजट हो परफेक्शन किसी बजट में भी नहीं पाया जाता। दुनिया में कोई बात परफेक्शन की स्टेट में नहीं आती। हम परफेक्शन को पाने का प्रयत्न करते हैं। बजट में जो बातें रखी गई हैं चाहे वह शिक्षा की हों, चाहे वह सड़क की हों, चाहे वह नहर की हों, चाहे प्राइमरी शिक्षा को बढ़ाने के लिए हों, चाहे हरिजनों के उद्धार के लिए हों, चाहे देश को तरक्की की ओर ले जाने वाली हों वह इस बात की ओर इंगित करती हैं कि हमारा बजट ऐसा बजट है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और हमें गर्व करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा था कि बजट कोई भी हो उसमें खामियां रहती ही हैं। इस बजट में भी कुछ खामियां हैं। अगर विरोधी पक्ष की ओर से इन खामियों को दूर करने के लिए स्वस्थ प्रस्ताव रखे जावें तो मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार अपोजीशन की स्वस्थ समालोचना को टाल नहीं सकती। राज्य के उत्थान के लिए उनके सुझावों को माना जा सकता है। अगर विरोध केवल विरोध के लिए हो तो मैं कहूंगा कि ऐसा विरोध प्रजातंत्र को आगे ले जाने में, प्रजातंत्र को कामयाब बनाने में जिसका हमारा पहला एक्स्पेरीमेन्ट है, लाभप्रद नहीं हो सकता।

बजट का जो दूसरा अंग है उस पर भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं वह डेफीसिट बजट का पहलू है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जब बजट पेश हुआ तो माननीय मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि "Deficit Budget in an important factor to untie the gordian knot of lack of finance." मैं नहीं कह सकता कि यह चीज़ किस हद तक सत्य है। मगर निःसंदेह डेफिसिट बजट एक खास बात पैदा करता है और वह यह कि जिनको इस सरकार को चलाना है वह काम करने में जागरुक रहते हैं। उनको इस बात की फिक्र रहती है कि हमारा डेफिसिट बजट है हमें प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी स्कीमें इस प्रकार कामयाब हो जायं ताकि डेफिसिट बजट की कमी पूरी हो जाये। सार्वजनिक हित के साधन को पूरा करने के लिये हमें अपनी स्कीमें तो पूरा करना ही होगा और उसके लिये निःसंदेह टैक्स भी लगाना ही होता है। लेकिन जब दूसरी स्टेट्स के बजट से हमारे स्टेट के बजट का मुक़ाबिला किया गया और तुलना की गई तो हमारे बजट के ऊपर एक कड़ी आलोचना हुई। कहा गया कि इरादे तो अच्छे हैं मगर इस टैक्जेशन का जनता के ऊपर एक बड़ा भार होगा। मैं समझता हूं अगर ऐसा है तो किसी हद तक यह चीज ठीक नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री ने बजट की स्पीच में इस पहलू पर असेम्बली में अच्छी तरह से प्रकाश डाल दिया है। मैं हाउस का वक्त उस में नहीं लेना चाहता। सिर्फ टैक्स लगाने का जो प्रोपोजल है उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो डेवलपमेंट कर डेवलपमेंट क्षेत्र के लिये है वह कोई अच्छा साबित नहीं हो सकता। अगर वास्तव में विकास योजना कार्यान्वित होने से किसी जिले या एरिया या भाग को फ़ायदा हो गया है तो सचमुच डेवलपमेंट लेवी लगाई जाय। लेकिन अगर डेवलपमेंट के लिये यह कोई अच्छी योजना कार्यान्वित नहीं है तो उसको न लागू किया जाय। सरकार हमेशा डेफिसिट बजट की कमी को पूरा करने के लिये टैक्जेशन को सामने रखती है। विकास के अलावा जो और सुझाव हैं उनके लिये टैक्जेशन करना ठीक होगा। लेकिन जब टैक्जेशन सामने लाया जाय तो उसमें बढ़ाव और घटाव की बात कही जा सकती है और यह सुझाव हो सकता है कि इसका ग्रेडेशन कैसा हो ताकि आम ग़रीब जनता पर उनका असर कम पड़े। जिनके पास पैसे अधिक हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ना चाहिये और ग़रीब जनता पर कम असर पड़ना चाहिये। यह कहना असंगत न होगा कि बजट के डेफिसिट को पूरा करने के लिये अगर हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर ज्यादा जोर लगायें तो हम अपनी स्टेट को टैक्जेशन के भार से बचा सकते हैं। और इसके लिये वित्त मंत्री महोदय ने इशारा भी किया है मगर वह इशारा जोर के साथ नहीं है। उसको जोर के साथ होना चाहिये था। हमको इन्कमटैक्स का हिस्सा अपने

[श्री लल्लू राम द्विवेदी]

प्रदेश के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ज्यादा मिल जाये तो हमारा डेफिसिट कम से कम दो करोड़ इससे पूरा किया जा सकता है ।

अब दो एक बातें जो मुझे इस सिलसिले में सूझ रही हैं वह यह है कि बजट में यह बात देखने को कहीं नहीं मिलती कि आजकल हमारे इस स्वतंत्र भारत में यह जो बेकारी, भिखमंगी बढ़ रही है उसको दूर करने के लिये हम क्या करें । एक स्वतंत्र राज्य के चरित्र पर अगर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते नजर आयें अगर तन्दुरुस्त आदमी नजर आयें और वे अपाहिज न हों तो कलंक की बात है । इस दशा में स्टेट गवर्नमेंट को कोई क़दम उठाना चाहिये । राज्य की ड्यूटी है कि अगर कोई अपाहिज है तो उसके खाने कपड़े का इन्तजाम करे । राज्य का कर्त्तव्य है कि जो बैगारी पेशा लोग हैं उनको रोका जाये । छोटे छोटे बच्चे हर जगह रेलवे स्टेशनों तथा मेलों में भीख मांगते दिखाई देते हैं उनके लिये पब्लिक में ऐसी भावना पैदा करनी चाहिये कि लोग जो भावना में आकर के इन बच्चों को भीख दे देते हैं वह इस बैगारी को सहायता देते हैं । ऐसा प्रचार किया जाना चाहिये कि लोग इन बच्चों को भीख न दें । यह सवाल हमारे प्रदेश का ही नहीं है यह और सूबों में भी है । इसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुझाव भेजना चाहिये कि इसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिये ।

जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा था कि सिनेमा का जैसा प्रचार बढ़ रहा है जैसी फिल्में आ रही हैं वह फिल्में हमारे नौजवान बच्चों पर बुरा असर डाल रही हैं । इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये कि सिनेमा इंडस्ट्री को उपयोगी बनाया जाये और शिक्षा वगैरह के काम में लाया जाये । मैं उसी तरफ सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि उसे इस प्रश्न को उठाना चाहिये और सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव पेश करना चाहिये ।

बजट में शिक्षा के विषय में मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं वह यह है कि इस प्रदेश में शिक्षा के संबंध में जो तरक्क़ी दिखाई गई है वह सन् ४६ के बजट और सन् ५२--५३ के बजट के आंकड़ों से जाहिर होता है । मगर अब वह वक्त आ गया है कि जैसे हमने शिक्षा के प्रसार इतने अच्छे ढंग से कर लिया वैसे ही अब हम इस प्रसारित शिक्षा में कार्यकुशलता लाएं । मुझे आशा है कि मेरे इस सुझाव पर सरकार गौर करने की कृपा करेगी कि अगर साल दो साल के लिए सेकेन्ड्री हायर स्कूल का रिकगनिशन बन्द कर दिया जाय तो बेजा न होगा । आजकल किस तरह से लड़के पास हो रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रही है और क्या हमारा स्टैन्डर्ड है । इसलिए अगर हम रिकगनीशन देना बन्द कर दें और स्टैन्डर्ड बढ़ा दें, एफीशियेन्सी ला दें तो यह बात प्रदेश के और शिक्षा के हित में होगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड इलाके में हायड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम नहीं रखी गई है, इर्रीगेशन की स्कीम तो है । चूंकि बुन्देलखन्ड के विकास के लिए उसकी वहां बहुत आवश्यकता है, इसलिए इस स्कीम को वहां भी लागू किया जाय । अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का मैटीरियल बहुत जगह हर सड़कों पर बरबाद हो रहा है इसको रोका जाय । अगर हिसाब लगाया जाय तो पता चलेगा कि पिछले साल हर जिले में सड़कों पर कम से कम दस-दस, बारह-बारह हजार रुपये का मैटीरियल बरबाद हो गया । इसलिए इसके रोकने की सख्त आवश्यकता है । अब मैं वित्त मंत्री को जिन्होंने बजट पेश किया है, बधाई देता हूं और सरकार से यह निवेदन करता हूं कि हमारे जिले में बावनी कदूरा, नदी गांव का इलाक़ा ऐसा है जहां सड़कों की बहुत कमी है, कुछ स्कूल खोले गये हैं वे पेड़ों के नीचे लगते हैं, जगम्मनपुर और रामपुरा की जागीरदारियां थीं, जिनकी तरफ से कुछ स्कूल खुले हुए थे मगर अब उन्होंने तोड़ दिये हैं । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि उन स्कूलों के सन्चालन के लिए ख़ास तौर से बजट में प्रावीजन होना चाहिये ।

श्री सरदार संतोष सिंह--माननीय चेयरमैन साहब, मैं सन् ५२--५३ के बजट के ऊपर कुछ कहने के वास्ते खड़ा हुआ हूं कल से इस बजट के ऊपर बहुत से मेम्बर साहबान

ने भिन्न भिन्न ख्यालात से रोशनी डाली है और अपने अपने ख्यालात प्रकट किए हैं और मैं भी कुछ कहने की जुर्रत रखता हूं। मेरा ख्याल है कि इन्डस्ट्रीज के ऊपर कोई साहब नहीं बोले कि इन्डस्ट्रीज किस तरह से चलाई जानी चाहिये। मेरा ख्याल है कि इस बजट में फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बताया है कि सन् ४५--४६ के अन्दर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम के ऊपर ५२ लाख रुपया खर्च किया गया था। इसके बाद हमें सन् ५०--५१ के बजट से मालूम होता है, उसमें उन्होंने १,२२,२२,३८१ रुपया रखा था उसके बाद सन् ५१--५२ के बजट में १,७०,६१,००० रुपया रखा है। फिर इस ५२--५३ के बजट में इसके लिये १,६६,०६,१०० रुपया है। मैं इन फीगर्स को देखते हुये यही कहूंगा कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इन्डस्ट्री को तरक्क़ी देने के लिये कोशिश की है और इस कोशिश से मेरा ख्याल है इन्डस्ट्री जरूर प्रफुल्लित होगी। मैंने यह आंकड़े जो आप के सामने पेश किये हैं उनसे आप को मालूम हो जायेगा कि बिजली इन्डस्ट्री की तरक्क़ी के लिये क्या किया गया है। इसमें इन्डस्ट्री में ट्रेनिंग के जो दूसरे फीगर्स हैं उनको भी आप ने देखा होगा। उन फीगर्स से भी यह मालूम होता है कि ४५--४६ में कोई रुपया इस ट्रेनिंग के वास्ते नहीं दिया गया था मगर आज इस ५२--५३ के बजट में इसके लिये १६,८७,१०० रुपया दिया गया है। इससे मालूम होता है कि गवर्नमेंट की तवज्जह इन्डस्ट्री की ट्रेनिंग की तरफ है और वह इसे बढ़ाना चाहती है। गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में मेरे ख्याल में इस प्राविन्स के अन्दर एक सीमेंट फैक्टरी भी लगायी है जिस पर सवा करोड़ रुपया लगाया है वह अभी अन्डर कन्स्ट्रक्शन है। मेरा ख्याल है कि इस तरह से गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का फ़ायदा होगा क्योंकि कल यहां पर मेरे एक दोस्त यह कह रहे थे कि सीमेन्ट का भी डिकन्ट्रोल हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से जब गवर्नमेंट की सीमेंट फैक्टरी बन जायेगी और अपने अखराजात को इस फैक्टरी से पूरा करेगी तो और जितनी सीमेंट फैक्टरीज हैं वह ज्यादा सीमेंट तैयार करेंगी और उससे डिकन्ट्रोल जरूर हो जायेगा, क्योंकि जब हमारे पास ज्यादा सीमेंट होगा तो जरूर डिकन्ट्रोल हो जायेगा। सरकारी सीमेंट फैक्टरी एक दिन में ७ सौ टन सीमेंट तैयार करेगी।

इस तरह से गवर्नमेंट ने लखनऊ में भी एक इन्सट्रुमेंट मैनुफैक्चरिंग फैक्टरी तैयार की है जिसके अन्दर जर्मन टेक्निशियन काम कर रहे हैं और दो इन्जीनियर हिन्दुस्तानी भी हैं। उसके अन्दर आधे इंच के वाटर मीटर तैयार किये जा रहे हैं जो पहले बाहर के मुल्कों से आते थे और उन पर पब्लिक तथा सरकार का बहुत रुपया लगता था। आज सरकार ने इस चीज को यहां पर ही क़ायम कर दिया है। मुझे इस बात का हर्ष है कि इस तरह और चीजों पर भी सरकार ध्यान देगी। इस फैक्टरी के अन्दर और भी चीजें बन सकती हैं। इसके अन्दर माइक्रोस्कोप भी बनाये जायेंगे। इसके बारे में मैं अपने इन्डस्ट्री के मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस के अन्दर थर्मालाइस, लेबिल्स और माइक्रोलाइस जैसी चीजें भी बनाई जायं। इन चीजों को हमें बाहर के मुल्कों से मंगाना पड़ता है और काफ़ी दाम देना पड़ता है। आज अगर गवर्नमेंट ने इस इन्डस्ट्री की तरफ क़दम बढ़ाया है तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास आइन्दा इन चीजों को बनाने की कोई दिक्क़त नहीं आयेगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से यह सरकार इन्डस्ट्री का ख्याल करेगी तो हमारा प्रदेश जरूर आगे बढ़ेगा और प्रफुल्लित होगा, क्योंकि हमारे देश का रुपया यहीं लगेगा और दूसरे मुल्कों को नहीं देंगे और जो हमारी दिक्क़तें हैं वे सब कम हो जायेंगी।

बाकी मैं यह और अर्ज करना चाहता हूं कि इन बातों के अलावा एक बात जो बड़ी भारी है वह यह है कि हमें काटेज इन्डस्ट्री को यहां बढ़ाना चाहिए। हमारे यहां इसकी बड़ी कमी है और जब हम काटेज इन्डस्ट्री को नहीं चलायेंगे तब तक हमें दूसरे मुल्कों के ही भरोसे रहना पड़ेगा। मैं आप को मिसाल के तौर पर जापान की इन्डस्ट्री के बारे में बतलाना चाहता हूं। वार से पहले बल्कि अब भी इससे कई साल पहले जापान के अन्दर हर मोहल्ले मोहल्ले में इसके बहुत से सेन्टर खुले हुये थे।

[श्री सरदार सन्तोष सिंह]

उन सेन्टरों में जितने आदमी हैं वह अपने आफ़ टाइम में या अपने पार्ट टाइम में या स्कूलों और कालेजों के बाद आ कर अपने घरों में सिलोलाइट के खिलौने बनाते हैं। इस तरह से सब घर वाले मिल कर बनाते हैं और फिर वह उनको सेन्टरों में ले जाते हैं। उन सेन्टरों में बड़े बड़े आदमी और बड़े बड़े इंस्पेक्टर हैं जो उनकी चीज़ों को देखते हैं और देखकर कर खरीद लेते हैं। वहां से यह चीज़ें दूसरों मुल्कों में भेज देते हैं। आप लोगों को भी यह मालूम है कि जापान जिन चीज़ों को मुहय्या करता है वह चीजें अमेरिका और इंग्लैंड भी दूसरों मुल्कों को नहीं दे सकता है। हमको अपने यहां इन्डस्ट्री पर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए और ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो दूसरे मुल्क के मुक़ाबिले में ज्यादा सस्ती हों। हमको अपने मुल्क में काटेज इन्डस्ट्री की तरफ बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आप को काश्मीर की मिसाल देना चाहता हूं। वहां पर काटेज इन्डस्ट्रीज़ हैं। पेपर मैशी हैं जिन में पेपर का काम होता है। यहां पर जो चीज़ें बनती हैं उनकी क़ीमत केवल दो या चार आने होती है। लेकिन उससे १०-१० रुपये वसूल किये जाते हैं। उनका वेट भी अधिक नहीं होता है। हमारी सरकार को काटेज इन्डस्ट्रीज़ की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे मुल्क को बहुत फायदा होगा और देश में जो ग़रीबी है वह दूर हो जायगी। क्योंकि ग़रीबी का रोना रोज़ यहां पर रोया जाता है। मैं और ज्यादा न कह कर इस बात को फिर कहना चाहता हूं कि सरकार को काटेज इन्डस्ट्रीज़ पर काफ़ी गौर करना चाहिए। इसके अलावा इन्डस्ट्रीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि मुल्क में खुशहाली क़ायम हो सके। हमारे मुल्क में आज कल खाने-पीने की चीज़ों की बहुत मुसीबत है और हर एक का यह ख्याल है कि इसको बहुत जल्द दूर किया जाय। जिन मशीनों को हम अमेरिका और इगलैंड से मंगाते हैं अगर हम उनको अपने देश में ही तैयार करें तो बहुत अच्छा होगा। हमारे देश में उनको बनाने के लिए इन्जीनियर वगैरह भी मौजूद हैं। उनको सरकार की सहायता की ज़रूरत है। यह ज़रूर है कि हम उसे अभी अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे लेकिन साल दो साल के बाद हम उसको अच्छी तरह से कर सकेंगे। श्रीमान्, मैं आप के ज़रिये से गवर्नमेंट से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह इन्डस्ट्रीज़ की सहायता करे और उनकी तरक्क़ी पर अधिक ध्यान दे। इस तरह से थोड़े दिनों में हम दूसरे मुल्कों का मुक़ाबला करने लगेंगे और अपने देश की तरक्क़ी कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट मेरे इन अल्फाज़ों की तरफ ज़रूर ध्यान देगी।

* श्रीमती शान्ति देवी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के लिये अपने भाइयों और वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देती हूं। यह एक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय बजट है जिसमें कि किसानों और मजदूरों का विशेष ध्यान रक्खा गया है और निर्माण-कार्य की ओर भी इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। सब कुछ है परन्तु महिलाओं की उन्नति के लिये, उनकी भलाई के लिये जितना सरकार को ध्यान देना चाहिये था वह मेरी दृष्टि में इस बजट में कहीं भी नहीं दिखाई देता है। हमारे सदन के जितने भी माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये हैं उन्होंने कई सुझाव पेश किये हैं और जो कुछ भी सम्भव हो सकता था उन्होंने कहा लेकिन महिलाओं के विषय में किसी ने भी कोई सुझाव अभी तक नहीं दिये। मैं बड़ी उम्मीद की दृष्टि से उनकी ओर देखती रही कि कोई कुछ न कुछ महिलाओं की उन्नति के लिये, उनके विषय में कुछ कहें। कल से बहस हो रही है और कल से आजतक काफ़ी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव पेश किये हैं लेकिन महिलाओं की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। अन्त में निराश होकर मुझे स्वयं बोलने के लिये खड़ा होना पड़ा। इस प्रदेश में महिलाओं की संख्या इतनी कम है कि उनकी गणना नकारखाने के आगे तूती के समान है।

अब मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान महिलाओं की ओर विशेषरूप से दिलाना चाहती हूं कि वह महिलाओं की शिक्षा की ओर भी कुछ ध्यान दें। बड़े बड़े शहरों में तो कालेजेज

---

*माननीय सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

वगैरह महिलाओं के लिये हैं वह तो ठीक हैं मगर छोटे स्कूलों में लड़कियों के लिये कोई उचित साधन नहीं हैं यहां तक कि उनके बैठने की जगह भी उसमें पर्याप्त नहीं है और न वहां इतन टीचर्स हैं जितने कि होने चाहिये। मैं आशा करती हूं कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी और इस प्रकार लड़कियों की उन्नति के साधन में पूरा पूरा सहयोग देगी। आज कल छोटी छोटी जगहों में भी लड़कियों में शिक्षा के लिये काफ़ी उत्साह हो चुका है और इसके अतिरिक्त मां बाप ने भी अब काफ़ी उत्साह पूर्ण क़दम अपनी लड़कियों को पढ़ाने के विषय में लेना शुरू कर दिया है। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये कि हम महिलाओं की विशेष उन्नति हो। हमारी बालिकायें जो भविष्य में मातायें बनेंगी, अगर उनकी उन्नति नहीं होगी, वह योग्य न न होंगी तो उनकी सन्तानें कैसे योग्य बन सकती हैं।

एक हमारे यहां मैटरनिटी हास्पिटल है और सारे इटावा जिले में केवल एक वही अस्पताल है और वह भी बाबा आदम के ज़माने का है, न वहां पर कोई औज़ार हैं और जितने आजकल के नये तरीक़े हैं, जितने नये साधन हैं, वहां वह नाममात्र को भी नहीं हैं। सारे अस्पताल में एक लेडी डाक्टर है और शायद एक ही वहां पर लेडी कम्पाउन्डर है, तो इतने बड़े ज़िले में एक ही अस्पताल होने से बड़ी तकलीफ होती है। मेरे क़स्बे से वह क़रीब १० मील पड़ता है और वहां से अस्पताल १ मील पड़ता है तो क़रीब क़रीब ११ मील मेरे यहां से वह अस्पताल पड़ता है। तो जो आसपास के छोटे छोटे देहात हैं वहां पर कोई ट्रेन्ड डाक्टर नहीं है और बहुत सी महिलाओं की बच्चा पैदा होते समय मृत्यु हो जाती है। मैंने पहले भी इस भवन में यह प्रस्ताव रक्खा था कि वहां पर ज़रूर ऐसा अस्पताल बनना चाहिये कि जिससे महिलाओं की अकाल मृत्यु रुक सके। इसके अभाव में उनको अनेकों कष्टों का शिकार होना पड़ता है। मैं आपके द्वारा बड़े जोरदार शब्दों में सरकार से अपील करती हूं कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। वहां पर जल्द से जल्द इस बात के लिये इन्तज़ाम होना चाहिये। इसके लिये हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें ट्रेन्ड मिडवाइफ होनी चाहिये अगर यह हो जाय तो बहुत सहायता उनसे मिल सकती है।

उत्पादन की बात भी यहां पर कही जाती है, उससे तो महिलाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन उसमें किसानों का संबंध है। हमारे ज़िले में एक गांव रतरा है वहां के किसानों को बड़ा कष्ट है। कोई नहर भी पास नहीं है और इसी तरह से जसवन्त नगर का भी हाल है। तो उसके लिये मेरे पास लोग आये। मैंने उनसे प्रश्न पूछे, उसके बाद उन्होंने मुझे एक इन्जीनियर से मिलने के लिये कहा। हम लोग इन्जीनियर से मिले तो उन्होंने कहा कि उसके लिये चन्दा इकट्ठा करो तो हमने चन्दा इकट्ठा किया, फिर उन्होंने कहा कि फलां जगह रेलवे ब्रिज बनाना पड़ेगा तो उसके लिये भी चन्दा इकट्ठा किया परन्तु अभी तक इन्जीनियर साहब ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब मैंने किसानों से उनकी राय जाहिर की तो वे लोग चले गये। तो मेरा कहना है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे। तो उन छोटी छोटी जगहों में जहां पर किसान पानी के लिये तरसते हैं तो उनके लिये पानी का इन्तज़ाम होना चाहिये।

इसके अलावा बहुत से डिपार्टमेंट खुल रहे हैं वहां तो महिलाओं को स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी बात के प्रचार के लिये चाहे वह महिलाओं से संबंधित ही क्यों न हो पुरुषों को भेजा जाता है और महिलाओं को उन कामों के लिये अनुपयुक्त समझा जाता है। मैं कहती हूं कि मद्य निषेध के लिये जो प्रचार किया जाता है तो उसके लिये महिलाओं को भेजा जाय, मगर इतना जरूर है कि उनको इस कार्य के लिये वेतन मिलना चाहिये, क्योंकि बिना वेतन के काम करना मुश्किल हो जायेगा। अभी हाल ही में डिप्टी मिनि
पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज चुने गये, मगर इनमें एक भी महिला नहीं है और उनकी
खास ध्यान भी नहीं दिया गया और जब पूछा गया तो उसके जवाब में कहा गया वि
में इतनी योग्यता ही नहीं है। ठीक है, अभी महिलाओं में इतनी योग्यता न हो, पर
उनको किसी कार्य का भार न सौंपा जाय तो कैसे पता चल सकता है कि उनमें योग्यता
हो सकता है कि पहले उनसे गलती हो जाय, मगर गलती किससे नहीं होती है, लेकि

[श्रीमती शान्ति देवी]

करके ही सही काम बाद में करेंगी। तो मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसे महिलाओं को इस तरह से नेगलेक्ट नहीं करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस भवन का ध्यान एक बात की ओर और दिलाना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी हो गई है और जो लोग हिन्दी जानते हैं और उसे बोल सकते हैं उनको चाहिये कि वे हिन्दी में ही अपने भाषण दें। वैसे तो उनको भाषण देने की पूरी स्वतंत्रता है मगर हिन्दी में भाषण न होने से शायद कुछ मेम्बरों के समझ में उनकी बातें आती नहीं हैं। मुझे और अब कुछ ज्यादा नहीं कहना है और मैं इस बजट के पेश किये जाने पर मंत्री जी को बधाई देकर बैठ जाती हूं।

श्री कृष्णचन्द्र जोशी––माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से मैं माननीय वित्त मंत्री जी को सन् १९५२–५३ के अनुमानित लेखे, जो कि उन्होंने हमारे सामने पेश किये हैं और जो संतुलित आय व्यय का ब्योरा है, उसके लिये मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस सदन में मैं कई भाषण कल से इसके बारे में सुन चुका हूं। जहां तक बजट की सफलता का सवाल है, उसके निर्णय के कई ढंग होते हैं और उनमें असली चीज जो है जिसके जरिये से जनरल बजट में स्पीचेज़ दी जाती हैं और जो बातें कही जाती हैं उसके भी ढंग होते हैं। चूंकि इस सदन में दूसरे हाउस की तरह ग्रान्टस्वाइज़ बहस नहीं होती, इसलिये हम लोगों को किस तरह से अपने विचार प्रदर्शित करना चाहिये, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। मैंने कल से विरोधी पक्ष की कई बातें इस बजट के सिलसिले में सुनीं।

इस प्रान्त की जो कुछ भी आर्थिक परिस्थिति रही और जिस ढंग की तकलीफ सरकार को उठानी पड़ी उनको देखते हुये यदि इस सदन के सदस्य अपने–अपने दिलों में ठंडे दिल से विचार करें तो मुझे यह आशा है हर सदस्य इस बात को मानने से इन्कार नहीं कर सकता कि जहां तक संभव हो सकता था आर्थिक उन्नति की ओर सरकार ने जनता को ले जाने की पूर्णतः कोशिश की। जहां तक पार्टी प्रोपेगेन्डा का सवाल है। मैं भी कई बातें कह सकता हूं। इस दल वाले भी कई बातें कह सकते हैं और उस दल वाले भी कई बातें कह सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं अवश्य आप लोगों से कहूंगा कि जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं और हमारा प्रान्त गुजर रहा है उसका विचार करते हुये आज यह आवश्यकीय है कि हम सब मिल कर एक मत हो कर भलाई की चीजों को ध्यान में रखते हुये भलाई की चीजों की आलोचना न करें और बुराई की चीज़ों की आलोचना करें। भलाई की चीज़ों की आलोचना करने से यह होता है कि हम जनता को, जो अशिक्षित है गलत रास्ते पर ले जाते हैं और ले जाने में सहयोगी होते हैं। इसलिये मैं उम्मीद रखता हूं कि भलाई की आलोचना इस सदन में नहीं की जायेगी क्योंकि इस सदन का हमेशा से यह स्थान रहा है कि इसमें शिक्षित लोग रहे हैं, और इस बार भी इस भवन में विद्वान लोग आये हैं, कुछ तो मेरे गुरु हैं और इस सदन में सभी दल और सभी वर्गों के लोग मौजूद हैं हमें चाहिये कि जो हमारी राय हो वह ठीक हो और तभी हम नीचे वाले भवन को ठीक राह पर ला सकते हैं।

किसी बजट में हम केवल यह न देखें कि आय या व्यय कितना है साथ ही साथ हमको यह देखना चाहिये कि परिस्थिति क्या है और जो सरकार ने बजट बनाया है वह परिस्थिति के मुताबिक ठीक है या नहीं। कोई भी इस बात को नहीं कहता और न सरकार ही कहती है कि जितना उसको करना चाहिये उतना वह कर चुकी है। सरकार यह भी नहीं कहती कि जितना उसको करना है वह कर दिया बल्कि जो कुछ सरकार से हो रहा है वह कर रही है और मुझे इस बात का हर्ष है कि विरोधी पक्ष के लोगों ने भी अपने सिद्धान्त को छोड़ कर और कोई बात नहीं कही है जो कुछ कहा है, उसमें पार्टी प्रोपेगन्डा की कोशिश की गई है लेकिन विरोधी पक्ष वालों ने एक भी ऐसी बात नहीं बताई कि यह जो धन बजट की मदों में से किसी में रखा गया है वह न होना चाहिये था या जो धन रखा गया है वह ज्यादा है या कम है या जो प्रायर्टी दी गई है वह ग़लत दी गई है। मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता है कि

जिस चीज में प्रायर्टी दी गई है वह गलत है । सरकार ने पहिली प्रायर्टी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को दी है और जितनी कृषि संबंधी चीजें हैं उनके संबंध में मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के लोगों ने भी कोई उज्र नहीं किया, उनको किसी क़िस्म का उज्र नहीं था । सिर्फ एक उज्र था । मेरे मित्र डाक्टर साहब ने यह कहा कि इसमें मानवीय उन्नति का कहीं भी स्थान रखा नहीं गया है । मैं मानवीय उन्नति का अर्थ समझने में अपने को असमर्थ पाता हूं । मैं नहीं जानता कि जिस बात से अगर हमारे किसानों का ऊंचा सर हो सकता है, उनमें आत्मबल हो सकता है, उनमें आत्म सम्मान की भावना पैदा हो सकती है और अगर यह चीज मानवीय उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली नहीं कही जा सकती है तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसको मानवीय उन्नति का साधन कहा जा सकता है । मैं इस भवन में पहले पहल आया हूं और शायद मैं इतनी गम्भीरता की बातें समझने में असमर्थ हो सकता हूं । जो चीज इसमें सरकार ने रखी है अगर उससे मानवीय उन्नति नहीं हो सकती हूं तो फिर उनके न होने का क्या कारण हैं । इस पर अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं ।

इसके अलावा मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि कई चीजों का उत्तर दिया जा चुका है और फिर उनको दोहराने की जरूरत नहीं है और समय भी कम है इसलिये ज्यादा कहने का मौक़ा नहीं है । कई बातें मुझे अपनी जगह के बारे में कहनी है । अपोजीशन के लीडर ने कहा कि शहरी जनता को बचाने के लिये डेफिसिट बजट किया गया है । उनकी इस बात को सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ । मान लीजिये कि अपोजीशन के लीडर की बात सही है तो क्या शहरी जनता इस प्रान्त की रहने वाली नहीं है ? क्या वह इस प्रान्त का अंग नहीं है ? अगर शहरी जनता को भूख से बचाने के लिये यह डेफिसिट बजट ह तो इसमें उनको खेद किस बात का मालूम होता है । गांव वाले भी इस प्रदेश के रहने वाले हैं और शहरी भी इस प्रदेश के रहने वाले हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि आपकी यह बात सही नहीं कही जा सकती है ।

अब मैं कुछ चीजें सरकार के सामने अपनी ओर से जो आवश्यक समझता हूं ऐसे कुछ सजेशन्स के रूप में पेश करना चाहता हूं । मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय मंत्रियों का तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां हम पंचवर्षीय योजना के अनुसार कार्य करने जा रहे हैं और उसमें एक लम्बी पूंजी लगाने जा रहे हैं तो यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि उस योजना को चलाने के लिये भी कोई योजना बनावें । अगर हम उस योजना को ठीक ढंग पर न ले गये तो हमारी योजनाओं के असफल होने का अंदेशा है । जहां हमारा कर्त्तव्य है कि हम जनता का काम टैक्स लगा कर करें वहां हमारा यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि हम एक एक पाई ठीक से व्यय करें । मैं सरकारी पक्ष का हूं । फिर भी मैं ईमानदारी से एक बात कहने में न चूकूंगा और वह बात यह है कि आज हमारे अफ़सरों के दिलों में नियोजन की भावना उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए । हमारी बदक़िस्मती से या खुशक़िस्मती से कहिए कि हमारे और उनके दोनों के ही दिलों में जब तक योजना पूरे तौर से नहीं बैठ जाती तब तक सफलता मिलना मुमकिन नहीं हो सकता । मैं आप को एक मिसाल दूं तो आप ताज्जुब करेंगे । अल्मोड़ा जिला भी आपकी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है । अल्मोड़ा में पंचवर्षीय योजना लागू करने के लिए आप की नियोजन कमेटी यह विचार करने के लिए बैठी कि योजना कहां पर चालू की जाये । मैं आपको बताऊं कि उस कमेटी ने न तो कोई प्रस्ताव अपने मेम्बरों को दिया और न कोई चीज मेम्बरों के पास भेजी गई । कहां इस चीज को चलाना चाहिए कहां न चलाना चाहिए इस चीज का विचार किए हुए बगर अगर आप इसको काम में लायेंगे तो मुझे डर है कि इन चीजों को आप उन्हीं जगहों में खोलेंगे जहां जनता का स्तर ऊंचा है, क्योंकि उनकी आवाज आप तक पहुंचती है । लेकिन जहां की जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी । वह जगहें इससे वंचित रह जायेंगी । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जिस वक्त आप योजना को लागू करने का विचार करें उसी वक्त इन चीजों पर भी अच्छी तरह से विचार कर लें ।

[श्री कृष्णचन्द्र जोशी]

दूसरी चीज़ मै शिक्षा के बाबत कहना चाहता हूं । शिक्षा मे हम जरूर उन्नति करते आये हैं । जब से गवर्नमेंट ने यह काम लिया है तब से बराबर इसमें रक़म बढ़ा कर रखी है और मैं यह भी मानता हूं कि शिक्षा बढ़ी है । लेकिन मै आज दुःख के साथ देखता हूं कि शिक्षा का स्तर गिरा है । विद्यार्थियों में जो भावनायें होनी चाहिए वह उनमें नहीं पाई जातीं और इसका कारण अगर मैं कहूं तो मरसिनरी ग्रोथ आफ स्कूल्स है । मैं तो माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप उतने ही स्कूल खोलिए जितने आप आसानी से चला सकें । मै आपको अपने यहां का किस्सा सुनाऊं सबसे पिछड़ा हुआ इलाक़ा है । हमारे डिवीजन मे एक ही हायर सेकेंड्री स्कूल है जो कि गवर्नमेंट का है और जो आठ जूनियर स्कूलों को सर्व करता है । जनता ने ७५ हज़ार रुपया इसलिए जमा किया है कि सरकार हमारे स्कूल की बिल्डिंग बनवा दे। आज वह स्कूल चल रहा है और डेढ़ हजार रुपये किराये की बिल्डिंग मे चल रहा है। मै एक बात और कहूंगा, कहा जा रहा है कि नाइन्थ में कोई एडमिशन नहीं होगा। आप विचार कीजिए आठ जूनियर स्कूलों को जो स्कूल सर्व कर रहा है उसमें नाइन्थ मे कोई एडमिशन न हो यह कहां तक मुनासिब और उचित है । ऐसी हालत मे ऐसे पिछड़े हुए इलाके में सरकार का सहयोग होना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं हुआ इसकी वजह यह है कि उस इलाके की आवाज़ की पहुंच यहां तक नहीं है ।

मै जहां इन बातों को कह रहा हूं वहां मै सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने पहाड़ी इलाक़े की उन्नति के लिए कई काम खोले हैं लेकिन साथ ही साथ कई ऐसी भी चीजें हैं जिन पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इसका कारण यह है कि शायद वहां की जनता की आवाज़ सरकार के कानों में नहीं पड़ी है । जहां तक स्कूल का सवाल है मैंने भी रिप्रज़ेन्टेशन किया है लेकिन कोई जवाब नहीं आया है । यह भी कहा गया है कि फेल्योर लड़के न भरती किए जायें। यह बड़े दुख की बात है कि उनके पास रुपया जमा है और वह तीन साल से जमा है लेकिन सरकार ने कोई ध्यान उस ओर नहीं दिया। यह हम जानते हैं कि आपको ७५ हजार से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा । लेकिन वह गरीब जनता जिसको पार साल भुखमरी से बचाने के लिए आपको काफी अनाज भेजकर सहयोग देना पड़ा, वह ३ साल से अपनी गाढ़ी कमाई इकट्ठा करके स्कूल को चला रही है। उसको आशा थी कि वह अपनी उस गाढी कमाई से जो उसने इकट्ठा किया है आपके सहयोग से उस इलाके में वह चीजें जो वहां नहीं है सब प्राप्त करेंगे । अगर आप इस काम में ढील करते हैं तो बहुत सा नुक्सान होगा । इसके अलावा बहुत सी चीजें स्कूलों के बताना है। जब आपने प्राइमरी स्कूल्स खोले तो आपने लोगों को आश्वासन दिया था कि जो स्कूल खोलने को तैयार होंगे उनको हम एक हजार रुपये की मदद देंगे बिल्डिंग बनाने के लिये परन्तु यह रुपया अभी तक नहीं नहीं दिया गया । २१७ स्कूल्स ऐसे हो गये हैं जिनका यह एक हजार का कोटा अभी तक नहीं दिया गया। हिसाब लगाया जाय तो २ लाख कुछ हजार की मदद होती है । गरीब जनता ने भिक्षा मांग कर रुपये इकट्ठा किया और वह आज उस रुपये के इन्टेरेस्ट में ही मरी जा रही है फिर भी कोई ध्यान सरकार ने उस ओर नहीं दिया । खास करके लोहाघाट बेनीराम पुनेठा उच्च माध्यमिक विद्यालय की परिस्थिति को ध्यान में लायेंगे तो समझेंगे कि ४० विद्यार्थी इस साल फेल हैं एक क्लास में, जिसमे ४ सेक्शन पार साल थे और इस साल अब एक सेक्शन कर दिया है । यह सिर्फ भवन की दिक्कत से है। इतने ही से समझ लीजिये जनता में क्या उत्साह होगा ।

दूसरी चीज कोआपरेटिव सोसाइटीज की है । पहाड़ी इलाकों में इन कोआपरेटिव सोसाइटियों ने अनाज इकट्ठा करके वह काम किया है जो किसी ने नहीं किया। सरकार की ओर से कोई मदद उनको नहीं मिली । मैं यहां पर वह सब बातें नहीं कहना चाहता किसी वक्त मिनिस्टर महोदय से स्वयं बातचीत इसके मुताल्लिक करूंगा। अगर आप स्कूलों की इमारत को नहीं बनाते तो उस सब इलाके में एक इन्टर स्कूल

ही खोल दें। जब मर्दों की शिक्षा की यह हालत है तो स्त्रियों की शिक्षा की क्या कही जाय। सारे इलाके में एक या दो अपर स्कूल्स हैं। जूनियर स्कूल की तो कोई बात ही नहीं। अस्पताल के बारे में कहा जाता है कि १०-१५ मील के फासले पर एक अस्पताल हो। वहां ३०-३० और ३५-३५ मील पर भी अस्पताल नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि पहाड़ी इलाके के लिये सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी रह गई हैं जो अभी तक आपके दिमाग में नहीं आई हैं।

आपने हमारे यहां सड़कें बनाने में काफी मदद दी है। भुखमरी से लोगों को बचाया है। अगर सरकार पारसाल और उसके पहिले साल हमारे इलाके में सहायता न करती तो हमारे यहां सैकड़ों लोग मरे हुये नजर आते। इसके लिये हमारे यहां के लोग सरकार के हमेशा आभारी रहेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर लाते हुये एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां कोआपरेटिव कामनवेल्थ स्थापित करने के लिये हमारे कई मित्रों ने कहा है कि जहां कोआपरेटिव खराब है वहां तोड़ दिया जाये। मैं भी कहता हूं कि जहां खराब है वहां उसको मिट्टी में मिला दिया जाये लेकिन कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट से हमें मदद लेनी चाहिये। जब लोहाघाट में कोआपरेटिव सोसाइटी ने गल्ला देने से इन्कार कर दिया तो सरकार को गल्ला देना पड़ा।

इसके अलावा ग्राम पंचायतें जो बनाई गई हैं उनको निर्माण कार्य आप दे सकते हैं। सार्वजनिक विभाग का तो मैं दुश्मन हूं। मैं उसको अपना दुश्मन समझता हूं। वह लोग खर्च तो कर देते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते बलिक अपना घर भरते हैं। अगर आज पुल बनाते हैं तो वह अगली बरसात में बह जाता है। पारसाल एक पुल का इस्टीमेट ४ लाख का बनाया गया। दूसरे इंजीनियर ने उसका इस्टीमेट ५ लाख का बतलाया इसी झगड़े में वह पुल ही नहीं बन सका। इक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के झगड़े की वजह से वह पुल ही नहीं बन सका, वहां का ट्रैफिक अब बरसात की वजह से रुक गया है। अफसरों के झगड़े की वजह से ऐसी जरूरी जरूरी बातें रुक जाती हैं। हमारे यहां जो काम सरकार ने किये हैं उनके लिये वहां के निवासी सरकार के आभारी हैं और अगर ऐसे ही काम होते रहे तो वहां काफी तरक्की हो जायेगी। एक बात और कहना है कि जहां पहिले ही से सड़कें वगैरह बनी हुई हैं वहां पर पंचवर्षीय योजना चालू करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे यहां योजना चालू करें जिससे अधिक लाभ होगा।

श्री राम नन्दन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भवन में आय-व्ययक जो विचारार्थ पेश है और जिस पर कल से भाषण हो रहे हैं उनको मैंने सुना। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निभाया है। इसलिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बजट के सिलसिले में जहां लोगों ने बधाई दी है। वहां विरोधी पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि यह जो बजट है वह भौतिकवादी है लेकिन इसमें मानव विकास के लिए कोई चीज नहीं है।

मैं श्रीमान् जी के द्वारा उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों के समय में जो गुलामी आयी और जिन्होंने राजाओं और महाराजाओं के बल पर हमारे ऊपर हुकूमत किया उसके विरुद्ध हमारी सरकार ने जो मार्ग अपनाया और राजाओं और महाराजाओं को समाप्त किया और निर्धनों का जो स्तर ऊंचा किया वह क्या कम है। यह मैं स्वीकार करता हूं कि जितना हमें आगे जाना चाहिये था या जितना हमारे विरोधी दल वाले आगे ले जाना चाहते हैं उतना हम अभी नहीं पहुंचे हैं लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सरकार हमें उतना आगे नहीं ले जाना चाहती है। चीन का उदाहरण यहां दिया गया है कि चीन के माऊ और साधारण जनता के रहन-सहन में कोई अंतर नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हमारे राज्य के अधिकारी पहले की अपेक्षा अब बहुत सादी चाल से रहते हैं और माननीय मंत्रियों में से एक आध तो देखता हूं कि वे अत्यधिक साधारण रीति से रहते हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य से जिन्होंने माऊ का उदाहरण दिया है पूछना

[श्री राम नन्दन सिंह]

चाहता हूं कि क्या उनके आचरण और रहन-सहन का तरीका वैसा ही है जैसा वे साऊ का समझते हैं।

मेरे मित्र प्रभु नारायण सिंह जी ने चकिया के बन्दोबस्त के लिये जो कुछ कहा है मैं नहीं समझता कि वह कहां तक ठीक है? बनारस स्टेट के मर्जर के समय वहां राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ४०-४५ सौ बीघा जमीन का पट्टा अपने नाम करा लिया था जिस में से लगभग ८ सौ बीघा का पट्टा चकिया के अन्य लोगों के नाम कर दिया। जिसमें लगभग ४ सौ बीघा भूमि ४०० के लगभग गरीबों को दे दिया गया था प्रायः इस विचार से कि वे उनकी नौकरी करेंगे। मैं मानता हूं कि सरकार ने दिवान गोकुलचन्द का पट्टा जो लगभग एक हजार बीघा भूमि का है और मर्जर के बहुत पहिले का है जिसे महाराज ने मंसूख किया था, सरकार ने बहाल करा दिया है। मुझे पता है कि सरकार उस जंगल की पैमायश करा रही है। बाद पैमायश काबिल काश्त भूमि का पता लग जाने पर उसे गरीबों को, मुझे विश्वास है दिया जावेगा। चकिया में सरकार की ओर से उन्नति कार्य करने का आश्वासन दिया गया था उसे पूरा करने के लिये सरकार सचेष्ट है। इतना मैं जानता हूं कि मर्जर के समय जो कार्य करने के लिये कहे गये थे उनमें से सरकार ने कुछ किये भी हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकार सब बातों को पूरा करने में ढीली हो रही है। ४७४ वर्ग मील चकिया का इलाका है। उसमें केवल एक हाई स्कूल है जिस के निर्माण का कार्य काशी राज्य ने आरम्भ किया था परन्तु आज दो तीन साल व्यतीत हो गये वह पूरा नहीं हो सका। दूसरी बात जो वहां की है वह यह है कि ४७४ वर्ग मील के एरिया में केवल थोड़ी सी पक्की सड़क है। उसके लिये मैं श्रीमान् जी के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वहां के यातायात की कठिनाइयों को दूर करने के लिये उचित प्रबन्ध शीघ्र होना चाहिये एक लाख रुपया जो बनारस स्टेट के लिये रखा गया है वहां की आवश्यकताओं को देखते हुये वह नहीं के बराबर है।

हां कृषि के बारे में एक साधारण रीति से जो बात हमने समाज में देखी है वह यह कि हमारे देश में जो ७० फीसदी किसान हैं उनकी मनोवृत्ति स्वयं काम करने की ओर से हटती जा रही है। उनके लड़के भी जो स्कूलों में पढ़ते हैं वे भी खेती करना नहीं चाहते हैं। इसलिये लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारी कृषि में कोई उन्नति नहीं हो रही है। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिये सरकार ने कितने ही स्कूल खोल रखे हैं परन्तु हर एक किसानों तक उनकी पहुंच नहीं, अतएव यह कहना अनुचित होगा कि हर एक किसान को लाभ पहुंचाने के लिये सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हां, यदि हमारे बड़े-बड़े लोग इस तरफ अपनी मनोवृति ले जायं कि काम करना बड़प्पन की निशानी है तो कुछ फायदा अवश्य हो सकता है। सरकार को इस तरह की मनोवृत्ति पैदा करने के लिये कोशिश करनी चाहिये इससे देश का अधिक कल्याण हो सकेगा।

मैं शिक्षा के विषय में यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अन्दर पढ़ाने की तरफ जो मनोवृत्ति समाज की है वह यह है कि हर एक आदमी अपने लड़के को पढ़ाना तो चाहता है लेकिन पढ़ाने से पहले यह संकल्प हो जाता है कि वह नौकरी के लिये पढ़ा रहा है। पढ़ने के बाद लाखों विद्यार्थी जो स्कूलों से निकलते हैं वह नौकरी के लिये दौड़ते हैं। वह हम सदस्यों के पास आते हैं और सरकारी अधिकारियों के पास भी दौड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इतनों को काम कहां से दे? तो यह मनोवृत्ति है यदि इसको रोका न गया तो भविष्य में एक विद्रोही समाज की रचना होगी जो सरकार के विरुद्ध जायगा। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, इस की ओर भी सरकार का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास ६ करोड़ की जन शक्ति है अभी उसका उपयोग करने के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। इस दशा में भी सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए इस सम्बन्ध का कोई कानून बनाकर इस जन शक्ति का उपयोग किया जावे तो जो हमारे भावी निर्माण कार्य हैं उनमें सरकार को काफी मदद मिलेगी। जो कर लगाने की बात सोची जा रही है और यह कहा जा रहा है कि हमारे बजट में ४ करोड़ का घाटा है उसके लिये यदि हर एक मनुष्य जो हमारे प्रदेश में रहता है वह प्रति दिन कुछ समय सरकार को दे तो इस से कम से कम १० करोड़ का काम हो सकता है। यह काम कोई असम्भव नहीं है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्रियों का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि ६ करोड़ निवासियों में उसके लिये प्रेरणा पैदा करने की कोशिश की जाय।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज हमारे देश का नैतिक स्तर अनुमान से काफी नीचे चला गया है इसलिये उसको उठाने की कोशिश की जाय। मैं देखता हूं कि हमारे समाज में आदमियों का अधिपतन हो गया है। लेकिन हम लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज माननीय मंत्रियों का दायित्व कितना बढ़ गया है लेकिन फिर भी हम लोग अपने व्यक्तिगत कामों को लेकर माननीय मंत्रियों के पास दौड़ते हैं इससे मैं समझता हूं कि माननीय मंत्रियों को भी काफी कठिनाइयां होती हैं। इस तरह की बात के बारे में मद्रास के मुख्य मंत्री राजा जी ने वहां के विधान मंडल के सदस्यों के सामने भी कहा था। इससे भी देश को बचाने के लिये ठोस कदम उठाना चाहिए इस सम्बन्ध में मैं एक पौराणिक बात आपके सामने कहना चाहता हूं। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य थे लेकिन उनके लड़के ने दूध की भी शक्ल नहीं देखी थी। जो इतने बड़े राजा महाराजाओं के गुरू थे उनको कितनी मिल्यिकत मिल सकती थी और दूध तो एक साधारण सी बात है। इस तरह से जो हमारे माननीय सदस्य हैं वे यह लालसा न करें कि मंत्रियों के यहां जाकर केवल अपना और अपने मित्रों का काम करवा लायें। अगर हम इस तरह से काम करते रहेंगे तो यह हमारे पतन का रास्ता है।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि अब मेरा समय हो गया। इस सदन के सामने मुझे यह बोलने का पहला मौका है, इसलिए श्रीमान्, मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि अगर मेरे भाषण में कुछ कमी है तो वह इसके लिए क्षमा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री हृदय नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री का जो बजट भाषण है, उसके प्रारम्भक में जो पैराग्राफ चार हैं उसमें उन्होंने यह आश्वासन दिलाया है कि यह सरकार इस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए उत्सुक है जिससे देश के नागरिकों का आर्थिक विकास और सांस्कृतिक उन्नति हो लेकिन तखमीनों के ब्यौरे को देखा तो मुझे निराशा ही हुई। ऐसा मालूम होता है कि वित्त मन्त्री महोदय अपना संकल्प भूल गये। सांस्कृतिक उन्नति के लिए कोई योजना इस बजट में नहीं दिखाई देती है। इस बजट के पैराग्राफ ६ को अगर आप पढ़ कर देखें तो आपको मालूम होगा कि पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत जो योजना है उस पर करीब ७ करोड़ ५० लाख रुपये व्यय करने की बात कही गई है। यह बात ठीक है। लेकिन सरकार के आफिसर ऐसे हैं कि जितना रुपया सरकार देती है उसमें से काफी रुपया तो उनकी जेबों में जाता है। जितना रुपया सरकार देती है वह सब काम में नहीं आता। इसलिए सरकार को यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि जो रुपया सरकार दे वह सारा का सारा उसी काम में लगे। ऐसा करने से ही सरकार के काम पूरे हो सकेंगे और उसका हर काम ठीक तरह से हो सकेगा। मैंने देखा है कि एक सड़क की योजना थी। उसमें मध्यवर्तियों की जेब में काफी रुपया गया और काम ठीक न हो सका। इसकी बहुत मिसालें हैं।

[श्री हृदय नारायण सिंह]

मैं समझता हूं कि सरकार इसको रोकने का प्रयत्न करेगी। तभी जो आवश्यक कार्य हैं वे अच्छी प्रकार से हो सकेंगे। नहीं तो जैसें कोई दाना बन्जर में डाला जाता है उसी प्रकार जो रुपया जनता के पास से आता है, वह व्यर्थ जायेगा। वारेन हेस्टिंग्स के जमाने में घूसखोरी का एक नियम हो गया था। बालपोल के समय में घूसखोरी एक सिस्टम में परिणत हो गयी थी। इसी प्रकार यदि सरकार के किसी विभाग में घूसखोरी नियम में बदल गयी हो तो वह भी पी० डब्ल्यू० डी० है।

पैराग्राफ ११ में सरकार ने स्कूलों के बारे में यह बतलाया है कि सन् १९४५–४६ में २६५ लाख रुपया इन पर खर्च होता था, परन्तु अब सन् १९५१–५२ में यह रकम बढ़ करके ७४१ लाख हो गयी। यह प्रसन्नता की बात है और यह सही है कि स्कूलों पर पहले जितना व्यय होता था, उसमें अब वृद्धि हुई है, लेकिन मैं समझता हूं कि आंकड़ों से थोड़ा सा भ्रम भी पैदा हो सकता है। अगर मान लिया जाय कि सरकार की आय १९४५–४६ में जितनी थी उससे चौगुनी या पंचगुनी हो गई तो यदि उसकें अनुपात से वृद्धि कम हुई तो मैं समझता हूं कि कोई संतोषजनक बात नहीं हुई। दूसरा प्रश्न यह है कि जो खर्च शिक्षा में हुआ है वह बेकार की योजनाओं के ऊपर तो नहीं हुआ है। अगर ऐसे कार्य के ऊपर यह खर्च हुआ है जो कि बेकार साबित हुआ तो यह संतोषजनक नहीं है। मुझे नहीं पता है कि हमारे नवीन माननीय शिक्षा मन्त्री पुरानी व्यर्थ साबित हुई स्कीमों को चालू रखेंगे या उसको बन्द कर देंगे। जो गवर्नमेंट की अच्छी स्कीमें हैं, उनकी तो सराहना अनेक लोगों ने की है, परन्तु प्रौढ़ शिक्षा और कन्टीन्यूएशन क्लास पर जो तीन या चार लाख रुपया वार्षिक खर्च करने का प्रबन्ध किया गया है, वह व्यर्थ है।

पैराग्राफ १४ में इटावा पायलेट प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है और उसकी काफी तारीफ भी की गई है। सरकार ने यह कहा है, यह काम बहुत ही रिमार्केबुल और प्रशंसनीय है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ है वह बहुत ही कम हुआ है और उसका कारण यह है कि केवल वहां पर एक आलू और गेहूं को बढ़ाने के लिये प्रयत्न हो रहा है। लेकिन जो अन्य वस्तुएं हैं उनके उत्पादन के लिये विशेष रूप से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कुछ भी वहां पर उत्पादन हो रहा है, वह मेरे विचार से किसानों को परावलम्बी बना रहा है। वे स्वावलम्बन की पुरानी परिपाटी छोड़कर गवर्नमेंट के कार्यकर्त्ताओं के इशारे पर नाचना सीख रहे हैं। दूसरी बात कैपिटल के बारे में कही जाती है। हमारा देश अमरीकन पूंजी पर अधिकाधिक निर्भर होता जा रहा है। इन दोषों को दूर कर सरकार कम्यूनिटी प्रोजेक्ट की स्कीम को अन्य स्थानों में भी प्रत्युक्त करे तो अच्छा हो।

आगे चलकर पैराग्राफ २९ में यह कहा गया है कि जमीन्दारी अबालिशन से जो कर बढ़ेगा, उसका बड़ा अंश कम्पेनसेशन वगैरह के तखमीने बनाने में खर्च हो जायेगा। लेकिन जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करने पर यह मालूम हुआ कि अगर इस काम को ठीक तरह से चलाया जाय तो यह तीन चार महीने ही में खत्म हो जायगा। जमीन्दारी विनाश कानून को लागू हुए डेढ़ महीने हो गये, लेकिन कर्मचारियों को क्या करना है यह नहीं मालूम हुआ है। जो नीचे के आफिसर हैं वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, शायद ऊंचे आफिसरों को मालूम है। चार बार आदेश जारी किये गये और बार बार उनको रद्द कर दिया गया। एक माननीय सदस्य ने सरकारी अफसरों के अत्याचार और आलस्य का वर्णन किया है। सरकार को स्वतः एफीसियेन्सी का नमूना अफसरों के सामने रखना चाहिए। तभी सब काम ठीक तरीके से हो सकते हैं, जैसा कि कहा भी जाता है कि लाईक मास्टर, लाईट सर्वेन्ट।

नशाबन्दी के सिलसिले में सरकार ने जो तरीका अख्तियार किया है, वह गलत तरीका है। जैसा कि तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि "मूंदहु आंख कतहु कोउ नाहीं।" सरकार नशाबन्दी में यही नीति बरत रही है। नशाबन्दी को रोकने के लिये सरकार जो पालिसी अख्तियार कर रही है, उसमें उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। इससे पहिले

जो आय इस मद से होती थी, वह भी नहीं हो रही है। इसको रोकने के लिये अब पुलिस को यह काम दिया गया है। मगर पुलिस के पास कि आलरेडी इतना काम है कि वह उसको एफीसियेन्टली नहीं कर पा रही है और केसेज को पकड़ने के लिये कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। इस बात को बहुत से सदस्यों ने इस भवन में कहा भी है। इस सम्बन्ध में मनु महाराज ने भी कहा है कि जबरदस्ती किसी चीज को रोकना ठीक नहीं है। जो आमदनी का जरिया था वह भी समाप्त किया जा रहा है और कुछ सफलता भी नहीं मिल पा रही है। सरकार का यह कदम भी अनुचित है कि कुछ स्थानों में नशाखोरी को खत्म किया जा रहा है और कुछ स्थानों में वैसे ही छोड़ दिया जा रहा है। एक स्थान में छाया है और दूसरे में धूप है। सरकार को इस प्रकार की नीति नहीं अख्तियार करनी चाहिए।

मैं अब शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। आज हमारी शिक्षा पर जो तखमीना है उसको देख कर मुझे बड़ी निराशा हुई। आज हमारे अध्यापकों को चपरासियों से भी कम वेतन मिल रहा है और आमतौर से उन अध्यापकों को जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के टीचर्स हैं, उनकी दशा बहुत खराब है। उनको प्रत्येक मास में पूरा वेतन मिलना चाहिए और सरकार को इस बात का अच्छी तरह से प्रबन्ध करना चाहिए। इस बात की मुझे आशा थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के टीचरों को सरकार अवश्य अच्छा और ज्यादा वेतन देगी, परन्तु उसके लिये हमें निराश होना पड़ा। उन टीचरों को अच्छा वेतन और महंगाई मिलनी चाहिए जिससे कि वह अपना काम सुचारु रूप से कर सकें। मैं एक प्रोफेसर साहब द्वारा कही गई बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

"Prof. Sheshadri once said: A discontented teacher is a danger to the State"

यदि अध्यापक असंतुष्ट है तो शिक्षा की कोई प्रगति नहीं हो सकती। इस बात को मैं ही क्या सरकार भी अच्छी तरह से समझती है और तरह-तरह के कामों में रुपया सर्फ किया जा रहा है, परन्तु अध्यापकों को संतुष्ट करने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है। किस तरह हमारी बड़ी-बड़ी शिक्षा सम्बन्धी योजनाएं पूरी होंगी? अध्यापकों के डियरनेस अलाउन्सेज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैंने देखा कि पंचायत राज इन्सपेक्टर्स के लिये ५० लाख रुपया तनख्वाहों के लिये रखा गया है। एक हजार के करीब सेकेन्डरी हाई स्कूल्स हैं। इनमें जो अध्यापक हैं उनका वेतन बहुत ही कम है और वे ५ या ६ साल से बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। जिन कठिनाइयों से वे गुजर रहे हैं, उसका ज्ञान दूसरों को नहीं हो सकता है। उनकी आवाज है कि उनको १५ रुपया माहवार महंगाई भत्ता दिया जाय। मेरे ख्याल से कई एक डेपुटेशन सरकार से मिल चुके हैं और कई एक प्रस्ताव भी इस सिलसिले में पास किये जा चुके हैं। लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी इस मांग को ठुकराया ही है। यदि हिसाब लगाया जाय तो सरकार को उन्हें ३६ लाख रुपया सालाना देना होगा और मेरे ख्याल से जो सरकार अपनी योजनाओं के लिये इतना ज्यादा रुपया खर्च कर रही है, उसके लिये इतना रुपया अध्यापकों के लिये देना कठिन नहीं है।

डिग्री कालेज में जो दो गवर्नमेंट डिग्री कालेज हैं उनको सरकार ३ लाख रुपया खर्च के लिये दे रही है और दूसरे जो नये एडेड डिग्री कालेज हैं उन पर एक लाख ४८ हजार रुपया ही सिर्फ खर्च कर रही है। गवर्नमेंट के लिये अध्यापकों को डी० ए० देने के लिये रुपया निकालना कठिन काम नहीं है। अभी कन्ट्रोल बन्द कर दिया गया है, यह बड़ी खुशी की बात है। कन्ट्रोल के जमाने में सरकार का काफी रुपया खर्च होता था और अब यह बचत में है। वह रुपया अध्यापकों को दिया जा सकता है।

मैं जुडिशियल और एक्जीक्यूटिव विभागों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में जुडिशियल आफिसर करीब-करीब १७० हैं उनमें से ६० के निकट कनफर्म्ड हैं और

[श्री हृदय नारायण सिंह]

बाकी ११० अनकनफर्म्ड हैं। आप ही बताए की वह कनफर्म्ड कर्मचारी किस तरह से संतोषजनक काम कर सकते हैं। ये जुडिशियल आफिसर डी० एम० के अन्तर्गत हैं जो कि जिले की एक्जीक्यूटिव का ग्रेड है। मेरा विचार है कि उनको कन्फर्म कर दिया जाय यदि उनकी जगहों की जरूरत हो। जहां डिप्टी कलेक्टर को ३०० रुपया से ८५० रुपये का ग्रेड है जुडिशियल आफिसर का ग्रेड ३०० से ५०० रुपये का है यह असमानता है, यह नहीं होना चाहिए। जब तक उनका टेन्योर नहीं ठीक किया जायगा तब तक काम नहीं ठीक चल सकता है। जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव जिसका विभाजन करने के लिये सरकार ने काम शुरू किया है वह भी ठीक नहीं हो रहा है।

चेयरमैन--अब आपका समय खत्म हो गया है।

श्री हृदय नारायण सिंह--आपने जो समय दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं जौनपुर के बारे में कहना चाहता हूं। जितनी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं वह और जगहों में लागू की जाती हैं लेकिन जौनपुर छोड़ दिया जाता है। सरकार को जौनपुर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये दो सदस्यों का चुनाव

चेयरमैन--जो नामिनेशन्स भिन्न-भिन्न समितियों के लिये आये हैं उनको मैं घोषित करता हूं।

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के लिये श्री वंशीधर शुक्ल तथा श्री तेलू राम के नाम आये हैं। मैं घोषित करता हूं कि यह दोनों सदस्य उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के लिये चुने गये।

बोर्ड आफ इंडियन मेडीसिन, उत्तर प्रदेश के लिये एक सदस्य का चुनाव

चेयरमैन--बोर्ड आफ इंडियन मेडीसिन, उत्तर प्रदेश के लिये श्री प्रेम चन्द्र शर्मा का नाम आया है। मैं घोषित करता हूं कि वह इस समिति के लिये चुने गये।

स्टेट म्यूजियम, लखनऊ की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव

चेयरमैन--स्टेट म्यूजियम लखनऊ, की मैनेजिंग कमेटी के लिये श्री बजरंग बहादुर सिंह का नाम आया है। मैं घोषित करता हूं कि वह इस समिति के सदस्य चुने गये।

आरकोलाजिकल म्यूजियम, मथुरा की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव

चेयरमैन--आरकोलाजिकल म्यूजियम, मथुरा की मैनेजिंग कमेटी के लिये श्रीमती शान्ति देवी अग्रवाल का नाम आया है। मैं घोषित करता हूं कि वह मैनेजिंग कमेटी की सदस्या चुनी गईं।

सदन का कार्यक्रम

चेयरमैन--आज हम लोगों ने १८ मेम्बरों के वक्तव्यों को सुना। कल के लिये १६ नाम हैं। १६ मेम्बर दो-ढाई घंटे में कैसे बोल सकते हैं यह मेरे लिये एक समस्या हो गयी है। मैं समझता हूं कि साढ़े दस बजे से कल शुरू करें और तीसरे पहर से मिनिस्टर्स के लिये रक्खें तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त ने एक प्रार्थना भेजी है कि इस बहस के लिये एक दिन और बढ़ा दिया जाय। लीडर आफ दि हाउस की सलाह से इस बहस के लिये दिन निश्चित किये जाते हैं। इसलिये इसमें अब इजाफे की गुंजाइश नहीं है। यह बहस और नहीं बढ़ायी जा सकती है। परसों खत्म करनी होगी। अब परसों साढ़े दस बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(५ बजकर ३० मिनट पर कौंसिल १४ जुलाई, १९५२, को साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हो गयी)

लखनऊ,
१२ जुलाई, १९५२

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश।

ा० एस० यू० पी० ४० एल० सी०—१९५२—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५६)

अब्दुल शकूर नज्मी, श्री
उमानाथ बली, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरुनारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलूराम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द चतुर्वेदी, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डा०
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मुकुट बिहारीलाल, प्रोफेसर
राजाराम शास्त्री, श्री
राणा शिवअम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामकिशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामलखन श्री
रामलगन सिंह, श्री
लल्लूराम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
विश्वनाथ श्री
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव मरनलाल जौहरी, श्री
श्यामसुन्दरलाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हरगोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री सैयद अली जहीर (न्याय मन्त्री)
श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)
डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मन्त्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मन्त्री)
श्री मोहनलाल गौतम (स्वशासन मन्त्री)

प्रश्नोत्तर

Sri Prabhu Narain Singh : On a point of information Sir.

Chairman : No point of information can be raised before questions are over. I think we must go on with the questions first.

इन्कम टैक्स प्रैक्टिशनर्स द्वारा सेल्स टैक्स के मुकद्दमों की वकालत

१---श्री राजाराम शास्त्री---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर के इन्कमटैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसियेशन की सेल्स टैक्स, बार एसोसियेशन या श्री राय सोमनारायण सिंह इन्कम टैक्स तथा सेल्स टैक्स विशेषज्ञों ने सरकार से इन्कम टैक्स पैक्टिशनर्स को जज अपील (सेल्स टैक्स), जज डिवीजन, (सेल्स टैक्स), के सामने सेल्स टैक्स के मुकदमों की वकालत करने के विषय में कोई लिखा पढ़ी की है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जज अपील्स तथा रिवीजन्स, सेल्स टैक्स के सामने इन्कमटैक्स प्रैक्टिशनर्स द्वारा सेल्स टैक्स के मुकद्दमों की वकालत करने के विषय में सेल्स टैक्स बार एसोशियेशन, कानपुर तथा श्री राय सोमनाराण सिंह, कानपुर से कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

२---श्री राजाराम शास्त्री---यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की?

वित्त मंत्री---इस मामले पर सरकार विचार कर रही है।

श्री राजाराम शास्त्री---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह विचार कब तक पूर्ण होगा?

वित्त मंत्री---इसमें इतना वक्त लगेगा जितना कि नीचे से तहकीकात करके जवाब मंगाने के लिये जरूरी है।

३---श्री राजाराम शास्त्री---यदि नहीं, तो इस विषय में सरकार क्या करने का विचार रखती है?

वित्त मंत्री---प्रश्न ही नहीं उठता।

सन १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद

चेयरमैन---अब सन् १९५२-५३ ई० के बजट पर बहस जारी रहेगी।

श्री उमा नाथ बली---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को इस साल के बजट पर बधाई देता हूं। मुझे कुछ कलाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना है क्योंकि मुझे उसी विषय में अधिक रुचि है और सरकार का ध्यान उस ओर बहुत कम है। पहले मैं Art in general के विषय को लेता हूं। मनुष्य जीवन में कलाओं का विशेष स्थान है। कलाओं से मनुष्य जीवन को सुख मिलता है। बिना कला के साधन के मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। बृटिश सरकार ने भारतीय कलाओं पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इसी कारण उसकी उन्नति रुक गयी। हमारे प्रदेश में केवल एक विद्यालय आर्ट की शिक्षा देने का है जिसका नाम है "स्कूल्स आफ आर्ट्स एन क्रैफ्ट" (School of Arts and Craft) और वह लखनऊ में है। यह स्कूल उद्योग विभाग (Industries Department) के मातहत है। उद्योग विभाग ने इसको स्कूल न समझ कर फैक्ट्री समझ रखा है और इस पर Factory regulations लगा दिये हैं जिसके कारण इसकी उन्नति रुक गयी है। जैसी शिक्षा कलाओं की होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। मैं सरकार का ध्यान कई साल से इस

बात पर दिला रहा हूं कि इस स्कूल को शिक्षा विभाग में दे देना चाहिए तभी इसकी उन्नति होगी और ठीक शिक्षा दी जा सकेगी। यह स्कूल अंग्रेजों राज्य में स्थापित हुआ था। इसमें बजाय भारतीय कलाओं के रोमन आर्ट, ग्रांथिक आर्ट सिखाये जाते थे और उन्हीं विदेशीय कलाओं का प्रचार हो रहा था। सन् १९२४मे अंग्रेज प्रिन्सिपल (Principal) हटा और श्री असीतकुमार हलधर जो भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार हैं प्रिन्सिपल नियुक्त हुए। उन्होंने आते ही चित्रकारी में, लकड़ी के काम के क्लास में, सोने चांदी, मिट्टी आदि के क्लासों में भारतीय कला का प्रवेश करा दिया और उनको ऐसी सफलता मिली कि थोड़े ही काल में जनता की रुचि विदेशीय कलाओं से हट कर भारतीय कलाओं पर बढ़ने लगी और घर-घर में उसकी मांग बढ़ी। स्कूल में भी लड़कों की तादाद बढ़ गयी। श्री हलधर ने प्रत्येक साल स्कूल की प्रदर्शनी करनी आरम्भ की जिसमें स्कूल में जो कुछ सिखाया जाता था, विद्यार्थियों के तथा अध्यापकों के बनाये कलाओं के नमूने दिखाये जाने लगे। भारतीय कलाओं का बड़े वेग से प्रचार बढ़ा। यह बड़े खेद की बात हुई कि श्री हलधर को Retire कर दिया गया और उनका काम अधूरा रह गया। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह उस स्कूल की ओर ध्यान दें। आवश्यकता यह है कि सरकार एक कमेटी नियुक्त कर दे जो इस स्कूल की आवश्यकताओं और कार्यों की जांच करे और अपनी सलाह सरकार को दे और सरकार उन सलाहों पर अमल करें तभी इस स्कूल की तथा उसके द्वारा कलाओं की उन्नति हो सकती है और भारतीय कलाओं की रक्षा हो सकती है।

अब मैं संगीत कला की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। संगीत कला बड़ी सूक्ष्म कला है, बड़ी कठिन कला है। अंग्रेजी शासन में संगीत की ओर तनिक भी ध्यान नहीं था बल्कि संगीत समाज से तिरस्कृत हो गया था। संगीत कलाओं को समाज में प्रवेश कराने तथा उसके बिगड़ी हुई दशा से ऊंचे स्थान पर लाने और उसकी शिक्षा क्रम में प्रवेश कराने का यश स्वर्गीय पंडित विष्णू नारायण भारतखंडे को है। उन्होंने इसके प्रचार कराने में काफी समय खर्च किया। उन्होंने पाठशालाओं में पढ़ाने योग्य Text books लिखी और स्वयं पढ़ाने और सिखाने का कार्य किया। सन् १९२६ में लखनऊ में मैरिस कालेज आफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक खोला गया जिसमें उन्होंने करीब तीन या चार साल तक संगीत शास्त्र पर लेक्चर (lecture) दिये। मैरिस कालेज की ओर सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं था। कालेज में प्रत्येक प्रान्त के विद्यार्थी सीखने आते हैं। उसकी आर्थिक दशा शुरू से ही बिगड़ी रही, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा रहा। लड़ाई के पहले लंका, ब्रह्मा, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका तक के विद्यार्थी यहां सीखने आये थे। लड़ाई के बाद कुछ कारणों से विद्यार्थी कम हो गये फिर भी तीन या चार सौ विद्यार्थी के बीच विद्यार्थी अब भी हैं। कालेज कोर्स ५ साल का था। ५ वर्ष पूरे होने पर परीक्षा की समस्या उपस्थित हुई। कई साल तक कोशिश की गई कि सरकार उसका प्रयत्न करे या लखनऊ विश्वविद्यालय उसको ले ले। सफलता न मिलने पर १९३९ में एक भारतखंडे आफ यूनिवर्सिटी इंडियन म्यूजिक सोसाइटी रजिस्टर कराई गयी और परीक्षा सम्बन्धी सब कार्य उसको सौंपा गया। अब इस समय बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, जबलपुर, मेरठ, प्रयाग आदि स्थानों पर संगीत विद्यालय स्थापित हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में affiliated हैं। कहने का मतलब यह है कि समस्त उत्तरी भारत में संगीत का प्रचार हो गया है, परन्तु आर्थिक दशा अभी ठीक नहीं हुई। हमारे कालिज के टीचरों के वेतन बहुत थोड़े थे, उनकी दशा बड़ी खराब थी, लेकिन हमारे भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने बड़ी कृपा करी और बड़ी सहायता दी कि टीचरों के Scale of salaries और Grades बढ़ा कर कालिज की अनुदान १३,००० रुपये से ५८,००० रुपये कर दी। जिससे अब deficit नहीं रहा, लेकिन अभी वह दशा नहीं आई है कि कालिज कुछ नई बातें पैदा कर सकें। इससे उन्नति रुकी है।

कालिज को कायम हुए २६ वर्ष हो चुके। इस साल कालिज की सिलवर जुबली (Silver jubilee) मनाना है, आशा है कि सरकार इस अवसर पर कालिज को सहायता दे कर उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर देगी।

[श्री उमानाथ बली]

समय खत्म हो गया इससे कुछ अधिक न कह कर एक बार फिर सरकार का ध्यान इस कला की उन्नति की ओर दिलाता हूं और आशा करता हूं कि सरकार संगीत कला की सहायता करेगी ।

***श्री हरगोविन्द मिश्र**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का अत्यन्त प्रसन्नता के साथ हृदय से स्वागत करता हूं । इस बजट के अन्दर हमें भविष्य निर्माण का बीजाकरण दिखायी देता है । एक तिहाई हिस्सा आय का इसमें भविष्य निर्माण के लिये नियोजित किया गया है, यह एक बहुत ही अच्छा लक्षण है, यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा । किसी भी स्टेट का इतना उत्तम बजट अभी तक देखने में नहीं आया जिसमें कि आय का तिहाई हिस्सा भविष्य निर्माण के लिये रखा गया हो । कानपुर के लिये ८० लाख रुपया बिजली के अधिक उत्पादन के लिये रखा गया है । इससे ३६ हजार किलोवाट बिजली तो अभी तक थी, तो उसमें १५ हजार किलोवाट और अधिक हमको मिलेगी और इससे हजारों ही नहीं बल्कि लाखों लोगों को काम करने का सुअवसर प्राप्त होगा । ७५ लाख रुपया मजदूरों के मकान बनाने के लिये इसमें दिया गया है, तो यह भी बहुत ही अच्छा लक्षण है । एक सम्पत्ति शास्त्रीय विद्वान ने आय-व्यय के विषय में बहुत ही सुन्दर बात कही है ।

उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा पांडित्य, सबसे बड़ी बात यह है कि आय से व्यय कम हो और यह एक बजट का प्रधान लक्षण होना चाहिए । इसमें सन्देह नहीं कि हमारे प्रदेश का बजट इस साल इसके प्रतिकूल है और चार करोड़ रुपया इसमें व्यय का अधिक दिखलाया गया है, परन्तु हमें देखना यह है कि जो आय है उसको किस तरह से औचित्यपूर्ण ढंग से खर्च किया जा सकता है । अभी मैंने जैसा कि बतलाया कि उसका तिहाई हिस्सा भविष्य निर्माण के लिये प्रयोजित किया गया है तो उसको इतना अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता और ४ करोड़ रुपया जो अधिक दिखाया गया है उसे बजट की न्यूनता नहीं कहा जा सकता है । क्योंकि दूसरे प्रदेश के लोग डेफिसिट (Deficit) बजट को दिखला कर भारत सरकार से अधिक रुपया ग्रान्ट (grant) या सबसिडी (subsidy) के रूप में ले लेते हैं । तो अब हमारे लिये भी यह अधिक उपयुक्त होगा और हम भी गवर्नमेंट से कह सकेंगे कि भारत सरकार जो इन्कम टैक्स के रूप में ६ करोड़ रुपया देती है वह हमको और अधिक दिया जाय, मैं यह भी कह सकता हूं कि रोड डवलपमेंट फन्ड (Road Development Fund) में काफी रुपया आपके पास है । वार (war) के जमाने में हमारी सड़कों को बहुत बुरी तरह से उपयोग में लाया गया था, उनकी मरम्मत करना है और दूसरे भी कार्य करने हैं। इसलिये इस फन्ड में से और रुपया मिलना चाहिए । इस ४ करोड़ रुपये की न्यूनता को मैं न्यूनता नहीं समझता बल्कि यह एक अच्छा लक्षण समझता हूं ।

दूसरी ओर से ऐसी बातें कही गयी हैं जिनको निराधार कहने के लिये हमें उद्यत होना पड़ता है । एक विद्वान ने कहा है कि जितना भी नैतिक और राजनैतिक पतन भारतवर्ष में हो रहा है वह सब कांग्रेस गवर्नमेंट के जरिये से । यह एक बड़ी हास्यप्रद बात है । जिस संस्था के वीर महारथियों ने इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्त की है, उनके लिये इस प्रकार के अपशब्द प्रयोग किये जायें और करने वाले एक विद्वान हों तो मुझे इस बात का खेद है । संस्कृत में एक कहावत है उसके अर्थ हैं कि एक जानवर होता है उसको नन्दन बन में भेज दिया जाय तो वह, वहां पर भी झाड़ झंकाड़ तलाश करेगा । सर्प एक प्रकृति का जानवर है, उसमें भी गुण होते हैं । यहां खूब सोच समझ कर अपमानसूचक शब्द कहने चाहिए ।

कहा गया है कि पुलिस पर अधिक खर्च किया जाता है । आंकड़ों को देखिए तो पता लगेगा कि फी हजार पापुलेशन (population) पर एक कांस्टेबिल भी नहीं पड़ता है और आपको क्या चाहिये ! माननीय पुलिस विभाग के मन्त्री जी यहां मौजूद हैं, वह इस विषय पर प्रकाश डालेंगे । परन्तु एक बात मेरी समझ में नहीं आती है । एक तरफ यह कहा जाता

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

हैं कि डकैतियां बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि पुलिस पर अधिक खर्च न हो। पृथ्वी पर स्वर्ग ला दिया जाय और गवर्नमेंट इस कार्य को करे। सोचने की बात है कि जो बजट ६०–६५ करोड़ का बजट हो उसमें गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। अगर आप हिसाब लगायें तो लगभग डेढ़ पैसा प्रति व्यक्ति पड़ता है तो बतायें इतने पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है। किस प्रकार से स्वर्ग यहां बन सकता है। वास्तव में यह बात है कि यदि स्वर्ग बनाना है तो हमको, आपको और सब को मिल कर काम करना चाहिए। काम करने से ही स्वर्ग बनता है। किसी भी जाति का उत्थान नहीं हो सकता है जब तक कि वह कार्य न करे। कार्य करने से ही सिविलाइजेशन (civilization) बनती है। अमेरिका को देखिए ३ या ४ सौ साल पहिले वहां पर गौरांग गये, उस वक्त वहां पर केवल झाड़ झंकाड़ थे। उनके पास कैपिटल (Capital) न था, उनके पास मशीनें न थीं. उनके पास कोई साधन नहीं थे, केवल उनके पास अपने हाथ थे, अपनी बुद्धि थी और उन्हीं के द्वारा उन्होंने ऐसी सिविलाइजेशन तैयार की है जिसको देख कर हम हैरान हो जाते हैं। हम वहां १०० मंजिल तक के मकान देखते हैं। हमारे यहां डेढ़ पैसा ही आमदनी प्रति व्यक्ति पड़ती है जबकि उनके यहां ५४ अरब डालर का बजट तैयार होता है और इस तरह से वहां ५ रुपया फी आदमी होती है तो हम फिर उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां हमारे बन्धुवर्ग हमारी गवर्नमेंट का अपोजीशन (opposition) करते हैं तो उनको भी तो कुछ करके दिखाना चाहिए। कर्म के द्वारा ही बड़े बड़े काम होते हैं।

सेल्स टैक्स (sales tax) के विषय में मुझे कुछ अवश्य कहना है। वह मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना के रूप में कहूंगा। आप टैक्स चाहे जितना लीजिए, हम देने को तैयार हैं। और मैं स्वयं ८ ६ फीगर्स (figures) के ऊपर टैक्स देने वाला व्यक्ति हूं। परन्तु निवेदन यह है कि जो भी टैक्स लिया जाय उसका भार सबके ऊपर बराबर होना चाहिए। यह नहीं कि एक फैक्ट्री के ऊपर कुछ कर लगा दिया जाता है और दूसरे के ऊपर कुछ लगा दिया जाता है। हम मानते हैं कि यह वास्तव में एक भूल हुई होगी। मैं इस विषय पर डेढ़–दो साल से लिखा पढ़ी कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं कि वित्त मन्त्री इस असमानता पर पूरा विचार करेंगे और अगर मुझे समय दिया गया तो मैं उन्हें निजी तौर पर इस विषय पर बतलाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से कहूंगा कि टैक्स देने से इन्कार नहीं लेकिन यह सम्भाव से होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक फैक्ट्री पर ज्यादा दूसरे पर कम।

दूसरी बात यह है कि जो माल हमारे प्रदेश में आता है उसके ऊपर टैक्स वसूल करने का समुचित प्रबन्ध कुछ नहीं दिखायी पड़ता। उसकी वजह से दो हानियां होती हैं। एक तो यह कि गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू (revenue) मिलता है, दूसरे यह कि प्रदेश की इंडस्ट्री कम्पीट (compete) करने में असहायक हो जाती हैं। इसलिये मैं वित्त मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि इन गलतियों को सुधारने का वह प्रयत्न करें। अगर यह गलतियां सुधर जायं तो जो ४ करोड़ का डेफिसिट (deficit) दिखाया गया है उसमें इससे बहुत कुछ पूर्ति हो जायेगी। एक चीज मैंने बड़े हर्ष से बजट में देखा। मैंने देखा कि सिचाई और एग्रीकल्चर के लिये काफी रुपया दिया गया है। अन्न से ही प्राण कायम रहते हैं, इसलिये इसके लिये जितना अधिक धन दिया जाय उतना ही अच्छा है। एक बात मैं और निवेदन कर चुका हूं कि आबपाशी में काफी खर्च होना चाहिये। कालीदास ने शकुन्तला में एक बात कही है और मैं चाहता हूं कि हर आफिसर उसको लिख कर अपने कमरे में टांग ले और देखे। जिस समय शकुन्तला जाने लगती है तो कण्व ऋषि लिखते हैं–– "हे वृक्षो! आज हमारी शकुन्तला जाती है, वह शकुन्तला जो बिना तुमको पानी पिलाये पानी नहीं पीती थी, वह आज बिछुड़ रही है।"

पहले यह हमारे यहां की संस्कृति थी। वृक्षों तक को पहिले पानी पिलाना धर्म था। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि एग्रीकल्चर (Agriculture) और सिंचाई विभाग में किसी प्रकार की कमी न की जाय। वेदों में कहा है कि जिस वक्त ब्रह्मा नें सृष्टि की रचना की

[श्री हरगोविन्द सिंह मिश्र]

तो सबसे पहिले उन्होंने जल उत्पन्न किया। इसलिये जल के लिये जितना भी धन दिया जाय वह प्रसन्नता के साथ दिया जाय।

*श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर सबसे पहिले अपने विचार प्रकट करते हुए मैं आपसे इस बात की प्रार्थना करूंगा कि इस भवन के अन्दर अलग अलग विभागों पर तो बहस होती नहीं है। आम बहस करने का अधिकार हमको दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मैं महसूस करता हूं कि १५–२० मिनट बोल कर हम बजट के साथ इन्साफ नहीं कर पाते। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि जहां दूसरे सदन को मौका मिलता है, प्रत्येक विभाग पर बहस करने का वहां इस भवन का भी कुछ समय निश्चित रूप से बढ़ा दिये जायें, क्योंकि इधर हम लोगों की भी संख्या बढ़ी है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जिस वक्त हम बहस करने खड़े हो जाते हैं तो दो चार रिपोर्टें रोजमर्रा हमको गवर्नमेंट से मिल जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर इसका उद्देश्य यह है कि हम उन रिपोर्टों को पढ़ कर बहस करें तो मैं बतलाना चाहता हूं कि ऐसा करना मुमकिन नहीं हो सकता। मेरा मतलब यह है कि बजट की बहस शुरू होने से कम से कम १५ दिन पहिले माननीय सदस्यों के घरों पर जैसे कि और लिटरेचर (l r t) जाता है वैसे ही यह रिपोर्ट भी भेज दी जाया करे जिससे हम उनको ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ सकें और इन पर अपने विचार अच्छी तरह से प्रगट कर सकें।

जहां तक बजट के आंकड़ों का सवाल है, इस सम्बन्ध में मुझे कोई ज्यादा शिकायत कभी नहीं रही और न आज है। हम तो बजट को हमेशा सरकार की नीति और कार्यक्रम के प्रतीक के रूप में देखते रहे हैं। मैं अगर यह समझूं कि सरकार की नीति बिल्कुल ठीक है और जनता का कल्याण करना उसका उद्देश्य है तो यकीन मानिये, जितनी रकम इस समय सरकार ले रही है अगर उससे कई गुना ज्यादा वह ले ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरी तो बुनियादी आपत्ति है और वह यह है कि सरकार के दृष्टिकोण और हमारे दृष्टिकोण में मौलिक मतभेद है। मैं सरकार की नीति और उसके कार्यक्रम पर जब विचार करता हूं तो मुझे हर जगह गवर्नमेंट रुकती हुई नजर आती है। हुकूमत का यह दावा होता है कि हम जनता के कल्याण के लिये यह काम करेंगे, वह काम करेंगे। लेकिन निजी जायदाद का इन्स्टीट्यूशन (Institution) हर कदम पर उसके मार्ग पर बाधक साबित होता है। अगर हुकूमत चाहती है कि हम जमीन लेने की कोशिश करें तो जैसा कि मैंने जमीन्दारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट में देखा कि उसमें यह लिखा था कि हम जमीन्दारों की सीर और खुदकाश्त इसलिये छोड़ते हैं कि अगर इनको लिया जायेगा तो जमीन्दार नाराज होंगे। अगर हम गवर्नमेंट से पूंजीपतियों पर अंकुश लगाने की बात कहते हैं तो सरकार कहती है कि कारखाने उनके हैं, उनको हम छीन नहीं सकते। तो ऐसी हालत में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का कर्तव्य क्या है? सम्पत्ति की रक्षा करना, या मानव की रक्षा करना। मैं समझता हूं कि पूंजीवादी सभ्यता की खास बात यह है कि पूंजीवादी सभ्यता मानव की अपेक्षा सम्पत्ति को अधिक महत्व देती है। किसी भी कारखाने के मालिक को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की खुली छूट है चाहे उस कारखाने के मजदूरों की दशा कैसी भी क्यों न हो। समाजवादी व्यवस्था में इसके बिल्कुल विपरीत बात है। हम सम्पत्ति को साधन समझते हैं, मानवता के लिये सम्पत्ति होती है। सम्पत्ति की बलिवेदी पर मानवता का बलिदान यह ठीक नहीं है। मैं देखता हूं कि जब फ्रान्स में राजक्रान्ति हुई उस समय जमीन का सुधार देखकर जनता संतुष्ट नहीं हुई। उसमें पूर्णरूप से जमीन खेती करने वालों को नहीं दी गई। परिणाम क्या हुआ दुनियां में दुबारा क्रान्ति हुई। क्योंकि समस्या तो हल होगी ही, चाहे उस क्रान्ति से हल हो या दूसरी क्रान्ति से हो। मैं यह समझता हूं कि हुकूमत ने जमीन्दारी का उन्मूलन तो किया मगर उससे जमीन की समयस्या हल नहीं हो पायी। मानता हूं कि यह एक बड़ा

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

हुआ कदम है, लेकिन जनता को इससे भला नहीं दिखायी दे रहा है। हुकूमत को एक समय आयेगा जब आगे बढ़कर इस समस्या को हल करना होगा, नहीं तो देश में एक दूसरी क्रान्ति इस चीज पर होगी। जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं है उसकी रोजी नहीं चलती है और वह भूखों मरता है, वह निश्चय रूप से क्रान्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आप देखते हैं कि रूस में क्रान्ति हुई और फिर चीन में क्रान्ति हुई, तो आज आपने देखा कि जमींदारी उन्मूलन किया गया मगर भूमि किसी को नहीं दी गयी। हम समाजवादी लोग जब भी जमीन के वितरण की बात करते थे तो सरकार की ओर से कहा जाता था कि यह लोग अपना प्रोपेगेन्डा (propaganda) करते हैं और सरकार को बदनाम करने के लिये ऐसा करते हैं। लेकिन मैंने इसी हाउस में सुना और डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप ने भी इस बात को कहा कि ३० एकड़ से भी अधिक जिसके पास जमीन हो वह उससे ले ली जाय। कांग्रेस सदस्यों ने भी कहा कि ३० एकड़ से अधिक जिसके पास जमीन हो वह उससे ले लेनी चाहिए। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यह मांग दिन प्रति दिन देश में बढ़ेगी और सरकार को एक दिन मानना पड़ेगा। अखबार में मैंने देखा कि बनारस में विनोबा भावे ने अपना भाषण देते समय जमींदारी उन्मूलन पर जो कुछ कहा था, उनके ये शब्द थे। जमींदारी उन्मूलन हो गया मगर भूमिहीन मजदूरों को भूमि नहीं मिली। शहर में रोशनी की गयी, मगर उस प्रकाश में भूमिहीनों का दुःख और गहरा हो गया। यह शब्द आचार्य विनोबा भावे के हैं, जिन्हें आप मानते हैं। हमारी बात आप भले ही न मानिए। इन बड़े आदमियों की बात जहां आप कहते हैं, वहां उसके पहिले उस पर आप अमल कर लें तो ज्यादा अच्छा हो। देहातों में पन्चायतें हैं और यह वास्तव में प्रजातन्त्र का रूप बन सकती हैं। मगर आप तो इनको भी सरकारी कर्मचारी बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रजातन्त्र के शिला को जिस दृष्टिकोण से सरकार चला रही है अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह पन्चायतें एक दिन आयेगा, जब करप्शन का (corruption) केन्द्र बन जायेंगी। अगर उनको और सत्ता आपने नहीं दिया तो वह जन-हित के बजाय जनता को चूसने वाली बन जायेंगी। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्युनिसिपल बोर्ड और दूसरी संस्थाओं को मदद नहीं मिल सकतीं तो मैं चाहता हूं कि ग्राम के अन्दर ग्राम पन्चायतों को मजबूर न किया जाय कि वह नये नये टैक्सेज लगायें बल्कि जो लगान वसूल होता है उसका एक हिस्सा देहात में पंचायतों को दे दिया जाय तो निश्चय ही उनका सुधार हो सकता है।

दूसरी बात इस भवन में सभी संस्थाओं के ऊपर कहा जा चुका है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मेरा मुख्य उद्देश्य मजदूरों की समस्या से है। मेरे श्रम मन्त्री यहां तशरीफ लाये हैं। मैं उनके सामने अपना विचार प्रकट कर सकता हूं। प्रजातन्त्र की सबसे खास बात यह मानी जाती है कि चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों न हो, लेकिन अगर नागरिक के अन्दर अपनी रक्षा करने की शक्ति नहीं है, अत्याचार का मुकाबिला करने का साहस नहीं है तो प्रजातन्त्र अच्छे संविधान और अच्छे कानून पर नहीं पनप सकता। मेरा ऐसा ख्याल है कि आज अगर नागरिक अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता है तो उसको दबाने का प्रयत्न होता है। लेकिन जो काम होता है उसका जो परिणाम निकलता है वह ऐसा होता है कि जिसको जितना शक्तिशाली होना चाहिये वह उसके बजाय उतना ही शक्तिहीन होता जाता है। जितना ही स्टेट अधिकार देती जाती है उतना ही वे शक्तिहीन होते जाते हैं। जिन लोगों ने मजदूरों का इतिहास पढ़ा होगा वह जानते हैं कि ट्रेड यूनियन (trade union) के अन्दर आधार होता है कि यूनियन में ताकत हो कि वह मालिकों से सौदा कर सकें और अपने एका की वजह से मालिकों को मजबूर कर सकें कि वह उनकी बातों को मानें, मैं यह कह सकता हूं कि आजकल के जमाने में मालिक मजदूरों को दिन ब दिन दबाने की कोशिश करते हैं। कानून तो है जिससे मजदूर की रक्षा की जाय मगर मालिक जोरदार होता जाता है। वह मजदूरों को दबाता है। हुकूमत कानून से समस्या सुलझाने की कोशिश करती है लेकिन जैसी मशीनरी बनाई गई है यानी कंसीलेशन मशीनरी (conciliation machinery) उससे तो कोई काम नहीं हो रहा है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि यह कंसीलेशन मशीनरी को जिस उद्देश्य के

[श्री राजाराम शास्त्री]
लिये बनाया है वह उससे दूर होती जा रही है । कंसीलेशन मशीनरी में जितने मुकद्दमे जाते हैं मिल मालिक उनमें से ९० फीसदी मुकद्दमों को इंकार कर देते हैं उसके बाद वह सरकार के पास जाते हैं और हम उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ते। मजदूर तहरीक दबती जाती है, चौपट होती जाती है । मजदूरों के आगे जो मालिकों को डर था वह खत्म होता जाता है। मैं चाहता हूं कि आपने जो १५ मार्च को आर्डर निकाला है उसको बदल दें नहीं तो मजदूर चाहे वह समाजवादी दल का हो, चाहे वह कांग्रेसवादी हो, उसके खिलाफ उसको आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरा मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आपने जो रिपोर्ट पेश की है तो अक्सर इस सदन के सदस्य कहा करते हैं कि मजदूरों की हड़ताल की वजह से इस देश का नुकसान होता है और वह राज्य का नुकसान करते हैं लेकिन यह रिपोर्ट जो पेश है उसमें दो वर्ष के आंकड़े दिये गये हैं। उससे साफ जाहिर है कि मजदूरों की हड़तालों की वजह से उतना नुकसान नहीं हुआ, जितना मिल-मालिकों द्वारा मजदूरों को काम न देने के कारण से हुआ है । १९५० में मजदूरों की हड़ताल और तालाबन्दी की वजह से दो लाख २९ हजार दिन का नुकसान हुआ । लेकिन मालिकों के काम न देने की वजह से १० लाख रोज का नुकसान हुआ । तालाबन्दी वह होती है, जो मिल मालिक करता है । १९५१ में हड़तालों और तालाबन्दी की वजह से ३ लाख दिन का नुकसान हुआ और बैठकों की वजह से ८ लाख ४३ हजार दिनों का नुकसान हुआ । इसमें अनिश्चित बैठकों की संख्या नहीं दी हुई है अगर उनको भी रख दिया जाये तो संख्या और भी बढ़ जायेगी । जिस मौके पर चुनाव हो रहा था उस समय मेरे पास गवर्नमेन्ट की तरफ से एक खत गया था। इस बात का जिक्र मैंने पार साल असेम्बली में भी किया था। उसमें लिखा था कि गवर्नमेन्ट प्लेआफ (play off) के संबंध में कोई व्यवस्था करने वाली है। यह खत मुझको नवम्बर के महीने में मिला था और माननीय अध्यक्ष जी यह जुलाई सन् ५२ चल रहा है अभी तक सरकार उस मामले में विचार कर रही है। ऐसी हालत म मुझे यह कहना पड़ता है कि मजदूरों के विपक्ष में जब सरकार को विचार करना होता है तब वह बहुत जल्द ही उस पर अपना फैसला दे देती है, लेकिन जिस वक्त मजदूरों के फायदे का सवाल आता है तो क्या होता है आम तौर पर कि मजदूरों के मुकद्दमें अदालतों में जाते हैं और वह अपना फैसला करती है जैसे मैं जानता हूं बिजली में काम करने वालों का मुकद्दमा लड़ा गया। मामला अपीलेट ट्रिब्युनल (appeallate tribunal) में गया ट्रिब्युनल (tribunal) का फैसला सब पर लागू होना चाहिये मगर ऐसा नहीं किया गया इस सिलसिले में मैं इतना बता देना जरूरी समझता हूं कि इस संबंध में सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि सरकार उसे ट्रिब्युनल के फैसले को रद्द कर सकती है अगर वह उसे मुनासिब नहीं समझती है । चुनांचे ट्रिब्युनल का फैसला मजदूरों के पक्ष में हुआ, तब सरकार ने कहा कि अगर इसको हम मान लें तो बिजली का रेट बढ़ जायगा और यही कह कर वह फैसला नहीं माना गया । आज वही सरकार कहती है, जब नये-नये टैक्स लगने जा रहे ह कि बिजली का भी रेट बढ़ाया जायगा उस वक्त सरकार ने कहा कि ट्रिब्युनल के फैसले को मानने से बिजली की दर बढ़ जायगी और आज वह उसी को बढ़ाने जा रही हैं । मैं कहता हूं कि अगर बिजली का रेट बढाना था तो उस समय उसे बढाने में क्या परेशानी थी और अगर वह नहीं चाहती कि बिजली का रेठ बढ़े तो अब वह क्यों बढा रही है। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमेन्ट का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि सरकार जो वायदा करे उसे वह बहुत सोच समझ कर करे वरना न करे । क्योंकि आज मैं देखता हूं कि इसी गलत वायदे की वजह से हमारे साथी जयप्रकाश नारायण जी का २१ वां फाका आज चल रहा है । मुझे अफसोस है कि वायदा करने के बाद भी पिछली स्ट्राइक के दिनों का वेतन सरकार देने को तैयार नहीं है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप यह कहते हैं कि मालिक और मजदूर के बीच का फसला अदालत करेगी। तो मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं कि जब

कानपुर फैक्ट्रीज में मजदूरों और मालिक के बीच का फैसला ट्रिब्युनल में जा सकता है तो क्या कम्युनीकेशन (communication) विभाग के मामलात उसमें नहीं भेजे जा सकते हैं आखिर सरकार उनके मामले को अदालत के सामने क्यों नहीं भेजना चाहती है। आज मैं देखता हूं कि जो भी कहा जाता है सरकार उस पर विश्वास नहीं करती है चाहे वह अपोजीशन (opposition) की तरफ कही जाय या उन्हीं के पक्ष की ओर से कही जाय। इसकी क्या वजह है! दो दिन से बजट पर बहस हो रही है और मैं देखता हुं कि कांग्रेसी मेम्बर जो भी खड़े होते हैं वह पहले सरकार को बधाई देते हैं और बाद में क्रिटीसाइज (criticise) बहुत बुरी तरह से करते हैं कहते हैं कि ऐन्टीक्रप्शन (anti-coruption) क्रप्शन (coruption) का मोहकमा है पब्लिक वर्क्स प्राइवेट वर्क्स (private works) का डिपार्टमेन्ट है और आखीर में अपने भाषण के समाप्त होते होते वे फिर मिनिस्टर साहब को बधाई देते हैं। उधर की तरफ से शुरू में और आखिर में बधाई दी जाती है। तब भी हमारी सरकार को अक्ल नहीं आती है कि उनके पक्ष वाले ही क्या चाहते हैं। अब सवाल यह है कि ६५ करोड़ रुपया जो आप खर्च करने जा रहे हैं उसके लिए मुझे शिकायत नहीं है लेकिन जो खर्च किया जाय, वह मैं चाहता हूं कि बहुत सोच समझ कर खर्च किया जाय। इतना ही मैं चाहता हूं। बहुत सी रिपोर्ट आप के पास नहीं आती है। समाज में अराजकता बढ़ती जा रही है अगर आप अपनी प्रशंसा में ही जकड़े रहे तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन आयेगा जब निश्चित रूप से आप को समाज के साथ आना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू के एक वाक्य का उद्धरण देकर मैं अपनी स्पीच (speech) को समाप्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि यदि कोई समाज को अपने हठ पूर्वक पुराने रिवाजों तथा रूढ़ियों से ढक कर रखेगा तो क्रान्ति की प्रबल धारा उसे बहा ले जायगी। यही चीन में हुआ है जहां के अविचारशील शासकों ने पुरुषों और स्त्रियों की नवीन आकांक्षाओं को दबाने का प्रयत्न किया। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय पंडित जवाहर लाल नेहरू के इस वाक्य को अपने ध्यान में रखें। अगर आप मजबूती के साथ अपनी जनता की छाती पर इस तरह बैठे रहे और उन पर नये नये करों का बोझ डालते गये तथा रईसों पर कर न लगाते रहे तो मैं आप से कहता हूं कि आप आज ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हैं और एक दिन वह चीज हमारे प्रान्त के अन्दर हो कर रहेगी जो कि दूसरे मुल्कों में हुई। इससे हमारे समाज को खतरा बढ़ेगा और खुद आप को भी खतरा हो जायेगा। जो दीवार पर लिखा है उसको देखिये जिससे इस देश के अन्दर प्रजातंत्रवाद फले और फूले। कोआपरेशन से इस देश की रक्षा कीजिये और जब यहां के नागरिकों को यह मालूम हो जाय कि यह राष्ट्र हमारा है और यह देश हमारा है तो इस भावना को लेकर आप कितने ६५ करोड़ रुपये खर्च कीजिये कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर आप आज जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, एक दिन की मीटिंग के लिये आप नैनीताल दौड़ते रहते हैं तो इस तरह से क्या कल्याण हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इन बातों की तरफ ध्यान देकर राष्ट्र की योजना की जाय तभी कल्याण हो सकता है। बड़े बड़े आंकड़ों को पेश कर के और चिकनी-चुपड़ी रिपोर्ट को रख कर के समाज का कल्याण नहीं हो सकता।

*श्रीमती महादेवी वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी राष्ट्र के निर्माण के लिये उस की नीति ही नहीं होती है बल्कि उस के लिये उसकी शक्ति, उसके साधन और उस के संकल्प आदि भी उस के अन्दर लिखे हुये चित्रित होते हैं। इस से हम जान सकते हैं कि वह राज्य में क्या कार्य करने जा रही है और उस से यहां के निवासियों को क्या आशा हो सकती है। लेकिन मैंने इस की अधूरी ही रेखायें देखी हैं। मैं जानती हूं कि खाद्य की समस्या काफी कठिन समस्या है और उस के बिना मनुष्य

---

* सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्रीमती महादेवी वर्मा]

चल नहीं सकता परन्तु वही जीवन का अन्त नहीं है वही लक्ष्य का अन्त नहीं है। अंग्रेज हम से कह सकते थे कि हम जहाज भर-भर कर मक्खन और बिस्कुट ला रहे हैं और हमारे से जितना हो सकता है वह आपको दे रहे हैं चाहे आप कुछ भी काम करें। तो क्या हम इसे स्वीकार करते; कदापि नहीं करते। कारण स्पष्ट है कि मनुष्य के पास एक भौतिक अस्तित्व है, दैवीशक्ति है और उसका भौतिक लक्ष्य है। अपने इन दोनों वस्तुओं से मनुष्य मनुष्य माना जाता है। वास्तव में पंछी स्वछंद है चाहे वह आकाश में रहे या जंगल में। परन्तु उस की यातना मनुष्य नहीं जानता है। मनुष्य मनुष्य हो कर स्वतंत्र रहता है। यदि सरकार को यह करना पड़े और उसे हर समय लोगों की रक्षा की चिन्ता लगी रहे और वह अपराधियों के हाथों पर हथकड़ियां ही डालती रहे तो इस से राष्ट्र अच्छा नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इस सम्पूर्ण राष्ट्र के भौतिक विकास को एक ऐसी दिशा में ले जाना है जहां इस राष्ट्र का गौरव बढ़ सके। हमारी जो योजना है हमारी जो शिक्षा की योजना है हमारी जो सांस्कृतिक योजना है वह इतनी अपूर्ण है कि हम समझते हैं कि उस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम इस बात को समझते हैं कि हमारे विचारों की कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार चीन की दीवार को पार करना बहुत कठिन है उसी प्रकार हम अपने विचारों की सीमा को पार नहीं कर सकते हैं। बौद्धिक एवं रागात्मक अस्तित्व का अवश्य ही विकास होना चाहिये। हमारे देश में घोर अज्ञानता फैली हुई है। आप कहते हैं कि हमने योजना बनायी है मेरा कहना यह है कि उन योजनाओं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप के राज्य में ज्ञान का विकास नहीं है। मैं उस समय का स्मरण दिलाना चाहती हूं जब कि संसद के एक सदस्य को मैंने अंगूठा की निशानी लगाते देखा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ। अगर मैं उन की जगह पर होती तो मैं उस समय तक अन्न जल को ग्रहण न करती जब तक अपने देश की भाषा को सीख न लेती। आपने शिक्षा की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर स्कूलों में बैठने के लिए स्थान भी नहीं है। बरसात के चार महीनों में वहां कोई काम नहीं हो सकता है। मास्टरों के पास जो रजिस्टर है, उसमें फर्जी लड़कों के नाम हैं कहीं कहीं तो ऐसा है कि तोता मैना के किस्से पढ़े जाते हैं। आपकी कोई साहित्यिक योजना नहीं है और न आपकी कोई सांस्कृतिक योजना ही है। तो आप किस प्रकार इस देश के साहित्य को ऊपर उठा सकते हैं। जो रचनात्मक साहित्य है उसके लिये आप का कोई उद्देश्य नहीं है और न आप उस के लिए कुछ अधिक कर ही सकते हैं। तुलसीदास और सूरदास ने इस देश के साहित्य को जीवन दिया। सरकार ने अभी तक साहित्य के लिए कुछ नहीं किया। मैं जानती हूं कि वहां नदी की तरह तरंगे हैं नदी की तरह वेग है हमारे देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी आवश्यक हो गई है, परन्तु उस के लिए अभी सरकार ने कोई योजना नहीं बनायी है। राष्ट्र भाषा जनता की भाषा से निकलती है। आप को जनता की भाषा की ओर भी अधिक ध्यान देना होगा। आप की भाषा वह है जो विश्वविद्यालय में बनती है न्यायालय में बनती है। उसका निर्माण करने के लिये आप को अभी दो चार वर्ष लगेंगे अभी तक आप ने किसी भी अधिकारी को इस कार्य का भार सुपुर्द नहीं किया है कि वह इस समस्या को हल कर सकें। हमारे उत्तर प्रदेश के पड़ोस में बिहार का सूबा है उसने अपने बजट में ७० हजार से अधिक रुपया साहित्य की उन्नति के लिए रखा है।

हमें शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देना है और शिक्षा के लिये अधिक व्यय करने की आवश्यकता है। अन्य प्रदेशों में देखिए, मद्रास में देखिये और अन्य प्रदेशों को देखिये वहां शिक्षा में जितना व्यय होता है वह नगण्य के बराबर है। परन्तु पूरे भारत को भी छोड़िये, अपने ही प्रदेश को ले लीजिये, मद्रास में मैंने देखा कि जब कि कोई शिष्ट मंडल वहां गया तो मीलों तक जनसमूह अपनी सद्-

भावना के लिये, उनके स्वागत के लिये गया। तो जनता में शिक्षा के लिये इतनी सदभावना है कि आपको शिक्षा दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता का हिन्दी से प्रेम है लेकिन उनको इस तरह भावना के लिये हम उनके लिये कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरे देशों के साहित्यकार यहां आ सकें, तो यह भी संभव नहीं है। विदेशों में यह देखा गया है कि वहां के प्रत्येक कलाकार को नाना प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं जिससे कि वह अपने चित्र बना सकें, अपना प्रकाशन कर सकें। अपनी कला वृद्धि के लिये उन्होंनें स्मारक बनाये हैं। लेकिन हमें अभी अपनी पुरानी परम्परा पर पहुंचने के लिये अत्यधिक उधेड़बुन की आवश्यकता है, हमारे निकट तो जैसी संध्या है वैसी ही रात है। तुलसीदास को देखिए, उन्होंनें गंगा नहाया था और केवल एक जोड़ी का सन्दूक उनके पास मिला है। उसे देखने पर मालूम हुआ कि उसमें केवल राम चरित्र मानस है। आप लोग देखते हैं कि उन्होंने एक महान बलिदान किया है, इनके बारे में तो उनका कोई राष्ट्रीय वर्ग नहीं हो सकता है। इस वर्ग को लेकर आप राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। जिस बहाव में लोग एकत्र हो सकते हैं उस बहाव में तुलसीदास नहीं हो सकते हैं, सूरदास नहीं हो सकते हैं। इसके सम्बन्ध में सरकार के अधिकार भी कुछ नहीं कर सकते क्या वह जीते हैं, मरे हैं इसका भी किसी को कोई ज्ञान नहीं है। आज हम में से कौन जीता है, कौन मरता है, हमको अपने अस्तित्व का भी परिचय नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास किया है और उत्तर प्रदेश का उत्तरदायित्व उसके ऊपर बहुत कुछ है। लेकिन आपने उनके लिये क्या किया। देश का साहित्य बदला हुआ है किस प्रकार यहां हिन्दी का उपयोग होता है, किसी भाषा का अनुवाद करके आपने दूसरी ही भाषा को यहां रखा है। मैं कहती हूं कि यदि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी यहां की जनता उसे चलायेगी। आज हमारी सरकार की ऐसी योजना रखी हुई है कि जिसमें इस प्रदेश की संस्कृति का उत्थान समझा नहीं जा सकता है। हमारी सरकार को ऐसी योजना रखनी चाहिए कि जिसमें प्रदेश तथा देश की संस्कृति का उत्थान हो और हमारा देश संस्कृति के उत्थान का केन्द्र हो। मैं इससे अधिक तो नहीं कह सकूंगी क्योंकि मैं समझती हूं कि इससे अधिक कहने की अनुमति भी नहीं होगी और मैं समझती हूं कि संभवतः मेरा समय भी समाप्त हो गया है। अतः मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

***श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल**—बजट के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री को सदस्य जिस शिष्टाचार और परम्परा के नाते बधाई देते चले आये हैं, मैं भी उसके लिये पहिले उनको हार्दिक बधाई देता हूं। इन दो दिनों के भाषणों में चन्द शब्द जो कि बजट के सम्बन्ध में इस्तेमाल किये गये हैं, मैं समझता हूं कि इस भवन में बैठे हुए इस साइड के और उस साइड के सभी लोगों ने उनको सुना और उन भाषणों में, अनगांधियन, अनकांग्रेसाइट, अनईस्टर्न, और प्रतिक्रियावादी इत्यादि इत्यादि शब्द आये। शिक्षा के सम्बन्ध में मैं जितना भी विचार कर सकता था मैंने किया और मैं समझता हूं कि उसके लिये विशेष ध्यान देने के आवश्यकता है। समय अधिक न होने के कारण मैं इस पर कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। जैसा कि हमारे मित्र राजाराम शास्त्री ने फरमाया कि केवल आंकड़े पेश कर देने से ही बजट का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है, तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि बजट का अन्दाजा कैसे लगाया जा सकता है। मैं तो समझता हूं कि इस वर्तमान बजट को किसी तरह से भी अपूर्ण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसमें जितनी भी बातें दिखलाई जा सकती हैं, वे सब दिखलाई गयी हैं और साथ ही साथ इस बजट को इस स्टेट का पुलिस स्टेट बजट कहा गया है। मैं नहीं समझ सका कि बजट में ऐसी कौन सी बात है कि इस प्रदेश को भी पुलिस स्टेट कहा जाता है। अगर हम इस सूबे की आर्थिक दशा की ओर देखें तो सबसे बड़ा काम जो इस सिलसिले में किया गया है, वह किसानों और मजदूरों के लिये किया गया है। मैं समझता हूं कि शायद सभी मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि जो किसान और मजदूरों की

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

आर्थिक दशा पहले थी उसमें बहुत कुछ सुधार हो चुका है और वह पहले के मुकाबिले में बहुत कुछ संतोषजनक है। इसको मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। किसान, मजदूर, व्यापारी और जमीन्दार का भेद अब खत्म हो गया है, और इसमें सरकारी अफसर, इन्जीनियर और प्रोफेसर इत्यादि इत्यादि पर भी प्रकाश डाला गया है और उनकी आर्थिक दशा सुधारने का प्रयत्न किया गया है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि वे पूर्णतया संतुष्ट हो गये हैं, परन्तु इसको दोहराना चाहता हूं कि उनकी स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया है। मैं एक बात विशेषतया अध्यापकों के बारे में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं और जैसा कि मैंने अभी कहा है कि किसान और मजदूर की जो आज दशा है, वह पहले से ठीक है, और यदि यह टैक्स उन पर न लगाया जाता है तो अच्छा था, लेकिन इसके सिवाय कोई मार्ग न था। जनता पर और ज्यादा टैक्स लगाने के लिये सरकार विचार कर रही है।

मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं जैसा कि अन्य लोगों नें कहा कि कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले मेम्बर भी कमी रखते हैं। मैं उसको अनुचित नहीं समझता हूं क्योंकि कमी दिखाने का यही मौका है। शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि आज शिक्षा जीवन से बहुत दूर हो गयी है। आज एक आदमी जो किसी भी स्टेज पर शिक्षा प्राप्त करके निकले, चाहे वह प्राइमरी एजूकेशन हो या सेकेन्ड्री हो या यूनिवर्सिटी की हो वह जब शिक्षा समाप्त करता है तो वहां से वह लक्ष्यहीन हो कर निकलता है और जीवन में आने पर उसे दूसरी तरह की ट्रेनिंग लेनी होती है, यदि शिक्षा में शिक्षा के सारे अंग मिला कर शिक्षा दी जाय तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा को यदि शरीर से उपमा दें तो अधिक उपयुक्त होगा जैसे शरीर को यदि साधना है तो उसका केवल एक अंग लेकर हम उसको नहीं साध सकते हैं, यदि सिर पैर या धड़ को ही लेकर ही हम शरीर को साधना चाहें तो हमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। इसी तरह से यह शिक्षा जो अन्य विभागों में अलग–अलग दी जाती है अगर उसको वाटर टाइट कम्पार्टमेंट कहा जाय तो अनुचित न होगा। मैंने महामान्य गवर्नर साहब के सम्बोधन के समय भी कहा था कि यदि एक कमेटी बनाई जाय जो सारी शिक्षा पर विचार करे, जिससे सभी अंग एक साथ मिलाकर शिक्षा दी जा सके तो ज्यादा अच्छा हो। शिक्षा की जो पहिले परिभाषा थी वह अब बदल गयी है और आधुनिक परिभाषा में और पहिले की परिभाषा में काफी अन्तर है। पहले परिभाषा यह थी "Education is preparation for life or rather education is the process of preparation for life." और आज कल परिभाषा यह है। "Education is the transmission of life, for the living, to the living and through the living with all capital L's इस एजूकेशन से भविष्य के लिये कोई आधार नहीं है। जिस तरह से अभी अभी हमारी माननीय कवियत्री जी ने कहा कि जो जीवन हम चाहते हैं कि हम व्यतीत करें, वह उस समय तक ठीक नहीं हो सकता है, जब तक कि शिक्षकों की लिविंग ठीक न हो। एजुकेशन के सम्बन्ध में मुझे बहुत ही संक्षेप में कहना है। एजूकेशन इस समय बहुत से विभागों में अलग–अलग होती है। एक शिक्षा इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अन्तर्गत होती है, एग्रीकल्चर की शिक्षा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में होती है और पुलिस की शिक्षा पुलिस के स्कूल के द्वारा होती है अगर यह सब शिक्षा विभाग के अन्दर आजाय तो मैं समझता हूं कि ठीक होगा। शिक्षा का अंग और मुख्य अंग आज नर्सरी एजूकेशन का है। उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं टीचरों के सम्बन्ध में अधिक कहने में असमर्थ हूं। मैं सिर्फ इतना ही कह देना चाहता हूं कि टीचरों की जो वर्तमान दशा है वह अच्छी नहीं है। एक भूखा–नंगा टीचर वह चाहे जितना भी योग्य हो शिक्षा के स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकता है। उनके वर्तमान असन्तोष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा गया है कि अयोग्य अनुभवहीन डाक्टर से भी अधिक भयानक एक योग्य पढ़ा लिखा, किन्तु भूखा, नंगा टीचर है। मैं समाप्त करने से पहले [illegible] के विषय में कहना चाहता हूं। वह कल ही अखबारों में निकली है। वह यह

है कि गवर्नमेंट स्कूल जहां से चीज आरम्भ होनी चाहिए थी, वहां भी दो घंटे शारीरिक कार्य हुआ करेगा। यह नये डायरेक्टर महोदय ने अपनी बनारस की किसी स्पीच में कहा है इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती तारा अग्रवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में जो बजट पेश किया गया है वह काफी संतोषजनक है क्योंकि उसमें जन-साधारण को ऊंचा उठाने की एक भावना छिपी हुई है। जहां तक प्रस्तुत बजट में कर लगाने की योजना रखा गयी है, मेरे ख्याल से गत वर्षों में सरकार ने जो काम किये हैं वह आगामी काम करने की जो योजना बनाई है उसके लिये यदि गहराई से देखा जाय तो मालूम होगा कि वह बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है। चतुर शासक का कार्य यह होता है कि जहां व्यय के लिये रकम रखी जाती है वहां आय का प्रबन्ध भी किया जाता है। मैंने जब बजट पढ़ा तो मुझे महिलाओं के लिये बहुत ही निराश होना पड़ा। मैंने देखा कि उसमें महिलाओं के उत्थान के लिये कोई भी रकम का इन्तजाम नहीं किया गया है। यह हो सकता है कि कानून द्वारा वर्गहीन समाज की रचना हो सकती हो, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि क्या कानून के जरिये से उत्तर प्रदेश की महिलाओं का उत्थान होना संभव है, बिलकुल ही असंभव है क्योंकि देश में पिछड़ा हुआ अगर कोई वर्ग है तो वह उत्तर प्रदेश की महिला समाज का है। इस महिला समाज का स्थान तभी ऊंचा हो सकता है जब सरकार द्वारा महिला उत्थान की कोई योजना बनाई जाय। इसके लिये मैंने पहिले भी कहा था कि सरकार को महिला उत्थान विभाग खोलना चाहिए। लेकिन बजट में ऐसी कोई भी योजना नहीं रखी गई है। महिला समाज सुधारक कानून अगर प्रदेश में नहीं बनाया गया तो नारी जाति का उत्थान नहीं हो सकता है। आज घर घर में दहेज प्रथा से शिक्षित मां बाप भी परेशान हैं। वह इतने ज्यादा परेशान हैं कि उन्हें अगर एक रकम अपनी लड़कियों को पढ़ाने में खर्च करनी पड़ती है तो दूसरी रकम उनको दहेज के लिये भी रखनी पड़ती है। इसी प्रकार बहुपत्नी प्रथा, बहु पति प्रथा और वेश्या गमन भी कायम है। मेरी दरख्वास्त है कि इसके लिये प्रादेशिक कानून बनाना चाहिए। अभी हाल ही में बम्बई सरकार ने एक कानून इस प्रकार का बनाया है। मैं चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का कानून बना कर नारी जाति का कल्याण किया जाये।

दूसरी बात मुझे यह भी कहना है, मैं यहां तीन दिन से सुन रही हूं कि शिक्षा का स्तर गिर गया है। मैं समझती हूं कि अंग्रेजी शिक्षा का स्तर अवश्य गिरा है किन्तु जहां तक हमारी राष्ट्र भाषा का प्रश्न है यानी हिन्दी का प्रश्न है. वह तो मुझे बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है। किन्तु दुख है कि आज भी अंग्रेजी की दृष्टि से देखने वाले सदस्यों को उसका स्तर गिरा हुआ प्रतीत होता है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने अंग्रेजी की ग्रान्ट में जो रुपया रखा है उसे वह कम करके वही रकम उसे हिन्दी साहित्य में खर्च करना चाहिए. क्योंकि हमारे देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी हो गई है यदि उसके साहित्य पर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी हिन्दी किस प्रकार अमल में आयेगी। आज हमारे स्कूलों में जो कोर्स लड़के और लड़कियों का है. उसमें मैं देखती हूं कि जो इतिहास है वह बाबा आदम के जमाने का चलता आ रहा है, उस इतिहास को फौरन बदलना चाहिए। नये इतिहास की रचना होनी चाहिए लड़कियों के कोर्स में जैसे अल्जेबरा का कोर्स है. मैं समझती हूं कि अल्जेबरा के बजाय नर्सिंग कम्पलसरी कर दी जाय, डोमेस्टिक साइन्स कम्पलसरी कर दी जाये, फिजिकल ट्रेनिंग कम्पलसरी कर दी जाय तो यह सब लड़कियों के लिये ज्यादा हित कर होगा।

आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज स्वास्थ्य की बहुत बुरी हालत है। दिन प्रति दिन हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, इसका मुख्य कारण शारीरिक श्रम न करना है और खास कर उत्तर प्रदेश में कानपुर ऐसा शहर है जो धन के मामले में अमीर कहलाता है लेकिन वह भी टी० बी० का केन्द्र बन गया है। टी० बी० का केन्द्र होते हुए भी मैंने बजट में टी० बी० के इलाज के प्रबन्ध के लिये कोई रुपया नहीं देखा। न वहां पर कोई मेडिकल योजना कालेज को बनाई गई है। आगरा में मेडिकल कालेज तथा और भी कई कालेजों के होते

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

हुए वहां के लिये एक मेडिकल कालेज की योजना बनाई गयी है। मैं चाहती हूं कि कानपुर ऐसे शहर के अन्दर अवश्य एक मेडिकल कालेज बनाना चाहिए और वहां का अस्पताल जो पहिले डफरिन अस्पताल कहलाता था. आज वह महिला अस्पताल है। उसके लिये स्वास्थ्य मन्त्री की कृपा से ३०,००० रु० की ग्रान्ट दी गयी है। यह वही रुपया है जो हम लोगों ने डफरिन फन्ड के लिये इकट्ठा किया था, वही हमको वापस दिया गया है, बड़ी मेहरबानी हुई मन्त्रियों की जो उन्होंने ३०,००० रुपया हमको वापस दे दिया। हां, टाट के परदों के लिये जरूर बजट में इन्तजाम है। कानपुर की आबादी आज १० वर्ष पहिले की अपेक्षा चौगुनी हो गयी है। वहां मकानों की आज इतनी तंगी है कि एक कमरे के अन्दर एक परिवार नहीं, दो परिवार नहीं, बल्कि तीन-तीन परिवार गुजर-बसर करते हैं। ऐसी हालत और आर्थिक स्थिति में यही एक सरल उपाय मालूम होता है कि अस्पतालों में जा कर वह अपना इन्तजाम करें। लेकिन हमारी जच्चा जो अस्पताल में जाती हैं तो वहां न तो दवा-दारू का ही प्रबन्ध होता है और न देखभाल ही होती है। निराश होकर उनको वापस आना पड़ता है। क्या इसी तरह से हमारे देश की सन्तान स्वस्थ हो सकती है। वहां न तो नर्सेज के क्वार्टर ही हैं। यन्त्रों की बात तो जाने दीजिए। उनकी देखभाल भी नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में, मैं श्रीमान् जी के द्वारा स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूं कि वह शीघ्र से शीघ्र कोई ऐसा इन्तजाम करें कि हमारी बहनों को उचित दवा और उनके जच्चे बच्चे का प्रबन्ध इस अस्पताल में हो सके। अब मेरा समय हो गया इसलिये मैं अपने भाषण को समाप्त करती हूं।

श्री निजामउद्दीन---माननीय चेयरमैन साहब, यह बजट जिसको फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इस हाउस के सामने पेश किया है वह एक आइना है उन तमाम पालिसीज और प्रोग्राम्स और उन तमाम एम्स और आब्जेक्ट्स का, जिनके जरिये फाइनेन्स मिनिस्टर साहब हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह बजट फाउन्डेशन स्टोन है उस बड़ी योजना का, जो फाइव ईयर्स प्लान्स के नाम से सम्बोधित की जाती है। हमारे माननीय मुकुट बिहारी लाल साहब ने इस बजट का स्वागत करने से इस वजह से इन्कार किया कि उनके ख्याल में यह बजट क्रान्तिकारी बजट नहीं है। मैं इस मामले में उनसे सहमत नहीं हूं। मैं यह समझता हूं कि इस बजट में जो योजनायें रक्खी गयी हैं, उनसे हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा इन्कलाब होने वाला है। कोई बजट क्रान्तिकारी है या नहीं दो ही तरीकों से मालूम किया जा सकता है। एक तो यह कि बजट में जो योजनायें हों उनसे बजट के क्रान्तिकारी और अक्रान्तिकारी होने का पता चलता है और दूसरे बजट के अन्दर जिन ख्यालात और इरादों का इजहार किया जाता है उनको भी पढ़ने से मालूम हो सकता है कि बजट के अन्दर किसी बड़े परिवर्तन को करने का इरादा है या नहीं, इस सिलसिले में मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के बजट स्पीच के दो जुमलों की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह हैं :—

Page 1, para. 4

"Stated very briefly our policy is to do every thing within our means to create in the State conditions favourable for the rapid economic growth and intellectual and cultural advancement of the people.

Page, 4 para. 8

"No matter what difficulties stand in the way, the Government are now firmly resolved to increase the tempo of development activities in the State in order to insure that the benefits of the State Five Year Plan in the shape of improved standards of living begin to becom available to the common man not in the distant future but immediately

इन वाक्यों के पढ़ने से हम केवल एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस बजट के जरिये एक बहुत बड़े परिवर्तन को किये जाने का इरादा है।

हम सबको मालूम है कि फूड प्राब्लम्स पिछले सालों में बहुत ही अक्यूट प्राब्लम रहा है। उसकी वजह यह है कि गुजिश्ता जंग के बाद हमारा देश बहुत कठिनाइयों में पड़ गया और यहां की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई और अंग्रेज शासकों ने यह समझ कर कि इस दशा का अच्छा बनाना बस के बाहर है और यह भी समझ कर कि उनका भारतवर्ष में रहना अब खतरे से खाली नहीं, इस देश को कांग्रेस के हाथों में छोड़ कर चले गये। मगर जाते जाते भी इस देश के साथ उन्होंने एक बड़ा अन्याय यह भी किया कि इस देश के दो टुकड़े कर दिये जिसका नतीजा यह भी हुआ कि बहुत से स्थान जहां अन्न यानी, गेहूं, चावल और जौ अधिक मात्रा में पैदा होता था, वह हमारे देश से निकल कर दूसरे के अधिकार में चले गये, जिससे हमारे इंडियन यूनियन में अन्न की बहुत कमी महसूस होने लगी और दूसरा नतीजा बटवारे का जो हुआ वह हम सब को मालूम है, जिसके कारण लाखों की संख्या में लोग दूसरी ओर से हमारे ओर आये और जिससे मनुष्यों की संख्या बढ़ गयी।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस हाउस को यह बतलाना चाहता हूं कि जो योजनाएं इस बजट में रक्खी गयी हैं यदि वह योजनाएं पूरी हो गयीं और जो अवश्य ही पूरी होंगी, जिसका परिणाम यह होगा कि हमारा देश उन्नति करके बहुत आगे बढ़ जायेगा और यहां अन्न की उपज भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जायेगी। इसके कारण सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जो करोड़ों रुपया दूसरे देश से अन्न मंगाने में खर्च होता है, वह बच जायेगा। अन्न की अधिक उपज से यह भी लाभ होगा कि अन्न का मूल्य कम हो जायेगा और इस मूल्य की कमी का प्रभाव दूसरी वस्तुओं पर भी पड़ेगा।

कपड़ा और दूसरे जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुएं सस्ती हो जायेंगी और एक लाभ यह भी होने वाला है कि यदि प्रकृति ने भी हमारा साथ दिया और जो योजनाएं इस बजट में प्रकृति पर काबू पाने के लिये रक्खी गयी हैं, तो यदि वह सफल हुई और जो अवश्य होंगी, तो इतना अन्न पैदा होगा कि हमारे यहां सरप्लस हो जायेगा और इस अन्न के विकास के लिये हमें दूसरे देशों में मंडियां तलाश करनी पड़ेंगी और जिस प्रकार हमारा रुपया अन्न मंगाने में बाहर के देशों में जाता था उसी प्रकार वह रुपया हमारे यहां आना शुरू हो जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इन गुणों के कारण यह बजट क्रान्तिकारी बजट न समझा जाय तो मेरे ख्याल में इस बजट के साथ अन्याय होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को इस बजट के लिये हार्दिक बधाई देता हूं और उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि यह हार्दिक बधाई केवल रस्मन नहीं है बल्कि वास्तव में यह एक हृदय की आवाज है जो मेरे कान्शेस को मजबूर करती है कि मैं इस बजट के लिये फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बधाई दूं।

जिस योग्यता और खूबी के साथ फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने यह बजट तैयार किया है मेरे विचार से कोई दूसरा बजट इससे अच्छा नहीं तैयार किया जा सकता है। इसके लिये भी मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं।

माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने इस बजट में सबसे पहिले हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि हम किन-किन योजनाओं को इस साल लेंगे और किन-किन तरीकों से उसको कामयाब बनायेंगे। उसके बाद फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि जब यह देश हमारे सुपुर्द हुआ तो उस समय किन-किन कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इन कठिनाइयों और मुसीबतों को दूर करने की कोशिश के साथ ही साथ हमारी सरकार ने क्या-क्या कार्य किये। इन तमाम कार्यों की ओर मैं इस हाउस का ध्यान इस समय नहीं दिलाना चाहता किन्तु मैं एक कार्य की ओर तो आप का ध्यान अवश्य दिलाना चाहता हूं और वह जमीन्दारी अबालिशन है। मैं यह समझता हूं और मुझे विश्वास है कि इस सदन के बहुत से सदस्य मेरी राय से सहमत होंगे कि वह इतना बड़ा अचीवमेंट है

[श्री निजामुद्दीन]

जिसको कि कांग्रेस सरकार ने किया है और जिस समय देश का इतिहास लिखा जायेगा उस समय पन्त मिनिस्टरी का नाम इस अचीवमेंट के लिये सुनहरे शब्दों में लिखा जायेगा।

गुजिश्ता एलेक्शन के अवसर पर प्लेटफार्म और प्रेस दोनों में बहुत जोरों के साथ यह ऐलान किया गया था कि कांग्रेस सरकार जमीन्दारी अबालिशन में सिनसियर नहीं है यह इस योजना के बल वोट लेने के लिये कांग्रेस ने रक्खी थी। मगर मुझको इस हाउस में यह सुन कर दुख हुआ कि अब जमीन्दारी अबालिशन की स्कीम के पूरा हो जाने के बाद यह कहा जाता है कि किसानों को इस जमीन्दारी अबालिशन से कुछ लाभ नहीं हुआ। किसान कई शताब्दियों के बाद आज जमीन्दारों के पन्जों से मुक्त हुआ है। अब वह आजादी की सांस लेता है और मुझे पूरा विश्वास है कि किसान अब अपने खेतों में मेहनत से काम करेगा और उसकी उपज बढ़ाने में भरसक प्रयत्न करेगा। जिससे हमारे देश की बहुत अधिक उन्नति होगी। बजट पर विरोधी दल की ओर से जो भाषण हुए हैं, वह इस बजट से अधिक सम्बन्ध नहीं रखते। बजट को हमको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि कितना रुपया हमारे पास है और उन रुपयों को हम जिन योजनाओं में खर्च कर रहे हैं, वह ठीक है या नहीं। इस समय हमारे सामने खाने का प्रश्न, जिन्दगी और मौत का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस बजट के द्वारा इस प्रश्न को पूरी तरह से हल किये जाने के लिये योजनाएं रक्खी गयी हैं। इस प्रश्न के पूरा हो जाने के पश्चात् बहुत सी कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस हाउस के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि हमको इस हाउस से पोलिटिक्स से अलग होकर इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और इस सदन में हमको इस स्पिरिट को छोड़ देना चाहिए जिससे हम प्रभावित होकर एक दूसरे के विरुद्ध प्रेस और प्लेटफार्म में आलोचनायें करते हैं। मैं समझता हूं कि समय ऐसा आ गया है कि हम जनता को जितना सुख पहुंचा सकें, पहुंचायें और वह उसी समय हो सकता है जबकि हर मनुष्य इस बात का प्रयत्न करे कि गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं और स्कीम्स हों, उनके साथ कोआपरेट करें। यदि उन योजनाओं के पूरा होने में मदद न दी जाये तो वह योजनाएं असफल तो न होंगी, परन्तु यह हो सकता है कि उनकी सफलता में कुछ अधिक समय लग जाये इस सदन का हर मेम्बर इस हाउस में इस मकसद के साथ आया है कि देश को आगे बढ़ाया जाय। देश को आगे बढ़ाने में आपस में केवल एप्रोच में डिफरेन्स आफ ओपीनियन हो सकता है, यदि वास्तव में सही दिल से हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये मैं इस सदन के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि देश को आगे बढ़ाने के लिये हम सब काम करें।

टैक्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। टैक्स गवर्नमेंट तब ही लगाती है जबकि वह समझती है कि देश की उन्नति के लिये उनके पास काफी रुपया नहीं है और जो योजनाएं हम पूरा करना चाहते हैं उसके लिये रुपये की आवश्यकता है, तो ऐसी सूरत में बिना कोई कर लगाये हुए हम रुपया नहीं इकट्ठा कर सकते। मगर इस सिलसिले में जो यह कहा गया है कि यह कर गरीबों पर नहीं लगना चाहिए, तो मैं भी यह समझता हूं कि यह राय अधिक अनुचित है। मेरे विचार में एक बात और भी होनी चाहिए कि यदि कर किसी खास योजना के लिये लगाया जाना जरूरी है तो जब वह मकसद पूरा हो जाय तो उस कर को भी समाप्त कर दिया जाय और उसको परमानेन्ट न किया जाय।

अन्त में एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे स्टेट के हर डिपार्टमेंट में इनसब्रोडिनेशन बहुत अधिक है और बढ़ती जा रही है और सेन्स आफ ड्यूटी समाप्त होती जा रही है। उसको समाप्त करना देश की उन्नति के लिये अति आवश्यक है। जो काम मामूली तौर से एक सप्ताह में हो सकता है उसमें महीनों लग जाते हैं जिनसे जनता की तकलीफें बढ़ती जाती हैं और उससे गवर्नमेंट भी बदनाम होती है। हमारे जितने मन्त्री हैं वह दफ्तर में सात-सात, आठ-आठ बजे रात तक काम करने के बावजूद भी अपने-अपने घरों पर भी देश की उन्नति के लिये कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। यदि इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट का कर्मचारी

देश के प्रेम से प्रभावित होकर काम करे तो यह हमारा देश बहुत ही शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। इसलिये गवर्नमेंट से यह मेरी प्रार्थना है कि हर हेड आफ दि डिपार्टमेंट को यह आज्ञा दी जाय कि वह अपने मातहतों से ठीक तरह से काम लें और उन पर कड़ी निगाह रक्खें और यदि हेड आफ दि डिपार्टमेंट ऐसा करने में कोताही करे तो किसी दूसरे मनुष्य को, जिसको अपने देश से प्रेम हो, उस स्थान पर रक्खा जाय। अन्त में मैं फिर एक बार फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बधाई देता हूं।

*श्री राम लगन सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से इस बजट में जो नये नये टैक्स लगाने की बात कही गई है उसकी काफी मुखालिफत की गई है। यह जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी में यह देखा जाता है कि जनता की विलिंगनेस टैक्स देने के लिये कहां तक है। यदि हमें निर्माण कार्य करने हैं तो यह लाजिमी है कि नये नये टैक्स लगाने पड़ेंगे। इन नये टैक्स के विरोध में जो दलीलें दी गयी हैं, उसमें हमारे प्रोफेसर श्री मुकुट बिहारी लाल जी ने एक दलील यह पेश की कि चूंकि यह टैक्स निर्माण कार्यों के लिये लगाया जा रहा है और यह जो निर्माण कार्य होंगे वे इस मौजूदा सन्तान के फायदे के लिये नहीं होंगे, बल्कि आने वाली सन्तान के फायदे के लिये होंगे, लिहाजा मौजूदा सन्तान के लिये यह नहीं है।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--

On a point of personal explanation, Sir. I did not say so.

श्री राम लगन सिंह--चूंकि प्रोफेसर साहब कहते हैं कि यह उन्होंने नहीं कहा, लिहाजा यह सवाल ही नहीं उठता है। अब मैं सरकार का ध्यान लोकल बाडीज की आर्थिक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे प्रान्त में लोकल बाडीज की माली हालत बहुत ही खराब है। उनके पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं हैं जिससे वह अपनी हालत को सुधार सकें और अपनी मौजूदा हालत में कुछ इम्प्रूवमेंट (improvement) कर सकें। कुछ म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की यह हालत है कि वह बहुत मुश्किल से अपना काम चलाते हैं। कहीं कहीं तो यह हालत है कि तीन-तीन और चार चार महीने तक वहां पर नौकरों को तनख्वाहें तक नहीं दी जाती है, इसलिये मैं सरकार का ध्यान माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये, लोकल बाडीज की आर्थिक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। कुछ आमदनी के जरिये, जो पहिले लोकल बाडीज के पास थे, अब वह सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। उदाहरण के लिये मोटर व्हिकिल्स से जो आमदनी होती थी वह कुछ दिन पहिले लोकल बाडीज की थी। मोटर व्हीकिल ऐक्ट पास हो जाने से उन बाडीज के वह आमदनी के जरिये सरकार ने बन्द कर दिये हैं। उस आमदनी में से अब सरकार म्युनिसिपैलिटी को कुछ ग्रान्ट के रूप में देती है जो बहुत ही साधारण है। सरकार को उससे ६५ लाख १६ हजार आमदनी होती है जिसमें से वह म्युनिसिपैलिटी को १३ हजार ८ सौ रुपया देती है। वह बहुत कम होता है, इसलिये मैं सरकार से माननीय अध्यक्ष महोदय आपके जरिये से, कहना चाहता हूं कि वह कुछ ग्रान्ट में और अधिक वृद्धि करे। इन्टरटेन्मेन्ट टैक्स जो सरकार लेती है अगर वह म्युनिसिपैलिटी को ग्रान्ट के रूप में दे दिया जाय तो उसकी हालत अच्छी हो सकती है। एक बात और है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है इन्कम्बर्स प्रोसेज है। उससे जो आमदनी होती है वह सरकार म्युनिसिपैलिटी को तो देती है, लेकिन वह भी उसके लिये काफी नहीं होती है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि पूर्वी जिलों के लिये सरकार ने सिंचाई और पैदावार के लिये विशेष इन्तजाम किया है और उनका काफी ध्यान अपने बजट में रखा है, लेकिन मुझे यह ताज्जुब होता है कि पूर्वी जिलों की लिस्ट में से जौनपुर का नाम निकाल दिया गया है। जौनपुर एक ग्रसित डिस्ट्रिक्ट है और वहां की पूरी आबादी महज खेती पर ही निर्भर है और मैं यह समझता हूं कि बावजूद इसके कि इस बजट में ईरिगेशन का इन्तजाम किया गया है, फिर भी वहां की पैदावार सारी आबादी को खिलाने के लिये काफी नहीं होगी।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राम लगन सिंह]

इसलिये मैं यह भी सरकार से गुजारिश करूंगा कि ट्यूबवेल के अलावा वहां काटेज इन्डस्ट्रीज का भी इन्तजाम किया जाय। अन्य के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, सरकार से कुछ निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि हमारे प्रदेश में करीब सवा सौ जुडिशियल आफिसर्स हैं और वह १०,१० और १२,१२ साल से टैम्पोरेरी चल रहे हैं। इस तरह से जिन्दगी का वह हिस्सा जिसमें आदमी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं, वह टैम्पोरेरी तौर से बिता रहे हैं। उनके लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है कि वह किसी क्रम से उन्नति कर सकें। जबकि अन्य सर्विस में तहसीलदार के लिये एक क्रम है कि वह ८,१० साल में, अगर उसका काम ठीक है तो डिप्टी कलेक्टर हो सकता है, लेकिन इन जुडिशियल आफिसर के लिये कोई भी ऐसा क्रम नहीं है। १०,१० साल १२,१२ साल तक वह जिस जगह से स्टार्ट करता है, वहीं रहता है। तो यह तो बहुत ही खतरनाक है। इस तरह से उसके कार्य क्रम के गिरने की सम्भावना होती है अगर और कहीं लालच में पड़ गये तो वह अपने पथ से ही फिसल जाते हैं। मैं अपनी सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इनकी खासतौर से उन्नति की जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को इस बजट के लिये बधाई देता हूं।

*श्री निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी--माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के प्रायः सभी सदस्यों ने बजट के ऊपर अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं उसकी मेरिट और डिमेरिट पर अपना कोई विचार प्रकट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं समझता हूं कि वह तो एक अनाधिकार चेष्टा होगी। उसके लिये तो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर जो कि लीडर आफ दि हाउस हैं और हमारे अन्य मन्त्री महोदय ही उत्तर देंगे। मैं केवल आपके सामने उन्हीं विषयों को रक्खूंगा जिन पर इस सदन के माननीय सदस्यों ने प्रकाश नहीं डाला है।

सबसे पहिले शिक्षा को ही लिया जाय। यूनिवर्सिटी शिक्षा या हायर सेकेन्ड्री एजूकेशन के विषय में बहुत से सदस्य कह चुके हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने कुछ उस शिक्षा के विषय में कहूंगा जिसके विषय में किसी भी सदस्य ने यहां नहीं कहा। मेरा तात्पर्य विशेष शिक्षा से है, यानी स्पेशल एजूकेशन से है। स्पेशल शिक्षा से, मेरा मतलब, उन नेत्रहीन, कान होते हुए जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, और अपंग बालकों से है। आपके बजट में एजूकेशन के लिये इस वर्ष लगभग ८ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। मगर स्पेशल एजूकेशन के हेड पर गूंगों और बहिरों के लिये हम देखते हैं कि केलव ५१ हजार २ सौ रुपये का प्राविजन किया गया है। यदि हम नये आइटम्स को भी मिलाकर चलें तो ६३ हजार ५ सौ रुपया होता है। अन्धों की शिक्षा पर केवल ५ हजार २ सौ रुपये का प्राविजन किया गया है।

(इस समय १२-२३ पर चेयरमैन के उठ जाने पर डिप्टी चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में कितने मूक, गूंगे और बहिरों की संख्या है। यद्यपि मेरे पास अप टू डेट आंकड़े नहीं है फिर भी ऐसे बच्चों की संख्या जो कि स्कूल में पढ़ने के काबिल हैं, ६,४७२ है। यदि बाद में नयी जनसंख्या के बाद साथ ही साथ हम उसकी वृद्धि मान लें तो वह संख्या लगभग ८ हजार के हो जायेंगी। इसी प्रकार अन्धे बच्चों की जन-संख्या १०,८३३ थी। यदि २० वर्ष के बाद उसमें भी हम वृद्धि करें तो लगभग यह संख्या भी १२ या १३ हजार के हो जाती है। अब आप थोड़ा सोचे कि ८ हजार बच्चों की संख्या पर हम केवल ६३ हजार रुपया खर्च करना चाहते हैं, जिसका मतलब यह है कि ८ रुपये प्रति बालक पर खर्च होगा। इसी तरह से अन्धों की संख्या पर हमने केवल ५ हजार २ सौ रुपये का प्राविजन किया है और इन बच्चों की संख्या १६ हजार के लगभग है। दूसरे देशों में मैं आपको बतलाऊं कि इसी संख्या पर लगभग १ हजार डालर प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी कि हमारा प्रदेश जहां और बहुत सी बातों में पिछड़ा हुआ है वहां हमने कम से कम शिक्षा के सम्बन्ध में आगे कदम उठाया है और वह शिक्षा

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

ट्रेनिंग कालेज की। हमने डेफ और डम्ब टीचर्स की शिक्षा के लिये ४ वर्ष हुए काम शुरू किया था और उन ट्रेनिंग कालेजेज में टीचर्स बराबर ट्रेनिंग पा रहे हैं। यह ट्रेनिंग कालेज इस किस्म का सिर्फ हमारे ही प्रदेश में नहीं है बल्कि सारे भारत वर्ष में ४ ऐसे ट्रेनिंग कालेज हैं। तो इस तरह से इन ट्रेनिंग कालेजेज से अन्धों और डेफ डम्ब को अच्छी शिक्षा देकर और उनको स्पेशल एजूकेशन देकर काबिल बनाया जा सकता है और यह बहुत ही आवश्यक भी है। तो इस तरह की स्पेशल एजूकेशन का होना बहुत आवश्यक है। स्पेशल एजूकेशन के बाद अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हायर सेकन्ड्री एजूकेशन के बारे में विशेष ध्यान दिया जाय। जैसा कि कहा जा चुका है कि हायर सेकन्ड्री एजूकेशन या एजूकेशन इन जेनरल का स्टैन्डर्ड काफी गिर गया है।

प्राईमरी एजूकेशन बुनियादी शिक्षा है। उसके लिये यह आवश्यक है कि एक कमेटी बिठाई जाय जैसी कि हायर सेकेन्डरी एजूकेशन के लिये नियुक्त की गई है।

यूनीवर्सिटी एजूकेशन के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि विगत वर्ष लखनऊ यूनीवर्सिटी में ५ हजार २ सौ स्टूडेन्टस थे और उनके रहने के लिये हमारे पास ६ ब्वाएज होस्टेल्स हैं और १ लड़कियों के लिये होस्टल है। डबल सीटिंग करने पर भी १,४०० से ज्यादा विद्यार्थियों को हम उनमें अकमोडेशन प्रोवाइड न कर सके। प्रतिवर्ष हमारे देखने में आया है कि २,५०० से लेकर ३,००० तक स्टूडेन्ट्स को अकमोडेशन देने की जरुरत होती है। मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह युनीवर्सिटी को प्रति वर्ष लोन दे जिससे वहां का काम सुचारुरूप में चल सके। स्टाफ क्वार्टर्स की भी हम को जरूरत है। हमारे पास लगभग २० बंगले इस वक्त हैं। हमारे वह बंगले वारडेन्स और असिस्टेन्ट्स के लिये भी पर्याप्त नहीं हैं उनके लिये भी बंगले होने चाहिये।

यूनीवर्सिटी के डिफीशिट के बारे में आपसे बताया जा चुका है मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि यह डेफीसिट बहुत कुछ कम हो सकता है यदि हमको यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के आधार पर इनब्लाक ग्रान्ट्स दे दी जाय।

The University Grants Commission recommendedanen *block* grant for five years.

इसके बाद ला ऐन्ड जस्टिस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। हमारे लखनऊ स्थित हाईकोर्ट बेन्च को बने हुये लगभग ४ वर्ष होने आये हैं। मुझे आपके सामने यह प्रगट करते हुये खेद होता है कि इसके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेन्ट होता है। हमने सात जजेज से शुरू किया था और अब कुल दो जजेज रह गये हैं। हमारा जुरिसडिक्शन भी कम कर दिया गया है। कम्पनी ला वगैरा हमसे ले लिये गये हैं। हमारे जुरिसडिक्शन से फैज़ाबाद और सुल्तानपुर भी ले लिया गया है। हमारी मांग है कि दोनों बेन्चेज में कोई डिफ़रेन्स नहीं होना चाहिये। दोनों का ज्यूरिसडिक्शन एक होना चाहिये। जस्टिस स्पीडी (speedy), चीप (cheap) और एक्सेसिबल (accessible) होनी चाहिये। पहले क्रिमिनल अपील्स में दो से तीन महीने तक लगा करते थे लेकिन अब ८ से १० महीने तक और कभी-कभी १२ महीने भी लग जाते हैं।

मेडिकल के विषय में मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा। पेड क्लिनिक का इन्ट्रोडक्शन १९५० में हुआ था। आज हम पाते हैं कि वह पेड क्लिनिक सक्सेसफुल नहीं हुये हैं। मैं चाहता हूं कि उन पर विचार किया जाय। मैं यह भी चाहता हूं कि जो जिले की डिस्पेन्सरीज हैं उनको अधिक सहायता दी जाय।

रेन्ट कन्ट्रोल के बारे में, मैं यह कहूंगा कि इसकी अवधि समाप्त होने वाली है। ३० सितम्बर, सन् ५२ को इसकी अवधि समाप्त हो जायगी। जहां और चीजों का डिकन्ट्रोल हुआ है, वहां उसको भी न बढ़ाया जाय।

[श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी]

जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे, में मेरा यह सुझाव है कि हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट्स की जो नियुक्ति होती है वह अभी तक केवल साल या डेढ़ साल के लिये होती है। मेरा सुझाव यह है कि वह नियुक्तियां ३ साल या ५ साल के लिये होनी चाहिये।

श्री कुंवर महावीर सिंह--अध्यक्ष महोदय, मेरा यह दावा नहीं है कि यह बजट बहुत अच्छा है और न मेरा यही दावा है कि इस बजट से अच्छा दूसरा बजट नहीं बनाया जा सकता था और मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री भी इस दावे को नहीं करेंगे कि यह सबसे अच्छा बजट है। मेरा तो दावा यह है कि जिन परिस्थितियों में आज हमारा देश है उन परिस्थितियों को देखते हुये इससे अच्छा दूसरा बजट नहीं बन सकता था और मैं समझता हूं कि हमारे विपक्षी दल के मित्र इस बात से सहमत होंगे कि जिन खिलाफ परिस्थितियों से देश गुजर रहा है उन परिस्थितियों को देखते हुये और हमारी कठिनाईयों को देखते हुये इस से अच्छा दूसरा बजट नहीं बनाया जा सकता था। मैंने बहुत से अर्थशास्त्रियों से बातचीत की मुझे इस बात का जरूर अफसोस है कि मैंने किसी राजनीति प्रोफेसर या किसी इतिहास के प्रोफेसर से बातचीत नहीं की लेकिन जिन जिन अर्थशास्त्रियों से मैंने बातचीत की उन सब ने एक मत होकर इस बात की ताईद की है कि जिन परिस्थितियों में आज देश गुजर रहा है उसमें इससे अच्छा दूसरा बजट नहीं बनाया जा सकता था। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने बहुत से कोटेशन डाल्टन साहब के उद्धृत किये हैं। कौन नहीं जानता कि डाल्टन साहब के सुन्दर मत हैं, लेकिन जहां उन्होंने इन सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया हैं वहां इस बात को भी स्वीकार किया है कि परिस्थितियों के अनुकूल बजट बनाया जाता है। अगर लड़ाई का जमाना है तो लड़ाई के ऊपर ज्यादा खर्च करा जायेगा और करना भी चाहिये और अगर मामूली परिस्थिति है तो बजट दूसरे तरीके से बनाया जायेगा। उन्होंने परिस्थिति को देख कर बजट निर्माण करने की बात स्वीकार की है। जिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है उनमें इससे अधिक खर्च निर्माण कार्य में क्या हो सकता था। हम गुलाम थे गुलामी में हमारा मानसिक और मारल पतन हो गया था। हमारी गुलामी खत्म होने के बाद हमारे देश पर आफत के बादल टूट पड़े। हम जिन परिस्थितियों में स्वतंत्र हुये उसका नक्शा अगर हम अपने सामने रखें तो देखेगें कि ऐसी परिस्थिति का सामना शायद ही किसी दूसरे देश को आजादी के पाने के साथ साथ करना पड़ा हो। अन्दाज कीजिये स्वतंत्रता की बेला में ही एक करोड़ आदमी पाकिस्तान से हिन्दुस्तान आये। उनके पास न अन्न था न वस्त्र था उनकी प्रत्येक सुविधा के लिये सरकार को प्रबन्ध करना पड़ा। इस काम में अपार धनराशि व्यय करनी पड़ी। ग्रीस और टर्की का इतिहास देखिये जिस वक्त ग्रीस और टर्की में युद्ध हुआ बहुत से टर्की के रहने वाले ग्रीस गये लेकिन ग्रीस ने इन्कार कर दिया उनको अपने देश में रखने से। इसी तरह टर्की ने ग्रीस से आने वाले तुर्कों को अपने देश में रखने से इन्कार कर दिया। पैलिस्टाइन में कुछ लाख आदमियों के आ जाने से बिल्कुल नई परिस्थिति पैदा हो गई थी। परन्तु पाकिस्तान से जो भी हिन्दुस्तानी हमारे देश में आये, हमने अपनी भयानक आर्थिक परिस्थिति होते हुये भी उनका स्वागत किया। मैं पूछता हूं कि क्या यह कोई कमाल की चीज न थी? क्या इस महान कार्य से हमारी वित्तीय हालत पर एक जबरदस्त बोझ नहीं पड़ा। आर्थिक दृष्टि से जर्जर देश पाने पर भी हमने वे महान बोझ सम्भाले, बंटवारे के बाद देश में अन्न संकट ने विषम रूप धारण किया। देश को सन् ४४ के दुर्भिक्ष और अकाल से बचाने के लिये सैकड़ों करोड़ों का अन्न भारत को बाहर से मंगाना पड़ा। अमन अमान कायम करने में तथा देश को सुसंगठित शासन में बांटने के लिये एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विसेज पर बहुत बड़ी रकमें खर्च करनी पड़ी। ये खर्च बहुत अधिक थे। दूसरा देश इन परिस्थितियों में घुटने टेक देता और पिस जाता। नेता त्राहि-त्राहि

बोल देते। परन्तु हमारे रहनुमाओं ने जिस जिंदादिली, हिम्मत और धीरता का परिचय दिया उसका साक्षी सदैव हमारा इतिहास रहेगा।

यह परिस्थितियां थीं, यह हालत थी जिसमें कांग्रेस सरकार ने यह बजट बनाया है। मुझे विश्वास है कि हमारे मुखालिफीन दल के लोग भी चाहे वह जो कुछ भी बाहर से कहें हृदय से इससे सहमत होंगे कि इन परिस्थितियों में इससे अच्छा दूसरा बजट नहीं बनाया जा सकता था।

एक आवाज--आपका कोई मुखालिफ यहां नहीं है।

श्री कुंवर महावीर सिंह--मेरा मतलब मुखालिफ से अर्थ शास्त्रियों की मुखालिफत से है। मैं इस बात के लिये अर्थ मंत्री साहब को बधाई देता हुं कि उन्होंने जो सच्ची परिस्थिति थी उसको छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। जब कमजोरी को बिना छिपाये असलियत को सामने रखा जाता और कमजोरी तसलीम की जाती है। यदि दृढ प्रतिज्ञा की जाती है कि इस कमजोरी पर कामयाबी अवश्य पायेंगे, तो निश्चय ही ऐसा दृढ संकल्प हमारे प्रान्त को जरूर ऊंचा उठायेगा। बजट में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने प्रान्त की सच्ची हालत को छिपाने की जरा भी कोशिश नहीं की है, बरखिलाफ इसके उन्होंने मार्मिक शब्दों में असलियत को रखा है इसके साथ साथ उन्होंने प्रान्तीय सरकार के निश्चय को स्वस्थता और दृढता से व्यक्त किया है। मैं आपकी इजाजत से सफा १० पर जो हमारे वित्त मंत्री साहब की स्पीच है उसको पढ़ना चाहता हुं। "इन सब बातों का अनिवार्य परिणाम यह होगा कि लोगों को काफी त्याग करना पड़ेगा। इनमें और भी अधिक मेहनत करनी होगी और उत्पादन बढ़ाना होगा। प्रयत्न करने का भार तो जनता पर ही पड़ेगा और उसे ही इसे संभालना चाहिये। हर राष्ट्र कठोर परिश्रम से ही अपने को खुशहाल बना सकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।" यह शब्दावली जाहिर करती है कि उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की है कि आगामी वर्ष कठिनाइयों से भरा है और उसका हमें मुकाबला करना है उसी भाषण में मंत्री महोदय सरकार के दृढ़ संकल्प को प्रकट करते हैं और उनका परिस्थितियों पर पूरा काबू पाने का निश्चय विचार है। मंत्री महोदय अपने भाषण में लिखते हैं कि "हम अपनी सारी ताकत को एक चित्त होकर अपने मुख्य उद्देश्य में लगाना चाहते हैं जिनके लिये हमने पद ग्रहण किया है अर्थात् हममें जितनी शक्ति है उससे हम सामान्य जनता को अधिक सुखी और सन्तुष्ट बनायेंगे। इस लक्ष्य की सिद्धि के मार्ग में पड़ने वाली कठिनाइयों को छोटी समझना ठीक न होगा किन्तु हम लोग अपनी ओर से राष्ट्र निर्माण की कार्यवाहियों में तेजी लाने के लिये पूरी कोशिश करते जा रहे हैं। इसके लिये चाहे हम लोगों को और अतिरिक्त कर लगाना पड़े हम लोग आवश्यक वित्तीय साधनों को प्रस्तुत करेंगे"। मैं इस निश्चय के लिये उनको और सरकार को बधाई देता हूं मुझे विश्वास है कि जब हमारी सरकार का यह संकल्प है तो निश्चय ही हमारा भविष्य उज्जवल होने जा रहे है।

हमारे एक साथी ने कहा कि यह बजट रिवोल्यूशनरी नहीं है। मैं अभी तक रिवोल्यूशनरी बजट के माने जो वह समझते हैं नहीं समझा। बजट में रेवोल्यूशन क्या होता है? क्या उसके माने वह यह लगाते हैं कि सारा बजट का रुपया केवल एक ही मद में लगा दिया जाय और बाकी सब मदों में कुछ खर्च ही न किया जाय? क्या वह यह चाहते हैं कि सब रुपया शिक्षा में लगाया जाये या सारा रुपया केवल विकास में लगाया जाय और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी मदों में एक पैसा भी न लगाया जाय। अगर वह बजट का रिवोल्यूशनरी होना इसी को समझते हैं तो वह उनका भ्रम है, भूल है मैं समझता हुं कि उन्होंने इस शब्द का ठीक इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप बजट के मदों की फीगर्स को देखें तो मालूम होगा कि सन् ४५-४६ के मुकाबिले में एजूकेशन में ३२५ फीसदी बढ़ती हुई है। सिंचाई में ४०० फीसदी हुई है। इसी तरीके से दूसरी मदों में बढ़ती हुई हैं। क्या यह साबित नहीं करता कि हमारा वर्तमान बजट अगर हम अपने प्रान्त की गैर मामूली परिस्थिति का भी ख्याल न करें तब भी रेवोल्यूशनरी बजट

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

है। हमारी वर्तमान परिस्थिति में तो यह बजट बहुत ही रिवोल्यूशनरी कहा जायेगा रूस के रिवोल्यूशन के बाद के दो तीन साल के बजट मैंने देखे हैं उस रिवोल्यूशनरी देश में भी उन दो, तीन वर्षों में विकास के मदों में शिक्षा में बहुत थोड़ा खर्च किया गया है। पुलिस, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अधिक खर्च किया गया। तब क्या इसके माने मेरे विपक्षी दल के साथी यह करेंगे कि रूस का देश सन् १९१९ से २२ या २४ सन् तक रेवोल्यूशनरी नहीं था। उस वक्त रूस विषम परिस्थितियों में गुजर रहा था उसके जीवन मरण का प्रश्न था। इस वक्त तो, उसे वक्त की जरूरी मद पर अधिक खर्च नितान्त आवश्यक था। क्या मैं आशा करूं कि विपक्ष दल शब्दों के बंबडर में न पड़कर असलियत पर अधिक ध्यान देंगे।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने फरमाया है कि डेवलेपमेंट टैक्सेशन लगा था। इन हैरीटेन्स टैक्स, डेथ टैक्स और प्रापर्टी टैक्स हमारी प्रान्त की सरकार को लगाना चाहिये लेकिन उन ऐसे योग्य और विधान के पंडित, ताज्जुब होता है कि यह कैसे भूल गये कि भारत यूनियन का विधान राज्यों को डेथ टैक्स प्रापर्टी टैक्स या इनहैरीटेन्स टैक्स लगाने का अधिकार नहीं देता। अतः राज्य उपर्युक्त करों को न लगा सकेगा। राज्य तो केवल एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स लगा सकता है, वह पहले से ही लगा है। उसके रेट भी यूनियन सरकार के इनकम टैक्स से कम नहीं है। प्रान्त में केवल १६ फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास ३० एकड़ से अधिक भूमि है। १६ फीसदी में बुन्देलखंड भू-भाग के किसान भी सम्मिलित हैं जो कि कानून ने, वहां की रद्दी और कंकरीली भूमि को देखते हुये ३० एकड़ को ६० एकड़ माना है। इस तरह से राज्य में केवल १२ फीसदी किसान ही, ऐसे हैं जिनके पास ३० एकड़ से अधिक भूमि है। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इन्हीं १२ फीसदी आदमियों पर लग सकता है। "अन्न अधिक उपजाओ" नीति को प्रोत्साहन देने की दृष्टिकोण से इन पर अधिक कर बढ़ाना उचित न होगा। इसी तरह से सेल्स टैक्स में कोई बढ़ती करना जब कि पहले से ही लोग उसके लगाने के विचित्र तरीके से परेशान हैं, गलत और अन्यायपूर्ण होगा। अगर हमारे प्रान्त की सरकार कोशिश करे तो केन्द्रीय सरकार से हमें केन्द्रीय टैक्स में से कुछ हिस्सा अधिक मिल सकता है।

मुझे कुछ जिक्र बिनोबा भावे जी के भूमिदान यज्ञ योजना के बारे में करना है। मैं समझता हूं कि हमारे साथी चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी के हों या और किसी पार्टी के हों, सभी इस बात से सहमत हैं कि भूमि का फिर से बटवारा होना चाहिये और उसके लिये बिनोबा भावे जी का तरीका ही सबसे अच्छा है। उससे बढ़ कर कोई दूसरा तरीका नहीं है। जय प्रकाश जी अभी हमारे जिले बांदा में गये थे, उनकी पूरी स्पीच अखबारों में नहीं निकली। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे पास इससे बढ़कर दूसरा प्रोग्राम नहीं हो सकता। और हम कह सकते हैं कि इस जमाने में अगर हम इस प्रोग्राम में सहायता दें तो निश्चय ही हम अपनी भूमि समस्या को हल कर सकते हैं। हैदराबाद सरकार ने बिनोबा भावे फैसिलिटी ऐक्ट का एक कानून बनाया, जिसके द्वारा हजारों एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों को दी गई है। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रान्तीय सरकार भी एक ऐसा ही कानून बना देगी, जिसके द्वारा अब तक बिनोबा जी को दी गई भूमि वैध हो जायेगी और वह उसके वितरण का प्रबन्ध अहिंसात्मक तरीके से करवा सकेंगे।

मैं सरकार का ध्यान देश की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की ओर खींचना चाहता हूं। आज देश को श्रमधन की बेहद जरूरत है। हम तैंतीस करोड़ हैं। यदि हमें केवल तैंतीस करोड़ ही देश के निर्माण कार्य के लिये मिल जायं तो पांच साल में हम अपनी पंच वर्षीय योजना ही न पूर्ण कर लेंगे बल्कि बहुत आगे निकल जायेंगे। कम्पलसरी कन्सक्रिपशन आफ लेबर यानी अनिवार्य कार्य का कानून शीघ्र ही बनना चाहिये। हमारे कुछ साथियों ने चीन के दो साल की तरक्की की

भूरि–भूरि प्रशंसा की है, कुछ साथियों ने चीन को इसलिये बड़ा देश बताया है, क्योंकि वहां के मंत्रियों और मामूली जनता के कपड़ों में फर्क नहीं है। मेरी समझ म चीन न इसलिय तरक्की नहीं की, क्योंकि वह एक कम्यूनिस्ट देश है या वहां के लोग कपड़े एक भांति के पहनते हैं, बल्कि चीन इसलिये बढ़ा है कि उन्होंने अपनी सम्पूर्ण श्रम शक्ति देश के विकास और उत्थान में लगा दी है।

हम आशा करते हैं कि जब हमारा यह चुनाव हो चुका है, तो अब हमारी सरकार कम्पलसरी लेबर का कानून बनायेगी। इससे जनता पर टैक्सेजन का भार भी कम हो जायेगा और जनता भी महसूस करेगी कि देश के विकास में उन्होंने भी हाथ लगाया है।

मुझको अपने जिले बांदा के सम्बन्ध में दो शब्द कहना है। बांदा जिला बुन्देलखंड का एक हिस्सा है जोकि विकास की दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा जिला है। भूतपूर्व सराकरों ने इसे अवहेलना की दृष्टि से देखा है और इसके विकास को करने का कभी भी प्रयत्न नहीं किया। यहां बरगढ़ सैन्ड मिलती है और पास ही लकड़ी भी, परन्तु यहां सरकार द्वारा कभी भी कांच का उद्योग खोलने का प्रयत्न नहीं किया गया। यहां पर लोहा, गेरू, अबरख और दूसरे खनिज पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। बांदा जिले का केवल १/६ हिस्सा ऐसा है, जहां सींचाई होती है। परन्तु यह नहरें केवल बरसात में ही ठीक और पर्याप्त पानी देती हैं। रबी की फसल में नहरें अधिकतर जवाब दे देती हैं। यह सब होते हुये भी बांदा जिला अपने जिले से बाहर करीब १२ लाख मन गल्ला बाहर भेजता है। यह गल्ला भारतवर्ष द्वारा आयात यानी इम्पोर्ट गल्ले का १/८० हिस्सा है, जिसकी कीमत विदेश को दो करोड़ रुपया सालाना दी जाती है। दूसरे शब्दों में हम अपने जिले से बाहर जो गल्ला भिजवाते हैं उतना ही गल्ला यदि बाहर से आये तो सरकार को दो करोड़ उसके लिये देना पड़ता है। हमारे जिले को यदि सरकार केवल १ १/२ करोड़ सालाना या ५ करोड़ रुपया एक मुस्त विकास कार्य के लिये दे तो हमारा जिला ५ साल में निश्चय ही पहले से दो गुना अधिक गल्ला बाहर के लिये दे सकता है, यानी भारत के आयात गल्ले का १/२० दे सकेगा हमारे जिले में जोतने योग्य पर्ती ३ लाख एकड़ पड़ी है। यदि कुछ बंधान, नदियों ओहन, वैस्वनी और दूसरी नदियों पर बांध दिये जायें और सारे जिले में पानी पहुंचाया जा सके तो भारत के आयात गल्ले का १/२० की पूर्ति हम सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इस १/२० भाग श्रम को हम ८ करोड़ में खरीदते हैं। बांदा जिला केवल ५ करोड़ रुपया चाहता है और आपको १/२० अन्न का आश्वासन देता है। यदि प्रान्तीय सरकार इतना रुपया न दे सके तो मेरी इस प्रार्थना को केन्द्रीय सरकार और उसकी योजना विभाग के पास भेज दे। मैं सरकार को विस्तारपूर्वक इस स्कीम को दे सकता हूं। मेरा यह दावा केवल कल्पना नहीं, बल्कि ठोस सत्य है। बड़े–बड़े प्लान बन रहे हैं, दुनियां के बाजार अन्न के लिये ढूंढे जा रहे हैं। श्रीमान् जी, मैं आशा करूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। उपाध्यक्ष महोदय मेरी ओर देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि मेरा समय खत्म हो गया है, इसलिये श्रीमान् जी, मैं आपकी इजाजत से अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री कन्हैयालाल गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय पेश्तर इसके कि मैं बजट के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करूं, अभी अभी कुछ देर पहले मेरे दोस्त श्री राजाराम शास्त्री ने इस हाउस में बजट के ऊपर मुकर्रर किये हुये वक्त के बारे में बहुत कुछ कहा था।

(इस समय १२–५० पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

उसके मुत्तालिक मैं भी गवर्नमेन्ट से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आगे से गवर्नमेन्ट इस बात का ख्याल रखे कि बजट पर बहस के लिये ज्यादा वक्त दिया जाय। इस

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैयालाल गुप्त]

हाउस में एक ही मौका होता है। कटौतियां यहां पेश नहीं होती हैं, इसलिये फिर बोलने का मौका नहीं मिलता है। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि मेरी दरख्वास्त पर गौर किया जाय। मैं जानता हूं कि देर हुई है, लेकिन अगर समय कुछ ज्यादा मिल गया होता तो बड़ा अच्छा होता। प्रस्तुत बजट के सिलसिले में जितनी दो तीन दिनों में, हमारे दूसरे साथियों ने अनेक बार बधाई, धन्यवाद और मुबारकबाद दिये हैं इस सूबे के इस बजट के लिए तो मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी नाम उसी सूची में दर्ज कर दिया जाय। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि हमारे कुछ साथियों ने यहां पर सरकार की बुराई करते हुए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया है और काफी मतभेद प्रकट किया है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि इस बजट में किसी प्रकार की कमी नहीं है, जो कुछ मौजूदा वक्त में गुजर रहा है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इससे अच्छा बजट मौजूदा हालतों में पेश करना नामुमकिन था। इसलिये मैं निहायत अदब से कहूंगा कि यह बजट बहुत अच्छा है।

अपनी इस राय को मैं छिपा नहीं सकता कि जितनी हम इस बजट से आशा लगाये थे, वह निराशा में परिणित हो गयी। आशा के खिलाफ यह बजट है। आजादी के बाद हमारे मुल्क को अपनी गरीबी से मुक्ति की आशा थी, मगर यह बड़े ताज्जुब और हैरानी के साथ हमको निराश्रित कर देता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा होते हुये भी, वित्त मंत्री को मैं जो मुबारिकबाद देता हूं यह जानते हुये भी तो उसका एक कारण है और वह यह है कि पिछले कई सालों से बजट भाषणों के अध्ययन करने से मुझे इस बजट भाषण में एक खास चीज नजर आती है। वह यह है कि सरकार ने कई सालों के बाद यह एक ऐसा साहस किया है जिससे यह जाहिर होता है कि हमारी सरकार इस काबिल है कि वह जरूरत के मुताबिक कुछ न कुछ साहस का कदम उठा सकती है। पिछले पांच साल के बाद हम लोगों को ऐसी धारणा बनाने के लिये मजबूर होना पड़ा था कि हमारी कांग्रेस सरकार और हमारे कांग्रेस के माननीय मंत्री लोग शायद क्रान्तिकारी भावना भूल चुके हैं। उनके अन्दर से वह पुरानी आजादी की बात निकल चुकी है और वह अंग्रेजी सरकार की उन गहरी लकीरों में घुस चुके हैं, जिनके अन्दर इस गरीबी को दूर करने का कदम नामुमकिन है। लेकिन इस बजट में पहले एक बात की ओर इशारा देख कर हमें यह आशा होती है कि अब भी हमारी कांग्रेस सरकार इस काबिल है कि वह जरूरत के वक्त पर एक साहस का कदम उठा सकती है। जब मैं यह कहता हूं तो मेरा मतलब इस बजट के पृष्ठ ५ के उन शब्दों से है, जो माननीय मंत्री ने कहे हैं। उन्होंने कहा है "कि आजकल की देश की अन्दरूनी और अन्तर्राष्ट्रीय हालत को देखते हुये चाहे वित्त की कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हों, सरकार ने जन साधारण के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिये जो भी योजनायें बनाई हैं, उनको पूरा करने में देरी करना न तो समझदारी और न तो होशियारी का ही काम होगा।"

हमें खुशी है कि सरकार इस बात पर आई है और उसने हिम्मत की है कि पैसे की कमी की बात करना जरूरी नहीं है। उसने इस साधन को मान लिया है कि पैसे की कमी से, मुल्क की बहबूदी से जो योजना है उनका रोकना उचित नहीं है और समझदारी की बात नहीं है। इस बात के लिये सरकार को बधाई देना अध्यक्ष महोदय, मैं अपना फर्ज समझता हूं। चूंकि मुझे कुछ और निराशा भी हुई इसलिये उसे भी मैं सदन के सामने कुछ अर्ज कर दूं। इस सदन का सदस्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम सरकार की समालोचना करें। मेरा ख्याल है कि जहां आलोचना करना एक पाप है, वहां सरकार की पूजा या खुशामद करना भी पाप है। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, ताकि हमारे चुनने वालों को यह मालूम हो। हमें इस तरह से समालोचना करनी चाहिये जो सदभावना और सहयोगपूर्ण समालोचना हो और यही इस सदन के हर सदस्य का कर्तव्य है, जिसका पालन न करना अपने चुनने वालों

के साथ पाप है। इस बात को ध्यान में रखते हुये ऐसी परिस्थिति में मैं आपसे अर्ज करूंगा और आगे करने जा रहा हूं कि आप इस बात पर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

इस बजट में सब से पहले मैं करों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। परसों से पहले रोज हमारे माननीय प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने कर लगाने के मूलभूत सिद्धान्तों के बारे में कुछ कहा था। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल एक बात सरकार के सामने पेश करूंगा । और वह करों की बाबत है। माननीय वित्त मन्त्री जी के भाषण को पढ़ करके मुझे हैरानी हुई। उसमें उन्होंने यह नहीं बतलाया कि यह कर किस प्रकार वसूल किये जायेंगे और किस प्रकार से लगाये जाएंगे। उन्होंने सिर्फ मोटे तौर पर उनके नाम का ही जिक्र कर दिया है। सरकार की ओर से कोई तफसील नहीं दी गयी है । मैं समझता हूं कि सरकार इन करों को लगाने से पहिले जनता को और जनता के प्रतिनिधियों को यह बता दें कि वह इनको किस तरह से वसूल करेगी । विकास वादी योजना के लिये करों की आवश्यकता होती है । जो रकम सरकार करों की शक्ल में वसूल करे, मैं समझता हूं कि वह उसे जनता की ओर से खुशी से मिले, जनता के सहयोग से मिले, सद्‌भावना से मिले तो अच्छा होता है और यह तभी हो सकता है जब सरकार की योजना से जनता भलीभांति परिचित हो और जो कर उससे लिये जायें वह उचित हों।

अब मैं सेल्स टैक्स की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। सरकार ने जो सेल्स टैक्स लगाया है उस टैक्स से व्यापार को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है । सरकार जो टैक्स लगाती है, उसमें वह जनता की सद्‌भावना की कोई परवाह नहीं करती है । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह कर लगायें तो कम से कम इस बात की व्यवस्था करे कि वह ठीक प्रकार से वसूल किये जायें। आज कल सेल्स टैक्स में बहुत मनमानी हो रही है । उसके वसूल करने का जो तरीका अख्तियार किया गया है, वह बहुत ही खराब है; उससे जनता को बहुत तकलीफ होती है। इसके जो आफीसर हैं, वह खूब रिश्वत लेते हैं। ऐसी चीजें बराबर देखने में आती हैं, लेकिन सरकार ने उनको रोकने के लिये कुछ भी नहीं किया है। इस बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि सरकार ने अन्न, खाद्य, बिजली और सिंचाई की योजना को प्राथमिकता दी। मैं समझता हूं कि इसके बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता है। अन्न की आज बहुत जरूरत है। लेकिन इसके अलावा जीवन में कुछ और चीजों की भी आवश्यकता होती है। सरकार को उनका भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने शिक्षा के बारे में भी कोई अधिक ध्यान नहीं दिया है। उसकी इस लापरवाही को देख कर सबको हैरानी हुई। जो बातें गवर्नर एड्रेस में हमें यहां सुनने को मिलीं, उस गवर्नर एड्रेस में जो बातें कही गयी थीं, हमें ख्वाब में भी यह अन्दाजा नहीं था कि उन बातों के कहे जाने के बावजूद भी सरकार शिक्षा की तरफ इस कदर लापरवाही दिखाने की हिम्मत या इच्छा भी कर सकती है। शिक्षा के बारे में सरकार की इतनी जबरदस्त लापरवाही मुल्क को कहां ले जायेगी, इसका हम आगे भी कुछ ख्याल नहीं कर सकते हैं। आगे सरकार इस ख्याल को अवश्य ही दिमाग में रखेगी। प्राइमरी टीचर्स की जो हालत है वह किसी से छिपी नहीं है और उनके बारे में बहुत काफी यहां कहा जा चुका है। मेरा उद्देश्य बहुत सी चीजों पर कहने का था, लेकिन मैं यहां पर प्राइमरी टीचर्स की तरफ से रिप्रेजेन्टेटिव होकर आया हूं, इसलिये उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना मेरा फर्ज हो जाता है। टीचर्स के बारे में मेरा निवेदन यह है कि उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है और वे लोग पांच-पांच, छः छः महीने से परेशान हैं। वे लोग ४०,४२ रुपये महीने की तनख्वाह पाने वाले हैं और वह भी ६,६ महीने तक नहीं मिलती है तो ख्याल कीजिए कि वह क्या कर सकते हैं। इस तरह से सेकेन्ड्री एजूकेशन के हाल हैं। बहुत दफा जब यह बातें कही जाती है तो हमारी सरकार और माननीय मन्त्री हम लोगों को आश्वासन दे देते हैं। अध्यापकों के प्रतिनिधि होने के नाते इस बात को लेकर मुझे कई दफा अपने मन्त्री महोदय से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ तो उनसे यह बात सुनने को मिली है कि अध्यापक लोगों की आदत हो गयी है कि वह अपने तन्ख्वाह के बारे में रोना रोया करते हैं। हो सकता है यह बात ठीक हो। मगर अगर मैं विश्वास किया जाऊं, अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपके द्वारा

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

इस हाउस से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि बात ऐसी नहीं है कि यह अध्यापक आज अपनी उम्दा बहबूदी चाहते हों या वह तन्ख्वाह इसलिये नहीं चाहते कि अपने बच्चों को ज्यादा अच्छा रखें या खुद अच्छा खाना खाना चाहते हों, खुद अच्छा कपड़ा पहिनना चाहते हों, बल्कि वह इस लिये चाहते हैं कि उनकी शिक्षा से राष्ट्र को नयी जिन्दगी दी जाती है और उनकी शिक्षा के बगैर राष्ट्र ऊंचा नहीं उठ सकता है। अगर यह मुमकिन है कि अध्यापकों की कब्र के ऊपर यह मुल्क ऊंचा उठ सकता है तो जरूर उनकी कब्र के ऊपर उन्हें अपने देश का भविष्य निर्माण कर डालना चाहिए और इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि यह ६०,७० अध्यापक कहीं भूखों मर जायेंगे और इस प्रकार उनके खून से अपने देश का भविष्य उज्जवल बनाइये। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यह नामुमकिन है कि अध्यापक इस तरह से सड़ते रहें और हमारा मुल्क उन्नति कर सके। इस लिये मैं वक्त के हो जाने की वजह से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों की तरफ वह ध्यान देने की कृपा करेगी।

इसके बाद मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं और वह प्लानिंग के बारे में है। सरकार ने प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ कहा है कि हमारा मुल्क और हमारे मुल्क का भविष्य पूरी तरह से इसके ऊपर निर्भर करता है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी प्लानिंग स्कीम पूरी तरह से रुपये की उम्मीद के ऊपर और उसके उपलब्ध करने के ही ऊपर आधारित की जाती है। मैं सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो उनका तरीका है कि रुपये के ऊपर प्लानिंग का ख्वाब देखना चाहते हों, तो यह चीज गलत है। कोई भी चीज खाली लफ्जों के कहने पर ही या महज कागजों पर अंकित कर देने से ही नहीं बना करती है, बल्कि वह उसके असली प्रमाण के आधार पर बनती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा देश गरीब नहीं है, हमारे देश को जरूरत नहीं है कि किसी से कर्जा ले। हमारे देश में साढ़े तैंतीस करोड़ की आबादी ऐसी है जो अगर काम करे तो एक साल के अन्दर देश का नक्शा बदल कर रख दें। जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे तरीके अख्तियार करें जिससे कि हम इस ख्वाब को सही बनाने की चेष्टा करें। इस लिये उदाहरण की जरूरत होगी, जोकि प्रत्यक्षरूप में जनता के सम्मुख आने चाहिए। मैं गवर्नमेंट के सामने और माननीय सदस्यों के सामने एक सुझाव रखते हुए अपनी जगह पर वापस बैठ जाऊंगा और वह सुझाव यह है कि हमारे मन्त्री महोदय स्वयं जाकर किसी जिले में रहें, तब उनको मालूम होगा कि जो प्लानिंग आफिसर्स हैं, वह अपना कर्तव्य ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। वह फाइलों का ढेर तो अवश्यक लगा देते हैं और बड़ी बड़ी रिपोर्ट भेजते हैं, परन्तु सही रूप में काम नहीं होता है, इसके लिये यह जरूरी है कि वह गांव में जायें और वहां स्वयं अपने हाथ में कुदाली लें, उनके हाथ में फावड़ा हो और वे लोगों से कहें कि आओ इस तरह से काम करें, और वह तब ही होगा, जबकि हमारे जो मन्त्री हैं, वह एक एक जिले में अपना हेडक्वार्टर बनालें। सिवाय पन्त जी और हाफिज मोहम्मद इब्राहीम जी को छोड़ कर जोकि बुजुर्ग हैं, बाकी जो २६ मन्त्री हैं, वह दो दो, तीन तीन जिले बांट लें और वहां अपना हेड क्वार्टर्स बना ले और स्वयं कार्य की निगरानी करें तो आप देखेंगे कि वहां आपके इशारे पर रुपया आयेगा और उनके इशारे पर हजारों और सैकड़ों की तादाद में लोग आयेंगे और आपके इशारे पर स्कूल खुल जायेंगे। इस चीज को शुरू करने के बाद ही यह सब काम आसान हो जायेंगे। अन्त में, मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे क्षमा मांगते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

[कौंसिल की बैठक १ बजकर ७ मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हो गयी और अवकाश के पश्चात २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।]

डिप्टी चेयरमैन--समय बहुत कम है इसलिये मैं मेम्बरों से अर्ज करूंगा कि वह बहुत कम समय अपनी तकरीरों के लिये लें।

*श्री हयातुल्ला अन्सारी—माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, पहले तो मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा उस बजट पर, जोकि उसने हाउस के सामने पेश किया है। यह मुबारकबाद उस तरह की नहीं होगी, जैसा कि अपोजीशन के एक मेम्बर साहब ने कहा कि पहले मुबारकबाद, बीच में कड़ी आलोचना और फिर मुबारकबाद। बजट तो मैं समझता हूं कि एक रेल की तरह है, जिसमें कि बहुत सी चीजें जोड़ दी गयी हैं और ये एक जगह मिल गयी हैं। मगर यह बात दूसरी है कि कहीं पर उसमें फैन नहीं है, कहीं पर बिजली नहीं है, इस तरह की छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। चूंकि वक्त बहुत कम दिया जा रहा है, इसलिये मैं बजट पर कुछ ज्यादा तो कहूंगा नहीं, लेकिन एक बदनाम जबान उर्दू के बाबत कुछ अर्ज करना चाहता हूं। यानी मेरे उर्दू का नाम लेते ही यह समझने की गल्ती हो सकती है कि मैं हिन्दी के खिलाफ कुछ कहूंगा। लेकिन मैं खुद सन् १९३८-३९ में हिन्दी का एक तालिबइल्म रहा हूं और हिन्दी का मुखालिफ कभी भी नहीं रहा और अब तो हिन्दी यहां सरकारी जबान बना दी गयी है।

दूसरी बात यह है कि मैं एक उर्दू का तालिबइल्म हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे भी उर्दू तालिबइल्मों से ज्यादा काबिल हिन्दी में निकलें। जबकि हिन्दी सरकारी भाषा हो गयी है तो उसकी पोजीशन ऐसी ही होगी। हिन्दी को राजगद्दी मिल गयी मुझे खुशी है। लेकिन उर्दू को इस तरह से अलग कर देना भी ठीक नहीं था। एक नौसेरवां का किस्सा है। ईरान के शहनशाह ने एक महल बनवाया। वह बड़ा शानदार महल था। उस वक्त दुनियां के २ या ३ महलों में वह एक ही था। एक दिन रोम का एमबेस्डर वहां आया। उसने देखा कि महल की दीवार टेढ़ी है। उसने पूछा कि यह दीवार क्यों टेढ़ी है। गाइड ने बताया कि साहब इस जगह पर एक छोटा सा झोपड़ा है और उसमें एक बुढ़िया रहती है। बादशाह ने जब महल बनाया तो उस बुढ़िया से कहा कि यह झोंपड़ा हमको दे दे। उसने कहा कि महल तुझे प्यारा है और झोपड़ा मुझे। बादशाह ने कहा कि इसको बेंच दो और जितनी अशर्फी चाहो तुमको हम देंगे। उसनें जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं बेंचेगे। इस तरह से बादशाह की तमाम ताकत उस बुढ़िया के सामने बेकार हो गयी। इसलिये यह दीवार यहां पर टेढ़ी है। उस एमबस्डर ने कहा कि चाहे महल गिर जाय और बादशाहत खत्म हो जाय, लेकिन यह किस्सा नहीं मिटेगा। यही मैं हिन्दी वालों से कहूंगा कि आपने हिन्दी का एक राजमहल ऊंचा किया, मगर क्या यह ठीक नहीं था कि उर्दू को एक झोंपड़े की तरह रहने दिया जाता। अब मैं उर्दू का केस बयान करता हूं। हमारे कांस्टीट्यूशन में १४ जबानें मानी गयी हैं, उनमें से एक जबान उर्दू भी है। यह झगड़ा कि उर्दू फोरैन लैन्गुवेज है, अब खत्म हो जाता है। जवाहर लाल जी ने अमृतसर में एक तकरीर में कहा था कि उर्दू यू० पी० और दिल्ली में पली है और वहां बोली जाती है, यह कहना कि उर्दू पाकिस्तान की मिल्कियत है, फजूल है। लेकिन यू० पी० में पोजीशन यह है कि इस वक्त प्राइमरी स्कूलों में उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाती है। बल्कि उर्दू जानने वाले को मजबूरी है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये हिन्दी पहिले सीखें। ज्यादा वक्त नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि यह कैसे और क्यों कर हुआ। गवर्नमेंट ने जो बयान किया था, उसके बरखिलाफ मिस्टर सिनहा ने एक सरकूलर निकाला और उससे उर्दू की तालीम बन्द हो गयी। यह सरकूलर बहुत ही बदमजा किस्म का है, पढ़कर जरूर दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन एक मुस्कुराहट भी आ जाती है। इस सरकुलर का नतीजा यह हुआ कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है, जहां बच्चों की इब्तदाई तालीम उर्दू में हो। सन् १९४८ में गवर्नमेंट आफ इंडिया का एक सरकुलर निकला था, जिसमें सूबों से इस बात की इल्तिजा की गयी थी कि बेसिक एजूकेशन मदर टंग में होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी सूबे में बच्चों की मदर टंग सरकारी जबान में न हों और वहां अगर ४० या १० स्टूडेन्स ऐसे हो जो कि सरकारी जबान में बेसिक एजूकेशन न लेते हों, तो उनका अलग इन्तजाम किया जाय।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--१० स्टूडेन्स के बारे में कहां लिखा हुआ है।

श्री हयातुल्ला अन्सारी--मैं उस सरकूलर को पूरा ही पढ़ कर सुनाये देता हूं:

"The medium of instruction and examination in the junior basic stage must be the mother tongue of the child and where the mother tongue is different from the regional or State language arrangement must be made for instruction in the mother tongue by appointing at least one teacher provided there are not less than 40 pupils speaking this language in the whole school or 10 local pupils in the class. The mother tongue will be the language declared by the parent or guardian to be the mother tongue."

दूसरी बात यह भी है--

"I am directed to say that the Government has ordered that Hindi should be the compulsory subject in all primary schools. There is no objection to the teaching of Urdu but it should be only an optional subject if any institution wants to teach it. All students irrespective of caste and community must therefore learn Hindi and it should be *via media* in teaching other subjects of the curriculum."

मदर टंग के लिये मैं यह भी बताता हूं कि मदर टंग का यह मतलब नहीं है कि जिसमें मां बोलती हो, बल्कि वह लिट्रेचर मदर टंग कहलाता है, जो उसको घेरते हों, जो उसके चारों तरफ एटमासफियर हो। अगर यह कहा जाय कि जिसमें मां बोलती है, वह मदर टंग है तो फिर यहां २०,२५ जबानें होंगी। मतलब यह है कि जिस जबान से बच्चों का रिश्ता नाता हो, गवर्नमेंट ने वायदा किया था कि कि सिम्पैथिटिकिली गौर किया जायगा, लेकिन वह वायदा पूरा नहीं हुआ। चूंकि वह वक्त एलेक्शन का था, बड़ा टेढ़ा वक्त था, हर आदमी की नाक पर टेढ़ा चश्मा था, हर आदमी टेढ़ा देखता था, इसलिये मैं उस जमाने के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इन बच्चों की तालीम उर्दू में हो, इसलिये कि उनके मां बाप उर्दू में बोलते हैं। अगर हमारे बच्चे वह जबान न समझ सकेंगे, जिसमें हम बोलते हैं या बहस करते हैं तो वह जो तमाम रवायात हैं, वह सब खत्म हो जायेंगी। और वे बच्चें कुछ न समझ सकने की वजह से जाहिल हो जायेंगे, उनके दिमाग सिकुड़ जायेंगे। हर लफ्ज जो हम अपनी जबान से निकालते हैं, बड़ा कीमती होता है और अगर बच्चा उनको न समझेगा तो एक-तिहाई बच्चे दिमागी अपाहिज पैदा होंगे। वैसे कुछ और बातें उर्दू के बारे में कही जाती हैं, लेकिन वह गवर्नमेंट की तरफसे नहीं हैं। मैं चन्द बातों पर रोशनी डालना चाहता हूं। एक तो यह कहा जाता है कि वह फिरकेवारियत है, दूसरी बात कही जाती है कि वह मुसलमानों की जबान है।

मैं अखबार का काम करता हूं, बहुत से अखबारों के बारे में मैं जानता हूं। यह बातें जो अखबार कहते हैं वह ज्यादातर एन्टी मुस्लिम और एन्टी इसलाम हैं। इन्हीं अखबारों ने दिल्ली के सिकन्दर और राज का किस्सा उठाया था, जिसमें एक मुसलमान मारा गया था। इसके बाद मैं कैसे समझ लूं कि उर्दू मुसलमानों की जबान है। खुद मेरा तजुर्बा है, जब मैं यूनिवर्सिटी से निकला तो मैं अखबार का एडीटर बना। मुझसे कहा गया कि मैं कम्यूनिज्म की मुखालिफत करूं, चुनान्चे मैंने कम्यूनिज्म के खिलाफ लिखना शुरू किया और आज भी उसकी मुखालिफत करता हूं। क्या आप कह सकते हैं कि मैंने गंगा में नहा कर गन्दे नाले में नहाया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि गवर्नमेंट की जानिब से ऐसी कोई बातें नहीं हुयीं। अगर यह मैं मान भी लूं कि उर्दू मुसलमानों की जबान है तो फिर उर्दू मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिख सकती, मगर जितना चाहिए लिख लीजिए उर्दू में, मुसलमानों के खिलाफ। मेरे एक दोस्त ने बताया कि मैं अपनी जबानी में आर्य समाज का एक वर्कर था, उन्होंने कहा कि जब मैं आर्यसमाज का काम करता था तो आधा लिटरेचर आर्य समाज का उर्दू में तैयार होता था। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी के प्रचार के लिये भी आधा लिटरेचर उर्दू में ही

तैयार किया जाता था। तो अगर किसी मजहब की जबान उर्दू हो सकती है तो वह है आर्य समाज या क्रिश्चियनिटी। मैं सिर्फ यह इसलिये कह रहा हूं कि जो बदगुमानी हैं वह दूर हो जाये।

अब तक जो कुछ हुआ है उसकी मुझे शिकायत नहीं, इसलिये मैंने बताया कि बहुत एब्नार्मल जमाना था हर बात टेढ़ी नजर आती थी। उस जमाने में वह आपोजीशन के दोस्त जो अपने को उर्दू का प्रचारक कहते हैं, वह भी उर्दू के लिये आवाज नहीं उठा सकते थे। लेकिन अबतो बच्चोंकी तालीम मदर टंग में होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जिसको बापू की सरपरस्ती हासिल है और जिसके लीडर जवाहर लाल जी हैं, इस बात का ख्याल रखेगी कि बच्चों की तालीम मदर टंग में होना निहायत जरूरी है। आखीर में मैं मिल्टन का एक जुमला कहना चाहता हूं "lift not thy spear against the music power" हमारा उर्दू लिटरेचर कोई मामूली लिटरेचर नहीं है। इसके जरिये से हम पाकिस्तान के दिमाग पर भी एक असर डाल सकते हैं। उर्दू के सबसे बड़े पोयट्स और राइटर्स हिन्दोस्तान में मौजूद हैं। सबसे बड़े शार्ट स्टोरी राइटर्स, उर्दू के सबसे बड़े क्रिटिक्स हिन्दोस्तान में मौजूद हैं। अगर उनको लिया जाये तो पाकिस्तान के दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ सकता है।

आखीर में "lift not thy spear against the music power" का तर्जुमा यों करता हुआ मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा "सरस्वती देवी के हाथ में जो कमल का फूल है उसकी हर एक पत्ती प्यारी होनी चाहिए"

श्री लालता प्रसाद सोनकर—अध्यक्ष महोदय, हम बजट पर दो रोज से विचार कर रहे हैं। आज उसका तीसरा दिन है मुझे बोलने की इसलिये आवश्यकता हुई कि दो रोज की बहस सुनने के बाद मैंने यह देखा कि किसी भी माननीय सदस्य ने हरजनों के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा इसलिये मैं विशेष रूप से अपना विचार हरिजनों के सम्बन्ध में व्यक्त करूंगा। वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट के भाषण में हरिजनों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे हैं। मैं उनके शब्दों के पढ़ने के बाद अपने विचार व्यक्त करूंगा। "अब मैं कुछ शब्दों में उन कार्य-वाहियों को बतलाऊंगा जो हमने जनता के वर्गों और समाज के कुछ विभागों की अक्षमताओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिये की है। हमने पिछड़ी हुई जातियों की सहायता के लिये प्राविंशियल हरिजन सहायक आफीसर के अधीन एक विशेष हरिजन सहायक विभाग खोला है। हमने हरिजनों की भलाई के लिये बनी हुई योजानाओं के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये एक प्राविंशियल हरिजन बोर्ड की स्थापना की है। हमने उन जातियों क लोगों के लिये शिक्षा की विशेष सुविधाओं और नौकरी दिलाने की अवसरों की व्यवस्था की है उन सब सरकारी नौकरियों में से १० प्रतिशत नौकरियां जिनमें सीधी भरती होती है, हरिजनों और अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित रखी गयी हैं" बजट में केवल २६ लाख रुपया हरिजनों के लिये ५२–५३ के साल के लिये रखा गया है।

एक आवाज—नहीं ५० लाख है।

श्री लालता प्रसाद सोनकर—मैं केवल उन हरिजन जातियों के लिये कह रहा हूं जो हरिजन विभाग की ओर से प्रकाशित की गयी हैं कि जिनकी संख्या केवल ६२ है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मेरा विश्वास ही नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि उसमें अवश्य ही परिवर्तन किया जाय। हरिजन का लड़का जब पढ़ लेता है तब वह अपने बाप दादों के पेशों से नफरत करने लगता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि वर्तमान शिक्षा के अलावा उन्हें पैत्रिक व्यवसाय शिक्षा भी साथ ही साथ दी जाय। वर्तमान शिक्षा प्रणाली घृणा पैदा करती है। मैं देखता हूं कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनमें से १० प्रतिशत को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कारण ही लड़कों में नयी बातें कोई नहीं आती हैं। सिवाय नौकरी के और वे कुछ करना नहीं चाहते। इसलिये मैं चाहता हूं

[श्री लालता प्रसाद सोनकर]

कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाय। सरकार यदि अलग उनके लिये स्कूल या कालेजेज नहीं खोल सकती तो वर्तमान स्कूल और कालेजेज में ही ऐसा परिवर्तन करे कि २ घंटे वे अपने बाप दादों के पेशे को सीखें। उदाहरण के लिये मैं आपके सामने कुछ पेशों की बात रखना चाहता हूं। दाईगीरी का पेशा ऐसा पेशा है, जिसको दूसरे लोग अब अपनाने लगे हैं। धानुष धानुष ही रह गया है और दूसरे लोग अस्पताल में जाकर और दूसरी जगहों में जाकर उनका काम करने लगे हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। चमार जब पढ़ लेता है तब वह अपने को चमार कहने में शरमिन्दा होता है। और फिर वह अपने पेशे का काम भी नहीं करता और पेशे के काम को बुरा समझने लगता है। इसी तरह से भंगी जब पढ़ लेता है तब वह अपने को भंगी कहने में शरमाता है। इसलिये मैं कहता हूं कि भंगी पेशा और चमार पेशा ये सब स्कूलों में सिखाया जाय। इससे वे न तो शरमायेंगे न झिझक सकेंगे। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक हमारी असली शिक्षा नहीं होती है। अगर ऐसा हो जाता है तो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डस और म्यूनिसिपल बोर्ड स में अच्छी तरह काम कर सकेंगे और इस प्रकार से सेनेटरी इन्स्पेक्टर से लेकर हेल्थ आफिसर तक का काम पा सकेंगे। शिक्षा का तात्पर्य यह हो कि वह अपने पैत्रिक पेशे को न भूलें और उससे नफरत न करें। मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह इसकी ओर ध्यान दें क्योंकि इससे देश की आर्थिक हालत बहुत सुधर सकती है। मेरा ख्याल है कि बापू जी का बतलाया हुआ मार्ग ही अछूतों की शिक्षा का सबसे अच्छा मार्ग था। वे अपने को स्वयं भंगी कहा करते थे। लेकिन आज शिक्षित भंगी को भी अपने को भंगी कहते हुए शर्म मालूम होती है। यदि आजकल स्कूलों और कालेजों में हरिजनों को उनकी प्राचीन परिपाटी के अनुसार ही शिक्षा दी जाय तो वह अपनी जात्ति बतलाने में संकोच नहीं करेंगे जैसा कि वह अभी संकोच करते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक ईसाई या मुसलमान चमार अपने को चमार बतलाने में संकोच नहीं करता। लाल मंगी भंगी जो कि मुसलमान भंगी होते हैं वह अपने आपको अपने समाज में अपनी जाति बतलाने में संकोच नहीं करता है। लेकिन एक हिन्दू भंगी या चमार अपनी जाति को समाज में बतलानें में संकोच करता है। आज जबकि स्वराज्य हो गया है और देहातों में हरिजन लोग अपने दरवाजों पर चारपाइयों पर बैठते हैं तो सवर्ण हिन्दू उसको बुरा समझते हैं। वह लोग उनसे नफरत करते हैं। पहली जुलाई के सिलसिले में, मैं देहातों में गया था, मैंने देखा कि बहुत से आदमी शिकायत करते थे कि अब तो स्वराज्य हो गया है, हमको अब भी बराबरी का हक नहीं मिल रहा है। अब भी हमको कुओं पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। मन्दिरों में घुसने नहीं दिया जाता है, और अपने घरों के सामने भी चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्रियों से यह निवेदन करूंगा कि बने हुए कानून ठीक तौर से अमल में लाये जायं, जिससे देहातों में हरिजन लोग भी यह महसूस करने लगें कि अब वाकई स्वराज्य आ गया है और उनकी भी बराबरी के हक मिल गये हैं।

श्री श्याम सुन्दर खान—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस एक्सीलेंट और प्रोग्रेसिव बजट पेश करने के उपलक्ष्य में माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देता हूं। उसमें सिंचाई और बिजली की योजनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जो कि कार्यान्वित होने पर प्रदेश के लिये बहुत हितकर सिद्ध होगी। सिंचाई के बारे में मुझे कुछ कहना है। इस सम्बन्ध में जो रिहन्डाम की स्कीम जो सरकार की है, वह बहुत बड़ी स्कीम है। इस पर लगभग ३५ करोड़ रुपया व्यय होगा। इसके तैयार हो जाने पर मिर्जापुर, बनारस, बलिया, गाजीपुर, हमीरपुर, और फैजाबाद वगैरह जिलों में, सिंचाई और बिजली की व्यवस्था हो जायेगी। वहां उद्योग धन्धे में काफी तरक्की हो सकेगी। इसके लिये बजट में केवल १० लाख रुपया प्रोवाईड किया गया है। मेरे ख्याल से यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से यह सहायता के लिये प्रार्थना करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस स्कीम को कामयाब बनाना चाहिए।

दूसरी स्कीम ४४० टयूववेल्स बनाने की है, जिसमें १०० पश्चिमी जिलों में २५० मध्यमी जिलों में और ९० पूर्वी जिलों में, बनाने की व्यवस्था सरकार सोच रही है। दो वर्ष पहिले

एक कम्पनी से इसके लिये एग्रीमेंट हुआ था और उसके अनुसार नवम्बर के अन्त तक यह कार्य समाप्त हो जाना चाहिए परन्तु अभी तक आधे भी नहीं बन पाये हैं। मेरा सुझाव है कि उनको पहिले बन जाना चाहिए जिससे पूर्वी जिलों की कुछ न कुछ सहायता हो जायेगी। पूर्वी जिले त्रस्त जिले हैं, वहां पर सिंचाई की सुविधा न होने के कारण हानि पहुंचती है। सरकार ने वहां के लिये एक हजार ट्यूब वेल्स की योजना बनायी है। यह बहुत अच्छी योजना है, इसे शीघ्र ही कार्यान्वित होना चाहिए।

अब मैं शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। इस समय लखनऊ में लाटूस रोड पर एक होस्टल उनके लिये है। इस इमारत का किराया सरकार देती है। उसमें केवल १५ विद्यार्थियों के रहने की जगह है, परन्तु पिछले सेसन में उसमें करीब ३० छात्रों को किसी न किसी तरह रहना पड़ा। जगह की कमी से कारण कुछ कमरे एक मन्दिर से लगे हुए चांदगंज के पास लिये गये। लेकिन दोनों जगहों में मिलाकर इतनी जगह नहीं है कि सब लड़के अकमोडेट हो सकें। अब तो दिन प्रति दिन इन लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि एक बड़ा परमानेंट होस्टल लखनऊ में जरूर होना चाहिए। इसके लिये सरकार को बजट में प्राविजन करना चाहिए। अगर यह इस बजट में न लिया जा सकता हो तो सरकार कोई दूसरा इन्तजाम करे जैसे एक बड़ी बिल्डिंग किराये पर ले ली जाय ताकि उनके रहने और पढ़ने का ठीक प्रबन्ध हो सके।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री के इस प्रथम बजट पर मुझे प्रसन्नता है। यद्यपि यह घाटे का बजट है परन्तु तब भी इससे बहुत से फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि जब यह घाटे का बजट है तो हम अपने सारे खर्चे के बजट को बहुत देख भाल कर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह धारणा इस सारे साल जारी रहेगी। कुल सवा चार करोड़ का घाटा है हमारे सूबे की आबादी साढ़े ६ करोड़ है इस हिसाब से १२ आना फी व्यक्ति यह घाटा है। मुझे याद आता है कि गांधी जी ने एक बार यह कहा था कि हर नागरिक के मलमूत्र से कम से कम दो रुपये का खाद तैयार किया जा सकता है। मैंने स्वयं इसका परीक्षण किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रति व्यक्ति को मेरे घर में इससे ८ रुपया ५ आने की आमदनी है। महज मलमूत्र खाद्य से यदि इसमें से खर्च कम कर दिया जाय और जो रुपया लगा है उसका सूद काट दिया जाय और इस हिसाब से कुछ काट दिया जाय कि शायद ज्यादा लिया होगा तब भी चार रुपया फी व्यक्ति यह आमदनी हो ही सकती है। इस प्रकार २५ करोड़ रुपये की आमदनी हमारी सरकार को हो सकती है। सिन्दरी के कारखाने में बहुत बड़ा खर्च करके जो खाद मिलेगी वह उपयोगी नहीं होगी और इससे जमीन को जो कुछ फायदा होगा उससे कहीं अधिक फायदा उस खाद्य से होगा। इस खाद को पैदा करने में गांव की सफाई होती है। मेरी प्रार्थना है कि इस तरफ सरकार ध्यान दे और गांव के अन्दर स्थिर पाखाने भी बनवा दिये जायं, तो यह अधिक सुविधाजनक होगी। जो लोग गांव से आये हैं वे जानते होंगे कि गांव में पाखाने न होने के कारण स्त्रियों को कितनी तकलीफ होती है। उनको जंगल में जाने के लिये कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। इस तरफ यदि आप ध्यान देंगे और इस तरीके को अपनायेंगे तो मेरा यह दावा है कि शहरों की किसी भी साफ टट्टी से हमारे घरों की टट्टी अधिक साफ होगी। इससे राज्य का अधिक फायदा होगा।

ग्राम उद्योग की ओर भी इस बजट में ध्यान दिया गया है। किन्तु ग्राम उद्योग का बजट तब तक सफल नहीं होगा जब तक सरकार स्वयं अपने कामों के लिये यहां के सामान न खरीदें। सरकार को इस पर गौर से सोचना चाहिए। अगर वह सच्चे दिल से ग्राम उद्योग की तरक्की चाहती है तो ग्राम उद्योग से पैदा किये हुए सामान को काम में लाये। सरकार अपने लिये जो कपड़ा खरीदती है। उसमें सर्वप्रथम स्थान खद्दर को मिलना चाहिए। इस प्रकार ग्राम उद्योग जो गांवों में चलते हैं उनसे पैदा हुए माल की तरफ सरकार का ध्यान अवश्य जायेगा ऐसी मेरी इच्छा है।

[श्री पूर्ण चन्द विद्यालंकार]

आज तो ट्रैक्टर की ज़रूरत है । जो लोग गांव का कुछ भी अनुभव रखते हैं उनको पता है कि इन ट्रैक्टरों से हमारे किसानों की क्या हालत हो जायगी । बैल बेकार हो जायंगे। बैल महादेव की सवारी है जब महादेव की सवारी नष्ट हो जायगी तो महादेव नाराज हो जायंगे । किसान महादेव है और बैल उसकी सवारी है । इस तरह से गांव की जो धारणा है वह नष्ट हो जायगी और इससे फिर बरबादी ही बरबादी आयेगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो पुराने तरीक़े हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है अब मैं गांव की तरफ दृष्टि डालना चाहता हूं । गांव की जो रैयत है, तेली, नाई, जुलाहा, बढ़ई, मैं इनको रैयत ही कहूंगा, इनको गांव से बाहर कर दिया गया है। इससे ग्राम उद्योग नष्ट हो रहा है और ग्राम की रक्षा पंक्ति भी नष्ट हो रही है चोर और डाकुओं को गांव को लूटने का अच्छा मौक़ा मिल रहा है । इससे जनता को बड़ा कष्ट हो रहा है । एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं । रूस, चीन या और देश जहां जीवन को बराबर पैमाने पर लाने का प्रयत्न हो रहा है । वहां यह जरूरी समझा गया है कि कम से कम तनख्वाह और बड़ी से बड़ी तनख्वाह में यह अनुपात कम से कम रहे । रूस में १० है, चीन में इससे भी कम है, मगर हमारे भारतवर्ष में १०० से अधिक है । मैं समझता हूं कि छोटा आदमी जिसके बच्चे पढ़ते हैं वह यह चाहता है कि उसके बच्चे भी बड़े आदमी के बच्चे के बराबर हों । मैं चाहता हूं कि बड़ी तनख्वाहों और छोटी तनख्वाहों के बीच जो अनुपात है वह धीरे धीरे कम हो जाये । बजट में इस बात का ध्यान तो रखा गया है लेकिन मैं इसकी ओर सरकार का ध्यान और दिलाना चाहता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष का भविष्य उजज्वल हो गुलामी के समय में हमारे शरीर में, हमारे भारत के शरीर में जो कमजोरियां थीं, जो रोग थे वह बहुत जल्द दूर हो जायं ।

विश्वास रखिये कि वह पूर्ण नष्ट होने के लिये बाहर आये हैं और वह नष्ट हो जायेंगे। हमारा यह भी विश्वास है कि दुनियां के नैतिक आन्दोलन का नेतृत्व कर सकेंगे। जरूरत इस बात की है कि हमारे अन्दर हिम्मत हो, हमारे अन्दर विश्वास हो और हमारे अन्दर देश के लिये पवित्रता हो तो यह बजट हमें उस तरफ अवश्य ले जायेगा यह हमारी आशा है।

श्री जगन्नाथ आचार्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है इसलिये मैं थोड़े में ही अपने पूर्वी जिलों की कुछ समस्यायें बयान करूंगा मैं आपके द्वारा उन समस्याओं को सरकार के सामने रखना चाहता हूं । हमारे हाउस का विश्वास है कि यह बजट एक उन्नतमय बजट है। हमारे हर्ष का यह विषय है कि इस बजट में सरकार ने कुछ पूर्वी जिलों की तरफ ध्यान दिया और खासकर सिंचाई की तरफ कुछ कार्य भी किया गया है तभी हमारे पूर्वी जिलों की तरक्क़ी होगी । आज आप देखें कि थोड़े से बरसात में वहां चारों तरफ तमाम खेत पानी से भरे रहेंगे और कहीं आ जा नहीं सकते हैं और दूसरी तरफ आप देखें कि ४ महीने वहां धूल ही धूल भरी रहती है, बरसात में तो पानी से वहां की जनता पीड़ित रहती है और बाद में सूखा से पीड़ित रहती है । वहां की दो समस्यायें हैं एक तो सिंचाई योजना सुचारूरूप से कार्यन्वित हो सके और दूसरे अगर वहां सड़कें ठीक तरह से हो जायं तो यह प्रदेश अति उतम प्रदेश हो जायेगा और यहां के जिले विकसित जिले हो जायेंगे। यही नहीं अगर यहां पर घाघरा नदी से पानी लाने का प्रबन्ध किया जाय और जो दूसरी नदियां हैं उनसे पानी लाया जाय और उस पानी का उपयोग कराया जाय तो हमारा प्रदेश एक हरा भरा प्रदेश हो जायेगा और इसके अतिरिक्त दूसरे प्रदेशों को अन्न दे सकने वाला प्रदेश हो सकता है । इधर हमारे गोरखपुर की तरफ तो नहर की योजना गवर्नमेंट ने चलाई है उसमें एक डंडा कैनाल योजना है लेकिन उसके पास ही नैपाल की सरहदें भी पड़ती हैं । उसके बारे में हमारी सरकार और नैपाल सरकार में कोई भी खास फैसला अभी तक नहीं हो सका है और जब इसको बन्द करके नहर से सिंचाई का प्रश्न उठा तो सरकार ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाते हुये यह कहूंगा कि वह उन प्रतिबन्धों को उठाने की कृपा करेगी। दूसरी योजना नारायणी योजना नहर है जो नैपाल की सरहद से निकाली

जायगी अगर नारायणी की नहर चल जाती है तो उससे गोरखपुर, देवरिया दोनों जिलों को फायदा होगा। हमारा गोरखपुर जिले का क्षेत्र एक रियल पैड़ी क्षेत्र है, उससे काफ़ी सहायता मिलेगी और पैड़ी के लिये हमें पानी की नितान्त आवश्यकता है। आप यह नारायणी नहर कार्यान्वित करने की कोशिश करके इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करिये। मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस नारायण नहर की तरफ इस बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ सड़कों का उसमें ज़िक्र है, लेकिन वह काफ़ी नहीं है। सड़कों का हमारे जिले में काफ़ी विकास होना चाहिये। हमारे पूर्वी जिलों में कई जगह ऐसी हैं कि अगर वहां बरसात हो गई तो उस समय में कई थाने ऐसे हैं, कि वहां के थानेदार को किसी गवर्नमेंट कार्य के लिये, जिसमें कि जाना जरूरी होता है, रुक जाना पड़ता है।

(इस समय २––४५ पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

हमारी सरकार ने जिस ढंग से यह बजट हमारे सामने रक्खा है, उससे साफ मालूम होता है कि हमारी सरकार दृढ़तापूर्वक योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, इसमें तो जरा भी शुब्हा नहीं है, साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट के जितने माननीय मंत्री हैं उनके तथा उच्च कर्मचारियों के कार्य में कोई कसर नहीं है, लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, जो जिलों में छोटे, बड़े कर्मचारी हैं उनके कार्य की ओर कुछ विशेष ध्यान नहीं देना चाहती है।

मैं गोरखपुर का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां के सड़कों की जो हालत है वह अत्यन्त सोचनीय है, उनमें गड़े पड़ गये हैं और उनकी बुरी हालत हो गई है। इसलिये गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज लोग कहते हैं कि जो कुछ भी काम नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है और अगर कांग्रेस सरकार, कोई भी काम करना चाहती है तो वह वोट लेने की गरज से करती है। महीने, डेढ़ महीने की बात है कि कांग्रेस वालों ने गोरखपुर में एक सफाई सप्ताह मनाने की कोशिश की तो इस पर बहुत जोरों से चर्चा की गई और अखबारों में भी यह बात प्रकाशित हुई कि चुनाव में अपने पक्ष को जिताने के लिये यह सब किया जा रहा है। इस तरह से काम नहीं चल सकेगा। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे जहां तक हो सके सरकार के कामों में अपना सहयोग दें।

शिक्षा मंत्री––श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा से संबंधित हर पहलू पर इस भवन के हर सदस्य द्वारा कुछ न कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्या बात और होनी चाहिये, इन सब की तरफ ध्यान दिलाया गया है। इन सब बातों को सुन कर मुझे इस बात को कहने में खुशी हो रही है कि भवन के कम से कम उन सदस्यों ने जिनका कि शिक्षा से स्पष्ट संबंध है, इस पर प्रकाश डाला है। मैं यहां यह तो कहने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि हमें इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन हां, इतना अवश्य कह सकता हूं कि जो भी प्रयत्न किया गया है, उसमें उतनी सफलता जरूर मिली है जोकि सन्तोषजनक है। साथ ही साथ इस बात का भी प्रयत्न होना चाहिये और होगा भी कि जितनी त्रुटियां इसमें हैं उनको पूरा करने का जो कुछ भी और जितना भी सम्भव हो सके, प्रयत्न किया जायेगा। शिक्षा का प्रश्न जो है वह एक बहुत ही कठिन और उलझा हुआ प्रश्न है और दुनिया के सब देशों में इसका उग्र रूप होता जा रहा है। हमारे देश में पहले शिक्षा को बढ़ाने का उतना प्रयत्न नहीं किया गया, क्योंकि बड़े–बड़े विद्वानों से ही यह आशा की जा सकती थी कि वे देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग देंगे और पहले इसीलिये शिक्षा दी जाती थी कि सरकारी काम के लिये उनको तरक्की मिल जाय। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसके बारे में एक उल्टा विचार पैदा हुआ और लड़ाई के बाद से ही जिस तरह दुनिया में सब देशों में शिक्षा की तरक्की हुई तो इस देश में भी इस तरह की भावना उमड़ी कि लोगों का ध्यान शिक्षा की ओर अधिक हो गया। तो हमारी सरकार का ध्यान भी इस उद्देश्य की ओर गया और उसने भी इस ओर एक सफलतापूर्ण क़दम उठाने का

[शिक्षा मंत्री]

प्रयत्न किया । उस समय यदि इसको रोका जाता तो मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वह ऐसी दिशा में जा सकता था जो हमारे लिये बहुत भयावह स्थिति पैदा कर देता। इसलिये सरकार ने यह निश्चय किया कि इस प्रवाह को जो इस समय है, उससे फायदा उठा करके उसको एक ऐसे ढंग पर ले जाया जाय, जिससे अधिक से अधिक लोगों को कम से कम समय में हम शिक्षित कर सकें । कारण भी उसका विशेष यह था कि कोई योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जनता शिक्षित न हो । किसी योजना की सफलता के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो, वह अपने उत्तरदायित्व को अपने अधिकारों को समझे, क्योंकि जब तक किसी योजना को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता है, तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती है । इसलिये थोड़े से वर्षों में आपने देखा कि शिक्षा का कितना प्रसार हुआ । जो हमारी स्थिति पहले थी उससे हम कहीं आगे बढ़ गये हैं । यह निस्संदेह सत्य है कि प्राइमरी शिक्षा में थोड़े ही दिनों में हमने इतना करने को सोचा था कि हमारे गांव के बच्चों को दूर न जाना पड़े, लेकिन इसमें कई कठिनाइयां थीं । आर्थिक कठिनाइयों के अलावा शिक्षकों की भी कठिनाई थी । इसमें भी आप जानते हैं कि कितने ही सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया । हम अपने शिक्षकों को इतना नहीं दे पा रहे हैं जितना सचमुच उनको मिलना चाहिये । मेरी समझ में शिक्षकों का स्थान बड़ा ऊंचा होता है और इनके लिये कुछ होना भी चाहिये । लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि शिक्षा में जो कुछ भी खर्च किया जाता है, चाहे उसका फल कुछ देर में प्राप्त हो, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है और देश के लिये कल्याणकारी होता है । लेकिन फिर भी इससे हम आंखें नहीं मूंद सकते हैं । आज देश की अवस्था क्या है ? इस समय देश अन्न संकट से गुजर रहा है, देश एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, तो आप को यह सोचना होगा कि किस चीज को हम पहले रखें । डा० ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा है कि शिक्षा का बजट सबसे अधिक होना चाहिये और वह है भी । पुलिस का बजट इससे जरूर कुछ ज्यादा है, लेकिन इसका कारण यह है कि यदि देश में शान्ति का वातावरण न रहेगा तो हम किसी को शिक्षा न दे सकेंगे । यह सत्य है कि सारे प्रान्त का वातावरण स्वराज्य प्राप्त होने के बाद दूषित हुआ और अनेकों संकट उपस्थित हुये और पुलिस पर निस्संदेह खर्च हुआ, वह होना ही था और उस पर अधिक रुपये खर्च किये गये, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं हुआ कि सदव ही शिक्षा का बजट कम रहेगा । यदि वह आंकड़े मैं आप के सामने रखूं तो आप देखेंगे कि शिक्षा का बजट किस तरह से बराबर बढ़ता गया । सन् १९३७–३८ में शिक्षा पर १६·४ फी सदी खर्च होता था, जबकि बजट प्रान्त का १२ करोड़ था । सन् १९३८–३९ में वह १६ रहा । सन् १९३९–४० में १५ हुआ और १९४०–४१ में १६ हुआ । यह उस समय की बात है, जब हम स्वतंत्र नहीं थे ।

सन् १९४५ और ४६ में हमारा बजट स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ९.४ रहा, ४६–४७ में वह १० हुआ, ४७—४८ में वह १०·२ रहा । ४८–४९ में १०·५ रहा, ४९–५० में १२·५ रहा, ५०–५१ में १४ हुआ ५१—५२ में १२ हुआ और अब ५२–५३ में १२·३ है ।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—यह पुलिस के बजट से कम है ।

शिक्षा मन्त्री—इसका कारण है, पहले बजट हमारा ५५ करोड़ का था, इस तरह से शिक्षा पर ६ करोड़ १० लाख रुपया सन् १९५० में खर्च हुआ था ।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—लेकिन पुलिस का फिर भी ज्यादा है ।

शिक्षा मन्त्री—मैंने तो बताया कि उसका कारण था । पहले बजट ५५ करोड़ का था उसके बाद वह घट कर ५२ करोड़ का हो गया । इस कारण यह संख्या हो गई । कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के लिये हमारे बजट में कुछ न कुछ बढ़ती होती ही जाती है ।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—पुलिस का परसेन्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है ।

शिक्षा मन्त्री—हो सकता है, अगर बढ़ा है, तो मैं उसका उत्तर दे चुका हूं : ला एन्ड आर्डर की पोजीशन गड़बड़ थी। ऐसी स्थिति में पुलिस का बजट बढ़ना ही था। तभी तो हम शिक्षा दे सकते हैं। आज भी कहा जाता है कि हमारे प्रोफेसर्स की हत्या की जाती है, लड़कों में इन्डिसिप्लिन बढ़ गया है, कोई नियन्त्रण नहीं हो सकता है तो हमारे पास एक ही अस्त्र है, जिससे ला एण्ड आर्डर की पोजीशन ठीक रहे और जिसमें सुचारु रूप से कार्य किया जा सके।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—पुलिस द्वारा विद्यार्थी नहीं सुधारे जा सकते हैं।

शिक्षा मन्त्री—यह तो मैं जानता हूं कि प्रोफेसर्स के द्वारा विद्यार्थी सुधारे जा सकते हैं, लेकिन अगर वह इस काम में सफल न रहें तो दूसरा कौन सा तरीक़ा है। यह तो आप के ही द्वारा हो सकता है, लेकिन अगर आप ही आगे नहीं बढ़ते तो आप ही बताइये कि दूसरा क्या तरीक़ा है ?

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—एक कमेटी एप्वाइन्ट की जाय।

शिक्षा मन्त्री—कमेटी एप्वाइन्ट करने का कोई ताल्लुक़ इस बात से नहीं हो सकता है। दो ही तरीक़े हो सकते हैं—या तो अध्यापक अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लें और अपने बालकों को शिक्षा दें, लेकिन मुझे दुख है कि आज किसी यूनीवर्सिटी में चले जाइये, जितनी भी पोलिटिकल पारटीज हैं, वह इसी बात का प्रयत्न करती हैं कि किसी प्रकार से विद्यार्थियों को अपनी जमात में अधिक से अधिक शामिल कर लें, जिससे हम इस अवस्था में हो सकें कि हमारी गणना एक बड़ी पार्टी के रूप में हो जाय। यह भी प्रवृत्ति हमारे स्कूल और कालेजों में चल रही है। मैं इस विषय पर अपने विचार नहीं प्रकट करना चाहता हूं कि यह कहां तक उचित है या अनुचित है ? जहां तक विद्यार्थियों के नियन्त्रण का संबंध है, वह स्थिति काफ़ी बिगड़ती जा रही है और उसके लिये कोई तरीक़ा सोच कर निकालना ही है, चाहे वह तरीक़ा प्रोफेसर्स का हो, पुलिस का हो या शिक्षा में परिवर्तन करने का हो। लेकिन अगर आप विद्यार्थियों की बात जाने भी दें और देखें कि पुलिस का बजट क्यों अधिक है, तो उसका कारण यह है कि देश के बटवारे के बाद देश की स्थिति क्या हो गई है ?

जहां तक ला एण्ड आर्डर का संबंध था, उस समय हर एक आदमी अपने स्थान पर चिन्तित था। लेकिन अगर हम उस संकट से गुजर पाए हैं तो मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा हाथ पुलिस का और हमारे सरकारी कर्मचारियों का था। अगर थोड़े दिन के लिए पुलिस के बजट की मात्रा शिक्षा के बजट से अधिक हो तो यह कोई निन्दा की बात नहीं है। अगर आप बजट के आंकड़े को देखें तो आपको मालूम होगा कि इस में प्रति वर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है। लेकिन यह कहना कि यह पर्याप्त है, मैं आपके सम्मुख ऐसा कहने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं। मैं जानता हूं कि अभी हमारी शिक्षा बहुत पीछे है और संभव है कि इसी में बहुत काफ़ी दिन लग जायें जब हम दुनिया के और देशों की शिक्षा को लेकर, बराबरी का दावा कर सकें। लेकिन प्रश्न तो यह है कि सब चीजों को छोड़ कर शिक्षा पर ही तो खर्च नहीं किया जा सकता। यदि आप का लड़का भूखा है तो उसे आप चाहे जितनी शिक्षा दें, उसके दिमाग़ में कोई चीज़ आने वाली नहीं है। इसलिए यदि आप बजट को एज वन कम्प्लीट होल (as one complete whole) कंसीडर (consider) नहीं करते तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित एप्रोच होगी। हमारे लिए उचित एप्रोच यह है कि हम कुछ बजट को सामने रख कर यह देखें कि हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है, अगर आप यह कहें कि शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता इस कारण है कि इसका बजट सबसे अधिक नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह नितान्त अनुचित होगा। अब रही यह बात कि शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, शिक्षा की एक प्रणाली थी। वह शिक्षा प्रणाली एक स्वतंत्र देश के लिए ठीक नहीं थी। उस प्रणाली से दूसरी प्रणाली में आने में समय का लगना स्वाभाविक था। उसमें भी एक्सपेरीमेन्ट की आवश्यकता होती है। जो थोड़ा समय

[शिक्षा मंत्री]

मिला, उसमें इस बात का प्रयत्न किया गया कि शिक्षा का रूप बदला जाये। आप जानते हैं कि जहां तक माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, उसके लिए एक कमेटी हमारे प्रान्त के एक बड़े भारी एज्यूकेशनिस्ट आचार्य नरेन्द्र देव जी के सभापतित्व में बैठी हुई है। उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाने पर जो कुछ भी संभव होगा वह तो किया ही जायेगा, लेकिन जब हम एक एक्स्पेरीमेन्ट कर रहे हों, जिसमें सभी लोग यह चाहते हों कि शिक्षा प्रणाली इस प्रकार से बदली जाये, जिसमें हम ऐसे लोगों को पैदा कर सकें जो पास होने पर हमारे यहां नौकरियों के लिए न दौड़ें, बल्कि उनमें इतनी आत्म निर्भरता आ जाये कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ कमा सकें। ऐसी प्रणाली की हम और आप खोज में हैं, तो इस बीच में यह कहना कि शिक्षा हमने खराब कर दी, वह किसी काम की नहीं रही, मैं समझता हूं कि यह अनुचित अप्रोच है एक कमेटी बैठी हुई है। कमेटी की रिपोर्ट आ जाने पर उस पर विचार किया जायेगा और उसके अनुकूल जहां तक संभव होगा कार्य किया जायेगा और फिर देखा जायगा कि उसका परिणाम क्या होता है। जैसा मैंने पहले कहा यह एक देश व्यापी समस्या है और हमारे सामने भी है। लेकिन उसका हल उसी तरह से हो सकता है। इसमें संदेह नहीं जो कहा जाता है कि इसमें बड़ी खराबी आ गई है कि लड़के जब इम्तहान देते हैं तभी इक्जामिनर्स के पास पहुंच पड़ते हैं और इक्जामिनर्स भी कुछ समझने लगते हैं। यह भी कहा गया कि शिक्षा का स्तर गिर गया है, हो सकता है। लेकिन जब आप संख्या बढ़ायेंगे तो उसमें परिवर्तन तो जरूर ही होगा। इतनी बड़ी संख्या में जब आप शिक्षा दे रहे हैं तो उसी संख्या में उसका स्तर भी बढ़ा दें, यह नामुमकिन है। उस समय सोचा यह गया था कि एक मोबाइल स्क्वैड क़ायम किया जाय जो घूम-घूम कर शिक्षा दे, उन शिक्षकों को, जो कि स्कूल्स में हैं, ताकि वे अच्छे ढंग से शिक्षा दे सकें। मगर डा० ईश्वरी प्रसाद जी ने मजाक़ उड़ाया। शायद वह भी यही सोचते जब उनसे पूछा जाता, या यह कहते कि टीचर्स को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं, टीचर्स जाकर पढ़ायें। यह कि टीचर्स जाकर पढ़ायें और उनको ट्रेनिंग न दी जाये और अध्यापक के रूप में जाकर स्कूल्स में बैठें, इससे तो अच्छा यह था कि उनको २० ही दिन की ट्रेनिंग दे दें। इस तरह की छोटी-छोटी चीजों को लेकर इसका मजाक़ उड़ाना ठीक नहीं मालूम होता है। यह आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारी युनिवर्सिटीज में पालिटिक्स का भाग सबसे ज्यादा है। पालिटिक्स का एक राजनैतिक अखाड़ा बन गया है। हर एक इस बात का प्रयत्न करता है कि किसी तरह से इस संस्था पर हमारी पार्टी का प्रभुत्व क़ायम रहे। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि यूनिवर्सिटीज के एटानोमी में किसी तरह का दखल न दिया जाय। पोलिटिकल अटानोमी या किसी संस्था की अटानोमी इस सूरत में समझ ली जाय कि उनको आवश्यकता इस बात की नहीं है कि उनके अन्दरूनी मामले में कोई हस्तक्षेप किया जाय, वह इतने ऊंचे शिखर पर पहुंच गये हैं कि उनको इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि युनिवर्सिटी में प्रभुत्व किसी ढंग का रहता हो अगर वह देश की गाड़ी को आगे बढ़ाते जाते हैं, तो इसमें कोई भी सरकार हस्तक्षेप करना नहीं चाहेगी। लेकिन एक तरफ जब सच्चाई यह है कि हमारी यूनिवर्सिटीज अखाड़ा बनी हुई हैं, दूसरी तरफ यह भी कहा जाये कि इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार की तरफ से न होना चाहिये, तो यह दोनों चीजें मेरी समझ में अनुचित ही मालूम होती हैं और मैं समझता हूं कि अब वह वक्त आ गया है जब कि सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिये। क्योंकि आज यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है और उनके भविष्य में ही हमारे देश का भविष्य निर्भर है। हमारे देश के लिये नेता यूनिवर्सिटीज से मिलेंगे और कोई दूसरी संस्था नहीं है, जो देश के लिये नेता बना सके। लेकिन अगर हमारे बालकों को उसमें यह शिक्षा दी जायेगी, मैं जानता हूं कि जब वहां एलेक्शन होते हैं तो वहां पर विद्यार्थी प्रोफेसर्स और रीडर्स पढ़ाई का काम छोड़ करके वोट मांगते हैं। जब कोई व्यक्ति वाइस-चांसलर हो जाता है तो वही होता है और वैसा ही प्रयत्न वहां करते हैं, जैसा कि और जगह, जहां पर वोट मांगे जाते हैं, किया जाता है। इस में कोई संदेह नहीं कि

हम यह चाहते हैं कि इन विश्वविद्यालयों में हमारी सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे। हम उनसे विनय करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंग कि किसी प्रकार वह अपनी स्थिति संभालें। राज्यपाल महोदय ने अभी थोड़े दिन हुये, वाइस-चांसलर्स की एक कानफ्रेंस नैनीताल में बुलाई थी। उसमें विद्यार्थियों की बाबत हम लोग दो दिन तक विचार करते रहे। हम लोग किसी निर्णय पर पहुंचे हैं। वह हस्तक्षेप तो नहीं है, लेकिन वह ऐसा है कि यह बुराइयां जो आ गई हैं, उनको दूर करने का प्रयत्न हम करना चाहते हैं। हमें विश्वविद्यालयों से अनुरोध है कि वह अपनी हालत सुधार लें, लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि अगर स्थिति सुधरी नहीं तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा कि वहां की स्थिति सुधर जाये और अगर हमने ऐसा न किया तो हम अपना कर्त्तव्य पूरा न कर सकेंगे, आपने बजट की स्पीच में पढ़ा होगा कि हमारे लखनऊ और इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों के ऊपर क़र्ज़ा है और हमने उसको अदा करने का वादा किया है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारी कुछ शर्तें भी होंगी। वह क्या होंगी इस समय तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन फिर भी मैं यह चाहूंगा कि किसी प्रकार से हमारे विश्वविद्यालय आदर्श विश्वविद्यालय बनें। जहां तक प्राइमरी और सेकंडरी शिक्षा की बात है, आपने देखा होगा कि जो सेकंड्री एजूकेशन की रिपोर्ट थी, उसमें इस बात की ओर संकेत किया गया है कि जो शिक्षा हम अपने बच्चों को अभी तक देते थे, उसमें इस दिशा की ओर बिलकुल ही प्रयत्न नहीं होता था कि बच्चों को उद्योग धंधों की ओर लगायें। यह निस्संदेह सत्य है कि हम इस ओर जाने में सफल नहीं हुये। इसलिये सफल नहीं हुये कि पुराना वातावरण जो शिक्षा का चल रहा था, उसमें हमने इस बात का प्रयत्न किया था कि उसको दूसरी दिशा में ले जायें। तो उसमें सफलता धीरे धीरे ही संभव है। यह नामुमकिन है कि थोड़े ही दिन में हम शिक्षा का मार्ग एक तरफ से दूसरी तरफ कर दें। एक बात और है कि हमारे विद्यार्थी यह समझते हैं कि कालेज के विद्यार्थियों की इज्जत टेकनिकल स्कूलों के विद्यार्थियों से ज्यादा होती है। वे यह समझते हैं कि वह विद्यार्थी यूनिवर्सिटी या कालेज के विद्यार्थियों से नीचे हैं। एक तरफ आज के विद्यार्थियों में और जनता में कोई डिगनिटी, एक फेवरिटज्म काम करने के लिये या मेहनत करने के लिये नहीं है और वे इसमें अपनी बेइज्जती की बात समझते हैं। इसीलिये धीरे-धीरे हम चाहते हैं कि प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कालेज तक आज यह प्रयत्न किया जाय कि लोग कुछ उद्योग-धन्धों में भी परिश्रम करें तभी कुछ संभव हो सकता है कि हम अनएम्प्लायमेंट को दूर कर सकें। हमने ऐसा इन्तजाम कर दिया है कि प्राइमरी स्कूल्स में उद्योग धन्धों के काम सिखाये जायं। सेकंड्री स्कूल्स में भी इसका प्रबन्ध हो रहा है। डिग्री कालेज में भी हम चाहते हैं कि इस तरह का प्रबन्ध रहे। जितने प्राइमरी स्कूल्स हमने खोले हैं, उनको अच्छा बनाने के लिये हम निस्सन्देह कोशिश कर रहें हैं। महादेवी जी ने कहा है कि सरकार सब प्राइमरी स्कूलों के लिये बिल्डिंग्स बनवा दे। अगर इसे सोचा जाय और कार्यान्वित करने की चेष्टा की जाय तो मैं समझता हूं कि यह सारा का सारा बजट केवल स्कूल बिल्डिंग बनाने में ही लग जायगा, फिर भी सब न बन पायेंगी। इसीलिये हम चाहते हैं कि यह काम जनता से लिया जाय और इसीलिये हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम जनता के पास जायें और उससे कोशिश करें कि वह किसी प्रकार से, अपने बच्चों की शिक्षा के लिये, जिस प्रकार भी हो सके, स्कूल की बिल्डिंग्स बनवा लें। सरकार के पास यदि कोई धन नहीं है, तो वह टैक्सेज से ही आ सकता है, लेकिन उसके लिये भी हम देखते हैं कि टैक्सेज का काफ़ी विरोध होता है। फिर सरकार को और भी निर्माण कार्य करने हैं, मगर साथ ही साथ अगर शिक्षा को चलाना है तो जनता से अपील करके इसका प्रबन्ध करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है है कि अगर हम जनता से अपील करें तो इसमें सन्देह नहीं है कि जनता से हमको इस तरह से काफी मदद मिलेगी। साथ ही मुझे यह भी उम्मीद है कि इस मामले में विरोधी दल भी हमारी सहायता करेंगे। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि हम जनता के पास जायं और कहें कि आप स्कूल के लिये लकड़ी, बांस और मेहनत की मदद दीजिये, जिससे आप के बच्चों का कल्याण होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि हमारे लड़कों में वह प्रवृत्ति नहीं आयी है कि वे हाथ से काम करने में अपनी इज्जत समझें। सरकार ने इसीलिये तय किया है कि गवर्नमेंट स्कूलों में

[शिक्षा मंत्री]

जैसे सफ़ाई का काम करने का सवाल है, या जहां लकड़ी का काम सिखाया जाता है, या टूटे फूटे सामान के मरम्मत का काम होता है, वह सब हम लड़कों से ही लें और आमतौर से जो मजदूरी मिलती ह, वह उन्हें दें। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि गवर्नमेंट के स्कूल्स जो हैं और जहां फार्म्स हैं, वहां मास्टर्स स्वयं प्रयत्न करें और लड़कों से खेती करायें। उसकी पैदावार में लड़कों को हिस्सा दें, जिससे उनमें यह दिलचस्पी पैदा हो। यह हम करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि भवन के लोग इससे सहमत होंगे। इससे यह होगा कि लड़कों को काम मालूम होगा और वे नौकरी की ज्यादा चेष्टा न करेंगे। नौकरी का देना सब के लिये सम्भव नहीं है। किसी देश में यह नियम नहीं है कि जितने आदमियों को शिक्षा दी जाय उन सब को नौकरी भी दी जाय। हम चाहते हैं कि डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटीज में यह मनोवृत्ति पैदा की जाय। मुझे मालूम है, मेरा एक साथी पांच सौ रुपया लेकर अमरीका गया था। वहां उसने जिमनेजियम सीखा और जब लौटा तो वहां से ६ हजार रुपया कमा कर ले आया।

तो इसका कारण यही है कि वहां डिगनिटी आफ लेबर है। वहां लड़के समझते हैं कि श्रम करने म कोई बेइज्जती नहीं है। लेकिन हमारे देश में यह समझा जाता था कि श्रम करने वाले समाज में सब से नीचे हैं। हमारे यहां इज्जत तो इसमें मानी जाती है जो श्रम बिल्कुल न करे और वह इज्जत वाला आदमी समझा जाता है। यह प्रवृत्ति हमारे देश में है। इस प्रवृत्ति को निकालने का प्रयत्न धीरे-धीरे हो सकता है और धीरे-धीरे करके यह सम्भव हो सकता है। हम उनमें यह प्रवृत्ति पैदा करें कि वह देश के उत्पादन में भाग लेने में अपनी इज्जत समझें।

अभी आपने पढ़ा होगा और मुझे इस बात का दुख भी है। इसके लिये मैं एक प्रेस स्टेटमेंट भी निकालने जा रहा हूं। लेकिन चूंकि मेरा यह पहला अवसर है इसलिये मैं आप के सम्मुख इस सम्बन्ध में बतला दूं और मैं समझता हूं कि यह उचित भी होगा, मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका ध्यान आर्कषित करा दूं। अभी थोड़े दिन हुये मेरा ख्याल है कि ११ जुलाई के नेशनल हेराल्ड में हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर श्री बनर्जी या चटर्जी साहब ने एक बयान दिया कि चूंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में इस साल भर्ती के लिये बहुत से लड़के उत्सुक थे और शायद उनको इस बारे में दुख हुआ कि वह सब लड़कों को अपने यहां भर्त्ती नहीं कर सके। उन्होंने उस बयान में यह कहा कि आज से ६ महीने हुये जब उन्होंने सरकार को यह लिख कर भेजा था कि हम को बायलाजी में एक और सेक्शन खोलने की अनुमति दी जाय, लेकिन ६ महीने हो गये सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। इसलिये हम इतने लड़कों को भर्त्ती नहीं कर सके। ११ तारीख के अखबार में सुबह को जब मैंने इसे पढ़ा तो उसी समय मैंने सेक्रेटरी को फोन किया और यह जानना चाहा कि सचमुच में इस सम्बन्ध में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है। मुझे शक यों हो गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने यहां यह प्रबन्ध कर रखा है कि लखनऊ में जितने भी स्थानीय कालेज हैं, वह सब लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। तो ख्याल यह था कि चूंकि यह यहां के स्थानीय कालेजों से संबंधित है इसलिये लखनऊ यूनिवर्सिटी में भर्ती में कोई दिक्क़त नहीं होगी। यही कारण था कि मैंने इसकी छानबीन करायी, मुझे दुख है कि हमारे यहां अब भी इस संबंध में कोई लिखा पढ़ी लखनऊ यूनिवर्सिटी से नहीं हुई। लेकिन न होते हुय भी उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ। यह जानकर और भी अधिक दुःख हुआ कि जो भी व्यक्ति इस को पढ़ेगा वह यही सोचेगा कि यह सरकार इतनी निकम्मी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ६ महीने हुये यह कहा था कि एक ऐसे सेक्शन को खोलने की अनुमति हमको दी जाय और सरकार की तरफ से उस के लिये कुछ नहीं किया गया तो यह सरकार सचमुच में बड़ी असफल रही है। मैं यह चाहूंगा इसका एक प्रेस स्टेटमेंट ईशू कराऊं, लेकिन सम्भव है कि उन्होंने और कहीं लिखा हो। लेकिन यह एक फैशन सा हो गया है कि सरकार हर एक चीज की दोषी ठहरी। जो उन्होंने यह स्टेटमेंट दे

दिया कि हमने सरकार को ६ महीने पहले लिखा था, लेकिन सरकार की और से कोई उत्तर नहीं आया यह तो आज के विषय की बात नहीं थी फिर भी इस वक्त चूंकि शिक्षा के संबंध में बात चल रही है, तब मने आप को बतला दिया, वरना इसका इस डिबेट में कोई स्थान नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि चूंकि मेरा केवल यह पहला मौक़ा इस स्टेटमेंट को निकालने का था, इसलिये मैंने यह उपयुक्त समझा कि इस स्थिति को इस भवन के सामने साफ कर दूं।

इसमें शक नहीं कि डा० ईश्वरी प्रसाद ने, जो सुझाव हमारे सामने रखे वे सही हैं। वे हमारे प्रान्त के गण्यमान्य विद्वानों में से हैं और उनकी सम्मति का हम आदर करते हैं। हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जितना भी संभव हो सकेगा उसको उस रूप से पूरा करने की कोशिश करें। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने बिला किसी जांच पड़ताल के कुछ ऐसी बातें कही, जिसकी मुझे ऐसे व्यक्ति से आशा नहीं थी। उन्होंने कहा कि यहां तो ओ० एस० डी० की भरमार है। उन्होंने जो कुछ कहा, मैं समझता हूं उसका मतलब यही था कि सरकार ने कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसे आदमियों को रख लिया है जिनकी उसको परवरिश करना है। उन्होंने कहा कि वहां पर काम कुछ नहीं है। एजुकेशन कोड के आफिसर जो आन स्पेशल ड्यूटी हैं, उनका ज़िक्र किया गया। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि सरकार जब किसी आफिसर को आन स्पेशल ड्यूटी मुक़र्रर करती है तो पहले इस बात का विचार कर लेती है कि वहां पर उसकी आवश्यकता है या नहीं है। कोई आफिसर उसी समय रखा जाता है जब कोई कार्य अपूर्ण होता है और वह आफिसर उसी समय तक रहता है जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। एजुकेशन कोड में जिन साहब के बारे में ज़िक्र किया गया है, सचमुच में उन की नियुक्ति सिर्फ एजुकेशन कोड के लिए ही नहीं हुई है। जो लिपी कमेटी बनाई गई है उसी के सबंधं में उन की नियुक्ति हुई है।

Sri Kanhaya Lal Gupta: There was definitely an Officer on Special Duty appointed for this purpose.

शिक्षा मंत्री—तो इस संबंध में उनकी नियुक्ति हुई है। मैं इस भवन के सामने यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी लिपी का काम खत्म नहीं हुआ है। उसके साथ साथ उनको एजुकेशन कोड का काम भी दे दिया गया है और इसके अलावा वह एजुकेशन कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं। तो ये काम हैं जो उनके सुपुर्द किये गये हैं। इनमें से अभी कोई काम भी पूरा नहीं हुआ। मैं आपके सामने यह बात स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं कि मैं कोई बात जनता से या इस भवन के सदस्यों से छिपाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र का सब से ऊंचा सिद्धान्त यही है कि सरकारी पक्ष की तरफ से कोई भी ऐसी बात न हो जो जनता से छिपा कर रखी जाय। जनता को और कम से कम भवन के सदस्यों को ये बातें अवश्य बतला देनी चाहिए। तो यह बात उन्होंने आपके सामने रख दी होती तो मुझे इस लम्ब चौड़े स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन उन्होंने इस बात को आप से छिपाया और उस का एक अंश लेकर के एक सरकार की हंसी उड़ाना चाहा, इस लिये मुझे यह आवश्यकता हुई कि यह चीज आपके सामने में रख दूं।

डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप जी ने कानपुर यूनिवर्सिटी के बारे में कहा। इस विषय में भी हमारे प्रान्त में दो विचार धारायें हैं जिनका संघर्ष चल रहा है। एक और तो यह कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़नी चाहिये और दूसरी और अखबारों में भी इस प्रान्त में भी और दूसरी जगहों में भी यह कहा जा रहा है कि इस संख्या के बढ़ाने में, शिक्षा के लिये, कम से कम, यह हितकर नहीं होगा। पता नहीं, मैं तो कोई इस बात का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कैसे समझूं कि सचमुच किस में हित होगा, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि जितनी यूनिवर्सिटीज इस समय हमारे प्रान्त में है उनके लिये ही जितना धन होना चाहिये, शायद उतना इस समय हमारे पास नहीं है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि दो यूनिवर्सिटीज इलाहाबाद और लखनऊ हैं जिनमें से एक के ऊपर २३ लाख रुपया और दूसरे के ऊपर २० लाख रुपया खर्च हो रहा है। अभी अभी काशी विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर आचार्य नरेन्द्र देव जी से मेरी

[शिक्षा मंत्री]

बात हुई और उनका भी रोना यही था कि उनकी यूनिवर्सिटी भी एक आर्थिक संकट से गुजर रही है बावजूद इसके कि वह एक सेन्टर की यूनिवर्सिटी है लेकिन उन्होंने मुझ से कहा कि यदि इतना रुपया हम को प्रान्त से नहीं मिलता तो हमारा काम भी चलने वाला नहीं है। तो ऐसी अवस्था में क्या यह उचित होगा कि हम इन विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ा दें। बेहतर तो यही होगा कि जो हमारे इस समय विश्वविद्यालय हैं हम उनकी जैसी व्यवस्था चाहते हैं, जिस ऊंचे ढंग की हम चाहते हैं, उन्हें उतना बना दें और फिर यह प्रश्न होगा कि यदि यह हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से हो गई, जैसा कि हम चाहते हैं, वैसी हो गई, जैसी शिक्षा हम चाहते हैं, वैसी शिक्षा इससे मिलने लगेगी, तो हम फिर कुछ आगे जायेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कि कानपुर ही क्या हरएक जिले में एक विश्वविद्यालय हो तो हमारे लिये यह गौरव की बात होगी। लेकिन यह वास्तविक रूप में तभी हो सकता है जब कि हमारे पास धन की कमी न हो और इतना धन हो कि हम इनको कम से कम सुचारु रूप से चला सकें। इसमें सन्देह नहीं कि कानपुर हमारे प्रान्त का बड़ा और सब से बड़ा शहर है और इसके अलावा वह हमारे प्रान्त का एक औद्योगिक केन्द्र भी है, एक इन्डस्ट्रियल सेन्टर भी है, तो शायद जिस समय दूसरे और तीसरे आने वाले हो गये कि जिसमें यह आशा हो कि कोई टेक्निकल या इन्डस्ट्रियल वाले यूनिवर्सिटी खोलें तो हमारे लिये यह गौरव की बात होगी।

लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है कि जब कि हमारे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स की तरफ से भी हमें प्रोत्साहन मिले। दूसरे देशों मे, और मैंने एक किताब भी पढ़ी, अमेरिका में इण्डस्ट्रियलिस्टस यूनिवर्सिटीज जो हैं तो उनके लिये वहां के इण्डस्ट्रियेलिस्ट धन ही नहीं देते हैं, परन्तु वे स्वयं उनको खोलते हैं और उसमें शिक्षा के लिये अपने लड़कों को वहां भेजते हैं, लेकिन यहां के इण्डस्ट्रियलिस्टस ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी इण्डस्ट्रियलिस्टस के पास जाइये भी तो वह आपको हजार या ५ सौ रुपये देकर लौटा देता है क्योंकि वह तो इसे अपना कोई कर्त्तव्य नहीं समझता है और यह भी नहीं समझता है कि उसके कर्त्तव्यों का एक अंश यह भी है कि वह ऐसे कालेज को प्रोत्साहन दे। तो ऐसी अवस्था में सरकार से, जो कि इस बजट पर ही निर्भर है, कैसे आशा की जा सकती है कि वह इस क़िस्म के विश्वविद्यालय खोले, वैसे जहां तक भी सम्भव हो सकेगा इनको प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जायेगा। जितना इस बजट का प्रबन्ध किया जा सकता था उससे अधिक प्रबन्ध होना असम्भव सा प्रतीत होता है और शिक्षा की दृष्टि से जो कुछ भी सम्भव हो सका वह इस बजट में रख दिया गया है और इस शिक्षा के सम्बन्ध में, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार के सामने यह प्रश्न विचाराधीन है और जब भी सम्भव हो सकेगा उसके लिये हम अवश्य ही कार्य करेंगे मगर इस समय इसके लिये कोई तारीख नहीं बतलाई जा सकती है।

जहां तक इन्टरमीडियेट कालेजेज का सम्बन्ध है, शायद यह बात काफ़ी सदस्यों को मालूम हो गई होगी कि इसमें काफ़ी सख्ती इस वक्त की जा रही है जिससे कि शिक्षा की दशा में परिवर्तन हो। तो इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि इसमें सदस्यों का और जनता का सहयोग रहेगा और तभी यह सम्भव हो सकेगा कि हम इस देश को और इस प्रान्त को शिक्षा से पूर्ण बना डालें। हां, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि यहां कहा गया कि स्त्री शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, अगर आप इस बजट को देखें तो यह बात ठीक नहीं है। जितना पहले खर्चा उसमें किया जाता था उससे अधिक अब किया जा रहा है। और दूसरी बात लेखकों के बारे में है, तो उनको भी हर साल एक निश्चित रक़म पारितोषिक के रूप में दी जाती है। हां, यह सम्भव हो सकता है कि हर एक को वह पारितोषक न मिलता हो, परन्तु इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि जहां तक सम्भव हो सके उनको पारितोषिक देने का प्रयत्न किया जाय। हां, एक बात और कही गई और वह यह कि एक सर्कुलर सन् ४८ का पढ़ कर सुनाया गया। सन् ४८ में हमारा कांस्टीटयूशन नहीं आया था। कांस्टीटयूशन सन् ५० में आया उसमें हिन्दी हमारे

देश को राष्ट्र भाषा मानी गई और जैसा कि माननीय सदस्यों ने बतलाया कि १४ भाषाओं में उर्दू को भी स्थान मिला है और वह भी हमारे प्रान्त की भाषा कही जा सकती है। मैं किसी वाद–विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन इस तरह से उर्दू के बारे में कह देना, मैं समझता हूं कि एक अनुचित बात है। उसको देखने का प्रयत्न शायद नहीं किया गया। लेकिन जहां तक सरकार का संबंध है, जब देश के लिये एक राष्ट्र भाषा निश्चित हो गई, तो सरकार तो इस बात का प्रयत्न करेगी ही कि उस भाषा को वह जहां तक पूरी तरह से अपना सकती है अपनाये और उसके लिये जो कुछ किया जा सकता है वह उसे करे, जिससे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा सफल हो सके। तो हिन्दी से उर्दू का कोई द्वेष है, दोनों में कोई झगड़ा है, ऐसी बात नहीं है। इसमें तो माननीय सदस्य सहमत हैं, लेकिन अगर माननीय सदस्य का यह मत है कि सरकार को १४ भाषाओं के लिये उतना ही प्रयत्न करना चाहिये जितना कि हिन्दी के करने की बात है तो यह मेरा ख्याल है अनुचित होगा और कान्स्टीटयूशन के खिलाफ होगा। उन्होंने जो यह सर्कुलर पढ़ा कि ४० लड़के जहां हों उनके लिये उर्दू पढ़ने के लिये प्रबन्ध कर दिया जाय तो मैंने उनसे पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि मैंने अपने संचालक से यह कह रखा है और उन्होंने इसका प्रयत्न भी किया है कि अगर हमारे किसी स्कूल में ४० लड़के ऐसे होंगे जो उर्दू में शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे, तो उनके लिये उसका प्रबन्ध किया जायेगा। वह चाहते थे कि मैं इस भवन में घोषणा कर दूं, इस बात की, यह मैं उचित नहीं समझता था, लेकिन मैंने देखा कि उनको मेरी नियत में संदेह है।

श्री हयातुल्ला अंसारी––ऐसा नहीं है।

शिक्षा मंत्री––तो ठीक है। मुझे खुशी है, इसलिये मैंने यहां यह कहना उचित समझा।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)––अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं मालूम होती है क्योंकि जो बहस हुई है उसमें जितना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मोहकमे का ताल्लुक है, बहुत कम इस तरह की बातें की गई हैं जिनके उत्तर देने की आवश्यकता हो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के २ खास मोहकमे हैं। उसमें एक बड़ा मोहकमा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का है। उसके संबंध में एक ही बात खास तौर से कही गई है वह यह है कि टीचर्स की तनख्वाह समय पर नहीं मिलती है। टीचर्स की तनख्वाह जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के स्कूल्स में हैं, वक्त पर नहीं मिलती है, उसका अंदाज सरकार को भी है और इस बात की कोशिश की जा रही है और की जाती रही है कि समय पर तनख्वाह मिल जाय। इस बजट में भी आप देखेंगे तो मालूम होगा कि २० लाख रुपये की रकम सिर्फ इस काम के लिये रखी गई है कि टीचर्स को तनख्वाह देने में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को मदद मिले। इसके साथ मैं यह भी अर्ज कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का सारा मसला इस वक्त सरकार के विचाराधीन है और कैबीनेट के ६ मिनिस्टर्स की एक कमेटी इस वक्त बैठी हुई है। उसकी कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं, इस बात पर विचार करने के लिये कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की भविष्य में क्या शक्ल हो, क्या उसका काम हो और उस काम को चलाने के लिये रुपये का क्या प्रबन्ध किया जाय ताकि जिला बोर्ड अच्छी तरह से काम कर सकें और इस तरह की कोई दिक्कत व कठिनाई भविष्य में न आये। इसके साथ साथ इस बात पर भी विचार हो जायेगा कि पंचायतों का जिला बोर्ड से क्या संबंध हो। उसके बाद ही यह चीज भवन के सामने आ जायेगी और पंचायतों में जो अब तक कठिनाई और दिक्कत हैं उनको किस तरह से दूर किया जाय और पंचायत राज्य ऐक्ट में किस तरह से संशोधन किया जाय। उस समय इस भवन को इस बात का अधिकार होगा कि वह अपनी राय पंचायत राज्य की वर्किंग के बारे में दे सकें। इस लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो प्रश्न है उस पर भी विचार हो रहा है और जो नतीजा होगा वह भवन के सामने रखा जायगा। इतना म विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी यह कोशिश है कि अध्यापकों की तनख्वाह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड समय पर दे दें और उसमें जो भी सहायता हो सकेगी हम करेंगे।

दूसरा मोहकमा म्युनिसिपैलिटियों का है और इस बारे में कहा गया है कि वाटर वर्क्स नहीं हैं। यह ठीक है मगर इसके लिये हमें भी कठिनाई है। इस समय ११९ म्युनिसिपल

[स्वशासन मंत्री]

बोर्ड्स हैं। हमारे शहरी रक़बों में केवल ३४ जगहों में वाटरवर्क्स हैं जिनमें ३ टाउन एरियाज हैं, यानी ३१ शहरों में वाटरवर्क्स हैं, ८८ में नहीं हैं। यह बड़ा भारी प्रश्न है। जितने रुपये और साधन की इसके लिये जरूरत है, उसमें समय लगेगा, कई करोड़ रुपया बनवाने के लिये चाहिये और जो दूसरे साधन हैं उनको प्राप्त करने के लिये भी समय चाहिये। इसमें कुछ समय जरूर लगेगा। इस समय हमारी जितनी भी कोशिश है उसमें समय लगेगा, परन्तु मैं सोचता हूं कि इस काम में जितनी भी जल्दी हो सके की जाय। म्युनिसिपल बोर्ड्स के बारे में और भी कई प्रश्न हैं। एक उनमें सबसे बड़ा ड्रेनेज का है। बिना ठीक ड्रेनेज के स्वास्थ्य ख़राब जाता है, गन्दगी फैलती है। यह प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन है और हमसे जितना भी होगा, जितने भी साधन होंगे और जितना भी रुपया होगा, उनको लगायेंगे। हमें यह भी देखना होता है कि जो और आवश्यक कार्य हैं जिनको प्रायरटी देनी होती है, उनमें रुपया लगाया जाता है। सिंचाई, बिजली और एग्रीकल्चर तथा नेशन बिल्डिग डिपार्टमेन्ट्स हैं, उनमें पहले रुपया लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी ध्यान इस ओर दिया जा रहा है और दिया जायगा।

इसके अलावा एक और मोहकमा है। उसके बारे में मैं कुछ कह देना चाहता हूं। वह है पंचायत राज। पंचायत राज का तजुर्बा हमारा पहला है जो इस राज्य में सबसे पहले किया गया मैं एक बार जब योरुप जा रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मैंने पूछा कि विदेश में मैं कौन कौन सी बातों का जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा कि पंचायतों का जरूर जिक्र करना। वह लोग इसको जरूर पसन्द करेंगे। जहां जहां मैं गया और इसका जिक्र किया कि इस तरह पंचायतें स्थापित हुई हैं, तो सभी ने इसकी बहुत सराहना की। जितना बड़ा तजुर्बा हम कर रहे हैं और जितने सहयोग की सब दलों से आवश्यकता है उसके अन्दाजे से मैं कहूंगा कि इसमें सभी सहयोग करें। सभी पार्टियों को इस तजुर्बे को सफल बनाने में सहयोग देना चाहिये। जो भी क्रिटीसिज्म हुये उसमें शायद ही कहा गया हो कि यह बात गलत है। जब सभी चाहते हैं कि यह तजुर्बा ठीक है तो मैं आपसे और सब पार्टियों से और सभी व्यक्तियों से यह अपील करूंगा कि वह इस काम में सहयोग दें। मुझे आशा है कि वह मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। जितनी भी बातें कही जायं कि यहां कमी है, वहां कमी है, उनको मैं मान सकता हूं, वह ठीक हैं। क्योंकि इतना बड़ा तजुर्बा इतने व्यक्तियों को साथ लेकर, इतने, व्यक्तियों को कुछ अधिकार देकर, उनसे काम लेना यह छोटी चीज नहीं है। कुछ ग़लतियां भी हो सकती हैं, कुछ नुक्ताचीनी भी की जा सकती है। लेकिन एक बात साफ़ है और वह यह है कि जितना अच्छा काम पंचायतों ने इस सूबे में किया है उसकी सराहना सब तरफ है और इस सूबे के रहने वालों को भी उसको अच्छी तरह से महसूस करना चाहिए और उसके लिए गर्व करना चाहिए। श्री गोविन्द सहाय जी ने पंत जी के एक भाषण का जिक्र करते हुए कहा था कि पंत जी ने कहा है कि जितने भी नेशन बिल्डिग डिपार्टमेन्टस हैं सब हौलो हैं। मैं वहां मौजूद नहीं था जहां पंत जी ने ऐसी बातें कहीं और न मेरा ख्याल है, गोविन्द सहाय जी ही वहां पर थे। लेकिन मैं वहां मौजूद जरूर था जहां पंत जी ने असेम्बली में उत्तर दिए थे। उसकी बिना पर मैं तो समझता हूं कि पंत जी तमाम तजुर्बे को क़द्र की निगाह से देखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और उसके लिए उन्हें गर्व है। जो दूसरी तरह का क्रिटिसिज्म हो सकता है पंचायतों के काम करने का, वह क़ानूनी संशोधनों का है। जैसा कि मैंने कहा यह सारा मसला विचाराधीन है और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायतों के सभी मसले जल्द ही इस भवन के सामने आयेंगे कि उनकी नई शक्ल क्या हो? उस समय यह मौक़ा होगा कि इस भवन के सदस्य यह राय ज़ाहिर कर सकेंगे कि इसमें कहां कहाँ संशोधनों की आवश्यकता है। एक बात पंचायती अदालत के सिलसिले में कही जाती है। जैसा कि बंशी धर शुक्ल जी ने कहा कि इनके फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार हो। मेरा निवेदन है कि निगरानी का अधिकार इस समय भी हमारे ऐक्ट की धारा ८५ के अन्तर्गत है। इसके अनुसार आज भी निगरानी करने का अधिकार है। अदालती पंचायतों के कार्य काफ़ी सराहनीय हैं। यदि

आपकी आज्ञा हो तो मैं २, १ आंकड़े भवन के समक्ष रखूं, जिससे मालूम हो सके कि पंचायती अदालतों का कार्य कितना सराहनीय है। सन् १९५१—५२ में ३,१४,४२२ मुक़द्दमे इन अदालतों के सामने पेश हुए, जिनमें से १,०४,४९७ मुक़द्दमे आपस में सलाह मशिवरे से तय कर दिये गए। और सब चीज़ों को अगर छोड़ भी दिया जाये और अगर १ लाख मुक़द्दमे भी आपस में तय कर दिए जायें तो मैं समझता हूं कि यही बात ऐसी काफ़ी है जिससे इस तजुर्बे को और ज्यादा मौक़ा दिया जाये और इसको सफल बनाने की कोशिश की जाये। जिनकी निगरानी उच्च न्यायालयों में हुई उनकी संख्या केवल १,०६,३५७ है। जिनकी निगरानी स्वीकार हुई उनकी संख्या ६,६२५ है। इस प्रकार ५ फ़ी सदी मुक़द्दमों की निगरानी हुई। इस समय उन तमाम फैक्ट्स और फीगर्स को नहीं दूंगा जो पन्चायतों ने काम किया, यानी कितनी सड़कें बनवाईं, कितने पन्चायत घर बनवाये, कितने स्कूल्स बनवाये। यह सूची देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सदस्यगण इन सब बातों को जानते हैं और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने यह सब संख्या देख ली होगी उन तमाम पुस्तकों में, जो उनको दी गयी हैं। केवल मैं एक पन्चायत के काम बताऊंगा जो उसने किये हैं और मुझसे बताया गया जब मैं पहली जुलाई को वहां गया था। वह इलाका एक तहसील से भी छोटा है, एक थाने से भी बहुत छोटा है। उसमें यह काम हुए, २ पुल, २३ पन्चायत घर, ७ जूनियर हाई स्कूल्स, ५ मील दो फर्लान्ग पक्की सड़क, ९०० गज कच्ची सड़क, १३ पुलियां, ११ चबूतरे, ६० कच्चे कुयें, ४५ पक्के कुयें, १८ रेडियो सेट्स, ३,२११ कम्पोस्ट गढ़े, ११२ इर्रीगेशन वेल्स, ६ फर्लान्ग नाला, साढ़े चार मील नहर, १६ एकड़ जमीन १३ लायबरेरीज, ११३ प्लेग्राउन्ड्स, १,९२५ पेड़, ८०० एकड़ जमीन घास की बनाये गये हैं। ८ हजार रुपये की लागत का एक स्कूल और पन्चायत घर बनाया जा रहा है। यह काम एक इलाके का जो उस पन्चायत क्षेत्र के अन्दर है, उसका है। यह एक गांव अलीगढ़ जिले में पिसावां, है वहां का जिक्र है। भरौली दूसरी जगह जहां मैं गया, वहाँ उनका ९५ फीसदी टैक्स वसूल हो रहा है। ३ सौ से ज्यादा मुकदमे में से, केवल ४ मुकदमे निगरानी के लिये गये। इसके अलावा हम जानते हैं कि इन पन्चायतों में बहुत सी खामियां भी हैं। लेकिन यह आप जानते हैं कि कितने लाख आदमी इसमें काम कर रहे हैं और भाग ले रहे हैं। यदि उन तमाम लोगों को साथ समझलें और उनके तमाम काम ठीक हों तो यह समझना नामुमकिन है। जो खराबियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। यदि यह तजुर्बा कामयाब हो गया तो इस सूबे की, इस प्रदेश की, शक्ल बदल जायेगी। हम बहुत से कार्य जो धनाभाव के कारण नहीं कर सकते इन पन्चायतों के द्वार श्रमधन से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो भी बातें कही गयी हैं उनसे कोई खिलाफ नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा तमाम सदस्यों को जिन्हों ने दिलचस्पी ली, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि वह इस एक्सपेरीमेन्ट को सुधारने और बनाने में हमें सहयोग देंगे।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)——सभापति महोदय, किसी भी लोकतन्त्रात्मक शासन की सफलता के लिये एक विरोधी पक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के सदस्य उसके मन्त्रीगण कितनी ही नेकनियती से काम करने वाले वाले, क्यों न हों, कितने ही समझदर क्यों न हों वे सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकते। जो भी वह काम करते हैं उसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि ऐसे लोग हों जो उसकी आलोचना करें, उनको यह बतलायें कि यह गल्ती है. यह कमी है। इसी तरह से जनतंत्र शासन आगे बढ़ सकता है। परन्तु विरोधी पक्ष तभी उस कमी की पूर्ति कर सकता है जब वह उस काम को जिम्मेदारी के साथ करे। यदि विरोधी पक्ष के सदस्य तथ्य की जगह, विश्वसनीय बातों की जगह कपोल कल्पित बातों स काम लें, अविश्वसनीय बातें कहें, तो वह अपना पूरा कर्तव्य नहीं कर पाता है और वह लोकतन्त्र को सहायता नहीं पहुंचाता है। ऐसा होता है कि पूरे तौर से जानकारी न होने के कारण कोई सदस्य कुछ कह सकता है लेकिन वह तो हर तौर से क्षम्य है। गवर्नमेंट का फर्ज है कि उस सम्बन्ध में जो जानकारी प्राप्त हो सके उसे वह अवगत करायें, उदाहरण के लिये हमारे सामने प्रभुनारायण सिंह बैठे हैं। मैं उनको जानता हूं कि वह किसी भी पार्टी में हों,

[गृह मंत्री]

मैं उनको एक होनहार नवयुवक समझता हूं। मैं समझता हूं कि वह आगे चल कर सदन के कामों में उपयोगी ढंग से काम करेंगे। उन्होंने यह जिक्र किया कि मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ रही है, गवर्नमेंट बेरोजगारी रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। यदि इस सम्बन्ध में आंकड़ों को देखते तो उन्हें मालूम होता कि बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है। हां, रोजगार भी नहीं बढ़ रहा है। इन दोनों बातों में फर्क है। यह वाकया है कि हम यह बात नहीं जानते हैं कि बेरोजगारी को बिल्कुल ही कैसे खत्म कर दिया जाय। यदि कोई जानते हों तो बतला दें। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस बेरोजगारी को ज्यादा से ज्यादा खत्म करें। आज से कुछ दिन हुए हमने एक मजदूरों के लिये एक पूल खोला है। यह कानपुर में खोला गया है। आज से कुछ दिन पहिले कानपुर में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी। तो हमने एम्लायमेंट एक्सचेन्ज के जरिये एक रजिस्टर रखवाया जिसमें उन मजदूरों के नाम लिखे जाते थे जो बेरोजगार होते जाते थे। अगर किसी मिल में कोई जगह खाली होती थी तो उन्हीं नामों में से उनके लिए जाने के लिये कहा जाता था। हां, अगर किसी खास काम के लिये किसी खास ट्रेंड मजदूर की जरूरत है तब तो दूसरी बात है वर्ना वह मजदूर वहीं से लिया जायेगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट खर्च भी कर रही है, इसके लिए इस साल ४०,०००० रुपया रक्खा गया है हम, जहां तक हो सकता है, बेरोजगारी नहीं बढ़ने देते हैं।

फिर भी मैं इस बात को मानता हूं कि कि उतना इन्तजाम नहीं कर सकते जितना हमको करना चाहिए था। इस सिलसिले में जो आलोचनायें हुई हैं या जो सुझाव पेश किये गये हैं हम उनका स्वागत करते हैं और हम आशा दिलाते हैं कि हम इस सम्बन्ध में और भी अपनी शक्ति लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मुझे बड़ा अफसोस है कि यह सभा बड़े-बड़े पढ़े-लिखे और विद्वान लोगों की है, हमें आशा रहती है कि हमें यहां से हमको बहुत ही अच्छे अच्छे सजेशन मिलेंगे, ऐसे लोगों से गलत और बेबुनियादी बातें सुन कर मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुंची है। मुझे अफसोस है कि डाक्टर ईश्वरी प्रसाद इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है जिन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी को विजिट किया और वहां केवल बीस लड़के पढ़ते हैं। सरकार उस पर व्यर्थ में हजारों रुपया फूंक रही है। जिस वक्त मैंने इस चीज को नेशनल हेराल्ड और पायनियर में पढ़ा तो मुझे बहुत दुःख हुआ। हेराल्ड में था कि जब वह बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी विजिट करने गये तो केवल वहां बीस लड़के मौजूद थे। जिस वक्त मैंने उनकी स्पीच को पढ़ा तो मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं कह सकता हूं कि वह वहां कभी नहीं गये। उस वक्त मुझे एक किस्सा याद आया कि बड़ौदा में जब कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन का कानून बना तो एक आदमी उसकी अवहेलना करन पर मुकदमा चलाया गया कि तुमने आदेश की मुखालिफत की है और अपने लड़के को स्कूल जाने से रोका है। उसने जवाब दिया कि हमने कोई हुकुम अदूली नहीं की और न मुझे कोई आदेश मिला है और न मैंने लड़के को पढ़ने से रोका है। मेरा कोई लड़का ही नहीं है। यह ख्याल मुझे डाक्टर साहब की स्पीच के पढ़ने पर आया। मैं बनारस का रहने वाला हूं। यहां और भी लोग हैं जो बनारस में रहते हैं, वह जानते होंगे, कि बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी कहां है जिस पर गवर्नमेंट हजारों रुपया खर्च कर रही है। यह बिलकुल गलत है। गवर्नमेंट बनारस में किसी ऐसी संस्था पर एक पैसा भी नहीं खर्च कर रही है। मुझे नहीं पता है कि वह कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको उन्होंने विजिट किया है। हां, बनारस में एक संस्कृत कालेज है, जिसको एक हजार वर्ष कायम हुए हो गये और जिसमें पहले से लेकर आज तक बड़े-बड़े योग्य प्रिंसिपल रह चुके हैं। मैंने वहां के मौजूदा प्रिंसिपल से पूछा है। वहां बीस नहीं बल्कि चार सौ लड़के पढ़ते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि डाक्टर ईश्वरी प्रसाद वहां कभी नहीं गये हैं। मान लीजिए मैं १५,१६ जून को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाऊं और कहूं कि वहां एक भी लड़का नहीं पढ़ता है तो क्या यह मेरा कहना ठीक होगा। उस समय तो यूनिवर्सिटी बन्द रहती है। तो इस तरह की गलत बयानी से इज्जत गिरती है, ऊंची नहीं उठती। हां, बनारस संस्कृत कालेज को यूनिवर्सिटी बनाने का प्रोपोजल्स चल रहा है। वह बहुत उच्च कोटि का कालेज है। सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत तक

से उसका अफिलिएशन है। मैं कह सकता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी से कहीं ज्यादा उसका अफिलिएशन है। इसलिये यह सजेशन चल रहा है कि उसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया जाय लेकिन जिस वक्त सरकार इसको एप्रूव करेगी उस वक्त उसके लिये यहां एक बिल आयेगा। लोअर हाउस में भी यह चीज रखी जायेगी। यह कितना गलत बयान है जिसको कि इतने उच्च कोटि के एक एजूकेशनिस्ट ने दिया है। आप खुद सोचिए कि इसका कितना बुरा असर पड़ा होगा दूसरी गलत बयानी उनके बयान में यह है कि बनारस में एक इन्स्टीट्यूशन आफ एस्ट्रोनोमी है। जिसमें ६० हजार रुपया आउट मोडेड इन्स्ट्रूमेंट के लिये रखा गया। परन्तु बनारस में ऐसी कोई चीज नहीं है। हां एक आब्ज़रवेट्री खोलने का जरूर इरादा है। जहां इन्स्ट्रूमेंट का सवाल है मैं जानता हूं कि डाक्टर ईश्वरी प्रसाद हिस्ट्री के विद्वान हैं और उन्हें यह जरूर मालूम होगा कि कौन लड़ाई कब हुई और उसमें कौन हारा और कौन जीता। यह संभव हो सकता है कि उन्होंने ज्योतिष विद्या को पढ़ा हो लेकिन एस्ट्रोनोमी के बारे में उनकी बात प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। इस लखनऊ में भी विद्या का सेन्टर है और इसे सभी जानते होंगे कि यहां पर इस विषय को पढ़ाने का भी इन्तजाम है। इस यूनिवर्सिटी के मैथेमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर ए० एन० सिंह, दो वर्ष पहिले यहां से बाहर गये और उन्होंने वहां इन इन्स्ट्रूमेंट की जांच की जब उन्होंने वहां जाकर इन्हें पसन्द किया तभी आर्डर दिया गया। उसके बाद जब वह यहां लाया गया तो यहां पर उसके जानने वाले खास आदमी से भी सर्टिफाई कराया गया तभी वह चीज हमारे यहां आई। यह सोचने की बात है कि एस्ट्रोनोमी और हिस्ट्री में बहुत अन्तर है और एक हिस्ट्री के ज्ञाता से लखनऊ यूनिवर्सिटी का साइन्स विभाग का डीन इसको अधिक समझ सकता है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनके जो और भी आक्षेप शिक्षा के बारे में होते हैं, उनको हम कैसे मान सकते हैं। उनको मानने में भी हमें उसी प्रकार का सन्देह होता है कि वे सही नहीं हो सकती हैं और निराधार हैं। महज सरकार की निन्दा करने के लिये यह बातें होती हैं। अगर डाक्टर साहब यहां होते तो मैं उन्हें बतलाता कि जो हमारे मोबाइल स्क्वाड हैं, उन्होंने क्या काम किया। उनकी तारीफ यहां के ही लोगों ने नहीं की, बल्कि जो विदेशों से लोग यहां आये उन्होंने भी तारीफ की। लेकिन उन्हें क्या बताऊं वे आज यहां पर हैं ही नहीं। जो लोग आसानी से अपनी जबान पर कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं वे ही ऐसी बातें कहते हैं तब उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। उन्होंने जो कुछ कहा उसका न तो वह विभाग ही फायदा उठा सकता है और न यह भवन ही उठा सकता है।

मैं और बातों का जिक्र नहीं करूंगा इसलिये कि हमारे वित्त मन्त्री को बहुत सी बातों का उत्तर देना है। वरना मेरी इच्छा है कि प्लानिंग इत्यादि का भी आपके सामने जिक्र कर दूं। चूंकि मेरे पास तीन विभाग, जेल, पुलिस और लेबर हैं, इसलिये मैं अब उनके बारे में कहूंगा।

मैंने आज के व्याख्यानों को सुना और पिछले दो दिनों के व्याख्यानों को भी पढ़ा, मगर किसी ने भी जेल विभाग के बारे में एक भी लफ्ज नहीं कहा। मुझे इसका बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि इस सदन के माननीय सदस्यों में से किसी ने भी इन बेचारे गरीबों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके माने या तो यह हो सकते हैं कि इस विभाग से इस सदन के किसी भी सदस्य की दिलचस्पी नहीं है या दूसरी बात यह हो सकती है कि जेल विभाग का इंतजाम इतना अच्छा ह कि किसी को भी इसमें शिकायत करने का मौका नहीं है।

पुलिस के बारे में एक सदस्य ने यह कहा कि पुलिस वालों की तनख्वाह बहुत कम है, अगर उसे बढ़ाया जाय तो ठीक है। बात तो ठीक कही है कि उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय, लेकिन सवाल यह होता है कि उनकी जिम्मेदारी के बराबर या उनके बराबर जो लोग काम करते हैं और उतनी ही तनख्वाह पाते हैं उनकी तनख्वाह भी उसी हिसाब से बढ़ानी होगी वरना यह कैसे हो सकता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन का जवाब देना मुश्किल होता है। उनमें सत्यता जरूर होती है लेकिन जवाब देना जरूर मुश्किल होता है। मसलन कोई शख्स यह कह दे कि चोरियां और डकैतियां हो रही हैं और दिन दहाड़े लूट हो रही है तो इसका क्या जवाब दिया जाय। क्राइम्स जरूर है, अगर मैं यह कहूं कि क्राइम्स नहीं है

[गृह मंत्री]

तो यह बात गलत होगी । लेकिन उसके साथ साथ यह कहना भी गलत होगा कि दिन दहाड़े चोरियां, डकैतियां हो रही हैं । अगर ऐसा होता तो हम लोगों की जान माल की रक्षा कैसे होती । आन दि होल अगर देखा जाय तो हम देखें तो कुछ न कुछ हिफाजत से हम लोग जरूर ही रहते हैं । हमारे यहां जो क्राइम्म हो रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिये काफी सख्ती भी की जा रही है । हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर करेप्शन कम हो, यहां पर जितने माननीय सदस्य हैं उनको भी अपनी जगह हमारी मदद करनी चाहिए क्योंकि अकेले सरकार का ही यह काम नहीं है।

एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अभी दो तीन दिन की बात है कि सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री राजाराम जी मेरे घर पर आये। उनसे बात चीत के सिलसिले में यह जिक्र आया कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत बढ़ रहा है, पुलिस ने भी अभी रिश्वत लेना बन्द नहीं किया है। मैंने कहा कि मैं इस बात को मानता हूं, यह बात कुछ हद तक सही हो सकती है । इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग पुलिस में आते हैं, हमारे ही लड़के होते हैं, हमारे ही भाई होते हैं । जब उनकी उमर शादी की होती है तो उस समय तो उसमें सब शरीक होते हैं और उनसे अपना रिश्ता भी करते हैं । उसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है । तो यह लोग भी हमही लोगों में से होते हैं । इसलिये हर सदस्य को चाहिए कि वह सरकार की सहायता करे वरना सरकार के लिये सफलता प्राप्त करना बहुत कठिन हो जायेगा । मैं समझता हूं कि अगर हम सब मिलकर मुल्क के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोशिश करेंगे तो सरकार को बहुत जल्द सफलता मिलेगी और देश में बहुत जल्द शान्ति का वातावरण उपस्थित हो जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हम पुलिस पर खर्चा बहुत अधिक कर रहे हैं। यह हो सकता है कि उनकी दृष्टि से यह खर्चा बहुत अधिक हो । हमारे कुछ भाइयों ने यह भी कहा कि शिक्षा से अधिक हम पुलिस पर खर्च कर रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा की बहुत आवश्यकता है वैसे ही हमारे देश में शन्ति स्थापित करने के लिये पुलिस भी बहुत आवश्यक है। यह जरूर है कि इसमें बहुत सी इविल्स हैं। लेकिन वह आप जैसे भले आदमियों के लिये नहीं है । वह तो मुझ जैसे बुरे आदमियों के लिये हैं । अगर एक आदमी कोई तकलीफ में होता है और अगर वह यह सुन लेता है कि दूसरा आदमी भी तकलीफ में है तो उसको कुछ शान्ति हो जाती है कि मैं तो मर रहा हूं मेरे साथ दूसरा भी मर रहा है । हमारे यहां दो स्क्वायर माइल के ऊपर एक कांस्टेबल होता है । अब जो सूरत है वह यह है कि हमारे यहां डकैतियां भी होती हैं और चोरियां भी होती हैं, तो वह कितना काफी होगा यह जरा सोचने की बात है, वह कोई सहस्त्र बाहु तो नहीं रखता है, उसके कोई एक हजार हाथ तो नहीं हैं कि जहां आवश्यकता पड़े वहां अपना काम पूरा कर सके। अगर आप देखें तो मद्रास में यहां से अधिक खर्च पुलिस के ऊपर हो रहा है वहाँ एक हजार ३ सौ २३ रुपया एक पुलिस के कांस्टेबल पर खर्च होता है, बम्बई में १ हजार ५१८ रुपया, पश्चिमी बंगाल में १,३७५ और ईस्ट पंजाब में १,३६५ और उत्तर प्रदेश में १,२७५ रुपया खर्च होता हैं । सिर्फ दो प्रान्त हैं जिनके ऊपर पुलिस पर कम खर्चा होता है और वह मध्य प्रदेश और बिहार के प्रान्त हैं । तो इन दो प्रान्तों को छोड़कर बाकी जितने प्रान्त हैं सब में हमारे प्रान्त से, यदि आप देखें तो कहीं ज्यादा खर्च पुलिस के ऊपर होता है । जैसा मैंने पहिले कहा कि पुलिस के ऊपर खर्च होना अच्छा नहीं है, लेकिन संभव है कि हमारे आदमियों को संतोष हो रहा हो कि हम औरों से कम दुख में हैं, और दूसरे अधिक दुख में हैं । अब रही कि खर्चा अधिक हो रहा है तो जैसे श्री हरगोविंद सिंह जी ने आपसे जिक्र किया कि हमारे यहां देश के पार्टीशन के बाद कई वजह हो गयी कि जिसकी वजह से हमारे यहां पुलिस का खर्चा बढ़ा है, इतना तो आपको मानना ही चाहिए और यह वजह एक गम्भीर प्रश्न है और हमें दूसरे प्रकार की व्यवस्था चलानी पड़ी है । पुलिस का खर्चा कम होना चाहिए, ठीक है लेकिन आप देखें कि किस कारण से पुलिस का खर्चा बढ़ाना पड़ा और माननीय सदस्यों को भी अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे पड़ोस में कितने ही राज्य

बने हुए हैं जैसे विंध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत, इन राज्यों की हालत हमसे छिपी नहीं है। सेपरेट स्टेट यानी एक अलग राज्य ऐसे हैं कि जिनके मामलों के ऊपर एक दूसरे को पूरे तौर से सोच विचार करने का मौका मिल नहीं पाया था। कहा गया कि डेमोक्रेटिक ढंग से रुपया देना उनकी गवर्नमेंट का नियम है तो इन प्रदेशों को अपने प्रदेश का काम संभालने में उतनी सुविधायें नहीं हैं जैसी कि हमको हैं। हर स्टेट की अपनी अलग पुलिस है और हरएक का अपना-अपना रवैया है। कहीं इन्सपेक्टर जनरल खास तौर से ऐसे हैं जिनको हमारे यहां सब इंसपेक्टर बनाया जा सकता है और वह भी जब शुरू शुरू में मरज हुई, तो उनको भी पुलिस फोर्स देना पड़ा और उसमें उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ी। उसमें ट्रेंड लोग भी थे और अनट्रेन्ड लोग भी थे। सभी को ट्रेन्ड किया गया तो यह पुलिस फोर्स प्रबन्ध ठीक करने के लिये है जब तक यह प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं होता है पुलिस पर खर्चा करना ही लाजिमी है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी प्रदेशों में अधिक अशान्ति रही, नैपाल में अशान्ति रही और तिब्बत में भी अशान्ति रही है तो कई ऐसी भयंकर बातें हमारे सामने आती हैं कि जिनका पब्लिकली जिक्र करना हमारे लिये संभव नहीं है। नैपाल की हालत बहुत भयानक है, वैसे ही तिब्बत की भी हालत बहुत भयानक है। वहां चीन की फौजें आ गयी हैं, तब से एक अजीब तरह की परिस्थिति पैदा हो गयी है। फौज के ऊपर तो खर्चा करना तो स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है वह तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का काम है लेकिन जब ऐसे मामले पैदा हो जाते हैं तो हमको भी उनके लिये तैयार रहना ही पड़ता है और कई-कई मौकों पर तो पुलिस को ऐसे काम भी करने पड़ते हैं कि नारमली उनकी फौज का काम भी निभाना पड़ता है जिनको कि हमको तैयार करना पड़ता है। इसके लिये पी० ए० सी० की पुलिस फोर्स तैयार की गई जो कि जरूरत पड़ने पर फौज का भी काम देती है। तो ऐसी हालत में हमारे लिये यह असंभव बात है कि हम पुलिस को कम कर दें। ऐसा करना मेरे ख्याल में क्रिमिनल नेगलीजेन्स करना होगा जिसके लिये ईश्वर न करे कि कोई जरूरत पैदा हो तो उसको इस प्रदेश की जनता सहन नहीं कर सकती है। ऐसी हालत में हम मजबूर हैं कि पुलिस का खर्चा कम कर दें।

जहांतक श्रमिकों की बात है मैं श्री राजाराम जी से इस बात में पूरी तरह से सहमत हूं कि मजदूरों के लिये एक ट्रेड यूनियन का होना बहुत आवश्यक है। वह इसलिये भी जरूरी है कि इससे मजदूरों की रक्षा हो सकती है। इन्डस्ट्री के मिल मालिकों के फायदे के लिये भी एक ट्रेड यूनियन का होना बहुत जरूरी चीज है। तो आज मजदूर ट्रेड यूनियन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अगर मजदूर अलग-अलग हो जायं तो इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और इस तरह से मिल मालिक भी अलग-अलग किसी झगड़े को निबटाने के लिये उन सभी से नहीं मिल सकता है। इसलिये एक मजदूर ट्रेड यूनियन का होना अनिवार्य है क्योंकि इससे मजदूरों को ही नहीं, बल्कि गवर्नमेन्ट को भी मदद मिलेगी। मैं राजाराम जी की बात का स्वागत करता हूं। आज मजदूरों की हालत खराब हो रही है और ट्रेड यूनियन कमजोर होती जा रही हैं, क्योंकि उसमें कई अलग-अलग पार्टियां हैं एक ट्रेड यूनियन ऐसी है जिसमें कि कम्युनिस्टों का अधिकार है और दूसरे पर सोशलिस्टों का अधिकार है और एक तीसरे पर कांग्रेस का अधिकार है। तो इस तरह से तीन पार्टीज हैं और इसकी वजह से भी वह कमजोर होता जा रहा है क्योंकि वे एक दूसरे से आपस में ही लड़ते रहते हैं तो यह बात ठीक नहीं है। इस तरह से उनके अन्दर एकता की भावना नहीं आ सकती है और वे अपने को संगठित करके आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। जो उनमें दो पार्टीज के लोग हैं, उनसे मेरा निजी सम्पर्क भी है तो जिस तरह से भी हो गिव ऐन्ड टेक करके उनका एक ही यूनियन हो जाना चाहिये। जो लोग कि उसमें दिलचस्पी लेते हैं, उनको यह काम सौंप देना चाहिये और उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि मजदूरों को किसी तरह से हानि न पहुंचे। गवर्नमेन्ट भी इस मामले में काफी दिलचस्पी ले रही है और वह इस तरह से काम करना चाहती है कि मजदूर और मिल मालिकों में भी आपस में झगड़े न हों और काम भी ठीक ढंग से होता रहे। अभी हाल में नैनीताल में मजदूर लोगों की एक मीटिंग हुई थी उसमें

[गृह मंत्री]

इन सब बातों के ऊपर गौर किया गया और मैंने भी उनको आश्वासन दिया कि जब मुझे छुट्टी मिलेगी, तो मैं भी इसे देखूंगा। कान्सीलिएशन मशीनरी की बाबत भी शिकायत की गई कि उसकी दशा आज बिगड़ी हुई है और उसको सुधारना भी अत्यन्त आवश्यक है तो उसके सुधारने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं और जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं स्वयं इसको देखने के लिये जाऊंगा। अगस्त के महीने में ट्रिपार्टी कान्फ्रेन्स होने वाली है, उसमें इस बात का फैसला अच्छी तरह से किया जायेगा कि मजदूरों की हालत कैसे सुधरे और इन्डस्ट्रीज में कैसे तरक्की हो।

हमारे लेबर डिपार्टमेन्ट ने उस एवार्ड को माना और मंजूर किया, अगर हमारा बस चलता तो ५० लाख रुपया मजदूरों को मिलता यह दूसरी बात है कि मुकद्दमे में वह हार गये और लोग यह कहने लगे थे कि यू० पी० सरकार की यह पालसी है कि शायद ही कोई कैप्टलिस्ट नजर आये। मैं इसका जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि हमने मजदूरों के पक्ष में क्या किया, जो मारटिन कम्पनी से उनको मिलना था।

बिजली के बढ़ाने की बात कही गई। जहां तक जेनरल टैक्सपेयर की बात है उसको भी देखना पड़ता है। जो एवार्ड था, उसको मैंने देखा। उसके देखने से मालूम होगा कि क्या चीज है। अगर वह रुपया दे दिया जाता तो बिजली के रेट बढ़ाने पड़ते। लेकिन हुआ क्या कोई नुक्सान ८० फीसदी मजदूरों को नहीं पहुंचा, सिर्फ २० फीसदी जो मजदूर वेल पेड थे, उनको जरूर कुछ नुक्सान पहुंचा, जितना रुपया उनको मिलना चाहिये था उससे वे वंचित रहे। यह मैंने इसलिये किया कि बिजली के रेट न बढ़े। राजाराम जी ने कहा कि टैक्स की बात इस बजट में की गई है। तो उसके लिये जब कानून आयेगा तो वह देखेंगे कि क्या रेट होंगे और क्या बात होगी। मैं समझता हूं और मुझे विश्वास है कि उसमें इस बात का लिहाज रखा जायेगा कि बिजली का रेट न बढ़ने पाये जो कि मारटिन कम्पनी के एवार्ड देने के बाद टैक्स की हालत होती। यह जरूर देखा जायेगा कि देश का जिस बात में कल्याण हो, वह किया जाय।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं वह यह है कि बिला वजह कांग्रेस को बुरा ही बुरा न कहा जाय, बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि अगर कोई कमी हो, तो जरूर बताई जाय। मैं उसका स्वागत करता हूं अगर कोई हमारी खामियों को बताये। मैं मानता हूं कि जो हमारे सामने बैठे हुये हैं, उनका एक ही उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि किसने शास्त्रार्थ में किसको हरा दिया बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सब का उद्देश्य यह है कि हम सब मिल जुल कर काम करें जिससे उत्तर प्रदेश का कल्याण हो और हम हर तरह और हर दृष्टि से इस प्रदेश की उन्नति कर सकें।

*वित्त मंत्री--जनाब चेयरमैन साहब, मुझको खड़े होते होते एक पुराने शायर का एक असार याद आ जाता है। उन्होंने कहा है, "सागरे जमील हो या मिट्टी का हो एक ठीकरा, आप नजर करें उसमें जो उसके अन्दर हो।" इसका मतलब यह है कि प्याला चाहे सोने का हो या मिट्टी का ठीकरा हो, उसमें जो अन्दर चीज हो उसको देखना चाहिये। अगर वह चीज कोई कीमती है तो फिर प्याला कोई मानी नहीं रखता। मेम्बरान ने इस बजट पर जो इस समय पेश किया गया है, तकरीरें फरमाई और मैंने उनको सुना और इस नियत से सुना कि हमारा ध्यान इस तरफ न जाय कि तकरीर करने वाला कौन है। उस तरफ का हो या इस तरफ का, उसकी टोपी कैसी है। मैंने इस नजर से नहीं सुना, मैंने सिर्फ इस नजर से सुना कि वह कहता क्या है वह बात जो कहता है वह आया जांचने के काबिल है या वह कोई बात ऐसी कहता है, जिस पर नजर होनी चाहिये और जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ बातें कही गईं वह तीन

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

तरह की थीं। एक तो ऐसी है जोकि लोकल ग्रीवैन्सेज से ताल्कुल रखती हैं। एक वह हैं कि जिनका ताल्लुक बजट की बुराई और भलाई से है कि बजट अच्छा है या बुरा है और तीसरी वह हैं जो किसी मसलहत के बिना पर कही गई हैं। उनमें से मैं इस पर बहस करने वाला नहीं हूं कि मसलहत क्या है, क्या नहीं है। बजट की बाबत जो कहा गया है कि अच्छा है या बुरा इस पर मैं बाद में कहूंगा लेकिन जहां तक मुकामी शिकायत की गई हैं उनको इस वक्त बयान करना या उनका जवाब देना मेरे नजदीक इतना ही कह देना है कि वह शिकायतें नोट कर ली गई हैं और जो भी मुताल्लिक मिनिस्टर हैं उनकी खिदमत में पेश हो जायेंगी और जो मेम्बरान चाहें वह उनसे बराहे-रास्त इस बारे में मिल सकते हैं। बजट कैसा है? बहुतों ने कहा बहुत अच्छा है। चूंकि गवर्नमेन्ट ने बनाया है मेरे जरिये से पेश हुआ कम से कम मैं गवर्नमेन्ट की तरफ से यह शुक्रिया अदा करूं कि आपने इसको अच्छा समझा बड़ा करम किया। कुछ साहबों ने फरमाया कि अच्छा नहीं है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने उसके एक दूसरे पहलू से अपनी रोशनी और इल्म के लिहाज से बुरा समझा और हमारे लिये मुनासिब यह है कि उनको भी सुनें और अगर कोई फायदा उठा सकते हैं तो उठायें, लेकिन जहां तक खुद मेरा ताल्लुक है कि मैं यह सोचूं या मैंने पहले सोचा है कि आखिर जो बजट यहां का है, उसको किसी साहबान ने अच्छा बजट कहा है या यह कहा है कि यह किसानों का बजट नहीं है या मजदूरों का बजट नहीं तो मैं यह समझा कि बजट भी किसानों का होता, या मजदूरों का होता, तो ऐसे में, मैं यह दिल में टटोलता हूं कि मैंने जो बजट बनाया, वह किसके लिए बनाया किसान का यह है नहीं, मजदूर का है नहीं। एक साहब ने कहा सरमाएदारों का है। अब हमको तलाश करना होगा कि वाक़ई सरमायेदारों का है या नहीं है। मुमकिन है कि मैं अपनी गुजारिश में आप की इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान न दूं। लेकिन एक बात में अर्ज करना चाहता हूं कि जिस प्वाइन्ट आफ़ व्यू से, जिस दृष्टिकोण से, देखा गया है, वह मेरे नज़दीक़ सही नहीं है। किस लिहाज से बजट को देखना चाहिए यह बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। आज से कुछ अर्से पहले हमारी स्टेट, पुलिस स्टेट थी। हम आज़ाद हो गए और स्टेट के उस नेचर को बदल देना हमारा काम हो गया। डेढ़ सौ, पौने दो सौ बरस तक जो स्टेट, पुलिस स्टेट बनी हुई थी उसको कुछ और बनाया जाये और वह कुछ और क्या बनाया जाये? पढ़े लिखे आदमी जो हैं, मुझ जैसे जाहिल नहीं, उनसे सुनता हूं, वह यों कहते हैं कि यह एक वेल फ़ेयर स्टेट होना चाहिए। अगर यह सही है कि इस स्टेट को एक वेल-फ़ेयर स्टेट होना चाहिए तो पुलिस का लफ़्ज़ मेरी ज़बान पर आ रहा है, और अभी इसका तज़किरा भी था। अंग्रेजों की हुक़ूमत में इतने दिन गुज़ारने से जो दिमाग़ में असोसिएशन पैदा हो गया, और जो हमने उस जमाने में पुलिस देखी, और उस पर क्या ख़र्च होता था, आपको मैं क्या कहूं, हमने और यह जो बैठे हुए हैं, हम सबने कितना उसको कहा। लेकिन जब कोई कौम और मुल्क आजाद हो तो उसकी पुलिस का ख़र्च उसी नज़र से देखा जाये, जिस नज़र से हम उस वक्त देखते थे और वही असोसिएशन हमारे दिमाग़ में आज भी वर्क करें, यह बात कहां तक ठीक हो सकती है, इस पर हमें ग़ौर करना होगा। मैं जहां तक जानता हूं, कुछ तो यह जानता हूं कि आज माडर्न वर्ल्ड में पुलिस का ख़र्च नेशन बिल्डिंग खर्च के अन्दर आता है। हमने ५ साल का तरक्क़ी का प्लान बनाया है। कोई काम तरक्क़ी का उस वक्त तक नहीं हो सकता, जिस वक्त तक इस मुल्क में पूरे तौर से अमन क़ायम न हो। जब हम तरक्क़ी के काम करेंगे तो हम को ज़रूरत होगी कि मुल्क में अमन हो। अभी खुदानखास्ता कोई फसाद पदा हो जाये तो जो बाज़ार में ख़रीद फरोख्त हो रही है वह सब बन्द हो जाये। आप की नशिस्त खत्म हो जाये। कहने का मंशा यह है कि पुलिस की ज़रूरत से आप आज़ाद नहीं हैं। जिस ज़रूरत से दुनिया ने पुलिस को पैदा किया वह ज़रूरत क़ायम रहेगी। और पुलिस के खर्च को उसी नज़र से हमें नहीं देखना होगा, जिस नज़र से हम पहले देखा करते थे। मान लिया यह एक वेल फेयर स्टेट है, गवर्नमेंट ने यह मान लिया तो हमारा बजट जो होगा वह क्या होगा। A budget of the welfare state होगा। मगर आज कोई चाहे तो वह

[वित्त मंत्री]

किसी भी बजट से इस बजट को जांचे, तो देखे कि इसका वेलफेयर होना वाजिब है या नहीं। दरहक़ीक़त आज वेलफेयर बजट है नहीं, मगर बनाया जा रहा है, इस तरह की बात कही जाती है। जितने काम कर रहे हैं, वह इस ग़रज़ से कि वेलफेयर स्टेट हो। यह एक ऐसा बजट है, जिसे यह कहा जाय कि यह उस क़िस्म की हुकूमत का है जो अभी बनाई जा रही है। अभी मुकम्मल चीज़ जिसे हम देखना चाहते हैं, वह हुई नहीं है, बल्कि बनाई जा रही है। तक़रीरें हुईं, जिनमें कहा गया कि यह किसानों का बजट नहीं है। अगर मैं किसानों से कहूं कि तेरा ही बजट है तो मैं जस्टीफाइड हूं। मगर हमारे लायक़ दोस्त यह नहीं समझते, इसलिये कि किसानों का बजट नहीं है, इसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ़ दी लैन्ड्स नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि जहां किसानों की ५ ज़रूरियातें हैं और उनमें से ४ ज़रूरियात का इन्तज़ाम है, तो वह किसानों का बजट फिर क्यों नहीं होगा, सिर्फ इसलिये कि किसानों की ५ ज़रूरियात में से एक ज़रूरत इसमें मौजूद नहीं है। जब किसानों की हालत को बहतर करने के लिये, उनकी ग़रीबी को दूर करने के लिये, जिस काम को करने की ज़रूरत हो सकती है, उसकी फिक्र करें और सोचें, उसकी रियलिटी की तरफ आप जायं और उनके रूबरू हो कर देखें कि आखिर किसानों की हालत कैसे अच्छी हो सकती है और उसके लिये क्या करना चाहिये, तो यह मुनासिब भी है। मगर हमारी अक्ल ने तो यही बताया कि वह खेती करते हैं। उसकी खेती की तरक्क़ी के लिये जो सामान है, वह सामान उसको मुहैया करें। खेती के लिये पानी चाहिये तो पानी दिया जाय। खेती के लिये खाद होनी चाहिये तो खाद दी जाय। दूसरे, मेरे दोस्त कहते हैं कि उसके लिये यह जरूरी है कि उसकी ज़मीन को बांट दिया जाय, सरे नौ से जिसका कि मैं इख्तलाफ़ करता हूं। अगर तक़सीम भी किया जाना है तो आज उसको नहीं कर रहे हैं। मगर मेरे दोस्त इसको इसलिये नहीं मानते कि यह सोशलिस्ट प्वाइन्ट आफ व्यू से नहीं बना है। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि नहीं बना है या और कोई प्वाइन्ट आफ व्यू से कोई कहे कि नहीं बना है तो मैं इस चीज़ को मानता हूं। मगर ऐसा कहना कि जो इस स्टेट के अन्दर रहते हैं, उनके फ़ायदे के लिहाज़ से नहीं बना, तो यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। आबपाशी होगी, काश्तकार का फ़ायदा होगा। बिजली बनेगी, उससे काश्तकार को फ़ायदा होगा। यक़ीनन फ़ायदा होगा। कहा गया कि यह मजदूरों का बजट नहीं है। मैं जानता, अगर मजदूरों के बजट के माने यह होते हैं कि जो कुछ भी बजट में होता वह सिर्फ मजदूरों के लिये होता तभी वह मजदूर का बजट होता है तो मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं कि यह मजदूरों का बजट नहीं है। मगर इस बजट में और इसके पहिले जो कुछ हो चुका है उससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता है, तक़रीरों में भले ही कोई कह दे कि इसमें मजदूरों के लिये कुछ किया ही नहीं गया है लेकिन यह एक हक़ीक़त है, सूरज की तरह से चमकता हुआ आंखों के सामने आता है और वह यह है कि आज से ६ वर्ष पहिले जो मजदूरों की हालत थी उससे आज कहीं बेहतर है और अगले ५ साल में ज्यादा अच्छी होने की उम्मीद है। अगर कोई यह कहे कि जब से अंग्रेजों के क़दम यहां से गये तब से मजदूरों की हालत कुछ भी बेहतर नहीं हुई तो मैं इसको मानने के लिये क़तई तैयार नहीं हूं। हां, अगर कोई कहे कि आज ही इस बजट के जरिये से मजदूरों को यहां से उठाकर सातवें आसमान पर ले जाया जाये, तो जरूर यह मजदूर बजट नहीं है। एक साहब कहते हैं कि यह इतना खराब है कि इसमें उस दिन से, जिस दिन से अंग्रेजों के क़दम यहां से गये थे, कोई भी फ़र्क नहीं है। मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं बग़ैर किसी पशोपेश के यह कह सकता हूं कि पिछले ५ साल के अन्दर, इस उत्तर प्रदेश के लिये, इसकी तरक्क़ी के लिये यह हुआ है और बहुत कुछ हुआ है। हां, इतना नहीं हुआ है जितना हम चाहते थे। बजट स्पीच में मैंने यह अर्ज कर दिया था कि कुछ रुकावटें थीं, जो हमारे क़ाबू के बाहर थीं। और उन्हीं की वजह से हम पूरा काम नहीं कर सके हैं। लेकिन कोई यह कहे कि कुछ फ़ायदे का काम हुआ ही नहीं, तो मैं इसको नहीं मानता हूं। काश्तकारों के लिये, मजदूरों के लिये और दूसरे तबक़ों के लिये सबके लिये फ़ायदे का काम हुआ है। जिस बजट में तालीम के लिये रुपया है, इर्रीगेशन के लिये रुपया है, बिजली के लिये रुपया है, पुलिस के लिये रुपया है, हर एक चीज जो कि इंसान की जिन्दगी से ताल्लुक़ रखती है, उसके लिये रुपया रक्खा

गया है तो ऐसा बजट किस क़िस्म का बजट हो सकता है ? पढ़े लिखे आदमी भले ही उसको नाकारा क़रार दे दें, लेकिन जो अनपढ़ा है वह तो जब यह देखेगा कि इसमें सबके भलाई के लिये रुपया है तो वह इसको कैसा बजट कहेगा । यह जैसा बजट है, आपके सामने है । आपने जो कुछ इर्शाद फ़र्माया, सुन लिया । लेकिन हमारे दोस्त ने इसको एक चौथी तरह का बजट बतलाया है । उन्होंने इसको उन अल्फाज में नहीं कहा है, जिनमें मैं कह रहा हूं । वह हमारे दोस्त कुंवर गुरु नारायण हैं । उनका कहना यह था कि यह एक फ्राड बजट है । यह फ्राड चार करोड़ २४ लाख का है । उनका कहना यह था कि यह जो डेफीसिट दिखाया गया है, वह दरअसल है नहीं ।

यानी अगर किसी मद से ४ करोड़ रुपये की आमदनी होने वाली है तो इसके लिए तीन करोड़ की ही दिखाते हैं, तो डेफिसिट अपने आप ही आ जायेगा । यह मेरे लायक दोस्त ने दाद दी है उनके लिए उन्होंने अपना वक्त खर्च किया होगा और बजट के बनाने में मेहनत की होगी । खैर उन्होंने ऐवान के एक मेम्बर की हैसियत से दे दिया है, मगर मैं इसका प्रैक्टिकल जवाब दूंगा । यह उनका ख्याल गलत है कि अन्डर एस्टीमेट होता है । मैं मानता हूं कि मैं फाइनेन्स के मामले में अभी कल का बच्चा हूं लेकिन तब भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ओवर एस्टिमेट को अंडर एस्टिमेट करना चाहिये । मैं आप को यह बता देना चाहता हूं कि अंडर एस्टीमेट होता है या नहीं । जब से यह गवर्नमेंट यहां आयी है यानी सन् १९४६ से ४७, ४७ से ४८, ४८ से ४९, ४९ से ५०, ५० से ५१, ५१ से ५२ और ५२ से ५३ में इनकम्स की फीगर्स क्या रही है ? इससे अन्दाजा लगाइये कि कोई चीज अंडर एस्टीमेट होती है या ओवर एस्टीमेट । मैं हुजूरवाला की इजाजत से यह फीगर्स हाउस के सामने रखता हूं । सन् १९४७ से ४८ का जो बजट था उसमें जो ओरिजिनल एस्टिमेट था और जो बजट में रखा गया, वह था ४० करोड़ १३ लाख और उस साल में ऐक्चुअल एक्सपेंडीचर ३८ करोड़ ७४ लाख हुआ, यानी उल्टा हुआ । एस्टीमेट ज्यादा रखा गया था लेकिन खर्च कम हुआ । फिर १९४८–४९ में ४५ करोड़ ४७ लाख ओरिजिनल एस्टीमेट था और ऐक्चुअल खर्चा ४९ करोड़ २० लाख का हुआ । इस हालत में २२९ लाख रेवेन्यू रिजर्व फंड से मुन्तकिल किया गया । इससे ऊपर ४ करोड़ नये टैक्सशन से आया था, यानी सेल्स टैक्स वगैरह से इन्कम हुई थी । जो आमदनी टैक्सेज से होती है, वह बजट में शामिल नहीं की जाती है और न वह शामिल हो सकती है जब तक हाउस से हम क़ानून न बनवाकर पास करा लें वह आमदनी बजट में शामिल नहीं हो सकती । तो यह टैक्स की आमदनी इसमें शामिल नहीं है । यह जो ४ करोड़ रुपये बढ़े थे जो उसके बाद टैक्स लगाया गया था, तब यह हुआ । उसके बाद फिर ४९–५० में ओरिजिनल एस्टीमेट ५५ करोड़ ७३ लाख था और ऐक्चुअल ५६ करोड़ २६ लाख हुआ जब कि २९ लाख को ट्रान्सफर किया गया । इसके बाद फिर सन् ५०–५१ में ओरिजिनल एस्टीमेट ५२ करोड़ २६ लाख था और ऐक्चुअल खर्च ५१ करोड़ ७९ लाख हुआ । इसके बाद फिर ५१–५२ में ओरिजिनल एस्टीमेट ६१ करोड़ २६ लाख था और ऐक्चुअल ५७ करोड़ रुपया था । इनमें दो साल जरूर ऐसा हुआ जब कि ओरिजनल एस्टीमेट कुछ था और ऐक्चुअल कुछ निकला और इस फेर बदली का कारण भी मैंने आप को बतला दिया कि एक साल हमने नये टैक्स को लगाया और एक साल हमने रेवेन्यू रिजर्व फन्ड से निकाला । कुंवर साहब ने जब यह देखा कि इस वक्त इतने नये काम किये जा रहे हैं इसलिये उनके जस्टीफिकेशन के लिये ये टैक्स लगाये जा रहे हैं । इसके मुताल्लिक़ मैं यही समझा कि इस क़िस्म की बात किसी के दिमाग़ में नहीं आई । इसलिये मैं इसी बात को पहले साफ कर देना चाहता हूं । ४ करोड़ और २४ लाख का जो घाटा इस बजट में है, वह इस बजट के आमदनी और खर्चे के मुक़ाबिले को करके है । इसका इन नये टैक्सेज से कोई ताल्लुक़ नहीं है । इसका अभी एक भी पैसा इस बजट में नहीं जोड़ा गया और न जोड़ा जा सकता है । इस साल २० करोड़ रुपया कैपिटल खर्च के लिये रखा गया है जिसके बाबत मैं यही अर्ज करूंगा कि हमें डेवलपमेंट करना है । इस पर जो खर्च होगा वह पंचसाला योजना के नाम से खर्च होगा । इसके लिये ही यह २० करोड़ रुपये का कैपिटल खर्च रखा गया है । मैं आप के सामने बाकी भी अर्ज कर दूं । अगर यह

[वित्त मंत्री]

४ करोड़ २४ लाख रेवेन्यू डेफिसिट होता है और इस वक्त कैपिटल खर्चे की जरूरत नहीं होती है तो हम कभी भी इस टैक्स की बात नहीं सोचते और न यह बजट डेफिसिट ही होता। इससे ही काम चलता जिस तरीक़े से दुनिया के और काम चला करते हैं। यह जो टैक्स का सवाल आया है वह इससे ताल्लुक़ ज़रूर रखता है लेकिन मेरे दोस्त को यह बदगुमानी हुई कि हमने चालाकी से ४ करोड़ २४ लाख रुपया का डेफिसिट बजट बना दिया। वह सिर्फ इसलिये किया जा रहा है कि आप टैक्स लगाना चाहते हैं।

एक बात की दाद मैं कुंवर साहब को देता हूं। दाद देते हुये जितने भी मेम्बर साहबान हैं इस ऐवान में उनमें उनसे माफी चाहता हूं। वह यह है कि बजट के लायक स्पीच कुंवर साहब की जैसी स्पीच होनी चाहिए। हां, यह जरूर है कि उन्होंने जो डाट दिया है, वह किसी गलती पर दिया है, यह तो दूसरी बात है। उन्होंने जितनी बातें कहीं वह जरूर इस क़िस्म की थीं जिनका ताल्लुक़ खास बजट से था। जो इधर-उधर की बातें थीं उन पर उन्होंने अपना वक्त बेकार सर्फ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह कह दिया कि ग्रेन्स पर गवर्नमेंट ने दो करोड़ रुपया ख़र्च किया जो कि ज़रूरी नहीं था और उस रुपये को सरकार ने हमसे छिपाया भी। यह भी कहा गया कि यह रुपया इसलिये छिपाया गया क्योंकि जनरल इलेक्शन नज़दीक़ थे और यदि कोई इसे जनता के सामने रख देते तो इसका डर होता कि जनता समझ जाय कि हम इस तरह की गलती करते हैं। मेरे दोस्त का यह एतराज भी अच्छा होता अगर उन्होंने यह नहीं कहा होता कि इन मोटिव से काम किया गया।

यह बात सही है। मैंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट को देखा, उनका ज़िक्र करना बेकार है। क्योंकि वह दुनिया के सामने बराबर आते रहते हैं। हां, अगर ज़मींदारी अबालीशन का ज़माना होता तो ज़रूर यह हो सकता था कि उनको मौक़ा नहीं मिला। मैं कुंवर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर वह इस हाउस के सामने खड़े होकर ज़िक्र न करते तो मैं भी उनसे शिकायत न करता। उन्होंने हाउस में शिकायत की, इसलिए मैंने भी यह ज़रूरी समझा कि सदन के सामने शिकायत करूं। अब पुराना ज़माना तो रहा नहीं, इस ज़माने में तो बदगुमानी की कोई गुन्जाइश नहीं है। एक बात और कुंवर साहब ने फरमायी, वह ज़मींदारी अबालिशन से ताल्लुक़ रखती है। उसकी बाबत मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन वह ज़मींदारी से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूं। ज़मींदारी अबालीशन के सिलसिले में जो रुपया जमा हुआ है वह ३२ करोड़ रुपया है। तो जहां तक इन्तज़ाम का ताल्लुक़ है, उसके लिये वह इस साल के बजट को देखें। उसके कहने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूं।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—हाउस भी जानना चाहता है कि वह क्या है ?

वित्त मन्त्री—मुझे कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ वक्त को बचाने के लिए कह रहा था।

उसको पिछले साल भी दिया था और अब के बजट में भी उसका इन्तज़ाम किया गया है और बात इतनी सी है कि २६ करोड़ की रक़म जो है वह इसमें है। जो आपका एतराज़ है वह तो इसमें है और इसीसे हमारे कुंवर साहब के एतराजात का भी ताल्लुक़ है और एतराज़ों को मने वसे ही अपने शुरू के गुज़ारिश में इस माने में खत्म कर दिया कि कोई और साहबान उनको भुगतेंगे। मैं उनका इस वक्त जवाब नहीं देता हूं। एक आध बातें जो मेरे दिमाग़ में आती ह में अब उनको कहता हूं।

एक साहब ने फरमाया कि साहब यहां जो जजज हाई कोर्ट के बेन्चेज़ क़ायम हैं, उसके साथ में एक स्टेपमदरली ट्रीटमेंट हो रहे हैं। कह तो देते ह और हम सरकारी मुलाजिमान को कह देते ह और औरों को भी कह देते ह। मैं अगर यहां कहूं कि नहीं करते हैं तो शायद मेम्बरान यह समझें कि एक आदमी मिनिस्टर होने की वजह से अपने आदमियों को फील्ड करता ह लेकिन यह बात एकायक मेरे नज़दीक़ उसूल के खिलाफ थी और अगर आज हम सरकारी

मुलाज़िमानों को कहते हैं वह भी उसूल के खिलाफ है, वह यहां की किसी ख़ास बाडी का और ख़ास जमात का है तो उसके खिलाफ आपको नहीं कहना होगा। ऐसी हालत में जब कि उसको आप डिफेन्ड करने का कोई मौक़ा नहीं देते हैं तो यह कोई उसूल नहीं है। उसूल तो यह है कि जो हमारा डिवीजन है वह तो हाई कोर्ट इलाहाबाद का है और गवर्नमेंट का जो ताल्लुक़ है तो वह ताल्लुक़ कान्सटीटय़ूशन की रोशनी में था जो पहले भी ट्रेडिशन था उसके लिहाज से मेम्बरान अच्छी तरह से समझते हैं कि वह सब चीफ जस्टिस के मातहत में हैं और हमारे और उनके दरमियान मातहती का ताल्लुक़ है। हमसे कहना और इस हाउस में किसी ऐसी बात को कहना जिसमें डाइरेक्ट कनेक्शन हाईकोर्ट का नहीं है तो उसका जवाब देने के लिये मैं समझता हूं कि कोई मुनासिब वजह नहीं हो सकती है। जहां तक मैं समझता हूं कि चीफ़ जस्टिस साहब जो कुछ भी उसके मुताल्लिक़ कर रहे होंगे और जो कुछ भी हो रहा होगा वह कोई मुनासिब और मौज़ूं बात होगी और अगर उसमें कोई शिकायत का मौक़ा है या कोई शिकायत की बात है तो गलत है। मैं समझता हूं कि यहां मेम्बर भी इस हैसियत से कि वह पब्लिक के नुमाइन्दे हैं, प्राइवेट तौर पर चीफ जस्टिस के पास अपनी शिकायतों को लेकर एप्रोच कर सकते हैं और उनकी नोटिस में जो शिकायत है व उनके सामने लायें। इससे अच्छा और तो कोई तरीक़ा उनकी शिकायत को दूर करने का नहीं है।

कानपुर में युनिवर्सिटी की बाबत यह एतराज़ था कि एक टेक्निकल युनीवर्सिटी हो। अगर वैसी न हो तो कोई दीगर इन्डस्ट्रियल हो और जहां ज़रा गौर करना पड़ा है तो फिर वह शायद इस बात में आ गये कि वह ख़त्म हो गया और अगर ऐसा न हो तो कोई कम से कम टेक्निकल युनीवर्सिटी हो। मगर मैं समझता हूं कि ऐसी चर्चा हुई और उसका भी तजकिरा अखबारों में आया है। अगर नहीं आया है तो मैं अर्ज़ करता हूं कि वह एक टेक्निकल इन्स्टीटय़ूट खोलना सरकार की नियत है और वह मसला ज़ेरे गौर है। लिहाज़ा इस बात को खुद गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऊपर छोड़ दिया जाय और अगर वह इन्तज़ाम कर लेती है तो अच्छा ही है, हालांकि बात तो एक ही हुई। खर्च तो बहरहाल होगा ही चाहे सेन्टर से हो चाहे स्टेट का हो, लेकिन फिर भी एक पर्स अलग है और एक दूसरा पर्स है और अगर दूसरे पर्स से खर्चा होता है तो उतना अच्छा ही है, इस पर्स का रुपया कुछ और काम में हम ला सकते हैं।

अब मुझे एक बात और कहना है कि जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसके सिलसिले में मिलने की गरज गवर्नमेंट को खुद हुई। जितना खर्चा इस बजट में रक्खा गया तो वह मुख्तलिफ क़िस्म की चीज़ों पर रक्खा गया है जो चीज़ों जनता की जिन्दगी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, उनके लिये है।

इस क़िस्म के आदमी आज यहां रहते हैं। लेकिन आज तो इस समय इस बजट की गुफ्तगू हमें करनी है जो कि हमारे सामने है और मैं बड़े अदब से अर्ज़ करता हूं कि टैक्सेज़ के बारे में जो इस बजट में रखा गया है वह इसलिये कि ४ करोड़ २५ लाख रुपये का डेफिसिट इसमें है। डेफिसिट है इसलिये ये टैक्सेज़ भी रक्खे गये, वर्ना इनका होना कोई माने नहीं रखता। तो इस तरह से कोई इस डेफिसिट को माने या न माने और इसके बारे में वह कुछ कहता हो और दूसरा दूसरी बात कहता हो तो यह कहना मुश्किल है कि यह कहने वाला सही है और दूसरा कहने वाला सही नहीं है। हमारा क़सूर यह है कि हमने पिछले ५ वर्ष में उनकी निगाह में कुछ नहीं किया, यह हो सकता है। आज हमें ५ साल के लिये जो ज़िम्मेदारी मिली हुई है तो क्या हम लेजिस्लेचर के सामने झूठ बोलने आते हैं। इन ५ सालों के अन्दर हमें इस स्टेट के विकास और डेवलपमेंट के लिये ९२ करोड़ रुपये की ज़रूरत है, तो अभी से इसके जवाब में क्या कहा जा सकता है। इसका जवाब यह हो सकता है कि फारसी का मुझे एक शेर याद आ गया, अब समझ में नहीं आता कि शेर कह दूं या उसका तर्जुमा कर दूं। क्योंकि शुरू से फारसी पढ़ी है इसलिये फारसी में ही शेर कह सकता हूं। यह जो ९२ करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा तो उसके लिये उन्हें अपोज करने का मौक़ा नहीं आयेगा क्योंकि आज जो पोजीशन है वह इनसेपरेबुल पोजीशन है और हर आदमी के सामने

[वित्त मंत्री]

आज यह बात है कि वह स्टेट की पोजीशन को देखे, उनकी तरफ तवज्जह दे और उन चीज़ों में कोआपरेशन करे जिनमें कि स्टेट खर्चा करना चाहती है। तो इस तरह का कोआपरेशन हमें मिलना ही चाहिये, चाहे वह बावजूद सोशलिस्ट के हों, या बावजूद कम्यूनिस्ट्स के हों या कांग्रेस वाले हों, लेकिन हर एक को यह सोचना है कि हमें मुल्क का यह काम करना है और इसके लिये आपको गवर्नमेंट का भी एतबार करना चाहिये। अब आप हम पर एतबार न कीजिये और विकार ढूंढिये किसी और के ज़रिये क्योंकि ५ साल तक तो यह कुछ नहीं करेंगे तो या तो इस हुकूमत का तख्ता लौटें, नये सिरे से हुकूमत बने, तब वह काम हो। हमारे नज़दीक इस प्रदेश की ऐसी पोजीशन है कि इसी हुकूमत को ५ साल काम करना है और उसने ५ साल का प्लान बनाया है। मैं अर्ज़ करूं जनाब वाला, आप इसको यह समझें कि वह कुल ५ साल का जो प्लान है जिसकी निस्बत यह समझा गया कि वहां रिवोल्यूशन हो जायेगा, जो हमारे प्रोफेसर साहब देखना चाहते हैं, मैं इस बात को एतराज़ की नज़र से नहीं कह रहा हूं, मैं फ्रैंकली एक कमजोरी को आप के सामने रखना चाहता हूं कि ९२ करोड़ रुपये का खर्चा इस स्टेट में हमको करना होगा, वह तब हो सकता है ५ साल में जब हमारे पास और जराय हों, उसके करने के वास्ते। १ हज़ार ट्यूबवेल ५ साल के अन्दर बनाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है जिसकी निस्बत मैं यह कह दूं कि ऐसा हो जायेगा। हालांकि मैंने ९९५ और बढ़ा दिये हैं, वह अलग है, लेकिन जो फाइव इयर प्लान गवर्नमेंट आफ इंडिया से मंज़ूर हुआ है और जो उसके पार्ट्स हैं, उनके मुताल्लिक़ मैं अर्ज़ कर दूं। जैसे इर्रीगेशन की बात है, ट्यूबवेल बनाने की बात है। उन हिस्सों में जहां स्टार्व हो रहा है, इस प्लान से क्या फायदा होगा, यह आप खुद सोच सकते हैं। पावर प्लान का खर्चा है, इर्रीगेशन का खर्चा है और तालीम का खर्चा है, इन सब खर्चों को मिला कर ९२ करोड़ हो जाता है। इसमें एक चीज और है, वह यह है कि ३५ करोड़ रुपया हमारे रेहंद डैम का है। नये मेम्बर साहबान जो हैं उन्होंने इसका तजकिरा बाहर नान मेम्बर की हैसियत से सुना होगा। लेकिन फिर भी मैं अर्ज़ किये देता हूं कि वह मिर्ज़ापुर में एक नदी है, उस पर बनाया जा रहा है और उससे २० हज़ार किलोवाट बिजली पैदा होगी और ट्यूबवेल बनाये जायेंगे और उनसे आवपाशी होगी और २२ ज़िलों के अन्दर रोशनी फैलेगी और काटेज इन्डस्ट्रीज़ भी बढ़ेंगी। जब तक यह ५ साल का प्लान पूरा नहीं होता है, यानी इन्टेरिम इन्तजाम भी है, जिससे २ या ४ सौ ट्यूबवेल बनेंगे, लेकिन जब रेहंद डैम बन जायेगा तो हर एक चीज सामने आ जायेगी। तो कुल खर्चा ९२ करोड़ और ३५ करोड़ का है। यहां कुल १ अरब २७ करोड़ रुपया होता है। इसमें से १४ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। वह स्कीम है और चालू है उस पर जो साल गुजर चुका है यानी ३१ मार्च सन् ५२, उस वक्त तक खर्च हो चुका है, तो इस तरह से १ अरब १३ करोड़ रुपया बाकी रह जाता है और उसे खर्च होना है, तो हुजूर वाला, जो बातें मैंने कहीं, वह ऐसी नहीं है, उनको इस ओर उस मसले से उलझा दिया जाय। हक़ीक़त में तवज्जह करना है, और हर मेम्बर को अपन दिमाग़ में फैसला करना है कि यह फाइव इयर प्लान कैसे हो?

कुछ साहबों ने इरशाद फरमाया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो आमदनी इनकम टैक्स की हमको आती है वह और बढ़वाई जाय। गवर्नमेंट आफ इंडिया से जो आमदनी आती है वह ९ या साढ़े ९ करोड़ की है। यह बात कि हमको गवर्नमेंट से इनकम टैक्स की आमदनी और ज्यादा मिलनी चाहिये, इसके लिये मैं अर्ज़ कर दूं कि एक फाइनेन्स कमीशन बठा हुआ है, मामला उसके सुपुर्द है और जो कुछ तय होगा उसके हिसाब से कार्यवाही की जायगी। तो मैं कैसे समझूं कि हम कामयाव भी होंगे या नहीं। हमको ९ करोड़ के बजाय कितना मिल जायगा। २, ३ या ४ करोड़ और ज्यादा मिल जायगा। मैंने क़र्ज़े की पोजीशन बजट स्पीच में बतला दिया है। उसको देखते हुये एक साहब ने इरशाद फरमाया कि लोग अंग्रेज़ों को जंग के ज़माने में इतना क़र्ज़ा दे सकते थे, लेकिन हमको विकास की योजनाओं के लिय नहीं मिल सकता है। और भी एक साहब ने उसके बारे में कहा है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि

एक साहब ने कहा कि कैपिटलिस्ट का बजट है, तो जब यह कैपिटलिस्ट का बजट है और जंग के ज़माने में वह क़र्ज़ा दे सकते थे, लेकिन अब नहीं दिया, तो अगर यह उनके ही फायदे का बजट है और वह क़र्ज़ा नहीं देते हैं तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि यह कहां तक सही है। अगर उनका ही बजट होता तो वह अपने फायदे के लिये क्यों न क़र्ज़ा देते। लिहाज़ा यह बात ग़लत है कि यह कैपिटलिस्ट का बजट है। क़र्ज़े की पोजीशन से मालूम होता है कि कहां तक हमें इसमें दिलचस्पी है। बहरहाल, हमने अर्ज़ किया कि हम क़र्ज़ा मांगेंगे, गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी लेंगे, लेकिन अगर हम यह समझें कि गवर्नमेंट से क़र्ज़ लेकर और दूसरों से क़र्ज़ लेकर काम पूरा हो जायगा तो मैं यह ज़रूर करता और कर न लगाये जाते। लेकिन आप देखिये? ११३ करोड़ को चार सालों में बांट दीजिये तो क़रीब ३० करोड़ होता है। अब मैं इसकी निस्बत क्या कहूं, लेकिन हुज़ूरवाला, जितनी और स्टेट्स हैं वह सब गवर्नमेंट आफ इन्डिया की तरफ देख रही हैं, कुछ अभी पैदा हुई स्टेट्स हैं। उनको भी गवर्नमेंट को नरिश करना है, तो अगर मुझे यक़ीन हो जाता कि ३० करोड़ से काम चल जायगा तो मैं कभी भी टैक्स न लगाता। मेरे दोस्त राजाराम ने अपनी स्पीच में एनालिसिस किया था। उन्होंने यह कहा कि इधर जो मेम्बर बैठे हैं, उन्होंने भी वही कहा और जो उधर बैठे हैं, उन्होंने भी वही कहा तो नतीजा यही निकला कि उन्होंने और हमने एक ही बात कही। मेरे नज़दीक यह एनालिसिस सही है। मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने तक़रीरों को इस नज़र से नहीं सुना कि कोई साहब इधर के हैं या उधर के हैं। मैंने तो इसको इस ख्याल से सुना कि उसने कहा क्या? मेरा इस वक्त इस बात से ताल्लुक़ नहीं है कि उधर कौन बैठा है और इधर कौन बैठा है। हां, इस बात से मुझे ताल्लुक़ ज़रूर है कि आज इस वक्त इतने आदमी यहां पर मौजूद हैं जिनसे आपके ज़रिये से बात चीत कर रहा हूं और वे वह लोग हैं जिन्होंने अपने कंधों पर उत्तर प्रदेश की हुकूमत की ज़िम्मेदारी ली है। लिहाज़ा हमको मिलकर यह सोचना है कि हम रुपये का कहां से इन्तज़ाम करें। टैक्स के मुताल्लिक़ हमारे दोस्त कन्हैयालाल साहब ने कहा कि साहब टैक्सेज़ जिनका बजट स्पीच में तज़किरा किया गया है, उनके मुताल्लिक़ पूरी तफसील आना चाहिये और हमारे सामने पूरी व्याख्या होनी चाहिये थी ताकि उस पर पूरी गुफ्तगू हो सकती। मैं नहीं समझता कि मैंने अपने नज़दीक मेम्बरान साहिबान के साथ कोई ज्यादती की है इसलिये कि मैंने बजट स्पीच में यह बतला दिया कि इस स्टेट में टैक्स लगने की ज़रूरत है। जब बजट का सेशन ख़त्म होगा, उसके फौरन बाद ही क़ानून आपके सामने आयेंगे। तफसीलात उनके अन्दर होंगी। प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल साहब ने खास तौर से डाल्टन के कोटेशंस पढ़ कर तवज्जह दिलाई थी इसलिये उनसे यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस दिन उन्होंने यह कोटेशंस दिये उससे एक दिन पहले मैं उनको पढ़ चुका था। उसके मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू होगी और उसके लिये मौज़ूं वक्त भी वही होगा। हम इसको उस वक्त तक के लिये मुल्तवी रखें जब कि लेजिस्लेशन लाया जाय। इस वक्त मैं दस्तबस्ता जनाब के ज़रिये से मेम्बरान से यह अर्ज़ करूंगा कि इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम देखें कि बजट कैसा है, किसने बनाया है। हां, यह देखें कि हमारे पास कोई आल्टरनेटिव मौजूद है या नहीं अगर नहीं है और इस देश के अन्दर तरक्क़ी करना है तो उसके लिये कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैं अर्ज़ करूंगा कि इस बजट पर बावजूद लानत भेजने के इसे सर पर रखना होगा। और इसमें जो कुछ लिखा है टैक्स से, दान से, पैसे से, हर उस आदमी के लिये जो उत्तर प्रदेश में रहता है, कोशिश भी करनी होगी। यह बात दूसरी है कि अगर कुदरत ने कोई कमी कर दी और किसी को कोई मौक़ा मिल गया कि इसके खिलाफ कोई बात कह दे, लेकिन यह भी ज़रूर है कि जो गवर्नमेंट आज है, उस गवर्नमेंट की उबूर और उसकी हिम्मत की बुलन्दी आज सन् ४६ से जब कि उसने ऐनाने हुकूमत अपने हाथ में ली थी, बहुत ज्यादा है, और हम इस बात के लिये तैयार हैं कि हम इसका विकास करके छोड़ेंगे। हमें रुपये की मुश्किलात नहीं दबा सकेगी। मगर हां, हम आप का ताव्वुन चाहेंगे, आपका सहयोग चाहेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय माल मंत्री ने जो फीगर्स कोट किये.....

चेयरमैन--अब आप आर्गूमेन्ट्स नहीं दे सकते।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं आर्गूमेन्ट्स के लिये नहीं कहता। मैं यह कहता हूं कि मेरे जो फीगर्स थे वह रेवेन्यू के थे और माल मंत्री ने जो फीगर्स पेश किये वह पूरे टोटल के थे। इसमें डिफरेन्स पड़ जाता है मैं यह भी जानना चाहता हूं कि नहर के सिलसिले में किसी मंत्री ने कोई बात नहीं कही।

चेयरमैन--आप को इन्फारमेशन चाहिये तो प्रश्न करके ले सकते हैं। काउन्सिल २८ तारीख को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(५ बजकर ३२ मिनट पर कौंसिल की बैठक २८ तारीख को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई)।

लखनऊ,
१४ जुलाई, १९५२।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ४०--एल० पी० ए० १९५२--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई

उपस्थित सदस्य (५५)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
वीर भानु भाटिया, डाक्टर
वंशीधर शुक्ल, श्री
व्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
वृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर
राजा राम शास्त्री, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
ललिता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आफ विजयानगरम, डाक्टर, महाराजकुमार
विश्व नाथ, श्री
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिव राज वती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त तथा विद्युत् मन्त्री)
श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मन्त्री)

प्रश्नोत्तर

१—**श्री इन्द्र सिंह नयाल**—(स्थगित) ।

1. **Sri Indra Singh Nayal.** (*Postponed*)

बरेली एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की शिकायतें

२—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—क्या यह सच है कि बरेली एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी सन् १९४० ई० के पश्चात् कई बार अपने रेट्स (rates) बढ़ा चुकी है और बढ़ाती जा रही है जबकि स्टाफ में अधिक व्यक्ति नहीं बढ़ाये गये हैं ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—बरेली एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने १९५२ में रोशनी और पंखे के लिये इस्तेमाल होने वाली बिजली का रेट पांच आने से साढ़े पांच आने बढ़ाया है । बाकी सब रेट लगभग वही हैं जो १९४० में थे।

३—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—(क) क्या यह सच है कि बरेली एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के विरुद्ध जनता की ओर से सरकार के पास कई प्रार्थना-पत्र आ चुके हैं ?

(ख) सरकार ने उन प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की या करने का इरादा है ?

विद्युत् मंत्री (क)—केवल एक सज्जन ने इस बारे में सरकार के पास कई प्रार्थना-पत्र भेजे थे।

(ख) उनकी शिकायतों के तहकीकात कराने के बाद जो शिकायतें सच थीं उनको दूर करने के लिये सरकार ने आवश्यक आदेश जारी कर दिये थे।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि जनता की शिकायतों की तहकीकात करने के बाद जो शिकायतें थीं उनको दूर करने के लिये सरकार ने क्या आवश्यक आदेश जारी किये हैं और कम्पनी ने कितनों को माना है ?

विद्युत् मंत्री—कम्पनी वालों को यहां बुलाया गया और उस दरख्वास्त की बिना पर तहकीकात करके उनसे यह मालूम हो गया था कि कुछ शिकायतें जरूर हैं। उन शिकायतों को दूर किया गया और उनके खिलाफ फिर आजतक कोई शिकायत नहीं आई है।

४—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद**—(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि कम्पनी ने अपना खर्चा कम करने के लिये माहवारी बिलों को चपरासियों द्वारा न भेजकर डाक द्वारा भेजना आरम्भ किया है ।

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि यह बिल अक्सर कंज्यूमर्स (consumers) के पास तक नहीं पहुंचते हैं, जिससे रुपया समय पर जमा न होने पर या तो कन्ज्यूमर्स को रिबेट (rebate) नहीं मिलता है या उनका कनेक्शन कट जाता है ?

विद्युत् मंत्री—(क) जी हां ।

(ख) सरकार के पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें कम्पनी द्वारा डाक से भेजे हुए बिलों के न पहुंचने अथवा देर से पहुंचने की बात साबित हो गई हो।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब खर्च के बिल (Bill) डाक द्वारा भेजे जाते हैं तो कम्पनी ने ६ पाई क्यों बढ़ाया है ?

विद्युत् मंत्री—बिजली बनाने में कोयला खर्च होता है और रेलवे महसूल बढ़ने के कारण इसके दाम भी बढ़ गये हैं इसके अलावा और भी चीजों के दाम ज्यादातर बढ़ गये हैं।

५—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस कम्पनी ने अपना खर्च कम करने के कारण प्रत्येक महीने का बिल न भेजकर दो महीने का बिल एक साथ भेजना आरम्भ कर दिया है जिससे गरीब जनता को एक साथ बिल चुकाने में बड़ी कठिनाई होती है ?

विद्युत् मंत्री—जी हां, यह खर्चा घटाने के लिये किया गया है।

६—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या यह सच है कि बरेली एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी कन्ज्यूमर्स से एक ऐग्रीमेन्ट (agreement) पर हस्ताक्षर कराती है, जिसके द्वारा एलेक्ट्रिक लगाने के तार और खम्भों आदि की कीमत कन्ज्यूमर्स को देना पड़ता है, किन्तु बाद को यह सम्पत्ति कन्ज्यूमर्स की न रह कर कम्पनी की हो जाती है और एलेक्ट्रिक मीटर खत्म कराने पर न तो यह सम्पत्ति, न उसका मुआविजा कन्ज्यूमर्स को मिलता है ?

विद्युत् मंत्री—कन्ज्यूमर्स को बिजली देने में जो खर्चा होता है वह इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० के अन्तर्गत कम्पनी और कन्ज्यूमर्स के बीच में बांटा जाता है। बिजली लेने के पहिले कन्ज्यूमर को एक ऐग्रीमेंट (agreement) कम्पनी के साथ करना पड़ता है। बिजली सप्लाई करने की लाइन के स्वत्वाधिकार (ownership) के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि इस ऐग्रीमेन्ट (agreement) के सम्बन्ध में क्या सरकार ओनरशिप (ownership) के मुताल्लिक विचार कर रही है ? इस विचार करने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है या कोई कमेटी (committee) बनाई है ?

विद्युत् मंत्री—यह एक लीगल (legal) सवाल है। इस पर सरकार का जो विचार हो सकता है वह यही हो सकता है कि जो लीगल ऐडवाइजर (legal adviser) सरकार के हैं, उनसे राय ली जाय और उनसे राय लेने के बाद ही इस पर फैसला किया जाय, चुनांचे राय ली जा रही है।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी, मैं आपकी आज्ञा से सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) को, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं। यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २६ जुलाई, १९५२ को पारित किया गया और यहां उसी दिन साढ़े पांच बजे आया। स्पीकर ने यह प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक है।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

The Minister for Finance (Sri Hafiz Mohammad Ibrahim): Sir, I introduce the U. P. Electricity (Temporary Powers of Control) (Amendment) Bill, 1952.

सन् १९५२-५३ ई० के लिये २२ स्टैंडिंग कमेटियों के लिये चुनाव

The Minister for Finance: Sir, I move that this Council do proceed to elect three members each for the 22 Standing Committees for the year 1952-53 in accordance with the rules for the election, constitution and procedure of the Standing Committees, as the term of their members expired on March 31, 1952.

Chairman: The question is that this Council do proceed to elect three members each for the 22 Standing Committees for the year 1952-53, in accordance with the rules for the election, constitution and

[चेयरमैन]

procedure of the Standing Committees as the term of their members expired on March 31 1952.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चेयरमैन—इस सम्बन्ध में ३१ जुलाई तक नामिनेशन्स (nominations) सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल के पास १२ बजे तक आ जाने चाहिए।

किंग एडवर्ड सप्तम सैनेटोरियम भुवाली को ऐडवाइजरी कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव

The Minister for Finance : Sir, I move that the Legislative Council do elect, on such date and in such manner as the Chairman may direct, one member to serve, on the Advisory Committee of the King Edward VII Sanatorium, Bhowali.

Chairman : The question is that the Legislative Council do elect on such date and in such manner as the Chairman may direct, one member to serve on the Advisory Committee of the King Edward VII Sanatorium, Bhowali.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चेयरमैन—इस चुनाव के लिये भी ३१ जुलाई को १२ बजे तक नामिनेशन्स सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल के पास आ जाना चाहिए।

प्रस्ताव कि कौन्सिल के नियमों का नियम १२५ (२) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक सन् १९५२ ई० के विचार किये जाने के सम्बन्ध में स्थगित किया जाय

Professor Mukut Behari Lal : Sir, I beg to move under rule 163 that rule 125 (2) of the U. P. Legislative Council Rules be suspended in regard to the consideration of the U. P. Appropriation Bill, 1952.

I think, this we will have to do because the new Appropriation Act must come into operation on the first day of August, 1952 and today is 28th of July. So, unless we suspend the rule it will not be possible for us to consider the Appropriation Bill and to send it to the Legislative Assembly with our recommendations. I, therefore, move that the rule be suspended, though I request, through you Sir, the Leader of the House that he will so arrange the business of the House in future that we may not have to suspend the Rule for transacting the business.

The Minister for Finance : Government have no objection to this proposal, Sir, and I would only say this much that due to the special exegencies this year, the budget had to be presented after a longer time than is usually the case and the preparation of the budget was also undertaken in a hurry. Two sets of budget had to be presented to this House this year within the last four months. Therefore, there was no time to observe the usual rule which could not but be suspended in the special circumstances of the case.

As to the other point raised by the honourable member I would only assure you, Sir, that so far as lies in our power this will not happen again.

Chairman : The question is that under rule 163, rule 125 (2) of the U. P Legislative Council Rules be suspended in regard to the consideration of the U. P. Appropriation Bill, 1952.

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)

* **The Minister for Finance:** Sir, I move that the Uttar Pradesh Appropriation Bill, 1952, be taken into consideration.

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल २०४ में यह लिखा हुआ है कि जो खर्चा स्टेट (State) में हो उस खर्चे के लिये इस स्टेट को कन्सोलिडेटेड फन्ड (consolidated fund) से रुपया दिया जाय। इस वजह से यह एप्रोप्रिएशन बिल लेजिस्लेचर के सामने रखकर उसको ऐक्ट बनाने का विचार है। यह बिल इस गरज से लाया गया है कि मेम्बरान के सामने आकर वह बिल ऐक्ट बन जायेगा और कंसोलिडेटेड फन्ड जो यू० पी० का है उसमें मुख्तलिफ मदों से आमदनी होती है और वह इस स्टेट का कन्सोलिडेटेड फन्ड हो जाता है। यह हाउस बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन (general discussion) कर चुका है और असेम्बली में इसके अलग-अलग आइटम्स (items) पर कन्सिडरेशन (consideration) किया जा चुका है। इस तरह से जो रकम देना मन्जूर किया गया है, उस रकम को खर्च करने के लिये यह बिल लाया जाता है। चुनांचे इस बिल में जो रकमें ली गयी हैं वह सब वही हैं जो हर एक ग्रान्ट के मुताल्लिक इस बजट के अन्दर रक्खी गयी है। यह एप्रोप्रिएशन बिल इस ऐवान और इस लेजिस्लेचर के सामने इस गरज से लाया गया है कि वह इस बात पर विचार करें कि जो रुपया जिस उद्देश्य से और जिस गरज से दिया गया है वह इतना दिया गया है कि इस मकसद पर इतना रुपया खर्च हो और उतना ही रुपया खर्च होगा। चुनांचे इस कानून के अन्दर जैसा कि पढ़ने से मालूम होगा, वह रकम दी हुई हैं। उससे ज्यादा रकम उस चीज पर इस कन्सोलिडेटेड फन्ड से खर्चा नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस पर मेम्बरान विचार करेंगे। मेरा कहना है कि मैंने एप्रोप्रिएशन बिल मेम्बरान के सामने इस गरज से रख दिया है कि चूंकि पहले बजट पर जनरल डिस्कशन हो चुका है और मुमकिन है कि उनके सिलसिले में मुझे इस वक्त ज्यादा कहने की जरूरत न हो। इसलिये मैं मेम्बरान से इसको पास करने की सिफारिश करूंगा और तवक्को करता हूं कि ऐवान इसको मन्जूर करेगा।

†**प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल**—माननीय अध्यक्ष जी, यह एप्रोप्रिएशन बिल हमारे सामने है। मुझे इस बात की खुशी है कि सदन के नेता हाफिज जी ने इस बात का वायदा किया है कि वह अगले वर्ष इस बात की कोशिश करेंगे कि इस एप्रोप्रिएशन बिल पर विचार करने के लिये हमें अपनी मनोवृति को, नियमों को सस्पेन्ड करने की या स्थगित करने की कोई जरूरत महसूस न हो। इस वायदे की बिना पर ही मैंने यह प्रस्ताव किया था कि यह नियम स्थगित कर दिया जाय और और अब मैं अपना एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। बजट की बहस का जवाब देते हुए सदन के नेता हाफिज जी ने यह फरमाया था कि आजादी से पहिले इस प्रदेश में पुलिस राज्य था और आजादी के बाद हम इस प्रदेश में कल्याण राज्य कायम करना चाहते हैं। अगर यह बात सच होती तो इस सदन के किसी सदस्य को भी ताज्जुब न होता। आजादी से पहिले दूसरों का हम पर राज्य था, वह हमारी भलाई करने के लिये यहां नहीं आये थे, बल्कि वह तो अपना साम्राज्य कायम रखकर हमारा शोषण करने के लिये आये थे, पुलिस और फौज के जरिये से अपनी हुकूमत को कायम रखना उनका पहला फर्ज था और इस साम्राज्यशाही हुकूमत के लिये पुलिस राज्य होना एक बहुत ही कुदरती और स्वाभाविक बात थी। आज की हुकूमत बालिग मताधिकार के ऊपर कायम है, जिसमें जनता की जिम्मेदारी है और इसलिये आज की हुकूमत के लिये जनता की सेवा करना, जनता का कल्याण करना और भलाई करना यह स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि हाफिज जी का यह बयान सच होता तो किसी को ताज्जुब न होता, लेकिन अगर हम इस साल के, पिछले पांच सालों के बजट और पुराने बजटों का मुकाबला करते हैं, तो

---

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

† सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल]

पता चलता है, कि यह कह देना कि आजादी से पहले की सरकार केवल पुलिस राज्य थी, उसे जन कल्याण का कुछ भी ख्याल नहीं था, यह बात सच न होगी। जैसा कि लड़ाई के जमाने में अंग्रेजों के सामने अपनी हैसियत कायम रखने का सवाल था, इस लड़ाई के जमाने के बाद के बजट के ऊपर भी जब हम गौर करते हैं तो तो हमें पता चलता है कि विदेशी सरकार जितना रुपया साधारण प्रशासन, पुलिस, न्याय विभाग और जेल पर खर्च करती थी उससे कम रुपया सोशल सर्विसेज (समाज सेवाओं) और निर्माण कार्यों में खर्च करती थी। सन् १९४५-४६ में अगर आमदनी को खर्च में से घटा दिया जाता है तो पता चलता है कि सामाजिक सेवा के कार्यों पर यानी शिक्षा, चिकित्सा और पब्लिक हेल्थ के ऊपर और निर्माण कार्यों पर विदेशी सरकार नें ६ करोड़ २८ लाख रुपया खर्च किया था।

उसमें से मैंने वह रक़म घटा दी है जो निर्माण कार्यों से सरकार को आमदनी होती थी। यानी ६ करोड़ २८ लाख रुपया साधारण करों में से सरकार ने समाज सेवा कार्यों पर और निर्माण कार्यों पर खर्च किया। उस समय में साधारण ऐडमिनिस्ट्रेशन (administration) और पुलिस, न्याय विभाग और जेल विभाग पर ६ करोड़ और ५२ लाख रुपया खर्च किया गया। अगर जूडीशियल स्टाम्प्स (judicial stamps) जिसका ताल्लुक़ बहुत कुछ न्याय विभाग से है उसकी आमदनी घटा दी जाय तब तो वह रक़म साढ़े चार या पांच करोड़ की साधारण कर में से होगी। उसके साथ ही अगर हम १९५२-५३ के बजट को लेते हैं तो पता चलता है कि इस बजट के अन्दर समाज सेवा कार्यों पर और निर्माण कार्यों पर साधारण करों में से १४ करोड़ २५ लाख रुपया का खर्च होगा और उसके मुक़ाबिले में साधारण प्रशासन जेल, पुलिस और न्याय विभाग पर १४ करोड़ ९२ लाख खर्च होगा। अगर इसमें से जो जुडिशियल स्टाम्प्स की रक़म है वह घटा दी जाती है तो डेढ़ करोड़ की रक़म और कम हो जाती है। सन ४५-४६ और ५२-५३ का मुक़ाबिला जब किया जाता है तो हमें पता लगता है कि साधारण करों में से करीब क़रीब दोनों खर्चों कर एक ही हिसाब रहता है। ६ करोड़ २८ लाख १९४५-४६ में हमने समाज-सेवा कार्यों पर और निर्माण कार्यों पर खर्च किया। ५२-५३ में हम समाज-सेवा और निर्माण कार्यों पर १४ करोड़ २५ लाख खर्च करना चाहते हैं जब कि हम साधारण प्रशासन और संरक्षण सेवाओं पर १४ करोड़ ९२ लाख खर्च करना चाहते हैं। इस हालत को देखते हुये यह कहना बड़ा मुश्किल है कि हमने ६ या ७ साल के अन्दर एक ऐसी वित्त नीति का अवलम्बन किया है या एक ऐसी अर्थ व्यवस्था बनाई है जिसके जरिये हमारे राष्ट्र के स्वरूप का रूपान्तर हो गया है। अगर हम साधारण कर को छोड़ कर कैपिटल आउट ले (पूंजी के खर्च) की ओर ध्यान देते हैं तब तो हमें पता लगता है कि पुराने जमाने में अंग्रेज सरकार संरक्षण के लिये रुपया ही नहीं खर्च करती थी बल्कि वह पूंजी लगाकर निर्माण कार्य पर भी खर्च करती थी। सन् १९२१ और १९३७ के बीच में लगभग १ करोड़ रुपया साल पुरानी सरकार नहर बनाने और हाइड्रोएलेक्ट्रिक के कार्यों पर खर्च करती थी। १९३७ और ४० के बीच में वह खर्च कुछ कम हो गया है लेकिन उसका जवाब तो मंत्रिमंडल ही दे सकता है क्योंकि उस जमाने से वही मंत्रिमंडल काम कर रहा था जो जनता के प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि होते हुये भी २ या ३ वर्षों के अन्दर निर्माण कार्यों पर इतना रुपया खर्च करने के बजाय कम खर्च क्यों किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि इधर युद्ध के बाद मौजूदा कांग्रेसी सरकार ने पुराने जमाने से कुछ रुपया ज्यादा नहरों और हाइड्रोएलेक्ट्रिक वर्क्स पर खर्च किया है।

लेकिन यह भी हम जानते हैं कि उस समय से आज के जमाने में क़ीमतें चौगुनी पचगुनी हो गई हैं और इसलिए यदि हम सन् १९२१ और ३७ के मुक़ाबिले में निर्माण कार्य में आज चौगुनी रक़म खर्च कर रहे हैं तो कह नहीं सकते हैं कि वास्तव में हमारा काम भी उस जमाने से चौगुना हो रहा है। नया बजट बना है। उस नये बजट के अन्दर पंचवर्षी योजना का आधार लेकर कुछ विस्तृत निर्माण कार्य जरूर रखा गया है।

चेयरमैन--मैं जरा माननीय सदस्य को इन्टरप्ट (interrupt) करूंगा। एप्रोप्रिएशन बिल पर, जैसे बजट पर जनरल डिस्कशन हुआ था वैसे बहस नहीं हो सकती। मैं चाहता हूं कि १५ मिनट में हर एक मेम्बर अपना भाषण खत्म कर दें।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--शायद १५ मिनट में खत्म कर चुका हूंगा।

चेयरमैन--आप ५ मिनट और ले लें, क्योंकि मैं पहले यह बात नहीं कह सका था।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल--मैं यह कह रहा था कि हम क्या निर्माण कर चुके हैं। मैं यह कह सकता हूं कि हमने पुराने जमाने से कुछ अधिक निर्माण कार्य किया है। लेकिन अब भी हमारा कार्य वही नहरें बनाना है, वही सड़कें बनाना है और वही ट्यूब वेल्स बनाना है जो पुरानी अंग्रेज सरकार ने किया था। ऐसी हालत में यह कैसे कहा जा सकता है कि नई सरकार नई उमंग के साथ, नये उत्साह के साथ नये प्रकार का समाज नए प्रकार का राज्य क़ायम करना चाहती है। मेरा ख्याल है कि अगर अंग्रेज चले गये हैं तो मौक़े मौक़े पर हम उन्हें गालियां भी देते हैं, लेकिन उन्हीं के ढर्रे पर हम अब भी चल रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य की शिक्षा पद्धति बदल गई है, क्या आज भी वही पुलिस स्पिरिट (police spirit) हममें नहीं पाई जाती है जो अंग्रेजों में पाई जाती थी। हमारे मुख्य मंत्री अपने को महात्मा गांधी का शिष्य कहते हैं, उनकी नीति का अनुयायी कहते हैं। पर बराबर सत्याग्रह को अवैधानिक बात बताते हैं और बराबर धमकी देते हैं कि जब तक सत्याग्रह की चर्चा रहेगी तब तक पुलिस की तादाद कम नहीं की जा सकेगी। हमारे शिक्षा मंत्री पुलिस के डंडे के जोर से विद्यार्थियों को नियन्त्रित रखना चाहते हैं। वह यह कहते समय यह भी भूल जाते हैं कि लखनऊ में क्या हुआ, और बरेली में क्या हुआ। मैं फिर दावे के साथ यह कह सकता हूं कि विद्यार्थियों को ठीक करने का काम शिक्षकों का है, शिक्षा संस्थाओं का है। विद्यार्थियों को ठीक करने का काम शिक्षा मंत्री का है। इस काम को पुलिस मंत्री और उनकी पुलिस ठीक नहीं कर सकती। यदि शिक्षा मंत्री इस कार्य को पुलिस मंत्री को देना चाहते हैं तो वह अपना उत्तरदायित्व दूसरे मंत्री के हाथ सौंपना चाहते हैं जो बिलकुल अनुचित है। कल गृह मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने लोकतंत्र के अन्दर विरोधी दल की आवश्यकता को तस्लीम किया। मैं इस बात के लिए उनका शुक्रगुज़ार हूं। लेकिन एक सदन के सदस्य की दो तीन बातें पकड़ कर यह कह डालना कि विरोधी पक्ष अपनी ज़िम्मेदारी नहीं महसूस करता, बिलकुल ग़लत है। मुझे शिक्षा मंत्री की विद्वता पर पूरा विश्वास है। मैं गृह मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस सदन में विरोधी पक्ष और स्वतंत्र सदस्यों की जितनी तक़रीरें हुई हैं उन्हें वह पढ़ें और मंत्रिमंडल की ओर से जितनी तक़रीरें हुई हैं उन्हें भी पढ़ें और फिर आज़ादी के साथ वह बतलायें कि कौन शख्स अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे तौर पर महसूस कर रहा है।

जब हम कुछ तेज़ बात कह देते हैं तो इस बात की शिकायत होती है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी महसूस नहीं करते, जब मीठे शब्दों में वाक़यात को सामने रखते हैं तो उनका कोई जवाब नहीं दिया जाता। कभी कहा जाता है कि घर पर सवालों का जवाब भेज दिया जायगा, और कभी कहा जाता है कि मोहकमे में तहक़ीक़ात के लिये भेजा गया है। जहां तक मुझे पता है, उन सवालों का आज तक पता नहीं चला जोकि गवर्नर की तक़रीर के वक्त कहे गये थे। न तो घरों पर और न इस सदन में ही सदस्यों को कोई जवाब दिया गया है। हो सकता है कि अन्य सदस्यों के घरों पर दफ्तर की तरफ से कोई जवाब भेजा गया हो, लेकिन मेरे पास तो कोई जवाब अब तक आया नहीं है। हो सकता है कि यह मुनासिब न समझा गया हो कि मेरे सवालों का जवाब दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

चेयरमैन--मैं दो बातों की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली तो यह है कि जब डायस के ऊपर की लाल रोशनी जल जायगी तो इसका मतलब यह

[चेयरमैन]
कि आपको दो मिनट और बोलना है और इस रोशनी के बुझने के साथ ही आपको भाषण खत्म करना होगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि आपके बोलने में बाधा न पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर ही ध्यान दिया जाय और जहां तक दूसरी बातें हों उनके लिये आप दूसरा मौक़ा खोजियेगा।

श्री कुंवर गुरुनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब कि यह एप्रोप्रिएशन बिल जैसा कि एसेम्बली ने पास किया है और इस भवन में रखा गया है, इस मौक़े पर यह एक मौक़ा मिलता है कि मेम्बरान अपने विचार कुछ प्रकट करें। जहां तक बजट का ताल्लुक़ है, बजट पर अपर हाउस (Upper House) में केवल जेनरल डिसकशन (discussion) के लिये आता है और फिर कोई मौक़ा नहीं मिलता जबकि हम ज्यादा अच्छे तरीक़े से बजट की बहुत सी बातों के ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें। यही एक मौक़ा है, इस सदन के लिये कि जब हम कुछ अपने ख्यालात जिनको हम अपनी बजट स्पीच (budget speech) में नहीं कह सके, उनका इज़हार कर सकते हैं। इसलिये मैं श्रीमान् की आज्ञा भी चाहूंगा कि अगर कुछ समय अधिक दे दिया जाय तो अच्छा है।

चेयरमैन—इसके कहने में आप जितना समय ले रहे हैं, इतने समय में और बातें कह सकते हैं।

श्री कुंवर गुरुनारायण—यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि हर मेम्बर को वक्त ज्यादा मिले। श्रीमान्, मुझे इस बजट के सम्बन्ध में जो कुछ कहना था वह जब यह बजट इस सदन में रखा गया था तो मैंने अपने ख्यालात रखे थे। मैंने कई बातें इस बजट के संबंध में कही थीं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपनी अन्तिम बजट स्पीच में उन बातों के लिये शुक्रिया अदा किया था और मेरी स्पीच की दाद दी थी, लेकिन जिन बातों के जानने की ख्वाहिश मैंने की थी उन बातों पर कोई रोशनी नहीं डाली गई। अव्वल तो यह कि हमने दरियाफ्त करना चाहा था कि जो ज़मींदारी अबालीशन का रुपया ऐडवान्स लिया गया, उसमें इन्टेरेस्ट (interest) दिया गया या नहीं। माननीय वित्त मन्त्री ने कहा कि इन्टरेस्ट दिया गया। लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि किस रेट (rate) पर इन्टरेस्ट दिया गया। इसके अतिरिक्त और भी दो एक बातें हमने पिछली मर्तबा कही थीं जिनके ऊपर कोई बात गवर्नमेंट की ओर से नहीं कही गई।

वित्त मन्त्री—आप उनको बता दीजिये, मैं आज उनका जवाब दे दूंगा।

श्री कुंवर गुरुनारायण—दुबारा कहने से जो कुछ मैं आज कहना चाहूंगा उसके कहने का मौक़ा नहीं मिलेगा और मेरा वक्त कम पड़ जायगा। स्पीच (speech) की कापी (copy) मौजूद है आपके दफ्तर में और जो बातें कहीं गई हैं उनके ऊपर आज आप इस बजट के जवाब में आखीर में कह सकते हैं। श्रीमान् जी, इस बजट को मैं महत्व इसलिये बहुत ज्यादा देता हूं कि यह हमारे इस प्रदेश का पहला बजट है, जिसमें माननीय वित्त मन्त्री ने ४, ५ प्रकार के टैक्सेज लगाने का संकेत किया है। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी दुहराता हूं कि यदि सरकार को निर्माण कार्य के लिये टैक्सेज (taxes) लगाने की आवश्यकता है और यदि सरकार इस प्रदेश की जनता का कोआपरेशन (co-operation) चाहती है, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट के भाषण में कहा था और यदि सरकार इस प्रदेश की जनता से सैक्रीफाइसेज (sacrifices) यानी त्याग चाहती है, तो जनता को भी इस बात का हक़ है कि वह सरकार से इस बात को मालूम करे कि जो सैक्रीफाइसेज और क्वापरेशन इन टैक्सेज के प्रोपोजल (proposal) में मांगे जा रहे हैं, वास्तव में सच्चे माने में वह जनता के हित में हैं या नहीं। इनएफीशियेन्ट मशीनरी (inefficient machinery) रन (run) करने के लिये तमाम क़िस्म के बोझे जनता के ऊपर लादे जायं यह मुनासिब नहीं है। अगर सरकार रुपया जनता से चाहती है तो

जितनी जनता की आज शिकायतें हैं वह भी सरकार को दूर करनी पड़ेगी। इसमें सबसे बड़ा टैक्स भूमि विकास टैक्स के नाम से है। मुझे दुख है इस बात का कि एक तरफ सरकार यह नारा लगाती है कि किसानों का लगान हम आधा करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक हाथ से आप देते हैं और दूसरे हाथ से आप भूमि विकास के नाम से जनता से मांग लेते हैं।

वित्त मन्त्री—मैं जनाब के ज़रिये से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह एप्रोप्रियशन बिल है, यहां किसी पर्टीकुलर (particular) टैक्स के मुताल्लिक़ नहीं कहा जा सकता। टैक्सेज़ को लेकर कहा जा सकता है कि वे न लगाये जायें। लेकिन किसी पर्टीकुलर टैक्स को यह कहना कि यह क़ानून के मुताबिक है या नहीं, जब क़ानून सामने आयेगा तो उस वक्त के लिये इसको मेरे नज़दीक़ छोड़ दिया जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मेरे नज़दीक़ कर लगाने के क़ानून पर भी बहस की जा सकती है। खैर, मैं उसी सम्बन्ध में तो कह ही रहा था। जिस क़िस्म के टैक्स को लगाने का प्रोपोज़ल है, जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री के भाषण में कहा गया है कि हम काश्तकारों का लगान आधा कर देते हैं, उसी लगान के सम्बन्ध में मैं कह रहा था हालांकि जो लगान कम किया उसको १० गुना करके दस साल का इकट्ठा ले लिया और अब भूमि-कर के रूप में दोबारा और अधिकार मांग रहे हैं।

मैंने इस भवन में भी सुना और विधान सभा में भी सुना कि इस बात की चर्चा की जाती है कि जब कोई टैक्स लगाना होता है तो यह दलीलें सामने रक्खी जाती हैं कि यह चीज़ चीन (China) में हुई है रूस (Russia) में हुई है। उसी प्रकार से हमको भी देश को बढ़ाने के लिये आगे करना होगा। लेकिन मैं सरकार से पूंछना चाहता हूं कि जब चीन में रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ़ लैंड (re-distribution of land) यानी ज़मीन का बटवारा हुआ तो वहां रेवन्यू (revenue), लगान में कितनी कमी की गई। वहां पर लैंड रेवेन्यू ६०, ७० फ़ीसदी कम कर दी गई। वह १६, १७ फ़ी सदी हो गई। यहां पर जब ज़मींदारी अबालीशन हुआ तो समझा यह जाता था कि इससे किसानों को कुछ रिलीफ़ (relief) मिलेगा। चीन में तो लैंड रेवेन्यू ६०, ७० फ़ीसदी कम कर दिया गया, लेकिन यहां पर ज़मींदारी अबालीशन के बाद लगान बजाय कम करने के भूमि विकास के नाम पर सरकार टैक्स वसूल करने की सोचती है। इसी तरह से मोटर पर ज्यादा टैक्सेशन (taxation) होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि एक तरफ़ तो हम दलीलें देते हैं कि जनता से इसलिये टैक्स वसूल किये जा रहे हैं कि उन्हें आराम मिले, लेकिन जब जनता की परेशानियां दूर करने का सवाल होता है तो वह दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। यह जब टैक्सेज आज सरकार लगाने की सोच रही है तो सबसे पहले यह सोचना चाहिये कि इस प्रान्त की जनता इन टैक्सेज़ के भार को ग्रहण कर सकती है या नहीं। हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में टैक्सेज सब से कम हैं। यहां का पर कैपिटा (*per capita*) टैक्सेज का सबसे कम है। उनको यह भी सोचना चाहिये कि यहां की जनता और प्रदेशों से सबसे अधिक गरीब है और वह इस योग्य नहीं है कि और अधिक टैक्सेज का भार ग्रहण कर सके। मैं टैक्सेज लगाने का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं जोकि सरकार को जानना चाहिये कि सरकारी टैक्स के अलावा बहुत से ऐसे भी गैर क़ानूनी टैक्स हैं जो जनता से वसूल किये जाते हैं। बहुत से ऐसे टैक्स जनता को देने पड़ रहे हैं जो इल्लीगल (illegal) तरीक़े से जनता से वसूल किये जा रहे हैं। उसमें से मैं कह सकता हूं कि पुलिस विभाग सबसे बढ़ा-चढ़ा है। मामूली मामूली मामलों में पुलिस में जो यह सब-इंस्पेक्टर वग़ैरह होते हैं, काफ़ी जनता को तरह तरह से लूटा करते हैं और उनसे अच्छी २ रक़में वसूल किया करते हैं। इसी प्रकार आप पटवारी और क़ानूनगो को ले लीजिये, उनकी लूट पुलिस से किसी मानी में कम नहीं कही जा सकती है। आप इन सबको छोड़ दीजिये। मैं कह सकता हूं कि किसी डिपार्टमेंट को आप ले लीजिये। आज हम देखते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, जहां किसी न किसी प्रकार इल्लीगल ग्रेटी-

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

फिकेशन (illegal gratification) जनता से न लिया जाता हो। जनता की गरीबी को देखते हुए सरकार जो नये टैक्सेज लगाने को सोच रही है, मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत होगा और जनता के प्रति अन्याय होगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री के द्वारा इस सरकार से प्रार्थना करूंगा कि टैक्सेज लगाने से पहले मेरे इस सुझाव पर गौर करे और इतने ज्यादा हेवी टैक्सेज (heavy taxes) सरकार न लगाये कि जनता को और ज्यादा परेशान होना पड़े। मैं एक दो बातें इस एप्रोप्रिएशन बिल की बहस के वक्त और कहना चाहता हूं। वह यह कि बहुत सी रकमें बजट में ऐसी रखी गई हैं जो बिल्कुल ग़लत व असंगत मालूम होती हैं। मसलन्, इस बजट में १७ लाख रुपया फेमिन (famine) के लिए रखा गया है और पोलिटिकल सफरर्स (political sufferers) के लिए ४ लाख रुपये की रक़म रखी गई है। पोलिटिकल सफरर्स ज्यादा से ज्यादा हज़ार पंद्रह सौ या दो हजार होंगे, उनके लिए ४ लाख रुपया और एक मिलियन यानी दस लाख जनता के लिए फेमिन की मद के संबंध में केवल १७ लाख की रक़म बहुत कम है। अलावा इसके दूसरी बात में यह भी कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर रुपया सरकार बिल्कुल बेकार खर्च कर रही है। एक तरफ सरकार ने गांव पंचायतें बना दी हैं, उनपर काफ़ी खर्चा सरकार करने जा रही है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मशीनरी बिलकुल बेकार हो चुकी है, क्योंकि उसके जो अधिकार थे, सरकार धीरे धीरे उन्हें अपने हाथ में लेती जा रही है। जब सब हक़ूक़ पंचायत राज्य को दे दिये तो फिर यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर रुपया खर्च करना कोई मानी नहीं रखता, इसलिए मेरी राय में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को ऐबालिश (abolish) कर देना चाहिये और उनके खर्च को बन्द कर देना चाहिये। यह मेरा सुझाव है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड केवल कांग्रेस पार्टी की मशीनरी रह गई है और अब इससे हमारे देहातों का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। दूसरी बहुत सी बातें मुझे कहनी थीं लेकिन, लाल रोशनी सामने है और वित्त मंत्री भी नहीं चाहते कि कोई लोग ज्यादा बोलें इसलिए मैं बैठता हूं।

श्री गोविन्द सहाय---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिये से मैं वित्त मंत्री का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आखीर दौरान में हमें कुछ कहने का मौक़ा दिया है। जहां तक बजट का ताल्लुक़ है, हमारे लिए बजट में कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें केवल आमदनी और खर्च का जिक्र होता है। बजट प्रगतिशील स्टेट के लिए एक शिगूफा होता है। मैं तो बजट को इस नुक्ते निगाह से देखता हूं कि देश की तरक्क़ी के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जब मैंने इसे इस निगाह से देखा तो मुझे पता चला कि इसमें तरक्क़ी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

चूंकि इस बजट में जो बड़ी चर्चा की गई है वह इस बात की है कि इस सूबे के लोगों की आर्थिक, कल्चरल (cultural) और दिमाग़ी तरक्क़ी के लिये हालात पैदा करना हमारा मक़सद है। इस बजट के अन्दर ये तीनों तरक्क़ियों के लिये एक भी पैसा खर्च करने की बात नहीं है। कैसे सूबे की आर्थिक तरक्क़ी होगी मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं चला। बल्कि रोजाना की जिन्दगी इस सूबे के लोगों की ऐसी हो गई है, जिससे हम कह सकते हैं कि लोगों की आर्थिक हालत कभी भी इतनी खराब नहीं थी और उनके इनिशियेटिव (initiative) में इतनी कमी नहीं हुई थी और रोजगार की इतनी मन्दी नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। कौन सी आप की योजना इस बजट में है, जिससे इस सूबे की खामियों को दूर करने की कोई चीज इस बजट में है। इसी तरीक़े से मुझे यह पता नहीं चला कि कल्चरल एक्टीविटी (cultural activity) को बढ़ाने के लिये कौन सी तरक्क़ी की है। इस बजट में कोई ऐसा मोहकमा या कोई खर्चा इस कल्चरल ऐक्टीविटी के लिये नहीं है। इस तरह से दिमागी तरक्क़ी के लिये भी इस बजट में कुछ नहीं है। किस तरीक़े से और किस योजना से आप इस सूबे के लोगों की दिमाग़ी तरक्क़ी करना चाहते हैं। इसलिये इस ख्याल से मुझे इस

बजट में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती है जिस से यह कहा जाय कि इस सूबे की तरक्की होने जा रही है। पिछले दफे मैंने बजट डिस्कशन के समय पुलिस स्टेट (Police State) और वेलफेयर स्टेट (Welfare State) को एक ही लेबिल (level) पर लाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि अगर कोई स्टेट अपने को वेलफेयर स्टेट बनाती है तो उसे एक खास क़िस्म की फिजा पैदा करनी होती है। उसको सोशल (social) और एकोनामिक (economic) हालत को ठीक करना होता है। वित्त मंत्री महोदय ने बजट डिबेट (budget debate) पर जवाब देते हुये हमें बताया कि यह स्टेट डेढ़ सौ वर्ष से पुलिस स्टेट थी और उसको वेलफेयर स्टेट बनाने में काफ़ी समय लगेगा। मैं क़बूल करता हूं कि वेलफेयर स्टेट एक दिन में नहीं बनायी जाती है। लेकिन मैंने कहा था कि इस सूबे के चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले साल बजट पर अपनी तक़रीर में बजट के दौरान में असेम्बली में कहा था कि यू० पी० इज-ए-वेलफेयर स्टेट (U.P. is a welfare State) मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री और चीफ मिनिस्टर के वेलफेयर स्टेट के कन्सेप्ट (concept) में क्या फ़र्क़ था। उनकी स्पीच के दो चार फ़िक़रे मैं आप के सामने पढ़ देना चाहता हूं। मगर मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बजट के रिवोल्यूशनरी (revolutionary) तरीक़े से इस स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। इसके अलावा जो वेलफेयर के हम काम कर रहे हैं उनमें से आपने देखा कि हम सीमेन्ट फैक्टरी बना रहे हैं, इसलिये मैं अर्ज़ करता हूं कि जो कोई टैक्स आप ने बढ़ाये उन टैक्सों को देखते हुये यह एक आइडियल वेलफेयर स्टेट मालूम होती है। इन दोनों चीज़ों के देखने से मालूम पड़ता है कि इस सूबे के चीफ मिनिस्टर के वेलफेयर स्टेट कहने में और इस सूबे के वित्त मंत्री के वेलफेयर स्टेट कहने में बहुत फ़र्क़ है। एक का कन्सेप्ट बन गया है और दूसरे का बनने जा रहा है। मैं तो यही समझता हूं कि यह बातें सिर्फ ऐवान के अन्दर अपोज़ीशन (opposition) की बातों को डिसार्म (disarm) करने के लिये कही जाती हैं। चूंकि पिछले साल यह पुलिस स्टेट थी और अब इस दफ़े हमें एक पुराने पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस (Parliamentary Practice) से वाक़फियत रखने वाले वित्त मंत्री मिले, इसलिये उन्होंने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ कहा कि वह एक वेलफेयर स्टेट बनाने जा रहे हैं। इससे मैं कहता हूं कि स्टेट की कोई तरक्क़ी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उसके लीडर के सामने कोई टारजेट (target) न हो। जब तक आप स्टेट की एक्टीविटी (activity) नहीं बढ़ाते तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपने पिछले ६ साल में जितना बढ़ाया है उससे ज्यादा तो वार (war) के समय रोड, बिल्डिंग (मकानात) ब्रिटिश सरकार ने बढ़ाये हैं। एक वेलफेयर स्टेट कहने के लिये कोई बुनियादी तरीक़े भी होने चाहिए। मैं आज भी कहता हूं कि मुल्क एक दिन के अन्दर नहीं बनाये जाते हैं और मेरा कोई मुगालिता भी नहीं है। सालों के अन्दर मुल्क बनते हैं लेकिन इतना जरूर अर्ज़ करूंगा कि हम एक ऐसी एज (age) की दुनियां में रहते हैं जिस एज (age) में मुल्क़ तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है या तेज़ी के साथ पीछे आता है।

आप माने या न मानें, लेकिन इस मक़सद का ग़लत नतीजा निकलता है। मेरे कहने का मक़सद यह है कि आप कहते हैं कि हमने इस सूबे के लोगों के लिए अस्पताल ज्यादा खोल दिये हैं। जनाब वाला, मैं बहुत अदब से आप के ज़रिये अर्ज़ करना चाहता हूं कि अस्पताल खोल देने ही से हमारा मक़सद पूरा नहीं हो जाता है बल्कि हमको यह देखना है, स्टेट को यह देखना है कि आम लोगों की सेहत में उन्नति हुई या नहीं। हमको ऐसा क़दम उठाना चाहिए जिससे जनता की हालत अच्छी हो सके। आप कहते हैं कि लोगों की जिन्दगी में खुशहाली आ गई है लेकिन मैं देखता हूं कि क्राइम्स (crimes) बढ़ते जा रहे हैं। आप कहते हैं कि लोगों की सेहत अच्छी होती जा रही है लेकिन हम देखते हैं कि लोगों की सेहत खराब होती जा रही है। जनाब वाला, मैं बहुत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन सब बातों की जिम्मेदारी हमारी स्टेट पर ही है। मैं इन पुरानी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है और इसी में मुझे सब कुछ कहना है। इस स्टेट में ज्यादा क़ानूनों की जरूरत नहीं है। यहां पर तो सिर्फ थोड़े से नये क़ानूनों की जरूरत

[श्री गोविन्द सहाय]

है। हमको स्टेट के अन्दर एक बिजनेस (business) के तरीक़े से काम करना चाहिए। चार–पांच बातें में स्टेट के मुतालिक्क़ कहना चाहता हूं। यह स्टेट एक पुलिस स्टेट है, यह एक क़ानूनों का स्ट्रक्चर (structure) है। इसमें ला एंड आर्डर (Law and Order) अच्छे हैं। आप को इस क़ानूनों के स्ट्रक्चर को कम करके एक पीपुल्स (peoples) स्टेट बनानी चाहिए। एक वेलफेयर स्टेट क़ायम करनी चाहिये। अब में जमींदारी अबालीशन बिल के सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जमींदारी अबालीशन जिस तरीक़े पर हुआ है, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसको खत्म करके एक ऐसा क़ानून बनाना चाहिए, एक ऐसी स्टेट बनानी चाहिए, जिसमें किसान को अपनी जमीन से मुहब्बत हो। जो लोग बेकार हैं वह काम में लग सकें। आप क़ानून बनाते चले जा रहे हैं, जनता उम को तोड़ने की कोशिश करती है। आप टैक्स लगाते हैं और जनता उनसे बचने की कोशिश करती है। पुलिस मंत्री महोदय ने नैपाल के बार्डर के बारे में फरमाया है मेरे विचार में नैपाल के border पर पुलिस भेजने से communism की प्रगति नहीं रुक सकेगी। मैं समझता हूं कि क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम्स समाज के अन्दर बढ़ते हैं, इसलिए हमको समाज का रिकन्सट्रक्शन (reconstruction) करना चाहिए। समाज की हालत को सुधारना चाहिए।

जो ८० फीसदी स्पीचेज (speeches) लोअर हाउस (Lower House) में हुई हैं और यहां पर हुई हैं, चाहे ट्रेजरी बेन्चेज (Treasury benches) से हुई हों चाहे अपोजीशन की तरफ से हुई हों, वह इस बात को जाहिर करती है कि ८० फीसदी लोगों ने इसके विरूद्ध आवाज उठायी है, और इसके विरुद्ध नाराजी जाहिर की है, यह दूसरी बात है कि किसी ने वित्त मन्त्री जी को किसी दूसरे तरीके से कहा हो लेकिन यहां पर ८० फीसदी स्पीचेज दोनों हाउस में इस बात की सूचक हैं कि मौजूदा स्टेट का जिस तरह से इन्तजाम कर रहे हैं, उससे किसी को तसल्ली व खुशी नहीं है। पिछली दफा दो–चार बातें मैंने कहीं थीं उनके जवाब में कांग्रेस बेन्चेज की तरफ से कुछ दोस्तों ने कुछ कहने की कोशिश की थी, मैंने कुछ बुनियादी बातें उठायी थीं उसकी कोई चर्चा नहीं हुयी दूर और दूसरी बातें उन्होंने मेरी बात की जवाब में बतलाई। उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि कितना जरूरी स्ट्रक्चर हुआ। मैंने अपनी बात में सभी ऐसी योजनायें बताई थीं, जिसमें कोई भी ऐसी न थीं कि जिसमें मुखालिफत न हो। आपकी सभी योजनायें जैसी हैं जिसमें सभी को बुखालिफत है। आपकी योजनायें ऐसी हैं कि जिससे लोगों के मारेल (morals) गिर सकबा है, लोगों को ऐसे तरीके कोई भी नही दिखलाई देते हैं कि जिनसे प्रभावित होकर वह आगे बढ़ें और उन्हें अपनी जिन्दगी का सही टारगेट (target) मिल सके। अगर इस तरह की योजनायें प्रचलित करते हैं तो वाकई में आपको सफलता मिलेगी और अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो आप इस सूबे की ही नहीं बल्कि सूबे के तमाम बाशिन्दों की तरक्की को तबाह कर देंगे और उनको तरक्की के जरिये गिरा देंगे। इस तरह से लोगों की दिमागी तरक्की नहीं होगी, उनके कल्चर (culture) की तरक्की नहीं होगी और न इनकी इकोनामिक तरक्की होगी, बल्कि मुल्क का कदम बरबादी की तरफ होगा। में आपसे इस बात को नहीं कहना चाहता हूं कि आज लोगों के अन्दर दिमागी तरक्की की भावना नहीं है सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों की तरक्की को खतरे में डाल रहे हैं। अभी इस बात की नौबत तो नहीं आई कि आमने–सामने एक दूसरे को लूटना चाहें और एक दूसरे का कपड़ा नहीं छीनते हैं, अभी अक्सरियत ऐसे लोगों की नहीं है कि किसी दूसरे का पैसा निकाल लें, लेकिन वह भी जमाना दूर नहीं है, अगर आपका यही रवैया रहा तो लोगों का मारेल यहां तक भी गिर जायेगा। आजकल के जमाने में तो लीडरशिप (leadership) के ऊपर जिम्मेदारी है। अगर मुल्क तरक्की करता है तो उसकी जिम्मेदारी लीडर के ऊपर होती है। अगर उसमें गिरावट आती है तो उसकी भी जिम्मेदारी लीडर के ऊपर ही होगी। इसलिये आपके जरिये में यहां बता देना चाहता हूं कि आज आप अस्पताल बना रहे हैं, लोगों को जमीन दे रहे हैं, नहरें ज्यादा खुदवा

रहे हैं, मगर उसके साथ दूसरे तरक्की के रास्तों का भी ख्याल रखिए। जहां आप अस्पताल खुलवा रहे हैं, नहरें ज्यादा बनवा रहे हैं, मदरसे ज्यादा खोल रहे हैं, वहां सूबे की ८० फीसदी लोगों में जो मायूसी है, लोगों के अन्दर एक किस्म की बेचैनी पैदा हो रही है और उन्हें अब आपकी तरफ से कोई उम्मीद नहीं रह गयी है। जब लोगों को फ्यूचर (future) की होप (hope) नहीं रहती है तो वह तरक्की नहीं कर सकते हैं और वह किसी दूसरे ही रास्ते की ओर भटकने लगते हैं। मिडिल ईस्ट (Middle East) के मुल्कों की मिसाल भी आपके सामने हैं। इस तरह से आप देश को ऊपर नहीं उठा सकते हैं। यह सारी पासिबिलिटी (possibility) आपके सामने हैं। आपको पहले पहल मौका मिला है। किस किस्म का आपका काम हो रहा है, किस किस्म से आप ट्रेनिंग (training) का काम करते हैं। किस किस्म से आपके साधारण काम होते हैं, इस पर लोगों की आंखें ललचाई हुई हैं। आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि मुल्क की तरक्की हो। आखिर यह आपकी बदनसीबी है कि आपके साथ सारा मुल्क तबाह होता है। इसलिये मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप अपने को संभालें।

श्री इन्द्र सिंह नयाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रोफेसर साहब ने जो आंकड़े भवन के सामने रखें हैं कि कुछ वर्ष पहिले विकास कार्य में ६ करोड़ रुपया खर्च हुआ और इस वर्ष १४ करोड़ खर्च होना है। इस वर्ष विकास-कार्य के शासन के लिये भी खर्च उक्त साल से बढ़ा हुआ है। इस पर प्रोफेसर साहब को एतराज है। प्रोफसर साहब यह भूल रहे हैं कि यदि किसी कार्य में ज्यादा खर्च करना है तो शासन का खर्चा भी बढ़ाना पड़ता है। यह एक साधारण नियम है। यदि ६ करोड़ से १४ करोड़ का हम खर्चा बढ़ा देते हैं तो उसमें ज्यादा शासन की आवश्यकता होगी और इस तरह से ज्यादा खर्च बढ़ेगा। लेकिन जहां तक अनुपात है, अनुपात दोनों में एक सा है। दूसरी बात जो वह भूल गये, वह यह है कि मंहगाई के बढ़ने से और लोगों के तनख्वाहों के बढ़ने से भी ऐसे खर्चे में बढ़ती हुई है। मैं सोचता हूं कि करोड़ों रुपयों का खर्च इसी कारण बढ़ा है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं वह यह है कि वे यह भूल गये कि ६ करोड़ और १४ करोड़ में बड़ा भारी अन्तर है, अगर विकास-कार्य में इतनी रकम बढ़ा दी गयी है, पहिले के मुकाबिले में, तो सरकार ने विकास-कार्य के लिये यह एक बड़ा भारी कदम उठाया है।

उन्होंने सत्याग्रह के बारे में भी कहा है। प्रोफेसर साहब इसमें अच्छी तरह से विचार करेंगे कि जब आज अपना राज्य है तो उसमें सत्याग्रह की गुंजाइश ही कहां है यह सत्याग्रह नहीं बल्कि दुराग्रह हो जाता है। जैसा कि एक पुत्र यदि अपने पिता के अनुशासन में नहीं रहता तो उसका इस तरह का व्यवहार सत्याग्रह में नहीं बल्कि दुराग्रह में आ जाता है। इसी कारण से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के नियमों का उल्लंघन करना सत्याग्रह नहीं बल्कि दुराग्रह ही है। हमारे मित्र गोविंद सहाय जी ने कहा कि कोई देश एक दिन में नहीं बना। उन्होंने यह कहकर अपनी पिछली बातों का जवाब खुद ही दे दिया। जबकि आज हम इस मुल्क को बनाने जा रहे हैं, इसमें हमें कई साल लगेंगे और कई सालों तक बजट के अन्दर मुल्क के विकास के लिये खर्च की मांग पेश की जायेगी। इस तरह से हमें कई साल तक मुल्क के विकास में कार्य करना पड़ेगा और उसके लिये बजट में भी प्रावीजन (provision) करना पड़ेगा। यह कहावत ठीक है कि रोम एक दिन में नहीं बना। अतएव प्रमुखता (priority) को देखते हुए हमें अपने खर्च को चलाना है। ग्रो मोर फूड (grow-more-food) काटेज इन्डस्ट्रीज (cottage industries) और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम (Hydro-electric Scheme) को प्रमुखता (priority) वर्तमान बजट में दी हुई है। समय की हालत को देखते हुए जैसा कि वित्त मन्त्री जी का वक्तव्य है अन्न, काटेज इन्डस्ट्रीज और हाइड्रो इलेक्ट्रिक को हमें प्रमुखता (priority) देना चाहिए थी। इसमें भवन के किसी भी सदस्य को एतराज नहीं हो सकता क्योंकि इसके अलावा और दूसरी प्रमुखता ऐसे अवसर पर हो भी नहीं सकती है। विपक्षी दल ने यह नहीं कहा कि यह प्रमुखता (priority) गलत रखी गयी है। जो प्रायरिटीज मुकर्रर

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

की गई है वह सही है। काटेज इंडस्ट्रीज की जो योजना रखी गयी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम रखी गयी है और सिंचाई बढ़ाने का जो प्रोग्राम है वह एक अच्छा प्रोग्राम है और उस पर विपक्षी दल के लोगों ने भी कुछ नहीं कहा है। इससे यह मालूम होता है कि वह भी दिल में इसका स्वागत करते हैं। यह ठीक है जैसा प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया है कि सिर्फ अस्पताल के बनाने से ही सेहत नहीं अच्छी हो जाती; किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं जिस जिले से आया हूं वहां पर मलेरिया बहुत ज्यादा होता था लेकिन अब बहुत कुछ कम हो गया है। मैं नहीं कह सकता कि ऐसी परिस्थिति और अन्य जिलों की है या नहीं। यह कि एक रात में देश को निरोग बना दिया जाय नामुमकिन है और यदि गोविंद सहाय जी को ही लीडरशिप दे दी जाय तो उनके लिये भी यह मुमकिन नहीं है कि एक रात के अन्दर देश को स्वर्ग बना दें।

मेरे मित्र गोविंद सहाय जी ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के बारे में कहा कि कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं कहूंगा कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया है कि गांव पन्चायत और कुटीर उद्योग (काटेज इन्डस्ट्रीज) का जो सिस्टम (system) हैं और पन्चायती अदालत का जो निर्माण है वह एक ऐसा बदलाव है जो सामाजिक और आर्थिक दोनों है। सवाल इतना है कि इनको ठीक तरह से चलाया जाय। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यह जो बदलाव है वह एक लम्बा कदम सामाजिक बदलाव की ओर है। सरकार अपनी शक्ति भर चेन्ज (change) कर रही है और बदलाव विकास के रास्ते से कर रही है न कि हिन्सात्मक ढंग से। हिंसा से जो क्रान्ति आती है वह उसी तरह से नष्ट भी हो जाती है और जो विकास के जरिये से क्रान्ति आती है वह स्थायी यानी परमानेन्ट (permanent) होती है।

मेरे मित्र ने मोटर टैक्स के बारे में कहा कि अनुचित है और चीन का उदाहरण दिया है। मैं कहूंगा कि चीन में तो मोटर रखना ही जुर्म है उन्होंने अपने समाज में यह रखा है कि मोटर सिर्फ मिनिस्टर्स रखें जो सरकारी काम में लाई जा सकती हैं। क्या ऐसा बदलाव यहां चाहते हैं तो उसके लिये हमारी सरकार ने क्या किया है कि मोटर टैक्स लगा दिया है जो सिर्फ धनी आदमियों पर ही पड़ता है और वह रुपया जो टैक्स से आता है वह गरीबों के काम में आता है। सेल्स टैक्स के बारे में मेरा कहना है कि जब वह लगाया जावेगा तब मालूम होगा कि किन किन वस्तुओं पर वह लगाया जावेगा और उसका लगाया जाना उचित है या अनुचित। मेरे मित्र ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है मुझे आश्चर्य हुआ यह सुनकर के क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो प्रजातन्त्र का पहिला अंग है। उनका यह कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कुछ काम नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल आफिशियल बाडी (official body) बन गए हैं, गलत है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जितनी अच्छी तरह से इस वक्त चल रहे हैं वैसे कभी नहीं चले हैं। आज वह अपने जिलों में प्रजातन्त्रात्मक तरीके से बहुत से काम कर रहे हैं। विकास के जितने भी काम हैं वह आज प्रमुखतः डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही कर रहे हैं। इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का विकास होना और तरक्की होना निहायत जरूरी है। यह अलग बात है कि उसमें पन्चायत का समावेश हो जाये और वह सब एक चीज हो जाये। इसके लिये भी मेरा यह ख्याल है कि इन चीजों का एकीकरण हो जायेगा किन्तु डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही ऐसी संस्था रहेगी जो प्रजातन्त्र को हमारे देश में आगे बढ़ायेगी। विकास की योजनाओं को फलित करेगी और जनता को उत्साह के साथ आगे बढ़ायेगी। अध्यक्ष जी, मुझको इतना ही निवेदन आपके द्वारा करना है।

श्री अनाप चन्द्र आजाद--अध्यक्ष महोदय, अभी एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में मैंने हाउस में बैठे हुए अपने अपोजीशन के मित्रों की बातें सुनीं और मुझे आश्चर्य हुआ जब हमारे मित्र और हमारे बुजुर्ग माननीय प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल जी ने यह कहा कि जबसे भारत वर्ष स्वतन्त्र हुआ है तब से लेकर अब तक हमारे प्रान्त में कोई उन्नति नहीं हुई है। उनका

मतलब था कि हाउस के नेता ने पहिले बतलाया था कि इससे पहिले पुलिस राज्य था लेकिन आज भी यदि देखा जाय तो हालत कोई पुलिस राज्य से अच्छी नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे मित्र को आज भी वही स्थिति दिखायी पड़ती है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपने मित्र को बतलाना चाहता हूं कि शायद हमारे प्रान्त में इतने कम समय में जितनी तरक्की हुई है इससे ज्यादा तरक्की होना इंसानी ताकत से बाहर है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश के करीब में सबसे ज्यादा उन्नति जिस देश ने की है वह रूस है। रूस के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उसने बहुत उन्नति की है, बहुत ज्यादा सुधार किया है। बहुत जल्द वहां इन्कलाब आया। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९१७ में वहां इन्कलाब हुआ। सन् १९१७ से लेकर सन्१९३५ तक रूस के अन्दर कोई उन्नति नहीं हुई है और डावाँडोल हालत रही। कई दफा भुखमरी आयी, अकाल पड़ा। इस दरमियान में रूस के अन्दर कोई चुनाव भी नहीं हुआ। लेकिन यह हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है और हमारे प्रान्त की खुशकिस्मती है कि सन् १९४५ में आजादी मिलने के बाद सन् ५२ से जब हम गुजर रहे हैं तब हम नये विधान परिषद् में बैठे हुए हैं। हमारे यहां विधान परिषद का चुनाव हुआ है।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, जहां तक लैन्ड रिफार्म और बिजली का सम्बन्ध है, जहां तक ग्रो मोर फूड का सम्बन्ध है, जहां तक देहातों की हालत सुधारने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इन तमाम बातों के सम्बन्ध में हमारे देश में जो इन्कलाब हुआ है उससे ज्यादा कोई इन्कलाब पासिबिल (possible) नहीं था। उत्तर प्रदेश के अन्दर इतने कम समय में गांव-गांव में गांव वालों की हुकूमत स्थापित कर देना, ग्राम–सभायें स्थापित कर देना, ग्राम पन्चायतें स्थापित कर देना यह आप समझते हैं कि क्या कोई छोटा काम है। इतना बड़ा और इतना पुराना जमींदारी सिस्टम जो आज से नहीं एक मुद्दत से चला आ रहा है जिसको खत्म करने का कई दफा प्रयास किया गया लेकिन आपने देखा कि वह स्वराज्य होने के बाद और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद बहुत थोड़े ही समय में खत्म हो गया और आज हम जमीन्दारी को बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। आप समझते हैं कि इतना बड़ा और इतने समय के सिस्टम (system) को खत्म कर देना कोई मामूली बात है, यह कोई मामूली इन्कलाब है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक दूसरे सुधार या दूसरी योजनायें हैं उनमें से यदि दो चार को ले लिया जाय तो बहुत काफी है। जहाँ तक बिजली का सम्बन्ध है सन् ५१ के बजट में बिजली ज्यादा दी गयी और १९५२ में उससे ज्यादा दी गयी। आप देख रहे हैं कि गांव-गांव में बिजली देने की योजना सरकार ने बनाई है। आज गांव गांव में खम्भे लगाये जा रहे हैं, तार खींचे जा रहे हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से बिजली शहरों में है उसी तरह से गांवों में भी हो जाय और चकाचौंध पैदा कर दे। आप कह सकते हैं कि यह कोई योजना नहीं है यह कोई स्कीम नहीं है, हो सकता है कि आपके नक्शे से यह कोई इन्कलाबी बात न हो लेकिन यह एक बड़ी इन्कलाबी बात है। इसी प्रकार से जहां तक ग्रो मोर फूड (grow more food) का सम्बन्ध है उसके विषय में बहुत से मित्रों ने नुक्ताचीनी की और कहा कि इसमें व्यर्थ का रुपया बरबाद किया गया है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर कुमायूं डिवीजन के तराई भावर के इलाके को ले लिया जाय तो जितनी उन्नति हुई है वह पूरे प्रान्त की आधी उन्नति के बराबर है। इस तरह से इस दिशा में भी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा के सम्बन्ध में हम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि आज विद्यार्थियों की जो संख्या है उसमें और सन् ४७ में पढ़ने वालों की संख्या में कितना अन्तर है। आज हम यदि शिक्षा की उन्नति इस अन्दाजे से लगाते हैं कि प्रोफेसर को बड़े बड़े वेतन नहीं मिल रहे हैं या यूनिवर्सिटीज को ज्यादा बड़ी ग्रान्ट्स नहीं मिल रही है तो यह अन्दाजा ठीक नहीं है। हमें तो यह देखना है कि हिन्दोस्तान का ९० प्रतिशत मनुष्य जो देहातों में रहता है उनके बच्चों की शिक्षा के लिये क्या किया है। यदि हम यह देखें तो हमको अन्दाज लगेगा कि सन् ४७, ४८, ४९, ५० और ५१ में विद्यार्थियों की क्या संख्या थी और

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

आज क्या संख्या है। देहात के अन्दर कितने प्राइमरी स्कूल खुले, कितने अपर स्कूल्स खुले और कितने जूनियर हाई स्कूल खुले, इससे हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमने शिक्षा की ओर तरक्की की है या नहीं। यूनिवर्सिटियों के खोलने की भी योजनायें हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के खोलने की योजना है और दूसरी यूनिवर्सिटियों के खोलने की योजनायें हैं, जिनसे हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा की ओर भी कदम उठाया गया है। लेकिन सब से बड़ा कार्य जो हमारी सरकार का होना चाहिए वह अपर प्राइमरी शिक्षा की उन्नति का है। एक बात मैं अपने मित्र कुंवर साहब के भाषण के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं। कुंवर साहब ने टैक्स लगाने की घोर निन्दा की और कहा कि सरकार टैक्स लगाती चली जा रही है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और इसलिये हमें इसकी मुखालिफत करना है क्योंकि जनता इस अवस्था में नहीं है कि वह टैक्स दे सके इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, कि जो टैक्स इस बजट में लगाये गये हैं वह आम जनता पर नहीं पड़ते हैं। सर्वसाधारण व्यक्ति पर उनका बोझ नहीं पड़ता है। जो टैक्स लगाया गया है वह किसी पूंजी पर है या किसी बिक्री पर है। मैं समझता हूं एक प्रापरटी टैक्स (Property Tax) और लगना चाहिए जिसकी की इस बजट में कमी है। बड़े-बड़े पूंजीपति हैं या साहूकार हैं उनके ऊपर एक और टैक्स लगना चाहिए। यह कहना कि यह टैक्स आम जनता पर पड़ता है यह कह कर भ्रम में डालना है। अब एक बात की ओर और मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि पहले भी मैं कह चुका हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें ४ करोड़ से अधिक रुपया घाटे में दिखाया गया है। इससे हम यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ रुपया बचाकर अपने पास रख छोड़ा है या सरकार जितना रुपया वसूल करती है उसमें कुछ बचाकर अपने पास रखती है। यह एक डेफिसिट बजट (deficit budget) है। इस बजट में ४ करोड़ का घाटा दिखाया गया है। इसलिये हम सरकार को इस बात के लिये जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि सरकार अगर चाहती तो विभिन्न विभागों में और अधिक रुपया खर्च कर के और अधिक विस्तार के साथ काम कर सकती थी। जितना रुपया सरकार के पास आयेगा सरकार उससे अधिक रुपया खर्च करने के लिये तैयार है। इसी तरीके से सरकार विभिन्न विभागों में लगाने के लिये तैयार है। इसलिये हम यह नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने विभिन्न विभागों में काफी रुपया नहीं दिया है। रुपया कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं से एक साथ मिल जाये। रुपया किसी खान से भी नहीं निकाला जाता है या प्रदेशीय सरकार के पास कोई छापाखाना भी नहीं है कि प्रदेशीय सरकार जितना चाहे छाप ले और अधिक से अधिक सुधार में लगाये। उचित से उचित तरीके से जो रुपया वसूल किया जा सकता है वह वसूल किया जाता है और उपयोगी ढंग से खर्च किया जाता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो रुपया विभिन्न विभागों में खर्च किया गया है वह निहायत उचित ढंग पर खर्च किया गया है। इससे ज्यादा अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता था।

श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट को मैंने देखा है। उसमें हिन्दी के प्रचार के लिये कुछ व्यवस्था नहीं की गयी है। ऐसी कोई योजना नहीं बतलाई गई है कि जिससे हिन्दी की श्री वृद्धि हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो लोग यहां आये हुए हैं वे किसी पक्ष विशेष से आये हैं और पक्ष विशेष की बातें करते हैं। मैं किसी पक्ष विशेष से नहीं आया हूं, इसलिये मुझे कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं जो और किसी ने नहीं कही हैं। पहली बात तो यह है कि पक्ष विशेष के लोग जब प्रशंसा करने लगते हैं तो वह इतनी अधिक प्रशन्सा करते हैं कि वह प्रशन्सा बेकार हो जाती है। इसी प्रकार जो विरोध करने लगते हैं और निन्दा करने लगते हैं तो बहुत अधिक निन्दा करते हैं। मुझे यह भी कहना है कि सरकार जो पुस्तकें छापती हैं उसमें बहुत पैसा बरबाद करती है। इतना अच्छा कागज और इतनी अच्छी छपाई में बहुत अधिक खर्च होता है। इसके सिवा इसको कोई पढ़ता नहीं है। मैं नहीं जानता कि कौन पढ़ता है। यह प्रोपेगेन्डा (propaganda)

व्यर्थ है। कोई ५० साल पहले रमेश चन्द्र दत्त ने सरकार की लैन्ड रेवेन्यू पालिसी पर 'पायोनियर' में एक लेख माला छपाई थी। लार्ड कर्जन ने इसके खंडन में एक रिज्योलूशन (resolution) निकाला और अंग्रेजी के साथ ही सब भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद छपा कर छकड़ों पर लादकर गांवों में पहुंचाया और अन्त में वह रद्दी के भाव बिका था। मुफ्त में इतना पैसा बरबाद किया जाता है। यह तो साधारण कागज पर भी छपाया जा सकता है।

मैं अभी बलरामपुर अस्पताल से चला आ रहा हूं। मैंने वहां की हालत देखी है और मैं कह सकता हूं कि जो बातें वहां होनी चाहिए थीं, नहीं हैं। हमारे अस्पताल इलइक्यूप्ड (ill-equipped) हैं। मुझे प्रेस और कागज का अनुभव है और मैं अपने अनुभव की बिना पर कह सकता हूं कि किसी को फिक्र नहीं है कि यह किसका पैसा है, जो इस तरह से बरबाद किया जा रहा है। कोई इस पर विचार करने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है. प्रोपेगेन्डा का भी कुछ हिसाब होता है। प्रोपेगेन्डा इस प्रकार से नहीं होता है कि जिसको कोई पढ़े तक नहीं। केवल रद्दी में जाकर वहां शायद उसके कुछ पैसे मिल जाते हों। मैं समझता हूं कि केवल पब्लिक मनी वेस्ट (public money waste) किया जाता है। यह देखिए रूरल अपलिफ्ट (rural uplift) के ऊपर जो किताब छपी है, इसको कौन पढ़ेगा और फिर यह अंग्रेजी में छपी है।

ग्रो मोर फूड (grow-more-food) के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं अन्न की पैदावार बढ़ रही है लेकिन मैं नहीं देखता कि कहां अन्न की पैदावार बढ़ गयी है। यह आन्दोलन तो वेस्ट मोर मनी (waste more money) हो गया है। मैं गवर्नमेंट का हितैषी हूं, अहितैषी नहीं हूं। इसलिये मुझे यह बातें कहनी पड़ती हैं। मैं नहीं चाहता कि सरकार कोई ऐसा काम करे, जिससे उसकी बदनामी हो, इसलिये मुझे इतना कहना पड़ा है वरना अपनी अवस्था को देखते हुए मैं नहीं चाहता कि कुछ बोलूं। अब मैं इतना कहकर अपने भाषण को समाप्त करता हूं और सरकार से आशा करता हूं कि वह इस पर विचार करगी।

*श्री कन्हैयालाल गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार बजट पर बहस के दौरान में और आज भी पिछले एक डेढ़ घंटे के अन्दर जो कुछ बजट के संबंध में सुनने को मिला है उससे मुझे भी माननीय वाजपेयी जी की भांति बहुत दुःख हुआ है। अधिकतर जो यहां व्याख्यान होते हैं उनको ध्यान से अगर सुना जाय तो पता चलता है कि क्या सरकार के पक्ष की बात है और क्या सरकार के विपक्ष की बात है। यहां का जो वातावरण है उसे देखते हुये अनुभव होता है कि कहां तक हमारे प्रदेश की भलाई हो सकती है। यहां मैं देखता हूं कि एक तरफ हां पक्ष का तख्ता और दूसरी तरफ ना पक्ष का तख्ता लगा हुआ है। एक तरफ ट्रेज़री बेंचेज़ (Treasury Benches) और दूसरी तरफ अपोज़ीशन (opposition) का बोर्ड (Board) लगा हुआ है। यह एक ऐसा वातावरण है, जिसके अन्दर मुझे डर है कि ग़रीब और निर्धन जनता अपनी सही आवाज़ हम लोगों के ज़रिये जिसको उसने कुछ अधिकार देकर भेजा है, सरकार तक पहुंचा सकेगी और उसकी कठिनाइयां कुछ दूर हो सकेंगी।

ऐसे वातावरण में एक निष्पक्ष रूप से ठीक ठीक प्रकार से विचार करके ऐसी योजनाओं को रखना जो वास्तव में जनता की भलाई की हों कहां तक सम्भव है यह ठीक समझ में नहीं आता। जो कुछ देखने में आता है वह ज़रूर कहना पड़ता है। दरअसल कुछ ग़लतियां ज़रूर रह जाती हैं। जिन कामों को लिया जाता है उन कामों का होना यदि नामुमकिन नहीं होता है तो कमी ज़रूर ही रह जाती है। पिछले दफे मैंने इस सदन के सदस्य होने के नाते हर सदस्य से कहा था कि सरकार के बारे में जैसा भी कार्य हो सच्चे हृदय से वैसा ही कहें चाहे वह आलोचना के तौर पर हो या प्रशंसा के तौर पर हो। समालोचना करना तो हमारा पुराना कर्त्तव्य है, जो इसे नहीं करता वह ग़लती करता है। इस बात को एक तरफ रखते हुए अब मैं बजट के संबंध में अपनी कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने कहा

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

हूं कि हमें टैक्स के बारे में यहां ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसलिये इस सम्बन्ध में नियम आगे हाउस के सामने आयेंगे तब हमें मौक़ा मिलेगा ताकि हम अपनी राय प्रकट कर सकें। मैं इसलिये ज्यादा कुछ उनके संबंध में नहीं कहता हूं केवल एक बात इसलिये कह देना चाहता हूं रूल्स बनाने में वित्त मंत्री ध्यान दे सकें।

सेल्स टैक्स ने कई प्रकार के व्यापार को बड़ा तबाह कर दिया है। ख़ासतौर से कमीशन एजेन्ट या आढ़तियों के व्यापार को बहुत धक्का लगा है। हम यह जानते हैं कि अढ़तिये व्यापार के एक बड़े भारी अंग हैं। सेक्शन ६ जो सेल्स टैक्स का है उसमें आढ़तियों के लिये एक परेशानी की चीज़ बनायी हुई है। ज्यादा इस सम्बन्ध में इस वक्त न कह कर मैं केवल इतना कहे देता हूं कि आढ़तियों पर जो ज़िम्मेदारी लादी गई है, एक तरफ़ तो लाइसेन्स देकर सेल्स टैक्स देने का भार उन पर रखा गया है दूसरी तरफ उन पर यह भी ज़िम्मेदारी लादी गई है कि उन प्रिन्सिपल को उन्हें सेल्स टैक्स आफिसर के सामने हाज़िर करना पड़ेगा, जिनके द्वारा उनका माल फरोख्त होता है। उनको साबित करना पड़ेगा कि जो माल उनके द्वारा बेचा गया है उसका सेल्स टैक्स दिया गया है या नहीं। इस तरह से जो ज़िम्मेदारी आढ़तियों पर लादी गई है उससे उनको एक बड़ी परेशानी हो गई है। मैं वित्त मंत्री से अर्ज करूंगा कि वह मेहरबानी करके इस सेक्शन को फिर से रिइक्ज़ामिन (re-examine) करें।

इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि जहां सरकार इर्रीगेशन (irrigation) और ग्रो मोर फूड की तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है चाहे वह कामियाबी के साथ या नाकामियाबी के साथ हो वहां सरकार के लिये यह भी बड़ा जरूरी है कि वह जनता की सेहत की तरफ जरूर ध्यान दे। सरकार ने अभी तक कभी भी हेल्थ (health) के बारे में और जनता के स्वास्थ्य के बारे में अपनी नीति स्पष्ट नहीं की है। भोर कमेटी (Bhore Committee) की एक बड़ी आदर्श रिपोर्ट हमारे मुल्क के सामने रखी गई। उस समय हमारे कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि हम जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को कार्यान्वित करेंगे। लेकिन आज जो नेता सरकार के अन्दर हैं हम देखते हैं कि इस कमेटी की सिफ़ारिशों पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं ख़ासतौर से इस सदन के लोगों का ध्यान राज्यक्षमा की तरफ दिलाना चाहता हूं। शायद यह बात हममें से हर एक को मालूम है कि हमारे मुल्क में एक मिनट में एक रोगी से भी ज्यादा इस रोग से मरते हैं। यह बात ठीक है कि राज्यक्षमा के द्वारा जो रोगी मरते हैं उनकी संख्या मलेरिया (malaria) से मरने वालों के बाद आती है। परन्तु विचार कर के देखा जाय तो वास्तव में इस रोग के द्वारा जो मरते हैं वह मलेरिया के निस्बत ज्यादा हैं। कारण यह है कि राज्यक्षमा से ज्यादातर वही लोग मरते हैं, जिनकी अवस्था १५ से ३५ वर्ष के बीच में होती है। इस रोग से ज्यादातर वही लड़के मरते हैं, जो ज्यादा होनहार होते हैं और अपनी ग़रीबी के कारण ज्यादा मेहनत करके मरते हैं। इसके अलावा वह भी इसके रोगी होते हैं जो ज्यादा परिश्रम करते हैं और किसी प्रकार का अच्छा खाना नहीं पाते हैं। इनमें से यदि देखा जाय तो इस रोग के रोगी ज्यादातर वे लोग होते हैं जो अपने परिवार में एक मात्र भरण-पोषण करने वाले होते हैं। ऐसी हालतों में रोगी के साथ रोग खत्म नहीं होता है बल्कि उसके सारे परिवार को हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। रोगी के खत्म होने के बाद उसका सारा परिवार पैसे पैसे के लिए तबाह हो जाता है। यह रोग हमारे यहां बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हमारे यहां ७० फ़ीसदी रोगी इस बीमारी से मरते हैं। ७० फ़ीसदी हिन्दुस्तानी इस रोग से मर जाते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि जल्दी से जल्दी इस रोग को रोकने की कोशिश की जाय। हमारी सरकार ने इस ओर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया है।

भुवाली में उसने एक सेनीटोरियम (sanatorium) बना रखा है, जिसमें रोगी इलाज के लिए रखे जाते हैं। लेकिन वहां की हालत बहुत ही खराब है। मुझ भी दो साल का उस सेनीटोरियम में रहने का अनुभव है, मैं खुद एक रोगी की हैसियत से वहां रह चुका हूं। मने जो कुछ वहां पर देखा उसको देख कर मेरा हृदय फटता है। भुवाली में

जो रोगी जाता है उसकी वहां पर अच्छी तरह से देखभाल नहीं होती है। आम तौर से लोगों का यह ख्याल है कि इसका रोगी अच्छा नहीं होता है। मगर ऐसी बात नहीं है अगर रोगी की ठीक से देखभाल हो तो रोगी अच्छा हो जाता है। ९९ फ़ीसदी टी० बी० के मरीज़ बचाये जा सकते हैं बशर्ते उनका इलाज ठीक समय पर हो। वह इलाज इतना क़ीमती नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार को बराबर इस ओर ध्यान देने के लिए कहा जाता है परन्तु वह अधिक ध्यान नहीं देती है। मैंने अपने ज़िले में डेढ़ साल से एक सेनीटोरियम क़ायम किया है। इस संस्था में मुझे काफी सफलता भी मिली है। भुवाली में सरकार का हजारों रुपया ख़र्च हो जाता है फिर भी वहां का इन्तज़ाम ठीक नहीं है।

नतीजा यह होता है कि बहुत से मरीज़ वहां से हमारे यहां आते हैं और इतनी बुरी हालत में आते हैं कि जब कि वह ला इलाज हो जाते हैं तब हमारे यहां आते हैं। अगर आप हमारी संस्थाओं में जा कर देखें तो मैं वहां आपको दिखलाऊं कि किस तरह से नौजवान लड़के, जो युनीवर्सिटी में पढ़ रहे थे और जिन्होंने यूनीवर्सिटीज़ में फर्स्ट और सेकेन्ड डिवीज़न प्राप्त किये हैं, उनकी हालत बिलकुल बिगड़ गयी है और वह इस नये सेनीटोरियम में आकर दाखिल हुये हैं। मेरी दरख्वास्त है कि सरकार इसमें ध्यान दे। एक राय सरकार को इस संबंध में मैं देना चाहता हूं और वह यह कि मास रेडियोग्राफी का ऐसा तरीक़ा है कि जिसकी मैं यहां व्याख्या नहीं करता, केवल इतना कहूंगा कि इसके ज़रिये से ऐसे रोगों को काफ़ी पहले मालूम किया जा सकता है। ऐसी सूरत में फिर कोई भी शख्स इससे ग्रसित नहीं होगा और इसकी ज्यादा क़ीमत भी नहीं देनी पड़ेगी। सरकार से मेरा निवेदन है कि वह इस पर ध्यान दे। दूसरी बात यह है कि इस टी० बी० से बचने के लिये जो ज़रूरी चीजें हैं जिसकी बदौलत हम हज़ारों लाखों आदमियों को बचा सकते हैं, उसका हमें प्रबन्ध करना चाहिये।

अब मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (Local Self-Government) के बारे में सरकार से इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब पिछले हमारे चुनाव हुये, आजकल के मौजूदा जो म्यूनिसिपल बोर्ड्स् हैं उनके चुनाव का अवकाश काफ़ी बढ़ाया जा चुका है। सरकार बहुत अच्छा करेगी अगर वह जल्दी ही उन इलेक्शन को कर डाले। यह तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने बग़ैर किसी बहाने के, सिर्फ इस लिये इलेक्शान्स की मियाद बढ़ाई है कि इलेक्शान्स में कांग्रेस हार न जाय, और सिर्फ इसीलिये जनरल इलेक्शन तक उनको स्थगित रक्खा। मैं दरख्वास्त करता हूं कि अब तो काफ़ी वक्त हो गया है, अब तो इसे अधिक टालने की ज़रूरत नहीं है। सुना जा रहा है कि अक्तूबर सन् १९५२ ई० तक उनकी ज़िन्दगी बढ़ाई गई है। यदि यह बात ठीक है तो क्या वजह है कि सरकार उनके वोटर्स (voters) की लिस्ट तैयार नहीं कर रही है। यदि यह इलेक्शान्स पिछले वोटर्स लिस्ट पर ही हुआ तो वह ठीक नहीं होगा, ज़रूरत तो इस बात की समझी जाती है कि उनको दोहराया जाय तो मैं समझता हूं कि दोहराने का कार्य बग़ैर देर किये ही शुरू हो सकता है।

अब मैं आखिर में प्लानिंग (planning) के ऊपर आना चाहता हूं। मैंने पिछली दफ़ा यह कहा था कि अगर हम प्लानिंग कामयाब करना चाहते हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मंत्री महोदय और डिप्टी मिनिस्टर्स गांवों की तरफ जायें और वहां पर जाकर के एक महीने में एक हफ्ते का वक्त दें और कुछ अरसे तक खुद वह अपने आफिसरों के ज़रिये से या जनता के ज़रिये से काम लें और काम करें तो इस तरह से जनता को भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और जो उनका प्लानिंग प्रोग्राम है वह काफ़ी कामयाब होगा।

इसके अतिरिक्त मैं सदन के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस तरफ सरकार का ध्यान कराने में और विरोध करने में ही अपना कर्त्तव्य समझा करते हैं परन्तु ऐसा नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी पार्टी की हो, वह हमारी सरकार है और यह हमें मानना पड़ेगा कि इससे अच्छी सरकार का मिलना हमारे लिये असम्भव है। यह बात अनुचित होगी अगर हमने यहां कुछ कह दिया तो हमारा कर्त्तव्य समाप्त हो गया है।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

हमारा कर्त्तव्य है कि अपने अपने जिले के जो मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट या मेम्बर्स आफ लेजिस्लेचर हैं वह आपस में मिल करके देखें कि हम अपने लोगों के लिये क्या कर सकते हैं, प्रश्नात्मक या धनात्मक दोनों तरफ से यदि हम ग़ौर से देखें तो अपनी जनता के लिये कुछ कर सकते हैं। फाइव इयर्स प्लान (Five-Years Plan) जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने बनाई है केवल वही हमारा आखिरी प्लान नहीं है। हमारा प्लान तो आप, हम बना सकते हैं और हम देखें कि कहां पर स्कूलों की जरूरत है, कहां पर अस्पतालों की जरूरत है और कहां पर किसी ऐसी चीज की जरूरत है कि जिससे जनता का फायदा हो सकता है। सरकारी प्लान और गुलजारी लाल नन्दा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्लान के ऊपर ही चलने पर हमारा काम कभी मुकम्मल नहीं हो सकता है।

हमें जरूरत है कि हम इस चीज को देखें और स्थानीय लोगों से इस बात को कहें। हमें हर काम के लिये सरकार से रुपये की और दूसरी तरह की आशा को छोड़ देना चाहिए। हमें इसके लिये वहां के स्थानीय लोगों के सहयोग की जरूरत है और इस तरह से सहयोग मिलने पर हम प्लानिंग के कामों में अच्छी तरह से रुपया खर्च कर सकेंगे और मेरा ख्याल यह है कि हमें १०,१२ और १४ जितने भी हों इन सब को मिलाकर इसके लिये कमेटी बना लें और इसके लिये पेड सेक्रेटरी (Paid Secretary) इत्यादि रख लें और इस तरह से उन लोगों की तकलीफों को देखें और उनको दूर करने का प्रयत्न करें। क्योंकि यह भी हो सकता है कि आफीसर्स के खिलाफ उन लोगों की शिकायत हो। इस तरह से हम जनता में संतोष भी फैला सकते हैं और उनसे सहयोग पाकर उनका सुधार कर सकते हैं।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—महोदय, इस तरफ से और उस तरफ से, अन्दर या बाहर, इस बजट की आलोचनायें हुईं। आलोचना बहुत अच्छी चीज है और इससे यह पता लगता है कि जो कुछ है उसके प्रति हमें असंतोष है। गवर्नमेंट को यह भी पता लगता है कि इस तरह की आलोचना से हमें भविष्य में और अच्छा इरादा रखने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस तरह की आलोचना से ही हमारा सूबा दिन प्रति दिन उन्नति करेगा। हमने जो कुछ भी किया है वह निश्चित ही बहुत अभिमान की बात है और उससे हमको पूरा पूरा सन्तोष नहीं है और यदि संतोष हो जाय तो शायद उन्नति रुक जाय। एक मेरे मित्र थे हालैन्ड के, उन्होंने अपना नाम यहां उपेन्द्र रखा था। उन्होंने संस्कृत पञ्चतंत्र का अनुवाद किया और फिर बाद में वह सारे का सारा अनुवाद फाड़ डाला, उन्होंने उसके चित्र इत्यादि भी फाड़ डाले। मैंने जब कहा कि जो चीज तुमने इतनी मेहनत से बनाई है, उसको फाड़ क्यों डाला तो उन्होंने उत्तर में कहा कि मुझे रोज इसे देखते देखते अब इच्छा भर गई है इसलिये मैंने अनुवाद भी फाड़ डाला और उसके चित्र भी फाड़ दिये क्योंकि मैं अब फिर से अनुवाद करूंगा और फिर से चित्र बनाऊंगा और वह अनुवाद और वे चित्र इससे अच्छे होंगे। अगर हमें वर्तमान के प्रति असन्तोष है, तो यह अच्छा है। बुरा इन्तजाम उसके अन्दर है या नहीं है मगर हमें अपना भविष्य देखना है और हमें हर तरह से उन्नति करना है। हमें आने वाले समय को देखना है। यह बात अच्छी ही है और हमें दूसरों की आलोचना से लाभ भी मिल सकता है। यह बात भी हो सकती है कि कोई एक आदमी किसी चीज को अधिक महत्व दे और हम उस चीज को उतना महत्व न दें लेकिन हमें सत्य को अपनाना है लेकिन सत्य तो तुलनात्मक होता है और तुलनात्मक सत्य में हमें देखना है कि वास्तव में सत्य है या नहीं। हमें किसी भी चीज को तुलनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए और यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हमारी आलोचना में भी वास्तविकता आ जायेगी और हमारी आलोचना सच्ची आलोचना बन जायेगी। इसलिये सभापति जी, मैं आपके द्वारा यह चाहूंगा कि जो लोग चाहें आलोचना करें या कुछ कहें और दूसरे लोग उस आलोचना को तुलनात्मक दृष्टि से देखें और यह हो सकता है कि हम लोग किसी उस चीज को उतना महत्व न दें जितना कि वह उसे देता हो।

पिछली खराबियां जो हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी खराबी यह है कि किसी भी चीज को सरकार जब चलाना चाहती है तो उसमें उसे पब्लिक का उतना सहयोग नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए । पुलिस और फौज को आज अधिक स्थान इस देश में मिल गया है क्योंकि आज कई छोटे छोटे संकट आते हैं तो हम पुलिस की ताकत बढ़ाते हैं और फौज की ताकत बढ़ाते हैं । हम यह भूल जाते हैं कि सच्ची ताकत जनता के हाथ में है।

यहां पर सत्याग्रह की चर्चा आई। यदि कोई भी आदमी इधर का या उधर का सत्याग्रह करे तो मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होगी किन्तु वह सत्याग्रह होना चाहिए और यह कहना कि इस सरकार के खिलाफ सत्याग्रह नहीं करना चाहिए यह मैं सही नहीं मानता हूं । यदि किसी आदमी को कोई बात आत्मा से बुरी लगती है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना धर्म है और मैं तो समझता हूं कि ऐसी आवाज उठाकर आप सरकार की सेवा कर रहे हैं ।. मुख्य बात तो यह है कि शासन ऐसे दृष्टिकोण से चलाना चाहिए कि जिनके ऊपर सरकार शासन करती है उनमें यह शक्ति आये कि वह बुराई का तीव्रता के साथ विरोध करें । यदि शक्ति न होगी तो सरकार ठीक तरह से नहीं चल सकती है । हर व्यक्ति के अन्दर इतनी शक्ति आ जाय कि बुराई का जोर के साथ विरोध कर सकें । ऐसा करने से ही मेरा विचार है कि सरकार जनता की सच्ची सेवा कर रही है यदि ऐसा न होगा तो जैसे कि जापान में हुआ कि एक अणुबम गिर गया और सब नष्ट हो गया.इसी तरह से कोई भी ताकत बाहर से आ करके नष्ट कर सकती है । सरकार की फौज और पुलिस उसको नहीं बचा सकते हैं । यदि उसका कोई मुकाबिला कर सकती है तो जनता की ताकत ही कर सकती है । वह यह ताकत है कि लोग बुरी बात को बुरा कह सकें । इनके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि शासन काल के अन्दर सिर्फ कानून ही नहीं बनाना चाहिए । बल्कि यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ कानून से ही काम नहीं चल सकता है ।

यदि हम जबरदस्ती टैक्स लगा दें तो उसमें यह होगा कि लोग देने में चोरी करेंगे । जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र के लिये यह चाहता है कि उसको कम से कम टोका जाय और यही नीति सरकार की होनी चाहिए कि वह पब्लिक को कम टोके और उस पर कम कानून लगाये। वह चाहे साम्यवाद हो, समाज वाद हो, या गांधीवाद हो। सबका आदर्श यह है कि हम रोजाना की चीजों म कम से कम इन्टरफिरेन्स (Interference) करें और हमको कानूनों की कोई जरूरत न रहे।

एक पिछले मंत्री ने बातचीत के दौरान में यह कहा था कि हमारे सूबे के अन्दर जितने क़ानून बने हैं उतने क़ानून इससे पहले कभी नहीं बने थे और शायद यह भी कहा था कि क़ानून की जितनी अवज्ञा इस सूबे में हुई है उससे पहले क़ानून की अवज्ञा और कहीं नहीं हुई थी। हम लोग इस बात को नहीं देखते हैं कि हमारा आदर्श यह है कि हम अपने आप अनुशासित हों। हमें कर्त्तव्य की भावना जाग्रत करना है, और हम ऐसा कर नहीं सकते यदि हम स्वयं अपने में कर्त्तव्य की भावना न जाग्रत करें । इसलिए हमारा यह आदर्श होना चाहिए कि प्रत्यक्ष शासन कम से कम हो ।

टैक्स भी प्रत्यक्ष कम से कम हो । टैक्स लगाते समय इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि १०० रुपये की आमदनी वाले को एक पैसे की जो क़ीमत है उसके मुक़ाबले में एक हजार रुपया आमदनी वाले को एक पैसे की कोई क़ीमत नहीं होती । जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा था कि "marginal utility diminishes with the increase of wealth." लक्ष्मी चपला है लेकिन लक्ष्मी की क़ीमत उससे भी अधिक चपला है । जो लोग बजट की आलोचना करते हैं वह बड़ी बड़ी रक़मों को न देख कर उनके पीछे जो भावना है उसको देखें । वह देखें कि किस भावना से सरकार चाहती है कि वह टैक्स लगाये और किस तरह से वह चाहती है कि हमारे सूबे का भविष्य उज्जवल हो । जब हम दोनो की भावनायें एक हो जायेंगी तो इसके समझने में देर न लगेगी । हम दोनों ही कहेंगे कि टैक्स जरूर लगना चाहिये । अन्त में मैं

[श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार]

यह जरूर कहूंगा कि हम लोग धीरे धीरे उन्नति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। असंतोष उन्नति की निशानी है और हमारा विश्वास है कि हमारा मुल्क दुनियां के किसी भी अन्य मुल्क के मुक़ाबिले में बहुत अच्छा है।

चेयरमैन--काउन्सिल अवकाश के लिये स्थगित करने से पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि सदन इस एप्रोप्रिएशन बिल को कब तक डिस्कस करना चाहता है और इलेक्ट्रीसिटी बिल को कब लेना चाहता है। मामूली तौर से नियम तो यह है कि किसी बिल को इंट्रोड्यूस (introduce) करने के बाद ४ दिन का वक्त उस पर विचार करने के लिये दिया जाय। अगर हाउस की यह राय है कि कल एप्रोप्रिएशन बिल को खत्म करके परसों इलेक्ट्रीसिटी बिल लिया जाय तो ऐसा भी हो सकता है।

वित्त मंत्री--इस वक्त तो हाउस में यह एप्रोप्रिएशन बिल है। हाउस इसको आज खत्म करे या कल करे और इस बैठक में यहां सिर्फ एक काम और है, वह है इलेक्ट्रीसिटी बिल इसके बाद और कोई काम करने को नहीं है। इसके बाद यहां से जाना है। फिर जब दुबारा मीटिंग होगी उस वक्त आने के लिये इस बात को सामने रखते हुये चेयर की तरफ से यह बात फरमाई गई है, इस बहस को खत्म करने के लिये जो इस बिल पर हो रही है उसके फौरन बाद ही इलेक्ट्रीसिटी बिल को ले लेना है या जैसा कि क़ायदे में लिखा हुआ है कि ४ दिन बाद लिया जा सकता है। आज का दिन और कल का दिन यह दोनों तो लग जायेंगे इस बिल में इसके बाद २ दिन और रहेंगे। इन दो दिन नशिस्त न हो और फिर उसके बाद हो या कब हो। मेरी यह ख्वाहिश नहीं है कि इस रूल को ससपेन्ड (suspend) किया जाय लेकिन हाउस की ख्वाहिश पूछी जाती है। अगर हाउस के मेम्बरान की यह राय हो कि हम दो दिन जो बचेंगे उसी में काम खत्म कर लें तो ऐसा भी किया जा सकता है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--उसके लिये तो रूल को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एप्रोप्रिएशन बिल कल समाप्त किया जाय उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया जाय।

चेयरमैन--मैं समझता हूं कि हाउस का जेनरल सेन्स यही है कि परसों इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया जाय। तो यहीं निश्चय हुआ कि कल एप्रोप्रिएशन बिल समाप्त कर दिया जाय और परसों इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लिया जाय।

अब २ बज कर १५ मिनट तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १ बज कर ७ मिनट पर स्थगित हुई और २ बज कर १५ मिनट पर पुनः चेयरमैन के सभापतित्व में आरम्भ हुई)।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं तारीख १४ को जब मन्त्री महोदय ने इस भवन के सदस्यों के भाषण का उत्तर दिया, उपस्थित नहीं था। युनिवर्सिटियां १४ तारीख को खुलीं इसलिये मेरा जाना आवश्यक था। परन्तु मुझे उनके भाषण का सारांश मालूम हो गया, इसलिये मैं पेश्तर इसके कि एप्रोप्रीएशन बिल के सम्बन्ध में कुछ कहूं, दो एक बातें शिक्षा के सम्बन्ध में कहना आवश्यक समझता हूं। श्रीमान् शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि युनिवर्सिटीज की अटोनामी (autonomy) तो अच्छी चीज है परन्तु युनिवर्सिटीज में पार्टी बन्दी रहेंगी तो अटोनोमी का रहना निश्चित नहीं है। युनिवर्सिटीज में पार्टी बन्दी तो थोड़ी बहुत सब जगह हैं। मगर मुझे यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और आशा है कि वे इस पार्टीबन्दी को शीघ्र ही समाप्त करेंगे जिससे युनिवर्सिटीज की उन्नति में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्री यह जानते होंगे कि कौन लोग पार्टी बनाते हैं और उनके कारनामों से भली भांति परिचित होंगे। मैं आशा करूंगा कि वे उनको बुलायें और समझायें और अगर समझाने से न मानें तो साम दाम जिस भी नीति को चाहें प्रयोग करके उनको ठीक रास्ते पर लाने का प्रयत्न करें। युनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा महत्व है। युनिवर्सिटीज की

उन्नति से देश की उन्नति निश्चित है। अगर युनिवर्सिटीज अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकतीं, अगर युनिवर्सिटीज अपने हाइ स्टैन्डर्ड (high standard) को क़ायम नहीं रख सकतीं, अगर युनिवर्सिटियों में किसी प्रकार की खराबियां आ जाती हैं तो आपका सारे राष्ट्र का प्रबन्ध खराब हो जायेगा। न आपको अच्छे न्यायाधीश मिलेंगे, न आपको अच्छे लेजिस्लेटर्स मिलेंगे। उनके लिये अधिकाधिक मात्रा में रुपया दीजिये और उनके लिये जो नियंत्रण गवर्नमेंट उचित समझती हैं उनके विकास के लिए उस नियंत्रण को गवर्नमेंट काम में लावे। इस पर किसी को एतराज नहीं होगा। परंतु यह बात ध्यान में रक्खी जानी चाहिये कि यूनिवर्सिटियों के लिये स्वतन्त्रता की बड़ी आवश्यकता है। किसी भी देश में यूनिवर्सिटियों के कामों में बाधा नहीं डाली जाती है। इंगलैंड में यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका (U. S. A.) में, फ्रांस में और यूरोप के दूसरे देशों का उदाहरण लीजिये वहां यूनिवर्सिटी ऐसी जगह मानी जाती है जहां केवल सत्य की खोज होती है। सत्य का प्रचार करना उनका उद्देश्य है और जो विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं उनको इस ओर ले जाना है कि वे भी सत्य का अन्वेषण करें। इसी बात की सहायता के लिये हम गवर्नमेंट से आशा भी करते हैं। शिक्षा मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल ठीक है। परन्तु मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि यूनिवर्सिटियों का राज्य में वही स्थान है जो कि शरीर में हृदय का होता है। हृदय का काम होता है कि वह रक्त की हरकत को ठीक रक्खे। अगर हृदय ठीक नहीं है तो रक्त की गति ठीक नहीं होती है। उससे मनुष्य का शरीर भी ठीक नहीं रहता है। मनुष्य रोगी हो जाता है और उसका जीवित रहना कठिन हो जाता है। इसके बाद मुझे यह निवेदन करना है कि गृह मंत्री जी ने दो एक बातें कहीं जिनका उत्तर देना मैं आवश्यक समझता हूं। मुझे बड़ा खेद है कि मैंने संस्कृत कालेज की जगह संस्कृत यूनिवर्सिटी कहा था जिसका उन्होंने बड़े जोर के साथ खंडन किया है। मैंने यह ग़लती से कह दिया परन्तु जो मैंने कहा था उसको दोहराने के लिये फिर तैयार हूं। संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाने के लिये जो बिल पेश होने वाला था वह स्थगित कर दिया गया। किन कारणों से यह मैं नहीं कह सकता। परन्तु कालेज के विषय में जो कुछ कहा गया वह भी ठीक है। पुलिस मिनिस्टर साहब ने कहा कि संस्कृत कालेज में ५०० विद्यार्थी हैं। परन्तु हाजिरी वहां की २० भी न होगी। यदि कोई साहब कभी बनारस जाने का कष्ट करें और संस्कृत कालेज में पहुंचे तो वह देखेंगे कि वहां पर २०, २२ लड़कों से अधिक न मिलेंगे। यह ऐसे ही होता है जैसे कि कालेजों में क़ानून की कक्षाओं में हाजिरी तो सैकड़ों लड़कों की होती है परन्तु अगर आप देखें तो आपको क्लास में २०, २५ लड़के ही नजर आयेंगे।

दूसरी बात मैंने यह कही थी कि ज्योतिष के अध्ययन के लिये जो मशीन खरीदी गई वह बहुत पुराने माडेल (model) की है। मैंने यह नहीं कहा था कि वह मशीन पुरानी है। मैंने तो कहा था कि वह सन् १९१४ का माडेल है जो कि सन् १९५० में खरीदा गया है। उस मशीन को अगर आप देखें तो आपको साफ़ लिखा हुआ नजर आयेगा कि उसमें १९१४ लिखा हुआ है। एक टेलिस्कोप ६८ हजार में खरीदा गया था जो अभी तक संस्कृत कालेज में बेकार पड़ा हुआ है। बजट में अगर आप देखें तो उसमें एस्ट्रानामिकल स्टडीज (astronomical studies) के लिये प्रबंध किया गया है। योजना बहुत अच्छी है। परन्तु जिस तरह से काम शुरू हुआ है वह बिल्कुल ठीक नहीं है।

मुझको इस समय कुइन्स कालेज (Queen's College) की याद आ जाती है और जब मैं उसकी हालत को देखता हूं तो बड़ा अफ़सोस होता है कि जिसमें बड़े बड़े डाक्टर लोग पढ़ा चुके थे, आज वह डिग्री कालेज होने योग्य था परन्तु आज उसकी हालत ऐसी है कि जिसके देखने से पता चलता है कि वह बहुत जल्द ही ढह जायगा। उसको जब मैं देखता हूं तो मुझे गाय और ब्राह्मण की कहानी याद आती है। एक गाय दलदल में फंसी थी ब्राह्मण को देखकर प्रसन्न हुई कि अब मेरी रक्षा होगी परन्तु ब्राह्मण देवता ने कुछ भी न किया। बनारस के जो लोग यहां हैं वह कालेज की हालत को भली भांति जानते होंगे। मेरा ख्याल

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

है कि आगे चल कर उसकी दशा और भी खराब हो जायेगी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय फिर इसका जवाब देंगे।

पिछली बार मैं ने कुछ बातें इन्टरमीडियेट बोर्ड और शिक्षा विभाग के बारे में कही थीं जिनका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। आज किस तरह से इन्टरमीजियेट बोर्ड का काम खराब चल रहा है। २९ लाख रुपया हाई स्कूल और इन्टर-मीजियेट बोर्ड के लिए इस साल बजट में दिया गया है, जो लोग उसमें हैं वह कह सकते हैं कि बोर्ड की क्या हालत हो रही है। इस साल हाई स्कूल का रिजल्ट (result) ५१ फ़ीसदी रहा है। असल में उसका रिजल्ट केवल ३१ फ़ीसदी ही कहा जा सकता है। वजह उसकी यह है कि जिस दिन से इम्तिहान समाप्त होता है उसी दिन से परीक्षकों का पता लगा कर विद्यार्थी अपने पास होने का प्रयास करने लगते हैं। शिक्षा मंत्री जी का यह काम है कि वह बोर्ड की तरफ ध्यान दें कि जिस पर सरकार ३० लाख रुपया खर्च करने जा रही है उसकी हालत ठीक हो, उसका स्तर ऊंचा हो। एक बात मैंने अपनी पिछले भाषण में और कही थी कि हमारे स्कूलों का पाठ्यक्रम बहुत ख़राब हो गया है जिससे शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। किताबें और कापियां बहुत बढ़ा दी गई हैं, मगर लड़कों को ज्ञान कुछ नहीं, उन्हें न कुछ हिसाब, न भूगोल, न इतिहास और न साइंस आता है। आई० ए० एस० (I. A. S.) के इम्तिहान का रिजल्ट हमारे सामने है जहां यह चीज नोटिस में आ चुकी है कि बड़े बड़े ग्रेजुएट्स (graduates) सम्मिलित हुए थे परन्तु शिकायत यह सुनने में मिली कि लड़कों ने कन्ट्रोल में डबल यल और लॉ (law) में lau लिखा था। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से अपील करता हूं कि वह स्तर ऊंचा करने की चेष्टा करें और जो २९ लाख रुपया आप बोर्ड पर खर्च करने जा रहे हैं उसका प्रयोग उचित ढंग से किया जाय। केन्द्रीय सरकार ने आई० ए० एस० की परीक्षा की तीव्र आलोचना की है और वह इस विषय में उचित कार्यवाही भी करने जा रही है। शिक्षा मंत्री को भी इसपर ध्यान देना चाहिये। बजट की सभी अनुदानों को विधान सभा ने पास किया है और इस हाउस में भी काफ़ी बहस हुई है। मैं चाहता हूं कि कम से कम कांसो-लिडेटेड फन्ड का जो रुपया है उसका प्रयोग ठीक किया जाय। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे शिक्षा मंत्री जी से कहें कि जो रुपया शिक्षा के लिये रखा गया है उसका प्रयोग उचित ढंग से किया जाय।

जहां तक प्राइमरी एजूकेशन का संबंध है पिछले साल पांच सौ स्कूल खोले गये थे और इस साल २५० ही रह गये। गवर्नमेंट की इस नीति से मैं सहमत नहीं हूं कि प्राइमरी स्कूल अधिक से अधिक खोल दिये जायें। बल्कि मैं चाहता हूं कि जो स्कूल खोले जायं उनमें शिक्षा का ठीक प्रबन्ध हो, वक्त पर अध्यापकों को वेतन दिया जाया करे, चाहे दस की जगह पर पांच ही स्कूल खोले जायं। आजकल मंगल से लेकर शुक्रवार तक ही अधिकतर स्कूल खोले जाते हैं और बाकी दिनों में अध्यापक लोग अपने घर का काम किया करते हैं, दूसरे रोजगार करते हैं, क्योंकि वेतन इतना नहीं है जिनसे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके।

आप कहीं गांव में आज देखें कि क्या हालत स्कूलों की है। प्राइमरी एजुकेशन की बड़ी दयनीय दशा है। मेरा देहात से संबंध है और देहात के स्कूल में पढ़ा हूं तथा देहात की शिक्षा से भलीभांति परिचित हूं। देहात में अब यह हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मास्टरों को ३ या ४ महीने तक वेतन नहीं देते हैं। परिणाम यह होता है कि उन बेचारों को दूसरे काम करने पड़ते हैं। बहुत से अध्यापक तो शुक्रवार को ही चले जाते हैं या शनिवार को चले जाते हैं और सोमवार को आते हैं। इस तरह से एक सप्ताह में तीन चार दिन ही वहां पढ़ाई होती है। गवर्नमेंट को विचार करना है कि जो ८ करोड़ ११ लाख रुपया खर्च करना है वह इस प्रकार होना चाहिए जिससे ठीक शिक्षा लोगों को मिल सके। हम इस समय यह नहीं कहते हैं कि टैक्सेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। परन्तु हम तो यही कहते हैं कि जो कुछ व्यवस्था आपने इस बजट में की है उसको इस रूप से प्रयोग करिये जिससे जनता को लाभ हो। एक बात जो मैंने कही थी उस का उत्तर बाबू सम्पूर्णानन्द जी ने नहीं दिया। वह यह थी कि गवर्नमेंट ने एक नया तरीक़ा रुपया खर्च करने का निकाला है। वह यह है कि उन्होंने नैनीताल

और ज्ञानपुर में फर्स्ट ग्रेड के कालेजेज बनाये हैं। वहां के प्रोफेसरों का वेतन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के बराबर रखा गया है। वहां के प्रिन्सिपल का ग्रेड १२०० से १५०० का रखा गया। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आगरा, मेरठ और बरेली जैसे कालेजों के प्रोफेसरों का वेतन आपने इतना क्यों नहीं कराया। वे तो बहुत पुराने और अच्छे कालेज हैं। अगर आप देखें तो नैनीताल में आप को एक सौ से ज्यादा विद्यार्थी नहीं मिलेंगे। वहां के विद्यार्थी इलाहाबाद या लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं। इसी तरह से ज्ञानपुर बनारस के पास हैं। वहां पर कालेज स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी। वहां पर गवर्नमेंट डेढ़ लाख रुपये की एक प्रयोगशाला स्थापित करना चाहती है। वे विद्यार्थियों को बुलाते हैं कि हमारे यहां पढ़ने के लिये आओ लेकिन विद्यार्थी वहां नहीं जाते हैं। क्या इतना रुपया खर्च करना जरूरी है। आगरा कालेज, सेन्ट जान्स कालेज, मेरठ कालेज, बरेली कालेज और डी० ए० वी० कालेज कानपुर इत्यादि की तरह वहां पर भी कालिज बन सकते हैं। यह एप्रोप्रिएशन बिल है। जैसा मैंने कहा इसमे हमें कोई काटछांट करने का अधिकार नहीं है। इसलिये आपके समय का नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन दो चार बातें अर्थ मंत्री से जरूर कहूंगा। आपने अपने बजट भाषण में एक जगह कहा है कि हम इरीगेशन प्रोजेक्ट को ऐसे काम में लाने वाले हैं जिनसे बहुत सी जमीन की आबपाशी होगी, सरकार फिर रेहिन्द प्रोजेक्ट को चालू करना चाहती है। अर्थ मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहा है कि हमको रुपया दें। परन्तु गवर्नमेंट आफ इंडिया ने वादा नहीं किया है। आप के डिपार्टमेंट के एक बड़े अफ़सर ने मुझे बताया है कि जो डेपुटेशन गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास गया था जिसमें अर्थ मंत्री जो भी सम्मिलित थ वह अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि हम रुपया नहीं दे सकते। मुझे मालूम नहीं कि यह कहां तक सही है। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया का ऐसा विचार है तो जो आप १० लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं उससे क्या जनता को लाभ पहुंचेगा। कहीं ऐसा न हो कि आप का रेहिन्द प्रोजेक्ट बिल्कुल असफल हो जाय। मैं तो इस बात का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने कहा है कि रेहिन्द से जो बिजली पैदा होगी उसकी खपत के लिये आप के पास काफ़ी काम नहीं होगा। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आप इस पर अच्छी तरह से विचार करे क्योंकि आप अपनी स्कीमों पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। शायद १० करोड़ रुपया इस स्कीम (scheme) के लिए है। इस रुपये को अच्छी तरह से खर्च करना चाहिए। आप बड़ी बड़ी स्कीमें बनाये, इससे हम सब सहमत हैं। हमारे देश की उन्नति हो, कृषि की उन्नति हो और जनता समृद्धि शाली हो। परन्तु आप को रुपया अच्छी तरह से व्यय करना चाहिए। यह बजट घाटे का बजट है इसलिए कहीं ऐसा न हो कि आगे चल कर आप को और ज्यादा घाटा हो और उसके लिए आप को टैक्स लगाने पड़ें, जिसका भार जनता न सहन कर सके। ऐसा न होना चाहिए।

तीसरी बात मैं ल ॉ ऐण्ड आडर (Lawand ordεr) के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें बहुत त्रुटि आ रही है। आपने अभी कल ही अखबार में पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट के जज श्री हरिशचन्द्र के यहां चोरी हो गई। जिस में दो घड़ियां लगभग ३०० रुपये और पिस्तौल चोरी गये। चोर एक धन्यवाद की चिटठी छोड़ गये जिसमें लिखा हुआ था कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस तरह से और भी बहुत से लोग हैं जिनके यहां चोरी हुई हैं जैसे, ए० एन० सप्रु और बांदा के जिलाधीश इत्यादि।

अब मैं बहुत नम्रतापूर्वक आप से जमींदारी विनाश के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। मैं वनाश का शब्द नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यह शब्द अच्छा नहीं मालूम होता है इसलिए मैं जमींदारी की समाप्ति शब्द का प्रयोग करूंगा। जमींदारी के समाप्त होने के बाद देहातों की समस्या बहुत प्रबल हो गई है। वहां पर लॉ ऐण्ड आर्डर क़ायम रखना बहुत कठिन हो जायेगा। जब जमींदारी समाप्त करन की इच्छा प्रकट की गई उस वक्त यह नहीं सोचा गया कि हम इसकी जगह दूसरी क्या मशीनरी स्थापित करेंगे। लगान कैसे और किस तरह से वसूल हो गाइस पर काफ़ी विचार नहीं हुआ। सरकार ने इस पर विचार नहीं किया कि खर्चा कम हो और जन साधारण का हित अधिक हो। अब लगान अमीनों के ज़रिये से वसूल किया

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

जायगा और कहीं कहीं पर लगान को पंचायतें वसूल करेंगी। सरकार ने किसानों की सुविधा का ध्यान नहीं रखा। इससे रिश्वत खोरी का बाजार गरम हो जायगा। कोई काश्तकार कहेगा कि हमारे यहां लड़की की शादी है, १५ दिन के बाद दूंगा और उसे रुपया देना पड़ेगा। आपको इन बातों को रोकने के लिए ऐसे आदमी रखने चाहिए जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम कर सकें और जो आप की इस योजना को पूर्ण रूप से सफल बना सकें। वह लोग देश भक्ति की भावना रखते हैं। मैंने रेवन्यू के संबंध में काफ़ी पढ़ा है। आज का ही नहीं बल्कि वेदों के समय से लेकर अब तक का भूमि कर सम्बन्धी अध्ययन किया है।

हमारे अर्थ मंत्री, जो फारसी जानते हैं, वे पुरानी मुसलमानों की लिखी हुई तारीखें पढ़ें तो वह देखेंगे कि मालगुजारी वसूल करने का कार्य कैसा कठिन था। अकबर बादशाह, जो बहुत ही शक्तिशाली बादशाह समझा जाता है, उसके ज़माने में टोडरमल, फतहउल्ला शीराजी आदि बड़े बड़े बुद्धिमान मंत्री थे, जिनका सिक्का अंग्रेजों ने भी माना है। उनके समय में भी मालगुजारी ठीक तरह से वसूल नहीं हो पाती थी। इन सब बातों को समझने के बाद अगर आपने ज़मींदारी समाप्त कर दी है तो आप अपने बड़े बड़े आफिसरों से पूछें कि अब क्या स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि जिससे इस राज्य की हानि न हो और जिससे कि हमारे किसानों को लाभ हो। ऐसा करने से आपका उद्देश्य अवश्य ही पूरा होगा। इस बात के लिये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इसकी तरफ पूरा ध्यान दें। हमारे चन्द सदस्यों ने पुलिस के बारे में कहा है और जैसा कि अभी श्री गोविन्द सहाय जी ने कहा कि केवल सिपाही और दरोगा रखने से ही जुर्म बन्द नहीं हो सकते हैं। क्राइम (crime) एक ऐसी चीज़ है जिसका सामाजिक स्थिति से अधिकांश संबंध होता है। पुलिस सौ में से दस आदमियों का प्रबन्ध कर लेगी लेकिन पुलिस सौ में ९० आदमियों का प्रबन्ध नहीं कर सकती है। अगर ९० आदमी क्रिमिनल माइन्ड (criminal mind) के हो जाते हैं तो आपकी पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। इसलिये आप अपनी पालिसी (policy) के द्वारा, अपनी नीति के द्वारा, और अपने अच्छे कार्यों के द्वारा ऐसा प्रभाव डालें कि जिनके द्वारा जनता की मनोवृत्ति ऐसी हो जिससे क्राइम में बराबर कमी होती चली जाय। आप देखें कि संसार में ऐसे फिनामिना (phenomenon) चल रहे हैं कि जिनसे क्राइम होते हैं। मैं अक्सर यूनीवर्सिटीज़ के विद्यार्थियों के मुंह से सुनता हूं कि when you have got six coats and I have got none, why should I not take away your three कोई हर्ज नहीं है अगर तुम्हारे पास ६ कोट हैं और मैं तुम्हारे ३ कोट ले लूं जब कि मेरे पास एक भी नहीं है। अगर विचार किया जाय तो यह मनोवृत्ति ऐसी है जिसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा इसके ऊपर हमें गौर करना है और यह भी देखना है कि किस तरह से इसे दूर किया जाय। मैं समझता हूं कि इसे हम अच्छी शिक्षा के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। अगर शुद्ध विचार और सदाचार की शिक्षा मिले तभी यह सम्भव हो सकता है कि इस तरह की मनोवृत्ति दूर की जा सकती है और तभी आपका जो लक्ष्य है, वह पूरा हो सकेगा।

अब एक बात मैं जन स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूं। आपने जो प्राविज़न (provision) पब्लिक हेल्थ (public health) का इस बजट में किया है उसकी भी उचित रूप से व्यवस्था होनी चाहिये। आपने new items of the budget में कहा है कि हम पब्लिक हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेन्ट के लिये काफी खर्च नहीं कर सके और आपने स्वीकार किया है कि आयुर्वेदिक संस्थाओं को ज्यादा देने की आवश्यकता है परन्तु अभी अभी हम एक लाख से अधिक नहीं दे सकते और वह एक लाख चार कालेजों को दिया है यानी पीलीभीत, इलाहाबाद, झांसी और हरिद्वार।

मैं गवर्नमेन्ट की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझा है कि जन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आज आवश्यकता है। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि अस्पतालों की हालत भी अच्छी नहीं है और इलाहाबाद में जो अस्पताल है उसकी

बड़ी बुरी दशा है और उसमें रोगियों का उचित रूप से इलाज नहीं होता है और इसी तरह से और भी कई अस्पताल हैं जहां पर कि उचित रूप से चिकित्सा नहीं हो रही है। यह काम ऐसा है जिसकी ओर सरकार को पूर्णतः ध्यान देना चाहिये और जो भी कर्मचारी इनका कार्य चलाते हों उनको अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये। आज हमीं शासन चलाने वाले हैं तो हमारा यह उद्देश्य है कि हम जनता का हित करें। इसकी ओर बहुत से मेम्बरों ने पहले भी गवर्नमेन्ट का ध्यान आकर्षित किया है। श्री अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ने कहा कि छपाई में बहुत सा रुपया व्यर्थ व्यय किया जाता है यहां आने पर हमें मोटी-मोटी पुस्तकें बढ़िया आर्ट पेपर पर छपी मिलती हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ता।

अभी हाल में इसी तरह की एक किताब मुझे देखने को मिली मगर उसमें मैंने देखा कि उसके दस सफों पर तो मिनिस्टरों की तस्वीरें छपी हुई हैं। मिनिस्टरों को तो हम करीब-करीब सभी को जानते हैं उनको अपनी तस्वीरों को इस तरह से छपाने से क्या लाभ, आजकल कागज की बहुत कठिनाई है। स्कूल की किताबों को छपाने के लिये कागज की कमी की वजह से कठिनाई हो रही है। आपको मालूम है कि कितने बुरे कागज पर किताबें छापी जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप प्रचार मत कीजिये। आप प्रोपैगैन्डा कीजिये क्योंकि आजकल प्रोपेगेन्डा का जमाना है और बिना प्रोपैगैन्डा के कोई काम नहीं हो सकता है। मगर इन सबके लिये इतना रुपया खर्च कर देना अच्छा नहीं है। उस खर्च में शासन के और काम हो सकते हैं और जैसा कि मैंने पिछले बजट के अवसर पर बतलाया था कि जहां कहीं कमी हो सकती है, आपको वहां कमी करनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट इस बात को अच्छी तरह से विचार करे कि किन मदों में आज कमी हो सकती है और फिर उस रुपये को वह जनता के भलाई और निर्माण-कार्यों में व्यय कर सकती है। आज आयुर्वेदिक कालेजेज खोलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एलोपथी की चिकित्सा बहुत महंगी पड़ती है और वह गरीब आदमियों के लिये नहीं है। एलोपैथी का डाक्टर जो पहले ४ रुपये लेता था, वह आज ८ रुपये लेता है और कहीं कहीं तो १६ रुपया भी मांगा जाता है, इसलिये अधिकाधिक आयुर्वेदिक चिकित्सा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

चेयरमैन--आपका टाइम अब खत्म हो गया।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह मितव्ययता को व्यवहार में लायें और अनुदानों को जनता के कल्याण के लिये प्रयोग करें।

***श्री बद्री प्रसाद कक्कड़**--माननीय चेयरमैन महोदय, मैं इस वक्त अपने सामने एप्रोप्रिएशन बिल देखता हूं ख्याल यह करता हूं कि बजट में बहसें हो चुकी हैं अब यह एप्रोप्रिएशन बिल क्या है? दिमाग में यह बात आती है, देख लिया है समझ लिया है जान लिया है फिर इन सब पिछली बातों को दोहराने की क्या जरूरत है। मैं आपके सामने एक बुजुर्ग की कहावत रखता हूं:--

"Duty is a hard task master, duty is love and love is duty without hope of reward and without fear of punishment"

यह हर एक सदस्य का ख्याल होता है और इन सब बातों को ख्याल में रखते हुय मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं जिस वक्त ऐडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नजर डालता हूं इस वक्त तक जो कुछ किया गया, पुरानी कहानियों को कहने की जरूरत नहीं है वह काबिले तारीफ और तहसीन है और लोग गवर्नमेन्ट के एहसान मन्द हैं लेकिन मेरा यह भी फर्ज है कि मेरे दिल में जो भावनायें उठें जो खराबियां मालूम हों मैं एवान के सामने और गवर्नमेन्ट के सामने सुझाव के रूप में मुसर्रह तौर पर रखूं। मेरा ऐसा

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

ख्याल है और जिस वक्त पुलिस रिपोर्ट को देखता हूं और फिगर्स (figures) को देखता हूं मालूम होता है कि फौजदारी के सीगे में चोरी डकैती और लालेसनेस (lawlessness) बढ़ती जा रही है। दिल में एक जोश पैदा होता है, ख्याल आता है कि आया यह कौन सी चीज है और दिमाग सोचने पर मजबूर होता है और समझ में आता है कि वाकई दर असल क्या बात है ? वह क्या चीज है ? कोई ऐसी एजेन्सी है कोई ऐसी सूरत है जो इस चीज को कमजोर बना रही है। यह बात मुल्क के लिये नाजुक है गवर्नमेन्ट का ध्यान ऐडमिनिस्ट्रेशन की ओर जाना चाहिये। दूसरी चीज जो मैं देखता हूं वह यह है कि डी० एम०(D. M.)और एस० पी०(S.P.) इन-एक्सपीरियेन्स्ड (inexperienced) भेजे जाते हैं। एक्सपीरियेन्स्ड अफसर जैसे पहले भेजे जाते थे भेजने चाहिय। अगर यह नहीं किया गया तो ऐडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, मै यह कहना चाहता हूं कि डिसपैच अच्छा नहीं है पन्चुयेलिटी (punctuality) नहीं है । इस तरफ भी गवर्नमेन्ट का ध्यान मबजूल करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट उनको यह बताये कि वह पब्लिक गुड (public good) के लिये हैं और पब्लिक कानटेक्ट(public contact) करना चाहिये जैसे कि एक किसान है गुलामी का मुद्दत से आदी है वह बहुत जल्द घबराने लगता है और परेशान हो जाता है उसके दिल में यह कुव्वत नहीं है कि बरजस्ता वह अपनी तकलीफ और परेशानी उनसे कह सके। इसी सिलसिले में मैं एक बात और कह दूं कि पुलिस पर चाहे जितना ज्यादा खर्च किया जाय लेकिन मैं यह देखता हूं कि एक कान्सटेबिल आनेस्ट ब्रेव और स्ट्रांग (honest, brave and strong) नहीं है आज उसको जो तनख्वाह मिलती है वह एक चपरासी के मुकाबिले की है। मेरा तो यह ख्याल है कि नम्बर आफ पुलिस ऐन्ड सोल्जर्स पर ध्यान न दिया जाय बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिये। मैंने देखा है कि एक आउट पोस्ट पर ११ से ज्यादा सिपाही नहीं रहते हैं उनमें से अगर ४ ईमानदार आदमी हैं तो वह २५ का मुकाबिला कर सकते हैं। मैंने फ्रान्स की एक लड़ाई का किस्सा पढ़ा है। जिसमें पांच हजार सिपाहियों ने २५ हजार को भगा दिया। वह क्या था उनकी बहादुरी थी और ड्यूटी का रिगार्ड था और कल्चर था जो उनके दिल को मजबूत करता था ।

एजूकेशन में आज ५-६ साल से यह देख रहा हूं कि यह बात तो जरूर सही है कि एजुकेशन में जो कुछ गवर्नमेन्ट ने किया निहायत सराहनीय है और हर कोने में, मौजे-मौजे में नगमा है कि एजूकेशन की तरक्की हो रही है स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे परेशान कर रही है वह यह है कि जब हमारी एजूकेशन को दुरुस्त करने वाला ही ठीक न होगा तो हरगिज काम ठीक तरह से नहीं चल सकता। मैं ५ वर्षों से देख रहा हूं कि कोई एक साल रहा कोई डेढ़ साल तो कोई २ साल रहा। इस तरह से एजूकेशन का ऐडमिनिस्ट्रेशन माकूल तरीके से नहीं चल सकता। कम से कम डाइरेक्टर को ३ वर्ष का मौका देना चाहिये ताकि वह अपनी पालिसी को इम्प्लीमन्ट कर सके और यह देख सके कि दरअसल उसने मुल्क में किस कदर विद्या का प्रचार किया।

जनाबवाला, एजूकेशन क्या हुई किसी मरचेन्ट (merchant) की दूकान हुई ? एजूकेशन क्या बिल्कुल एक तमाशा है। मैं तो इन्टरमिजियेट बोर्ड में रहा हूं वहां का हाल अभी डाक्टर साहब ने बताया है एक छोटा सा बच्चा जो छठें दरजे में पढ़ता है उसकी किताबों का बोझ एक गदहे के बोझ के बराबर होता है, लिहाजा इस चीज पर भी गवर्नमेन्ट की निगाह जरूर होनी चाहिये। जिस दरजे में बच्चे पढ़ते हैं कम से कम उसके तो वह काबिल हों। यह क्यों नहीं है ? इसका कारण सिर्फ यह है कि उनको इतनी किताबें दी जाती हैं कि जिनको वह पढ़ नहीं सकते और ऐसा मालूम पड़ता है

जैसे कोई बिजिनेस (business) का दफ्तर खुल गया है और जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा मैं भी स्कूल में पढ़ चुका हूं मैंने अपनी तालीब-इल्मी के जमाने में कभी यह नहीं सुना था कि मेरा मुम्तहिन कौन है। अब तो हर बच्चे की निगाह में है कि कापी कहाँ से कहाँ जाती है। यही चीज है जो हमारे कल्चर को बिगाड़े हुये है इसमें दुरुस्ती जल्द होना चाहिये।

अब मैं अपने जिले और अपनी जिम्मेदारी की बाबत कुछ कहना चाहता हूं। जिस वक्त मैं अपने जिले के सदस्यों और बजट का मुकाबला करता हूं तो मेरे दिल में एक सदा उठती है कि कम से कम गवर्नमेन्ट से कहूं कि वह फतेहपुर को तो यू० पी० से खारिज ही कर दे, ख्वाह यह अदब में समझा जाय या गुस्ताखी में शुमार किया जाय, मैं पूछूगा कि फतेहपुर की तरक्की के लिये सन् ३९ से क्या किया गया जिससे हमारे यहां की जनता हमारी मश्कूर हो और हमारी सूरत देखने की रवादार हो और गवर्नमेन्ट की एहसानमन्द हो। मैं हाफिज जी साहब और गवर्नमेन्ट का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद में जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको फतेहपुर तक एक्सटेन्ड (extend) कर दिया जाय इससे इनडस्ट्री इतनी बढ़ेगी कि लोग मालामाल हो जायेंगे और गल्ले की पैदावार भी कम्यूनिटी प्रोजेक्ट (community project) से कई गुना बढ़ जायेगी। मैं अपने ऊपर फटकार डालते हुये कहता हूं कि १६ बरस से इस सदन का खादिम हूं आजतक मैं एक भी भलाई अपने जिले की नहीं कर सका। इस वजह से मैं इस कदर शरमिन्दा और नादिम हूं कि अगर मेरी ईंट और पत्थर से भी वहां के लोग याद करें तो मैं बुरा मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इन शब्दों के साथ मैं वक्त को देखते हुये अपनी तकरीर को खत्म करता हूं।

श्री बालक राम वैश्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कुछ विचार आपके द्वारा एक्साइज मिनिस्टर को देना चाहता हूं। मद्यनिषेध पहले उत्तर प्रदेश में सन् १९३८ से प्रारम्भ हुआ। उसके बाद ऐडवाइजर्स रिजीम आई और सन् ४० में उसने इसकी समाप्ति कर दी। उसमें जो कुछ भी प्रगति उस समय की सरकार कर चुकी थी वह सब समाप्त हो गई और उसका जनता पर भी बुरा असर पड़ा। इसके बाद जब फिर राष्ट्रीय सरकार आई तो उसने फिर मद्यनिषेध योजना चालू की और सन् ४७ से लेकर ५१ तक ११ जिलों में मद्यनिषेध लागू किया गया। इन ११ जिलों के अलावा तीन धार्मिक स्थानों में भी मद्यनिषेध योजना चालू की गई। जहां तक मेरा अनुभव है गरीब जनता पर इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा और शत प्रतिशत तो मैं नहीं कह सकता मगर ८० प्रतिशत गरीब जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। जिन जिलों पर उसका प्रयोग किया गया वहां की गरीब जनता पहले से सुखी और ऊंची उठी है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि यह मद्यनिषेध की योजना पूर्ण रूप से समस्त प्रदेश में लागू की जाय। इस समय बम्बई और मद्रास में मद्य-निषेध योजना पूरी तरह से लागू है। मध्य प्रदेश में भी करीब-करीब आधे हिस्से में यह योजना है। अपने प्रदेश में कहा जा सकता है कि २० प्रतिशत हिस्से में मद्यनिषेध है। मद्यनिषेध की योजना समाज के उत्थान की योजना है। जहां तक मुझे कार्य करने का अनुभव हुआ है यह एक राजनीतिक योजना भी है। जिस समय गांधी जी ने स्वन्त्रता संग्राम शुरू किया था उसके साथ जहां और पहलू थे वहां उनमें एक बड़ी भारी योजना मद्यनिषेध की भी थी।

उस योजना को लेकर शराब की दूकानों पर पिकेटिंग हुई औरतों और बच्चों को लाठी से पीटा गया आदि जितने अत्याचार हो सकते थे उन पर किये गये उस मद्य निषेध के पीछे एक बड़ा भारी इतिहास है। जिसे कि हमें नहीं भूल जाना चाहिये। हमें इस मद्य निषेध को पूरी तरह से अपने प्रदेश में लागू करके शीघ्रातिशीघ्र इसके प्रयोग को खत्म करना है इस सम्बन्ध में जो पैम्फलट्स (pamphlets) मिले हैं

[श्री बालक राम वैश्य]

उनके आंकड़ों से पता चलता है कि जिन-जिन प्रदेशों में मद्य निषेध की योजना लागू की गई है वहां पहले की अपेक्षा अपराध भी कम हुये हैं । यह ठीक है कि इससे हमारे प्रदेश की आमदनी कम होती है लेकिन जब एक काम अच्छा है जनता को ऊपर उठाने वाला है तब सरकार को यह नहीं देखना चाहिये कि इससे आमदनी में कितनी कमी होती है । मुझे एक छोटी सी रियासत में ८-१० महीने तक रहने का सौभाग्य मिला है वह बिलासपुर स्टेट है । वहां का जो अधिकारी होने वाला था वह अपने बाल्यकाल में ही यह स्वप्न देखा करता था कि सबसे पहला कार्य उसका मद्यनिषेध का होगा । उसके ऐसा करने से उसकी आय जो साढ़े नौ-दस लाख थी वह घट कर साढ़े छः लाख हो गई । मद्यनिषेध से आय में कमी तो अवश्य हुई किन्तु उससे शासन प्रबन्ध में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई । इस मद्यनिषेध से आय में जो कमी होती है मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं जिसको अगर कार्य रूप में परिणत किया जाय तो मैं समझता हूं उसका जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा । यह जो इन्टरटेनमेंट टैक्स इस वक्त तक २५ प्रतिशत अपने प्रदेश में है उसको मेरे विचार में इस कमी को पूरा करने के लिये ५० या ७५ या १०० फीसदी बढ़ा दिया जाय तो विशेष हानि नहीं होगी, क्योंकि सिनेमा या ऐसी जगहों पर जाने वाले लोग तो जायेंगे ही, थोड़ा सा गरीब तबका नहीं जा सकेगा। अच्छा है वे नहीं जायें क्योंकि तसवीरों से जो वहां दिखाई जाती हैं नौजवानों पर बुरा ही प्रभाव पड़ता है । उससे भावी सन्तान बिगड़ेगी ।

वे वहां से सिनेमा देख कर आते हैं और व्यवहार में लाने का प्रयत्न करते हैं । पिछली बार बजट में भाषण देते हुये मैंने कहा था कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के कारनामे ठीक नहीं हैं । जैसे व्यवहार वह कुमारियों के साथ करते हैं वह बिलकुल उचित नहीं होता है । जब भी कोई ऐसी सूचना सरकार के सामने आये तब उस संस्था के अधिकारियों से जिसका कि वह विद्यार्थी हो, उसपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिये अनुरोध किया जाय। पिछली बार मैंने कहा था कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब कि मैंने स्वयं एक बस कंडक्टर, जो कि औरत थी, हालत को देखा वह गेट (gate) पर खड़ी थी और टिकट दे रही थी । कुछ विद्यार्थी आये और उन्होंने उसको धक्का दिया उनके जोर को वह संभाल न सकी और गिर पड़ी । वह लड़के उसको कुचलते हुये बस के भीतर घुस गये मैंने जब इस पर कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि समाज को ठीक करने का इन्होंने ठेका ले रक्खा है । मैं तो उन विद्यार्थियों को पहचानता नहीं हूं अन्यथा उनकी रिपोर्ट (report) भी करता परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि जिन विद्यार्थियों के द्वारा हम चाहते हैं कि समाज का सुधार हो और जिनके हाथ में भविष्य में देश के शासन की बागडोर आने वाली हो उनमें ऐसा स्टफ (stuff) निकले।

मैं तो समझता हूं कि देश में डिग्री कालेज और विश्वविद्यालयों को बढ़ाने की अपेक्षा प्राइमरी स्कूल ही बढाये जायें तो अच्छा है । विश्वविद्यालय में केवल वही लड़के जाने पायें जो सच्चरित्र हों और जिनका जीवन का कोई खास ध्येय हो बाकी लड़कों को आगे पढ़ाने की अपेक्षा किसी दूसरे कामों में लगा देना चाहिये वह रुपया जो वहां खर्च किया जाता है प्राइमरी शिक्षा बढ़ाने में किया जाना चाहिये । इससे हम देश में बच्चों को सच्चरित्र बनायेंगे और हमारी शिक्षा भी बढ़ेगी । जिनको हम आंखों से देख रहे हैं कि वह पथ भ्रष्ट हो रहे हैं उनको हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिय । मेरे यही दो सुझाव हैं । एक तो यह है कि देश में मद्य निषेध पूरे तौर पर होना चाहिय और दूसरा यह कि प्राइमरी शिक्षा बढ़ानी चाहिये । इससे हमें दस साल में ऐसे बच्चे मिलने लगेंगे जो देश का कल्याण कर सकेंगे । इतना कह कर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं ।

***श्री राजाराम शास्त्री**--माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट की जितनी अनुदानें थीं वह तो हमने मान लीं अब इस मौके पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो धन इस सदन ने स्वीकार किया है या नीचे के सदन में स्वीकार हुआ है सरकार किन उद्देश्य से काम करेगी जिससे पब्लिक को राहत मिल सके। जिस पब्लिक से हम रुपया लेते हैं उसके हित में खर्च हो। मैंने पहले कहा था और आज भी कहता हूं कि सरकार से मेरी शिकायत यह नहीं है कि उसने फलां मद में इतना रुपया लिया था और इतना खर्च कर डाला बल्कि मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि आजादी के बाद जनता के दिल में जो उत्साह होना चाहिये था कि उसे सचमुच आजादी प्राप्त हुई है वह आई या नहीं। लेकिन मैं देखता हूं कि उत्साह जनता में बढ़ने की अपेक्षा घटता चला जा रहा है और उसका उत्तरदायित्व उन पर रखा जा सकता है जिनके हाथ में बागडोर है। प्रत्येक हुकूमत चाहती है, चाहे वह पूंजीवाद हो, एकतंत्रवाद हो या प्रजातंत्रवाद हो और ऐलान करती है कि हम गरीबी मिटाएंगे, बीमारियां खत्म करेंगे, अशिक्षा को दूर करेंगे जनता को शोषण से मुक्त करेंगे। मगर इस हुकूमत में हमें देखने में यह आता है कि शोषण में कमी नहीं हो रही है। दूसरी चीजें भी स्थायी हैं बल्कि उनकी हालत दिन पर दिन गिरती चली जा रही है। सरकार को यह शिकायत है कि इतना रुपया खर्च होता है फिर भी जनता की तकलीफें दूर नहीं हो रही हैं और जनता को भी यह शिकायत है कि इतना रुपया हम देते हैं फिर भी हमारी तकलीफें दूर क्यों नहीं होती हैं? इसकी वजह यह है कि हुकूमत जो कहती है वह करती नहीं है। जब तक यह चीज रहेगी आप उनकी तकलीफों को दूर नहीं कर सकते हैं। आप सोचिये, अंग्रेजों के वक्त में पैसे वालों के हाथ में अदालतों के फैसले होते थे सुन्दर इलाज उनके हाथ में था, शिक्षा उनके बच्चों को मिलती थी, सत्ता उनके हाथ में थी मतलब यह कि जिनके पास पैसा था उनके हाथ में सब कुछ था बेपैसे वालों के पास कुछ नहीं था। कांग्रेस राज्य हो जाने के बाद माननीय मंत्री जी सोचें कि क्या आपने सचमुच उसको खत्म किया है। अदालतों में आज आप देखिये कि क्या गरीब और अमीर के साथ आज बराबर इन्साफ होता है।

आज आप बाजार में जाकर देखिये कि डाक्टर की दुकान पर रईस का कैसा इलाज होता है और गरीब का कैसा इलाज होता है? इसी तरह से शिक्षा को भी देखिये कि गरीब के लड़के को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है और रईस के लड़के किस मौज से रहते हैं। लाखों-करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद हुकूमत यह दावा नहीं कर सकती है और हम कह सकते हैं कि हमारे माननीय मंत्रियों को गरीब जनता के यहां जाने की तो फुर्सत नहीं है लेकिन एक रईस कोई दावत करता है या उसके लड़के की शादी या किसी बच्चे का कनछेदन होता है तो वहां जाने के लिये काफी फुर्सत होती है। जब समाज इन चीजों को देखता है तो वह महसूस करते हैं कि मिनिस्टर साहबान इस सदन में चाहे कितनी अच्छी स्पीच (speech) क्यों न दें लेकिन वह जनता के नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी की पुरानी कुरबानियों से लोगों में उसके प्रति श्रद्धा रही है। लेकिन यकीन मानिये माननीय अध्यक्ष महोदय, आज गरीब जनता के हृदय से यह आवाज नहीं निकलती है कि यह सरकार हमारी है। इसलिये सवाल यह नहीं है कि किस मद में आप कितना रुपया खर्च करते हैं और सारा रुपया खर्च करने के बाद क्या नतीजा निकलता है। इस वक्त हमें यह देखना है कि दूसरी खतरनाक बात मेरे सामने आती है कि अगर यह मौजूदा स्थिति नहीं बदलती और जनता को इतना दबाया जाता है तथा पैसों की ताकत बढ़ती जाती है तो अनिवार्य है कि जनता में असंतोष हो और संघर्ष हो और हुकूमत इसे पसन्द नहीं करेगी। बारबार कहा जाता है कि जब स्वराज्य हो गया तो सत्याग्रह की बात क्यों कही जाती है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राजाराम शास्त्री]

पब्लिक परेशान है उसको कोई मुसीबत है, उन पर जुल्म होते हैं, ज्यादातियां होती हैं, उनकी तकलीफ दूर नहीं होती है तो उसके पास कौन सा तरीका रह गया है कि वह अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह की लड़ाई लड़े। मुझे बड़ी खुशी हुई कि सरकारी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता पर अत्याचारों का मुकाबिला गवर्नमेन्ट शक्ति से करे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि सत्याग्रह वह अस्त्र है जो जनता के पास रहना चाहिए। सरकारी पक्ष के लोग सदैव महात्मा जी के अनुयायी बनने का दावा करते हैं। महात्मा जी का सत्याग्रह का अस्त्र केवल विदेशियों के लिये ही नहीं था, महात्मा जी का सत्याग्रह का अस्त्र एक माने में ऐसा था जो चाहे विदेशी हों या देशी हों, जो भी अत्याचार करे उस के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा था कि किसी का भी अत्याचार हो, उसके खिलाफ यह अस्त्र इस्तेमाल हो सकता है। सन् ४६ में महात्मा जी से पूछा गया कि रईस गरीबों पर जुल्म करते हैं जमींदार किसानों पर जुल्म करते हैं और कोई सुनवाई नहीं की जाती है। आखिर वह क्या करें क्या वह सत्याग्रह कर सकते हैं या नहीं। इस पर महात्मा जी का जवाब यह है कि—

"The same as against the foreign power. Satyagraha is a law of universal application, beginning with the family; its use can be extended to every other circle"

इसके पश्चात् फिर वे कहते हैं कि :—

"Thus *Satyagraha* is a process of educating public opinion—such that it covers all the elements of society and, in the end, makes itself irresistible."

जो हमें मंत्रीगण यह सबक दिलाते हैं कि हुकूमत चाहे जैसी हो, आप सत्याग्रह का नाम न लीजिये क्योंकि यह प्रजातंत्र के खिलाफ है। इस प्रकार की भावना यदि आप के दिल में है तब मैं यह देखता हूं कि मजदूर ने कभी मालिक के खिलाफ आवाज उठाई या कभी किसान ने हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई तो हुकूमत उसे बगावत समझ कर लाठी चलाती है। माननीय सदस्य जब यहां पर भाषण करते हैं तो माननीय अध्यक्ष जी सदैव कहते हैं कि हम सत्य और अहिन्सा के पुजारी हैं। हाँ, जब किसान जमींदारों से लड़ते हैं, जब मजदूर मालिकों से लड़ते हैं, जब जनता सरकार से लड़ती है तब मैं देखता हूं कि जगह जगह पर लाठी चार्ज और कभी कभी तो गोली-कांड तक होता है। आखिर आप विफलता को स्वीकार करते हैं और आप मान लेते हैं कि हमारा अहिन्सा का अस्त्र विफल हो गया है।

यह मुनासिब बात नहीं है। आप से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इसको मानें या न मानें लेकिन जनता में यह स्थिति होती जा रही है और अगर इसका सुधार न हुआ तो सत्याग्रह का आप चाहे जितना भी इस लेजिस्लेचर में विरोध करें मगर जनता में दिन बदिन संघर्ष बढ़ता चला जायेगा। यह हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं है बल्कि बम्बई में भी आप देखेंगे कि वहां की सरकार ने जब ५० प्रतिशत टैक्स जनता पर लगाया तो सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जनता ने सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह का नतीजा यह हुआ कि टैक्स अब १८ प्रतिशत ही रह गया। यह कहना कि सत्याग्रह बेकार है, ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये से माननीय सदस्यों से बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि सत्याग्रह की लड़ाई किसी भी तरह अनुचित नहीं है। मैं इस बात में विरोधी दल .....

वित्त मन्त्री—जनाब वाला, इस हाउस में किसी ने भी नहीं कहा कि सत्याग्रह सही है या गलत है।

श्री राजाराम शास्त्री—आप मंत्री मंडल के मुख्य मंत्री की बात को तो मानते हैं।

वित्त मन्त्री—जनाब वाला, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्रोफेसर साहब ने इस मसले पर अपनी तकरीर में कहा था तो मैंने अदब की वजह से उस वक्त कहना मुनासिब नहीं समझा। यह जो सत्याग्रह हो या न हो सही है या गलत है, इस मसले को जो इस जगह उठाया जा रहा है। इस बात को चीफ मिनिस्टर साहब ने दूसरे हाउस में कहा था, जिसका हवाला यहां प्रोफसर साहब ने दिया। तो जनाब वाला की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि दूसरे हाउस में जो तकरीर हो उसके बारे में यहां पर बहस करना किसी तरह मुनासिब नहीं है।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—On a point of personal explanation.

माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात को केवल दूसरे ही हाउस में नहीं कहा बलिक कई मौकों पर जनता में इस बात को कहा है। इस हाउस में माननीय मुख्य मंत्री की उन्हीं स्पीच का हवाला दिया गया है।

वित्त मंत्री—जनाब वाला ऐसी बहस यहां पर नहीं होनी चाहिये। जो तकरीर यहां पर नहीं हुई है उस पर नुक्ताचीनी यहां करना मुनासिब नहीं है।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस भवन के ही कांग्रेस सदस्य ने सत्याग्रह को दुराग्रह कहा है। मैंने बाहर के किसी आदमी का नाम नहीं लिया है। एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं, विरोधी पक्ष की तरफ बैठ कर हम जिस बात की आलोचना करते हैं या जिस बात की हम जिम्मेदारी समझते हैं तो अगर कल हुकूमत हमारे हाथ में आ जाती है तो उस वक्त भी हमको उसी बात पर दृढ़ रहना चाहिये। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि जब विरोधी पक्ष की तरफ लोग बैठते हैं तो जनता की गरीबी के बारे में कहते हैं लेकिन जब वही लोग सरकारी पक्ष की तरफ बैठते हैं तो जनता की गरीबी के बारे में भूल जाते हैं और ज्यों ही मिनिस्टर बन गए तो बाद में उसकी बात छोड़ देते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिये मैं एक बात कहता हूं कि १ मार्च सन् १९५१ को एक माननीय सदस्य ने एक बार भाषण देते हुये यह बात कही कि अवश्य ही हमारे प्रदेश की जनता इस योग्य नहीं है कि उस पर किसी टैक्स का भार लाद दिया जाय और वह माननीय सदस्य आज इस कैबिनेट (cabinet) के मेम्बर हो गये। अब जरा सोचिये थोड़ी देर के लिये कि एक साल पहले वह कहते हैं कि इस सूबे की जनता की ऐसी हालत नहीं है कि उस पर टैक्स का भार लादा जाय और ज्यों ही वह मिनिस्ट्री के अन्दर गये, इस मंत्रिमंडल के अन्दर आये तो एक नहीं, दो नहीं, पांच पांच और छः छः टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अब अगर ऐसे मौके पर मंत्रिमंडल अपनी राय बदल देता है तो ऐसे जनतन्त्र के ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाता है।

वित्त मंत्री—गलत राय को तो हमेशा ही बदलते रहते हैं।

श्री राजाराम शास्त्री—हमें बड़ी खुशी होती है माननीय लीडर आफ दि हाउस की बातों को सुन कर कि बिना मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बैठे गलत राय होती है तो यह तो लोगों की आदत सी है कि जब तक उनको मंत्रिमंडल की कुर्सी पर न बैठाया जाय तब तक उनकी राय सही नहीं हो सकती और जैसे ही वह मंत्रिमंडल में बैठते हैं, तब उनकी जो राय होती है वह सही राय होती है। खैर, अपनी अपनी बात है और अपनी अपनी आदत है। मुझे फिर भी विश्वास है कि जितने लोग उधर बैठे हुये हैं वह आज जितनी बातें कहते हैं और अगर मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर बन जायें तो शायद हाफिज जी की जगह पर बैठ कर यह कहेंगे कि हां कल मिनिस्टर नहीं थे इस वजह से यह बात कही है और अब जब कि मिनिस्टर हो गये हैं तो हमारी राय अब एक सही राय है। आज इस भवन के अन्दर एक माननीय सदस्य ने यह बात कही कि यह जो टैक्स लगाया जा रहा है वह जनता पर कहां लगाया जा रहा है यानी उनकी समझ

[श्री राजाराम शास्त्री]

में नहीं आ रहा है कि यह जो टैक्स लगाया जा रहा है या जनता पर नहीं लगाया जा रहा है यह तो उन्होंने बड़े ही मार्के की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने रईसों पर टैक्स नहीं लगाया है और उन्हें दुख है कि सरकार रईसों पर टैक्स नहीं लगा रही है तो उनके कहने का मतलब यह है कि यह टैक्स न तो रईसों पर लग रहा है और न जनता पर लग रहा है तो मैं उनसे पूछूं कि अगर यह टैक्स जनता पर नहीं लग रहा है तो किस पर लग रहा है यह अदालती टैक्स गरीबों पर नहीं लगेगा तो किस पर लगेगा जो लोग बसों पर बैठने वाले हैं उन पर जो टैक्स लग रहा है तो क्या वह जनता नहीं है जो बिजली का टैक्स बढ़ रहा है यह जनता पर नहीं लगेगा तो किस पर लगेगा यह मकानों का टैक्स किस पर लगेगा जमीन का टैक्स किस पर लगेगा। मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर जनता किस चिड़िया का नाम है। लेकिन वह चूंकि उधर बैठे हुये हैं, इसलिये उनको जनता, जनता ही नजर नहीं आती है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह सब समय की बलिहारी है कि उनको यह नहीं दिखलाई देता है कि जनता किस को कहते हैं। यह जो टैक्स लगाया जा रहा है इसका असर किस पर पड़ेगा यह उनको नहीं मालूम है। मैं अपना तजुर्बा कहता हूं अध्यक्ष महोदय मेरा विश्वास है कि अगर यह बजट चुनाव के चार महीने पहिले होने वाला होता तो यह बजट इस रूप में हरगिज नहीं पेश होता। क्या तरीका है, क्या करामात है और क्या होशियारी है हमारी हुकूमत की कि चुनाव के पहले जो बजट पेश हुआ तब तो कोई टैक्स वगैरह का नाम नहीं लिया और ज्यों ही जनता के पास से वोट ले लिया इस बात पर कि हमारे राज्य की सरकार जो है वह जनता के ऊपर टैक्स ही नहीं लगाती और ज्यों ही वोट मिल गया और पांच साल के लिये गद्दी पर बैठ गये तो फौरन ही पांच छः टैक्स लगा दिये तो यह राजनैतिक जनतंत्र की बात नहीं है। आपको वोट इस बात का मांगना चाहिये था कि हम बसों पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, बिजली पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, हम मकान पर टैक्स लगाने जा रहे हैं जमीन पर टैक्स लगाने जा रहे हैं जिसको वोट देना हो दे ऐसा राजनैतिक तरीका होना चाहिये। यह क्या तरीका है कि पहले तो तरह तरह के आश्वासन दिये और बाद में ५ या ६ टैक्स इकट्ठा लगा दिये गये। यह तो बिल्कुल अनुचित बात है। इस हुकूमत को तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जब से माननीय मंत्री इस गद्दी पर बैठे जनता खुशहाल होती चली जा रही है और चारों तरफ बहबूदी दिखाई पड़ती है।

वह १८० करोड़ रुपया वसूल करने वाले थे, मगर साल भर के बाद ३२ करोड़ रुपया वसूल कर पाये। कुछ माननीय मिनिस्टरों ने हाउस में यह कहा है कि जो टैक्स सरकार लगा रही है, जनता खुशी २ उसे देगी। मगर मैं आपको यह बतला दूं कि माननीय मिनिस्टर हमेशा यही सोचते हैं, यदि इधर से कोई अच्छी बात भी कही जाती है तो वह विरोधी पक्ष की तरफ से कही गयी है, इसलिये इसपर ज्यादा गौर नहीं करते, लेकिन सच बात तो कभी न कभी सामने आ ही जाती है। आज इधर से ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों ने भी इस बात की आलोचना की और सच बात आखिर कह दी, वह यहां के एक पुराने आदमी भी हैं।

वित्त मंत्री—वह तो शायर हैं।

श्री राजा राम शास्त्री—बजट में इतनी तकरीरें हुई हैं जो कि उस पार्टी की तरफ से भी हुई तो अगर हुकूमत की पार्टी में सब शायरी करने वाले हैं तो उनकी आज हुकूमत को जरूरत नहीं है। जिस हुकूमत में शायरी करने वाले होंगे वह हुकूमत चल नहीं सकती है। अगर आपको इस सूबे के अन्दर हुकूमत को अच्छी तरह से चलाना है तो शायर लोगों का यहां काम नहीं है और शायरी करने वाले हुकूमत को चलायें,

यह बात किसी तरह से भी ठीक नहीं हो सकती है । आज लोगों के अन्दर डिसिप्लिन (discipline) नहीं है और कांग्रेसमेन जो कि जनता के प्रतिनिधि हो कर यहां हुकूमत करने के लिये आये हैं और जिन्होंने कि पहले अंग्रेजों की गोलियां सहीं, आज उनके हृदय में इससे ठेस पहुंचती है और वे इसके लिये मजबूर हो जाते हैं कि वे भी आपकी आलोचना करें । आज आपको इस बात को अच्छी तरह से देखना है कि हमारी जनता कितनी तकलीफ में है और यदि यही हालत रही तो एक साल बाद आपको मालूम हो जायेगा कि जो मेम्बर आज या जो कांग्रेस के लोग अनुशासन से बाध्य होकर आपकी आलोचना नहीं भी करते तो जब जनता के राज्य में जनता की सत्याग्रह की लड़ाइयां चलेगी तो सारे कांग्रेस के लोग ऐसे नहीं हो सकते कि वे जनता के उस सत्याग्रह को न समझें और उनमें भी कुछ कांग्रेस वाले ऐसे होंगे जो कि सत्याग्रह की लड़ाई लड़ेंगे । वे ही लोग जो कि आज भवन में सरकार की आलोचना नहीं करते उस के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे । मैं इस समय केवल इतना ही कहता हूं कि आपकी इस नीति से गलत नतीजे हो सकते हैं। चीन (China) के अन्दर चांग-काई-शेक यही कहा करता था कि जनता हमारे साथ है और उसी जनता ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया । आज मिश्र का उदाहरण हमारे सामने है । मिश्र में हूकूमत के खिलाफ जब बगावत हुई तो २४ घन्टे के अन्दर वहां के बादशाह फारूक को उस देश से बाहर निकलवा दिया गया । वहां के जी हुजूरी करने वाले भी कहीं के न रहे । मुझे भी उन जी हुजूरी करने वालों से कहना है कि अगर आज वे उस पार्टी में हैं तो वे जनता का अहित न होने दें और गलत काम न करें । मैं आज आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आप जनता को इस तरह से दुख न दें और जो कुछ भी रुपया आपको बतौर टैक्स के दिया जाता है, उसको अच्छे ढंग से और उपयोगी कामों में खर्च करें ताकि जनता की मुसीबतें दूर हो सकें और उनको राहत मिल सके। जो रूपया आप वसूल करना चाहते हैं वह गरीबों से नहीं, बल्कि रईसों से वसूल करें क्योंकि गरीबों के पास खाने को पैसा नहीं है वह टैक्स कहां से दें । जिनके पास पैसा है उन पर तो आप टैक्स लगा नहीं रहे हैं और जिनकी जेब में पैसा नहीं है, उन गरीबों की जेबों को काटने वाली आज यह सरकार है । जेब काटने वाला भी उसी की जेब काटता है जिसकी जेब में कि रूपया है । आपको साल भर में जनता को यह दिखला देना है कि जो कुछ भी रुपया आपने खर्च किया है, वह जनहित के लिये ही खर्च किया है।

श्री सभापति उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमेंट संस्कृत कालेज के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । अभी-अभी डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा है कि गवर्नमेंट संस्कृत कालेज में मैंने केवल बीस छात्रों को देखा चाहे उपस्थिति नामावली (रजिस्टर) में कितने ही नाम लिखे हों ।

यह डाक्टर साहब का भ्रम है । वहां चार सौ के लगभग छात्र हैं, परन्तु वे अपने अपने पाठ के समय पर मिल सकते हैं। कालेज प्रातः ६ १/२ बजे से ११ बजे तक होता है । चूंकि प्रायः छात्र अपने हाथों भोजन आदि बनाते हैं यदि उन्हें ११ बजे तक रोक रखा जाय तो उन्हें भोजनादि बनाने में असुविधा हो सकती है । दूसरा कारण यह है कि बहुत से छात्र अन्न सत्रों में भोजन करते हैं और अन्नसत्र ११ बजे तक ही खुले रहते हैं । अतः ऐसे छात्रों को भी भोजन नहीं प्राप्त हो सकता।

दूसरी बात डाक्टर साहब ने यह कही है कि डाक्टर थिबो के समय से ही उस कालेज में अंग्रेजी में अध्यापन कार्य चलता आ रहा था किन्तु अब उस विभाग को पृथक कर दिया गया ,जो अनुचित है । इसके विषय में मैं कहूंगा कि यह कार्य अनुचित नहीं प्रत्युत उचित है । क्योंकि यह कालेज संस्कृत कालेज है, इसकी स्थापना भी संस्कृत के लिये ही हुई । कालेज में स्थान विस्तृत था, अतः अंग्रेजी विभाग के लिये भी स्थान दिया गया । इसके कुछ दिन बाद अंग्रेजी वालों की यह इच्छा

[श्री सभापति उपाध्याय]

हुई कि संस्कृत वाले यहां से पृथक कर दिये जायं । संस्कृत प्रेमियों ने इसका विरोध किया तथा शिक्षा मंत्री से भी इसके लिये कहा । शिक्षा मंत्री से उसका परिचय दिया गया कि कालेज की स्थापना शुद्ध संस्कृत के आधार पर हुई है और संस्कृत कालेज के नाम से ही ख्यात है। आज भी इसके प्रमाण स्वरूप संस्कृत के श्लोक खुदे दिखाई दे रहे हैं। संस्कृत के लिए ही रामनगर के महाराज और अन्यान्य राजाओं ने धन समर्पित किया ।

डाक्टर साहब तो इतिहास के विशेषज्ञ हैं इन्हें संस्कृत कालेज का इतिहास अवश्य देखना चाहिये था ।

डाक्टर साहब का यह कहना कि बनारस में बहुत से कालेज हैं फिर ज्ञानपुर में डिग्री कालेज का खोलना अनुचित है, अनावश्यक हैं । इस पर मेरा निवेदन है कि अधिक कालेजों का खोलना अच्छी बात है, इससे नजदीक के लड़कों को सुविधा होती है, अन्यथा उन्हें कहीं दूर जाना पड़ता । इतने कालेजों के होने पर भी स्कूलों में लड़कों की भीड़ रहती ही है ।

मेरा यह भी निवेदन है कि अब देश स्वतन्त्र हो गया है । संस्कृत कालेज में आयुर्वेदिक विभाग भी होना चाहिये । पहले यहां अंग्रेजी की प्रधानता थी, इसीलिये आयुर्वेद विभाग न हो सका, अब इस पर सरकार अवश्य ध्यान देगी ।

एक बात मेरे और सुनने में आई है कि विश्वविद्यालय केवल उपाधियां प्राप्त कराने के लिये हैं। वहां पढ़ाई कम होती है । अध्यापक आकर व्याख्यान दे देते हैं और विद्यार्थियों की ओर ध्यान भी नहीं देते कि वे योग्य बन रहे हैं या नहीं । इसका कारण है कि जितने अध्यापक युनिवर्सिटियों या स्कूलों के हैं, सब ट्युशन (tuition) करते हैं और जो ट्युशन करने वाले हैं वे छात्रों पर स्कूलों में कम ध्यान दिया करते हैं।

इसलिये सरकार को ध्यान देना चाहिये कि अध्यापक चाहें सहकारी स्कूलों के हों या गवर्नमेन्ट स्कूलों के हों ट्यूशन न करें, इसके लिये कोई नियम बना दिया जाय तथा उनकी आय के लिये दूसरा कोई प्रबन्ध किया जाय ।

श्री निजामुद्दीन—माननीय चेयरमैन साहब, यह बजट हमारे सामने अब पूर्ण रूप धारण करके पेश किया गया है । जो items इसमें भिन्न भिन्न योजनाओं के लिये रक्खे गए हैं वह न तो बदले जा सकते हैं और न कोई रुपया एक हेड (Head) से निकाल कर दूसरे Head में रक्खा जा सकता हैं। इस हाउस में काफी स्पीचेज (Speeches) इस बजट के सिलसिले में हुईं, मगर मुझे अफसोस हैं कि कुछ Speeches इस हाउस में ऐसी हुईं जिनमें कोई constructive suggestion नहीं थे बल्कि उन स्पीचों में ऐसे विचार प्रकट किये गए कि जिससे Government की ओर से जनता का ख्याल खराब हो और वह सरकार को बुरी निगाह से देखे ।

यह जरूर है कि Government को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जो रुपया इस योजना पर खर्च किया जाये वह इस प्रकार से खर्च हो, जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। मगर उसी के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा हम सबको अपनी सहायता सरकार को देना चाहिये ताकि Government अपने मकसद में कामयाब हो । अगर Government के खिलाफ बदगुमानी जनता के दिलों में पैदा की जाये तो ऐसी सूरत में सरकार की पूरी ताकत अपनी स्कीमों को पूरा करने में नहीं लगती बल्कि जो बदगुमानी जनता के दिलों में पैदा की जाती है उसके दूर करने में भी सर्फ होती है जिससे काम में काफी रुकावट पैदा हो जाती है । General elections खतम हो गये हैं और जनता ने Congress को अपना वोट दे कर Congress Government कायम की और यह Government पांच साल तक बराबर कायम रहेगी। मेरे खयाल में पांच साल के अन्दर लोगों के दिलों में कांग्रेस के खिलाफ बदगुमानी पैदा करके इस Government. को बदला

नहीं जा सकता, चाहे कितना ही एजीटेशन (agitation) क्यों न किया जाये यह हो सकता है कि Government के रासते में कुछ रुकावटें पैदा हो जायें और कामों के करने में कुछ दिक्कतें वाके हों मगर ऐसा होना बिलकुल असम्भव है कि Government बदल जाये। मेरी इस हाउस से यह प्रार्थना है कि हम लोगों को ऐसी बात करने से जिससे Govrenment के खिलाफ कोई कठिनाई पैदा हो।

British Government ने जिस समय इस देश को कांग्रेस को सौंपा उस समय इस देश की बहुत ही नाजुक हालत थी। यह एक परेशानी में घिरा हुआ और तबाह किया हुआ मुल्क था। अंग्रेजों के हाथों में जो ताकत थी उसके द्वारा उन्होंने बड़े बड़े अत्याचार भारतवासियों पर किये और वह इस देश को किसी प्रकार भी हिन्दुस्तानियों के हाथ में देना नहीं चाहते थे। हिन्दुस्तानी निहत्ते थे उन के पास न हवाई जहाज थे और न फौज की ताकत और उसी के साथ साथ हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देश के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करते थे। जिसका लाजमी नतीजा यह हुआ कि हमारी आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ बहुत तूलतबील हो गई मगर गुजश्ता जंग के बाद इस मुल्क की ऐसी अबतर हालत हो गई कि जनता के ख्याल अंग्रेजों की तरफ से फिर गये और उस समय अंग्रेजों ने यह समझ कर कि अब उनका इस मुल्क में रहना खतरे से खाली नहीं हैं उन्हों ने मजबूरन इस देश को कांग्रेस के हाथों में सौंपा तो ऐसी हालत में इस मुल्क का संभालना और तमाम कठिनाइयों को दूर करना कोई आसान काम नहीं था। हर चीजों की कीमत इस कदर बढ़ गई थी कि जो चीज एक रुपये की खरीदी जाती थी उसकी कीमत चार गुना और पांच गुना हो गई नतीजा यह हुआ कि जो काम एक हजार रुपये में किया जाता था उसमें चार हजार और पांच हजार रुपया खर्च होने लगे। आमदनी तो उतनी ही रही मगर खर्च बहुत बढ़ गये। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारा देश भी जमाने के लिहाज से तरक्की करे तो हमको अपनी आमदनी किसी न किसी तरह बढ़ाना चाहिये और यह उसी वक्त हो सकता है जब हम अपनी आमदनी टैक्स के द्वारा बढ़ा

Congress Government हर्गिज यह नहीं चाहती कि जनता को किसी
तकलीफ हो मगर अगर देश को जमाने के लिहाज से आगे बढ़ाना है जिस से हमारा
देशों के रहने वालों की निगाह में अच्छी नजरों देखा जाये तो इस देश
बढ़ाना हमारे लिये जरूरी हो जाता है ताकि जो योजनाएं हम जनता के
पूरा करना चाहते हैं उसको पूरी तौर पर पूरा कर सकें। यह ब
सामने इस शक्ल में आया है जो एक deficit budget है इसके
मानी नहीं हैं जैसा कि बाज लोगों ने कहा है कि यह budget
जनता से Tax वसूल करने के लिये बनाया गया है। मैं यह समझता हूं कि यह खयाल गलत है बजट को देखने से हम को यह पता चलता है कि इसके अन्दर जो योजनाएं रक्खी गई हैं वह इस मकसद से रक्खी गई हैं कि जनता को लाभ हो और उनकी कठिनाइयां दूर हों। मैं श्री राजाराम शास्त्री की बातों से सहमत हूं कि Administration में कुछ खराबियां जरूर हैं जहां एक हजार खर्च होना चाहिये वहां उससे ज्यादा खर्च होता है। यह मुनासिब और दुरुस्त नहीं है इसलिये मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वह भिन्न भिन्न departments पर कड़ी नजर रखे और जो उस department के जिम्मेदार लोग हैं अगर वह ठीक तरीके से अपने फर्ज को अदा नहीं करते तो उन को उस स्थान से शीघ्र हटा दिया जाये ताकि दूसरे department के लोगों को उससे इबरत हो। यदि Government ऐसा करे तो मैं समझता हूं कि हमारे विरोधीदल को भी कोई शिकायत का मौका न होगा और जनता भी संतुष्ट होगी। मेरे ख्याल में जो बजट हमारे सामने पेश है वह बहुत ही दूरअनदेशी और काबलियत से तैयार किया गया है और जिस से जनता को बहुत ही लाभ होने की सम्भावना है। यदि काम ठीक तरीके से किया गया तो हम बड़े गर्व के साथ यह कह सकेंगे कि जनता के हित में वह जो काम किये गए वह बहुत ही तसकीन देह हैं। मुझे इतना ही कहना है।

श्री परमात्मानन्द सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय से इस भवन में महामान्य राज्यपाल का सम्बोधन बहस के लिये उपस्थित हुआ उस समय से और आज तक जिस बीच में बजट के ऊपर भी बहस पेश हुई इस भवन के माननीय सदस्यों को गवर्नमेन्ट का नीति तथा अन्य प्रकार के जो बहुत से आदर्शवाद यानी आइडियोलोजीज (ideologies) हैं उनके विषय में यहां पर अपने दृष्टिकोण से प्रकाश डालने का अवसर मिला। यह तीनों ही अवसर महामान्य राज्यपाल का सम्भाषण और बजट तथा इस समय उसके खर्च करने की इजाजत का जो आपके सामने बिल पेश है कम से कम इस भवन को अपने विचार प्रकट करने की इजाजत देता है।

श्रीमान जी, संसार में किसी के भी जीवन में जैसा कि एक राष्ट्र के जीवन में कुछ सीढ़ियां होती हैं, स्टेजेज (stages) होते हैं, कुछ फेजज (phases) आते हैं। एक जाता है और उसकी समाप्ति पर दूसरा आता है और उसकी समाप्ति पर तीसरे का आरम्भ होता है। संसार की यही हालत है कि वह परिवर्तनशील है। एक स्थान पर कभी भी वह स्थिर नहीं रहा है और कदाचित् रहेगा भी नहीं। जो चीज कुछ समय पहिले बहुत अच्छी थी वह आज के लिये गलत है। और जो चीज आज के लिय बहुत अच्छी है वह आगे के लिये संभव है कि गलत हो सकती है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के विचार आते रहे हैं देशों में संसार में एक न एक नये विचार के लोग पैदा होते रहे हैं, विद्वान पैदा होते रहे हैं। कुछ लोगों ने उनको अवतार के रूप में देखा, कुछ ने उनको पैगम्बर के रूप में देखा और कुछ ने विद्वानों के रूप में, परन्तु कभी भी एक दूसरे की राय बिलकुल सोलह आने एक नहीं हुई। कारण यह रहा कि समय और अनुभव के अनुसार लाभ उठाते हुये वह संशोधन करने की चेष्टा करते रहे। यह हर जगह होता है।

दुनिया में डेमोक्रेसी (democracy) किसे कहते हैं? किसी समय कहा गया कि डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी चीज है। प्रजातंत्र होना चाहिये, लोगों की राय से गवर्नमेन्ट चलना चाहिये। वही चीज आपके सामने चल रही है। डेमोक्रेसी के उसूलों में भी छोटे छोटे मतभेद हैं, जिनको कि विद्वानों ने न्यू (new) डेमोक्रेसी (democracy) के नाम से कहा है। बीच में फासिज्म (Fascism) भी चला। वह भी एक प्रयोग अथवा एक्सपेरीमेंट (experiment) था जो कि नाकामयाब रहा। उधर रूस और दूसरे देशों में जो उसूल चल रहा है वह निश्चय ही डेमोक्रेसी का वह उसूल नहीं है जिन उसूलों का नाम लेकर के डेमोक्रेसी चलाई गई थी। वह क्या है और क्या नहीं है यह अलग बहस की बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम भी अपनी गवर्नमेन्ट में, अपने देश में एक नये फेज से गुजर रहे हैं। एक्सपेरीमेन्ट के ऊपर एक्सपेरीमेन्ट करते जा रहे हैं। संसार की प्रगति है उसके कारण आज कोई देश संसार के अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता है आज के समय में रेल, तार, बिजली, रेडियो इत्यादि ऐसी चीजें हैं जिनसे हर देश संसार के सूत्र में संबंधित होता जाता है। इन चीजों का असर हमारे ऊपर भी आता है। हम इस बात की कोशिश करते हैं कि संसार में जो चीजें अच्छी हैं उनको ग्रहण करें। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारा संविधान जिन लोगों ने देखा है उन्हें मालूम होगा कि संसार भर के जितने भी प्रजातंत्र नीति के मानने वाले देश हैं, कदाचित हमारा संविधान सब के अनुभव का मिश्रण है।

मैं यह कह रहा था कि सन् १९३६ में जिस वक्त कि गवर्नमेन्ट कांग्रेस के हाथ में पहिले आई तो कुछ दिनों तक एक फेज चला। सन् १९४६ में जब कि इस देश में सरकार फिर अपने हाथ में आई उस समय से लेकर अब तक दूसरा फेज रहा है।

इसके अन्दर जो आफतें आयीं जिन कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा उनका उल्लेख करना इस भवन का समय नष्ट करना होगा। वह सब हमारे जेहन में हैं याद हैं उनके बीच से निकलते हुये फिर अपने लिये गवर्नमेन्ट की नीति (formula) फार्मूला बनाते हुये जिस तरीके से हम चलते आये हैं उस को न केवल हमने बल्कि सारे संसार

ने देखा है और उसकी प्रशंसा की है। अब उस फेज़ को हम समाप्त कर चुके हैं और उसमें आफतें जो थीं उनसे करीब करीब फुर्सत पाकर अब हमें मौका मिला है कि हम वास्तविक निर्माण कार्य करें। माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में हमें इसका संकेत मिल चुका था और हमने उन्हें इस पर धन्यावाद भी दिया था जिस के मानी यह थे कि उनके इशारों को हमने मान लिया था कि वे ठीक थे। उन पर जब बहस हुई तो भी यह देखने में आया कि सब यह भवन उनसे सहमत हैं। फिर मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आज इस समय जो विषय हमारे सामने उपस्थित है उसका विरोध हम क्यों करते हैं? अगर गुस्ताखी न हो तो मैं कह दूं कि अब इसे आप उस निगाह से देखें कि अब हम तीसरे फेज़ से गुजर रहे हैं और जो हम अपनी पालिसी (policy) ऐडाप्ट (adopt) कर चुके, नीति निर्धारित कर चुके हैं उसके अनुसार अब हमें कार्य करना है। जो प्रस्तुत बिल हमारे सामने है वह उसका सबूत है। अब पंच साला प्लान (Five-Year Plan) बनाकर अपने संविधान को बनाकर अपने एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स (aims and objects) को तय करके अब हम कार्य पर लगाने जा रहे हैं और कार्यों पर उतना ध्यान न देकर हम इस समय अपना ध्यान निर्माण पर दे रहे हैं।

अब हमें नव निर्माण करना है। जिस नव निर्माण के लिये आज सब से बड़ी आवश्यकता पड़ती है वह वायु और जल के बाद अन्न की पड़ती है और आज इस समय जो चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत है वह चीज़ हमारे संसार की सब से बड़ी तीसरी आवश्यकता है। मैं उसके ज्यादा डिटेल (detail) में नहीं जाना चाहता हूं। केवल इतना कहता हूं कि हमें निर्माण का काम करना है। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेन्ट से क्या आशा की जाती है। क्या आप यह चाहते हैं कि हर व्यक्ति को कुछ न करना पड़े वह अपने घर बैठा रहे और खाना अपने आप उसके मुंह में चला जाय। सरकार के दो सिद्धान्त माने जाते हैं। एक सिद्धान्त यह है कि--

"That is the best government which is the mst governed

और दूसरा सिद्धांन्त यह है कि--

That is the best government which is the least governed.

मैं उनमें हूं जो दूसरे सिद्धान्त को अच्छा मानते हैं।

गवर्नमेन्ट को कम से कम किसी चीज में हस्तक्षेप करने की आवश्यता होनी चाहिए। बड़ी बड़ी नाव में मैंने यह देखा है कि उस में जो मल्लाह नाव चलाने वाले होते हैं उनका जो सबसे बड़ा मल्लाह या मांझी होता है वह केवल पतवार घुमाता है और उससे डाइरेक्शन (direction) देता रहता है बाकी जितने और मल्लाह होते हैं नाव को खेते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि किसी भी सरकार का विशेष कार्य यही होना चाहिए जो कि नाव का रुख थोड़ा बहुत घुमाती रहे और नाव को खेने वाले मल्लाह देश वासी हों जो कि उस नाव को खेकर ले चले। हमारे देशवासियों को अपने देश का कल्याण करना है। देशवासियों को ऊपर उठने की जितनी भी उनसे व्यक्तिगत आशा हो सकती है वह उम्मीद उनसे करनी चाहिए और वहां पर व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते हैं वहां पर सामूहिक रूप से उसको करना चाहिए और सरकार को उसमें सहायक होना चाहिए सामने लाल रोशनी मुझे डरा रही है इसलिये मैं और कुछ विशेष नहीं कहना चाहता और अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एप्रोप्रिएशन बिल जो इस समय हमारे सामने उपस्थित है उस की दो एक मुख्य बातों की तरफ आप के द्वारा गवर्नमेन्ट का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज जितनी स्पीचेज इसके सम्बन्ध में हुई हैं उनसे यही कहा जा सकता है कि वह बजट पर जनरल डिस्कशन की स्पीचेज थीं और उसका विस्तार रूप ही था इसके सिवाय हम और कोई नतीजा नहीं निकाल सकते हैं। आज जब हम यहां आये तो उस वक्त हमारा ख्याल यह था कि शायद जो

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

कवायद हमारे बिजनेस (business) के हैं उसकी दफा १२५ (३) में मनी बिल (Money Bill) से मतलब इस एप्रोप्रिएशन बिल से भी है। जिसके अन्दर साफ तौर से यह प्रावीजन है कि--

(1) The date of the receipt of the Money Bill by the Council shall be reported to the Secretary of the Assembly.

(2) At any time after the Money Bill is laid on the table of the Council under sub-rule (1), any Minister may, after giving two days' notice, move that the Money Bill as passed by the Assembly be taken into consideration.

यह जो दो दिन के नोटिस का सवाल था वह तो हमारे दोस्त प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल के प्रस्ताव से समाप्त हो गया। लेकिन दूसरे क्लाज में कहा गया है कि--

(3) After the general discussion is over the Chairman shall submit the Bill to the Council clause by clause. At this stage amendments to be recommended to the Assembly may be moved to the Bill and the rules of the Council regarding amendments to Bills shall apply with necessary changes, to the moving, consideration and adoption of such recommendations."

इस रूल को सामने रखते हुये मेरा ख्याल था और आज जब कि रिसेस (recess) हुआ उस वक्त तक भी मेरा ऐसा ख्याल था कि इस एप्रोप्रिएशन बिल में संशोधन पेश करने का मौका हासिल है मेरी यह धारणा थी कि (Money Bill) के लिये जो व्यवस्था नियमों में है वही एप्रोप्रिएशन बिल के लिये जब वह असेम्बली से पास हो कर हमारे सामने आ गया है लागू हो सकती है यद्यपि उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि हम यह तरमीम चाहते हैं।

चेयरमैन--सदन का ध्यान मैं संविधान के आर्टिकल २०४(२) की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में खासतौर से लिखा है कि--

"No amendment shall be proposed to any such Bill in the House or either House of the Legislature of the State which will have the effect of varying the amount or altering the destination of any grant so made or of varying the amount of any expenditure charged on the Consolidated Fund of the State, and the decision of the person presiding as to whether an amendment is inadmissible under this clause shall be final."

श्री ज्योति प्रसाद जी एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहे हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार के संशोधन की गुन्जायश नहीं है।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं आप की तवज्जह इस तरफ दिला रहा था। अब तक जो रूल्स हमारे सामने हैं और उन रूल्स में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे पता चल सके कि कान्स्टीटयूशन (संविधान) के बमूजिब इस बिल में यहां कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं हो सकते तो हमारी कार्यवाही के नियमों में संशोधन होना जरूरी है। यह ख्याल आना एक स्वाभाविक सी बात है। जब रिसेस (recess) के समय मैंने आप से बात चीत की तो मुझे मालूम हुआ कि कान्स्टीटयूशन में इस किस्म का कोई प्राविजन (provision) नहीं है और अब हमें कोई मौका भी नहीं है कि हम इसमें कोई अमेन्डमेन्ट पेश कर सके। इसलिए इस बात को देखते हुये मैं आपकी तवज्जह

इस तरफ दिलाना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि कान्स्टीट्यूशन के इस प्रावीजन के बमूजिब हमें अपने रूल्स में भी अमेन्डमेन्ट करना चाहिए और यह जरूरी है कि यह अमेन्डमेन्ट सरकार प्रस्तुत (propose) करे।

चेयरमैन—जो कान्स्टीट्यूशन में दिया हुआ है उस को रूल्स में देने की जरूरत है या नहीं इसकी यहां पर बहस करने की जरूरत नहीं है।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—जो कान्स्टीट्यूशन में दिया हुआ है उसी के अनुसार यहां पर रिकमन्डेशन (recommendation) हो सकती है।

चेयरमैन—इस के बारे में अभी मैंने संविधान के आर्टिकिल २०४ (२) की ओर सदन का ध्यान दिलाया है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—यह तो एप्रोप्रिएशन बिल के लिए दिया हुआ है।

चेयरमैन—इसकी कोई जरूरत नहीं है जो कुछ कान्स्टीट्यूशन आफ इन्डिया में लिखा है वह मैंने पढ़ कर सुना दिया है।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं यही अर्ज कर रहा था कि कान्स्टीट्यूशन के अनुसार एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में कोई रिकमन्डेशन का अख्तियार हमें नहीं है आपने फरमाया कि नियमों में अमेन्डमेन्ट सरकार ही कर सकती है। मैं आप के द्वारा सरकार की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

अगर इस वक्त इसे कर लिया जाता तो वह ज्यादा फायदेमन्द होता, क्योंकि इस अवसर पर हम उन्हीं चीजों को दोहरा रहे हैं उन्हीं को विस्तृत कर रहे हैं और कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि एप्रोप्रिएशन बिल के मुताबिक जनरल डिस्कशन के माने यह हैं कि इसके अन्दर जो डिमान्ड्स (demands) आई हैं मसलन यदि यह फर्ज किया जाय कि हमने इन्डस्ट्रीज के लिये १ करोड़ रुपया मंजूर किया है, तो इस एप्रोप्रिएशन बिल पर आम बहस का अर्थ यह होना चाहिये कि हम यह डिस्कशन कर सकते हैं कि इस १ करोड़ रुपये का इस्तेमाल कैसे हो और उस एक करोड़ रुपये के इस्तेमाल के तरीके भी हम पेश कर सकते हैं। जो जनरल डिस्कशन इस वक्त होना चाहिये वह इस ही तात्पर्य को सामने रख कर होना चाहिये। इस वक्त जो स्पीचेज हुई हैं वह तो वह स्पीच हैं जो कि बजट के मौके पर जनरल डिस्कशन पर होनी चाहियें। यह तो सब उन्हीं का रिपेटेशन है।

मेरे चन्द दोस्तों ने इस मौके का यह भी फायदा उठाया है कि मिनिस्टर साहब ने जो जवाब अपनी अन्तिम बजट स्पीच में दिया था और उनको कोई मौका इसके मुताल्लिक जवाब देने का नहीं था उन्होंने इस मौके से फायदा उठा कर अपने जज्बात इस वक्त पेश किये हैं। खैर, इससे मेरा कोई ज्यादा सम्बन्ध नहीं है। मैं तो जिस तरह से इस एप्रोप्रियेशन बिल और उसके डिस्कशन के माने समझता हूं उसके अनुसार जो चन्द अल्फाज मुझे कहने हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मेरा खास ताल्लुक इन्डस्ट्रीज से रहा है और उसी में मुझे खास दिलचस्पी है। उसको मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव गवर्नमेन्ट को देना चाहता हूं और वह यह कि जो रकम इस एप्रोप्रिएशन बिल में इस काम के लिये रखी गई है वह मैं समझता हूं काफी है बशर्ते इसका इस्तेमाल ठीक तरह से हो जो रकम कैपिटल (capital) और रेवेन्यू एकाउन्ट (revenue account) में इन्डस्ट्रीज (industries) के लिये बजट में रखी गई है वह २ करोड़ १९ लाख रुपये की होती है और उसके ठीक प्रयोग करने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इस मसले को बहुत जरूरी और अहम समझता हूं, क्योंकि हमारे राज्य का भविष्य बहुत कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है जो बेरोजगारी आज फैली हुई है और जो अनइम्पलाईमेंट (unemployment) हमारी स्टेट के अन्दर है उसको दूर करने का अगर कोई साधन हो

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

सकता है तो वह स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज (small scale industries) और काटेज इन्डस्ट्रीज (Cottage industries) की ओर ध्यान देने से हो सकता है । हमारी लांग रेन्ज (long range) योजनाओं का नतीजा तो आठ-दस अथवा १५ वर्ष में निकलेगा यद्यपि लाभ अवश्य होगा लेकिन उसमें टाइम (time) लगेगा । इमीडियेट एफेक्ट (immediate effect) जो होगा वह इसका होगा कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और काटेज इन्डस्ट्रीज हम देहातों में खोलें। जो दो करोड़ रुपया बजट में मंजूर किया गया है अगर हम उसका ठीक इस्तेमाल करें और उसको नये उद्योग जारी करने में व्यय करें बजाय .इसके कि हम उसको अनुपयोगी व्ययों में खर्च करें जैसे कि बहुत से इन्सपेक्टर्स व्यर्थ मुकर्रर कर दें तो कहा तो जा सकता है कि हमने यह रकम इन्डस्ट्रीज के अन्दर खर्च की है लेकिन वाकई ऐसा नहीं होता । गौर करने की बात तो यह है कि पब्लिक की बेरोजगारी कैसे दूर हो सकती है और उन साधनों की पूर्ति पर जो पैसा व्यय होगा वही उचित व्यय कहा जा सकता है एक एक पैसा जो आपके पास है वह जनता की धरोहर है और उसका जायज इस्तेमाल करना आपका फर्ज है । उसका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं । उसका कैसे इस्तेमाल होता है । यह हमको देखना होगा और एक एक पैसा ठीक तरह से इस्तेमाल करना होगा।

मैं तो यह समझता हूं कि अगर वाकई हम इन्डस्ट्रीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि काटेज और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के लिये सबसे पहले हम एक बोर्ड मुकर्रर करें जिसका यह कार्य हो कि वह इनके विषय में डिटेल्ड सर्वे (detailed survey) करें कि कितनी काटेज इन्डस्ट्रीज चल रही हैं । कितनी मर गई हैं जो पहले चलती थी और उनके मरने का क्या कारण हुआ और किस तरह से उनको रिवाइव (revive) किया जा सकता है और कितनी नई इन्डस्ट्रीज किन किन एरियाज (areas) के अन्दर बनी हैं । इस तरह से परीक्षण करके वह एक स्कीम बनायें और यह बतलायें कि किस उद्योग के लिये किस सुविधा की जरूरत है और उसके लिये क्या कार्यवाही करना आवश्यक है । अगर हम वाकई इस चीज में सिनसियर (sincere) हैं तो मैं कहता हूं कि हम बहुत शीघ्र इस काम को कर सकते हैं और अत्यन्त सुगमता से । यदि विधान मंडल का हर सदस्य अपना यह कर्त्तव्य समझे कि इस व्यापक बेरोजगारी को दूर करने के लिये उन्हें कुछ करना है तो वह अपनी अपनी कान्स्टीटुएन्सी (constituency) में परीक्षण का कार्य स्वयं कर सकते हैं और दो चार महीने में अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के बारे में यह रिपोर्ट (report) तैयार कर सकते हैं कि कितनी इंडस्ट्रीज (industries) उनके यहां चल रही है और कितनी मर गई हैं तथा आगे इस विषय में क्या कार्यवाही करना आवश्यक है । राज्य सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यक्रम बना सकती है । इसलिय मैं गवर्नमेन्ट से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह इस विषय में विचार करें और यदि वह मेरी राय से सहमत हो तो यह काम विधान मंडल के सदस्यों को सौंपे ओर वह जब अपनी अपनी कान्स्टीटुएन्सी के अन्दर जायं तो वहां की औद्योगिक परिस्थिति का परीक्षण करके और गवर्नमेन्ट के सामने उसके मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट पेश कर दें । परन्तु मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे पहले सरकार को हमें काटज इन्डस्ट्रीज के लिये एक पृथक बोर्ड बनाना चाहिये जो राज्य के अन्तर्गत छोटे उद्योग धन्धों की वृद्धि के लिये उत्तरदायी हो। इसके द्वारा ही औद्योगिक परीक्षण (industrial survey) का इन्तजाम किया जाय। डिटेल्ड सर्वे के उपरान्त ही यह पता लगेगा कि हमें आगे क्या कदम उठाना है। हमें यह भी निश्चित करना होगा कि बड़े और छोटे उद्योगों अर्थात् लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज (large scale industries) और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज (small scale industries) का डिमारकेशन आफ फील्ड (demarcation of field) क्या हो जिससे दोनों प्रकार के उद्योग राष्ट्रहित में बिना किसी संघर्ष के बढ़ सकें।

सन् १९३८ में National Planning Committee ने एक सब कमेटी (Sub-Committee) रूरल ऐन्ड काटेज इन्डस्ट्रीज (Rural and Cottage Industries) के मुतल्लिक बनाई थी जिसमें बहुत से एक्सपर्ट्स (experts) थे उस सब कमेटी ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया था जिसमें कहा गया है कि प्रतिदिन की आवश्यकताओं जैसे भोजन और कपड़ों इत्यादि की पूर्ति छोटे छोटे उद्योगों द्वारा होनी चाहिये। कपड़े का उद्योग इसमें विशेष प्रकार से आता है, जिसको मैं अत्यन्त महत्व देता हूं। उस रिजोल्यूशन में यह भी था कि कुछ बड़ी इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको बढ़ाने के लिये काटेज इन्डस्ट्रीज की स्थापना लाजिमी है और उन्होंने काफी रिकमेन्डेशन्स (recommendations) अपनी रिपोर्ट में इसके लिये की हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हम उस रिजोल्यूशन को उसी तरह से मान लें और उसमें कुछ ऐतराज न करें। लेकिन हमको उन प्रश्नों पर गम्भीर विचार करना चाहिये और साथ ही साथ यह भी देखना चाहिये कि लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज को और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को ठीक ढंग से चलाने के लिये हम क्या उपाय अमल में ला सकते हैं। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज और लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज को हमें इस प्रकार बढ़ाना है कि जिससे देश का लाभ हो और परस्पर प्रतियोगिता की बात पैदा न हो।

हम देखते हैं कि अनेक उपयोगी काटेज इन्डस्ट्रीज मर चुकी हैं हम उनको पुनर्जीवित रिवाइव (revive) नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मिल्स के कम्पीटीशन (competition) से वे खतम हो चुकी हैं और जब तक कि गवर्नमेन्ट उनको संरक्षण अर्थात् प्रोटेक्शन (protection) न दे यह मुमकिन नहीं है, कि वह सुरक्षित रह सकें। इसलिये इस प्रश्न का हल हमें करना होगा। सम्भव है बड़े-बड़े कारखानों में बनने वाले कुछ माल पर कर लगाने पड़ें अथवा भिन्न प्रकार के उद्योगों के लिये अलग अलग बाजार नियत करने पड़ें परन्तु यह सब आपको करना ही होगा। सरकार का ध्यान मैं इस ओर विशेष प्रकार से दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यह एक जरूरी चीज है और अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो जो बेरोजगारी (unemployment and under employment) का मसला है उसको आप नहीं हल कर पायेंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के जमाने में इन्जीनियर्स (engineers) ने जो खोज की है उनको अगर देखा जाय तो बहुत सी मालूमात नई मिल सकती हैं जिनके आधार पर नये नये छोटे उद्योग जारी हो सकते हैं। लखनऊ के अति निकट ही एक अंग्रेज रेलवे इंजीनियर ने इस प्रकार की मिट्टियों की खोज किया था जिनसे सीमेन्ट के छोटे छोटे कारखाने बन सकते हैं। इसी प्रकार छोटे उद्योगों की तरक्की के लिये और बहुत से तरीके लोगों ने निकाले हैं, जिनके विषय में मालूमात करके नये उद्योग धंधे खड़े किये जा सकते हैं।

अन्त में एक चीज और है जिस पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है जोतों की चकबन्दी (Consolidation of Holdings) यह भी एक जरूरी मसला है। मैं जानता हूं कि गवर्नमेन्ट के सामने यह मसला इस समय है और वह स्टेप (step) ले भी रही है लेकिन उसकी अहमियत पर जोर देने के लिये मैं यह तवज्जह इस समय दिला रहा हूं। मैं समझता हूं कि जितनी आप की बड़ी बड़ी स्कीम्स (schemes) हैं अधिक अन्नोत्पादन की अथवा सिंचाई की वह सब इसके बगैर बेकार हो जायेंगी अगर एक काश्तकार के पास २५ बीघा जमीन है और वह ५ जगह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी है तो वह उससे अधिक लाभ नहीं उठा सकता और न पूरी उपज ही कर सकता है। इसके लिये शायद यह जरूरी होगा कि पहले मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि जो पुराना एक्ट कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग्स का है उसको तरमीम किया जावे, क्योंकि अब तक तरीका यह रखा है कि ६६ फीसदी यानी दो-तिहाई काश्तकार जब रजामन्द हो जायं तब कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग किसी विलेज में हो सकती है। अब तक चकबन्दी कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से होती रही है। मुझे अफसोस है कि मेरठ जैसे जिले में जो काफी बड़ा जिला है उसमें अब तक सिर्फ १७ गांवों के अन्दर चकबन्दी हो

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

सकी है और अगर मेरी इत्तिला ठीक है तो जिला मुजफ्फरनगर में भी वही हाल है। अगर इसी स्पीड (speed) से काम चला तो कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स के लिये सैकड़ों बर्ष चाहिये।

चेयरमैन—अब कल के लिए हम लोग सदन की बैठक एडजर्न (adjourn) करें।

श्री राजाराम शास्त्री—कार्य समाप्त करने से पहले मेरी एक प्रार्थना है और वह यह है कि आज से आपने यह लाल रोशनी का सिस्टम (system) रखा है। मेरी प्रार्थना है कि इस तुक्कड़ पर भी एक लाल बत्ती लगा दी जाये। हम लोग बोलते हैं तो निगाह उधर ही रहती है। इसके अलावा गवर्नमेन्ट की साइड (side) में भी लाल रोशनी हो जाये तो कुछ फायदा ही होगा।

चेयरमैन—कल ११ बजे तक के लिए कौंसिल स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ४ बज कर ३५ मिनट पर दूसरे दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई)

लखनऊ,
२८ जुलाई, १९५२

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ४३—एल० सी०, १९५२—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५९)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बीर भान भाटिया, डाक्टर
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हक़ीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम ख़ां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफ़ेसर
राजा राम शास्त्री, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन ख़ां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ़ विजयानगरम, डाक्टर महाराजकुमार
विश्वनाथ, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्री
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)।
श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)।
श्री चरण सिंह (माल मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

१-४--श्री इन्द्र सिंह नयाल--(गृह मंत्री के इच्छानुसार स्थगित किये गये।)

मौन-पालन विभाग नैनीताल को सहायता

५--श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)--(क) क्या १९५१-५२ ई० में नैनीताल जिले को मौनालय विकास के सम्बन्ध में कोई सहायता दी गयी थी ?

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार १९५२-५३ ई० में एक साथ दो वर्ष की सहायता देने का इरादा रखती है ?

5. **Sri Inder Singh Nayal** (*absent*) : (i) Was any grant for bee-keeping development made to the Naini Tal District during the year 1951-52 ?

(ii) If so, how much ?

(iii) If not, do the Government intend to give the two years' grant together in 1952-53 ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार नैनीताल जिले को मौन-पालन विकास के लिए अलग कोई सहायता नहीं देती, अतएव १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के लिए इस साल एक साथ सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

Minister for Revenue (Sri Charan Singh) : (i) No.

(i) Does not arise.

(iii) Government do not give grant-in-aid for the development of bee-keeping to the Naini Tal District. The question of giving grants together for 1951-52 and 1952-53 this year does not, therefore, arise.

६--श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नैनीताल ने ज्योलिकोट में काफी अध्यापकों को मधुमक्खी-पालन की ट्रेनिंग दी है ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि मौनालय विकास के वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों द्वारा अधिक अच्छा हो सकता है ?

(ग) क्या सरकार मौनालय सम्बन्धी सहायता का काफी हिस्सा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नैनीताल को निश्चित दिये जाने के औचित्य पर विचार करने का इरादा रखती है ?

6. **Sri Inder Singh Nayal** (*absent*) : (i) Is the Government aware that the District Board, Naini Tal has trained a sufficient number of teachers in bee-keeping at Jeolikote ?

(ii) Is the Government aware that the propagation of the scientific ways of bee-keeping can be done more effectively through the District Board schools ?

(iii) Do the Government intend to consider the advisability of ear-marking a substantial part of the grant for bee-keeping to be given to the District Board, Naini Tal ?

माल मंत्री—(क) जी हां।

(ख) मौन-पालन-प्रसार कार्य में जिला बोर्ड की पाठशालायें भी एक साधन बन सकती हैं।

(ग) मौन-पालन-प्रसार में सहायता के लिए सरकार ने कोई अलग अनुदान नहीं रक्खा है अतएव यह प्रश्न नहीं उठता।

Minister for Revenue : (i) Yes.

(ii) The District Board Schools can prove to be one of the means for bee-keeping development.

(iii) There is no specific allotment for grant-in-aid for bee-keeping. The question does not, therefore, arise.

अकाल पीड़ित क्षेत्रों को आर्थिक सहायता

७—**श्री रामनन्दन सिंह**—क्या सरकार सदन के सम्मुख प्रदेश के अकाल पीड़ित क्षेत्रों की एक सूची उपस्थित करने की कृपा करेगी जिसमें निम्नलिखित बातें दी हों :—

(क) किन-किन क्षेत्रों में, किन-किन लोगों को, कितनी-कितनी रकम सहायतार्थ दी गयी और वह रकम कैसे खर्च की जा रही है ?

(ख) उनमें से प्रत्येक के लगान और मालगुजारी में कितनी छूट दी जा रही है और अगले वर्ष की कृषि के लिये किसानों को क्या सहायता दी जावेगी ?

माल मंत्री—माननीय सदस्य द्वारा मांगी गयी सूचना को संग्रह करना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि इस सूचना के संग्रह से होने वाले लाभ की अपेक्षा उस पर व्यय तथा श्रम कहीं अधिक होता तथापि एक नक्शा जिसमें अभाव ग्रस्त जिले तथा वहां की जनता की सहायता के लिए निर्माण कार्यों, दान, तकावी, लगान तथा मालगुजारी की छूट के रूप में सरकार द्वारा दिये गये धन का *विवरण दिया हुआ है माननीय सदस्य की मेज़ पर रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने और भी एसी योजनाए चालू की हैं जिनसे ऐसी अभाव की स्थिति का भविष्य में पुनरावर्तन रोका जा सके।

(*विवरण के लिए देखिये नत्थी "क" पृष्ठ ३०० पर।)

श्री रामनन्दन सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि बनारस जिले म जो निर्माण कार्यों पर रुपया खर्च किया गया ह वह किन कार्यों पर खर्च किया गया है ?

माल मंत्री—जिलेवार कोई तफसील मौजूद नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—दान की मद में जो रकम लिखी हुई है यह रकम किस को दी गयी है ? किसी को १ हजार दिया गया है तो किसी को २० हजार दिया गया ह।

माल मंत्री—यह रकम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी गयी है। अब हमने यह आदेश जारी कर दिय हैं कि ५० हजार रु० हर एक ऐसे जिले को दिये जायं। जिसको २० हजार रु० दिया गया है उसको ३० हजार रु० और देंगे। यह लेटेस्ट पोजिशन है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसको यह रकम दे इसकी सूचना हमने नहीं मंगाई है। लेकिन जो विधवायें या नाबालिग हों या जो रोजगार करने के काबिल न हों उनको यह रकम दी जायगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दिया है कि जिसको वह मुस्तहक समझें उनको यह रकम दें।

श्री कुंवर गुरुनारायण—क्या माननीय मंत्री बतलायगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ इसके लिये कोई कमेटी अटैच्ड है जो यह बतलाय कि किसको दिया जाय और किसको न दिया जाय ?

माल मंत्री—बाकायदा कोई कमेटी नहीं है। लेकिन जो जन-सेवक हैं उनसे सहायता ली जाती है इस बारे में आज तक कोई शिकायत भी नहीं आई है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे हमारा सहयोग नहीं चाहता है।

श्री कुंवर गुरुनारायण—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि इसकी सूचना लोगों को मालूम नहीं है कि किस तरह से रकम दी जाती है अगर सूचना होती तो लोगों को ज्यादा सहायता पहुंचती ?

माल मंत्री—जो पब्लिक वर्कर्स हैं या जो पब्लिक सर्वेन्ट हैं उनको यह मालूम है बाकी इसका इश्तिहार अगर जिले में लगाये जायं तो इसी पर एक करोड़ रुपया खर्च हो जायगा। गांव पंचायतों को तो यह मालूम रहता ही है।

८—**श्री रामकिशोर शर्मा**—(परिवाहन मंत्री के इच्छानुसार स्थगित किया गया।)

९—**श्री प्रतापचन्द्र आजाद**—(सदस्य ने वापस ले लिया।)

१०-११—**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (स्थगित किये गये।)

१२-१४—**श्री रामनन्दन सिंह** (स्थगित किये गये)

श्री शिवमूर्ति सिंह, सदस्य, लेजिस्लेटिव कौंसिल, के त्याग-पत्र की घोषणा

चेयरमैन—मुझे यह घोषणा करनी है कि इस सदन के एक सदस्य श्री शिवमूर्ति सिंह जी ने अपना त्याग-पत्र भेजा है। वह इस प्रकार है:—

सेवा में,

श्री चेयरमैन महोदय,
उत्तर प्रदेश विधान परिषद्,
लखनऊ।

आदरणीय महाशय,

चूंकि मैं जिला बोर्ड इलाहाबाद का अध्यक्ष भी हूं और उस पद पर ही रहना चाहता हूं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सदस्यता से अपना त्याग-पत्र देता हूं।

आशा है कि आप इसे शीघ्र स्वीकार कर अनुगृहीत करेंगे।

शिवमूर्ति सिंह,
सदस्य,
उ० प्र० विधान परिषद्, लखनऊ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियशन बिल)

चेयरमैन—अब सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर बहस जारी रहेगी।

***श्री शांति स्वरूप अग्रवाल**—माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। चूंकि समय निश्चित कर दिया गया है, इसलिये मैं और बातों पर समय अधिक खराब नहीं करूंगा बल्कि इसमें सुझाव के रूप में जो कार्य करना चाहिए उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। कैपिटल इक्सपेन्डीचर (capital expenditure) के देखने से पता चलता है कि इसमें शिक्षा का कहीं नाम भी नहीं है।

४० करोड़ रुपया अन्त में स्टेट ट्रेडिंग (state trading) की आइटम में है। मैं वित्त मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अन्त में इस पर कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करें। शिक्षा को यहां स्थान न मिलने का कारण यह है कि विभिन्न अवसरों पर

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

शिक्षा को असेन्शियल सर्विसेज (essential services) में से माना ही नहीं गया है। शिक्षा उन सर्विसों में से मानी जाती रही है जैसा कि शिक्षा विभाग के और सचिवालय के सभी सज्जन इसे नान-असेन्शियल सर्विसेज (non-essential services) में स्थान देते हैं शिक्षा को किसी स्थान पर भी प्रायरिटी (priority) नहीं है और शिक्षा के ऊपर खास इन्वेस्टमेंट (investment) नहीं हो रहा है। यद्यपि जब दृष्टिवाद की बात आती है तो शिक्षा को नेशन बिल्डिंग (nation building) के अन्दर राष्ट्र निर्माण के अन्दर कहा जाता है, परन्तु जब इस पर पैसा खर्च करने की बात आती है तब वह नान-असेन्शियल सर्विसेज और नानप्राफिटेबल इन्वेस्टमेंट (non-profitable investment) कह कर पीछे छोड़ दी जाती है। पिछले पांच सालों में शिक्षा का कितना विस्तार हुआ है यह बात तो सदन के सामने भी आ चुकी है कि शिक्षा में विस्तार अभी नहीं हुआ है। यहां पर मेरा विशेष निवेदन है कि शिक्षा इस समय जो हो रही है वह कोई शिक्षा नहीं हो रही है और मैं फिर वही दोहराना चाहता हूं कि यह वास्तव में कोई एजूकेशन नहीं है। शिक्षा का शब्द जो इसके लिये उपयोग हो सकता है और जो उपयोग होता रहा था वह खाली इन्सट्रक्शन्स (instructions) हैं। अंग्रेजी राज्य में खास तौर से इसको डिपार्टमेन्ट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स (department of public instructions) कहा जाता था और वह पब्लिक इन्सट्रक्शन्स ही होती थी अब उसको बदल कर केवल नाममात्र के लिये डाइरेक्टर आफ एजूकेशन कर दिया गया है। डिपार्टमेंट आफ एजूकेशन हो गया है, परन्तु शिक्षा प्रणाली में और शिक्षा में अभी तक कोई परिवर्तन ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे कि इस प्रणाली का नाम इन्सट्रक्शन्स के स्थान पर एजूकेशन दिया जा सके। शिक्षा के परिवर्तन के लिये शिक्षा और शिक्षण में अध्यापक और अध्यापन में बड़ा भारी अन्तर है। एजूकेशन की परिभाषा मैंने पिछले अवसर पर बोलते हुये सदन के सामने रखी थी।

"Education is the transmission of the Life, from the living, through the Living, with all capital helps."

जब जीवन के चारे की कमी है और जहां विशेष स्थान शिक्षकों का है जब उनके जीवन यापन के पूरे साधन नहीं हैं तो शिक्षण चल ही नहीं सकता है।

"This is rearing up by living—by practice."

अब जो शिक्षा चल रही है, जो शिक्षा हो रही है और शिक्षा के नाम पर जिसका विस्तार हो रहा है चन्द घन्टों के लिये विद्यार्थी ऐसी अवस्था में जहां शिक्षा हो नहीं सकती है एकत्रित हो जाते हैं और वह अध्यापक जो स्वयं असन्तुष्ट हैं जो शिक्षा देने में बहुत से कारणों से असमर्थ हैं वह शिक्षा दे रहे हैं और उसका कारण मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा सरकार को बतलाना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों में आज जो कमी दिखाई देती है उसका कारण यह है कि वही चीज जो अंग्रेजी राज्य में थी अब भी फैल रही है और शिक्षा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जो विषैली चीज शिक्षा में पहले थी वह ज्यों की त्यों है और उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। शिक्षा जभी कही जा सकती है जब कि वह सर्वांगीण हो, आल रिस्पेक्ट (all respect) में हो, आल साइडेड (all sided) हो और कम से कम फिजीकल (physical) मेंटल (mental) और कल्चरल (cultural) तो हो ही।

फिजीकल, मेन्टल और कल्चरल इन तीनों एसपेक्टस (aspects) में आजकल शिक्षा में बिल्कुल कमी हो रही है और इस समय केवल कुछ मेन्टल शिक्षा ही हो रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करूंगा। किसी टीकाटिप्पणी की दृष्टि से नहीं, बल्कि इसलिये कि सरकार इस बात की ओर अत्यन्त शीघ्रता से ध्यान देगी और इस बात पर गौर करेगी और उसके लिये एक ठोस कदम उठायेगी, क्योंकि इस समय निश्चित रूप में हमारी शिक्षा की कोई स्थिरता नहीं है। मेरे सामने

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

यह सन् ४७–४८ का बजट है जब कि क़ांग्रेस सरकार ने पहले पहल इस मद पर खर्च किया था तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से रखा गया था कि जितने भी गवर्नमेन्ट स्कूल्स हैं वे सब के सब ट्रान्सफर (transfer) कर दिये जायेंगे नान–गवर्नमेन्ट स्कूल्स में । मैं यह पृष्ठ ७६ मेमोरेन्डम आन दि बजट इस्टेब्लिशमेन्ट (Memorandum on the Budget Establishment) को पढ़ रहा हूं ।

"A token cut provision of Rs.100 has been inculded in the estimate for giving a start to the scheme of transfer of Government schools to private managements."

इसके बाद सन् ४७–४८ से आजतक इस बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं गया है कि उन गवर्नमेन्ट स्कूल्स को ज्यों का त्यों जारी रखेंगे या वह उसी नीति के अनुसार दूसरी ओर जायेंगे । यह बात मुझ इसलिये विशेष रूप से रखना है ताकि शिक्षा मंत्री और डाइरेक्टर महोदय दोनों इस बात पर ध्यान दें ।

दूसरी चीज शिक्षा के बारे में जो है उसकी नीति भी स्पष्ट नहीं है और सरकार को उसे स्पष्ट रूप से बतला देना चाहिये । शिक्षा के बारे में जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि वर्तमान प्रणाली के अन्दर शिक्षा तीन वर्गों में बटी हुई है, प्राइमरी एजूकेशन–सेकन्डरी एजुकेशन और यूनीवर्सिटी एजूकेशन । इन तीनों विभाग में अलग–अलग कमेटियां बनती हैं और अलग–अलग उसके विभाग काम करते हैं और सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं । कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिससे यह तीनों विभाग आपस में एक दूसरे से कोआर्डिनेट (co-ordinate) हो सकें । जैसा कि उसमें सेकन्डरी एजुकेशन (secondary education) की कमेटी बनी हुई है वह अलग काम करती है तो इस तरह से शिक्षा में तरक्की नहीं हो सकती है क्योंकि as a whole इन तीनों विभागों के लिये एक कमेटी निर्धारित की जाती तो उसमें अवश्य सुधार भी हो सकता था । तो शिक्षा की नीति के सम्बन्ध में यदि इस तरह से हम अलग-अलग कमेटियां बनाकर कार्य करेंगे तो यह एक गलत काम होगा और मैं जब जब भी इसके बारे में सोचता हूं तो मेरा विचार यही होता है कि यह परमावश्यक है कि शिक्षा के भिन्न–भिन्न विभागों को एक साथ हम कोआर्डिनेट करें और उसके जो इस तरह से हिस्से हो गये हैं उनको ठीक करें क्योंकि इस तरह से भिन्न भिन्न हिस्से हो जाने से कभी छत तैयार हो जाती है तो और दूसरी चीजें तैयार नहीं हो पाती । इस तरह से जो शिक्षा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है और वह बिल्कुल वैसी ही है । तो उसके परिवर्तन के लिये भी यह आवश्यक होगा कि हम उसके सब विभागों को कोआर्डिनेट करने की नीति को निर्धारित करें ।

इसके अतिरिक्त एक विशेष अंग है उसका कहीं इसमें जिक्र नहीं है वह है प्री स्कूल एजूकेशन (pre-school education)। महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्भाषण में और वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच में इसका कोई जिक्र नहीं है । यह वह स्थान है जो प्राइमरी एजूकेशन से भी नीचे की बुनियाद को ठीक करता है । छोटे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में शहर और गांव में भी किस प्रकार फिरते हुये नजर आते हैं उनका शिक्षण न तो उनके माता–पिता द्वारा ही होता है और न उनके लिये कोई प्रबन्ध है । इस ओर ध्यान न देने से शिक्षा वैसी ही रहेगी जैसे कि आजकल शिक्षा बिना किसी नीति की है । जितने शिक्षा शास्त्री हैं दुनिया भर के उन सब का यह मत है कि १ वर्ष से लेकर ६ वर्ष तक जो बच्चा होता है उसमें मनुष्य की आदतों का निर्माण होता है । और बड़े–बड़े विचारकों का यह कहना है कि आप १ वर्ष से लेकर ६ वर्ष के बच्चे को हम को दे दीजिये और जिस अवस्था में वह हो जायेगा उससे, उसको परिवर्तित करना असंभव है । यह उम्र बुनियाद की है जिसमें तमाम मनुष्य की आदतों का निर्माण होता है । मेरा विचार है कि सरकार प्री स्कूल्स एजुकेशन की ओर ध्यान देगी ।

इसके अतिरिक्त यदि हम शिक्षा को दूसरी दृष्टि से देखें तो देखेंगे कि शिक्षा में २ जीवित मुख्य अंग हैं और बाकी निर्जीव हैं । जब एक बच्चा पढ़ने के लिए आता है और उसका सम्बन्ध, जो शिक्षा देता है, उससे है जिसके ऊपर शिक्षा देने का भार है और जिनके द्वारा बच्चे का निर्माण होता है, उनकी अवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनको टीचर्स (teachers) के नाम से पुकारा जाता है, इसमें २ मत नहीं हैं और सरकार भी मानती है कि टीचर्स असंतुष्ट हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि असंतुष्ट होते हुये कोई टीचर कैसे ठीक-ठीक कार्य कर सकता है । नेशन बिल्डिंग का कार्य इनके हाथ में है जो असंतुष्ट हैं मैं यह नहीं कहता कि आप इस तरह से संतुष्ट कीजिये कि उनको डी० ए० दीजिये या उनके ग्रेड पर विचार कीजिये । मेरा निवेदन इतना है कि जब सरकार इतना मानती है कि अध्यापक जिस अवस्था में हैं वह उससे असंतुष्ट हैं तो फिर सरकार को ऐसी अवस्था दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये तब तो यह कार्य ठीक तरह से चल सकता है जो भी अध्यापक हों चाहे वह प्राइमरी स्टेज के हों या सेकेन्डरी स्टेज के हों या यूनिवर्सिटी के हों । मैं हैरान हूं कि १ से लेकर ६ वर्ष तक के बच्चे जिनके हाथ में हैं और जो निर्माण करते हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे । इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं ।

*डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं कल से बराबर इम्पीचमेन्ट आफ दि गवर्नमेन्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन (impeachment of the Government administration) की तकरीरें बड़ी फसाहत और बगावत के साथ सुन रहा हूं । इसके साथ मैंने देखा कि इस इम्पीचमेन्ट में काफी जोरदार तकरीरें हुईं । मगर मेरा तो ख्याल यह है कि यह स्पीचेज (speeches) प्रजुडिस (prejudice) से भरी हुई थीं ।

"While it will be idle on the part of the Government not to acknowledge that there will be mistakes and miscalculations on their part, but it would be unjust and unfair on the part of others not to acknowledge that the achievements of the Government were appreciable having regard to the abnormal times."

हमको भी यह सोचना चाहिये कि एबनार्मल टाइम्स (abnormal times) को देखते हुए गवर्नमेन्ट के जो कुछ अचीवमेंट्स (achievements) हुए वह कम नहीं थे बल्कि एप्रीशियेबुल (appreciable) थे ।

यह मैं अकसर कहता रहा हूं कि इस बात पर अगर विचार किया जाये कि एबनार्मल टाइम्स किस तरह से पैदा हुए तो बहुत से क्रिटिसिज्म (criticism) माइल्ड फार्म (mild form) में हो जायेंगे । यह एबनार्मल टाइम्स पैदा हुए कई तरीके से । पहले तो पोस्ट वार प्राब्लम्स (post-war problem) पैदा हुईं फिर पोस्ट पार्टीशन प्राबलम्स (post-partition problems) पैदा हुईं जिस में यह था कि

"Integrity of economic structure was completely broken up."

तीसरे पोस्ट इन्डिपेन्डेंस प्राब्लम्स (post independence problems) भी पैदा हुईं जिनके हल करने में काफी परेशानी हुई । अगर इन बातों का ख्याल कीजिए तो मैं समझता हूं कि सभी लोग तस्लीम करेंगे कि गवर्नमेन्ट के अचीवमेन्ट्स काफी एप्रीशियेबुल थे । इस के साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि गवर्नमेन्ट का यह फर्ज है कि अपोजीशन (opposition) की तरफ से जो मिस्टेक्स (mistakes) दिखलाई गई हैं उनके ऊपर लिहाज करें और उनको दूर करने की कोशिश करें । क्योंकि मैं समझता हूं कि कोई गवर्नमेन्ट चाहे जितनी अच्छी गवर्नमेन्ट हो मिस्टेक्स से बरी नहीं हो सकती । चाहे किसी पार्टी की गवर्नमेन्ट हो । इसलिए जो अपोजिशन की तरफ से क्रिटिसिज्म (criticism) किया

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप]

जाये उस को इस निगाह से न देखा जाये कि वह किसी ख्याले बद से किया गया है। मैं समझता हूं कि इसकी तह में जो बात है वह यह है कि लोगों ने यह रियलाइज नहीं किया कि "The State today is of the Nation and for the Nation and the Nation should put all its resources and will-power behind the State." जब तक यह न होगा और गवर्नमेन्ट भी यह महसूस नहीं करती कि वह नेशनल गवर्नमेन्ट (National Government) है न कि पार्टी गवर्नमेन्ट है। और जब तक लोग भी यह महसूस न करें कि जो गवर्नमेन्ट है वह फिलवाका कांग्रेस गवर्नमेन्ट नाम के लिए है वास्तव में नेशनल गवर्नमेन्ट है और उनका फर्ज है कि वह गवर्नमेन्ट के साथ कोआपरेशन करें नहीं तो माकूल तरीके से काम नहीं चल सकता। अगर यह चीज हम अपने दिल में रखें तो मैं समझता हूं कि मुश्किलात हल हो सकती हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि गवर्नमेन्ट बावजूद इन्तहाई कोशिश के अबतक वेलफेयर स्टेट (welfare State) कायम नहीं कर सकी है। इसका इल्जाम गवर्नमेन्ट पर ही नहीं बल्कि हम लोगों पर भी रखा जा सकता है। गवर्नमेन्ट कोआपरेशन के साथ चल सकती है मगर यह कोआपरेशन गवर्नमेन्ट को सीक करना चाहिये। मैं देख रहा हूं कि गवर्नमेन्ट यह समझती है कि हम अपने कांग्रेसी भाइयों को कुछ न कुछ दे दें। सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने यह स्कीम रखी थी कि वह अपनी गवर्नमेन्ट में कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर लिया करते थे जो उनकी पार्टी रैंक्स के नहीं होते थे अब उसमें कुछ कमी जरूर कर दी है लेकिन अब भी उनकी यह पालिसी कुछ न कुछ कायम है। मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेन्ट को भी नैरो माइन्डेडनेस को छोड़कर ब्राड माइन्ड से, कोआपरेशन से काम करने की जरूरत है। इस तरह का कोआपरेशन अगर उनको मिल जाय तो उनको भी आसानी होगी मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है जब मैं यह देखता हूं कि कांग्रेस में खुद डिसयूनिटी है। जब उनमें डिसयूनिटी है तो वह दूसरों में यूनिटी कैसे कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि टैक्सेशन लगाने की जरूरत है या नहीं।

यह तो मैं मानता हूं कि इकोनामी की गुंजायश नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके ऊपर अच्छी तरह से गौर करना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि स्टैंन्डिंग कमेटी जो कायम की जाती है हालांकि मैंने इस बार सुना है कि इस मरतबा गवर्नमेन्ट उन्हें नहीं कायम कर रही है लेकिन अगर कायम करती है तो उन्हें ज्यादा पावर्स दी जानी चाहिये, जिसमें जो मेम्बर्स उनमें शामिल हैं उनमें यह काबलियत पैदा हो जाय कि वह एफेक्टिवली चेक कर सकें। जब तक गवर्नमेन्ट ग्रेटर कान्फीडेन्स नहीं रखेगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा। फाइनेन्स मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा था कि हर शख्स को कुछ न कुछ कुरबानी करना चाहिये। मैं इस बात की ताईद करता हूं कि हर एक को कुछ न कुछ कुरबानी करना ही चाहिये। अगर मेम्बरान और मिनिस्टर भी कुछ कुरबानी करने लगें तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं इसके लिये तैयार हूं और समझता हूं कि हर मेम्बर का यह फर्ज है कि वह कुरबानी के लिये तैयार रहे। जब वह तैयार होगा तभी वह दूसरे से कुरबानी के लिये कह सकता है। अगर यह माद्दा नहीं पैदा हुआ तो हम समझेंगे कि वेलफयर स्टेट नहीं बनी।

अब टैक्जेशन की बात में कुछ कहना चाहता हूं। टैक्जेशन दो तरह के होते हैं—एक इनडाइरेक्ट और दूसरा डाइरेक्ट। इनडाइरेक्ट टैक्स उन गरीबों पर पड़ता है जो पहले से ही टैक्जशन के बोझ से लदे होते हैं। यह ठीक है कि नेशन बिल्डिंग के लिये रुपया हो मगर टैक्जेशन तो तभी होना चाहिये जब दूसरे रिसोर्सेज से आमदनी न होती हो और अगर टैक्जशन लगाने की जरूरत आ ही पड़े तो इस तरह से लगाना चाहिये जिससे गरीबों पर ज्यादा बोझ न पड़ सके। मेरा तो यह ख्याल है कि यह गवर्नमेन्ट के इन्टरेस्ट में होगा कि वह एक टैक्जेशन इंक्वायरी कमेटी नियुक्त करे। उस कमेटी को उस वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि गरीब न कुचलने पावें। इन बातों को कहते

मुझे न गवर्नमेन्ट को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो कुछ गवर्नमेन्ट ने किया वह काफी एप्रीसियेबुल है ।

मेरी समझ में एजुकेशन की मशीन जो है वह ओवरहाल होने के काबिल है और जब तक उसमें सुधार नहीं होता है तब तक एजुकेशन में सुधार होने की संभावना नहीं है इसके बाद में कहना चाहता हूं कि मेडिकल एड की बहुत सख्त जरूरत है । कानपुर में एक मेडिकल कालेज की बहुत सख्त जरूरत है । अगर वह नहीं हो सकता है तो कानपुर में एक होमियोपैथिक का ही कालेज खुलवा दिया जाये । बहुत जगह होमियोपैथिक ऐसी कारगर होती है कि एलोपैथिक के डाक्टर हैरान हो जाते हैं । इसमें भी खर्च कम पड़ता है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि होमियोपैथिक कालेज खोला जावे । अगर इसके लिये जगह न मिलती हो तो डी० ए० वी० कालेज में इसके लिये जगह दिलवाने के लिये तैयार हूं । इन बातों के साथ मैं समझता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल में ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं है ।

***Dr. B. B. Bhatia:** I rise to extend my support to this Appropriation Bill. Although taxes will hit more people like myself but still I cannot grudge paying them because I know fully well that in course of time the State will need much more money to produce development projects in this country. The Opposition will want to have a Finance Minister who can produce more money by merely rubbing his palms and then distributing it to the people who either deserve it or do not deserve it. I am afraid in the modern times even with the great advancement that Science has made no Finance Minister who can produce money by merely rubbing his hands and every Finance Minister has to produce more money by levying some taxation and more money is necessary if the country has to progress. But I will agree with some members that there is scope for economy in many directions. Yesterday my friend, Pt. Bajpai, pointed out how to a great extent money is being wasted on superfluous advertisements and superfluous propaganda. Only yesterday we were given some pamphlets printed on a very fine art paper which must have cost a good deal of money giving us an outlook of our great city of Lucknow and what the Improvement Trust has done. It may befool some members from outside but every citizen in Lucknow knows that the Improvement Trust has done nothing in this city. In fact they have done everything possible in their power to disfigure this beautiful city of ours. Even in the midst of civil lines they are now producing Chowk like mohallas. I would not talk much more about the achievements and to what extent jobbery and nepotism is prevalent there but I shall reserve all those remarks when the Minister for Local Self-Government is present here. Today I will restrict my remarks mostly to the Public Health problems about which a good deal has been said on the floor of this House and a good deal has been said on the floor of the Assembly—a particular problem about which I feel most competent to speak. I agree with my friends that our National Government although it had been in power for five years had done nothing so far to implement the recommendations of the Bhore Committee which were applauded all over the country as the minimum that could be done for the national health of this country and as I said in my previous speech, the health of the nation must receive the top-most priority and our Government has not done sufficient in that direction.

---

*Speech not revised by the member

[डाक्टर बीर भान भाटिया]

Their main plea is money and to a great extent that plea is perfectly sound. In Great Briatin whose population is little less than the population of this State they are spending more than the total income of the State on their socialised medicine. As yet that socialised medicine has not been able to please everybody. Here in this State we are spending only 4 annas per head for the alleviation of disease. How can we achieve anything with that meagre sum? But even for this amount the question is whether the tax-payer is getting full return for the money which is being spent on health projects. I will agree with my friends that there is scope for a good deal of improvements in our district hospitals and some of the grievances of the public are genuine. On the other hand some of the grievances are due to their ignorance. The improvements in the district hospitals need money, but there are certain projects which can be done without expending an extra pie. For instance for the last several years I have been impressing on our Governments that in each district instead of keeping Civil Surgeons and an Assistant Surgeon they should have a surgical specialist and a medical specialist. There are now in the service of the Government some people who are M. D's that is specialists. There are others who are specialists in medicine, specialists in surgery and Government should make an immediate start at least in several districts in keeping a surgical specialist and a medical specialist and they should only be allowed practice in their speciality. This will immediately give the people in the district a specialised service and will take away a good deal of friction which at present exists between the Civil Surgeon and the Assistant Surgeon because of the jealousy. If one is more popular and is earning more, the second member becomes jealous of the other. And whoever is senior of the two should be given a small amount of Rs. 50 to do the administrative work but they will both be independent. I am sure there will be no friction between them and the public of those districts will be able to get the specialised knowledge of these persons.

Now, secondly all the Government doctors must be given a refresher course after every five years. The science of medicine is making tremendous progress and nobody can keep himself in touch with the latest development in medical science unless he goes through a refresher course every five years. The refresher course should be followed by a three months period of examination and those who fail in the examination should not get their annual increments till such time as they pass the examination. This will keep all the district doctors up-to-date and will greatly improve the efficiency of those doctors. Now the third thing is that the district hospitals through some agency should have a better supervisory control so that the doctors do their duty in the hospitals during the hours which are prescribed for them. If during those hours unexpected visits are made and the doctors are not found on duty, then severe punishment must be given to those doctors and nurses. These inspections should not be supervisory inspections just to see the quarters or to check the stores but the inspections should be made by some experts who can see whether doctors are performing their duties properly and whether the reports of the hospital records are well maintained and the people are treated properly with kindness and sympathy. I am sure that these three projects are followed which I have said and which will not cost the exchequer a single pie extra, they will tremendously improve the working of our district hospitals. We hear the public say in season and out of season that the private practice should be stopped. When they say so they do not realise the implications of their statement. There is not a single district in this State where besides the Government doctors there is a single surgical specialist, and all the surgery cannot be done in the hospitals. There is no accommodation in the majority of the district hospitals for the upper class of people,and with the limited accommodation all surgery cannot be done in the hospitals. At all times there will be many people who would like to have treatment at their home. By restricting private practice you will be depriving a large number of people from the services of the doctors in whom they have pinned their faith. I may inform this House that there is not a single country in the world which has completely done away with private practice of any sort. Even in the socialised medicine country of England there are only 25% consultants who are whole-time, the other 75% consultants are part-time consultants and they are given the privilege of consulting practice. Even in the Soviet Union of Russia private practice is allowed to doctors. So people who talk about stopping the private practice, they say so without understanding the implications. I am quite with them when they say that our district hospitals are not as they should be, but I can assure them that a great deal of improvement can be made in those district hospitals by the measures that I have just now enumerated.

Now the second thing which is often said on the floor of this House is that indigenous systems of medicine, the Ayurvedic, the Unani system, the Homoepathy or the Naturopathy do not receive that amount of encouragement or assistance from the Government that they deserve, and some Members go so far as to say that the Allopathic system, which is the name that they have given to the scientific system of medicine, should be completely wiped out of this country. People who make such remarks are either blind or they are ignorant, and they do not like to understand the achievements of modern science in the modern world. It is a well known fact now that infectious diseases which took the toll of nearly 50% have been completely wiped out from countries like America and England. When I travelled in those countries about two years ago, people told me that they had been in practice for 30 years and they had not seen a case of typhoid fever or a case of plague, or a case of cholera, or a case of measels, or a case of small-pox. Why, because those countries by the scientific system of medicine have completely wiped out these diseases from their country. The span of life during the last 50 years has doubled. The average span of life is 55 years for the males and nearly 70 years for the females in many of the western countries. Now those people who say that the modern system of medicine, the scientific system, should be wiped out of this country, they must be blind to the achievements which have been made in medicine all over the world. Or, on the other hand, they are genuinely interested in the welfare of this country even at the cost of losing millions of life. Probably if this system is wiped out of this country, I can assure them that in the next 20 years population of our country will be reduced to 20 crores instead of 40 crores and that will surely bring prosperity to this country. So that might

[डाक्टर वीरभान भाटिया]

be their method of bringing in prosperity in this country by sacrificing millions of lives. A couple of years ago when our ex-President of the Congress said that vaccination for small-pox has done tremendous harm to the country I congratulated him and told him that it has certainly done a great harm to our country. If vaccination was not practised during the last 70 or 80 years, the population of our country would not have been more than 10 or 15 crores and thus there would not have been so much of poverty and misery in this country which is so much over-populated, and, furthermore, 10 or 15 crores who would have been alive, their faces would have been so disfigured that the standard of our morality would have been the highest in the world. I congretulated the ex-President of the Congress on the boldness which he had in saying that vaccination had done tremendous harm in this country. I will not be one who will say that wipe out Ayurvedic, Unani, Homoeopathy or Naturopathy so long as there are people like Dr. Brijendra Swarup who have got faith in them. They must have complete facility to use any system, but I can tell them that with the modern scientific system, these systems stand on the same level as bullock-cart with the aeroplane in the line of transport. It can be argued that there are places where aeroplane cannot go and bullock-cart can go. There may be some diseases which are not so well treated by the modern system and where the old system may still be successful, but even the practitioners of these systems have today realized that modern science has produced several bullets with which they can cure deseases like cholera, plague, meningitis. Even Vaids and Hakims are using those medicines and are giving injections too. But these modern medicines are like double-edged weapons. While they do so much good, they are also capable of doing a great deal of harm when they are used by people who do not understand their action. Although in some instances these Vaids and Hakims may be doing good by using these medicines, in many instances they may be doing a great deal of harm. I am afraid my time is over. I have had to say several more points on this subject which I will say on some future occasion.

श्री रुक्नुद्दीन खां---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जो डिस्कशन एप्रोप्रिएशन बिल पर हो रहा है मैं तो यह समझता हूं कि एक किस्म की दिमागी ऐयाशी है। हम लोग अपने विभागों पर जोर देकर तरह तरह की बातें करते हैं और इस मौके को यह समझ कर के कि कानून के मातहत यह मद स्लीपिंग सीजन है गवर्नमेन्ट पर बेजा नुक्ताचीनी करने को तैयार हो जाते हैं। डेमोक्रेसी का तरीका चाहे कितना ही अच्छा रहा हो मगर मैं समझता हूं कि अब हर जहनियत में तब्दीली का वक्त आ गया है। हमें अपनी हुकूमत को चलाना है और यह अपनी हुकूमत है किसी गैर की हुकूमत नहीं है। मुझे यह यकीन है कि अपोजिट बेंचेज पर भी जो हजरात बैठे हुये हैं वह भी एक जज्बे को लेकर आये हैं। एक जज्बा खिदमात का उनके दिल के अन्दर भी है। वे भी अपने को जनता का खादिम कहते हैं और अपने मुल्क की बहबूदी चाहते हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर इसके साथ ही साथ अगर जरा सा भी उनकी जहनियत में फर्क आया होता और वह भी इसको अपनी हुकूमत समझते होते तो नामुनासिब क्रिटिसिज्म जो यहां पर की गई है वह न की जाती। गवर्नमेन्ट की जो दिक्कतें हैं उनको मद्देनजर रखते तो उन्हें यह मालूम हो जाता कि इस वक्त जो खर्चा गवर्नमेंट कर रही है वह भी मजबूरन कर रही है।

एप्रोप्रियेशन बिल में हर आइटम को अगर गौर से देखा जाय तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो अखराजात हो रहे हैं वह ज्यादा नहीं हैं। जनता का तकाजा है और हमारी आजादी का भी यही तकाजा है कि हमारी तरक्की जो हो रही है वह बढ़ती जाय और उसका यह नतीजा होगा कि अखराजात और ज्यादा किये जायं। क्या आप कोई ऐसा मुहकमा बतला सकते हैं जिसके मुताल्लिक यह ख्याल हो कि जो इसमें खर्चा किया जा रहा है वह उसकी जरूरत से ज्यादा है। कोई ऐसा मुहकमा नहीं है कि उसमें जो खर्चा किया जा रहा है उससे और ज्यादा खर्चा करने की जरूरत न हो। आप एजूकेशन के मुहकमे को ही ले लीजिये क्या यह कहा जा सकता है कि एजूकेशन में इस वक्त जो खर्चा किया जाता है वह नहीं करना चाहिये। आप यूनिवर्सिटी एजूकेशन का मुलाहिजा फरमाइये। इस वक्त कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो सरकार के पास डिमान्ड पेश नहीं करती हो। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो कि आज मकरूज न हो। कोई यूनिवर्सिटी आज ऐसी नहीं है जिसका यह तकाजा न हो कि हमारे यहां फलां डिपार्टमेन्ट नहीं है और उसे खोलने की हमें जरूरत है। बावजूद इसके कि यूनिवर्सिटियों की ग्रान्ट बढ़ायी जाती है। फिर भी यूनिवर्सिटियों में बच्चों की हालत गिरती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन में और मकतबों में हालत खराब होती जा रही है और लड़कों के जहनियत में भी फर्क आ रहा है। इसलिये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इसमें देखें। हमारे शिक्षा मंत्री ने ठीक कहा था कि हमको यूनिवर्सिटी शिक्षा में भी दखल देना पड़ेगा। हम उसको बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि सरकार की जिम्मेदारी प्राइमरी से ही लेकर है। जो उन को तालीम दी जाती है वह माहौल पर है। जो उनको तालीम दी जा रही है गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी उसी हद तक जहां तक रुपया देती है। गवर्नमेन्ट को पढ़ाना तो नहीं है उसका काम तो यह है कि वह रुपया फराहम कर दे। मगर यूनिवर्सिटियों का यह फर्ज है कि वह एक ऐसा माहौल पैदा कर दे जो कि एक आजाद मुल्क के बच्चों में होना चाहिये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मियार से हमारे बच्चे आज गिरते जा रहे हैं। उसको बढ़ाने की कोशिश हमको करनी है। शिक्षा के मुताल्लिक अभी हमारे लायक भाइयों ने और कल भी कुछ लोगों ने कहा कि बहुत कुछ रुपया यहां खर्च किया जा रहा है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी एक नेसेसरी ईविल है, एक प्रोपेगन्डा है। अगर प्रोपेगन्डा नहीं है, इश्तिहार नहीं है, ऐलानात नहीं है तो जनता की दिलचस्पी नहीं होगी। ऐलानात अगर होंगे तो उस पर पैसा खर्च होगा और अगर पैसा खर्च भी किया जाय तो उसे मेम्बरों के पास भेजा जाय, सदस्यों के पास भेजा जाय, स्कूलों में भेजा जाय और वहां पर लड़कों को पढ़ावें। जैसा कि मेरे एक भाई ने कहा है कि उस पर रुपया खर्च होता है और गवर्नमेन्ट अपना फर्ज अदा कर रही है। गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से इस बात का ऐलान करना चाहती है और अभी तक जिस हद तक प्रोपेगन्डा है वह गालिबन जहां तक लिट्रेचर का ताल्लुक है तो इस बात की भी जरूरत है कि इस तरह का प्रोपेगन्डा पंचायतों में भी भेजा जाय, गांव–गांव में भेजा जाय, स्कूल-स्कूल में भेजा जाय ताकि उनको मालूम हो कि इसके ऊपर जितनी बरकतें हैं वह किस हद तक पूरी हो रही हैं। मैं यहां पर गवर्नमेन्ट के ऐक्शन्स को सपोर्ट करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। इस बात का आप इत्मीनान रखें कि कोई बेजा तारीफ मेरी तरफ से नहीं होगी लेकिन जब मैं देखता हूं कि जहां उनकी कोई गलती नहीं है उसके ऊपर भी नुक्ताचीनियां की जा रही हैं तो मुझे जरा अफसोस होता है। अब एजूकेशन के मुताल्लिक एक बात यह है कि जनता का मतालबा है कि फ्री एजूकेशन कर दी जाय, आम तालीम कर दी जाय। मगर यह ख्याल नहीं है कि आम तालीम करने के लिये मुदर्रिस जो आयेंगे उनका खर्चा कैसे बरदाश्त होगा। वह पुराना जमाना चला गया कि वह एक रोटी के ऊपर अपना गुजर कर लेते या एक रुपया माहवार चन्दा वसूल करके १०–२० रुपया पैदा करके अपना और अपने बाल–बच्चों की परवरिश कर सके। अब तो जमाना यह है कि जिसमें उनको

[श्री रुक्नुद्दीन खां]

मुमानियत है कि वह ट्यूशन कर सकें। वह ट्यूशन नहीं कर सकते हैं। उनको इस बात को भी मुमानियत है कि जितना रुपया उनको गवर्नमेन्ट की तरफ से मिल रहा है किसी दूसरे तरीके से उससे ज्यादा पैसा पैदा करके फायदा नहीं उठा सकते हैं। उसकी तनख्वाह महदूद है। उनका मुतालिबा हो रहा है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाय। अब अगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाय तो आपके एजूकेशन का बजट दुगुना नहीं चौगुना हो जायेगा। यह भी सही है कि तालीम की बरक्कतों से कोई भी शख्स इन्कार नहीं कर सकता है कि इसकी हमें बड़ी सख्त जरूरत है। इसके साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि जितनी तालीम फैल रही है उतनी ही ज्यादा बेकारी फैल रही है। इसका कारण यह है कि जो लोग लेबर क्लास हैं उनको जब एजूकेशन दे दी गई तो वह समझे कि अब हमको अपना पुराना पेशा छोड़ देना चाहिये उसका अब उससे कोई मतलब नहीं रहता है और उसको कलम से ही पैसा हासिल करना होता है। जब यह जहनियत हो जाती है तब वह मजदूर जो पहले निहायत खुशी से मजदूरी करने को तैयार रहता था वह अगर जरा भी पढ़ गया तो फिर मजदूरी करने को तैयार नहीं होता और अपने लड़कों को भी मजदूरी करने से रोकता है। यह मुसीबतें हैं यह ऐसी बातें हैं कि जिसकी वजह से हम तालीम का काम पूरा नहीं कर सकते हैं। तालीम की रोशनी जैसे जैसे फैलती जायेगी हमारे देश का फायदा होता रहेगा। मेरा मतलब हरगिज यह नहीं है कि तालीम कम कर दी जाय। अब जो दिक्कतें हैं वह हैं प्राइमरी एजूकेशन की बाबत। मुझे निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां कि प्राइमरी स्कूलों की इमारतें खराब न हों। करीब ८० फीसदी इमारतें खराब हैं और २० फीसदी ऐसी हैं कि जहां बच्चों के बैठने के लिये जगह है। यह तो सही है कि स्कूलों की तादाद बढ़ गई है, लड़कों की तादाद बढ़ गई है लेकिन शिक्षा के लिये रुपया कहां से लाया जाय। न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास पैसा है न म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा है और उनके वास्ते भी रुपये की जरूरत होगी तो उसका भी कोई न कोई इन्तजाम गवर्नमेन्ट को करना चाहिये। आज हायर सेकेन्डरी शिक्षा की हवा चल गई है, मैं तो देखता हूं कि छोटे से छोटे जिले में भी जहां कभी किसी जमाने में कोई कालेज नहीं था आज वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने, उनके नेताओं ने उनको इस बात के लिये आमादा कर दिया है कि वहां हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खोले जायं। खुश नसीबी से मेरा भी जिला वही है कि जहां पहले कोई कालेज नहीं था और आज वहां १४ कालेज हायर सेकेन्डरी स्कूल के कायम हो गये हैं। यह यकीनन खुशी की बात है। मैं भी इस बात का फक्र करता हूं मगर उनकी अन्दरूनी हालत देखने पर मुझे अफसोस होता है।

वहां बैठने तक को जगह नहीं है और किसी किस्म का टाट वगैरह भी नहीं है, महज जमीन पर हम बैठ सकते हैं तो गवर्नमेन्ट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये और यह ऐसा मतालबा है कि जिसके लिये हमें रुपया अवश्य ही मन्जूर करना चाहिये जबकि वहां की पब्लिक उसमें कोआपरेट कर रही है और उनके कोआपरेशन से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पब्लिक कोआपरेशन को वहां कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है और सैकड़ों और हजारों रुपया वह खर्च करने के लिये तैयार हैं। मगर इसके साथ ही साथ उनका मतालबा यह भी है कि सरकार को भी इसके लिये रकम देना चाहिये जहांतक प्रोपेगन्डा का सवाल है तो इसका होना भी आजकल निहायत जरूरी है मगर जो प्रोपेगन्डा इस वक्त किया जा रहा है वह सिर्फ अंग्रेजी जबान और हिन्दी जबान में ही किया जा रहा है वह उर्दू जबान में भी किया जाना चाहिये क्योंकि इस वक्त उर्दू जबान के प्रोपेगन्डा की भी जरूरत है और जैसा कि हमें इलेक्शन में भी मालूम हो चुका है। तो जिस तरह से प्रोपेगन्डा में रुपया खर्च किया जाता है तो उसमें उर्दू लिटरेचर भी होना चाहिये और उसकी जरूरत को हर एक महसूस करता है। मुझे आखिर में टैक्स की बाबत कहना था मगर मेरा वक्त खत्म हो गया।

श्री सरदार सन्तोष सिंह—श्रीमान् चेयरमैन साहब, मैं कल से एप्रोप्रिएशन बिल पर बहुत से मेम्बरों के ख्यालात हाउस में सुन चुका हूं इसमें अपने-अपने राय के मुताबिक ख्यालात जाहिर किये हैं और मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। एक बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट ने जो यह हाईड्रो-इलेक्ट्रिक स्कीम को अपने हाथ में लिया है तो यह एक बहुत अच्छा काम उसने देश के लिये किया है। हाईड्रो-इलेक्ट्रिक स्कीम और इन्डस्ट्रीज इन दोनों पर अगर खास तौर पर ध्यान दिया जायेगा तो हमारा देश जरूर ही उन्नति की तरफ बढ़ेगा। मैंने यह देखा कि सन् ५१-५२ के अन्दर गवर्नमेन्ट ने २६१ लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी पर लगाया इस साल गवर्नमेन्ट ने ३५० लाख रुपया इसके वास्ते किया है और इसके लिये उसने बजट में मंजूरी दी है। हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी के लिये गवर्नमेन्ट ८७,७०१ किलोवाट तैयार करना चाहती है और आज जिसमें से बहुत से पावर हाउस बन चुके हैं। आजकल थोड़े से पावर हाउस दिखलाई देते हैं। एक स्कीम जो कि ८ सौ किलोवाट की है वह तैयार की जा रही है और जो कि इस समय अन्डर एस्टीमेसन है। पथरी पावर हाउस में २०,४०० किलोवाट है और मोहम्मदपुर में भी इसी तरह से है और गोरखपुर में १० हजार है। तो इस तरह से पावर हाउस बनाये जा रहे हैं और इसी तरह से दूसरे जिलों में जैसे गोंडा, आजमगढ़ में भी पावर हाउस तैयार किये जा रहे हैं।

मगर मुझे यह कहना है कि पावर हाउस बनने चाहिये इससे मुल्क का फायदा है। मगर एक दम से सारी स्कीमें हाथ में ले लेना मैं कहूंगा कि गलती है। स्कीम ले लेना तो आसान होता है लेकिन उसे आखिर तक पहुंचाना मुश्किल है। मैं जानता हूं कि शारदा पावर स्कीम बहुत दिन से चल रही है और अन्डर कन्सट्रक्शन है। कहा जाता था कि सन् ५१ में बिजली मिल जायेगी लेकिन मेरा ख्याल है कि सन् ५४ से पहले वह तैयार न हो सकेगा। मैं यह नहीं कह सकता कि क्यों ऐसा हुआ। मेरा कहना तो सिर्फ यह है कि स्कीम बनाने से पहले एक्सपर्ट्स की राय ले लेना चाहिये। यह सही है कि स्कीम कागज पर बनती है लेकिन एक्सपीरिएन्स्ड आदमियों की राय नहीं ली जाती है।

इलिक्ट्रिसिटी बनाने के ३ तरीके होते हैं। एक तो हाइड्रो-इलेक्ट्रिक, दूसरा स्टीम और तीसरी आयल। हाइड्रोइलेक्ट्रिक से मुल्क का फायदा होता है और स्टीम में कोल का कनजम्पशन ज्यादा होता है और तीसरा तरीका आयल का है इसमें दूसरे मुल्कों का मुंह देखना पड़ता है क्योंकि आयल बाहर से मगाना पड़ता है और एजिन्स जो होते हैं वह भी ज्यादातर यूजफुल नहीं साबित होते हैं। इसलिये मैं गवर्नमेन्ट से यह विनती करूंगा कि आयल की सकीम कभी हाथ में नहीं लेना चाहिये, मेरा अपना ५० साल का एक्सपीरिएन्स है और पीलीभीत में, जहां का मैं रहने वाला हूं वहां पर आयल से बिजली बनाई जाती है मुझे तो इससे तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि मैं फैक्टरी में रहता हूं लेकिन शहर में मैंने देखा है कि वह कभी तो २४ घंटे में १० घंटे कभी ११ घंटे चलता है और मेरे ख्याल में वह पूरा वोल्टेज भी नहीं दे पाता है, इसलिये जो स्कीम आयल एंजिन की गोरखपुर में चलाई जा रही है उसको मैं कन्डेम करता हूं और अर्ज करता हूं कि आयल इंजिन पर ध्यान न दिया जाय।

अब रही इन्डस्ट्री की बात। इन्डस्ट्री पर मेरा ख्याल है सन् ५१-५२ में ५२ लाख १९ हजार रुपया गवर्नमेन्ट ने ग्रान्ट किया था अब सन् ५२-५३ में कुछ कमी है करीब साढ़े तीन लाख की। यह शायद इस वजह से है कि इस साल सरकार हाइड्रोइलेक्ट्रिक पर ज्यादा रुपया खर्च कर रही है। उसकी मैं शिकायत नहीं करता हूं लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि हमारा मुल्क इन्डस्ट्री के मामले में बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। मैं हाउस से यह कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो एक सुई तक बना सके। जिस मुल्क की ऐसी हालत हो वह मुल्क कतई कामयाब नहीं हो सकता है। लड़ाई से पहले हमारे मुल्क में कोई भी इंजीनियर ऐसा नहीं था जो एक सुई भी बना सकता था आप चाहे जितना वक्त उसको देते या चाहे जो कुछ करते।

[श्री सरदार सन्तोष सिंह.]

मैं आप से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हमारे मुल्क के अन्दर एक सुई नहीं बन सकती है तो इस मुल्क की इन्डस्ट्री का क्या हाल होगा। हमारी गवर्नमेंट को इन्डस्ट्री की निस्बत यह बातें सोचना चाहिए और एक्सपर्ट्स से राय लेना चाहिए कि इस मुल्क की इन्डस्ट्री कैसे बढ़ सकती है। मैं देखता हूं कि हमारे मुल्क में स्टील बनाने का कोई कारखाना नहीं है। कानपुर में लोहा बनाने के कई कारखाने हैं, मगर स्टील बनाने का कोई कारखाना नहीं है और न लोहे से स्टील बनाने का कारखाना है। टाटा का बहुत बड़ा फर्म है मगर वह भी स्टील नहीं बना सकता, न सेंट्रल गवर्नमेंट ने और न हमारे सूबे की गवर्नमेन्ट ने कभी इन चीजों की तरफ ध्यान दिया है। अगर इन चीजों को हम नहीं बना सकते तो हमारी कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। मैं इन बातों को इस वजह से रख रहा हूं कि हमारे बजट में जो कुछ रखा गया है वह बहुत ठीक है। मगर आयन्दा हम को इन्डस्ट्री की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर इन्डस्ट्री की तरफ न बढ़ेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। हमारे मुल्क का रुपया बाहर जायेगा और हमारा मुल्क कभी माला-माल न हो सकेगा।

कल यहां किसी साहब ने यह कहा था कि इस जगह यूनिवर्सिटीज और होना चाहिए उसके ऊपर डा० ईश्वरी प्रसाद साहब ने यह कहा कि जो प्रेजेन्ट यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं को चलाना चाहिए। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज से जो विद्यार्थी पास करते हैं वह क्या करते हैं ? वह बाहर निकल कर खाली बैठ जाते हैं उनको गवर्नमेन्ट सर्विसेज नहीं मिलती। उनमें कोई स्पेशलिटी नहीं होती जिसने डाक्टरी पास कर ली वह डाक्टरी में चला जाता है अगर गवर्नमेन्ट सर्विस मिल गई तो कर लिया नहीं तो बेचारे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मेरे ख्याल में इन लड़कों को पढ़ाने के वास्ते गवर्नमेन्ट को शुरू ही से टेक्निकल एजूकेशन देना चाहिये जैसा कि इंगलैन्ड, अमेरिका में लड़कों को तालीम दी जाती है। जब वह ६ साल के होते हैं तो मास्टर को कहा जाता है कि उनकी टेन्डेंसी नोट करें। यह लड़के किस चीज को बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से स्कूलों के लड़कों की टेन्डेंसी नोट की जाती है। प्रिंसिपल के पास उनका नोट जाता है। प्रिन्सिपल लड़कों के पेरेन्ट्स से कहता है कि तुम इनको फलां लाइन के अन्दर डालो। इसी तरह से हमारे स्कूलों की जो एजूकेशन है जैसे कि देहरादून पब्लिक स्कूल, ग्वालियर पब्लिक स्कूल, मद्रास पब्लिक स्कूल और शिमले में भी एक स्कूल है जिनको पहले गवर्नमेन्ट ने कायम किया था इसी तरह के और स्कूल भी कायम होना चाहिए। मेरे ख्याल में वह स्कूल भी पूरे नहीं हैं। मैं समझता हूं कि स्कूलों में ऐसी एजूकेशन होना चाहिए कि उनमें माडल प्ले, ड्राइंग, लोहार, बढ़ई, जुलाहे सभी के काम सिखाये जायें। सभी को टेक्निकल एजूकेशन होना चाहिए जिस से जब लड़के कालेज से बाहर जायें तो घर में कोई न कोई इन्डस्ट्री खोल दें। पढ़े लिखे लड़के इन्डस्ट्री ज्यादा अच्छी तरह से चला सकेंगे। लड़कों की एजूकेशन ऐसी होना चाहिए जिस से वह कुछ न कुछ अपनी जिन्दगी के वास्ते कमा सकें। आखीर में मैं गवर्नमेन्ट से अर्ज करूंगा कि वह टेक्निकल एजूकेशन की तरफ तवज्जह दे। अगर टेक्निकल एजूकेशन को बढ़ाया न गया तो मुल्क कभी भी खुशहाल न होगा।

बाकी मैं कुछ और अर्ज करना चाहता था। वह यह है कि यहां पर यह ख्याल था और डाक्टर साहब ने कल कहा था कि चोरियों का जोर बढ़ रहा है। कभी यहां चोरी होती है, कभी किसी जज के यहां चोरी होती है और इसका कारण हमारी एजूकेशन है जिसके कारण बेकारी बढ़ रही है। बेकारी की वजह से ही चोरियां हो रही हैं। हमारे मुल्क में आज कोई नौकरी के सिवा दूसरा तरीका जरियामाश का नहीं है। अगर टेक्निकल एजूकेशन हो जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत हद तक बेकारी दूर हो सकती है। आपको मालूम होगा कि पुराने जमाने में भी जो लोग

बाहर से यहां आये उन्होंने क्या लिखा है। चन्द्रगुप्त के जमाने में मेगस्थनीज आया था। उसने जो कुछ कहा है वह आपको मालूम है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे मुल्क में बेकारी उठाने के लिये क्या क्या साधन हैं और मेरा कहना है कि उन साधनों को जरूर काम में लाया जाय। इन्डस्ट्रियल एजूकेशन जरूर देना चाहिए और तभी इस मुल्क का भला हो सकता है। अगर लोग एजूकेटेड होंगे और साथ साथ इन्डस्ट्री की भी उनको जानकारी होगी तो जो काम बिना पढ़े लिखे लोग घन्टों में करते हैं वह काम पढ़े लिखे एक घन्टे में कर सकते हैं। मैं पढ़ा लिखा था और जब मैं दूसरे मिस्त्रियों के साथ काम करता था तो जिस काम में मिस्त्री दो घंटे लगाता था उसको मैं आधा घन्टे में कर लेता था। इसी वजह से मैं हमेशा फर्स्ट रहा हूं। इसलिए एजूकेशन के साथ साथ इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में खुशहाली पैदा हो और लोग तरक्की कर सकें।

*श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेई—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह देख रहे हैं कि इस सदन के सामने आज दो दिन से एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा चल रही है। यह एप्रोप्रिएशन बिल असेम्बली से पास भी हो चुका है इसलिये इसमें कुछ परिवर्तन हो भी जायेंगे, इस पर विचार करना एक असंगत बात है। फिर भी जैसी परिपाटी है उसको निवाहने की बात को नजर में रखते हुये मैं आपकी आज्ञा से दो एक बातें अपने माननीय वित्त मंत्री तथा शिक्षा मंत्री के सामने पेश करना चाहता हूं। बजट में बहुत सी बातें रखी गई हैं और यह एप्रोप्रिएशन बिल है। जो मदें हैं उनमें से मैं केवल ३ ही लूंगा एक रेवेन्यू दूसरी आबकारी और कमिशनर्स ऐन्ड जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन।

रेवेन्यू को लेते हुये मैं कुछ बजट फिगर्स आपके सामने पेश करना चाहता हूं। सन् ५०–५१ में मालगुजारी २ करोड़ २४ लाख थी सन् ५१–५२ में २ करोड़ २१ लाख हुई। सन् ५२–५३ में २ करोड़ २८ लाख होगी। सन् ५०–५१ में इकोनामी अवश्य हुई और इसके मुकाबले में सन् ५२ और ५३ की रकम को देखें तो हमको मालूम होगा कि ६.२० लाख मालगुजारी में फायदा हुआ।

अब आप आबकारी की रकमों को लें। सन् १९५०—५१ में ८३ लाख ९६ हजार का खर्च आबकारी पर हुआ। सन् १९५१–५२ में ८२ लाख १० हजार और सन् १९५२—५३ में ५१ लाख ३२ हजार का खर्च हुआ। इसको सन् १९५०—५१, ५१—५२ के मुकाबिले में देखें तो आप को मालूम होगा कि इसमें ६.२२ लाख की वृद्धि हुई।

अब आप कमिश्नरी और जिले के प्रशासन को लें। सन् १९५०—५१ में २ करोड़ ५३ लाख, १९५१—५२ में २ करोड़ ५० लाख, सन् १९५२–५३ में २ करोड़ ६१ लाख की रकमें दी गईं। यदि इसके अनुपात को लिया जाये तो आप देखेंगे कि कमिश्नरी और जिले के प्रशासन में १०.६५ लाख की बढ़ती हुई है। यदि इस १९५२—५३ की रकमों को १९५१–५२ की रकमों के मुकाबिले में देखें तो हमें मालूम हो जायेगा कि कहां पर इकोनामी कर सकते हैं। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि इन रकमों का दुरुपयोग किया गया है लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि क्या यह रुपयों का सदुपयोग किया जा रहा है। इन दोनों आंकड़ों को देखने से मालूम हो जायेगा कि २६ लाख की वृद्धि हो गई। इस वृद्धि में इकोनामी करें और उसको राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगायें तो अधिक फायदा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन दोनों रकमों में सन् १९५१—५२ के आंकड़ों के अनुपात से इकोनामी करते हुये राष्ट्र के निर्माण में वृद्धि कर दी जाये। मेरा पहिला सुझाव एप्रोप्रिएशन बिल के संबंध में यही है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी]

अब मैं थोड़ा सा शिक्षा के संबंध में कह देना चाहता हूं। पिछले साल ७ करोड़ ४० लाख की रकम इस संबंध में रक्खी गई थी। इस वर्ष वह रकम ८ करोड़ ११ लाख की हो गई है। इसमें जो वृद्धि हुई है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो मैं यह पूछता हूं कि क्या यह रकम वास्तविक रूप में रक्खी गई है। यह बात कही जा रही है कि शिक्षा में वृद्धि की गई है। पहिले जो लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें नहीं थीं उनकी आमदनी लड़ाई के जमाने में या लड़ाई के बाद कुछ बढ़ी और अब वह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इन विद्यार्थियों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर शिक्षा संस्थायें बढ़ानी पड़ीं। नये नये स्कूल और कालेज खुलते गये। जब हम इन बातों को देखते हैं तो ८ करोड़ ११ लाख की रकम के अन्दर जो ७० लाख की वृद्धि शामिल है उसको क्या हम वृद्धि कह सकते हैं। अनुपात की दृष्टि से इसमें बहुत कम वृद्धि हुई है।

प्राइमरी संस्थाओं को जो मदद मिलती है यदि उसके अनुपात को देखें तो जिस बात को मैं कह रहा हूं मैं समझता हूं इससे उसकी पुष्टि होगी। अब मैं बजट के कुछ आंकड़ भवन के सामने रखना चाहता हूं। शिक्षा का अनुदान टोटल एक्सपेन्डीचर सन् ५१–५२ में ७ करोड़ ४० लाख, सन् ५२–५३ में ८ करोड़ ११ लाख हो गया। सन् ५१–५२ में जहां ८.२ फीसदी मिलता था वहां सन् ५२–५३ में ८.७ फीसदी हो गया। आप देखेंगे कि जो वृद्धि हुई है वह केवल प्वाइन्ट्स में ही है। इससे आप अन्दाजा कहां तक लगा सकते हैं कि वास्तविक रूप में शिक्षा के लिये अधिक व्यय हो रहा है। अब रहा सेकेन्डरी इन्स्टीटयूशन्स और गवर्नमेन्ट स्कूलस की बाबत। गवर्नमेन्ट इन्स्टीटयूशन्स, जहां केवल १० फीसदी जनता को शिक्षा मिलती है वहां सन् ५१–५२ में ७६ लाख ३२ हजार और सन् ५२–५३ में ८३ लाख ३५ हजार खर्च हुआ। दोनों वर्षों में करीब करीब यूनिफार्म सा रहा। फीसदी में यह रकम १०.३ फीसदी सरकारी इन्स्टीटयूशन्स पर खर्च हुआ। अब गैर सरकारी इन्स्टीटयूशन्स जहां जनता ९० फीसदी शिक्षा ग्रहण करती है उनको सन् ५१–५२ में १ करोड़ १ लाख दिया गया सन् ५२–५३ में १ करोड़ ७ लाख उन पर खर्च हुआ। इस वृद्धि में भी कोई अधिक फर्क नहीं है। सन् ५१–५२ में जहां सरकारी स्कूलों में १० फीसदी लड़के शिक्षा पाते हैं उनपर १०.३ फीसदी खर्च हुआ और गैर सरकारी स्कूल्स जहां जनता ९० फीसदी शिक्षा पाती है वहां कुल १३.८ फीसदी ही खर्च हुआ। दोनों का अनुपात अगर देखा जाय तो क्या यह संतोषजनक है। एक तरफ कहा जाता है कि स्टैन्डर्ड गिर गया स्कूल्स में डिसिप्लिन नहीं रह गया तो इसके मुताल्लिक तो मैं कुछ यहां इस वक्त नहीं कहना चाहता सिर्फ अपने शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि शिक्षा के लिये यदि और मदों में इकोनामी करके इसको एप्रोप्रिएट किया जाय तो बहुत अच्छा होगा अब आप प्राइमरी शिक्षालयों पर आइये। सन् ५१–५२ में ३ करोड़ ५२ लाख और सन् ५२–५३ में ३ करोड़ ८२ लाख रुपया खर्च हुआ। इस तरह से यदि आप देखें तो पता चलेगा कि सन् १९५१–५२ में ८४.९ फीसदी खर्च किया गया था और सन् १९५२–५३ में ८७.३ फीसदी ही खर्च हो रहा है। जरा सोचने और समझने की बात है कि सरकार चाहती है कि प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिये लेकिन जितना खर्चा आप करते थे उसे बजाय आप बढ़ाने के कम कर रहे हैं और इस तरह से इसमें १.६ फीसदी की कमी हो गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप से फिर यही अनुरोध करना चाहूंगा, मैं आप का तथा सदन का वक्त- खराब करना नहीं चाहता कि प्राइमरी स्कूल के अध्याकों को महीनों तनख्वाह नहीं मिलती है और हाई स्कूल के मास्टरों को महंगाई और दूसरी सुविधायें बहुत कम हैं। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री तथा शिक्षा मंत्री के सामने यह रखना चाहूंगा कि जिन मदों में इकोनामी हो सके, की जाय। मगर शिक्षा में इकोनामी नहीं

करना चाहियें बल्कि दूसरी मदों से बचाकर इसमें खर्च किया जाना चाहिये क्योंकि शिक्षा एक खास चीज है और अगर आप चाहते हैं कि योग्य लड़के स्कूलों और कालेजों से निकलें जो दूसरे राष्ट्रों के सामने अपना सर ऊंचा करके बैठ सकें, अपने राष्ट्र को ऊंचा बना सकें तो आप को पहले अध्यापकों को संतुष्ट करना होगा। इससे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और आप के देश का भविष्य उज्ज्वल हो सकेगा।

*श्री पन्ना लाल गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दो एक बातें आप के जरिये सरकार से अर्ज करनी हैं। पहली बात यह है कि हमारी खादी योजना पर जो रुपया पिछले दो तीन सालों में खर्च किया जाता था उस पर इस साल के बजट में कमी कर दी गयी है। अगर रुपया कम कर दिया जाता तो कोई बात नहीं थी मगर इसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूं कि सरकार की तवज्जह इसकी तरफ कम होती जा रही है हमारी कांग्रेस और महात्मा गांधी का खास ध्येय खादी उत्पादन ही था। मगर आज हम देखते हैं कि खादी भंडारों में खादी के ढेर के ढेर लगे हुये हैं कोई खरीदार नहीं है। वजह क्या है? सरकार के आर्डर्स होते हैं कि खादी का महत्व अधिक से अधिक हो। अगर आप माफ करें तो मैं कह दूं कि आज सेक्रेटेरिएट में आप देखें यहां के कमरों के दरवाजों पर कुर्सियों में सोफा सेट और मिनिस्टरों के गद्दे और चद्दर सब मिल के कपड़े के ही आप को मिलेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह से खादी योजना को सरकार कैसे चलायेगी। अगर इसको प्रथम स्थान देना है तो इसको खुद मिनिस्टर लोग प्रथम स्थान दें।

इस तरह के हमारे आफिसर हैं। मिनिस्टर के बंगले पर भी हम देखते हैं कि उन का सारा बंगला मिल के कपड़े से सजा हुआ है। वहां पर पर्दे से लेकर सोफा सेट तक सब मिल के कपड़े का है। इसी कारण से जब आप के आर्डर उनके पास खादी के इस्तेमाल के लिए जाते हैं तो वह उनकी परवाह नहीं करते हैं। आपके बंगले की सजावट और आप के आफिस की सजावट मिल के कपड़े से होती है खादी के कपड़े से नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से सरकार से निहायत अदब से यह अर्ज करूंगा कि आज वह अपने रहन-सहन और बंगलों की सजावट में खादी को प्रथम स्थान दे। अगर आप खादी को प्रथम स्थान नहीं देते हैं तो आपकी योजना कभी सफल नहीं हो सकती है। हमको चाहिए जहां तक हो सके हम खादी का ही इस्तेमाल करें। अक्सर यह भी देखने में आया है कि बाज लोग खादी के कपड़े तो पहनते हैं लेकिन जब उनके घर पर जाकर देखो तो मिल का ही कपड़ा नजर आयेगा। हमारी सरकार आफिसरों को यह आर्डर दे कि वह खादी को प्रथम स्थान दें। अगर वह खादी को प्रथम स्थान नहीं दे सकते तो कम से कम खादी को चौथा और पांचवां स्थान तो दें। दूसरी बात जो मैं आपके जरिये से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जो खादी वर्दी के रूप में आती है उस को आफिसर को जरूर पहनना चाहिए। मैं बहुत अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम इस हाउस में सन् ३७ से हैं लेकिन फिर भी आज सन् ५२ तक हम खादी को अधिक प्रचलित नहीं कर पाये हैं। अगर हमारे यहां की कोई प्लानिंग स्कीम वगैरह होती है और हमारे आफिसर देहातों में जाते हैं तो हैट और कोट पतलून में जाते हैं। उनको देख कर देहात वाले बिचक जाते हैं। जैसे लोग सांप की फुफकार से डरते हैं वैसे ही देहात वाले इन से डरते हैं। अगर यह लोग वहां खादी के कपड़े पहन कर जायें तो वह लोग इनको अपना एक भाई समझें। इन लोगों के दिल में एक सेवक की भावना नहीं होती है बल्कि आफिसरी की भावना को ले कर यह लोग देहात में जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब से आपके जरिये से सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें ऐसे तौर तरीके और तरजेअमल को इस्तेमाल करना चाहिए

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री पन्नालाल गुप्त]

और ऐसे आर्डर को जारी करना चाहिए जिससे लोगों के दिलों में खादी पहनने की भावना अधिक पैदा हो। कोट पतलून की जगह लोग कुरता और धोती में नजर आयें तो अधिक अच्छा होगा। अगर विलायती सरकार यहां पर आ कर यहां के तौर तरीके को बदल सकती है तो यह सरकार भी उन अंग्रेजी तरीकों को बदल सकती है।

इसलिये मैं सरकार से आपके जरिये अध्यक्ष महोदय, बड़े अदब से यह गुजारिश करूंगा कि जरा उसको सुधारें और अपने बंगले और कम से कम इस सेक्रेटेरियेट के ठाट-बाट में खादी का इस्तेमाल करायें। दूसरी चीज, यहां के जितने चपरासियों की वर्दी है वह भी मैं खादी की नहीं देखता, तो अगर सरकार को खादी को प्रथम स्थान देना है तो कम से कम चपरासियों की जो वरदी है वह खादी की हो। इसके अलावा आफिसर अपने बंगलों में या अपने मकानों में खादी को प्रथम स्थान दें। तब मैं समझता हूं कि हर आफिसर आपके आर्डर की कदर करेगा वरना आप जो आर्डर देते हैं उसे उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है।

दूसरी बात मैं सिंचाई पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूं आज सिंचाई की हालत बहुत ही खराब है। अपने ही जिले की बात मैं कहता हूं मैंने अपने जिले में देखा है कि जब वहां सूखा हो तो नहरों में भी पानी नहीं मिलता और जब बरसात शुरू हो जाती है तब नहरें भी खूब पानी देना शुरू कर देती हैं और खेतों में पानी की भरमार होती है। लेकिन जब सूखा होता है तब अगर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को और दूसरों को कहा जाय या जिलेदार साहब से कहें तो कहते हैं पानी नहीं है। मगर जिस वक्त परमेश्वर पानी देता है और बरसात शुरू होती है तो हम देखते हैं कि महीने दो महीने पानी बहता रहता है और धान की फसल में पानी भरा रहता है मगर जब उनको जरूरत होती है तब पानी का कोई इंतजाम नहीं रहता। जहां ग्रो मोर फूड कम्पेन की बातें होती हैं वहां मैं देखता हूं कि काफी तादाद में आपके बम्बे और नहर इस पर लगाये गये थे मगर उनको मुश्किलात होती है। ईख सूख जाती है, कपास सूख जाती है, आपके बम्बे और नहरों के ऊपर उस वक्त पानी नहीं मिलता और उन सब की बड़ी बुरी हालत हो जाती है। जो आपके पतरौल होते हैं वह एक दफा काश्तकार को नहर का पानी दे देते हैं और फिर दुबारा अगर वह पानी मांगता है तो उसको पानी नहीं मिलता और यही हालत रबी में रही है। पहले तो रबी के लिये काफी पानी मिल जाता है मगर जहां फिर अक्तूबर और नवम्बर का महीना शुरू होता है उस वक्त दिसम्बर के एक दो हफ्ते के बीच में नहरों की हालत खराब रहती है और उनमें पानी नहीं मिलता।

एक चीज मुझे और कहना है चूंकि लाल रोशनी जल गई है इसलिये मैं दो ही मिनट में खत्म करता हूं जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो सरकार सेल्स टैक्स लगाने जा रही है मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि सेल्स टैक्स कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है लेकिन उसके वसूल करने का जो तरीका है वह बहुत गलत है। मैं देखता हूं कि सेल्स टैक्स आफिसर जो हैं वह कायदा नहीं देखते हैं और अपने मनमाने तरीके से सेल्स टैक्स लगा देते हैं। वे कागजात नहीं देखते और ना ही पूरे तरीके उसकी छान-बीन करते हैं। इसके मुताल्लिक सेल्स टैक्स देने वाले को कभी-कभी मालूम भी नहीं होता और इस तरह से उसके पास कुर्की और डिग्री आ जाती है। इसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। बाज-बाज जगह हम देखते हैं कि सेल्स टैक्स एक एक जगह नहीं पांच छः जगह से वसूल किया जाता है। जहां हम यह देखते हैं कि जनता जो सेल्स टैक्स देती है वहां मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं कि सेल्स टैक्स देने वाले हिसाब की बहियां अलग रखते हैं और सेल्स टैक्स की अलग। इस तरह से वे लोग जनता से सेल्स टैक्स वसूल कर लेते हैं मगर अपनी

आमदनी १५ हजार से कम बहियों में दिखाते हैं तो आपको सेल्स टैक्स का इन्तजाम ठीक तरह से करना होगा। सेल्स टैक्स लिया जाय लेकिन एक तरीके पर लिया जाय नहीं तो वह गरीबों से ले लेते हैं और अपनी बही में दूसरा ही हिसाब रखते हैं। मेरा निवेदन हैं कि सरकार इसका ध्यान रखे इतना ही कहकर मैं अन्त में क्षमा चाहता हूं।

श्री राम किशोर रस्तोगी—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं एप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में विशेष कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि जो धनराशि वित्त मंत्री ने रक्खी हैं वह बहुत सोच समझकर रखी हैं। अतः इस सिलसिले म कुछ ज्यादा कहने की गुंजाइश भी नहीं है। बस देखना यह है कि जो धनराशि मिलती हैं उनको जिस नजरिये से हम देखते हैं उसके अनुसार जिन मदों के लिये वे रक्खी गई हैं उनमें इनका दुरुपयोग तो नहीं होता है। मैं इस सिलसिले में विशेष अर्ज करना नहीं चाहता हूं क्योंकि हमारे मंत्रियों ने पिछले कई सालों से बजट पेश किये और उसमें उनको कामयाबी भी मिली। अतः उन्होंने तो आजकल की परिस्थिति देखकर जिस किस्म का बजट पेश किया है, उसमें कुछ ज्यादा कहने की गुंजाइश भी नहीं है। अब हमारा देश आज आजाद हो गया है तो हमारे लिये यह लाजिमी है कि हम स्वतंत्रता के बाद ऐसी चीजों को जो कि हमारी जरूरतों से सम्बन्ध रखती हैं प्रथम लें और यह भी देखें कि उन मदों में हम ठीक तरह से उपयोग करते हैं या नहीं। जहां तक धनराशि का सम्बन्ध है उनके विषय में तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन हमें यह जरूर देखना चाहिये कि जो धनराशि हम खर्च करने जा रहे हैं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। वरना हमारी ये रकमें जो जनता के द्वारा टैक्स से वसूल की जाती हैं विरोधी पार्टी के लिये आलोचना का एक मौका ला देगी। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को हुकूमत को ठीक ढंग से चलाने के लिये भी यह देखना आवश्यक होगा कि उनकी धनराशि का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है और जिनके लिये यह सब खर्च किया जा रहा है वह ठीक ढंग से उपयोग में लाया जा रहा है या नहीं। क्योंकि आज हमें देश के युवकों की बेकारी को दूर करना है। हमारे देश से भुखमरी दूर नहीं होती जिसके उपचार के लिये भी हमें कुछ करना होगा और सरमायेदार से गरीबों का शोषण बन्द करना होगा।

धनराशि कहां कितनी रखी है इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां जो भी उपस्थित किया गया है वह निरानिर यथोचित है। किन्तु मैं छोटा सा एक सुझाव शिक्षा के सम्बन्ध में रखना चाहता हूं। आज हमारी यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों के बारे में कहा जाता है कि उनमें डिस्पिलिन नहीं हैं उनमें सच्चरित्रता नहीं है और उनकी शिक्षा का स्टैन्डर्ड बहुत गिर गया है। यह सही हो सकता है लेकिन इसका बुनियादी कारण क्या है। इसका कारण यह है कि जो शिक्षा नवयुवकों को दी जाती है उस शिक्षा से बेकारी फैलती जाती है नौकरी नहीं मिलती। हमें उन्हें ऐसी शिक्षा देनी है जिससे कि वह कुछ रोजगार अथवा कारीगरी करके अपनी जिन्दगी को चला सकें और इसी आदर्श को सामने रख कर शिक्षा में भी परिवर्तन करना चाहिये।

मैं समझता हूं कि वह शिक्षा सही शिक्षा कहलाने वाली नहीं है जैसे स्कूल्स के पास करने के बाद हमारे विद्यार्थी दर दर के भिखारी बनें या दफ्तरों में अपलीकेशंस देते फिरें हैं और उनको सामने नो वेकेन्सी का बोर्ड मिलता है। आप जानते हैं उस समय उनको कितना निरुत्साह होता है। जिस डिग्री को पा कर वह फूले नहीं समाते, देवी-देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं वही जब बेकारी से परेशान होते हैं तो उनको कितनी निराशा होती है। वह कभी शिक्षा को दोष देते हैं और कभी अपने भाग्य को कोसते हैं। सही बात तो यह है कि शिक्षा प्रणाली में ही दोष है जिससे वह बेकार होते हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार पर है। श्रीमान् जी, इस सम्बन्ध में मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जिस तरह से हो सरकार शिक्षा प्रणाली में तब्दीली करे और ऐसा वातावरण पैदा करे कि हमारे युवकों के खाने-पीने, उनकी रोजी और व्यापार का हम बन्दोबस्त रखते

[श्री रामकिशोर रस्तोगी]

हैं या नहीं, अगर नहीं रखते हैं और हम इतना ही करते हैं कि वह स्कूल में जायं और डिग्री प्राप्त करें या ऐसी एजूकेशन हो जिसमें वह मार्क्स प्राप्त कर के पास कर लें और उसके बाद बेकारी का शिकार हो जाय तो मैं अर्ज करूंगा यह कोई ऊंचा आदर्श नहीं है। हमें यह चाहिये कि उनके लिये ऐसा कोर्स रखा जाय जिसमें सबसे पहली बात यह हो कि यह बेकारी से बच सकें और इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। हमारे अन्य सम्मानित सदस्यों ने विद्यार्थियों के डिसिप्लिन के बारे में चर्चा की है। इसमें भी मैं कहूंगा कि हमारा दोष है। मैं देखता हूं कि प्रारम्भ में जब एक बच्चा पढ़ने जाता है तो हम यह करते हैं कि उसको छोटी सी उम्र में स्कूल में भरती करा देते हैं और हमारी सरकार ने भी कम्पलसरी ट्रेनिंग खोल दी है इसलिये एक तो यह कि घर में वह बच्चा परेशान न कर सके और घर के दूसरे कामों में रुकावट न पैदा कर सके, इसलिये उसको स्कूल में भेज दिया जाता है। बाद में जब बड़ा होकर बी० ए० और एम० ए० पास करके निकलता है तो उस पर जो बचपन की छाप पड़ चुकी होती है वह उसमें से नहीं निकलती है। प्रारम्भ में ही हम उसे बतायें कि अदब क्या है, तहजीब क्या है, बड़े आदमियों से कैसे बातचीत की जाती है, कैसे चला जाता है, यह सब शिशु शिक्षा में शुरू से ही प्रचार किया जाय तो कहीं ज्यादा अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूंगा कि डिग्री कालेज को खोलना हर आदमी चाहता है। आज स्कूल खुले तो वह कल गवर्नमेन्ट से ऐड के लिये कहता है और फिर जनता से चन्दा मांगता है और उसे जल्द से जल्द डिग्री कालेज बनाना चाहता है। लेकिन मैं सम्मानित सदस्यों से यह कहूंगा कि नागरिकों में इस बात की जागृति पैदा करें कि वह ऐसे स्कूल खोलें जिसमें शिक्षा प्रारम्भिक किंडरगार्टन बच्चों को दी जाय और उनमें देश-प्रेम के उच्च विचार पैदा किये जायं। इस तरह से शिक्षा प्रणाली में तब्दीली की जाय, उनमें एक उच्च आदर्श की भावना हो और उन्हें यह शिक्षा दी जाय कि कैसे अदब किया जाता है, किस तरह से बैठा-उठा जाता है, कैसे बातचीत की जाती है। यदि ऐसा किया जाता है तो हमारा देश ऊंचा उठेगा और दूसरे मुल्कों के सामने हम बड़े अदब के साथ यह कह सकेंगे कि हमने जो शिक्षा दी है वह सही तरीके की दी है।

दूसरी चीज जो मैं शिक्षा के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि हमारी आज की जो शिक्षा है वह अधूरी है। एक तरफ मैं देखता हूं कि वह ऊंची से ऊंची शिक्षा चन्द लोगों की ही है और आगे चल कर उनको बेकारी का शिकार होना पड़ता है या उनकी शिक्षा ऐसी होती है कि वह नौकरी करते हैं या किसी दफ्तर में वह अपने आप को बेच देते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि सारी जनता ऐसी है जो अपने हस्ताक्षर तक करना नहीं जानती है। मैं नहीं समझता हूं कि यह कहां तक उचित अन्तर है। आज जरूरत इस बात की है कि हम एक ऐसा आदर्श रखें, एक ऐसा स्टैन्डर्ड रखें और उनको इस योग्य बना दें कि उनमें पढ़ने लिखने के बाद इतना ज्ञान पैदा हो जाया करे कि वह अपने ज्ञान को प्रकाशित कर सकें। जो शिक्षा दी जाय उसमें इस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। यह न किया जाय कि स्कूल्स खोल दिये जायं और उनका प्रबन्ध तक ठीक तरह से न हो जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है।

हम देखते हैं कि इतने स्कूलों की जरूरत नहीं यदि हम इन मास्टरों को पेट भर खाना नहीं दे पाते। अगर आप लखनऊ शहर के ही अन्दर देखेंगे तो पायेंगे कि मास्टरों की क्या दशा है। आप के चपरासियों तथा जी हुजूरी करने वालों और पलटन की ड्रेसेज में जितना रुपया खर्च होता है उतना रुपया तो मास्टरों को नहीं दिया जाता। मैं कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ऊंचे ढंग का ऐडमिनिस्ट्रेशन चले तो ऊंचे से ऊंचे अफसरों के भत्ते की भी लिमिटेशन कर दीजिए और छोटे कर्मचारी जो दिमागी व शारीरिक मेहनत करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाइये। उनमें संतोष पैदा कीजिए।

मुझे कहना तो बहुत कुछ था मगर मुझे भय लगता है इस लाल गोले से। मैं पुलिस के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। लखनऊ में पुलिस की तरफ से जनता में असंतोष था। लेकिन जब से एस० एस० पी० ओंकार सिंह आये हैं तब से कुछ जनता संतुष्ट है। अगर इसी तरह से जल्दी जल्दी बदली की जाये तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है।

टैक्सेशन के सिलसिले में तो मैं बाद में अर्ज करूंगा। एक बात मैं किसानों के सिलसिले में भी अर्ज करना चाहता हूं। जिस तरह टाईफाइड का मरीज जब बहुत दिन के बाद ठीक होता है तो उसकी बहुत तीमारदारी की जरूरत होती है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं किसानों के सिलसिले में कि जब जमींदारी विनाश के बाद उनका बोझ हलका हुआ है तो जरूरत है कि सरकारी अहलकारों की सख्त निगाहों से उनको बचाया जाये। मैं अर्ज करूंगा चेयरमैन महोदय, कि अफसरों के ऊपर सख्त निगाह रखी जाए जिस से वह किसानों से गलत फायदा न उठा सकें।

[कौंसिल की बैठक १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गई और पुनः दो बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।]

*श्री हयातउल्ला अंसारी—जनाब डिप्टी सदर साहब, जहां तक बजट का ताल्लुक है उसको मैंने कई बार पढ़ा भी है उसके मुख्तलिफ आइटम्स पर गौर भी किया है। बजट तो मुझे ऐसा नजर आता है कि मुसीबतों के काटने का एक रास्ता है। तो जब तक हम कुछ पैसा न जमा करें तब तक कल के लिये कुछ हम बचा नहीं सकते हैं इसलिये टैक्स का बढ़ाना कोई बेजा बात नहीं है। इसके बाद यह सवाल रहता है कि मुख्तलिफ आइटम्स के लिये जो रकमें रखी गई हैं वह कहां तक मुनासिब हैं और कहां तक नहीं हैं इसके लिये कुछ एख्तलाफ हो सकता है। लेकिन अपोजिशन के किसी मेम्बर ने इस बात पर एतराजात नहीं किया है। जो कुछ भी एतराजात किये गये हैं वह छोटी-छोटी बातों पर किये गये हैं। एक साहब ने कहा कि यह जनता का बजट नहीं है इसलिये कि इसमें जनता के ऊपर टैक्स लगाया गया है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह जनता का बजट है इसलिये कि अगर टैक्स न लगाया जाता तो जनता की भलाई के काम कैसे किये जा सकते हैं। यह तो एक मुख्तसर सी बात हुई जिसको मैंने अर्ज किया।

लेकिन मैं इसके अलावा चन्द बातें और कहना चाहता हूं। मैं खासतौर पर इस वजह से खड़ा हुआ हूं कि हमारे विद्यार्थियों का अखलाक क्यों बिगड़ रहा है? हमारे यहां के एजूकेशन के एक्सपर्ट्स ने सारा इल्जाम विद्यार्थियों पर डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि हम फिर पुरान उसूल पर जायेंगे कि जो कुछ गलती करता है या कसूर होता है वह सब विद्यार्थी ही करता है। मगर मेरे ख्याल में यह बात ठीक नहीं कही जा सकती है। इसमें विद्यार्थियों की ही गलती नहीं है बल्कि टीचर्स की भी गलती है तालिबइल्म कुछ तो टीचर्स से सीखता है और कुछ एजूकेशन से। जो टीचर का कैरेक्टर होता है वही विद्यार्थी भी सीखता है। उस पर टीचर के अखलाक का बहुत बड़ा असर पड़ता है। यह अफसोस की बात है कि इधर कुछ दिनों से हमारे टीचर्स का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है और वह सही बात नहीं बता सकते हैं। असल चीज जो उनमें अब भर गई है वह है फिरकावारियत की तहरीक। सन् १९४७ के बाद टीचर्स और चीजों को भूल गये हैं। एक तरफ तो टीचर्स मानते हैं कि यह जो दुनियाबी हुकूमत है वह सेकुलर स्टेट है दूसरी तरफ वह बिलकुल अलग बातें करते हैं। उर्दू के सिलसिले में जब मैंने दरियाफ्त किया तो मुझे मालूम हुआ कि टीचर्स का कैरेक्टर बिलकुल ही बिगड़ा हुआ है। टीचर्स सिखाता है कि हम कहें कुछ और करें कुछ। मैंने बेसिक एजूकेशन के सिलसिले में देखा कि जिन बच्चों की मदर टंग उर्दू थी वह काट कर हिन्दी कर

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हयातउल्ला अंसारी]

बहाने बना कर उनको उर्दू पढ़ने से रोका गया दी गई और किसी तरह के मुख्तलिफ बहाने बना कर उनको उर्दू पढ़ने से रोका गया और जब बातें हुई तो यही कहा गया कि इसका बहुत बड़ा भार कम कर दिया गया है। यह एक मिसाल नहीं बल्कि ऐसी और कई मिसालें हैं। फिरकावारियत दिन ब दिन बढ़ रही है। आपको यह मालूम होना चाहिये कि अगर मां बच्चे से चोरी करने को कहे तो बच्चा चोर बन जायगा। इसी तरह से टीचर्स भी आज सिखा रहे हैं। वह सिखाते हैं कि हम कहें कुछ और करें कुछ। वह समझते हैं कि हमने उर्दू को पढ़ने से रोक कर नेशन की बड़ी ख़िदमत की है। अब जब यह वबा फैलती है तो हम गाली देने लगते हैं। हमको देखना चाहिये कि हमने क्या किया, लड़कों को सिखाया जाता है कि वह उर्दू से नफ़रत करें। वह उर्दू शेर से नफ़रत करने लगते हैं। क्या उर्दू में अच्छे ख्यालात नहीं हैं। उनको यह बतलाया जाता है कि यह बुरी चीज है क्योंकि उसमें फ़ारसी अल्फ़ाज़ हैं। जैसे ग़ालिब का एक शेर है कि "न था मैं तो खुदा था, न होता मैं तो क्या होता।" क्या अच्छे ख्यालात थोड़े से अल्फ़ाज़ में जाहिर किये गये हैं। लेकिन क्या वह सिर्फ इसलिये नफ़रत करने की चीज़ है कि उसमें कुछ अल्फाज़ उर्दू के शामिल हैं। यह नहीं देखते हैं कि उसमें कितनी अच्छी फिलासफ़ी है। फिर आप उर्दू पर क्यों एतराज़ करते हैं। हर बच्चा चाहता है कि मैं अच्छा बनूं लेकिन वह अच्छा बन नहीं पाता है। मुझे यक़ीन है कि हर तालिबइल्म अच्छा बनना चाहता है और वह चाहता है कि वह मुल्क की ख़िदमत करे लेकिन वह वैसा बन नहीं पाता है। चोर तो उनके दिल में होता है। वह बच्चों को खुल कर कुछ कहने नहीं देते हैं। बच्चा जो चाहता है उसको खुलकर कहने दीजिये उसको डंडे की धमकी से और डांट कर रोकिये नहीं। उनको हेपोक्रेट न बनाइये, जो कहता कुछ है और करता कुछ है।

दूसरी चीज जिसकी बाबत मैं इशारा करना चाहता हूं वह घरेलू सनातों के बारे में है। मुझे कुछ ऐसा नज़र आता है कि हमारी जो सनतें हैं वह मिटती जा रही हैं। मिसाल के तौर पर मुरादाबाद के बर्तनों की इंडस्ट्री को लीजिये। वहां पर लाखों आदमी इस पर गुज़र करते हैं। यह सनत ऐसे ज़माने में तरक्क़ी पर था जब कि चीनी के बर्तन यहां पर बहुत सस्ते मिलते थे और बहुत अच्छे आते थे। लेकिन आजकल जबकि चीनी के बर्तन यहां पर बहुत ख़राब क़िस्म के आते हैं और बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं उस वक्त यह बर्तनों की सनत ख़राब होती जाती है। इसकी वजह यह है कि उनको कच्चा माल नहीं मिलता है। उनकी दुश्वारियां उसको ख़त्म करती जाती हैं। गवर्नमेंट चाहे तो उनको दूर कर सकती है। मैं चाहता था कि मुरादाबाद की सनत को गवर्नमेंट मदद दे। बनारस और टांडा की कपड़े की सनत कम होती जाती है। हालांकि यहां पर कपड़े की कमी है लेकिन यह सनत कम होती जाती है। इसकी वजह यह है कि उनको कच्चा माल नहीं मिलता है, परमिट नहीं मिलता है। रेशम पर टैक्स लगा हुआ है। तो टक्कर देने पर तो तरक्क़ी नहीं हो सकती है। जब सोने का भाव कुछ गिरा तो कलाबत्तू वालों ने तै किया कि कलाबत्तू का दाम न गिराया जायेगा। नतीजा यह हुआ कि ज़री का काम नहीं बढ़ा। कुछ सनतें तरक्क़ी कर रही हैं लेकिन गवर्नमेंट उस पर तवज्जह नहीं करती है। बनारस में मैंने देखा कि महीन जाली का काम बड़ा अच्छा होता है। यह जाली पेट्रोल वगैरह छानने के काम में आती है। उसकी फरोख्त भी होती है। योरुप में जाली मशीन के ज़रिये से बनती है। उसमें एक इंच में १८० छेद होते हैं। यहां पर इन्होंने जाली बनाई है, उसमें १७५ छेद होते हैं। फिर उन्होंने बतलाया कि उनके सामने क्या दिक्क़तें हैं। परमिट नहीं मिलता है। शायद गवर्नमेंट को मालूम नहीं है। यह इतनी बड़ी सनत क़ायम हो रही है। आप पहिले अपनी पुरानी सनतों को मदद दीजिये। आप नई नई सनतें क़ायम कर रहे हैं। मिर्ज़ापुर में गवर्नमेंट ने एक रंग का कारखाना खोला है। इस रंग के कारखाने में कितने आदमियों की खपत हो सकती है। मुश्किल से १००, २००। लेकिन कपड़े के कारखानों में पचासों लाख आदमी खप सकते हैं और उनकी रोज़ी चल सकती है। इसलिये मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जो हमारी मौजूदा सनातें हैं उनकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिये कि उनमें

कितनी तरक्की की गुन्जाइश है। मैं तो समझता हूं कि जैसे शुगर के लिये आपने यू० पी० और बिहार में इन्तज़ाम किया है वैसे ही सनतों को जो बनारस के रेशमी कपड़े के हैं या मुरादाबाद के बर्तन हैं उनका भी ऐसा इन्तज़ाम हो कि वह सारे देश को सप्लाई करें जिससे कपड़े का और बर्तन का प्रोडक्शन भी बढ़े और साथ ही साथ क्वालिटी भी अच्छी मिले और चीप मिले। मैंने मिश्र के आसमान होटल में देखा वहां बनारस की बनी साड़ियां लगी हुई थीं और योरुप के लोग आते थे और जिस साड़ी के यहां दाम मुश्किल से ५० रु० होगा उसका वह १५०, २०० रु० देकर ले जाते थे और उसको अपने यहां करटेन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। यह चीज़ें हैं जिनकी तरफ़ तवज्जह देने की ज़रूरत है।

श्री लाल सुरेश सिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इस भवन में बजट के ऊपर काफ़ी वाद-विवाद हुआ और दोनों ओर से काफ़ी विचार विनिमय भी हुये। दोनों ओर के विद्वानों ने अपने विचार प्रकट करते हुये इस विषय पर इतना प्रकाश डाला है कि अब और अधिक कहना शेष नहीं रह जाता है। फिर भी एक बात की ओर मुझे सरकार का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित कराना है। स्थानीय संस्थाओं के बारे में जिनका एक प्रतिनिधि हो कर मैं यहां आया हूं और जिनके प्रतिनिधियों से हाउस का एक-तिहाई हिस्सा बना है, उनकी जितनी शोचनीय हालत हो गई है वह आपसे छिपी नहीं है। हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है फिर भी हमारी स्थानीय संस्थाओं की हालत इतनी शोचनीय है जिसको देखकर शर्म से सिर को झुकाना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड आज भी अवनति की ओर जा रहे हैं। अपने इलेक्शन के सिलसिले में जब हम लोगों को अपनी कांस्टीटुएंसीज़ में जाना पड़ा तो वहां की हालत देखकर यही पता लगता है कि वहां किसी ज़माने में पक्की सड़क ज़रूर रही होगी, मगर अब तो वह कच्ची सड़क क्या कच्चे रास्ते से भी बदतर हो गई है। हमने उनसे कहा था कि हम सरकार में जाकर आपके दुख को सरकार के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी उन्नति हो। खैरियत यह है कि अमरीकनों ने जीप गाड़ियां यहां भेज दीं जो सब ऊंची-नीची जगहों में चली जाती हैं नहीं तो आज देहातों में जाना दुश्वार हो जाता। वहां शिक्षा की यह हालत है कि वहां के अध्यापक हमारे लिए एक पहेली बने हुए हैं, वह किस प्रकार हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं और दस-दस महीना भूखे रह कर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए वह पहुंच जाते हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि इसमें क्या रहस्य है। इन्हीं अध्यापकों द्वारा आज जो शिक्षा दी जा रही है उसी पर हमारा भविष्य बनने जा रहा है। मैं अध्यापकों को धन्यवाद देता हूं कि टूटी-फूटी इमारतों से हटा कर पेड़ों के नीचे आज वे पढ़ा रहे हैं नहीं तो रोज़ाना हमें खबर मिलती कि फलां जगह का स्कूल गिर गया और इतने बच्चे मर गये। हमारे पूज्य साथी डा० ईश्वरी प्रसाद जी ने बहुत ही विस्तार से इसके संबंध में बताया है उससे ज्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। देहात में मवेशीखानों की वह हालत है, जो कही नहीं जा सकती। उनके खन्डहर तो ज़रूर मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वहां मवेशीखाने ज़रूर थे मगर जानवरों की हिफाज़त की ज़िम्मेदारी उनके मुन्शी लेने को तैयार नहीं होते। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे अध्यक्ष लोग जो इस समय इन संस्थाओं के अध्यक्ष हैं या जिनके हाथ में वहां का कार्य है वे अयोग्य हैं या वे काम नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आर्थिक कठिनाइयां उनके सामने कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से आज वे कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी बग़ैर पैसा के बेकार हो जाते हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि वह शीघ्र से शीघ्र ऐसा प्रबन्ध करे कि उनकी हालत सुधर जाय। इस संबंध में मैं यह सुझाव पेश कर रहा हूं कि ज़मींदारी उन्मूलन के सिलसिले में जो बड़ी-बड़ी बाज़ारें ज़मींदारों से सरकार अपने हाथ में ले रही हैं उन्हें वह शीघ्र से शीघ्र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में दे दे तो उनका बोझ कुछ हलका हो जाय।

श्री तेल्लू राम—माननीय अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर अनेक विचार सुनने के बाद मेरा नम्र निवेदन है कि यदि जो ग्रांट्स सरकार ने मंजूर की थी तथा हमने भी उनको मंजूर करा लिया था, उनका ठीक प्रयोग होना चाहिये, उनका उपयोग इस प्रकार होना चाहिये जिससे वास्तविक लाभ प्राप्त हो और जो इस समय की सरकार का असल मक़सद है। तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं कि यह बजट वेलफेयर स्टेट का बजट न कहा जाय। यह दूसरी बात है कि कभी कभी सद्भावना से नयी नयी चीज़ों का और उत्तम से उत्तम चीजों का जब उपयोग होता है तो वह गलत हो जाता है और इस तरह से कभी कभी अमृत भी जहर बन जाता है। ऐसी अनेक मिसालें हैं। पिछले दिनों जो सरकार के हुक्म हुये और सरकार की योजना हुई उनका जो इस्तेमाल गवर्नमेंट की मशीनरी द्वारा हुआ वह विपरीत रूप से हुआ और लाभ के बजाय हानि में परिणत हो गया। मिसाल के तौर पर सरकार का हुक्म निकला कि खाली पड़ी ज़मीन नहीं रहनी चाहिए जब कि देश में भुखमरी है और ग़रीब भारत दूसरे देशों से लम्बे-लम्बे दाम देकर अनाज मंगा रहा है। लेकिन जिन ज़मींदार साहबान के पास ऐसी लम्बी ज़मीन पड़ी हुई थी उन्होंने उसका इस तरह से उपयोग किया कि जब विनोवा जी उनके यहां गये तो उन्होंने उस खाली पड़ी ज़मीन को निकलने के भय से दान में दे दिया। यह मैं इसलिये कहता हूं कि मैं इसे स्वयं जानता हूं। हमारे यहां एक ज़मींदार ने खुद ४ हज़ार बीघा ऐसी ज़मीन पूज्य बिनोवा जी को भूमि दान में दी है। मैं यह भी जानता हूं कि वह ज़मीन खाली पड़ी थी। लेकिन क़ानूनी हालत यह है कि अधिकारियों की गलती से अभी तक उस में कुछ भी पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके लिये पहले ६ महीने का नोटिस क़ानून के हिसाब से होना चाहिए। इस तरह से एक अर्सा गुजर गया है। यह तो सरकारी हुक्म का हाल है कि ज़मीन दान में दी गई क्योंकि अभी तक खाली पड़ी रही है। अगर पहले ही आज्ञा दी गई होती तो आज तक कई फसलें भी हो गई होतीं। मेरी अर्ज़ यह है कि यदि चीज़ों का प्रयोग सही है तो हर चीज़ सुन्दर से सुन्दर हो सकती है और यदि सही प्रयोग नहीं है तो सुन्दर से सुन्दर चीज ख़राब हो जाती है। इसमें शक नहीं कि हमारे देश की आबादी भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ खाद्य समस्या को हल करना हमारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि मैं समझता हूं कि रोटी-कपड़े की मदद सब को देनी है। हमारी ग्रान्ट्स और हमारी योजनायें तथा हमारी धनराशियों का ठीक प्रयोग हो तो इसमें शक नहीं कि यही बजट जिन परिस्थितियों और जिन आर्थिक अवस्थाओं में बना है, वह सुन्दर रूप से देश को प्रगति की ओर ले जा सकता है। मुझे इसके कहने में संकोच नहीं है कि पंचवर्षीय योजना का रुख़ विकेन्द्रीयकरण की ओर नहीं है। मुझे पूज्य बिनोवा जी की बात याद आती है जब उन्होंने योजना कमीशन के सामने एक प्रश्न किया और पूछा कि क्या आप की पंचवर्षीय योजना सब को रोटी और कपड़ा दे सकेगी। तो इस पर किसी सदस्य ने यह स्वीकार किया कि सबको तो नहीं दे सकते और न इस तरह की हमारी इस वक्त आर्थिक अवस्था ही है। इस पर विनोबा जी ने कहा तो आप की योजना पार्शियल योजना हुई। तो माननीय सदस्य को यह स्वीकार करना पड़ा था कि हां ऐसी ही है। फिर उन्होंने एक सुन्दर उत्तर दिया कि यदि आपको पार्शियलिटी शुरू करनी है तो नीचे से क्यों न की जाय। बहरहाल ऐसा नहीं है। जिन लोगों के पास चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं उन्हीं के लिये आपकी योजना है। ऐसी सूरत में हमारी योजना का रुख़ ऐसा होना चाहिए कि हम उस रास्ते पर चल सकें कि चीज ज़रूरत वाले को मिल सके। मैं समझता हूं कि इस बजट की इन धनराशियों से एक लाभप्रद और जन हित की स्टेट हम बना सकते हैं और हर योजना का सफल होना सम्भावी है। एक बात मैंने कही कि सुन्दर से सुन्दर चीज़ भी ठीक प्रयोग न होने से ख़राब हो सकती है। जिसको हम कहेंगे "Sabotaging by compliance of orders" गल्ला प्रोक्यूरमेंट स्कीम के सिलसिले में मुझे एक डिप्टी कलेक्टर की बात याद है। सरकार की तरफ से यह आर्डर जारी हुए कि जो गल्ला न दे उसके साथ सख्ती की जाय। जिन किसानों को १० मन गल्ला देना था उन्होंने अगर ८ मन दे दिया था तो २ मन के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब

हमारे लीडर चिल्लाये कि सख्ती कम करो तो जिन्होंने एक दाना भी नहीं दिया था और उनको २०० मन गल्ला देना था, उन सब से वसूली में ढिलाई कर दी। तो बाज दफ़ा ऐसा होता है कि सुन्दर से सुन्दर चीज भी खराब कर दी जाती है। अपोजीशन की तरफ से जो एतराज होते हैं, मैं जानता हूं कि उन में भी कुछ तत्व होता है। इस समय हमारे वह सोशलिस्ट भाई यहां पर मौजूद नहीं हैं जिन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सरकारी कुर्सियों पर बैठने के बाद लोग अपने वायदे और ज़िम्मेदारी को भूल जाते हैं। मैं समझता हूं कि वहां पर बैठने के बाद ही वे ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं। मैं आपको एक सोशलिस्ट भाई की बात बतलाता हूं कि वह देहात में किसानों के पास गये और वहां पर किसानों से कहा कि तुम सरकार को एक दाना भी न दो और जब मज़दूरों के पास गये तो उनसे कहा कि तुम अपना पूरा राशन लो। इस तरह से लेने वाले से कहा कि तुम पूरी चीज लो और देने वाले से कहा कि तुम एक दाना भी मत दो। मैं समझता हूं कि सरकार ऐसी गैर ज़िम्मेदारी से नहीं चल सकती है।

अब मैं एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। सदन में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने शिक्षा के बारे में कहा है। हमारे देश में शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। हमारे यहां प्राइमरी शिक्षा की बहुत जरूरत है। इस पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे यहां प्राइमरी शिक्षा पर अगर एक फ़ीसदी खर्च होता था तो हायर सेकेन्डरी पर उससे २० गुना अधिक खर्च होता था। जब कि अमेरिका में प्राइमरी शिक्षा पर २० गुना अधिक रुपया यूनिवर्सिटी की शिक्षा से होता था। मगर अब हमारी सरकार ने प्राइमरी शिक्षा की तरफ कुछ ध्यान देना शुरू कर दिया है। हमारे एक माननीय सदस्य ने शिक्षा के संबंध में कुछ आंकड़े पेश किये थे, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। हमारी सरकार को शिक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी शिक्षा एक नेसेसिटी (आवश्यकता) है, हायर सेकेन्डरी शिक्षा एक कम्फर्ट (आराम) है और यूनिवर्सिटी की शिक्षा लगज़री (भोग) है। प्राइमरी शिक्षा चूंकि नेसेसिटी है इसलिए उसकी सब को जरूरत है। सरकार को प्राइमरी शिक्षा पर अधिक रुपया खर्च करना चाहिए।

मुझे इसकी चिन्ता नहीं कि उसमें कोई बात इस तरह की हो कि सरकार बिल्डिंग्स बना सके। भले ही न बनाये, शिक्षा छप्परों में हो, खुले में हो, वृक्षों के नीचे हो, वह तो खाने की सी जरूरत है। मैं समझता हूं कि समय हो गया है और मुझे इतना ही अर्ज़ करना है। बहरहाल नई योजनाएं विकेन्द्रीयकरण की ओर ठीक रूप से चलाई जायें तो इसमें कोई शुभा नहीं कि यही बजट हमें प्रगति की ओर ले जायेगा। बहरहाल देश की जो वर्तमान समस्यायें हैं मेरा विचार है, कि इस तरह से उन समस्याओं के हल करने में सुविधा हो जायेगी।

श्री हकीम ब्रज लाल वर्मन—जनाबे सदर, कल इस सदन में मेरे भाई ने फरमाया था कि अगर यही हालत सरकार की रही तो वह दिन नज़दीक़ है जब कि बंगले के रहने वाले मिनिस्टर लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो भाई इस क़िस्म की बात करते हैं वह अनजान में हिंसात्मक कार्यों को उत्तेजना देते हैं। हमारे पड़ोस में ही, ब्रह्मा में जो कुछ हुआ उससे क्या हमने सबक नहीं लिया। लिहाज़ा हमें किसी क़िस्म का ऐसा इशारा अपने फेल से या अपने दिमाग़ से नहीं करना चाहिये जिससे कि गलतफहमी पैदा हो। दूसरी तरफ मैं यह अर्ज़ करूंगा कि हमारे विरोधी दल के भाइयों की ओर से या दूसरे सदन के सदस्यों की तरफ से जो सुझाव रखे जायं, सरकार की तरफ से उनका नोट लिया जाय। उनको सिर्फ उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाय। बल्कि जरूरी है कि जिन साहबान ने सुझाव रखे हों उनको बुला कर पर्याप्त मौक़ा दिया जाय और उनसे बाद में उनके सुझावों के सम्बन्ध में बातचीत की जाय और इसके बाद अगर वह उचित सुझाव हों तो उनको मान लिया जाय और जैसा कि हमारे विरोधी भाइयों की बातचीत में भी कहा गया है कि उनके सुझावों को नजर अन्दाज न किया जाय। जो हालत आज हमारे देश की है

[श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन]

उसकी सही नुमाइन्दगी अगर यहां पर न हो और उस पर हमारी सरकार बिल्कुल तवज्जह न करे तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है।

स्कूलों के मुतालिक यह कहा गया है कि हमारा पहला उद्देश्य यह है कि प्राइमरी तालीम हो। मैं इससे बिलकुल इत्तिफ़ाक़ करता हूं। चाहे आप रोगों से बचने के लिए उपाय बताएं। चाहे आप लोगों को [illegible] क़ानून पास हों उनका उद्देश्य बताएं। चाहे आप उनके लिए छोटी-मोटी किताबें प्रकाशित करें यह सब बेकार हो जायगा जबतक कि इस मुल्क के लोगों को साक्षर न बनाया जाय इसलिए सबसे पहली निहायत जरूरी चीज़ यह है कि हम प्राइमरी तालीम पर तवज्जह दें और यह इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए।

सरकार के ऊपर जो इलजामात लगाये जाते हैं वह सही हैं। बच्चों को ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं कि उनके मर जाने का डर होता है। चिकित्सा के लिए सामान नहीं है। आप अध्यापक नहीं हैं। उनकी माकूल तनख्वाहें नहीं हैं। लेकिन हमारा साथ साथ यह भी फ़र्ज़ है कि उन सब के न होने के बावजूद भी हम ऐसे तरीक़े सरकार के सामने रखें जिससे वह दिक़्क़तें दूर हो सकें। मैंने एक तरीक़ा सुझाया। चाहे कोई भी सरकार हो सारे प्रदेश में प्राइमरी एजूकेशन इतने ज्यादा लोगों को देने की ज़िम्मेदारी उसी के ऊपर है। पब्लिक और ऐवान के भीतर वालों की भी जिम्मेदारी है तो हमें इन कामों में सरकार को मदद करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी सुझाव है कि सेकेंडरी एजूकेशन, प्राइमरी एजूकेशन और हायर एजूकेशन तीनों के लिए अलग अलग रुपया रखा जाय जिसमें ज्यादा से ज्यादा रुपया प्राइमरी एजूकेशन के लिए रखा जाय। अगर इस तरीके पर यह रुपया ख़र्च किया जाय तो हम अपने उद्देश्य में जल्दी और अच्छी तरह से सफल हो सकेंगे। अभी मेरे भाई ने कहा कि मैं देहात के स्कूल में गया तो मैंने देखा कि लड़कों को किस हालत में बिठाया जाता है। वह कहते हैं कि पढ़ाई करने में लड़कों का कुसूर नहीं है बल्कि उस्तादों का कुसूर है। उन्होंने मिसाल भी दी कि बहुत से बालक जो उर्दू पढ़ते थे उनका नाम काट कर हिन्दी सेक्शन में कर दिया गया। यह तंग नज़री है तो मैं यही कहता हूं कि यह जहनियत भी उनकी तंगनज़री है। अगर यही हालत हमारी रही और हमारी ऐसी तंग नज़री रही कि हमारे बच्चे इस प्रदेश की ज़बान हिन्दी सीखना चाहें तो यह कहें कि नहीं सिखाया जायेगा।

श्री हयातउल्ला अन्सारी--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि वह बच्चे हिन्दी नहीं पढ़ते थे, मगर फार्म में जो आम तौर पर लिखा जाता था, वह हिन्दी लिखा जाता है। वैसे बच्चे दोनों जबानें पढ़ते थे।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन--मेरे अर्ज करने का मतलब यह था कि जो लड़के उर्दू पढ़ना चाहते है उन्हें पढ़ाया जावे, गवर्नमेंट की इसके लिये पालिसी है। मगर सरकार ने जब हिन्दी यहां की स्टेट लैंग्वेज स्वीकार की है तो हिन्दी पढ़ने की तरफ तवज्जह उन्हें देना चाहिए। मरे कहने का मतलब यही था और जैसा कि अन्सारी साहब ने कहा मैं उसको कबूल करता हूं। हमारे जमाने में मकतब हुआ करते थे और मौलवी साहब मकतब में सबसे पहले तालीम दिया करते थे कि कैसे बुजुर्गों का अदब करना चाहिए और कैसे तहज़ीब से बात करनी चाहिए। तो शुरू में ही सबसे पहले इस किस्म का सबक बच्चों के दिमाग पर अच्छा असर डालता था। मगर आज लड़कों पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वे बिल्कुल असभ्य हैं और उनको किसी बात की भी तमीज नहीं है। मगर लड़कों के सामने टीचर्स सिगरेट पीते हैं और लड़के भी सिगरेट के डिब्बे उनके सामने पेश करते हैं। टीचरों का आज यह हाल है और आजकल इस किस्म की हालत हमारे सारे सूबे में हो गयी है और इससे बहुत सी खराबियां पैदा हो गयी ह। हमारे जमाने में भी त्योहारों में भी हिन्दू और मुसलमान बच्चे अच्छी तालीम से तहज़ीब सीखते थे, बहुत अदब से पेश आते थे। मौलवी साहब ईदी त्योहारों पर लिखकर देते थे। तो आज की लड़कों की हालत को सुधारने के लिये जो टीचर्स रखे जायें

उनको सोच-समझ कर रखना चाहिए और वे ट्रेन्ड भी होने चाहिए जिससे कि वे अच्छी तालीम स्कूलों में दे सकें। यह नहीं होना चाहिए कि टीचर्स ट्रेन्ड होने की परीक्षा के लिये सूत कातना सीखने नहीं, मोल लाकर रख देते हैं और बच्चों को बेईमानी और झूठ बोलना सिखाते हैं। तो इस तरह से बच्चे किसी की भी इज्जत नहीं करेंगे। आज तन्ख्वाह बढ़ाने की जरूरत कही जाती है और वह बढ़ानी भी चाहिए लेकिन जब तक हमारी जराये महदूद हैं हम कोई भी ऐसा कदम कैसे उठा सकते हैं, हमें धीरे धीरे उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है मैंने उसके लिये आपसे अर्ज कर दिया है। एक बात यहां यह बतलाई गई कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को खत्म कर दिया जाय क्योंकि अब वह गैर जरूरी चीज है और यह भी बतलाया गया है कि उनकी बुरी हालत है। सही है, बुरी हालत हमारे मुल्क की है और हमारे सूबे की भी बुरी हालत है। हमारे जराये भी महदूद हैं और सब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने इस वक्त तक तनख्वाह अध्यापकों को नहीं दी, यह कहना गलत है। थोड़े डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐसे हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी हालत में भी जहां तक हो सका उनकी तनख्वाह को रोका नहीं है बल्कि हड़ताल के जमाने की भी तनख्वाह दी। बहुत से म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐसे हैं जिनको इमारतों को बनाने के लिये रुपये की जरूरत है और इसमें आपका और पब्लिक का सहयोग एक बहुत लाजिमी चीज है।

एक चीज की ओर मैं जनाबे सदर, आपके जरिये से गवर्नमेंट की तवज्जह और दिलाना चाहता हूं। वह यह कि जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पापुलर नहीं थे उस वक्त जितने स्कूल वह खोलते थे उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से उनको काफी रकम सहायतार्थ दी जाती थी लेकिन अब वह चीज नहीं है। जब नये स्कूल गवर्नमेंट के मातहत थे, उस वक्त उनको १ हजार रुपया प्रति स्कूल मिलता था लेकिन जब वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्तर्गत आ गये वह रुपया मिलना बन्द हो गया। अगर वह तरीका जो गवर्नमेंट ने जारी किया था जारी रखा जाता तो शायद यह शिकायत का मौका न मिलता। अब पब्लिक में काफी बेकारी है अगर गवर्नमेंट १ हजार दे तो पब्लिक २ या ३ हजार रुपये तक खर्च कर सकती है। इस तरह से यह चीज भी हमारे सामने है। पहले सड़कों के लिये काफी रुपया गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को दिया करती थी लेकिन बहुत अर्से से अब बहुत कम रुपया दिया जाता है कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है इसलिये जो काम करना होता है वह नहीं हो पाता है। इसी तरह से दूसरी बातों का भी ताल्लुक है। हमको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ऊंचा उठाना है एक तरफ तो यह कहा जाता है कि टैक्स न लगाया जाय और जनता इस काबिल नहीं है कि उस पर एक पैसा भी टैक्स लगाया जाय। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी टैक्स न लगाये और दूसरी तरफ मास्टरों की तनख्वाहें बढ़ा दी जायं तो यह चीजें काफी मुश्किल हो जाती हैं। बगैर टैक्स लगाये यह काम पूरा नहीं हो सकता है।

जहां तक मेडिकल डिपार्टमेंट का ताल्लुक है हमारे एक माननीय सदस्य डाक्टर साहब ने फरमाया कि जो लोग यह कहते हैं कि एलोपैथिक इलाज न रायज किया जाय वह सही नहीं है। लेकिन उनका कहना यह है कि जो ऐसा कहते हैं वह अन्धे हैं; मैं यह नहीं कहता। बल्कि मेरा कहना है कि डाक्टर साहब स्वयं मरीज हैं। एलोपैथिक माडर्न साइन्स से भी करोड़ों इन्सान फायदा लेते हैं। मेरी गुजारिश अदब से यह है कि इस देश में माडर्न साइन्स से १० करोड़ आदमियों को भी सफा नहीं होती है बल्कि बहुत से लोगों को सफा आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक से होती है। जैसा कि मैंने पहिले अर्ज किया था अगर इस रुपये में से जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट में दिया गया है हम यूनानी और आयुर्वेदिक तरीके का इलाज २ या ३ गुना ज्यादा रोगियों का कर सकते हैं। हमारे पास सबूत में आंकड़े हैं और पहले भी मैं कह चुका हूं आप मुलाहिजा कर सकते हैं।

डिप्टी चेयरमैन—आपका वक्त खत्म हो गया है।

*श्री अब्दुल शकूर नजमी—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, हाउस के सामने बहुत से ख्यालात और विचार अपनी अपनी जबान में और अपनी अपनी भाषा

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री अब्दुल शकूर नजमी]

में पेश किये गये। मैं कशदन और जानबूझ कर इस सिलसिले में कोई एतराज करना नहीं चाहता हूं और न यह अर्ज करना चाहता हूं कि कितने एतराज जानबूझ कर किये गये और कितनें एतराज कशदन किये गये और कितने किसी खास मकसद की पूर्ति के लिये किये गये और कौन से एतराज वह हैं जो गलतफहमी पर मुनहसिर हैं। इसलिये मेरा यह पक्का यकीन है कि बहस और वाद–विवाद के लिये काफी गुन्जाइश है। लेकिन मैं इतना अर्ज जरूर करूंगा कि यह सवाल जो कि महज एतराजों के लिये किये जाते हैं और इसलिये किये जाते हैं कि हमको कुछ कहना है यह कोई अच्छा जजबा नहीं है जिसको साम्नने रख कर बराबर प्रोपेगेन्डा किया जाता है। खैर यह तो बात अपनी जगह पर रही, मुझे यह अर्ज करना है कि मंतिक में, किताब के पहिले चैप्टर में यह लिखा होता है और पढ़ाया जाता है कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसके लिये दलील न दी जा सकती हो में आपसे यह अर्ज करूं तो बेजा न होगा कि बहस हम इस पर भी कर सकते हैं कि यह दिन है या रात। कहा जा सकता है कि यह दिन नहीं है रात है। लेकिन सवाल यह है कि हकीकत जानने के लिये, वास्तविकता को सामने लाने के लिये कि यह दिन है कोई न कोई कसौटी देनी ही पड़ेगी। मैं समझता हूं कि मोटे तौर से दिन को साबित करने के लिये जो चीजें हो सकती हैं उनको सामने रखना होगा। यह अलहिदा सवाल है कि उसके बाद भी कोई न माने। तो यह इस तरह से जो बातें कही गई हैं जो एतराज किए गए हैं वह मोटे तौर से इस तरह से कहे गये हैं जिनका जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं।

कहा जाता है कि इस सूबे में एक निराशा सी फैल रही है। हुकूमत ने न तो ५ साल पहले कुछ किया न और आगे ही कुछ करना चाहती है। जरायम की बाढ़ आ रही है मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात पैदा हो गयी हैं। कहा गया है कि यह लोग इतने नाअहल हैं कि खुद तो तबाह और बरबाद होने के लिये जा ही रहे हैं मगर इस सूबे और मुल्क को भी जहन्नुम में ले जाकर फेंक देंगे। मैं इसकी मुखालिफत में अर्ज करूंगा। मोहतरिम डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिये से यह अर्ज करूंगा कि यह न देखें कि कौन सी बात किसके मुंह से निकल रही है बल्कि यह देखें कि कहा क्या गया है। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि इस बात को सही साबित करने के लिये कि हमारी लीडरशिप कितनी अच्छी है। किस आबोहवा में काम किया है, किस माहौल में काम किया है, उन तमाम बीते दिनों को समेट कर हमें अपने सामने रखना होगा बतौर गवाही के, साक्षी के रूप में। मैं अर्ज करूंगा कि १५ अगस्त को जब आजादी का सूरज निकला, इसमें शक नहीं कि वह सूरज हमारे लिये खुशी का पैगाम लाया लेकिन साथ ही अपने दामन में बरबादी और तबाही भी लाया। कौन नहीं जानता कि पंजाब के दोनों हिस्सों में क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान के हिस्से के लोग जो हिन्दोस्तान में आये तो उनके साथ मिटी हुई कहानियों की दास्तानें थीं। और जब वह यहां आये तो बदले की भावना से उनका दिलो-दिमाग जल रहा था और उन्होंने यहां आकर जो कुछ किया वह सभी पर जाहिर है। सबसे पहले एक अच्छी हुकूमत का काम है कि उखड़े हुए लोगों को भरोसा द, लोगों में अमन पैदा करे। वह इस हुकूमत ने १५ अगस्त सन् ४७ के बाद किया।

इसके बाद जो फिरकापरस्ती जो इस सूबे में फैली और जिसके नतीजे से हमारे पूज्य बापू जी की जान गई उस सिलसिले में हुकूमत नें बहुत कुछ किया जो कुछ करना चाहिए था जो उस वक्त की बड़ी जारूरत थी, मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा रचनात्मक काम था जो रोजमर्रा की जिन्दगी का सवाल था। लोगों में जो एक गलत जोश था उसको हमारी सरकार ने ठीक किया, लोगों को ठीक ढंग पर लाया गया। कुछ लोग इसमें मुखातिब हुए, कुछ लोग १० ही कदम गये और कुछ लोग छिपे ढंग से देखते रहे। इसमें गोविंद सहाय जी भी थे। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक बार मैं खानचन्द गौतम से मिला छतर मंजिल में उनसे बातें होने लगी बातें तो बहुत लम्बी-चौड़ी हैं उनको मैं पूरी कैसे कह सकता हूं मगर दो एक बातें उन्होंने खास कहीं और कहा कि कांग्रेस क बारे में आजकल बहुत से सवाल निकलते हैं। उन्होंने

बाहरी ताकत कांग्रेस को खत्म नहीं कर सकती है अगर यह खत्म होगी तो अपने ही अन्दर की ताकत से खत्म हो सकती है। उन्होंने एक मिसाल दी कि हाथी बाहर की ताकत से जल्दी नहीं खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि उसको बुखार नहीं पैदा होता बल्कि अन्दर से एक कंपकंपी पैदा होती है और एक उसको धक्का सा लगता है जिससे वह अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता है और गिर जाता है। ठीक इसी तरह की हालत कांग्रेस की हो सकती है। वह किसी बाहरी ताकत से नहीं खत्म की जा सकती है। तो उस वक्त इस तरह की विचारधारा के लोग भी कांग्रेस में थे। उनको भी रोका गया। कुछ लोगों का यह ख्याल था कि अगर कांग्रेस का हार्ट फेल हुआ तो यहां इस देश में, इस मुल्क में पिंडारियों के छोटे-छोटे दल पैदा हो जायेंगे और एक बड़ी बुरी तरह की अराजकता मुल्क में फैल जायेगी और यह मुल्क तबाह और बरबाद हो जायेगा। तो यह काम कांग्रेस ने किये। और भी बहुत से काम किये गये जिनको आप मानें या न मानें लेकिन काम बहुत से किये गये जैसे आबपाशी का बढ़ाना, ग्राम पंचायतों का खोलना, गांव-गांव में जम्हूरियत को सिखाना वगैरह।

इन बातों को कहने का वक्त तो नहीं है इसलिये मैं दो एक जरूरी बातें अर्ज करूंगा। सबसे बड़ी चीज जो की गयी वह बेघरवालों को आबाद करने की है। जो पंजाब से आये थे उनको यहां फिर से बसाया गया। उसमें चार करोड़ के करीब रुपया खर्च हुआ। २० हजार के करीब मकानात बनाये गये। अब आप इसको मानिए या न मानिये। बिजली के सिलसिले में देखिए। १,५७,३७२ किलोवाट बिजली दी गयी। सन् १९४६ से लेकर अब तक ९ हजार पक्की सड़कें बनी हैं। करीब करीब २३ हजार कच्ची सड़कें बनी हैं। गांवों में लोगों ने गड्ढों को पाट पाट कर कच्ची सड़कें बना ली हैं। पन्चायत राज कायम करके जम्हूरियत के जजबात गांवों में पैदा किये जा रहे हैं। जो जजबात गांवों में कायम हुए हैं उनकी एक मिसाल यह दे रहा हूं कि करीब २५ हजार मुकदमें तो सिर्फ सुलहनामें के फैसले हो गये। दोनों पार्टियों में समझौता करा दिया गया। गांधी चबूतरे पर बैठ करके दोनों पार्टियों ने मिठाई खायीं और इससे सिर्फ यही नहीं हुआ कि मुकदमे नहीं चले बल्कि रुपया बचा और जो दुश्मनी कायम हो जाती वह बच गयी। शुगर फैक्ट्रीज को ले लीजिए। जबसे कोआपरेटिव सोसाइटी कायम हुई है तब से नौ पाई फी मन के हिसाब से उनको जो मुनाफा हुआ है वह करीब सात हजार रुपये के हुआ है। पहले यही मुनाफा एजेन्ट्स लिया करते थे। अब यही कोआपरेटिव सोसाईटीज को मिलता है। इसमें गवर्नमेंट का खास हाथ रहा है। यही बातें हैं आप इसको चाहे मानिए या न मानिए। साढ़े बाहर सौ यूनानी और आयुर्वेदिक दवाखाने खोले गये हैं जो देहातों में जा-जा करके दवाइयां बांटते हैं। १४० अंग्रेजी दवाखाने भी खोले गये हैं अब इसको कोई न माने तो क्या किया जाय। एक चीज के बारे में मैं और अर्ज कर दूं। कल्चरल तरक्की की बाबत मैं कहना चाहता हूं यह अल्फाज बड़े वसीह हैं। हमारा कल्चर कई जगह से बनता है। इसमें सिनेमा का भी हाथ है। हमारे रहन-सहन का भी हाथ है। अब चूंकि मेरा वक्त खत्म हो गया है इस वजह से मैं अपनी स्पीच बन्द करता हूं।

***श्री बंशीधर शुक्ल**—माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर से जो तकरीरें हुई हैं उनमें एक खास रवया अख्तियार किया जाता था। वह यह रहा है कि जो बातें कहते हैं उसी की ताईद उधर से भी की जाती है और शुरू में और आखिर में बधाई और सुझाव के अल्फाज जोड़ दिये जाते हैं। जब बजट पर बहस हो रही थी और कल और आज भी अपोजिशन की तरफ से कुछ बातें कही गयीं उसके मानी यह होते हैं कि सरकारी पार्टी के जो लोग हैं उनके ईमान पर हर्फ रखा जाता है और मैं उस पर एतराज करता हूं।

जो हमारी बातें हैं वही बातें वह भी कहना चाहते हैं। लेकिन चूंकि अनुशासन का डर है इसलिये उसमें इस तरह के लफ्ज जोड़ कर वह बातों को कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बरान में इतने सदाकत के जजबात नहीं हैं, वह अनुशासन की वजह से

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बंशीधर शुक्ल]

डरते हैं और सच्ची बात साफ तरीके से नहीं कहते हैं और इस तरह से कहते हैं मैं साफ तौर से इस भवन में कह देना चाहता हूं कि यदि इस तरह का कोई अनुशासन आयेगा जिसकी कि हम उम्मीद नहीं करते तो हम उस वक्त भले ही पार्टी में न हों लेकिन इस तरह के जजबात जो फ्लोरिश से भरे हों, हम साफ तरीके पर कहेंगे। खास करके लेबर लीडर श्री राजाराम शास्त्री ने जैसा कहा अगर हम उसको गलत तरीके से कहते हैं तो इसके माने यह होते हैं कि हम अनुशासन के प्रति बगावत करते हैं या धोखा देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अनुशासन देखते हैं तो यह दोनों बातें हमारी शान के खिलाफ हैं। एक बात जो हम सदाकत से कह सकते हैं हम उसको सदाकत से नहीं कह सकते तो मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री गोविंद सहाय--यह गलतफहमी आपोजीशन के मेम्बरों में नहीं है कि सदाकत से नहीं कहा जाता है। जो वह कहते हैं वही हम भी कहते हैं सिर्फ बात यह है कि वाकयात से हम आंखें नहीं बन्द कर सकते।

श्री बंशीधर शुक्ल--यह मैं साफ तौर से कहता हूं कि बधाई के अल्फाज शुरू और आखिर में कहे गये। खैर मैं इस बात को छोड़ता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--आपके सामने जो मसला है उसी पर बोलिए।

श्री बंशीधर शुक्ल--तो लास्ट में निवेदन यही करूंगा कि जहां तक हमारी सदाकत का ताल्लुक है उसको हम इस्तेमाल करें। अब मैं बजट के सिलसिले में एप्रोप्रियेशन बिल का स्वागत करता हूं। पिछली मर्तबा बजट अधिवेशन के समय मैंने इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की पतरोलों की शिकायत का जिक्र अपनी स्पीच में किया था। आज मैं इस भवन में वित्त मन्त्री जी को सूचित कर देना चाहता हूं कि जिस समय मैंने स्पीच दी थी और जो शिकायतें पेश की थीं उन पतरोलों में से एक आदमी ने तो इस्तीफा दे दिया और ट्यूशन करके अपनी रोजी कमाना शुरू कर दिया है। अब इससे अधिक नहीं कहूंगा। उन लोगों का यह कहना है कि हमको अपनी हालत पर छोड़ दिया जाय।

(इस समय चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

अब दूसरी बात पर मैं आता हूं। मैंने एप्रोप्रियेशन बिल के आइटम्स को देखा है उसमें मुझे महसूस यह होता है कि कहीं पर ज्यादा रुपया प्रोवाइड किया गया है और कहीं पर कम। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसे इर्रीगेशन और पी० डब्ल्यू० डी० पर बहुत ज्यादा रुपया रखा गया है। इर्रीगेशन पर जितना रुपया रखा जाता है वह खर्च नहीं होता है। चुनान्चे उसमें क्या होता है कि जब फाइनेन्शियल ईयर खत्म होने लगता है उस समय दो-एक दिन में ठेकेदारों को बुलाकर बचा हुआ रुपया बेजा तौर पर खर्च कर दिया जाता है अगर उस रुपये को यूनीफार्मली खर्च किया जाय तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। यही बात पी० डब्ल्यू० डी० की भी है। साल के अन्त में उसमें भी इसी तरह से रुपया खर्च कर दिया जाता है इसलिये इसके लिये काफी देख-रेख की जरूरत होनी चाहिए। एक आइटम्स इस्लामिया इन्स्टीट्यूशन के मुताल्लिक है। जितना रुपया इसके लिये रखा जाता है उसमें केवल १/१० या १/८ खर्च होता है। वह रुपया ऐसा होता है जो म्यूनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ट्रान्सफर नहीं हो सकता है। इसके अलावा बहुत सी मदें ऐसी हैं जिनके लिये रुपये की ज्यादा जरूरत है मगर उतना बजट में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के हाउसिंग स्कीम के मातहत जो रुपया रखा गया है वह बहुत कम है। काफी अप्लीकेशन्स गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की तरफ से आती हैं। मगर उनको यही जवाब दे दिया जाता है कि रुपया नहीं है और जिनको मिलता है उनकी तादाद नहीं के बराबर है। दूसरे उनको तीन तीन साल के बाद रुपया मिलता है। उसके ऊपर गवर्नमेंट को इन्टरेस्ट मिलता है सरकार का कोई नुक्सान नहीं है और सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को काफी सुविधा हो जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह रुपया और बढ़ा दिया जाय तो अच्छा होगा।

अब मैं म्यूनिसिपल बोर्ड की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सीतापुर म्यूनिसिपल बोर्ड में ३० हजार रुपये का गबन मई के महीने में हुआ था। लोकल फन्ड इक्जामिनर्स को बुलाया गया परन्तु अभी तक वहां एकाउन्ट्स को चेक करने के लिये नहीं पहुंच सके। बताइये कैसे काम चलेगा? आज सरकारी डिपार्टमेंट कोआपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करे।

अन्त में मुझे प्लानिंग डिपार्टमेंट के सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि इसका दूसरे महकमों से कोई सम्बन्ध नहीं है कि जिससे फरदर डेवेलपमेंट में बाधा पड़ने की कोई आशा हो। म्यूनिसिपल बोर्ड की सड़कें बहुत खराब हैं और प्लानिंग डिपार्टमेंट के जरिये से वे इम्प्रूव हो सकती हैं। अगर उसमें वे शामिल कर ली जायं लेकिन मैं देखता हूं कि ऐसा नहीं किया जाता है।

अन्त में मैं सीतापुर के पावर हाउस के सम्बन्ध में यह कह देना चाहता हूं कि वहां का मामला कई बार रिप्रेजेन्टेशन के जरिये से वित्त मन्त्री जी की नोटिस में लाया जा चुका है। लेकिन उनके रिप्रेजेन्टेशन की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। म वित्त मन्त्री जी से आशा करता हूं कि उचित कार्यवाही इस मामले में करने की वे कृपा करेंगे।

*श्री विश्वनाथ--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सन् ५२ ई० के विनियोग विधेयक का हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं। यद्यपि सदन के कतिपय सदस्यों ने इसकी समालोचना की है, तथा असहनीय प्रस्ताव भी किये हैं और कितने ही भाइयों ने इस दृष्टिकोण से इसको बहुत अनावश्यक भी बताया है। इसके बावजूद भी मुझे इसमें अनेक विशेषतायें और खूबियां दिखाई देती हैं, अतएव इसका समर्थन करता हूं। हमारे माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया है कि इसके अन्दर आज जो टैक्स लगाये जा रहे हैं वह शायद चुनाव अगर क़रीब होता तो नहीं लगाये जाते। मैं कहता हूं कि यह सही है। अगर चुनाव दो चार महीने के बाद होने वाला हो तो उस वक्त यह जरूरत महसूस भी नहीं होती है और यह अनुचित काम भी होता है। क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि किस तरह की सरकार उस चुनाव के बाद आयेगी। अतएव किसी भी सरकार को चुनाव का समय क़रीब आते वक्त टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु जब चुनाव हो गया है और यह निश्चय हो गया है कि किस के हाथ में सरकार है और अगले पांच साल तक उसे राज्य शासन का भार रखना है तो उसके लिये यह लाजिमी होगा और जरूरी होगा कि वह सोचे कि ५ साल तक हम अपने शासन प्रबन्ध को सुचारु रूप से कैसे सम्भाल सकेंगे और कैसे उसका समुत्थान कर सकेंगे तथा कैसे यहां की जनता को सुखी बना सकेंगे। अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि टैक्स लगाये जायं और लगाना भी उचित है। मैं इस बात को जानता हूं कि कोई भी सरकार जो भी जनता की सरकार हो अपने लोगों पर टैक्स लगाना पसन्द नहीं करती है। परन्तु परिस्थितियों के भय से ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अगर टैक्स न लगाये गये और उन्हें उसी हालत में छोड़ा जाय और आगे बढ़ने की कोशिश न की जाय तो बड़ा कठिन होता है। मैं यह जानता हूं कि जिनसे टैक्स वसूल होने वाला होता है वह भी इसे पसन्द नहीं करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी जानता हूं कि जब मरीज़ अपने पास से दवाई के लिये पैसा खर्च करता है तो उस को बुरा मालूम होता है, लेकिन वह खर्च करता है, उसके बिना मर्ज ठीक नहीं होता। मैं जानता हूं कि ४ या ५ महीने हरएक किसान अपने खतों पर खूब खर्च करता है और मेहनत करता है और उसके बाद ही उसको अच्छा फल मिलता है। जो टैक्स लगने वाले हैं उनसे दुख हो या न हो उसका जनता को स्वागत करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि उन्हीं के कल्याण के लिये उन्हें कष्ट उठाना चाहिए। इसके अलावा सरकार के सामने दूसरे कारण भी हैं, जिससे सरकार परिस्थितिवश विवश है कि वह टैक्स लगाये और अगर नहीं लगाती है तो वह अपना काम नहीं चला सकती है। पांच साल की अवधि इस सरकार को पहले भी मिल चुकी है और

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ]

उस समय में कोई काम नहीं किया गया इसलिये सरकार को अपने निर्माण-कार्य करने हैं। अतएव इस साल टैक्स का लगाना जरूरी है। एक बात यह भी कही गई कि टैक्स बड़े बड़े लोगों पर लगने चाहिए और ग़रीबों पर नहीं लगने चाहिए। मैं कहता हूं कि यह बात इस समय सामयिक नहीं है। यह बात उस समय आनी चाहिए जब टैक्सों के बिल आप के सामने आयें और उस पर बहस होनी चाहिए कि टैक्स किस रूप से लगाये जायं और किन पर लगाये जायं। आज इस तरह की बात करना असंगत सी है।

एक बात विरोधी पक्ष की तरफ़ से यह कही गई कि हम लोग भी सरकार की समालोचना करते हैं। वास्तव में यह बात नहीं है। हम लोग उसकी नीति को नापसन्द नहीं करते हैं बल्कि पसन्द करते हैं। पसन्द करने के कारण उसमें जो खराबियां होती हैं, उसको सरकार को बताते हैं ताकि वह उन खराबियों को दूर कर सके। सरकार भविष्य में ऐसा क़दम उठाये कि फिर वह खराबियां न हों। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो समालोचना की जाती है वह विरोध करने की नियत से नहीं, बल्कि खराबियों को बतलाने के लिए की जाती है।

अब मैं सत्याग्रह के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि अगर यही हालत रही तो सत्याग्रह हो सकता है। उस समय कांग्रेस के ईमानदार लोग इसका साथ देंगे, सहयोग देंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसा सत्याग्रह हुआ तो कांग्रेस जनता का साथ देगी। लेकिन इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत से व्यक्ति सत्याग्रह को बुरा ग्रह भी समझते हैं। मैं समझता हूं कि वह इसे गलत समझते हैं। बम्बई के सत्याग्रह का भी यहां पर जिक्र किया गया। मैं कहता हूं कि अगर सत्याग्रह उचित बात पर हो तो सरकार जरूर उसका साथ देगी। उस दिन कांग्रेस के सारे आदमी उस सत्याग्रह में शामिल हो जायेंगे और उस दिन वे इन कुर्सियों पर भी नहीं होंगे। इसके अलावा हमारे प्रोफेसर साहब ने विनियोग के प्रस्ताव को स्थगित करने को कहा। मैं नहीं समझता हूं कि इतने बड़े व्यक्ति ऐसी बात कहेंगे। उन्होंने किस दृष्टि से इसको स्थगित करने को कहा, शायद पार्टी के सदस्य होने के कारण वह मजबूर हो गये। पार्टी के आदेश होने के कारण उनको यह बात कहनी पड़ी। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और यहां पर इस वजह से आये हैं कि हम शासन को अच्छी तरह से चला सकें। मैं कहता हूं कि अगर प्रोफ़ेसर साहब की बात को मान लिया जाय कि इसको स्थगित कर दिया जाय। तो मैं कहता हूं कि राज्य का कार्य सुचारुरूप से नहीं हो सकेगा। हम लोगों को जनता ने अपना प्रतिनिधि बना कर इस लिए भेजा है कि हम जनता की भलाई के लिए कार्य कर सकें, जनता की भलाई के लिए यह विनियोग बिल बहुत आवश्यक है। उस जनता के साथ हम विश्वासघात करेंगे और घोर विश्वासघात करेंगे यदि इसको स्थगित करने का प्रस्ताव हम रक्खें।

चेअरमैन---आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रामलगन सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन से जो अधिकार प्राप्त करने की मांग की है वह उचित है और मैं उसके औचित्य को स्वीकार करता हूं। इस भवन में बोलने वाले माननीय सदस्यों ने जो बातें की हैं उससे मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उसमें केवल यही दृष्टिकोण अपनाया गया कि जहां तक हो सके सरकार की निन्दा हम करें और वह निन्दा की बातों का प्रचार सदन से जनता में ले जायं और इस प्रकार क्रान्ति उत्पन्न करके हम सरकार को बदल कर अपनी प्रतिष्ठित सरकार बनाएं। दूसरे लोगों ने जो अपने विचार प्रगट किये उनका दृष्टिकोण यही रहा है कि जो बजट है उससे बढ़िया बजट कोई सरकार नहीं बना सकती है। और इसे सुन्दररूप में ढालना हमारा सब का कर्तव्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव-समाज और मानव-जाति जब से समाज-रचना की ओर अग्रसर हुई है तब से दो विचारों

का समाज में समावेश हुआ है चाहे ईश्वर के नाम पर या नर या नारी के निर्माण के नाम पर। देवता और राक्षस के नाम पर नाना प्रकार के संघर्ष हुए हैं और उन सब का यही मतलब है कि हम शक्ति और सत्ता के ऊपर अधिकार प्राप्त करें। इस दृष्टिकोण को रख कर तमाम बातें यहां कही गयी हैं। और उन्हीं कारणों से हमारे देश को गुलाम बनना पड़ा और सदियों तक गुलाम हमारा देश रहा और गुलामी की अवस्था में श्रेणीवाद का हमारे यहां प्रादुर्भाव हुआ कि शक्ति और सत्ता को मुट्ठी भर लोग अपने अधिकार में रखें और इसी के कारण हमारे यहां की मानव-जाति पददलित हुई और उनको कुचला गया। लेकिन चूंकि समय परिवर्तनशील है इन सभी बातों के होते हुए भी समयानुसार हमारे यहां जनता की शक्ति प्रतिष्ठित हुई और प्रतिष्ठित हो जाने के बाद हमारी जो सरकार बनी है वह जनता की सरकार है। आज जो लोग दबे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं और सताये हुए हैं उनका उत्थान किया जाय। इस बजट में इसका एक खास अंग है कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको उठाया जाय और जो हरिजन और दूसरी दबी हुई जातियां हैं उनका उत्थान किया जाय इसके लिए पचास लाख के लगभग सरकार ने अनुदान रखा है। हमको यह गौरव है कि हमारी सरकार ऐसा करने में समर्थ हुई। अगर कोई कहे कि गुलामी की हालत में जो लोग पीसे गये, जो लोग दबाये गये उनको उठाया जाय, यह बात सही है। मगर इस कार्य के लिए जो रक़म सरकार ने रखी है वह पर्याप्त नहीं है। हां, मैं यह कहूंगा कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि जो लोग सताये जाते हैं वह हमेशा सताये जायं या जो दबी हुई जातियां हैं उनका उत्थान न किया जाय, ऐसी बात नहीं है। मैं यह मानता हूं कि जितना रुपया सरकार इसके ऊपर खर्च करना चाहती है और जिस तरह सरकार की भावना है अगर उसी रूप में सही ढंग से इसको खर्च किया जाय तो हमारा सारा समाज समृद्धशाली बन सकेगा।

यह हमारा कर्त्तव्य है और हमें यह देखना है कि जो रुपया हम टैक्सों द्वारा जनता से वसूल करते हैं उसका सदुपयोग होता है या नहीं और उसके द्वारा हमें जनता का सुधार करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बहुत से साहबान ने विरोधी पक्ष की तरफ से सरकार की आलोचना की और अपने अपने भाव प्रदर्शित किये। तो शिक्षा का जहां तक संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले हमारा देश गुलाम था और हमारी शिक्षा भी उसी के अनुसार रही और पुराने समय में जो हमारी शिक्षा थी उसका कुछ दूसरा ही दृष्टिकोण था। हमारे जो आज के विद्यार्थी हैं वह पहले के विद्यार्थियों के समान नहीं हैं। हमारे जो पहले के विद्यार्थी थे वे नालन्दा और तक्षशिला के विद्यार्थी थे और वे जंगलों में शिक्षा पाते थे न कि आजकल की तरह से शहरों में, जहां कि कई सिनेमा हाउसेज़ हैं और दूसरे मनोरंजन के साधन हैं। पहले के हमारे जो गुरु होते थे वे भी विश्वामित्र जैसे होते थे और शिष्य राम जैसे होते थे और शिक्षा से शिष्य को भी सन्तोष होता था और गुरु को भी अपने शिष्य से सन्तोष रहता था। जैसा कि आज कहा जाता है कि अध्यापकों को वेतन कम दिया जाता है। मैं मानता हूं कि आजकल की परिस्थिति को देखकर उनका वेतन अवश्य कम है, मगर इससे अधिक यह है कि आज हमारे शिक्षकों को किसी तरह से भी सन्तोष नहीं है। पहले समय में जो सब से बड़ी बात थी वह यह थी कि हमारे शिक्षकों को परम सन्तोष रहता था और वह अत्यन्त आचार-विचार से रहते थे और उनका ढंग भी बहुत सात्विक था और वे विद्यार्थियों को शिक्षा भी जंगलों में पेड़ों के नीचे दिया करते थे और खुद झोपड़ियों में रहते थे। तब हमारे यहां के विद्यार्थियों के बहुत अच्छे और सात्विक विचार होते थे। लेकिन आज हमारे विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जा रही है उसमें और हमारे प्राचीन विद्यार्थियों में एकदम भिन्नता है। आज हमारी सरकार को शिक्षा की पद्धति में भी परिवर्त्तन करना है और एक नये सिरे से शिक्षा को चलाना है तो इसके लिये हमें आज अमली रूप में परिवर्त्तन करना है। आज की जो शिक्षा है वह हम लोगों की गुलामी की शिक्षा है और उससे हम गुलाम बनते हैं, हमें इस शिक्षा में परिवर्तन करने के लिये अपने दृष्टिकोण को बदलना है, जिससे कि उसका अच्छा असर भविष्य में और लोगों पर पड़ सके। आज हमारे यहां के जो अध्यापक हैं, वे काम से जी चुराते हैं और काम करना नहीं चाहते हैं और इससे हमारी शिक्षा का प्रवाह

[श्री राम लगन सिंह]

दूसरी तरफ चला जाता है। तो इस तरह से हमें अपनी शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके विद्यार्थियों और शिक्षकों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी और उनके दृष्टिकोण को भी बदलना होगा और जब तक हमारे अध्यापकों में ऐसी भावना नहीं आयेगी तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है और इस तरह से हमारा लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपया बेकार खर्च हो जायेगा। तो इसके लिये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस समय हमारी शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता है और मैं इसके लिये आपके द्वारा गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं इन चन्द बातों को खत्म करके माननीय वित्त मंत्री जी का, उनके इस बिल को पेश करने पर समर्थन करता हूं और उसका स्वागत करता हूं।

***Sri Hargovind Misra** : Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill which has been moved by the Finance Minister. A lot has been said both for and against the Bill ; but when all has been said, it rests with the people to work a programme of action or not to work it.

श्री हकीम बृजलाल वर्मन—नियम के अनुसार हिन्दी में बोलना चाहिये।

चेयरमैन—अंग्रेजी में बोलना भी नियम के अनुकूल है।

श्री राजाराम शास्त्री—आप हिन्दी नहीं जानते हैं, आप संस्कृत जानते हैं।

श्री हरगोविन्द मिश्र—आप संस्कृत में सुनना चाहते हैं तो मैं बोल सकता हूं।

श्री राजाराम शास्त्री—मैं सुनना चाहूंगा।

चेयरमैन—order ! order!! कौंसिल का नियम है कि सदस्य हिन्दी या अंग्रेजी में बोल सकते हैं। संस्कृत, फारसी, फ्रेंच या जर्मन में भाषण नहीं किया जा सकता।

Sri Hargovind Misra : Thank you, Sir.

I was going to congratulate our Government, Sir, on producing a programme of action which to my mind has seeds of tremendous activities. Of course there are members who would expect heavens to rise on earth out of nothing. Let us realise Sir, that arfter all, with a total income of Government which works out to one and a half pies per head per day, there is very little that can be done. But the scope for development is there in the programme of action. Let me remind here, Sir, what America did a few centuries ago. When the white people landed there for the first time, they found the land full of jungles. They had no capital ; they had no instruments, but just with their bare hands those few hundred people started work and today with that work produced with their bare hands they have created a civilization which is a marvel for the whole world. What they have done we can also do.

A few years back, Sir, I was discussing the plans of developing a country like India, in America. I had prolonged discussions with engineers and first-rate scientists. They listened to my story: what different materials we had, our manpower, river-power and so on and after listening to the stories they said, "Please tell us one thing. Do your people believe in work or not, or are they lazy ? I said why they asked that question and they said, "Sir, you may have the best budget, best programme and best plans but if people do not work the best plan will be useless. But if on the other hand people have the will to work then they can create heavens out of nothing and this is what the Americans have done. Sir, it is the work on the foundations of which a superstruc-

---

*Speech not revised by the member .

ture of prosperity is constructed. Mere criticising Government, merely saying "this is not right and that is not right" will not help us. We have one freedom for our country which is a great thing. Opportunities are open to us only we must work—work according to a certain plan and the plan with which our Government have come forward is a realistic plan.

Sir, it is said in *Arthshastra* : "व्यापारे बसते लक्ष्मी"।

The wealth is created out of industry and commerce. I see in this budget in the programme which the Government has set forth; there is a tremendous possibility of expansion of industry which will provide work to our millions of people. We are only producing one-third of the requirements of cloth in our State. With more and more power being promised and Government have really promised 15,000 K. W. in Kanpur in addition to the 36,000 already there we can set up more and more mills and create wealth. The greatest need today is to find work for our educated young people. That is all very well to educate our young people—they can study all the books that there are in the world—and there are 54 lakh volumes in Harvard University alone—they can read all of them if they live long enough to do so and yet remain uselesr people. What the world wants is action. It is action that will produce result. Therefore, I have said Sir, that I would rather see our young men half-edudated or not educated at all than see them highly educated and like living dynamoes but a danger to society without work. The most tragic thing in any society in any country is the unemployment of youth, and this is the danger staring us in the face.

Then we have lakhs and lakhs of our zamindar brethren. They are our brethren, we have sympathy for them. We want them usefully employed in country's work and all sort of work can be provided only by expansion of industry and commerce for which there is a tremendous scope in our Uttar Pradesh. For this provision for expansion of industries I heartily congratulate the Finance Minister.

There are certain practical difficulties in the way of commercial and industrial People. To them I would, from time to time, draw Government's attention. Speaking as an industrialist, as a man immersed in commerce, I would say that unless these day-to-day difficulties are removed through consultation and co-operation with Government there is not much we can do. For instance, there is the case of sales tax. Now I am not saying that sales tax must not be levied. Levy it by all means. And levy it at as large a scale as possible, but see to it that it is operated scientifically—it is not operated in a manner where factories of the same type are taxed separately and one is allowed to live, the other is allowed to die. I am not saying that this has been done purposely. After all, all these experiments are new for us but from experience let us learn and if there are difficulties—as indeed they are—let us remove them. I promise that in view of the scope made available to us for industrial activities we shall do our very best to co-operate with Government.

The Government have rightly floated a loan and it is for everyone of us to subscribe to it liberally. I promise that our friend from

[श्री हर गोविन्द मिश्र]

Kanpur and from industrial circles will do their very best and they will go from door to door to see that this loan is made a success.

Then, Sir, with regard to new industries, I would say Government should go out of their way to help any new proposals that come forward. New industries require a lot of nursing and this sort of nursing has been provided in all other countries everywhere; otherwise new industries cannot rise. Sir, it has been said that sufficient has not been done for education. My previous friend who was just speaking rightly said that spread of education does not depend on the amount of money spent. There should be a will to educate the people. In England a movement was started years ago which was called adult education and people educated themselves by learning from one another. If one teaches the other, then in no time people can be taught. After all what is the use of teaching if that teaching is not going to prove productive in our day-to-day life? And this is exactly what is happening. Millions of people young men are coming out of our universities but there is no work for them. That is something very tragic. Therefore, I say, let us have more and more industries in spite of all the trouble created amongst labour by well-designed people. Let us create more work. It is the work that will create civilizations

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)--जनाब चेयरमैन साहब, मैंने कुछ देर यह सोचा कि मैं अपनी बात कहां से शुरू करूं और मेरी समझ में यह आया कि जिसके जवाब में आज मुझे कुछ नहीं कहना है, जिस बात के मुताल्लिक़ मुझे कुछ नहीं कहना है, वहां से शुरू करूं। मैंने पिछली दफा अपनी गुजारिश में यह अर्ज किया था कि जहां तक टैक्सेजन का ताल्लुक़ है उस पर मैं उस वक्त तक कुछ कहना नहीं चाहता, इसलिये कि यह मसला हाउस के सामने अपनी पूरी शक्ल में आने वाला है और उस वक्त हाउस को पूरा मौक़ा होगा कि उसकी निस्बत जो चाहे कहे और जो चाहे, फैसला दे। मैं अभी उस बात को क्लियर नहीं कर सकता या मुख्तसर में नहीं अर्ज कर सकता जो मसला कि हाउस के सामने जल्द आनेवाला है।

टैक्सेजन की बाबत जिन साहबान ने जो कुछ कहा है उसके मुताल्लिक़ मेरी आज की गुजारिश में कोई जवाब नहीं है लेकिन और जिस कदर आलोचनायें की गई हैं उसमें से कुछ बातें मैंने अपने नजदीक ऐसी समझी कि उनकी निस्बत इस ऐवान में कुछ अर्ज कर दूं, मुमकिन है कि मेरी चवायस ग़लत हो और कोई ऐसा प्वाइन्ट हो मेरी बदक़िस्मती से या प्वाइन्ट की बदकिस्मती से जिसको मैंने समझा हो कि उसको भी शामिल करूं तो हो सकता है, उसके लिये मैं माफी चाहता हूं। एक बात चन्द तरफ से कही गई और मेरे नजदीक़ वह एक ठीक बात है। वह है लोकल बोर्ड्स की हालत के बारे में। हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो इस स्टेट में हैं वाकई उनकी वह हालत नहीं, जो होनी चाहिये, क्यों नहीं है। मैं यह राय रखता हूं कि उसका ज्यादा सबब उनकी हालत का अच्छा न होना है। जो ख़िदमात उनको सचमुच क़ानून की रू से अंजाम देना चाहिये अगर उनके पास उनको अंजाम देने के लिये रुपया न हो तो मैं समझता हूं कि वह अपने अंजाम को ठीक तरीक़े से नहीं दे सकते हैं। हमारे यहां पंचायतें क़ायम की गई हैं और अब उसके बाद एक सवाल यह आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं उनका कांस्टीटयूशन वही रहे जो अभी तक था या उसमें कुछ तब्दीली की जाये। उनकी जरूरत काफ़ी है भी या नहीं है। अगर है तो उनकी फाइनेन्शियल हालत दुरुस्त करने के लिये क्या किया जाये। यह एक मसला है जो इस वक्त कमेटी के सुपुर्द है। वह कमेटी आपके बनाये हुये मिनिस्टर्स की कमेटी के सुपुर्द है। जब वह कमेटी ग़ौर कर लेगी तब वह मसला लेजिस्लेचर के सामने लाया जायेगा और उस वक्त लेजिस्लेचर को मौक़ा होगा कि अपनी राय दे और जिन बातों से गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचने वाला हो उनको गवर्नमेंट मान ले।

दूसरी बात जिसकी बाबत में बहुत मुख्तसर में अर्ज़ करना चाहता हूं वह भी एक कमेटी के सुपुर्द है। वह मसला एक कमेटी के ज़ेरे ग़ौर है। वह मामला तालीम का है। मैं थोड़ी देर में उसकी बाबत कुछ अर्ज़ करूंगा। पिछली मर्तबा भी कहा गया था और इस मर्तबा भी कहा गया है कि एजूकेशन में खराबी है। मैं इस बात को मानता हूं, हां, यह हो सकता है कि वह उस क़दर न हो जिस क़दर कि कुछ लोगों ने कही है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे एजूकेशन का, तालीम का, जो तरीक़ा है उसमें रिफार्म होना चाहिये। अब हमको सोचना है कि क्या क्या तब्दीली उसमें की जानी चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी सोचता हूं कि जब कि एक कमेटी इस मसले पर ग़ौर करने के लिये बैठी हुई है तो उस पर पहिले से ग़ौर करना कोई ज्यादा फायदेमन्द बात साबित न होगी। यह कमेटी नैनीताल में बैठी थी और उस वक्त में भी उसमें मौजूद था। तो मैं समझता हूं कि वह बात जो एक कमेटी के सुपुर्द है उस पर गवर्नमेंट को पहिले से कोई बात नहीं कहनी चाहिये। लिहाज़ा मैं इससे भी मुज्रिर हूं कि जो बातें एजूकेशन की बाबत कही गई हैं उनकी बाबत कुछ कहूं। हां, इतना ज़रूर कह देना चाहता हूं कि जहां मेम्बरान को इस बात का अहसास है कि एजूकेशन में सुधार होने चाहिये वहां गवर्नमेंट को भी एहसास है। अब मैं कुछ बातें जो मैंने सुन सुन कर थोड़ा थोड़ा नोट कर लिया था, परन्तु वह एक-दूसरे से मिलती नहीं है फिर भी मैं उन पर नम्बर-वार कुछ थोड़े में अर्ज करना चाहता हूं।

जहां तक हिन्दी का ताल्लुक़ है, मेम्बरान के इल्म में यह है कि हम हिन्दी को क़ानून की रू से एक साल के अन्दर स्टेट लैंग्वेज क़रार देने वाले हैं। जहां तक मुझे याद है नवम्बर, दिसम्बर का महीना जो आकर पड़ेगा, उस वक्त तक यह बात देखनी होगी कि इस गवर्नमेंट ने हिन्दी की और कितनी तरक्क़ी की। लिहाज़ा मेम्बरान इस नज़रिये से जिससे इस वक्त हिन्दी के मुताल्लिक़ दरयाफ्त करना शुरू किया, उस वक्त इस नज़र से देखना शुरू करें।

एक इल्ज़ाम मेरे दोस्त ने टैक्स की बाबत लगाया और वह यह था कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन के पहले टैक्स का लगाना नहीं सोचा था और इलेक्शन करने के बाद जब गवर्नमेंट में फिर आ गये तो टैक्स लगा रहे हैं। मुझे हैरत है कि जिस दोस्त ने यह कहा मैं उनसे एक मेम्बर की हैसियत से यह तवक्क़ह नहीं करता था और मैं समझता था कि वह पूरी तरह से इस बात को समझते होंगे। हो सकता है कि वह सोचें कि यह गवर्नमेंट बुज़दिल इतनी थी कि इलेक्शन के पहले उसने कर लगाना नहीं सोचा और अब सोचती है। लेकिन मैं कहूंगा कि जिन्होंने यह एतराज़ किये अगर वह गवर्नमेंट में होते और उनकी गवर्नमेंट की मियाद जाती होती तो क्या उनके लिये यह मुनासिब होता कि कल वह जा रहे हैं और आज चलने से पहले लोगों के ऊपर इस क़िस्म के कर बांध जायं जिससे लोगों को तक़लीफ़ पहुंचे, यह तरीक़ा क़तई किसी गवर्नमेंट का नहीं होता और न यह इसी गवर्नमेंट के लिये मुनासिब था। किसी मुख़ालिफ ख्याल के आदमी का यह ख्याल हो कि गवर्नमेंट ने इस काम को उस वक्त इसलिये नहीं किया कि उसे इलेक्शन जीतना था, तो जो शख्स मुझे बावजूद एक इन्सान होने के बुरा समझता है तो उसका ख्याल हमेशा मेरे लिये बुरा ही होगा, ख्वाह मेरा काम अच्छा भी हो तो वह सोचेगा कि यह अच्छा काम भी किसी बुरी नियत से किया होगा। अब रहा बिक्री कर, जिसकी शिकायत में कुछ बातें कही गईं, मैं उनके मुताल्लिक़ इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि बजट स्पीच होने के बाद मेरे पास बिक्री कर की शिकायतें, सुझाव और मुख्तलिफ तरह की बातें बिक्री कर के बारे में आती रहीं और आती हैं। मेम्बरान से इसके मुताल्लिक़ मुलाक़ात भी कर रहा हूं और उनको वक्त भी दे रहा हूं और जो डिपार्टमेंट में शिकायतें रही हैं उनको भी सुन रहा हूं और जो उनकी मुनासिब राय हैं उनको भी सुन रहा हूं और कहता हूं कि जो बेहतर से बेहतर बात हो सकती है, वह करूंगा। अब अगर खुदा ने हमारी मदद की और हमारे अन्दर उस तरह की बदनियती न निकली जैसा कि लोग हमारे मुताल्लिक समझते हैं तो हमें उम्मीद है कि इस सिलसिले में हम कुछ कर सकेंगे।

[वित्त मंत्री]

हेल्थ के मुतालिलक यहां भी बहुत कुछ कहा गया है, यूं तो जहां तक यूनानी, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और एलोपैथिक के सिस्टमों का सवाल है मैं नहीं चाहता कि इन सिस्टमों के बहस के सिलसिले में इस ऐवान का वक्त बरबाद किया जाय कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। मैं तो सिर्फ यही समझता हूं कि यूनानी, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक और एलोपैथिक सभी सिस्टम आजकल इस देश के अन्दर खिदमत कर रहे हैं और उनसे यहां के मरीजों को फरहत पहुंच रही है। इसलिये सरकार का फर्ज हो जाता है कि वह जो कुछ भी इमदाद कर सके इन सबके साथ करती रहे, हमेशा से गवर्नमेंट उनकी इमदाद करती आई है इस साल के बजट में भी उनके लिये इमदाद रखी गई है और आयन्दा भी रखी जायगी। इसलिये यहां पर यह बहस करना कि कौन सी अहमियत की है और किसको रखना चाहिए या किसको मिटा देना चाहिए, यह चीज हमारी समझ में नहीं आती। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि जिस चीज को कुदरत मिटाना चाहती है उसे कोई सरकार या कोई शख्स कायम नहीं रख सकता है। उसे कोई बचा नहीं सकता है, वह मिट कर ही रहेगी। इसके बरखिलाफ अगर किसी चीज के मुतालिलक कुदरत चाहती है कि वह कायम रहे तो दुनिया की कोई कूव्वत उसे मिटा नहीं सकती। अगर यूनानी सिस्टम को जाना है तो वह जाकर ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है। गवर्नमेंट का यह ख्याल है कि जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है उसकी मदद की जाय और उससे फायदा पहुंचने दें। यहां एक साहब ने एक बात कही है वह वाकई माने जाने के काबिल है, वह ऐसी चीज है, और इतना अच्छा सुझाव है कि उसकी जितनी भी दाद दी जाय कम है और मैं समझता हूं कि वह माने जाने के काबिल है और गवर्नमेंट को उसे जरूर मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो कुछ देहातों में करना है उसके लिये वहां खुद जाना चाहिए, वहां की दुश्वारियों को समझना चाहिए, देहातों के दौरे करना चाहिए और जो चीज वहां इम्प्रूवमेंट के लिये की जा रही है उसकी प्रोग्रेस को खुद देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा मशविरा है। इससे देहातों में काफी सुधार और प्रोग्रेस हो सकती है। अगर ऐसा किया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे काफी तरक्की हो सकती है। लिहाजा मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि इस मामले पर गवर्नमेंट उनके मशविरे पर जरूर अमल करेगी। अब जो बात मैं कहने वाला हूं, इससे पहिले की मैं उसे अर्ज करूं, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि पहले अपनी पोजीशन को साफ कर दूं। मुझे अफसोस है कि श्री सम्पूर्णानन्द जी इस वक्त लखनऊ में तशरीफ नहीं रखते हैं, नहीं तो उनके मुतालिलक जो बातें कही गयी हैं अगर वह होते तो मैं उनको तकलीफ देता कि वह यहां पर आकर उन बातों का जवाब दें जिनको डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने जानना चाहा है। डा० साहब ने साथ ही अपने बयान में साफ जाहिर किया है कि वह उनसे मिलने को तैयार हैं। मुझे खुशी होगी अगर वह उनसे मिल लें और मुझे यकीन है कि जब उनकी यह ख्वाहिश है तो वह उन तक पहुंच ही जायेंगे। मैं अर्ज करता हूं कि इन बातों को मैं उन तक पहुंचा दूंगा और डाक्टर साहब को यह तकलीफ दूंगा कि वह जाती तौर पर श्री सम्पूर्णानन्द जी से व एजूकेशन मिनिस्टर हर गोविंद सिंह जी से, जो इस वक्त यहां तशरीफ नहीं रखते हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लें। यूनिवर्सिटियों में पार्टीबन्दी के बारे में भी कहा गया है। मैं इस बात का ज्यादा तजकिरा नहीं करना चाहता लेकिन जहां तक इस वजूद का ताल्लुक है मुझे याद है कि वह भी एक प्राब्लम है उसके मुतालिलक क्या करना है इसके लिये जो गवर्नमेंट का ख्याल होगा और जो आप लोगों की राय है उसके जरिये से किसी एक नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। संस्कृत यूनिवर्सिटी के मुतालिलक यह कहा गया है कि उसे मुल्तवी कर दिया गया है। मगर उसकी मुल्तवी इस वजह से नहीं हुई कि किसी ने उसे मंजूर नहीं किया कि संस्कृत यूनिवर्सिटी न बनाई जाय और उसके लिये कानून नहीं बनाये जायं बल्कि उसके करने का वक्त आया है, वह चाहिए भी। उस वक्त उसे इसलिये नहीं बना सके की वक्त की कमी थी और इलेक्शन करीब हो गये थे। अब इस सिलसिले में आगे काम होगा। एक बात मैं पूरे तौर से समझा नहीं था। खुलासा उसका यह था कि सन् १९१४ के माडल का एक एस्ट्रोनामी की मशीन सन् १९५० में खरी

गयी। मैं इससे इन्कार नहीं करता। सही हो सकता है कि वह चीज हो सकती है। मैं उसके मुताल्लिक मालूमात हासिल करूंगा। अगर वह इस काबिल चीज नहीं थी तो उसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी। डा० साहब ने बोर्ड की हालत की तरफ तवज्जह दिलायी है। उस बोर्ड के मुताल्लिक में यह अर्ज करूंगा कि मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि उसके अन्दर कमियां हैं और जो गलती है उसको यकीनन निकालना चाहिए और अर्ज करना चाहता हूं कि वह जल्दी ही पार हो जाय और वह एक ऐसी चीज बन जाय कि जिसमें एतराजात का मौका ही न रहे। एक बात यह भी कही गयी कि स्कूल तो कम हों मगर अच्छे हों। यह हमारी इच्छा भी है कि चाहे स्कूल कम न हों मगर अच्छे जरूर होने चाहिये और इससे कोई इंकार भी नहीं कर सकता। लेकिन नैनीताल और ज्ञानपुर कालेज के बारे में प्रोफेसर साहब का यह इरशाद हुआ कि वहां प्रोफेसरों की तनख्वाह बमुकाबिले और डिग्री कालेजों के प्रोफेसरों से ज्यादा है। तो मैं इतना अर्ज कर सकता हूं कि इन कालेजों में और उन कालेजों में जो पहले से हैं एक फर्क है और वह यह है कि यह कालेज एक माडल कालेज का काम करेंगे। अब उसकी तफसील प्रोफेसर साहब श्री सम्पूर्णानन्द जी से दरियाफ्त कर सकते हैं। जहां तक तनख्वाह में फर्क करने का सवाल था वह मैंने आपको बतला दिया है।

एक बात रिहन्द डाम के मुताल्लिक भी कही गयी है और शायद डाक्टर साहब ने ही कही है। उसके बारे में वाकया यह था कि हमने जो अपना प्रोग्राम बनाया यू० पी० के लिये उस प्रोग्राम में पहिले पांच साल के लिये जो हमारा प्रोग्राम है उसके अन्दर यह शामिल किया गया है। जो हमने अपना प्रोग्राम अख्तियार किया वह प्लानिंग कमीशन में गया। गवर्नमेंट आफ इंडिया में और प्लानिंग कमीशन में जरा डिफरेन्स है। प्लानिंग कमीशन एक बाडी है, जिसे गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सेटअप किया है--

That is not identical with the Government of India itself.

तो प्लानिंग कमीशन में यह था कि वहां के प्रोग्राम को किस तरमीम के साथ मन्जूर करें और किस में शामिल कर दें। मैं प्लानिंग कमिश्नर के पास गया और उनसे यह दरख्वास्त की कि वह यह बात सोच लें कि वह इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। लेकिन इसके साथ मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि अगर वह गवर्नमेंट आफ इंडिया में शामिल हो जाता है तो इसके माने यह नहीं हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से रुपया मिले। रुपया मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है दोनों बातों की उम्मीद की जा सकती है। इससे यह फायदा जरूर होगा कि फारेन कन्ट्री की जो हमारी जरूरतें हैं उसको वह पूरा करेगी। अगर यह गवर्नमेंट आफ इंडिया में शामिल नहीं होगी तो वह उस वक्त तक हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करेगी जब तक वह उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर लेती जो उसमें शामिल हैं। एक बात मैं और अर्ज करूंगा, जैसा कि डा० साहब ने फरमाया कि मैं वहां गया और मेरे साथ आफिसर भी गये थे। तो मैं उनसे बातचीत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि यह स्कीम बहुत अच्छी है, बहुत फायदेमन्द है और दुनिया की सब से मुफीद स्कीम है। इससे बिहार को फायदा पहुंचने वाला है, यू० पी० को फायदा पहुंचने वाला है। वाकई में यह स्कीम बहुत अच्छी है। जहां तक रुपये का ताल्लुक है उसका हम इन्तजाम कर चुके हैं। चूंकि यह स्कीम बहुत अच्छी है इसलिये इसको गवर्नमेंट आफ इंडिया की प्लानिंग स्कीम में शामिल हो जाना चाहिए। उसके लिये मैंने बातचीत की थी। अभी मुझे काम की वजह से फुरसत नहीं थी इस वजह से मैं उनकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। काम से फुरसत होने के बाद मैं वहां जाकर इसकी बाबत उनसे बात करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया से रुपया मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि एक चीज की चाहे कितनी ही पक्की उम्मीद क्यों न हो, बाज दफा वह नहीं भी मिलती है। अगर हमको वहां से रुपया नहीं मिला तो हम अपने रिसोर्सेज से उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस स्कीम की हमारे यहां बहुत जरूरत है इसलिये इसको किसी न किसी तरह से चलाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। सरकार का पक्का इरादा है कि वह इसको जरूर कामयाब बनाने की कोशिश करेगी। मैं समझता

[वित्त मंत्री]

हूं कि इसमें आपको कतई शुभा नहीं होना चाहिए। डाक्टर साहब ने बिजली के बारे में फरमाया कि बिजली के इस्तेमाल के लिये कोई इन्तजाम नहीं है। यह बात नहीं है। जो बिजली वहां पर बनने वाली है वह करीब दो लाख किलोमीटर के है। वहां तो बिजली बनती है। जब कोई पावर हाउस बनाया जाता है तो उससे पहले का तरीका यह है कि वहां पहले पायलेट स्कीम के जरिये से इस किस्म की चीज को सेटअप किया जाता है और जितनी बिजली की जरूरत रहती है वह पहले ही तै हो जाती है और उसके बाद दूसरी स्कीम जो नजर आती है उसको लिया जाता है और एक्जेक्टली यही वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। वहां जिस कदर इसको डेवेलप करना था वह तो हो गया है और इसको यहां डेवेलप करने के लिये आपके प्राविन्स में ३ पावर हाउसेज बनाने की तजवीज है और वह ३ पावर हाउसेज गोरखपुर, फैजाबाद और मऊ में होंगे। इन तीन मुकामों पर पावर हाउस इस पांच साल के अन्दर बन कर तैयार हो जायेंगे और इस तरह से बिजली तैयार हो कर के स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को और काटेज इन्डस्ट्रीज को जहां जरूरत पड़ेगी, सप्लाई की जायेगी और उसके साथ ही साथ वहां ट्यूब-वेल को भी डेवेलप किया जायगा। यह सब उसके अन्दर तजवीज की गयी है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--गोरखपुर, फैजाबाद, मऊ और कानपुर का जो आपका प्रोजेक्ट है उनका डेवलपमेन्ट काफी हो गया है या नहीं हुआ है?

वित्त मन्त्री--मैंने यह अर्ज किया है कि इन तीन मुकामों पर पावर हाउस बनाने की स्कीम है और यह पांच साल की योजना के अन्दर पूरा किया जायेगा। आपका एक इलाका सुहावल है वहां पर तो आलरेडी पावर हाउस है, जो कि स्टीम का है उसके अन्दर १० हजार किलोवाट इस तरह से और बढ़ाने के लिये काम किया जायेगा और गोरखपुर का काम किया जायगा और वह अब नयी बनाई जायगी और इस तरह से उनके जरिये से बिजली मुहैया की जायेगी। इस वक्त तो उनके डेवलपमेंट होने का सवाल नहीं है इस वक्त तो सिर्फ यह सवाल है कि उनको डेवलप करने के लिये रुपया मिले। और उसे बनाने का काम हम कर रहे हैं यह जो आपका बजट है उसके अन्दर भी यह डिमान्ड पेश की गयी है।

अबालिशन आफ जमीन्दारी के बाद सवाल यह पैदा हुआ कि मालगुजारी कैसे और किस तरीके से वसूल की जाय। उसके मुताल्लिक तो जिक्र किया गया था और उसमें बहुत सी बातें की गई हैं उनको मुख्तसर बयान करते हुए मैं यही कहता हूं कि गवर्नमेंट की जो तजवीज है वह यह है कि रियलाइजेशन के लिये नया स्टाफ रक्खा जाय और उस नये स्टाफ के जरिये से यह लगान जो कि गवर्नमेंट को मालगुजारी के रूप में वसूल करना है वह काश्तकारों से वसूल करेगी। वह लगान इस नये स्टाफ के जरिये से काश्तकारों से वसूल किया जायेगा और पटवारियों से वसूल होने की तजवीज इस वक्त तक नहीं है। यहां यह भी शिकायत की गयी है कि छपाई और दूसरे कामों में फजूल खर्च किया गया है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--छपाई पर हमारा कोई एतराज नहीं है लेकिन एतराज तो यह है को इसके लिये आर्ट पेपर इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऐसे मामूली काम के वास्ते जरूरी नहीं है।

वित्त मंत्री--हो सकता है कि मैं गलत होऊं लेकिन जहां तक मेरी याद्दाश्त काम कर सकती है मेरा ख्याल है कि इस पर एतराज किया गया है। एक साहब ने यह भी कहा कि इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के अन्दर जो पब्लिसिटी होती है उसके अन्दर जो पैम्फलेट छापे जाते हैं वह अंग्रेजी में होते हैं, हिन्दी में होते हैं लेकिन उर्दू में नहीं होते। यह गलत कहा गया है। जहां तक इसका ताल्लुक है इसकी निस्बत मैं यह अर्ज करूंगा कि उनको खुद मालूम नहीं है कि उर्दू के पैम्फलेट बहुत से छपे हैं और सभी की एक एक कापी उर्दू में भी छपती है और उर्दू में भी वह इन्फारमेशन भेजी जाती है। रोजाना जो स्टेटमेंट निकलते हैं वह हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा उर्दू के भी निकलते हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--अभी तक तो उर्दू का कोई कागज नहीं मिला है।

वित्त मंत्री—उसमें उर्दू की भी तैयार होती हैं और उर्दू में भेजी जाती हैं । प्वाइन्ट तो यह था कि इसमें जितने भी हैं उर्दू चाहने वाले हैं, हिन्दी चाहने वाले हैं और अंग्रेजी भी चाहने वाले हैं । मेरे एक दोस्त जो इस वक्त भी तशरीफ रखते हैं उनकी एक शिकायत थी कि फतेहपुर में उनको बहुत शर्मिन्दगी उठानी पड़ी क्योंकि वहां अभी तक कोई इन्तजाम बिजली का नहीं हुआ है । लेकिन मैं अपने दोस्त को यह बतला दूं कि वहां कितनी नहरें अभी बनी हैं और कितनी सड़कें बन चुकीं हैं और बिजली के लिये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि वहां बिजली भी लग जायेगी मगर अभी तक इसका कोई इन्तजाम फतेहपुर में नहीं हो सका, इसके लिये मुझे अफसोस है और मैं इसे अपनी बदकिस्मती समझ लूंगा कि वहां कक्कड़ साहब को इसके लिये शर्मिन्दगी उठानी पड़ी ।

श्री बद्रीप्रसाद कक्कड़—लाइट कब तक लग जायेगी ?

वित्त मंत्री—दुनिया उम्मीद पर कायम है । डाक्टर साहब ने एक बात फरमाई और मेरा ख्याल है कि वह गलतफहमी पर मबनी है । वह यह है कि स्टैन्डिंग कमेटीज जो बनी हैं उसमें फाइनेन्स के लिये कोई स्टैन्डिंग कमेटी नहीं होती । तो उसकी वजह यह है कि फाइनेन्स विभाग के साथ ३ कमेटीज अटैच होती हैं और फाइनेन्स कमेटी के वही मेम्बर होते हैं । एक तो उसमें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है और दूसरी फाइनेन्स एस्टीमेट कमेटी और तीसरी फाइनेन्स कमेटी जो कि असेम्बली के एस्टीमेट को देखती है । तो यही सब आमदनी और खर्चे को देखती हैं । चूंकि फाइनेन्स कमेटी के साथ आलरेडी ३ कमेटी हैं इसलिये उसके साथ हमें कोई स्टैन्डिंग कमेटी की जरूरत नहीं हो सकती हैं ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि यहां शिकायत की गयी है कि खादी की तरफ गवर्नमेंट कोई तवज्जह नहीं करती है और जो रुपया इस समय मिल रहा है वह रुपया भी पहिले के मुकाबिले में कम है । तो क्योंकि हाउस का समय बचाना है और मेरे पास यह छपा हुआ रखा है, नहीं तो मैं इसे पढ़ देता ।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—कुछ खुलासा होना चाहिए ।

वित्त मंत्री—मुझे याद नहीं है, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं इसे पढ़ देता हूं, मगर वह एक छोटे पम्फलेट के तरीके का है ।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल—उसकी एकएक कापी बटवा दीजिए ।

वित्त मंत्री—जिन मेम्बर साहबों को इसकी जरूरत होगी, उनको दे दी जायेगी । गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि खादी कायम रहे और उसकी तरक्की हो, मगर अभी से यह उम्मीद करना कि खादी के कपड़े एक चपरासी भी पहनें तो यह नहीं हो सकता है । क्योंकि जब इस चीज का इतना प्रोडक्शन नहीं है, तो यह चीज अभी मुमकिन नहीं हो सकती है । इस काम के लिये जितनी हमको जरूरत है उतना अभी नहीं मिलता है । यह रहा इस बात का जवाब । बाक़ी उसमें लिखा हुआ है । मेरें एक दोस्त ने कहा है कि उसकी निस्बत इसलिये मुझे अर्ज करना है । मैं तो यह चाहता था कि उसकी निस्बत अर्ज न करूं, इसलिये कि वह बात तो पुरानी हो गई है, नई नहीं है उसे कहता रहा हूं और सुनता रहा हूं ।

माफ कीजिये, मुझे एक बात और याद आ गई है । मेरे दोस्त ने मुरादाबाद की इन्डस्ट्री और बनारस के जाली बनाने की इन्डस्ट्री के बारे में कहा था । जहां तक मुरादाबाद की इन्डस्ट्री का ताल्लुक़ है, मुझे उसकी पर्सनल वाक़फियत है और मैं जानता हूं । जहां तक बनारस की जाली बनाने की बात है, मुझे कुछ मालूमात है और बहुत सी मालूमात अन्सारी साहब की तक़रीर से हो गई है । मैं समझता हूं कि वह दोनों इन्डस्ट्रीज अभी रहने के क़ाबिल हैं और जितनी मदद और इमदाद गवर्नमेंट कर सकती है, वह करेगी और इस बात की कोशिश की जायेगी कि जितनी इमदाद की उन्हें जरूरत है, वह पूरी की जाय ।

एक आवाज़—म्युनिसिपल इलेक्शंस का क्या होगा ?

वित्त मंत्री—म्युनिसिपल इलेक्शन्स कब होंगे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन्स कब होंगे ? आप पूछेंगे कि यह मैंने क्यों कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन्स कब होंगे ? यह मैं कह दूं कि जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का ताल्लुक़ है, उनके भी इलेक्शन का समय आ रहा है, शायद दिसम्बर या जनवरी में ड्यू है, लेकिन यह मसला एक सब-कमेटी के जेरे गौर है। उसके अन्दर यह तय हो रहा है कि उस समय होगा या नहीं होगा। मैं इस वक्त यह नहीं कह सकता कि इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई फैसला इस बात पर नहीं किया है। इस वक्त जो एक्सटेन्शन म्युनिसिपल बोर्ड्स को मिला है और जितना वक्त इलेक्शन का रहता है, उसके अन्दर ही यह होगा। लेकिन पिछले मर्तबा जब इलेक्शन हटा दिये गये थे तो यह कहा गया था कि चूंकि बड़े इलेक्शन होने जा रहे हैं और गवर्नमेंट को जुरंत नहीं है कि वह इलेक्शन करा सके, इसलिये वक्त बदल दिया गया। मगर यह दलील इस वक्त तो काम दे नहीं सकती है। मेरे लिये तो यह है कि मैं जानता हूं कि अगर इस वक्त तारीख बदल दी गई तो इस तरह से तो कोई कह नहीं सकता है। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि टाइम के अन्दर इलेक्शन हो जायेंगे।

एक दोस्त ने अपनी बजट की स्पीच में यह गुजारिश किया और यह कहा कि "U. P. is a welfare State in the making." इस पर एक एतराज किया गया और एक तरफ से यह कहा गया कि जो मैंने कहा वह हक़ीक़त के खिलाफ है। और यह भी कहा गया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने किसी मौक़े पर यह कहा कि यह वेलफ़ेयर स्टेट है और सब से बेहतर है "Pantji also called it the ideal welfare State in India" इसमें एतराज यह किया गया कि जो मैंने कहा है और जो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने कहा है वह दोनों बातें एक दूसरे के कान्ट्रेडिक्टरी हैं, एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती हैं, उसको मैं साफ कर दूं। मैं मिसाल के तौर पर एक बात कहता हूं। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि एक पुलिस स्टेशन है। यह इमारत है और यह है पुलिस स्टेशन और अब हुजूर ने पुलिस को हटाकर शफ़ाखाना क़ायम कर दिया। दवायें भी रखी हैं, डाक्टर भी बैठे हैं, कम्पाउन्डर भी हैं। लेकिन वेल इक्वीप्ड शफ़ाखाना होने के लिए जितना सामान चाहिए, उतना इसमें मौजूद नहीं है, तो मुझे बताया जाये कि इसे इस वक्त आप शफ़ाखाना कहेंगे कि नहीं। अगर इस वक्त इसे शफ़ाखाना कहेंगे तो किसी पुलिस स्टे को जिसे वेलफ़ेयर स्टेट बनाने का इरादा कर लिया गया है, वेलफ़ेयर स्टेट यक़ीनन कहेंगे। हां, यह कह सकते हैं कि उस में फलां चीज की कमी है। एक्सरे प्लान्ट की कमी है, अच्छे एपरेटस की कमी है। अंग्रेज के वक्त में अगर वेलफ़ेयर स्टेट नहीं थी और आज हम इस लाइन पर चल रहे हैं, कि वेलफेयर स्टेट बनाई जाये और अगर हम मुक़ाबला करें कि हमारी स्टेट सभी स्टेट्स से अच्छी है, तो मुझे यह भी कहने का हक़ है कि हमारी स्टेट आइडियल स्टेट है।

दूसरा जो एतराज है कि बजट नहीं कहता है कि यह स्टेट वेलफ़ेयर स्टेट है, इसलिए कि अंग्रेज के जमाने में भी नेशन बिल्डिंग आइटम्स पर खर्च होता था, इसके मुताल्लिक़ फ़ीगर्स भी दिये गए हैं। मेरे पास भी फीगर्स हैं। लेकिन मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं पूछूंगा, तालीम हासिल करूंगा, बहस के गुस्से में कुछ न कहूंगा। फीगर्स को छोड़िए। वेलफ़ेयर स्टेट क्या चीज है, इसको अगर समझ सकें तो आज जो हमारा कंसेप्शन है, उसमें जो इख्तिलाफ है, मुमकिन है वह दूर हो जाय। जिस माने में मैंने वेलफ़ेयर स्टेट कहा उसको मैं बयान किये देता हूं। मैंने इस माने में कहा कि जो स्टेट अपने को क़ायम रखने के वास्ते अपनी वजूद की बक़ा के वास्ते, अपनी हुकूमत को मुस्तक़िल बनाने के वास्ते पैसा खर्च करती हो और दूसरे सारे काम उसके सेकेंडरी हों, इर्रीगेशन पर खर्च तो करें, लेकिन इस ख्याल के साथ खर्च करें कि करेंगे जब जब मुझको अपनी आर्मी और पुलिस पर खर्च करने पर बचेगा, शफ़ाखाने पर खर्च करेंगे और जितनी डिपार्टमेंट की चीजें हैं, खाने के लिये, पहिनने के लिये, तन्दुरुस्ती के लिये, तालीम के लिये, कमाने के लिये, अनइम्पलायमेंट न होने के लिये, ग़रज़ यह कि ऐशोआराम के जितने बेहतरीन सामान हो सकते हैं, वह सब सामान किसी नेशन के महैया करने के लिये जो स्टेट भी तैयार होती है, मेरे नजदीक़ वह वेलफ़यर स्टेट है। अगर वहां १५ काम करने हैं और १५ में वह ५ कर रही है तो वह भी वेलफेयर स्टेट है, इसलिये कि

वह उस लाइन पर चल रही है। अगर आप यह चाहें कि १०, ५ साल में कोई स्टेट जिन्दगी की ऐशोआराम के लिये जितनी भी जरूरियात हो सकती हैं, उन सबको पूरा कर दे तो मैं समझता हूं कि ऐसा शायद ही दुनिया में कभी मुमकिन हुआ हो। रफ्ता रफ्ता हालत अच्छी हो जायगी। मगर उसकी एक शर्त है कि काम ऐसा होना चाहिये कि थोड़े से थोड़े वक्त में, कम से कम खर्च में यह काम होना चाहिये, लेकिन यह कह देना कि सब काम एक दिन में हो जाय यह आज तक कहीं देखने में नहीं आया। आप यह कहें कि आज पुलिस स्टेट है और सुबह उठ कर वेलफेयर स्टेट हो जाय, उसमें सभी आराम की चीजें मौजूद हों, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन मैं तो आज भी इसको वेलफेयर स्टेट कहने का मुस्तहक़ हूं इसलिये कि गवर्नमेंट ने एक इरादा कर लिया है काम करने का और पिछले पांच साल में उसने काम भी किया, अब आगे भी करने जा रही है, पैसे के लिमिटेशन के लिहाज से, जो कुछ वह कर सकती है, कर रही है और आगे करने का उसका इरादा है। वेलफेयर तो एक इंटेंशन का नाम है, और इरादा ही देखा जाता है कि इरादा काम करने का है भी या नहीं और अगर काम भी हो रहा है, तो मैं इस बात का मुस्तहक़ हूंगा कि उसको वेलफ़ेयर स्टेट कहूं। पुलिस जो रखी जाती है वह इसलिये रखी जाती है कि जो विकास के काम करते हैं, उनके लिये जो अमन अमन जरूरी है, वह क़ायम रहे। उस हालत में मैं यह कहूंगा कि जितना पुलिस का खर्च होगा वह एक वेलफेयर स्टेट का होगा। अब आप देखिये कि अंग्रेजों के जमाने में जो सड़कें बनती थीं उनके लिये क्या मंशा होता था? उनके लिये यह मंशा होता था कि हुकूमत के सिलसिले में जाना है, ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में जाना है। उनका यह मंशा नहीं था कि उस पर कामन मैन चलेगा। सन् १९४६ से पहले अंग्रजों ने जो सड़कें बनाई, उसका एवरेज सौ मील पर ईयर निलकता है और इस स्टेट ने जो पिछले पांच सालों में बनायीं हैं उसका एवरेज एक हजार मील पर ईयर निकलता है। उनकी नियत सड़क बनाने में यह होती थी कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में जाना होता था, लेकिन आज इस नियत से सड़कें नहीं बनायी जाती हैं, जो पहले थीं। आज इस नियत से बनायी जाती हैं कि उन पर इब्राहीम चलेगा, किसान चलेगा या मजदूर चलेगा। काम तो वही है।

अब आप आबपाशी की औसत को देखिये। ब्रिटिश हुकूमत में ४० हजार एकड़ साल की थी। इस गवर्नमेंट ने २ लाख एकड़ आबपाशी बढ़ाई है। यानी एकुम अप्रैल सन् ४६ से लेकर ३१ मार्च सन् ५२ तक जो आबपाशी बढ़ी, वह १३ लाख एकड़ की है। इस जमाने के अन्दर ४० हजार की औसत है, इस तरह से आबपाशी का औसत ५ गुना है और सड़क का १० गुना है।

बिजली को देखिये। इस वक्त ३२ या ३३ हजार किलोवाट बिजली दी जा रही है। १९०९ में यू० पी० में सब से पहले मंसूरी में बिजली लगी थी। इस वक्त से लेकर सन् ४६ तक के रिकार्ड को देखिये। उस वक्त तक कुल ३ हजार किलोवाट की बिजली लगाई गई जबकि उसके बाद ६ हजार किलोवाट सालाना के हिसाब से लगाई गई। फिर भी हम कहते हैं कि काम बहुत कम हुआ है। जो सड़कें बनी हैं, नहरें बनी हैं, बिजली लगी है उसको हम समझते हैं कि काम बहुत कम हुआ है, लेकिन अगर कोई कहता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है, तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर कोई यह ख्याल करता है कि हमने कोई काम ही नहीं किया है, तो उसको हम मानने के लिये कैसे तैयार हो सकते हैं। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि काम बहुत कम हुआ है, बमुक़ाबिले उसके जो कि हम करना चाहते थे। उसकी वजह यह है कि हमारे सामने बहुत से ऐसे मसायल थे, जो हमारे कन्ट्रोल से बाहर थे और अगर अब आप मौक़ा देते हैं तो हम उनको कर लेंगे। अगर कोई कहे कि परसों को कोई आ जायेगा और वह गवर्नमेंट को उखाड़ देगा, तो हमको इसका कोई मलाल नहीं है। जो भी गवर्नमेंट क़ायम होगी उस गवर्नमेंट को मौजूदा दिक्क़तों का सामना तो करना ही पड़ेगा। यह कहना बिल्कुल बेकार है कि साहब गवर्नमेंट उखाड़ दी जायेगी, इसकी बार बार धमकी देना बिल्कुल बेकार है। हम तो अपने काम की मेरिट्स के ऊपर वापस आये हैं। यह बार बार कहा जाता है कि जनता आप से खुश नहीं है, यह ठीक नहीं है। आप बार बार कहते हैं और मेरा यह फ़र्ज हो जाता है कि मैं उसको सुनूं,

[वित्त मंत्री]

लेकिन यह कहना कि इसको करना ही होगा, मैं मुनासिब नहीं समझता। यहां कमबख्त इलेक्शन का जिक्र करना नहीं चाहता हूं, लेकिन बार बार इसका जिक्र किया जाता है, जो कुछ हो लिया वह हो गया। यह कहना कि हम मुल्क को विट्रे करते हैं, यह आर्गुमेंट ठीक नहीं है। अगर अपोजीशन मश्विरा देने की राय से गवर्नमेंट को मदद देने के ख्याल से कुछ कहता है, तो हमारा फ़र्ज है कि हम उसको सुनें और जो बातें मुल्क के फ़ायदे के लिये हों, स्टेट की भलाई के लिये हों, उनको गवर्नमेंट हर वक्त मानने के लिये तैयार है। उसमें इधर के मेम्बरों को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिये। हम जो काम करते हैं, वह किसी पार्टी के नजरिये से नहीं करते हैं। कोई सोशलिस्ट मेम्बर अगर स्टेट की भलाई के लिये कुछ कहता है तो हमको उसे मानना चाहिये। इसको तो हम करेंगे और इस तरह से करेंगे, जिससे हमारी नियत में जनता की तरक्क़ी हो। दरिया में पड़े हैं और तैर रहे हैं और इसलिये तैर रहे हैं कि वहां जाकर पहुंच जायेंगे। जो कुछ कुदरत को मंजूर होगा, वह हो जायेगा। सिर्फ़ इस इरादे से और इस नियत से इस बात को देखने की जरूरत है कि आज हमारे भाई जिनके कंधों पर जनता ने बोझ लाद दिया है, वह उनकी तरक्क़ी को मद्देनजर रख कर इस जिम्मेदारी को अन्जाम दें। मुमकिन है आज का इलेक्टोरेट गलत हो, कल का इससे भी गलत हो सकता है, तो हम यही मुहब्बत के साथ कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप हमारी इम्दाद कर सकते हैं, कीजिये, हम उसको लेने के लिये गो ख्वाहिशमन्द नहीं हैं लेकिन जितना चाहिये आप कीजिये। खैर, अब मैं इस क़िस्से को छोड़ता हूं, क्योंकि यह किस्सा इतना पुराना है कि जो भी मुबाहिसा होता है उसके अन्दर यह बात आ जाती है।

मैंने कितनी दफ़ा कहा कि टैक्सेजन है और टैक्सेजन होगा। इसकी निस्बत एक बात डाक्टर साहब ने कही, जो बिल्कुल सही है और वह यह है कि कौन सा कर लगे और कितना लगे, यह कहना बिल्कुल मुनासिब है। लेकिन अगर कोई यह कहे कि आज इस डेट के अन्दर किसी कर के लगाये जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं बहुत कान लगा कर उसको सुनता और कोशिश करता कि यह बात किसी तरह से साबित हो जाय कि इस स्टेट के अन्दर किसी कर को लगाने की जरूरत नहीं है, मगर यह तो किसी ने कहा नहीं। मैं अब भी वेलकम इस बात का करूंगा, अगर कोई इस बात को कहे और साबित करें कि किसी कर को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें २० हजार रुपया विकास में लगाने को चाहिये तो लो यह तरीक़ा है, २० हजार रुपये पाने का। कर के लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो मैं उसको जरूर मानता। मगर यह तो किसी ने कहा नहीं। यह बात तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी कि लोगों की जेबों में हाथ डाल डाल कर पैसा निकालें। टैक्स का लगाना किसी मुल्क की प्रासपैरिटी के लिये बहुत जरूरी है। मगर ग़रीबों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये यह तो ठीक है और इसको मैं भी मानता हूं। उसे हम देख लेंगे, लेकिन कम से कम इन प्रिन्सिपल को तो मानना चाहिये कि टैक्स लगाना ही कौन जायज चीज है। दुनिया के अन्दर कहीं और किसी मुल्क की मिसाल आप नहीं दे सकते हैं, जिसने बग़ैर टैक्स लगाये तरक्क़ी की हो। आप इसकी जानकारी के लिये दूसरे देशों की किताबें पढ़िये। विदेशी लोग यहां मौजूद हैं उन से मिलकर बातचीत कीजिये तो वह बतायेंगे कि यह टैक्स लगाने की जरूरत हर मुल्क को पड़ती है। साथ ही ऐसा टैक्स लगाना, जिसके जरिये से कोई विकास न हो, तरक्क़ी न हो, जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। डाक्टर साहब ने कहा है कि साउन्ड प्रिन्सिपल पर टैक्स लगाये जायें, यह बात सही है और मुनासिब है। मैंने इसके मुतअल्लिक़ पहले अर्ज किया था कि वह बातें हैं, जिन पर हम चाहते हैं कि हमको खुद उन्हें तय कर लेना है, जिस पर दो दिन से बहस हो रही है। यह सब बजट के मौक़े की बहसें थीं, इस मौक़े के लिये नहीं थीं, जिसके लिये हम यहां इकट्ठा हुये हैं। इसके लिये बहुत पहले वक्त दिया जा चुका था और तीन चार दिन तक बहस हो चुकी थी। खैर जो कुछ हुआ मुनासिब ही है, क्योंकि हाउस ने उसे मुनासिब समझा, इसलिये मुझे उसको नामुनासिब कहने की जुर्रत नहीं करना चाहिये। मगर जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है इसके लिये यह कहना मुनासिब और जरूरी हो जाता है कि जो आइटम्स बजट के अन्दर थे और जिनको आइटम वाइज असेम्बली ने पास किया है और

जिसके ऊपर यहां भी तीन चार दिन तक काफ़ी बहस हुई थी, उसी के मुताल्लिक़ सब शर्तें इसमें रक्खी हुई हैं कि जो पैसा जिस मद के लिये दिया गया है उससे ज्यादा पैसा उस मद में खर्च न होगा और जो उसके मुताल्लिक़ एकाउन्टेन्ट जनरल के टेक्निकल सुझाव हैं, उसका रिफरेन्स इसमें है। साथ ही गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि वह ऐवान को इत्मीनान दिला दे कि जो रुपया जिन कामों के लिये एलाट किया गया है उन्हीं पर ईमानदारी के साथ खर्च किया जायेगा और उससे पूरा फायदा सूबे को पहुंचाया जायेगा। इसके बाद अब मेरी यह गुजारिश है कि इस बिल को जो इस वक्त ऐवान के सामने है कन्सीडर किया जाय। इसके अलावा अगर कोई बात मेरे मुंह से ऐसी निकल गई हो, जो किसी साहब को नागवार हासिल गुजरी हो, तो उसके लिये मैं उनसे माफ़ी का ख्वाहिस्तगार हूं।

Chairman : The question is that the Uttar Pradesh Appropriation Bill, 1952, be taken into consideration.

(The question was put and agreed to)

Minister for Finance : Sir, I move that the Uttar Pradesh Appropriation Bill, 1952, be passed.

Chairman : The question is that the Uttar Pradesh Appropriation Bill* 1952, be passed

(The question was put and agreed to)

सदन का कार्यक्रम

चेयरमैन—कल के लिये केवल इलेक्ट्रीसिटी बिल हमारे सामने है। माननीय मंत्री जी आगे के प्रोग्राम के सम्बन्ध में अगर कोई जानकारी दे दें, तो अच्छा हो।

वित्त मंत्री—असेम्बली १८ तारीख से मिल रही है, अभी कोई काम कौंसिल के लिये नहीं है इसलिये अभी कोई तारीख इसके लिये नहीं मुक़र्रर की जा सकती है। इसके बाद जब कोई तारीख रक्खी जायेगी तो उसकी इत्तिला मेम्बरान को दी जायेगी। शायद अगस्त के आखिर तक यह हाउस फिर मिल सकेगा।

चेयरमैन—इलेक्ट्रीसिटी बिल बहुत छोटा सा बिल है। इसलिये अगर सदन चाहे तो हम कल दो बजे से मिलें।

श्री राजाराम शास्त्री—मैं समझता हूं कि हम लोग कल ११ बजे ही मिलें तो अच्छा रहेगा। छोटा बिल है एक बजे तक खत्म हो जायेगा।

चेयरमैन—अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल की बैठक ४–४५ पर दूसरे दिन अर्थात् दिनांक ३० जुलाई, १९५२ को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ,
दिनांक २९ जुलाई, १९५२।

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

---

*बिल के लिये देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ ३०१ पर।

नत्थी "क"

प्रश्न ७ के उत्तर में उल्लिखित १ अप्रैल, सन् १९५१ ई० से ३० जून, सन् १९५२ ई० तक सरकार द्वारा पूर्वीय तथा पर्वतीय जिलों में दी गयी सहायता का विवरण

जिले का नाम (पूर्वीय)	निर्माण कार्य	दान	छूट		
			लगान	मालगुजारी	तकावी
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
बलिया	१०,०००	१,०००	५२,२३७	१३,८५१	५,८७,८१०
गाजीपुर	१५,०००	...	१,१४,५०१	३३,५६४	६,१२,१५७
देवरिया	१,२०,०००	२०,०००	२,१०,२९८	७८,९७९	१४,३६,७००
जौनपुर	..	१००	२,८४,७२१	१,०५,४८५	२,९०,१००
मिर्जापुर	७,८०,०००	१,०५,०००	३,८१,८५९	४३,६२३	१०,३२,०५०
बनारस	४२,०००	..	२४,६३५	३२२	२,६४,४५०
प्रतापगढ़	१०,०००	..	१,१४,१७३	३९,२३२	२५,०००
आजमगढ़	१,१९,०००	.	५,००,७०१	१,७२,७९८	७,८३,६३०
गोंडा	९,०४,०००	२५,०००	३,२२,०५२	६७,५३०	१२,००,६७५
बस्ती	११,९५,०००	५५,०००	९,९४,१७९	३,३३,३२१	२०,६८,९२०
बहराइच	१०,३८,०००	१०,०००	६,४०,५७८	१,८५,०७५	८,८६,५००
गोरखपुर	२०,०००	१५,०००	१,३८,७५२	५९,८०३	१५,११,०००
योग	४२,५३,०००	२,३१,१००	३७,७८,६८६	११,३३,५८३	१,०६,९८,९९२
पर्वतीय जिले—					
अल्मोड़ा	१,४०,०००	३०,०००	..	४,२६७	६,८७५
टेहरी गढ़वाल	२,१०,०००	५,०००	..	७,५०६	३५,०६२
गढ़वाल	..	१०,०००	..	..	१९,७६४
योग	३,५०,०००	४५,०००	..	११,७७३	६१,७०१

नोटः—बस्ती जिले से रबी १३५९ की फस्ल को सूखे से हानि पहुंचने की अन्तिम सूचना अभी नहीं आयी है, अनुमानतः ४,००,००० रुपये की छूट मालगुजारी में देनी होगी। यह रकम नक्शे में सम्मिलित नहीं की गयी है।

नत्थी "ख"

१९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ।)

३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग (एप्रोप्रियेशन) का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह उचित और आवश्यक है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९५२-५३ के लिये १,४९,२४, ५९,१०० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं के सम्बन्ध में करने पड़ें, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जितना अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९५२ (१९५२ का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३) की अनुसूची के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट धनराशियां भी हैं] १,४९,२४,५९,१०० रु० (एक अरब, उनचास करोड़, चौबीस लाख, उनसठ हजार, एक सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन जिन धनराशियों को निकालने और काम में लान का अधिकार दिया जाता है, उन उन धनराशियों का विनियोग ३१ मार्च, १९५३ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	क--राजस्व लेखे (रेवेन्यू एकाउन्ट) वाले व्यय--			
१	कृषि आय-कर (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) की उगाही (कलेक्शन) पर व्यय	२,८७,२००	...	२,८७,२००
२	मालगुजारी	२,२८,०८,२००	...	२,२८,०८,२००
३	राज्य आबकारी (स्टेट एक्साइज)	९१,३२,२००	...	९१,३२,२००
४	स्टाम्प	४,८३,५००	...	४,८३,५००
५	वन (फारेस्ट)	१,२१,२४,२००	...	१,२१,२४,२००
६	रजिस्ट्री	१३,३२,८००	...	१३,३२,८००
७	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	५५,१६,०००	..	५५,१६,०००
८	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	२६,२३,४००	...	२६,२३,४००
९	राजस्व (रेवेन्यू) से किये जाने वाले सिंचाई (इर्रीगेशन) के निर्माण कार्य	२,८८,४६,०००	...	२,८८,४६,०००
१०	सिंचाई (इर्रीगेशन) और जल-विद्युत् स्थापना (हाईड्रो-इलेक्ट्रिक इस्टैबलिशमेंट पर व्यय	२,६३,००,२००	...	२,६३,००,२००
११	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	२,७८,४४,६००	९,७६,९००	२,८८,२१,५००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१२	कमिश्नरों और जिला प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन) का व्यय	२,६१,४४,०००	...	२,६१,४४,०००
१३	गांव सभायें और पंचायतें ..	८७,०२,७००	...	८७,०२,७००
१४	न्याय प्रशासन (ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस) ..	१,१८,७३,४००	२४,७६,४००	१,४३,४९,८००
१५	जेल	१,१३,०८,७००	...	१,१३,०८,७००
१६	पुलिस	७,११,४१,०००	...	७,११,४१,०००
१७	वैज्ञानिक विभाग (साइन्टिफिक डिपार्टमेन्ट्स) ..	३५,०००	...	३५,०००
१८	शिक्षा	८,११,१२,८००	...	८,११,१२,८००
१९	चिकित्सा (मेडिकल) ..	२,३६,२४,१००	...	२,३६,२४,१००
२०	जन-स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ)	१,०७,६३,६००	...	१,०७,६३,६००
२१	कृषि-सम्बन्धी विकास और खोज (ऐग्रिकल्चरल डेवेलेप्मेंट ऐन्ड रिसर्च) ..	१,६७,१६,७००	...	१,६७,१६,७००
२२	कृषि इन्जीनियरिंग और उपनिवशन (ऐग्रीकल्चरल इन्जीनियरिंग ऐन्ड कालोनाइजेशन) ..	२,०३,६४,३००	...	२,०३,६४,३००
२३	ग्राम सुधार (रूरल डेवेलेपमेंट)	..		..
२४	पशु चिकित्सा (वेटेरिनरी)	१,०६,३५,०००	...	१,०६,३५,०००
२५	विद्युत् योजनाओं पर व्यय	६६,७३,७००	...	६६,७३,७००
२६	विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय	१६,०७,३००	...	१६,०७,३००
२७	सहकारिता के आधार पर ऋण	७१,६२,६००	...	७१,६२,६००
२८	उद्योग	६४,०५,०००	...	६४,०५,०००
२९	श्रम (लेबर) और संख्या	२३,३२,६००	...	२३,३२,६००
३०	वाहन (ट्रांसपोर्ट) विभाग	३,४३,५४,७००	...	३,४३,५४,७००
३१	सार्वजनिक निर्माण, निर्माण कार्यों के व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	३,०२,७१,०००	३,४९,२००	३,०६,२०,२००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज ऐन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३२	यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित) ..	२३,४०,६००	..	२३,४०,६००
३३	सार्वजनिक-निर्माण कार्य स्थापना पर व्यय ..	३९,२४,०००	...	३९,२४,०००
३४	नागरिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान (ग्रान्ट्स-इन-एड आफ सिविल वर्क्स) ..	३८,०१,४००	...	३८,०१,४००
३५	दुर्भिक्ष सहायता (फैमीन रिलीफ)	१७,४६,१००	...	१७,४६,१००
३६	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	७,८८,५००	...	७,८८,५००
३७	बुढ़ौती (सुपरऐनुएशन) भत्ते और पेंशनें	१,८९,३६,९००	१,४०,०००	१,९०,७६,९००
३८	लेखन सामग्री (स्टेशनरी) और छपाई .. .	७८,५३,४००	...	७८,५३,४००
३९	विविध व्यय (मिसलेनियस चार्जेज)	५,६०,५५,४००	...	५,६०,५५,४००
४०	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान ..	४६,६१,७००	...	४६,६१,७००
४१	असाधारण व्यय (एक्स्ट्रा-आर्डिनरी चार्जेज ..	३,५६,६६,१००	...	३,५६,६६,१००
४२	योजना और एकीकरण ..	३७,२४,६००	...	३७,२४,६००
	ऋण (डेट) और अन्य दायित्वों (आब्लिगेशन्स) पर ब्याज	..	२,२०,१५,४००	२,२०,१५,४००
	ऋण को कम करना (रिडक्शन) या उससे बचना (अवायडेंस)		२०,३१,४९,८००	२०,३१,४९,८००
	योग 'क' ..	६६,४३,८५,२००	२२,९१,०७,७००	८९,३४,९२,९००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन (सर्विसेज एंन्ड पर्पजेज)	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
	ख–राजस्व लेखे के बाहर पूंजी व्यय—			
४३	राजस्व लेख (रेवेन्यू एकाउन्ट्स) के बाहर सिंचाई और जल विद्युत् कार्यों (हाइड्रो एलेक्ट्रिक वर्क्स) का सम्पादन	७,५०,०३,६००	...	७,५०,०३,६००
४४	कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (कैपिटल आउटले)	२,२४,००,०००	...	२,२४,००,०००
४५	औद्योगिक विकास (इन्डस्ट्रियल डेवेलेपमेंट) ..	१,२५,६३,०००	...	१,२५,६३,०००
४६	राजस्व (रेवेन्यू) लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों (सिविल वर्क्स) पर लागत (आउटले)	१,८०,१०,२००	...	१,८०,१०,२००
४७	विद्युत् योजनाओं पर पूंजी की लागत .. .	७६,६७,०००	...	७६,६७,०००
४८	कृषि इंजीनियरिंग, सरकारी बस सर्विसों (गवर्नमेंन्ट बस सर्विसेज) सहायता और पुनर्वासन (रिलीफ ऐन्ड रिहैबिलिटेशन) की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत	१,४६,४२,३००	...	१,४६,४२,३००
४६	पेन्शनों की संराशि (कम्युटेड वैल्यू आफ पेन्शन्स)	१६,६०,०००	१७,५००	१६,७७,५००
५०	राज्य व्यापार (स्टेट ट्रेडिंग) की योजनाएं	४०,६५,७८,६००	...	४०,६५,७८,६००
	योग 'ख' ..	५५,६४,२५,०००	१७,५००	५५,६४,४२,५००
	ग—ऋणों और अग्र–ऋणों (लोन्स ऐन्ड ऐडवांसेज) का भुगतावा (डिस्बर्समेंट)—			
५१	ब्याज वाले ऋण और अग्र-ऋण (ऐडवांसेज) ..	३,६५,२३,७००	...	३,६५,२३,७००
	योग 'ग' ..	३,६५,२३,७००		३,६५,२३,७००
	कुल योग ..	१,२६,३३,३३,६००	२२,६१,२५,२००	१,४६,२४,५६,१००

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार विधान सभा द्वारा अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य के विधान मन्डल में एक विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल) प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

यह विधेयक इस बात की व्यवस्था करता है कि वित्तीय वर्ष, १९५२-५३ के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित व्ययों के लिए जो धन अपेक्षित है उसका विनियोग उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से हो सके ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री ।

प्रे० यस० यू० पी०—४० बी एल० सी०—१९५२—८२०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक विधान भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन के डिप्टी चेयरमैन (श्री निज़ामुद्दीन) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (६०)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डा०
उमानाथ बली, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायन, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
कुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
बद्रीप्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बीरभान भाटिया, डाक्टर
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
बृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामकिशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
रामलखन, श्री
रामलगन सिंह, श्री
रायबजरंग बहादुर सिंह, श्री
लल्लूराम द्विवेदी, श्री
लालसुरेश सिंह, श्री
विजयआनन्द आफ विजयानगरम, डा० महाराजकुमार
विश्वनाथ, श्री
शान्तिस्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्तिदेवी, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिवसुमरन लाल जौहरी, श्री
श्यामसुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री सैयद अली जहीर (न्याय मंत्री)
श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहिम (वित्त मंत्री)
श्री हुकुम सिंह (उद्योग मंत्री)
श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रश्नोत्तर

सरकारी नौकरियों में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्यों को मान्यता न दिया जाना।

१—श्री राम नन्दन सिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने को कृपा करेंगे कि सरकारी नौकरियों में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्यों को मान्यता न देकर गवर्नमेन्ट कालेज के आचार्यों को ही मान्यता क्यों दी जाती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—राजकीय संस्कृत कालेज की परीक्षाओं को मान्यता देने के पूर्व उसके पाठ्यक्रम का संशोधन तथा आधुनिकीकरण करके उसका स्तर ऊंचा कर दिया गया था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपने आचार्य परीक्षा की शासन द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई इच्छा नहीं प्रगट की। अतः उक्त परीक्षा को मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संस्कृत कालेज के आचार्यों की योग्यता और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्यों की योग्यता में क्या फर्क समझते हैं ?

शिक्षा मंत्री—यह प्रश्न इन प्रश्नों के सम्बन्ध में नहीं उठता।

देव सिंह डिग्री कालेज, नैनीताल में चाय की दूकान का खोला जाना

२—श्री इन्द्र सिंह—(क) क्या सरकार को मालूम है कि देव सिंह गवर्नमेन्ट डिग्री कालेज, नैनीताल में एक चाय की दूकान खोल दी गई है ?

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि चाय जो वहां तैयार की जाती है और विद्यार्थियों को दी जाती है वह चाय की पत्तियों को बहुधा अत्यधिक उबाल कर तैयार की जाती है जोकि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है ?

(ग) क्या यह सही है कि इसी प्रकार की चाय की दूकानें नैनीताल व अन्य जगहों के स्कूलों और कालेजों में खोल दी गई हैं ?

(i) **Sri Indra Singh:** 2. Is the Government aware that a tea stall has been started in the Deb Singh Government Degree College at Naini Tal ?

(ii) Is the Government aware that the tea that is prepared and supplied to the students there is by boiling the tea leaves too much and too often and is thus injurious to the health of the boys ?

(iii) Is it a fact that similar tea-stalls have been installed in the other schools and colleges at Naini Tal and elsewhere ?

शिक्षा मंत्री—(क) पहले थी, परन्तु अब नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। कुछ शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में।

Minister for Education (Sri Har Govind Singh): (i) There is no tea-stall at present though there existed one.

(ii) The question does not arise.

(iii) Yes, in some educational institutions.

श्री इन्द्र सिंह--क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलायेंगे कि यह कब बना ?

शिक्षा मंत्री--अगस्त सन् १९५१ में।

३--श्री इन्द्र सिंह--(क) क्या सरकार की यह नीति है कि वह स्कूलों तथा कालिजों के विद्यार्थियों को अवकाश के समय चाय पीने के बारे में प्रोत्साहन दे ?

(ख) अगर ऐसा है, तो क्या सरकार शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के अध्यक्षों को इस प्रकार का निदेश देने का विचार करती है कि वे स्टाल वालों द्वारा चाय के बनाये जाने का पूर्ण रूप से निरीक्षण करें ?

3. **Sri Indra Singh:** (i) Is it a policy of Government to encourage tea drinking by the students during recess hours at schools and colleges ?

(ii) If so, do the Government intend to instruct the heads of the educational institutions to strictly supervise the proper preparation of tea by the stall holders ?

शिक्षा मंत्री-- (क) इस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Minister for Education: (i) Government have no policy in the matter.

(ii) The question does not arise.

श्री इन्द्र सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो नई शिक्षा की संस्थायें हैं उनमें विद्यार्थियों को चाय देने के लिए सरकार ने कोई पालिसी निर्धारित की है ?

शिक्षा मन्त्री--इस पर जो विचार हो सकता है परस्पर विरोधी भी हो सकता है। इस तरह की कोशिश की जा सकती है कि अच्छी तरह से चाय मिले ।

४--श्री इन्द्र सिंह (१)--(क) क्या सरकार को मालूम है कि चाय स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है जब तक कि उसके साथ केक और मक्खन न खाया जाय ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उन विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है जोकि केवल चाय के लिये पैसा दे सकते हैं और उसके साथ खाई जाने वाली चीजों के लिये नहीं ?

(२) क्या सरकार इस बात के लिये कार्यवाही करने का इरादा रखती है कि शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के अध्यक्ष अपने स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों को स्वास्थ्यवर्द्धक खाना जैसे असली दूध देने की कार्यवाही करें ?

4. **Sri Indra Singh:** (i) (a) Are Government aware that tea is injurious to health unless cakes and butter are taken with it ?

(b) If so, what steps do the Government propose to take to safeguard the health of the students who can pay only for tea and not for the accessories?

(ii) Do the Government intend to take steps to see that the heads of the educational institutions take steps to supply healthy meals like pure milk to the students in the schools and colleges?

(१) शिक्षा मंत्री--(क) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(२) विद्यार्थियों को दोपहर का जलपान देना स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर है, जिसके लिए शिक्षा संचालक ने समस्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को आदेश भेज दिये हैं ।

Minister for Education : (i) (a) Government are not aware of it.

(b) The question does not arise.

(ii) Supply of mid-day meal to students depends on local condition for which Director of Education has issued instructions to all heads of institutions.

शिक्षा संबंधी संस्थाओं को सस्ते भाव पर दूध दिलाने के लिये म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा सहायता

५—श्री इन्द्र सिंह—(क) क्या सरकार म्युनिसिपल बोर्डों को इस बात का आदेश देने का इरादा रखती है कि वह अपने अधीन शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के अध्यक्षों को विद्यार्थियों को सस्ते भाव पर दूध देने के मामले में सहायता करे ?

(ख) क्या सरकार सरकारी स्कूलों और कालेजों में रियायती भाव पर दूध देने के मामले में कोई कदम उठाना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

5. **Sri Indra Singh:** (i) Do the Government intend to take steps to instruct the Municipal Boards to help the heads of the educational institutions under them for the supply of pure milk at cheap rates for the students ?

(ii) Do the Government propose to take any steps in the direction of supplying pure milk at concessional rates to the Government schools and colleges? If not, why?

शिक्षा मंत्री—(क) जी नहीं।

(ख) दूध का प्रबन्ध तो नहीं, परन्तु स्कूलों में विद्यार्थियों को दोपहर के जलपान की व्यवस्था करने का प्रश्न अवश्य विचाराधीन है।

Minister for Education :

(*i*) No please.

(*ii*) There is no proposal for supply of milk, but a proposal for providing mid-day meals to students is under consideration.

श्री इन्द्र सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकते हैं कि अपने उत्साही बच्चों के स्वास्थ्य के लिए म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा दूध का प्रबन्ध नहीं करा सकते हैं ?

शिक्षा मंत्री—दूध की इतनी कमी है कि उसका प्रबन्ध नहीं हो सकता है।

श्री इन्द्र सिंह—क्या सरकार अपनी तरफ से कोई प्रबन्ध नहीं कर सकती है ?

शिक्षा मंत्री—मैंने कहा कि दूध की कमी की वजह से सरकार प्रबन्ध नहीं कर सकती है।

श्री कन्हैयालाल गुप्त—क्या सरकार अब इस बात की कोशिश कर रही है कि वह शिक्षा संस्थाओं में बच्चों को दूध देन में खर्च करे कि इससे पहले आंकड़े इकट्ठा करन की कोशिश की जाय ?

शिक्षा मंत्री—क्योंकि दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता, इसलिए आंकड़े इकट्ठा करने में खाहमख्वाह में खर्च होगा।

श्री इन्द्र सिंह—कब तक यह हो सकता है ? क्या माननीय मंत्री इस को बतलायेंगे ?

शिक्षा मंत्री—जब तक पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिलता तब तक इसका प्रबन्ध कैसे किया जा सकता है।

श्री कन्हैयालाल गुप्त--क्या सरकार इस बात का अनुभव नहीं करती हैं कि इस अवस्था में काफी लम्बा अरसा पड़ेगा और तब तक इस योजना को स्थगित करना लड़कों के लिए हानिकारक होगा ?

शिक्षा मंत्री--लेकिन प्रश्न यह है कि जब दूध नहीं है तब क्या हो सकता है ?

आ० ना० हायर सेकेन्डरी स्कूल, चकिया, जिला बनारस का भवन

६--श्री रामनन्दन सिंह--क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि आ० ना० हायर सेकेन्डरी स्कूल, चकिया, जिला बनारस का भवन अभी पूरा नहीं बन सका है, जिससे छात्रों को अत्यधिक कष्ट है ?

शिक्षा मंत्री--जी हां।

श्री रामनन्दन सिंह--क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस भवन के पूरा होने के लिए कितना रुपया मांगा गया है ?

शिक्षा मंत्री--शायद २३ हजार रुपये की जरूरत होगी।

श्री रामनन्दन सिंह--क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २३ हजार रुपये का क्या प्रबन्ध कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री--ज्यों ही प्रबन्ध होता जायेगा, वह दिया जायगा।

७--श्री रामनन्दन सिंह--यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके पूरा करने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

शिक्षा मंत्री--१९५२-५३ के बजट में आर्थिक कठिनाई के कारण इस भवन के लिये ५,००० रु० रक्खा है।

८--१०--श्री रामनन्दन सिंह--[स्थगित किये गये।]

दीवान गोकुल चन्द्र का पट्टा सरकार द्वारा बहाल किया जाना

११--श्री रामनन्दन सिंह--क्या कृपया माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दीवान गोकुल चन्द्र का वह पट्टा (जो चकिया के जंगलों में स्थित लगभग १ हजार बीघा भूमि का है और सन् १९४८-४९ ई० में दिया गया था) सरकार ने बहाल कर दिया है, जिसे महाराज बनारस, श्री विभूति नारायण सिंह ने अपने आदेश से रद्द कर दिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--जी हां, क्योंकि पट्टों को रद्द करने का महाराजा का आदेश अवैध प्रतीत हुआ।

श्री रामनन्दन सिंह--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे कि महाराजा बनारस के शासन काल में जो आदेश अवैध करार दिया जा चुका है उसको क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी माना है ?

उद्योग मंत्री--जो हुक्म एक बार गैर-कानूनी करार दिया जाता है उसको हमेशा गैर-कानूनी करार दिया जाता है।

सन् १९५०-५१, १९५१-५२ में हायर सेकेन्डरी संस्थाओं के मुस्तकिल अध्यापकों की बरखास्त तथा मध्यस्त निर्णय के लिये अपीलों तथा आर्बिट्रेशन बोर्ड द्वारा तय किये गये मामलों की संख्या

१२--श्री हृदय नारायण सिंह--(क) क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सन् १९५० ५१ ई०, सन् १९५१-५२ ई० में हायर सेकेंडरी संस्थाओं के कितने मुस्तकिल अध्यापक वहां के मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बरखास्त किये गये ?

(ख) सन् १९५०–५१ ई० और १९५१–५२ ई० में असन्तुष्ट अध्यापकों ने कितनी अपीलें मध्यस्थ निर्णय के लिए दायर कीं ?

(ग) कितने मामले आर्बिट्रेशन बोर्डों (Arbitration Board-) द्वारा तय किये गये और कितने मामलों में मैनजमेन्ट बोर्डों को आर्बिट्रेशन बोर्ड के फैसलों को मानने के लिए मजबूर किया गया ?

12. **Sri Hridya Narain Singh :**

(*a*) Will the Education Minister please state as to how many confirmed teachers were dismissed by the Management Boards in the Higher Secondary institutions during 1950-51 and 1951-52?

(*b*) How many appeals for arbitration were filed by the aggrieved teachers during 1950-51 and 1951-52 ?

(*c*) How many cases were decided by Arbitration Boards and in how many cases were the Management Boards made to comply with the decisions of the Arbitration Boards ?

शिक्षा मन्त्री—

(क)
(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है ।
(ग)

Miniser for Education :

(*a*)
(*b*) The information is being collected.
(*c*)

श्री कन्हैयालाल गुप्त—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तक इस सम्बन्ध की सूचना एकत्रित की जा रही है उस वक्त तक सरकार ने इस बात के लिये ऐसी कार्यवाही कर दी है कि ऐसे जितने भी मामले हैं उनके ऊपर जो कुछ भी अनुशासन की कार्यवाही हो, वह की जा सके ?

शिक्षा मंत्री—जी हां । सरकार ने डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर से हर एक जिले की यह सूचना मांगी है कि कहां कितने ऐसे टीचर्स हैं और कितने एडेड इन्स्टीट्यूशन्स हैं और किस तरीके पर उनकी क्या दशा है ?

श्री बलभद्र प्रसाद वाजपेई—मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वे केसेज जो हो चुके हैं और जिनके ऊपर जजमेन्ट गवर्नमेन्ट ने दिया है और जिनके फैसले तीन महीने के अन्दर कर लिये जाने चाहिये थे, वहां उनको और दो वर्ष लग गये ।

शिक्षा मंत्री—ऐसा कोई सवाल कम से कम हमारे सामने नहीं आया और अगर कोई ऐसा सवाल आयेगा तो उस पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री हृदय नारायण सिंह—इसके सम्बन्ध में मैं सूचना देना चाहता हूं कि बनारस में बलदेव इन्टरमीडियेट कालेज एक संस्था है वहां पर सेकेन्डरी संस्थाओं के कुछ अध्यापक बर्खास्त किये गये ?

उद्योग मंत्री—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, क्या किसी माननीय सदस्य को क्वेश्चन करने का यह अधिकार रहता है कि वह स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन के ऊपर दे सके।

डिप्टी चेयरमैन—सवाल कर सकते हैं, तकरीर नहीं कर सकते हैं ।

श्री कन्हैयालाल गुप्त—क्या सरकार को यह बात मालूम है कि आर्बिट्रेशन बोर्ड के सामने जो केसेज जाते हैं उनके फैसले करने के लिये कितने साल का अर्सा लिया जाता है और ऐसे अध्यापक उस अर्से में कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकते और उनको बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। अगर हो सके तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी फैसला करने के लिये कोई कदम उठाने को तैयार है ?

शिक्षा मंत्री—सम्भव है कि जो माननीय सदस्य ने कहा है वह ठीक हो, सरकार सदैव यह चाहती है कि जल्दी ही ऐसे मामले फैसल हो जायें और उसके लिये सरकार ने आदेश भी दे दिये हैं।

बेटर मैनेजमेंट कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने वाले हायर सेकेंडरी स्कूल तथा कालेजों की संख्या

१९—श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि कितने हायर सेकेंडरी स्कूल और कालेजों ने बेटर मैनेजमेंट कमेटी रिपोर्ट (Better Management Committee Report) की सिफारिशों पर अमल किया है ?

(ख) सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है जिन्होंने उक्त सिफारिशों पर अमल नहीं किया है ?

(ग) प्रिंसिपलों को मैनेजमेंट बोर्ड के पदेन (exofficio) सदस्य बनाने के विषय में सरकार का क्या विचार है ?

19. Sri Hridya Narain Singh :

(a) Will the Education Minister please state as to how many secondary schools and colleges have implemented the recommendations of the Better Management Committee Report ?

(b) What action does the Government contemplate to take against the defaulters ?

(c) What is the Government thinking about making Principals also *exofficio* members of the Management Boards ?

शिक्षा मंत्री—

(क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) और (ग) सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का बेटर मैनेजमेंट समिति के सुझावों के अनुसार पुनर्संगठन का सम्पूर्ण प्रश्न अभी विचाराधीन है, क्योंकि इसमें कुछ कानूनी और वैधानिक मामले अंतर्निहित हैं। निर्णय होने में कुछ समय लगने की सम्भावना है।

Minister for Education :

(a) The information is being collected.

(b) } The entire question of reconstitution of the managing commit-
(c) } tees of aided institutions according to the recommendations of the Better Management Committee is still under consideration as some legal and constitutional issues are involved. It will take sometime before a decision is arrived at.

श्री कन्हैयालाल गुप्त—क्या सरकार को यह मालूम है कि बेटर मैनजमेन्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देने में कई साल का अर्सा लिया था और कई साल का अर्सा हो गया है उस रिपोर्ट को दिये हुये। अब भी उस रिपोर्ट को लागू करने में कानूनी दिक्कतें आ रही हैं। क्या रिपोर्ट दिये जाने के पहले लीगल रिमेम्बरेन्स की राय मालूम की गई थी ?

शिक्षा मंत्री—हां, राय तो ली गई थी और उसके कारण वैधानिक संकट उपस्थित हो गया था ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—वह राय रिपोर्ट छपने के पहले ही ली गई थी या रिपोर्ट के फाइनलाइज करने के पहले ली गई थी ?

शिक्षा मंत्री—रिपोर्ट आने पर ही राय ली जाती है ।

श्री कन्हैयालाल गुप्त—क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जो वैधानिक संकट उपस्थित हो गये हैं वह उसको जल्द से जल्द दूर करे और उस रिपोर्ट को लागू किया जा सके क्योंकि अब काफी अर्सा हो गया है ।

(शिक्षा मंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया) ।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट पर यह लिखा हुआ है कि उसमें अध्यापकों का एक नुमाइन्दा रखा जाय, तो क्या सरकार द्वारा उस नियम का पालन किया गया है ?

शिक्षा मंत्री—रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, इसके लिये माननीय सदस्य स्वयं रिपोर्ट देख लें ।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी—रिपोर्ट तो मैंने देखी है और उसी के आधार पर मैं यह कह रहा हूं कि एक नुमाइन्दा अध्यापक का, कमेटी में जायेगा, मैं इस बात को सरकार से जानना चाहता हूं कि क्यों अध्यापक उस कमेटी में नहीं लिया गया है ?

शिक्षा मन्त्री—मैं पहले ही कह चुका हूं कि उस रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के पहले ही उसमें वैधानिक संकट उपस्थित हो गया और उस पर क़ानूनी राय ली जा रही है । अगर वह संकट हट जायेगा तो कार्यवाही की जायेगी ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वैधानिक संकट उपस्थित हुआ है, उसके ऊपर किस तरीक़े से कार्यवाही की जायेगी ? और उसको टालने का प्रयत्न सरकार कर रही है या नहीं ?

शिक्षा मन्त्री—जी हां, उसमें जहां कान्स्टीटयूशन आफ इंडिया की दफा है और वह शायद आर्टिकिल ३० है । उसमें यह कहा गया है कि हर एक को अपनी पाठशाला का प्रबन्ध करने का पूरा अधिकार होगा और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । तो उसी के कारण यह बेटर मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में यह शंका उपस्थित की गई कि शायद उसको कार्यान्वित करने में गवर्नमेंट अपनी नामीनीज बेटर मैनेजमेंट कमेटी में न रख सके । इसके लिये एडवोकेट जेनरल से राय ली गई । पहले एडवोकेट जनरल की यह राय थी कि गवर्नमेंट नामजद हुये लोगों को और टीचरों को उस कमेटी के अन्दर नहीं रख सकती है । इसके बाद आज जो एडवोकेट जनरल हैं उनसे हमने फिर राय ली क्योंकि मुझे खुद रिपोर्ट देखने पर शंका उत्पन्न हुई कि शायद वह ठीक नहीं है । अब एडवोकेट जनरल ने यह कह दिया है कि गवर्नमेंट कमेटी की रिपोर्ट कार्यान्वित कर सकती है इस लिये अब उस पर उचित कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री कुंवर गुरु नारायण—क्या सरकार इसे बतलाने की कृपा करेगी कि उसके कुछ अधिकारियों के रिप्रेजेन्टेटिव बेटर मैनेजमेंट कमेटी में हो सकते हैं ?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

उद्योग मन्त्री—

On a point of order. This is a question relating to the opinion of the house. This seems to be unnecessary.

सरकार के निर्णय के अनुसार उच्चतम ग्रेड वाले अध्यापकों को वित्तीय लाभ

१४–श्री हृदय नारायण सिंह—(क) क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि सरकार ने, अपने इस निर्णय के अनुसार कि २० वर्ष की सर्विस वाले अध्यापक को २ इन्क्रीमेंट और १० वर्ष की सर्विस वाले अध्यापक को १ इन्क्रीमेंट दिया जाय, कितने अध्यापकों को लाभ पहुंचाया ?

(ख) कितने अध्यापकों को वास्तव में इस योजना के अन्तर्गत लाभ पहुंचा ?

(ग) सरकार उनके लिए क्या कर रही है जो अपने उच्चतम ग्रेड पर पहुंच चुके हैं ?

14 **Sri Hridaya Narain Singh:** (*a*) Will the Education Minister state as to how many teachers have been given the benefit of Government's decision to give two special increments to teachers for twenty years' service and one for ten years' service?

(*b*) How many teachers actually came under the scope of the scheme?

(*c*) What is the Government doing for those who have reached the maximum of their grade?

शिक्षा मन्त्री—(क) २,२४५।

(ख) लगभग ३,३९३।

(ग) यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

Minister for Education: (*a*) 2,245.

(*b*) Approximately 3,393.

(*c*) The matter is under consideration.

श्री राजाराम शास्त्री—प्रश्न संख्या १४ (ख) में क्या गवर्नमेंट 'लगभग' के माने बतलाने की कृपा करेगी ?

शिक्षा मन्त्री—मेरा अपना ख्याल यह है कि माननीय सदस्य स्वयं 'लगभग' के माने जानते हैं।

श्री राजाराम शास्त्री—यह जो इसमें ३,३९३ दिया गया है और उसके बाद भी उसमें लगभग लिखा हुआ है, तो जरा सचमुच यह बात मेरी समझ में नहीं आती या तो मेरी समझ में नहीं आती है या मिनिस्टर साहब की समझ में नहीं आ रही है कि जब इतनी संख्या लिखी हुई है तो फिर भी यह लगभग क्यों लिखा हुआ है ?

शिक्षा मन्त्री—इसका कारण सिर्फ यह है कि चूंकि जो केसेज आये हैं वह तो निश्चित हैं ही कि इसमें उनको इन्क्रीमेन्ट दिया गया है लेकिन सम्भव है कि उसके बाद और भी आयें। फिर यह भी सम्भव है कि उसमें जो इतने शामिल हैं उनकी छानबीन के बाद उनमें से कुछ ऐसे निकलें कि जिनको उसमें से निकाल दिया जाय।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या सरकार को यह बात मालूम है कि जिन केसेज में बहुत समय आलरेडी लग चुका है उसमें क्या सरकार इस बात का विचार करती है कि वह कोई ऐसा क़दम उठाये जिससे यह केसेज जल्दी फैसल हो जायें और साल–ब साल जो रुपया इसमें लैप्स हो जाता है वह न हों ?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

१५—श्री रामकिशोर शर्मा—[स्थगित–१८–७–१९५२ ई० को भेजा गया।]

उत्तर प्रदेश एजूकेशन सर्विस की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के सेलरी ग्रेडों को दूसरे डिग्री कालेज के अध्यापकों के लिये लागू किया जाना

१६---श्री राम किशोर शर्मा---क्या सरकार उत्तर प्रदेश एजूकेशन सर्विस की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के सेलरी ग्रेडों को, दूसरे डिग्री कालेजों के अध्यापकों के लिए, जो आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं, जारी करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मन्त्री---जी नहीं।

16. **Sri Ram Kishore Sharma** : Is the Government contemplating to introduce salary grades of U. P. Education Service Class I and Class II for the teachers of other Degree Colleges affiliated to the Agra University ?

Minister for Education : No please.

सहायक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को महंगाई भत्ते के रूप में दिया गया धन

१७---श्री राम किशोर शर्मा--(क) क्या यह सच है कि उस धन को जो सहायक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को महंगाई भत्ता के रूप में दिया जाता है, मैनेजरों के रिटर्न (return) में स्वीकृत खर्च के रूप में दिखाये जाने की इजाजत नहीं है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्यों ?

7. **Sri Ram Kishore Sharma**: (*a*) Is it a fact that the amount of money paid as dearness allowance to the teachers in aided educational institutions is not allowed to be shown in the Manager's Return as approved expenditure ?

(*b*) If so, why ?

शिक्षा मन्त्री---(क) जी हां।

(ख) महंगाई भत्ते को धनराशि को मैनेजर्स रिटर्न में स्वीकृत व्यय मान लेना संस्थाओं ही के लिए अच्छा न होगा, क्योंकि कुछ संस्थाओं के सहायक अनुदान के निर्धारण पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

Minister for Education : (*a*) Yes.

(*b*) The inclusion of amount of dearness allowance as approved expenditure in the Manager's Return will not be in the interest of the institutions themselves, as it might in some cases adversely affect the assessment of their grant-in-aid.

१८---श्री राम किशोर शर्मा--क्या सरकार महंगाई के भत्ते दिये जाने को स्वीकृत खर्च मानने का इरादा रखती है ?

18. **Sri Ram Kisore Sharma** : Does the Government intend to regard the payment of dearness allowance to teachers as approved expenditure ?

शिक्षा मन्त्री---जी नहीं।

Minister for Education : No.

१९---श्री राम किशोर शर्मा---क्या कोई ऐसी स्कीम सरकार के विचाराधीन है जिससे कि वह सहायक शिक्षा संस्थाओं के अधिकारियों को इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि वह अपने अध्यापकों को कीमतों में वृद्धि के अनुसार उचित महंगाई का भत्ता दें ?

19, **Sri Ram Kishore Sharma :** Is there any scheme contemplated by the Government by which it can compel the authorities of the aided institutions to give to their teachers adequate dearness allowance commensurate with the rise in prices ?

शिक्षा मन्त्री—जी नहीं।

Minister for Education : No.

श्री राजाराम शास्त्री—क्यों नहीं।

शिक्षा मन्त्री—यह प्रश्न मैनेजमेंट बोर्ड का है, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेई—क्या सरकार इस बात को बतलायगी कि जिन सहायक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को ८० रु० वेतन मिलता है और उसमें जो महंगाई भत्ता मिलता है उसमें सरकार आधा हिस्सा देती है या नहीं ?

शिक्षा मंत्री—जिनको ७० रुपया वेतन मिलता है उनको १० रु० महंगाई भत्ता दिया जाता है उसमें से ५ रु० सरकार देती है।

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेई—क्या यह मैनेजर्स रिटर्न में माना जाता है ?

शिक्षा मंत्री—उत्तर दे दिया गया है कि नहीं ?

शिक्षा का राष्ट्रीयकरण

२०—**श्री राम किशोर शर्मा**—सरकार राज्य में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के विषय में क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

20. **Sri Ram Kishore Sharma :** Do the Government intend to take steps to nationalize education in the State ?

शिक्षा मंत्री—इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Minister for Education : There is no such proposal at present.

बरेली की टरपेन्टाइन और बोबिन मिलों के सरकार के हाथ में आने के समय से आर्थिक हानि

२१—**श्री राम किशोर शर्मा**—क्या सरकार आंकड़े देकर यह बताने की कृपा करेगी कि जब से सरकार ने कलक्टरबक गंज, बरेली की टरपेंटाइन और बोबिन मिलों को अपने अधिकार में लिया है कुल कितनी आर्थिक हानि इस प्रदेश को हुई ?

21. **Sri Ram Kishore Sharma :** Will the Government be pleased to supply the figures of the total financial loss to the State in working the Turpentine and Bobbin Mills at Clutterbuckganj, Bareilly ever since the Government has taken charge of them ?

उद्योग मंत्री—जब से मैनेजिंग एजेन्ट ने पदत्याग किया है इन मिलों के चलाने में नफ़ा रहा है। यह मिलें ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियां हैं, जिनका प्रबन्ध इण्डियन कम्पनीज़ ऐक्ट के अन्तर्गत होता है और ये तदनुसार प्रबन्धित हैं।

Minister for Industries : There has been net gain in the working of these Companies since the resignation of the Managing Agents. These Companies are Joint Stock Companies governed by the Indian Companies Act, and are managed as such.

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उन्होंने यह इन्फ़ार्मेशन कहां से हासिल की है ?

शिक्षा मंत्री—डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन के यहां से।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलायेंगे कि बरेली कालेज से यह इन्फ़ार्मेशन क्यों नहीं हासिल की गई ?

शिक्षा मंत्री—बरेली कालेज की जो रिपोर्ट है उसमें यह स्पष्ट है।

बरेली कालेज के तीन अध्यापकों को सरकारी आदेश के प्रतिकूल ग्रेड दिया जाना

२२—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या यह बात सच है कि बरेली कालेज, बरेली में तीन अध्यापकों को जी० ओ० नं० सी०-२३७५/१५—५९०-१९४६ के प्रतिकूल ३००-६०० का ग्रेड दे दिया गया है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त ३ व्यक्ति अपने विभागों के प्रधान नहीं हैं ?

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पर आडिट आब्जेक्शन होते हुए भी बरेली कालेज को सरकारी ग्रान्ट पूरी पूरी दी जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

२३—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—[स्थगित—५-७-१९५२ ई० को भेजा गया।]

बरेली कालेज के हिन्दी अध्यापक से दो स्पेशल इन्क्रीमेंट का ६ महीने बाद छीन लिया जाना

२४—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या यह सच है कि बरेली कालेज के हिन्दी में अध्यापक श्री गुणा नन्द जियाल जो राजनैतिक पीड़ित रह चुके हैं और विगत राजनैतिक आन्दोलन में दो बार जेल गये हैं और जिनको उनकी विशेष योग्यता, अच्छा परीक्षाफल और कालेज की अधिक समय से योग्यतापूर्ण सेवाओं के लिए दो स्पेशल इन्क्रीमेंट दिये गये थे, वे बिना किसी कारण ६ मास बाद उनसे छीन लिये गये हैं ?

शिक्षा मन्त्री—शिक्षा संचालक के कार्यालय में इसकी कोई सूचना नहीं है ?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संचालक ने इसके मुताल्लिक़ कोई इन्फ़ामेशन बरेली कालेज से पूंछी ?

शिक्षा मन्त्री—बरेली कालेज से पूछना ठीक नहीं समझा गया।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्यों ?

शिक्षा मंत्री—इसलिये कि उनके पास इस बात का कोई काग़ज़ नहीं रहता कि कोई पोलीटिकल सफरर है कि नहीं ?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलायेंगे कि कोई और दूसरा ढंग है जिससे पूछा जा सकता है कि कौन पोलीटिकल सफ़रर है और कौन नहीं ?

शिक्षा मंत्री—जी नहीं।

२५—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—[स्थगित किया गया।]

बगैर इस्तेमाल के पड़े हुए २,००० रु० से अधिक मूल्य की प्रत्येक प्रकार के सीमेंट, लोहा, कोयला और टिम्बर की अलग अलग निकटतम मिकदार

२६—श्री राम किशोर शर्मा—(क) क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि २,००० रुपय से अधिक मूल्य के प्रत्येक प्रकार की सीमेंट, लोहा, कोयला और टिम्बर की अलग-अलग

निकटतम क्या मिक़दार है जो पी० डब्लू० डी० (बी० ऐन्ड आर०) के विभिन्न गोदामों में २ वर्ष से अधिक समय से बगैर इस्तेमाल किये हुए पड़ी हैं ?

(ख) इन सब वस्तुओं में से प्रत्येक का क्या मूल्य है और जनता का इतना रुपया क्यों रोक रक्खा गया है जबकि पिछले २ वर्षों से इन सब वस्तुओं को प्रयोग में नहीं लाया गया ?

26. **Sri Ram Kishore Sharma**: (*a*) Will the Government be pleased to state the approximate quantities of cement, iron, coal and timber, of the value of more than Rs 2,000 under each of the above denomiations that have been lying unused in the various godowns and stores of Public Works Department (Buildings and Roads) for more than two years?

(*b*) What is the value of each of these materials and why has so much public money been kept locked up if there was no use for these materials during the last two years?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल) (क) सार्वजनिक निर्माण विभाग के गोदामों में भवन और मार्ग विभाग का जितना सामान दो वर्षों के अधिक समय से रक्खा हुआ है उसकी संख्या निम्नलिखित है :—

सीमेन्ट......
लोहा—४,२५८ टन।
कोयला—६,२१७ टन।
लकड़ी—५६,५५१ घनफीट।

(ख) इन सामानों का निकटतम मूल्य नीचे दिया हुआ है :—

सीमेन्ट— ....
लोहा—२१,४९,००० रु०।
कोयला— १,९१,००० रु०।
लकड़ी— २,८९,००० रु०।

यह सामान पहले चरण के कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार खरीदा गया था, किन्तु सन् ५० में आर्थिक संकट आने के कारण इसको प्रयोग में लाया न जा सका।

Minister for Public Works (Sri Girdhari Lal):

(*a*) The quantities of the materials of the Buildings and Roads Branch which are lying in the Public Works Department godowns for more than two years are given below:

Cement	Nil.
Iron.	4,258 Tons.
Coal.	6,217 Tons.
Timber.	56,551 Cft.

(*b*) The approximate cost of these articles is given below :—

Cement.	....
Iron.	Rs.21,49,000
Coal.	Rs. 1,91,000
Timber.	Rs. 2,89,000

These materials were purchased according to the requirements of the phase I programme but due to the financial stringency in 1950 they could not be utilised.

Sri Ram Kishore Sharma: Is the material kept in the stocks by the P. W. D. worth using now or has it become useless because it has been lying there for the last two years?

Minister for Education: No material can become useless for the mere fact that it has been lying in the stocks for the last two years.

Sri Ram Kishore Sharma: So far as I know cement cannot last for more than two years in good condition?

Minister for Finance (Sri Hafiz Mohammad Ibrahim): It can last for nearly two years if it is kept properly.

उसका एक तरीक़ा है रखने और मेन्टेन करने का। उसमें रखने पर मुनहसिर है कि वह कई वर्ष तक भी रक्खी जा सकती है और एक साल में भी खराब हो सकती है।

श्री कन्हैयालाल गुप्त—प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने अपने आप को इस बात मे सैटिसफाई कर लिया है कि जो चीज़ रक्खी गयी है वह खराब नहीं हुई। भविष्य में भी वह खराब नहीं होगी?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री—वह खराब नहीं हुई है इस बात से सरकार संतुष्ट हो चुकी है।

२७—श्री उमानाथ वर्मा—(स्थगित—१६–७–१९५२ ई० को भेजा गया)।

[इस समय चेयरमैन (श्री चन्द्र भाल) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।]

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन), विधेयक

***Minister for Finance:** Sir, I beg to move that the U. P. Electricit (Temporary Powers of Control) (Amendment) Bill, 1952, be taken into consideration.

जंग के जमाने में जहां और चीजों पर कंट्रोल (control) लगाया गया था वहीं डिफेन्स आफ़ इन्डिया ऐक्ट (Defence of India Act) के मातहत बिजली पर भी कंट्रोल लगाया गया था। जब डिफेन्स आफ़ इन्डिया रूल्स एक्स्पायर (expire) हुए तो उसके बाद चूंकि कौमी हुकूमत आ चुकी थी इसलिए यह जरूरत हुई कि लेजिस्लेचर से एक क़ानून कंट्रोल का बनवाया जाये, चुनान्चे वह बनवाया गया और उसमें जो मियाद रखी गई वह दो साल की थी। दोबारा उसको सन् ४८ में इजाफ़ा करा कर सन् १९५० तक कराया गया और अब यह बिल जिसके निस्बत मैंने मोशन किया है यह चाहता हूं कि इस कंट्रोल के क़ानून की मियाद जो सितम्बर, १९५२ में खत्म हो रही है, उसको बढ़ा कर सितम्बर सन् १९५४ तक कर दिया जाये। इसके मुताल्लिक़ नेचुरल तौर पर सवाल पैदा होता है क्यों अब दो साल के लिए बढ़ाया जाये। तो बहुत ही मुख्तसर जवाब तो इसका यह हो सकता है कि बिजली की कमी बिजली की मांग के मुक़ाबले में अब भी है और इसकी जरूरत है कि बिजली की तक़सीम में इस बात का लिहाज रखा जाये कि चूंकि मुल्क की तरक्क़ी और विकास के लिए बिजली का मिलना जरूरी है इसलिए यह इस स्टेट के इन्टरेस्ट में है कि जब तक बिजली का बनना और उसकी सप्लाई इस दर्जे पर न आजाये कि हम हर मामले वालों को बिजली दे सकें उस वक्त तक जहां तक हो सके कंट्रोल जारी रखा जाये। इस वक्त हालत क्या है, मांग क्या है और सप्लाई कितनी है। यह सवाल दूसरा है कि इससे पहले न सही लेकिन सन् ४७, ४८ से अब तक बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया और उसका नतीजा क्या हुआ। यह भी सवाल हो सकता है कि सन् ५४ तक तवक्क़ो क्या है जो इसकी

---

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मियाद दो साल के लिए बढ़ाई जाये। मुमकिन है कि तीन साल के लिए बढ़ाना ज़रूरी हो। यह जितनी बातें हैं उनके मुताल्लिक़ मैं मेम्बरान की इत्तला के लिए थोड़ी थोड़ी बात अर्ज़ करता हूं। पहली बात यह कि जबसे कंट्रोल लगा उस वक्त से लेकर अब तक यहां बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ किया गया कि नहीं किया गया उसकी बाबत मैं हाउस को इतना बताये देता हूं कि सन् १९४६ से ले कर सन् ५२ तक जितनी बिजली बमुक़ाबले पहले के बढ़ी है उसकी स्ट्रांग कैपेसिटी ३३,३६,६१० है। जहां तक बिजली के होने का ताल्लुक़ है उसके मुताल्लिक़ मैं अर्ज करूं आप से कि १,९१,७७५ किलोवाट कमी पूरी करने के लिए यह तरीक़ा हो सकता है कि सप्लाई को बढ़ाया जाये। जहां तक बिजली सप्लाई बढ़ाने का मामला है वह ऐसा है कि खालिस हमारे हाथ में नहीं है। हमारे से मतलब गवर्नमेंट को मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब है कि हिन्दोस्तानियों के हाथ में नहीं है। हमको बाहर से ग़ैर मुमालिक से बहुत सी चीज़ें मंगानी पड़ती हैं। जो कुछ उसकी कीमत मांगी जाती है वह देनी पड़ती है। एक यही दिक्कत तनहा ऐसी है कि जिस चीज की जरुरत है, जिस मशीनरी की जरूरत है, वह नहीं मिल पाती। जब दूसरे मुल्कों से कहा जाता है कि हमको यह चाहिए तो जवाब मिलता है कि आर्डर होने के २–३ साल बाद सप्लाई की जा सकती है तो जब तक वह सामान नहीं मिल पाता है तब तक बिजली नहीं बढ़ पाती है। इन दिक्कतों के होते हुए हम बिजली कैसे बढ़ा पाते हैं। पथरी में हमारा एक पावर स्टेशन बन रहा है और उसके मुताल्लिक जो शेड्यूल्ड टाइम है वह ५४–५५ का है, दूसरा पावर हाउस शारदा का है उसका भी शेड्यूल्ड टाइम ५३–५४ का है। वह ४१ हजार किलोवाट बिजली जेनेरेट करेगा। यह दो पावर स्टेशन बन रहे हैं इसके अलावा हरदुआगंज के पावर हाउस का इक्सटेन्शन (extension) किया जा रहा है वह अगले साल तैयार हो जायेगा। सोहावल पावर हाउस में भी इजाफा की तवक्को की जाती है। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स (Eastern Districts) में गोरखपुर का पावर स्टेशन बन चुका है और काम कर रहा है। तकरीबन १०० ट्यूबवेल उससे काम करते हैं और सिंचाई के काम में आते हैं। बस्ती और देवरिया को उससे बिजली मिल गयी है। वहां भी १०,००० किलोवाट का इजाफा हो रहा है। यह इन्तजाम तो हो ही रहे हैं लेकिन जब शारदा, हरदुआगंज, पथरी के पावर स्टेशन सन् ५४ तक तैयार हो जायेंगे तो उस वक्त हमें अपनी पोजीशन को फिर से रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तब तक के लिये तो कन्ट्रोल रखना ही पड़ेगा। कल मैंन अपनी तकरीर में गुजारिश की थी कि सन् १९०९ से लेकर सन् १९४६ तक बिजली का ऐवरेज कुल ३ हजार का रहा है और अब ३–४ साल में वह ६ हजार के करीब है। सन् ५४ में जब कि हमारे कई पावर स्टेशन तैयार हो जायंगे तो हम फिर से अपनी पोजीशन को रिवाइज करेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि हमारी पोजीशन क्या है। अभी हमारे पास जो मांग है वह तकरीबन ६० हजार किलोवाट की है, लेकिन बिजली तो उतनी है नहीं जो दी जा सके इसलिये कन्ट्रोल का रखना जरूरी मालूम होता है। मोहम्मदपुर में पावर हाउस तैयार हुआ है लेकिन उससे अभी बिजली नहीं दी जा सकती है। तो जब मांग ज्यादा है और सप्लाई कम है तो फिर कन्ट्रोल का रखना जरूरी मालूम होता है। इसलिये यह मुमकिन नहीं है कि कन्ट्रोल हटाया जाय। मसलन लखनऊ है जहां ३३ हजार हमने बढ़वाया है और लाइसेन्सीज ने अपना अलग अलग बढ़ाया। इलाहाबाद में बिजली बढ़ी, उसके बढ़ जाने से ऐसा रहा कि उनका कन्ट्रोल हटा दिया गया। लखनऊ में बिजली बढ़ गयी, अब यहां भी कन्ट्रोल रखने की जरूरत हमारे नजदीक बाकी नहीं रहती है और हमने कह दिया है कि लखनऊ में १५ अक्टूबर से बिजली पर से कन्ट्रोल हटा दिया गया। इसी तरह से बनारस, आगरा, बरेली में भी बिजली बढ़ायी गयी है। वहां से भी कन्ट्रोल हटा दिया गया है। कन्ट्रोल हट जाने पर यह जरूरी हो जाता है कि अगर कोई बिजली के लिये दरख्वास्त देता है तो उसको एक महीने के अन्दर बिजली दे देनी होगी। जहां कन्ट्रोल नहीं है वहां एक महीना इसलिये रखा गया है कि लाइसेन्सीज कोई गड़बड़ी न करें। इस तरह जहां जहां बिजली बढ़ती जायेगी वहां से कन्ट्रोल हटता जायेगा। जहां नहीं बढ़ी है वहां जरूरत है कन्ट्रोल रखने की। क्योंकि

[वित्त मंत्री]

पोजीशन यह है कि ६ हजार किलोवाट हमारे पास जेनेरेट होती है और डिमान्ड (demand) ६० हजार की होती है जो हम सन् १९५४ तक पूरा कर सकेंगे। अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि बिजली की क्या पोजीशन है और सन् ५४ के बाद कन्ट्रोल की जरूरत बाकी नहीं रह जायेगी। इस स्टेट पर इन बातों को इस बिल के डिस्क्शन में लाना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। दूसरी बात जो डिस्क्शन में आये और हवाला दिया गया वह सीतापुर का है। सीतापुर में बिजली सप्लाई कम्पनी ने जो इन्जन लगाया था वह बहुत पुराना हो गया है, शायद वह सन् १८६४ का है। इस गवर्नमेंट के आने से पहिले गवर्नमेंट ने सीतापुर की बिजली सप्लाई कम्पनी को हटाकर वहां और इन्तजाम किया और एक साहब को एजेन्ट्स की हैसियत से मुकर्रर कर दिया और वह बिजली सप्लाई करते रहे। वह इन्जिन चलता भी नहीं है। उसकी मरम्मत की बड़ी कोशिश की गयी मगर वह काम नहीं दे सका। इसलिये सीतापुर के लिये यह इन्तजाम किया है कि शारदा कैनाल पावर स्टेशन से लखनऊ पावर स्टेशन को कनेक्ट कर दिया जाय और फिर लखनऊ से सीतापुर को कनेक्ट कर दिया जाय और लखनऊ से फिर सीतापुर को बिजली सप्लाई की जाय। वह जो वहां का इन्जिन है उसके ऊपर २,३ लाख रुपय लगाना है। जब तक वह इन्तजाम नहीं होता है इसी तरह से सीतापुर को हम बिजली देंगे। तो जहां तक सीतापुर का मामला है उसमें हमारे नजदीक अब कोई बात नहीं मालूम होती है, जो कुछ गड़बड़ी है वह बहुत थोड़े दिनों से दूर हो कर एक माकूल इन्तजाम वहां के लिये हो जायेगा। इस गुजारिश के बाद मैं समझता हूं कि अब हाउस के लिय कोई ऐसी बात बाकी नहीं रह जाती है जिसके ऊपर अब उसे ज्यादा बहस-मुबाहिसा करना पड़े। लिहाजा मैं बगर ज्यादा कहे हुए बैठ जाता हूं और उम्मीद करता हूं कि हाउस इस पर गौर करेगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय मन्त्री जी उनके रेट्स (rates) के मुताबिक कुछ इत्तला दे दें, तो अच्छा होगा।

वित्त मन्त्री--रेट्स का जो सावल है उसके मुताल्लिक मैं कह सकता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट के रेट्स का सवाल है तो इस वक्त मेरे नजदीक उसके मुताल्लिक कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिये सवाल सिर्फ लाइसेन्सीज के रेट्स का रह जाता है। उसका तरीका यह रहा है कि लाइसेन्सीज से एक मुहायदा होता था कुछ मियाद तक के लिये। पहले जो मुहायदे होते थे वह तो ५०-६० और ८० साल तक के लिये भी होते थे मगर अमूमन २५ साल तक के लिये हुए हैं, उनके मुहायदे में लिखा जाता था कि वह ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक अफेयर्स के लिये इतने आना फी यूनिट, इंडस्ट्रीज के लिये इतने फी यूनिट चार्ज कर सकते हैं। उस मियाद के अन्दर उसको हक था कि वह उस रट तक चार्ज कर सकता था। मसलन किसी के मुहायदे में यह लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक अफेयर्स के लिये वह आठ आने फी यूनिट चार्ज कर सकता है तो वह अगर ६-७ आने चार्ज कर सकता है तो कल को वह आठ आने फी यूनिट अपने मुहायद की बिना पर चाज कर सकता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट सन् १९४८ ई० के मुताबिक, जो इस सिलसिले में था, सेन्ट्रल गवनमट न बिठायी है जो इसके मुताल्लिक जांच कर रही है, उनके नाम मेरे पास हैं। अगर आप चाहें तो म उन्हें सुना सकता हूं। हमने भी अपने सूब में इसक लिये १२ जांच कमेटियां बिठा रक्खी हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने इलेक्ट्रिक सप्लाई कन्ट्रोल एक्ट (Electric Supply Control Act) के मुताल्लिक जो बिल पश किया है, मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूं। इसम कोई शक नहीं है कि अगर सरकार इलेक्ट्रिकसिटी (electricity) से अपना नियन्त्रण हटा ल तो मैं समझता हूं कि अपनी प्राइवेट कम्पनियां हैं उनके अन्दर जो गड़बड़ी है उसमें और गड़बड़ी बढ़ जायगी। मेरा अपना ख्याल है कि जिन शहरों में मार्टिन कम्पनियां हैं जैसे बनारस, बरली, लखनऊ वगैरह में हैं, इन कम्पनियों में जितनी गड़बड़ी, खराबी और रिश्वतखोरी है उतनी शायद दुनिया के परदे में दूसरी जगह न होगी जहां तक मार्टिन कम्पनियों का सवाल है सभी जानत ह कि उनमें

एक विदेशी पूंजी लगी हुई है, उनके मालिक विदेशी हैं, कन्ज्यूमर्स का बहुत ज्यादा पैसा विदेश जाता है। तो इसलिये बेहतर तो यह था और मैं समझता था कि इन कम्पनियों को खत्म करके सरकार इन बिजली की सारी कम्पनियों को तथा सारी बिजली के धन्धे को अपने हाथ में ले ले। जब ईरान के इतने बड़े तेल के कारखाने को वहां की सरकार अपने कब्जे में ले सकती है तो मैं यह समझता हूं कि बिजली की कम्पनियां उस कारखाने के मुकाबिले में कोई हैसियत नहीं रखती हैं। अब अधिक दिन तक वह बिजली की कम्पनियां नहीं चलनी चाहिए। मुझे इस बात की उम्मीद है कि अगले बजट में सरकार कोई रास्ता निकालेगी जिससे यह मार्टिन कम्पनी खत्म हो जाय और इन कम्पनियों को सरकार अपने हाथ में ले ले। इन कम्पनियों के अन्दर आज जो हालतें हैं उनमें से एक-दो बातों का जिक्र मैं आपके सम्मुख करना चाहता हूं। जैसा कि मैं पहिले इसे भी अर्ज कर चुका हूं कि इन कम्पनियों ने अपना खर्चा उठाने के लिये बहुत से साधन अख्तियार कर रखे हैं। इससे उनके कन्ज्यूमर्स को नफा हो या नुकसान हो उनके सामने कोई ख्याल नहीं है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले ऐसा था कि जितने भी बिजली के बिल हुआ करते थे उसके लिये एक कन्ज्यूमर्स के पास कम्पनी का चपरासी बिल ले कर जाता था और उससे दस्तखत लेता था। इसके नोटिस पर कन्ज्यूमर्स रुपया जमा करता था और जो बीच का ८ या १० दिन का समय मिलता था उसका रिबेट भी मिलता था। लेकिन अब ये बिल डाक के द्वारा भेज दिये जाते हैं और इस बिल को कन्ज्यूमर के पास पहुंचने की जिम्मेदारी कम्पनी की नहीं होती है। बहुधा माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसा होता है कि हर आदमी के घर का पता तो पोस्टमैन को मालूम नहीं होता है तो नतीजा उसका यह होता है कि बिल नहीं पहुंचता है और जो रिबेट आजतक मिला करता था वह नहीं मिलता है। इससे कन्ज्यूमर को ही नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि पहिले ये कम्पनियां हर महीने में बिल भेज दिया करती थीं। लेकिन अब उन्होंने यह कर रखा है कि दो महीने का बिल एक साथ ही भेज दिया करती हैं। दो महीने का बिल एक साथ भेजने से जो पूंजीपति या पैसे वाले हैं उनको आसानी हो सकती है और मैं तो यह समझता हूं कि उन्हें भी आसानी नहीं होती होगी लेकिन जो गरीब हैं, मजदूर हैं या मध्यम श्रेणी के लोग हैं वे दो महीने का बिल एक साथ जमा नहीं कर सकते और उसका नतीजा यह होता है कि लोग मुकर्रर वक्त के अन्दर बिल जमा नहीं कर पाते हैं और उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं। उनको अगर फिर कनेक्शन लेना हो तो फिर दोबारा रुपया खर्च करना पड़ता है और तब कनेक्शन लगता है। एक बात और मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। अभी माननीय मन्त्री जी ने भी ऐग्रीमेंट के बारे में बतलाया और लाइसेन्स के बारे में भी बतलाया। इन बिजली की कम्पनियों का कन्ज्यूमर्स के साथ ऐग्रीमेंट होता है और उस ऐग्रीमेंट के मुताबिक कन्ज्यूमर को हर चीज लगानी होती है। कन्ज्यूमर को हर चीज की कास्ट देनी होती है। जितना भी मैटिरियल चाहे तार हो, खम्भा हो या इस तरह की और कोई चीज हो उसका खर्चा कन्ज्यूमर्स को देना होता है। लेकिन जब कन्ज्यूमर अपने एग्रीमेन्ट खत्म करते हैं या मकान को छोड़ते या बेचते हैं या बिजली का कनेक्शन काटना चाहते हैं तो उसका मुआविजा नहीं दिया जाता है। और यही नहीं होता है बल्कि अगर उनका खम्भा या लाइन उठाकर दूसरे स्थान पर चला जाय तो उसका खर्चा भी कम्पनी नहीं देती है। उसका जितना भी मैटिरियल है वह कम्पनी का हो जाता है। इस तरह के बोगस और फाल्स एग्रीमेन्ट दुनिया के परदे में और कहीं नहीं होते हैं। एक आदमी सारा खर्चा करता है लेकिन उसके बरदाश्त करने के एक सेकन्ड बाद उसका नहीं रह जाता है और वह चीज दूसरे की हो जाती है। उसका उससे मुआविजा तक नहीं मिलता है और वह उसके जिम्मे नहीं लिखी जाती है। तो ऐसी एक दो नहीं हजारों बातें हैं। इसलिये यह बहुत आवश्यक है, यह बहुत जरूरी है, कि सरकार उन कम्पनियों में जो बिजली बनाती है उसका ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन (distribution) करे। जो बिजली बने उस पर वह कन्ट्रोल रखे। मेरा अपना यह ख्याल है कि अगर सरकार उस पर कन्ट्रोल नहीं रखेगी तो गरीब जनता को बिजली नहीं मिल सकेगी बड़े बड़े आदमियों को ही मिल सकेगी। गरीब आदमी जिनको डाक्टर बतलाता है कि वह मरीज

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

को बिजली के पंखे में रखे लेकिन फिर भी उनको बिजली नहीं मिलती है। इसलिये यह निहायत जरूरी है कि उन कम्पनियों पर सरकार कन्ट्रोल रखे। मैं सरकार से फिर यह निवेदन करूंगा कि वह बिजली का ठीक से इन्तजाम करे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

***श्री कन्हैया लाल गुप्त**—माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पेश्तर कि मैं मौजूदा बिल पर कुछ कहूं, और दूसरी आवश्यक बातें आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि हम लोगों को जो एजेन्डा कौंसिल में आने के समय मिलता है वह अगर पहिले मिल जाया करे तो अच्छा हो। हम लोगों को जब लखनऊ आने की नोटिस मिलता है उसी समय हम लोगों को वह विषय भी मिल जाना चाहिए जिन पर यहां विचार होगा। इससे हम लोगों को उस विषय पर अच्छी तरह से विचार करने का मौका मिलेगा। अलवत्ता इलेक्ट्रिसिटी बिल जो इस समय हमारे सामने पेश है, इसके लिये हमको इतना मौका मिला कि हम इस पर अच्छी तरह से विचार कर सकें।

वित्त मंत्री—इसके लिये हाउस ने ही यह तय किया था कि वह अभी हाउस के सामने पेश कर दिया जाय। यह तो हाउस की राय से हुआ है।

चेयरमैन—आपका मतलब यह है कि जो चीज यहां पर पेश होने वाली है वह १०-१५ दिन पहिले मिल जाया करे।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक मेरी जानकारी है अपर चेम्बर में भी यही होता है कि हाउस की मीटिंग की नोटिस के साथ साथ उनको उन बातों का भी इशारा मिल जाता है जो हाउस में पेश होने वाली होती हैं। जहां तक मुझ पार्लियामेंट के बारे में मालूम है वहां पर भी यही कायदा है। मेरे ख्याल में इस कौंसिल में भी यही होना चाहिए कि नोटिस के समय एजेन्डे का भी इशारा मिल जाया करे।

चेयरमैन—इसके आप रिज्यूलूशन (resolution) एक पेश कर सकते हैं कि रूल्स (rules) में अमेंडमेंट (amendment) हों। इस वक्त जो बिल पेश है आप उस पर बोलिए।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में मेरा यह ख्याल है कि इस बिल की मियाद ३० सितम्बर सन १९५२ ई० को खत्म होने वाली है। विद्युत् मन्त्री महोदय इसको दो साल के लिये और बढ़ाना चाहते हैं।

परन्तु इस मियाद को बढ़ाने के साथ साथ मैं कुछ बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह बातें यह हैं कि जब हम इस बात को जानते हैं कि हमारे पास जो बिजली की सप्लाई है, वह बहुत ही कम है तो फिर हमारे लिये यह भी जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को देखें कि जो सप्लाई हमारे पास है उसे हम ज्यादा से ज्यादा दें या उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और इसके लिये जरूरी है कि हम कुछ प्राइयोरिटी फिक्स करें। जब तक हम प्राइयोरिटी फिक्स नहीं करेंगे, तबतक सम्भव नहीं है कि हम उसका उचित फायदा उठा सकें। इस तरह से जो नतीजा होगा वह यह होगा कि जो बहुत जरूरी काम हैं उनके लिये बिजली नहीं मिलेगी और जो कम जरूरी है उनके लिये बिजली मिल सकेगी और मैं जहां तक देख पा रहा हूं वह यह है कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि बहुत सी जरूरी जरूरी चीजों को सप्लाई नहीं मिल रही है और जो कम जरूरी चीजें हैं उनको सप्लाई मिलती जाती है। सरकार ने बड़ा अच्छा किया है कि जिला अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट आफिसरों और डिवीजनों से वह अधिकार कि टैम्पोरेरी कनक्शनों वगैरह के लिये उनको अख्तियार था कि वे दे सकते थे, अब अपने अख्तियार में लिया है, लेकिन फिर भी प्राइयोरिटी के मुताबिक बिजली के बटवारे की जो स्थिति आनी चाहिये थी वह मैं समझता हूं कि अभी तक नहीं आ पाई है। मेरा यह ख्याल है कि हमें देखना चाहिये कि अस्पताल और दूसरे दूसरे समाज की सेवा और जनता की सेवा करने वाली संस्थाओं को बिजली मिलने की सहूलियत के लिय पहला

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

ध्यान हो और इसके बाद हम व्यापारी और रोजगार करने वाले जो हैं, दस्तकारी इत्यादि बढ़ाने और 'ग्रो मोर फूड' के ऊपर प्राइयोरिटी देन के लिये ध्यान हो और उसके बाद फिर कहीं कोयला या कोका इधर आयेगा उन लोगों को बिजली दी जाने के लिये जो रोशनी के लिये, पंखों के लिये, या रेडियो के लिये या दूसरी अपनी व्यक्तिगत फायदे के या आराम के लिये बिजली चाहते हैं। अब यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी स्थिति देखने में आती है कि बहुत दफा पर्सनल कम्फर्ट्स के लिये बिजली का कनेक्शन मिल जाता है जब कि बहुत ही जरूरी और समाज सेवा करने वाली संस्थाओं को वर्षों और महीनों कोशिश करने के बावजूद भी बिजली नहीं मिलती है और वे संस्थायें बिजली के लिये तरसती हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी और न सिर्फ एक गोलमाल किस्म का आर्डर उसके लिये पास करेगी, बल्कि निश्चित रूप से इस प्राइयोरिटी को करने के बाद बिजली का वितरण करेगी। अगर ऐसा न करेगी तो जरूरी कामों के लिये बिजली मिलना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल हो जायेगा।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह तो वही है जो मेरे भाई माननीय आजाद साहब ने अभी फरमाई है। अंग्रेजों यानी बृटिश सरकार के जमाने में मार्टिन और दूसरी विदेशी कम्पनियां लाइसेन्सी के तौर पर यहां थीं और उनको इस बात का ठेका दिया गया था कि वह बिजली को बनायें और उसे जनता में वितरित करें। देखने में यह आता है कि उन कम्पनियों ने अपने फायदे के लिये बहुत से पावर हाउसेज इस्टैब्लिश (establish) किये और बिजली वितरित की। परन्तु अब स्वतंत्रता हो जाने के बाद वह बहुत सी विदेशी कम्पनियां देशी लोगों को अपने असेट्स बेच कर चले गये और उनके स्थान पर देशी लोगों ने ठेका लिया और वह ठेके बहुत से ऐसे लोगों को दिया गया है, जिन्होंने अपनी खुद गरजी की वजह से उन कम्पनियों की हालत ज्यादा खराब कर रक्खी है। मुझे अपने जिले के एक पावर हाउस की बाबत मालूम है कि इसका ठेका मार्टिन कम्पनी से एक मारवाड़ी सज्जन के पास पहुंच गया है।

नतीजा यह होता है कि वह इसका कोई ठीक इन्तजाम नहीं करते हैं और जितना स्टाफ उन्होंने रखा है उसके लिये भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। मार्टिन कम्पनी के जो बहुत पुराने स्टाफ के लोग हैं जिनकी तनख्वाह भी आज बढ़ गई है उनको वे निकाल देना चाहते हैं और उनकी जगह पर नये लोगों को रखना चाहते हैं। उनके इतना काम करने के बावजूद भी आप इस तरह से उनको सर्विसेज से अलग कर दें और उनको तनख्वाह न दें, यह कहां तक ठीक है। मैंने ऐक्ट को पढ़ा नहीं है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ऐक्ट के अन्दर लाईसेंसीज पर किसी किस्म की कोई कन्डीशन नहीं है और किसी किस्म का कोई क्वालिफिकेशन का स्टैन्डर्ड उसके लिये नहीं रखा गया है और उसमें कोई ऐसी कन्डीशन नहीं है जोकि उनको पूरा करने पड़े, नतीजा यह होता है कि जो स्टाफ उनका बहुत पुराना चला आ रहा है और जो लोग एफीसियेन्ट भी हैं, उनको वे निकाल देते हैं और नये स्टाफ को रख लेते हैं जिससे कि ठीक तरह से एफीसियेन्टली काम नहीं हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह जब इस बिल को दो साल तक बढ़ाने के लिये यहां पेश कर रही है तो उसके लिये हर एक लाइसेन्सीज के ऊपर कोई कन्डीशन्स रखने की बहुत जरूरत है। मेरा ख्याल है कि बिजली सप्लाई करने के लिये आप जो लाइसेंसीज को देते हैं तो उनके लिये यह शर्त रखते हैं कि वे एक मिस्त्री रखें। तो इस तरह से उन पर कन्डीशन्स रखने से गवर्नमेंट इस बात का जरूर ख्याल रखगी कि जो स्टाफ उनका है और जो कि वहां एफीसियेन्टली काम कर सकता है, उनको वे न निकाल सकें और उनकी सर्विसेज की सिक्यूरिटी बनी रहे। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि वे इन दोनों बातों पर ध्यान देंगी।

*श्रीमती शिवराजवती नेहरू——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी जैसा कि इस हाउस में अर्ज किया है और अब भी अर्ज करती हूं कि यह बिजली का कर जो आज बढ़ाया

---

*सदस्या ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

जा रहा है उससे मिडिल क्लास पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, जबकि आज उनकी हालत पहले से ही खराब है ।

वित्त मंत्री--यह जो क़ानून इस समय है, वह कर लगाने के लिये नहीं पेश किया गया है ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू--यह जो आज इलेक्ट्रीसिटी की मियाद बढ़ाई जा रही है, उसके संबंध में भी मुझे दो-चार शिकायतें करनी हैं । हम यह जानते हैं कि हम बहुत पहले से ६ आने पर यूनिट बराबर बिजली के लिये देते आये हैं, मगर आज जो बिजली का बिल हमारे सामने आता है, उसमें हम जो बढ़ी हुई रक़म देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि आज तक जो रक़म हम बराबर देते आये हैं, उसका इस तरह से एकाएक बढ़ जाने का क्या कारण है, जब कि हम अब भी उसी मकान में रहते हैं, जिसमें कि पहले रहते थे ।

बिजली के रेट्स बराबर बढ़ते जाते हैं पहले मैं १२ रु० महीना देती थी अब २४ और २५ रु० महीना देना पड़ता है, जब कि बिजली के रेट्स नहीं बढ़े हैं । जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि आप के यहां लीक हो जाता होगा । लेकिन जब मैंने सुना कि सब मकानों में यही हालत है, वह सब को यही जवाब देते हैं कि लीक हो जाती होगी । तो यह हालत है कि रोज़ बिजली के दाम बढ़ रहे हैं । यदि उन पर नियन्त्रण न लगाया गया तो जो चाहे वह मनमानी कर सकते हैं । मुझे इस बात की बड़ी शिकायत है । पहले बिल महीने में एक बार आता था, लेकिन अब २ महीने में आता है और होता यह है कि जब हम उनका बिल चुका आते हैं तो उस पर कह देते हैं कि साहब आप ने दफ्तर में दिया होगा किसी क्लर्क को और इस तरह से वह उसके वसूल करने में तीन-चार दिन और बढ़ा देते हैं और बाद की तारीख़ डालते हैं, इस तरह से वह जो रिबेट देते हैं वह काट देते हैं और दूसरी तरफ जुर्माना भी वसूल कर लेते हैं, यह कह कर के कि हम नहीं जानते हैं हमारे यहां देर में पैसा आया । इस तरह की शिकायतें हैं । सरकार इन बातों की ओर ध्यान दे । मुझे नहीं मालूम बिजली का सेल टैक्स बढ़ाया जा रहा है या नहीं । अगर बढ़ाया जा रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं । मैं समझती हूं कि टैक्स उस पर न लगाया जाय जो घरेलू काम में आती हों ।

***Sri Badri Prasad Kackkar** : I rise to support the Bill which is before the House for consideration. The object is noble and most plausible. So I must speak according to the feeling of my heart. Electricity consists of two elements, power and energy. Both play an important role in the life of a nation, country and its people and gains greater importance when the question arises between the Government and the people—that Government which is made of the people by the people and for the people. Before I proceed further I have to wait and pause and think twice and exercise some control over the feelings of my heart both anxiously and considerately. Power is bad and absolutely bad because it brings intoxication. It has been very well said by a Persian poet. But I do not want intoxication. It is manly and most noble and praiseworthy to have power and not be empowered by it. Energy means activity and to be more active and more helpful is noble and appreciable. But it has been my experience and must have been the experience of all that the attention of the Government whether of the past or the present has been always devoted to the welfare of the cities and there has been little attention paid to the people living in rural areas. We talk of Russia, we talk of America and we talk of China, but we do not see as to what are the conditions and what are the facts responsible for making them great. If you will just see and if you will just consider Sir,

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने पेश किया गया है वह अत्यन्त आवश्यक है । आजकल के इस युग में बिजली का बड़ा महत्व है, इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । आजकल के युग में किसी देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसके यहां बिजली की शक्ति कितनी होती है । इस विधेयक पर विचार करते समय यह भावना व्यक्त की गई कि प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में इतना महत्वपूर्ण व्यवसाय जिसके ऊपर हमारा सामाजिक जीवन निर्भर करता है या जिसका बहुत बड़ा असर हमारे सामाजिक जीवन पर पड़ता है उसको चन्द लोगों के हाथों में दे देना क्या मुनासिब बात है? यह मैं मानता हूं कि सरकार की यह मनोवृत्ति है कि जहां तक हो सके वह निजी उद्योग धन्धों पर अपना हाथ न रखे और उनकी चेष्टा यही है कि जो नये नये उद्योग धन्धे हों वह गवर्नमेंट खोले । यह ठीक है जो हुकूमत समझती है लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि और व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण की ओर चाहे आप ध्यान दें या न दें लेकिन बिजली का व्यवसाय ऐसा है जिसका प्राइवेट आदमियों के हाथ में रहना किसी तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता है । यह आप कह सकते हैं कि आज हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम इस चीज को उठा सकें, लेकिन कुछ बातों के ऊपर हमें जरूर सोचना है ताकि हम हुकूमत के दिमाग को समझ सकें कि वह किस दिशा को जा रही है । हुकूमत कम से कम यह बतलाने की कृपा करेगी कि आखिर वह कितने समय के बाद अपने को इस योग्य बना सकेगी कि ऐसे महत्वपूर्ण व्यवसाय को अपने हाथ में ले सके । कानपुर में बिजली का कारखाना है । वह पहले विदेशियों के हाथ में था । उसके बाद उसको हुकूमत ने अपने हाथ में लिया और कई सालों से है । विधान सभा में जब इस पर विचार किया गया तो हमेशा यह दावा किया गया कि पहले की अपेक्षा हालत अच्छी है, मुनाफा भी है, प्रबन्ध भी है, सब कुछ ठीक है । इसके माने हैं कि हुकूमत ने तजुर्बा कर लिया कि प्राइवेट हैंड्स के बजाय अगर हुकूमत अपनी देख-रेख में रखे तो ज्यादा अच्छा प्रबन्ध हो सकता है, मुनाफा भी कमाया जा सकता है और जनता को लाभ भी पहुंचाया जा सकता है । अगर हुकूमत कानपुर के बिजली के कारखाने को अपने हाथ में लेकर चला सकती है तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि इस प्रदेश के बाकी बिजली के कारखानों को हुकूमत अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही है । हमारा यह विश्वास है और हम आशा करते हैं कि इस भवन में जो ध्यान आकर्षित किया गया है, उस पर हुकूमत जरूर ध्यान देगी । साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि जिस वक्त किसी कारखाने को हुकूमत अपने हाथ में लेती है तो यह विचार भी गवर्नमेंट को करना चाहिये कि जब किसी कारखाने के संचालन को अपने हाथ में ले तब उस कारखाने की व्यवस्था में उन लोगों को भी सम्मिलित किया जाये जिनका उनसे घनिष्ट संबंध है या जिसके परिश्रम से उस कारखाने में उत्पादन होता है । ऐसा न होने से कभी सुख-शांति नहीं हो सकती, मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर के बिजली के कारखाने को हुकूमत ने अपने नियन्त्रण में लिया लेकिन फिर भी जब मुझे इस कारखाने के कुछ कर्मचारियों से बात करने का मौका मिला तो मैंने पाया कि वह यह महसूस करते हैं कि हमें इस कारखाने में केवल नौकरी करना है, वक्त पर हमें पैसा मिलता है, उसके मुनाफे और घाटे से हमारा कोई मतलब नहीं है । यह पुराना दृष्टिकोण चला आ रहा है । मैं चाहता हूं कि जिन कारखानों को सरकार अपने हाथ में ले उनमें ऐसा प्रबंध होना चाहिये कि जिससे कारखाने के कर्मचारी यह महसूस कर सकें कि उनके कारखाने की उन्नति और तरक्की से उनकी उन्नति और तरक्की निर्भर है । यह पुराने जमाने का तरीका था कि मालिक मजदूर या मालिक और सेवक की भावना होती थी । लेकिन जब आप हितकारी राज्य की बात करते हैं तो उसके जो इंस्टीट्यूशन और संस्थायें हों उनमें भी ऐसी ही मनोभावना होनी चाहिये जो सहकारिता के आधार पर आधारित हो ।

यह तो ठीक है कि अंग्रेज सरकार की जगह पर हमारे प्रदेश की सरकार हो गई, लेकिन जहां तक इसके प्रबंध का ताल्लुक है उसके प्रबंध में और अंग्रेजों के प्रबंध में कोई विशेष

[श्री राजा राम शास्त्री]

परिवर्तन नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि परिवर्तन हो और जहां पर आप यह आशा करते हैं कि कर्मचारी उत्पादन बढ़ायें और उनमें प्रेरणा आनी चाहिये, देश सेवा करने की वहां मैं यह भी चाहता हूं कि आप मैनेजिंग कमेटीज में वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन करें, मजदूरों के प्रतिनिधि भेजें ताकि जब कमेटी की मीटिंग हो तो मजदूरों के प्रतिनिधि मजदूरों की कठिनाइयां पेश कर सकें। अगर आप मजदूरों पर विश्वास करेंगे, अपनी कठिनाइयां उनको बतलायेंगे और उनकी सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि मजदूर अपने महत्व को समझ सकेंगे और सहकारिता के आधार पर उत्पादन भी बढ़ेगा।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज कल के जमाने में, निजी कारखाने में और सरकारी कारखाने में जहां तक प्रबंध और कर्मचारियों का संबंध है उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि मैनेजमेन्ट में भी इस तरह की चीज की जाये। मैं एक बात की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान और दिलाना चाहता हूं, जैसा कि अभी सदन में कहा गया कि विदेशी कम्पनियों का उद्देश्य रहा कि हमारे देश में अधिक से अधिक मुनाफ़ा करके अपना स्वार्थ साधन करें, हमें यह बात दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि महात्मा गांधी का बड़ा ऊंचा आदर्श था कि हम सब का हित चाहते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज उस उद्देश्य को इतना ऊंचा न किया जाये जिससे आम जनता का नुक्सान हो और निजी कारखानों का फायदा हो। अभी चंद रोज पहले जब प्राइवेट बिजली कम्पनी और उसके कर्मचारियों का मसला उठाया गया और बढ़ते बढ़ते हिन्दोस्तान के सब से बड़े ट्रिब्युनल, लेबर अपीलेट ट्रिब्युनल में मामला गया और वहां पर फैसला भी कर्मचारियों के पक्ष में हुआ तो हुकूमत ने चूंकि ऐक्ट में यह दफ़ा दी है कि अगर हुकूमत समझती है कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल का कोई फैसला ऐसा हुआ है जो जन हित के खिलाफ है तो हुकूमत उसको रोक भी सकती है। चुनान्चे क़ानून की इस दफ़ा का फ़ायदा उठा कर सरकार ने जहां पर प्राइवेट बिजली कम्पनी और उसके कर्मचारियों में संघर्ष आया और जहां कर्मचारी कई बार हारते हैं, लेकिन जब हिन्दोस्तान के सर्व श्रेष्ठ न्यायालय में यह फैसला होता है कि कर्मचारियों को यह वेतन दिया जाये, उस वक्त क़ानून की दफ़ा का फ़ायदा उठा कर सरकार ने मजदूरों की न्याय संगत बात स्वीकार न होने दी। अब यह दूसरी बात है कि कर्मचारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। इन बिजली कम्पनियों का जो विदेश के नेतृत्व में चल रही हैं, अगर आप आज उनका राष्ट्रीयकरण नहीं करते हैं तो मैं यह नहीं समझ पाया कि हमारे न्यायालयों ने अगर कोई फैसला किया है कर्मचारियों के पक्ष में तो हुकूमत क्यों यह कह कर कि इससे मालिकों का अहित होगा, मानने से इन्कार कर देती है। आप तो चाहते हैं कि इन मालिकों के जेब से पैसा ज्यादा न निकले। अगर न्यायालयों ने कोई फैसला किया है तो आप इसको लागू क्यों नहीं करते हैं। अगर लागू किया होता तो मैं यह मानने को तैयार नहीं कि इससे कम्पनियां फ़ेल हो जातीं। हर एक साल यह कम्पनियां लाखों रुपये का मुनाफ़ा करती हैं फिर भी हुकूमत यह सोच कर कि इससे मालिक का नुक़सान होगा कर्मचारियों की तरफ ख्याल नहीं करती है। यह चीज मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज बिजली के रेट की है। बिजली एक ऐसा व्यवसाय है कि इसको काफ़ी सस्ता होना चाहिये ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में पहुंच सके। लेकिन आजकल का जो रेट है वह स्थिति के मुताबिक सस्ता नहीं है। इसलिये हुकूमत को इस बात की अधिक कोशिश करनी चाहिये कि इसके रेट सस्ते हों। लेकिन जो हुकूमत की मन्शा है और जो बजट हमारे सामने आया है, उससे मालूम होता है कि हुकूमत बिजली की दर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मगर वास्तविक मतलब तो तब मालूम होगा जब हुकूमत के नये टैक्सेशन के लगाने का वक्त आयेगा। बिजली के रेट को बढ़ाने की अगर आप बात करेंगे तो मेरा विश्वास है कि साधारण लोगों को इससे खुशी नहीं होगी, क्योंकि जनता चाहती है कि उनके घरों में बिजली लग जाय। मुझे खुशी हुई, जब मैंने श्रीमती नेहरू का भाषण सुना। जब उनको मालूम हुआ कि गवर्नमेंट बिजली का रेट बढ़ाने जा रही है तो उसकी मुखालिफत की। मैं तो कहता हूं कि श्रीमती नेहरू जी ही नहीं, बल्कि

जितने हों और सदस्य इस सदन के चाहेंगे कि रेट न बढ़ाया जाय। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जब सरकार रेट बढ़ाने की कोशिश करेगी और जब इस सदन के मेम्बरान उसकी मुखालिफत करेंगे तो मैं जहां तक जनहित का ताल्लुक है, इस भवन के अन्दर चाहे वह सरकारी पक्ष के हों या विरोधी पक्ष के हों, किसी को इसका विचार न होना चाहिये, अपोजीशन के तरफ से पूरा पूरा उनको सहयोग प्राप्त होगा। अब मैं केवल यह कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर किसी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करें या न करें, लेकिन बिजली का व्यवसाय ऐसा है, जिसकी तरफ आपको क़दम बढ़ाना है और यह जो कम्पनियां जनता का शोषण कर रही हैं उनके हाथ से इन कारखानों को लेकर उनका प्रबन्ध आप स्वयं कीजिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का जिसे आपने पेश किया है, स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि इस बिल की आवश्यकता है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, परन्तु दो-चार बातें इस सदन के सम्मुख जो बहुत आवश्यक हैं, कहना चाहता हूं। श्रीमान्, अर्थ मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया है कि बिजली पर जो नियन्त्रण सरकार का है, उसमें दो वर्ष की अवधि बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है। श्रीमान् माननीय मंत्री जी का व्यवहार, स्वभाव और समझाने का ढंग ऐसा है कि उनके बताये हुये सुझावों के बाद फिर कोई आलोचना की जाय, यह आवश्यक नहीं मालूम होता। परन्तु इस नियन्त्रण में जो कठिनाइयां देख पड़ती हैं उनके लिये मैं आवश्यक समझता हूं कि उनके सम्मुख उन्हें रख दूं। श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ जी ने बिजली के नियंत्रण की बुराइयों का वर्णन किया है, परन्तु यह वह भूल गये कि माननीय मंत्री लोग दिन भर फाइलें पढ़ते पढ़ते अपने को भूल जाते हैं। वे कवियों की आवाज को नहीं सुन पाते। जिस वायु मंडल में आज हम रह रहे हैं उसमें बिजली के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। आजकल बिजली का प्रयोग हर काम में आवश्यक हो गया है। इसके लिये सरकार को सुविधा देनी चाहिये। श्री आजाद साहब ने जो कुछ कहा है मैं उसे दुहरा कर समय नहीं नष्ट करना नहीं चाहता हूं। श्रीमती नेहरू जी ने भी काफ़ी कठिनाइयों का उल्लेख किया है। आजकल बिजली का कर बहुत बढ़ता जाता है और इस कारण से कि बिल का पैमाना भी बहुत बड़ा होता जाता है। जिस सख्ती के साथ उसका रुपया वसूल किया जाता है, उसका पता सब को होगा। इन बातों को श्रीमान् मिनिस्टर साहब को अपने ध्यान में रखना चाहिये, सरकार इस नियन्त्रण की अवधि को दो वर्ष के लिये बढ़ा रही है, परन्तु इस नियन्त्रण की अवधि पिछले दो वर्ष के अन्दर सन्तोषजनक क्या रही है? इस बात को देखना है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं और न कोई इससे खास सम्बन्ध ही रखता हूं, परन्तु पब्लिक में सुनता हूं लोग कहते हैं कि लखनऊ जाकर रुपया खर्च करने के बाद बिजली का परमिट मिलता है। एक-दो मामले ऐसे हैं जिनको मैं निजी तौर पर जानता हूं। एक मेरे मित्र के लड़के ने बी० एस-सी० पास किया, उसने कुछ रोजगार करना चाहा। १० हार्स पावर की मशीन खरीदी। उसे बताया गया कि दो हजार रुपया देने पर लखनऊ के बिजली दफ्तर से उसे लाइसेन्स मिलेगा। उसके पिता भी बड़े आदमी हैं, दो हजार रुपया मासिक वेतन पाते हैं। उन्होंने अपने किसी मित्र से कह कर उसको लाइसेन्स दिला दिया। कम्पनियां जितना परेशान करती हैं, उसका पता गवर्नमेंट को होगा। जो पढ़े-लिखे आदमी हैं उनके काम होने में बहुत दिक्कत होती है, बेपढ़े लिखे लोग तो पैसा देकर अपना काम चला लेते हैं, परन्तु पढ़े लिखे लोग तरह-तरह की बहस करने लगते हैं, जिससे उनका काम अक्सर बिगड़ जाता है। मैंने सुना है कि बड़े-बड़े अफ़सर यह कहते हैं कि तुमने यूनिवर्सिटियों में तालीम पाई है और बहस मुबाहिसा करने की तुम्हारी आदत है इसलिये तुम्हारे काम में तरह तरह की अड़चनें पड़ती हैं। तुम क्यों नहीं जा कर हिन्दुस्तानी ढंग से अपना काम निकाल लेते। तो मैं नहीं समझता कि वह हिन्दुस्तानी ढंग कौन सा है, जिससे वे अपना काम निकाल लिया करें। मैं सरकारी कर्मचारियों की

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

शिकायत नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके परिश्रम और बुद्धिमता से सरकार का काम चलता है। उनके कामों पर टीका-टिप्पणी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिये। अफसरों का भी कर्त्तव्य है कि वे जनता के हित का ध्यान रखें और जो उचित सुविधा दे सकते हैं दें। मुझे यह कहना पड़ता है कि उनसे वह फायदा और सुविधा नहीं होती जितनी होनी चाहिये।

इसके लिये मैं एक बात कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि अर्थ मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। वह यह है कि जो अफसर बिजली कि प्रायटी नियत करते हैं या बिजली के परमिट देते हैं, उनके साथ इस सदन और दूसरे सदन के कुछ सदस्यों को भी रखा जाय तो काम अच्छी तरह से होगा। इस सदन में एक माननीय सदस्य सरदार संतोष सिंह जी बिजली के संबंध में बहुत जानते हैं, ये सज्जन अपने परामर्श सरकार को देंगे और उनके परामर्श से राज्य को बहुत लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा। नियंत्रण की अवधि बढ़ाने के पक्ष में हम जरूर हैं, परन्तु अर्थ मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि इस नियंत्रण को लेकर आप ऐसे अप्रबन्ध न करें, जिससे सरकार को असंतोष हो और जनता को भी इस प्रकार की असुविधा हो। इन शब्दों के साथ मैं अर्थ मंत्री जी के बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द सहाय--अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस बिल पर बोलने का नहीं था, क्योंकि यह जरूरी बात नहीं है कि जो भी बिल आये उस पर अपोजीशन के लोगों को बोलने की जरूरत हो। यह खुशी की बात है कि कुछ बिल ऐसे होते हैं, जिसमें बुनियादी तरीक़े से विरोधी दल और गवर्नमेंट की तरफ वाले उसूली तरीक़े पर एक बात कहते हैं और उस ख्याल से मैं इस बात को पसन्द भी करता हूं। यह बिल एक प्रगतिशील बिल है। इस माने में इसमें स्टेट यह जिम्मेदारी महसूस करती है कि व्यक्तिगत रोजगार के ज़रिये जो बिजली के कारखानों में रोजगार है, उससे लोगों को असुविधा हो रही है। इसलिये आपने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और यह बुनियादी तरीक़े पर एक बुनियादी सवाल भी है। क्योंकि इस तरह का रोजगार स्टेट के बजाय प्राइवेट लोगों को दिया जाय। मुझे सिर्फ इतना इत्तिफ़ाक़ है कि अगर स्टेट की पालिसी रोजगार लेने की है तो उसके लिये जो और चीज़ों की जरूरत है जैसे लोगों के दिमाग को बदलना है और सर्विस वालों में नय दृष्टिकोण पैदा करना इत्यादि की कूव्वत पैदा करनी चाहिए। अगर स्टेट काम नहीं कराती है और सिर्फ रोज़गार देती है तथा लोगों के दिमागों के अन्दर यह तरक़ीब पैदा नहीं करती है कि स्टेट हमारी है तो ऐसी जो योजना है उससे नुक़सान पहुंचने की उम्मीद हो सकती है। क्योंकि अगर आपने एक मैनेजिरियल डिस्पोटिज्म को नहीं लिया और प्राइवेट इन्टरप्राइज इसी तरह से रहा तथा सर्विसेज के नुक्ते निगाह को नहीं बदला तो आपकी सारी योजनायें विफल हो जायेंगी। आपने कहा कि हम मोटर ट्रान्सपोर्ट को अपने हाथ में लेना चाहते हैं तो उसके लिये आपने रोडवेज़ को अपने हाथ में ले लिया है और कहा कि मोटर इन्डस्ट्री नेशनलाइज होने जा रही है।

मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि हमारे लिए यह जरूरी है कि हम एक ऐसा कोआपरेशन करें और स्टेट के अन्दर ऐसा मैनेजमेंट करें जिससे लोगों के दिलों में यह ख्याल पैदा हो कि जो कुछ स्टेट कर रही है वह ठीक है और उनकी भलाई के लिए है। मैं बहुत अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि बिजली के बारे में लोगों को गलत फहमी है। बदकिस्मती से कहिये या खुशकिस्मती से कहिये, मैं और लीडर आफ दी हाउस दोनों एक ही जिले से आते हैं। मैं भी बिजनौर का रहने वाला हूं और वह भी वहां के रहने वाले हैं। वहां पर बिजली में बहुत गड़बड़ी हो रही है। वहां पर लोगों को जितनी गलतफहमी बिजली के बारे में है उसकी १/१०० भी सरकार को नहीं है। वहां पर बिजली की हालत बहुत खराब है। मैं सरकार के सामने सुझाव के तौर पर यह रखना चाहता हूं। स्टेट इन्टर प्राइज के लिए कम से कम यह जरूरी है कि वह मौजूदा दुनिया को एक अच्छे रास्ते पर ले जाय। सरकार जो करे उसमें पब्लिक की भी राय होनी चाहिए क्योंकि यह पब्लिक की स्टेट है और उसमें उसकी राय का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर सरकार ऐसा नहीं

जनता है तो पब्लिक को यह ख्याल हो जाता है कि सरकार सारी ताकत को अपने हाथ में लेना चाहती है । वह पानी पर कंट्रोल करती है, वह बिजली पर कंट्रोल करती है, कपड़े पर कन्ट्रोल करती है, गल्ले पर कन्ट्रोल करती है, जिससे हमारी जिन्दगी बिल्कुल दूभर हो जाती है । इससे लोगों का ख्याल आप की तरफ से अच्छा नहीं रहता है । आपको ऐसा क़दम उठाना चाहिए जिसमें पब्लिक की राय का होना बहुत जरूरी है । हमारे स्टेट के कामों में एक्टिविटीज तो बहुत है, मगर उसके सारे काम ऐसे हैं कि एक डाक्टर मरीज को जबर्दस्ती दवा देता है, मगर मरीज कहता जाता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है । यही वजह है कि आप की योजनायें सफल नहीं होती हैं । सरकार को ऐसा क़दम उठाना चाहिए जिसमें उसको कामयाबी मिल सके । बिजली के बारे में भी आप को ऐसा क़दम उठाना चाहिए जिससे लोगों की तकलीफें दूर हो सकें । कुछ ज़िलों में बिजली का इस्तेमाल भी ठीक तरह से नहीं होता है । जितनी बिजली उनको मिलती है उससे ज्यादा वह खर्च करते हैं और दूसरे कामों में खर्च करते हैं । कई जगह सरकार की तरफ से इन्सपेक्टर गये और उन्होंने कनेक्शन काट दिये । जिन लोगों ने ऐसा किया उन सबको सेक्रेटेरियट से कनेक्शन्स दिला दिये गये । मैं जो कुछ कह रहा हूं यह आपकी यादगारी के लिये कह रहा हूं । मुझे बहुत से ऐसे आफिसर्स मिले जिनकी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट की जो चोरी होती है, उसका कारण मालूम करने की और उन केसेज को मालूम करने की उन्होंने लगातार २ साल तक कोशिश की और मैं जानता हूं कि उन्होंने बहुत कोशिश की और काफ़ी केसेज को पकड़ा । मगर वह क्या कहते हैं । वह कहते हैं कि जिस तमन्ना से आये थे वह तमन्ना हमारी जाती रही और हम समझते थे कि कि यदि हम ठीक काम करेंगे तो हमें इनकरेजमेंट मिलेगा । मगर हम देखते हैं कि बावजूद काफ़ी केसेज पकड़ने के भी कई केसेज वापस किये गये । टेलीफोन से बात करके या या खुद मिनिस्टर ने कइयों को बहाल कर दिया तो इस तरह से उनको जो इनकरेजमेंट मिलना चाहिये था, वह न मिल सका । तो आपकी सर्विसेज का एक उसूल होना चाहिये और वह उसूल आप पर भी लागू है, इन्सपेक्टर्स के ऊपर भी लागू होना चाहिये और पीपुल्स पर भी लागू होना चाहिये । लेकिन ९० फ़ीसदी लोग आज आप से झूठ बोल कर काम निकालते हैं और खुद आफिसर्स ही आपके झूठ बोलते हैं । मुझे बिजनौर का किस्सा याद है कि बिजनौर में मुझे बिजली की ज़रूरत थी, मैंने उनसे कहा कि बिजली की ज़रूरत है, कहा गया घर में बीमार हो तो उसके कारण बिजली मिल सकती है और आगे कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट लाइये और जबतक आप मेडिकल सार्टिफिकेट नहीं पेश करते हैं आपको बिजली नहीं मिल सकती है । तो मैं यह कहता हूं कि आपके रूल्स में ईमानदारी को इनकरेजमेंट नहीं है, आपका क़ानून ऐसा होना चाहिये कि लोगों में उसके लिये रुझान हो और इस तरह से लोगों की टेंडेन्सी ऐसी हो कि उनमें ईमानदारी आये । परन्तु आपके क़ानून ऐसे हैं कि जिसकी वजह से लोगों को झूठ बोलने की आवश्यकता हुई और आपकी यह आजादी जो है वह तबाह होने की आजादी है, काम न करने की आजादी है, बेईमानी करने की आज़ादी है । इस आजादी के माने तो यह होने चाहिये कि लोगों को इनकरेजमेंट मिले, लोगों में हौसला बढ़े और लोगों में आनेस्टी पैदा हो । आज ऐसी हवा चल गई है कि आज इस मुल्क में हर एक आदमी को यह यक़ीन हो गया है कि आज लोगों को झूठ बोलना जरूरी हो गया है, जो आदमी आनेस्टी बरतता है, वह बेवकूफ होता है, जो शिफारिश नहीं सुनता है वह आदमी ही नहीं है और बेईमानी करने में हरएक खुशहाल रह सकता है । आपने देश में ऐसी हवा पैदा कर दी है । आपका तरीक़ा ऐसा होना चाहिये कि जिससे लोगों को यह मालूम हो कि यह प्रोपोजल जो बनाया जाता है वह स्टेट के लोग सभी मिल कर बनाते हैं और इस तरह से हमें स्टेट के प्रोपोज़ल का स्वागत करना चाहिये और स्वागत के साथ जो लोगों के ख्यालात हैं, जो बदगुमानी होती जा रही है, लोगों का ख्याल बढ़ता चला जा रहा है कि बेइमानी से ही हमारा काम सफल हो सकता है । जनता का ख्याल है कि आपके जो प्रोपोजल होते हैं, उसका एक बटा सौ भी पूरा नहीं हो पाता है । पब्लिक का और पीपुल का ख्याल है कि आपका सारा मक़सद कहीं अपने क़ब्ज़े में करने का तो नहीं है । जहां लोगों की सारी जिन्दगी को कन्ट्रोल करने का सवाल आता है, उन्हें बेबस किया जाता है वहां आप अपने उसूलों को अच्छे ढंग से लागू करें तो उससे लोगों की दिमागी

[श्री गोविन्द सहाय]

उन्नति होगी और ईमानदारी का लोगों में स्टैन्डर्ड होगा। लोगों को मालूम होगा कि जो सर्विसेज से काम लिया जाता है उससे हम सुख से उस प्रोपोजल का जो गवर्नमेंट पेश करती है फायदा उठा सकेंगे।

*श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो इस सदन के सामने बिजली की जिन्दगी बढ़ाने के संबंध में बिल पेश है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि माननीय मंत्री ने पहले ही बतलाया कि जो इस युग में वह रहे हैं वे बिजली के महत्व को समझते हैं। बिजली की आवश्यकता के बारे में हमारे माननीय सदस्य ने जो बात बताई है उसको मैंने देखा है कि उसकी सप्लाई कम होती है और इस वजह से उसका कन्ट्रोल करना आवश्यक है। यह बात अच्छी है और इसे होना भी चाहिये और इस तरह से माननीय मंत्री जी के इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन सिर्फ कन्ट्रोल करने से काम चलने का नहीं है, बल्कि हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसका ठीक वितरण हो और ठीक तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो।

जैसा कि बहुत से सदस्यों ने बतलाया, मैं भी आपको बतलाना चाहता हूं कि उसके शासन का प्रबन्ध और बिजली के वितरण का प्रबन्ध जो है उसमें बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं और इससे तकलीफें और मुसीबतें हम लोगों को बिजली मिलने में होती हैं। प्राइवेट कम्पनियां जो पहले यहां सरकार की थीं उन्होंने यह इन्तज़ाम किया था, क्योंकि वह तो रुपया अपने साथ ले जाना चाहते थे, तो उनका दूसरे क़िस्म का रवैया रहता था और उनका दूसरा ही ढंग रहता था। तो वह पुराना ढंग अब भी वैसा ही चला आ रहा है और हमें उसको बदलने की आवश्यकता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे इल्म में ऐसे केसेज हैं. जिन पर यह कहा जा सकता है कि बिजली के वितरण के सिलसिले में आज किस तरह से बेईमानी बर्ती जा रही है और बिजली का जिस तरह से वितरण हो रहा है उसको सब लोग जानते हैं और यह भी उनको मालूम है कि कैसे उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। बिजली के कन्ट्रोल करने का मतलब यह था कि लोगों को आसानी से बिजली मिल सके, मगर आज लोग जो कि छोटी मोटी आय से किसी तरह से रुपया इकठ्ठा करके कोई काम करना चाहते हैं और उसके लिये उन्हें बिजली की बहुत सख्त आवश्यकता है और जिसके बिना उनका वह काम पूरा नहीं हो सकता है, तो इसके लिये भी उन्हें दिक्क़तें और. तकलीफें उठानी पड़ती हैं। मैं ऐसी एक मिसाल एक साहब के बारे में जानता हूं। उन्होंने बिजली के क़ानून के मुताबिक कि ६ महीने के अन्दर उसको बिजली मिल जायेगी, इसके लिये २९ अगस्त सन् १९४८ को अप्लाई किया। तो उसके अप्लाई करने के ६ महीने बाद कम से कम उसको बिजली मिल जानी चाहिये थी, जबकि उसने २९ अगस्त सन् १९४८ को इसके लिये लिखा था तो किसी तरह से प्रबन्ध करके उसको सेंक्शन मिल जानी चाहिये थी। मगर चूंकि वह और बहुत सी बातें नहीं करना चाहता था और वह उन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, जिससे कि उसको आसानी से बिजली मिल जाती, क्योंकि अपनी दृष्टि से वह वैसा करना खराब समझता था। तो उसे इसके लिये तीन साल तक इन्तज़ार करना पड़ा और सन् १९५१ में उसे इसके लिये इजाज़त दी गई जबकि क़ानून में है कि ६ महीने के अन्दर उसे बिजली मिल जानी चाहिये।

वित्त मन्त्री---कौन शख्स ऐसा है और वह कहां का रहने वाला है?

श्री बलभद्र प्रसाद बाजपेयी---यह यहीं लखनऊ के अशोक इंजीनियरिंग कम्पनी का क़िस्सा है, जिसके बारे में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। इस तरह से उसको बहुत सी दिक्कतें उठानी पड़ी और तीन साल तक वह बहुत परेशान रहा। उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कास्ट आफ सर्विस में उसका २,५९६ रुपया लगा और इन्टरेस्ट उसमें २५९ रुपया ८ आना ६ पाई है, जोकि ५ परसेन्ट के हिसाब से है। तो इस तरह से

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

छोटी मोटी आय वाले जो कोई काम करना चाहते हैं तो उन्हें हर क़िस्म की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिये जिससे कि उन्हें परेशानी न उठानी पड़े ।

उसको अपना काम करना था उसने इतना रुपया दिया । श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब आप इस कानून की जिन्दगी बढ़ाने जा रहे हैं तब आप उसके वितरण को भी ठीक कीजिये और देखिये कैसे होता है। क्योंकि बहुत से आदमी जिनके पास इतना रुपया नहीं हैं तो वह कहां से इतना रुपया दे सकते हैं । मैं इन शब्दों के लिये क्षमा चाहता हूं और समझता हूं कि यह सब धांधली है और कनज्यूमर्स को सिर्फ हैरेस ही करना है और कुछ नहीं । जिस प्रकार सरकार कहती है कि यह बिल सुविधा के लिये है तो मैं भी गवर्नमेन्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में औद्योगिक विकास की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि जैसे जापान में लोग अपने घर में बैठ कर बिजली की मदद से अपनी रोजी पैदा करते हैं और कम्पनी के पीछे नहीं दौड़ते हैं वैसा ही यहां इन्तजाम किया जाय । यह न हो जैसे उस आदमी को हैरेस किया गया कि उसको ६ महीने में सैंक्शन हो जाना चाहिये लेकिन उसको इजाजत ३ साल बाद दी जाती है जब कि वह ३ हजार की थैली पेश करता है । श्रीमान् जी, मैं विषेश और कुछ नहीं कहना चाहता हूं मैं अपने हृदय से इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन मेरा सरकार से केवल अनुरोध यही है कि इस बिल के जरिये से ऐसा काम किया जाय जिससे लोगों को सुविधा प्राप्त हो, जो लोग अपना काम करना चाहते हैं। मुझे केवल इतना ही अर्ज करना है ।

चेयरमैन—कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(१ बजे कौंसिल की बैठक अवकाश के लिए स्थगित हो गई और २ बजे से कौंसिल की बैठक डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनःआरम्भ हुई ।)

*श्री प्रभुनारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल सदन के सामने पेश किया गया है इसके लिये कि बिजली के संबंध में जो कंट्रोल कानून बना है उसे दो साल के लिये और बढ़ा दिया जाये । जहां तक बढ़ाने का सवाल है इस संबंध में मैं इस सदन में यह समझता हूं कि कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन जब कि हम किसी कंट्रोल को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी अवधि को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिय दो तीन खास वजहें होती हैं। पहिली चीज तो स्केयरसिटी है। इसका वजह से जरूरत मंद लोगों को आसानी से बिजली मिल जाती है दूसरी बात जिसके लिये कंट्रोल बढ़ाया जाता है वह यह है कि जब चीजों की कमी होती है और दाम बढ़ हुये होते हैं तो कंट्रोल के जरिये यह कोशिश की जाती है कि उसके दाम बढ़े नहीं बल्कि घटें । तीसरी बात यह होती है कि डिपार्टमेंट की जो धांधागर्दी होती है उसको रोका जाये । इन तीन चीजों के लिये कंट्रोल लगाया जाता है। हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बिल को इस सदन के सामने रक्खा और यह राय जाहिर की कि हमारे सूबे में बिजली की स्केयरसिटी है और जरूरत मंद लोगों को आसानी से बिजली मिलनी चाहिये। धांधली जो होती है उस पर रोकथाम हो सके इस सिलसिले में जो अवधि बढ़ाने की मांग की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन जैसा कि कई सदस्यों ने कहा कि दिक्कतों को दूर करने के लिये जो कंट्रोल लगाया गया था वह दिक्कतें कुछ तो दूर हुई हैं उनमें कुछ कमी तो हुई है लेकिन जैसा काम सरकार को करना चाहिये था वह डिपार्टमेन्टल की धांधली की वजह से नहीं हो सका । मैं सबूत क्या दूं कहते हैं कि सबूत दीजिये । मैं इसके सिलसिले में केवल इतना ही कह सकता हूं कि इसी सदन में ऐसा मालूम हुआ है कि हमारी माननीय सदस्या श्रीमती नेहरू जो कि एक महीने के लिये नैनीताल चली गई थीं

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

और उस समय उनका बंगला बंद था लेकिन जब वह लौट कर आई और उनको उस महीने का जो बिल मिला उसमें पिछले महीने के मुकाबले में एक रुपये की बढ़ोत्तरी थी । जब कम्पनी वह अधिकारियों के पास गई और उनसे अर्ज किया कि आप बतलाइये कि पिछले महीनों में जब मेरे यहां बिजली खर्च होती थी तब भी बिजली का खर्च इतना नहीं होता था, लेकिन इस बार जब मेरा बंगला बंद था और मैं यहां थी भी नहीं तब बिजली में इतना खर्च कैसे पड़ा। इस पर इतनी बढ़ोत्तरी कैसे हुई। तो इस पर यह कहा गया कि साहब आप के यहां कहीं लीकेज होगा। अगर मान लिया जाये कि लीकेज था तो भी जब बंगला बंद था और उस हालत में भी बिजली का बिल पहले के मुकाबले में बढ़ा हुआ हो तो यह तो बहुत धांधली की बात है। इस सदन की एक माननीय सदस्या से मुझे यह बात जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरह की कठिनाइयां नहीं मालूम कितने लोगों को होती होंगी। हमारे इस सदन के दूसरे सदस्यों ने जो यह राय व्यक्त की कि दो साल तक इस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेन्ट समय चाहती है उससे किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। मैं भी इस सिद्धान्त को मानता हूं कि इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता बल्कि इस का स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक प्राइवेट कम्पनियों के द्वारा जो धांधली हुई हैं उसकी तरफ गवर्नमेन्ट का ध्यान जाना चाहिए। जब कंट्रोल लगाया जाता है तब देखा जाता है कि दामों में बढ़ोत्तरी न हो बल्कि गिरौतरी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह भी अर्ज करूंगा कि सरकार इस बात को देखे कि बिजली की दर कैसे सस्ती बनाई जा सकती है। कैसे आम लोगों के पास पहुंचाई जा सकती है। हमारे माननीय सदस्य कक्कड़ जी ने अमेरिका, चाईना और रूस का नाम लेते हुए कहा कि वहां गांव गांव में बिजली है, प्रत्येक झोपड़े में बिजली है। हमारी सरकार भी कहती है कि हम गांवों के झोपड़े झोंपड़े में बिजली फैलाना चाहते हैं। सरकार ने मान लिया है कि बिजली जिन्दगी की आशायश को बढ़ाने के लिए एक जरूरी चीज है। मैं माननीय मंत्री जी से यह नहीं कह सकता कि आज ही गांव गांव में झोपड़े झोपड़े में बिजली फैलाई जाये लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि थोड़ी इस काम करने के सिलसिले में तेजी लाई जाये। लेकिन शहरों के अन्दर कम से कम इस बात की कोशिश होना चाहिए कि हर झोपड़े में बिजली आसानी के साथ मिले। और उसके साथ ही उसकी दर भी कम हो जिससे आम आदमी उसके बोझ को महसूस न करे क्योंकि बिजली हर घर के लिए, हर उद्योग धंधें के लिए बहुत आवश्यक चीज हो गई है। ऐसी सूरत में जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल के सिलसिले में हमारे सामने दो बातें रहती हैं। एक तो यह कि आसानी के साथ वह लोगों को मिल सके और दूसरे यह कि उसकी दर कम हो और तीसरी बात यह है कि जो ऐडमिनिस्ट्रेशन में धांधली होती है जो जनता को परेशानी होती है, जनता को इधर--उधर धक्के खाने पड़ते हैं आफिसर्स को टिप करना पड़ता है मैं यह नहीं कहता कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस दिशा में ज्यादा तेजी से कदम उठाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि जब उन्होंने मान लिया है कि बिजली एक जरूरी अंग है और जैसे नाज को प्रायरटी दी गई है उसी तरह से बिजली को भी प्रायरटी दी जाय और नेशनलाइजेशन की तरफ तेजी से कदम उठाया जाय। जिस समय अंग्रेजों ने हिन्दोस्तान को छोड़ा उस समय उनकी सात अरब की पूंजी लगी हुई थी। हम लोगों ने एक सुझाव के रूप में कहा कि उस पूंजी का मुआवजा देकर या जिस तरह भी हो सके उसको अपने हाथ में कर लिया जाय। एक तरफ तो जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है उसके सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं क्योंकि सरकार खुद कहती है कि कानपुर के बिजली के कारखाने को लेने के बाद

एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा हुआ, मुनाफा भी हुआ और जनता की भी परेशानियां कम हुई। जब गवर्नमेन्ट के ही यह आंकड़े हैं तब यह कोई दलील नहीं हो सकती कि राष्ट्रीयकरण न किया जाय। जब सभी इसको मानते हैं और सरकार भी मानती है तो फिर काम जल्दी होना चाहिये। सरकार का दृष्टिकोण तो राष्ट्रीयकरण की तरफ जाने का है लेकिन जो देरी की जा रही है उससे जरूर कुछ परेशानी होने लगती है। सात अरब की पूंजी के सम्बन्ध में हमने यह सुझाव दिया कि नेशनलाइजेशन हो जाय तो ठीक है। इसकी एक वजह तो यह थी कि विदेशी रूल पूरी तरह से खत्म हो जाय और दूसरी यह कि जब गवर्नमेन्टल आधार पर पूंजी के समझौते होते हैं तो कम कीमत देना पड़ती है। आज अगर गवर्नमेन्टल आधार पर कोई समझौता पूंजी का हो तो उसमें कम कीमत देनी पड़ेगी लेकिन अगर व्यक्तिगत कोई खरीदता है तो ज्यादा रकम देनी पड़ती है। जो अंग्रेजों की सम्पत्ति टी गारडेन्स में लगी हुई है उसको प्राइवेट लोग खरीद रहे हैं और उनको ज्यादा रकम देनी पड़ रही है। अगर गवर्नमेन्ट के आधार पर कोई सौदा तय हुआ होता तो उनको कम दाम देने पड़ते। जो एलिक्ट्रिकल कम्पनीज के सिलसिले में ट्रान्सफर्स हुये हैं अगर गवर्नमेन्ट का सौदा होता तो कम कीमत देनी पड़ती जब तजुर्बे से यह साबित हो गया है कि नेशनलाइजेशन से फायदा होता है तो उस तरफ ध्यान देना चाहिये इस बात को छोड़ दीजिये मैं दूसरे पहलू पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब गवर्नमेन्ट किसी इन्डस्ट्री को लेती है तो उसमें उसको कम कीमत देनी पड़ती है। आखिर जब हमारे मुल्क का पैसा है और कोई व्यक्तिगत सौदा होता है तो निश्चय ही ज्यादा रुपया विदेशों को जायगा अगर गवर्नमेन्टल आधार पर समझौता न हुआ। आज जैसे जैसे विदेशी कम्पनियों को यह मालूम होता जाता है कि सरकार नेशनलाइजेशन करने जा रही है तो वह उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वह व्यक्तिगत हाथों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं और अगर गवर्नमेन्टल आधार पर कदम न उठाया गया तो इस तरह से कहीं ज्यादा पैसा हम विदेशों को देंगे।

इन शब्दों के साथ में आपके सामने यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो यह बिजली का बिल आया है और उसमें जो दो वर्ष के एक्सटेन्शन का समय मांगा गया है उस समय के देने में शिकायत तो नहीं है क्योंकि आपने जो सही रास्ता अपनाया है उसमें विरोधी पक्ष का समर्थन मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ कई सदस्यों ने इस भवन में कहा कि आज जो तार खम्भे हमारे पैसे से लगते हैं उन पैसों को बिजली कम्पनियां हमको नहीं देती हैं अगर वह इकट्ठा नहीं दे सकती हैं तो किस्त में ही क्यों नहीं देती हैं। प्रायरटी के सिलसिले में कि किसको पहले बिजली मिले और किसको बाद में इस सम्बन्ध में एक सिस्टम होना चाहिये। एक सिस्टम इस सम्बन्ध में है मगर उसका ठीक ढंग से पालन नहीं होता है उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है इसी तरह से बिजली के पेमेंट की बात है जो मामूली तरीके से होना चाहिये। आज जब दो दो महीने का पेमेंट इकट्ठा आता है तो भारी बोझ मालूम होता है खासकर के मेहनत पेशा लोगों को जिन्हें ४०,४० व ५०,५० रुपये एक साथ देना बड़ा मुश्किल है यह छोटे छोटे सवाल हैं, जिनको गवर्नमेन्ट आसानी से तय कर सकती है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सवाल है और वह यह कि बिजली की दर गिरे या नहीं। पंच वर्षीय योजना कि पांच वर्ष में देहात में घर घर बिजली पहुंच जायेगी बड़ी खुशी होगी जब यह चीज हो जायेगी। जब बिजली गांव गांव में पहुंच जायेगी चाहे वह आपके जरिये से हो या हमारे जरिये तो बड़ी खुशी होगी। मगर आज जो शहरी जनता है और जिनके पास आसानी से बिजली पहुंचाई जा सकती है उसके लिये सस्ता से सस्ता रेट क्या होना चाहिये इस पर गवर्नमेन्ट का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं। इसी के साथ साथ आज लेबर और कैपिटल का जो क्लास संघर्ष चल रहा है। उसके ऊपर

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

न्याय के ढंग से गवर्नमेन्ट को सोचना चाहिये । आज जो श्रमिक वर्ग है वह बिजली पैदा करता है पर उसको यह नहीं मालूम कि उसका इसमें क्या हिस्सा है । उसके रहने का स्टैंडर्ड, उसकी लिविंग वेजेज उसको प्राफिट का क्या हिस्सा मिलता है यह सब बातें हैं, जिनकी तरफ गवर्नमेन्ट को इन्साफ के साथ सोचना चाहिये । हमारी सरकार ने कानून बनाया कि मजदूरों और मालिकों के झगड़े पहले कांसिलियेशन के सुपुर्द होंगे । अगर वहां तय नहीं हुये तो फिर ऐडजुडिकेशन को और उसके बाद ट्रिब्युनल में जावेंगे । मैं चाहता हूं कि एक तरह से कचहरियों से फैसला कराया जाय कि उनकी मजदूरी बढाई जानी चाहिये या नहीं । दूसरे जब न्यायालय दोनों पक्ष की बात सुनकर कोई फैसला कर देती है तो उसको माना जाय । उसको क्यों न माना जाय यह समझ में नहीं आता है ।

इन गरीब मजदूरों के मुकाबले में जिनकी तरफ से मामूली लोग इन न्यायालयों में जाते हैं और जो उनके फैसले होते हैं न जाने क्यों जनता के हक में या कम्पनी के हक में कह कर उन फैसलों को यह सरकार रोक देती है अगर ऐसा है तो एडज्यूडिकेशन और कैन्सिलियेशन बन्द कर दिये जाने चाहिये । केवल इनके मामले सरकार के पास आयें और वह खुद देखें कि मजदूरों की मांगें देने के योग्य हैं या नहीं । आज एक एक मामला के फैसल होने में तीन चार वर्ष यहां से लेकर कलकत्ता तक लग जाते हैं । उसके बाद उन फैसलों को रोक दिया जाता है और मजदूरों की मांगे नहीं दी जाती हैं । बिजली के अलावा और भी मजदूरों के मामले हैं जिनके फैसले हो चुके हैं मगर इनका इम्पलीमेन्टेशन अभी तक नहीं हुआ है । इसलिये मेरा माननीय मंत्री से नम्र निवेदन है कि वह इन सब बातों को सोचें । यह कहां तक वाजिब है कि जो फैसले मजदूरों के माफिक हों उसे रोक दिया जाय मगर जो फैक्ट्रीज के हित में हों उनको लागू कर दिया जाय । अन्त में मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और कहता हूं कि यह बिल पास होना चाहिये और आशा करता हूं कि जो बातें बिजली कम्पनियों के सिलसिले में कही गई हैं और जो सुझाव उसमें विरोधी पक्ष की तरफ से माननीय मंत्री जी के सामने रखे गये हैं उन पर वह विचार करेंगे ।

*डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप—जनाब चेयरमैन साहब मैं तो यह समझता था कि यह बिल बहुत सीधा है इसके पास होने में कोई देर न होगी । मुझे खुशी है कि अपोजीशन की तरफ से इस बिल का स्वागत किया गया है और सभी ने इसको माना है कि इसका एक्सटेन्शन होना चाहिये । जितनी बहसें यहां हुई हैं जितनी स्पीचेज मैंने सुनी हैं वह इस बिल के बाहर की चीजें थीं कि इसको नेशनलाइज करना चाहिये । नेशनलाइज करना चाहिये या नहीं यह सवाल इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं रखता है । क्या ज्यादती मालिक कम्पनी कर रहे हैं वह भी इसके बाहर की बात है । तीसरे यह कि यहां लोगों न पर्सनल ग्रीवान्सेज अपनी तकरीरों में बयान किया है जो नहीं करना चाहिये था । अगर कोई बात थी तो उनका फर्ज था कि वह उन ग्रीवान्सेज को मिनिस्टर साहब के सामने रखते और मिनिस्टर साहब का फर्ज था कि वह उन पर गौर करते और अगर कोई सच्चाई पाते तो उनको मान लेते । मैं तो समझता था कि एलेक्ट्रिसीटी बच्चों में होती है जब वह उछलते कूदते हैं । अलावा इसके मैं जानता था कि जवानों के कमर में इलेक्ट्रिसिटी होती है लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि यहां चाहे वह बूढ़े हैं या जवान सब में इलेक्ट्रिसिटी पूरे जोर से है । इलेक्ट्रिसिटी के मुताल्लिक यह डिमान्ड है कि उसका एक्सटेंशन होना चाहिये और इस बात को सभी ने माना है कि एक्सटेंशन की जरूरत है मगर जो इस बिल में रखा गया है कि जो बड़े-बड़े टाउन्स हैं उनमें एलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है ।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

तो मैं पूछना चाहता हूं कि आया बड़े-बड़े शहरों में यह कंट्रोल बाकी रहेगा या नहीं। और जो माननीय सदस्यों की वाजिब शिकायतें हैं उनको चाहिये कि वे मंत्री महोदय से मिलें, और उन से कहें कि इस कानून में क्या कमी रह गयी है और क्या होना चाहिए। इन बातों के साथ मैं तहेदिल से इस बिल का स्वागत करता हूं और इसको सपोर्ट करता हूं।

*श्री वंशीधर शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीतापुर के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने जो आश्वासन दिया है उसकी मुझे पूर्ण रूप से आशा है। जो वहां के लोगों की वहां की बिजली कम्पनी के बारे में शिकायत है, उसके सम्बन्ध में इस समय अधिक न कह कर न केवल इतना कहूंगा कि इस आश्वासन के बाद वहां के लोग बहुत धैर्य के साथ उस अवधि की प्रतीक्षा करेंगे, जब तक वहां बिजली कायम हो। लेकिन साथ ही साथ यह बात जरूर कहूंगा कि वहां जो बिजली के प्रोप्राइटर हैं, उनसे हमारे वित्त मंत्री अच्छी तरह परिचित होंगे कि वे किस तरीके से एक अच्छे काम में देरी डालते हैं। माननीय वित्त मंत्री इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे कि कहीं इस कम्पनी की वजह से वह मियाद जो ६ महीने की बतलायी गयी है वह कहीं एक साल की न हो जाय, क्योंकि बिजली लखनऊ से सीतापुर जायगी। लखनऊ में जो बिजली है वह ए० सी० है और वहां डी० सी० है। हो सकता है कि वहां पर इस वक्त चालू कर दिया जाय, परन्तु बाद में कह दें कि अभी लाइन नहीं बनी और करेन्ट नहीं आई तो इस तरीके से जो मियाद आपने महीनों की रखी है, वह वर्षों में हो जायगी। इसलिये मैं वित्त मंत्री के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस तरह के हथकन्डे वहां न चलने दें। आज जिस तरह से वहां गड़बड़ी और मनमानी हो रही है, उस पर आप की सख्त निगरानी होनी चाहिए। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि बहुत से नये कनेक्शन मांगे जाते हैं, जिन की जानकारी बाद में जनता को नहीं होती है। कभी वह यहां आप के सेक्रेटेरियट में रह जाता है या कभी वह पावर हाउस में रह जाता है। इस तरह बहुत सी दरख्वास्तें होती हैं। उनका फैसला बहुत देर में होता है। उस के लिये बहुत दौड़-धूप करनी पड़ती है। इस में लोगों को फायदा होने के बजाय हर्ज ही होता है। इसके बारे में मैं आप से यह कहूंगा कि आपने जो इस सम्बन्ध में कायदे बनायें हैं अगर उनको आप जनता को बराबर बतलाते रहें तो अच्छी बात है क्योंकि इस से देरी नहीं होगी। अन्त में जहां तक इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस के लेबरर्स का सवाल है मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से आप के सामने रख देना चाहता हूं कि उन की दशा बहुत दयनीय है। मैं जानता हूं कि उनके हक में अदालतों के फैसले भी हुये हैं, परन्तु कुछ नहीं किया गया। जहां तक मुझे मालूम है कुछ आर्डर्स ऐसे इनके हक में हुये हैं तो क्यों इन आर्डर्स से इन्कार किया जाता है।

लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है, जिससे लेबर में असन्तोष पैदा होता है। एक दफा अदालत से जो फैसला हो गया उसका उनको पूरा फायदा मिलना चाहिए। गरीब मजदूर दिन-रात मेहनत करते हैं, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी उस फैसले का फल मिलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह कम्पनियों पर कंट्रोल रखे। मैं इन शब्दों के साथ अपनी स्पीच को समाप्त करता हूं।

श्री हरगोविन्द मिश्र—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की घोषणा की है, वह यह है कि जिन-जिन स्थानों में एलेक्ट्रिसिटी की कमी पूरी हो जायगी, वहां से कन्ट्रोल हटा दिया जायगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्वासन है, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने दिलाया है। इस के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यह एक बहुत साधारण सी बात है, फिर भी इस पर काफी वादविवाद हुआ। कुछ असंगत बातें भी कही गईं जैसा कि

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हर गोविंद मिश्र]

डाक्टर साहब ने कहा है। इसलिए मैं भी इस पर दो–चार मिनट बोलने के लिए खड़ा हो गया हूं। एक बात मैं आप से कहना चाहता हूं कि हाल ही में अमेरीका से जस्टिस डगलस कुमायूं पहाड़ को देखने के लिए आये, रानी खेत की सुन्दरता को देख कर वह बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा कि यह संसार में सब से सुन्दर स्थान है। मैं माननीय वित्त मंत्री के सामने एक प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि अगर वह रानीखेत में बिजली लगा दें तो वहां पर हजारों अमेरिकन सज्जन उसकी सुन्दरता देखने के लिए आयेंगे, उनसे करोड़–दो करोड़ रुपया हर साल हमको मिल सकता है। क्योंकि हर अमेरिकन वहां पर आकर दो–चार हजार डालर खर्च करेगा। हमारे देश में धन की बहुत कमी है। बिजली लग जाने से हम को उन लोगों से बहुत कुछ धन मिल सकता है। इसके अलावा छोटी छोटी इन्डस्ट्री भी वहां पर कायम की जा सकती है। इस से व्यापार में भी तरक्की हो सकती है और धन की भी कमी दूर हो सकती है। मैं सरकार का ध्यान एक ओर और दिलाना चाहता हूं, वह यह है कि अगर वहां पर बिजली जल से पैदा न हो सके तो डीजल द्वारा पैदा की जाय। यही मेरा सुझाव है और मैं आशा करता हूं कि इसकी ओर वित्त मंत्री जी ध्यान करेंगे। मुझे हार्दिक धन्यवाद गवर्नमेन्ट को इसलिये देना है कि उन्होंने कृपा करके कानपुर में १५ हजार किलोवाट की बिजली और बढ़ाने का वायदा किया है। मुझे विश्वास है कि १५ हजार किलोवाट मिलने पर कानपुर में इन्डस्ट्री और अधिक प्रचलित होगी और लाखों आदमियों को और काम मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि जब १५ हजार किलोवाट वहां स्थापित हो जायेगी, तो वहां से भी कंट्रोल हटा लिया जायेगा और भी कई असंगत बातें कही गई हैं जैसे घूसखोरी इत्यादि। मुझे खेद है कि इस प्रकार की बातें इस सदन में कही जायं। अगर कोई शिकायत है तो वह मंत्री महोदय के पास न जा करके माननीय सदस्य खुद उसे ठीक करवा सकते हैं। मुझे अधिक और नहीं कहना है। यह तो हम सुन ही चुके हैं सभी माननीय सदस्यों से कि बिजली का होना अत्यन्त आवश्यक है और अधिक बिजली हम को मिलेगी यह सुनकर हमको बहुत हर्ष हुआ। एक बात मेरे एक मित्र ने कही और वह श्री राजाराम शास्त्री जी ने कही वह यहां पर नहीं हैं, परन्तु हमको इससे आश्चर्य है कि वह कहते हैं कि बिजली सस्ती होनी चाहिये और साथ ही कर्मचारियों की तनख्वाहें खूब बढ़नी चाहिये तो यह तो कोई सुझाव की बात नहीं है, यह तो वही बात है कि "चित भी मेरी पट भी मेरी"।

श्री कुंवर महावीर सिंह––श्रीमान् अध्यक्ष जी, आज मैं केवल बिजली की बातचीत करूंगा। मैं उस बिजली की बातचीत न करूंगा, जिसके बारे में डाक्टर वृजेन्द्र स्वरूप जी ने फरमाया है। उन्होंने बच्चों की बिजली और बच्चों को चलाने वाली बिजली, जवानों के अन्दर की बिजली का जिक्र किया है। उस बिजली की समस्या को माननीय खाद्य मंत्री जी हल करेंगे। मुझे तो केवल उस बिजली की बातचीत करना है, जिससे हमारे बिजली के मंत्री सम्बन्धित हैं।

विपक्ष दल द्वारा दो विपरीत बातें कही गयी हैं, सोशलिस्ट साथी, श्री राजाराम ने हमारी कांग्रेस सरकार के ऊपर यह चार्ज लगाया है कि कांग्रेस सरकार बिजली उत्पादन का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीकरण नहीं करना चाहती है। के० एम० पी० पी० के नेता श्री गोविन्द सहाय जी फरमाते हैं कि कांग्रेस सरकार बिजली शक्ति उत्पादन को नेशनलाइजेशन करके बड़ी जबरदस्त गलती कर रही है। यह दोनों इलजाम एक–दूसरे के विरुद्ध हैं और दोनों सत्यता से परे हैं। कांग्रेस सरकार का लक्ष्य साफ है, उन्होंने अपनी औद्योगिक नीति का स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से अपने ६ अप्रैल सन् ४८ के घोषणा–पत्र में कर दिया है। जहां तक राज्यकीय और व्यक्तिगत उत्पादन क्षेत्रों के बटवारे का प्रश्न है, उद्योग धंधों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे उद्योग-धंधे आते हैं जो केवल राज्य द्वारा ही संचालित किये जावेंगे जैसे शस्त्र सैनिक सामग्री उत्पादन। दूसरी श्रेणी

में उन उद्योगों की गिनती होती है, जो जहां तक उनके क्षेत्रों में नये कारखाने खोलने का प्रश्न है, राज्य के लिये ही सुरक्षित हैं। यद्यपि राज्य को यदि राष्ट्र के हित में आवश्यक मालूम पड़े तो आवश्यक नियंत्रण के साथ व्यक्तिगत उत्पादन का सहयोग लेने का अधिकार होगा। तीसरी श्रेणी में बाकी के सब उद्योग शामिल हैं और व्यक्तिगत उत्पादन वाले, जो मौजूदा कारखाने आदि हैं उनका दस वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। लेकिन जो नये बिजली उत्पादन के कारखाने खुलेंगे वह सरकार द्वारा खोले जावेंगे। यह कोई कागजी नीति नहीं है बल्कि कार्य में परिणत भी की जा रही है। हाइड्रो-एलेक्ट्रिक की जितनी भी मौजूदा स्कीमें हैं वह सब सरकार द्वारा ही चलाई जाती हैं। यदि उपयुक्त अवसर आया और बिजली की व्यक्तिगत कम्पनियों को चलाने के लिये उपयुक्त सामान, टेक्निकल साधन पर्याप्त मात्रा में मिल सके तो व्यक्तिगत कम्पनियां भी ली जा सकेंगी

मार्टिन कम्पनी के बदइन्तजामी की बातें कही गयी हैं। वह बहुत ठीक है भी, परन्तु मुझे डर यह है कि सरकार यदि सब बिजली की प्राइवेट कम्पनियों को अपने हाथ में ले लेगी तो शायद उतना भी इन्तजाम न हो सकेगा, जो कि मौजूदा प्राइवेट कम्पनियां कर रही हैं। फिर मैं नहीं समझता हूं कि मेम्बरों को इस तरह से गलतफहमी क्यों हो गई है। इस तरह की जो गलतफहमी की गुंजाइश उनके दिमाग में हो गई है वह ठीक नहीं है। गवर्नमेंट जो भी चीज पेश करती है विपक्षीदल उसको क्रिटिसाइज करना अपना कर्तव्य समझते हैं चाहे वह चीज जितनी ही सुन्दर हो। अब यह एक बात और कही जाती है कि आज बहुत सी प्राइवेट कम्पनियां ऐसी हैं जिनमें बहुत खराबियां हो गयी हैं। उनका इन्तजाम ठीक नहीं है। उनके इन्तजाम में गड़बड़ी है, जैसे कि मार्टिन कम्पनी और दूसरी कम्पनियां हैं तब दूसरी तरफ फिर हमारे बिजली के उत्पादन विभाजन वगैरह की इस कदम की क्यों मुखालिफत की जाती है। इन्हीं खराबियों की वजह से ही आज इस कन्ट्रोल की जरूरत पड़ रही है। प्राइवेट कम्पनियां मनमाना करती हैं। हर तरह की खराबियों की शिकार हैं। बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक तरह से नहीं होता है। इन्हीं सब बातों को ठीक करने के लिये ही गवर्नमेंट यह कदम उठाना चाहती है। और जब ये सब बातें उनको पहले ही से मालूम हैं और हमारी नीति और हमारे ध्येय उन्हें स्पष्ट प्रतीत हैं, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि विपक्षी दल को गलतफहमी क्यों हो जाती है। सरकार की नीति और ध्येय अगर हमें स्पष्ट मालूम हैं तब छोटी छोटी बातें डिटेल्स की बातें और छोटी-मोटी शिकायतें इस सदन में न कही जा कर मन्त्री महोदय से निजी तौर पर कही जा सकती हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे विद्युत मन्त्री उन छोटी शिकायतों को रफा करवाने में कुछ उठा न रक्खेंगे। मेरा अनुभव यह है कि वह ऐसी शिकायतों को दूर करवाने में कुछ उठा नहीं रखते। इस तरीके पर सदन के समय की बचत होगी। सिद्धांत पर बहस करने के लिये समय भी अधिक मिलेगा। मेरे बांदा जिले में भी एक प्राइवेट बिजली की कम्पनी चलाई गई है। सात साल हो गये आज तक भी वह कम्पनी न शहर को बिजली दे सकी है और न मिलने की आशा है। उसका इन्तजाम सरकार के गौर तलब होना चाहिए। ऐसी बातें हम माननीय मन्त्री जी से अलग अर्ज कर लेंगे और मुझे विश्वास है कि हमारी समस्याओं को हल करवाने में वह कुछ उठा न रक्खेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय हमारे सामने है, इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं था। कितनी बिजली हमारे पास थी, और कितनी अब बढ़ चली है और कितनी हम आगे पैदा करेंगे, यह सब तो माननीय वित्त मन्त्री ने हमें बता दिया है और उसके फैक्ट्स एन्ड फीगर्स हमारे सामने पेश कर दिये हैं। अब कोई जरूरत नहीं है कि इसके मुताल्लिक कुछ ज्यादा कहा जाय। लेकिन जो तकरीरें हमारे कुछ भाइयों की हुई हैं उनको सुनने के बाद मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा और मैंने यह जरूरत समझी कि मैं भी इसके मुताल्लिक कुछ कहने की अनुमति आपसे प्राप्त करूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी हम इस सदन में कहते हैं उसके लिये हमारी सबकी जिम्मेदारी है

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

और जिसे हम सबको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हम किसी बात को पूरी जानकारी प्राप्त किये बिना ही उसको भवन के सामने रख देते हैं और ऐसी अनुचित बातें भी कह डालते हैं जो कि यहां के सदस्यों के लिये कदापि शोभा नहीं दे सकतीं। यदि किसी सदस्य के सामने कोई बात ऐसी आती है जिसकी चर्चा वह सदन में करना आवश्यक समझें तो उनका यह फर्ज हो जाता है कि वह उनकी तहकीकात करें और उस तहकीकात के बाद यदि आवश्यक हो तो पहले वह सम्बन्धित मिनिस्टर से उसके सम्बन्ध में बात कर लें और उनको यह बतलावें कि छानबीन के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इसमें इतनी सत्यता है। अगर मिनिस्टर साहब उसके सम्बन्ध में कोई ऐक्शन न लें तब तो वह सदस्य सदन के अन्दर आकर यह कह सकते हैं कि मैंने तहकीकात कर ली है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो अब मैं कह रहा हूं। लेकिन सुनी-सुनाई बातों की बिना पर भद्दे किस्म का आक्षेप सरकार पर लगाना ठीक नहीं मालूम होता। इसके कहने से मेरा मतलब यह नहीं है कि कोई बुराई है ही नहीं। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी बाबत यह कहा जा सकता हो कि वहां भ्रष्टाचार नहीं है या कमियां नहीं हैं। हर मुहकमे में ऐसी बातें हैं। परन्तु जब तक हम तहकीकात न कर लें और हमको यकीन न हो जाय कि यह बात सही है तब तक हमको इस सदन में कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं अपने वकालत के पुराने तजुर्बे से कह सकता हूं कि हमारे पास बीसियों आदमी अपनी-अपनी बातें लेकर आते थे, लेकिन जब मैं छानबीन करता था, क्रास एक्जामिनेशन करता था तो मुझको पता लग जाता था कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ। मैं तो यह कह सकता हूं कि ५० फीसदी मामले ऐसे होते हैं जिनमें बिलकुल सचाई नहीं होती है कुछ केसेज ऐसे होते हैं जिसमें २५ फीसदी सचाई होती है और ५ या ६ फीसदी ऐसे होते हैं जो सच्चे होते हैं। इसलिये हमको सावधानी से काम करना चाहिए और यहां पर शब्द भी सावधानी से इस्तेमाल करने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो स्पीचेज हुई हैं उनको सुनकर ही मैंने ऐसा कहा है।

अब जहां तक इस बिल का सवाल है मैं समझता हूं कि किसी को एतराज न होगा कि इसका इक्सटेन्शन दो साल के लिये कर दिया जाय। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं मेरठ का रहने वाला हूं और मेरठ-बिजनोर लोकल अथारिटीज की तरफ से यहां आया हूं और यह समझता हूं कि मेरठ के अन्दर पहिले तो बिजली में कोई तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन पिछले हफ्ते में ६० टेम्पोरेरी कनेक्शन परमानेन्ट कर दिये गये हैं, परन्तु कुछ दरख्वास्तें जो कि ३ या ४ साल की पुरानी पड़ी हैं उन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

एक आवाज—क्या माननीय सदस्य ने जांच कर ली है?

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—जी हां, कर ली है और मैंने उसी की बिना पर फीगर्स दिये हैं बिला जांच के नहीं कह रहा हूं। इस बात की तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि मेरठ में बिजली की कमी के कारण अब जो तकलीफ है शीघ्र दूर होनी चाहिए और वहां का कन्ट्रोल भी हटना चाहिए। मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारे एलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर साहब इसकी तरफ जरूर ध्यान देंगे और मेरठ जैसे शहर को भी अब अधिक महरूम न रक्खेंगे। दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता था वह एलेक्ट्रिसिटी के रेट्स के मुताल्लिक है। जहां तक मुझे इल्म है एलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन का कास्ट पहले करीब-करीब ३ पाई और ६ पाई के बीच में आता था, अब कुछ बढ़ा अवश्य होगा। मैं नहीं कह सकता हूं कि वह कितना बढ़ा है। लेकिन मेरठ में जो रेट्स देने पड़ते हैं, वह ६ आना है। दो पैसे उसमें से रिबेट मिल जाता है। लेकिन फिर भी काफी ऊंचा है। लखनऊ में जहां पर ढाई आना तीन आना लिया जाता है, उसके मुकाबिले में बहुत है। इसलिये यह सवाल अगर आइन्दा आये जैसा कि बहुत मुमकिन है कि बिजली के रेट्स बढ़ाये जायें तो इस बात का ध्यान रक्खा जाये कि जहां पहिले ही से ऊंचे रेट्स हैं, वहां न बढ़ाये जायं। सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कहां पर बढ़ोतरी

करनी चाहिए और कहां पर नहीं। इसके बाद मुझे सिर्फ एक बात और गुजारिश करनी है और वह यह है कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर पावर का उत्पादन शीघ्र बढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिए। मुहम्मदपुर पावर हाउस के तैयार हो जाने से, जहां से कि ६,००० किलोवाट बिजली मिलती है, लेकिन यह अपर्याप्त है। यदि पथरी का पावर हाउस भी शीघ्र पूरा हो जावे तो और भी ज्यादा बिजली मिल सकती है। मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में काफी बिजली के प्रोजेक्ट चल रहे हैं वैसे ही वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भी बनाये जा सकते हैं और उससे पश्चिमी जिलों को बिजली की कमी पूरी की जा सकती है। इससे काफी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

श्री परमात्मानन्द सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय सदन में उपस्थित है वह बहुत ही सीधा सादा है यानी जो पाबन्दी या अधिकार इस समय गवर्नमेंट को हैं उनकी मियाद दो वर्ष के लिये और बढ़ा दी जाये। इसका कारण भी विधेयक में बतलाया गया है कि जितनी बिजली की हमें आवश्यकता है उससे कम बिजली मौजूद है। जब किसी चीज की कमी होती है तो उस चीज के मालिक या प्रबन्धक उससे नाजायज फायदा न उठा सकें, इसलिये किसी प्रकार के कन्ट्रोल या व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। सभी जानते हैं कि कन्ट्रोल कोई अच्छी चीज नहीं है। कन्ट्रोल बुरी चीज है, परन्तु बहुत सी ऐसी मजबूरियां होती हैं जबकि हमें वह काम करना पड़ता है। और यह जानते हुए भी कि यह खराब चीजें हैं मगर मजबूरी की वजह से हमें उन्हें रखना पड़ता है। हां, देखने की चीज यह होती है कि इस की जो व्यवस्था हम करते हैं वह उचित रूप से हो ऐसा न हो कि वह दवा ही हमारे लिये एक मर्ज हो जाये। यही एक चीज है जिसके ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सैकड़ों वर्ष की गुलामी और फिर अन्ततोगत्वा इस महायुद्ध के कारण प्रायः संसार भर की नैतिकता (morality) कुछ नीचे चली गयी है। हमारा देश भी इससे बरी नहीं है। इसलिये इसका डर रहता है कि कहीं इसके नतीजे कुछ खराब न निकल आयें। परन्तु हमें यह भी देखने में आता है कि सरकार इसकी ओर काफी ध्यान रखती है। इस सदन के बहुत से सदस्यों ने कुछ बातें, जो उनकी जानकारी में थीं या जो उनकी समझ में आईं, बतलाईं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार ने उनके ऊपर ध्यान भी दिया होगा और अगर ऐसी कोई गलती होगी तो सरकार उसको अवश्य दुरुस्त करने की कोशिश करेगी। मेरा स्वयं इस बिजली के विषय में कोई अनुभव नहीं है सिवा इसके कि यह बिजली उस खित्ते में, जहां से मैं आता हूं, वहां पर बड़ी कांस्पीकुअस (conspicuous) है और कांस्पीकुअस है बाई ऐबसेन्स। मैं प्रदेश के पूर्वी खत्ते से आता हूं, नक्शे में भी वह एक गोशा ऐसा बना हुआ है। शायद उस पर ध्यान ही न जाता हो। हर्ष का विषय है कि हमारे विद्युत् मन्त्री महोदय ने अभी कल ही हमें बताया कि मऊ में वे कुछ इस प्रकार का प्रबन्ध कर रहे हैं जिससे बिजली हमें वहां मिल सकेगी और रेहन्द के विषय में भी कोशिश हो रही है। तो मेरा यह कहना है कि कमी का इलाज कन्ट्रोल नहीं है। कन्ट्रोल तो खाली बीच की व्यवस्था है कि मरीज मरे नहीं। असल में मरीज को आराम तो जभी होगा जब उस चीज की बहुतायत होगी। तो मैं तो इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि हम बिजली अधिक से अधिक पैदा कर सकें। हमारी तो यह प्रार्थना होगी कि बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ और दूसरे पूर्वी जिलों की ओर भी ध्यान दिया जाये। और यदि विद्युत् शक्ति ज्यादा होगी तो शायद इस कन्ट्रोल की भी हमें आवश्यकता न होगी और इस आशा के साथ दो वर्ष के बाद इस तरह के अधिकारों को और बढ़ाने की आवश्यकता न पड़ेगी, यही परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल यहां पर जो आया है, इसका यह मतलब है कि हमारे सूबे के हर नागरिक का मापदन्ड ऊंचा हो रहा है और हमारा सूबा तरक्की कर रहा है और इतनी तरक्की कर रहा है कि हम उसकी

[श्री पूर्णचन्द विद्यालंकार]

इच्छाओं को और उसके बढ़े हुए मापदण्ड को पूरी तौर पर मुहैया नहीं कर सकते। (इस समय चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।) मापदन्ड जीवन का जितना ऊंचा हुआ उसके मुकाबिले में बिजली हम उत्पादन नहीं कर सके। पहले से बहुत अधिक बिजली पैदा हुई है। सहारनपुर में पहले बहुत पुराना उत्पादन केन्द्र बहादुराबाद था, वहां पर फिर एक और चालू हुआ और अब एक और चलने वाला है। किन्तु अब भी हमारे सूबे में बिजली की कमी है। मेरा यह निवेदन है कि यदि इस कमी पर गौर किया जाय तो यह स्वाभाविक था कि वितरण पर नियन्त्रण किया जाय और इस नियन्त्रण के २ साल बढ़ाने का यहां स्वागत किया गया है। मुझे उम्मीद है कि दो साल के बाद हमारे सूबे में इतनी बिजली हो जायेगी कि सरकार ने जो यह अधिकार आज मांगा है इसको फिर न मांगना पड़ेगा। पिछले दिनों यह कहा गया था कि रेहन्ड के प्रोजेक्ट से इतनी बिजली पैदा होगी कि हमारे सूबे की मांग पूरी हो जायगी, इसलिये मुझे उम्मीद है कि दो साल के बाद इस बिल को रिव्यू करने की जरूरत न पड़ेगी। मेरी सलाह है कि बिजली के वितरण में सबसे पहली प्राथमिकता घरेलू जीवन को दी जाय। किन्तु एक बात का ध्यान रखना चाहिए। सहारनपुर जिले में तीन उत्पादन केन्द्र हैं। बहादुराबाद का तो केन्द्र बहुत पुराना है, उसके बाद मोहम्मदपुर का है, जहां से छः हजार किलोवाट बिजली पैदा होती है और उसके बाद एक पथरी में चालू होने वाला है, किन्तु इसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं होती। मोहम्मदपुर के पास ही गुरुकुल है। वहां बिजली की कमी रहती है और इस कारण से वह अपनी शिक्षा को पूरी तरह से चालू नहीं कर सकते। इसी तरह मंगलौर की म्युनिसिपैलिटी है, वहां की सड़क बिजली के बिना अंधेरी रहती है। यह तो उसी तरह है कि जल में मीन प्यासी। इसलिये मैं सरकार से इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि बिजली के वितरण में सहारनपुर वालों को प्राथमिकता दी जाय।

वित्त मंत्री--जनाब चेयरमैन साहब, जो बहस इस बिल पर इस वक्त हुई, उसमें एक बड़ी ब्राडवेज पालिसी का सवाल उठा दिया गया है, बाकी बातें ख्वाह इस बिल के मुताल्लिक थीं या नहीं, ऐसी जरूर थीं कि जिन पर इस मौके पर तो नहीं, दूसरे मौके पर विचार किया जा सकता था। लेकिन नेशनलाइजेशन का सवाल एक बड़ा ही अहम सवाल है और इस एवान के मेम्बरान, इस बात को मैं समझता हूं, जरूर मानेंगे कि उस सवाल का इस बिल के सिलसिले में जवाब देते हुए कोई फैसला ऐसा मुस्तकिल पेश करूं, जिससे कि जो साहबान नेशनलाइजशन चाहते हैं उनको इत्मीनान हो जाय कि वह शायद मेरे लिये मुमकिन नहीं होगा। उस सवाल को हमारे दोस्त आजाद साहब ने पेश किया था, उनका मकसद जहां तक मैं समझता हूं यह नहीं था कि नेशनलाइजेशन का सवाल उठाया जाय। बल्कि उनका मकसद है उन शिकायतों को नुमायां करना, जो शिकायतें उनके दिमाग में प्राइवेट कम्पनियों के इन्तजाम और उनके सप्लाई के मुताल्लिक थीं। और उसी की वजह से उनको एक बददिली थी, जिसकी बिना पर वह चाहते थे कि यह इन्तजाम प्राइवेट कम्पनियों से लेकर गवर्नमेंट के पास चला जाय। बहरहाल पोजीशन क्या है आज मैं बड़े यकीन के साथ तो नहीं लेकिन अपने तजुर्बे की बिना पर कह सकता हूं कि इस यू० पी० के अन्दर जितनी बिजली का नेशनलाइजेशन है उतना शायद इंडिया में और कहीं नहीं है। एक बहुत बड़ा हल्का ग्रिड एरिया के नाम से कहा जाता है जो सहारनपुर के पास है, उसमें बिजली नेशनलाइज्ड है। वह बिजली उस वक्त लाई गयी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उस नेशनलाइजेशन को सामने रखकर उस कम्पनी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिये एग्रीमेन्ट के जरिये लाइसेंस दे दिया था। लेकिन लाइसेंस की मियाद अभी तक है। कानपुर एक बहुत बड़ा शहर है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जितनी बिजली कानपुर में खर्च होती है उतनी बिजली तमाम पूरे ग्रिड एरिया में होती है। ३४ हजार किलोवाट मोहम्मदपुर पावर हाउस बनने के पहिले तकसीम करता था। कानपुर में ३६ हजार किलोवाट तकसीम होती है, जिसको मेरे दोस्त बयान कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट ने चन्द साल हुए, सन् ४७ में अपने हाथ में ले लिया। आजमगढ़ में एक एलेक्ट्रिक

सप्लाई कम्पनी सप्लाई करती थी, मगर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। गवर्नमेंट ने उसको लेकर अपने हाथ में कर लिया। आज उसका इन्तजाम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक के जरिये से होता है। उन्नाव, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और कितनी जगहों पर, गवर्नमेंट के जरिये बिजली का इन्तजाम होता है। अब सवाल यह है कि वह जगहें जहां पुराने लाइसेन्सेज बिजली देने के लिये दिये गये हैं और जिनकी मियाद अभी बाकी है, उनके नेशनलाइजेशन का सवाल मुकम्मल तब होगा, जब तमाम बिजली पैदा करने वाले और बिजली तकसीम करने वाले अलहदा कर दिये जायं। दोनों का इन्तजाम पूरे तरीके से गवर्नमेंट के जरिये से हो। अब यह तरीका अच्छा होगा या बुरा, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। अगर तमाम यू० पी० को नेशनलाइज्ड करना है तो इस वक्त जो कम्पनियां काम कर रही हैं, उनको इस संविधान के होते हुए, जब तक उनके लाइसेन्स की मियाद पूरी नहीं होती, हम उनको अलहदा नहीं कर सकते। उस एरिया में जिसमें कम्पनियों के जरिये काम हो रहा है, उन कम्पनियों के एरिया को तोड़ें कम्पनियों को खत्म करें तो उसके लिये एक कानून हमें लाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ उन्हें मुआवजा भी देना पड़ेगा, बगैर मुआवजा के हम उन्हें नेशनलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम कानून से बन्धे हुए हैं। अलावा इसके आप चाहते हैं कि हमारी दूसरी तकलीफें भी रफा हों तो उन्हें भी हमें देखना है। पैसे की कमी के लिहाज से मैं समझता हूं कि ये सब चीजें साथ-साथ नहीं की जा सकती हैं। अपनी आमदनी को मद्देनजर रखते हुए हमें उस इन्तजाम के साथ चलना होगा जो हम करना चाहते हैं। इर्रीगेशन सब जगह हो जाये, बिजली जहां नहीं है, हो जाये। जहां ब्रिजेज के बनाने की जरूरत है, बन जायें। सड़कों की दुरुस्तगी और नयी तामीरात भी हमारे सामने हैं। इसके अलावा और भी दूसरी जो जरूरियात हैं उन सबको भी पूरा होना है। यह सब करने के लिये आमदनी की जरूरत है, जिसकी बहुत कमी है और उस कमी को देखते हुए क्या यह मुनासिब है कि हम इन कम्पनियों में पड़ जायं और उनका इन्तजाम अपने हाथ में ले लें। साथ ही उन ख्यालों की मैं ताईद नहीं कर सकता जो यह चाहते हैं कि इन कम्पनियों को बिना मुआविजे के खत्म कर दिया जाय क्योंकि हम अपने से बंधे हुए हैं। अपने से मेरा मतलब उस कानून से है जिसको हिन्दोस्तान के लोगों ने मिलकर कांस्टीटयूशन के नाम से बनाया है और जिसका यह एक कानून है कि किसी की चीज बिना मुआविजे के नहीं ली जा सकती। उसने हुक्म दिया है कि जिसकी चीज को हम लें उसे मुआविजा दें, इसलिये अगर हम कम्पनीज को नेशनलाइज्ड करें तो उसमें कानूनी दिक्कत के अलावा अमली तौर पर हमारे सामने दिक्कतें आयेंगी। अगर हम उनको नेशनलाइज करने की बात सोचें और उसके मुआविजे के लिये कोई बिल यहां लायें कि इस रुपये के लिये टैक्स लगाया जाय तो मैं शायद यही पाऊंगा, लोगों को मुखालिफत करते हुए कि अगर यह टैक्स न लगाया जाता तो अच्छा होता, दूसरे सब काम किये जायं, मगर टैक्स न लगाया जाय। दूसरी चीज जो है, जिसे एक साहब ने यहां बतलाया है कि गवर्नमेंट को इतने टेक्निकल हैन्डस मिल पायेंगे या नहीं, वह भी ठीक और मुनासिब बात मेरी निगाह में कही जा सकती है। अगर कानपुर के पावर हाउस के इन्तजाम को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया और वहां का काम ठीक ढंग से चल रहा है तो क्या यह जरूरी है कि सारे पावर हाउसेज को हम लेकर कामयाबी के साथ अच्छे ढंग से चला सकते हैं। हमारे सामने सबसे पहिले टेक्निकल डिफिकल्टी यह आयेगी कि इतने आदमी हम कहां से लायेंगे, जो हमारे लिये प्रेक्टिकेबिल नहीं कहा जा सकता। जब तक इन सब बातों का इन्तजाम हम न कर लें तब तक हम उसमें हाथ नहीं लगा सकते। इसीलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनोमी की प्लानिंग को माना है जो हमारे सामने है और मैं समझता हूं कि जितना जमाना गवर्नमेंट को उस पालिसी को एडाप्ट करके सब चीजों को मुहैया करने में लगेगा, उससे कम जमाना मिक्स्ड इकोनोमी की पालिसी को एडाप्ट करके लगेगा। जितना गवर्नमेंट कर सकती है उतना वह करेगी और जितना प्राइवेट इन्टरप्राइज कर सकते हैं उतना वह करेंगे। वह चीज मुहैया हो जायेगी। उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट तो होगी ही। यह लेजिस्लेचर है और आइन्दा भी लेजिस्लेचर आयेंगे। जिस वक्त जो शक्ल देनी चाहिए उसको कानून के जरिये से और किसी जरिये से वह शक्ल दी जायेगी। मैं इसलिये

[वित्त मंत्री]

इस बात को कह रहा हूं कि इस सिलसिले में इस बिल में हमने कहीं यह नहीं कहा है कि हम नेशनलाइजेशन करना है या नेशनालाइजेशन नहीं करना है। जो हमारी पालिसी है वह जाहिर है। हमसे जहां तक हुआ उसे जाहिर रखा और अभी राजाराम शास्त्री जी ने भी बिलकुल सही बात कही है कि जहां तक गवर्नमेंट को मुमकिन हुआ उसने नेशनलाइजेशन करने की कोशिश की है। इस पालिसी पर हम अब भी हैं और जिस कदर हो सकेगा हम उसे करेंगे। मैं इस बात की फिर शिकायत करता हूं और मजबूरी से करता हूं। मसलन बरेली की मिसाल आजाद साहब ने अपनी तकरीर में एक आम सी शक्ल देकर कही। शायद उन मेम्बरान ने जिन्होंने कि आज से तीन या चार रोज पहिले इन सवालों के जवाब सुने होंगे वे समझ सकते हैं कि इस तकरीर का क्या मकसद था और उन सवालों का मजमून क्या था, जिनका जवाब मैंने दे दिये हैं। उनको याद न हो, लेकिन मैं हाउस की इत्तला के लिये अर्ज करता हूं कि मैंने बरेली की बिजली कम्पनी के रेजीडेन्ट इंजीनियर को बतलाया कि सरकार आप का प्रासीक्यूशन करेगी। इस बात का जवाब देते हुए गवर्नमेंट इस बात से गाफिल नहीं रह सकती है। जो मालूमात हासिल हुयी हैं; उनकी बिना पर प्रासीक्यूशन किया है। जहां तक उस सवाल का ताल्लुक है वह पहले ही इस हाउस में आ चुका है। उनका कहना यह था कि लाइन जब कन्ज्यूमर्स बनाते हैं तो मालिक उसी को होना चाहिए। इसका जवाब मैंने पहले ही दे दिया था कि इसके ऊपर कानूनी राय ली जा रही है। इसमें पहली बात तो यह है कि यह सेन्ट्रल के कानून से ताल्लुक रखती है। दूसरी बात यह है कि जो कानून इसका बना है, उस कानून की रू से जो पोजीशन निकल रही है, वह यह है कि एक कानूनी राय से वह कम्पनी की है, एक कानूनी राय से वह नहीं है। हम इस मसले पर विचार कर रहे हैं। यह मसला अभी उठा था और इसका मैं जवाब भी दे चुका हूं। मेरे दोस्त को यह मालूम था कि इसका जवाब हो चुका है तब भी उन्होंने इस बात को कहा तो शायद इस गरज से कहा हो कि लोग यह कहें कि साहब यह गवर्नमेंट बड़ी नामाकूल है, जो इस बात को बरदाश्त करती है कि हमारी जेबों से रुपये जा रहे हैं और वह देखती तक नहीं। पहले इसकी हक़ीक़त देखनी चाहिए कि इसके जवाब में पहले क्या कहा गया था। करप्शन के बारे में भी यहां कहा गया है। डाक्टर साहब ने भी इसके बारे में बतलाया। मैं इसकी निस्बत यह अर्ज कर दूं कि यह एक ऐसी बात है जिसको बहुत दफे कहा जा चुका है। इस तरह की बातें हो सकती हैं, उसमें अभी यह बात है, क़सूर ज्यादा है, कमियां भी हैं और कमजोरियां भी होंगी। लेकिन मेरी यह कोशिश रहती है, चाहे कोई दूसरा इसको माने या नहीं माने, कि इन को जल्दी से जल्दी दूर किया जाय। मुझे एक सीगे से एक बात मालूम हुई है, मैं डाक्टर से दरख्वास्त करूंगा कि वह बात मुझ तक आनी चाहिए।

अगर कोई मामला मेरे सामने से गुजरता है तो मैं उस पर ज़रूर गौर करता हूं। लेकिन पुराने राजा और महाराजों की तरह यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं जगह-जगह यह देखता फिरूं कि बिजली की चोरी कहां-कहां हुई है; लेकिन यह ज़रूर है कि इसके लिए मैंने खुफिया-पुलिस लगा दी है कि वह इस बात की जांच करे कि कहीं पर बिजली का बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। अगर मेरे पास कोई केस आता है तो मैं भी उसकी तहक़ीक़ात करता हूं। अगर उसमें गलती से कनेक्शन काट दिये जाते हैं तो क़ानून की रू से जो कुछ हो सकता है वह करता हूं। इस बात की सरकार बराबर कोशिश करती है और कोशिश बराबर जारी भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कोई खराबी या कोई कमी न रहे। एक साहब ने यहां पर यह भी फरमाया कि कुछ इन्सपेक्टरों ने कनेक्शन कटवा दिये तो उनको सेक्रेटेरियट से निकलवा दिया गया। यह तो एक गलतफहमी पैदा करने की बात है। यह बात सही नहीं कि किसी इन्सपेक्टर को किसी मिनिस्टर ने निकाल दिया हो। एक बात मैं और अर्ज़ कर देना चाहता हूं और मैं इस बात को असेम्बली में और कौंसिल में खड़े हो कर कहने के लिए तैयार हूं कि मैं इस बात को महसूस करता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी होती है तो उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। जब कोई ऐसी बात मेरी नजर में आई, हमेशा मैंने उसको दूर

करने की कोशिश की है। सरकार अपनी ज़िम्मेदारी को समझती है और जो शिकायत उसके पास आती है वह उसकी तहक़ीक़ात करती है और जहां तक हो सकता है, लोगों की शिकायतों को दूर करने की कोशिश करती है। हाउस में खड़े हो कर ऐसे रिमार्क्स पास कर देना कि सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में खराबियां हैं, जेबा नहीं देता है। एक साहब ने बरेली के केस के बारे में यहां पर ज़िक्र किया कि उस मामले में बहुत ज्यादतियां हुई। मैं समझता हूं कि उस में ऐसी कोई बात सरकार की तरफ से नहीं हुई जिसके बारे में यह कहा जा सके कि इसमें ज्यादती हुई है।

तहक़ीक़ात करने के दौरान में, काम को देखते हुये कि उनका काम बिजली की वजह से बन्द हो रहा है और यह देखते हुये कि उसकी जरूरत कितनी है, अगर उससे १५ दिन का हर्ज होने वाला है, पब्लिक को तकलीफ होने वाली है तो मैं यह हुक्म दे सकता हूं कि उस १५ दिन के लिये उसको डिसकनेक्ट न किया जाय। और जब तहक़ीक़ात आ जाती है और उस तहक़ीक़ात से यह मालूम हो जाता है कि फलां शख्स ने उसका नाजायज इस्तेमाल किया और इन्सपेक्टर की जो रिपोर्ट है वह सही है तब तो १५ दिन के बाद हम यह कहते हैं कि उसको डिसकनेक्ट किया जाय और अगर हम यह देखते हैं कि इन्सपेक्टर की वह रिपोर्ट कि फलां के कनेक्शन को डिसकनेक्ट किया जाय, बेसलेस है तब उसको कनेक्शन फिर से दिया जाता है और उसकी ही गलती साबित होती है तो उस हालत में भी उसे १५ दिन तक के लिये बन्द नहीं किया जाता है और तहक़ीक़ात आने पर ही १५ दिन के बाद हम उसे बन्द कर देते हैं। तब उस आदमी के दिमाग में या सेन्स में यह बात रहती है कि यह गवर्नमेंट अनजस्टिस दूर करने की कोशिश नहीं करती है तो यह उनकी शिकायत गलत है। फिर चाहे वह सही हो, गलत हो, हम उसी तरीक़े से उसका इन्तजाम करते हैं। इसी तरह से बिजनौर की बात कही गई है। बिजनौर में मैं भी रहता हूं, एक और साहब भी रहते हैं, मैं तो उन बातों को करना फिजूल समझता हूं जिसमें कि परसनल एलीमेंट्स को रखा जाय और यह कहना कि उसमें परसनल एलीमेंट्स आ गया है मैं परसनल एलीमेंट या बेपरसनल एलीमेंट के तरीक़े को जरूरी नहीं समझता हूं। बिजनौर में वे जो कुछ भी सुनते हैं, उसी के आधार पर किसी भी चीज को गलत समझना मुनासिब नहीं है। बिजनौर में मेरे खिलाफ भी होंगे, मेरे दोस्त भी होंगे, तारीफ करने वाले भी होंगे और शिकायतें करने वाले भी होंगे तो अगर कोई शख्स परसनल एलीमेंट पर ही बगैर तहक़ीक़ात किये किसी वाकिये का अन्दाजा लगा देता है तो जहां बिजनौर में परसनल एलीमेंट को लेकर के उन्होंने शिकायत की, वहां वह मेरठ में यह भी सुन सकते हैं, बरेली में जा करके सुनेंगे कि बिजनौर में सड़कें बन गई हैं। कोई सड़क वहां ऐसी नहीं है जोकि कच्ची रह गयी हो और बिजनौर में आबपाशी खूब हो रही है और बिजनौर के लोगों को कोई शिकायत नहीं है तो इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि यह एक क़िस्म के उकसाने का तरीक़ा है और उन पर मेरे दोस्त ने ध्यान दिया है तो यह बात सही नहीं है। एक बात और कही गई है कि प्रायरिटी होनी चाहिये और वह सही कही गई है तो प्रायरिटीज हैं तो उस सिलसिले में एक किस्सा बिजली का है जो अभी आप तक़रीर फरमा रहे थे, उसके सिलसिले में मैं यह सुना देना चाहता हूं और वह अरेन्जमेंट का है। मुहम्मदाबाद का पावर स्टेशन जो कि गंगा की नहर पर बना है वह जब बनकर तैयार हुआ तो उससे ६ हजार किलोवाट की बिजली तैयार की जाती है और उसके लिये जब वह लोग आये कि तैयार हो गई है तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी इस ऐवान की बुलाई, जिसमें कि लेजिस्लेचर के मेम्बरान थे और वह इस हाउस के भी थे और लोअर हाउस के भी मेम्बर उसमें थे और उसके सुपुर्द यह काम दिया गया कि उसका जो तरजे तकसीम रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीक़ा रहा है, जो क़ायदा रहा है, उनकी जांच की जाय और यह राय दे, यह जो तरीक़ा तकसीम है उसमें किस क़िस्म की तब्दीली हों और जो प्रायरिटी हों उनके अन्दर तब्दीली हों तो कैसी हों और उन प्रायरिटी को देखना है। इन्डस्ट्रीज में प्रायरिटी का जो सवाल है तो यह इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट के सुपुर्द है। वह यह कहेगा कि फलां इन्डस्ट्री को प्रायरिटी दी है और मैं यह अर्ज करता हूं कि ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा कि जिस केस में कभी इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट की रिकमेन्डेशन के बगैर कोई बिजली उस इन्डस्ट्री को इस तरीक़े

[वित्त मंत्री]

से दे दी गई हो जो कि उनकी फिक्स की हुई न हों और प्रायरिटी के हिसाब से न मिली हो ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा यह मैं दावे के साथ कहता हूं। अब उस कमेटी ने तरजे तक़सीम को बदला और प्रायरिटी जो ब्राड लाइन की हो सकती हैं उनको क़ायम किया कि क्या ऐग्रीकल्चर को दिया जाय, क्या इन्डस्ट्रीज को दिया जाय और कितना डोमेस्टिक कनेक्शन्स दिये जायं। इसके लिये उन्होंने परसेन्टेज मुक़र्रर किये कि इतने परसेन्ट ऐग्रीकल्चर को, इतना परसेन्ट इन्डस्ट्रीज को और इतना परसेन्ट डोमेस्टिक कनेक्शन के लिये दिया जाय।

जो रिकमन्डेशन्स हैं वे मेरे पास हैं और अगर मेम्बरान चाहेंगे तो मैं आख़ीर में उनको पढ़ कर सुना दूंगा। तो प्रायरिटी हर चीज में होती है और बिजली में प्रायरिटी होनी चाहिये। यह दूसरी बात है कि मैं जिसको प्रायरिटी समझता हूं, आप उसे न समझें और हमारी राय में इस तरह से इत्तिफ़ाक़ हो सकता है। लेकिन बिजली में प्रायरिटी के एक माने यह हैं कि बिजली किसको पहले दी जाय तो वह भी मेरे नजर में किसी के लिये पहले हो सकती है और आपके लिये वह नहीं हो सकती है, तो यह दूसरी बात है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले बीमार को प्रायरिटी देनी चाहिये। अगर कोई शख्स बीमार है और अगर किसी डाक्टर को अपने दवाखाने के लिये या अपने एक्स-रे-प्लान्ट के लिये बिजली की जरूरत होती है, तो हमारा यह फ़र्ज है कि हम उसको पहले प्रायरिटी दें और मैं इसे ठीक समझता हूं, मगर दूसरा मेरी राय से इत्तिफ़ाक़ नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम किसी मामले को किसी कमेटी के सिपुर्द कर देते हैं तो उसके द्वारा जो फैसले होते हैं वे हमको मानने होते हैं और हमें उनके फैसलों को जरूर गौर करना होता है, तो इसमें किसी इन्डीविजुअल की राय पर उतना गौर नहीं किया जा सकता और हमारे पास इसके लिये जो मन्जूरी होती है, वह केबिनेट की होती है। तो इस तरह से डोमेस्टिक परपज़ के लिये या और दूसरे कामों के लिये भी बिजली की प्रायरिटी दी जाती है। तो प्रायरिटीज भी फिक्स होती हैं और यह कहना कि प्रायरिटी फिक्स नहीं होती, यह बात ग़लत है। यह हो सकता है कि उनके डिसक्रिशन म जो बात प्रायरिटी में आती है, वे इसको न मानें और उसे गलत समझें। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस बात की कोई भी गारन्टी नहीं कर सकता है कि जो कुछ डिसक्रिशन उसका रहा है उसको मानने के लिये दूसरा हमेशा तैयार हो। रायों में इख्तिलाफ हो सकता है। आपकी और मेरी राय में भी इख्तिलाफ हो सकता है। तो इसके लिये यह चीज नहीं कही जा सकती है। एक प्रोफ़ेसर साहब ने एक बात कही और वे शायद यहीं लखनऊ में कान्यकुब्ज कालेज में हैं और इस समय तशरीफ नहीं रखे हुये हैं, तो वे एक केस के मुतअल्लिक़ अर्ज कर रहे थे जो कि कुछ मेरी समझ में आया और कुछ नहीं आया क्योंकि मैं जरा दूर बैठा हुआ था और उनकी बात ठीक से सुन नहीं सका। मगर बाद में मैंने उनसे उसके निस्बत बातचीत की, तो उस केस को मैं मेम्बर साहबान को सुनाना चाहता हूं, उसको सुनने के बाद उनको मालूम होगा कि जो बात उन्होंने कहीं वह किस क़दर गलतफ़हमी पर मबनी थी और महज सुनी हुई बातों पर इस तरह से ऐवान में कह देना कहां तक ठीक है। पहले उन्हें उसकी तहक़ीक़ात करनी चाहिये थी और फिर उसको यहां सुनाना था। मैं उस केस को आपको सुनाना चाहता हूं, वह मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ देता हूं। यह लखनऊ का ही केस है। किसी साहब को सन् ४८ में बिजली की मन्जूरी हुई है लेकिन तीन साल बाद सन् ५१ में उसको कनेक्शन की मंजूरी दी गई और उसका इसमें २,८५५ रुपया लगा। तो सन् ४८ से ५१ तक वह पड़ा रहा।

हमारे सरकारी ट्यूबवेल हैं, साल भर से ज्यादा हो गये हैं उनको बने हुये लेकिन अबतक कनेक्शन नहीं मिल सका है। क्या वजह है। यह जो तांबे का तार होता है वह नहीं मिलता है, उसकी स्केयरसिटी है। तो इस तरह से हमारे बनाये हुये सरकारी ट्यूबवेल जो हैं वह भी पड़े हुये हैं। यह जो केस है, वह लखनऊ टाउन का है। मैं शमाखराशी नहीं करना चाहता हूं और माफ़ी चाहता हूं कि जनाब की इजाजत से एक किस्सा बताना चाहता हूं

कि यहीं लखनऊ का है। एक साहब मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि साहब बिजली का कनेक्शन चाहिये। नुमायश लगाना चाहते थे। यह हजरतगंज जो है उसके आगे जो फील्ड है जहां खेल वगैरह होते हैं वहां वह नुमायश लगाना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यहां की जो बिजली कम्पनी है वह कनेक्शन नहीं देती है और टम्पोरेरी कनेक्शन चाहिये। मैंने कहा कि क्या बात है आठ-दस रोज की बात है, कनेक्शन हो जाना चाहिये। मैंने कम्पनी वालों से पूछा कि क्या बात है, यह कनेक्शन क्यों नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि जिस लोकेलिटी में यह कनेक्शन चाहते हैं उसका जो ट्रान्सफारमर है जिससे कनेक्शन मिलेगा वह इतना ज्यादा ओवरलोड है कि वह इस भार को नहीं संभाल सकता है और अगर उस पर लोड डाला जायेगा तो वह बेकार हो जायेगा। मैंने एतबार नहीं किया मैंने अपने इन्स्पेक्टर को भेजा कि पता लगाओ और रिपोर्ट दो उसने भी कहा कि बात ठीक है और वह ट्रान्सफारमर इतना लोड नहीं संभाल सकता है और उसको बिजली नहीं दी गई। अगर हम उस पर आर्डर कर देते और सैंकशन दे देते कि मिलना चाहिये तो भी उसको मिलती नहीं और कम्पनी वाले यही बताते और यह जवाब देते कि जिस लोकेलिटी में वह बिजली चाहते हैं उसका ट्रान्सफारमर इतना लोड नहीं संभाल सकता है। उन्होंने अपलीकेन्ट को भी यह जवाब दिया कि जितनी ट्रान्सफारमर की कैपेसिटी है उसमें ज्यादा लोड नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह ओवरलोडेड है। जब हम इस क़ाबिल हो जायेंगे कि और लोड बढ़ जाय तो हम आप को बिजली दे सकेंगे और इस वक्त कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है। पहले जो मैं अर्ज कर रहा था उसकी बात दूसरी है और और बातें छोटी-छोटी हैं। आप को मालूम होना चाहिये कि जितनी चीजों की जरूरत होती है वह सब बाहर से आती हैं। अब तो बल्ब यहां बनने लगे हैं लेकिन पहले बल्ब तक बाहर के मुल्कों से यहां आते थे। इसी तरह से ट्रान्सफारमर वगैरह भी हैं उनके लिये भी और सामान की जरूरत होती है वह भी बाहर के मुल्कों से कम्पनी को मंगाना पड़ता है उसके बाद यह होता है कि सैंकशन हो तो जाती है लेकिन कनेक्शन नहीं लग पाता है और इतना वक्त गुजर जाता है। लोग जो बाजार में जाते हैं उनके सामने यह कहा जाय कि साहब २ साल से ज्यादा हो गये सैंक्शन मिल गई है लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो वह जरूर कहेगा कि सरकार में अन्धेर है लेकिन अगर आप पोजीशन देखें तो आप को मालूम हो जायेगा कि देरी की क्या वजह है तो जिस केस की निस्बत कहा गया है वह यह है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसका कायल नहीं हूं, अगर किसी जगह कोई गलती हो गई है वह जब भी मेरे नजदीक आयगी उसके मुताल्लिक़ मैं जरूर गौर करूंगा और कोशिश करूंगा कि वह जरूर काम पूरा हो। डा० साहब ने एक बात फरमाई हालांकि वह इस वक्त यहां तशरीफ नहीं रखते हैं, उन्होंने यह फरमाया कि जहां बिजली बढ़ गई है उन मुकामात से कन्ट्रोल उठ जाना चाहिये।

मैंने तो उसी वक्त कहा था, शायद उन्होंने सुना नहीं कि जहां-जहां बिजली बढ़ती जाती है वहां से कंट्रोल टूटता जाता है। मैं उन जिलों के नाम आप को पढ़कर सुनाये देता हूं जहां पर से बिजली का कंट्रोल उठा दिया गया है वह यह हैं। आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अल्मोड़ा, उन्नाव, बाराबंकी, हल्द्वानी। यहां पर से कंट्रोल बिल्कुल हट गया है। कुछ जिलों में १५ अगस्त से या पहली अक्तूबर से, मुझे ठीक तारीख याद नहीं है, कंट्रोल हटने वाला है। मैं अभी बिल्कुल यक़ीन नहीं दिला सकता और न मैं इस बात के लिए पकड़ा ही जाना चाहूंगा अगर उनमें से किसी जगह से किन्हीं वजूहात से कंट्रोल न हट सके। लखनऊ से कंट्रोल हट जायेगा। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इन जिलों से कंट्रोल उठ जाये। लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, बनारस, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, शाहजहांपुर। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां से कंट्रोल उठ जायेगा। पालिसी तो वही चल रही है जो आप चाहते हैं। कुछ मेम्बरों को शिकायत है और उनमें से हमारी नेहरू साहिबा भी हैं। मुझे तो उनके खानदान से नयाजमंदी हासिल करने का फ़ख्र सालहा साल से रहा है, उनकी खिदमत अन्जाम देने के लिए मैं दस्तबस्ता हर वक्त हाजिर हूं। वह बिल को मेरे पास भेज देतीं तो मैं उसे देख लेता।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू--मुझे मालूम नहीं था कि आप से उसका ताल्लुक है।

वित्त मंत्री--मैं उसका इन्तजाम कर देता और जो बातें कही गई हैं मैं समझता हूं कि उनमें से सभी के जवाबात देना जरूरी नहीं है। यह बात तो मैंने अपनी इब्तदाई तक़रीर में ही अर्ज कर दी थी कि कंट्रोल हम इसलिए लगाते हैं कि सप्लाई को बढ़ायें। मैंने पहले ही बता दिया कि सन् १९४२ से लेकर ४६ तक महज तीन हजार किलोवाट बिजली बढ़ाई गई। और इसके मुक़ाबले में हमने ६ हजार किलोवाट साल के हिसाब से बढ़ाई है और यह उम्मीद करते हैं कि जैसा काम हो रहा है शारदा पावर हाउस और पथरी पावर हाउस के बन जाने के बाद शायद सप्लाई और बढ़ायेंगे। हमारा मक़सद सिर्फ कन्ट्रोल करने का नहीं है बल्कि हम कन्ट्रोल कर के पैदावर बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बात को पूरा हाउस महसूस करेगा। अब मैं हाउस का ज्यादा वक्त न लेकर माफी मांगते हुये कि शायद किसी साहब की किसी बात का जवाब न दिया गया हो तो वह माफ करेंगे और यही दरख्वास्त करके मैं खत्म करता हूं।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

वित्तमन्त्री--Sir, I beg to move that the Uttar Pradesh Electricity (Temporary Powers of Control) (Amendment) Bill, 1952, be passed.

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक * पारित किया जाय।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन का कार्यक्रम

वित्त मन्त्री--अब तो हाउस सैनेडाई एडजार्न हो जायेगा।

चेयरमैन--अब कौंसिल अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(इस समय ३ बजकर ४४ मिनट पर कौंसिल अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गई)।

आज्ञा से,

लखनऊ:

३० जुलाई, सन् १९५२ ई०।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

---

* देखिये नत्थी 'क' पीछे पृष्ठ ३४९ पर।

नत्थी "क"

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करने के निमित्त — १९४७ का यू० पी० ऐक्ट ६।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करना आवश्यक है, — १९४७ का यू० पी० ऐक्ट ६।

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

१९४७ के यू० पी० ऐक्ट ६ की धारा १ (४) का संशोधन।

२--यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५२" के स्थान में संख्या "१९५४" रखी जाय।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में बिजली के उत्पादन, संग्रह तथा वितरण (प्रोडक्शन, सप्लाई ऐन्ड डिस्ट्रिब्यूशन) एवं बिजली के सम्बन्ध में व्यवसाय और वाणिज्य को सीमित अवधि में नियंत्रित रखने की व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम की आवश्यकता इसलिए होती है कि बिजली की मांग उसकी पूर्ति से अधिक है। अतएव यह आवश्यक समझा गया कि सरकार बिजली के उत्पादन, संग्रह तथा वितरण आदि के सम्बन्ध में नियंत्रण के अधिकार को जारी रखे ।

उक्त अधिनियम ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाला है । बड़े नगरों में उत्पादन की स्थिति से निस्सन्देह उन्नति हुई है किन्तु "हाइडेल ग्रिड" क्षेत्रों में और उक्त क्षेत्रों से बाहर छोटे क़स्बों में शक्ति (एनर्जी) की मांग उत्पादन से कहीं अधिक है । अतएव यह आवश्यक है कि इस अधिनियम की अवधि अगले २ वर्ष के लिए बढ़ा दी जाय ।

यह विधेयक इसी उद्दश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम,
विद्युत् मन्त्री ।

जी० एस० यू० पी०—४२ एल० सी०—१९५२—८२०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५२)

अब्दुल शकूर नज्मी, श्री
इन्द्र सिंह, श्री
उमानाथ बली, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर, सिंह श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभुनारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री

बीर भान भाटिया, डाक्टर
बेनी प्रसाद टन्डन, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वमन, श्री (हकीम)
बृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
रामलखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य-प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे :

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री चन्द्रभानु गुप्त (खाद्यमंत्री)
डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मंत्री)
श्री चरण सिंह (माल मंत्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
श्री विचित्र नारायण शर्मा (वाहन मंत्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)
श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सदस्यता की शपथ ग्रहण करना

श्री बशीर अहमद, एम० एल० सी० ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की।

प्रश्नोत्तर

१-८---श्री शिवसुमरन लाल जौहरी---(सदस्य की इच्छानुसार स्थगित किये गये।)

९-१०---श्री शिवसुमरन लाल जौहरी---(कौंसिल की वर्तमान बैठक के पहले सोमवार के लिये स्थगित किये गये।)

११-२१---श्री शिवसुमरन लाल जौहरी---(सदस्य की इच्छानुसार स्थगित किये गये।)

फसल के बचाव, निजी सुरक्षा, शिकार तथा प्रदर्शन के लिये बन्दूक का लाइसेन्स देने में सरकार की नीति

आदि संख्या १ ता० २९-७-५२ २२---श्री इन्द्र सिंह---(१) (क) फस्ल के बचाव, (ख) निजी सुरक्षा, (ग) शिकार, तथा (घ) प्रदर्शन के लिये बंदूक का लाइसेन्स देने में सरकार की क्या नीति है ?

(२) क्या सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के पास इस सम्बन्ध में कि वह उपरोक्त बातों के लिये बंदूक का लाइसेंस देने में अपने स्वविवेक को किस प्रकार प्रयोग करें, कोई आदेश भेजे हैं ?

(३) यदि हां तो वह आदेश क्या है ?

O No, Date 29-7-52 22. **Sri Indra Singh :** (i) What is the policy of the Government in issuing gun licences for—

(*a*) crop protection,
(*b*) self-protection,
(*c*) sports, and
(*d*) display ?

(ii) Has Government issued any instructions to the District Magistrates as to how they have to exercise their discretion in the issuing of gun licences as aforesaid ?

(iii) If so, what are those instructions ?

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---(१) सरकार की नीति फसल के बचाव के लिए समस्त काश्तकारों को, जो कि खराब आचरण के तथा अपराधी न हों बन्दूक का लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में उदार है। निजी सुरक्षा, शिकार तथा प्रदर्शन के लिए बन्दूक के लाइसेंस सभी योग्य व्यक्ति, सच्चे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता तथा सम्मानित गृहस्थ को साधारणतः दिये जा सकते हैं यदि जिलाधीश यह समझते हैं कि उन्हें बन्दूक की सचमुच आवश्यकता है।

(२) और (३) बन्दूक के लाइसेंस जिन शर्तों पर दिये जा सकते हैं वह यू० पी० आर्म्स रूल्स के नियम १३२ में वर्णित हैं। फसल के बचाव के लिए लाइसेंस उक्त रूल्स के नियम १४० के अन्तर्गत दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार ने उक्त २२(१) में वर्णित आदेश जिलाधीश को जारी किये हैं।

Home Minister (Dr. Sampurnanand): (i) The policy of Government is to grant gun licences for crop protection liberally to all agriculturists who are not bad characters and criminals. For self-protection, sports and display all eligible persons, genuine public workers and respectable house-holders can ordinarily be granted such licences provided the District Magistrate is satisfied about their need of a gun.

(ii) and (iii) The conditions on which licences for guns should be issued are given in rule 132 of the U. P. Arms Rules. Crop-protection licences are granted under rule 140 of the U. P. Arms Rules. Government have issued instructions to the District Magistrates as in the answer to question no. 22 (i).

२३—श्री इन्द्र सिंह—क्या सरकार निम्नलिखित सूचना देगी : आदि सं० २ ता० २९-७-५२

(क) दरख्वास्तों की संख्या जो कि नैनीताल जिले में बंदूक के लाइसेंस के लिये सन् १९५१-५२ में दी गई ?

(ख) उपरोक्त दरख्वास्तों में से कितनी अस्वीकार की गई ?

(ग) उनके अस्वीकार किये जाने के कारण क्या थे ?

23. **Sri Indra Singh:** Will the Government supply the following information : O. no. 2. Date 29-7-52

(a) The number of applications for gun licences made in the Naini Tal district during 1951-52?

(b) How many of the aforesaid applications were rejected?

(c) What were the reasons for rejecting the applications?

गृह मन्त्री—मांगी गई सूचना नीचे दी हुई है :

क—६८७ ।

ख—३५७ ।

ग—प्रार्थीगण लाइसेंस के योग्य समझे गये ।

Home Minister: The required information is given below:

(a) 687.

(b) 357.

(c) The applicants were not considered fit to hold a licence.

श्री इन्द्र सिंह—मैं माननीय मंत्री से प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत यह पूछना चाहता हूं कि जो ३५७ अर्जियां नामंजूर हुई हैं, उनका क्या कारण है ?

गृह मन्त्री—जैसा कि उसमें लिखा गया है कि जिला अधिकारी के समक्ष में आया कि वे अयोग्य हैं और उनको बन्दूकें न दी जायं।

श्री इन्द्र सिंह—अयोग्यता का निर्णय सिर्फ उन्हीं पर है या कोई और सिद्धान्त बनाया हुआ है ?

गृह मंत्री—माननीय सदस्य के सामने जिन नियमों का उल्लेख किया गया है उन में जिला अधिकारी का डिस्क्रेसन दिया गया है ।

श्री इन्द्र सिंह—मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक हजार दरख्वास्तों में से ५७ नामंजूर हुई हैं तो क्या यह बात उचित मालूम होती है कि इतने लोग अयोग्य हैं ?

गृह मंत्री---एक हजार नहीं बल्कि ६८७ में से ३५७ अस्वीकार की गईं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिला अधिकारी को इस में पूरा अधिकार है कि वह मंजूर करे या न करे। यदि कोई खास मामला होता तो वह सरकार को लिख सकते थे कि उन्हें लाइसेन्स मिलना चाहिये। वह सरकार के पास अपील कर सकते थे और फिर उस पर विचार किया जा सकता था।

श्री इन्द्रसिंह---माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप की इजाजत से इतना मंत्री जी से और पूछना चाहूंगा कि ६८७ में से ३५७ का नामंजूर होना क्या काफी नहीं है। क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से पूछेगी कि इसका क्या कारण है ?

गृह मंत्री---जी नहीं, इस में दुर्भाग्य हो सकता है कि इतनी अर्जियां नामंजूर की गईं।

श्री इन्द्रसिंह---इसमें कितने काश्तकार हैं ?

गृह मंत्री---इसके लिये मैं सूचना चाहूंगा।

आदि संख्या
३
ता०
२९-७-५२

२४---श्री इन्द्रसिंह---क्या सरकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को इस बात का आदेश देने का इरादा रखती है कि वह मालखाने में जमा बंदूकों की पहले से कीमतें मुकर्रर कर दें और प्रत्येक बंदूक पर उसके लेबिल लगवा दें।

O. no. Date
3. 29-7-52

24. **Sri Indra Singh :** Do the Government intend to instruct the District Magistrates to fix the price of the guns in the *Malkhana* beforehand and put labels as regards the same on each gun ?

गृह मन्त्री---इस प्रश्न की सरकार जांच कर रही है।

Home Minister : The question is being examined by Government.

४
२९-७-५२

२५---श्री इन्द्र सिंह---क्या सरकार इस बात को देखने का इरादा रखती है कि फसल के बचाने के लिये यदि गरीब कृषि करने वाले बंदूक लें, तो उनसे रियायती दाम लिये जायं ?

4. 29-7-52

25. **Sri Indra Singh :** Do the Government intend to see that the price charged from poor agricultrists for guns for cropur protection is at concessional rate ?

गृह मन्त्री---मालखाने की जब्त बन्दूकें ऐसे ही मुनासिब दामों पर बेची जाती हैं इसलिए और रियायत करने का प्रश्न नहीं उठता।

Home Minister : The forfeited guns of the *Malkhana* stocks are already being sold at reasonable prices. The question of further concession does not arise.

राज्य में सरकारी रोडवेज को चलाने के व्यय का प्रशासकीय तथा उपरिव्यय के साथ अनुपात की सूचना

८
२९-७-५२

२६---श्री रामकिशोर शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार आंकड़े देकर यह बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य में सरकारी रोडवेज को चलाने के व्यय का प्रशासकीय तथा उपरिव्यय के साथ क्या अनुपात है ?

8 29-7-52

26. **Sri Ram Kishore Sharma** (*absent*) : Will the Government be pleased to give the figures of the ratio of administrative and over-head expenditure to the running costs of the Governmont Roadways in the State ?

वाहन मंत्री--(श्री विचित्र नारायण शर्मा)--सरकारी रोडवेज का प्रशासकीय तथा उपरिव्यय का चलाने का व्यय के साथ १ : १.३ का अनुपात है।

Transport Minister (Sri Vichitra Narain Sharma): The ratio of the administrative and over-head expenditure to the running costs of the Government Roadways in the State is 1 : 1·3.

गांव भडंसर थाना हाफिजगंज जिला बरेली के जमींदार द्वारा कई सौ बीघा बंजर जमीन का पट्टा

२७--श्री प्रतापचन्द्र आजाद--क्या यह सच है कि गांव भंडार, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली में कई सौ बीघा जमीन जो कि बंजर के रूप में पड़ी हुई वहां के जमींदार ने अभी हाल में अपने भाई के नाम पट्टे पर उठा दी है और पटवारी के कागज में उस पट्टे का अमलदरामद भी दर्ज करा दिया है? आदि संख्या १० ता० २९-७-५२

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--जी हां, श्री मुस्तफा अली खां मुतवल्ली वक्फ अल्लाह ताला ने अपने भाई को करीब १७० बीघा बंजर भूमि सन् १९५१ ई० में पट्टे पर दिया और इसका अमलदरामद पटवारी के १३५९ फसली के कागज में बहुक्म जुडिशियल आफिसर, दिनांक १९ नवम्बर, १९५१ मुकद्दमा नं० ३८४ हस्ब दफा ५९, यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट किया गया।

श्री प्रतापचन्द्र आजाद--माननीय मंत्री को यह मालूम है कि जो जमीन बंजर है क्या वह मजमुई है?

माल मन्त्री--जो जमीन दी गई है उसमें से १५४ बीघा बंजर है, इसके अलावा १५ बीघे पर बिना लगान का कब्जा था, बाद में अदालत ने तै किया कि इस पर ५ आदमियों को शिकमी दर्ज किया जाय।

२८--श्री प्रतापचन्द्र आजाद--क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने और उन सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का इरादा रखती है जो इसके जिम्मेदार हैं। ११ २९-७-५२

माल मन्त्री--चूंकि यह पट्टा कानून के खिलाफ नहीं था और इसका अमलदरामद बहुक्म अदालत हुआ था, अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला बनारस, तहसील चकिया ग्राम सभा उतरौला के मौजा सीको की ताल भूमि

२९--श्री रामनन्दन सिंह--क्या माल मंत्री को यह ज्ञात है कि जिला बनारस तहसील चकिया की ग्राम सभा उतरौला के अन्तर्गत मौजा सीकों की वह ताल की भूमि जो सार्वजनिक हित की दृष्टि से शिवमूर्ति दूबे से बेदखल करायी गयी थी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने किसी अन्य व्यक्ति के हाथ बन्दोबस्त करा दिया है, जो उस सभा-क्षेत्र के बाहर का है? १२ २९-७-५२

माल मन्त्री--यह सही है कि उस जमीन का बन्दोबस्त जिससे श्री शिवमूर्ति दुबे को बेदखल कराया गया था जिलाधीश ने श्री रामचन्द्र सिंह साकिन बरहिया के साथ कर दिया है मगर यह जमीन अब ताल नहीं है, बल्कि बल्कि बन्दोबस्त के वक्त परती थी।

३०--श्री रामनन्दन सिंह--यदि हां, तो क्या उस ग्राम-सभा के क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार की नीति के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति उस भूमि को पाने का अधिकारी नहीं था? १३ २९-७-५२

माल मन्त्री--इस जमीन का बन्दोबस्त करने से पहले श्री रामचन्द्र सिंह की दरख्वा जिलाधीश ने उजरदारी के लिय नोटिस दिया, मगर सिवाय श्री शिवमूर्ति दुबे के और कि उजरदारी नहीं की और ऐसे शख्स के साथ बन्दोबस्त करना ठीक नहीं था कि जो एक अदालत से गासिब करार पाकर बेदखल हो चुका हो और फिर भी अपना कब्जा चाहता हो ।

आदि संख्या १४ ता० २६-७-५२

३१--श्री रामनन्दन सिंह--क्या उक्त बन्दोबस्त की आम सूचना उस ग्राम क्षेत्र में दी गयी थी ?

माल मन्त्री--जी हां।

श्री रामनन्दन सिंह--क्या यह सत्य है कि जो सूचना इस गांव सभा को दी है वह गांव सभा के सभापति और मुखिया के द्वारा नहीं दी गई है ?

माल मन्त्री--इसके लिये नोटिस की जरूरत है, क्योंकि यह मैं नहीं कह सकता कि कि तरह से सूचना दी गई है और कैसे दी गई है।

श्री रामनन्दन सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि श्री रामचन्द्र सि जला बनारस चकिया के अन्तर्गत सबसे बड़े काश्तकारों में से हैं और उस गांव-सभा के क्षेत्र बाहर हैं ?

माल मन्त्री--इसका मुझे कोई इल्म नहीं है।

श्री रामनन्दन सिंह--क्या गवर्नमेन्ट की नीति है कि किसी भी परती भूमि, जिस काश्त में लाना है उसको ऐसे लोगों के साथ बन्दोबस्त में लाया जायेगा जो कि भूमिहीन हैं ?

माल मन्त्री--गवर्नमेन्ट की आम नीति यह है कि जिन लोगों के पास भूमि नहीं पहले उनको भूमि दी जाय। लेकिन यह सब मामला हो चुका है। जब यह स्टेट बनार स्टेट से अलाहिदा थी और यह कार्यवाही १६ जुलाई सन् १९४९ ई० को हुई मगर स का विलीनीकरण ३० नवम्बर सन् १९४९ को हुआ।

बरेली शहर में "जनता हेल्पर्स स्कीम" को सरकार की अनुमति

३२--श्री प्रतापचन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली शहर में "जनता हेल्पर्स स्कीम" के नाम से रुपया जमा करने की जो स्कीम खुली है और जिसमें १०० रुपया जमा करने वालों को छः मास में ६८७ रुपया देने की घोषणा की गयी है इसमें सरकार की अनुमति कहां तक है ?

गृह मन्त्री--इस स्कीम में सरकार की कोई अनुमति नहीं है।

श्री प्रतापचन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि कभी इ बैंकों का रुपया पुलिस ने छापा मारकर अपने कब्जे में कर लिया ?

गृह मन्त्री--जी हां, अच्छी तरह से ज्ञात है।

श्री प्रतापचन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उस रुपये के वापस होने की कोई उम्मीद है ?

गृह मन्त्री--जी हां, जितना रुपया है वह जरूर वापस किया जा सकता है, लेकिन व तभी वापस किया जा सकता है जब कि उसकी जांच-पड़ताल खत्म हो जाय।

३३—**श्री प्रतापचन्द्र आजाद**—क्या यह सच है कि इसी प्रकार की स्कीमें रामपुर और मुरादाबाद आदि शहरों में भी हुई हैं और वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों ने उन्हें इस स्कीम को खोलने की आज्ञा प्रदान की है ?

गृह मन्त्री—जी हां, ऐसी संस्थाएं रामपुर और मुरादाबाद जिलों में खोली गयी हैं, परन्तु जिलाधीशों से उनको खोलने की कोई आज्ञा नहीं मांगी गयी ।

३४—**श्री प्रतापचन्द्र आजाद**—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन स्कीमों में रुपये जमा करने वालों के रुपये की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है ?

(ख) क्या इन स्कीमों में जमा होने वाला रुपया सरकारी बैंक में जमा होता है ?

गृह मंत्री—(क) इन स्कीमों में जमा किये गये रुपये की सुरक्षा की जिम्मेदारी रुपये को जमा करने वाली संस्थाओं पर है ।

(ख) रुपया कहीं-कहीं स्वीकृत बैंकों में जमा हुआ और कहीं पर इन संस्थाओं के अधिकारियों ने अपने पास ही रक्खा ।

३५—**श्री प्रतापचन्द्र आजाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आया यह यह स्कीमें एक प्रकार की जुआ नहीं हैं और अगर हैं, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्री—इन स्कीमों के चलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गयी है ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशन) (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्विजीशन (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५२ ई० को पारित हुआ और यहां ३ सितम्बर, १९५२ ई० को आया ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़-सहायक) संशोधन विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५२ ई० को पारित हुआ और यहां ८ सितम्बर, १९५२ ई० को आया ।

सन् १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० के पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २९ अगस्त, १९५२ ई०, को पारित हुआ और यहां ९ सितम्बर, १९५२ ई० को आया।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा) घर विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह उत्तर प्रदेश विधान द्वारा २९ अगस्त, १९५२ ई० को पारित हुआ और यहां १० सितम्बर, १९५२ को आया ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २९ अगस्त को पारित हुआ और यहां १० सितम्बर १९५२ ई०, को आया।

सन् १९५२ का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्युएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० के यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २ सितम्बर, १९५२ ई० को पारित हुआ और यहां ११ सितम्बर, १९५२ ई० को आया।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इन्टर्टेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश इन्टरटेन्मेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा २९ अगस्त, १९५२ ई०, को पारित हुआ और यहां १५ सितम्बर, १९५२ ई०, को आया। स्पीकर ने यह प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक है।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश शूगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति २९ जून, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का १६वां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन (संशोधन विधेयक) पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्री मान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति ३ जुलाई, सन् १९५२ ई०, को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का १७वां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्री मान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ९ जुलाई, सन् १९५२ ई०, को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का १८वां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर गवर्नर की स्वीकृति ३१ जुलाई, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का १९वां ऐक्ट बना।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (विविध व्यवहार) कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञा, १९५२ ई०

माल मंत्री—श्रीमान् जी, मैं उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (विविध व्यवहार) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा १९५२ ई० की प्रतिलिपियों को मेज पर रखता हूं।

वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४२९१-टी/३०—७५९-टी-१९४९, तारीख १५ नवम्बर, १९५१ ई०

गृह मंत्री—मैं वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४२९१ टी/३०—७५९-टी-१९४९, तारीख १५ नवम्बर, १९५१ ई०, जिसके द्वारा सन् १९४० के उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स के नियम १२८ में संशोधन किया गया है, की प्रतिलिपियों को मेज पर रखता हूं।

वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १३६३ (३) टी० पी०/३०—५०-टी-(८)-१९५२, तारीख २ जुलाई, १९५२ ई०

गृह मंत्री—मैं वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १३६३ (३) टी० पी० ३०—५०-टी-(८)-१९५२, तारीख २ जुलाई, १९५२ ई०, जिसके द्वारा सन् १९४० ई० के उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स रूल्स के फर्स्ट शेड्यूल में संशोधन किया गया है, की प्रतिलिपियों को मेज पर रखता हूं ।

एक सदस्य का नार्दर्न रेलवे (पुरानी ई० आई० आर०) की लोकल एडवाइजरी कमेटी के लिए चुनाव

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें, एक सदस्य नार्दर्न रेलवे (पुरानी ई० आई० आर०) की लोकल ऐडवाइजरी कमेटी कानपुर के लिये चुने ।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें, एक सदस्य नार्दर्न रेलवे (पुरानी ई० आई० आर०) की लोकल ऐडवाइजरी कमेटी, कानपुर, के लिये चुने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

एक सदस्य का संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये चुनाव

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें एक सदस्य संस्कृत शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिये चुने ।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें एक सदस्य संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये चुने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दो सदस्यों का आगरा यूनीवर्सिटी सीनेट के लिये चुनाव

शिक्षा मंत्री—श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस प्रकार और जिस तारीख को चेयरमैन आदेश दें, दो सदस्य आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये चुने।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि लेजिस्लेटिव कौंसिल जिस प्रकार और जिस तारीख चेयरमैन आदेश दें, दो सदस्य आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये चुने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन का कार्यक्रम

***श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)**--जनाब चेयरमैन साहब जो बिज़नेस आज के एजेन्डे पर दर्ज है वह तो यहां आ चुका है इसके अलावा और बिजनेस आ रहा है। उसकी इत्तिला में जनाब की इजाजत से दे देता हूं, उनके नाम मैं बतला सकता हूं और कापियां आगे चल कर आयेंगी। उसमें से यू० पी० कन्ट्रोल आफ प्रापर्टी फ्लड रिलीफ बिल, यू० पी० कोर्ट फीस (अमेन्डमेन्ट) बिल, यू० पी० स्टैम्प (अमेन्डमेन्ट) बिल, यू० पी० मोटर वेहिकिल टैक्सेशन बिल और इसके अलावा डेट रिडक्शन बिल जो जमीन्दारी के कर्जे हैं उनके मुताल्लिक है। इसके अलावा जमीन्दारी अबालिशन रूल्स हैं और सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स भी हैं जो कि आने वाले हैं। इसके अलावा और जो बिजनेस हैं जब तैयार हो जायेगा तब वह असेम्बली से आयेगा। इस बिज़नेस के मुताल्लिक मेरी गुज़ारिश यह है कि इनमें से तीन बिल बहुत जरूरी हैं जिनकी मियाद ३० सितम्बर को खत्म हो जायेगी अगर जनाब की राय हो और हाउस की राय हो तो मैं अर्ज करूंगा कि इन तीन बिलों को पहले ले लिया जाय। वह तीन बिल यह हैः--(१) सन् १९५२ ई० को उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजिशन (संशोधन विधेयक), (२) सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, (३) यू० पी० कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन बिल। यह तीन बिल हैं जिनकी मियाद ३० सितम्बर को गुजरने वाली है। लिहाजा एजेन्डे पर पहले नम्बर पर जो बिल है वह तो कल ले लिया जाय उसके बाद में अर्ज करूं कि छठे नम्बर पर का बिल ले लिया जाय और बीच के छोड़ दिये जायं, उसके बाद जो तीसरा बिल मैंने बताया वह असेम्बली से आ जायेगा।

चेयरमैन--उस बिल की कापियां कब तक आ जायेंगी और मेम्बरों को कब तक मिल जायेंगी ?

वित्त मन्त्री--अभी तो यह दो बिल चलेंगे और बाकी कापियां कल आ जायेंगी। जमीन्दारी अबालिशन रूल्स भी लेना है उसके मुताल्लिक भी पूछना है। अच्छा तो यह हो कि ३० सितम्बर को जिनकी मियाद खत्म हो रही है उनको पहिले ले लिया जाय। अब हाउस जैसे मंजूर करे। जमींदारी अबालिशन के जो रूल्स हैं वह कब लिये जायं यह हाउस से पूछ लिया जाय।

चेयरमैन--यू० पी० टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजिशन (संशोधन) विधेयक को कल ले लिया जायगा। इसके बाद हम लोग यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक ले लेंगे। इसकी कापियां मेम्बरों के पास ११ सितम्बर को भेज दी गई थीं। मैं समझता हूं कि यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज कान्टीन्युएन्स आफ पावर्स (संशोधन) विधेयक कम से कम गजट में शाया हो ही गया है।

वित्त मन्त्री--जी हां।

चेयरमैन--जैसे ही वह हमारे पास आवेगा हम लोग उस पर विचार कर लेंगे। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा हम लोग जमींदारी अबालिशन रूल्स पर विचार इसके बाद में कर लेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण--जैसा कि मुझे मालूम हुआ पहिले ये तीन बिल्स होंगे। उसके बाद जमींदारी अबालिशन रूल्स होंगे।

चेयरमैन--आप चाहते क्या हैं ?

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं कुछ समय चाहता हूं। दशहरे के बाद अगर आप इसे करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

---

*माननीय मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

माननीय मंत्री--आपकी इजाजत से मुझे यह अर्ज करना है कि जमींदारी अबालिशन रूल्स को पहिले ले लिया जाय ताकि वे जल्दी ही हाउस से स्वीकृत हो जायं। जब तक यहां से उनकी मंजूरी नहीं हो जाती है तब तक जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं वे खत्म हों या न हों। अच्छा तो यह हो कि यह जल्दी ही तय हो जायं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मेरी मंशा यह नहीं है कि रूल्स अभी न लिये जायं। इसके लिये हमको इतना मौका मिलना चाहिए कि रूल्स को हम देख सकें। दशहरे के बाद इनको लेने में कोई इतना अन्तर नहीं पड़ता कि जिससे गवर्नमेन्ट को कोई नुकसान हो सके अगर कोई आपत्ति न हो तो उन्हें दशहरे के बाद ले लें।

चेयरमैन--मेरा ख्याल है कि उनके समझने में कोई दिक्कत न होगी। पुराने रूल्स पहले रखे जा चुके हैं इसलिये जितने संशोधन हैं उनको तो आप समझते होंगे और जो अमेन्डमेन्ट असेम्बली ने किये हैं उनको मैं आप को कल दिलवाने की कोशिश करूंगा। आप को जो अमेन्डमेन्ट देने हैं वह आप दे दीजियेगा। २ या ४ दिन में कोई फर्क नहीं मालूम होता है आपको जो कुछ कहना है वह आप कह सकेंगे। मैं समझता हूं कि जो प्रोग्राम मिनिस्टर साहब ने बताया है उसमें मानने में आप को कोई दिक्कत न होगी।

श्री कुंवर गुरु नारायण--यह जरूर है दिक्कत नहीं होगी। जितने अमेन्डमेन्ट हैं उनको रूल्स से मिलाना पड़ता है उसमें काफी समय लगेगा अगर २४ तारीख के बाद ले लिया जाय तो काफी समय मिल जायेगा।

वित्त मन्त्री--खत्म तो करना ही होगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--सभी जिम्मेदारी हाउस पर है और चेयरमैन का जो हुक्म होगा वह माना जायेगा लेकिन डिस्कशन तो होगा ही।

चेयरमैन--मैं इतना इत्मीनान दिला सकता हूं कि आप जो कहना चाहेंगे उसके कहने का आप को पूरा मौका मिलेगा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं। कल रूल्स में असेम्बली द्वारा किये गये संशोधन आ जायेंगे आप तब देख लीजियेगा।

अब कमेटीज़ के लिये नामिनेशन देने का प्रश्न है। क्या आप लोग परसों १२ बजे तक नामिनेशन दे सकेंगे।

(एक आवाज़) एक दिन और बढ़ा दीजिये।

चेयरमैन--आप लोग नाम शुक्रवार को १२ बजे तक दे दें।

कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

(कौंसिल की बैठक ११ बज कर ३५ मिनट पर अगले दिन को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
दिनांक १६ सितम्बर, १९५२ ई०

पी० एस० यू० पी०--४४ एल० सी०--१९५२--८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५६)

अब्दुल शकूर नजमी ,श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ;श्री
इन्द्र सिंह,श्री
उमानाथ बली,श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण ,श्री
कुंवर महाबीर सिंह,श्री
केदार नाथ खेतान ,श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
जगन्नाथ आचार्य,श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योती प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र,श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन,श्री
निर्मल चन्द चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा,श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी ,श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बेनी प्रसाद टन्डन, श्री
ब्रजलाल वर्मन,श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप ,डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त ,श्री
राजाराम शास्त्री,श्री
राम किशोर रस्तोगी,श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन सिंह, श्री
रामलगन सिंह, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर,श्री
लाल सुरेश सिंह,श्री
विश्वनाथ,श्री
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल , श्रीमती
शान्तिदेवी,श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल,श्री
सत्य-प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर ,श्री
हयातुल्ला अन्सारी ,श्री
हरगोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :

श्री चंद्र भानु गुप्त	(खाद्य तथा रसद मंत्री)
श्री हुकुम सिंह	(उद्योग मंत्री)
श्री हरगोविन्द सिंह	(शिक्षा मंत्री)

प्रश्नोत्तर

बालिका शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य महिला व्यायाम-शिक्षा केन्द्रों को वार्षिक आर्थिक सहायता

१--**श्रीमती तारा अग्रवाल**--क्या सरकार विवरण देकर यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह बालिका शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य महिला व्यायाम शिक्षा केन्द्रों को प्रति वर्ष कितनी आर्थिक मदद देती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह)--विद्यालयों के प्रति वर्ष की आवश्यकतानुसार राजकीय सहायता घटती बढ़ती रहती है । वित्तीय वर्ष १९५१-५२ ई० में सहायता प्राप्त असरकारी बालिका प्रशिक्षण संस्थाओं को ६४,६६४ रुपये की राजकीय सहायता दी गई थी । विवरण संलग्न है * ।

जहां तक कि व्यायाम शिक्षा केन्द्रों का सम्बन्ध है इन संस्थाओं को भी आवश्यकतानुसार जब वह प्रार्थना करते है अनावर्ती सहायता दी जाती है । वित्तीय वर्ष सन् १९५१-५२ ई० में महिलाओं में शारीरिक शिक्षा के कार्यों के लिए ११,५०० रुपये का अनुदान दिया गया था । इसका विवरण संलग्न है * ।

काशी राज्य होजरी मिल्स लिमिटेड, रामनगर

२--**श्री रामनन्दन सिंह**--क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि काशी राज्य होजरी मिल्स लिमिटेड, रामनगर के सम्बन्ध में उन्हें विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई जैसा कि विधान सभा में गत २७ फरवरी, १९५१ई० को एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने उत्तर देने को कहा था ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--जी नहीं, विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया गया । परन्तु इसमें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई । उसका कारण यह है कि श्री राम शरण सेठ जिन्होंने काशी राज्य होजरी मिल्स लिमिटेड, रामनगर को स्थापित किया था अब तक लापता हैं ।

श्री रामनन्दन सिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि श्री राम शरण सेठ को गिरफ्तार करने और कम्पनी को बन्द करने के लिये कौन सी कानूनी कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मन्त्री--श्री राम शरण सेठ को गिरफ्तार करने के लिये वारन्ट जारी किया गया है और कम्पनी को बन्द करने के लिये स्टैन्डिंग कौंसिल को हिदायत दी गई है कि वह हाईकोर्ट में वाइन्डअप करने के लिये मूव करे ।

३--**श्री रामनन्दन सिंह**--(क) यदि हां तो वह रिपोर्ट्स क्या है ?

(ख) यदि नहीं , तो उस के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्री--(क) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) श्री राम शरण सेठ को गिरफ्तार करने और कम्पनीको बन्द करने की उचित कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

बरेली राजकीय काष्ठ कला विद्यालय के प्रिंसिपल की योग्यताएं

४--**श्री प्रतापचन्द्र आजाद** (क)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बरेली राजकीय काष्ठ कला विद्यालय (Government Wood Working Institute)

---

* देखिये नत्थी "क १" पृष्ठ ४०७ पर ।

* देखिये नत्थी "क २" पृष्ठ ४०९ पर ।

के प्रिंसिपल श्री वी० पी० कुरूप की योग्यताएं (Qualifications) क्या हैं और इस विद्यालय में प्रिंसिपल के लिए क्या योग्यता होना आवश्यक है ?

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान प्रिंसिपल में वह योग्यता नहीं है ?

उद्योग मन्त्री—बरेली वुड वर्किंग इंस्टीट्यूट के प्रिन्सिपल श्री वी० पी० कुरूप की योग्यतायें (Qualifications) निम्नलिखित हैं:—

श्री कुरूप को लकड़ी की वस्तुओं को बनाने का प्रैक्टिकल अनुभव है। दक्षिण भारत की एक सबसे बड़ी लकड़ी की फैक्टरी का १७ वर्ष का अनुभव है। वे एक बैंक के संचालक तथा इमारत के शिल्पकार (Architect) हैं।

इस विद्यालय के प्रिंसिपल के लिये नीचे लिखी हुई योग्यतायें होनी जरूरी हैं :—

१—नीचे लिखी में से कोई एक :—

(अ) शिल्पकला विज्ञान (Sculpture) में यूनिवर्सिटी की डिग्री।

(ब) यन्त्रशास्त्र (Mechanism) में यूनिवर्सिटी की डिग्री।

(स) उक्त डिग्रियों के बराबर कोई सनद या एक रिकग्नाइज्ड विद्यालय का सर्टीफिकेट।

२—किसी लकड़ी के कारखाने या चित्र बनाने के कार्यालय का ५ वर्ष का प्रैक्टिकल अनुभव।

३—शिक्षा तथा शासन अनुभव।

४—(ख) जी हां। श्री कुरूप के पास डिग्रियां तो नहीं हैं परन्तु उनको अनुभव काफी है। इस पद के लिये प्रदेशीय पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुनाव हुआ था। कमीशन का विचार था कि यह सब योग्यतायें एक ही व्यक्ति में पाना मुश्किल होगा। कमीशन ने कुरूप को ही सब से योग्य समझा और उनकी राय से उन्हें नियुक्त किया गया।

५—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या यह सच है कि इस विद्यालय के प्रिंसिपल हिन्दोस्तानी बोलना बहुत ही कम जानते हैं जबकि विद्यालय में लगभग ९९ प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिन्दी में ही लिख और बोल सकते हैं ?

उद्योग मन्त्री—जी नहीं। श्री कुरूप हिन्दोस्तानी से भली भांति परिचित हैं।

६—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या यह सच है कि गत ७ वर्षों से इस विद्यालय से नफा-नुक्सान का बैलेन्स शीट (Balance sheet) तैयार नहीं हुआ है जिसके सम्बन्ध में आडिटर ने भी आपत्ति की है ?

उद्योग मन्त्री—जी हां।

श्री प्रतापचन्द्र आजाद—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सात साल से जो इस विद्यालय में बैलेन्स शीट नहीं बना है इसके सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

उद्योग मन्त्री—इसके लिये हिदायत कर दी गई है कि वह दो हफ्ते में भेजा जाय

७—श्री प्रतापचन्द्र आजाद—क्या यह सच है कि इस वर्ष लगभग ४०,००० रुपये का बिल्डिंग कार्य (Building work) इस स्कूल में हो रहा है, उसके लिये न तो टेन्डर ही मांगे गये हैं और न जमानत जमा करायी गयी है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान प्रिंसिपल ने अपने अधिकार से ही यह ठेके दे दिये हैं ?

उद्योग मन्त्री—(क) जी नहीं। इमारती काम के लिये कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुयी थी। केवल इमारत के रख रखाव और मरम्मत और अन्य आवश्यक चीजों की खरीदारी के लिये ३६,००० रु० की स्वीकृति हुयी थी। इस धनराशि से जो सामान खरीदा गया वह स्टोर परचेज विभाग के ठेकेदारों द्वारा, या डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर्स व प्राविन्शियल आयरन या स्टील कन्ट्रोलर के लाइसेन्सदारों के द्वारा खरीदा गया। कुछ कार्य ऐसा था

जो या तो मशीन टूल इन्स्ट्रक्टर द्वारा अथवा अमानी में कराया गया। मरम्मत व रखरखाव के कार्य के लिये टेन्डर मांगे गये और ठेकेदारों से जमानत ली गई।

(ख) हां।

अल्मोड़ा जिले में चम्पावत तहसील का शिक्षा में सब से पिछड़ा हुआ हिस्सा होना

८--श्री कृष्ण चन्द्र जोशी--क्या सरकार को विदित है कि अल्मोड़ा जिले का पूर्वी हिस्सा जो चम्पावत तहसील कहलाता है शिक्षा में जिले भर का सब से पिछड़ा हुआ हिस्सा है ?

शिक्षा मन्त्री--जी हां।

९--श्री कृष्णचन्द्र जोशी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस सब डिवीजन का विस्तार कितना है ?

शिक्षा मन्त्री--इस सब डिवीजन का विस्तार लगभग ५०० वर्गमील है।

१०--श्री कृष्ण चन्द्र जोशी--क्या यह सही है कि इस सब-डिवीजन भर में केवल एक ही उच्च माध्यमिक पाठशाला है ?

शिक्षा मन्त्री--जी हां।

११--श्री कृष्णचन्द्र जोशी--क्या यह सही है कि उक्त पाठशाला के (बेनीराम पुनेठा राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला) हस्तान्तरित करते समय पाठशाला कमेटी ने पछत्तर हजार रुपये (७५,००० रु०) इस पाठशाला के भवन निर्माण निमित्त इस प्रदेश की सरकार को हस्तान्तरित किये थे ?

शिक्षा मन्त्री--जी हां।

१२--श्री कृष्ण चन्द्र जोशी--क्या यह पाठशाला भवन के अभाव से किराये के भवन में चलायी जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री--जी हां।

१३--श्री कृष्ण चन्द्र जोशी--क्या यह सही है कि किराये वाले पाठशाला भवन में स्थान की कमी होने के कारण, पाठशाला के पीठस्थविर में कक्षा ९ के अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को जून, १९५२ में नोटिस दे दिया था कि उनको पाठशाला खुलने पर स्थान न मिल सकेगा ?

शिक्षा मन्त्री--जी नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र जोशी--क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न १३ और १५ के सिलसिले में जो जानकारी प्राप्त हुयी है वह किसके द्वारा हुयी है ?

शिक्षा मन्त्री--शिक्षा संचालक से।

श्री कृष्णचन्द्र जोशी--क्या यह आप जानते हैं कि बेनी राम पुनेठा स्कूल में १५ अगस्त के बाद कितने लड़कों की भरती हुई है ?

शिक्षा मन्त्री--संभव है कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि नया सेक्शन खोला गया था।

श्री कृष्ण चन्द्र जोशी--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री को यह मालूम है कि कोई नये लड़के की भरती उस सेक्शन में न हो सकी ?

शिक्षा मन्त्री--इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री कृष्णचन्द्र जोशी--क्या माननीय शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वहां पर ऐसी कोई हिदायत नहीं की गयी है कि उस स्कूल में नये लड़कों की भरती न की जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि इस किस्म का कोई हुकुम हुआ है या नहीं ?

शिक्षा मन्त्री—कोई हुकुम नहीं हुआ था। नया सेक्शन था इसलिये सब लड़के भरती न किये जा सके।

श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—क्या माननीय मन्त्री को मालूम है कि कोई ऐसी नोटिस प्रिंसिपल को नहीं दिया गया कि अगले ८ जुलाई को स्कूल खोला जाय तो १५ अगस्त तक किसी लड़के की भर्ती नहीं की गई जब कि ४५ लड़के वहां पर थे?

शिक्षा मन्त्री—जब कोई नया सेक्शन खोला जाता है तो उसमें शिक्षा संचालक से पूछने में देरी होती है।

श्री कृष्णचन्द्र जोशी—क्या शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि १९५२ ई० में जो लड़के फेल हुये हैं उनके कार्ड में यह लिख दिया गया है कि उसके एडमिशन की गारन्टी नहीं की जाती है?

शिक्षा मन्त्री—इसकी कोई सूचना नहीं है ?

श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—क्या शिक्षा मन्त्री को मालूम है कि वहां पर ऐसा कोई नोटिस दिया गया है ।

(शिक्षा मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया)

१४—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—क्या सरकार जानती है कि चम्पावत सब-डिवीजन के ८ माध्यमिक विद्यालयों (Junior High Schools के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये कक्षा ९ में प्रवेश प्राप्त करने के निमित्त तहसील भर में केवल बी० आर० पुनेठा गवर्नमेंट हायर सेकन्डरी स्कूल (B. R. Punetha Govt. Higher Secondary School) के अतिरिक्त अन्य कोई उच्च माध्यमिक स्कूल नहीं है !

शिक्षा मन्त्री—जी हां।

१५—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—क्या सरकार को विदित है कि प्रश्न १३ में वर्णित नोटिस के अलावा इस स्कूल के पीठस्थविर ने जनता को यह भी आगाही दे दी थी कि कक्षा ९ में नया प्रवेश न किया जा सकेगा।

शिक्षा मन्त्री—जी नहीं।

१६—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह इस पाठशाला के भवन निर्माण का कार्य कब तक चालू करेगी ?

शिक्षा मन्त्री—प्रश्न विचाराधीन है।

१७—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी—क्या सरकार बेनी राम पुनेठा राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोहाघाट के भवन निर्माण होने तक वहां के माध्यमिक विद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कक्षा ९ में प्रवेश प्राप्त करने की असुविधा को दूर करने का इरादा रखती है ?

शिक्षा मंत्री—जी हां।

आदित्य पुस्तकालय, चकिया, के लिये महाराज विभूति नारायण सिंह के दिये हुये रुपये

१८—श्री रामनन्दन सिंह—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि आदित्य पुस्तकालय चकिया के लिये जो ५ हजार रूपये देने का वचन काशीराज के महाराज विभूति नारायण सिंह जी ने ११ अक्टूबर, सन् १९४९ ई० को दिया था वह रकम स्टेट बैंक लिमिटेड, रामनगर में जमा है? आदि संख्या ८ ता० ३०-७-५२

शिक्षा मंत्री—जी हां।

१९—श्री रामनन्दन सिंह—क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पुस्तकालय का १,५१८, रु० ४ आना ६ पाई जिसे आदित्य नाट्य परिषद् ने दिया था कन्या पाठशाला चकिया के नाम जमा है? ९ ता० ३०-७-५२

शिक्षा मन्त्री—हां १,५१७ रु० ४ आना ६ पाई जमा है।

आदि संख्या १० ता० ३०-७-५२

२०—श्री रामनन्दन सिंह—क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पुस्तकालय की ओर से बार बार मांग करने पर भी उक्त दोनों रकमें उस पुस्तकालय को अब तक नहीं दी गयीं ?

शिक्षा मंत्री—नहीं, इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कार्यवाही हो रही है उस की कब तक पूरी होने की उम्मीद है ?

शिक्षा मन्त्री—बहुत जल्दी।

श्री प्रभु नारायण सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हो रही है उसको होते हुए कितने दिन हो चुके हैं ?

शिक्षा मन्त्री—इसके पहले जब इसका विलीनीकरण नहीं हुआ था तो उस वक्त कमेटी बनी थी लेकिन उसका जो कनवेनर था उसकी एकाएक डेथ हो गयी इसलिये यह रुपया नहीं दिया जा सका। जब यह मालूम हो जायगा कि कोई ऐसा शख्स है जिसको यह रुपया दिया जा सकता हो तो उनको रुपया दिया जा सकेगा। सिर्फ उसके मुताल्लिक यह जांच हो रही है कि एक साहब जिन्होंनें दरख्वास्त दी है, वे उसके उपयुक्त हैं या नहीं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने दिन में यह कार्य हो रहा है ?

शिक्षा मन्त्री—जब से यह दरख्वास्त आई है यह रुपया वापस मिलेगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह दरख्वास्त कब आई ?

शिक्षा मन्त्री—इसके लिये सूचना चाहिए।

नैनीताल और ज्ञानपुर बनारस के दोनों डिग्री कालेजों का वार्षिक खर्च तथा कर्मचारियों की संख्या

१५ ता० ३०-७-५२

२१—श्री रामकिशोर शर्मा—(क) क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि नैनीताल और ज्ञानपुर, बनारस के दोनों सरकारी डिग्री कालेजों पर राज्य की एजूकेशन सर्विस की प्रथम और द्वितीय श्रेणी में नवीन नियुक्तियों के पश्चात् कुल कितना अनुमानित वार्षिक खर्चा होता है ?

(ख) उक्त कालेजों में विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की क्या संख्या है ?

(ग) कुल पढ़ाई के घंटों की संख्या क्या है जो प्रत्येक अध्यापक को उक्त कालेजों में सप्ताह में पढ़ाने के लिये दिये गये हैं ?

Or. no. 15 Date 30-7-52

21. **Sri Ram Kishore Sharma** : Will the Government be pleased to state—

(*a*) the total estimated annual expenditure on the two Government Degree Colleges at Naini Tal and Gyanpur (Banaras) after the new appointments in Class I and Class II of the Education Service of the State,

(*b*) the total number of students, members of the teaching staff and ministerial staff in the aforesaid Government Colleges, and

(*c*) the number of teaching periods a week assigned to each teacher in the aforesaid Government Colleges ?

शिक्षा मन्त्री—

नैनीताल	ज्ञानपुर
(क) १,२५,५७० रु०	१,०३,७८० रु०
(ख) (१) कुल लड़के २०८	५७
(२) १ महानाचार्य तथा १२ आचार्य प्रथम श्रेणी में ।	१ महानाचार्य तथा १० आचार्य प्रथम श्रेणी में तथा २ सहायक आचार्य द्वितीय श्रेणी में।
(३) ४	४
(ग) १८ से २४ घंटे प्रति सप्ताह प्रत्यक अध्यापक को पढ़ाने पड़ते हैं ।	प्रिंसिपल —१२ घंटे प्रति सप्ताह और—२३ घंटे प्रति सप्ताह ।

Minister of Eduction :

Naini Tal	*Gyanpur*
Thakur Deb Singh Degree College, Naini Tal.	K. N. Degree College, Gyanpur (Banaras).
(a) Rs. 1,25,570	Rs.1,03,780
(b) (i) Boys ...208	57
(ii) One Principal and 12 Heads of the Departments in Class I.	One Principal and 10 Heads of the Departments in Class I and 2 Assistant Professors in Class II.
(iii) 4	4
(c) 18 to 24 periods a week assigned to various professors.	Principal—12 periods a week. Other—23 periods a week.

श्री राम किशोर शर्मा—क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगें कि इसमें जो एक लाख ३ हजार ७८० रुपया सिर्फ ५७ लड़कों के लिये है, वह कैसे मन्जूर हुआ ?

शिक्षा मन्त्री—यह तो कालेज का खर्चा है, लड़कों के ऊपर नहीं खर्च किया जा रहा है।

श्री रामकिशोर शर्मा—यह तो लड़कों के ऊपर हो रहा है क्योंकि उस कालेज में ५७ लड़के हैं।

शिक्षा मन्त्री—हां, लड़कों के ऊपर भी है जबकि वह कालेज के लिये मन्जूर हुआ है ।

श्री रामकिशोर शर्मा—क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उस कालेज में सिर्फ दो ही क्लास हैं, तो हर अध्यापक को २३ घंटे कैसे काम करना पड़ता है ?

शिक्षा मन्त्री—बी० ए० में फर्स्ट इयर और सेकेन्ड इयर सिर्फ दो ही क्लास होते हैं लेकिन वहां पर हर विषय पर अलग अध्यापक होता है और उनको वह विषय पढ़ाना आवश्यक होता है ।

श्री रामकिशोर शर्मा—हर अध्यापक के लिये सिर्फ ६ घंटे रखे गये हैं । अगर एक अध्यापक एक विषय पढ़ाता है तब भी तो क्लासेज में सिर्फ १२ घंटे हुए।

चेयरमैन—आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं या अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं ?

श्री रामकिशोर शर्मा--कितने घंटे पढ़ाने हैं इसके लिये यूनिवर्सिटी ने रिकगनिशन किया है और मेरा सवाल इसी के मुतालिलक है।

शिक्षा मन्त्री--यूनिवर्सिटी ने क्या रिकगनिशन किया है, उसके लिये सूचना चाहिए और जहां तक अध्यापकों के काम का ताल्लुक है उसके लिये सूचना माननीय सदस्य को दे दी गई है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए सरकार यह उचित समझती है कि जो खर्चा किया जा रहा है, वह ठीक है ?

शिक्षा मन्त्री--जब कालेज खुला हुआ है, तो उसके लिये भविष्य में यह आशा की जाती है कि उसमें और आदमी भी आयेंगे और विद्यार्थियों के लिये उसमें दरवाजा खुला हुआ है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार को विदित है कि ज्ञानपुर कालेज, बनारस और इलाहाबाद की जो यूनिवर्सिटीज हैं, तो ऐसी हालत में ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों के आने की वहां कोई उम्मीद है ?

शिक्षा मन्त्री--यह तो भविष्य ही बतलायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या इस प्रकार के कालेज की स्थापना करना सरकार के विचार में उचित है ?

शिक्षा मन्त्री--उचित था, तभी खोला गया।

बरेली कालेज के बोर्ड आफ कन्ट्रोल का अनियमित होना

आदि संख्या २३ ता० ३०-७-५२

२२-श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या यह सच है कि बरेली कालेज के बोर्ड आफ कन्ट्रोल में ४० से कम सदस्य हो जाने के कारण वह अनियमित हो गया है और दो साल से कार्य नहीं कर रहा है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि बरेली कालेज की मैनेजिंग कमेटी जिसका ३ साल का समय नवम्बर, १९५१ ई० में समाप्त हो गया है और जो बरेली कालेज के बोर्ड आफ कन्ट्रोल के नियम, नं० १४ के अनुसार गैर कानूनी हो गयी है, बरेली कालेज का प्रबन्ध कर रही है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इस कमेटी को हाथ में ग्रान्ट बराबर देती जा रही है ?

शिक्षा मन्त्री--(क) जी हां।
(ख) जी नहीं।
(ग) जी हां।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आपने यह लिखा है कि मैनेजिंग कमेटी के वैधानिक नहीं हैं, तो क्या आपने बोर्ड आफ कन्ट्रोल के रूल नम्बर १० को पढ़ा है ?

शिक्षा मन्त्री--इस पर कोई राय देने का अधिकारी मैं अपने को नहीं समझता।

चेयरमैन--किस प्रश्न के सम्बन्ध में आप पूछ रहे हैं और आपका प्रश्न क्या है ? अपने प्रश्न का पहले नम्बर बोल दीजिए और फिर उसके मुतल्लिक जो सप्लीमेंट्री पूछना हो उसको बाद में पूछिए।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मेरा प्रश्न २२(ख) से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह कमेटी वैधानिक है या अवैधानिक है ?

शिक्षा मन्त्री--यह इस लिये निश्चित हुआ है कि २२ मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया है और यह केवल इस्तीफा देने के कारण ही हुआ है और अभी उसके लिये मेम्बर नहीं रक्खे गये हैं. इसके लिये पहले यह आवश्यक है कि उनका इस्तीफा मन्जूर हो जाय।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में यह फैसला दिया है कि बरेली कालेज अवैधानिक नहीं है, क्योंकि उसमें ४० मेम्बर रक्खे गये हैं ?

शिक्षा मन्त्री--इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री राजाराम शास्त्री--जब बरेली की मेनेजिंग कमेटी इस समय प्रबन्ध नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट उसको ग्रान्ट क्यों दे रही है ?

शिक्षा मन्त्री--ग्रान्ट्स कमेटी को ग्रान्ट्स कम्पेनसेशन दिया जाता है न कि मैनेजिंग कमेटी को।

श्री प्रतापचन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि बरेली कालेज के कई प्रोफेसरों ने बरेली कालेज के मैनेजिंग कमेटी और जिलाधीश के विरुद्ध मुकद्दमा दायर कर रक्खा है ?

शिक्षा मन्त्री--इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

२३--**श्री प्रताप चन्द्र आजाद** (क) क्या यह सच है कि बरेली कालेज के बोर्ड आफ कन्ट्रोल के प्रधान तथा उप-प्रधान रुहेलखन्ड डिवीजन के कमिश्नर तथा बरेली के कलेक्टर हैं जो कि अपने व्यक्तिगत रूप से नहीं वरन् सरकारी कर्मचारी होनें के नाते हैं ? २५ २२-७-५२

(ख) क्या यह भी सच है कि कि बरेली कालेज लगातार चार साल से सरकार के विरुद्ध लड़ रहा है और सरकार के खिलाफ मुकद्दमे आदि चलाने का खर्चा बरेली कालेज की ओर से इन्हीं उपरोक्त सरकारी कर्माचारियों की स्वीकृति से होता रहा है ?

(ग) यदि यह सच है तो सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की या करने का इरादा है ?

शिक्षा मन्त्री--(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी तथा एडेड स्कूलों में संगीत शिक्षा

२४--**श्री उमा नाथ बली**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि: २७ ३०-७-५२

(क) पिछले ४ वर्षों में किन किन सरकारी तथा एडेड स्कूलों में संगीत शिक्षा जारी की गई ?

(ख) उनमें प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थी थे ?

(ग) क्या उनमें से कोई स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें क्लास बन्द कर दिये गये हैं ?

(घ) अगर बन्द हुए तो किस कारण से ?

(ङ) क्या इस वर्ष कुछ नये संगीत क्लास खोले जा रहे हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

(च) क्या सरकार संगीत शिक्षा के प्रचार की तरफ ध्यान दे रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री—(क) तथा (ख) एक तालिका *"क" सदस्य के मेज पर रख दी गयी।

(ग) जी हां।

(घ) एक तालिका "ख" सदस्य के मेज पर रख दी गयी है, जिसमें प्रत्येक स्कूल के सामने संगीत क्लास बन्द होने के कारण दिये हैं।

(ङ) जी हां, एक तालिका "ग" सदस्य के मेज पर रख दी गयी है।

(च) जी हां, दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

श्री उमानाथ बली—प्रश्नोत्तर में बताया गया है कि अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो सकी और क्लास बन्द कर दिये गये, क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों की नियुक्ति की कोशिश की गयी या नहीं ?

शिक्षा मंत्री—हां, अवश्य की गई होगी।

लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यापकों का प्रदर्शन

२५—**श्री रामकिशोर रस्तोगी**—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यापकों ने ग्रेडस (grades) महंगाई भत्ता, कन्फरमेंशन (confirmation) वार्षिक तरक्की तथा १९८ अध्यापकों को १ जुलाई, सन् १९५२ ई० से नौकरी से पृथक किये जाने वाले नोटिस के विरुद्ध कोई प्रदर्शन किया था?

(ख) यदि हां, तो कब और सरकार की ओर से इस विषय में क्या कार्यवाही की गई?

शिक्षा मंत्री—(क) जी हां।

(ख) सरकार ने लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्धित पदाधिकारियों से परामर्श किया।

श्री राजाराम शास्त्री—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्धित पदाधिकारियों से जो परामर्श किया गया है उसका नतीजा कब तक प्रकट हो सकेगा ?

शिक्षा मन्त्री— परामर्श का नतीजा प्रकट होने की आवश्यकता शायद न होगी क्योंकि यह सरकार का निजी परामर्श है।

२६—**श्री रामकिशोर रस्तोगी**—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड ने प्रश्न संख्या २५ में वर्णित झगड़े को निबटाने के लिये किसी समिति का निर्माण किया है?

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के नाम क्या हैं ?

(ग) उसने अब तक क्या निर्णय दिया और क्या इस समिति के निर्माण के समय अध्यापकों से भी परामर्श किया गया था ?

शिक्षा मन्त्री—(क) जी हां।

(ख) समिति के सदस्य निम्नलिखित थे :—

(१) श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी।
(२) श्री पुष्कर नाथ भट्ट।
(३) श्री पुलिन बिहारी बनर्जी।

(ग) समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। समिति के सदस्यों ने हिन्दुस्तानी अध्यापक संघ के प्रतिनिधियों से परामर्श किया था।

---

*देखिए नत्थी "ख" पृष्ठ ४१०।

२७—रामकिशोर रस्तोगी—(क) क्या यह सच है कि इस समिति के सदस्य तथा लखनऊ शहर के एक नागरिक श्री पुलिन बिहारी बनर्जी, एम० एल० ए० ने इस समिति से त्यागपत्र दे दिया था?

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने त्यागपत्र में इस समिति से अलग होने का कारण भी बताया था?

(ग) यदि हां, तो क्या?

शिक्षा मन्त्री—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उन्होंने लिखा था "मुझे समाचार पत्रों के पढ़ने तथा हिन्दुस्तानी टीचर्स एसोसियेशन के कुछ पदाधिकारियों से बातचीत करने से ज्ञात हुआ कि कुछ अध्यापक गण इस समिति को सहयोग नहीं दे रहे हैं। ऐसी दशा में मैं नहीं समझ पाता कि समिति का सदस्य बने रह कर मैं कितना हितकारी सिद्ध हो सकूंगा"।

२८—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या सरकार को मालूम है कि इस समिति के बनने पर अध्यापकों ने अपनी असहमति प्रगट की थी?

(ख) यदि हां, तो क्या इस असहमति का कारण भी अध्यापकों द्वारा बताया गया था?

(ग) यदि हां, तो क्या?

शिक्षा मंत्री—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) उन्होंने यह कारण बताया कि उसमें अध्यापकों का प्रतिनिधि नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों ने जो रिप्रेजेन्टेशन किया था कि कमेटी में उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए उस पर सरकार ने क्या गौर किया यदि नहीं तो अध्यापकों को क्या जवाब दिया गया?

शिक्षा मन्त्री—वह सरकार के गौर करने की बात नहीं थी, वह म्युनिसिपल बोर्ड के गौर करने की बात थी।

२९—श्री राम किशोर रस्तोगी—(क) क्या यह ठीक है कि अध्यापकों ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिये २१ मई, सन् १९५२ ई० से अमरण अनशन करने का निश्चय किया था, जो कि उनके प्रतिनिधियों व मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग के मध्य बातचीत होने के फलस्वरूप स्थगित कर दिया गया था?

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अध्यापकों की कठिनाइयों पर विचार करने का आश्वासन दिया था?

(ग) यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस ओर क्या कार्यवाही की?

शिक्षा मन्त्री—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) म्युनिसिपल बोर्ड और सरकार के बीच अभी बातचीत चल रही है।

३०—श्री रामकिशोर रस्तोगी—(क) क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, लखनऊ द्वारा बनाई गई समिति ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई रिपोर्ट तैयार की है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपना निर्णय देने के पूर्व अध्यापकों के प्रतिनिधियों से भी इस सम्बन्ध में बातचीत करने का इरादा रखती है?

शिक्षा मन्त्री--(क) जी हां ।

(ख) सरकार यदि आवश्यक समझेगी तो अध्यापकों के प्रतिनिधियों से बात करेगी ।

३१-३७--श्री शिव सुमरन लाल जौहरी--[स्थगित किये गये]

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौन्सिल--श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्टाम्प संशोधन विधेयक को मेज पर रखता हूं । यह उत्तर प्रदेश विधान सभा की ५ सितम्बर, १९५२ की बैठक में पारित हुआ और यहां कल सवा पांच बजे आया । माननीय स्पीकर ने यह प्रमाणित किया कि यह धन विधेयक है ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस संशोधन विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौन्सिल--श्री मान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को मेज पर रखता हूं । यह २९ अगस्त की बैठक में विधान सभा में पारित हुआ और कल यहां सवा ५ बजे आया । माननीय स्पीकर ने प्रमाणित किया है कि यह धन विधेयक है ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौन्सिल--श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ का उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं । यह विधान सभा की ९ सितम्बर, १९५२ की बैठक में पारित हुआ और आज यहां सवा ११ बजे आया । माननीय स्पीकर ने प्रमाणित किया है कि यह धन विधेयक है ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अस्थायी कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौन्सिल--श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अस्थायी कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह विधान सभा की ९ सितम्बर, १९५२ की बैठक में पारित हुआ और आज यहां सवा ११ बजे आया ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक

***खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)**--सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधयक पर विचार किया जाय । यह विधेयक किन कारणों से इस सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है उन कारणों का वर्णन विधेयक के साथ जो उद्देश्य बताये गये हैं उनमें इसकी व्याख्या कर दी गयी है । सन् १९४७ ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन विधेयक ऐक्ट की अवधि ३० सितम्बर को खत्म होने वाली है । इस प्रदेश में आज भी मकानों और निवास स्थानों की कमी है इसलिये यह जरूरी है कि सार्वजनिक हितों के लिये मकानों का रिक्वीजीशन किया जाय और उसके लिये यह आवश्यक है कि जिलाधीशों के पास ऐसे अधिकार रहें, जिनसे वे इस प्रकार के मकानों का उन कार्यों के लिये, जिनके सार्वजनिक हितों का सम्बन्ध है, अधिकृत कर सकें । इन कारणों से यह विधेयक इस सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जाता है । मुझे आशा है कि इस सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा ।

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया ।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन--माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक की मियाद बढ़ाने के लिये इस सदन के सामने विचारार्थ रखा है--मैं उसका स्वागत करता हूं। आम लोगों को जो कष्ट है इससे उनको राहत मिलनी चाहिए। किन्तु एक बात यह कहना है कि जो अधिकार जिलाधीशों को दिये गये हैं प्रायः ये अधिकार वे सप्लाई आफिसर्स के सुपुर्द कर देते हैं और सप्लाई आफिसर्स उन अधिकारों को इंसपेक्टर के सुपुर्द कर देते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रबन्ध किया जाय, जिससे जिलाधीशों के साथ एक छोटी सी कमेटी बना दी जाय जो मकानों को अलाट करने के काम में उनकी सहायता कर सके।

*श्री प्रभु नारायण सिंह--अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इस सदन में आया है और उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में माननीय खाद्य मन्त्री ने जो कुछ कहा है उसके विरोध में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस सम्बन्ध में मुझे सिर्फ यह कहना है कि अक्सर यह देखा जाता है कि जो विधेयक दो या चार साल के लिये आता है और उस विधेयक के सम्बन्ध म यह बात कही जाती है कि यह टैम्पोरेरी मेजर के रूप में है, आगे चल कर वह टैम्पोरेरी मेजर खत्म हो जाता है। देखा यह जाता है कि टेम्पोरेरी मेजर से काम नहीं चलता। मैं गवर्नमेंट की हाउस पालिसी के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को विशेष तौर से इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इस बिल से जैसा कि हमारे माननीय सदस्य न कहा कि इस बिल से उस एकोमोडेशन से मतलब नहीं है। इस बिल से गवर्नमेंट परपजेज के लिये सवाल उत्पन्न होता है। १९४५ ई० में जब उस विधेयक को लाई तो उस समय रिफ्यूजी का प्राब्लम था तो इस लिये उस समय यह बिल सदन के सामने लाया गया था। उस समय यह विधेयक पास हुआ था। आज वह हालत हमारे सूबे में नहीं है। जब इस परिस्थिति में ऐसे विधेयक की आवश्यकता थी तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को सोचना चाहिए। जिन बातों के ऊपर कोई बिल सदन के अन्दर आता है तो कहा जाता है कि वह टेम्पोरेरी मेजर्स है आगे चल कर उसे एक्सटेन्ड करने की गुंजाइश नहीं है तो ऐसी हालत में उन बिलों के इक्सटेन्शन के लिये लाने की जरूरत नहीं है। यदि यह बात हमें मालूम होती इस सदन के अन्दर माननीय मन्त्री के जरिये कि आगरा शहर के अन्दर चार पांच वर्ष के अन्दर गवर्नमेंट परपजेज के लिये कितनी बिल्डिग बनी जबकि इस हालत में सरकार को जरूरत है। सरकार ने हाउसिंग प्राब्लम के ऊपर कोई कदम बढ़ाया है, जिससे सरकार अपने इस सिचुएशन को भी कर सके। हमारे सामने कोई आकड़ा नहीं है। सरकार न पांच वर्ष के अन्दर कितने हाउसेज बनाये हैं, कितने आफिसेज के लिये। मैं माननीय मन्त्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप ऐसे सवाल उठाते जाते हैं। मैं जनरल में नहीं कहना चाहता हूं। जो बड़े बड़े लोगों की बिल्डिग है यदि सरकार को उसकी जरूरत है तो ले लें। फिर भी किसी किसी केसेज में ज्यादती की बातें सुनने में आई हैं। मैं कहना चाहत हूं कि वे कम से कम इस बिल को पास करते समय इस बात को ध्यान में रक्खें कि आखिर जब गवर्नमेंट परपजज के लिये बिल्डिग ली जाय तो किसी खास व्यक्ति के साथ इन्जस्टिस न हो पाये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुख्य विधेयक हमारे सामने नहीं है और माननीय मन्त्री महोदय ने अभी जो कुछ कहा उसे यह मालूम होता था कि यह विधेयक हमारी जनता के मकान की तकलीफ को रफा करने के लिये सरकार एलाटमेंट से सम्बन्ध रखती है। हमारे दोस्त ने अभी जो कुछ कहा है उससे भी ऐसा मालूम होता है कि विधेयक का सम्बन्ध केवल सरकारी जरूरत के अनुसार मकान को लेने के मुताल्लिक है तो मैं आपकी मार्फत मन्त्री जी से अर्ज करूंगा कि वे पहले मुख्य विधेयक हम लोगों के सामने रखें। यदि वह इस समय न हो सके तो मेहरबानी से गलतफहमी को दूर करेंगे, अगर सरकारी जरूरत के लिये मकान के रिक्वीजीशन से इस बिल का तात्पर्य है तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। यदि जनता को जरूरियात के मुताबिक एलाटमेंट है तो जरूर मुझे कुछ कहना है तो क्या मन्त्री महोदय इस चीज को साफ कर देंगे।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चेयरमैन—जो कुछ आप को कहना है वह अभी आप कह सकते हैं, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मेरा कहना यह है कि जब मुख्य विधेयक सामने नहीं है तो हाउस को मालूम होना चाहिए कि विधेयक किस सम्बन्ध में है।

चेयरमैन—यदि यह बात है तो मेम्बर साहबान को लाईब्रेरी में जाकर स्टडी कर लेना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मूल अधिनियम आपको दिया जाय तो आप ऐसा कोई प्रस्ताव सदन के सामने रखिए। इस समय तो जो कुछ कहना है वह विधेयक के बारे में अभी कह दीजिए। अगर दूसरी किसी चीज के बारे में कारवाई चाहते हैं तो उसके लिये अलग प्रस्ताव कीजिए।

श्री कन्हैयालाल गुप्त—मैंने जो कुछ कहा वह प्वाइन्ट आफ इन्क्वायरी से सम्बन्धित है कि जनता की जरूरियात के मुताबिक उस मकान का एलाटमेंट से सम्बन्ध है या सरकार की जरूरियात से सम्बन्ध है। बहरहाल एक बात जो कहना चाहता हूं वह यह कि इस समय जो हाउस के एलाटमेंट का तरीका है वह एक ऐसा नियम है कि उसके अनुसार हरेक शहर के अन्दर जनता को मकान के सम्बन्ध में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। जब कोई मकान खाली होता है और उसके लिये कोई एलाटमेंट की दरख्वास्त देता है। तो वह दरख्वास्त वार्ड मेम्बर के पास भेज दी जाती है क्योंकि वार्ड मेम्बर पब्लिक का आदमी है, इसलिये दरख्वास्त महीनों पड़ी रहती हैं। इसकी अपनी ही जिलों की बहुत सी शिकायतें हैं। यदि कोई मकान या दूकान खाली है तो उसके लिये दरख्वास्तें जो दी जाती हैं वह महीनों पड़ी हैं वार्ड मेम्बर उसके मुताल्लिक कोई रिपोर्ट नहीं देता इसलिये एलाटमेंट नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। अगर यह बात दूर कर दी जाती और कोई ऐसा तरीका निकला जाता, जिससे पब्लिक को दिक्कत न उठानी पड़े तो बड़ा ही अच्छा होता। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इन्स्पेक्टर और दूसरे लोगों को इस बात से मौका मिलता है कि वह इससे पैसा बनाये तो अब सवाल रह जाता है कि आया यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर बिलकुल छोड़ दिया जाय या वार्ड मेम्बर की जो मौजूदा प्रणाली है वह ही ठीक है। एक सवाल यह मरे नजदीक मालूम होता है कि यदि उसके बीच की कोई चीज हो जाय तो ज्यादा अच्छा हो। कुछ दूसरे लोगों की एक कमेटी बनाई जाय तो इस एलाटमेंट में जल्दी भी हो और निष्पक्ष भाव से काम भी हो। यह चीज जिसके लिये मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार—महोदय, यह बिलकुल सत्य है कि जो नियम एक बार कायम किया जाय और जो अवधि एक बार ली जाय उसको बारम्बार बढ़ाना मुनासिब नहीं है। शक्ति तो जनता के अन्दर है और आप उससे ही कुछ समय के लिये ताकत मांग सकते हैं। लगातार इस ताकत को बढ़ाना कोई अच्छी प्रथा नहीं है। खास करके वे लोग, जिनका जनता से सम्पर्क है, इसके विरुद्ध हैं उनका मत है कि इस प्रकार मकान का नियन्त्रण करें कि जनता को दिक्कत न पड़े यह हर समय ध्यान में रखना चाहिए।

मकानों के नियन्त्रण करने में लोगों को कितनी दिक्कत पड़ती है। एक सरकारी कर्मचारी जब तबादले में कहीं जाता है तो उसको वहां पर स्थान नहीं मिलता है। एक को तो मैं जानता हूं। उनका तबादला रुड़की से सहारनपुर को हुआ था और दो साल तक कोई मकान नहीं मिला। वह मासिक टिकट लेकर रोज आते जाते रहे हैं। मकान नियन्त्रण करने वाले ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। इसमें सबको आपत्ति हो सकती है। मुझे मालूम है कि एक एक मकान में, जिसमें एक का भी गुजर मुश्किल से होता है, उसमें तीन तीन आदमियों को रहने का हुक्म दे दिया जाता है। और बड़े बड़े मकान, जिसमें काफी स्थान होता है वह एक ही आदमी को दे दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि अगर सरकार कोई शक्ति अपने हाथ में लेती है तो उसको ठीक तरह से बरतने की भी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले। अगर ऐसा नहीं होगा तो जनता में निहायत असन्तोष होगा। इस बिल की बाबत अधिक सूचना नहीं मिली है। मुझे अपने क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़ा और बुरा अनुभव है। लोगों को शिकायतें हैं कि

उनको मकान नहीं मिलते हैं। अधिकारी लोग पार्टीबन्दी में पड़ करके अन्याय करते हैं और अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। मकानों की समस्या इस लिये विकट है कि लोग समझते हैं कि अगर वह दयावश किसी को अपने मकान का कुछ हिस्सा कुछ समय के लिये दे दें तो वह हमेशा के लिये उसी के पास रह जायगा। अगर उनके दिलों में यह भावना आ जाय कि वह अगर किसी को दयावश कुछ हिस्सा दे देते हैं तो वह हमेशा के लिये उसका नहीं हो जायगा तो मकानों की मौजूदा समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है। हमें मालूम है कि लोग जानबूझ करके अपने इस्तेमाल के लायक से अधिक जगहों पर कब्जा किये रहते हैं। क्योंकि लोग समझते हैं कि समय पड़ने पर हमको जगह नहीं मिलेगी। इस लिये यह तो ठीक है कि सरकार इसके लिये अधिकार अपने हाथ में ले, लेकिन मैं समझता हूं कि जबकि सरकार इसकी अवधि दो साल के लिये बड़ा रही है तो वह फिर इसको और आगे बढ़ान के लिये नहीं कहेगी। न

श्री पन्नालाल गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने इस विधेयक के लिये दो साल के समय के लिये जो उन्होंने मांग किया है वह उचित किया है और उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मगर इसके साथ ही साथ मुझे एक बात उनके नोटिस में लाना है वह यह है कि गवर्नमेंट की तरफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जब पूछा जाता है कि जो नये मकान बन रहे हैं वह सन् ५२ में बने हैं। और उन पर यह आर्डर नहीं लागू है और वह उनको एला भी नहीं करते हैं। तो क्या मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूं कि वह इस तरफ भी अपना नुक्ते निगाह दौड़ाये कि अगर कोई ऐसा आर्डर देता है तो उसको वापस ले क्योंकि अक्सर मैं शहरों में देखता रहा हूं कि जो पुराने मकान हैं और अच्छी हालत में हैं उनको भी मकान मालिक गिरवा देते हैं और गिरवा कर नया मकान तामीर कर लेते हैं उसी जगह और मन माना कियारा वसूल करते हैं। मैंने देखा कि जिन दूकानों का तीन रुपया महीना किराया था आज उसी दूकान को बनवा कर मालिक लोग बीस बीस रुपया महीना और तीस तीस रुपया महीना किराया ले रहे हैं जिससे उन गरीब दूकानदारों को जो उस दूकान में रहते हैं बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

श्री प्रभुनारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि एकोमोडेशन रिक्वीजीशन बिल पर विचार न होकर असल में डिस्कशन रेंट कन्ट्रोल एन्ड एविक्शन बिल पर हो रहा है।

चेयरमैन—आपका कहने का मतलब क्या है? जो ओरीजनल बिल है उससे यह डिस्कशन सम्बन्ध रखता है या नहीं?

श्री प्रभुनारायण सिंह—नहीं, यही गलतफहमी है। यह पावर्स जिनका कि इस हाउस में जिक्र हो रहा है असल में रेंट कन्ट्रोल ऐन्ड एविक्शन बिल की है उनके जरिये से मकानों का एलाटमेंट होता है।

खाद्य तथा रसद मन्त्री—मेरे माननीय मित्र प्रभुनारायण सिंह जी ने जो बात कही है उससे मुझे इत्तिफाक है, लेकिन बहस करते समय उन्होंने भी दूसरे ही विधेयक के सम्बन्ध में बहस कर डाली। इस विधेयक के सम्बन्ध में जो बातें थीं उसको उन्होंने इस सदन के सामने पेश नहीं किया। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक सार्वजनिक उपयोग के लिये जो मकान रिक्वीजीशन किये जाते हैं उनसे सम्बन्ध रखता है। लोगों को मकान एलाट करने के लिये जो मकान लिये जाते हैं उस कानून का दूसरे बिल से सम्बन्ध है। इस कानून से, सार्वजनिक कामों के लिये, जैसे अस्पताल या स्कूल बनाने के लिये जो इमारत लेनी होती है, उसका रिक्वीजीशन करते हैं। जहां तक और मकानों के एलाटमेंट का सम्बन्ध है उनको हम रेंट कन्ट्रोल ऐन्ड इविक्शन बिल के अन्तर्गत अधिकृत करते हैं। वह भी इस सदन के सामने आयेगा और उस समय बहुत कुछ बहस एलाटमेंट सम्बन्धी बातें उस सिलसिले में की जायेंगी। यदि अब कन्हैया लाल जी न बोलना चाहें तो मैं यहां की बातों का उत्तर दे दूं।

श्री कन्हैयालाल गुप्त--नहीं। अब मुझे कुछ नहीं पूछना है।

खाद्य तथा रसद मन्त्री--यदि आपने बिल को अच्छी तरह पढ़ा होता तो उसमें यह लिखा था कि सार्वजनिक हित के लिये इमारतें इस बिल के अन्तर्गत ली जायेंगी।

चेयरमैन--श्री पन्नालाल जी कुछ कहना चाहते थे। वह यदि कुछ कहना चाहें तो कहें।

श्री पन्नालाल जी--मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री इन्द्रसिंह नयाल--अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूं। इस वाक्य का अर्थ माननीय मन्त्री जी ही अच्छी तरह से जान सकते हैं। वह इसे भी जानते हैं कि कितनी आवश्यकता इस बिल की इस वक्त हमारे प्रदेश को है और उनकी राय पर सारे भवन का विश्वास है। भवन के व्यक्तिगत सदस्यों को इस बात का अनुभव नहीं हो सकता कि कितनी दिक्कतें सार्वजनिक कामों के लिये इमारतों को लेने में होती हैं इसका तजुर्बा उनको नहीं है। जब माननीय मन्त्री चाहते हैं कि वह ताकत जो (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक के अन्दर सरकार को है और कुछ वर्षों जारी रहे तो भवन उनका पूरा समर्थन करता है और मेरी राय में उनकी वह मांग पूरी होनी चाहिए। किन्तु जो मैं आपके सामने निवेदन करना चहाता हूं वह यह है कि इसमें कुछ बातें विधान के प्रतिकूल आ गई हैं हममें से हर एक का कर्तव्य यह हो जाता है कि हम उसको सरकार के सामने विचारार्थ रक्खें क्योंकि विधान की ताकत को कम न करना और उसकी रक्षा करना हममें से हर एक का फर्ज है। शायद हमारे शपथ का मुख्य अंग यही रहा है। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था वह यह था कि इसमें वैधानिक आपत्ति है और जब यह देखा जाता है कि विधान की शान को रखते हुए भी मन्त्री महोदय या सरकार इन ताकतों को विधान के अन्दर हासिल कर सकती है तब मैं सोचता हूं कि सरकार के लिये अच्छा रास्ता तो यही है कि कोई इस तरह का नियम या कानून बनायें जिसके अवैध होने का डर न हो। क्योंकि मेरी खुद की राय है कि जहां संदेह भी हो कि कहीं यह अवैध न हो जाय तो हमको विधान में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि इसी संदेह पर हम इस तरह से चलें और कोई ऐसा कानून न बनायें जिसमें वैधानिक आपत्ति पैदा होने की कोई शंका रहे। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून जो इस वक्त भवन के सामने रक्खा गया है उसमें बहुत सी वैधानिक आपत्तियां हैं या हो सकती हैं इसको मैं मुक्तसर में इतना बयान कर दूं कि आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया है कि वह किसी की सम्पत्ति को किसी से पब्लिक परपज (public purpose) के लिये नोटिस देकर ले सकता है। दूसरा नियम दफा १६ में लिखा हुआ है कि किसी भी अदालत में इस बात का सवाल नहीं उठाया जा सकता कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो हुक्म दिया है वह गलत है या नाजायज है या वह पब्लिक परपज (public purpose) के लिये नहीं था। मैं तो समझता हूं कि इस तरह की कोई जरूरत नहीं थी कि दफा १६ कानून के अन्दर रक्खा जाता जिससे उस आर्डर को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह से आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह पूरा अधिकार दे दिया है कि वह तय करे कि यह पब्लिक परपज (public purpose) के लिये जरूरी है या नहीं। इस तरह की ताकत जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को होगी वह जो अधिकार हमारे विधान के अन्तर्गत हमारे नागरिकों को दिये गये हैं उनके विपरीत जाती है। यह बात बिल्कुल साफ है। धारा ३१ के अन्दर लेजिस्लेचर को यह फाईनल अथारिटी (final authority) है कि वह इन सिद्धांतों को मुकर्रर करे जिनके अनुसार मुआविजा दिया जाय। किसी और कान्स्टीट्यूशन (constitution) में यह बात नहीं दी हुई है, लेकिन हमारे कान्स्टीट्यूशन (constitution) में यह अधिकार लेजिस्लेचर (legislature) को दिया गया है। क्योंकि वह जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम होते हैं कि कितना कम्पेन्सेशन (compensation) होना चाहिए।

इन्डियन कान्सटिट्यूशन (Indian Constitution) पर निम्न प्रकार टिप्पणी एक लेखक ने की है :—

In short, our Constitution gives final authority to our Legislature in the matter of making compensation for acquisition. Other matters which are within the exclusive competence of Legislature are (1) the principles on which compensation is to be determined and given and (2) manner in which this is to be determined and given.

विधान निर्माताओं ने नागरिक की सम्पत्ति की रक्षा के लिये यह बात ठीक समझी कि यह अधिकार लेजिस्लेचर के हाथ में रहे। जिस ऐक्ट को माननीय मन्त्री जी बढ़ाना चाहते हैं उस ऐक्ट में कोई कम्पेन्सेशन देने का सिद्धांत निर्धारित नहीं है। इस ऐक्ट में यह है कि ऐसा कम्पेन्सेशन अगर रजामन्दी से मालूम हो गया कि क्या कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए तो रजामन्दी से दिया जाय और अगर रजा-मन्दी नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रिफर (refer) किया जाय। इसके मुताल्लिक सेक्शन ६ (१) में यह लिखा हुआ है कि विधान के आर्टिकल ३१ में यह दिया हुआ है कि किसी की सम्पत्ति नहीं ली जा सकती जब तक कि उसका मुआविजा न दिया जाय। कम्पेन्सेशन की खास जमा वह इस कानून के अन्दर देनी चाहिए या वह सिद्धान्त कानून में स्पष्ट दिये जाने चाहिए जिनके अनुसार मुआवजा देना अनिवार्य होगा। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि यह जो कानून बनाया जा रहा है उसमें न तो मुआवजे का मूल्य ही नियत किया गया है और न कोई सिद्धांत ही है, जिन सिद्धांतों के अनुसार उसमें जो भी अधिकारी बनाया जाय वह उन सिद्धांतों के अनुसार कम्पेन्सेशन (compensation) मुकर्रर कर सकें। यह जो हक है वह बहुत जरूरी हक है। भारतीय विधान (Indian Constitution) की धारा ३१ निम्न प्रकार है :—

"No person shall be deprived of his property, save by authority of Law.

(2) No property, movable or immovable, including any interest in or in any company, owning any commercial or industrial undertaking shall be taken possession of, or acquired for public purpose, under any law authorising or taking possession of such acquisition unless the law provides for compensation for the property taken possession of or acquired and either fixes the amount of the compensation or specifies the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined and given."

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपनी बहस के दौरान में स्कोप आफ दि बिल के बाहर जा रहे हैं और जो प्राविजन ऐक्ट का है उन प्राविजनों के ऊपर नहीं कह रहे हैं।

चेयरमैन—जब कोई बिल दो वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है तो वह सारा बिल में आ जाता है।

श्री इन्द्र सिंह नयाल—अध्यक्ष जी, सेक्शन ६ इसका याने (Accommodation Acquisition Act,) कहता है कि :—

Section (6) : (1) "Where no agreement as specified in section 6 is reached such compensation shall be paid as may be determined by the Court on a reference being made to it by the District Magistrate.

(2) The Court, in deciding the reference shall have regard to the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Land Acquisition Act, in so far as the same may be applicable".

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

तो इस तरह से कोर्ट को पूरा अधिकार दिया गया है। यहां सिर्फ यह कहा गया है (shall have regard to Land Acquisition Act, के सिद्धान्त एक्वीजीशन के मामले को कवर (cover) करता है और पोजेशन (possession) के मामले को कवर (cover) नहीं करता है जबकि Accommodation Acquisition Act, पोजेशन के बारे में लागू होता है और एक्वीजीशन (acquisition) के मामले में लागू नहीं होता है। लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट (Land Acquisition Act,) भी उसी हद तक प्रयोग किया जा सकता है जिस हद तक उसका प्रयोग सम्भव हो। उपरोक्त धारा ६ के इन शब्दों को देखिय (in so far as the same may be applicable) तब जहां तक अदालत लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट (Lland Acquisition Act,) के सिद्धान्तों को प्रयोग नहीं कर सकेगी वहाँ अपने मन के अनुसार मुआविजा देंगे, इसके लिये कोई कानून के अन्दर दिया हुआ सिद्धांत अदालत के सामने नहीं रहेगा। यह विधान के बिल्कुल खिलाफ है। अब इसमें एक बात रह जाती है जैसा कि माननीय मन्त्री कह सकते हैं कि दफा ३१ पैरा, ५ में यह छूट (exception) है कि जो कानून विधान लागू होने की तिथि को चालू थे उस कानून को विधान की धारा ३१ (२) लागू नहीं होती है। यह कानून विधान की तिथि के समय थोड़े समय के लिये लागू था किन्तु आज सरकार इस कानून को मौजूदा विधेयक के द्वारा आइन्दा के लिये लागू करना चाह रही हैं। अतएब यह विधेयक विधान की धारा ३१ (५) की छूट के अन्दर नहीं आ सकता और धारा ३१ (३) के अन्तर्गत अवैध हो सकता है। इस कानून के बनाने में आप ३१(२) के विरुद्ध जाते हैं मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो विधेयक है और जो भवन के सामने है यह एक नया कानून है, आप नया कानून बना रहे हैं चाहे इसका रूप आप कुछ भी रख लें। कान्स्टीट्यूशन के बनाने वालों ने इस बात को धारा १३ (२) में साफ किया है। धारा १३ (२) भारतीय विधान का निम्न प्रकार है—

Section 13 (2) of the Constitution :

"The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention, be void."

जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विधान द्वारा दिये गये हैं, उसको भी यह विधेयक छीन रहा है। मैं आपसे और आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे माननीय मन्त्री जी से पूर्ण सहानुभूति है परन्तु जिस ढंग से वह ताकत हासिल करना चाहते हैं और जिससे वे इस विषय में लेजिस्लेचर और अदालतों का अधिकार एक प्रकार से कम कर रहे हैं, चाहते हैं, यह चीज विधान के प्रतिकूल है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे विधान की धारा ३१ (२) पर अच्छी तरह से विचार करेंगे और कानून को उसी के अनुसार परिवर्त्तन करेंगे।

*श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है मैं समझता हूं कि वह आवश्यक है और इस बात पर किसी को भी कोई एतराज नहीं है और न किया ही गया है। मैं कुछ बातों की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह कि आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि जिस तरह से कोई संशोधक विधेयक पेश किया जाता है जब तक मूल अधिनियम हमारे सामने नहीं रखा जायेगा तो इस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं और जब भी मूल अधिनियम नहीं सामने होंगे तो ऐसे ही मामले पेश होंगे तो मेरा सुझाव यह है कि जिस मौके पर माननीय सदस्यों के पास यह संशोधन विधेयक भेजे जाते हैं, जिन पर यहां विचार होना है तो आवश्यकता इस बात की है कि उसके साथ-साथ मूल अधिनियम भी अगर सप्लाई कर दिये जायं तो मूल अधिनियम की सारी बातें अध्ययन

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

इसके माननीय सदस्य यहां पर आवेंगे तो मेरा विचार है कि हम ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्वक उन मसलों पर गौर कर सकेंगे। मेरा सुझाव है कि भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय। साथ ही साथ मुझे इस बात का दुःख है कि जो विधेयक पेश किया गया है और जिस तरीके से माननीय मन्त्री जी ने उसको पेश किया है उसमें माननीय मन्त्री जी को यह शिकायत है कि मेम्बरों ने ठीक तरह से समझा नहीं और वह दायरे के बाहर है। मेरी शिकायत यह है कि विधेयक पेश करते हुए माननीय मन्त्री जी ने सिवा इसके कि हमसे यह दरख्वास्त की कि इस विधेयक की आवश्यकता है और उसको पारित किया जाय, लेकिन कोई बात उन्होंने यह नहीं बताई कि सन् १९४७ से लेकर आज तक बराबर यह कानून संशोधित होता जाता है या यों कहिए कि इसकी मियाद बढ़ती जाती है। लेकिन किस मौके पर इसको उपयोग में लाया गया। पिछले पांच वर्षों में आपने कहा कि हमें शिक्षा के लिये पाठशालायें खोलनी हैं, अस्पतालों की आवश्यकता पड़ती है, क्या माननीय मन्त्री जी का यह फर्ज नहीं था कि वह बतलायें कि पिछले ५ सालों में या दो साल के अन्दर कितनी जगह स्कूल खोलने के लिये इस कानून से मदद ली गई या कितने अस्पताल बनाये गये या कितनी जगह रिफ्यूजी बसाये गये या सरकारी अफसर बसाये गये या किसी भी सार्वजनिक हित के लिये इस कानून का इस्तेमाल किया गया। जब तक आप यह आंकड़े पेश नहीं कर सकते मैं समझता हूं कि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। हम बिल्कुल अन्धकार में हैं कि केवल सार्वजनिक हित का नाम लेकर आप यह अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और डी० एम्स को यह अधिकार देना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी चूंकि शुरु में इस बात को नहीं कहा है इसलिये जवाब देते समय यह जरूर बतायें कि कितना इस कानून का सार्वजनिक हित के लिये प्रयोग किया गया। इस बात के आंकड़े हमारे सामने पेश किये जाने चाहिए।

साथ ही साथ बहुत से सदस्यों ने कहा भी है और सरकार को कोई एतराज न होना चाहिए। आजकल के जमाने में आप किसी भी जिले में जायं चूंकि अपनी सरकार है जनता का हित करना उसका ध्येय है। नाना प्रकार के कानून और ताकत हुकूमत अपने हाथ में लेगी। आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को इतने अधिक काम दे दिये हैं और हर मामले में अधिकार दिये जा रहे हैं।

हर मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पूर्ण अधिकार दे दिया जाता है। आप भले ही सहमत हों कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का काम सुचारुरूप से चल रहा है लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहां आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऐसी पावर दे देते हैं कि उनके ऊपर कोई अंकुश न हो और उसकी कोई अपील न हो तो वहां जरूर अन्याय होता है। जब उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता तो एक ऐसी मनोवृत्ति उनके अन्दर पैदा हो जाती है जिससे कि वे जायज और नाजायज दोनों ही तरह के काम कर बैठते हैं। मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि आप २, ३ आदमियों की एक कमेटी इस काम के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ लगा दीजिए जिससे उसके ऊपर थोड़ा सा अंकुश रहे। अगर उस वक्त किसी को शिकायत होगी तो वह उस कमेटी के किसी मेम्बर के जरिये से उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक पहुंचा सकता है। माननीय मन्त्री को इस बात के मानने में कतई एतराज नहीं होना चाहिए। भविष्य में मैं चाहूंगा कि इतना सस्ता नुसखा जो निकाल लिया गया है कि कोई बिल पेश किया जाता है तो हुकूमत दो लाइन पेश कर देती है कि सार्वजनिक हित के लिये इसकी बहुत आवश्यकता है इसलिये इसकी मियाद बढ़ा देनी चाहिए। यह न होना चाहिए। हुकूमत का यह ख्याल रहता है कि २ साल खत्म होने पर हम दो लाइन पेश कर देंगे और वह पास हो जायेगा यह चीज न होनी चाहिए। अगर किसी कानून के मियाद बढ़ाने की आवश्यकता है तो आप हाउस को विश्वास दिलाइये कि दरअसल उसकी आवश्यकता है। एक साहब ने हिन्दुस्तान के तमाम संविधान की लंबी-चौड़ी व्याख्या करके किसी बात के समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि कानून बनना चाहिए या न बनना चाहिए। वकील की यह खूबी होती है कि जो चीज न हो उसको लंबा-चौड़ा बनाकर इस तरह पेश करें कि जिससे विपक्ष के लोगों को यह मालूम होने लगे कि कहीं बड़ी भारी गलती तो नहीं हो गयी है। हुकुमत अगर किसी कानून को जरूरी समझती है तो उसकी आवश्यकता

[श्री राजाराम शास्त्री]

को हाउस के सामने पेश करना चाहिए। मैं समझता हूं कि सार्वजनिक हित के लिये किसी चीज को ऐक्वायर किया जा सकता है। अगर किसी साधारण आदमी से पूछा जाय तो हर आदमी यह चाहता है कि अगर हुकूमत के अन्दर किसी तरीके से कानून की आवश्यकता है तो वह ऐसा होना चाहिए कि जिससे उसके बन जाने से उसके ऊपर कोई ज्यादती न हो और जिसकी वजह से कोई प्रभाव उसके ऊपर न पड़े। मुआविजे का बड़ा भारी सवाल है। हुकूमत अगर किसी चीज को लेती है तो जितनी चिन्ता उसके लिये माननीय सदस्य को रहती है तो उसकी उससे ज्यादा चिन्ता सरकार बहादुर को रहती हैं। कोई भी काम हो बिना मुआविजे के कदम आगे नहीं बढ़ता है। किराया दिया जाता है, कोई ऐसी चीज समझ में नहीं आती है कि क्यों अन्यायपूर्ण बात की जाती है। हम इतना जरूर चाहेंगे कि माननीय मन्त्री जी इतना जरूर ख्याल कीजिए कि जिस मौके पर किसी काम के लिये आपको मकान की आवश्यकता है तो इस बात का हित डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में होना चाहिए कि किसी प्राइवेट मकान को लेने के बजाय जिनके पास एक नहीं दस बंगले हैं उनका लिया जाय। किसी-किसी ने भगवान के नाम से दस-दस बंगले बनवा दिये हैं। उनमें से बहुत से सोचते हैं और कई पूंजीपतियों ने तो भगवान के नाम पर मकान बनवाना शुरू कर दिये हैं। जिन लोगों ने इस तरीके के काम किये हैं वे भगवान की दया से दस दस बंगलों पर कब्जा किये हैं। अगर आप ऐसे बंगलों पर निगाह रखें तो बड़ा अच्छा हो। कुछ दिन पहिले मैं नाम नहीं लूंगा हमारे सामने उदाहरण आया एक बहुत बड़े सरकारी अफसर ने किसी मिनिस्टर साहब से कहा। मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी के बंगले को ले लिया और मरम्मत में हजारों रुपया लगा दिया और चन्द रोज के बाद हुकूमत ने समझा कि जब उसे इससे बढ़िया मकान मिल सकता है तो दूसरा क्यों न लें और दूसरा ले लिया तो इस हालत में गवर्नमेंट का कितना रुपया बरबाद होगा। जिनका वह मकान रहा होगा वह तो सरकार को धन्यवाद देगा। जिस मकान आप अधिकार जमाते हैं तो सोच विचार कर जरा काम कीजिए। अगर सच्चे तरीके से इस कानून को लागू करेंगे तो किसी को एतराज नहीं है। मैं आशा करता हूं कि भवन के सामने जो माननीय मन्त्री को सुझाव दिये गये हैं उस पर आप गौर करेंगे। इसके साथ मैं इस बिल का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को ऐसी ताकत होनी चाहिए।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़—एकोमोडेशन रिक्वीजीशन बिल के ऊपर हमारे अजीज दोस्तों ने काफी अपना पाकीजा ख्याल जाहिर किया है। हम लोगो को बाआवाज बुलन्द कर यह कहते हैं कि दरअसल यह बिल निहायत मौजूं है। शायद उस पर इस कदर अहमियत मुनासिब है लेकिन इस पर अपोजीशन ने भी कहा है कि यह बिल जरूरी है और ऐवान को पास करना चाहिए।

मैं किसी और ख्याल से नहीं खड़ा हुआ हूं लेकिन एक बड़े महत्व की बात अपोजीशन की जानिब से श्री प्रभू नारायण जी ने कही और यह चीज मजबूर कर रही है कि मैं उसमें अपने ख्यालात का इजहार करूं आपने फरमाया कि यह बड़े दुःख की बात है कि एक बिल लाया जाता है और फिर भी लाया जाता है यानी एक टेम्पोरेरी मेजर अरेंजिग एक परमानेन्ट मेजर। दरअसल एक बड़े महत्व की बात है कि कब्ल इसके कि उस मरीज का इलाज किया जाय मरज का जानना जरूरी होता है और उसकी वजूहात को भी जानना जरूरी होता है। क्या यह बात नहीं है कि यह हालत घटने के बाद या रिफ्यूजीज के आने के बाद अब भी मकानों की बेइन्तहा कमी है। इस बात से अपोजीशन भी इत्तफाक रखता है और हम को भी इत्तफाक है। तब सवाल उठता है कि क्या गवर्नमेंट गाफिल रही, तो मैं सदाकत के साथ कह सकता हूं कि गवर्नमेंट से जहां तक हो सका मकानात और दूकानात बनाने की कोशिश की, उसकी फीगर्स आज से ४ महीने पहले एक पैम्फलेट में गवर्नमेंट के निकल चुकी है। लेकिन तब भी इस चीज की कमी क्यों है। यह तो मैं साफ-साफ कह देता हूं और अपोजीशन ने भी मान लिया

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

हूं कि एक वर्ष क्या दस वर्ष तक भी यह बिल आये तो भी कम है। क्योंकि किसी गवर्नमेंट के इम्कान में नहीं है कि इस खामी के बाद कितने मकानात और दूकानात बनायें जायें वह आदमियों के लिये काफी होंगे, चाहे जिस कदर रुपया खर्च किया जाय, तावक्ते पब्लिक की मदद इसमें शामिल न हो। लेकिन क्या वजह है कि गवर्नमेंट का ऐलान होता है कि सन् ५१ से जो मकानात बन रहे हैं उन पर रेन्ट कन्ट्रोल ऐन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट लागू न होंगे तब भी मकानात की कमी है। अब यह चीज साफ जाहिर करती है कि लोगों को इस चीज का संदेह है कि कहीं अबालिशन आफ जमींदारी की तरह से हम लोगों को भी पछताना न पड़े। अगर हमारे दोस्त इस बात में मेरा साथ दें और गवर्नमेंट का साथ दें तो मसला हल हो सकता है और वह यह कि आज मकानात जो बने हैं एक आदमी के पास उनमें से एक मकान रहना चाहिए और बाकी के लेना चाहिए। यह ख्याल आज लोगों के दिलों में घुसा हुआ है और परेशान कर रहा है कि मकानों के ऊपर काफी रुपया खर्च करना मुनासिब नहीं है अगर रुपया आज लगाया जावेगा तो कल को परेशानी ही आयेगी और इस मसले पर गवर्नमेंट भी कमर बस्ता नहीं होगी। तावक्ते हमारे दोस्त राजाराम शास्त्री जी और प्रभू नारायण जी भी साथ न दें अगर साथ देते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि २ वर्ष के अन्दर मकानों की कमी इस उत्तर प्रदेश में नहीं रह जायेगी। इन परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए मैं दिल से स्वागत करता हूं कि दरअसल बिल इस ऐवान के पास किया जाय।

खाद्य तथा रसद मन्त्री--सभापति महोदय, इस बिल के आलोचकों ने दो-तीन बातें सदन के सामने उपस्थित की हैं। पहले आलोचक श्री प्रभू नारायण सिंह जी ने मकानों से संबन्धित नीति के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने सदन के सामने यह बात उपस्थित करनी चाही कि मकान बनाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी आशंका प्रगट की है कि कदाचित जिलाधीश इस विधेयक की धाराओं का दुरुपयोग करते हैं तो मैं उनकी जो यह प्रारम्भिक बातें हैं उनको सदन के ध्यान से दूर करना चाहता हूं। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि जहां तक इस विधेयक की धाराओं का संबन्ध है वह किस सावधानी के साथ बरते जाते हैं उसका नतीजा आप इन आंकड़ों से खुद निकाल सकेंगे जो मैं उपस्थित करूंगा। मेरे पास १९४९--५०--५१ के उन मकानों के रिक्वीजीशन के आंकड़े हैं जो इस प्रदेश के विभिन्न जिलों में किये गये थे। १९४९ में २७७, १९५० में १०६ और १९५१ में सिर्फ ४२ मकानों का रिक्वीजीशन किया गया यह आंकड़े साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि उत्तरोत्तर हमारी रिक्वीजीशन की बात घटती जा रही है, ज्यों ज्यों मकान बनते जा रहे हैं त्यों त्यों हम रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट का उपयोग कम करते जा रहे हैं। हमने इस विधेयक की धाराओं का दुरुपयोग कहीं नहीं किया है। सरकार के पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि इस विधेयक की धाराओं का दुरुपयोग किया गया हो। ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई और न किसी सदस्य ने इस सदन में और न किसी मेम्बर ने मेरे पास ऐसी कोई शिकायत की कि कर्मचारियों ने इस विधेयक के धाराओं का दुरुपयोग किया है, तो फिर इस बात की आशंका क्यों प्रगट की जाय। तीन वर्ष तक, चार-पांच वर्ष तक यह विधेयक जारी रहा है और कोई भी शिकायत इस विधेयक की धाराओं के दुरुपयोग के सम्बन्ध में नहीं की गई है तो फिर मैं क्यों समझूं कि इस विधेयक की धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है। जो मकानात सरकार ने बनवाये हैं उनके भी आंकड़े मैं आपको सुनाता हूं। सन् १९५१-५२ में पी० डब्ल्यू० डी० ने ६,१३० मकान सरकार की तरफ से बनवाये और २८,००० दूकानें बनवायी गई हैं। म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से ५० मकान बनाये गये और इन मकानात पर खर्च ४ करोड़ ६ लाख ८७० रु० हुआ। सन् १९५२-५३ में जो सरकार मकान बनाने जा रही है वह इस प्रकार से है --पी० डब्ल्यू० डी० २ हजार ८ सौ मकान बनायेगी और ५ सौ दूकानें बनायेगी। कोआपरेटिव सोसाइटीज ३०० मकान और २० दूकानें बनायेगी। लोकल बाडीज १,८५० मकानात और १,६०० दूकानें बनायेंगी। रिफ्यूजी के लिये १,८८० मकान और १२ सौ दूकान बनायेगी। इस तरह से ८,३७२ मकान और २३७ दूकानें बनेंगी और उन पर १ करोड़

[खाद्य तथा रसद मंत्री]

३४ लाख ८२ हजार ५ सौ रुपया खर्च किया जायेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहना कि सरकार मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं अख्तियार कर रही है यह बात तथ्य से परे है। यह सही है कि जितनी मकानों और दूकानों की आवश्यकता इस प्रदेश में है उसे देखते हुए सरकार उस तेजी के साथ उतने मकानात और दूकानें नहीं बनवा पा रही है लेकिन कुछ शहरों के आंकड़े मैं सदन के सामने रक्खूंगा तो सदन यह अनुभव कर सकेगा कि यह समस्या जितनी गंभीर और कितनी कठिन है। मेरे पास ११ शहरों के आंकड़े हैं कि उनमें कितने मकानों की आवश्यकता है और कितने मकान अब तक सरकार द्वारा या प्राइवेट इन्टर प्राइज के जरिये बने हैं। यदि हम उन आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो हमें इस समस्या की गुरुता को समझने का मौका मिल सकेगा। करे पास आगरा, इलाहाबाद, अलीगढ़, बनारस, बरेली, देहरादून, कानपुर, लखनऊ, मुजफ्फर नगर मे और सहारनपुर के आंकड़े हैं। इन शहरों की कितनी जन संख्या है और उस जन संख्या के अनुपात में कितने मकानों की आवश्यकता है। उसके आंकड़े हैं। इन आकड़ों को देखने के से पता चलता है कि इन ग्यारह शहरों में दो लाख पांच हजार पांच सौ सत्ताइश मकानों की आवश्यकता है अब तक कुल तेइस हजार नौ सौ पन्द्रह मकानों का निर्माण हो सका है, इसलिये करीब एक लाख ८२ हजार तीन सौ बारह मकानों की और आवश्यकता है। परन्तु इतने मकानों का निर्माण करने के लिये अत्यधिक धन की आवश्यकता है। सरकार का कोष सीमित है और सीमित कोष के रहते हुए इतने मकान सरकार के द्वारा एक दम से नहीं बनाये जा सकते। इसमें तो आम जनता की सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी इस कारण से यह कहना कि सरकार मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं रखती है यह बात तथ्य से परे है। सरकार उत्तरोत्तर इस बात का प्रयत्न करती रही है और आइन्दा भी करेगी कि जहां जितने मकानों की आवश्यकता है जहां जितनी दूकानों की आवश्यकता है, वह हम वहीं समय पर तैयार करा दें।

तीसरा एतराज एक वैधानिक प्रश्न, मेरे साथी श्री कृष्ण चन्द्र जी ने उठाया और उन्हें आपत्ति थी कि इस विधान को हमारे कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया के विधान की धारा ३१ की उपधारा (२) के अन्तर्गत यह कानून के रूप में परिणत ही नहीं किया जा सकता। जो बातें उन्होंने बहस में कहीं उन्हीं बातों की बहस के अन्तर्गत उन्होंने उन बातों को भी हमारे सदन के सामने रख दिया जो उत्तर में मैं कहता। उनके उत्तर से ही उनकी जो आलोचना थी उसका उत्तर तो सदन के सामने आ गया है। मुझे उसके ऊपर भी अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। ताहम मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि उनका यह एतराज कि दफा ३१ की उपधारा २ के अन्तर्गत जो कम्पेन्सेशन देने की बात विधान ने निर्धारित की है, वह इस कानून के अन्तर्गत जो हम बानने जा रहे हैं ठीक नहीं है। इसमें कम्पेन्सेशन की बात का हमने सम्बन्ध रक्खा ही नहीं। उन्होंने अधिनियम की धारा ६ का जिक्र किया जिसमें है कि उस व्यक्ति को जिसका मकान रिक्वीजीशन किया जायेगा किस तरह से कम्पेन्सेशन दिया जायगा। वह भी उन्होंने इस भवन के सामने पढ़ कर सुनाया। मैं उस अधिनियम की धारा ६ की तरफ इस सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करता हूं इसमें यह लिखा है—

"Where no agreement as specified in section 6 is reached, such compensation shall be paid as may be determined by the Court on a reference made to it by the District Magistrate.

और उसकी भी धारा २ में यह बात साफ कर दी गयी है कि

(2) The Court in deciding the reference shall have regard to the provisions of sub-section (1) of section 23 of the Land Acquisition Act 894."

और दफा २३, लैन्ड रिक्वीजीशन ऐक्ट, ८९४ क्या कहती है, वह इस तरह से है:

"Section 23. Land Acquisition Act, 1894 :—

23 In determining the amount of compensation to be awarded for land acquired under this Act, the Court shall take into consideration—

first, the market value of the land at the date of the publication of the notification under section 4, sub-section (1);

secondly, the damage sustained by the person interested, by reason of the taking of any standing crops or trees which may be on the land at the time of the Collector's taking possession thereof;

thirdly, the damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of severing such land from his other land;

fourthly, the damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other property, movable or immovable, in any other manner or his earnings;

fifthly, if, in consequence of the acquisition of the land by the Collector the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change; and

sixthly, the damage (if any) *bona fide* resulting from diminution of the profits of the land between the time of the publication of the declaration under section 6 and the time of the Collector's taking possession of the land.

कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो एतराज उन्होंने उपस्थित किया कि कम्पेन्सेशन किस कानून के अन्तर्गत मिलेगा तो वह इस मूल अधिनियम की धारा ६ में लिख दिया गया है और वह आज भी हमारे बीच में उसी रूप में उपस्थित है। जहां तक हमारे ला एडवाइजर का सम्बन्ध है जितने कानून हम इस सदन के सामने उपस्थित करते हैं अपने ला एडवाइजर को दिखला कर ही करते हैं। कोई भी कानून एडवोकेट जनरल की राय के बिना यहां उपस्थित नहीं किया जा सकता। जब तक उनकी राय नहीं ली जाती या जब तक वह नहीं देख लेते कि यह कानून हमारे विधान के अन्तर्गत है या नहीं तब तक हम ऐसे कानून इस सदन के सामने पेश नहीं करते। साथ ही मैं यह बतलाना चाहता हूं कि कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया का एक शेडयूल है जिसमें यह चीजें दी हुई हैं कि जहां जहां केन्द्रीय सरकार कानून बना सकती है, जहां जहां प्रदेशीय सरकार कानून बना सकती है और जहां जहां दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। आप देखेंगे कि शेड्यूल की लिस्ट ३६ में लैन्ड एक्वीजीशन के सम्बन्ध में अधिकार इस भवन को मिला है। तो आज यह वैधानिक आपत्ति पेश करना या यह कहना कि यह कानून विधान के विरुद्ध है सही नहीं मालूम होता। ५,६ साल से यह कानून हमारे प्रदेश में चला आ रहा है और कितने ही मुकदमात इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट के सामने आ चुके हैं लेकिन कभी भी इस पर आपत्ति नहीं की गई है। मैं उन्हीं कारणों से यह समझता हूं कि जो बातें मैंने इस सदन के विचारार्थ पेश की हैं उनको ध्यान में रखकर इसकी धाराओं को स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार से इसकी अवधि जो दो साल बढ़ाने की मांगी गई है, उसकी आज्ञा प्रदान करनी चाहिए।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खाद्य तथा रसद मन्त्री—सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो अभी माननीय खाद्य तथा रसद मन्त्री जी ने सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक को रखा है, उसके सम्बन्ध में दो एक बातें कहना चाहता हूं। श्रीमान्, जहां तक इस विधेयक की आवश्यकता है मैं समझता हूं कि देश के विभाजन होने के बाद और गवर्नमेंट के तमाम अधिक डिपार्टमेंट खोलने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि हम मकानों पर कुछ प्रबन्ध रखें। लेकिन इस विधेयक में माननीय मन्त्री जी ने दो वर्ष की मियाद को बढ़ाने के लिये कहा है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय मन्त्री जी से कि जहां तक मुमकिन हो सके उनको इसमें सब का ख्याल रखना चाहिए। उस समय देश के विभाजन के पश्चात ऐसी स्थिति हो गयी थी कि लोगों को मकान की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब वह आवश्यकता कम हो गयी है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मन्त्री दो वर्ष के बजाय एक वर्ष की मिआद मन्जूर करा लें। इसके अलावा मैं एक दो बातें यह कहना चाहता हूं, कि जनता को तो मकान की जरूरत है ही लेकिन उसके साथ साथ सरकार को ओनर्स (owners) आफ दि हाउस की सुविधा का ख्याल रखना चाहिए। ओनर्स आफ दि हाउस चूंकि माइनारिटी में इसलिये सरकार को उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर ओनर्स आफ दि हाउस को मकान की जरूरत होती है तो उनकी जरूरत को नजर अन्दाज कर दिया जाता है। क्योंकि वह ओनर्स हैं इसलिये उनको कोई जरूरत नहीं है। आज कल इस किस्म की हवा चल रही है। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि जो ओनर्स आफ दि हाउस हैं उनको मकानों की जरूरत है ही नहीं। मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो देहातों में रहते हैं, लेकिन जमींन्दारी अबालिशन के बाद उनके लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने अपने मकान छोड़ कर शहरों में आ जायं। यहां आकर वह किसी रोजगार को करना चाहते हैं या और कोई काम करे तो उनको रहने के लिये मकान की जरूरत होती है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसे लोग जो अभी तक देहात में रहते हैं जिनके पास मकान हैं, लेकिन अब जमींन्दारी अबालिशन के बाद उनके लिये यह जरूरी हो गया है कि वह शहरों में आकर रहें, तो उनके लिये यह जरूरी हो जाता है कि जहां तक मुमकिन हो सके सरकार उनको सुविधा दे। इसके साथ साथ मैं एक बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं श्रीमान की आज्ञा से ओरीजनल ऐक्ट की धारा १० को पढ़ना चाहता हूं :—

"Where the District Magistrate requisitions any accommodation under this Act, he may at any time, by notice in writing, order the owner to execute such repairs and within such time as may be specified in the notice."

तो रिपेयर का आर्डर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में है। लेकिन अब यह चीज कैसे निर्धारित होगी कि उस रिपेयर की कितनी कास्ट (cost) होगी, उसकी हजार रुपये भी रिपेयर के हो सकते हैं और दो सौ रुपये भी उसकी रिपेयर के हो सकते हैं। अगर कोई ओनर आफ दि हाउस है और उसको मकान रिक्वीजीशन किया गया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा कि फलां चीज उसकी रिपेयर करके दुरुस्त करें तो इसके माने यह हुए कि उसकी काफी कास्ट पड़ जायेगी। इस लिये मैं यहां पर संशोधन यह दूंगा कि अगर अधिक नहीं तो कम से कम एक मास का किराया जितना कि उसके औसत दर्जे से उसका म्युनिसिपल टैक्स से आता है उस हद तक उसको इस साल रिपेयर में रक्खा जाय और उसी हद तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार है कि रिपेयर कर सके। वरना जहां जरूरी चीज रिपेयर होंगी वहां दूसरी किस्म की मरम्मत हो जैसे कि आजकल फ्लेश सिस्टम (flesh system) चल रहा है और किरायेदार चाहें कि उसकी सीमेन्टेड फ्लोरिंग (flowring) भी होनी चाहिए तो इस प्रकार की अगर रिपेयर होगी तो यह एक गलत चीज होगी।

चेयरमैन—इन अमेंडमेंट का नोटिस आपको पहले देना चाहिए था। सात दिन पहले आपके पास इस विधेयक की प्रतिलिपियां भेजी जा चुकी हैं। अब जबकि बिल पर विचार भी समाप्त हो चुका है और तीसरी पढ़त हो रही है तब आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं तो तीसरी पढ़त में आप संशोधन नहीं दे सकते।

श्री कुंवर गुरु नारायण—बहरहाल मैं अपने सुझाव रख रहा हूं इसके मुताल्लिक जो कुछ भी सरकार समझेगी करेगी। इसके अलावा एक चीज इसमें है और वह यह कि इस ओरीजनल ऐक्ट में रिक्वीजीशन दिया गया है, इसके साथ ही साथ सेक्शन दो में जो डिफनीशन है उसमें यह लिखा हुआ है।

"Section 2: 'Definitions'— Any furniture supplied by the owner for use in such building or part of it."

यानी जो फर्नीचर हो वह भी उस मकान के साथ रिक्वीजीशन होंगे। अब उसकी बहुत से ऐसे लोगों को जरूरत होगी जो मान लिया कि देहात से आते हैं और यहां पर रहते हैं और उनको फर्नीचर की आवश्यकता है और उनको अगर सरकार मकान के साथ फर्नीचर रिक्वीजीशन कर लेती है तो ऐसी हालत में सरकार मकान अपने कब्जे में रक्खे, लेकिन उसका फर्नीचर वापिस किया जाय। अगर ओनर आफ दि हाउस की मर्जी है कि उसका फर्नीचर उसको रिटर्न किया जाय तो वह उसको वापिस किया जाना चाहिए। क्योंकि मुमकिन है कि कोई ओनर अपना फर्नीचर न ले फिर फर्नीचर का भी किराया किराये में जुड़ेगा या नहीं। बहरहाल यह उचित नहीं है और इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि माननीय खाद्य मन्त्री जी पूरी तरह से ध्यान दें और कोई खास चीज इसके सम्बन्ध में मुझे नहीं कहनी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर को समाप्त करता हूं।

खाद्य तथा रसद मन्त्री—सभापति महोदय, जो आलोचनायें अभी मेरे मित्र कुंवर गुरु नारायण जी ने इस विधेयक के सम्बन्ध में की हैं और उसकी धाराओं की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है उनके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जहां तक उन धाराओं का सम्बन्ध है जिनका कि जिक्र उन्होंने किया उनका दुरुपयोग सरकार की ओर से या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की ओर से नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आरम्भ में ही बता दिया था कि अभी सरकार के पास ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं और न सरकार को इस बात का भय है कि इस प्रकार की शिकायतें आयेंगी। जिन मकानों को सरकार रिक्वीजीशन करती है उनमें वह यदि उचित समझती है तो रिटर्न भी करती है और मैं उनकी सूचनार्थ यह बता देना चाहता हूं कि जितना रुपया उनके ऊपर लगता है उसके परसेन्टेज के हिसाब से वह किराया भी देती है और हर मकान के ऊपर जितना रुपया खर्च करती है तो ६ परसेन्ट के हिसाब से सूद के रूप में वह किराये के रूप में देती है। फर्ज किया कि कोई मकान सरकार ने शिक्षा के काम के लिये लिया है या अन्य किसी काम के लिये लिया है तो उसमें सरकार की नीयत नहीं होती है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाय। उसको नुकसान पहुंचाने की नियत नहीं की गई है और जो उसका खर्चा हुआ है उस खर्च का अनुमान लगा कर उस नुकसान को कम करने के लिये किराये के रूप में उसको दिया गया है। तो जो आज आप यह कह रहे हैं कि इस तरह के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि आज इस तरह के कानून को लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और जब से जमींन्दारी उन्मूलन कानून लागू हो गया है तो इसकी आवश्यकता और भी बढ़ गयी है क्योंकि जितने भी राजा महाराजाओं के पुराने मकान पड़े हैं और जो उनके पुराने महल हैं, तो उनकी अगर मरम्मत इन दो, तीन वर्षों में न की गई तो वे भविष्य में फिर बिल्कुल बेकार हो जायेंगे। तो ऐसे मकानों को पाकर सरकार उनमें स्कूल, हास्पिटल या सैनीटोरियम वगैरह बनाने का इरादा रखती है। और आज ऐसे मकानों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और इसलिये इस कानून की भी बहुत आवश्यकता है कि हम इस कन्ट्रोल के अन्तर्गत उनको ले लें। इस प्रदेश में कई ताल्लुकेदारों के मकान हैं और जो सेटअप हमारे समाज का हो रहा है, तो उसमें ऐसे ताल्लुकेदारों और राजा महाराजाओं के मकानों का रहना

[खाद्य तथा रसद मंत्री]

बहुत मुश्किल है, तो सरकार ऐसे मकानों का किराया दे दे, जिससे कि उन मकानों का सदुपयोग सरकार स्कूल, अस्पताल वगैरह खोल कर, कर ले। मैं आपको बतलाता हूं कि दो वर्ष पहले मैंने कहा था कि जहांगीराबाद में सरकार एक सैनीटोरियम बनाना चाहती है, और वहां जितनी शानदार जगह है और जो वहां बाग इत्यादि हैं तो उसको अगर देखा जाय तो उसका मुकाबिला यहां का गवर्नमेंट हाउस भी नहीं कर सकता है मगर जो उनके सलाहकार थे, वे इस मकान को देना नहीं चाहते थे और उसमें अड़चनें डाल रहे थे कि उसको किसी काम में न लाया जाय। सरकार चाहती तो उसका रिक्वीजिशन कर सकती थी। तो इस तरह मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो ताल्लुकेदार हैं और राजा महाराजाओं की बिल्डिंग हैं उनका सदुपयोग हो सके और इस कानून से आज बड़ा फायदा है। तो इस तरह से मकान लेकर सरकार जिनका इस्तेमाल करेगी, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार इस विधेयक द्वारा इसका कोई दुरुपयोग नहीं करेगी और जहां तक भी हो सकेगा वह इसके सदुपयोग करने का प्रयत्न करेगी।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजिशन (संशोधन) विधेयक *को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—२ बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गयी और जलपान के पश्चात कौंसिल २ बजे डिप्टी चेयरमैन श्री निजामुद्दीन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक

खाद्य तथा रसद मन्त्री—उप सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक पर विचार करें। उप सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मुझे इस पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रदेश में आज भी कितनी वस्तुएं और पदार्थ हैं जो कम मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं और बहुत कम मात्रा में अपने प्रदेश में आते हैं इस कारण से यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी वस्तुओं पर नियन्त्रण रखा जाय। हमारे प्रदेश में सन् १९४६ से इस प्रकार का एक अधिनियम बना हुआ है और उसके शेड्यूल के अन्दर जो पदार्थ दिये हुए हैं जिन पर नियन्त्रण रखा जाता है उनमें से कुछ पर नियन्त्रण हटा लिया गया है और कुछ पर नियन्त्रण चालू रखा गया है लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनपर नियन्त्रण रखने की आज भी आवश्यकता है उनके मूल्य पर और वितरण पर भी नियन्त्रण की आवश्यकता है। इस कारणों को सामने रखते हुए यह विधेयक इस भवन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है। सन् १९५० के अधिनियम की जो तारीख है वह ३० सितम्बर को खत्म होने वाली है। इसलिये इस विधेयक के द्वारा यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि पुराना अधिनियम एक वर्ष के लिये और जारी रखा जाय। मेरा विश्वास है कि एक वर्ष के अन्दर भी इन पदार्थों की स्थिति ऐसी ही रहेगी इस कारण से यह विधेयक इस सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है और आशा है कि यह सदन अपनी स्वीकृति इस विधेयक को मन्जूर करने में प्रदान करेगा।

श्री प्रभू नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने इस समय माननीय मन्त्री जी ने रखा है उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जो चीजें मनुष्य की आवश्यकता की हैं और उनकी कमी हो तो उन पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक

---

*देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ ४२० पर

इस सिद्धांत का सवाल है मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता हूं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरा इस सिद्धांत से मेल है और मैं इसको मानता हूं और इसी सिद्धांत के आधार पर जब यह बिल आधारित है मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार किसी चीज पर कन्ट्रोल लगाती है और उसके सप्लाई के सिलसिले में लाइसेन्स वगैरह देती है और ट्रान्सपोर्ट की फैसिलिटी प्रदान करती है और डिस्ट्रिब्यूशन के रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं उनको दूर करती है जिससे कामन मैन को अधिक से अधिक सहायता मिल सके। इस सिद्धांत से सम्बन्धित यह बिल होने के कारण मैं इसका विरोध नहीं करना चाहता हूं। लेकिन उसी के साथ साथ हम माननीय मन्त्री जी से कहना चाहेंगे कि जो तरीका वितरण का अख्तियार किया गया उसके सिलसिले में जो-जो धांधलियां हुयीं वह किसी से छिपी नहीं है। इन्हीं धांधलियों की वजह से आज इतना असन्तोष जनता में है। आज जब कि जनता को महसूस करना चाहिए था कि उनकी निजी आवश्यकताओं की जो चीजें होंगी वे उनको आसानी से मिल जायेंगी तो शायद जनता ने इसका स्वागत किया होता लेकिन आज जिन वजूहात से इसके प्रति शुबहा पैदा हो रहा है वह यह है कि वितरण का तरीका गलत है। जो कि शेड्यूल में पदार्थ दिये हुए हैं उनके सिलसिले में भी जनता को क्या-क्या दिक्कतें उठानी पड़ी हैं इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। शायद यह आवाज सरकार तक पहुंची हो कि वितरण का जो तरीका अख्तियार किया गया वह ठीक नहीं था और जनता को जो परेशानियां हुयीं उनसे भी सरकार को वाकफियत हो। आज हालांकि कुछ दिक्कतें दूर होने में जरूर आसानी हो गयी हैं लेकिन १ साल पहिले लोगों को मकानों की मरम्मत के लिये २-१ बोरा सीमेंट तक नहीं मिला जब कि उन्हीं जगहों पर बड़े बड़े आलीशान मकान खड़े हो गये। मैं माननीय मन्त्री जी से बताना चाहता हूं कि जिस समय बनारस शहर में सीमेंट की कमी थी जब वहां सीमेंट की कमी के कारण बरसात में मकान ढह रहे थे तो उस समय दो-दो सिनेमा हाउस तैयार हो रहे थे जिनमें सैकड़ों बोरी सीमेंट लगी होगी बनारस कन्हैया टाकीज उसी समय तैयार हुआ। सरकार कहती है कि कानून बना कर कन्ट्रोल को जारी रक्खे जिससे सही तरीके से वितरण हो सके ताकि जनता को आसानी से उनकी आवश्यकता की चीजें मिल सकें। लेकिन मैंने बताया जो कन्ट्रोल की बात सरकार करती है आज उसी में चोरबाजारी (ब्लैक मार्केटिंग) जोरों से पनप रही है। जो छोटे-छोटे आफिसियल्स ने धांधलियां की हैं वे किसी से छिपी नहीं हैं। जब मुल्क में किसी चीज की कमी होती है तभी कन्ट्रोल लगाया जाता है। होना तो यह चाहिए कि उन चीजों का उत्पादन बढ़ाया जाय जिनकी कमी है जिससे कन्ट्रोल की जरूरत ही न पड़े। जिस सामान पर हम कंट्रोल लगाना चाहते हैं उनका सम्बन्ध हमारे सूबे से ही नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जिनका ताल्लुक सेन्टर से है। उसी पार्टी की सरकार इस सूबे में है और उसी की सेंटर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव डाला जाय कि ये चीजें खत्म हों।

उसी सिलसिले में जब कि इस बात को सोचना होगा जैसा कि मैंने पहले कहा। इस बात की पहिले कोशिश की जाय कि जिस कंट्रोल से आज लोगों के दिल और दिमाग में गुंजायश पैदा हो रही है कि यह कंट्रोल हटे। अभी पिछले दिन नहीं भूले हैं। अनाज के मसले से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन कंट्रोल के सिलसिले में ब्लैकमार्केटिंग और नेपोटिज्म के सिलसिले में है। जनता ने मांग की कि कंट्रोल हटाया जाय। कंट्रोल हटने के बाद कुछ चीजों के दाम बढ़े हैं। कंट्रोल के रहने पर कुछ चीजें सस्ती मिल सकती हैं। आज कंट्रोल बुरी चीज है इसलिये इस बिल के सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर करते हुये इस सिद्धान्त और वसूल को जाहिर करता हूं। जहां पर मुल्क के अन्दर एसेन्सियल चीजों की कमी होती है वहां पर कंट्रोल लगाया जाता है लाइसेन्स के जरिये और परमिट के जरिये से। उसी सिलसिले में दूसरी बहुत सी चीजें हैं। जब कंट्रोल लगाया जाता है तो सरकार को देखना चाहिये कि कंट्रोल लगाने के बाद जनता को राहत मिली या नहीं। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं। लाचारी होती है नहीं तो इस बिल के सम्बन्ध में जो कुछ दिक्कतें, जो मुसीबत जनता के ऊपर लादी गयी हैं उनको देखते हुये यह महसूस होता है कि इस

[श्री प्रभुनारायण सिंह]

बिल को सिद्धान्त के अन्दर पास नहीं होना चाहिये । मैं महसूस करता हूं कि इस देश में चीजों की कमी है इसलिये चीजों पर कंट्रोल रहना चाहिये । इस सिद्धान्त के रहते हुये भी इस बिल में श्रद्धा होती है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर गौर करेंगे। आज तक जितनी दिक्कतें जनता के सामने आयी है वह दिक्कतें दूर होंगी । हमारे माननीय मंत्री जी ने दो साल की मांग नहीं की बल्कि एक साल की मांग की है । इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । कम से कम उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि उन्होंने एक साल की मांग की । मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि यदि अगले साल इस बिल के एक्सटेन्शन की मांग की तो कम से कम सर्विसेज के अन्दर इसके आधार पर ब्लैकमार्केटिंग तथा नैपोटिज्म को खतम करने के लिये कोशिश करेंगे । नहीं तो आप को कोई हक नहीं होगा उस सूरत में इस बिल को पेश करने का कोई हक इस सरकार को नहीं होगा मैं समझता हूं कि इन सुझावों के साथ जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि बहुत सी चीजों में नाइतफाकी रखते हुये भी मैं इस बिल को पास करने की जरूरत को महसूस करता हूं । जो वितरण की दिक्कत है वह भी दूर हो । इस बिल को पास करने का कोई मतलब है । जब कि गरीबों के मकान चूते रहेंगे और दूसरी तरफ आलीशान बिल्डिंगें खड़ी होती रहेंगी । चाहे लखनऊ हो या चाहे बनारस हो तो मैं समझूंगा कि जनता के लिये नहीं बल्कि अमीर के लिये यह बिल पास किया गया है ।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक अभी हमारे माननीय खाद्य मंत्री ने इस भवन के सामने रक्खा है उसके सम्बन्ध में मुझे जो बातें अभी हमारे मित्र प्रभु नारायण जी ने कही हैं मैं बहुत कुछ उन बातों से सहमत हूं । मुझे खुशी है कि असेम्बली में यह बिल जो कि पहले दो साल के लिये था उसको संशोधन द्वारा माननीय मंत्री ने एक साल के लिये रक्खा यह बात छिपी नहीं है कि जो कंट्रोल कायम हैं उनसे हमारे प्रान्त में जो हालत हो रही है जितना ब्लैकमार्केटिंग बढ़ रहा है या भ्रष्टाचार फैल रहा है उसे सभी जानते हैं । इसलिये यह बात सत्य है कि कन्ट्रोल जहां तक हो सके न लगाये जायं लेकिन जब आवश्यकता होती है तब लगाना ही पड़ता है । कन्ट्रोल लगाने के साथ साथ हमें यह चीज न भूलना चाहिये कि कंट्रोल लगाने से खाद्य वस्तुओं में या रहन-सहन की वस्तुओं के वितरण करने में सुविधा तो अवश्य होती है । मुमकिन है कि कुछ लाख या करोड़ आदमियों के लिये सुविधा पहुंच सके और आप उनको मरने से बचा लें लेकिन जो सब से बड़ी चीज होती है वह राष्ट्र के सामने यह होती है कि भ्रष्टाचार फैलता है और मारेल (moral) गिर जाता है तो इस से राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है । महात्मा गांधी का कहना था कि मैं कंट्रोल लगाना नहीं पसन्द करूंगा चाहे करोड़ों आदमी देश में मर जायं। क्योंकि अगर राष्ट्र कंट्रोल के द्वारा भ्रष्ट हो गया तो उसका बचाव नहीं हो सकता है । बहरहाल यह मान कर कि इस समय कंट्रोल की आवश्यकता है तो भी उसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि हम दो बातों पर ध्यान दें । एक तो यह कि कंट्रोल के द्वारा ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें दूसरे यह चीज कि उसकी उत्पत्ति के लिये भी हमें कुछ न कुछ उपाय करना चाहिये तो मसलन सीमेंट को ले लीजिये । मैं यह जानता हूं कि हमारी गवर्नमेन्ट बहुत सी चीजों के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ऊपर आश्रित रहती है मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राविन्स में ही पैदा की जा सकती हैं । मिर्जापुर में एक सीमेंट फैक्ट्री कायम होने जा रही है और वह बड़ी जागेइन्टिक स्केल (gigantic scale) पर हो रही है । उसके प्लान भी बन गये हैं । लेकिन वह अभी तक चल नहीं पाई है । मैं समझता हूं कि अगर जिलों में ऐसा किया जाये कि छोटी-छोटी फैक्ट्री कायम की जायें और वहां अगर बहुत बड़े पैमाने में नहीं भी हों तो थोड़े-थोड़े पैमाने में ही सही सीमेंट बनाई जाये । तो थोड़ा-थोड़ा करके बहुत हो जायेगा । इसलिये यह जरूरी है कि जहां डिस्ट्रिब्यूशन का ठीक इंतजाम हो वहां पर प्रोडक्शन बढ़ाने का भी इंतजाम होना चाहिये ।

इसके अलावा एक चीज इसमें आयरन ऐन्ड स्टील वगैरह के इम्प्लीमेंट्स के कंट्रोल की है। इस संबंध में जैसा कि श्री प्रभु नारायण जी ने कहा कि शहरों में जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत होती है उनको परमिट मिल जाते हैं और चीजें कंट्रोल से मिल जाती हैं लेकिन देहाती क्षेत्रों में कहीं भी लोगों को ऐसा सुबीता नहीं है। ज्यादातर हमारी जनता देहातों में ही रहती है। उन बेचारों ने दरखास्तें दीं उनकी दरख्वास्तें कंट्रोल आफिस में पड़ी रहती हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं होती और वह लोग भी यह सोच कर कि इसमें इतना पैसा और समय खर्च करने से तो अच्छा खरीद ही लेना है ब्लैक से चीजें खरीद लेते हैं। तो यह समझ कर कि जहां तक देहातों की जरूरियात का सवाल है उनको भी हमें पूरा करना है हमें अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ मैं श्रीमान् की आज्ञा से जहां तक कि कंट्रोल की नीड (need) का ताल्लुक है और जो यह शार्टेज वगैरह हुई है इसके संबंध में जो रेकार्ड है कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी का उसे पढना चाहता हूं। कई बातों में उन्होंने खुद अपनी राय जाहिर की है कई मांगों के संबंध में उन्होंने लिखा है। आयरन और स्टील के संबंध में उन्होंने जो लिखा है उसे मैं श्रीमान् की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :

"We have been told that the various Government Department do not intimate the Provincial Iron and Steel Controller about their requirements well in time which create difficulties in planning the supply of the State On the other hand, the Chief Agricultural Engineer and the Director of Cottage Industries who appeared before us had their own difficulties on the subject. I will recommend . . . ."

याने यह कि यह डिफिकल्टीज वहां एराइज हुईं। इसी तरीके पर यहां उन्होंने लिखा है—

"Some of us during our tour found that in some districts the applications for iron and steel had been lying undisposed of for a considerable period. We have also felt that the consumers, specially those of rural areas, found it quite difficult to get their applications verified by an engineer. . . . . ."

तो इस प्रकार की दुश्वारियां जिन्हें कि कंट्रोल इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट खुद ही साबित करती है। हमारे देहाती क्षेत्रों में पैदा हुई और हो रही हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि सरकार की तरफ से इन चीजों के लिये एक प्रकार का कड़ा नियंत्रण होना चाहिये और केवल अपने अफसरों ही के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिये बल्कि किसी प्रकार की एक ऐसी कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिये कि जिसकी राय पर हम भरोसा कर सकें और उसकी राय हमें मानना पड़े। वह कमेटी देखे कि कंट्रोल का सिस्टम जो हर जिले में है वह कायदे से चल रहा है या नहीं। लोगों को सुविधा पहुंच रही है या नहीं। सरकार चाहती है कि कंट्रोल हो, हम भी चाहते हैं, लेकिन जब तक एफिशिएन्टली (efficiently) और प्रापरली (properly) जनता की जो तकलीफें हैं वह रफा न होंगी तब तक कंट्रोल लगाने का कोई मतलब ही हल न होगा इसलिये मैं इन चन्द बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और जहां तक इस विधेयक का संबंध है मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री इन्द्र सिंह नयाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही दो एक सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। एक तो यह है कि जैसा अभी हमारे माननीय गुरू नारायण ने कहा है कि कुछ कमेटियां ऐसी होनी चाहिये जो कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर के साथ में कार्य करें या स्वाधीनतापूर्वक कार्य करें। इस तरह से कमेटी न्याया पूर्वक वितरण करने में सहायता दे सकती है और

[श्री इन्द्र सिंह नयाल]

माननीय मंत्री के समक्ष भी ऐसी दिक्कत की बातें यदि कोई हो वह भी वक्तन फवक्तन आ सकती हैं। क्योंकि जब तक माननीय मंत्री के सामने वह बातें नहीं आयेंगी तब तक वह नहीं जानेंगे कि किस जिले में किस बात की कमी है कहां वितरण खराब है और कौन उस कमी का जिम्मेदार है। तो इससे पहली बात यह है कि माननीय मंत्री की जानकारी में यह बातें आनी चाहिये कि इसके लिये हर एक जिले में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो कि ऐडवाइजरी कमेटी के नाम से हो। जैसा कि पहले माननीय मंत्री ने बताया कि इस तरह की कमेटियां थीं और उसमें जिला बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। हमारे जिले में भी इस तरह की एक कमेटी थी लेकिन दो साल के बाद वह खत्म हो गयी। इन कमेटियों के बनने से माननीय मंत्री को काफी सहायता मिलेगी। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा कि भ्रष्टाचार है और कई गलतियां हैं तो उसके लिये उन्हें यह सोचना चाहिए कि इसमें किसी हद तक पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा किसी हद तक जो हम पब्लिक में काम करने वाले लोग हैं चाहे कांग्रेसी हों या समाजवादी हों उनकी भी जिम्मेदारी है। मैंने समाजवादी को तो इन गलतियों से फायदा उठाते देखा है और जनता को कांग्रेस के खिलाफ बरगलाते देखा है लेकिन कभी मैंने किसी प्रकार की कोई ऐसी कार्यवाही करते हुये नहीं देखा है जिससे यह कार्य अच्छे ढंग से चल सके। ऐसा कार्य उन्होंने कभी नहीं किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने में या इन चीजों को अच्छी तरह से वितरण करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं दी है। मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि यह चीज एक तरफा नहीं है बल्कि दोतरफा है। पब्लिक में जितने भी सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं उन सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे कार्य करें जिससे ठीक ढंग से इसका वितरण हो। इस चीज को पब्लिक को समझाने के लिये और उसे ठीक करने के लिये उन्हें इसमें सहायता करनी चाहिये और सहयोग भी देना चाहिये। उनको इसे केवल एक ऐसा साधन नहीं समझना चाहिए जिस से उनको सरकार के खिलाफ़ दो-चार बातें कहने का मौका हासिल हो सके। अब इसमें जो एक प्रश्न आता है वह वितरण के बारे में है। बहुधा परमिट वाले सामान निश्चित समय में नहीं ले जा सकते जिससे वह सामान दूकानदार के यहां बच जाता है और उसको दूकानदार चोर बाजार में बेंच देता है। इसी प्रकार के कई तरीके दूकानदारों ने चोर बाजारी के अपना रखे हैं। इस दिशा में मेरा एक सुझाव है, और वह यह है कि हर जिले में जितना माल आता है, जितनी अर्जियां पड़ती हैं, जिस वक्त अर्जियां पड़ती हैं, जिस तारीख को वह अर्जियां पड़ीं, उसके बाद कब माल का वितरण हुआ, किस व्यक्ति को और कितना माल मिलता है और किस तारीख को मिलता है इत्यादि। यदि ये आंकड़े समय समय पर छपवा दें तो इससे पब्लिक को जानकारी रहेगी और जो बहुत सी बातें चोरबाजारी की कही जाती हैं वह कम हो जावेगी यदि वह गलतफ़हमी पर किसी हद तक कही जाती है, तो वह गलतफ़हमी नहीं होने पायेगी। इस तरह से आंकड़े पेश करने से लोगों को जानकारी रहती है कि किसको क्या दिया गया है और उसको किसने इस्तेमाल किया है। इस तरह से यह बात अधिकारियों के ध्यान में लाई जा सकती है। यह बात अधिकारियों के हित में होगी और जो खराबियां हैं वह दूर हो जायगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पर गौर करेंगे।

श्री राम किशोर रस्तोगी—श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक भ्रष्टाचार और बेईमानी का ताल्लुक है, कुछ ऐसी चीज है, जो हमारे देश के नागरिकों और यहां के रहन-सहन के तरीकों से एक मनोवृत्ति सी बन गयी है। उस का दोष केवल आफिसरों पर ही नहीं है। देश की मुख्तलिफ पार्टियों पर ही है वह अपने स्वार्थ के लिये हर तरह का काम करने के लिये तैयार रहती हैं। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो किसी तरह का कदम सरकार उठाती है उसका विरोध करना विभिन्न पार्टियों

का कर्तव्य हो जाता है। मैं आपके सामने जनता की बात लाना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज में जो दो रोज से उत्पात हो रहा है वह चीज अखबारों में भी निकली है। जनता ने इस बात पर सरकारी रवैया को पसन्द किया है क्योंकि जो व्यवहार वहां पर मरीजों के साथ होता था उसमें जनता बहुत परेशान थी। लखनऊ के लोगों ने तो कम से कम आज इस बात को पसन्द किया है।

श्री राजाराम शास्त्री—यह सब किस बिल के सम्बन्ध में आप कह रहे हैं ?

श्री रामकिशोर रस्तोगी—तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि विरोधी पार्टी के लोग जब इस बिल पर बोलते हैं तो उन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार की तरफ ही नहीं देखना चाहिए बल्कि इस बिल के सिद्धांतों को भी देखना चाहिए। उन लोगों को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि इस बिल से किस समुदाय को लाभ होता है। अगर हम यह बिल पास करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे सरमायादारों की आमदनी कम हो जायेगी। यह सही है कि हमारा मजबूत कदम होता और जनता का सहयोग होता और हम इसमें अच्छे तरीके से ऐसे निकम्मे लोगों को जो इसमें करप्शन और बेईमानी पैदा करते हैं या करना चाहते हैं, उनको प्वाइन्ट आउट करें और इस तरह से उसमें सहयोग दें और हम गवर्नमेंट को कहें कि कहां करप्शन होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और इस तरह की चीजें हम सामने लायें जो अच्छी बातें नहीं हैं। हमारे माननीय सदस्य जो कुछ पार्टियों की नुमाइन्दगी करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह बाहर निकल कर देखें कि किस तरह से दूसरी पार्टियां जनता को गुमराह करने के लिये अपने हाथ में पावर लेते हैं। मैं अपने सम्मानित सदस्यों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से यहां बातें प्वाइन्ट आउट की गयी हैं इस बिल के समर्थन में, बिल्कुल वही चीज मैं स्वरान करते हैं। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार और जो दूसरी गलत चीजें होती हैं वह इस बिल के द्वारा नहीं होती हैं बल्कि यह तो जैसा कि उनकी बातों से प्रदर्शित होती हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे बिल का समर्थन जोर से करें ताकि हमारी जनता इससे अधिक से अधिक फायदा उठा सके और मैं यही अर्ज करना चाहता हूं और पूरे जोर के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री पन्नालाल गुप्त—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार की तरफ से जो यह कन्ट्रोल बिल रखा गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। यह जरूरी है कि इस विधेयक के जरिये से जो चीज आज रोजमर्रा के लिये जरूरी हैं, उनका कन्ट्रोल किया जाय। हमारे सामने अभी एक माननीय सदस्य, भाई गुरुनारायण जी ने एक चीज रखी और वह यह कि सामान का आज जो कन्ट्रोल है वह शहर वालों को ज्यादा आसानी से मिल जाती है और देहाती भाइयों को नहीं मिलती, देहात के भाई परेशान हो जाते हैं और वह लौट जाते हैं और कई मर्तबा उनको सामान नहीं मिलता, तो मैं भाई गुरुनारायण जी को यह बता दूं कि आज जो पहले का रवैया था वह बिल्कुल बदल चुका है। आज टाउन, शहरों और कस्बों का जो सामान है वह सप्लाई आफिसर सप्लाई करता है और वहीं उनको परमिट काटता है मगर जहां तक देहात का सवाल है तो वह प्लानिंग कमेटी के हाथ में है। प्लानिंग आफिसर को उसका कोटा अलग से मिलता है, जब गांव सभा के सभापति का उस पर तशरीफ होता है, उन पर मुहर लगती है और वह देहात के लोगों को देते हैं। आज सप्लाई आफिस में कोई भी चीज देहातों के लिये, जैसे गांव वालों के लिये लोहा, सीमेंट वगैरह बिल्कुल प्लानिंग के पास है और प्लानिंग आफिसर ही उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ तो वह कोआपरेटिव सोसाइटी के जरिये से डिस्ट्रीब्यूट करता है और कुछ का परमिट काटता है जिसको देहाती भाई ले जाते हैं। आज सप्लाई आफिसर के पास सिवाय टाउन और शहरों के अलावा और कोई कोटा ही नहीं है जिसको कि वह दे सके इसलिये साफ चीज है कि उसका बिल्कुल अलग विभाजन हो चुका है। देहात वाले प्लानिंग आफिसर के पास जाते हैं और शहर वाले सप्लाई आफिसर के पास जा कर अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। रही कमेटी बनाने की बात, तो मैं बड़े अदब के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय गुजारिश करूंगा कि हमारी सरकार ने

[श्री पन्नालाल गुप्त]

पहले पहल एक लाईसेंसिंग कमेटी बनाई और उस कमेटी के जरिये से सारा काम होता रहा मगर बाद में हम लोगों को जो तजुर्बा हुआ और जो पब्लिक की शिकायतें आयीं उसमें मजबूर हो कर और सारी चीजें देख कर सरकार को यह लाईसेन्सिंग कमेटी तोड़नी पड़ी। अगर आज भी कमेटी बनाई जाय तो मैं समझता हूं कि वही हालत होगी और मैं समझता हूं कि जितने भी एम० एल० एज० और एम० एल सीज० बाहर से आते हैं वे देखेंगे कि पब्लिक को इस तरह से सैटिसफाई नहीं कर सकेंगे और इस तरह से हमारी बदनामी होगी। इसमें ज्यादा अच्छा है कि एक साल का अरसा है और जैसा कि अभी तक काम चलता आया है उसी तरह से काम जारी रहेगा और डी० एस० ओ० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को राइट यह दें कि वह अपना काम चलावें। बाकी कमेटी बनाने की बात उचित नहीं है क्योंकि कमेटी में जब दो-चार आदमी होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डी० एस० ओ० होते हैं और वहां अक्सर गरमागरम बहसें, पार्टीबन्दी का सवाल, और एक-दूसरों को फेवर करना होता है और इस तरह से समय बरबाद होता है और काम कम हो पाता है। ज्यादा अच्छा होता कि जब एक आदमी को कोई काम सुपुर्द किया जाता है तो वह जिम्मेदारी के साथ उसको पूरा करता है और अगर पब्लिक की शिकायत होती है उसको गवर्नमेंट के सामने लाता है और गवर्नमेंट बाकायदा शिकायतों पर गौर करके उनको दूर करने का प्रयत्न करती है और जो कुछ सजेशन वह देते हैं उनके ऊपर विचार करके उनके अनुसार आगे कार्य करती रहती है। इस तरह से इन कमेटियों का बनाना मैं कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं समझता और जो यह कहा जाता है कि यह कमेटियां बननी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा और मन्त्री महोदय इस पर ख्याल रक्खेंगे। अब दो-चार चीजें रह गयी हैं जैसे कि नमक और कपड़ा। कपड़े पर तो आज कन्ट्रोल नहीं है और आज देहात वाले जितना कपड़ा चाहें खरीद लें और शहर वाले जितना चाहें खरीद लें। तो उस तरह से कपड़े में आज कोई परेशानी नहीं है। जहां तक नमक का सवाल है तो वह भी बाजार में बिकता है और इसकी कोई भी शिकायत नहीं है कि आज देहात वालों को सेर भर नमक मिल रहा है और शहर वालों को ५ सेर नमक मिल रहा है। तो इस तरह से अब सिर्फ सीमेंट और लोहा रह गया तो उसके लिये डी० एस० ओ० देहात और शहर का कोटा अलग अलग कर देता है। तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इसके लिये कोई कमेटी बनायें और डी० एस० ओ० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के काम में इस तरह से हम इन्टर फियर करें। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल शकूर नजमी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हाउस के सामने पेश है यह कोई ऐसा उलझा हुआ सवाल नहीं है कि इस पर काफी वादविवाद या बहस हो, यह तो एक बिल्कुल सीधासादा और साफ बिल है। मैं तो इस पर बोलने के लिये सिर्फ इसलिये खड़ा हुआ हूं कि इस बिल को आधार बना कर अपने जिले से सम्बन्धित दो-एक गम्भीर बातें, माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं। इस हाउस में जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस बिल पर जाहिर किये हैं उन सभी ने इस बात को करीब करीब माना है कि इस बिल की आज जरूरत है और इसीलिए यह बिल आवश्यक है। यह दूसरी बात है कि कन्ट्रोल के नाम पर आज जो बटवारा और तकसीम होती है वह उचित तौर पर नहीं हो रही है। लेकिन मौलिक तौर पर बिल जिस मकसद और उद्देश्य की पूर्ति के लिये लाया गया है उस पर किसी भी माननीय सदस्य को कोई भी खास प्रकार का एतराज नहीं है। कुंवर गुरु नारायण साहब तक ने माना है। शब्दों के हेरफेर से कि बिल तो आज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही लाया गया है रही यह बात कि विरोध के लिये विरोध का तो कोई इलाज नहीं है। जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरा इस बिल के बारे में ऐसा मत है कि जब आज मांग अधिक है, पैदावार कम है तो इस प्रकार के बिल तो आना ही चाहिए। लेकिन इसको बहुत ज्यादा महत्व न देकर कि यह बिल बुनियादी तौर पर अपने शब्दों के लिहाज से अच्छा है या नहीं देखना यह चाहिए कि आज जो कन्ट्रोल की वजह से बटवारा होता है वह ठीक होता है या

सकें। [illegible] और खासतौर पर गरीबों को भी उनकी आवश्यकतानुसार चीजें मिल सकी हैं या नहीं। अगर इस बारे में शिकायतें हैं तो हमने उनको दूर करने की क्या क्या कोशिशें की हैं। आज हमको यह भी देखना चाहिए कि कन्ट्रोल की वजह से जो बुराई फैली उसको हम किस हद तक रोक थाम कर सकें। इस बारे में हमको क्या क्या करना चाहिए था। मेरी समझ से यह बातें ऐसी थीं कि हुकूमत ने जो कुछ भी थोड़ा या बहुत किया हो उसको छोड़ कर हर विचार के समूह को जनता के बीच में जा कर कुछ न कुछ करना चाहिए था लेकिन खुद कुछ न करके कुछ ने इसको भी पोलीटिकल स्टेन्ट बना लिया और जनता में काफी असन्तोष पैदा करने की कोशिश की। जरा सी शिकायत हुई उसका रूप कुछ इस प्रकार दे दिया कि लोग [illegible] करने लगे, जुलूस निकाल कर डी० एस० ओ० के दफ्तर के सामने नारे लगाने को ही असल इलाज समझने लगें। मैं इस मौके पर माननीय राजाराम जी शास्त्री से अर्ज करना चाहता हूं चूंकि उनका हमारे जिले से भी खास सम्बन्ध है कि वह खुद ही सोचें कि इस प्रकार की अहिंसात्मक रचनात्मक नुक्ते निगाह से कहां तक ठीक है। इनसे तो मामूली तौर पर जो रोजमर्रा के काम होते हैं वह भी नहीं हो पाते हैं। हां, यह ठीक है कि लोगों को तकलीफ होती है। जरूरत और शिकायत भी होती है लेकिन इसको दूर करने का रास्ता केवल बुरा भला कहना ही तो नहीं है। इन बुराइयों को तो मुश्तरका तौर पर सब मिल जुल कर ही काफी दूर तक हल कर सकते हैं। खैर यह बातें तो मैंने भूमिका के तौर पर अर्ज कर दी हैं। मुझे खासतौर पर माननीय गुप्ता जी से यह अर्ज करना है कि हमारे जिले में डी० सी० डी० एफ० के पास मुख्तलिफ प्रकार का माल कोई लगभग ७२ या ७३ हजार रुपये का काफी दिनों से पड़ा हुआ है। जब वह निकला नहीं तो अब उसको निकालने के लिये हो यह रहा है कि अगर किसी को एक बोरी सीमेंट की मरम्मत के लिये जरूरत है तो उसको एक रुपये का दूसरा सामान लेना होगा। मलेरिया की गोली ही लेनी होगी चाहे उसके यहां कोई बीमार हो या न हो, दवा जरूर लेनी पड़ेगी। अगर वह १ रुपया फालतू मद में नहीं खर्च करता तो उसको सीमेंट नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर टिन लेना है तो लोहे का सामान लेना होगा, अगर लोहे की जरूरत है तो जरूरत न होते हुए भी टिन या दूसरा सामान लेना ही पड़ेगा। चूंकि लोगों के दिमाग पर यह छाप है कि चूंकि माल पुराना हो गया है इसलिये जबरदस्ती निकालने की कोशिश है इसका जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इधर एक तमाशा यह भी किया गया है कि प्राइवेट ईन्टों के भट्टे वालों की रसीदों पर यह सीमेंट न देकर डी० सी० डी० एफ० के भट्टे की ईंटों की रसीदों पर ही मिलता है और इस प्रकार ईंटें खराब भी लेनी पड़ती हैं। इससे तो सरकार प्राइवेट भट्टे वालों को कोयला देना ही बन्द कर दे तो अच्छा है. वह बेचारे रुपया लगा कर भी तबाह क्यों हों।

मेरी दरख्वास्त है कि सरकार ऐसी बातों की सख्ती के साथ निगरानी करे, जिम्मेदार लोगों को सही कदम उठाने की हिदायतें करे। आखिर में यह अर्ज कर दूं कि कन्ट्रोल के इस १९५२ के अमेंडमेंट बिल का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री राजा राम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है वह काफी महत्वपूर्ण है मुझे इस बात का अफसोस हुआ है कि इस मसले पर जो बहस करते हैं या जो बहस की जाती है उसका उद्देश्य केवल यह नहीं है जैसा कि अक्सर सरकारी पक्ष के लोग कह दिया करते हैं कि साहब राजनैतिक पार्टियों का विरोध करना तो पेशा ही हो गया है इस लिये हर मामले पर विरोध करते हैं अफसोस यह है कि बाज दफा ऐसे आक्षेप किये जाते हैं कि हमारे दिल पर भी यह असर पड़ने लगता है कि सरकारी पक्ष के मेम्बरों की आदत हो गई है कि जब तक वह सरकार की जी हुजूरी न कर लें उनका खाना ही नहीं हजम होता है। तो अगर इस तरीके से यह बहस की जायगी तो न तो आप आक्षेप करने से पीछे हटेंगे न हम। अगर पब्लिक को राहत नहीं मिलती है, तो पब्लिक के नुमाइन्दे होने के नाते हमारा यह फर्ज

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राजाराम शास्त्री]

हो जाता है हम इस चीज को मिनिस्टर साहब के सामने पेश करें। जब कोई पब्लिक की शिकायत का मौका आता है तो कोई खास फर्क इधर या उधर के लोगों में नहीं होता है। जैसा कि इटावा के बारे में अभी उन्होंने बतलाया कि मांग कुछ की जाती है और दिया कुछ और जाता है। अगर पब्लिक को कोई शिकायत नहीं है तो फिर यह चीज उसे बुरी क्यों लगती है। जब कोई डाक्टर किसी मरीज को दवा देता है, तो मरीज उस डाक्टर की पहिचान आया कि वह अच्छा है या खराब, उसकी दवा से ही करता है। डाक्टर तो यह समझकर कि रोग इस दवा से ठीक हो जायगा, दवा देता है, लेकिन मरीज तो दवा का अन्दाजा दवा के नुकसान और फायदे से ही लगाता है। जहां तक कन्ट्रोल की व्यवस्था का ताल्लुक है, हम उसके पक्ष में हैं। जब किसी चीज की कमी है और उसकी मांग ज्यादा है तो यह आवश्यक है कि कन्ट्रोल किया जाय। लेकिन कन्ट्रोल के साथ ही साथ उसका सही वितरण भी किया जाय। क्या आप सच्चाई से महसूस करते हैं कि जनता कन्ट्रोल से संतुष्ट है? यहां आप भले ही कह दें कि जनता संतुष्ट है, लेकिन बाहर तो आप कदापि ऐसा न कहेंगे। अगर कन्ट्रोल अच्छी चीज है तो आखिर जनता उससे संतुष्ट क्यों नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर लोगों को तकलीफ होती है तो, राजसंकट के नाम पर लोग तकलीफ उठा सकते हैं, लोगों को जितनी तकलीफें हैं, उनसे भी ज्यादा तकलीफें हों, तो भी वे उसे बरदाश्त कर सकते हैं, लेकिन यह उसी समय, जब कि लोगों को मालूम हो जाय कि मुशीबत का बटवारा बराबर है। तकलीफ तो तब होती है जबकि किसी आदमी को उसकी टूटी हुई झोपड़ी की मरम्मत के लिये थोड़ी सी सीमेंट भी न मिले और उसके बराबर ही एक बड़ी आलीशान कोठी तैयार हो रही हो। जब वह यह देखता है तो उसे तकलीफ होती है। साथ ही साथ यह कहा जाता है कि देश राज संकट से गुजर रहा है। जो चीजें जिनके पास पहिले से मुहैया हैं उनको पहिले दी जा रही हैं और जिनके पास नहीं है उनको नहीं दी जाती। जब पब्लिक कन्ट्रोल के खिलाफ आवाज उठाती है तो हमको अफसोस होता है कि एक अच्छी चीज को भी इस सरकार बहादुर ने खराब कर दिया। आप काम इस ढंग से करते हैं कि जो पीछे बुरा मालूम होने लगता है। कन्ट्रोल सही ढंग से लगाया जाय तो आप जनता की रक्षा कर सकते हैं। आज आप बिल्कुल सच्चाई से, गम्भीरतापूर्वक, सोचिए कि पब्लिक को राहत मिली है या सचमुच चोरबाजारी बढ़ी है? आप स्वीकार करगे कि वास्तव में कमी है। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि चोर बाजारी बढ़ती ही जा रही है, तो यह जनता का मसला है। जनता चोर बाजारी करती क्यों है? लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सोचिए, आज हमारे घर में नितान्त आवश्यकता किसी चीज की है और उसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो उसका मिलना आवश्यक है। हम देखते हैं कि आप किसी दफ्तर के अन्दर जाइए। आज व्यवस्था ऐसी है, तर्ज तरीका ऐसा है कि हमारे घर में किसी चीज की आवश्यकता है, तो हर आदमी सोचता है कि हमें अपनी मुसीवत दूर करना है, तो वह बढ़ी हुई कीमत भी देगा। तो आप जनता को यह कहते हैं कि मर जाते लेकिन अधिक पैसा देकर क्यों चीज लाये? इसकी जिम्मेदारी इन्सान पर भी होती है और सरकार पर भी होती है। सरकार को ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे खामखाह कठिनाई हो। आज आप छोटे–छोटे दूकानदारों से बात कीजिए या किसी आम पब्लिक से बात कीजिए। आज अधिकांश आदमी यह महसूस करते हैं कि ईमानदारी से काम करके कोई समाज में दो दिन भी टिक नहीं सकता है। आज ४२० का जमाना है। आज आप में हिम्मत है और नीचे से ऊपर तक आप इन्फ्लूयन्स कर सकते हैं तो आप कुशल कारीगर कहलायेंगे और यदि आप में ईमानदारी है और आप सच्चाई से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आप नहीं टिक सकते हैं। यह आज समाज की दशा हमने और आपने बना ली है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इन चीजों की क्या वजह है? हम दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखते हैं कि कन्ट्रोल के हथियार को लेकर उन्होंने किस तरह जनता की रक्षा की। हमें अफसोस होता है कि हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं होता है। हमारी सरकार दृढ़ता से काम करे, तो कोई वजह नहीं है कि दूसरे मुल्कों के लोग कन्ट्रोल के शस्त्र को लकर जनता की रक्षा कर सकते

हैं, तो हमारी सरकार क्यों नहीं कर सकती है ? मैं जानता हूं कि अभी सवाल पूछ दिया जाय कि कितने चोर बाजारुओं को सजा दी गयी है, तो उपाध्यक्ष महोदय, हजारों के नाम मन्त्री महोदय सुना देंगे, लेकिन तफसील से पूछिए तो यह मालूम होगा कि कोई कहीं से आटा लेते हुए आ रहा था, उसको सजा दी गयी है, लेकिन भारी भारी लोग ऐसे हैं जो हम जैसे लोगों को अपने घर बुलाकर काम ले सकते हैं। मैं कानपुर में रहता हूं। एक–दो, नहीं, बड़े–बड़े भारी मिल मालिक, गिरफ्तार किये गये। उस समय सारे शहर में धूम मच जाती है। लोग एतराज करते हैं कि सरकार छोटे छोटे लोगों को पकड़ती है, बड़े–बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ती है ? ६ महीने तक न कोई मुकदमा चलता है न कोई चीज होती है। जैसे कोई चीज हवा में उड़ जाय, उस तरह से वह उड़ जाती है। कानपुर में बड़े–बड़े मिल मालिक गिरफ्तार हुए, जरा सरकार बतलाए कि कितनों को सजा हुई। कितने कानपुर के बड़े-बड़े मिल मालिकों को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया। सरकार छोटे लोगों पर मुकदमा चलाती है। आज लोग महसूस करते हैं कि चोर बाजारुओं को सजा देने वाला कोई नहीं है और सच मानिए उसका असर यह पड़ता है कि हम और आप जब लड़ते हैं, एलेक्शन बाजी करते हैं, तो इन्हीं चोर बाजारियों के यहां पर जा कर ठहरते हैं, उन्हीं के यहां दावतें खाते हैं, उन्हीं के यहां पर नाते रिश्तेदारियां करते हैं। क्या मुंह लेकर हम चोर बाजारियों को सजा करा सकते हैं ? हममें यह साहस नहीं है कि हम उनके यहां जाकर न ठहरें और उनसे एलेक्शन के लिये रुपया न लें। हम और आप सब जानते हैं कि आजकल राजनीति का काम कैसे होता है ? अभी जब कानपुर में चोर बाजारी का काम बड़े जोर से होता था और रिश्वतें खुले आम ली जाती थीं, तो जनता ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सरकार में तो साहस ही नहीं है कि वह इनको रोक सके या गिरफ्तार कर सके। व्यापारियों ने बहुत कोशिश की और केन्द्रीय सरकार के एक अफसर ने जा करके एक व्यक्ति को मय दस हजार के नोटों के पकड़ा। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? कहा यह गया कि, ऐसे आदमी पर जनहित के कारण अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा। डिपार्टमेंटल ऐक्शन लिया जायगा। दस हजार के नोटों के साथ कोई आदमी पकड़ा जाता है और जनहित के कारण उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। तो मालूम नहीं होता है कि उस पर अदालत में मुकदमा चलाने से जनहित को क्या धक्का पहुंचता। अगर उस पर मुकदमा चलाया जाता तो बहुत सी बातें सामने आतीं ? उसमें जनता का कौन सा नुकसान होता ? यह तर्ज और तरीका आपका है, जिनकी वजह से यह चीजें होती हैं। साथ ही साथ हमें यह भी ख्याल होता है, कन्ट्रोल कमेटी बैठी थी, मैं भी उसका मेम्बर था, जब कोई मसला वैसा पेश होता था कि फलां चीज किस तरह से है, तो वह कहते हैं कि यह केन्द्रीय सरकार के पास है। कहते हैं कि हमारे पास फलां चीज है। वितरण तो करना चाहती है सरकार, लेकिन उसका उत्पादन जनता के हाथ में है। चाहे कोई भी सरकार हो अगर वह कन्ट्रोल करना चाहती है तो उसको उत्पादन पर कन्ट्रोल करना पड़ेगा। जब तक उत्पादन का कन्ट्रोल सरकार अपने हाथ में नहीं लेती है, तब तक वितरण ठीक नहीं हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा इतना उत्पादन है और तभी आप उसका वितरण ठीक कर सकेंगे। अगर हम कहेंगे कि आप उत्पादन पर कन्ट्रोल करिये तो आप कहेंगे कि यह समाजवाद का सवाल है। मैं कहता हूं कि जब तक आप उत्पादन पर कन्ट्रोल नहीं करते हैं, तब तक आप वितरण पर कन्ट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। यह समाजवाद का सवाल नहीं है। सरकार को धीरे–धीरे इस बात पर आना ही पड़ेगा। आप यकीन मानिए कि बड़े–बड़े शहरों में यह बात खुले आम कही जाती है कि कन्ट्रोल ठीक नहीं है। पब्लिक के करीब करीब हर तबके के आदमी बुला करके हमने गवाही ली और अच्छा होता अगर हमारी कन्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी के साथ हमारे माननीय मन्त्री जी भी होते , वह खुद अपनी आंखों से देखते कि वास्तव में हाल क्या है ? आपको मालूम होता कि वास्तव में नीचे नीचे किस प्रकार की कार्यवाही हो रही है। अगर किसी चीज की कानपुर में जरूरत है तो उसे गोरखपुर भेज दिया जाता है और जिस चीज की गोरखपुर में जरूरत है उसे कानपुर रवाना कर दिया जाता है। और इस तरह से कहीं भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, और एक अराजकता सी नजर आती है। हमने कमेटी के जरिये

[श्री राजा राम शास्त्री]

जितना सुधार संभव था किया। हमारी कमेटी का दायरा सीमित था उसके अन्दर जितना संशोधन हम कर सकते थे, हमने किया। ऐसा मत करिये कि जैसी कि सरकार की आदत है कि किसी चीज पर असन्तोष बढ़ा तो आपने एक कमेटी बैठा दी। लोगों में विश्वास हो गया कि कमीशन आ रहा है और फिर कमेटी या कमीशन ने महीनों और सालों घूमने के बाद अपनी रिपोर्ट दी तो हुकूमत सोचने लगी कि हमारे पास तो पैसे की कमी है, इसकी वजह से, हम इस सिफारिश को नहीं मान सकते हैं, उसको नहीं मान सकते। मेरा ख्याल है कि कन्ट्रोल कमेटी ने जो सुझाव पेश किये हैं उन पर सरकार को अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी मुसीबत है कि अगर कन्ट्रोल किया जाय तो जान जाती है, और अगर डिकन्ट्रोल किया जाय तो जान चली जाती है, तो क्या किया जाय इस मौके पर हम सरकार का ध्यान जिस बात की ओर दिलाना चाहते हैं वह यह है कि जैसे जब गल्ले का डिकन्ट्रोल किया गया था, उस समय माननीय मन्त्री जी ने कहा था तो देखो हम गल्ले का डिकन्ट्रोल तो करते हैं लेकिन अगर किसी तरीके से चीजों का भाव बढ़ा, तो हम बड़ी सख्त कार्रवाई करेंगे, मकानों की तलाशी लेंगे, जेलखानों में बन्द कर देंगे, बड़ी सख्त कार्यवाही होगी और जब इतने दिनों के बाद चीजों के भाव बढ़ने शुरू हुए तो माननीय मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। गवर्नमेंट ने ताकत अपने हाथ में ले ली है। अगर जल्दी ही सुधार न हुआ तो बड़ा सख्त कदम उठाया जायगा। यह जो हमारा सख्त कदम उठाया जाने वाला है, वह जाने कब उठेगा, यह जानने की जनता बड़ी ख्वाहिशमन्द है। जब से सरकार आई है, कुर्सी पर, तबसे बराबर वह बन्दर घुड़की दे रही है कि अबकी किया तो किया, अब की बार किया तो बड़ी सख्त कार्यवाही की जायेगी। मैं समझता हूं कि सरकर का यह रोज का काम है कि जनता को धमकी से ही संतुष्ट हो जाती है और चोरबाजारी करने वाले अपना काम करते रहते हैं। मैं जानता हूं कि वह जमाना जब आप मन्त्री नहीं थे, सिर्फ कांग्रेस के लीडर थे, और आप स्पीचें दिया करते थे कि मैं चेतावनी देता हूं कि सरकार बहादुर को कि तुमने ऐसा नहीं किया तो यह किया जायगा, वह किया जायगा, अब नहीं है। अब हुजूरवाला, हुकूमत आपके हाथ में है। आप सख्त कार्यवाही करना शुरू कीजिए ताकि आपका कानून अच्छी तरह पर और सच्चे मानों में जनता पर लागू हो सके।

हां, एक बात की तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि आपने प्राईस कन्ट्रोल किया, आप देखेंगे कि आपके जो भूमिधर भाई हैं वह चिल्लाते हैं। इसी तरह से हमारे यहां तेल के व्यापार की व्यवस्था है। हमारे यहां का तेल ज्यादातर बंगाल की तरफ जाता है। यह बात ठीक है कि सारा देश हमारा है और ऐसा कहने में जरा बुरा भी लगेगा। कि यह चीज हमारे प्रदेश से बाहर नहीं जानी चाहिए जब तक कि यहां की हालत अच्छी न हो। हम यह नहीं चाहते हैं कि जिस जगह किसी चीज की जरूरत है, हम वह उनको न दें। लेकिन इतना भी जरूर देखना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि अपने सूबे का व्यवसाय तो नष्ट हो जाय और चीजें दूसरी जगह चली जायं। हां, यदि हमारे यहां चीजें ज्यादा हैं, तो दूसरों के यहां जरूर जानी चाहिए, लेकिन यह बुरी बात है कि हमारी चीजें बाहर चली जायं और हमारा व्यवसाय नष्ट हो जाय।

इसी तरह से हमारे सूबे में एक प्लानिंग होनी चाहिए कि खेती का काम कितने करते हैं शक्कर का काम कितने करते हैं, गुड़ का काम कितने करते हैं। इसमें अक्सर क्या होता है कि सरकार के सामने एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जैसी की आज आ गई है। उस वक्त वह कोशिश करते हैं और चन्द समय के लिये वह बला टल जाती है और वह दूर हो जाती है। इसका कारण यह है कि आज हमारे सूबे में भुखमरी हो रही है। उसका कारण ही यह है कि हमारे यहां के काश्तकारों ने कैश क्राप ज्यादा पैदा करनी शुरू कर दी क्योंकि जिन चीजों के ज्यादा दाम मिलेंगे वही पैदा की जायगी। इसके लिये आपका प्लानिंग होना चाहिए कि कितने में गे बोना चाहिए, कितने में चना बोना चाहिए और कितने में गन्ना बोना चाहिए। आपकी ऐसी

योजनायें हमारे सूबे में होनी चाहिए जिससे ऐसी चीजों की तरफ काम हो। मसलन हमारे यहां कितनी जमीन है और किस चीज की कितनी आवश्यकता है तथा किस चीज की कितनी पैदावार करनी है। इस तरीके से बाकायदा योजना बना कर आप किसी ओर बढ़ेंगे तो तभी हमारा ख्याल है कि आप आगे बढ़ पायेंगे, नहीं तो नहीं।

एक बात हम यह नही समझ पा रहे हैं कि क्या सरकार कन्ट्रोल के बारे में यह जरूरी है कि उसके बीच में एक और ही बात खड़ी कर दी जाय। इस बात का कारण हम नहीं समझ पाये। हमारे ख्याल से वह बहस इसके बाहर हो रही थी। जिन चीजों पर सरकार कन्ट्रोल कर रही है वह ठीक है या नहीं, वह तो दूसरी बात है, लेकिन बीच में न मालूम कहां से मेडिकल कालेज आ गया, हमारी समझ में यह बात नहीं आई। किस बात पर बहस हो रही है और कहां से मेडीकल कालेज आ गया। अगर किसी माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कोई बात कहनी थी तो वह पब्लिक बयान दे सकता था। लेकिन समाजवादियों के सिर पर ऐसी बात मढ़ना कि समाजवादी इसको कर रहे हैं, ठीक नहीं है। आज समाजवादियों का डर आपके अन्दर इस तरह क्यों घुसा गया है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी पार्टी कभी इस बात की समर्थक नहीं है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि यदि किसी डाक्टर ने कोई गलत काम किया है तो उसको दन्ड न दिया जाय। लेकिन यह कहना कि इस तरह का जो प्रदर्शन हो रहा है, वह समाजवादियों ने किया है, यह गलत बात है। हम तो हमेशा यह करते हैं कि जो गलत चीज होती है, उसे सरकार की जानकारी में लाते हैं? हमको तो हमेशा इस बात की शिकायत रहती है कि जहां पर इस तरह का कसूर होता है वहां पर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है और कभी उसने कदम उठाया भी तो, बाद में पीछे हट जाती है। इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह दृढ़ता से काम कर सके। अगर सरकार कहीं भी दृढ़ता से कदम उठाये तो हम उसके साथ हैं। यदि जनता की शिकायत मिलती है, तो सरकार उसके खिलाफ कदम उठाती है, लेकिन यदि दूसरों के खिलाफ शिकायत आती है, तो कोई कदम नहीं उठा सकती। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि आप जरा गवर्नमेंट के अस्पतालों में जाइए और देखिए कि किस तरह से जनता के साथ बर्ताव होता है। लेकिन न जाने कितना जमाना हो गया, इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। यह एक खास मसला आपके सामने आ गया, इसलिये इस पर ऐसी कार्यवाही हो रही है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई काम सरकार करती है, जो जनहित के लिये होता है तो ऐसे समय हम या हमारी पार्टी सरकार के खिलाफ नहीं जाती है बल्कि वह सरकार के हाथ मजबूत करने के लिये तैयार रहती है। यह जरूरी नहीं है कि सरकार किसी भी मसले को ले, तो हम उसका विरोध करें। मैं माननीय मन्त्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि यह जो मसला उन्होंने मेडिकल कालेज के बारे में उठाया है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं कि यह जो बिल आपने यहां पर पेश किया है उससे हमें कोई एतराज नहीं है। हम और हमारी पार्टी तो उन बातों पर एतराज नहीं करती है जब आप कोई गलत तरीके से चलते हैं, आपने जो यह कन्ट्रोल के बारे में तरीका अख्तियार किया है, मैं यह नहीं कहता कि वह बिल्कुल गलत ही है। हम यह मानते हैं कि आपके कुछ काम ठीक भी हैं और आपने जनता की बहुत सी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश भी की है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी मानना पड़ेगा कि आपकी व्यवस्था में कुछ खराबियां भी हैं, जिससे जनता असंतुष्ट है। हमारा फर्ज है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आपका भी फर्ज है कि आप भी अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जब महात्मा गांधी जी ने यह आवाज उठायी थी कि कन्ट्रोल नहीं होना चाहिए उस समय हमारे माननीय मन्त्री जी ने हिम्मत के साथ यह आवाज उठायी कि कन्ट्रोल हमारे देश के लिये हितकर होगा। उस समय कन्ट्रोल के लिये ही ठीक परिस्थिति थी। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि एक दम भाव बढ़ जाये और सारी जनता त्राही त्राही करने लगे और हम मिनिस्टर साहब के पास आ करके कहें कि साहब हम तो बहुत परेशान हैं, गेहूं १ सेर का हो गया है। उस वक्त मिनिस्टर साहब कहेंगे कि देखा, हम पहले ही कह रहे थे कि कन्ट्रोल न हटाया जाय। तो

[श्री राजा राम शास्त्री]

यह सरकार कभी कन्ट्रोल करती है और कभी डिकन्ट्रोल करती है। यह बिल्ली और चूहे की तरह खेल न खेले, जिस तरह से बिल्ली कभी चूहे को पकड़ती है और कभी छोड़ देती है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को समय देखकर चलना चाहिए। हम यहां पर जो बातें करते हैं, वह इस नियत से नहीं करते हैं, कि हम को आपसे वोट लेना है यहां पर वोट लेने का कोई सवाल ही नहीं है। सुबह से शाम तक जो बातें यहां पर कही जाती है और सरकार को बधाई दी जाती है, तो इससे यहां पर कोई वोट का सम्बन्ध तो नहीं है। हमारा कर्तव्य यह है कि जो चीज हम खराब देखते हैं उसकी ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाते हैं, ताकि सरकार उन बातों को सुधारने की कोशिश करे। इन शब्दों के साथ यह बिल जो पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार--महोदय, इस सदन के साथ और अपने साथ अन्याय होगा अगर मैं यह न कहूं कि इस विधेयक से मुझे खेद है और प्रसन्नता तो कतई हुई ही नहीं है। मैं यह मानता हूं, चाहे मैं कितना ही कमजोर क्यों न होऊं, अकेला भी क्यों न होऊं, कन्ट्रोल से देश का नाश ही होता है। हो सकता है कि आज यह बात कड़वी मालूम हो किन्तु मेरे अन्दर से मुझे कोई कह रहा है कि यह बात कहनी चाहिए। समाजवादी लोग कन्ट्रोल के पक्ष में हैं अ र कंट्रोल की व्यवस्था को मानते हैं मैं शुरू से यह बात कहता आया हूं कि जब जनता और सरकार की बात आये तो ऐसी ताकत सरकार को देना जिससे जनता कमजोर हो तो यह नाश के लक्षण हैं और मैं मानता हूं कि सरकार को यह ताकत देकर के जनता कमजोर हो रही है। पुलिस और फौज के द्वारा किसी नियम को चला करके जनता कमजोर होती है। अगर यह कन्ट्रोल जनता अपने आप अपने ऊपर लगाती और पुलिस और फौज से काम लेकर जनता से यह नियम मनवाया न जाता तब मुझे प्रसन्नता होती और मैं समझता कि इस बात से जनता को ताकत आई है किन्तु यह ऐसी बात नहीं है। आपने नासिक कांग्रेस अधिवेशन में हुई बहस अखबारों में पढ़ी होगी। आमतौर पर दो राय है एक तो कन्ट्रोल के पक्ष में है और एक कन्ट्रोल का विरोध करती है। इलेक्शन मैनीफेस्टो में कांग्रेस ने इस बात को माना कि कन्ट्रोल अवश्य ही एक बुराई है और जितनी जल्दी हम उसको हटा सकें उतना ही अच्छा है। कितनी ही बार बड़े-बड़े नेताओं ने यह बात कही कि हम कन्ट्रोल को जितनी जल्दी हटा सकें, उतना ही अच्छा है। मैं मानता हूं कि यह हो सकता है और यह बिलकुल सही बात होगी। मुझे सरकार की नियत पर किसी प्रकार भी कोई शक नहीं है और मैं यह मानता हूं कि वह जो कुछ भी कर रही है, जनता के हित के लिये ही और जनता के हित को ही ध्यान में रख कर काम कर रही है। परन्तु कितनी ही बार हम अपने बच्चों को फायदे के लिये ही ऐसी कड़वी दवा देते हैं जिससे कि हम सोचते हैं कि इससे फायदा अवश्य होगा और उससे नुक्सान हो जाता है। तो मेरा इसमें मतभेद है मैं मानता हूं कि यह दवा जो हमें दी गई है वह कड़वी तो है ही और उससे नुक्सान भी है। जब गांव के लोग शिकायतों को लिये हुए आते हैं तब मैं खिजा हूं और मैंने बारम्बार कहा है कि अगर मेरे मरने के बाद भी कन्ट्रोल हट जाय तो मेरा मरना सस्ता ही होगा महंगा नहीं। न जाने कितने आदमी इस बात को कितनी तीव्रता से मानते हैं, दिल से मानते हैं कि कन्ट्रोल के बावजूद महंगाई बढ़ती जा रही है ऐसा मैं मानता हूं और इसलिये बहुत सोच-विचार के बाद मैंने यह समझा कि मैं यह बात कह दूं। मैं आज यह मानता हूं कि जिस तरह से यह चीज चल रही है उसमें सरकार की नीति डिकन्ट्रोल की तरफ है जो अन्त में शेड्यूल दिया है उसमें पहले सीमेंट है और आखीर में स्टील है और सीमेंट और स्टील के अलावा जितनी भी चीजें हैं प्रैक्टिकली उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं रहा है। जैसा कि मैं मानता हूं कि सीमेंट और स्टील पर कन्ट्रोल होने की बात है वह तो मैं भी समझता हूं किन्तु और सारी चीजों के अन्दर मैं उसूलन यह चाहता था कि अपना विरोध बता दूं, चाहे आज के व्यवहार में यह विधेयक कितना अच्छा क्यों न हो किन्तु चूंकि यह कन्ट्रोल की तरफ हमको ले जाता है। इसलिये वह जनता की शक्ति को कमजोर करता है।

हो सकता है कि कितनी ही बार पुलिस और फ़ौज को बढ़ाना पड़ता है और उसकी ताकत प्रयोग में लानी पड़ती है और कभी कभी वह तरीका जरूरी होता है और हो सकता है कि कितने ही उसूलों को अन्य लोग मानते हों कि वह कन्ट्रोल ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि यह कन्ट्रोल बुरा है। आज की हालत हमारी ऐसी हो सकती है कि हमें कन्ट्रोल की आवश्यकता पड़े, तो ऐसे समय में इसका प्रयोग करना भी अनुचित नहीं है अगर आज इसकी आवश्यकता इतनी अधिक प्रतीत होती हो तो यह मन्जूर कर लिया जाय और इसको इस समय प्रयोग में लाया जाय किन्तु आगे से इस बात का ध्यान अवश्य रक्खा जाय कि वह आइन्दः दोहराया न जा सके।

खाद्य तथा रसद मन्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक पर और इस विधेयक के सिद्धांतों पर इस भवन में अधिक मतभेद नहीं है। जिन साथियों ने इस विधेयक पर बोला, सिवाय एक के, और सब ने सिद्धांततः इस विधेयक का स्वागत किया है, मैं उन सदस्यों को उनके इस कार्य के लिये बधाई दे देता हूं। जितनी बातें इस विधेयक के सम्बन्ध में आलोचना के रूप में कही गयी हैं वे सब वही पुरानी बातें हैं जो समय-समय पर जब जब इस प्रकार का विधेयक इस भवन के सामने लाया गया, कही गयी थीं, दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर समय, उसी बात को दोहरायेंगे और बेमौके इस प्रकार की बातें रक्खेंगे जो कि उचित नहीं है न तो मैंने कभी इस बात का दावा किया है और न आज इस तरह का दावा करता हूं कि हमारे विधेयक के अन्तर्गत जो आज वितरण की योजना चल रही है वह दोषों से रहित है और उसमें कोई दोष नहीं है। हमारी सदैव इस तरह की चेष्टा रहती है कि जितने भी दोष वितरण की योजना में हैं वे दोष हटाये जायें और योजना को इस तरह से कार्यान्वित किया जाय कि जिससे जनता की अधिक से अधिक उन्नति हो और लोगों की तकलीफें अधिक से अधिक रफा हों। इस नीति को मान कर हम, ५-६ साल से कार्य कर रहे हैं और बराबर हमने इस बात का प्रयत्न किया है कि उन दोषों को अपने बीच से दूर करें और इस विधेयक के अन्तर्गत जो दोष प्रचलित रहे हैं वे हटाये जायें यहां समय समय पर जो सुझाव वितरण की योजना के सम्बन्ध में हमारे सामने आये और जो इस भवन में मेम्बरों द्वारा रक्खे गये, हमने उन सुझावों को अपनाने की चेष्टा की और उन पर अमल करने का प्रयत्न किया। सन् १९४६-४७ में जब आरम्भ में हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई तो हमने उसके लिये प्रदेश में एक कमेटी नियुक्त की और उस कमेटी से वितरण के सम्बन्ध में सिफारिशें मांगी और उनके सुझाव मांगे और जो सुझाव उस कमेटी ने हमारे सामने उपस्थित किये, हमने उन सुझावों को मान कर उन पर अमल किया और प्रदेश के जिन क्षेत्रों में यह लागू था, वहां वितरण उनके द्वारा कराया परन्तु उन लाइसेंन्सिग कमेटी में भी बहुत से प्रयत्न करने पर भी उनके बारे में भी शिकायतें आने लगीं तो सरकार ने उन लाइसेंसिंग कमेटियों को भी रद्द करने का कार्य किया। तो वे भी बातें हमने अपने सदस्यों के सुझाव पर ही कीं। तो उसके लिये जो कुछ भी किया गया हमने इस सदन के सदस्यों के सुझावों पर और दूसरे सदन के सदस्यों के सुझावों पर ही किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब-जब हमारे सामने जो-जो सुझाव आये और जिनको हमने मुनासिब समझा उन पर हमने अमल किया और अमल करके अधिक से अधिक समय तक जनता की दिक्कत को दूर करने का प्रयत्न किया। इसके बावजूद आज भी मैं यह कहने को तैयार हूं कि जो कुछ दोष वितरण में मौजूद हैं और जो वास्तविक बात हैं, उन दोषों का निरीणक्ष करके हम उनको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। इन दोषों का निरीक्षण करने के लिये एक कन्ट्रोल इन्क्वाइरी कमेटी बनाई थी और उससे उन सिफारिशों की मांग की गई। परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साथी राजाराम जी जो आज इस तरह का भाषण दे रहे हैं तो इस तरह का भाषण उन्होंने उस कमेटी की सिफारिशों के सम्बन्ध में और उसके लिये कोई कांस्ट्रक्टिव सुझाव क्यों नहीं रक्खा और उस वितरण के सम्बन्ध में उन्होंने उस कमेटी के सामने उसे क्यों नहीं रक्खा जिनके कि वह भी एक माननीय सदस्य थे और जिसके लिये उन्होंने आज यहां भाषण दिया है और उसको कहा है। आखिर उन सिफारिशों के सम्बन्ध में व जानते हैं।

[खाद्य तथा रसद मंत्री]

वह केन्द्रीय सरकार के द्वारा हमको प्राप्त होता है और उनकी मात्रा केन्द्रीय सरकार ही निर्धारित करती है हमको जन संख्या के अनुपात से वस्तुएं नहीं मिलती हैं और न ऐलाट की जाती है। उसका कारण है और वह कारण भुलाया नहीं जा सकता है। यदि कोयला हमको अधिक मात्रा में ऐलाट कर दिया जाता है तो वह हमारे प्रदेश में आ नहीं पाता है अगर स्टील अधिक मात्रा में ऐलाट कर दी जाती है तो वह भी हमारे प्रदेश में नहीं आ पाती है उसका मुख्य कारण यह है कि हमको वैगन्स नहीं मिल पाते हैं और न वैगन्स की मात्रा एक साथ बढ़ायी जा सकती है जितनी मात्रा वैगन्स की हमको मिलती है वह भी हम करीब डेढ़ वर्ष से खाने-पीने की चीजों को इधर से उधर ले जाने में इस्तेमाल कर रहे हैं नतीजा यह होता है कि जो चीजें हमको ऐलाट की जाती हैं वह हम अपने यहां नहीं ला पाते हैं यह सच है कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने हमको अधिक से अधिक सहायता दी है। लेकिन फिर भी जितनी चीज की हमको जरूरत है उसको सामने रखते हुए हमको मानना होगा कि जितने वैगन्स चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं। तो यह जो वितरण की समस्या है वह सिर्फ इस प्रदेश सही सम्बन्धित नहीं है बल्कि इसका सम्बन्ध केन्द्र से भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा नियन्त्रण नहीं है। अगर हमको वैगन अधिक मात्रा में चाहिए वह तो केन्द्र की सरकार के सहयोग से मिल सकते हैं। यदि कोयले की अधिक मात्रा की आवश्यकता है तो वह भी केन्द्र की सरकार से ही मिल सकता है। यदि हमको सीमेंट चाहिये तो वह भी हमको केन्द्र के ही सहयोग से मिल सकता है। सीमेंट हमारे प्रदेश में नहीं पैदा होती है वह तो मैसूर से आती है और डालमिया की फैक्ट्री से मिलती है। वह चीज यहां नहीं पैदा होती है। हमारी यह कोशिश है कि हमारे प्रदेश में सीमेंट बनाई जाय। हम एक कारखाना मिर्जापुर में खोल रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री १ या २ साल में नहीं खुल सकती है क्योंकि उसके लिये कल और कारखाने की जरूरत पड़ती है। विदेशों से कल और कारखाने १ वर्ष में नहीं मिल सकते हैं। आज अगर उनको आर्डर दे दिया जाता है तो वह आर्डर ३ या ४ साल में पूरा हो पाता है। विदेशों में भी आजकल जो अन्य देशों की जरूरत है वह चीज नहीं बना रहे हैं बल्कि वह भी लड़ाई का सामान बना रहे हैं। आज जो हम चाहते हैं कि जल्दी से हो जाय वह हो नहीं पाता है। आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम वस्तुस्थिति और वास्तविकता को सामने रखकर टीका-टिप्पणी करें। आपने चोर बाजारी और भ्रष्टाचार की बातें कर दी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या हमने इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि हमारी जो कमजोरियां हैं और जो कमजोरियां प्रदेश में हैं वह दूर हो और अधिक से अधिक लोगों को पकड़ा नहीं गया है और उन पर जुर्माना नहीं किया गया है। क्या हमने उनको पकड़ने का प्रयत्न नहीं किया है। कानपुर के पूंजीपति का जिक्र किया गया जिसको हमने पकड़ा, क्या हमने उसको छोड़ा यदि उसको हाई कोर्ट में या ट्रिब्यूनल ने छोड़ दिया तो हमारे हाथ के बाहर की बात है। हम हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल को आदेश नहीं दे सकते हैं। यदि हम पर दोषारोपण लगाया जाता है तो हमें यह बताया जाय कि हमने अमुक व्यक्ति को पकड़ा है और उसे छोड़ दिया है। हमें यह बताया जाय कि अमुक व्यक्ति या पूंजीपतियों को हमने छोड़ दिया है। सिनेमा बनने के बारे में कहा गया हमने सन् १९४८ में आर्डर जारी किया कि किसी सिनेमा हाउस के लिये सीमेंट वगैरह बगैर परमिशन के नहीं दिया जायेगा। सन् १९४८ के पूर्व जबकि लोगों को सीमेन्ट, लोहा वगैरह नहीं मिलता था तब लोगों ने सिनेमा हाउसेज बनाये। उस समय न हम लोगों के हाथ में सीमेंट था और न लोहा था। उस समय सीमेंट और लोहे पर कन्ट्रोल भी नहीं था। लोगों ने ज्यादा दाम देकर लोहा और सीमेंट खरीदकर इमारतें बनवायीं। हममें जो खराबियां थीं उनको हमने दूर करने की कोशिश की। आप इन दो वर्षों के अन्दर जो दोष रहे हैं उनको सदन के सामने रखने की चेष्टा करिये। जिन साथियों ने वितरण के सम्बन्ध में टीका-टिप्पणी की उन्होंने यह नहीं बताया कि वितरण किस तरीके से किया जाय। जितना लोहा और सीमेंट तैयार होता है वह सब कमेटीज के जरिये से बांटा जाता है। शहर के अन्दर भी कमेटीज काम कर रही हैं। देहातों के अन्दर भी वितरण कमेटी द्वारा ही किया जाता है। जो सदस्य

इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना चाहते हैं हमें उस जिम्मेदारी को उनके ऊपर डालने में बड़ी खुशी है, लेकिन आप जिम्मेदारी से भागते हैं। दिक्कत तो यह है कि वस्तुओं और पदार्थों की कमी है और उनको एक सीमा के अन्दर बांटना होता है। थोड़े से आदमियों को जो चीज नहीं मिलती हैं वे शिकायत करते हैं। जब आप उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेंगे तो आप भी इन्हीं शिकायतों का शिकार बनेंगे। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार और बेईमानी की बात न करिये। लोगों को यह बताने की चेष्टा न करिये हममें यह दोष है बल्कि दोषों से लड़ने की चष्टा करिये। दोषों को दूर करने के लिये हमें कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना पड़ेगा। हमें अपने चरित्र को सुधारना पड़ेगा। अपनी अपनी जगह पर सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा। सद्गुणों को अपने अन्दर दुर्गुणों की जगह स्थान देना पड़ेगा। तभी हम देश को उन्नतिशील बना सकते हैं और तमाम खरीदार बेचने वाले विचारवान बन सकते हैं। आज आपको इस पर चलना है। आज खरीदार भी बेईमानी करता है, बेचने वाला भी बेईमानी करता है, सरकारी कर्मचारी भी रिश्वत तथा बेईमानी पर चलने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इन वर्षों में भी वैसे ही कर्मचारी हैं। क्या आप १९४५ के जमाने को भूल गये जब बड़े-बड़े कर्मचारियों के बारे में इस तरह के दोषारोपण करते थे जो कि दो-दो हजार तनख्वाह पा रहे थे। आज उनकी जगह पर दो सौ या अढ़ाई सौ रुपया तनख्वाह पा रहे हैं। क्या वे लोग अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। मैं अदब से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप गलत तरीके से पेन्ट करने की कोशिश न कीजिए। आज उसको ऊंचा उठाने के लिये हम सबको प्रयत्न करना होगा। मेरा यह नम्र निवेदन है कि आप भ्रष्टाचार का जिक्र छोड़िये। जनता में ऐसी विचार धारा उत्पन्न कीजिए कि हम सब लोग एक नये समाज की रचना कर सकें। हमारे एक साथी ने कुछ नियन्त्रण का विरोध किया। मेरी नीति रही है और मैं एक समाजवादी हूं। मैं समझता हूं कि नियन्त्रण की हमारे देश में आवश्यकता है। वह लागू हो। उसको हमें चालू करना होगा। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं। यदि उसकी आवश्यकता किसी समय नहीं है। यदि चीज की पैदावार अधिक मात्रा में है तो उसको लागू रखने में मजा नहीं आता है। नियन्त्रण पर एक खास स्तर के लोग चल सकते हैं उसके उठाने में सारी पार्टियों को सहयोग देना होगा। तभी हम नियंत्रिण को समाज में कायम कर सकेंगे। उस सुख को अपने बीच में ला सकेंगे जिसका हम स्वप्न देख रहे हैं। मैं अपने उन साथियों को जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वह इस बिल को स्वीकार करेंगे।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन्१९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टिनुएंश आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खाद्य तथा रसद मन्त्री—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टिनुएंशन आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाये।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने पेश है और जिसके बारे में यह बातें की गयी हैं उसके सम्बन्ध में मुझे केवल इतना कहना है कि माननीय मन्त्री जी ने अभी इस बात को कहा था कि यह कहना कि गवर्नमेंट की तरफ से जब कोई बात आती है और हम लोगों से जब पूछा जाता है कि कोई सुधार बतलाइये तो हम लोग सुधार नहीं बतलाते हैं बल्कि मौलिक बातें कहते हैं। मैं समझता हूं कि यह बात उचित नहीं कही गयी है और इस मामले में मैं कमेटी के मेम्बर होने के नाते से कहता हूं कि कमेटी में हर चीज की सिफारिश की गयी। हमने सिफारिशें पेश की, हाउस में हमने जरूर मौलिक बातें कही हैं। कमेटी जब बैठी थी तो हमने उसमें सिफारिशें पेश की थीं और अब जब कि यह हाउस में पेश है तो हमने उसको सामूहिक रूप में मानकर और यह न मानकर कि फलां सिफारिश आपकी पार्टी की तरफ से हुई थी और फलां सिफारिश हमारी तरफ़ से हुई थी उस पर बहस

[श्री राजाराम शास्त्री]

शुरू की। इसके बाद हमने महसूस किया कि उसके बारे में मौलिक प्रश्नों को भी उठाना चाहिए। मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम एक उसूल को नहीं मानते हैं कि अगर कोई खराबी है तो उसको इसलिये बार बार न कहें कि उससे विदेशीय यह समझेंगे कि यहां सिर्फ खराबी ही खराबी है। कोई अच्छी बात नहीं है जब कोई बात हम कहते हैं तो हमसे यह कहा जाता है कि आप उन बातों का बारबार जिक्र क्यों करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं, लेकिन सरकार भी तो सही बातों को मानने को तैयार नहीं होती। उस पर परदा डालने की कोशिश करती है और उसको छिपाने की कोशिश करती है इसी बात को ले करके कि विदेशीय यह समझेंगे कि यहां बहुत खराबियां हैं, यह बात छिपाई जा रही है कि अकाल के कारण लोग मरे हैं। हमको तो आप कह सकते हैं कि हम समाजवादी हैं और इसलिये कहते हैं, लेकिन गांधी जी के दाहिने हाथ श्री जे० पी० कुमारअप्पा भी तो यही कहते हैं कि अकाल से लोग मरे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हम यह बार बार कहते हैं कि करप्शन है, ब्लैक मार्केटिंग है, लेकिन आप भी तो उनको बार बार छिपाने की कोशिश करते हैं क्या यह मानवता है? आप कहते हैं कि सब बातें बिलकुल सही चल रही है, कोई करप्शन नहीं है कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, सब जगह आपकी जयजयकार हो रही है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जहां गवर्नमेन्ट यह कहती है कि हम बार बार इन बातों को दोहराते हैं कि यह खराबी है वहीं पर आप छिपाते भी तो हैं। आपको खराबियां सुननी पड़ेंगी और उनको दूर करना पड़ेगा। आप कमेटियों में बैठते हैं वहां सदस्यों से पूछा जाता है और सदस्य सिफारिश पेश करते हैं।

लेकिन जब कोई कानून पेश होता है भवन के अन्दर हम उस वक्त अपनी मौलिक बातें सरकार के सामने पेश करते हैं। हर मंत्री यह कहता है कि सुधार पेश कीजिये अरे साहब यहां पर हम खर्रा ले कर खड़े हो जायं कि आप अपनी पालिसी में यह सुधार कीजिये, आप अपने कानून में वह सुधार कीजिये। आप कोई कमेटी बैठाइये उसमें आप हमें सुधार करने को कहिये, उसमें हम अपने सुझाव पेश कर सकते हैं। आपने कंट्रोल कमेटी बैठाई हमने उसमें अपना सहयोग दिया जो आपके सामने है। आप हम से सहयोग मांगिये हम हमेशा सहयोग देने के लिये तैयार हैं। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं कि जो यह समझते हैं कि हम से सरकार से कोई मतलब नहीं है। जितनी हुकूमत को चिन्ता है कि हमारा सूबा तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे उतनी ही हमें भी है। हुकूमत अगर कोई काम करती है और वह हम से सहयोग मांगती है, सोशलिस्ट पार्टी से सहयोग मांगती है तो यह समझते हुए कि आपकी नीति से देश रसातल को जा रहा है देश का सत्यानाश हो रहा है हम आपका साथ देने के लिये तैयार हैं। यह कहना कि आपकी आलोचना से हमें तकलीफ मिलती है जो आप कानून के बारे में करते हैं, ठीक नहीं है। मौलिक बातों को तो पेश किया ही जायगा। यह ठीक है कि हमारे आपके दृष्टिकोण में अन्तर है। आप सोचते हैं कि हमारे पांच वर्ष के राज्य में कहीं रिश्वतखोरी नहीं, कहीं चोरबाजारी नहीं, सब तरफ रामराज्य है। हम को यह मालूम पड़ता है कि सब तरफ अत्याचार और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लोग भूखों मर रहे हैं रिश्वतखोरी बढ़ रही है और गरीब पिसे जा रहे हैं। आप देखिये कि धर्माचार्य जी का क्या कहना है। महात्मा गांधी जी के दाहिने हाथ, श्री कुमारअप्पा, का क्या, कहना है, आचार्य विनोवा भावे क्या कह रहे हैं। आप उनकी बातों को भी मानिये, उनके सुझावों पर भी नजर दौड़ाइये। हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि जो कुछ हुकूमत कह रही है वही सच है वही एक सत्यवादी है और सब झूठे हैं। यह सब प्रचार करने का तरीका नहीं है, उसका क्षेत्र एलेक्शन है। उसमें बहुत जगह पड़ी हुई है और वहीं जनता अपना फैसला कर लेती है कि उसे क्या करना है। अलीगढ़ में अभी जो हुआ आपने देखा और आगे जो होगा वह भी आप देखेंगे। मैं केवल आलोचना ही नहीं करता मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेन्ट ने जो किया ठीक किया लेकिन, उसके बावजूद भी जो सुधार हो सकता है उसका जिक्र होना ही चाहिये। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है और अगर है तो एक ही चारा है कि आप अपना काम करते चलिये और

हम चुप चाप बैठे देखा करें और सुना करें कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जनता की हालत इतनी खराब हो गई है कि वह यह नहीं सोच पाती कि वह किस का सहारा ले। वह निराश होकर सोचती है कि वह किस का सहारा ले क्योंकि जो कांग्रेस के सेवक थे वह अब हाकिम हो गये हैं वह हुकूमत चला रहे हैं और कोई दूसरी पार्टी सामने नहीं है।

नतीजा यह होता है कि जनता निराश होती जा रही है। मेरा विश्वास है कि चाहे बुरा मानें या न मानें अगर आपकी आलोचना न हुई और आप आलोचना सुनने के आदी न हुए तो एक दिन इस देश की निराश जनता हमारा और आपकी खून की प्यासी होगी। आज सवेरे के अखबार में यह खबर छपी हुई थी कि बनारस में किस तरह से एक बेकार आदमी ने अपने २ वर्ष और ३ वर्ष के बच्चों को तथा अपनी औरत और बाद में अपनी गरदन को काट दिया। इसलिये कि वह बेकार था और उसके पास कोई रोजगार नहीं था। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो विधेयक पेश किया गया है म उस के मौलिक सिद्धान्त से समर्थ हूं, लेकिन इससे संतुष्ट होने की आशा नहीं है। इसमें बहुत सी खराबियां हैं उन्हें आपको और हमें मानना पड़ेगा तथा दूर भी करना पड़ेगा अगर उनको दूर करना चाहते हों तो अच्छी तरह से काम किया जाय। इसलिये मैंने सुझाव दिया है कि इस कंट्रोल की व्यवस्था को ठीक चलाने के लिये आप जो भी ठीक काम करेंगे हम आपका साथ देने के लिये तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

खाद्य तथा रसद मन्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत अधिक हो गया है और ५ बजे के बाद मुझे और दूसरी जगह भी जाना है। इसलिये श्री राजाराम शास्त्री के सवालों के उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही जवाब दूंगा कि जो बातें मैंने कही थी उनको शायद उन्होंने इस सदन के सामने ठीक तरह से नहीं रखा। मैंने यह नहीं कहा था कि कंट्रोल की वजह से समाज की जो आज व्यवस्था है उससे मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं। मैंने जरूर यह कहा था कि उत्तरोत्तर हमारे विभाग का प्रयत्न रहा है कि जो खराबियां हैं वह दूर की जायं। उन्होंने जो सुझाव दिया है कि वह आलोचना करके हम में सुधार करना चाहते हैं तो यह मैं मानता हूं कि आलोचना करके भी सुधार होता है, लेकिन बारबार एक चीज का जिक्र करना जो चीज कदाचित् सुधरती रही हो वह अधिक सुधार की ओर नहीं ले जाती। रहा उनका वह खून खराबी का दिन, तो उस समय जहां आपकी जगह होगी वहां हमारी ी जगह होगी।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कांन्टिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) *विधयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्यक्रम

श्री प्रभू नारायण सिंह--कल नानआफिसियल दिन है। परसों का बिजनेस क्या होगा वह आज तय हो जाय तो हम लोगों को सुविधा होगी।

खाद्य तथा रसद मन्त्री--परसों रेन्ट कन्ट्रोल एन्ड एविक्शन बिल लिया जायेगा और यदि फिर समय मिलेगा तो नरूज और मिडवाइफ वाला बिल भी लिया जायेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--यह दोनों बिल रख दिये जायं।

डिप्टी चेयरमैन--अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

---

*बिल के लिये देखिये नत्थी "घ" पृष्ठ ४२२ पर।

(कौंसिल की बैठक ४ बजे दूसरे दिन अर्थात् १८ सितम्बर, १९५२ को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गयी।)

लखनऊ,

१७ सितम्बर सन् १९५२ ई०।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये पृष्ठ संख्या ३६४ पर)

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पोषक अनुदान	छात्र-वृत्ति अनुदान	महँगाई अनुदान	विशेष विवरण यदि आवश्यक हो
		रु०	रु०	रु०	
१	वीमेन ट्रेनिंग कालेज, दयालबाग, आगरा	१५,३५०	...	..	
२	सी० एम० एस० गर्ल्स स्कूल, जेई से सम्बन्धित ट्रेनिंग कक्षा	१,८६०	७५०	१२०	
३	सेन्ट थामस गर्ल्स स्कूल, मेरठ से सम्बन्धित ट्रेनिंग कक्षा	१,६६८,	६००	३००	
४	ए० पी० एम० गर्ल्स स्कूल, देहरादून से सम्बन्धित ट्रेनिंग कक्षा	४,२४८	३,३००	..	
५	एम० ई० मिशन गर्ल्स स्कूल, मथुरा से सम्बन्धित ट्रेनिंग कक्षा	*१,७५२	२,५५०	४०	*सन् १९४९-५० ई० में अत्यधिक अनुदान प्राप्त करने के कारण १०७ रुपय की पूर्ति करने के बाद।
६	किशोरी रमण गर्ल्स इन्टर कालेज, मथुरा स सम्बन्धित ट्रेनिंग कक्षा	३,१००	१,३५०	..	
७	स्त्री सुधार विद्यालय, बरेली से सम्बन्धित विधवाओं की ट्रेनिंग कक्षा	१,९०८	३,०००	२००	
८	मेथाडिस्ट मिशन गर्ल्स स्कूल, मुरादाबाद से सम्बन्धित ट्रेनिंग कक्षा	२,२६८	२,२५०	१८०	

क्रम संख्या	संस्था का नाम	पोषक अनुदान	छात्र-वृत्ति अनुदान	महंगाई अनुदान	विशेष विवरण यदि आवश्यक हो
		रु०	रु०	रु०	
९	मेथाडिस्ट मिशन ऐंग्लो हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल, बदायूं से सम्बन्धित ट्रेनिंग कक्षा	२,१३६	१,०५०	६०	
१०	महिलासेवा सदन, इलाहाबाद से सम्बन्धित ट्रेनिंग कक्षा	*२,४८४ †७६	३,७५०	३६०	*सन् १९४९-५० ई० में अत्यधिक अनुदान प्राप्त करने के कारण ३८४ रुपये की पूर्ति करने के बाद। †पूरक पोषक अनुदान।
११	क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स हायर सेकन्डरी स्कूल, आगरा से सम्बन्धित सी० टी० कक्षा	..	२,१३४	..	
१२	प्रेम विद्यालय, दयाल बाग, आगरा से सम्बन्धित सी० टी० कक्षा	..	५,३२०	..	
	योग	३६,८५०	२६,३४५	१,४६०	

इसके अलावा शिक्षा विभाग से सन् १९४९-५० ई० में महिला व्यायाम शाला, कानपुर को ५०० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया गया था।

नत्थी "क"

(देखिये पृष्ठ संख्या ३६४ पर)

सन् १९५१-५२ ई० में महिलाओं और बालिकाओं में फिजिकल कल्चर का काम करने के लिये कौन्सिल आफ फिजिकल कल्चर ने जो सहायता दी उसका विवरण नीचे दिया हुआ है :—

		रु०
(१)	जिला गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, बहराइच, रायबरेली, लखनऊ, हमीरपुर, इटावा, देहरादून, मथुरा और इलाहाबाद में प्रति जिला ५०० रुपये के दर से वीमेन वेल-फेयर सेन्टरों में फिजिकल कल्चर के कामों के लिये	६,५००
(२)	भारत स्काउट्स एसोसियेशन, इलाहाबाद के गर्ल्स गाइड सेक्शन को बालिकाओं में फिजिकल कल्चर के कामों के लिये	२,०००
(३)	कानपुर में लेवर वेल फेयर सेन्टरों में से एक में महिलाओं और बालिकाओं के लिये एक फिजिकल कल्चर सेन्टर खोलने के लिये	२,०००
(४)	बालकों और बालिकाओं को रेगुलर कोर्सेज द्वारा शारीरिक शिक्षा देने के लिये काशी व्यायामशाला, बनारस को—	१,०००
	योग ..	११,५००

नत्थी 'ख'

(देखिये प्रश्न संख्या २४, पृष्ठ सं० ३७२ पर)

तालिका (क)

उन पाठशालाओं की सूची तथा विद्यार्थियों की संख्या, जिनमें पिछले चार वर्षों में संगीत शिक्षा जारी की गई।

नाम जिला	नाम पाठशाला	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
१—रायबरेली	१—राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय	८	५	११	१४
२—मुजफ्फरनगर	२—डी० ए० बी० इन्टर कालेज	५	५	५	५
	३—ग्रीन चैम्बर्स हायर सेकेन्डरी स्कूल	१५	२०	२५	२५
	४—नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल	१७	२०	२५	३०
३—गाजीपुर	५—एस० एम०एस० हायर सेकेन्डरी फार गर्ल्स			१६२	१८०
४—सीतापुर	६—हिन्दू कन्या पाठशाला माध्यमिक विद्यालय	५०	५५	७०	७४
५—सुल्तानपुर	७—राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	७९	९७	११२	९३
६—अल्मोड़ा	८—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ९—रामजे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	४१	४२	७२	१२१
७—बुलन्दशहर	१०—पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	१५०	१७५	१८६	२०५
८—बाराबंकी	११—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	..	६	४१	३७
९—जालौन	१२—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय १३—डी० ए० वी० इन्टर कालेज १४—आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय १५—छत्रसाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय १६—श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	१६	३६०	४४१	५८९
१०—अलीगढ़	१७—डी० ए० वी० इन्टर कालेज, अलीगढ़	१२५	६३	१२	१३
	१८—एस० एम० वी० हायर सेकेण्डरी स्कूल	५२	७०	८१	८८

नाम जिला	नाम पाठशाला	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२
	१९—महेश्वरी इन्टर कालेज	४१	२७	१६	४
	२०—धर्म समाज हायर सेकेन्डरी स्कूल	३३	६२	४५	६७
	२१—खेर हायर सेकेन्डरी स्कूल	..	१०	१८	१४
	२२—पालीवाल हायर सेकेन्डरी स्कूल	२६७	१८७	११८	१४३
	२३—सरस्वती विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल	७७	३१	१६	३२
	२४—टीकाराम हायर सेकेन्डरी स्कूल	१९७	१९५	२००	३१३
	२५—सेठ हर चरण दास गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल	९७	१४३	१६७	६८
	२६—हीरा लाल बारहसैनी इन्टर कालेज	९३	१३	९	..
११—गोरखपुर	२७—अयोध्या दास राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय	२९०	३००	३२०	३२२
	२८—राजकीय कन्या नार्मल स्कूल	..	१५०	१७०	१८५
१२—बदायूं	२९—राजकीय कन्या नार्मल स्कूल	..	२५२	१९५	३७१
	३०—राजाराम गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल				
	३१—म्युनिसिपल हायर सेकेन्डरी स्कूल				
	३२—क्रिश्चियन हायर सेकेन्डरी स्कूल				
	३३—नोटीफाइड एरिया हायर सेकेन्डरी स्कूल				
१३—प्रतापगढ़	३४—राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	१४	२७	२५	२८
	३५—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पट्टी	..	..	..	२७७
	३६—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	..	..	..	१९
	३७—डी० ए० वी० हायर सेकेन्डरी स्कूल	..	..	..	४६
१४—बस्ती	३८—राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	३२	२७	५०	३५
	३९—गोविन्द राम सक्सेरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय				
१५—बलिया	४०—राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	..	३५	७७	६०

नाम जिला	नाम पाठशाला	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
१६--हरदोई	४१--आर्य कन्या पाठशाला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	४०	१४	१४२	११२
१७--मेरठ	४२--देवनागरी इन्टर कालेज	..	..	२४	३८
	४३--श्री सनातन धर्म हायर सेकेन्डरी स्कूल	५	९	७	६
	४४--सी० एन० हाई स्कूल तथा एग्रीकल्चर कालेज	१०	१६	२५	१९
	४५--रघुनाथ हायर सेकेन्डरी स्कूल	८१	८७	९२	१०२
	४६--इस्माइल नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल	१४	२०	१६	१६
	४७--कन्या वैदिक विद्यालय हायर सेकेन्डरी स्कूल	१००	१००	१००	१२८
	४८--आर्य कन्या पाठशाला इन्टर कालेज	९७	११०	८४	[illegible]
१८--पीलीभीत	४९--राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	...	५३	१३६	१०२
	५०--राजकीय दीक्षा महाविद्यालय	...	...	५०	...
१९--पौड़ी (गढ़वाल)	५१--राजकीय कन्या विद्यालय, पौड़ी	...	...	७५	६७
	५२--राजकीय कन्या विद्यालय	...	...	६८	७६
२०--नैनीताल	५३--राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	७	२२	३५	५३
	५४--गांधी शिल्प निकेतन, नैनीताल	४७	१९	६१	९२
	५५--आर्य कन्या पाठशाला, रामनगर				
२१--आगरा	५६--म्युनिसिपल हायर सेकेन्डरी स्कूल, नयावांस	१४	१६	२५	२९
	५७--डी० ए० वी० हायर सेकेन्डरी स्कूल	१७७	१२७	१३६	८२
	५८--अग्रवाल इन्टर कालेज, आगरा	१२३	९०	८१	८२
	५९--आर० ई० आई० हायर सेकेन्डरी स्कूल	४१३	४१५	४०३	४०५
	६०--बलवन्त राजपूत हायर सेकेन्डरी स्कूल	७५	६१	५९	६१
	६१--चुबलाल माथुर वैश्य हायर सेकेन्डरी स्कूल	२७७	४५८	६३३	४०८
	६२--विक्टोरिया हायर सेकेन्डरी स्कूल	३१२	३०९	३०८	२५०

नाम जिला	नाम पाठशाला	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२
	६३—मुरारी लाल खन्ना गर्ल्स इन्टर कालेज	२२४	२६०	२७२	३१८
	६४—प्रेम विद्यालय, दयालबाग	१६०	१४२	१२९	१६०
	६५—इन्द्रभान गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल	९७३	१५४	१४८	१७६
	६६—नेशनल माडल हायर सेकेन्डरी स्कूल	४८	२५	३६	४१
	६७—एम० डी० जैन इन्टर कालेज	१७०	१६६	१०८	१३८
	६८—राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल	४६	५७	३७	३३
	६९—मुफीदमुमन हायर सेकेन्डरी स्कूल	२०४	१७७	९७	१२९
	७०—रावत गर्ल्स हायर सेकेंन्डरी स्कूल	४५	७०	८७	१२०
	७१—नार्दन हायर सेकेन्डरी स्कूल, टुंडला	११५	१२२	९६	५७
२२—बनारस	७२—क्वीन्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	..	७	६	९
	७३—डी० ए० वी० कालेज	९०	८०	७०	६०
	७४—हरिश्चन्द्र इन्टर कालेज	४५	५०	४०	४५
	७५—बंगाली टोला इन्टर कालेज	१०१	१४०	१३५	१५१
	७६—जैनारायण इन्टर कालेज	५२	६३	७५	६३
	७७—सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल (लड़कों का)	१४०	१२०	१२६	१२५
	७८—बसन्त कालेज फार गर्ल्स	६५	५८	५६	५२
	७९—अग्रवाल महाजनी कन्या पाठशाला	४५	५०	४०	४५
	८०—सेन्ट्रल हिन्दू कन्या पाठशाला	५४२	६२७	५८८	६१२
	८१—नारी शिक्षा मन्दिर	..	..	४	२
	८२—दुर्गा चरन गर्ल्स स्कूल	७२	७५	८०	८८
	८३—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक	..	..	१२०	१५०
	८४—आर्य महिला महाविद्यालय	१००	१०५	८०	१००
	८५—ए० एन० राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल चकिया (केवल ८ तक)	२६	२७	२६	२९
	८६—पी० एन० राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, रामनगर	५८	६५	१५८	१५०
२३—सहारनपुर	८७—जे० वी० एस० गर्ल्स इन्टर कालेज	५६	६६	७५	८२
	८८—एच० ए० वी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	११	..	८	..
	८९—पी० बी० म्युनिसिपल इन्टर कालेज, हरिद्वार	४००	५३०	२८८	२०२

नाम जिला	नाम पाठशाला	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
	९०—राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहारनपुर	..	४६	५६	[illegible]
	९१—महिला विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, कनखल	३६	४०	५२	६८
२४—इलाहाबाद	९२—राजकीय माध्यमिक विद्यालय	४५	८९	१०७	७४
	९३—डी०ए० वी० माध्यमिक विद्यालय	३५	१३	१३	—
	९४—हय हय क्षत्री माध्यमिक विद्यालय	८वीं तक के सभी विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं।			
२५—उन्नाव	९५—राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	३३	४१	३८	४७
	९६—सुभाष कालेज (केवल ११वीं, १२वीं कक्षायें)	४	२	५	३
२६—गोंडा	९७—एल० सी० कालेज, बलरामपुर				
	९८—बालिका विद्यालय, बलरामपुर	१००	१८०	२१८	१८६
	९९—सक्सेरिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय				
२७—झांसी	१००—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी	१८४	१५७	१५८	१०६
	१०१—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सम्थर	१३	१२	३०	३१
	१०२—क्रिश्चियन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ,झांसी	१४४	१२५	८१	४३
	१०३—सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी	२८१	१५०	१०७	७८
	१०४—पी० एम० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ललितपुर	४४	१३३	११६	१२४
	१०५—विपिन बिहारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी	१४०	१८५	२२२	२५७
	१०६—पुरुषोत्तम दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झांसी	..	..	..	१२२
२८—कानपुर	१०७—कान्यकुब्ज इन्टर कालेज	इसमें संगीत विद्या ८वीं से दी जाती, है।			
	१०८—जी० एन० के इन्टर कालेज	३१	५५	८६	४३
	१०९—हरसहाय जगदम्बा सहाय हायर सेकेन्डरी स्कूल (औसत)	२३५	१८८	१४५	११६
	११०—दूसरवैश्य हायर सेकेन्डरी स्कूल	४०	४०	४०	४०
	१११—सुरेन्द्र सेन बालिका विद्यालय	१८५	११७	१४१	१११
	११२—म्युनिसिपल गर्ल्स इन्टर कालेज (औसत)	२००	२००	२००	२००

नाम जिला	नाम पाठशाला	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२
२९—देवरिया	११३—राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	..	५२	४८	..
	११४—बुद्ध इन्टर कालेज, कुशीनगर	१०३	३२	५२	८०
	११५—किंग जार्ज इन्टर कालेज	४०	५६	५९	६९
३०—लखीमपुर	११६—पी०के० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (औसत)	४०	४०	४०	४०
३१—बहराइच	११७—तारा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	ग्रान्ट विद्या सन् १९४८ ई० से दी जा रही है।			
३२—मुरादाबाद	११८—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय				
	११९—पार्कर हायर सेकेन्डरी स्कूल	१३५	२३३	२०१	२८३
	१२०—गोकुल दास गर्ल्स इन्टर कालेज				
३३—बांदा	१२१—चित्रकूट महाविद्यालय, कर्वी	७१	४५	७५	५७
	१२२—राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	२३४	२६७	३०८	३००
३४—बरेली	१२३—तिलक हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली	६०	७०	७५	८०
	१२४—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	..	१८	२४	५६
	१२५—आजाद हायर सेकेन्डरी स्कूल, बरेली	..	..	५३	८७
	१२६—मनोहर भूषण इन्टर कालेज, बरेली	५०	७०	७२	६९
	१२७—कुंवर दया शंकर इंटर कालेज	३१६	५७०	५३७	४५८
	१२८—श्री गुलाब इन्टर कालेज, बरेली	..	..	८७	१९
३५—लखनऊ	१२९—के०के०हायर सेकेन्डरी स्कूल	५१	६०	४५	६५
	१३०—हरिश्चन्द्र इन्टर कालेज	३०	४४	३७	३९
	१३१—कान्यकुब्ज इन्टर कालेज	८४	८३	१३७	१५६
	१३२—व्यायज ए०बी० इन्टर कालेज	५०	५०	५०	५०
	१३३—नेशनल इन्टर कालेज	८	१२	२३	२६
	१३४—राजकीय इन्टर कालेज	..	४	३	..
	१३५—अमीनाबाद इन्टर कालेज	३०	३०	३०	३०
	१३६—इन्डस्ट्रियल कालेज, लखनऊ	९	११	१५	१९
	१३७—डी० ए० वी० कालेज	५२	३०	१७	२३
३६—फर्रुखाबाद	१३८—म्युनिसिपल हायर सेकेन्डरी स्कूल, फतेहगढ़	२	४	८	१५

नाम जिला	नाम पाठशाला	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
	१३९—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (बालिका)	..	४	८	१०
	१३९-क—क्रिश्चियन हायर सेकेंडरी स्कूल, फर्रुखाबाद	११	४	१	..
	१३९-ख—स्वरूप नारायण इन्टर कालेज, कन्नौज	१०	४	६	१८
	१३९-ग—जमुना प्रसाद उ० मा०—वि० (बालिका), (कन्नौज)	..	४	५	६
३७—फतेहपुर	१४०—एंग्लो संस्कृत इन्टरमीडियेट कालेज ऐन्ड के० सी० वी० एस० स्कूल, फतेहपुर	१५२	१४०	१५०	१२५
	१४१—नरेश हायर सेकेन्डरी स्कूल, बिन्दकी	..	..	..	१३५
३८—जौनपुर	१४२—हिन्दू इन्टर कालेज, बादशाहपुर	३	६	५	१०
	१४३—नागरिक इन्टर कालेज, जंघई	..	१३९	८५	८२
	१४४—आर० एस० के० डी० इन्टर कालेज	१५२	१८७	७८	६२
	१४५—राष्ट्रीय इन्टर कालेज, सुजानगंज	२	५	२४	३०
	१४६—सेन्ट थामस इन्टर कालेज, शाहगंज	..	५	३	१
	१४७—राजकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय, जौनपुर	.. ..	.. ..	४	४
३९—मथुरा	१४८—म्युनिसिपल इंटर कालेज, वृन्दाबन	..	..	..	..
	१४९—कुंशी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मथुरा	..	..	..	..
	१५०—म्युनिसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, वृन्दाबन	१०६	१७७	८७	१८०
	१५१—आर्य समाज गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, मथुरा	..	..	..	..
	१५२—जानकी बाई गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, मथुरा	..	..	..	..
४०—फैजाबाद	१५३—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	२८	२९	२७	३०
	१५४—एस० एस० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	१३३	९७	९२	८१
	१५५—एस० एल० एम० एल० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	७७	८०	९८	९८

नाम जिला	नाम पाठशाला	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२
४१—देहरादून	१५६—डी० ए० वी० हायर सेकेंडरी स्कूल	—	३	३	४६
	१५७—साधूराम हायर सेकेन्डरी स्कूल	४६	३७	३५	३७
	१५८—हिन्दू नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल	८	१४	१८	..
	१५९—ए०बी० मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल	प्रत्येक १० वर्ष से कम।			
	१६०—श्री भारत मन्दिर हायर सेकेंडरी स्कूल, ऋषीकेश	३४	२१	१६	..
	१६१—महादेवी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल	..	..	..	८४
	१६२—नारी शिल्प मन्दिर हायर सेकेंडरी स्कूल	१७८	१४९	११४	४५
	१६३—श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स स्कूल	२०८	५०	२३	..

तालिका (ख)

उन पाठशालाओं की सूची, जिनमें संगीत विद्या बन्द कर दी गई और उसका कारण।

जिला का नाम	स्कूल का नाम	बन्द होने के कारण
१—मुजफ्फरनगर	(१) डी० ए० वीं० कालेज	केवल ११ वीं व १२ वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के होने के कारण संगीत शिक्षा बन्द कर दी गई
२—सुल्तानपुर	(२) नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, कादीपुर	मान्यता प्राप्त हो चुकी थी, परन्तु धनाभाव के कारण संगीत जारी नहीं की गयी
३—अलीगढ़	(३) हीरा लाल बारहसेनी इन्टर कालेज	छात्रों की कमी के कारण
४—बदायूं	(४) नोटीफाइड एरिया हायर सेकेन्डरी स्कूल, बिल्सी	ग्रामीण वातावरण के कारण वहां के छात्रों में इस विद्या की रुचि नहीं, अतएव छात्रों की कमी से इस पाठशाले में संगीत विद्या बन्द कर दी गई है
५—पीलीभीत	(५) राजकीय नार्मल स्कूल	अध्यापक ने त्याग-पत्र दे दिया और दूसरे अध्यापक की नियुक्ति न हो सकी, अतएव शिक्षा बन्द कर दी गई
६—बनारस	(६) इ० आई० आर० हायर सेकेन्डरी स्कूल, मोगलसराय	छात्रों की कमी के कारण
७—गोंडा	(७) एल०सी०हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलरामपुर	छात्रों की कमी के कारण
८—कानपुर	(८) हीरामन का पुरवा गर्ल्स इन्टर कालेज	छात्रों की कमी के कारण
७—लखीमपुर	(९) युवराज दत्त कालेज	छात्रों की कमी के कारण
१०—बरेली	(१०) कुंवर दया शंकर इन्टर कालेज, बरेली	कक्षा ११ व १२ में क्षात्रों की कमी के कारण संगीत विद्या बन्द कर दी गई
११—लखनऊ	(११) क्वीन्स एंग्लो संस्कृत इन्टर कालेज	विद्यार्थियों के कमी के कारण
	(१२) राजकीय इन्टर कालेज	केवल ११ वीं व १२वीं कक्षा में में अध्यापक के न होने के कारण
१२—देहरादून	(१३) हिन्दू नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल	छात्रों की कमी के कारण
	(१४) ए० पी० मिशन हायर स्कूल	विद्यार्थियों में संगीत का प्रेम नहीं
	(१५) श्री भारत मन्दिर हायर सेकेन्डरी स्कूल	नये पाठयक्रम के अनुसार संगीत वैकल्पिक विषय बना दिया गया है। अतः विद्यार्थी यह विषय नहीं लेते
	(१६) श्री गुरु नानक गर्ल्स स्कूल	अध्यापिका के चले जाने तथा अच्छी अध्यापिका न मिलने के कारण, बच्चों में रुचि न होने के कारण
१३—फर्रुखाबाद	(१७) क्रिश्चियन हायर सेकेन्डरी स्कूल	छात्रों के न होने के कारण

तालिका (ग)

जिला का नाम	उन पाठशालाओं के नाम, जिनमें इस वर्ष संगीत विद्या जारी की जा रही है
१—मेरठ	(१) महानन्द मिशन हायर सेकेन्डरी स्कूल, गाजियाबाद
२—आगरा	(२) श्रीमती भगवती देवी जैन कन्या विद्यालय, आगरा (३) एस०आर०के० इन्टर कालेज, फिरोजाबाद
३—बनारस	(४) ए० एन० हायर सेकेन्डरी स्कूल, चकिया में ८ वीं तक की शिक्षा दी जाती है। इस वर्ष ९ वीं में मान्यता हेतु आवेदन-पत्र दिया गया है
४—कानपुर	(५) वी० एन० एस० डी० कालेज, कानपुर
५—जौनपुर	(६) किसान आदर्श राष्ट्रीय इन्टर कालेज, प्रतापगढ़
६—मथुरा	(७) राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राया, मथुरा

नत्थी "ग"

(देखिए पृष्ठ संख्या ३८८ पर)।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ ई०, ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाला है और उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५४ तक जारी रखना आवश्यक है,

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २५, १९४७ की धारा १ में संशोधन।

२—समय समय पर संशोधित यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (५) में संख्या "१९५२" के स्थान पर संख्या "१९५४" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाला है। राज्य भर में अब भी निवास-स्थान की बहुत कमी है। सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है कि जिले के मैजिस्ट्रेट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये निवास-स्थान को अविकृत करने के विशेष अधिकार का प्रयोग करते रहें। अतएव उक्त अधिनियम की अवधि और दो वर्ष के लिए बढ़ाना आवश्यक है। उक्त उद्देश्य से उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
खाद्य व स्वास्थ्य मंत्री।

नत्थी "ग"

(देखिए पृष्ठ संख्या ४०५ पर।)

यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

यू० पी० ऐक्ट ३०, १९५०।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएंस आफ पावर्स) अधिनियम को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २, १९४७।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएंस आफ पावर्स) अधिनियम द्वारा यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ जारी रक्खा गया था और वह ३० सितम्बर, १९५२ ई० को समाप्त होने वाला है,

यह आवश्यक है कि उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५३ ई० तक जारी रक्खा जाय।

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट ३०, १९५०।

२—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज़ (कान्टीन्यूएंस आफ पावर्स) अधिनियम की धारा २ में संख्या '१९५२' के स्थान पर संख्या '१९५३' रख दी जायगी।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएंस आफ पावर्स) अधिनियम द्वारा जारी रक्खा गया था और वह ३० सितम्बर, १९५२ ई० को समाप्त होने वाला है। संग्रह (सप्लाई) की स्थिति तथा उक्त अधिनियम की अनुसूची के अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण बनाये रखने की आवश्यकता के कारण यह उचित प्रतीत होता है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध अगले दो वर्ष तक और जारी रक्खे जायं।

तदनुसार उक्त अधिनियम की अवधि को बढ़ाने के उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

चन्द्रभान गुप्त,
रसद मंत्री,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—४६ एल० सी० १९५२—८३।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५९)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बेनी प्रसाद टन्डन, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
रुकुनुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री सैयद अली जहीर (न्याय मन्त्री)
श्री हर गोविंद सिंह (शिक्षा मन्त्री)
श्री विचित्र नारायण शर्मा (वाहन मन्त्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मन्त्री)।

प्रश्नोत्तर

मोगलसराय के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

१--श्री प्रभुनारायण सिंह--क्या यह सच है कि बनारस तथा गोरखपुर डिवीजन के कमिश्नर ने २३ जून, १९५० ई० को नोटिफाइड एरिया, मोगलसराय के चेयरमैन श्री उमाशंकर तिवारी को यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की दफा ४८ (३) के मुताबिक नोटिस दी कि आप जवाब दें कि निम्नलिखित कारणों से आपको क्यों न चेयरमैन के पद से हटा दिया जाय--

(१) आपने लगातार अपने कर्त्तव्य को निभाने की अवहेलना की है।

(२) आपने जानबूझकर १६ फरवरी सन् १९५० ई० के जिलाधीश द्वारा किये गये अपील के फैसले की अवहेलना की है।

(३) आपने जिलाधीश के उक्त ऐक्ट की दफा ३५ (१) तथा (२) के अन्तर्गत दिये गये आदेशों की अवहेलना की है?

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)--जी हां।

२--**श्री प्रभुनारायण सिंह**--(क) यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि चेयरमैन ने इसका क्या जवाब दिया?

(ख) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

स्वशासन मन्त्री--(क) चेयरमैन ने यह उत्तर दिया कि उनका मंतव्य उक्त आदेशों की अवहेलना करने का बिलकुल नहीं था और यदि ऐसा समझा गया है तो इसके लिये उनको खेद है।

(ख) इस पर कमिश्नर ने आदेश दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की आज्ञा का तुरन्त पालन किया जाय। चेयरमैन ने तदनुसार आज्ञा पालन किया और ता० २३ जून, १९५० की नोटिस कमिश्नर ने वापस ले ली।

श्री प्रभु नारायण सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ उसमें वोट्स कितने-कितने किस-किस के पक्ष में थे?

स्वशासन मन्त्री--१२ में से ८ हक में थे।

श्री प्रभु नारायण सिंह--उस मीटिंग में कितने सदस्य मौजूद थे?

स्वशासन मन्त्री--इसका मुझे नोटिस चाहिए।

श्री प्रभु नारायण सिंह--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के कितने दिनों बाद चेयरमैन ने इस्तीफा दिया।

स्वशासन मन्त्री--चेयरमैन ने ३१ मई को इस्तीफा दिया।

श्री प्रभु नारायण सिंह--क्या बीच का समय इतना काफी नहीं था कि सरकार अपने गजट में अविश्वास के प्रस्ताव को शाया करती।

स्वशासन मन्त्री--कुछ दिक्कतें रही हैं। इस बीच में एक मन्त्री बदल कर दूसरा मन्त्री आ गया, इसलिये कुछ देर हुई।

श्री प्रभु नारायण सिंह--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि जो इस्तीफा आया उस तारीख के कितने दिनों बाद, वहां चुनाव ठहराया गया?

स्वशासन मन्त्री--चेयरमैन कब चुना गया इसका तो मुझे नोटिस चाहिए। लेकिन चेयरमैन का इस्तीफा २३ जुलाई को मन्जूर हुआ।

३—**श्री प्रभु नारायण सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोगलसराय नोटिफाइड एरिया के चेयरमैन श्री उमाशंकर तिवारी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ता० ५–२–५२ को जुडिशियल आफिसर, श्री पी० सी० श्रीमल की अध्यक्षता में अत्यधिक बहुमत से पास हुआ ?

स्वशासन मन्त्री—जी हां ।

४—**श्री प्रभु नारायण सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री पी० सी० श्रीमल ने कानून के मुताबिक सभा की कार्यवाही, प्रस्ताव की नकल और वोट के नतीजे को जिलाधीश के पास सभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद ही भेज दिया था ?

स्वशासन मन्त्री—जी हां ; ५–२–५२ की सभा की कार्यवाही (Proceedings) ६–२–५२ को जिलाधीश के पास भेज दी गई थी ।

५—**श्री प्रभु नारायण सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अविश्वास के प्रस्ताव के पास होने के उपरान्त उपर्युक्त चेयरमैन अपने पद से क्यों नहीं हटाये गये ?

स्वशासन मन्त्री—अविश्वास का प्रस्ताव प्रान्तीय सरकार के पास आदेश के हेतु भेजा गया। परन्तु इसी बीच चेयरमैन ने अपना त्याग-पत्र दे दिया, जिसको स्थानीय अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चेयरमैन का पद रिक्त हो गया और उन्हें हटाने का प्रश्न समाप्त हो गया ।

दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा एवं वेश्यावृत्ति की रोक

६—(क) **श्रीमती तारा अग्रवाल**—क्या सरकार बतलायेगी कि उसने राज्य में दहेज प्रथा, बहु पत्नी प्रथा एवं वेश्यावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं और इनकी रूपरेखा क्या है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—(क) (ख) सरकार ने इन कुप्रथाओं को रोकने के लिये कोई विधान नहीं बनाया है। सरकार इस समय समझती है कि इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये कानून की अपेक्षा जनमत की ज्यादा जरूरत है। सरकार को यह भी आशा है कि उसकी सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी नीति के फलस्वरूप खुद जनता इन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिये कदम उठायेगी। सरकार का यह भी विचार है कि यह समस्या देश व्यापी है और एक राज्य के बजाय सारे देश भर के लिये संसद् ही का विधान बनाना ज्यादा उचित है ।

श्रीमती तारा अग्रवाल—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बम्बई सरकार और मद्रास सरकार ने जो ऐसे कानून बनाये हैं, उनके बारे में उसे कुछ जानकारी है ?

न्याय मन्त्री—इसके लिये मुझे नोटिस की जरूरत है।

स्थानीय संस्थाओं की समालोचना के प्रकाशन का स्थगन

७—**श्री हकीम ब्रज लाल वर्मन**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अंग्रेजी शासन काल में स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में जो Review (समालोचना) सरकार द्वारा निकलता था वह क्यों बन्द कर दिया गया ?

स्वशासन मन्त्री—स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के प्रशासन की समालोचना (रिव्यू) का प्रकाशन गत विश्व-युद्धकाल में कागज के अभाव के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब उसका प्रकाशन पुनः आरम्भ किया जा रहा है ।

श्री हकीम ब्रज लाल वर्मन—शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी योजनाओं को पेश करने के लिये इन आंकड़ों की आवश्यकता है। इसलिये जो इत्तला आपके पास उपलब्ध है, वह कृपा करके दे दीजिए और बाकी मंगाने की चेष्टा की जाय, यही प्रार्थना है ?

स्वशासन मन्त्री—मेरे पास कुछ सूचना है, उसकी कापी मैं आपको दे सकता हूं।

सन १९४८ से १९५२ तक प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्डों की प्रगति व अवनति

८—**श्री हकीम ब्रज लाल वर्मन**—क्या सरकार गत ४ वर्षों (१९४८–१९४९ से १९५१–५२) तक के प्रदेश के समस्त बोर्डों में (डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड), जो प्रगति या अवनति हुई है, उसका निम्नलिखित ब्योरा पेश करेगी:—

(क) आय तथा व्यय,

(ख) प्रारम्भिक जूनियर तथा कन्या स्कूलों के छात्रों की संख्या,

(ग) स्वास्थ्य चिकित्सालयों तथा रोगियों की संख्या और धन जो व्यय हुआ,

(घ) कितनी लम्बी सड़कें (कच्ची व पक्की) व भवन निर्माण किये गये और कितना धन व्यय हुआ ?

स्वशासन मन्त्री—माननीय सदस्य इस राज्य के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्युनिसिपल बोर्डों के गत चार वर्षों का जो जो विवरण चाहते हैं उन्हें एकत्रित करने में कुछ समय, परिश्रम और व्यय लगेगा और सम्भवतः जिस सम्बन्ध में वे इस प्रकार का विवरण चाहते हैं, उसके लिये एक विस्तृत सूचना की आवश्यकता न हो। अतः यदि माननीय सदस्य कृपा करके अपनी आवश्यकता का कुछ निर्देश करें तो उसके लिये कुछ सूचना जिलों से मंगा कर अथवा विधान भवन के कार्यालय से एकत्रित करके उन्हें दे दी जाय। इस समय हमारे पास लगभग इसी तरह की कुछ सूचनायें कुछ वर्षों की उपलब्ध हैं; जिनकी एक प्रति मैं माननीय सदस्य को अभी दे सकता हूं।

ज़िला तथा म्युनिसिपल बोर्ड के स्थपति तथा मन्त्रियों के पद परिवर्तन

९—**श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन**—क्या सरकार जिला तथा म्युनिसिपल बोर्ड के स्थपति तथा मन्त्रियों का पद परिवर्तन करने की सहूलियत देने की इच्छा रखती है। यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

स्वशासन मन्त्री—जी हां। जिला बोर्डों तथा नगर पालिकाओं के इन्जीनियरों तथा मन्त्रियों की सेवाओं को परस्पर परिवर्तनशील बनाने के प्रति सरकार की सहानुभूति है। स्थानिक प्रशासन को पूर्णरूपेण पुनः संगठित करने की समस्या इस समय सरकार के सामने है। इसी सम्बन्ध में इस प्रश्न पर विचार होगा।

श्री हकीम ब्रज लाल वर्मन—सारी बातों को परिवर्तन करने में बहुत विलम्ब होगा और यह एक ऐसी स्थिति है जिसकी बहुत दिनों से आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो क्या सरकार शीघ्र ही इसके परिवर्तन का विषय जारी करने का आदेश नहीं करेगी ?

स्वशासन मन्त्री—इस समय स्थिति यह है कि कि म्युनिसिपल बोर्डों का जहां तक सम्बन्ध है, उसके साथ कारपोरेशन का सम्बन्ध मिला हुआ है, और यह जरूरी है कि म्युनिसिपल बोर्ड और कारपोरेशन का हेलमेल हो जाय। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के सामने इस वक्त प्रश्न यह है कि एक कमेटी बैठाई जाय और वह यह तय करे कि उनकी क्या ड्यूटी होगी, उनके फाइनेन्सेज की क्या हालत होगी, यह जब सारा नक्शा सामने आ जाय, तब सर्विसेज को कैसे रीकुप किया जाय यह भी एक सवाल ऐसा है कि जिसके ऊपर विचार करना चाहिए। केवल इंडिवीजुअल को ट्रांसफर कर देना कि कौन सा (ए) क्लास है और कौन सा (बी) क्लास है और कुछ लोकल बाडीज का (ए) से (बी) में और (बी) से (सी) में परिवर्तन हो जाय, इसलिये मैं समझता हूं कि इस वक्त पीस मील रखना मुनासिब नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की इनफारमेशन देने का कष्ट करेंगे कि जिन परिवर्तनों का उन्होंने जिक्र किया है, उसमें कितना समय लगेगा ?

स्वशासन मन्त्री—इस समय में तो जल्दी कर रहा हूं। कारपोरेशन फन्डामेंटल राइटस बिल तैयार हो गया है और उसको ड्राफ्ट के लिये भेज दिया गया है, म्युनिसिपैलिटीज अमेंडिंग बिल का भी ड्राफ्टिंग हो रहा है और इसके अतिरिक्त पंचायत राज्य अमेन्डमेंट बिल यहां आ गया है और उसको भी ड्राफ्टिंग के लिये दे दिया गया है। इस प्रकार जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसे पूरा करेंगे, लेकिन समय मुकर्रर करना मेरे लिये कठिन है।

चेयरमैन——श्री परमात्मानन्द सिंह जी ने यह नोटिस दिया है कि वे अपना प्रस्ताव पेश नहीं करेंगे, इसलिये अब श्री गुरु नारायण जी अपना प्रस्ताव पेश करें।

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमीन्दारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमीन्दारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव सदन के सामने रखना चाहता हूं कि :--

यह विधान परिषद् सरकार से सिफारिश करती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की जमीन्दारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमीन्दारों के नौकरों को जो बेकार हो गये हैं, रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही करे :

(१) सरकारी मालगुजारी की वसूली से सम्बन्धी व्यवस्था के अधीन नये स्थानों पर नियुक्ति।

(२) लैन्ड रिफार्म कमिश्नर के अधीन उचित स्थानों पर नियुक्ति।

(३) प्रतिकर कमिश्नर के अधीन उचित स्थानों पर नियुक्ति।

(४) ऐसे कर्मचारी जो अशिक्षित हों या जो शारीरिक दुर्बलता के कारण नौकर नहीं रखे जा सकते उनके पुनर्वास के लिये धन दिया जाय, जैसे शरणार्थियों को दिया गया है।

(५) प्रदेश की पंच वर्षीय योजनाओं और नवीन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नये स्थानों पर नियुक्ति।

(६) बालकों को स्कूल की फीस से मुक्ति।

(७) अन्य और ऐसे उपायों द्वारा जो सरकार उचित समझे या जिनके सम्बन्ध में भविष्य में सुझाव दिये जायं।

श्रीमान्, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव पढ़ने के बाद ही मालूम हो जाता है कि हमारे इस प्रस्ताव में क्या है। अभी हाल ही में जमींदारी एबालिशन के बाद ऐसी व्यवस्था पैदा हो गयी है कि जमींदारों के जो कर्मचारी हैं उनमें एक अजीब किस्म का क्षोभ सा हो रहा है और वे नहीं समझ पाते कि आगे चल कर के उनका भविष्य में क्या होगा और वे किस तरह से अपनी जीविका के लिये परिश्रम करेंगे। इस प्रान्त में २० लाख के करीब जमींदार हैं और तीन लाख के करीब अन्डर प्रोप्राइटर्स हैं। तो अगर हम एक आदमी फी जमींदार भी रखें जिसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी उस जमींदार के साथ है तो कम से कम अगर तीन लाख अन्डर प्रोप्राइटर भी निकाल दिये तो भी बीस लाख आदमी अपने परिवार सहित ऐसे मिलेंगे जिनके भरण-पोषण की समस्या हमारे इस प्रदेश में एबालिशन के कारण पैदा हो गई है। इसलिये यह जरूरी है और कोई वजह नहीं है कि जब सरकार लोगों को नौकरियां दे रही है, बड़ी-बड़ी जगहों में, इस सम्बन्ध में, जो लगान इत्यादि के वसूल करने और उसके संचालन के लिये, लोगों को वह रख रही है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि वह उन जमीन्दारों के कर्मचारियों

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

को भी इसमें न ले। इसलिये मैं समझता हूं और सरकार भी समझती है कि ऐसे लोगों को, जो बेकार हो जाते हैं, उनका वह प्रबन्ध करे। इस सम्बन्ध में इस प्रदेश में हमारी सब से पहले यह मांग है कि मालगुजारी वसूलयाबी के सम्बन्ध में जो कि सरकार कर्मचारियों के द्वारा वसूल करेगी, सरकार को उसमें इन लोगों की नियुक्ति करनी चाहिये और ऐसी हालत में कोई वजह नहीं है कि ऐसे लोगों को, जिनको कि सरकार उपयुक्त समझती है, उनको ऐसी जगहों पर वह नियुक्त न करे और इसी तरीके से लैन्ड रिफार्म के दफ्तर में भी जगहें होंगी, उन जगहों पर भी वह ऐसे लोगों को क्यों न रखे जो कि शिक्षित हों और जो नई योजना सरकार बना रही है उसमें भी जगहें होंगी, तो उसमें जो जमींदारों के कर्मचारी हैं, और जिनको सरकार मुनासिब समझती है, उनको रखे। मैं समझता हूं कि इसके लिये यह दलील हो सकती है कि स्टैंडर्ड जो सरकारी नौकरियों का होता है, जब तक उस स्टैन्डर्ड के लोग न हों, तब तक उनको इसमें नहीं लिया जा सकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि कोर्ट आफ वार्ड्स जो कि एक सेमी गवर्नमेंट बाडी है, उसमें भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, और उस स्टैन्डर्ड को भी देखकर उनको रखा जा सकता है। जहां तक वसूलयाबी का सवाल है उसमें कहा जाता है कि अच्छा स्टैन्डर्ड हो और तभी वसूलयाबी शांतिमय ढंग से हो सकेगी। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे आदमी भी बेकार हो गये हैं जिनके लिये अपना भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। आपको, इसमें ऐसे लोगों की मांग अवश्य है जो कि पढ़े लिखे हैं और यदि आप उनको नौकरी दें तभी उनके बच्चों का भरण पोषण हो सकता है। मैं इस संबंध में अधिक तो कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि माननीय मंत्री जी इसके उत्तर में जो बात कहेंगे, उसके बाद मुझे फिर मौका मिलेगा कि मैं अपनी बात कहूं। लेकिन मैं तो खास बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि ऐसे लोगों को जिनको जमींदारों से जवाब मिलने वाला है, यदि उनको कहीं नौकरी नहीं मिली, तो उनकी सिचुएशन खराब हो सकती है और इसके लिये किसी भी पार्टी की दलील की आवश्यकता नहीं है। जमींदारों के यहां जो कर्मचारी हैं उनको जब आदेश हो जायेंगे कि वे उनको नहीं रख सकते, तो वे कहां जायेंगे। यहां बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, जैसे कि बलरामपुर, नानपारा, महमूदाबाद और कपूरथला इत्यादि, तो इन स्टेट के कर्मचारियों को जवाब मिल जाने के बाद, उनकी क्या दशा होगी और यह एक बहुत बड़ी जटिल समस्या हमारे प्रदेश में पैदा हो गई है। उनकी आवाज पर मैंने यह मुनासिब समझा और यह बिल्कुल सही है कि मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि जहां तक मुमकिन हो सके अधिक से अधिक संख्या में उन कर्मचारियों का सरकार प्रबन्ध करे। बस मुझे यही कहना है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

चेयरमैन—श्री आजाद अपना संशोधन पेश करें।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—अध्यक्ष महोदय, अभी कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव जमींदारों के नौकरों और कर्मचारियों के सम्बन्ध में रखा है, मैं उस पर यह संशोधन पेश करना चाहता हूं।

मूल प्रस्ताव में से—

(क) पैराग्राफ (१), (२), (३) और (५) निकाल दिये जायं।

(ख) (१) पैरा (४) में चौथी पंक्ति में "पुनर्वासन के लिये धन" शब्दों के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जायः—

"उन ज़मींदारों के मुआविजे में से काट कर दिया जाय, जिनके यहां वह नौकर थे"

(२) शब्द 'धन' के आगे के समस्त शब्द हटा दिये जायं।

(ग) पैरा (६) के अन्त में यह वाक्य और बढ़ा दिया जायः— "जिनके संरक्षक फीस देने में असमर्थ हों"।

अध्यक्ष महोदय, कुंवर साहब ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जो शब्द बताये हैं, मैं समझता हूं कि उनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरी समझ में ठीक नहीं हैं और सच नहीं हैं। जहां तक देखा गया है बहुत से जमींदारों के कर्मचारी और कारिन्दे ऐसे हैं जिन्होंने जमींदारों से ज्यादा अच्छे बंगले बनाये हैं जिनके पास जमींदारों से ज्यादा बाग हैं, जिनके पास जमींदारों से ज्यादा सवारी है और जमींदारों से ज्यादा अच्छे ढंग पर ऐश व इशरत करते हैं इसलिये यह कहना बेजा होगा कि जमींदारों के जितने कारिन्दे हैं, जितने मुलाजिम हैं, जितने जमींदारों के कर्मचारी हैं, उन सब के पुनर्वासन के लिये सरकार कोई ऐसा कदम उठाये जैसा कि शरणार्थियों के लिये उठाया गया है। मैं भी यह समझता हूं कि उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिये लेकिन सबसे ज्यादा हमदर्दी तो जमींदारों को होनी चाहिये क्योंकि उन्होंने समाज के लिये, जनता के लिये, कोई काम नहीं किया। उनके मुलाजिमों ने जो कुछ भी किया है, वह जमींदारों की भलाई के लिये किया है। जमींदारों की अच्छाई के लिये जो कुछ भी किया हो, यह दूसरी बात है लेकिन देश, समाज और सरकार की भलाई के लिये उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस लिये मैं यह चाहता हूं कि अगर जमींदार यह समझते हैं कि उनके कारिन्दों ने, उनके कर्मचारियों ने, उनके मुलाजिमों ने, उनकी भलाई के लिये काम किया था तो सिर्फ प्रस्ताव देने से ही काम नहीं चलेगा उन्हें थोड़ा सा त्याग करना होगा। उन्हें उनकी भलाई के लिये अमली कदम उठाना चाहिये। इसी कारण से मैंने यह संशोधन रखा है। इसलिए मैंने पैरा ५ में यह शब्द जोड़ने के लिये कहा है कि इन जमींदारों के मुआविजे से काटकर उन्हें सहायता दी जाय। जिनके यहां वह नौकर थे यानी यह वाक्य इस तरह से बन जाता है। "ऐसे कर्मचारी जो अशिक्षित हों या शारीरिक दुर्बलता के कारण नौकर नहीं रक्खे जा सकते हों उनके पुनर्वासन के लिये उन जमींदारों के मुआविजे में से काट कर धन दिया जाय जिनके यहां वह नौकर थे" यह पैरा इस तरह से ठीक बन जाता है।

मैं समझता हूं कि यह पैरा बिल्कुल मुनासिब और ठीक है। मैं इस प्रस्ताव के पैराग्राफ १, २, ३, और ५ के बारे में समझता हूं कि ये धारायें बिल्कुल बेकार और बेजा हैं इसलिये कि मालगुजारी वसूली के सम्बन्ध में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि सरकार ऐसे आदमियों की नियुक्ति करे जो काश्तकार के विश्वासपात्र हों और जिनके बीच में रह कर और मालगुजारी वसूल कर के यह बात साबित हो जाय कि वे उनकी भलाई के लिए रखे गए हैं, न कि ऐसे आदमियों को रखें जिन्होंने साल भर के भीतर उन्हें परेशान कर दिया है और उनके बीच में रह कर इस बात का सबूत दिया है कि काश्तकार नीचे दर्जे के हैं और वे बड़े ऊंचे दर्जे के हैं। ऐसे आदमियों को रखने का मतलब यह होगा कि देहात के काश्तकार परेशान हो जायेंगे। जमींदारी तो खत्म हो गयी लेकिन वे लोग, जो दिन रात उनका शोषण करते थे यदि आज भी सरकार ने उनके ऊपर लाद दिये तो जमींदारी दूसरी शक्ल में बनी रहेगी। मैं समझता हूं जहां तक पैरा नम्बर १ का सवाल है वह गलत है और उसी प्रकार लैन्ड रिफार्म और प्रतिकर कमिश्नर के सम्बन्ध में जो पैरा रक्खा गया है, वह भी ठीक नहीं है। पंचवर्षीय योजनाओं में वे लोग रखे जाने चाहिए जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं में जिक्र किया गया है कि वहां ऐसे लोग रक्खे जाने चाहिए जो उस सम्बन्ध में काफी जानकारी रखते हों। भूमि सम्बन्धी जो चीजें हैं उनसे परिचय रखते हों और जो किसानों की भलाई के लिये तन, मन, धन से काम कर सकें। ऐसे लोग न रखे जाने चाहिए जो जीवन भर किसानों को परेशान करते रहे हैं और जीवन भर उनका शोषण करते रहे हैं। अगर ऐसे लोग पंच वर्षीय योजनाओं में और लैन्ड रिफार्म्स स्कीम में रखे गये तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो उद्देश्य है वह पूरा ही नहीं बल्कि असफल हो जायेगा। यह संशोधन जो मैंने रक्खा है वह इसलिये रखा है कि कुंवर साहब का भी उद्देश्य पूरा हो जाय और उनके कर्मचारियों को जो परेशानियां हैं वह भी दूर हो जायं। इसी प्रकार मैंने छठे पैरे में ये शब्द जोड़ देने का प्रस्ताव रखा है "कि जिनके संरक्षक फीस देने में असमर्थ हों।" अध्यक्ष

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

महोदय, जैसा कि मैंने बतलाया बहुत से कारिन्दों की हालत यह है कि बडी बड़ी कोठियां रखते हैं और खूब ठाठ के साथ रहते हैं। उनकी हस्ती किसी राजा और नवाब से कम न होगी। अगर सब बच्चों की फीस माफ कर दी जाय तो वह गरीब जनता के लिये बेजा चीज होगी। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने यह पैरा जोड़ दिया है कि उनकी फीस माफ होनी चाहिए जो फीस देने में असमर्थ हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को पेश करता हूं।

***श्री प्रेम चन्द्र शर्मा**--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव हाउस के सम्मुख श्री कुंवर गुरु नारायण जी ने रखा है, उसके सम्बन्ध में जो संशोधन रखे गये हैं, उसमें काफी कहा जा चुका है। वास्तव में स्थिति यह है कि पिछले जमीन्दारों के काल में जितना शोषण किसानों का हुआ मैं समझता हूं कि इसके लिये शायद जमींदार लोग अपने घर से मालगुजारी वसूलयाबी इत्यादि के लिये नहीं आते थे बल्कि उनके एजेन्ट ही सब कुछ किया करते थे। जो शोषण किसानों का उनके द्वारा होता था, हम लोगों ने उसे काफी देखा है। यह भी हमने देखा है कि उनके कारिन्दों व एजेन्टों के द्वारा किस तरह से जुल्म होते थे। यह वर्ग ऐसा नहीं है जिनके साथ कोई सहानुभूति दिखाई जाय। जहां तक सर्विसेज का सवाल है, वहां गवर्नमेंट की सर्विसज के लिये एक स्टैन्डर्ड होता है। महज क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब कर देने से कि उनको नौकरियों में रख लिया जाय, यह काफी नहीं है। उसका क्या तरीका होगा, यह देखने के लिये कि पिछले जमीन्दारों के नौकर हैं, इसके लिये जमीन्दारों के यहां कोई रजिस्टर नहीं है। इसी पर निर्भर रहना पड़ेगा कि जमीन्दार साहब उनको सर्टीफाई करें और गवर्नमेंट उनको नौकरी दे। इससे उनकी मन्शा पूरी नहीं होगी। जहां तक इनका ताल्लुक है मैं नहीं कहता कि सब लोग खराब हैं। उसमें से बहुत से लोग भले भी हैं। उनकी जो क्वालीफिकेशन हो और जो गवर्नमेंट की क्वालीफिकेशन को पूरा करते हों तो गवर्नमेंट उनको रखे। लेकिन इसपर कोई प्रस्ताव पास कर देना मैं समझता हूं अच्छा नहीं होगा। इससे भी पेचीदगियां पैदा हो जायेंगी। मैं समझता हूं कि जहां तक गरीब बच्चों का सवाल है, उनकी फीस माफ हो। जो अच्छे आदमी हैं, उनको सर्विसेज मिलें। लेकिन इस तरह का कोई कानून पास कर देना ठीक नहीं होगा। इसी के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री पन्ना लाल गुप्त--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, कुंवर गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह जमीन्दार के लिहाज से, ताल्लुकेदार के लिहाज से, तो बिल्कुल ठीक और उचित ढंग से रखा है क्योंकि जो लड़का जिन्दगी भर उनके साथ रहा है उसने जैसी नाजायज कार्रवाईयां उनकी भलाई के लिये की, अगर आज वह जमीन्दारी खत्म हो जाने के बाद उनको अपने कारोबार में नहीं लगा सकते, तो उन्होंने यह ढंग निकाला है कि यहां से प्रस्ताव पास कर दें और इन्हीं जरियों से उनको नौकरी दिला दें। मैं बड़े अदब से कहूंगा कि जमीन्दारी खत्म हो जाने के बाद अब भी वे मुख्तारान जो जमींदार के थे उसी तरह के ताल्लुकेदारों की रक्षा, जमीन्दारों की रक्षा, और उनकी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। जबरदस्ती लाठी के जोर से जमाव करके गरीबों की जमीनों को जो उनकी खुद काश्त की थी, आज पहली जुलाई के बाद उनसे छीन रहे हैं और जबरदस्ती उन पर कब्जा कर रहे हैं। पटवारी से लाठी की ताकत पर अगर ठीक नहीं होती है तो रुपये की ताकत पर अपना कब्जा लिखा लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊं हमारे जिले में टेनी में आगा खां ताल्लुकेदार है, उनकी हालत यह है कि पहली जुलाई को जमीन्दारी खातमा का जलसा हो रहा था, उधर उनके कारिन्दे करीब १०० की तादाद में काश्तकारों के खेतों पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे और जोत रहे थे। जो जलसा पहली जुलाई को टेनी में हो रहा था उसमें कहा गया कि जो तुम आज जमींदारी खात्मे की खुशी में जलसा कर रहे हो, हम तुम्हें नहीं मनाने देंगे। अगर नहीं मानोगे तो ठीक कर देंगे। नतीजा यह हुआ कि गांव के सभापति ने उस जलसे को मुल्तवी कर दिया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उसकी रिपोर्ट की गई। मैं आपके द्वारा बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं। आज आगा अली खां ४ मुकद्दमे १०७ के और ३ मुकद्दमे बलवे और लड़ाई झगड़े के अदालत में चला रहे हैं, जिसके कारण

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

वहां के काश्तकार बहुत परेशान हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आगा अली खां साहब अब भी कहते हैं कि जो तुमने शिकमी की दरख्वास्त दे रखी है अगर उसको उठा कर यह कह दो कि जमींदारों का कब्जा है, तो हम मुकद्दमे उठा लें। यह हालत आज बराबर देहात में हो रही है। जमीन्दारी खात्मे के बाद जब तक अगहन की फसल नहीं कट जाती है और खरीफ की लगान सरकार नहीं वसूल कर लेती, तब तक जमींदारी प्रथा अभी वैसे ही कायम है। यह प्रस्ताव जो श्री कुंवर गुरु नारायण जी ने पेश किया है यह उनके हितों में तो वाकई बड़ा अच्छा है और इसके जरिये उनके पहले जैसे नजराने, मोटराने, वगैरह बरकरार रहेंगे, मगर काश्तकार फिर उसी तरह से पिसता रहेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि इस प्रस्ताव को किसी भी हालत में पास न किया जाय। अगर इसको पास करते हैं तो इसके माने होते हैं काश्तकार के ऊपर जो काली तलवार जमींदारों की पहले से लटक रही थी, वह उनके गले पर फिर वैसे ही लटकी रहेगी। अतः मैं आपके द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि इसको पास न किया जाय।

श्री तेलूराम--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आज के प्रगतिशील युग में जिस प्रथा का इतने दिनों तक हिन्दुस्तान पर श्राप रहा उस प्रथा के सबसे बड़े विकृत रूप को जिसने परेशान कर रखा था उसको अब भी कायम रखने के लिये कहा जा रहा है। यों तो इस प्रस्ताव का समर्थन भी नहीं हुआ जिससे इसकी ताकत भी मालूम हो जाती है। अब यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाय सरकार के उद्देश्य और जनता के हित को सामने रख कर जिसमें जनता के हित को ही सर्व प्रथम रखना होगा तो मालूम होगा कि जमीन्दारी ऐसी चीज बनी थी जिसने मनुष्य को मनुष्य न रहने दिया और जो उसमें रहें उन सबको अपने रूप में बना लिया। उनकी सर्विसेज का स्टैन्डर्ड भी कुछ नहीं होता था। क्वालिफिकेशन्स तो उनमें कुछ होती ही नहीं थी, चरित्र भी उनमें कुछ नहीं होता था। मैं उनका दोष नहीं मानता। जमीन्दारों का नियुक्ति का स्टैन्डर्ड ही कुछ ऐसा था। वह देखते थे कि कौन शख्स किसानों को अच्छी गालियां दे सकता है, उनको डंडे से खूब पीट सकता है और किसानों से ज्यादा से ज्यादा नाजायज तरीके से रुपया वसूल कर सकता है। अगर हम उसी स्टैन्डर्ड के व्यक्ति आज भी रखते हैं तब तो जमीन्दारी अबालिशन का सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। उन व्यक्तियों से मुझे कोई द्वेष नहीं है। जैसे सांचे में वे ढाले गये, उसी सांचे में ढले। तो क्या फिर यह ठीक होगा कि सरकार को बाध्य किया जाय कि उस तबके के लोगों को, जो तबका सबसे ज्यादा निकृष्ट है, नौकर रक्खा जाये और जमीन्दारी अबालिशन का जो उद्देश्य है उसको समूल नष्ट कर दिया जाये। मैं सबको नहीं कहता हूं लेकिन उनका ज्यादातर हिस्सा ऐसा ही है। इससे सरकार के उद्देश्य की पूर्ति भी तो नहीं होती है। यह माना जा सकता है कि उस तबके ने जमीन्दारों का कुछ हित किया हो, हालांकि यह मैं मानने के लिये भी तैयार नहीं हूं कि उसने जमीन्दारों का कुछ हित किया है, क्योंकि वह जमीन्दारों को बेईमानी करना सिखाता था और उनको चरित्र भ्रष्ट रखता था, लेकिन उसने जनता का कुछ भी हित नहीं किया है। दूसरी बात जिन जमींदारों के पास कारिन्दे होते थे वे तो ज्यादातर बड़े बड़े जमींदार या ताल्लुकेदार ही होते थे जिनको बड़े बड़े मुआविजे मिलेंगे, वे अपने मुआविजे में से उनको दे सकते हैं। तीन बरस से जमींदारी अबालिशन की बात चल रही है और तब से अब तक उन जमीन्दारों के मुलाजिमानों ने अपने लिये काफी जमीन की व्यवस्था कर ली है। उनके पास मामूली किसानों से अधिक जमीनें हैं और वह अपने भरण-पोषण का प्रश्न हल कर चुके हैं। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का किसी प्रकार से, किसी रूप से, आना उचित नहीं समझता हूं। इससे न तो जनता का ही कुछ हित हो सकता है और न सरकार का वह उद्देश्य ही पूरा हो सकता है जिसके लिये जमीन्दारी अबालिशन किया गया है।

श्री निजामुद्दीन--जनाब चेयरमैन साहब, जो तजवीज श्री गुरु नारायण साहब ने इस वक्त पेश की है, मैं उसको उसूली तौर पर अपोज करता हूं। दुनियां की जो हालत है और यहां की भी जो हालत हो रही है वह सबको मालूम है। अनइम्प्लायमेंट बढ़ रहा है।

[श्री निजामुद्दीन]

हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जहां तक भी हो सबको सर्विसेज मिले। नई नई इंडस्ट्रीज खोल कर और दूसरे तरीकों से लोगों को काम दिलाने की कोशिश की जा रही है।

आज अगर यह रेज्योलूशन हम यहां पर आज पास करते हैं तो आप देखें कि कितनी हार्ड वार्निंग हो जायगी। हम एक खास तबके के लोगों को इस तरह की तजवीज पास करके नौकरी दिलाते हैं, उनको आराम पहुंचाने का इन्तजाम करते हैं और जो लोग बेकार हैं और जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनका कोई ख्याल नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उन सब लोगों को भी काम दिया जाये। फिर वह लोग जो जमीन्दारों के कर्माचारी हैं, अगर आप उनकी हालत को गौर से देखेंगे. तो आपको मालूम होगा कि उनके पास काश्तकारियां भी हैं। वह सिर्फ यही नहीं कि लट्ठे लेकर काश्तकारों के पीछे पड़े रहते थे, जैसा कि कहा गया है कि जुल्म करते थे। यह ठीक है कि वह जुल्म करते थे और करते रहेंगे। मगर इसी के साथ ही साथ और दूसरे काम भी वह करते थे। उनके पास काश्तकारी भी थी, वे खुद काश्तकारी करते थे। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जमीन्दारी अबालिशन के बाद उनके ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आ गई कि वे बिल्कुल अपाहिज हो गये हैं और वह अपने को एकदम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। यह कहना बिल्कुल नामुनासिब है। जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट पास हो चुका है और हर शख्स जानता था कि जमीन्दारी खत्म होगी और हर शख्स जानता था कि जमीन्दारी खत्म हो जाने के बाद हमें दूसरे कामों में लगना पड़ेगा और इसलिये उसने दूसरे काम का इन्तजाम कर लिया होगा या कर रहा है। तो मैं इन्हीं दो बातों की वजह से इस रिज्योलूशन की, इस तजवीज की मुखालिफत करता हूं कि उसूलन यह एक बिल्कुल गलत सी बात है। मुमकिन है कि कुछ लोग ऐसे हों कि जो बिल्कुल अपाहिज हो गये हों और कोई काम नहीं कर सकते हों लेकिन उनके लिये हम, आप, गवर्नमेंट, सभी को कोशिश करनी चाहिए कि वह किसी काम में लग जायं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यहां कोई भी आदमी बेकार न रहने पाये और उन लोगों को भी किसी तरह से काम पर लगाया जाय। गवर्नमेंट हर इन्सान का जो इस सूबे में बसता है, ख्याल करती है और उसको सुविधा देने की और उसकी तकलीफ दूर करने की इंतहाई कोशिश करती है तो इस तरह से उनका ख्याल तो गवर्नमेंट को आटोमेटिकली करना ही होगा। मैं इसलिये समझता हूं कि इस की तजवीज ऐसे वक्त में लाना बिल्कुल नामुनासिब है। आप इस काम को बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दें। अगर वह लोग नौकरी के मुस्तहक होंगे. तो गवर्नमेंट उनको जरूर नौकरी देगी और उनका ख्याल करेगी। लेकिन इस तरह से एक तजवीज की शक्ल में लाकर आप उसको पेश करें, यह मैं बिल्कुल नामुनासिब समझता हूं और इस लिये इस तजवीज का विरोध करता हूं।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—अध्यक्ष महोदय, यह तजवीज जो हमारे सामने आई है उसमें यह साफ नहीं किया गया है कि जमीन्दारों के किस तरह के नौकरों को जगह दी जाय। जमीन्दारों के बहुत तरह के नौकर होते थे, कुछ कबूतर उड़ाया करते थे, कुछ उनको कुश्ती लड़ाते थे, कुछ रसिया गाते थे और उनके पास कुछ भांड़ और नर्तकियां भी नौकर थीं जो उनका दिल बहलाया करती थीं। आज जमीन्दारी खत्म हो जाने के बाद उन सब की नौकरी खत्म हो गयी है और इस लिये क्या गवर्नमेंट अब उनको लाकर अपने राष्ट्र निर्माण के और राष्ट्र उद्धार के काम में लगाये? वह जमीन्दारों के कर्मचारी थे और अब जमीन्दारी खत्म हो जाने के बाद दुर्भाग्य से या सौभाग्य से वे बेकार हो गये हैं, तो उनको नौकरी दिलाने के लिये इस तरह की तजवीज पेश करना, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं प्रस्तावक महोदय से कहता हूं कि वह इसको साफ करें और आंकड़े भी दें कि कितने लठ बाज, भांड़, कुश्ती लड़ाने वाले और ठाकुर जी का घंटा हिलाने वाले उनके नौकर हैं तथा उनकी क्या योग्यतायें हैं, इस तरह से मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट हमदर्दी से उनकी प्रार्थना पर गौर करेगी। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से फिर कहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़--माननीय चेयरमैन महोदय जो प्रस्ताव कुंवर गुरु नारायन साहब ने इस ऐवान के सामने पेश किया है और जो अमेंडमेंट मेरे दोस्त ने पेश किये हैं —लिबन आजाद साहब ने पेश किये हैं, मैं इन दोनों की मुखालिफत के लिये जनाब के सामने हाजिर हुआ हूं। जिस वक्त मैं कुंवर साहब के प्रस्ताव को देखता हूं और उन की तनाजुली हालत पर गौर करता हूं और जमींदार क्लास के ऊपर नजर डालता हूं तो अगर जोश खरोश के साथ उनको मिलाया जाय, तो एक नजरिया पाया जाता है लेकिन जिस वक्त कतील हालत पर नजर डालता हूं तो दोनों में जदीद एख्तलाफ मालूम होता है। यानी बद्री प्रसाद कक्कड़ और उसकी जमीन में मुकाबिला किया जाय, तो काफी फर्क दिखाई पड़ेगा। कान्सेस या जमीर यह बतला रहा है कि यह मांग मौजू नहीं है और इस तरह इसकी मुखालिफत करनी चाहिए और यह क्यों करनी चाहिए? जिस वक्त कुंवर साहब ने यह जाहिर किया तो एक शेर एक बुजुर्ग का नजर आया और वह सादी साहब का है। वह एक लहर में थे, जो किसी कौम की बहबूदी के हिस्से में थी उस शेर का मतलब यह है कि वह कहता है कि ऐ मुर्ग जो तू सुबह बांग दिया करता है वह तेरी गुमराही है। जिस वक्त इतनी उस को खबर हो जाती है तो वह खामोश हो जाता है। इसी तरह से जब एक सच्चे आशिक को अपनी मुहब्बत का पता चलता है तो वह चिल्लाता नहीं है बल्कि खामोश हो जाता है। लिहाजा इस बात की गुजारिश करना कि जमींदारी के जाने के बाद जो उनके नौकर रहते हैं उन लोगों का ख्याल करना या नजर किया जाना, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस फर्माइश को आज जमाने की आवाज सुनने के लिये तैयार नहीं है। इस बात की आवाज करने से दिल में ठेस पहुंचती है और ऐसा करना अपने ऊपर नमकपोशी करना है।

लिहाजा मैं यह ख्याल रखता हूं और इस बात को जानता हूं कि गवर्नमेन्ट इस बात का ख्याल रखती है। यह जरूरी बात है और इस बात का ख्याल रखना चाहिए जिस वक्त कोई मुश्किल नजर आती है और जिस से दिल को ठेस पहुंचती है तो उस से एक किस्म का लुत्फ आता है। इस के बारे में एक साहब ने अंग्रेजी में कहा है। Love thy neighbour as thyself तकलीफ में एक मजा आता है और वह इन्सान की एक तरह की रहनुमाई करता है। मुसीबत के वक्त इन्सान के ख्यालात ईश्वर की तरफ ज्यादा जाते हैं और उसको ईश्वर की याद करने से एक किस्म की शान्ति मिलती है। क्या यह स्टेट की ड्यूटी नहीं है। स्टेट को रहनुमाई की जरूरत है। स्टेट खुद इन बातों का ख्याल रखती है। इसके बारे में एक बुजुर्ग ने भी कहा है--वैसे गवर्नमेन्ट को जनता का ख्याल रहता है। जिन के वोटों से वह यहां पर आई है उन को वह भुला नहीं देती है, वह हमेशा उनकी दिलजोई का ख्याल रखती है। गवर्नमेन्ट हमेशा जनता का ख्याल रखती है। हमारा और आप का फर्ज है कि सरकार जो इतना बड़ा काम अपने ऊपर ले रही है तो उस की मदद करे और हर मौके पर उसका साथ दें "I want to think of the morrow. I say if the morrow cannot take care of myself for tomorrow, then morrow will take care of itself,, वक्त खुद बता देगा और वक्त से खुद शान्ति मिलेगी, हमें और उन्हें दोनों को शान्ति मिलेगी और गवर्नमेन्ट उसका खुद ख्याल करेगी। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं।

†श्री बन्शीधर शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय मैं तो अपने जमीन्दार दोस्तों को यह मशविरा दूंगा कि वह बहुत खामोशी के साथ अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें। अगर ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो उनको ईश्वर को धन्यवाद दे देना चाहिये कि हिन्दुस्तान

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बन्शीधर शुक्ल]

में जो यह क्रान्ति हुई है वह अहिन्सात्मक तरीकों से हुई वरना उनको अन्य मुल्कों का नकशा अपने सामने रखना चाहिये, जहां पर ऐसी क्रान्तियां हिन्सात्मक तरीकों से हुई हैं। उनका नतीजा क्या हुआ और अब उनकी फैमिलीज और उनकी संस्थाओं का क्या वजूद है और किस शक्ल में वे अब याद किये जाते हैं उनके रिहैबिलिटेशन की वहां पर अब क्या हालत है ? तो ऐसी चीज को जमाने हाल में सामने रखते हुये और इस प्रस्ताव पर गौर करते हुये क्या मेरे मित्र इस प्रस्ताव को वापस नहीं लेंगे । मेरे ख्याल में तो उनके लिये यही बेहतर होगा कि वह इस प्रस्ताव को वापिस ले लें । मैं तो यह कहता हूं कि उन मुल्कों में अगर यह कहें तो मालूम हो जाता कि साहब उनका ताल्लुक ऐसे लोगों से रहा है जो कि जालिम थे और जो इस तरीके की प्रगति में बाधक थे तो शायद यह जमीन्दारों का नौकर होना एक डिसक्वालिफिकेशन होता, लेकिन हम अपने प्रान्त में कानूनी और वैधानिक ढंग से और अहिन्सात्मक तरीकों से हर बात पर गम्भीरतापूर्वक गौर करते हैं। हम कोई बदले की भावना से कार्य नहीं करते हैं। इस बात के लिये जमीन्दारों को और उनके नौकरों को और उनके डिपेन्डेन्ट्स को और जितने भी ताल्लुकीन हैं उनको सरकार और देश की जनता को धन्यवाद देना चाहिये कि उनके साथ ऐसा कोई कार्य बदले की भावना से नहीं किया जा रहा है। इस समय डिप्टी चेयरमैन, श्री निजामुद्दीन, ने सभापति का आसन ग्रहण किया. मैं पूछता हूं कि आप क्यों एक अलग तबका पैदा करना चाहते हैं। हमारा देश गरीब है यहां ऐसे नौजवान हैं, जो शिक्षित हैं उनके लिये भी इम्प्लायमेंट का सवाल है और वह इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के सामने जाकर खड़े होते हैं। ऐसी औरतें हैं, जो जवान हैं और जिनके शरीर में कपड़ा नहीं है, उनको भी इम्प्लायमेंट के सामने खड़ा होना पड़ता है, तो इतना बताइये कि आपकी ऐसी कौन सी बात है जो आपके आदमियों की अलग से व्यवस्था की जाय। आपने मुल्क के साथ क्या खास बात की है ,जिसके लिये आपके साथ नौकरियों में खास सवाल देखा जाय ; आपको थोड़ा सा इस बात में लिहाज आना चाहिये कि आप अपना मुकाबिला करते हैं डिस्प्लेस्ड परसन्स से। आपने कौन सा ऐसा त्याग किया है ? उन लोगों का तो त्याग रहा है। हम चाहते हैं कि आप जमाने की रविश को पहचाने आप हम लोगों से अपने को खास जाहिर करने की कोशिश मत करें। जहां पर आम जनता है आम लोगों का सवाल है उसमें आप भी शरीक होइये। इम्प्लायमेन्ट का दरवाजा आपके लिये भी खुला हुआ है वह आपके लिये बन्द नहीं है और इतना गनीमत समझिये कि आपके जमीन्दार होने का कोई खास डिसक्वालिफिकेशन नहीं है और इतना ही काफी है और लोग भी ऐसे हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता होती है। कर्मचारी जो ईमानदारी से काम करते हैं उनके भी वालदैन हैं जो अपाहिज हैं, तो उनके लिये अपाहिजखाने खुले हुये हैं उनके लड़कों ने उनके लिये क्या किया है ? जो पुअर हाउसेज खुले हुये हैं, आप वहां पर जाने से शर्माते हैं। पुअर हाउस में जाइये और वहां काम करिये जैसा कि और आदमी करते हैं और ईमानदारी से काम करिये मशक्कत से काम कीजिये। यह आप अलग से एक प्रिविलेज क्यों चाहते हैं। रही आप के बच्चों के एजूकेशन का सवाल, तो वह इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनके वालदैन शिक्षा नहीं दिला सकते उनकी परवरिश की जाय और उनको शिक्षा दिलाई जाय।

तो इस तरह से जो जमींदारों के लोग हैं वे आज डिसप्लेस्ड परसन कैसे हो गये ? आज के इस समय में इस इस तरह की बात करना और इस प्रगतिशील जमाने में यह रोना उनका बिल्कुल गलत चीज है और मेरे ख्याल में इस तरह से कहना नाजायज और गलत है। सन् १९३९ में जब टेनेन्सी ऐक्ट पास हुआ था तो उसके बाद भी आज दस साल बीत गये मगर उन्होंने देहात के लोगों को कितना लाभ पहुंचाया और उनकी कितनी मदद की ? उन जमींदारों ने आजतक काश्तकारों पर किस तरह से जुल्म किये और किस तरह से उनको तकलीफें पहुंचाई और उनको तबाह किया और किस तरह से उनको बरबाद किया और फिर आज आप चाहते हैं कि उन लोगों के साथ विशेषता

दिखलाई जाय। मैं तो यह कहता हूं कि आप के साथ आज इस तरह की विशेषता क्यों दिखलाई जाय जबकि आपने उन किसानों के साथ इस तरह से आजतक अन्याय किया ?

श्री सरदार सन्तोष सिंह——माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब हमारे भाई गुरुनारायण साहब जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके विषय में बहुत से सदस्यों ने यहां अपने ख्यालात का इजहार किया और जो ख्यालात उन्होंने यहाँ जाहिर किये, हो सकता है कि मुझे उसका ज्यादा तजुर्बा न हो लेकिन मैं जितनी मिसाल आपके सामने दे सकूंगा वह दूंगा क्योंकि मैं भी जमींदार के यहां नौकर था। मैं नौकर दूसरी स्टेट में था और मैं उन ताल्लुकेदारों के साथ चीफ इन्जीनियर और मैनेजर भी रहा। जो लोग उनके कामों को चलाने वाले थे और जमींदारों के साथ थे वे हमेशा खराब तरीकों से आमदनी किया करते थे। मैंने उन लोगों को ऐसा करते हुये खुद देखा है किसान को जो मिलता था उसमें से ये लोग अपना हिस्सा तय कर लेते थे और यह करीब ५ या १० फीसदी होता था। जहां जो इन्चार्ज मैनेजर होता था वह खड़ा रहता था और वह बतला दिया करता था कि इसको इतना रुपया दे देना चाहिये। तो उनकी सिफारिश पर रुपया फौरन मिल जाता था। इस तरह से उनको आफिस में ही हिस्सा मिल जाया करता था। मैंने इस चीज को खुद देखा है कि वह किस तरह से नाजायज तौर से रुपया कमा लेते थे और जो बहुत कम तनख्वाह पाते थे उन्होंने अपने लिये मकान बना लिये उनके पास काफी जमींदारी मौजूद है उनके पास रुपया भी मौजूद है और उनका रुपया सूद पर चलता है। तो आज इस तरह से जो उनके लिये सिफारिश की जा रही है वह तो अब खत्म हो जानी चाहिये।

उनके पास रुपया पहले से ही है तो उनको जरिया मास देने की क्या जरुरत है ? फीस माफ करने और दूसरी बात के लिये भी कहा गया है और यह भी कहा गया है कि शरणार्थियों की तरह उनके साथ सलूक किया जाय। मुझे अफसोस है कि रिफ्यूजीज तो अपना घर लुटा कर अपना देश छोड़ कर आप के सहारे यहां आये और इन कर्मचारियों ने कौन सी तलवार चलाई है जो इसके साथ वैसा सलूक किया जाय। मैंने किसानों से खुद सुना है कि यह हमारा खून चूसते हैं। अगर इनकी मदद की गई तो मेरा ख्याल है कि एक समय ऐसा आयेगा जब कि ये फिर खून चूसना शुरु कर देंगे। तो मेरे ख्याल में इन लोगों को मदद करना मौजू नहीं मालूम होता है। मैं इन चन्द बातों को कह कर इस प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं और कुंवर साहब से इस्तदुआ करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री मान पाल गुप्त——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का इसलिये विरोध करता हूं कि सब से पहली बात यह है कि ३७ और ३८ से जमीन्दारी एबालिशन की बात चल रही है और १५ या १६ साल का समय हो चुका है। इस समय उन आदमियों ने काफी इन्तजाम कर लिया है जो आदमी जमीन्दार साहबान के यहां काम करते थे उनके विषय में बहुत से मेम्बरों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और हमारे मित्र कल ही इस बात को कह रहे थे कि सरकार में भ्रष्टाचार काफी बढ़ा हुआ है तो जो आदमी स्वयं अपने मालिक के साथ भ्रष्टाचार की बात करता या वह यदि सरकार के यहां नौकर रख लिया जाय तो वह यहां भी और एक मुसीबत खड़ी कर देगा इसलिये यहाँ ऐसे आदमियों को रखना मुनासिब नहीं है। मेरे विचार से तो ऐसे आदमियों को एक सेकन्ड के लिये भी नहीं रखना चाहिये। मेरे मित्र हकीम जी ने कहा कि जमींदार लोग बहुधा ऐसे आदमियों को रखा करते थे जो किसानों को परेशान कर के ज्यादा से ज्यादा रुपया वसूल किया करते थे। यदि ऐसे आदमी यहां रखे जायेंगे तो सारी पार्टियां आलोचना करेंगी और इस तरह से एक अंधे को न्योता देने की तरह कई आदमियों को बुलाने की सी बात होगी यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव की मुखालिफत करता

[श्री मानपाल गुप्त]

हूं। कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसका भी कोई मन्तव्य है और किसी न किसी मन्तव्य से कोई चीज रखी जाती है। कुंवर साहब विद्वान हैं और काफी समझदार हैं। ऐसा करने से हमारे अन्दर बहुत सेवोटेज होगा। इसलिये मैं नहीं समझता कि कोई आदमी इस तरह से रखा जाय। जहां तक योग्य आदमियों का सवाल है उनको योग्यतानुसार रख लिया जायेगा। यहां उनके लिये सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे किसान हैं जो आधारशिला हैं उनके मन में हम किसी तरह का वैमनस्य नहीं पैदा होने देना चाहते जिससे आगे चल कर किसानों द्वारा यह कहा जा सके कि हमारे सर पर उन्हीं आदमियों को फिर सरकार ने रख दिया है, इसलिये इन लोगों को रखना किसी प्रकार भी मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं भी इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री कृष्णचन्द्र जोशी**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो मूल प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित किया गया है, उसके विरोध में तथा जो उसमें संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। मैं मौलिक तौर पर इस चीज का विरोध करता हूं। हिन्दुस्तान के नये संविधान के मुताल्लिक प्रत्येक मनुष्य के लिये समान अधिकार सुरक्षित रखा गया है, इसलिये किसी वर्ग विशेष के लिए किसी ऐसे प्रस्ताव का आना उचित नहीं है। सर्वप्रथम मेरी आपत्ति यह है कि यह प्रस्ताव मौलिक सिद्धान्तों के खिलाफ है। दूसरी वजह मेरे विरोध की यह है कि यह एक जनरल प्रस्ताव है। यह इस किस्म का प्रस्ताव है जिसमें किसी चीज का विचार किये बिना, योग्यता का विचार किये बिना और इस चीज का विचार किये बिना कि उनके पुराने प्रेसीडेंटस क्या हैं यहां पर लाया गया है। कोई भी उनका नौकर हो हम उसके लिए यहां जगह रखें। मैं समझता हूं कि यह एक अनुचित बात है। दूसरी चीज यह है कि हमारे जमींदार भाई साहबान राज्य की नीति को नहीं समझते हैं और उनको विश्वास नहीं है कि जहां जगह होगी वहां उनके आदमियों को भी मिलेगी, अगर वे योग्य हैं। उनको सरकार की नीति पर विश्वास रखना चाहिए। इस प्रस्ताव में यह रखा गया है कि उनके आदमियों को नौकरियां दी जायं, उनकी फीस माफ की जाय और उनका संरक्षण किया जाय। जो आदमी लायक होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको सरकार संरक्षण न दे लेकिन सबके लिए यह कह देना कि हर एक को जो भी हमारा नौकर हो, चाहे वह किसी हैसियत का रहा हो, नौकरी दी जाय, मैं इन विचारों का विरोध करता हूं। मेरा कहना यह नहीं है कि जमींदारों ने ऐसा किया, वैसा किया। ये तो पुरानी बातें हैं। अब इन बातों के कहने का समय नहीं है। जमींदारों को इस बात को सोच लेना चाहिए कि उनकी आज जो कुछ स्थिति हुई है, उसमें उनका कसूर नहीं है। उसमें ज्यादा कसूर तो उनका है, जिनके लिए आप यह मांग पेश कर रहे हैं। जो कुछ भी जुल्म या ज्यादतियां की हैं वे सब उन्हीं लोगों ने की है और उन्हीं की वजह से आप बदनाम हुए हैं। आप उनके एंटीसीडेंट्स को देखिये। मैं कहता हूं कि जो काबिल हैं उनके लिए सरकार से कहिये। अगर आप सब के लिए कहते हैं तो आप इस तरह से एक वर्ग की सहायता कर रहे हैं। मैं इन चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से आपने यह प्रस्ताव रखा है उसको आप वापस ले लेंगे क्योंकि यही उचित है कि आप इस तरह का जनरल प्रस्ताव न रखें। इसके संबंध में जो अमेंडमेंट्स हैं वे भी कोई खास अमेंडमेंट नहीं हैं। जो लायक लोग हैं उनको नौकरी देने का सरकार का फर्ज है। इस प्रस्ताव के लाने से इसमें कोई फर्क नहीं आता है। जो अमेंडमेंट्स हैं, उनके भी मैं खिलाफ हूं क्योंकि ये हमारे मूलभूत सिद्धांतों पर कुठाराघात करते हैं।

श्री रामकिशोर रस्तोगी---उपाध्यक्ष महोदय जो प्रस्ताव कुंवर साहब ने उपस्थित किया है उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि जिस तरह का प्रस्ताव इस सदन में लाने का साहस

---

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

किया गया है इससे तो हमें पुरानी घटनायें, जो जमींदार द्वारा हुई हैं, वे हमारे नागरिकों के दिल के घाव ताजा कर देती हैं । जब यह प्रस्ताव रखा गया तो पुरानी घटनायें मानवता के विपरीत; इनके द्वारा जिस तरह से की गयीं जिस तरह से मानवता का गला घोंटा गया, वह नक्शा हमारे सामने आ जाता है । मैं उसको उपस्थित करके किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहता हूं कि किस तरह से बातें पहले होती थीं । आज यह प्रस्ताव हमारे सामने आता है तो भय लगता है कि कहीं कानून की आड़में वे व्यक्ति फिर न घुस आयें जिनका कि अत्याचार करना ही काम रहा है । उनका आना ठीक नहीं है जमींदार तबका अपने यहां ऐसे ही व्यक्तियों को मुलाजिम रखता था जो हेकड़ होते थे । वे गावों के व्यक्तियों को लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे । यही वजह है कि हमारे यहां पिछले वर्षों में किसान आगे नहीं बढ़ पाये । शिक्षा में उन्होंने तरक्की नहीं की, क्योंकि वजह यह है कि जमींदार चाहते थे कि ये पिछड़े रहें और तभी शोषक वर्ग अपने शोषण में सिद्ध हो सकेंगें । जब मैं पिछले दिनों की इनकी पिछली बातें सोचता हूं तो फिर इस तरह की बातें प्रस्ताव द्वारा उपस्थित करना जिस तरीके का कार्य पिछले दिनके करते रहे हैं उस सिलसिले में इस तरह फिर वे कैसे करते हैं कि उन मुलाजिमों को कानून की रक्षा में लाकर मुख्तलिफ जिम्मेदार जगहें उनको दिलाई जायं । वे लोग किसानों की मेहनत की कमाई से बिना मेहनत किये आराम उठाते थे । उसका नतीजा आप देखते थे कि गांव में जो सात या आठ रुपये की मुलाजिमत करते थे तो उनसे भी काफी अच्छे नौकर उनके पास रहते थे । जब ऐसी चीज है तो हमें मालूम होता है कि जो किसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर भी वह आगे तरक्की नहीं करता । आर्थिक समस्या उसके आगे रहती है । लेकिन जो व्यक्ति उनकी गाढ़ी कमाई के बल पर इतराता था, उनका आना सर्विसेज में अच्छा नहीं है । हमारा सिद्धान्त जिस तरह का है और जिस तरीके पर बना हुआ है वह भी हम को ऐसी आज्ञा नहीं देता है । जिनका इतराना निकम्मा रहा है उनको हम प्रोत्साहित न करें ।

मैं तो यह समझता हूं कि यह एक डिसक्वालीफिकेशन लगा दी जाय कि अगर यह लोग या इनके कारिन्दे कहीं सर्विसेज वगैरह में रखे जायेंगे तो फिर वह वैसे ही अत्याचार करेंगे जैसे जमींदारी अबालीशन के पहले करते थे । सरकार तो चाहती है कि समानता का सब के साथ व्यवहार किया जाय, मगर यह अब भी अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आते और इस तरह के प्रस्ताव को लाने का साहस करते हैं । आज इस तरह का प्रस्ताव करना मैं समझता हूं हमारी सरकार की ढिलाई का नमूना है । जब यहां जमींदारी अबालीशन डे मनाया गया तो मैं भी मौजूद था । हाफिज साहब ने कहा था कि हम जानते हैं कि जमींदारों ने काफी जुल्म काश्तकारों पर किया है मगर हमें अब उन चीजों को देखना नहीं है क्योंकि हम गांधीवाद के मानने वाले हैं । इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि हमारे सभी साथी हमारी बात से सहमत होंगे कि इस तरह के प्रस्तावों को कतई प्रोत्साहन न दिया जाय । आज भी ये लोग देहातों में जा कर तरह तरह के स्वप्न किसानों को दिखाते हैं कि हम जमींदारी को लाने की कोशिश कर रहे हैं । मगर किसान इनसे काफी सतर्क हैं कि अगर फिर जमींदारी आई तो हमें फिर इनके जुल्म सहने होंगे । इसलिये आज हम ऐसे प्रस्ताव को केवल अस्वीकृत ही न करें बल्कि उनको एक डिस्क्वालीफिकेशन समझ लें और यदि कहीं नौकरियों में वह दरख्वास्त दें तो यह देखें कि यह जमींदारों से सम्बन्ध रखते हैं या उनके कर्मचारी रहे हैं, ऐसा किया जायेगा तो बहतर होगा । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उसके साथ जो संशोधन रखा गया है उसका भी विरोध करता हूं ।

श्री राजा राम शास्त्री—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, कुंवर गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसको पढ़ने के बाद मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ । आश्चर्य इसलिये नहीं हुआ कि हम इस भावना को देखते हैं कि उनके हृदय में यह ख्याल क्यों हुआ

[श्री राजा राम शास्त्री]

कि जमींदारी अबालीशन के बाद उनके कर्मचारियों का इन्तजाम किया जाय? मैंने इस हिन्दुस्तान में बहुत से राजे ऐसे थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। मगर जब वह गद्दी से उतारे गये तो कांग्रेस सरकार ने कोशिश की कि उनको तकलीफ न होने पाये। इसलिये किसी राजा को राज प्रमुख बनाया, किसी को फारेन इम्बैसी में लगाया। कांग्रेस सरकार की नीति है कि कोई हो राजा महाराजा या जमींदार या उनके कर्मचारी कोई हों किसी प्राणी को कष्ट न हो। जब ऐसी भावना है तो राजा-महाराजा भी कांग्रेस की तरफ देखते हैं बावजूद इसके कि अभी कल उन्होंने देश के खिलाफ काम किया मगर आज वे देखते हैं कि कांग्रेस की क्षात्रछाया में उनका भी भला हो सकता है और इसलिये वह भी मांग करते है, जैसे जमींदारी अबालीशन के पहले उनकी मांग थी कि हमारी जमींदारी रहनी चाहिये। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने अपने उसूलों के मुताबिक कि उनको क्यों तकलीफ होने पाये एक कानून बना दिया कि किसी जमींदार के पास चाहे हजार बीघा जमीन खुदकाश्त और सीर का हो मगर उसको छीनने की जरूरत नहीं है। जमींदारों के पास हजारों बीघा जमीन रहने दिया जाये। उनके बाग बगीचे बरकरार रक्खे जायें, चाहे जमींदारी चली जाये और फिर उसके बाद उन्होंने यह भी देखा कि चाहे कितना ही बड़ा ताल्लुकेदार क्यों न हो और लखनऊ में उसके कितने ही बंगले क्यों न हों उस ताल्लुकेदार को भी मुआविजा दिया जाना चाहिये। अगर ऐसे मौके पर जमींदारों को यह ख्याल आया कि जो सरकार राजा महराजा, नवाब, ताल्लुकदारों का ख्याल कर सकती है। पुराने जमाने में कितने ऐसे लोगों को जिन्होंने जिन्दगी भर देश के खिलाफ काम किया है उनको मेम्बर बनाकर असेम्बली और कौंसिल की गद्दियों पर बिठाल सकती है और साथ ही कोशिश करके देखा कि हमको भी मुआविजा मिला, तो साथ में हमारे मुसाहिबों को भी कुछ मिल जाये, तो अच्छा है। कांग्रेसी लोगों को भी ठंडे दिमाग से ख्याल करना चाहिये जैसा कि एक मेम्बर साहब ने कहा कि जमींदारों ने किसानों के साथ और देश के साथ बुरा व्यवहार किया है लेकिन यह याद आपको उस दिन नहीं आई जिस दिन राजाओं को राज प्रमुख बनाया गया तो क्या उन्होंने देश के साथ कोई अच्छा काम किया था। जमींदारों के जुल्मों की याद उस दिन क्यों नहीं आई जिस दिन कि आपने पास किया कि जमींदारों को मुआविजा दिया जाये। ऐसी हालत में इस प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस की तरफ से मुनासिब नहीं था। वह चाहते हैं कि जैसे हमारा ख्याल किया गया वैसे ही हमारे मुलाजिम का भी ख्याल किया जाये तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हमारी नीति स्पष्ट है। अगर हमारे हाथ में सरकार होती तो हमारी नीति एक है। प्रजातंत्र के अन्दर राजाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिये। जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, उन्हें कोई हक नहीं है कि वह गद्दियों पर बैठें। मैं जानता हूं कि जमींदारों ने जिन्दगी भर किसानों के साथ अत्याचार किया है फिर उनको मुआविजा क्यों दिया जाये। मैं जानता हूं कि कुंवर गुरु नारायण को हम से कोई गरज नहीं हो सकती है। लेकिन जहां तक आपकी नीति का ताल्लुक है उन्होंने यह प्रस्ताव पेश करके यह देखना चाहा था कि हमारे नौकरों के बारे में भी आपको कुछ हमदर्दी है या नहीं? राजाओं को भी कुछ मिला, जमींदारों को भी कुछ मिला, मगर हमारे नौकरों को कुछ नहीं मिला, हमारा हमेशा यह ख्याल रहा है कि जो असेम्बली और कौंसिल के कांग्रेस के मेम्बर हैं और जो जमींदार हैं उनका आपस में कुछ भी मतभेद नहीं है। यहां पर जो इनकी बहस होती है वह दिखावे की कुश्ती होती है। जैसे बाजार में एक नूरा कुश्ती होती है वह मिली-जुली कुश्ती होती है। देखने वाले तो समझते हैं कि यह दोनों आपस में कटे मरे जा रहे हैं, लेकिन वह आपस में मिले रहते हैं। इसी तरह से यह जमींदार और कांग्रेस के मेम्बर आपस में यहां बहस मबाहिसा करते हैं और फिर जहां तक जमींदार असेम्बली और कौंसिल में चिल्लाते हैं कि तबाह हो गये, बरबाद हो गये, मिट्टी में मिल गये, वह लोग सब कुछ कहते हैं लेकिन सचमुच जब कभी

वह लोग अकेले में बैठ कर सोचते होंगे, तो जरूर परमात्मा को धन्यवाद देते होंगे कि अच्छा हुआ कि यह कांग्रेस वाले ही गद्दी पर आये। उनके अलावा अगर कोई दूसरा आया होता तो मैं सोचता हूं कि उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिये था, यह उनको अच्छी तरह से पता लग जाता। हम तो सदा ही कहते रहे हैं कि भले ही भवन में ये लोग सरकार का विरोध करते हैं लेकिन सोचते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ और जैसा आप ढिंढोरा पीटते हैं, माफ कीजिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब आपसे नहीं था मैं सरकार बहादुर को कह रहा था कि जैसा यह लोग ढिंढोरा पीटते हैं, कि किसानों को जमीनें मुफ्त मिल गईं जमींदारी का खात्मा हो गया। राम राज्य जल्दी ही आ रहा है, चंद दिनों में इन सब बातों की सत्यता प्रगट हो जायगी और जिस तरह से जमींदारी को मिटाने की कोशिश की गई है वह एक बिल्कुल गलत तरीके को अख्तियार करके काम किया गया है और इसके लिये चंद रोज के बाद हमारे देश को पछताना पड़ेगा।

मुझे खुशी होती अगर दूसरा रेजोल्यूशन पहले पेश किया गया होता मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। कुछ दिन पहले ही एक रेजोल्यूशन और पेश किया गया था कि किसी के पास भी तीस एकड़ जमीन से ज्यादा न रहनी चाहिये। मुझे खुशी है कि अब कुछ कांग्रेसी भी हमारी इस बात को मानने लगे हैं कि किसी के पास भी तीस एकड़ जमीन से ज्यादा न रहे। इस रेजोल्यूशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह पास कर दिया गया तो इसका नतीजा यह होगा कि जिस किसी भी डिपार्टमेन्ट में जमींदारों के आदमियों को नौकर रक्खा गया तो समझ लीजिये कि जमींदारी भले ही मिट गई हो जमींदार पार्टी भले ही एलेक्शन में हार गई हो लेकिन वह डिपार्टमेन्ट कुंवर गुरु नारायण जी के हाथ में चला ही जायगा। मैं समझता हूं कि जिन कारिन्दों ने अपनी जान हथेली पर रख कर उनका जिन्दगी भर साथ दिया, उनसे रोजी पाई, वह जरूर उनका ख्याल रक्खेंगे और उस डिपार्टमेंट के लिये हमें जरूर पछताना होगा। जहां तक उनको नौकरी दिलाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही खतरनाक बात है। जहां तक भत्ता दिलाने का सवाल है उसके बारे में मेरा ख्याल है कि यह एक उसूली बात है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर ध्यान दें। आज कल की सरकार का यह उसूल है कि अगर वह किसी की जायदाद लेती है तो उसको मुआविजा देती है, लेकिन जिसकी जायदाद ही उसकी नौकरी है और उसकी जायदाद छीनी जाय, तो उसको कोई मुआविजा नहीं दिया जाता। सारे देश में जहां कहीं भी गवर्नमेन्ट कोई जायदाद पर कब्जा करती है तो कहती है कि संविधान में लिखा है कि उसके मालिक को उसका मुआविजा मिलना चाहिये और हम बिना मुआविजा दिये किसी की जायदाद नहीं छू सकते। लेकिन आज हमारे मुल्क में कितने आदमियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है कितने मजदूरों को मिलों से बिना किसी कारण के निकाल दिया जाता है तो उनको मुआविजा देने का उसूल क्या है? किसी गरीब की जायदाद क्या है? उसके पास उसकी नौकरी ही उसकी जीविका का सहारा है, उसी के सहारे वह और उसके बाल-बच्चे पलते हैं। मैं आप से सच्चाई के नाम पर पूछता हूं, आप बतलाइये कि एक जायदाद वाला व्यक्ति जिसके पास न मालूम कितनी धन दौलत है, जिसका करोड़ों, अरबों रुपया बैंकों में जमा है, उसकी जायदाद लेने पर मुआविजा देने का प्रश्न उठता है? लेकिन म्युनिसिपैलिटी का एक मेहतर और कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी जीविका का साधन ही उसकी नौकरी है, उसको नौकरी से पृथक करने पर उसका कोई ख्याल नहीं होता, उसको मुआविजा देने का कहीं नाम भी नहीं लिया जाता। मैं समझता हूं कि जब देश में करोड़ों आदमी बेकार हैं और हजारों और लाखों आदमियों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में एक जायदाद वाले व्यक्ति को मुआविजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता और ऐसा करना कोई एक मुनासिब बात नहीं है हम राम राज्य के हामी हैं और वास्तव में राम राज्य को स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन वह इस तरह से नहीं बनाया जा सकता। हमारी परिस्थिति यह है कि चारों तरफ भूख

[श्री राजा राम शास्त्री]

और बेकारी फैल रही है। बेकारी के कारण कितने आदमी आत्महत्या कर रहे हैं और कितनी मातायें अपने बच्चे बेंच रही हैं। आज यह कहना कि हमारे नौकरों को मुआविजा दिया जाय, तो अगर किसी की नौकरी छूटने पर मुआसिजा दिलाने का सवाल है, तो कुंवर गुरुनारायण साहब आप इस प्रश्न को लेकर जरा ऊपर उठिए और एक आदर्श की चीज को ले लीजिए। इस देश के अन्दर ही नहीं, बल्कि दुनियां के अन्दर कितनी ही वेलफेयर स्टेट मिलती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जिस इन्सान ने दुनियां में जन्म लिया है, उसके लिये वह जीविका का साधन भी हासिल करे। वास्तव में यह हुकूमत से मांग की जा सकती है कि प्रत्येक बेकार आदमी को नौकरी दी जाय या इस तरह का कोई भत्ता दिया जाय, यह कोई उसूलन गलत बात भी नहीं है। दुनियां की प्रत्येक हुकुमत इस बात को मानती है। लेकिन आज हमारें देश की सरकार जिसके पास शिक्षा के लिये पैसा नहीं है, जिसके पास दवा दारू के लिए साधन नहीं हैं, उसके सामने यह प्रश्न नहीं उठता है कि प्रत्येक बेकार को भत्ता दिया जाय। मैं तो जरूर इस बात को मानता हूं कि अगर आज हमारी शोसलिस्ट पार्टी की हुकूमत होती या समाजवादी सिद्धांत पर चला जाता, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह प्रश्न कभी नहीं होता कि जमीन्दारों के नौकर भूखों मर रहे हैं इसलिये उनको मुआविजा मिलना चाहिए। हम इस बात को मान कर चलेंगे जो कि उसूलन ठीक होगी। प्रत्येक नागरिक हमारे देश का रहने वाला है और हुकूमत पर उसका उत्तरदायित्व होगा। इसकी रक्षा के लिये चाहे रईस से ही रुपया लेना पड़े लेकिन जहां से भी रुपया मिलेगा, वहां से ले लेंगे। लेकिन बेकार और गरीब को रोटी देना हमारा फर्ज होगा। मैं जानता हूं कि जब मैं इस भवन के अन्दर यह प्रस्ताव लाऊंगा कि बेकारों को मुआविजा मिलना चाहिए तो उस वक्त कुंवर गुरुनारायण जी उसको टालने वालों में से होंगे और यह न कहेंगे कि इस उसूल को मान कर चलना चाहिए। मेरा प्रस्ताव जब इस सदन के सामने आयेगा और जो समाजवादी सिद्धांत पर होगा कि गरीबों को रोटी मिलनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजी तथा रोटी मिलनी चाहिए, इन लोगों की सहायता के लिये जहां से भी धन मिल सके, वह मिलना चाहिए तो उस वक्त गुरु नारायण जी को इस बात की मुखाफिलत नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी जायदाद छीनी जाती है और उनको एक कौड़ी भी नहीं मिलती है तथा गरीबों को वह चीज मिलती है, तो उन्हें इसमें एतराज नहीं होना चाहिए। जिस दिन यह सिद्धांत लेकर आप चलेंगे तो कोई बात आप के खिलाफ नहीं हो सकती है। उस वक्त कांग्रेस वाले भी इस सिद्धांत को मानने के लिये तैयार हो जायेंगे। लेकिन आज उनके दिल में आपके लिये हमदर्दी है कि आपको इस तरह से तकलीफ हो जायेगी। आज सरकार इस तरह की जो बातें करती हैं, उससे किसके तबके का कल्याण होगा। मेरा कहना है कि इस तरह से अपने लिये ही मांग करना गलत है। आप देश के प्रत्येक नागरिक को एक ही समान समझें। मेरा इतना विश्वास है कि जिस तरीके से यह प्रस्ताव पेश किया गया है उसके पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे हमारे समाज का कोई हित नहीं है। इसमें कोई उसूल नहीं है। जो मेरे विचार थे वह मैंने आपके सामने पेश कर दिये। मुझे आशा है कि भवन इस पर गौर करेगा और इस प्रस्ताव को कदापि पास नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मन्त्री (श्री हर गोविन्द सिंह)—श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय, ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, मेरी समझ में हर दृष्टिकोण से इस भवन में विचार हुआ, पक्ष और विपक्ष की ओर से। कितनी बातें सम्भव थी सबही भवन के सामने रखी गई। इसलिये मैं समझता हूं कि यदि मेरे मित्र श्री राजा राम शास्त्री जी आखीर में न बोले होते, तो मेरे लिये बहुत ही कम बातें बोलने को थी। जो प्रस्ताव इस भवन के सामने रखा गया है उसके दो पहलू हैं, एक तो बेकारी है। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद जमीन्दारों के बहुत से नौकर बेकार होंगे, यह निस्सन्देह सत्य है। इससे हमारे देश की बेकारी में थोड़ी सी वृद्धि जरूर हो जाती है, यह सत्य है। दूसरा पहलू हमें यह दिखायी पड़ता है, इसमें यह कहा गया है, इसमें यह आग्रह किया गया है कि यह योग्यता समझी जाय कि वह जमीन्दार का नौकर था, इस कारण उसको

नौकरी दी जाय। इन दोनों पहलुओं पर भवन के सदस्यों ने अपने सुझाव दिये, वह कुछ हद तक ठीक ही थे। जो बेकारी होगी उस बेकारी को दूर करने के लिये प्रयत्न करना चाहिए। चाहे लाल टोपी वाले हों या सफेद टोपी वाले हों, दोनों को मिलकर इस समस्या को हल करना चाहिये लेकिन इस के साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई जमींदार का नौकर है इस कारण से उसको नौकरी न दी जाय, तो ऐसे विचारों का प्रजातन्त्र में कोई स्थान नहीं होता है। जहां एकतन्त्रवाद है, वहां पर ऐसा हो सकता है, प्रजातन्त्र में यह चीज संभव नहीं है। एकतन्त्रवाद में अपने विचार होते हैं। आप रूस को ले लीजिए, वहां पर बहुत दिनों तक बड़े-बड़े जमीन्दारों और ठेकेदारों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया, बहुत बाद में उनको यह अधिकार दिया गया। ऐसे स्थानों पर यह बात हो सकती है। हमारे यहां प्रजातन्त्रवाद में हर बालिग मनुष्य को अधिकार है कि वह वोट दे, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। प्रजातन्त्रवाद में मनुष्य साध्य होता है, साधन नहीं होता है, एकतन्त्रवाद में मनुष्य साध्य होता है, साधन नहीं होता है। दुनिया में आज ज्यादा अधिक भूखंड इसके अंदर हैं और केवल इसलिये कि वहां पर मनुष्य की प्रधानता है। वह साध्य समझे जाते हैं, वह साधन नहीं होते। तो इसके लिये प्रजातन्त्रवाद में अगर हम एक तरफ तो यह कहें, कि इस वक्त देश का प्रत्येक व्यक्ति बशर्ते कि उसने उम्र प्राप्त कर ली हो, उसके बाद उसका अधिकार होता है देश के राज्य में योग देने का, उसमें भाग लेने का और उसमें अपने विचार प्रकट करने का और दूसरी ओर हम इससे यह कहें कि देश के उन कार्यों से तू इसलिये विलग हो गया कि तू सबसे पहिले जमीन्दार का नौकर था, तो यह दोनों चीजें असंगत हैं, यह मेरा विचार है और इसलिये मैं इससे भी असहमत हूं कि किसी कारण किसी को नुकसान पहुंचाया जाय—मैं यह मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति पर वातावरण का प्रभाव होता है। एक वातावरण में आप किसी व्यक्ति को रक्खें तो आप यह देखेंगे कि उसका पिछला स्वभाव बदल करके एक दूसरा स्वभाव उसमें उत्पन्न हो रहा है, उसका अंकुर जम रहा है, तो अगर वातावरण और मनुष्य का स्पष्ट सम्बन्ध होता है तो मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि देश के स्वतन्त्र होने पर, स्वतन्त्रता के इस वातारवण में भी, कोई व्यक्ति वंचित रह जाय इसलिये चाहे स्वयं वह जमीन्दार नहीं था और जो स्वयं किसी राजा के घर पैदा नहीं हुआ, जिसने स्वयं अपने माता—पिता को नहीं त्यागा, आज उनको मना करते हैं कि जमीन्दार के यहां उसने नौकरी कर ली तो वह खराब हो गया और हमेशा के लिये खराब हो गया और अब सुधर नहीं सकता, देश के किसी कार्य में भाग नहीं ले सकता है, देश के लिये लाभदायक नहीं हो सकता है। मैं कम से कम यह समझता हूं कि यह हमारे प्रजातन्त्रवाद और हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिये मैं इसको नहीं मानता, तो इस कारण कि कोई जमीन्दार का नौकर रहा है और इसलिये उसको नौकरी से अलग किया जाय और अयोग्यता की श्रेणी में उसको शामिल किया जाय और इसलिये योग्यतायें होते हुए भी हम उनको नौकरी में न रक्खें, यह चीज मैं समझता हूं कि हमारे सिद्धांत और सरकार के सिद्धांत, जो सिद्धांत हमने अपने लिये निश्चित किया है और जो संविधान में हमारा मत है, उसके लिये प्रतिकूल होगा। इसलिये जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम इस उसूल को नहीं मानते। अब इसमें कोई सन्देह नहीं कि बहुत से मेरे प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने यह कहा और ठीक ही कहा कि हमारी सर्विसेज में, हमारी नौकरियों में एक स्तर होता है और हमें एक योग्यता की जरूरत है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि अधिकत्तर जो नौकर जमीन्दारों के यहां रखे जाते थे, उनके सामने कोई योग्यता का प्रश्न नहीं था। वह किन कारणों से, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता और उसमें जाना ठीक भी नहीं समझता। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् जिन ऐतिहासिक कारणों से उन्मूलन करना आवश्यक हुआ, उन बातों को यहां दोहराया जाय, मैं ठीक नहीं समझता क्योंकि अब वह चीज चली गयी और वह किसी तरह से आ नहीं सकती। लेकिन इसके फलस्वरूप जो स्थिति अब उत्पन्न है, उसमें अब हमको किसी संकीर्ण दृष्टिकोण से विचार नहीं करना चाहिए। हमको उसमें एका रखना चाहिए चाहे वह जमीन्दारों के नौकर रहे हों और चाहे वह अत्याचारी भी रहे हों, लेकिन उसका भी एक अधिकार किसी देश में होता

[श्री हरगोविन्द सिंह]

हैं, तो उसको भी अन्न और थल मिले, उसको खान के लिये मिल, रहने के लिये मकान मिले, उसको कपड़ा मिले। यह तो यदि आप जेल में अपराधी को रखते हैं, लेकिन अगर जेल में यह व्यवस्था कर दी जाय कि चूंकि उसने एक आदमी का कत्ल किया है, इसलिये उसको खाना नहीं देना चाहिए, तो आपकी गणना सभ्य सरकारों में नहीं होगी, सभ्य देश में नहीं होगी, मेरा ऐसा विचार है। हम सबको इस दृष्टिकोण से इस मसले पर विचार करना चाहिए और इस दृष्टिकोण से हम विचार भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस प्रश्न के पहलू पर मैंने यह कहा तो दूसरे पहलू पर भी मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं। वह यह है कि जमीन्दारों का नौकर होने से कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है और चाहे वह योग्य न भी हो। लेकिन जहां तक यह चीज है कि उसमें जमीन्दार का नौकर भी शामिल है, अवश्य ही वह होना चाहिए और उनके भरण-पोषण का कोई माकूल इन्तजाम नहीं हैं, तो इससे सरकार अच्छी तरह से परिचित है और इस पर जितना भी संभव हो सकेगा, किया जायेगा और वह हमें करना भी चाहिए, वह इसलिये नहीं कि यह राजा राम जी ने कहा बल्कि इसलिये कि एक नागरिक होने के नाते उसका यह हक है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसका दूसरा पहलू है और वह यह है कि चाहे वह अयोग्य समझा जाय तो उसको भी देना चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि यह हमें अमान्य है और हम इसको नहीं मान सकते। हम प्रजातन्त्र में किसी विशेष श्रेणी का निर्माण नहीं कर सकते और हमें इसको ध्यान से देखना है कि हम इसको पूरा कर सकेंगे या नहीं। जब आज हम यह चाहते हैं कि हम एक वर्गहीन समाज का निर्माण करें तो उसमें हमें किसी श्रेणी का कायम रखना और एक ऐसी श्रेणी के लोगों को कुछ विशेषता दना संभव नहीं है और यह चीज आज हमारे लिये अमान्य है और इस चीज को हम नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जो हमारे सामने आती है उसमें यह देखना है कि उसे किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं और हम उसको भवन के सामने रखें और इसलिये रखें कि शायद उसका प्रभाव यह हो कि यदि हम उनको एक तरह का आश्वासन दे दें, तो वे अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें। लेकिन मैं कम से कम जितनी बातें कही गई हैं, चाहता हूं कि उस पर ध्यान दिया जाय। श्री राजा राम जी ने कहा है कि मुझे ऐसा डर है कि शायद इसे कहने में या करने में वे शरमाते हों। वे यह समझते हैं कि हमारी दृष्टि में, हमारे देश में जो कुछ भी किया गया है, उसमें कदाचित् निर्माण में उतना न हो लेकिन श्री राजा राम जी का यह कहना है कि हम शरमाते हैं, तो हमें किसी बात की शर्म नहीं है, हम उसके लिये प्रयत्न करते हैं और इस समय चाहे हम उसमें उतने सफल हो रहे हैं या नहीं लेकिन भविष्य में अवश्य सफल होंगे और मुझे इसको कहने में कोई शर्म नहीं है। हम तो यह चाहते हैं कि हम किसी के साथ भेद-भाव का बर्ताव न करें और इसके साथ ही साथ अहिंसा के सिद्धांत को भी अपनावें। हम नहीं चाहते कि यहां किसी की रोजी छीनी जाय, लेकिन जो जमीन्दारी प्रथा खराब रही है उसको हमनें जरूर खतम किया है, इसलिये कि इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें खराब होने के कारण ही हमने उसका उन्मूलन किया। लेकिन उस उन्मूलन के बाद अब हम जमीन्दारों को अपना दुश्मन नहीं समझते और कम से कम मैं तो इसके बिल्कुल प्रतिकूल हूं कि हम ऐसा समझें और यह कहना कि हमने किसी दोस्ती के नाते उनको मुआविजा दिया, यह बात मेरे ख्याल में गलत है। सिद्धांत की बात उन्होंने कही, लेकिन जिस तरह से किया जाता है उसमें फिर सिद्धांत की बात कहां रह जाती है। मैंने इस एलेक्शन में यह देखा कि किस प्रकार जनसंघ से नाता जोड़ा जाय। मैं नहीं समझ सकता कि कोई भी राजनैतिक पार्टी, जनसंघ या हिन्दू सभा और जो प्रतिक्रियावादी संस्थायें हैं, उनसें अपना नाता जोड़ कर इस बातका प्रयत्न करें। मैं तो यह समझता था कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, वह यह कहना चाहेगा कि मैं चुना जाऊं। कांग्रेस वाले जैसा कहते हैं, मैं चुना जाऊं और अपने सिद्धान्त पर वह जन पक्ष का वोट अपने हित में चाहें, वैसे ही सामाजवादी भाइयों को भी अधिकार था। मैं समझता हूं कि अपने सिद्धान्तों को सब से बड़ा अहित वह करता है जो चुनाव में

सफल होने के लिये ऐसी ऐसी गुट बन्दियां करता है। मुझे इसकी शर्म है। इसलिये कि इससे राजनैतिक स्तर नीचा होता है। यह दूसरी बात है कि आज मैं यहां पर बैठा हूं और कल दूसरे लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर स्तर ऊंचा है तो देश का भविष्य कल्याणमय हो सकता है। यदि राजनैतिक स्तर नीचा हो जाता है, तो मेरी समझ में देश का भविष्य बड़ा भयावह है। जमीन्दारों को मुआविजा मैंने दिया, लेकिन यह बात जो श्री राजा राम जी ने कही है कि मैंनें दोस्ती की है; हम उनके साथ मेल की कुश्ती लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह नीचे स्तर की बात है। अगर श्री राजा राम जी की तरफ से या आचार्य नरेन्द्र देव जी की तरफ से कोई प्रस्ताव आया होता तो मैं समझता कि ठीक है। हम लोग जमीन्दारों के पक्ष में हैं; लेकिन एक बड़ा नेता जिस पर कि मैं भी श्रद्धा रखता हूं; उन्होंने अपने बयान में जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में यह दिया है।

"Although Acharya Narendra Dev whom we have examined as a witness has admitted that at the present stage of the country's development abolition with compensation is the only practical proposition"

श्री राजाराम शास्त्री—वह बयान कब दिया था ?

शिक्षा मन्त्री—सन् १९३७ में। आप तो जानते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट कब छपी है और कमेटी की बैठक कब हुई है। तो यह कह देना कि जमीन्दारों से दोस्ती है इसलिये कम्पेन्सेशन दिया जाता है, यह ठीक नहीं है। यह कहना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने पहिले कहा कि हमारा देश एक प्रजातन्त्रवादी देश है और हम इस ओर बढ़ना चाहते हैं और हमे एक समाज की स्थापना करना है तो इसमें इन चीजों को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस विषय पर मैं अधिक समय इस भवन का नहीं लेना चाहता हूं। यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर अधिक समय लिया जाये। हम को फिर भी मौका मिलेगा लेकिन म आशा करता हूं कि जो बातें मने कही ह, उसको देखते हुए प्रस्तावक महोदय इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

डिप्टी चेयरमैन—कौंसिल २ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक अवकाश के लिये १ बजे स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आज मैंनें इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया था और उसके ऊपर जो विवाद हुआ उसको सुन कर मुझे बहुत ही दुख हुआ। विवाद जिस प्रकार का किया गया वह मालूम कुछ एसा होता था कि क्रोध इस प्रस्ताव के आने से ही आ गया है। हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि कुंवर साहब को कैसे साहस हुआ इस प्रकार का प्रस्ताव इस भवन में लाने का और मुझे दुख इस बात का है कि हमारे माननीय कांग्रेस के सदस्य हैं। जो संस्था प्रजातन्त्र के उसूलों पर चलने वाली हो और जिस संस्था का यह सिद्धांत हो और जिसमें इतनी क्षमता हो कि वह दूसरों के विचारों को सुने, वह सदस्य ऐसा कहे कि साहस कैसे हुआ, तो वाकई बड़े दुख की बात है। लेकिन मैं इसको इसलिये बुरा नहीं समझता क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिया वह क्रोध में आ कर दिया। जहां तक जमीन्दारी प्रथा का संबन्ध था, वह खत्म हो गयी। जितना यहां पर विवाद हुआ वह ज्यादातर आक्षेप जमीन्दारों के ऊपर था कि उनके कारिन्दे ऐसे खराब होंगे उन्होंने यह किया होगा, वह किया होगा, तो इस प्रकार की बातें हुयीं। माननीय मन्त्री जी ने, जिन्होंने उत्तर दिया, उनके उत्तर में कोई ऐसी भावना प्रतीत नहीं होती थी। हमारे सोशलिस्ट पार्टी के लीडर श्री राजा राम जी ने जमीन्दारी के सम्बन्ध में कहा। मुझे कहना पड़ता है कि जहां तक जमीन्दारी प्रथा का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहूंगा आज कांग्रेस के नेताओं से और समाजवादी दल के नेताओं से, कि उन्होंने जमीन्दारी प्रथा का अन्त किया

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

इसलिये कि जमीन्दारी खराब थी या वे समाजवाद को सच्चे रूप से कायम रखना चाहते थे। अगर जमीन्दारी खराब थी और जमीन्दारी का इसलिये अन्त किया, तो दूसरी चीज है। अगर यह चीज है तो हमारा दृष्टिकोण जो है, वह दूसरा है। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा लखपती हो, कितना ही धर्म क्यों न करता हो, हर व्यक्ति के लिये समान अधिकार होना चाहिये तो दूसरी बात है। मैं जहां तक समाजवाद का सिद्धांत समझ पाया हूं वह यह है कि चाहे कितना ही छोटे से छोटा जमीन्दार होता, आप उसको छोड़ न देते। इसलिये जमीन्दारों के प्रति इस तरह आक्षेप करना ठीक नहीं है। बहुत सी बातें कही गयीं कि जमीन्दार ऐसे थे और जमीन्दार वैसे थे। मैं भी कह सकता हूं कि बहुत से दलों में ऐसे भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, तो यह गलत बात न होगी। इसके माने यह नहीं है कि किसी दल में कुछ भ्रष्टाचारी आ गये हैं या उस दल में कुछ गुन्डों ने शरण पा ली है तो उस दल को ही बुरा कहें। आज भी मैं कहता हूं कि मैं जमीन्दार हूं और मुझे फख्र है कि मैं जमीन्दार हूं। जो जमींदार हो कर आज यह कहते हुए संकोच करता है तो यह उनकी बुजदिली है। म जमीन्दार को कोई डकैत और चोर नहीं समझता हूं। जब तक वह ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जब तक मेरे पास कोई चीज कार्य करने के लिये हैं और उसमें बेईमानी नहीं करते हैं, तो मुझे चिन्ता नहीं है। बहुत सी बातें आज इस भवन में इस सम्बन्ध में कही गयी हैं। मैं उस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। एक सज्जन ने यह कहा कि आप इस प्रकार के आदमियों को नौकरी दिलाना चाहते हैं जो तीतर लड़ाते थे, जो बटेर लड़ाते थे, जो कौए लड़ाते थे, मैं क्या कहूं कि वे तीतर लड़ाते थे कि बटेर लड़ाते थे या कौवे लड़ाते थे। मुझे आशा नहीं थी कि इस प्रकार की दलीलें इस भवन में आयेंगी। शायद कुछ लोग एसी जगहों पर रहत हैं जहां पर इस प्रकार की हालत लोगों की रही हो। बहुत से हमारे कांग्रेसी भाई भी लड़ाते होंगे और जमीन्दारों ने भी लड़ाया होगा। इस पर कोई बहस नहीं है। खास चीज जो इस प्रस्ताव में नौकरी दिलाने के लिये रखी गयी थी, जो जमीन्दारों के कारिन्दों के बारे में है। ये शोषक हैं और इन्होंने शोषण किया है। उनको नौकरी देने से हम यह चाहते हैं कि हम अपनी पूर्व की बातों को कायम रखें। कांग्रेस संस्था के लोग और सोशलिस्ट पार्टी के लोग इसे कैसे बरदास्त कर सकते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या उन्हीं शोषितों को, जिनको कांग्रेस कहती है कि ये जमीन्दारों के नौकर रहे हैं इसलियें ये शोषक हैं। क्या यह पुलिस का सिपाही जिसने फ्रीडम मूमेन्ट में काफी अत्याचार जनता पर किया, आज क्या वह अपनी सरकार का प्रेम पात्र नहीं है। उनका शोषण आज कहां चला गया है। आज जो कांग्रेस पार्टी है वह गंगा जल की धारा है। जो पाप करके आया और उसमें नहा लिया वह शुद्ध हो जायेगा। अगर ब्लैकमार्केटियर भी आये तो वह भी शुद्ध हो जायेगा। यह कह देना कि यह लोग जमीन्दारों के नौकर थे, उन्होंनें अत्याचार किया था जनता क ऊपर, लिहाजा उनको सरकारी नौकरियों में न लिया जाय। यह बिल्कुल गलत है ! मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह सत्य है कि पुलिस ने जो अत्याचार किया है और आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना अत्याचार किया है, आज उनकी तनख्वाह कम नहीं है, उनको ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। आज भी उनका अत्याचार बढ़ रहा है। आज वे सरकार के स्नेह पात्र हो रहे हैं। चूंकि ये सरकारी मुलाजिम हैं, इसलिये उनको कुछ नहीं कहते हैं, जमीन्दारों के मुलाजिम को कहते हैं। मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से सरकारी मुलाजिमों और जमीन्दारों के मुलाजिमों का मिसाल के तौर पर कम्पेयर करता हूं। जमीन्दार का मुलाजिम जिसके पास न कोई बन्दूक है और न कोई दूसरा ही अस्त्र है और वह गांव में जाता है और पैसा वसूल करके लाता है। आज तक जितने झगड़े आपके शहरों में हुए, शहरों में बहुत किस्म की ज्यादतियां हुयीं, लेकिन देहात का क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित रहा। उसका केवल एक ही कारण था वह यह था कि वह जमीन्दार व उनके मुलाजिम के स्नेह को कायम रखते थे।

मैं यह नहीं कहने के लिये तैयार हूं कि हर एक शख्स या हर एक मुलाजिम या जमीन्दार अच्छा था क्योंकि हर एक संस्था में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जब

हमारे सामने जमीन्दारों या उनके नौकरों की तस्वीर आती है तो हम लोगों के सामने चन्द उन लोगों की तस्वीरें नाचने लगती हैं जिन्होंने जुल्म किये हैं। आपका कहना है कि जमीन्दारों ने फ्रीडम की लड़ाई में कोई साथ नहीं दिया। मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं हूं। मैं कहता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि ८० से ९५ फीसदी जो छोटे जमीन्दार हैं, उन्होंने आपका साथ दिया और आप के साथ जेल गये। चन्द लोग जो अंग्रेजों के चक्कर में पड़ गये और जो बड़े जमीन्दार थे उनकी बदौलत आप कह दें कि जमीन्दारों ने साथ नहीं दिया, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। कितने ही आज जो उस तरफ बैठे हैं, वह जमीन्दार थे और उन्होंने अपना सब कुछ बरबाद किया और जेल गये, फिर यह कहना कि जमीन्दार ने कुछ नहीं किया और जुल्म किया, यह सब गलत है। राजा, महाराजाओं का जिक्र किया गया। मैं कहता हूं कि आज भी बहुत से राजे, महाराजे चुनाव क्षेत्र में आये जो पार्लियामेंट क्षेत्र के लिये खड़े थे, उनका किसानों ने जिस तरह से स्वागत किया है उसकी दूसरी आज कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कांग्रेस के प्रतिनिधियों को हजारों वोटों से हराया है। इस प्रदेश में जो जमीन्दारों ने इलेक्शन लड़ा, यदि उनके वोटों की गणना की जाय, तो यही निकलेगा कि किसानों ने बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट किया है। फिर यह कहना कि राजा, महाराजा और जमीन्दार बुरे थे और उनके कारिन्दों को नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए, मेरी निगाह में यह सब अनर्गल बात है। इसके बाद एक साहब ने कहा कि कोई जमीन्दार आगा अली खां, फतेहपुर या कहीं के होंगे, उन्होंने ज्यादतियां की हैं। हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो और ज्यादतियां करते हों। अगर उन्होंने ज्यादतियां की थीं तो उनको दंड मिलना चाहिए इसके माने यह नहीं है कि उन्होंने ज्यादतियां कीं तो उनके साथ कुछ नहीं किया जाय। सत्य को देख कर, न्याय को देख कर, अगर कोई गलती करता है, तो वह दन्ड का पात्र अवश्य हो। मैं कहता हूं कि बहुत सी जगहों पर क्या, मैं अपने ही जिले के बारे में कहता हूं। दो, एक गांव ऐसे हैं जहां २०–२५ लठ–बन्द आदमी जब चलते हैं, तब वहां कोई अपनी लड़की या बहू को लेकर जा सकता है। गांव-गांव में आपस में दल बन्दियां हो रही हैं किसानों में पार्टी बन्दियां हो रही हैं, इसमें जमीन्दारों का कोई हाथ नहीं है। लेकिन इसके माने यह तो नहीं है कि किसानों में कोई खराबी पैदा हो गयी है। यह तो एक रेवोल्यूशनरी पीरियड है। इसमें चेन्जेज हो रहे हैं। लेकिन इसके कारण आप कैसे किसी वर्ग को नष्ट–भ्रष्ट कर सकते हैं। जहां तक उनके रुपये–पैसे देने का सम्बन्ध है, बहुत से लोगों ने कहा है कि हम उनको कहां से रुपया दें। आप जहां से समझिए, वहां से रुपया दीजिए, मैंने तो प्रस्ताव पेश किया है। यह मैंने नहीं कहा कि किस रूप से दिया जाय। जमीन्दारी अबालिशन के समय में तमाम लोग हमारे पास आये और उन्होंने कहा कि अब हमारा क्या होगा? उसी की वजह से मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है। इस वक्त मेरे सामने यही प्रश्न था कि मैं सरकार से निवेदन करूं कि जब आपकी स्कीमें हों, तब आप उनका भी ध्यान रखें। चूंकि यह जमीन्दारों के अधीन है, लिहाजा इनको सरकारी कामों में न लिया जाय, इनको नौकरियां न दी जायं, यह कहां की बात है? कुछ दिन पहले जो नौकरियां दी जाती थीं, उसमें यह क्वालिफिकेशन रक्खी जाती थी कि जो जेल यात्रा कर आया है उसे नौकरी दी जाती थी, चाहे वह बिल्कुल गदहा ही क्यों न हो और उसकी क्वालिफिकेशन कुछ न हो। मेरा मतलब यह नहीं था कि अगर वह जमीन्दार के नौकर रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, या वह कुछ काम करने के योग्य नहीं है, तब उनको सिर्फ इसलिये ले लिया जाय क्योंकि वह जमीन्दारों के नौकर थे। मैं यह नहीं कहता कि आप इनको ले लीजिए, चाहे वह काम करने के योग्य भी न हों, मेरे कहने का मतलब केवल यह था कि जब जमीन्दारी अबालिशन का सवाल आया है तो इसके साथ ही साथ उनके नौकरों की समस्या को भी ले लेना चाहिए, नहीं तो इससे अराजकता और बढ़ने का अन्देशा होगा। सरकार को चाहिए कि उनको आश्वासन दिलाये कि वह उनके लिये भी कुछ करने को तैयार है। अब यह रुपया कहां से आये, सरकार कहां से लाये, यह दूसरा प्रश्न है। नौकरों के लिये रुपया कहां से आता है? अगर आप अंग्रेजों में नीदरसोल और हैलेट जैसे व्यक्तियों को

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

हजारों की तादाद में पेन्शनें भेज सकते हैं, जिन्होंने इस देश का कितना अहित किया है, यह सब को मालूम है तो फिर क्या वह रुपये का दुरुपयोग नहीं है, सदुपयोग है। यहां यह होता है कि अंग्रेजों का नाम भी किसी पत्थर पर न रहे। आज अंग्रेज चले गये, लेकिन सरकार चाहती है कि हजारों रुपयों की पेन्शनें उनके लिये बाहर भेजें। अगर हमको काम करना है तो हम कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे । असल बात यह है और एक कहावत है—where there is a will there is a way अगर हम को यह नहीं करना है तो आप एक बात कहेंगे, हम बीस बातें कहेंगे, आप २५ बातें कहेंगे और कोई मतलब हल नहीं होगा तो यह कहना कि जमीन्दारों के नौकर हैं और इसलिये उनकी सहायता के लिये, उनकी परिवरिश के लिये कोई इन्तजाम नहीं हो सकता, यह सब बिल्कुल निराधार बातें हैं और उनका उतना ही अस्तित्व है जितना कि किसी दूसरे शख्स का हो सकता है।

जहां तक नौकरों में खराबियों की बातें कहीं गयीं और जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि वह लूटते थे, वह जुल्म करते थे, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज जो छोटे-छोटे सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी देहातों में क्या हालत है । असल बात यह है कि जितना बड़ा देवता होता है, उतनी बड़ी पूजा चढ़ाई जाती है । आज आप का पटवारी क्या करता है, कानूनगो किस तरह से रुपया कमाता है । उनकी हालत यह है कि आपने २० मई आखिरी तारीख पट्टा करने की मुकर्रर कर दी और २० और ३० मई के बीच में कानूनगो साहब पांच सौ और छः सौ रुपया रोजाना कमाते थे । वह किसानों के नाम पट्टे लिखते गये और उनकी अच्छी खासी आमदनी होती गयी और इस सिलसिले में जमीन्दारों के आदमियों ने क्या लिया, कहीं से उनको दो रुपये मिल गये, कहीं से चार कहीं से छः। इसके अतिरिक्त आज जब पुलिस का दौर दौरा चलता है तो कोई पुलिस का अफसर थोड़ी रकम लेना ही नहीं चाहता। जो जितना बड़ा अफसर होता है उसे उतनी ही बड़ी रकम दी जायेगी और उनको रुपये लेने में डर भी नहीं लगता। तो यह आक्षेप लगा देना कि जमीन्दार खराब हैं, उससे सम्बन्धित सभी व्यक्ति खराब हैं और वह किसान को परेशान करते हैं, गलत है। मैं कहता हूं कि न तो जमीन्दार खराब है और न उसके नौकरों में ही कोई खराबी है। वास्तविक बात यह है कि हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। अगर हम उसको नहीं बदलेंगे, उसको नहीं सम्भालेंगे तो देश का बड़ा भारी नुक्सान हो जायेगा। बुराई हर चीज में हो सकती है, लेकिन वह उसूलन खराब नहीं हुआ करती, अगर उसमें कोई खराबी है, तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए हम अपने काम में उनका सहयोग हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो देश का कल्याण हो सकता है वरना इस तरह से देश में एक दूसरे की बुराई, भलाई को कहते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। एक साहब ने यह भी कहा कि जो जमीन्दार के नौकर हैं, वह भूमि के कार्य में विशेषज्ञ नहीं हैं। अब मैं नहीं समझता कि उनसे ज्यादा और भूमि विशेषज्ञ कौन हो सकता है और आप खुद देखें कि हमारा एक-एक गुड़ैत जो जमीन्दार का नौकर है, उसकी ईमानदारी क्या है और एक सरकारी कर्मचारी की ईमानदारी क्या है। एक एक गुड़ैत पांच हजार और दस हजार रुपया वसूल करके जमीन्दार को ला करके देता है और उसके बीच में एक पैसा भी नहीं गड़बड़ होता, कोई गबन नहीं होता। उसके पास न कोई हिफाजत का सामान होता है और न कोई और तरह की चीज हो रहती है। उसको सारी जनता का सहयोग प्राप्त होता है। यह जिलेदार और गुड़ैत जमीन्दारी के संबन्ध का सारा काम किया करते थे। इन पर लोग इतना भरोसा करते थे कि रुपया इनको दे देते थे और यह लोग ला कर के जमा कर देते थे और आज भी जब कि जमीन्दारी खत्म हो गई है, जो आदमी जमीन्दारों के पास रह गये हैं, उसी कांफीडेन्स से रुपया वसूल करते हैं और अपना सब काम उसी तरह से कर रहे हैं। तो यह कहना कि जनता में उसके लिये विश्वास नहीं रहा है, बिल्कुल गलत बात है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। जब जमीन्दारी खत्म हो गई तो वह सब चीजें भी खत्म हो गई हैं और उन सब चीजों का जिक्र करना मेरे ख्याल

में अच्छी चीज न होगी। मैं चाहता हूं कि जमीन्दारों के जो कर्मचारी हैं उनके लिये भी गवर्नमेंट के दिल में जगह होनी चाहिए और अगर उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया गया तो देश में जो अराजकता है, उसको और बढ़ने का मौका मिलेगा। अन्त में हमारे भाई राजा राम शास्त्री जी ने भी कहा कि हम जमीन्दारों और कांग्रेस वालों के बीच में नूरा कुश्ती हुआ करती है। मेरा जी चाहता है कि मैं इस प्रस्ताव पर विभाजन कराऊं और उसके बाद देखूं कि यह नूरा कुश्ती आप की और कांग्रेस की है या हमारी और कांग्रेस की है, तभी मुझे इसका अन्दाजा मिलेगा। नूरा कुश्ती का कोई सवाल नहीं है, हमारे लिये जैसे आप हैं वैसे वह भी हैं। समाजवादी आप और समाजवादी वह। आपमें और उनमें जितना फर्क है वह मैं एक मिसाल देकर बतला देता हूं। दो बैल एक जगह पर बांधे जाते हैं, उनमें से एक के सामने तो चारा रख दिया जाता है लेकिन जिसके सामने चारा नहीं होता है वह खूंटा तोड़ने की कोशिश करता है और लातें मारता है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि आप यहां बैठे हैं और वह वहां बैठे हैं। वह फर्क है, लेकिन हम इस अन्तर को बिल्कुल नहीं समझते हैं। हम नूरा कुश्ती न तो आपसे लड़ रहे हैं और न उनसे लड़ रहे हैं लेकिन आज जमीन्दारी के समाप्त हो जाने के बाद भी हम किसी से नूरा कुश्ती नहीं लड़ना चाहते हैं। जिस तरह से देश का निर्माण हो उसके लिये चाहे कोई जमीन्दार हो, सोशलिस्ट प्रजा पार्टी का हो या कांग्रेस का हो अगर हम लोग बैठ कर किन्हीं बातों पर, किन्हीं उसूलों पर तय नहीं करते हैं और इन्हीं चीजों पर लड़ते रहे तो आप सच मानिए कि हमारे प्रदेश में बिल्कुल अराजकता फैल जायेगी। जमीन्दारी प्रथा को खत्म कर दिया या उनके नौकरों को हटा दिया लेकिन आज क्या है? देहातों में कांग्रेस के लोग पहुंचते हैं तो वह समाजवादियों की बुराई करते हैं और समाजवादी पहुंचते हैं तो वह कांग्रेस वालों को गालियां देते हैं और उनके अलावा और कोई तीसरी पार्टी वाले पहुंचे तो वह दोनों को गालियां देते हैं। गांव के बेचारे किसान इन बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रदेश का निर्माण करें और अपने देश को ऊंचा उठायें तो अगले पांच वर्ष अभी दूर हैं इसलिये इन तीन चार वर्षों में ही निश्चय कर लेना चाहिए तथा बैठकर कुछ उसूलों को तय करके देहातों में जा कर देश को ऊंचा उठाना चाहिए। जब तक हम यह नहीं करते हैं तब तक किसी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता। यही आज हाल हम देख रहे हैं। आज पूर्वी जिलों में भुखमरी शुरू हो गयी है। आज आदमी भूखों मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं, तो जो मर रहे हैं तो क्या और जो नहीं मर रहे हैं तो क्या। इन सब विवादों को राजनैतिक दृष्टिकोण से पृथक् कर ठोस काम में हम सब को लग जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

शिक्षा मंत्री—मुझे कुछ नहीं कहना है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रस्ताव यह है कि यह विधान परिषद् सरकार से सिफारिश करती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार की जमीन्दारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमीन्दारों के नौकरों को, जो बेकार हो गये हैं, रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही करे :—

(१) सरकारी मालगुजारी की वसूली से सम्बन्धी व्यवस्था के अधीन नये स्थानों पर नियुक्ति।

(२) लैन्ड रिफार्म कमिश्नर के अधीन उचित स्थानों पर नियुक्ति।

(३) प्रतिकर कमिश्नर के अधीन उचित स्थानों पर नियुक्ति।

(४) ऐसे कर्मचारी जो अशिक्षित हों या जो शारीरिक दुर्बलता के कारण नौकर नहीं रखे जा सकते, उनके पुनर्वासन के लिये धन दिया जाय, जैसे शरणार्थियों को दिया गया है।

(५) प्रदेश की पंच वर्षीय योजनाओं और नवीन निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नये स्थानों पर नियुक्ति।

[डिप्टी चेयरमैन]

(६) बालकों को स्कूल की फीस से बिल्कुल मुक्ति।

(७) अन्य और ऐसे उपायों द्वारा जो सरकार उचित समझे या जिनके सम्बन्ध में भविष्य में सुझाव दिये जायं।

जिसमें यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है कि (क) मूल प्रस्ताव में से पैराग्राफ (१), (२), (३) और (५) निकाल दिये जायं।

(ख) (१), पैरा (४) में चौथी पंक्ति में "पुनर्वासन के लिये धन" शब्दों के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय :—

"इन जमीन्दारों के मुआविजे में से काट दिया जाय, जिनके यहां नौकर थे"

(२) शब्द "धन" के आगे के समस्त शब्द हटा दिये जायं।

(ग) पैरा ६ के अन्त में यह वाक्य बढ़ा दिया जाय :—

"जिनके संरक्षक फीस देने में असमर्थ हों"

श्री प्रतापचन्द्र आजाद—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—क्या सदन की यह अनुमति है कि संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

डिप्टी चेयरमैन—अब प्रश्न यह है कि मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रस्ताव कि सरकार १९३९ ई० के कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करे या इस सम्बन्ध में नया कानून बनाकर चकबन्दी की उचित व्यवस्था करे

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, जिस रिजोल्यूशन को प्रस्तुत करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं, उसकी प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों की मेजों पर मौजूद हैं, परन्तु मैं उसे पढ़ देना मुनासिब समझता हूं :—

It is the considered opinion of the U. P. State Legislative Council that it is the main duty of the Government to use such means through which there may be the greatest possible increase in the yield from land very soon. Whereas this aim can be achieved early to a considerable extent through the consolidation of holdings, this Council recommends to the Government that it should make arrangements soon for the Consolidation of holdings either by amending the Consolidation of Holdings Act, 1939 or by enacting fresh legislation.

श्री राजाराम शास्त्री—क्या आप इसे हिन्दी में नहीं पेश कर सकते?

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—चूंकि मेरे पास हिन्दी की कापी नहीं थी इसलिये अंग्रेजी में उसे पढ़ा है अगर आप चाहें तो मैं इसे हिन्दी में भी पढ़ दूंगा।

हिन्दी में इस प्रकार है :—

उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद् का यह निश्चित मत है कि सरकार का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह उन साधनों का प्रयोग करें जिनके द्वारा भूमि की उपज में अधिक से अधिक वृद्धि अति शीघ्र हो सके। चूंकि चकबन्दी (कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स) द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में शीघ्र हो सकती है, अतः यह परिषद् सरकार से अनुरोध करती है कि वह सन् १९३९ ई० के कन्सालिडेशन आफ़ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करके अथवा नया कानून बना कर जोतों की चकबन्दी की तुरन्त व्यवस्था करे।

प्रस्ताव कि सरकार सन् १९३९ ई० के कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करे या इस सम्बन्ध में नया कानून बनाकर चकबन्दी की उचित व्यवस्था करे

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह धारणा है कि चकबन्दी का प्रश्न अब अधिक विवादग्रस्त प्रश्न नहीं रहा। सभी विचार धारा के सदस्य जो यहां पर उपस्थित हैं, मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह मानते हैं कि चकबन्दी से हमारी कृषि में सुधार हो सकता है, उपज बढ़ सकती है और साथ ही साथ कृषकों की जो अवस्था है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिये इस आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अंक या तफ़सील आपके सामने ज्यादा पेश करना नहीं चाहता। हां, यह सही है कि पुरानी भूमि-व्यवस्था के समय में जब कभी यह चकबन्दी का प्रश्न सामने आया तो अनेकों विशेषज्ञों ने यह कह कर कि यह इम्प्रैक्टिकेबिल है, यह ठीक तरह से चल नहीं सकता है, इसका उन्होंने विरोध किया। उसमें हमारे प्रान्त के विशेषकर जो कृषि और इंडस्ट्री के विशेषज्ञ समझे जाते थे, चौधरी मुख्तार सिंह जी भी थे जो विशेष युक्ति इस सम्बन्ध में दी गयी है वह युक्ति जमीन्दारी प्रथा पर आधारित थी। जमीन्दारी प्रथा के रहते हुए कन्सालिडेशन आफ़ होल्डिंग्स का चलना संभव नहीं है क्योंकि विभाजन होता ही रहेगा। अगर आज एक जोत है तो उत्तराधिकार के नियमों के बमूजिब जब उसका विभाजन होगा, तो जो चकबन्दी होगी उससे कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आज तो स्थिति परिवर्तित है, जमीन्दारी प्रथा समाप्त हो चुकी है और साथ ही जो हमारा भूमि सुधार का अधिनियम है, उसके अन्तर्गत यह निश्चित हो चुका है कि यदि उत्तराधिकार के नियमों के कारण विभाजन होगा तो उस शक्ल में भी सवा छै एकड़ से अधिक भूमि की जोत कोई नहीं पायेगा। ऐसी स्थिति में जो उन विशेषज्ञों की युक्तियां थीं, उनका अब कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। उत्तराधिकार के नियम के कारण विभाजन से छोटे छोटे टुकड़े होने का जो भय था वह अब जाता रहा। सवा छः एकड़, भूमि विभाजन होने पर भी उसके पास रह जाती है। अतः मैं यह समझता हूं कि जो इम्प्रैक्टिकेबिल होने की बात कही जाती है वह चीज अब नहीं रही। साथ ही मुझे यह भी संतोष है कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने भी इसकी आवश्यकता को अनुभव करके उसको आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाया है और मैं समझता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य जानते होंगे कि गवर्नमेंट ने ११ आदमियों की एक कमेटी मुकर्रर की है जो इस विषय में छान बीन कर रही है। उस कमेटी की, जैसा कि समाचार पत्रों से मुझे ज्ञात है कई बैठकें हो चुकी हैं और उसके एक सदस्य ने अभी पंजाब में जाकर वहां कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स के वर्किंग को देखा भी है और उसकी रिपोर्ट जो उन्होंने दी है उसकी एक प्रति मुझे कल प्राप्त हुई है। उसको देखने से मैं यह समझता हूं कि इस रिज़ोल्यूशन के उद्देश्य की जो कि सदन के सामने उपस्थित किया गया है, बहुत हद तक पूर्ति हो जाती है। इसलिये अब मैं इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स किस तरह से होनी चाहिए और किस तरीके से वह जल्द से जल्द हो सकती है, उसी के सम्बन्ध में, अपने विचार इस सदन के सामने प्रकट करूंगा। जहां तक इसका ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यदि हम अपने राज्य में उन छोटे २ बिखरे हुए टुकड़ों को जो कि कहीं २ एक, दो बिस्वान्सी भी हैं, एक साथ मिला दें तो ज्यादा अच्छा हो। एक बिस्वा करीब १५० गज का होता है और एक बिस्वांसी करीब ८ गज की। आपको एक बिस्वान्सी के भी खेत मिलेंगे। मैं तो अपने जिले में यह देखता हूं कि वहां भी एक एक, दो, दो बिश्वान्सी के टुकड़े हैं। उससे खेती करने में और दूसरे कामों में कितनी कठिनाई होती है इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं अगर उसको समाप्त न किया गया तो काश्त में बहुत कठिनाई होगी। उन खेतों को चकबन्दी द्वारा एक करना आवश्यक है। चकबन्दी से पहला फायदा तो यह होगा कि खेतों के बीच में मेंड़े और नालियां नहीं रह जायेंगी। चकबन्दी के बिना जो बहुत सी जमीन नालियों और मेंड़ों द्वारा बेकार चली जाती है वह सब काश्त में आ सकती है जिससे करीब दो, ढाई परसेन्ट अधिक भूमि काश्त में बढ़ सकती है इस समय जो भूमि हमारे पास काश्त के लिये है वह करीब चार करोड़ कुछ लाख एकड़ है उसमें यदि दो ढाई परसेन्ट भूमि और मिल जाय तो उसके द्वारा दो ढाई परसेंट उपज आपकी आसानी से बढ़ सकती है। यह कम लाभ नहीं है। लेकिन यही एक चीज नहीं

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

है जो मैं समझता हूं कि चकबन्दी होने पर हमारी उपज बढ़ाने में सहायक होंगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी बतलाऊं कि जो हमारी आबपाशी की बड़ी २ स्कीमें हैं, उन स्कीमों को पूरा करने में हमारा करोड़ों रुपया लग रहा है, वह ठीक है और जरूरी भी है लेकिन इसके पूरा होने में अभी समय लगेगा। लेकिन अगर चकबन्दी हो जाती है तो यह हमारे कृषक के लिये बड़ा हितकर होगा क्योंकि सब भूमि एक जगह हो जाने पर वह अपने लिये वहां एक कुंवा भी बना सकता है इस तरह से उसको पानी का भी फायदा हो सकता है। इस तरह से आबपाशी को बढ़ाने की जो सरकार की मन्शा है, वह भी आसानी से पूरी हो सकती है। यह भी कुछ कम लाभ नहीं है। जो हमारी इर्रीगेटेड लैन्ड है, उसका परसेन्टेज १८ परसेन्ट है, उसमें चकबन्दी कर देने से किसानों को प्रोत्साहन मिल सकता है कि वह अपने खेतों में अपनी लागत से कुयें बना कर आबपाशी का प्रबन्ध कर लें। मैं समझता हूं कि यह कम लाभ की बात नहीं है और यह असानी से पूरी हो सकती है क्योंकि अलग अलग जोत होने से उनको सुविधा नहीं मिलती है कि वह कुवां बना सकें। लेकिन जब एक चक में उनकी जमीन आजायेगा तब वह आसानी से कुवां बना सकते हैं। अगर पक्का न बना सकें तो कच्ची कुइयां तो बना ही लेंगे और भी साधन प्राप्त हो सकते हैं। जिससे वह पानी का इन्तजाम कर सकते हैं एक रिपोर्ट निकली है जिसमें यह अनुमान किया गया है कि ऐसा करने से करीब करीब ५ परसेन्ट कृषि में वृद्धि हो सकती है।

तीसरी चीज यह है कि खेती की रक्षा का कोई इन्तजाम ठीक नहीं है। बिखरे हुए खेत होने से कृषक स्वयं हिफाजत का कोई इन्तजाम नहीं कर पाता है। चक हो जाने पर यह संभव हो सकता है कि चक के अन्दर वह अपने रहने का स्थान भी बना ले और यदि उसके पास धन है तो वह तार का घेरा भी बना सकता है और इस प्रकार जंगली जानवरों से जो नुकसान हो जाता है उससे वह रक्षा कर सकेंगे। मैं अपने जिले की बात कहता हूं जहां कि गंगाखादर में आम शिकायत है कि सुअर और दूसरे जंगली जानवर आ जाते हैं और फस्ल को नुकसान कर देते हैं। अगर यह सुविधा काश्तकार को हो जाय कि वह वहां पर रह कर अपना स्थान घेरवा ले और रहने के लिये भी स्थान बना सके तो इससे बहुत ज्यादा फायदा उसको हो सकता है। इन साधनों द्वारा अनाज की जो कमी १० फ़ी सदी की बताई जाती है, वह भी पूरी हो सकती है यह तीसरी चीज मैंने बताई कि चकबन्दी से काश्तकार को कैसे फायदा हो सकता है। चौथी चीज जो मैं समझता हूं और जिससे सुविधा काश्तकार को होगी, वह यह है कि जो जानवर बैल वगैरह हैं, उनको बहुत कम काम हो जायेगा। बारिस होने पर जब खेतों को जोतने की जरूरत पड़ती है तो बेचारा काश्तकार बिखरे हुए खेतों की जुताई के लिये इधर-उधर भागता है। जो चीज वह १ हफ्ते में खत्म कर लेता, उसमें उसको महीनों लग जाते हैं। अगर चकबन्दी हो जाती है तो यह दिक्कत दूर हो जाती है। वह उन मवेशियों से बहुत से दूसरे काम ले सकता है। पांचवा फायदा जो चकबन्दी से काश्तकार और देश दोनों को हो सकता है वह यह है कि मिक्सड फार्मिन्ग हो सकती है। यानी खेती के साथ साथ डेरी का भी काम हो सकता है। आज जो दुर्दशा हम कृषकों की देखते हैं वह बहुत हद तक दूर हो जायेंगी। घी की इन्डस्ट्रीज फिर रिवाइज हो जायगी। दूध अगर पीने के लिये न मिले तो सपरेटा तो मिल ही जायेगा जिसमें न्यूट्रीशन के लिये काफी फायदा हो सकता है। सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं चकबन्दी से वह सामाजिक रूप में होता है। जितना भी लिटीगेशन या मुकदमेंबाजी हम देखते हैं उसका मुख्य कारण यही है कि खेतों के छोटे २ टुकड़े होते हैं। कोई उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और दूसरा उसको छीनना चाहता है। चकबन्दी से यह मुकदमेंबाजी काफी खत्म हो जायेगी।

Sri Bansi Dhar Shukla: On a point of order, Sir. In the resolution the speaker wants to amend the Consolidation of Holdings Act or to enact fresh laws. I would request the Chairman that the grounds on which amendment is sought or fresh enactment is sought, at least they should be pointed out if not already pointed out in the resolution. In the resolution the mover requests the Council to make recommendations for the amendment of the Consolidation of Holdings Act or enact fresh law in this behalf. So on what grounds amendments are sought to be made or a new enactment is sought to be suggested. This is a relevant thing on which the speaker may concentrate himself so that we may be able to follow his speech and reply.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—इसमें यह लिखा है कि यह परिषद् सरकार से अनुरोध करती है कि वह सन् १९३९ ई० के कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करके अथवा नया कानून बनाकर जोतों की चकबन्दी की तुरन्त व्यवस्था करें।

Sri Parbhu Narain Singh : On a point of order, Sir. I want your ruling on the question whether the resolution is in order in view of the points raised by Sri Bansi Dhar . . . .

Sri Bansi Dhar Shukla: I may clarify my position, Sir. We agree in principle. There is Consolidation of Holdings Act. That means in principle consolidation has been agreed to. Now what amendment is sought to be made or what new enactment is sought ? We should be enlightened on this point.

Minister for Education : I think the point of order that has been raised is really misconceived and the resolution is perfectly in order. The mover wants to bring it home to the Government that Government should proceed in the matter of consolidation of holdings. He suggests two methods. First is to amend the Consolidation of Holdings Act. He suggests Government to proceed in the matter and if the Government does not want to amend the Consolidation of Holdings Act, then in that respect the mover wants that the amendment of the Consolidation of Holdings Act should be taken. It is not obligatory on the Government to effect consolidation. It is only permissible. It is based again on the consent of people ; whether it is applied or not, the checkmates are there. The mover wants that checkmates should be removed and the the Government should proceed in the matter of consolidation of holdings. So, I think, this is in order.

Deputy Chairman : I rule that the resolution is in order and the member can proceed.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने शायद रिजोल्यूशन को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। रिजोल्यूशन के पूर्वार्द्ध में यह साफ तौर से कहा गया है कि यू० पी० गवर्नमेंट उन साधनों का प्रयोग करे जिनके द्वारा भूमि की उपज में वृद्धि अधिक हो सके। यह रिजोल्यूशन है और इसके ऊपर मैं बोल रहा था। अभी पिछला हिस्सा जो रिजोल्यूशन का है, उस पर मैं नहीं आया हूं। जब मैं पिछले हिस्से पर आऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि मैं क्या अमेंडमेंट चाहता हूं, सन् १९३९ के ऐक्ट में। मैं उसके पूर्वार्द्ध पर बोल रहा हूं। मैं कह रहा था कि चकबन्दी हो जायेगी तो कृषकों को फायदा होगा। जो जनता है उसको भी फायदा होगा, यह मैं बता रहा था। जो आगे का हिस्सा है, उसके बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो कन्सालिडेशन का कार्य हमारे राज्य में हो रहा है, वह दो प्रकार से चल रहा है। एक तो चकबन्दी consolidation of holdings जो सन् १९३९ का है, उसके अन्तर्गत। दूसरे तरीके से जो काम हो रहा है वह है, कोआपरेटिव सोसाइटी के मातहत। कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं और उन कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये से यह प्रयत्न किया जा रहा है।

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

जिस गांव के ६६ फीसदी लोग चाहें कि उनके यहां चकबन्दी कर दी जाये तो वहां कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाकर चकबन्दी का काम हाथ में लिया जा सकता है। जो कानून १९३९ का बना हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर ३० फीसदी आदमी चाहें तो चकबन्दी हो सकती है और जब तक ऐसा न हो तब तक कंसालिडेशन का काम हाथ में नहीं लिया जा सकता है।

श्री प्रभुनारायण सिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव जो आया है इसमें कोई नई बात है जो १९३९ के कंसालीडेशन आफ होल्डिंग्स में नहीं है। यह रिज़ोल्यूशन इतना ऐम्बिगुअस है जिससे साफ नहीं मालूम होता कि इस प्रस्ताव की मन्शा क्या है। क्या उस ऐक्ट में किसी बात की कमी रह गई है?

डिप्टी चेयरमैन--जिस वक्त आप बोलें उस वक्त आप अपनी बात कह सकते हैं। इसमें प्वाइन्ट आफ इन्फारमेशन (point of information) की कोई बात नहीं मालूम होती।

श्री प्रभुनारायण सिंह--जब कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट है फिर उसके रहते हुए जब यह रिजोल्यूशन आया जो कहते है कि होल्डिंग्स होना चाहिये जिससे पैदावार बढ़े और दूसरे यह कहा जाता है कि इतने फीसदी अगर चाहें तो चकबन्दी हो सकती है तो जब एक रिज़ोल्यूशन इस हाउस में हैं तब फिर एक दूसरे रिज़ोल्यूशन को कैसे ला सकते हैं? जब तक कोई खास बात न हो उस ऐक्ट में तब तक कैसे यह आया मैं इस चीज को साफ कराना चाहता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--यह तो आपने अपने ख्याल का इजहार किया है। यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ बातें कहना तो अपनी तकरीर में कह सकते हैं।

श्री प्रभुनारायण सिंह--एक ऐक्ट के रहते हुये उसी तरह का प्रस्ताव आ सकता है या नहीं?

शिक्षा मन्त्री--रिजोल्यूशन में इस प्रस्ताव में स्पष्ट कहा गया है कि अभी तक जो कंसालिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट है इसके अन्दर अमेंडमेंट लाकर के ऐसा कर दिया जाये जिससे वह सारे प्राविंस में लागू कर दिया जाये और सब जगह चकबन्दी कर दी जावे। आपका प्रस्ताव यह है कि यह सदन गवर्नमेन्ट से इस बात की सिफारिश करती है कि कंसालिडेशन आफ ऐक्ट या चकबन्दी में अमेंडमेंट कर दिया जाये और वह थ्रू आउट दि प्राविंस (throughout the province) लागू कर दिया जाये।

श्री प्रभुनारायण सिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि कंसालिडेशन आफ ऐक्ट क्या पूरे सूबे में लागू नहीं है?

शिक्षा मंत्री--जिस जगह पर कंसालिडेशन आफ ऐक्ट लागू करना होगा वहां पर उनकी राय लेनी होगी। अगर आप की राय मिलती है तब तो आप कर सकते हैं नहीं तो नहीं। इस रिज़ोल्यूशन के द्वारा यह चाहा गया है कि बगैर राय लिये ही वह सब जगह पर लागू कर दिया जाये।

श्री प्रभुनारायण सिंह--कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट पूरे यू० पी० में लागू है या नहीं? अभी हमारे माननीय सदस्य ने यह कहा कि जहां पर ६० फीसदी किसान इसके लिये तैयार हों वहां पर लागू किया जाये। वह तो एक तरह से रिकमेंडेशन के तौर पर है। तो जब एक ऐक्ट मौजूद है तो दूसरा उसी मकसद का लाया जा सकता है या नहीं?

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मेरे भाई समझे नहीं, वह जो चाहते हैं मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं बतलाना चाहता हूं कि कंसालिडेशन

आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में तरमीम हो जावे। मेरे रिज़ोल्यूशन में दो शब्द हैं उन शब्दों का यह अर्थ है कि जिस तरीके से स्लो प्रोसेस के साथ वह चल रहा है उसको जल्दी लाने के लिये हमको यह करना चाहिये कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट के अन्दर जो बाधायें हैं उनको दूर कर देना चाहिये या उसके लिये कोई दूसरा कानून बनायें। हमने गवर्नमेन्ट से यह कहा है कि जो कानून इस समय लागू है उसकी शकल ऐसी कर दो कि जो हमारा मकसद है वह पूरा हो सके। कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में अमेंडमेंट हो सकता है। मेरी मंशा साफ है। मैं दो चीजें चाहता हूं। एक तो यह कि कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट कम्पलसरी कर दिया जाये। यह न हो कि अगर एक जगह के गांव के कुछ लोग यह समझते हैं कि हमारा नुकसान है कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स में तो वह रास्ते में रोड़ा बन कर अटक जायं और वह चीज न हो सके। क्योंकि भूमि की व्यवस्था जो है वह ऐसी होनी चाहिये कि जिससे जनता को लाभ हो, देश को लाभ हो। भूमि किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं, वह सारे देश की चीज है उसके सारे मनुष्य के फायदे के लिये उसका उपयोग होना चाहिये सारे समाज को उसका फायदा मिलना चाहिये। अगर कोई एक व्यक्ति इस रास्ते में बाधक होना चाहे तो मैं चाहता हूं कि वह ऐसा न कर सके। मैं इस चीज को ही इस ऐक्ट में लाना चाहता हूं। अब तक इस ऐक्ट में जैसा कि मैं बता रहा था कि यह प्राविजन है कि बिला इतनी संख्या की रजामंदी के कंसालिडेशन का काम शुरू नहीं हो सकता। दूसरा आगे चल कर मैं बताता हूं कि जहां तक कि कोआपरेटिव सोसाइटीज का ताल्लुक है उनका नियम यह है कि वहां भी एक परसेंटेज है कि इतनी परसेंटेज की रजामंदी होने पर एक कोआपरेटिव सोसायटी बनाई जायगी। फिर उस कोआपरेटिव सोसाइटी की एक जनरल मीटिंग होगी और उस जनरल मीटिंग के अंदर यह तय होगा कि कंसालिडेशन किया जाय, फिर एग्रीमेंट लिखे जायं। एग्रीमेन्ट लिखे जाने के बाद स्कीम बनाने के लिये फिर जनरल मीटिंग होगी और वह भी एक इतना इलाबरेट प्रासेस है, इतना लंबा चौड़ा तरीका है कि जिसका अंत नहीं। मैं चाहता हूं कि यह काम शीघ्र हो, जल्दी हो। एक चीज तो मैं यह चाहता हूं कि मैं पहले अपना मकसद साफ कर दूं कि मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस बिल में ऐसा प्रावीजन हो जाय कि कुछ एक नियत अवधि के अन्दर कुछ थोड़े समय के भीतर ही यह सारा काम पूरा हो जाय। अगर हम इस चीज को इसी रफ्तार से चलाते रहेंगे कि जिस रफ्तार से वह अब तक चलती रही है, तो यह संभव नहीं है कि सैकड़ों बरस के अन्दर भी यह काम पूरा हो सके। यह मेरा मकसद है और इस बिना पर मैं या तो कानून में तरमीम कराना चाहता हूं या नया कानून बनाने की गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करता हूं। मैं समझता हूं कि मैं अपना मकसद अपने लायक दोस्त पर साफ कर सका हूं।

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इसे मेंडेटरी, लाजिमी बनाने का प्रश्न है उसके बारे में जिस वक्त यह कानून बना था सन् १९३९ में, उस वक्त भी गवर्नमेन्ट यह समझती थी कि कुछ न कुछ कम्पलशन का एलीमेंट इसमें होना चाहिये। चुनांचे उसका जो आब्जेक्ट्स और रीजन्स का स्टेटमेंट है उसका कुछ भाग मैं आपकी आज्ञा से पढ़ कर सुनाता हूं

"The question of the consolidation of holdings is of the greatest importance to the improvement of agriculture, and a considerable amount of work has been already done by the Co-operative Department and by private individuals, but until some form of compulsion can be applied, it is possible for one or two cultivators to hold up indefinitely the consolidation of holdings of a village."

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

मेरे कहने का यह तात्पर्य है कि सन् १९३९ में जब यह कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स का ऐक्ट प्रस्तुत किया गया था उस वक्त भी यह जरूरत महसूस की गई थी कि कम्पलशन का कुछ एलीमेंट या उसका कुछ प्रावीजन इस ऐक्ट में जरूर रक्खा जाय ताकि उसके जरिये हम कृषकों को मजबूर कर सकें कंसालिडेशन करने के लिये। इसके अलावा जो दूसरा तरीका मैंने बताया कि जिस तरीके से कंसालिडेशन हो रहा है, वह कोआपरेटिव के अन्दर है। उसके सम्बन्ध में भी आप को कोआपरेटिव डेवलपमेंट का जो लिटरेचर दिया गया है, उसमें से एक दो वाक्य सुना देना चाहता हूं।

"It will be seen, therefore, that the whole work from the beginning to end is voluntary as it is a condition of membership of the Society that nothing will be done unless the members are unanimous. The work is sometimes held up by obstinate attitude of a few members and at times many painstaking work may end in nothing due to the obstinacy of one individual. Even when the object is gained the progress is slow."

तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि इस समय जिस तरीके पर कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स का काम हमारे राज्य में चल रहा है वह धीरे धीरे और मन्द रफ्तार से चल रहा है। उस रफ्तार के हिसाब से काम होना बड़ा मुश्किल है। अभी तक जो कन्सालिडेशन के फिगर्स हैं वह इस तरह से हैं कि जो सोसाइटियां अभी तक हमारे राज्य में बनी हैं जिसमें १ लाख ७ हजार गांव हैं उनकी संख्या ३० जून सन् १९५१ तक केवल २४४ है। इस रिपोर्ट के बमूजिब जो सबसे ज्यादा काम हुआ है वह बिजनौर के जिले में हुआ है। इस के बाद सहारनपुर और मेरठ का नम्बर आता है। इन जिलों में जितने एरिया में अभी तक कन्सालिडेशन हुआ है वह ४८ हजार, ३८ हजार और २९ हजार एकड़ में हुआ है तो कुल मिलाकर १ लाख १५ हजार एकड़ होता है जहां ४ करोड़ एकड़ पर काश्त की जाती है वहां अभी तक एक लाख पर ही इतने वर्षों के अन्दर कन्सालिडेशन हुआ है, इससे आप अनुमान कर सकते हैं कि कितना समय कुल प्रदेश में कन्सालिडेशन करने में लगेगा। इसलिये यह मेरी निश्चित धारणा है कि जब तक इस रफ्तार को बढ़ाने के लिये कानून के अन्दर किसी किस्म की तरमीम या परिवर्तन न होगा जिससे गांव वाले मजबूर हो सकें और कोई आदमी भी बाधा न डाल सके तो यह जरूरी है इसको कम्पलसरी किया जाय। सरकार को स्वयं ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिस से एक नियत समय के अन्दर वह काम हो सके और यह लाजिमी रखा जाय कि हर गांव में चकबन्दी हो जाय। इसलिये जैसा मैंने निवेदन किया कि जो मौजूदा कानून है वह इसके लिये काफी नहीं है उसको या तो संशोधित करना होगा या नया कानून बनाना होगा। मैंने जो फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखे हैं उनसे यह सिद्ध होता है। मुझे अत्यन्त संतोष है जैसा मैंने पहले कहा था कि सरकार ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया है और एक कमेटी बनायी है। उस कमेटी के कुछ सदस्यों ने पंजाब जाकर जो वहां देखा उस सम्बन्ध के अनुभव की एक रिपोर्ट मुझे मिली भी है जिसमें प्रकट किया गया है कि अप्रैल सन् १९५१ से अम्बाला जिले में काम शुरू हुआ। और एक साल के अन्दर ११९ गांवों का कन्सालिडेशन किया जा चुका है क्योंकि वहां पर जो ईस्ट पंजाब कन्सालिडेशन ऐक्ट बनाया गया जिसके जरिये यह जरूरी किया गया कि वहां पर सब गांवों म कन्सालिडेशन किया जाय। इस का नतीजा यह हुआ कि एक साल के अन्दर एक जिले के अन्दर १९ गांवों में कन्सालिडेशन हुआ। दूसरी चीज यह है कि यह चकबन्दी कैसे की जाती है इस बारे में एक रिपोर्ट है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। ऐसी प्रणाली प्रयुक्त की गई है कि ऐसे महत्वपूर्ण काम को छोटे अहलकारों के हाथ में दिया गया है हमारे कानून में तो अमीन और

पटवारियों के हाथ में यह दिया गया है कि वह नकशा बना कर तैयार करे और उसमें चकबन्दी करें और तब वह नकशा कन्सालिडेशन आफिसर के सामने आये । लेकिन पंजाब ऐक्ट में यह रखा गया कि चकबन्दी का काम अच्छे अहलकारों के हाथ में छोड़ा जायेगा रिपोर्ट में कहा गया है :

> 'The Settlement Officer who went to show the villages stated that the work was entrusted to the Consolidation Officer and Assistant Consolidation Officer and was not left in the hands of the patwaris and kanungoes thus reducing the chances of corruption to the minimum."

तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ऐसे कामों के लिए सरकार कन्सालिडेशन आफिसर मुकर्रर करे, नके हाथ में यह काम दे । वह पहले गांव का नकशा बनाये और फिर चकबन्दी का काम करें । यह काम ऐसे आफिसरों के हाथों में होना चाहिये जो अव्वल अप्रोच हों । एक और सवाल है जो गवर्नमेन्ट के सामने आता है वह यह है कि जिस जमीन का हम कन्सालिडेशन करते हैं उस पर कितना खर्च होगा । पंजाब सरकार ने इसके लिए तखमीना लगाया था । इसमें हमें यह देखना है कि जो लोग इस काम को पूरा करने में श्रम करते हैं उनसे कुछ न लिया जाय और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनसे ढाई रुपये लिया जाय । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से भी सावल हल हो जायेगा ।

एक बात और कह कर मैं खत्म करूंगा और वह यह है कि शायद गवर्नमेन्ट यह ख्याल करे कि कोआपरेटिव सोसाइटीज के सम्बन्ध में कुछ तरमीम कर देने से यह मसला हल हो जाय । लेकिन मैं यह समझता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट के बमूजिब वाकई कोई काम भी जब तक कोआपरेटिव सोसाइटी न बने इस चीज को लेकर, तब तक कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं कर सकती और जब कोआपरेटिव सोसाइटी बनेगी तो वह वालेन्टियरी लोगों की इच्छा के साथ ही चल सकती है । वहां पर जब्र से काम नहीं हो सकता कि गवर्नमेन्ट कोई ऐसे रूल्स बना दे या कोई ऐसी चीज कर दे कि नहीं यह तो कम्पलसरिली होना चाहिये । इसलिये मैं गवर्नमेन्ट की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि ऐसे छोटे-मोटे ऐक्ट से कोई फायदा नहीं है कि वह कोई तरमीम करके यह सोचें कि हम कोई ऐसा तरीका निकाल दें जिससे कि यह मसला कोआपरेटिव सोसाइटीज से हल हो जाय । मैं कहता हूं कि इस तरह से कुछ भी नहीं हो सकेगा जबतक कि इसके लिये अलग से ऐक्ट न बने और कम्पलसरिली गवर्नमेन्ट इस काम को चलाये और इसके लिये मुकर्रर कर दे कि इस टाइम के अन्दर कन्सालिडेशन हमारे राज्य में हो गवर्नमेन्ट को चाहिये कि वह जल्द से जल्द प्रयत्न करे तो इससे हमारे राज्य में खेती का जहां तक ताल्लुक है उसमें ज्यादा फायदा हो सकता है ।

अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूं और वह यह है कि शायद कुछ लोगों का यह ख्याल है और उनका ख्याल ठीक भी है कि कलेक्टिव फार्मिग या कोआपरेटिव फार्मिंग से इस काम को चलाया जाय तो इससे खेती को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा । लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसके जरिये आप ओवर नाइट या एक-दो साल के अन्दर लोगों के अन्दर यह भावना पैदा कर दें कि वह कलेक्टिव फार्मिंग या कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये तैयार हो जायं । आजकल स्थिति तो यह है कि दो भाई भी मिल कर काम नहीं कर सकते हैं । कितनी ही ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनियां हैं वह इसी वजह से डूब जाती हैं कि वहां मेल से काम नहीं होता है । जबकि हमारा नैतिक स्तर इतना गिरा हुआ है कि हमारे हर भाई के अन्दर किसी न किसी अंश में स्वार्थ की भावना प्रबल है तो कलेक्टिव फार्मिंग या कोआपरेटिव फार्मिंग कैसे कामयाब हो सकती है । मेरा विश्वास है कि अगर चकबन्दी

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

कम्पलसरी कर दी जाय तो आइन्दा के लिये यह आसान होगा कि कोआपरेटिव तथा कलेक्टिव फार्मिंग की प्रथा को प्रचलित किया जाय और लोग इस बात के लिये तैयार हो जायं कि वह कोआपरेटिव फार्मिंग के जरिये से आगे खेती का काम चलाएं। इसलिये कलेक्टिव फार्मिंग और कोआपरेटिव फार्मिंग का जो हमारा उद्देश्य है वह तभी पूरा हो सकता है जबकि हमारे कृषकों के दिमागों के अन्दर यह भावना पैदा की जाय कि अगर इस रास्ते से हम चलेंगे तो हमारा हर मसला हल हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव गवर्नमेन्ट के सामने रखता हूं।

शिक्षा मंत्री—मैं आपके जरिये से हाउस को यह इन्फार्मेशन देना चाहता हूं कि अब हाउस स्वयं समझे कि इस प्रस्ताव पर अधिक समय लगाना आवश्यक नहीं है, इसके लिये मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं।

तो जो प्रस्ताव इस भवन के सामने है मैं उसका स्वागत करता हूं और उस दिशा में इस प्रस्ताव के आने से पहले ही सरकार सोच रही है। जैसा कि प्रस्तावक महोदय को स्वयं मालूम है कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी बना दी गई है और इस प्रकार से इन मामलों में यह कार्य हो रहा है और उस पर वह कमेटी छानबीन कर रही है तो जो आपने बहुत से सुझाव रखे उनके ऊपर भी वह कमेटी गौर कर रही है लेकिन कमेटी का निर्णय क्या होगा यह तो इस समय अभी बताना सरकार के लिय मुश्किल है। इसलिये कि कमेटी ने अभी अपना निर्णय नहीं दिया है।

लेकिन चूंकि इस ओर कार्य किया जा रहा है और छानबीन हो रही है तो यह आशा की जाती है कि जल्दी ही इस दिशा में हम किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे और फिर हाउस के सामने उस चीज को लायेंगे। इसलिये जो माननीय सदस्यों के सुझाव हैं वे उनको उस कमेटी के सामने रखें तो वह ज्यादा लाभदायक होगा। तो इसलिये यह मुनासिब नहीं होगा कि इस विषय पर इस हाउस में अब कोई ज्यादा समय लिया जाय। अगर वह उस कमेटी के सामने अपने सुझाव रक्खेंगे तो कमेटी के लिये भी यह ज्यादा अच्छा हो जायेगा और इस तरह से आपके विचारों से कमेटी फायदा उठाकर उस पर अच्छी तरह सोच-विचार करेगी और उस दिशा में फिर ऐक्ट बनेगा या जैसे जमीदारी एबालिशन के रूल्स हैं उसी तरह से बनेगें तो इस समय अब भवन का इस पर बहस करना मैं समझता हूं कि कोई उचित नहीं है और यदि हाउस की अनुमति हो और प्रस्तावक महोदय चाहें तो वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री प्रभुनारायण सिंह—On a point of order, Sir. जब कोई प्रस्ताव हाउस में आ जाता है तो यह हाउस को ही अधिकार है कि वह उसको ड्राप कर सकता है।

डिप्टी चेयरमैन—मैं इसको हाउस के सामने रख दूंगा।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह विचार यहां उपस्थित किया है कि प्रस्ताव को वापस ले लिया जाना चाहिये और उन्होंने यह आशा प्रस्तावक महोदय से की है कि वे इसको वापस ले लें तो कम से कम इसके लिये दूसरे मेम्बरों को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिये इसके पहले कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें। और इस तरह से एक ही मत लेकर प्रस्ताव वापस कर लेना ठीक नहीं है। जब दूसरे सदस्य इस पर कहें और अपने विचार रखें कि यह वापस लिया जा सकता है या नहीं तब मंत्री महोदय इस पर अपना जजमेंट दें।

शिक्षा मंत्री—इस सदन के सदस्यों को कोई अख्तियार नहीं है कि वह किसी प्रस्ताव के बारे में अब कहें जिस समय कि प्रस्ताव वापस लिया जाता है। प्रस्ताव वापस लेने के पहले-पहले सदन को यह अख्तियार था।

डिप्टी चेयरमैन--मैं माननीय सदस्यों के सामने यह रक्खूंगा कि यह प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है या नहीं। अगर वह इसको वापस लेना चाहते हैं तो मैं इसको आपके सामने रक्खूंगा।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी के आश्वासन के बाद कि इस प्रस्ताव के बारे में ही गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई है जिसके बारे में मुझे भी इल्म है और वह कमेटी जल्दी ही अपना काम करके अपनी रिपोर्ट देगी, तो मैं समझता हूं कि कोई विशेष लाभ इस चीज से नहीं होगा कि मैं इस प्रस्ताव के बारे में फिर आगे कुछ कहूं। लेकिन मुझे तो इसका अधिकार नहीं है कि मैं इसे स्वयं वापस कर लूं इस वास्ते मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस बात की इजाजत दीजिए कि मैं अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--कम से कम आप इतना अधिकार तो हम लोगों को दीजिए कि हम इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करें, इसके पहले कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय या नहीं लिया जाय ?

On a point of order, Sir. When you are going to take votes whether this resolution should be withdrawn or not, the views of the other side should also be heard, whether the resolution should be withdrawn or not ?

Minister for Education : Now the resolution is before the House. There can be no point of order. The member has a right to withdraw it at any time There can be no debate on this point that a member can withdraw it or not.

श्री राजाराम शास्त्री--उन्होंने यह कहा है कि वे इस हाउस से प्रार्थना करते हैं कि यदि वह इनको इजाजत दें तो वह इस प्रस्ताव को वापस लेते हैं। तो कम से कम हाउस को अब इस बात का अख्तियार मिलना चाहिए कि वह इस पर अपनी राय दे कि वह इसको वापस करने की इजाजत देती है या नहीं ?

Dr. Ishwari Prasad: I do not think a debate can take place at this stage Now the resolution is before the House. It is for the House to decide whether it can be withdrawn or not. No further debate can be permitted on this point.

श्री प्रभु नारायण सिंह--जनाबवाला, जब हाउस के सामने रिजोल्यूशन, है तो हाउस को यह अधिकार है कि वह उसको वापस करने की इजाजत देता है या नहीं और उस पर कोई दो राय नहीं हो सकती है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस हाउस के सामने जब रिजोल्यूशन है तो मन्त्री जी ने कहा कि यदि मूवर साहब इसको वापस लेना चाहते हैं, तो ले लें। यह जरूरी कारण हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह प्रस्ताव वापस नहीं होना चाहिए बल्कि इस पर डिबेट होनी चाहिए। जब तक इन कारणों को हाउस के सामने हम लोग न कहें तब तक यह प्रस्ताव वापस न हो।

डिप्टी चेयरमैन—मैं समझता हूं कि डिबेट नहीं हो सकती। क्या सदन की इच्छा है कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री राजाराम शास्त्री—आपने यह तो कहा ही नहीं कि हां के पक्ष में ज्यादा हैं। यह वापस कैसे लिया जायगा और आप अपना जजमेंट कैसे दे सकते हैं ?

डिप्टी चेयरमैन—अगर आप डिवीजन चाहें तो हो सकता है।

श्री राजाराम शास्त्री—आप डिवीजन कर सकते हैं।

डिप्टी चेयरमैन--इससे कोई फायदा न होगा। मैंने हां की तादाद ज्यादा समझी है।

श्री राजाराम शास्त्री--इस तरह से रोज प्रस्ताव पेश किये जायेंगे और वापस ले लिये जायेंगे।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय मन्त्री जी, इस प्रस्ताव पर जो आइटम नं० ४ में है इन्फारमेशन दे दें, तो अच्छा है। शायद वापस लेना हो, तो उसे ले लें, क्योंकि सदन का समय नष्ट होता है ?

शिक्षा मन्त्री--अभी प्रस्ताव हाउस के सामने नहीं है।

डिप्टी चेयरमैन--अभी प्रस्ताव हाउस के सामने नहीं है, उसे हाउस के सामने आने दीजिए।

प्रस्ताव कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के लिये सरकार एक कुटीर उद्योग संघ (Cottage Industries Board) की स्थापना करे और ऐसे उद्योगों तथा धन्धों की उन्नति तथा विकास के लिये उपयुक्त योजना तैयार करे

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव इस सदन के सम्मुख उपस्थित करना चाहता हूं--

"यह परिषद सरकार से अनुरोध करती है कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी (unemployment) तथा काम की कमी (under employment) को दूर करने के लिये सरकार तुरन्त एक कुटीर उद्योग संघ (Cottage Industries Board) की स्थापना करे जिसमें सरकारी कर्मचारियों तथा विशेषज्ञों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेशीय विधान मंडल के सदस्य भी सम्मिलित हों और जो राज्य के अन्तर्गत समस्त कुटीर उद्योगों और धन्धों की विस्तृत जांच (detailed survey) करें और ऐसे उद्योगों तथा धन्धों की उन्नति तथा विकास के लिये उपयुक्त योजना शीघ्र तैयार करें।

जो प्रस्ताव इस समय मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। आज अगर मैं बेरोजगारी के अंकों को आपके सामने रक्खूं तो उसे प्रतीत होगा कि करीब आधा हिस्सा देश का, बेरोजगारी में फंसा हुआ है। बाकी आधा हिस्सा जो कृषि में लगा हुआ है वह भी वर्ष में ३-४ महीने बेकार रहता है।

यह कहा जाता है और यह ठीक भी है कि हिन्दुस्तान एक धनी देश (rich country) है। परन्तु यहां की आबादी गरीब है। यह बात एक अंग्रेज ने बहुत पहले लिखी थी परन्तु वह आज भी सर्वथा सही है। हम धनी हैं, अपने साधनों के कारण, लेकिन उन साधनों का सदुपयोग न होने से हम निर्धन हैं, दरिद्र हैं। किसी देश की जन-संख्या उसकी बहुत बड़ी सम्पत्ति समझी जाती है। यदि हम उसे उत्पादन के कार्यों में लगा सकें तो हम वस्तुतः काफी उन्नति कर सकते हैं।

जिस प्रकार किसी एक परिवार में यदि दो आदमी कमाते हैं। और उन दो आदमियों की आमदनी दो सौ रुपया हो और तीन आदमी उनके ऊपर आश्रित हों और कदाचित्, उन दो कमाने वालों में से एक बेकार हो जाय तो उनका जीवन स्तर गिरेगा अर्थात् एक के निकम्मा हो जाने से उनका जीवन स्तर आधा हो जायेगा। वही स्थिति राष्ट्र की होती है। अगर राष्ट्र के अन्दर बेकारी बढ़ती है तो उसका प्रभाव जनता के जीवन स्तर पर पड़ता है क्योंकि बेकार जन-संख्या का भार भी कमाने वाली जन-संख्या पर पड़ता है। यदि वास्तव में जीवन स्तर को ऊंचा करना है तो इसका एक ही उपाय है कि हम बेकारी और बेरोजगारी को दूर करें और अधिक से अधिक जन-संख्या को काम देने का प्रयत्न करें। देश में इस प्रकार की व्यवस्था बनावें कि अधिक से अधिक संख्या हमारे देश की उत्पादनशील हो। आज हमारी अवस्था यह है जैसा कि नेशनल इनकम के अंकों से पता चलेगा कि अब से २० वर्ष पहले जो स्थिति थी उसमें अज तनिक भी भेद नहीं है। कहा जाता है कि हमारी पर कैपिटा (per capita)

इनकम आज २२५ रुपया है । सन् १९३७ ई० में वह ६५ रुपये थी। लेकिन आज रुपये की वैल्यू क्या है ? वह केवल तीन आने मात्र है । सन् ५० ई० में अगर हमारी परकैपिटा इनकम २२५ रुपया है तो वह ६५ रुपये से कम है अर्थात् हमारी क्रय शक्ति (Purchasing Power) कम है । मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि दरिद्रता हमारे देश के अन्दर बढ़ी है । इसके दो कारण हैं । एक कारण तो यह है कि भूमि जितना भार सहन कर सकती है उससे ज्यादा भार भूमि पर इस समय पड़ा हुआ है जिसका नतीजा यह है कि जो आमदनी भूमि से इतने आदमियों के लिये होनी चाहिए वह नहीं हो रही है । आज देश के अन्दर हमारे राज्य के अंकों के बमूजिब हमारे यहां की ७३ फी सदी जन-संख्या खेती में लगी हुयी है । कोई मुल्क दुनियां में ऐसा नहीं है जिसके अन्दर इतनी प्रतिशत जन-संख्या भूमि पर लगी हो । बड़े से बड़े मुल्क की जन-संख्या जहां खेती का उत्पादन हमसे कहीं ज्यादा होता है, वहां भी ५०, ५१ प्रतिशत से ज्यादा जन-संख्या खेती पर लगी हुयी नहीं है । यह ठीक है कि हमारी सरकार ने विकास की नयी योजनायें बनाई हैं और उसके अन्तर्गत कम्युनिटी प्रोजेक्ट भी बनाये हैं । उसमें भी ५० प्रतिशत की ही जन-संख्या खेती पर रक्खी गयी है । इस समय जितनी जन संख्या भूमि पर लगी है उसका मतलब यह है कि हमारी कम से कम २६ प्रतिशत श्रम योग आदमी भूमि पर ज्यादा लगे हुए हैं । कुल हमारे प्रदेश की जन-संख्या ६ करोड़ है । अर्थ विशेषज्ञों (economists) का अनुमान है कि श्रम योग्य संख्या जो काम पर लग सकती है वह संख्या ४० प्रतिशत हो सकती है । इसका मतलब यह है कि ढ़ाई करोड़ के करीब आबादी ऐसी है, जिसके लिये कामधंधा चाहिए, जितनी जन संख्या आज हमारी खेतों पर लगी हुई है उसका लिहाज करके हमारे जमीन्दारी उन्मूलन अधिनियम में कम से कम सवा ६ एकड़ की इकोनामिक होल्डिंग मानी गई है । इस हिसाब से भी जो जन-संख्या हमारे राज्य में लग सकती है वह करीब एक करोड़ बीस लाख के आती है । इसका अर्थ यह होता है जो एक करोड़ तीस लाख यानी आधी संख्या जो बच रहती है उसके लिये काम होना चाहिए । आज हमारे देश में जो विचार धारा फैली हुई है वह यह है कि हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पर जो इन्डस्ट्रीज (large scale industries) हैं, उनको बढ़ाया जाय ; सरकारी कर्मचारी भी प्रायः इस विचार धारा से प्रभावित हैं । इस विचार धारा का यह परिणाम है कि जो असल चीज है जिससे बेरोजगारी दूर हो सकती है और दरिद्रता में कमी हो सकती है उसकी ओर हमारा ध्यान कम जाता है । आज जितनी लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज हिन्दुस्तान में हैं, उनमें जितने आदमी खपे हुए हैं उनकी संख्या केवल साढ़े २२ लाख है अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, कानपुर, जमशेदपुर इत्यादि शहरों में, जो कल कारखाने बड़े पैमाने पर चलते हैं । उन सब में मिलाकर केवल साढ़े २२ लाख आदमी जीवन उपार्जन करते हैं । यदि अमेरिका से कर्ज लेकर या अन्य देशों से कर्ज लेकर हम कोशिश करें कि इन बड़ी इन्डस्ट्रीज को अगले १० साल २० साल में दुगुना भी कर दें जो मेरे ख्याल में संभव नहीं है, तो भी उससे क्या होगा । साढ़े २२ लाख के बजाय आप ४५ लाख आदमियों को रोटी दे सकेंगे जबकि हमारे यहां ३६ करोड़ जन-संख्या का प्रश्न है । इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि यह समस्या लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज से हल नहीं हो सकती । एक बात और भी है । जन-गणना (census) की रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि हर दस साल में १२,१३ फीसदी आबादी में वृद्धि हो जाती है, जिसके यह माने होते हैं कि एक साल के अन्दर एक फीसदी वृद्धि होती है । एक फ़ीसदी के माने होते हैं ३६ लाख । एक साल के अन्दर ३६ लाख के माने होते हैं १० हजार प्रतिदिन और उनके लिये आपको कोई न कोई साधन रोटी का, पेट भरने का करना होगा । यदि लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीलाईजेशन के द्वारा हम इन सबको रोटी देना चाहें तो हमको चार-पांच मिल रोजाना बनाना चाहिए । मिलों में औसतन २ या ढ़ाई हजार आदमी फी मिल में काम करते हैं । अगर आप चार टेक्सटाइल मिल्स रोजाना खोलें तभी प्रति दिन की इस १० हजार की बढ़ी जनसंख्या

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

को रोटी देना संभव हो सकता है। यह असंभव बात है। एक दिन में तो क्या अगर आप कुछ महीने में भी चार मिल बना लें तो वह भी बहुत बड़ी बात होगी। इसलिये यह प्रत्यक्ष है कि इस बेरोजगारी की समस्या को हम लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज के जरिये पूरी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज का विरोधी हूं और न मैं यह कहना चाहता हूं कि इनको बन्द कर दिया जाये। मैं चाहता हूं कि कुछ लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके बगर किसी मुल्क का काम नहीं चल सकता। अगर प्लान्ट्स व मशीनरी तैयार करनी हैं तो बड़े-बड़े कारखाने चलाने ही पड़ेंगे। अगर स्टील और आइरन का काम करना है तो उसके लिये बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज चलानी पड़ेंगी। ऐरोप्लेन, ऐयरशिप्स बनाना है तो लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज चलानी ही पड़ेंगी। इन सब कामों के लिये तो बड़े-बड़े कारखाने रखने ही पड़ेंगे। लेकिन इसके यह माने नहीं है कि जब हम इन लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज के काम चला सकते हैं तो हम छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज क्यों खोलें? इस विषय में हम पश्चिमी देशों का अनुकरण करके नहीं चल सकते हैं। मैं मानता हूं कि यूरोप के अनेक देशों ने बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज कायम कर रक्खी है और उन्हीं से उनका काम चलता है।

लेकिन उनकी स्थिति हमारी स्थिति से सर्वथा भिन्न है। अगर इंगलैन्ड ने बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज जारी करके उसे एक बड़ा औद्योगिक देश बनाया तो उनके पास इसके साधन थे। तो उनके पास कोलोनीज थीं, जहां से उनको कच्चा माल (raw material) मिल जाया करता था, उनके पास माल की खपत करने के लिये मार्केट्स थे और दूसरे देशों में अपने अपने माल की खपत करने के लिये वह मार्केट्स हासिल करने का सदैव प्रयत्न करते थे। लेकिन भारत को तो ये सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, न हमारा उद्देश्य ही है। दूसरे देशों में अपने माल के लिये बाजार पैदा करने का न तो ध्येय ही है और न हम ऐसा प्रयत्न ही करना चाहते हैं। वैसे जिन देशों को हमारे माल की जरूरत हो, वह हम से ले सकते हैं लेकिन इस काम की जड़ में जो आशय उन पुराने औद्योगिक देशों का रहता है वह आशय हमारा नहीं है। पिछले दो महायुद्ध हुए, उनकी जड़ में और कोई बात नहीं थी, केवल इकोनामिक राईवलरी के कारण ही लाखों करोड़ों आदमी मारे गये और इतनी बड़ी बड़ी दो संसारव्यापी लड़ाइयां लड़ी गईं। मैं यह कह रहा था कि न तो भारत की ऐसी कोई नीति ही है और न कोई हमारा आदर्श ही इस तरह का है, इसलिये हमें तो उन लाइन्स पर अपने देश का औद्योगीकरण करना नहीं है। हमें तो छोटे स्केल पर अपनी इन्डस्ट्रीज को खड़ा करना है, उसी में हमारी समस्याओं का हल हो सकता है जिससे हमारे शहरों में और गांवों में लोग अपनी जीविका उपार्जन करते रहें और किसी तरह की अड़चन न आने पाये। अब वह जमाना तो आ नहीं सकता जब हमारी सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था ऐसी थी कि हम आत्म निर्भर थे, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर था, हर गांव आत्म निर्भर था, और उसी के अनुसार हमारी जीवन व्यवस्था चलती थी। उस समय हमारा कोई भी व्यवसाय इस ख्याल से नहीं चलता था कि इस काम में हमें क्या लाभ है और क्या हानि है? वह तो एक प्रकार की जीवन प्रणाली थी, एक जीवन विधि (mode of life) थी जिसका पुश्तहापुश्त से हम लोग अनुसरण करते चले आ रहे थे। इस समय हमारा बाहरी दुनियां से कोई बड़ा सम्बन्ध नहीं था। हमारी जीवन व्यवस्था जिस तरह से चल रही थी उसी में हम सुखी थे लेकिन आज तो हमारा सम्बन्ध बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके सम्पर्क बिना कोई राष्ट्र रह नहीं सकता। इसलिये जिस समाज व अर्थ व्यवस्था को महात्मा गांधी पुनर्जीवित करना चाहते थे उसको रिवाइव करने के लिये कोई गांधी जैसा ही नेता चाहिए जो संसार को प्रभावित कर सके और आत्मनिर्भरता पर आधारित समाज का पुनर्निमाण कर सके।

श्री प्रभु नारायण सिंह—On a point of information, sir. मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि मूवर इस प्रस्ताव पर ५ बजे तक बोलते रहें तो क्या दूसरे दिन भी यह प्रस्ताव लिया जा सकता है।

डिप्टी चेयरमैन—जी हां, लिया जा सकता है।

श्री राजाराम शास्त्री—यदि दूसरे रोज भी लिया जा सकता है तो कोई एतराज नहीं है ।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—दूसरे वृहस्पतिवार को भी यदि यह प्रस्ताव चलेगा तो ठीक है । वाकई उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह आशा नहीं थी कि मेरे दोनों प्रस्ताव आज ही लिये जायेंगे । जहां तक मेरे पहले प्रस्ताव का सम्बन्ध है, मैं उससे ज्यादा महत्व इस प्रस्ताव को देता हूं । मेरा उद्देश्य यह है कि जो विचार मेरे अन्दर हैं वह आपके और सरकार के सामने रख दूं । अगर सरकार फायदा उठाना चाहती है और इसका प्रयोग करना चाहती है तो मैं यह समझूंगा कि मैं बड़ा भाग्यवान हूं । अगर सरकार इसको नहीं मानती है, तो मेरा इसके अन्दर कोई व्यक्तिगत हानि या लाभ नहीं है ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमको ऐसे साधन निकालने होंगे जिन साधनों के द्वारा हमारे देश की इतनी बड़ी भारी जनसंख्या का जीवन निर्वाह हो सके । मैंने निवेदन किया था कि हमारे समाज की जो पहिले सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, उसको अब दोबारा वर्तमान स्थिति के अन्दर फिर लौटाना संभव नहीं है । जनता में जो वर्तमान मनोवृत्ति है उसको जल्दी से बदलना बड़ा कठिन है । इसलिये हमें ऐसे साधनों को खोजना चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए जिनके प्रयोग करने से हम उस बाकी जनसंख्या के लिये रोजगार पैदा कर सकें । आज भूमि पर अधिक बोझ पड़ गया है, उस बोझ को हल्का करना है इसके सम्बन्ध में भी कुछ आवश्यक बातें आपके सामने रख दी हैं । लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज से हमारा मकसद देश का उद्योगीकरण है । दूसरी जो विचार धारा थी और जो पुरानी व्यवस्था हमारे यहां थी उस पर जाना इस समय संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है । दूसरी बात जो कही जाती है वह यह कही जाती है कि हमारी जो भूमि की व्यवस्था है, उस भूमि व्यवस्था में सुधार करने से हमारी ऐसी दिक्कतों का अन्त हो सकता है ।

इस सम्बन्ध में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसमें जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी नहीं है । अब वह क्या तरीका है जिस तरीके पर जीवन उपार्जन के सिद्धांत रखे जायं । यही तरीका है कि इस सम्बन्ध में रिपोर्ट बनाई जाय । अभी पिछले २० साल के अन्दर १० कमेटियां बैठी हैं । आपके उत्तर प्रदेश में भी एक कमेटी बैठी है जिसकी रिपोर्ट अभी तीन चार साल हुए निकली थी । उस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ कर मैं सुनाना चाहता हूं, लेकिन अब समय अधिक नहीं है इसलिये अब मैं उसको न पढ़ सकूंगा ।

डिप्टी चेयरमैन—आपका टाइम पूरा होने वाला है ।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है । जो कुछ मेरा मकसद है वह मैं इस थोड़े से वक्त में तशरीह के साथ न कह सकूंगा ।

डिप्टी चेयरमैन—पांच मिनट अभी और बाकी हैं अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं ।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—मुझे अभी काटेज इन्डस्ट्रीज के बारे में बहुत कुछ कहना है और यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि पांच मिनट में पूरा न हो सकेगा । जब मुझे फिर बोलने का मौका मिलेगा, उस वक्त मैं इस विषय के बारे में कहूंगा ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—On a point of order, Sir. क्या कोई ऐसा कायदा है कि जो साहब प्रस्ताव उपस्थित करते हैं उनके लिये कोई टाइम मुकर्रर नहीं है ?

डिप्टी चेयरमैन—उन साहब के लिये ३० मिनट का टाइम मुकर्रर है ।

*श्री हयातुल्ला अन्सारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिज्योलूशन हाउस के सामने पेश किया गया उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं इस हाउस की और आपकी तवज्जह काटेज इन्डस्ट्रीज की तरफ़ दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां हिन्दुस्तान में बहुत ही उम्दा कालीन बनते हैं, बनारसी साड़ियां बनती हैं, मुरादाबाद में कलई के बरतन बनते हैं और अल्मोड़ा में ऊन का अच्छा कपड़ा तैयार होता है। अभी थोड़े दिन हुए हमारे यहां अमेरिका से कालीनों की मांग आई थी। मिर्जापुर से बनकर कालीन गये थे, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह का नमूना यहां से बन कर गया था, वैसे कालीन बन कर नहीं गये। इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी डेढ़ साल का जमाना हुआ कि मैं मिश्र गया था, वहां पर मैंने बनारसी कपड़ा देखा, जिससे वहां दुकानों पर परदे टंगे हुए थे और जिनकी कीमत यहां पर सौ सौ और दो दो सौ रुपया है, वहां पर उसको अमेरिकन ६, ६ सौ और ८, ८ सौ में खरीदते हैं। मैं अपने एक दोस्त के बारे में भी कहना चाहता हूं वह एक दफा जावा गये थे। वहां जाकर उनको वह कपड़ा बहुत ही पसन्द आया और काफ़ी कीमत में लेकर वह उन्होंने अपनी बीबी को प्रेजेन्ट किया। बीबी ने पहचान लिया कि वह बनारसी कपड़ा है। उसकी उन्होंने करीब ४ सौ के कीमत दी, लेकिन वह यहां ६० रुपये में मिलता है। लेकिन चीज यह है कि यहां कई इस किस्म की चीजें बनती हैं, लेकिन उसकी यहां कोई तरक्की ही नहीं है। यह हिन्दोस्तान वालों के लिये बड़ी ही शर्म की बात है कि यहां की चीजों की यहां कोई कदर नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आ गया है, वह बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा है। एक जापान का कपड़ा आता है जिसमें कि आदमियों के और जानवरों की तस्वीरें बनी होती हैं। एक साहब उसको खरीद कर लाये और जापान से लेकर जब वह यहां लाये तो उन्होंने सोचा कि हिन्दुस्तान इस मामले में बहुत ही बदनसीब है। एक साहब बैठे थे, उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि यह कपड़ा यहां बन सकता है। उन्होंने एक चिकन बनाने वाले को बुलाया और कहा कि इसी किस्म की छपाई करो और इस तरह से बनाओ कि इनमें कोई फर्क न रह जाय। उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि कोई कमी न रह जाय लेकिन हो सकता है कि तस्वीरें बनाने में मेरा हाथ डिग जाय, परन्तु फिर भी मैं कोशिश करूंगा। उसने उसकी कापी की और ४ या ५ घंटे के अन्दर तैयार करके दे दिया। उस पर स्त्री भी कर दी और ठीक करके रख दिया। उसके बाद जब दोनों को सामने रक्खा गया तो यह मालूम न हो सका कि कौन असली है और कौन नकली है। तो हमारे हिन्दुस्तान में इस तरह का अच्छे से अच्छा आर्ट है। हुकूमत ने इस सिलसिले में बहुत कुछ काम किया है। अल्मोड़ा में ऊन की इन्डस्ट्री तकरीबन खत्म हो गई थी, मगर फिर जिन्दा हो गई। सूत की कालीन का काम भी तकरीबन खत्म हो गया था। इसका कारण यह था कि महाजनों ने इस काम को काफी धक्का पहुंचाया और नतीजा यह होता था कि आमदनी कम होती थी, मगर गवर्नमेंट ने उसको फिर से जिन्दगी दी। इस तरीके से कई कामों में बढ़ती हुई। चिकन का काम लखनऊ में बिल्कुल खत्म हो रहा था और उसका बाजार में कई गुना दाम देने पर भी पता नहीं मिलता था, लेकिन उसको फिर से नई जिन्दगी दी। यह तो सब कुछ हुआ और काफी तरक्की हर काम में हुई, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए, था वह नहीं हो रहा है। बाज–बाज नई इन्डस्ट्रीज तैयार हो रही हैं जो बहुत ऊंची हैं और वह ऐसी हैं कि हिन्दुस्तान भर की मांग पूरी कर सकते हैं। दूसरी बात जैसा कि मैंने पिछली मर्तबा कहा था कि एक बहुत बारीक जाली आती थी जिससे कि पेट्रोल छाना जाता है या शक्कर छानी जाती है उनमें जो बहुत उम्दा किस्म की जाली होती है, उनमें एक इंच में १८० खाने होते हैं और वह अमेरिका से आती है, परन्तु वार के जमाने में वह आनी बन्द हो गई थी, लेकिन अब फिर आने लगी है। तो जब बनारस में सूत का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, उम्दा से उम्दा बन सकता है, तो क्या वजह है कि यह जाली नहीं बन सकती। हिन्दुस्तान में लोहे और तांबे के तार के काम उम्दा से उम्दा होते हैं। एक साहब जो कि एम०एस–सी० थे और उनको काफी तजुर्बा था, उन्होंने इस चीज को साबित कर दिया कि जिस तरह से चांदी की

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

तह होती है उसके अन्दर से बारीक से बारीक तार निकाले जा सकते हैं, उसी तरह से लोहे की और तांबे की तार बन सकती है। मैं बनारस गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि उसी किस्म की एक जाली बनी है जिसमें अन्दाजिया १७० खाने आते थे, लेकिन १८० खाने नहीं आ पाये। यह भी दूर हो सकती है, लेकिन दुश्वारी यह है कि उनको चीजें नहीं मिलती। मुझे दुख है कि बहुत सी इन्डस्ट्रीज जो बिलकुल अच्छी तरह से काम कर सकती हैं और जिनमें कीमती चीजें बन सकती हैं, उनकी ओर कोई तवज्जह नहीं दी जाती है। मुमकिन है कि गवर्नमेंट को इन बातों से दिलचस्पी न हो या वह ऐसा करना ठीक न समझती हो और उसने वह चीज छोड़ दी हो। वैसे मैंने मिश्र के अन्दर बनारसी साड़ियां देखीं और उनको देखकर मुझे ख्याल आया कि अगर उनके अन्दर मिश्र की डिजाइन होती तो वहां के लिये वह कपड़ा काफी अच्छा रहता। तो जैसे दीवारों पर वहां तस्वीरें बनाई गई हैं, तो अगर बनारस में यहां इस तरह से काम होता, तो वह कितना उम्दा होता और वह चीज ओरिजिनल तरीके से होती। बनारस में कपड़े का जो काम है, तो उसमें एक साहब ने मुझे लिखा कि मेरा एक कारखाना चल रहा है, तो इसमें मुझे बतलाइये कि मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि यह काम सिर्फ एक, दो आदमी से नहीं हो सकता है और इसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया को कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से करने से हमारे और इजिप्ट के बीच में ट्रेड भी डेवलप हो सकता है और यह चीज वह ले सकते हैं। मैंने अपने अखबार में इनके बारे में एक बार लिखा था। इस तरह से मैंने अमेरिकन टेलर्स की चीजें देखीं। ये चीजें जहां जाती हैं अच्छे दामों में बिकती हैं। आप बम्बई की शाप्स पर जायें और देखें। वहां यू० पी० की बनी हुई चीजें काफी तादाद में मिलेंगी। एक चीज है डिजाइन्स की कमी है। अगर डिजाइन्स अच्छी बनाई जाय, जैसी अजन्ता की तस्वीरें हैं वह अगर बनाई जायें, तो वह ज्यादा बिकेंगी और ज्यादा दामों की बिकेंगी। हकीकत यह है कि काटेज इन्डस्ट्रीज एक बहुत बड़ी दौलत है, वह एक्सपोर्ट हो सकती है। अगर इस पर तवज्जह नहीं दी जा जाती है। मसलन जो चीजें बनाई जायं, उसमें यह ख्याल रखा जाये कि वे सस्ती हों, जो मुल्क की जरूरत को पूरा कर सकें और कुछ चीजें ऐसी बनाई जायं जिनकी बाहर के मुल्कों में खपत हो, तो वह इन्डस्ट्री तरक्की कर सकती है। इत्तिफाक की बात है कि हर तरह की चीज इस मुल्क में है, लेकिन हकीकत यह है कि हमको इसका इल्म नहीं है। हमें उसके डिटेल में जाना होगा। जैसे बनारसी साड़ी बनाई जाती है। उस पर छपाई होती है और रेशम का काम होता है, तो उन सब चीजों को हमको देखना होगा कि किस चीज की इस मुल्क को जरूरत है और किस चीज को बाहर भेजा जा सकता है। आपस में सनद का टकराव न हो। एक आर्ट का दूसरे आर्ट से कम्पटीशन न हो। इसके लिये हमको अलाहिदा-अलाहिदा हिस्से बनाने पड़ेंगे। एक चीज जो आम लोगों के काम की हो वह बनाई जाय और दूसरी चीज जो जवान औरतों के मतलब की हों, वह बनाई जाय। इसी तरह से उसमें डिजाइन का भी ख्याल रखा जाय, इसके लिये एक बहुत बड़े प्लान की जरूरत है। एक्सपोर्ट के लिये एक प्लान बनाने की जरूरत है। साउथ इंडिया में किस तरह की साड़ियों की जरूरत पड़ती है वहां के लिये वैसी ही बनाई जाय। बनारस में यों तो साड़ियां बनती हैं, लेकिन वही २ या ३ तरह की साड़ियां बनती हैं। अगर हम सही तौर से इस पर गौर करेंगे तो मुमकिन है कि हम इसमें तरक्की कर सकें। वाकया यह है कि यह एक बहुत बड़ी दौलत है, जिसमें लाखों इम्पलाई हो सकते हैं और यह एक चलता-फिरता काम है जो लाखों आदमियों का पेट भर रहा है। लेकिन आज हालत यह है कि हम उस इन्डस्ट्रीज की कदर नहीं करते हैं। यह एक सोने की चलती फिरती कान है। यह मैंने एक चीज की मिसाल दी है।

इसी तरह से मुरादाबाद की बर्तनों की सनद है। एक जमाने में यह था कि कलई १० साल तक बर्तन की नहीं जाती थी लेकिन जब से पोटैशियम साइनाइट का मिलना बन्द हो गया और चांदी की एलक्ट्रोप्लेटिंग खत्म होगई, तब से यह हालत हो गई है कि कलई

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

४ साल भी नहीं चलती है। उसकी वजह यह है कि चांदी के बजाय वह टीन और दूसरी चीजें इस्तेमाल करने लगे हैं? और अब वह इतनी बदनाम हो गई है कि कोई उसे खरीदने का नाम भी नहीं लेता है। हालांकि यह वह चीज है जिसने चीनी के बरतनों का मुद्दत तक मुकाबिला किया है। उस वक्त जापान से भद्दा बरतन आ रहे थे, उस जमाने में इसमें मुकाबिला किया है। टी सेट में प्याली, बरतन, वगैरह तो नहीं रखते थे, लेकिन शकर दानी, दूधदानी और दूसरी चीजों के मुरादाबाद के बरतन ही काम में लाये जाते थे। अब भी बम्बई में आप को शाप्स पर देखने को मिलेगा मगर अब वह काफी दाम के हैं। मैंने एक दूकान कोन्शियो शाप पर देखा था, वह मौजूद है। चमचे तो अब बाहर जाना बन्द ही हो गये। असल बात यह है कि केमिकल वह लोग बना नहीं सकते है, क्योंकि वह केमिस्ट नहीं हैं और यह वह नहीं जानते हैं कि जो चीजें उनको नहीं मिल रही हैं, सका सब्स्टीट्यूट क्या हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। दिक्कत तो यह होती है कि एक ही किस्म का कच्चा माल ज्यादा तादाद में नहीं मिल सकता है। मिर्जापुर में कालीन बहुत अच्छे बनते थे, लेकिन आज उतने अच्छे नहीं बनते, उसका कारण सिर्फ यही है कि ऊन काफी तादाद में इकट्ठा नहीं मिलता। रंग भी कई जगह से इकट्ठा करना पड़ता है। इस तरह से स्टैन्डर्डाईजेशन कैसे हो सकता है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो, उसका प्रबन्ध गवर्नमेंट को करना चाहिए। हमारे यहां सबसे बड़ी दौलत काटेज इन्डस्ट्रीज की है। दूसरी जगह वैसी नहीं है। यू० पी० की काटेज इन्डस्ट्रीज सबसे अच्छी मानी जाती है। इसका मुकाबिला हम दूसरी जगहों से कर सकते हैं। दूसरी चीज यह भी जरूरी है कि स्कैटर्ड इन्डस्ट्रीज हो, कन्सेन्ट्रेटेड न हो। यह तजवीज ऐसी है जिसे हाउस को मन्जूर कर लेना चाहिए।

श्री सरदार संतोष सिंह--माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं ज्योति प्रसाद जी के प्रस्ताव पर कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी मन्शा है कि जो कुछ आप साहबान ने साफ नहीं किया है काटेज इन्डस्ट्रीज की बाबत में उसे साफ कर दूं। मेरे ख्याल में सब मेम्बर साहबान को मालूम होगा कि जुलाई के महीने में मैंने काटेज इन्डस्ट्रीज के ऊपर रोशनी डाली थी और इसका मुकाबिला दूसरे देशों से किया था। इस वक्त जापान की इन्डस्ट्रीज का मुकाबिला कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। वह बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और उसके चलाने में गवर्नमेंट का हाथ है। जब तक गवर्नमेंट काटेज इन्डस्ट्रीज को न अपनायेगी तब तक वह नहीं चल सकती। मेरे ख्याल में हमारे माननीय सदस्य ने जो यह प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही मौंजूं है। जो कुछ फीगर्स आपने इस सिलसिले में दिये हैं वे भी बिल्कुल ठीक हैं। इस इन्डस्ट्रीज को चलाने का कौन सा तरीका अख्तियार करना चाहिए अभी नहीं बतलाया गया है। मैं आपको जापान की मिसाल देता हूं। जापान के अन्दर हर एक स्कूल में हर एक लड़के को तालीम दी जाती है। हमारे लड़के जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको हमेशा एजूकेशन की किताबें पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद उनको कुछ नहीं करना होता है। कालेज के बाद सर्विस में पहुंचे लेकिन किसी ने इन्डस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिये वास्तव में शुरू से दस्तकारी की तालीम देनी चाहिए। जब हमारे लड़के मैट्रीकुलेट्स हो जाते हैं तो वे सर्विस की ओर भागते ह। गवर्नमेंट उसको सर्विस देने से मजबूर हो जाती है इसलिये हम गवर्नमेंट को सुझाव देते हैं कि शुरू से ही इन्डस्ट्री एक पढ़ाई का मजमून होना चाहिए। दो घंटे इन्डस्ट्रीज के लिये होना चाहिए और तीन घंटे बाकी स्कूल की शिक्षा के लिये होना चाहिए। लड़के का टेस्ट देखना चाहिए और उसके अनुसार उसको शिक्षा देनी चाहिये ताकि वह लड़का जब मैट्रीकुलेशन की परीक्षा पास कर ले तो वह समझे कि मैं आगे पढ़ने के लिये काबिल हूं या नहीं। यदि ये लड़के कालेज में चले जायेंगे तो वहां भी इन्डस्ट्रीज को पढ़ेंगे और इस तरह से वे बी० ए०, एम० ए० होने के बाद इन्डस्ट्रीज को चालू कर सकेंगे। जब लड़कों को शिक्षा इस प्रकार की दी जायगी तो उनको काम करने में शर्म नहीं होगी। आजकल ग्रेजुएट को अपने कपड़े का ख्याल रहता है। बाद में वह अपनी पोजीशन का ख्याल करता है। वह इन्डस्ट्रीज के किसी काम को करने को बुरा समझता है। जहां सौभाग्य से शिक्षा मन्त्री महोदय भी मौजूद हैं। मैं पहले भी

इसके बारे में कह चुका हूं कि लड़कों की शिक्षा पहले ही से इन्डस्ट्रीज में होनी चाहिए। जापान में हर जिले के अन्दर गवर्नमेंट ने सेन्टर बनाया है। स्कूल से जब लड़का अपने घर आता है तो उनको कोई न कोई काम करने के लिये मिलता है। वे बजाय खेलने के किसी काम पर लग जाते हैं। कोई खिलौना बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है और कोई दूसरा काम करता है। बनाने के बाद उस चीज को गवर्नमेंट के सेन्टर में ले जाते हैं। गवर्नमेंट का इन्स्पेक्टर उसको देखता है। अगर उसकी डिजाइन में कोई नुक्स होता है तो उसको दूर करता है। दूर करने के बाद इन चीजों को वहीं दे देता है। गवर्नमेंट उन चीजों को किसी तरह से बाहर के देशों में भेजती है। वे चीजें इतनी सस्ती होती हैं कि दूसरा मुल्क उनका मुकाबिला नहीं कर सकता है। लड़ाई के जमाने में जो कपड़ा वहां तैयार होता था उसके लिये आपके लिये आप के मुल्क से रुई जाती थी, लोहा जाता था, उससे वे खिलौने तैयार करते थे। उन्हीं खिलौनों को आपके मुल्क में सस्ते बेचते थे। इस तरह से रुई जो यहां से जाती थी आपको मालूम है उससे लंकलाट का कपड़ा जो बन कर आता था वह अमेरिका और हिन्दुस्तान के अन्दर चार आना गज में बिकता था, इस कपड़े को यहां के मिल बारह आने गज से कम में नहीं तैयार कर सकते थे। वहां की इन्डस्ट्री और हमारे यहां की इन्डस्ट्री में यही फर्क है। हमारे यहां की गवर्नमेंट इन्डस्ट्री को नहीं अपनाती है। हमारे मुल्क के अन्दर बहुत बड़े-बड़े कारीगर हैं जिनकी कोई कदर नहीं है। काटेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड के वास्ते कहा गया है। अगर गवर्नमेंट उसको अपनाये तो बोर्ड आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें रखें जिससे मुल्क का काफी भला हो और इन्डस्ट्रीज भी बढ़े। हमारा रुपया जो बाहर जाता है वह फिर नहीं जायेगा। हमारे मुल्क के जो बच्चे बेकार घूमते हैं वह बेकार नहीं रहेंगे। एक मेम्बर साहब ने कहा है कि यहां पर साड़ियां बन सकती हैं, बर्तन फलां जगह बन सकते हैं मैं कहता हूं कि सब कुछ बन सकता है मगर गवर्नमेंट उसको अपनाये तब तो अगर नहीं अपनायेगी और जिस तरह से इन्डस्ट्रियां चल रही हैं वैसे ही चलेंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। आपके सामने जो प्रस्ताव तजुर्बे के तौर पर रखा गया है गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर गम्भीरतापूर्वक गौर करे और विचार करके इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने की कोशिश करे। मुल्क में इन्डस्ट्रीज ऐसी चीज हैं जो हमको अमीर बना सकती हैं। हम छोटी-छोटी चीजें बाहर से मंगाते हैं और रुपया बाहर भेज देते हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिये मैं अब इतना ही अर्ज करूंगा कि काटेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड जरूर बनाया जाये और उसमें अच्छे-अच्छे लायक आदमी रक्खे जायं ताकि देश में दस्तकारी का विकास हो इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यह प्रस्ताव जरूर माना जाय।

*श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर जो प्रस्ताव माननीय ज्योति प्रसाद जी ने रखा है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। इस प्रस्ताव के के द्वारा उन्होंने सदन का, साथ ही साथ सरकार की तरफ से माननीय मन्त्री जी का ध्यान हमारे सूबे की अहम समस्या की ओर दिलाया है। उसके लिये उनको जितनी भी बधाई दी जाय, वह थोड़ी है। आज हमारे सूबे में नौकरी चरम सीमा तक पहुंच गयी है। आज आप देखेंगे कि बेकारी और भुखमरी से परेशान हिन्दुस्तान के हजारों नौजवान स्कूल और कालेजेज से जब निकलते हैं तो जगह जगह ठोकर खाते हैं और इसके बाद भी उनको कहीं गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ जो छोटे-छोटे धंधे हमारे कारीगरों के हैं, उनकी कहानी तो बड़ी ही भद है। मैं समझता हूं कि सरकार का ध्यान उस ओर जरूर गया है, मगर जितना जाना चाहिए था, उतना ध्यान सरकार का उस ओर नहीं गया है। अभी तीन रोज पहले बनारस का एक दर्दनाक किस्सा यों है। इस किस्से को कोई भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला भूल नहीं सकता। लाखों की तादाद में जो जुलाहे बनारस में रहते हैं उनकी हालत ऐसी गिरी हुई है कि उनका बयान नहीं किया जा सकता। अभी तीन

---

* माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

रोज पहले अखबार में यह शाया हुआ था कि एक जुलाहे ने अपने स्त्री बच्चों के साथ अपनी भी आत्महत्या कर ली और वह इस बात पर कि उस बेचारे को सात दिन से अपने परिवार को खाने के लिये कुछ भी नहीं मिला। उसने अपनी ही आत्महत्या नहीं की बल्कि पहले अपने बच्चों की हत्या की। स्त्री की हत्या करने की कोशिश की केवल इसलिये कि सात सात दिन तक उनको भूखा रहने के बाद, वह अपनी जिन्दगी नहीं चला सकता था। मैं माननीय मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूं कि कितनी ही ऐसी घटनायें घटती हैं, जो आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती हैं। बनारस, काशी प्राचीन परम्परा का आदर्श रहा है वह एक शानदार नगर रहा है। आज वह किस तरह से नीचे गिर रहा है, वहां का कुटीर उद्योग किस तरह से बरबाद हो रहा है। काशी की बनारसी साड़ियां और रेशम का काम एक गर्व की वस्तु रही है। वह आज मिटता चला जा रहा है। उसकी तरफ सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना वह नहीं देती है। काशी का पुराना व्यापार जो कि ब्रास का व्यापार है, जिसके कलात्मक बर्तन वगैरह अमेरिका वगैरह में लोग अपने घरों में बड़े गर्व से लगाते हैं, उनके कारीगरों की हालत बुरी हो रही है। यह समस्या सिर्फ बनारस के जुलाहों की ही नहीं है, मऊ के जुलाहों की भी है और मिर्जापुर और मुरादाबाद के बर्तनों के कारीगरों की भी है। हमको यह बातें देखकर बहुत तकलीफ होती है। हमारे माननीय गृह मन्त्री इसी मुहल्ले के रहने वाले हैं, जहां पर बर्तनों के कारीगर रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके कि हमारी सरकार कायम हुई है उनकी तकलीफों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वह अपने मकानात बेच चुके हैं, गहने बेच चुके हैं, फिर भी अपनी जिन्दगी नहीं चला पा रहे हैं। इस तरह से हमारा ध्यान इस कुटीर उद्योग की तरफ जाना चाहिए और अगर हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है तो हमारा मुल्क और सूबा बचाया नहीं जा सकता है। इसीलिये अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारी सरकार की आदत है कि वह हर चीज को छू लेती है। छूने का काम वह हर तरफ कर देती है। कुटीर उद्योग की तरफ उसने कोशिश की और हमारे यहां कुछ थोड़ा सा सामान जैसे, चादरें वगैरह हैं, अमेरिका और दूसरे देशों में उनकी खपत होने लगी है, लेकिन यह काम केवल छूने का है। सरकार पूरी तौर से उसको हल करने की कोशिश नहीं करती। इन शब्दों के साथ मैं श्री ज्योति प्रसाद जी को जिन्होंने बड़ी योग्यता से और आंकड़ों के साथ व्याख्यान देते हुए, इस प्रस्ताव को पेश किया है, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमारा मुल्क बचाया नहीं जा सकता है। हमारे देश में इन्डस्ट्रीज में फी आदमी १५० रुपये कैपिटल लगा कर हुआ है, जब कि अमेरिका में फी आदमी करीब ५ हजार से ८ हजार तक लगा हुआ है। हमारा देश अमेरिका के रास्ते पर चलकर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

अमेरिका की जिन्दगी जो लक्जूरियस जिन्दगी है, इस पैटर्न पर हमारे हिन्दुस्तान की जिन्दगी नहीं बनाई जा सकती। ऐसी सूरत में जो हिन्दुस्तान की हालत है इसमें हर व्यक्ति पर करीब १५० रुपया लगता है। इसी तरह का कुछ रेशियो अमरीका का होगा, कुछ रूस का होगा तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को बड़े पैमाने पर यहां हम नहीं चला सकते। पहली बात तो यह है कि हमें इतना कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर बड़ी इन्डस्ट्री को बिल्डअप करने की कोशिश यहां की जाय, तो एक पोर्शन बहुत डेवलप कर जायगा और दूसरा पोर्शन अनडेवेलप्ड ही रह जायगा और नतीजा यह होगा कि लोगों का शोषण शुरू हो जायगा। इसलिये हम डिसेंट्रलाइजेशन के साथ ही साथ, बैलेन्स्ड सेन्ट्रलाइजेशन की भी सोचते हैं। हमारा मतलब यह है कि हम हायड्रोएलेक्ट्रिक बिजली पैदा तो करें बड़े पैमाने पर लेकिन उसका काम कुटीर उद्योग में ही हो, उसका इस्तेमाल कुटीर उद्योग में छोटे पैमाने की इन्डस्ट्रीज में ही किया जाय। इसके अलावा हमें कलात्मक वस्तुओं के पैदा करने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जिनकी खपत विदेशों में है। मैं समझता हूं कि यह काम कोई आर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। यह काम तो सरकार का है, वह गवर्नमेंट की चीज है। एलेक्शन से सिलसिले में जो सोशलिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो था, उसमें हमने साफ़ तौर

पर लिखा था कि हम डिसेंट्रलाइजेशन के बिना नहीं रह सकते और इसलिये हमने कहा था कि छोटे छोटे उद्योगों के लिये रिसर्च ब्यूरो कायम किये जायं। इसी सिलसिले में मैंने कहा था जैसे बनारस में साड़ी का अच्छा कारबार होता है तो हमें देखना चाहिये कि अमरीका में साड़ी की कितनी खपत हो सकती है और किस डिजाइन का माल हमें बनाना चाहिए। हम इसी प्रकार के डिजाइन अमेरिका में मूव करें और अपने दिमाग से ऐसे डिजाइन पैदा करें जिसमें अमेरिका वालों की रुचि बनारस की साड़ियों में बढ़े। इस तरह से ब्रास के सिलसिले में, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने बताया, हमें चाहिए कि हम कारीगरों को बैठा करके, एक्सपर्ट्स को बैठा करके, उसके ऊपर विचार करें, सोचें कि किस तरह से हम अपने इस उद्योग का विदेशों में प्रचार कर सकते हैं। वहां हम अपने ब्यूरो बैठायें और वहां बाकायदा इस तरह का प्रोपेगेन्डा करें, इस तरह का प्रचार करें, और साथ ही साथ वहां भी उसी तरह की चीजें बनाने की कोशिश करें और इस तरह से हम अपने उद्योग की उन्नति कर सकते हैं। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कहते हैं, तो उसी समय हमारी यह भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने उन छोटे-छोटे उद्योगों को संरक्षण भी दें। हम उनको ऐडवाइस दें, हम उनको सलाह दें कि तुम को इस तरह से काम करना है।

इसके साथ ही साथ हम देहातों को भी न भूलें। हम देहातों की तरफ इस बात को सोचें जिसको हम सभी जानते हैं। जब हम जमीन के बटवारे का सवाल उठाते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में यह बात साफ है कि देश के अन्दर इतनी जमीन है कि उसमें तमाम आबादी को बसाया जाय। इसलिये हमने इस बात को बार-बार कहा है कि जमीन का बटवारा होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ उनकी जिन्दगी को उठाने के लिये १०, २० या ५० गांवों के बीच में एक कारखाना खोला जाय। जैसा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें सब से पहले ऐग्रीकल्चर इकोनामी का सवाल आता है। उसके लिये यह हो सकता है कि हमारे यहां गायें और भैंसें पाली जा सकती हैं, जैसे कि आज भी पाली जाती हैं। यदि इस तरफ सरकार का ध्यान जाय तो और गांवों के अन्दर मक्खन का एक कारखाना खोला जाय तो बहुत से लोग गाय और भैंसें पाल लें। इससे यह होगा कि दूसरे लोग भी अपने रोजगार करने के लिये आयेंगे और दूसरी तरफ यह होगा कि लोगों को शुद्ध देशी चीज भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह होगा कि देश की ऐग्रीकल्चरल एकोनामी में भी काफी बदलाव पैदा होगा। आज आप दुनिया के सबसे छोटे मुल्क स्वीडन और डेनमार्क को ही देख लीजिए, वे इन चीजों में कितनी तरक्की कर गये हैं। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इस डिसेन्ट्रेलाइजेशन का सवाल है इसके बारे में मैं, समझता हूं कि जो हमारे देश में आज भी गांधीवादी लोग हैं, उन्होंने इस सत्य बात को मान लिया है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन सत्य चीज है। सोशलिस्ट पार्टी भी अपने आब्जेक्ट में इस बात को मानती है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन सत्य चीज है। इस तरह से गांधी वादियों में हममें इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। ऐसी हालत में जो श्री ज्योति प्रसाद जी ने प्रस्ताव रखा है हम उसका स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए सरकार से कहते हैं कि उसने जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट कुटीर उद्योग के साथ किया है, बावजूद इसके कि आपने बापू का बहुत नाम लिया है, अब इस रास्ते पर चलने की कोशिश करेगी। यह दूसरी बात है कि सोशलिस्ट पार्टी इसे एक आब्जेक्टिव तरीके से मानती है, इसलिये मैं कहता हूं कि जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट इस कुटीर उद्योग को अब तक मिला है, वह नहीं मिलना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और तजी से इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए नहीं तो लाखों की तादाद में लोग भूखों मरेंगे और जिसे आप भी नहीं रोक सकते। यह चीज ऐसी नहीं है जिसे आप लोन्स के जरिये नहीं रोक सकते हैं। आप लोग जो गांवों के अन्दर रहते हैं उन्होंने आज जुलाहों की हालत को देखा होगा। आज उन्हें सूत नहीं मिलता है। मुझे इलेक्शन का जमाना याद है जिसका मिनिस्टर साहब ने

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

भी जिक्र किया है। किसने, किससे जाकर के दोस्ती की, वह इतिहास बतलायेगा। इन्हीं के जमाने में जुलाहों को सूत बांटा गया, मगर आज उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। यह तरीका आपका कुटीर उद्योगों को देखने का है, तो कैसे आप मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि गांवों के अन्दर जो जुलाहे हैं या बर्तन बनाने वाले हैं, उसके साथ ही साथ कालीन या साड़ी के दूसरे कुटीर उद्योग हैं, उनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना होगा। ये आज आप लोगों को जीविका नहीं देते हैं, यदि इनकी मदद के लिये खड़े नहीं होते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके सूबे में इतनी बड़ी भारी भुखमरी होगी जिसको रोकना इस सरकार के वश के बाहर की बात होगी। बाद में उन लोगों के घरों में जाकर और उनको सांत्वना देकर आपका काम नहीं चलेगा। यदि आप हमारी बातों को मानेंगे, तो उस मुल्क भी उठेगा, सूबा भी उठेगा और उसके साथ ही साथ गरीबों की जिन्दगी को भी ऊपर उठाया जा सकता है।

डा० ईश्वरी प्रसाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री ज्योति प्रसाद जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस समय सबसे बड़ी खुशी यह है कि शिक्षा मन्त्री भी भवन में बैठे हैं। देश में इस समय बेकारी है। यह दो प्रकार की है। एक तो बेकारी पढ़े लिखे लोगों में है और दूसरी बेकारी अनपढ़ लोगों में है। शिक्षित वर्ग के बारे में तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट के भाषण में कहा था और बड़े गर्व से कहा था. कि अब हमारे यहां ४८ डिग्री कालेज हो गये हैं। नई यूनिवर्सिटियां भी बन जायेंगी। आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत से कालेज शामिल हैं, वहां पर अब और नये कालेज खोले जाने की व्यवस्था की जा रही है, । गोरखपुर में भी नई यूनिवर्सिटियां खोले जाने का विचार किया जा रहा है। यह सब शिक्षा के लिये हो रहा है अब आप विचार कर सकते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा से देश का क्या कल्याण हो सकता है। आजकल के लड़के बी० ए० और एम० ए० पास करके नौकरी तलाश करते हैं मगर उनको नौकरी नहीं मिलती है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बेकारी के पहलू पर विचार करें। हमको शिक्षा में परिवर्तन करना चाहिए। अभी हाल ही में वाईकाउन्ट सैम्यएल (viscount samuel) ने हाउस आफ लार्ड में यह प्रस्ताव पेश किया था कि हमें अपने देश की शिक्षा का रूप बदलना चाहिए। लार्ड वूल्टन ने रिपोर्ट हाउस आफ कामन्स में प्रस्तुत की कि हमें अपने देश में कैलीफोर्नियां मसाचूसेट्स के से टेकनोलाजिकल विद्यालय स्थापित करने चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा को दूसरा रूप दिया जाय। हमारे यहां ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे लड़के पढ़ने के बाद अपनी रोजी का प्रबन्ध कर सकें। लड़के बड़े परिश्रम से बी० ए० और एम० ए० पास करते हैं, सैकड़ों रुपया खर्च करते हैं, पढ़ाने लिखाने के बाद उनके मां बाप परेशान होते हैं कि अब नौकरी कैसे मिलेगी। हर शख्स सरकारी नौकरी को चाहता है। मैं समझता था कि स्वराज्य हो जाने के बाद देश की हालत बदल जायेगी, शिक्षा में कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारे भारत वर्ष में सरकारी नौकरी करने का एक तरह का रिवाज सा हो गया है। मुगलों के समय में भी यह रिवाज था कि हर शख्स यह चाहता था कि वह मनसबदार बन जाय। हमारे यहां एक भेड़िया धसान सी हो गयी है कि हर एक शिक्षित लड़का पुलिस, फौज और दूसरी सर्विसों में जाना चाहता है। शिक्षा में हमको यह सुधार करना है वरना यों बी० ए० और एल-एल० बी० की डिग्रियां जारी रहेंगी और देश में बेकारी का साम्राज्य होगा। प्रयाग विश्वविद्यालय में इस समय पांच हजार आठ सौ साठ विद्यार्थी हैं अब आप विचार करें कि पांच हजार आठ सौ साठ में से एक हजार बी० ए० पास कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि यह क्या करेंगे, आया एल-एल० बी० में दाखिल हों या आगे अपनी पढ़ाई को जारी रक्खें या क्या करें और जब उनको हर तरफ से निराशा ही दिखाई पड़ेगी तो फिर वे उन विचारों की शरण लेंगे, जिनका कि मैं

वर्णन नहीं करना चाहता हूं। परन्तु इतना मैं अवश्य बता देना चाहता हूं कि उससे देश को बहुत बड़ी हानि होगी।

अब दूसरी बेकारी गरीब लोगों में है, जो कि अनपढ़ है उनकी बेकारी को दूर करने के उपाय का प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न को हल करने के लिये सरकार ने बहुत उद्योग किया है। इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि जिस समस्या को हल करने का भार इस सरकार ने लिया है वह किसी भी सरकार के लिये सरल नहीं है। फिर भी मैं सरकार के सामने कह देना चाहता हूं कि इस प्रश्न के ऊपर अब नये ढंग से विचार करना चाहिए। हमारी सरकार अब एक राष्ट्रीय सरकार है, नेशनल सरकार है और उसका कर्तव्य है कि इस प्रश्न पर हर एक पहलू से विचार करें और इसका हल किसी प्रकार से बतायें। मेरे मित्र श्री ज्योति प्रसाद जी ने बहुत से फैक्ट्स और फिगर्स बताये कि देश की कैसी दशा है। दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि साधारण रूप से इस देश में हर एक आदमी की आमदनी १८ रुपये है। लार्ड कर्जन बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने भी इस चीज को मालूम किया तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि यह आमदनी २६ रुपया है। अब अगर उस समय का और इस समय का मुकाबिला करें तो अब रुपया तो अधिक है परन्तु उसकी कीमत तो अब कुछ नहीं रह गयी है। जो मनुष्य इस समय डेढ़ सौ रुपया पाता है उसकी वास्तविक आय ५० रुपये समझिए, तो ऐसी दशा में अब हमको क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज तो बड़े आदमी कर सकते हैं, जिनके पास धन है, दौलत है और जिनके पास इतना रुपया है कि वह बड़ी इन्डस्ट्रीज चालू कर सकते हैं परन्तु सरकार को साधारण स्थिति के मनुष्यों की ओर ध्यान देना है। जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटियों और कालेजों से निकलते हैं और दूसरे जो बेकारी में पड़े हुए हैं उन सबके संतोष के लिये अब हमको क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं कि काटेज इन्डस्ट्रीज अर्थात् घरलू उद्योग-धंधों से बढ़कर और कोई दूसरा साधन नहीं निकल सकता है। लेकिन हमारी काटेज इन्डस्ट्रीज किस दशा में है। मेरे एक भाई ने जो सामने विराजमान हैं, बड़ी ही सुन्दरता से बताया कि हमारे देश में दस्तकारी की, कैसी दशा है, उन्होंने काफी प्रकाश इस पर डाला है और उन बातों को दोहराना मैं उचित नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं कि काटेज इन्डस्ट्रीज का विकास किया जाय। अभी मेरे एक भाई ने यह भी कहा है कि अगर गवर्नमेंट इस बात को मालूम करे कि काटेज इन्डस्ट्रीज की अवनति क्यों हो रही है तो मालूम होगा कि यह सिर्फ इसलिये है कि उसके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज हमारे यहां, मैं आगरा का रहने वाला हूं, आगरा में बहुत सी ऐसी दरियां बनती थीं और देहातों में सुन्दर रजाइयों का काम होता था, उन सब की आज अवनति हो गई है। बहुत सी दूसरी जगहों में सुन्दर सुन्दर चीजें तैयार की जाती थीं। कहीं भी देखिये, हाथरस में जो चाकू बनतेथे वे भी अब घटिया बनाने लगे हैं। इसका कारण यही है कि सरकार की ओर से उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। जैसा कि श्री ज्योति प्रसाद जी ने कहा कि बोर्ड स्थापित होना चाहिए। यह बोर्ड जब काम करे तो वह इस तरह की जांच करे कि किस प्रकार से काटेज इन्डस्ट्रीज की उन्नति होनी चाहिए और ये जो हमारे विद्यार्थी स्कूलों और कालेजों से निकलते हैं तो वे बजाय इसके कि नौकरी की खोज में अपना समय व्यर्थ में नष्ट करे, वे इसमें काम करें। मेरे लायक दोस्त सरदार संतोष सिंह साहब ने बतलाया कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको कि हमारे ग्रेजुएट्स कर सकते हैं और इस तरह के बोर्ड स्थापना से हमारे नवयुवकों को लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि बिना सरकारी सहायता के काटेज इन्डस्ट्रीज की उन्नति नहीं हो सकती है और इसके लिये सरकार को यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए। मेरे मित्र श्री प्रभु नारायण जी ने बतलाया और सरदार साहब ने भी कहा है कि आज हमारे पढ़े-लिखे लोग हाथ से काम करना नहीं चाहते हैं और वे यह समझते हैं कि यदि वे हाथ से काम करेंगे तो उनका सम्मान समाज में कम हो जायेगा। वास्तव में आज बात यही है लेकिन जब तक हम हाथ से काम नहीं करेंगे और अपने नवयुवकों को इसके लिये प्रेरित नहीं करेंगे कि वे भी हाथ

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

से काम करें और इसमें गर्व अनुभव करें, तब तक काटेज इन्डस्ट्रीज का विकास नहीं कर सकते हैं। तो आज हमें इस तरह की मनोवृत्ति लोगों में उत्पन्न करनी है और तभी हमारे देश में उद्योग धंधों की उन्नति संभव हो सकती है। यदि उन नवयुवकों में थोड़ी सी भी इस प्रकार की भावना हो कि वे रोजगार करें जिससे कि वे अपनी आजीविका पैदा करने में सफल हो सकते हैं तो समाज का भी कल्याण होगा। इस तरह से यदि उन लोगों में रोजगार की प्रवृत्ति पैदा हो जाय और वह उसमें उत्साह से काम करने लगें तो मैं समझता हूं कि काटेज इन्डस्ट्रीज में बहुत कुछ उन्नति हो सकती है और हमारी बेकारी भी कुछ हद तक दूर हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि यह सरकार इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेगी और इसको कार्यान्वित करने के लिये एक बोर्ड स्थापित करेगी जो कि इसकी अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करेगा और इस तरह से काम में हमें सहायता मिलेगी।

सदन का कार्यक्रम

डिप्टी चेयरमैन—अब ५ बज गये हैं इसलिये अब अधिक बैठने के बजाय यदि हम लोग कल १० बजे से मीट करें और एक घंटे में इस प्रस्ताव को समाप्त कर दें तो ज्यादा बेहतर हो। जैसी इस हाउस की राय हो। मैं समझता हूं कि अगर कल हम लोग १० बजे से बैठेंगे तो १ घंटे में इसे समाप्त कर लिया जायेगा।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—श्रीमान् मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, कि एक घंटे के अन्दर यह समाप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस पर अभी बहुत सदस्य अपने विचार प्रगट करेंगे।

डिप्टी चेयरमैन—तो हम एक घंटे से ज्यादा भी बैठ सकते हैं।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—मेरा ख्याल है कि अब जो दूसरा थर्सडे, नानआफिशियल डे आयेगा, उस दिन हम उसे फिर लें लें, तो ज्यादा अच्छा हो।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—मेरी राय में तो इसमें कोई मतभेद तो है नहीं, इसलिये यदि सरकार इसका स्वागत करके इसको मन्जूर कर ले तो ज्यादा अच्छा हो।

शिक्षा मन्त्री—आप इसको सुन लीजिएगा, तब उसके बाद कहिएगा कि इसको मन्जूर करने की आवश्यकता है या नहीं ?

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—मेरे ख्याल में गवर्नमेंट भी इसके महत्व को मानती है, इसलिये यदि वह इसको मान लें तो इसमें क्या हानि है, क्योंकि जितने नान आफिशियल प्रस्ताव आते हैं, सभी को नामन्जूर कर दिया जाता है, यदि एक को मन्जूर कर लिया जाय, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

शिक्षा मन्त्री—सुन लीजिएगा तब कहियेगा।

डिप्टी चेयरमैन—तो यह दूसरे थर्सडे, यानी नान-आफिशियल डे, को फिर लिया जायेगा।

डिप्टी चेयरमैन—कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ,
दिनांक १८ सितम्बर, १९५२ ई०

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—एल० सी०—४७—१९५२—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक विधान भवन, लखनऊ, में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५५)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डा०
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बृन्जेंद्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
रामनन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

श्री चन्द्रभानु गुप्त (स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री) भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

रुड़की के ए० आर० ओ० द्वारा मकान का एलाटमेंट आर्डर का परिवर्तित किया जाना

१--श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार--क्या सरकार को मालूम है कि रुड़की के ए० आर० ओ० ने श्री काशीराम बनाम श्री आनन्द स्वरूप के हाउस नं० ३२०/२-डब्ल्यू(डब्ल्यू०) के एलाटमेंट आर्डर, दिनांक ६ फरवरी, १९५२ को, उस आदेश की प्रतिलिपि देने तथा उस आदेश के विरुद्ध रिवीज़न (पुनर्निरीक्षण) प्रार्थना-पत्र देने के बाद परिवर्तित कर दिया ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--जी हां।

२--**श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार**--यदि यह सच है तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त अधिकारी के इस कार्य के विरुद्ध उसने क्या कार्यवाही की ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--जिलाधीश की रिपोर्ट इस मामले पर प्राप्त हो चुकी है और शासन के विचाराधीन है।

श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार--वह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--जुलाई के महीने में मिली थी।

श्री दीपचन्द्र--क्या सरकार इस मामले को गम्भीर दृष्टि से देखती है ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--अवश्य, गम्भीर दृष्टि से देखा गया और ए० आर० ओ० के कैरेक्टर रोल में इन्टरी के लिये कहा गया, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था।

उत्तर प्रदेश में एलोपैथिक आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों की संख्या तथा उनमें व्यय की गई धनराशि

३--**श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन**--(क) उत्तर प्रदेश में कितने एलोपैथिक अस्पताल, आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा यूनानी चिकित्सालय राज्य तथा स्थानीय बोर्डों द्वारा संचालित हैं ?

(ख) क्या सरकार १९५१-५२ ई० में उनमें चिकित्सा किये गये रोगियों और खर्च हुई धनराशि की जिलेवार सूची देने की कृपा करेगी ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--उत्तर प्रदेश में जितने एलोपैथिक अस्पताल, आयुर्वेदिक चिकित्सालय तथा यूनानी चिकित्सालय राज्य तथा स्थानीय बोर्डों द्वारा संचालित हैं, उनके आंकड़े निम्नलिखित हैं :--

	राज्य द्वारा संचालित	स्थानीय बोर्डों द्वारा संचालित
१--एलोपैथिक अस्पताल	३९५	४५६
२--आयुर्वेदिक चिकित्सालय	४३३	२८७
३--यूनानी चिकित्सालय	८१	१५५

आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सालयों में १९५१–५२ ई० में रोगियों और खर्च हुई धनराशि की सूचना परिशिष्ट *'क' में दी हुई है। ऐलोपैथिक अस्पताल में सन् १९५१ ई० में जितने रोगियों की चिकित्सा की गई उनकी जिलेवार संख्या परिशिष्ट †'ख' में दी हुई है। सरकारी ऐलोपैथिक अस्पतालों पर हर जिले में जो धनराशि खर्च हुई उनकी सूचना परिशिष्ट *'ग' में दी हुई है। यह सूचना स्थानीय बोर्डों द्वारा संचालित ऐलोपैथिक अस्पताल के विषय में उपलब्ध नहीं हो सकी है।

श्री हकीम व्रजलाल वर्मन–इसमें जो एलोपैथिक यूनानी और आयुर्वेदिक अस्पतालों पर व्यय हुआ है उसके अलग–अलग आँकड़े नहीं दिये गये हैं जोकि मेरे पूछने का खास उद्देश्य था। क्या सरकार उनके अलग–अलग आंकड़े देने की कृपा करेगी।

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री––जहां स्थानीय बोर्डों का सम्बन्ध है वह जितने एलोपैथिक अस्पताल संचालित करते हैं उनके आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। जब वे मिल जावेंगे और फिर आप इस बात की नोटिस देंगें तो अवश्य आप के सामने रखने की चेष्टा करेंगे।

४—**श्री हकीम व्रजलाल वर्मन**––[स्थगित]।

५–२१–**श्री शिवसुमरन लाल जौहरी**––[सदस्य की इच्छानुसार स्थगित किये गये।]

श्री रामनन्दन सिंह एम० एल० ए० के ७ अप्रैल के शिकायती पत्र पर सरकार की कार्यवाही

२२—**श्री रामनन्दन सिंह**––क्या खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री राम नन्दन सिंह, एम० एल० ए०, के ता० ७ अप्रैल के शिकायती–पत्र पर, जो विधान सभा में पूछे गये ता० ८ मार्च, १९५१ ई० के २०० बोरे सीमेंट के सम्बन्धित प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में था, क्या कार्यवाही की गयी?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—श्री राम नन्दन सिंह के शिकायती-पत्र, दिनांक ७–४–५१ पर सरकार ने जांच कराई। इस पत्र में ३ मुख्य आरोप थे:—

(क) कि सीमेंट जूनियर हाई स्कूल साहबगंज के निर्माण के लिये नहीं ली गई थी।

(ख) सीमेंट बेच दी गई थी और जांच होने पर नये बोरे लाकर रख दिये गये थे, और

(ग) ३०–६–१९४९ और १९–१–५० के बीच श्री सरजू प्रसाद साहू ने ९५ बोरी सीमेंट अपने सम्बन्धियों के नाम प्राप्त की है।

दूसरे और तीसरे आरोप जांच में प्रमाणित नहीं हुये और जिस प्रार्थना–पत्र पर सीमेंट प्राप्त किया गया था, उसके चाक (वीड) कर दिये जाने के कारण पहले आरोप के बारे में कोई निश्चित बात सिद्ध नहीं हो सकी। अतः जांच के बाद और कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त सीमेंट का दाम जिला बोर्ड की रोकड़ से दिया गया था?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री––इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री राम नन्दन सिंह––क्या मैं यह समझूं कि उस सीमेन्ट का दाम वहां के वाइस चेयरमैन ने खुद दिया था?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री––मैं तो समझता हूं कि उसे अपने पास उसे ही खरीदा हो

---

*"क" के लिये देखिये नत्थी क ५२७ पृष्ठ पर।
†"ख" ,, ख ५३० ,,
*"ग" ,, ग ५३१ ,,

श्री रामनन्दन सिंह--जिस स्कूल के बारे में माननीय मंत्री ने ८ मार्च सन् १९५१ ई० को विधान सभा में कहा था, इस स्कूल के बनवाने का ठेका कब दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--ठेका सीमेंट लेने के तीन,-चार महीने के बाद दिया गया था ।

श्री राम नन्दन सिंह--क्या मैं यह समझूं कि सीमेन्ट उसी स्कूल के बनवाने के लिए लिया गया था ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--वहां पर जांच करने के बाद जो रिपोर्ट हमारे पास आई है, उससे यह मालूम होता है कि जो सीमेन्ट खरीदा गया था उसका इस्तेमाल स्कूल में ही कराया गया । काफी पुराना मामला हो गया है, हो सकता है कि उस सीमेन्ट का इस्तेमाल न हुआ हो । लेकिन हमारे पास कोई भी इस बात का सबूत नहीं है कि हम कह सकें कि उक्त व्यक्ति ने जो सीमेन्ट स्कूल के नाम पर लिया था वह स्कूल में इस्तेमाल नहीं किया । जो कुछ जांच से पता चला है वह यह पता चला है कि सीमेन्ट स्कूल में ही इस्तेमाल किया गया है । जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी शहादत नहीं मिलती है तब तक हम कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं । उस व्यक्ति ने उस सीमेन्ट को उसी स्कूल के काम में इस्तेमाल किया जिसके लिए लिया था ।

श्री राम नन्दन सिंह--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जांच की गई है उसके सिलसिले में वाइस चेयरमैन से ही पूछा गया था या और किसी से भी पूछा गया था ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--जो रिपोर्ट जिलाधीश ने इस संबंध में भेजी है उस रिपोर्ट के विवरण से यह पता चलता है कि उनसे भी पूछा गया है ।

२३--**श्री राम नन्दन सिंह**--क्या यह सच है कि वह सीमेन्ट जिला पंचायत, चकिया, जिला बनारस के वाइस चेयरमैन ने श्री बृजनाथ सिंह की दूकान से २९ अप्रैल, १९४९ ई० को निज के रुपये से खरीदा और जिस जूनियर हायर स्कूल बनवाने का जिक्र उक्त प्रश्नोत्तर में किया गया है, उसका ठेका सीमेंट खरीदने के ६ माह बाद हुआ ?

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री--इस सीमेन्ट का परमिट जिला पंचायत चकिया के वाइस चेयरमैन को अप्रैल में मिला । परमिट बृजनाथ सिंह की दुकान से २९ अप्रैल, १९४९ ई० को नहीं, बल्कि २६ अप्रैल, १९४९ ई० को भुनाई गई । परमिट वाइस चेयरमैन के नाम से थी, इसलिये उन्होंने ही सीमेंट खरीदी और स्कूल की इमारत बनने के लिये जिला बोर्ड को दे दी ।

मेरठ में ईंटों के भट्ठों की स्थिति

२४--**श्री ज्योतिप्रसाद गुप्त**--(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मेरठ में ईंटों के भट्ठों को पिछले नवम्बर से स्लेक कोल मुहैया नहीं किया गया है ?

(ख) क्या इसकी वजह से इस मौसम में ईंटों की कीमत दूनी तक बढ़ गयी है ?

(ग) यदि ऐसा है तो क्या सरकार इसका कारण बताने की कृपा करेगी ?

24. **Sri Joti Prasad Gupta** : (*a*) Is the Government aware that the Brick Kiln Industry in Meerut has not been supplied with any slack coal since November last ?

(*b*) Has it resulted in the price of bricks rising nearly to double this season ?

(*c*) If so, will the Government kindly state the reasons thereof ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--(क) यह सही नहीं है कि मेरठ के ईंटों के उद्योग को पिछले नवम्बर से अब तक कुछ भी चूरे का कोयला नहीं दिया गया । इस अवधि में वहां ३४६ वैगन कोयला दिया गया ।

(ख) चूरे के कोयले की प्राप्ति बहुत ही असंतोषपूर्ण रही है, जिसके कारण मेरठ में ईंटों के दाम करीब करीब दूने हो गये हैं ।

(ग) उसका कारण कोलियरी से कोयले के भेजने के लिये वैगनों की अप्राप्यता रही है ।

Minister for Food and Civil Supplies : (*a*) It is not correct that brick kiln industry in Meerut has not been supplied with any slack coal since November last. During the period 349 wagons have been supplied.

(*b*) The supplies of coal have been very unsatisfactory and the result has been a rise in the price of bricks at Meerut by nearly double.

(*c*) The reason has been non-availability of wagons for movement of coal from the collieries.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो कोटा दिया गया, उनका व्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--उनका व्योरा इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसकी सूचना वे प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--हां, अवश्य ।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--क्या मन्त्री महोदय, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोयले का कितना कोटा मुकर्रर है और उसमें मेरठ का क्या हिस्सा है ?

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री--वैसे तो कागज के ऊपर जो कोटा है वह १२३० वैगन मासिक है, लेकिन वैगन्स न मिलने के कारण यह कोटा भी नहीं पाते हैं । पिछले वर्ष में कोयला बहुत कम मात्रा में आया । इसके पहले कोटा २,५१२ वैगन मासिक था, लेकिन वह कागज में ही रहा ।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--मेरठ में उसमें से कितना हिस्सा वितरण किया गया ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--जितना कोटा निर्धारित है, जब वह हमारे यहां आ जायेगा तब हम उसी के अनुपात से उसका वितरण कर देंगे । जब उस कोटे के अनुपात में वह आता ही नहीं है तो उसके लिये हिस्सा मुकर्रर करना मुश्किल हो जाता है । जितना हिस्सा कागज पर लिखा हुआ है उसका व्योरा अगर आप चाहते हैं तो जब आप नोटिस देंगे तो आपको बतला दिया जायेगा ।

२५--**श्री ज्योति प्रसाद गुप्त**--क्या सरकार कोयले के वितरण के मौजूदा तरीके में कोई तब्दीली करना चाहती है या और कोई कदम उठाना चाहती है ताकि भविष्य में ऐसी कठिनाई फिर न हो ? यदि हां, तो क्या ?

25. **Sri Joti Prasad Gupta** : Does the Government propose to make any change in the present system of Coal distribution or take any other step to avoid recurrence of such difficulties in future ? If so, what ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री——कोयले का मौलिक वितरण केन्द्रीय सरकार के हाथ में है, किन्तु राज सरकार इस ओर कार्यवाही कर रही है कि कोयले के आगमन में भविष्य में ऐसी कठिनाई न हो। इस सम्बन्ध में ६ सितम्बर, १९५२ ई० को केन्द्रीय सरकार के कोल कमिश्नर और सम्बन्धित रेलवे के जनरल मैनेजरों की बैठक लखनऊ में बुलाई गई थी और कोयले के बराबर पूर्ति के सम्बन्ध में उस बैठक में रखे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

Minister for Food and Civil Supplies : Coal distribution is mainly in the hands of the Government of India but the State Government have been taking steps to avoid recurrence of such difficulties of movement. A conference of the Coal Commissioner, Government of India and the General Managers of the Railways concerned was called on the 6th September at Lucknow and proposals framed at the meeting are under consideration for arranging regular movement of coal supplies.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त——क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन सा प्रस्ताव है जिनके ऊपर विचार हो रहा है और उनका परिणाम कब तक निकलने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री——अभी इस महीने में सरकार ने एक कान्फ्रेंस रेलवे जनरल मैनेजरों की बुलाई थी, इस बात को तय करने के लिये कि वैगन्स से हमारे प्रदेश में जितनी वस्तुएं बाहर से आती हैं उनके लाने के लिये अधिक से अधिक वैगन्स दिये जायं। उस कान्फ्रेंस में कुछ निर्णय हुआ है। उन्हीं निर्णयों के अनुसार यह तय किया गया है कि एक रेलवे अफसर इस कार्य के लिये नियुक्त किया जाय और जो चीजों के विभिन्न रेटों से सम्बन्ध रखें, वे बराबर इस प्रयत्न में लगे रहें कि अधिक से अधिक संख्या में वैगन्स उनके लिये मिल सकें और वे उन वैगनों द्वारा वे पदार्थ जिनका एलाटमेंट काफी मात्रा में हमारे प्रदेश में होता है, उसको प्रदेश में ला सकें। सभी जानते हैं कि वैगन्स की जो कमी है उसकी संख्या में आज हमें वृद्धि करनी है। जितने वैगन्स इस समय इधर उधर से चीजें लाने के लिये हैं वे पिछले वर्ष से अभी तक पदार्थों के लाने और ले जाने में अधिक लगाये गये, क्योंकि पदार्थों का लाना और ले जाना, वह एक हमारे कार्य में प्राथमिकता थी और इस कारण से पदार्थों के लाने के लिये हम वैगन्स इत्यादि न दे सके। इस दिक्कत को दूर करने के लिये हमने रेलवे जनरल मैनेजर्स की कांफ्रेंस बुलाई थी और उनसे इस बात का सहयोग मांगा है कि वे स्वयं या अफसरों की मदद से अपने प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में वैगन्स दे सकें और उन्होंने भी इस बात का बचन दिया है, हम आशा करते हैं कि वे इन महीनों में कुछ वैगन्स हमें अधिक देंगे और उनकी मदद से हम उन चीजों को ला सकेंगे, जिन्हें वैगन्स की कमी की वजह से हम आज प्रदेश में नहीं ला सकते हैं।

२६——श्री ज्योति प्रसाद गुप्त——(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मेरठ ब्रिककिल्न ओनर्स एसोसियेशन की प्रार्थना पर बी० आर० के० कोल की ५ रैकें उस को भेजने के लिये प्रबन्ध किया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार प्राविन्शियल आइरन व स्टील कन्ट्रोलर, कानपुर को यह आदेश देने का इरादा रखती है कि वह इस कोयले को मेरठ के भट्टे वालों के नाम एलाट करे ?

26. **Sri Joti Prasad Gupta :** (*a*) Is it a fact thait he Government of India has arranged to send 5 more rakes of 'B. R. K.' Coal for the State at the request of the Meerut Brick-Kiln Owners Association ?

(*b*) If so, do the Government intend to direct the Provincial Iron and steel Controller, Kanpur to allot this supply to the Meerut Brick-Kiln owners ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—(क) यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने कोल कमिश्नर को १० स्पेशल रेकों के अलावा ५ स्पेशल रेक की स्वीकृति दी, किन्तु यह स्वीकृति राज्य सरकार के अनुरोध पर दी गई।

(ख) जी नहीं।

Minister for Food and Civil Supplies : (*a*) It is a fact that Government of India issued orders to the Coal Commissioner for moving five rakes of coal dust in addition to 10 rakes previously sanctioned. This was done at the request of the State Government.

(*b*) No.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि यह ५ स्पेशल रेक की स्वीकृति कब दी गई ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—मुझे दुःख है कि इस समय मैं सूचना नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वह फाइल जिसमें यह सूचना आई है इस समय मेरे पास नहीं है। वह मैं आपको बाद में बतला दूंगा।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो अन्डर सेक्रेटरी गवर्नमेंट आफ इंडिया के हैं, उनकी कोई एक चिट्ठी प्राविन्शियल कन्ट्रोलर आफ कोल ऐन्ड आइरन को इस सम्बन्ध में मिली थी और जो चिट्ठी थी उसके जवाब में जो कुछ लिखा गया था, उसकी एक प्रति प्राविन्शियल कन्ट्रोलर को दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है, यदि होगी तो वह मेरे विभाग में आई होगी।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या मन्त्री महोदय यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या २६ (ख) के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि "जी नहीं" तो यह क्यों ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—यह जो ५ स्पेशल रेक मिले हैं, वह तो सारे सूबे के लिये दिये गये हैं, वे केवल मेरठ के लिये निर्धारित नहीं किये गये हैं और इसी कारण से उत्तर नहीं में दिया गया है।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या मन्त्री महोदय यह बतला सकेंगे कि ५ स्पेशल रेक जो दिये गये हैं और मेरठ की उस चिट्ठी की प्रति पर यह कहा गया है कि क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो सूची दी और जो कोटा मुकर्रर है, वह मेरठ को नहीं दिया जायेगा।

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—हमें तो जो कोयला मिला है वह सारे प्रदेश को देना है और जब भी कोयला आता है तो वह प्रदेश की जरूरतों को देखकर ही वितरण किया जाता है, यह नहीं कि एक ही खास जगह को वह कोयला दिया जाय। सारे प्रदेश में कोयले की कमी रही है और हर जगह की जरूरियातों को देखकर ही हम निर्णय करते हैं कि कहां कहां इसका वितरण किया जाय और कहां-कहां इसकी आवश्यकता अधिक है।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या मेरठ उन जिलों में से नहीं है कि जहां कोयले की कमी है और उसको कोई हिस्सा इस ५ रेक में से नहीं दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—मेरठ की जरूरतों से पूर्वी जिले जो हैं उनकी जरूरतें बहुत आवश्यक हैं और पश्चिमी जिले की जरूरतें उतनी नहीं हैं। जहां तक पूर्वी जिलों का सम्बन्ध है, उनकी जरूरतें पश्चिमी जिले की अपेक्षा अधिक आवश्यक समझी जाती हैं, तो अब यह आगे भी जब कोयला आयेगा तो पहिले पूर्वी जिलों की मांगों को पूरा करने की चेष्टा की जायेगी और उसके बाद पश्चिमी जिलों को दिया जायेगा।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक

***स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री**---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक पर यह सदन विचार करे।

इस विधेयक पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस प्रकार का विधेयक पहली ही मर्तबा इस सदन में विचारार्थ उपस्थित नहीं किया जा रहा है। यह सदन कई बार इस प्रकार का विधेयक अपने सामने रख कर विचार कर चुका है और आज इस प्रकार का फिर से विधेयक विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है। वह इसलिये किया जा रहा है कि जो अधिनियम कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन का आजतक इस प्रदेश में चल रहा था उसकी अवधि ३० सितम्बर को खत्म होने वाली है। प्रदेश में मकानों की आज भी कमी है और इस कमी को दूर करने के लिये और किरायेदारों को सुविधा देने के लिये यह जरूरी है कि इस प्रकार का विधेयक अधिनियम के रूप में हमारे प्रदेश में चालू रहे। मैं इस अधिनियम के इतिहास में नहीं जाऊंगा, जिसकी अवधि ३० सितम्बर को खत्म होने वाली है। माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि इस प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। लड़ाई के जमाने में शहरों की आबादी बढ़ गई और चीजों के कम प्राप्ति के कारण मकानात शहरों के अन्दर अधिक संख्या में नहीं बनाये जा सके, और इसी कारण से कि इस समय मकानों के किराये इत्यादि अधिक न बढ़ सकें इसलिये इस पर नियन्त्रण लगाया गया। सन् १९४६ के पूर्व मकानों के किराये पर नियन्त्रण के लिये डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स मौजूदा था, परन्तु १९४६ के बाद डिफेन्स आफ इंडिया रूल्स समाप्त हो गया। इसलिये सन् १९४७ में सदन में एक विधेयक पेश किया गया जिससे कि वह एक अधिनियम बनाया जा सके और जिससे किराये पर नियन्त्रण रखा जा सके। सन् ४७ के बाद एक विधेयक फिर इस सदन में आया उसमें सन् १९५२ तक के लिये अधिनियम था सन् १९४८ और १९५२ के दर्मियान में इस अधिनियम में तब्दीली की गई। पहले कैन्टूनमेंट में भी यह अधिनियम लागू था, परन्तु गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदेशानुसार कैन्टूनमेंट का प्रावीजन इस अधिनियम में से हटा लिया गया और सरकारी इमारतों को भी इस अधिनियम में से हटा लिया गया और सन् १९५१ में यह कर दिया गया कि १ जनवरी सन् १९५१ के बाद जो मकानात इस प्रदेश में बनाये जायेंगे उन पर इस अधिनियम की धारायें लागू न होंगी। वह इस कारण से किया गया कि नये मकान कम संख्या में बन रहे थे और लोगों को मकान बनाने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये इस नये अधिनियम की धारायें न लागू हो सकें। फिर उस अधिनियम की अवधि खत्म हो रही है। इसलिये यह विधेयक इस सदन के विचारार्थ उपस्थित किया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि मकान अलाट कराने में आज भी वे दिक्कतें मौजूद हैं क्योंकि मकान उतने नहीं बन रहे हैं जितनी कि उनकी आवश्यकता है। लोगों को मकान अलाट कराने की सुविधा देने के लिये यह जरूरी है कि पुराना अधिनियम जिसकी अवधि ३० सितम्बर को खत्म होने वाली है फिर उसकी अवधि बढ़ाई जाय, जिससे मकान अलाट कराने में सुविधा मिलती रहे। अब जो विधेयक पेश किया जा रहा है उसमें कुछ संशोधन भी उपस्थित किये गये हैं और वे संशोधन उस कमेटी की सिफारिशों पर किये गये हैं जो कमेटी दो साल पहिले सारे कन्ट्रोलों पर विचार करने के लिये बैठी थी। उस कमेटी की सिफारिश और उसकी रिपोर्ट आप सब साहबान की नजर के सामने आ चुकी है। वह किताब के रूप में आपके सामने रख दी गई है और मुझे यकीन है कि आप सबने उसका अध्ययन कर लिया होगा। उस कमेटी की सिफारिशों में से ऐसी सिफारिशों को, जो धाराओं के रूप में परिवर्तित की जा सकती थीं मन्जूर किया है और उसकी बुनियाद पर इस विधेयक में कुछ संशोधन इस सदन के सामने उपस्थित किये गये हैं। वे संशोधन ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध मकान के मालिकों से हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध किरायेदारों से है।

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

जो संशोधन मकान मालिकों को सुभीता देने के लिये पेश किये गये हैं उनमें एक संशोधन यह भी है कि यदि मकान के मालिक अपनी जरूरत के लिये मकान खाली कराना चाहते हैं और जिलाधीश से वे इजाजत मांगते हैं कि उसे मुंसफी अदालत में मुकदमा दायर करने के लिये इजाजत दी जावे कि उसका मकान, जिसकी उसे खुद जरूरत है, खाली करा दिया जावे। अक्सर इस प्रकार की इजाजत मिलने में मकान के मालिकों को असुविधायें होती रही हैं। जिलाधीश जो निर्णय कर देते थे उसकी अपील नहीं हो सकती थी। अब हमने एक संशोधन इस विधेयक में ऐसा रखा है कि यदि मकान के मालिक को मकान खाली कराने की इजाजत न मिले जो उसको इस बात का अधिकार रहेगा कि वह उसकी अपील कमिश्नर तक कर सके। हमने एक इस बात का भी सुभीता मकानों के बारे में इस विधेयक के संशोधनों में रखा है कि बहुत से किरायेदार मकान को सबलेट कर देते थे और नाजायज तौर से फायदा उठाते थे, अब हमने यह निर्णय किया है कि अगर किरायेदार मकान को सबलेट करना चाहता है तो वह मकान मालिक और जिलाधीश दोनों की इजाजत से उसे सबलेट करे। अब तक केवल जिलाधीश की आज्ञा से वह मकान सबलेट कर सकता था और नाजायज फायदा उठा सकता था। मकान मालिकों को सुभीते देने के अलावा हमने किरायेदारों के लिये भी इस विधेयक के संशोधनों में सुभीते रखे हैं, जो इस समय इस सदन के विचारार्थ उपस्थित किये गये हैं। वह सुभीता इस प्रकार का है। पहला सुभीता तो यह है कि अभी तक ऐसा देखा गया है कि किरायेदार को अक्सर जब मकान मालिक तंग करना चाहता था तो वह उन सुभीतों से उसको वंचित करना चाहता था, जो सुभीते किरायेदार के नाते, उस मकान में रहने के नाते मिले हुए थे। यानी बिजली का सुभीता, या और सुभीते जो मकान में रहने की वजह से यदि मकान का मालिक किसी किरायेदार को तंग करना चाहे तो वह उनसे वंचित करता था। अब मकान का मालिक ऐसा नहीं कर सकेगा यदि करेगा तो जिलाधीश के पास किरायेदार जायेगा और उससे सहायता प्राप्त करेगा और इस तरह से उन सुभीतों से वह किरायेदार वंचित नहीं हो सकेगा। दूसरी बात यह भी थी कि श्री जुगुल किशोर की सिफारिश थी कि अक्सर मकान के मालिक यह करते हैं। वे मकान की मरम्मत नहीं करते हैं। हमने यह निर्णय किया है कि मकान के मालिक को भी किराये के लिये मकान का रिपेयर्स करना जरूरी है। इसके लिये कम से कम एक महीने का खर्च करना होगा। यदि अधिक खर्च की आवश्यकता होगी तो मकान का किरायेदार मुंसिफ की अदालत में एक दरख्वास्त देकर उसका यह निर्णय करायेगा कि कितना अधिक रुपया रिपेयर्स के लिये और खर्च करे। इस प्रकार का एक संशोधन इस विधेयक में दिया गया है। जो अधिकार जिलाधीश को प्राप्त नहीं है, वह अधिकार हम देने जा रहे हैं। इस प्रकार का संशोधन हमने इस विधेयक में मकान मालिक के लिये और किरायेदार के लिये किया है। जो संशोधन हमने दिया है इनके अलावे भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम विचार कर रहे थे और जिनका निर्णय अभी तक हम नहीं कर सके हैं। वे बातें रफा नहीं हो सकी हैं, जिनका हम इस विधेयक के साथ समय के अन्दर इस सदन के विचारार्थ उपस्थित कर सकें। अभी तक हम इसका निर्णय नहीं कर सके हैं। हम आशा करते हैं कि जब यह विधेयक पास हो जायेगा और हमारे ला अफसरान उन तरमीमों के बारे में विचार कर लेंगे तो हम कमेटी की सहायता से फिर एक महत्वपूर्ण संशोधन सदन के सामने उपस्थित कर सकेंगे। आप ऐसी आलोचना कर सकते हैं कि सारे संशोधनों के साथ यह विधेयक इस सदन के सामने उपस्थित नहीं किया गया। कुछ ऐसी वजह थी जिसके ऊपर हमारे ला अफसरानों में मतभेद था। इस कारण से हम तमाम मतभेदों का निर्णय नहीं कर सके। जब हम इसका निर्णय कर लेंगे और उसके करते समय कुछ सदन के सदस्यों तथा कुछ असेम्बली के सदस्यों को भी चुनेंगे और उसके बाद जो उनकी सिफारिश आयेगी उस पर विचार करके जो संशोधन हमें उपस्थित करना होगा उसको लेकर हम आयेंगे। इस अधिनियम में हमें संशोधन करना है। मुझे आशा है कि मकान की दिक्कत को देखते हुए, किरायेदारों की दिक्कत का अनुभव करते हुये, आपके सामने जो संशोधित विधेयक उपस्थित है उसको आप स्वीकार करेंगे। इस तरह से स्वीकार करके आप जनता को सुभीता पहुंचायेंगे, जो मकान की कमी के कारण असुविधा का अनुभव

[स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री]

कर रहे हैं। मकान इन्सान की जिन्दगी में एक खास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन बातों को इस समय मैं इस विधेयक में नहीं ला सका और न उनको इस विधेयक में लाने के सम्बन्ध में इस सदन के सामने लाने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को आपके सामने उपस्थित करता हूं।

*श्री राजा राम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक इस भवन के सामने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में इस समय बड़े बड़े शहरों में क्या, सभी शहरों में मकान की समस्या बड़ी कठिन हो गई है। मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर रेन्ट एविक्शन ऐक्ट सूबे में लागू न हो तो कानपुर में आये दिन रोज मकान मालिक और किरायेदारों में झगड़े हुआ करें। जिस वक्त से यह कानून इस सूबे में लागू है, कई बार मकान मालिक और किरायेदारों में झगड़े और दंगे हो चुके। आज भी जब कि यह कानून लागू है तब भी झगड़े होते रहते हैं। यह विधेयक जो भवन के सामने पेश किया गया है और उसमें यह अधिकार भवन से मांगा गया है कि उसकी मियाद बढ़ाई जाय, मैं समझता हूं कि सदन में शायद ही कोई ऐसा सदस्य हो, जो सरकार का समर्थन न करे। मगर एक चीज की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। विधेयक के सम्बन्ध में कहने से पहले इतना जरूरी कह देना चाहता हूं कि इस मौजूदा वक्त में परेशानी और मुसीबत की हालत में, जो कानून पेश किया गया है, वह बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं, लेकिन जो असली समस्या है उसका सम्पूर्ण निदान नहीं है। ज्यादा अच्छा होता माननीय मन्त्री जी जिस मौके पर इस बिल को पेश कर रहे हैं वह इस बात की ओर भी संकेत कर देते कि इस समस्या को हल करने के लिये गवर्नमेंट क्या योजना अपने सामने रखती है। क्योंकि कोई मुसीबत सामने आ जाय तो थोड़े समय के लिये गुजर चला लेना तो एक बात है, लेकिन उस समस्या का हल करना तो दूसरी बात है। माननीय मन्त्री जी ने यह बतलाया कि विधेयक ऐसा क्यों है और यह भी बतलाया कि समस्या कितनी गम्भीर है और यह भी बतलाया कि मकान मालिक और किरायेदारों के लिये कितनी सुविधा इस विधेयक में है। लेकिन हुकूमत की यह बात हम नहीं जान पाये कि क्या इसी तरह से गवर्नमेंट साल दर साल करती जायेगी। इस कानून की आवश्यकता है और इसकी मियाद भी बढ़ाई जाये। लेकिन यह मानते हुए मैं कहता हूं कि जब तक मकान अधिक संख्या में नहीं बनाये जायेंगे तब तक एक नहीं हजार कानून बनायें, मुसीबत दूर नहीं होगी। आजकल कानून बहुत बनते जा रहे हैं, लेकिन कानून को जिस तरह से लागू किया जा रहा है उनसे मुसीबत बहुत ज्यादा कम हो रही है यह बात नहीं है। यह मैं मानता हूं कि इस कानून की आवश्यकता है लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि जिस मौके पर माननीय सदस्यों के विचार का जवाब दें, वह इस बात पर जरूर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सरकार मकान की समस्या को इस सूबे में हल करने के लिये कौन सा तरीका अख्तियार करना चाहती है। हमारी कितनी आबादी है और कितने मकान और बनाये जायं, जिससे हमारे सूबे की समस्या हल हो सके और जितने मकानों के बनाने की आवश्यकता है उनको सरकार कितने दिनों में बनाने का इरादा करती है।

यह सब बातें भी वास्तव में हमको मालूम होनी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि हुकूमत बहुत जल्द ऐसी समस्याओं की ओर ध्यान देगी, यह कानून यद्यपि लागू है और उससे काफी किरायेदारों को फायदा है, लेकिन एक परेशानी मैं देखता हूं वह हमेशा होती है। वह यह कि कानून लागू होते हैं उसकी दफायें भी अच्छी हैं और यह सब कुछ होते हुए भी ऐसी मुसीबतों का सामना आ जाता है, ऐसी दांव-पेंच की बातें सामने आ जाती हैं, जिनकी वजह से कानून के होते हुए भी किरायेदार परेशान रहता है और वह दूर नहीं होती। इस कानून के बारे में आप देखें कि कुछ बातें ऐसी हैं कि हमेशा मकान मालिक यह इच्छा करता है कि किसी तरह से यह पुराना किरायेदार निकल जाये और जितने भी हथकन्डे हो सकते हैं वह इस्तेमाल करता है। आजकल खास तौर से यह तरीका अख्तियार किया है कि कभी नल काट लिया गया और कभी बिजली काट ली जाती है। छत टूट गई है तो बनवाने का नाम नहीं। वह यह

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

ध्यान नहीं रक्खेगा कि किरायेदार के जीवन पर क्या बीतेगी। नल काट देना, बिजली काट देना, यह ऐसा होता है कि जिसकी कोई दवा नहीं। एक रोज एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरा मकान गिर रहा है, लेकिन मकान मालिक बनवाता नहीं है; उसकी एक दीवार गिर भी गई है और बाकी भी गिरने वाली है और इससे मेरा जीवन भी खतरे में है, आखिरकार एक रोज वह मकान गिर गया और उसमें उसकी एक बांह टूट गई। वह सही सलामत बच गया और इसी वजह से मेरे पास पहुंच भी गया। वह एक मिल का गरीब मजदूर था। दूसरी मुसीबत यह कि एक और तरीका अख्तियार कर लिया गया है। मकान मालिक ने मकान किराये पर उठा दिया और बाद को वह मकान का टैक्स और वाटर टैक्स अदा नहीं करता है। म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं और नल काट देते हैं। तो तकलीफ किसको होती है। किरायेदार को तकलीफ होती है न कि मकान मालिक को, क्योंकि वह तो वहां पर रहता नहीं है। किरायेदार परेशान होता है। वह कहता है कि नल क्यों काट दिया गया। मकान मालिक टैक्स नहीं देता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वह किरायेदार को मिलती है। एक दूसरी परेशानी यह है कि हमारे देश का पुराना रिवाज नहीं है, आजकल के शिक्षित लोग तो एक तरीका अख्तियार किये हैं कि वह अपने किरायेदारों को रसीदें देते हैं, लेकिन ज्यादातर जितने छोटे-छोटे किरायेदार हैं, दो-दो रुपये के या चार-चार रुपये के, उनको रसीदें देने का रिवाज नहीं है। जब किरायेदार के ऊपर मुकदमा दायर होता है तो वह कहता है कि मैंने तो किराया दे दिया है और मकान मालिक कहता है कि इसने इतने दिनों से किराया नहीं दिया है। मकान मालिक तो चाहता है कि वह किरायेदार निकल जाये। ऐसा कर दिया जाये कि कोई भी शख्स अगर अपना मकान किराये पर उठाता है तो उसके लिये यह जरूरी होना चाहिए कि वह किराये की रसीदें देता जाये और यह बिना रसीद वाली बात बन्द कर दी जाय। मैं मानता हूं कि पहिले बिना लिखा-पढ़ी के लोगों में दोस्ती चला करती थी, लेकिन अब जिस युग में हम रह रहे हैं उसमें अगर झगड़ा मिटाना है तो यह आवश्यक कर देना चाहिए और अगर कोई मकान मालिक रसीद नहीं देता है तो वह एक जुर्म करार देना चाहिए।

एक मुसीबत यह भी है कि आजकल एक नया तरीका शुरू हुआ है और वह यह है कि एलाटमेंट का जमाना है। जब कोई मकान खाली होता है तो मकान मालिक सोचता है कि न जाने कैसा किरायेदार आवे या बस जावे तो उसने जहां देखा कि मकान खाली होने वाला है, वह फौरन ही रेन्ट कन्ट्रोलर के वहां अपने किसी नौकर या रिश्तेदार से एक अप्लीकेशन दिला देता है। फिर खानापूरी कम्पलीट करा दी जाती है और इस तरह से मकान मालिक उस मकान को अपने किसी रिश्तेदार या नौकर के नाम से एलाट करा लेता है। इसके दो-एक महीने बाद वह दूसरे से बात करने लगता है और कहता है कि यह तो ३०, ३५ रुपया दे ही रहे हैं, अगर आप ज्यादा दीजिए तो हम आपको दे दें और कोर्ट वगैरह जाने में बहुत झगड़ा होगा। इस तरह के ऐसे केसेज गुजरे हैं, जिनमें मकान मालिक चालाकी से मकान को अपने या अपने रिश्तेदार के नाम से एलाट करा लेता है और फिर दूसरे आदमी को ज्यादा से ज्यादा किराया लेकर दे देता है।

इस कानून में एक दूसरी मुसीबत यह भी है कि जब मकान मालिक मकान को खाली करवाना चाहता है तो वह कोर्ट में मान लीजिए, २० रुपया मासिक किराया है, साल भर के किराये की नालिश कर देता है और कानून के मुताबिक यह है कि मुकदमा तभी लड़ा जा सकता है जब उतना रुपया कोर्ट में जमा कर दिया जाये। अब देखिए कि एक गरीब आदमी के लिये यह कितनी बड़ी मुसीबत है, तो जो पैसे वाले हैं उनके लिये तो कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन गरीब आदमी इतना कैसे बरदाश्त कर सकता है। इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि कोई ऐसा अधिकार देना चाहिए कि मुंसिफ पहले यह देख लें या जांच करवा लें कि जितने की नालिश की गई है वह ठीक भी है या नहीं, पहले वह सैटिसफाई हो जाय, तब कोई कार्यवाही की जाय। इसलिये मेरी राय है कि इस तरह की पुरानी बन्दिश हट जानी चाहिए और यह न होना चाहिए।

[श्री राजाराम शास्त्री]

एक समस्या की तरफ मैं माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है शिकमी किरायेदारों की। अगर सेन्सस लिया जाय तो अधिकांश मकान ऐसे ही निकलेंगे जिनमें शिकमी किरायेदार होंगे और मालूम नहीं वह कितने जमाने से रहते चले आ रहे हैं, इसलिये कन्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि सन् ४६ से पहले जो शिकमी किरायेदार रहते हैं उनकी अकूपैन्सी रेगुलराइज कर दी जाय। और नयों के लिये आपने जो कानून बनाया है कि शिकमी रखने का अधिकार नहीं है तो आप ऐसा कर दीजिए कि भविष्य में किसी किरायेदार को शिकमी किरायेदार रखने का अधिकार न हो, लेकिन जरा गौर कीजिए कि जो आपने कानून बनाया कि कोई शिकमी नहीं रह सकता है उसके लिये आप कल्पना कीजिए कि कानपुर जैसे बड़े शहर में हजारों ऐसे किराये दार होंगे जो बराबर १० या १५ साल से रहते चले आ रहे हैं। आज जब यह लागू किया जायगा तो क्या तूफान खड़ा हो जायगा? हमारा ख्याल है कि लोगों में एक दम से यह भावना पैदा हो जायेगी कि यह सुधार एक परेशानी की हालत में हो गया। हमारा ख्याल है कि सन् ४६ से पहले जो शिकमी किरायेदार हैं उनको मान लिया जाय और जिस जगह पर वह इस वक्त हैं [illegible]सी जगह पर रहें तथा उनको पूरे अधिकार टेनेन्ट के दिये जायं। नयों को अगर आप भविष्य में न देना चाहें तो न दीजिए। हां, इस मौके पर यह दलील दी जा सकती है कि कानून तो कानून है और वह सब के लिये समान होना चाहिए, चाहे नये शिकमी हों या पुराने शिकमी हों। लेकिन मैं कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इस बात को [illegible] अलग-अलग कानून है, यह कोई अनहोनी चीज नहीं है। मैं आपको बतला देता हूं कि आपने जो जमीन्दारी विनाश का कानून बनाया है समें आपने नियम बनाया है कि इस कानून के पास होने से पहले अगर किसी के पास हजारों बीघा जमीन है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन भविष्य में जो भूमिधर बनेंगे उनके लिये कानून बनाया है कि ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रखेगा। इसमें अगर इस तरह का फर्क किया जा सकता है तो मकानों के लिये भी यह किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आइन्दा आने वाले जो शिकमी हैं उनके लिये तो बन्दिश लगा दी जाय, लेकिन पहले से रहने वाले जो शिकमी हैं उनको किसी तरीके से जरूर छूट दी जाय।

हम यह भी चाहते हैं कि अक्सर यह शिकायत होती है कि साहब मकान अलाट करने के लिये एक पक्षपात होता है। मैं जिलाधिकारियों पर कोई दोष नहीं रखता हूं। मैं जानता हूं कि यह कितनी गम्भीर समस्या है। एक मकान के लिये ५० इन्सान एक साथ दौड़ते हैं तो इस पर वह अपना जजमेंट करते हैं। लेकिन फिर भी इस बात का असन्तोष होता है और यह कहा जाता है कि पक्षपात होता है। इसका एक तरीका है यह हो सकता है कि जो व्यक्ति भी अर्जी दें उसकी अर्जियों का एक रजिस्टर रखा जाय और उसमें यह कोशिश की जाय जैसा कि यह चीज इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में की जाती है। जो पहले आवे उसकी पहले सेवा की जाय। जब यह रजिस्टर रखा हुआ है तो फिर चाहे म्युनिसिपल बोर्ड के मेहतर ने पहले अर्जी दी और उसके बाद कानपुर के एक बहुत बड़े मिल मालिक ने अर्जी दी तो मेहतर को पहिले हक होना चाहिए। ऐसा न हो कि जिनके पास साधन हैं और दौड़-धूप कर सकते हैं उनको मकान मिल जाय। कहीं ऐसा न हो कि जिन्होंने पहिले अर्जी दी है उनकी सुनवाई न हो। लेकिन मैं इसमें भी एक बात और कहना चाहता हूं अगर उसको न रखा गया तो बड़ा नुकसान हो जायेगा। लिस्ट के मुताबिक यह होगा कि जिसने पहिले अर्जी दी उसी को मकान पहिले मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा कानून पहले बना दिया जाय तो उसके खिलाफ काम नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे भी मौके हो सकते हैं कि ज्यादा पानी बरस गया और किसी का मकान अचानक गिर गया, मगर वह पहले से अर्जी न दे सका तो उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास डिसक्रशनरी पावर जरूर होनी चाहिए। भले ही किसी बड़े व्यापारी ने पहले अर्जी दी हो, लेकिन जिसका मकान गिर गया है और जिसको सबसे पहले आवश्यकता है उसके लिये इतनी पावर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जरूर होनी चाहिए जिससे कि इस नियम के लागू करने के बाद यदि आवश्यकता पड़ जाय तो वह इसे कर सके। इसके साथ-साथ मैं यह भी

चाहता हूं कि अगर कोई मकान खाली होता है तो उसकी इत्तिला मैजिस्ट्रेट को दे दी जाय। आजकल के जमाने में सबसे बड़ी मुश्किल बात तो यह है कि सारे शहर में घूम आइए, लेकिन यह पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा मकान खाली है। अगर कोई मकान खाली होता है तो वह किरायेदार पहिले ही से अपने नातेदारों रिश्तेदारों को बसा देता है और मालिक मकान को इत्तिला भी नहीं देता है। हम समझते हैं कि यह तरीका अख्तियार करना चाहिए कि अगर कोई मकान शहर में खाली होता है तो उसकी इत्तिला रेन्ट कन्ट्रोल आफिस में दी जानी चाहिए। कन्ट्रोल इन्क्वायरी कमेटी ने यह सरकार से सिफारिश की है कि जब कोई मकान खाली हो तो मालिक मकान और किरायेदार दोनों को ही मैजिस्ट्रेट को इत्तिला देनी चाहिए। मुमकिन है कि इस तरीके से किरायेदार यह समझें कि अब हम तो मकान खाली ही कर रहे हैं, अब कौन जाकर अप्लीकेशन वगैरह दे। तो मेरे ख्याल में यह तरीका अच्छा होगा आपके पास जो राशन का स्टाफ है और म्युनिसिपल बोर्ड का जो स्टाफ है उनमें से जो लोग जाकर मकानों की सफाई करते हैं, उनके जरिये से हमको यह बात बहुत आसानी से मालूम हो सकती है कि कौन मकान खाली हुआ है। मेरे ख्याल में इस तरीके से इस बात का फौरन् पता लग सकता है कि कौन सा मकान खाली हुआ है। कौन-कौन से मकानात अभी खाली हुए हैं उनका बाकायदा एक रजिस्टर होना चाहिए। इस बात की जांच करने के लिये सरकार को कुछ इन्सपेक्टर भी नियुक्त करने चाहिए। जिस तरह से सरकार फैक्ट्रीज के बारे में करती है, वहां पर कुछ इन्सपेक्टर्स मुकर्रर हैं जो इस बात की देखभाल करते हैं कि कानून के मुताबिक सब काम हो रहा है या नहीं। जो इन्सपेक्टर मकानों की देखभाल के लिये रखे जावें उनको चाहिए कि वह देखें कि मकान की सफाई हुई है या नहीं, मरम्मत हुई है या नहीं या मालिक मकान या किरायेदार कोई गलत कार्यवाही करे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो। इस तरह से मालिक मकान और किरायेदार दोनों ही ठीक तरह से रहेंगे। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है कि मालिक मकान को अख्तियार होना चाहिए कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के फैसले की अपील कर सके। बाज दफा मालिक मकान को बड़ी तकलीफ होती थी, वह इजाजत चाहता है, मगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको इजाजत नहीं देता था। इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से आप इस किस्म के आंकड़े देखेंगे, कानपुर में ४२५, इलाहाबाद में ८८९ और बुलन्दशहर में २३३ ह। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के फैसले से अक्सर मकान मालिक को बड़ी परेशानी होती थी।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे देश में कानून तो बनते जाते हैं, लेकिन जब तक जनता में इतनी शक्ति या इतनी निर्भीकता नहीं होती कि वह अपने अधिकारों को समझें और उनका उपयोग कर सकें तब तक यह सारी की सारी चीज बेकार रह जाती है। रोजमर्रा न मालूम कितने किरायेदार मेरे पास आते हैं, जानते हैं और उनको बताया कि भाई यह तुम्हारा अधिकार है, तुम इस तरह से अप्लीकेशन दो, लेकिन फिर भी वह डरते हैं कि रोजमर्रा कौन अदालत में जाये, मैजिस्ट्रेटों के यहां जाये। कहीं-कहीं यह भी देखा गया है कि मकान मालिक किरायेदार को दबाने की कोशिश करते हैं, यह सब बातें ऐसी हैं कि जब तक किरायेदार की दिल की भावना ऐसी न हो कि वह अपने पक्ष में आवाज उठाने वाले बन सकें। आपका कानून ऐसा होना चाहिए कि मकान मालिक स्वयं ही उस दिक्कत को दूर करने के लिये तैयार हो, यह मत कह दो कि अगर सफाई नहीं हुई है तो अब किरायेदार को हक है कि वह मकान मालिक को नोटिस दे अगर नहीं माने तो किराये में से काट लो, और खुद सफाई करवा लो, इतना अधिकार तो आपने दे दिया, लेकिन साथ ही साथ इतनी चीज और होती तो कोई हर्ज की बात नहीं है कि मकान मालिक के लिये यह चीज हो कि साल में एक मर्तबा मकान की सफाई करे और अगर कोई गवर्नमेंट का इन्सपेक्टर गया और उसने किसी मकान को देखा कि उसमें दो वर्ष तक सफाई नहीं हुई है तो ऐसे मकान मालिक को प्रोसीक्यूट कीजिए कि तुमने इस तरह से इतने समय के अन्दर मकान की सफाई नहीं कराई है और यह चीज फिर न होने पाये।

[श्री राजाराम शास्त्री]

फिर आप देखिए कि चाहे किरायेदार कहे या न कहे ठीक तरह से समय पर सफाई हो जाया करेगी। क्योंकि सभी जानते हैं कि चाहे मकान मालिक किरायेदार के मामले में कितना ही सख्त क्यों न हों, लेकिन जेल की हवा कोई नहीं खाना चाहता और इस तरह के कानून से मकान मालिक थोड़े से भयभीत हो सकते हैं। तो मेरा विश्वास है जब तक ऐसा कानून लागू नहीं होता तब तक इस काम में आसानी नहीं हो सकती है। हुकूमत ने जो सिफारिशें इस वक्त संशोधन के रूप में पेश की हैं, उससे इस वक्त की हालत में सुधार कैसे होगा। मेरा विश्वास है कि कोई खास सुधार इस तरह से नहीं हो सकता है। हां, गवर्नमेंट ने इन्क्वायरी कमेटी की तमाम सिफारिशों को स्वीकार किया है। सरकार ने तमाम तो नहीं. यह तो तमाम मैंने अपने आप कह दिया, लेकिन इतना जरूर हुकूमत ने कहा कि सिफारिशों को स्वीकार किया है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि आप देखेंगे कि इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं, अभी कितनी ही उनमें से ऐसी हैं कि जिनको अभी इस बिल के अन्दर नहीं लिया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट समझे कि वह तो इस बिल में आगे लिये जाने की बात है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट अपने आर्डर जारी करके थोड़ी-बहुत बातें जो उपयोगी हों, उनको हल करने की कोशिश करेगी। मैं सरकार से सिफारिश करूंगा कि सिर्फ दो बातों का ध्यान रखें। एक तो यह है कि सरकार निश्चित रूप से कोई योजना बनाये ताकि जो कदम उसका उठे वह मजबूत कदम उठे और दूसरा यह कि जो कानून आपने बनाया है और जो संशोधन आपने उसमें पेश किये हैं और जो संशोधन पास करने जा रहे हैं तो केवल कानूनी दफाओं और धाराओं से संतुष्ट होने की बात नहीं है। जितनी पब्लिक है वह जब तक इस बात से संतुष्ट नहीं होगी कि किस तरह का कानून लागू किया जा रहा है, तब तक आपका संतुष्ट होना कोई माने नहीं रखता है। पब्लिक में संतोष होना चाहिए कि किस प्रकार का कानून बनाया जा रहा है कि जिससे उनके सार्वजनिक जीवन में एक संतोष पैदा हो सके। मैं आशा करता हूं कि मकान मालिक की और किरायेदार की एक गम्भीर समस्या को हल करने की ओर आप ध्यान दें। हम जानते हैं कि कई किरायेदार भी ऐसे हैं कि जहां मकान मालिक को कमजोर पाया और फौरन से दबा बैठते हैं, लेकिन अधिकांश मालिक मकान ऐसे हैं कि जो किरायेदारों को दबाये बैठे हैं, यह आजकल का रिवाज है।

मैं आशा करता हूं कि जमाने की स्थिति को देखते हुए मकान मालिक भी अपना दृष्टिकोण बदलने में तैयार हो जायं। देहातों में जमीन्दारी विनाश हुआ वहां पर कानून बना कि जिन्होंने दस गुना लगान दिया वह जमीन का मालिक हो गया और अगर किरायेदार परेशान होते रहे और बराबर इस तरह की दिक्कतें बढ़ती गईं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस सदन के अन्दर कभी भी इस तरह का कानून आय कि जिसने १० वर्ष का किराया अदा कर दिया है या जो काफी दिनों से मकान में रहता आया है अगर वह काफी दे चुके हैं तो कुछ और देने के बाद मकान का मालिक हो जायेगा। अगर कोई भी किरायेदार इस तरह की शर्तें पूरी कर देता है तो कोई वजह नहीं है कि वह मकान का मालिक ही क्यों न बन जाये। तो आपको जितना है उतने पर ही संतोष कर लेना चाहिए। मगर मैं जानता हूं कि मेरे भाई प्रभुनारायण जी अपने प्रस्तावों को लिये बैठे हुए हैं, उनके प्रस्ताव कई संशोधनों के हैं और इसके मुताल्लिक वह काफी संशोधन पेश करेंगे। तो मेरी उनसे सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि वह अपने संशोधनों में इस चीज का अवश्य ख्याल करें। तो इस तरह से जो संशोधन किया गया है उसका मतलब यह है कि मकान में रहने वालों की मुसीबतें दूर हों। इस तरह से मकान मालिकों को भी टेनेन्ट्स की समस्या को देखना चाहिये। आज किसी एक मकान मालिक के पास १०-१० बंगले हैं और बहुत से लोग फुटपाथ पर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। मैंने दिसम्बर और जनवरी के महीने में खुद अपनी आंखों से देखा है, कुछ लोग उतनी ठंड में दो-तीन बजे रात को कानपुर के स्टेशन में इस तरह से पड़े हुये हैं। उनकी क्या दशा होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। मुझे इस समय देखकर सचमुच में बड़ा आश्चर्य हुआ और उन पर दया भी आई

कि वे बेचारे गरीब और इनके छोटे छोटे बच्चे किस तरह से वहां अपनी जिन्दगी गुजर कर रहे हैं। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कानपुर के मिल मालिकों के पास जाकर उनसे यह कहा जाय और उनको यह दृश्य दिखाया जाय कि वे किस तरह से बंगलों में आराम व चैन से अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं और ये बेचारे वहां फुटपाथ पर पड़े हुये हैं तो इस तरह से इन्सान इन्सान में इतना फर्क हो गया कि एक इन्सान तो इस तरह से फुटपाथ पर जिन्दगी बसर करता हो और वह भी दिसम्बर और जनवरी के महीनों में और दूसरा बंगलों में आराम से रहता हो। तो हमारे डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक इन्सान मौज की जिन्दगी व्यतीत करे और दूसरे के पास सोने के लिये भी जगह न हो हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि हम उन गरीबों की तरफ कोई ध्यान न दें। मैं अपने मंत्रियों से भी प्रार्थना करता हूं कि वे वहां रात को दिसम्बर के महीने में १२-१ बजे स्टेशन में जायें तो उनको पता चलेगा कि वहां कितने लोग इस तरह से इतने ठंड में फुटपाथ पर सोकर अपनी जिन्दगी बसर करते हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी भी स्वयं कहते हैं कि हमारे मुल्क में यह नहीं हो सकता है। इसलिये जो संशोधन यहां पेश किये गये हैं वे मैं समझता हूं कि कोई इतने आवश्यक नहीं हैं इसलिये कि इस बिल में टेनेन्ट्स को जो दो-एक सुविधा दी गई हैं वे बहुत आवश्यक हैं और इस तरह के अधिकार टेनेन्ट्स को अब मिलने चाहियें और इसके अलावा मकान मालिकों को भी अपील करने का अधिकार दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि मकान मालिक और किरायेदार दोनों को परस्पर प्रेम से मिल कर रहना चाहिये और इसमें दोनों का ही फर्ज है कि वे अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह से समझें और उसका पालन करें। मैं इसमें किरायेदारों को भी कहता हूं उन्हें भी अपना कर्त्तव्य समझना चाहिये। तो मैं सरकार से भी यह आशा करता हूं कि इस कानून का कार्य ठीक तरह से संचालित किया जा रहा है या नहीं इसके लिये वह ६ महीने या साल भर में एक कमेटी इसके लिये बैठा दें जो कि इसके कार्य को देखे। जहां सरकार इतनी कमेटियां बनाती है वहां वह ६ महीने या साल भर में इसके लिये भी एक कमेटी नियुक्त कर दे जो कि यह देखे कि यह जो कानून लागू किया गया है उससे मुसीबतों का निवारण हो रहा है या नहीं और इस तरह से जो सुधार किये जा रहे हैं उनका पूर्ण-सहयोग लोगों को मिल रहा है या नहीं। यह आज हमारे मकान मालिकों का भी फर्ज है कि वे देखें कि आज किस तरह से हमारे समाज की व्यवस्था अच्छी हो सकती है और वह सरकार को इस कार्य के लिये जहां तक हो सके सहयोग दें। मैं आशा करता हूं कि इस कानून के जरिये से इसकी पूर्ति हो जायेगी।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक कि अभी माननीय खाद्य मंत्री ने इस भवन के सम्मुख रखा है उसके सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं। जहां तक इस विधेयक के उसूलों का ताल्लुक है मैं पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूं यह सही है कि रेन्ट का कन्ट्रोल सरकार को करना चाहिये।

सरकार को अपने हाथ में नियन्त्रण लेना चाहिये लेकिन उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि जब हम किसी चीज का नियन्त्रण अपने हाथ में लें तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि हम अन्यायपूर्वक किसी चीज को न करें। मैं इस समय इस बात को नहीं कहना चाहता हूं कि किरायेदारों को अधिक सुविधा दी जाय और मकान मालिक को न दी जाय। मैं तो केवल एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि अगर अन्याय किरायेदारों के साथ होता हो तो सरकार उसकी रोकथाम करे मगर उसके साथ ही साथ जो मकान मालिक हैं उनके साथ भी यदि किसी प्रकार का अन्याय होता हो तो महज इसलिये कि किरायेदारों को खुश करना है वह ज्यादा तादाद में हो सकते हैं और मालिकों पर अन्याय होता रहे तो यह बात न्यायपूर्ण नहीं कही जा सकती है। मेरे मित्र राजाराम शास्त्री जी ने पहले से ही यह तै कर लिया कि मैं मकान मालिकों की तरफ से ही कहूंगा। मैं आप को बताऊं मेरे अधिक मकानात ही नहीं हैं। वह जिस शहर में रहते हैं वहां

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

मिल मालिक बहुत हैं और उनके मकानात भी बहुत हैं और किरायेदारों की तरफ से शिकायतें मालिकों के खिलाफ उनके पास आती होगीं लेकिन इसके माने यह नहीं। अगर मकान मालिक को महज इसलिये कि उसने किराये पर मकान दे दिया और किराया मिलता है लेकिन असुविधा उसी को हो यह भी कोई न्यायसंगत बात नहीं है। इस समय माननीय राजाराम जी ने कहा कि एक समय वह आयेगा कि १० साल का लगान दे करके मकान मालिक से छीना जा सकता है समय की प्रगति यही है, यह ठीक है, समय की प्रगति यदि यह है कि सम्पत्ति किसी के पास हो ही नहीं और अन्याय के साथ हर चीज ले ली जाय तो ठीक है उसका समर्थन तो मै करना नहीं। समय आयेगा। मै भी नेशनलाइजेशन के पक्ष में हूं और सरकार को कंट्रोल उस पर रखना होगा। यदि कोई चीज न्यायपूर्ण ढंग से की जायेगी और न्यायपूर्ण नियन्त्रण होगा। मैं उसमें विश्वास करता हूं और सरकार के साथ हूं लेकिन अगर अन्याय किया जायगा तो मैं कम से कम उस चीज का साथ नहीं दे सकता।

यह जो विधेयक है उसमें २ या ३ बातों के सम्बन्ध में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैंने एक चीज इस विधेयक में देखी कि हमारी गवर्नमेन्ट ने २ प्रकार के मारेल स्टैन्डर्ड अपने सामने रखे हैं। एक स्टैन्डर्ड सरकार ने अपने लिये रखा है और दूसरा आपने पब्लिक के लिये रखा है। वह बिल अभी नहीं आया है लेकिन यू० पी० गवर्नमेन्ट प्रिमिसेस रेन्ट रिकवरी बिल है उसमें सरकार की नीति दो सेट्स आफ मारल्स (two sets of morals) की प्रत्यक्ष देख पड़ती है उसमें एक किस्म का मारेल स्टैन्डर्ड सरकार ने रखा है उसमें अपने लिये सब सुविधायें कर ली है और किसी प्रकार का लिटीगेशन न हो और दूसरी और पब्लिक के लिये दूसरा तरीका कर दिया है कि अदालत में जाय जितना रुपया खर्च हो जाय सरकार से कोई मतलब नहीं इस तरह से २ स्टैन्डर्ड सरकार ने कायम किये है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आपने अपने लिये क्यों न सुविधा कर ली है और पब्लिक के लिये दूसरा कानून बना दिया है और पब्लिक को हैरानी में डाल दिया है।

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री——मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। इसमें कुछ ऐसी धारायें है जिनमें संशोधन बाकी रह गये हैं और वह संशोधन जब आ जायेंगे तो आप लोगों की सलाह से तब माना जायगा कि किस तरह से किरायादारों से किराया वसूल करने में सुविधा हो।

श्री राजा राम शास्त्री——क्या जो संशोधन गुरु नारायण जी के आ रहे है वह भी मंजूर होंगे।

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री——यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री कुंवर गुरु नारायण——सरकार के संशोधन जो होंगे वह तो माने ही जायगें। यह जो विधेयक है उसमें मैंने जितनी बात देखी है उससे मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जहां तक मकान मालिकों का सम्बन्ध है सरकार ने अन्यायपूर्ण बर्ताव किया है।

और वह मैं श्रीमान् की आज्ञा से उदाहरण के रूप में बतलाना चाहता हूं। मसलन यह कि सेक्शन ७(ई) जो इसका है उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं——

"Every land-lord shall keep the accommodation in fairly good condition for habitation and shall carry out annually the very essential repairs"

"In sub-section (1), the repairs mentioned are annual white-washing recolouring and other minor essential repairs"

श्रीमान्, अब और गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इस विधेयक में विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ (wind proof & water proof) ऐसी चीजें सरकार ने रखी हैं। इससे पता नहीं चलता कि कितना खर्च होना चाहिए। जहां तक ऐनूअल रिपेअर्स (annual repaiss) का ताल्लुक है वह तो दूसरी चीज है। इसमें यह जो लैंग्वेज वाटर प्रूफ और विंड प्रूफ के बारे में है वह बहुत ही वेग (गोल) है। आखिर सरकार चाहती क्या है कितनी तादाद खर्च की होनी चाहिए इस सिलसिले में यह चीज बड़ी ही वेग (vague) रखी गई है। मैं चाहता हूं कि इस चीज का क्लैरीफीकेशन (clarification) होना चाहिए। इसकी एक लिमिट होनी चाहिए। एनुअल रिपेअर्स के अलावा एक मकान मालिक कितना खर्च कर सकता है इसका स्पैसीफिकेशन होना चाहिए। इसके न होने से मकान मालिक को काफी असुविधा हो जायगी। मैं तो कहता हूं कि सरकार अगर ठीक समझती है तो १, २, ३ महीने का रेंट उसके लिए मुकर्रर कर सकती है। स्पैसीफीकेशन न होने से तमाम लिटीगेशन होगा। मालिक मकान मारा मारा घूमेगा। जो यह ऐक्ट है इसके लागू रहने के कारण काफी मकान बनना बंद हो गया था। जब से इस ऐक्ट का प्रतिबंध हटा लिया गया तब से मकान बनना शुरू हो गया है। तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेन्ट की जिम्मेदारी मकान मालिकों के लिए जितनी है उतनी ही उन लोगों के लिए है जिनको वे मकान किराये पर देते हैं। यह न समझना चाहिए कि मिल मालिकों के मकान होते हैं। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो काफी तनख्वाह पाते है और वे अपनी गाढ़ी कमाई मकान पर लगा देते है इस उम्मीद में कि उनको कुछ उससे सहारा मिलेगा अगर आपने इस तरीके के नियंत्रण लगाये तो उनको भी कितनी परेशानी हो जायगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यह जो मकान मालिक और किरायेदार के बीच में संघर्ष है यह वैसा नहीं है जो मिल मालिकों और मजदूरों में होता है। यह संघर्ष मिडिल (middle) और पूअर (poor) क्लास के बीच में है। सरकार की जिम्मेदारी दोनों के संरक्षण की है। और भी बहुत सी बातें है जैसे एक किरायेदार है उसके नाम मकान अलाट कर दिया गया। वह उसमें २,३ महीने नहीं जाता है और मकान खाली पड़ा रहता है। उसका किराया भी मकान मालिक को नहीं मिलता है। कोई ऐसा प्रावीजन होना चाहिए कि जब से मकान एलाट कर दिया जाय उसी रोज से किराया डूय (due) हो जायं और वह तभी से मिलने लगे।

जो चीजें है हमने संशोधन में रख दिया है इसलिये मैं उसमें समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा कि एक कमेटी बैठाई जाय। मैं चाहूंगा कि हर वर्ग का रेप्रेजेन्टेटिव उसमें रखे जांय। हर दृष्टिकोण से उस चीज के ऊपर देखा जाय क्योंकि यह लड़ाई बड़े आदमियों और पुअर मैन की नहीं है, बल्कि सभी वर्गों का संघर्ष है। उदाहरण के रूप में मैं आप को बतालाऊ। खुद एक साहब है उनका मकान है। वे खाली करने की परमिसन के लिये दरख्वास्त दिये है। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। अगर रेन्ट कंट्रोलर के पास मामला पहुंचता है और कोई डिसीजन होता है तो वह बदला नहीं जाता है। सरकार ने अब यह नियम रखा है कि कमिश्नर के पास यह मामला जाय। मेरा ख्याल यह है कि दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिये कि हम अदालत के अन्दर न जायं। जो कुछ भी आप कानून बनायें अदालत में जाने से किरायेदार भी बरबाद होता है और मकान मालिक भी मिट जाता है। तो इसलिये मैं पसन्द कर सकता हूं कि जल्द ही डिसीजन फाइनल हो और कहीं पर जाने की जरूरत न हो। गवर्नमेन्ट ने जो अपने लिए तरीका रखा है उसके अनुसार रख दें तो बहुत सी दुश्वारियां मिट जायेंगी। मैं इस बिल का आम तौर पर समर्थन करता हूं पर जो ओनर्स आफ दि हाउस और किरायेदार के बीच में प्रीजुडिस की झलक इस विधेयक में है उसका मैं विरोध करता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का जो इस सदन में उपस्थित है हृदय से समर्थन करता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने नये संशोधनों को इसमें शामिल करके जनता का बड़ा उपकार किया। माननीय मन्त्री जी को स्मरण होगा कि एक बार उन्होंने कहा था कि जमीन्दारी प्रथा किसी रूप में इस राज्य में न रहने पायेगी। मैंने अपने कानों से तो नहीं सुना था, मगर अखबार में जरूर पढ़ा था। एक समय ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था। उस वक्तव्य को सुनकर बहुत से लोगों को बड़ा हर्ष हुआ था कि माननीय मन्त्री जी अब हमारे लिये कुछ प्रयत्न करेंगे। आज आपने जो यह बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसमें कई बातें हैं जिनसे किरायेदार को लाभ होगा। दीन जनता को जो धनी मनुष्यों के मकानों में रहती है, लाभ होगा। यह प्रश्न मैं समझता हूं बड़ा ही गम्भीर है। अब जमीन्दारी का अन्त होने के बाद इस प्रश्न पर बड़े गम्भीर रूप से विचार करना होगा कि मनुष्य के पास कितनी सम्पत्ति रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जायेगा। क्या उसका नियन्त्रण वेलफ़ेयर स्टेट को करना होगा। वेल फेयर स्टेट किसे कहते हैं। वेलफ़ेयर स्टेट वह है जो मनुष्य के बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये पूर्ण रूप से प्रयत्न करती है। वह देखे कि देश के निवासी, राष्ट्र के नागरिक किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनको सुख और सुविधा प्राप्त करने के वह सब साधन है, जो उनके जीवन को उत्तम बनाने के लिये आवश्यक हैं। अब इस प्रश्न पर हमें विचार करना है कि गृह सम्पति नगर में कितनी और किस प्रकार रखी जाय और उसके ऊपर सरकार का किस प्रकार नियन्त्रण होगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अब समय आ गया है कि सरकार बड़ी हिम्मत करके एक ऐसा कमीशन नियुक्त करे जो देखे कि सम्पत्ति का किस प्रकार से प्रबन्ध होना चाहिये। आपको मालूम होगा कि सरकार ने इस बात की चेष्टा की थी कि मध्यम श्रेणी के लोगों को मकान बनाने की सुविधा हो और सरकारी जमीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा बेची गई। मगर जो धनी थे, उन्होंने एक एक एकड़ के प्लाट १०,२० की तादाद में मकान बनाने के लिये खरीद लिये और एक एकड़ में दस, दस और बीस, बीस मकान बनाये जिनका किराया सौ, सौ रुपया निर्धारित किया गया। लेकिन बहुत से ऐसे भी सज्जन थे, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से एक एकड़ तीन हजार में खरीदा और अब समाचार पत्रों में निकालते हैं कि २५ हजार में बेंच देंगे। मैं समझता हूं कि यह चीज समाज के लिये बड़ी अहितकर है। हमारी सरकार को इसके ऊपर पूर्णरूप से विचार करना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट ट्रष्ट द्वारा जमीन का दुरुपयोग न हो। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा कमीशन सरकार नियुक्त करे, जो इस बात की जांच करे कि मकानों की सम्पत्ति कितनी-कितनी होनी चाहिए। कितना उनका किराया होना चाहिए। किराया किस प्रकार वसूल होना चाहिए। किन हालतों में मकान मालिक इसके लिये वाध्य किया जा सके कि अगर वह मकानों को अच्छी तरह नहीं रख सके तो वह मकान किरायेदार का हो जायेगा। इसके साथ ही यह भी जांच की जाय कि किसी मकान मालिक को एक ही नगर में सौ, सौ मकान या सौ, सौ दूकानें रखने की आज्ञा न दी जाय। मैं जानता हूं कि माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि अभी इसका समय नहीं आया है। मैं तो समझता हूं कि जमीन्दारी विनाश के बाद अब इसका समय आ गया है। जिस वर्ग के द्वारा मैं निर्वाचित हुआ हूं, मध्यम वर्ग या अध्यापकों द्वारा, उसको मकानों की वजह से काफी तकलीफ है। जो कष्ट उनको हो रहा है-वह इस भवन के सदस्यों से छिपी नहीं है। मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत तकलीफ हैं। मकान मालिक बहुत परेशान करते हैं। अलाटमेंट में कितनी दिक्कतें होती हैं।

श्री राजा राम जी ने अपने भाषण में इस बात को कहा है कि जो असली समस्या है वह हल नहीं हो रही है। वास्तविक समस्या वह है जिसका उन्होंने वर्णन किया है। अब समय आ गया है कि हमको उसको दूर करने का उपाय करना चाहिए। हकीम बृजलाल जी कहते हैं कि आप कम्यूनिस्ट कब से हो गये। मैं कम्यूनिस्ट नहीं हूं। मैं कहता हूं कि आज से १५ वर्ष पहिले कौन कह सकता था कि बड़े बड़े राजाओं के राज्य चले जायेंगे, बड़े ताल्लुकेदारों और जमीन्दारों की जमीन्दारियां भी चली जायेंगी और साथ ही हकीम बृजलाल जी जैसे लोगों की जमीन्दारी भी, जिसकी वह मालगुजारी देते थे और जिसे

उन्होंने एक–एक पैसा बचा कर खरीदा था, ले ली जायेगी। कोई तब इस बात को नहीं मानता था कि राजाओं के राज्य चले जायेंगे। इतिहास प्रगतिशील है। समय बड़ा बलवान है। समय के प्रभाव से ये बड़े बड़े राष्ट्र भी मिट जाते हैं। कोई भी सज्जन यह नहीं कह सकता था कि सन् ४७ में अंग्रेज लोग इस तरह से देश छोड़ देंगे। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। मुझे प्रोफेसर एम० ब्यूरी की हिस्ट्री याद आती है। उन्होंने अपनी पुस्तक को समाप्त करते हुए लिखा है कि:—

"Voluntary relinqishment of political power is unknown to history."

इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी जाति ने अपना राज्य बिना लड़े भिड़े छोड़ दिया हो। लेकिन अंग्रेजों ने छोड़ दिया है। यहां तक कि हमारे बड़े–बड़े नेताओं को लार्ड माउन्ट बेटेन से प्रार्थना करनी पड़ी कि आप ६ महीने और रह जाइए। इतिहास में ऐसी परिस्थिति आती है कि जिनकी हम कभी आशा भी नहीं करते। मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी सरकार भी समय के अनुसार इस उद्देश्य को पूरा करेगी।

श्री राजा राम शास्त्री ने बहुत सी परेशानियां किरायेदारों की वर्णन की है। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। उन दिक्कतों से आप सभी परिचित हैं। उन्होंने कानपुर की मिसाल दी। कानपुर की मिसाल देने की आवश्यकता क्या है। जिस विशाल भवन में हम ठहरे हुए हैं उसके पीछे ही जो मकान हैं और जिनमें लोग रहते हैं, वह सड़क के ऊपर रात को सोते हैं और आप उनकी तकलीफों को देखकर अवश्य ही आश्चर्य करेंगे कि लखनऊ जैसे नगर में विधान सभा के पास ही और उस विशाल भवन के पीछे जिसमें कौंसिल और विधान सभा के सदस्य रहते हैं, उनके पास के रहने वालों की क्या दुर्दशा है। यह दुर्दशा यहां नहीं, सभी नगरों में है, अनेक मुहल्लों में है। इसका उपाय आपको करना है। अगर म्युनिसिपैल्टीज अपनी नीति में सुधार न करे तो सरकार को यह अधिकार है कि वह म्युनिसिपल्टियों से उनकी नीति में परिवर्तन करावे जिससे जनता को कष्ट न हो। जो उपनियम बनाये गये हैं वह बहुत अच्छे हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री गुरु नारायण जी ने जो बातें कही हैं उसमें सम्पत्ति वालों का ही पक्ष लिया गया है। सम्पत्ति में कमी होने से उनको असुविधा अवश्य होती है, परन्तु अब राष्ट्र के हित के लिये हर नागरिक के लिये यह आवश्यक है कि वह अपनी असुविधाओं को न देखें। आपने कहा कि विन्ड प्रूफ और वाटर प्रूफ क्या है। यह कहते हैं कि इसका अभिप्राय नहीं समझे। विन्ड प्रूफ का मतलब यह है कि ऐसा न हो कि मकान हवा के एक ही झोंके से उड़ जाय या एक ही मेंह से गिर जाय, इसका मतलब यह भी नहीं है कि गर्डरों से मकान को पाट दीजिए। इसका मतलब यह है कि मेंह या आंधी से पहले मकानों की मरम्मत कर दी जाय। आपने फरमाया कि मरम्मत अनिवार्य की गई है। इसको स्पष्ट होना चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय है कि ऐक्ट में इस चीज को साफ नहीं किया है। इस विधेयक में पृष्ट ५ पर यह कहा गया है:

"If the landlord fails to carry out annual white washing, recolouring and periodical repairs, the tenant may by notice require him to carry out the same within one month from the date of notice. If the landlord fails to do so within the period as aforesaid, the tenant may himself carry out the same at a cost not exceeding one month's rent."

मेरी सम्मति में इतना पर्याप्त नहीं है। आपने सफेदी, रंग और बरसाती मरम्मत के लिये कहा है कि एक महीने के किराये से यह चीज कराई जा सकती है। आजकल महंगाई का समय है। अगर किसी मकान का किराया ४० या ५० रुपया है तो उससे सफेदी, रंग और मरम्मत नहीं कराई जा सकती है। इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक बात आपने कही कि लोगों ने मकान बनाना बन्द कर दिया है। मेरी सम्मति से यह बात बिल्कुल गलत है। सहस्रों मकान नये बन गये हैं और बहुत से मध्य श्रेणी के लोग अब भी ऐसे हैं कि अगर उनको सरकार जमीन दे दे तो वह मकान बनाने के लिये तैयार हैं। प्रोफेसरों के साथ उन्होंने सहानुभूति प्रकट की है। मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन मेरा कहना है कि आपको राष्ट्र

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

के हित के लिये जनता के हित के लिये, त्याग करना पड़ेगा। अगर मेरा हित जाता राष्ट्र के के हित के लिये, तो मैं तैयार हूं। एक बात आपने कही ....

श्री कुंवर गुरु नारायण : This is in the report.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद : No matter, the report can be modified. The report can be changed and scrapped.

लेकिन इस समस्या को समाज के सामने आपको हल करना पड़ेगा एक बात आपने कही और उसको सुन कर जरूर कुछ शंका हुई। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने भी शायद उसको नोट कर लिया होगा। वह शंका अदालत के समावेश की है कि किरायेदारों को और मकान मालिकों को अदालत में जाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि कुंवर साहब ने जो अदालत की बात कही है उस पर मन्त्री महोदय विचार करेंगे कि अदालत में न जाने से किस प्रकार की असुविधा होगी और जाने से क्या सुविधा होगी। समय प्रगतिशील है, हमारी जनता को इस समय जो कष्ट है वह बड़ा भारी है। मैं समझता हूं कि किसी भी समय हमारे देश में मकानों का कष्ट इतना अधिक नहीं था जितना की आज है। राजाराम जी ने अपने ओज पूर्ण भाषण में उन दिक्कतों का वर्णन किया है कि किस प्रकार मकान मालिक रसीदें नहीं देते हैं, अन्याय करते हैं और अनेक प्रकार की असुविधा पैदा करते हैं। संभव है कि इसमें थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति हो, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि मकान मालिक वाटर टैक्स, मकान का टैक्स नहीं देते हैं जिससे कि नल काट दिया जाता है या कभी स्वयं मकान मालिक बिजली काट देते हैं। मैं सदन के सामने प्रार्थना करूंगा और अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि अब समाज में बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। सारी निजी सम्पत्ति के प्रश्न को अब नये सिरे से समाज की परिस्थितयों को देखते हुए और संसार की परिस्थितियों को देखते हुए हल करना है। इसमें अवश्य समय लगेगा, परन्तु जो सुधार हो सकता है उसको करना सरकार का कर्तव्य है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने जो मकानों का बिल इस सभा के सामने रखा है मैं इसका इन्हीं कारणों से शुद्ध हृदय के साथ समर्थन करता हूं और मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह फिर अपने उस वक्तव्य का स्मरण करें, जिसमें उन्होंने कहा है कि :

Landlordism shall not be allowed to exist in this State in any shape or form.

मुझे पूर्ण आशा है कि जब वह बोलने के लिये खड़े होंगे तो इसके विषय में कहने की कोशिश करेंगे और आज जो कठिनाई हमारे जन साधारण को है, वह दूर होगी। मैं यह नहीं चाहता कि जो मकान मालिक हैं उनको कोई अनावश्यक अथवा अन्य परेशानी या अन्यायपूर्ण कोई तकलीफ हो, परन्तु राष्ट्र में न्याय भी कोई चीज है। जैसा मैंने पहले कहा है कि निजी हित से अधिक हित राष्ट्र का होता है और उसके लिये सब का त्याग करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो जो आपके वेल फेयर स्टेट के स्वप्ने हैं वे स्वप्न ही रह जायेंगे। इन शब्दों के साथ में मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री परमात्मानन्द सिंह--माननीय चेयरमैन साहब, मैं, जो प्रस्ताव हमारे सामने है, उसका समर्थन करता हूं। पहले इसके कि मैं इस विषय पर, जो उपस्थित है, कुछ कहूं, थोड़ी सी इतनी सफाई देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो समाज के बन्धनों के अन्दर रहते हुये, व्यक्ति के महत्व को भी मानते हैं। मैं चाहता हूं कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वहां तक अवश्य हो, जहां तक वह समाज के लिये घातक न हो। मैंने पहले ही इसलिये निवेदन कर दिया है कि जो कुछ मैं कहूंगा उसमें मेरे विचारों की रंगत होगी।

इस समय जो बिल हमारे सामने उपस्थित है उसमें मालिक मकानों के लिये भी कुछ सुविधा दी गई है। प्रापर्टी हो या न हो, यह प्रश्न बहुत दिनों से चला आ रहा है। समाज की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में डाक्टर साहब ने बताया कि हमें सारी व्यवस्था पर फिर से विचार करना चाहिए।

श्रीमान्, मुझे क्षमा करें, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि पहले एक घड़ी सामने रहा करती थी, उसमें सदस्यों को टाइम देखने में सुविधा हुआ करती थी, लेकिन अब वह घड़ी नहीं है इससे कुछ कठिनाई होती है।

चेयरमैन—इस समय एक बजने में १५ मिनट हैं।

श्री परमात्मानन्द सिंह—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस समय हमारे सामने जो प्रश्न है वह भी कन्ट्रोल का प्रश्न है। आज कई वर्षों से कन्ट्रोल विषयक प्रश्न बार-बार हमारे सामने आता है और बार–बार हमें कष्ट के साथ कुछ बातें सोचनी पड़ जाती हैं। मगर हमें यह देखना पड़ता है कि कन्ट्रोल की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी चीज की कमी हो जाती है। कमी होने के कारण बाजार में उसका दाम बढ़ जाता है, तो उस चीज पर कन्ट्रोल करने की आवश्यकता पड़ जाती है। श्रीमान्, मैं निवेदन करूंगा कि कन्ट्रोल जिस मर्ज की दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है वह उस मर्ज को हटाता नहीं है। कुछ हालतों में तो थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है। कुछ प्रकार के बुखार में कुनैन दी जाती है, वह बुखार को आराम कर देती है, परन्तु अधिक प्रयोग से दूसरे प्रकार के विकार पैदा कर देती हैं। लेकिन कन्ट्रोल एक ऐसी दवा है जिससे मर्ज को आराम होता नहीं, परन्तु अन्य विकार पैदा हो जाते हैं। बीमार को आराम तो तब हो जब बीमारी का कारण ढूंढें, यहां कारण है मकानों की कमी, जब अधिक मकान बनें तब यह मर्ज अच्छा हो, यह कानून मकानों के बनाने में मददगार नहीं हो रहा है।

अभी श्री राजा राम शास्त्री जी ने कहा कि मकान बहुत कम बन रहे हैं। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने बताया कि मकान काफी बन रहे हैं। मैं श्री राजा राम जी की ही बात को सही मानता हूं कि मकान बहुत कम बन रहे हैं। श्री राजा राम जी ने कहा कि मकानों का नेशनालाईजेशन हो, डाक्टर साहब ने भी इस तरफ थोड़ा सा इशारा किया है कि सम्पत्ति व्यवस्था पर फिर से विचार किया जाय। आपके द्वारा मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सब बातें उन लोगों के दिमाग में भी खटक रही हैं, जो मकान बनाते हैं। लोग आज मकान बनाने और किराये पर उठाने में डरते हैं कि आज तो यह केवल इशारा है कल ऐसा संभव हो सकता है कि दो चार साल के बाद अगर मेरे पास दो चार मकान हैं तो कहा जाय कि एक मकान अपने बाल बच्चों के लिये काफी है और बाकी आवश्यकता से अधिक है और अपने पास से निकाल दिये जायेंगे। तो मकान वालों की सूरत वैसी ही हो सकती है जैसी की जमीन्दारी विनाश से जमीन्दारों की हुई। पहले कानून ने यह आज्ञा दे रक्खी थी कि खेत शिकमी बन्दोबस्त किये जा सकते हैं। बहुत लोगों ने इस प्रकार से शिकमी दिया जो रिवाजन और कानूनन जायज था। फिर एक हवा बदली और यह राय सरकार की हुई कि शिकमी को मालिक जमीन बना दिया जाय तो पहला कदम यानी कन्ट्रोल यह हुआ कि शिकमी की बेदखली रोक दी जाय और अन्त में उन शिकिमियों को मालिक बना दिया गया। तो क्या यह सूरत नहीं हो सकती है कि जो मकान मालिक हैं या जो मकान बनाने वाले हैं उनको इस बात का भय हो कि जो मकान हम बनायेंगे वह किरायेदार कल को अपने पास रख लेगा और हम निकाल नहीं पायेंगे और थोड़े दिनों के बाद यह कानून हो जायेगा कि जो किरायेदार हैं वह दसगुना मकान का दे देगा और मालिक बन जायेगा। आजकल इसकी चर्चा है। मैं समझता हूं कि बहुत से मकान मालिकों को इस बात का डर है और नये मकान नहीं बना रहे हैं। इस चीज को दूर करने के लिये माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा और उम्मीद करूंगा कि वह इसके ऊपर विचार करें। जो कन्ट्रोल की व्यवस्था उन्होंने रखी है वह फिलहाल आवश्यक है और हम उसका साथ देते हैं, मगर इसके साथ ही साथ में यह चाहूंगा कि वह इस हाउस को अपने कान्फीडेन्स में लें और कुछ जरिया यह भी बतायें कि मर्ज की असल दवा यानी मकानों की तादाद बढ़ाने के लिये क्या तरकीब हमारे माननीय मन्त्री जी कर रहे हैं। वे क्या मेजर एडाप्ट कर रहे हैं कि जिससे मकान की तादाद बढ़ेगी।

[श्री परमात्मानन्द सिंह]

इस सम्बन्ध में मैं अपने दो सुझाव पेश करता हूं, एक तो यह कि छोटे छोटे रुपये रखने वाले लोग अपना रुपया मकान में लगाते डरते हैं, उन लोगों को सहायता दी जाय और छोटे छोटे प्लाट बनाकर मकान बनाने के लिये लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय कि साधारण लोग छोटे–छोटे मकान अपने रहने के लिये बनावें। अगर यह नहीं हो सकेगा, इस तरह से इसमें प्रोत्साहन न मिल सके तो मैं सोचता था कि भवन के सामने एक रेजोल्यूशन लाऊं। मैं दूसरी बात कहूंगा कि अभी यह बात मेरे मन में साफ नहीं है, जब इस बात का नक्शा मेरे दिमाग में साफ होगा तो प्रस्ताव आपके सामने विचार करने के लिये लाऊंगा। इस समय केवल प्रसंग वश यह बात मेरे दिमाग में आई इसलिये मैं थोड़े ही में निवेदन करूंगा और वह यह है कि क्या यह नहीं होगा कि गवर्नमेंट इस तरह से इस स्कीम को अपने हाथ में ले ले और छोटे छोटे मकान बनाये। गवर्नमेंट इसके लिये ऐसा प्लान बनाये कि वह छोटे, छोटे मकान बनाये जिसमें छोटे छोटे कुटुम्ब रह सकें और उसमें हर तरह का इन्तजाम हो और इस तरह के मकान बनाकर साधारण हैसियत के यानी मिडिल क्लास के लोगों को वह मकान दे और उनसे ३० या ४० वर्ष में रुपया वसूल करे और कुछ सूद भी ले ले। यदि रुपये की कमी हो तो सरकार इसके लिये जनता से कर्ज ले, एक लोन फ्लोट कर दे। मुझे उम्मीद है कि काफी रुपया आजायेगा और जो सूद देना पड़ेगा वह उस सूद से वसूल हो जायेगा जो मकान लेने वालों से लिया जायगा।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। जो बात इस समय प्रसंग में मेरे सामने आई, वह पहिले मेरे दिमाग में थी और वह मैं आपके और आपके द्वारा माननीय मन्त्री और मेम्बरों के विचार के लिये रखता हूं, ताकि बहुत से दिमाग इसके ऊपर काम करेंगे, तो संभव है कि उसके ऊपर कोई चीज ऐसी पैदा हो, जिससे मकानों की कमी दूर हो जायगी।

Controls are not a millennium. They are not a cure. They can be a palliative and can be tolerated for a limited period. Impressing the necessity of having more houses I support the motion.

***श्री कन्हैया लाल गुप्त**—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल हाउस के सामने है मैं उसका हृदय से स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती है कि प्रान्त के अन्दर मकानों की कमी के कारण जो वर्तमान स्थिति है, उसको देखते हुए इस बिल के जीवन को आगे बढ़ाने की आज निहायत जरूरत है, परन्तु जैसा कि मेरे पूर्व दो, एक वक्ता भाइयों ने कहा है और खास तौर से श्री राजा राम शास्त्री जी ने कहा है, तो मैं भी यह अर्ज करना चाहता हूं कि केवल इस बिल की जिन्दगी को बढ़ा देने मात्र से ही इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो जाती है। आज किरायेदारों को जो राहत मकान मालिकों के हाथ से मिलेगी, तो केवल इस कानून के बना देने मात्र से ही, उनका या सरकार का यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। कानून तो किसी न किसी रूप में सन् १९४६ से रहा है और उसकी यह मन्शा रही है कि मकान मालिकों के हाथों से किरायेदारों को सख्तियां न पहुंचने पायें, लेकिन कानून जो बना पिछले मर्तबा तो उससे किरये दारों को उतनी सुविधा नहीं पहुंची जो कि उसकी मन्शा थी। इसकी क्या वजह हो सकती है कि ऐसा हुआ। आप जरा विचार कीजिए तो मेरा विश्वास है कि हम सबको इसी नतीजे पर आना पड़ेगा कि कानून बना देने के बाद उसका पालन कराने के लिये जो हमारी मशीनरी है वह इतनी गलत और अपूर्ण सी है कि जो भी कानून हम बनाते हैं उनकी जो मन्शा होती है वह कभी भी पूरी नहीं हो पाती है। आप किसी जिले के रेन्ट कन्ट्रोल आफीसर के यहां उनके दफ्तरों में चले जाइए, तो वहां जाने के बाद आपको पता लगेगा कि वहां जो हजारों आदमी आते हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि वे सब कैसी छोटी–छोटी सी बात के लिये परेशान किये जाते हैं, जब कि जो कानून बनाया गया है, उसके बाद किसी किस्म की ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वजह क्या है, जो हमारी सर्विसेज में हैं, वे गवर्नमेंट के साथ कोआपरेट नहीं करती हैं और इस तरह

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

से लोगों की जोकि अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिये वहां जाते हैं, उनको वे हर तरह की फैसेलिटीज नहीं देते हैं जो कि उनको देनी चाहियें। मैंने अपने जिले की रेन्ट कन्ट्रोल की वर्किंग को देखने की कोशिश की है, तो उसके बाद यह कहना पड़ता है कि यहां इस संशोधन के पास या पेश कर लेने के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि किरायेदारों की तकलीफ दूर हो सके जिसके लिये आज यह बिल यहां लाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस अधिनियम के यहां पास हो जाने के बाद इसको ठीक तरह से लागू भी किया जाय तो इसके लिये हमें यह कोशिश करना आवश्यक हो जायेगा कि हम इसको देखें कि हमारे जो अधिकारी हैं वे इसको ठीक तरह से अमल में लाते हैं या नहीं? अगर अमल में न लाते हुए पाये जायं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय, जब तक ऐसा नहीं होगा उस वक्त तक जो मन्शा इस कानून की है पूरी नहीं होती। अब इस कानून के अन्दर जो और बातें हैं, जिनका जिक्र इस बिल में नहीं है, उनके बारे में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। उन पर जब तक तफसील से न बताया जाय, तब तक इस कानून की मन्शा पूरी नहीं होती है।

इस नियम के अन्दर यह है कि अगर एक मकान खाली होता है तो मकान मालिक और जो उसमें रहता है उन दोनों को चाहिए कि उसकी इत्तिला सरकार को दें, लेकिन यह अमल में नहीं आता है। मैं समझता हूं कि अगर २०० मकान खाली होते हैं तो उनमें से १० या २० की इत्तिला सरकार के पास आती होगी। यह इसलिये होता है कि मकानदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। ज्यादातर मकान मालिक ऐसा करते हैं कि अपने किसी खास आदमी को वह मकान दे देते हैं और बाद में उससे दरख्वास्त दिला कर उसके नाम मकान एलाट करवा देते हैं। इस तरह से जो ज्यादा जरूरत मन्द होते हैं वह महरूम रहते हैं। यह एक प्रश्न है, इसे सरकार को विचार में रखना चाहिए। सरकार का अलाटमेंट डिपार्टमेंट और राशनिंग डिपार्टमेंट है, अगर दोनों में कोआरडीनेशन हो तो यह समस्या आसानी से हल हो सकती है और मकानदार इससे फायदा नहीं उठा सकते हैं। किरायेदार जब कोई मकान खाली करता है तो उसका राशन कार्ड खत्म हो जाता है और दूसरा शख्स जब आता है तो अपना राशन कार्ड बनवाता है और वह बताता भी है कि मैं पहिले इस मकान में था और अब इस में आ गया हूं।

चेयरमैन—आप ५ मिनट में खत्म कर देंगे या अवकाश के बाद बोलेंगे।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—बाद में बोलूंगा।

चेयरमैन—कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(१ बजे कौंसिल अवकाश के लिये उठ गयी और २ बजे से पुनः डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री कन्हैया लाल गुप्त—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था कि अगर टाउन राशनिंग आफिसर्स और अलाटमेंट आफिसर के बीच में इस वक्त जो कोआर्डीनेशन है, उसके मुकाबिले में कुछ ज्यादा अच्छा हो सके तो मकानदार की अवांछनीय कोशिशों के कारण और अलाटमेंट दफ्तर की धांधलियों के कारण जो बहुत से किरायेदार उचित मकान मिलने से महरूम रह जाते हैं उनकी तकलीफों का कम से कम कुछ हद तक इलाज हो सकता है। मैं यह निवेदन करने की कोशिश कर रहा था कि अगर यह कोआर्डीनेशन हो तो फिर कोई भी शख्स अगर मकान छोड़ता है और वह अपना राशन कार्ड किसी दूसरे मकान का बनवाता है और मकान मालिक अगर किसी दूसरे आदमी को जो उस पर हक नहीं रखता है, मकान देता है तो उस गलत तरीके पर मकान में रहने वाले को तथा मकान मालिक को दोनों को पकड़ा जा सकता है। इस तरह से वे मकानदार जो मकान खाली होने की नोटिस नहीं देते हैं या वे लोग जो मकान खाली करके किसी को उसमें रख देते हैं या वे लोग जो मकान मालिक के मिलने वाले होते हैं और उसकी इजाजत से उस मकान में रहते हैं बगैर किसी अलाटमेन्ट के

[श्री कन्हैयालाल गुप्त]

तो ये तीनों ही पकड़े जा सकते हैं। इस सिलसिले में सरकार के विचार के लिये मैं एक सुझाव रखता हूं वह यह कि टाउन राशनिंग आफिसर और एलाटमेंट आफिसर एक ही शख्स होना चाहिए। इससे मकानदार की गलत नीति के कारण जो किरायेदार मकान मिलने से महरूम रह जाते हैं उनको मकान मिल जायगा। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर विचार करने की कृपा करें। दूसरी चीज यह है कि जो मकानदार मकान खाली होने पर अवधि के अन्दर ठीक प्रकार से नोटिस नहीं देते उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। यह कार्यवाही ऐसी हो सकती है कि उनको सजा दी जाय, लेकिन वह सजा ज्यादा सख्त न होनी चाहिए। यह बात जरूर अमल में आनी चाहिए कि अगर गलत तरीके से कोई मकान पर कब्जा कर ले या मकानदार खुद मकान खाली होने की अवधि के अन्दर सूचना न दे और वह किसी को उठा दे तो दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने अलाटमेंट के लिये दरख्वास्त दी और किसी दूसरे शख्स ने अलाटमेंट दफ्तर के लोगों से मिलकर उसकी दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में डलवा दी और अपनी दरख्वास्त ऊपर करा दी और इस तरह से उसे मकान जल्दी एलाट होने में गलत तरीके से सहायता पहुंचाई अलाटमेंट दफ्तर के लोगों ने, इसके लिये यह जरूरी है कि हर अलाटमेंट आफिस में अप्लीकेशन रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें सारी दरख्वास्तें दर्ज की जायं और रोजाना अलाटमेंट आफिसर के उस पर दस्तखत हुआ करें। इस तरह से कोई क्लर्क मिलजुल कर किसी की दरख्वास्त इधर उधर न कर सकेगा। दूसरी चीज जिसका कि बहुत बार जिक्र कर चुका हूं वह यह है कि प्रायोरिटी बुक करने का कोई प्रिंसिपल नहीं है। शायद अभी सरकारी अफसरानों ने भी और कमेटी ने इस बात को माना है कि मकान एलाटमेंट में फेवरिटिज्म होता है। यह फेवरिटिज्म बन्द नहीं होगा जब तक हम प्रायोरिटी बुक करने का कोई प्रिंसिपल ले डाउन नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय जब दूसरी बार इस सम्बन्ध में बिल लायेंगे तो उस समय यह बिल रखा जायेगा प्रायोरिटी बुक किये जाने की बहुत जरूरत है। जब तक यह नहीं होगा तब तक मकानों का एलाटमेंट ठीक तरह से नहीं होगा। इस कार्य के अन्दर पब्लिक के आदमियों की सरकत बहुत कम है। यह अफसरानों के मार्फत होता है। हाउसिंग कमेटी जो जिले में है वह बहुत कम मिलती है। अगर मिलती भी है तो उसके सामने जो कागजात रखे जाते हैं तो उनको भी बहुत दफा गुमराह कर दिया जाता है। मेरा निवेदन है और ज्यादा अच्छा हो कि ऐसी पब्लिक बाडी हर जिले में बनें जिसमें अफसरान और नानअफिसरान दोनों हों। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनका प्रेसीडेन्ट हो। हर हाउस के एलाटमेंट डिसीजन उसके मार्फत हों। गवर्नमेंट ने शायद नानआफिशियल को एसोसियेट करने के लिये यह स्कीम निकाली होगी, लेकिन इस स्कीम का नतीजा ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मैं इसकी बाबत पहली बार कह चुका हूं उसे दोहराना नहीं चाहता। वार्ड मेम्बर के ऊपर कोई न कोई टाइम लिमिट हो। अगर वह बिलकुल नहीं आते हैं तो हाउस कमेटी को इस बात की स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि वे जैसा उचित समझें अपना फैसला दें दें। मैं यह चार, पांच सुझाव इस अधिनियम के मुताल्लिक सरकार के सामने पेश करता हूं। अभी यहां पर जो अमेंडमेंट है उसकी बाबत कुछ कहूंगा। जहां पर हम यह ख्याल करते हैं कि मकानदार लोग किरायेदारों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं और नाजायज तरीके से उनको परेशान करते हैं वहां यह बात भूल नहीं जानी चाहिये कि हमारे सूबे के अन्दर मकानदारों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो बहुत ज्यादा मालदार नहीं हैं, जिनका गुजारा मकान और दूकानों के जरिये से है। दुर्भाग्य से यह कहना पड़ता है कि दूसरी तरफ किरायेदार ऐसे हैं जो नाजायज तरीके से मकानदारों को परेशान करते हैं। जबलपुर के एक सज्जन ने अपनी सारी जिन्दगी की कमाई का रुपया अपने एक मकान के बनवाने में इलाहाबाद में लगाया। जब वे रिटायर हुए तो उन्होंने सोचा कि बाकी जीवन अपना तीर्थ स्थान में पूरा करूंगा। इसी बीच में उनका मकान रिक्वीजीशन हो गया और एक सज्जन ने उस पर अपना कब्जा कर लिया और दूसरे सज्जन को भी सबलेट

कर दिया। दस वर्ष तक वह बेचारा परेशान रहा। कोर्ट में मुकद्दमा आया लेकिन उनको मकान न मिल सका। ऐसी चीजें हमें अपनी नजर से भुलानी नहीं चाहिए। श्री कुंवर गुरु नारायण साहब ने जो पहला संशोधन रखा है उसकी तरफ सरकार विशेष ध्यान रखे।

In making the first allotment the District Magistrate shall allot it to the owner if the owner, not being in occupation of any other house owned by him in that municipality or other contingous area to which the Act applies, genuinely requires such accommodation for his personal use.

मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि यह एक बहुत जरूरी चीज है और सरकार को इसे मन्जूर कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो विन्ड प्रूफ और वाटर प्रूफ इसमें रखे गये हैं जैसा कि डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने कहा यह बड़ा ही एम्बिगुअस शब्द है। इसलिये इसको साफ कर दिया जाय वरना जब ला की सूरत में आ जाते हैं तब वह लीगल प्रैक्टिशनर्स के हाथ में चले जाते हैं। हमें देखना चाहिए कि कहीं इससे बेगुनाह आदमी को तकलीफ न होने पाये। इन लफ्जों से मकानदार द्वारा किरायेदार को नुकसान पहुंच जाने का अन्देशा है।

Every landlord shall keep . . . . . .

Deputy Chairman: You need not quote these amendments now. When these amendments are taken up, you can refer to them.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--तो मैं अर्ज करूंगा कि बजाय इन लफ्जों के फेयर, गुड कन्डीशन में लैन्ड लार्ड रखेगा। ७(ई) में पीरियाडिकल लफ्ज रखा गया है। मैं नहीं समझता कि इस पीरियाडिकल रिपेयर्स से सरकार का क्या मतलब है। मैं मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने व्याख्यान में इस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। इसके बाद मैं, ७ (ई) के ४, ५, ६ और ८ सब क्लाजेज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। चौथे क्लाज में कहा गया है कि अगर लैन्ड लार्ड सरसरी रिपेयर नहीं कराता है तो किरायेदार मुंसिफ के यहां दावा करे। फिर मुंसिफ लैन्ड लार्ड से पूछेगा कि क्यों नहीं मरम्मत कराते हो अगर मकानदार जवाब नहीं देता है तो मुंसिफ फिर हुकुम देगा कि जाओ मरम्मत कराओ अगर इस पर भी मकानदार मरम्मत नहीं कराता है तो मुंसिफ किरायेदार से एस्टीमेट मांगेगा फिर उसको मरम्मत कराने की इजाजत देगा। इसको एक पीरियाडिकल रिपेयर कहा गया है।

An appeal shall lie from the order of the Munsif under sub-section (5) or (6) as if it were a decree and the order passed in appeal shall be final.

यह जो प्रावीजन है, इसको देखने के बाद मुझे अपनी पहिली बात दुहरानी पड़ती है। सरकार बड़े अच्छे उद्देश्य से कानून बनाती है। वह गरीबों की सरकार है। हमारे मन्त्री महोदय वर्षों तक गरीबों के बीच में रहे हैं। उनके दुख दूर करने की चिन्ता उनको रहती है और उसके लिये वह कानून बनाते है। उन कानूनों को बनाने के पहिले उनके दुख से वह इतना पसीज जाते हैं कि वह बहुत जगह भूल जाते हैं यह देखना कि जो कानून बन रहा है उनसे उनका दुख दूर होगा या नहीं। मकानों को विन्ड प्रूफ होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए। दूसरी तरफ उसको करने के लिये मकान मालिकों को मजबूर किया जाता है तो वह प्रोसेस इतना लम्बा हो जाता है कि वह समस्या शायद हल ही न हो पाये। विन्ड प्रूफ और वाटर प्रूफ के लिये आप कहते हैं लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि वह अमल में आ भी सकता है या नहीं। पहिले किरायेदार मुंसिफ के यहां दरख्वास्त देगा, मकान मालिक को मुंसिफ बुलायेगा और तब फिर मुकद्दमा चलेगा। सबको मालूम है कि दीवानी के मुकदमें में कितना समय लगता है। पहिले तो सम्मन ही तामील करना मुश्किल हो जाता है और सम्मन मिलने के बाद भी तारीख पर तारीख बढ़ती चली जाती है। उसके बाद मान लीजिए मुकदमा चला और मुंसिफ ने हुक्म दिया कि मकान मालिक मरम्मत कराये। फिर मकान मालिक मरम्मत नहीं कराता है

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

तब क्या होगा। कियायेदार से एस्टीमेंट मांगा जायेगा। फिर भी मकान मालिक उसकी अपील कर सकता है। ख्याल कीजिए कि कितना अरसा इस बात के करने में लग जायेगा। हो सकता है कि तब तक वह मकान ही न रहे जिसकी मरम्मत के लिये दरख्वास्त दी गयी थी वह गिर कर मिट भी सकता है। तब तक मकान ही खत्म हो सकता है और किरायेदार भी उसी में दब कर मर सकता है। कहने का मन्शा यह है कि जिस मतलब से सरकार यह कानून बनाती है वह मतलब ही उतने समय में खत्म हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वह देख ले कि जिस मन्शा से वह कानून बना रही है हल हो रहा है या नहीं। लोग देखते हैं कि कानून में क्या क्या कमियां हैं जिनके रास्ते में वह निकल कर भाग सकते हैं। यह सब बातें सरकार जानती है और अगर सरकार नहीं जानती है तो बड़े अफसोस की बात है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह इतने बड़े प्रासेस के बजाय कोई छोटा प्रासेस रख दे जिससे कि काम आसानी से और जल्दी हो सके। इसके बजाय वह तरीका होना चाहिए कि किरायेदार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां दरख्वास्त कर सके और वह जो फैसला दे वह मानने के लिये मालिक मकान बाध्य हो मैं समझता हूं कि वह ज्यादा अच्छी और मुनासिब चीज होगी।

इन बातों के बाद मैं एक बात और अर्ज करूंगा वह यह कि जो कुछ हमारे माननीय राजाराम जी ने कहा और परमात्मानन्द सिंह जी ने कहा कि यह जितने भी कानून हैं वह थोड़े अन्शों में हमारी तकलीफ दूर करने वाले हैं। वह रोग हमारा है उसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार इन छोटी छोटी स्कीम्स के जरिये से, पैच वर्क के जरिये से काम करती है और इससे समझती है कि वह राष्ट्र की इमारत मजबूती से कर रही है। इससे कोई स्थायी फायदा नहीं हो सकता जिन स्कीमों के लिये कांग्रेस गवर्नमेंट और कांग्रेस की प्लानिंग कमेटीज बड़ा जोर देती थीं वह आज ५ साल के बाद कुछ भी नजर नहीं आती है। कहा जा सकता है कि सीमेंट नहीं है, लोहा नहीं है, लेकिन आखिर कौन जिम्मेदार है। यह काम ५ साल के बाद भी आज वैसा ही है जिस तरह से उसके पहिले था। बल्कि मैं कहूंगा कि शायद बढ़ रही है आज मकान के बनने की रफ्तार वह नहीं है जो लड़ाई के जमाने में थी। आखिर यह क्यों नहीं बढ़ायी जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि हम कोओपरेटिव स्कीम चालू करेंगे, चीफ हाउसिंग स्कीम चालू होने वाली है। लोन्स दिये जायेंगे। सुविधायें दी जायेंगी। मुझे मालूम है कि इस इरादे से कुछ कोओपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कायम हुई और उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन जब वे सरकार के पास पहुंची और सरकार से कहा कि उनको इमारती सामान के प्राप्त होने में सहायता दी जाय तो सिवाय इसके कि आपकी दरख्वास्त है हम विचार करेंगे और कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया और वह विचार फिर शायद कार्यरूप में कभी परिणत नहीं हुआ है। हर बात के लिये बहुत से कारण और दलीलें दी जाती हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या दरअसल सरकार इस बात के लिये सजग है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वह छोटे छोटे कन्ट्रोल और बिल से अपनी सफलता की आशा न रखे बल्कि कुछ और प्रगति करे।

डिप्टी चेयरमैन——मेरे पास तीन नाम हैं। पहिले मैं उनको समय दूंगा उसके बाद और जो सदस्य बोलना चाहें वे अपना नाम दे दें।

***डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप**——जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इस बिल को जो इस भवन के सामने पेश हुआ है, सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसमें कोई दो ख्यालात जाहिर नहीं किये जा सकते कि इस बिल की आवश्यकता इस वक्त है। मेरा तो यह तजुर्बा है कि जहां तक लैन्ड लार्डस और टेनेन्ट्स का ताल्लुक है न सब लैन्ड लार्डस ही खराब हैं और न सब-टेनेन्ट ही खराब हैं। लैन्ड लार्डस की तरफ से जहां ज्यादती होती है वहां टेनेन्टस की तरफ से भी ज्यादतियां होती हैं। हमारा फर्ज है कि अगर

---

* दस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

लैन्ड लार्ड को तकलीफ हो या टेनेन्ट्स को तकलीफ हो तो उसको दूर किया जाय । यह असली सवाल नहीं है असल सवाल यह है कि इसका हल कैसे हो । आबजेक्ट्स में कहा गया है कि शार्टेज आफ दि अकोमोडेशन है उसको दूर करने का क्या उपाय है, इस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए । पिछले बिल में कहा गया था कि जनवरी सन् ५१ के बाद जो कन्स्ट्रक्शन्स होंगे उन पर यह बिल लागू न होगा । तो इस पर देखना है गवर्नमेंट को, कि वह कन्स्ट्रक्शन बने या नहीं बने और अगर नहीं बने तो क्यों नहीं बने । अब अगर मान लिया जाय कि कन्स्ट्रक्शन बन गये तो मुनाफा क्या मिल गया । मुझे कानपुर की बात मालूम है, कानपुर में हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, एक रुपये में दो आना म्युनिसिपैलिटी को देना पड़ता है और अब यह मालूम हुआ है कि उसमें भी एक आने का इजाफा हो रहा है । इसके अलावा और भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं । इसका इलाज क्या है । गवर्नमेंट को कुल हाउसिंग स्कीम को अपने हाथ में लेना चाहिए । उसको चाहिए कि म्युनिसिपल बोर्ड तथा डेवेलपमेंट बोर्ड से भी इसका इन्तजाम कराये । कानपुर में वर्कर्स की तादाद काफी नम्बर में है । मैं समझता हूं कि वहां के वर्कर्स जो हजारों में हैं उनके लिये एक जमाने से सरकार चाह रही है कि मकानात बना दिये जायं । अगर डेवेलपमेंट बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बहुत से मकान इन लोगों के लिये बना दें तो यह दिक्कत दूर हो सकती है । मेरा कहना सिर्फ यह है कि गवर्नमेन्ट का मकान बनाने का तरीका कैसे हो और उसको दूर करने के लिये क्या तरीका है । अब मैं इस बिल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मैंने बिल को अच्छी तरह से पढ़ा । श्री राजा राम शास्त्री जी ने जो तकरीर की उससे मैं यह समझता हूं कि शायद वह किसी अदालत में टेनेन्ट की तरफ से बहस कर रहे थे । उन्होंने अपनी तकरीर में सिर्फ टेनेन्ट को फेवर किया है लेकिन लैन्ड लार्ड का कोई ख्याल नहीं किया । मैं कोई लैन्ड लार्ड नहीं हूं और न कोई उनसे वास्ता ही है लेकिन मैं समझता हूं कि हर इन्साफ पसन्द इन्सान का कर्तव्य है कि वह दोनों पहलू पर निगाह डाले । जहां तक टेनेन्ट और लैन्ड लार्ड का ताल्लुक है उसमें बहुत सी बातें राजा राम जी ने अपनी तकरीर में कही हैं । उन्होंने टेनेन्ट की ही तकलीफें बतायी लेकिन यह नहीं बताया कि लैन्ड लार्डस की क्या तकलीफ है ? मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह लैन्ड लार्डस की तकलीफों को देखें । माननीय मन्त्री जी ने भी अपनी तकरीर में कहा था कि सरकार इन पर विचार कर रही है और किसी वक्त अमेंडिंग बिल लायेगी । यह जो अमेंडिंग बिल आया है उसमें यह देखता हूं कि आपने लैटिगेशन का दरवाजा खोल दिया है । यह कहा जाता है कि इस सम्बन्ध में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला होगा उसकी अपील कमिश्नर के यहां होगी । इस सम्बन्ध में पहिले कमिश्नर के यहां अपील नहीं थी । अब इस अपील में यह है कि कमिश्नर को सिर्फ हियर करने का मौका है । लेकिन हियर करने के माने हम लोग यह समझते हैं कि डिसाइड करने में काफी वक्त लगेगा ? तो इसके माने साफ हो जाते हैं कि लैटिगेशन का आपने नया दरवाजा खोल दिया है । यही नहीं है बल्कि एक उसूल को भी छोड़ दिया है । कमिश्नर का जो फैसला होगा वह फाइनल नहीं होगा बल्कि वह सब्जेक्ट टू दि आर्डर आफ दि स्टेट गवर्नमेंट होगा । जहां तक स्टेट गवर्नमेंट के आर्डर का ताल्लुक है मैं तो समझता हूं कि यह बहुत डेन्जरस उसूल है इससे गवर्नमेंट की बदनामी हो सकती है । जो अदालत का फैसला होना चाहिए उसके लिये सरकार ने क्लाज ७-एफ में लिखा है उसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं ।

The State Government may call for the record of any case granting or refusing to grant permission for the filing of a suit for eviction referred to in section 3 or requiring any accommodation to be let or not to be let to any person under section 7 and may make such order as appears to it necessary for the ends of juctice.

इससे मालूम होगा कि सरकार अपने अख्तियार में वाइड पावर लेना चाहती है । इतनी वाइड पावर लेने से मैं कहता हूं कि दो खराबियां हो सकती हैं । एक तो यह

[डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप]

है कि जो मुरैल है वह कमिश्नर कोर्ट का हाई नहीं रह सकता है। मेरा तजुर्बा इसके बारे में यह है कि मैंने कानपुर में यह देखा है कि अक्सर पार्टी से सम्बन्ध रखने वाले वहां पहुंच जाते हैं और अपना असर डालने की कोशिश करते हैं । तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिये परेशानी हो जायेगी और तरह तरह के लोग पहुंचेंगे और कहेंगे कि कमिश्नर ने हमारे खिलाफ फैसला किया है, अब आपही हमारे अन्नदाता हैं, आपही हमें फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी गड़बड़ी होगी और कोई खास फायदा नहीं पहुंचेगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह क्लाज बिल्कुल निकाल दी जाय । क्योंकि इससे फैसले में काफी देर लगेगी और काफी परेशानी का सामाना करना पड़ेगा ? इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि एलाटमेंट आफिसर को पावर दी जाय तो उसके साथ उसका कुछ टाइम भी मुकर्रर कर देना चाहिए। तीसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक हो सके मकानों को विन्ड प्रूफ और वाटर प्रूफ होना चाहिए और उनकी मरम्मत का भी इन्तजाम होना चाहिए ।

"He must keep regular and accurate accounts and should furnish copy of the same to the landlord at his cost on request."

जहां तक रिपेयर का ताल्लुक है उसकी जिम्मेदारी उस पर है । किरायेदार को चाहिए कि वह मकान को उसी हालत में छोड़े जिस हालत में उसने मकान को किराये पर लिया था। एक वकील होने के नाते जहां तक मैं समझता हूं कि टेनेन्ट को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। इस के अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि मरम्मत के लिये जो एस्टीमेट बनाया जाय और जो तलब किया जाय "supported by vouchers" जब तक यह नहीं होगा और दूसरे जब तक लैन्ड लार्ड और टेनेन्ट दोनों की जिम्मेदारी नहीं रखी जायगी तब तक ठीक से काम न हो सकेगा ।

यहां पर उसका ख्याल रखना चाहिये और वह यह है कि लैन्ड लार्ड्स कोई ज्यादती न कर सके और टेनेन्ट भी कोई ज्यादती न कर सके बल्कि जो सरकार का मतलब है वह हल हो जाय । दूसरी बात यह है कि मेरे पास कानून भी इस वक्त मौजूद ह जहां पर कि टाइट विन्ड प्रूफ और वाटर प्रूफ की बात आई है। वह एक मसला पैदा होगा कि जिसके ऊपर कोई शख्स ख्याल नहीं कर सकता है। आखिर क्या नतीजा होगा । उसका नतीजा यह होगा कि खिलाफ राय जाहिर होंगी हर एक उसकी खिलाफत करेगा । और इसमें भी कोई शुभहा नहीं है कि सेक्शन १०८ जो क्लाज की है उसकी रू से विन्ड प्रूफ और वाटर प्रूफ या टाइट रखना टेनेन्ट का भी फर्ज हो जाता है। इन बातों का लिहाज करते हुये मेरा विचार तो यह है कि सरकार को इस तरफ ख्याल रखना चाहिये। मैं ज्यादा अर्ज करना नहीं चाहता । मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस क्लाज को जरूर डिलिट कर देना चाहिये जिसमें कि स्टेट गवर्नमेन्ट ने पावर अपने हाथ में ले रक्खा है उसमें ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि अपने ऊपर एक ऐसा बोझा ले लेना कोई ठीक नहीं है और दूसरे यह कि कल को आपको इसको कमेटी में रखना पड़ेगा और डिपार्टमेन्ट में भी आपका अनइम्पलाइमेन्ट का मसला दूर हो जायेगा। अगर इसको मद्दे नजर न रखा गया तो मैं समझता हूं कि खामखां का खर्चा बढ़ाने के लिये, जिम्मेदारी अपने ऊपर बढ़ाने के लिये गवर्नमेन्ट यह कदम उठायेगी और इसका नतीजा इससे ज्यादा नहीं हो सकता है । इन चन्द अलफाज के साथ मैं इस तहरीक की जो इस वक्त ऐवान के सामने है, ताईद करता हूं ।

श्री हृदय नारायण सिंह––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का ख्याल रखते हुये कि जो संशोधन विधेयक हमारे सामने रक्खा गया है आवश्यक और उपादेय है उसका स्वागत करता हूं और उसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं । आज लाखों की संख्या में जो किरायेदार जनता है वह इसके लिये बहुत ही आभारी होगी । आज की जो

मकानों की समस्या है वह बहुत ही विषम है और उसका निराकरण करने से और उन दिक्कतों को दूर करने से भी एक सन्तोष पैदा हो सकता है और इस तरह का काम करना सरकार का कर्तव्य होता है। बिल के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं से विचार किया गया है और सभा में समुचित लोगों ने अपने विचार इसके ऊपर प्रस्तुत किये हैं। मैं केवल दो बातों तक ही अपने को सीमित रक्खूंगा।

पहली बात तो यह है कि जो हाउस कन्ट्रोल कमेटी होती है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं वह अपने कर्तव्य को यहीं तक सीमित रखते हैं कि जो अप्लीकेशन्स उनके पास आयें उनका ठीक तरह से फैसला कर दें, मंजूर कर दे या नामंजूर कर दें। वह यह नहीं देखते हैं कि निवासस्थान किस प्रकार से बढ़ाये जा सकते हैं। मेरा विचार है कि निवास-स्थानों की वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि जौनपुर का सवाल है। मैंने देखा है कि वहां पर एक मिशनिरी सोसाइटी है और उसके पास कितने ही मकान हैं। उन सब मकानों में शायद एक ही मकान ऐसा है जो कि किराये पर उठा रक्खा है और जो अन्य मकान हैं वह मिशनिरी के अपने ही कब्जे में हैं। अनेकों लोगों की कोशिश होती है कि मकान उनको किराये पर मिल जायं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अप्लीकेशन्स भेजते हैं कि उनका कुछ हिस्सा किराये पर दिलाया जाय लेकिन कोई हिस्सा उसका नहीं दिलाया गया। इससे निवास-स्थानों की समस्या और भी कठिन होती है। इसके अलावा ऐसे बहुत से मकान हैं जो थोड़ी सी मरम्मत से रहने के काबिल हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि छोटे शहरों में या बड़े शहरों में या उनके बाहर ऐसे बहुत से बंगले हैं जो पुराने काल से बने हुये हैं और जिनकी अगर थोड़ी सी मरम्मत की जाय तो उसमें एक या दो परिवार अच्छी तरह से रह सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज हैं वह यह तै करायें कि जिनके मकान हैं वह उनकी मरम्मत कर दें तो मेरा ख्याल है कि जो समस्या इस समय अत्यन्त विषम रूप में उपस्थित है उसका थोड़ा सा समाधान हो जाय।

निवासस्थानों की यह समस्या कठिन से कठिनतर होती जा रही है। इसका कारण यह भी है कि सरकार ने आज बहुत से मुहकमें बढ़ा दिये हैं। मैं उनकी जरूरतों को मानता हूं। लेकिन जब सरकार ने इतने मुहकमें बढ़ाये हैं और जहां पहले ४ आफिसर थे वहां अब १४ हो गये हैं तो सरकार का यह भी फर्ज है कि वह उनको मकान दिलवाये। अभी जो बजट यहां पर पेश किया गया था उसमें यह कहा गया था कि ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है कि मकान बनाये जायेंगे। मेरे ख्याल में यह मकानों की समस्या पहले भिन्न-भिन्न जिलों में हल होनी चाहिये क्योंकि वहां जो भी आफिसर जाते हैं उनको मकान नहीं मिलते हैं। सरकार इस बात पर ध्यान देगी।

एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह विद्यार्थियों के सम्बन्ध में है। डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज का यह ख्याल मालूम होता है कि विद्यार्थियों को मकान की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि वे अपने माता-पिता के साथ ही रहते हैं। उनका कहना है कि जो शिक्षा संस्थायें हैं, वहां जो होस्टेल हैं उसमें ही उन विद्यार्थियों को रखने का प्रबन्ध हो सकता है। यह तो ठीक है मगर जो विद्यार्थी आज बी० ए० और एम० ए० की कक्षाओं में पढ़ने के लिये दूसरी जगह जाते हैं और वहां शहरों में रहते हैं तो उनके रहने का कोई प्रबन्ध नहीं है क्योंकि शिक्षा संस्थाओं के पास इतनी जगह नहीं है कि वे होस्टल में सब विद्यार्थियों को रख सकें, क्योंकि उनकी संख्या आज पहले के मुकाबले में काफी बढ़ गई है और उनको अब अथारिटीज उतनी सुविधा नहीं दे पाती। यदि आप आज विद्यार्थियों की तरफ से उनकी अर्जियां देखें और इस तरह के आंकड़े देखें कि उनको कितने मकान एलाट किये गये हैं तो सारे प्रदेश में उनके नाम शायद एक सौ मकान भी नहीं होंगे। मेरे ख्याल में विद्यार्थियों को इस तरह से नेगलेक्ट नहीं करना चाहिये और उनको जितनी थोड़ी सुविधायें हो सकती हैं वह इस सिलसिले में देनी चाहिये। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि वे हमारे यहां के नागरिक नहीं हैं।

[श्री हृदय नारायण सिंह]

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह अध्यापकों के बारे में हैं उनको भी मकानों की सुविधा आज नहीं है। जब एक जिले से दूसरे जिले में कोई सरकारी आफिसर ट्रान्सफर हो कर जाता है तो ऐसे अधिकारी को सरकार उसके पूर्वाधिकारी का मकान दे देती है मगर अध्यापकों के लिये ऐसी कोई सुविधा नहीं है। पहले से ऐसा उसूल चला आया है कि जिस वर्ग के व्यक्ति का कहीं ट्रान्सफर होता है तो उसको उसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा छोड़ा हुआ मकान दिया जाता है और दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर नहीं रखा जाता इस तरह की व्यवस्था अधिकारियों के लिये तो की जाती है [illegible]

[illegible] लने के व

से नही

ता है उस

[illegible] का मा

[illegible] चाहिये । [illegible] यहां दो कठिनाइयां हैं विद्यार्थियों और अध्यापकों की जिनको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उनकी कठिनाइयों के निवारण करने का सरकार प्रयत्न करेगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का, जो इस भवन के सामने है, समर्थन करता हूं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू--उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय भवन के सामने उपस्थित है मैं उसका समर्थन करन के लिये खड़ी हुई हूं। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने किरायेदारों और मालिक मकान दोनों का उचित रूप में ख्याल रखा है ऐसा अमेन्डमेन्ट किया गया है जिससे न तो किरायेदारों को ही नुकसान हो और न मकान मालिक को ही नुकसान हो। अभी हमारे भाई राजा राम जी ने दोष मकान मालिकों पर रखा है और किरायेदारों पर बहुत थोड़ा दोष रखा है। मैं कहती हूं कि जहां पर किरायेदार अच्छे हैं वहां कोई झगड़ा नहीं होता है और जहां मकान मालिक अच्छा है वहां भी कोई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन जहां दोनों में से कोई खराब होता है वहां तकलीफ होती है। यह तो सिद्ध है कि आज कल मकानों की कमी है और में आप को बताऊंगी कि किरायेदार मालिक मकान को बहुत परेशान करते हैं। एक मकान किराये पर एक किरायेदार लेता है, उसके बाद वह बिना मकान मालिक को बताये हुये और न अधिकारियों को ही बताये हुये दूसरा किरायेदार रख लेता है और फिर उससे मनमाना किराया वसूल करता है और इस तरह से वह अपनी आमदनी करता है और जब मालिक मकान कोई बात कहता है तो वह उसे जवाब देता है कि हम आपको तो किराया देते हैं आप को इससे क्या मतलब कि हमने दूसरे को उठा दिया है। दूसरा तरीका और परेशान करने का है। उनको यह मालूम है कि तीन महीने तक किराया न देने से मकान मालिक उन पर कोई नोटिस नहीं दे सकता है तो इसमें वह यह करते हैं कि तीन महीने तक मालिक को कोई पैसा नहीं देते हैं और जब चार महीने हो जाते हैं तो २ महीने का किराया दे देते हैं और उसके बाद फिर १ महीने का दे देते हैं। इस तरह से मकान मालिकों को किराया वसूल करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किराया वसूल नहीं हो पाता है। मैं यह नहीं कहती कि सभी किरायेदार ऐसे होते हैं। जैसा कहा गया कि थोड़े दिनों में ऐसा हो सकता है कि मकान किरायेदारों के हो जायं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुये ही आज कल यह हो रहा है कि मकानों की इतनी कमी होते हुये भी लोग मकान नहीं बनवा रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहती हूं आज यह कहा जाता है कि कानपुर के मिल मालिकों के मकानात हैं, तो मैं यह बता दूं कि सभी मिलमालिक ही नहीं हैं बल्कि कुछ ऐसे भी है जिनके एक या दो मकान हैं और जो उसी से अपनी जीविका चला रहे हैं उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति उसके बनाने में लगा दी और अब उसके किराये से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं वस्तुस्थिति यह है। जैसा कि डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप जी ने कहा कि एक रुपये में ३ आना तो हाउस टैक्स चला जाता है और वाटर टैक्स चला जाता है तो इस तरह से इतना तो इसमें निकल जाता है।

फिर उसके ऊपर इनकमटैक्स देना पड़ता है। इसमें यह भी रखा गया है कि २ महीने का किराया मकान की मरम्मत में लगाया जा सकता है। बताइये ३ महीने का किराया हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में खर्च हो गया। २ महीने का किराया मकान की मरम्मत में निकल गया और फिर भी अगर कोई दूसरा खर्च मकान के सिलसिले में हुआ तो मकान मालिक के पास क्या रह गया। जो पुताई पहिले ५० रु० में होती थी उसमें आजकल डेढ़, दो सौ रुपये लगते हैं किरायेदार की मांग होती है कि कमरे का फर्श नया बनवा दीजिए। चबूतरा बनवा दीजिये। बताइये उनकी सब मांगें कैसे पूरी की जा सकती हैं। मकान मालिक से जब मकान किरायेदार शुरू में लेता है तो ठोक बजाकर लेता है लेकिन बाद में ये सब मांगें पेश होने लगती हैं। इन सब बातों के होने की वजह से मकान मालिक के ऊपर मुसीबत आ जाती है। आप लोग समझते हैं कि किसी के पास मकान होना बड़ी भारी चीज है लेकिन मेरी समझ में वह एक बड़ी भारी मुसीबत की चीज है। अगर मकान मालिक कहीं बाहर चला गया तो वह मकान का किराया वसूल करने के लिए एक एजेंट मुकर्रर करे वरना उसका पूरा किराया ही नदारत हो जाय। १, २ महीने का किराया हड़प कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है मकान मालिक के न होने पर। कितनी मुसीबत होती है मकान मालिकों को, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे देश में मकानों की कमी है। एलाटमेंट आफिस में ज्यादातर मकान नम्बरवार ही एलाट होते हैं लेकिन जैसा कि राजाराम जी ने कहा कि अगर एक मेहतर भी हो तो उसको नंबरवार ही मकान ऐलाट होना चाहिये। दिक्कत यह होती है कि किराये का भी ख्याल रखना पड़ता है। मेहतर ज्यादा किराये का मकान क्यों लेने लगा। कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे न मकान मालिकों को शिकायत रहे न किरायेदारों को। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मकान ज्यादा से ज्यादा बन जायं। तभी ये दिक्कतें आसानी से दूर हो सकती हैं। मकानों का किराया भी कम हो जायगा अगर मकान काफी तादाद में बनने लगे। मैं इस अमेंडमेंट का जो सरकार यहां लाई है सच्चे दिल से समर्थन करती हूं और मैं चाहती हूं कि यह बहुत जल्द से जल्द लागू हो जाय। आज कल किरायेदार तो कहता है कि यह मकान भी थोड़े दिनों बाद चला जायगा जैसे जमींदारी खत्म हो गई है। यह हालत है किरायेदारों की। अगर कहीं ओनर को मकान में रहने की खुद जरूरत पड़ती है तो वह अक्सर मुकद्दमा नहीं दायर करता क्योंकि मुकद्दमेबाजी में उसका बड़ा समय नष्ट हो जाता है। ये सब मुसीबतें हैं मकान मालिकों की।

*श्री प्रभूनारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो रेन्ट कंट्रोल ऐण्ड इविक्शन बिल रखा है उसके सम्बन्ध में बोलते हुये इतना ध्यान रखना जरूरी है कि आज जो सरकार है या जो जनमत की सरकार कहलाती है, उसको क्या करना है। जनता की सरकार का फर्ज होता है कि वह मनुष्य की आवश्यक चीजों को मुहैया करे। खाने का सामान मिले, कपड़ा पहनने को मिले, उसे रोजी मिले, रहने के लिये मकान मिले, इसके साथ साथ उसकी शिक्षा का पूरा इन्तजाम हो। जब हम इन पांच मोटी बातों को मानते हैं तो लोकप्रिय सरकार का यह तरीका है और उनका यह कर्त्तव्य है कि वह इन चीजों की सुविधा जनता को दें, हमको इस बात को करने की जरूरत है। इस सिद्धान्त को मानना पड़ेगा कि हमको अपने सूबे म रहने वाले लोगों के लिये निवास-स्थान देना पड़ेगा। आज का जो सिलसिला है उस सिलसिले से बहुत दिन तक हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। जो हालत इन्सान की है उसको ऊपर उठाने की जरूरत है। इस सवाल को सोचें कि केवल शहरों में ही मकान का सवाल है, तो शहरों के साथ साथ देहातों में भी मकान का सवाल है। हम इस बात को नहीं कह सकते हैं और यह गैरजिम्मेदारी की बात होगी अगर हम यह कहें कि सरकार सबके लिये यक बयक मकान की व्यवस्था करे।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मकानों की समस्या है वह बहुत ही विषम है और उसका निराकरण करने में और उन दिक्कतों को दूर करने से भी एक सन्तोष पैदा हो सकता है और इस तरह का काम करना सरकार का कर्तव्य होता है। बिल के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं से विचार किया गया है और सभा में समुचित लोगों ने अपने विचार इसके ऊपर प्रस्तुत किये हैं। मैं केवल दो बातों तक ही अपने को सीमित रक्खूंगा।

पहली बात तो यह है कि जो हाउस कन्ट्रोल कमेटी होती है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं वह अपने कर्तव्य को यहीं तक सीमित रखते हैं कि जो अप्लीकेशन्स उनके पास आयें उनका ठीक तरह से फैसला कर दें, मंजूर कर दे या नामंजूर कर दें। वह यह नहीं देखते हैं कि निवासस्थान किस प्रकार से बढ़ाये जा सकते हैं। मेरा विचार है कि निवास-स्थानों की वृद्धि की जा सकती है। जैसे कि जौनपुर का सवाल है। मैंने देखा है कि वहां पर एक मिशनिरी सोसाइटी है और उसके पास कितने ही मकान हैं। उन सब मकानों में शायद एक ही मकान ऐसा है जो कि किराये पर उठा रक्खा है और जो अन्य मकान हैं वह मिशनिरी के अपने ही कब्जे में हैं। अनेकों लोगों की कोशिश होती है कि मकान उनको किराये पर मिल जायं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अप्लीकेशन्स भेजते हैं कि उनका कुछ हिस्सा किराये पर दिलाया जाय लेकिन कोई हिस्सा उनका नहीं दिलाया गया। इससे निवास-स्थानों की समस्या और भी कठिन होती है। इसके अलावा ऐसे बहुत से मकान हैं जो थोड़ी सी मरम्मत से रहने के काबिल हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि छोटे शहरों में या बड़े शहरों में या उनके बाहर ऐसे बहुत से बंगले हैं जो पुराने काल से बने हुये हैं और जिनकी अगर थोड़ी सी मरम्मत की जाय तो उसमें एक या दो परिवार अच्छी तरह से रह सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज है वह यह तै करायें कि जिनके मकान हैं वह उनकी मरम्मत कर दें तो मेरा ख्याल है कि जो समस्या इस समय अत्यन्त विषम रूप में उपस्थित है उसका थोड़ा सा समाधान हो जाय।

निवासस्थानों की यह समस्या कठिन से कठिनतर होती जा रही है। इसका कारण यह भी है कि सरकार ने आज बहुत से मुहकमें बढ़ा दिये हैं। मैं उनकी जरूरतों को मानता हूं। लेकिन जब सरकार ने इतने मुहकमें बढ़ाये हैं और जहां पहले ४ आफिसर थे वहां अब १४ हो गये हैं तो सरकार का यह भी फर्ज है कि वह उनको मकान दिलवाये। अभी जो बजट यहां पर पेश किया गया था उसमें यह कहा गया था कि ऐसा प्रबन्ध किया जा रहा है कि मकान बनाये जायेंगे। मेरे ख्याल में यह मकानों की समस्या पहले भिन्न-भिन्न जिलों में हल होनी चाहिये क्योंकि वहां जो भी आफिसर जाते हैं उनको मकान नहीं मिलते हैं। सरकार इस बात पर ध्यान देगी।

एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह विद्यार्थियों के सम्बन्ध में है। डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज का यह ख्याल मालूम होता है कि विद्यार्थियों को मकान की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि वे अपने माता-पिता के साथ ही रहते हैं। उनका कहना है कि जो शिक्षा संस्थायें हैं, वहां जो होस्टेल हैं उसमें ही उन विद्यार्थियों को रखने का प्रबन्ध हो सकता है। यह तो ठीक है मगर जो विद्यार्थी आज बी० ए० और एम० ए० की कक्षाओं में पढ़ने के लिये दूसरी जगह जाते हैं और वहां शहरों में रहते हैं तो उनके रहने का कोई प्रबन्ध नहीं है क्योंकि शिक्षा संस्थाओं के पास इतनी जगह नहीं है कि वे होस्टल में सब विद्यार्थियों को रख सकें, क्योंकि उनकी संख्या आज पहले के मुकाबले में काफी बढ़ गई है और उनको अब अथारिटीज उतनी सुविधा नहीं दे पाती। यदि आप आज विद्यार्थियों की तरफ से उनकी अर्जियां देखें और इस तरह के आंकड़े देखें कि उनको कितने मकान एलाट किये गये हैं तो सारे प्रदेश में उनके नाम शायद एक सौ मकान भी नहीं होंगे। मेरे ख्याल में विद्यार्थियों को इस तरह से नेगलेक्ट नहीं करना चाहिये और उनको जितनी थोड़ी सुविधायें हो सकती हैं वह इस सिलसिले में देनी चाहिये। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि वे हमारे यहां के नागरिक नहीं हैं।

[श्री हृदय नारायण सिंह]

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह अध्यापकों के बारे में हैं उनको भी मकानों की सुविधा आज नहीं है। जब एक जिले से दूसरे जिले में कोई सरकारी आफिसर ट्रान्सफर हो कर जाता है तो ऐसे अधिकारी को सरकार उसके पूर्वाधिकारी का मकान दे देती है मगर अध्यापकों के लिये ऐसी कोई सुविधा नहीं है। पहले से ऐसा उसूल चला आया है कि जिस वर्ग के व्यक्ति का कहीं ट्रान्सफर होता है तो उसको उसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा छोड़ा हुआ मकान दिया जाता है और दूसरा व्यक्ति उसकी जगह पर नहीं रखा जाता इस तरह की व्यवस्था अधिकारियों के लिये तो की जाती है मगर अध्यापकों को यह सुविधा न मिलने के कारण बहुत असुविधा हो जाती है। हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह से नहीं किया जाता है जैसे कि इन्सपेक्टर या डिप्टी इन्सपेक्टर जिसकी जगह पर जाता है उसको उसी का मकान मिल जाता है। इसी तरह से अध्यापकों को भी मकान मिलने चाहिये। तो यही दो किठनाइयां हैं विद्यार्थियों और अध्यापकों की जिनको माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि उनकी कठिनाइयों के निवारण करने का सरकार प्रयत्न करेगी। इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का, जो इस भवन के सामने है, समर्थन करता हूं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू---उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस समय भवन के सामने उपस्थित है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने किरायेदारों और मालिक मकान दोनों का उचित रूप में ख्याल रखा है ऐसा अमेन्डमेन्ट किया गया है जिससे न तो किरायेदारों को ही नुकसान हो और न मकान मालिक को ही नुकसान हो। अभी हमारे भाई राजा राम जी ने दोष मकान मालिकों पर रखा है और किरायेदारों पर बहुत थोड़ा दोष रखा है। मैं कहती हूं कि जहां पर किरायेदार अच्छे हैं वहां कोई झगड़ा नहीं होता है और जहां मकान मालिक अच्छा है वहां भी कोई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन जहां दोनों में से कोई खराब होता है वहां तकलीफ होती है। यह तो सिद्ध है कि आज कल मकानों की कमी है और मैं आप को बताऊंगी कि किरायेदार मालिक मकान को बहुत परेशान करते हैं। एक मकान किराये पर एक किरायेदार लेता है, उसके बाद वह बिना मकान मालिक को बताये हुये और न अधिकारियों को ही बताये हुये दूसरा किरायेदार रख लेता है और फिर उससे मनमाना किराया वसूल करता है और इस तरह से वह अपनी आमदनी करता है और जब मालिक मकान कोई बात कहता है तो वह उसे जवाब देता है कि हम आपको तो किराया देते हैं आप को इससे क्या मतलब कि हमने दूसरे को उठा दिया है। दूसरा तरीका और परेशान करने का है। उनको यह मालूम है कि तीन महीने तक किराया न देने से मकान मालिक उन पर कोई नोटिस नहीं दे सकता है तो इसमें वह यह करते हैं कि तीन महीने तक मालिक को कोई पैसा नहीं देते हैं और जब चार महीने हो जाते हैं तो २ महीने का किराया दे देते हैं और उसके बाद फिर १ महीने का दे देते हैं। इस तरह से मकान मालिकों को किराया वसूल करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और किराया वसूल नहीं हो पाता है। मैं यह नहीं कहती कि सभी किरायेदार ऐसे होते हैं। जैसा कहा गया कि थोड़े दिनों में ऐसा हो सकता है कि मकान किरायेदारों के हो जायं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुये ही आज कल यह हो रहा है कि मकानों की इतनी कमी होते हुये भी लोग मकान नहीं बनवा रहे हैं। एक बात में और बताना चाहती हूं आज यह कहा जाता है कि कानपुर के मिल मालिकों के मकानात हैं, तो मैं यह बता दूं कि सभी मिलमालिक ही नहीं हैं बल्कि कुछ ऐसे भी है जिनके एक या दो मकान है और जो उसी से अपनी जीविका चला रहे हैं उन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति उसके बनाने में लगा दी और अब उसके किराये से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं वस्तुस्थिति यह है। जैसा कि डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप जी ने कहा कि एक रुपये में ३ आना तो हाउस टैक्स चला जाता है और वाटर टैक्स चला जाता है तो इस तरह से इतना तो इसमें निकल जाता है।

फिर उसके ऊपर इनकमटैक्स देना पड़ता है। इसमें यह भी रखा गया है कि २ महीने का किराया मकान की मरम्मत में लगाया जा सकता है। बताइये २ महीने का किराया हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में खर्च हो गया। २ महीने का किराया मकान की मरम्मत में निकल गया और फिर भी अगर कोई दूसरा खर्च मकान के सिलसिले में हुआ तो मकान मालिक के पास क्या रह गया। जो पुताई पहिले ५० रु० में होती थी उसमें आजकल डेढ़, दो सौ रुपये लगते हैं किरायेदार की मांग होती है कि कमरे का फर्श नया बनवा दीजिए। चबूतरा बनवा दीजिये। बताइयें उनकी सब मांगें कैसे पूरी की जा सकती हैं। मकान मालिक से जब मकान किरायेदार शुरू में लेता है तो ठोक बजाकर लेता है लेकिन बाद में ये सब मांगें पेश होने लगती हैं। इन सब बातों के होने की वजह से मकान मालिक के ऊपर मुसीबत आ जाती है। आप लोग समझते हैं कि किसी के पास मकान होना बड़ी भारी चीज है लेकिन मेरी समझ में वह एक बड़ी भारी मुसीबत की चीज है। अगर मकान मालिक कहीं बाहर चला गया तो वह मकान का किराया वसूल करने के लिए एक एजेंट मुकर्रर करे वरना उसका पूरा किराया ही नदारत हो जाय। १, २ महीने का किराया हड़प कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है मकान मालिक के न होने पर। कितनी मुसीबत होती है मकान मालिकों को, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे देश में मकानों की कमी है। एलाटमेंट आफिस में ज्यादातर मकान नम्बरवार ही एलाट होते हैं लेकिन जैसा कि राजाराम जी ने कहा कि अगर एक मेहतर भी हो तो उसको नंबरवार ही मकान ऐलाट होना चाहिये। दिक्कत यह होती है कि किराये का भी ख्याल रखना पड़ता है। मेहतर ज्यादा किराये का मकान क्यों लेने लगा। कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे न मकान मालिकों को शिकायत रहे न किरायेदारों को। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मकान ज्यादा से ज्यादा बन जायं। तभी ये दिक्कतें आसानी से दूर हो सकती हैं। मकानों का किराया भी कम हो जायगा अगर मकान काफी तादाद में बनने लगे। मैं इस अमेंडमेंट का जो सरकार यहां लाई है सच्चे दिल से समर्थन करती हूं और मैं चाहती हूं कि यह बहुत जल्द से जल्द लागू हो जाय। आज कल किरायेदार तो कहता है कि यह मकान भी थोड़े दिनों बाद चला जायगा जैसे जमींदारी खत्म हो गई है। यह हालत है किरायेदारों की। अगर कहीं ओनर को मकान में रहने की खुद जरूरत पड़ती है तो वह अक्सर मुकद्दमा नहीं दायर करता क्योंकि मुकद्दमेबाजी में उसका बड़ा समय नष्ट हो जाता है। ये सब मुसीबतें हैं मकान मालिकों की।

***श्री प्रभूनारायण सिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो रेन्ट कंट्रोल ऐण्ड इविक्शन बिल रखा है उसके सम्बन्ध में बोलते हुये इतना ध्यान रखना जरूरी है कि आज जो सरकार है या जो जनमत की सरकार कहलाती है, उसको क्या करना है। जनता की सरकार का फर्ज होता है कि वह मनुष्य की आवश्यक चीजों को मुहैया करे। खाने का सामान मिले, कपड़ा पहनने को मिले, उसे रोजी मिले, रहने के लिये मकान मिले, इसके साथ साथ उसकी शिक्षा का पूरा इन्तजाम हो। जब हम इन पांच मोटी बातों को मानते हैं तो लोकप्रिय सरकार का यह तरीका है और उनका यह कर्त्तव्य है कि वह इन चीजों की सुविधा जनता को दें, हमको इस बात को करने की जरूरत है। इस सिद्धान्त को मानना पड़ेगा कि हमको अपने सूबे म रहने वाले लोगों के लिये निवास-स्थान देना पड़ेगा। आज का जो सिलसिला है उस सिलसिले से बहुत दिन तक हमारी गाड़ी आग नहीं जा सकती है। जो हालत इन्सान की है उसको ऊपर उठाने की जरूरत है। इस सवाल को सोचें कि केवल शहरों में ही मकान का सवाल है, तो शहरों के साथ साथ देहातों में भी मकान का सवाल है। हम इस बात को नहीं कह सकते हैं और यह गैरजिम्मेदारी की बात होगी अगर हम यह कहें कि सरकार सबके लिये यक बयक मकान की व्यवस्था करे।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभू नारायण सिंह]

इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आगे क़दम बढ़ाना चाहिये, वह ऐसा क़दम होना चाहिये कि हमारे सूबे में चाहे शहरों के रहने वाले लोग हों, चाहे देहात के लोग हों, सबके निवास की व्यवस्था हो। आज सरकार के पास इतना फाइनेन्स नहीं है, आज सरकार की ऐसी हालत नहीं है जो ऐसा कर सके। इसलिये कोई कंट्रोल लगाया जाय, जिस मकान में कोई रहता नहीं और जिसके पास ज्यादा मकान हैं और उसके रहने के बाद मकान बचता है तो उस पर कोई बन्धन लगाया जाय ताकि जिनके पास मकान नहीं हैं उनको रहने के लिये मकान मिल सकें। यह सोच कर मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि हम सबको जल्द से जल्द मकान दे सकें। आज जो कंट्रोल बिल हमारे सामने आया है जैसा कि और कंट्रोल बिलों के बारे में कहा गया है, हमारे माननीय मंत्री महोदय ने काफ़ी आंकड़े पेश किये, लेकिन अभी तक कम से कम अपने शहरों के अन्दर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिससे रहने के लिय मकान मिले। बनारस में मैं एक बात पाता हूं। शरणार्थी बस्तियों को छोड़कर बहुत कम ऐसे मकान बने हैं, जिसमें निम्न वर्ग की जनता के लिये निवास-स्थान की व्यवस्था की गयी हो।

यह प्रश्न इतना जटिल है कि इसकी ओर सरकार का ध्यान बड़ी तेजी से जाना चाहिये। जैसा मैंने पहले अर्ज किया मनुष्य के जीवन के लिये जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनमें निवास की भी व्यवस्था आती है। इसलिये उसकी ओर ध्यान देते हुये इस बिल का स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुय इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आखिर सरकार कौन से लोगों की हिमायत करती है। हमारे माननीय मन्त्री जी ने बिल के सम्बन्ध में बोलते हुये कहा कि सरकार सब वर्गों की हिमायत करती है। उन्होंने जो लोकतंत्र की चर्चा की और सब वर्गों की हिमायत के मुताल्लिक़ कहा उससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह जनता की सरकार है। क्योंकि जनता तो वह है जो ९९ फीसदी आज ग़रीब हैं और इस सूबे में है, चाहे वह देहात में हों, चाहे वह गांवों में हों या कहीं हिन्दुस्तान में हों, उनका मतलब होता है जनता का राज। लोकतंत्र के मतलब होते हैं उस ९९ फ़ीसदी जनता के साथ हमदर्दी करने से। लेकिन यह बात मैं यहां नहीं देखता और इसलिए यह सरकार जनता की सरकार नहीं हो सकती, बल्कि एक तरह से इस ओर दूसरे नारे पर आदर्श की बात कहकर टालना चाहते हैं। जब लोकतंत्र की कसौटी पर हम इसे देखते हैं तो यह उस खराद पर बिल्कुल नहीं उतराता है। अभी माननीया शिवराजवती नेहरू जी ने जो स्पीच दी है उसमें मालूम होता है कि जैसे कोई मकानदार संघ का प्रेसीडेन्ट तक़रीर करता हो। लेकिन वह कांग्रेस पार्टी की मेम्बर हैं। मैं उनसे उम्मीद करता था कि बिल में जो कमियां ग़रीबों के सम्बन्ध में, किरायेदारों के सम्बन्ध में हों उनकी ओर वह सरकार का ध्यान दिलायेंगी। खैर, जो बिल आया है उसका सम्बन्ध शहरों में रहने वाले ६०, ७० लाख आदमियों से है। उसमें आप देखें कि कितने लोगों के पास घर नहीं हैं। इस पर आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि अधिकतर इनमें से ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं हैं। इस सम्बन्ध में उनको जो कुछ रिलीफ़ सरकार की ओर से मिली है उससे इनकार नहीं है और उसके लिये सरकार को बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही यह भी कहूंगा कि मकानदारों के साथ जो उनकी तरफदारी की गई है वह चीज पसन्द नहीं है। और कम से कम ऐसी सरकार से जो जनता की सरकार होने का दावा करती है पहले बिल में था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इजेक्टमेंट के लिये इजाज़त लेनी पड़ेगी और यह १९४७ के बिल में था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार हो कि वह इस बात का फैसला दे। मैं यह मानता हूं कि आज अधिकतर आफिशल्स की मनोवृद्धि है कि वह खास तौर पर मकान मालिकों की तरफ़दारी करते हैं। वह ऐसे वातावरण में पले हुये हैं जिसमें कि जनता की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। माननीय मंत्री जी ने २ दिन पहले कंट्रोल बिल के सिलसिले में बोलते हुये कहा था कि मैं, एक समाजवादी हूं और इसलिये मैं कंट्रोल पर यक़ीन करता हूं। जब मंत्री जी ने यह कहा तब मैं समझता हूं कि वह अपनी बातों में स्पष्ट हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि

ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही जो है उनके लिये आपको मानना पड़ेगा कि उनको ग़रीबों की तरफदारी करनी चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि वह ग़रीबों की तरफदारी नहीं करते हैं वह अमीरों की तरफदारी करते हैं। अगर वह समाजवादी है तो ऐसी ब्यूरो-क्रेसी होनी चाहिये कि ग़रीबों की तरफदारी करें। ९९ फ़ीसदी जो ग़रीब जनता है उसकी तरफदारी करें। १ फ़ीसदी अमीर जनता की तरफदारी उनको नहीं करना चाहिये। समाजवादी का मतलब होता है कि वह उनकी मुख़ालिफत करता है जो समाज का शोषण करते हैं। अमीर लोगों के साथ उनकी हमदर्दी नहीं होनी चाहिये बल्कि ग़रीब जनता की तरफदारी करनी चाहिये। मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि यह जो नौकरशाही है वह अधिकतर मकान मालिकों की तरफदारी करती है।

मकान मालिक जब मैं कहता हूं तो मेरा मतलब टाटा और बिड़ला जैसे अमीरों से नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ उच्च मध्यवर्गीय लोगों से है, जिनके पास दस-दस मकान होते हैं। उनका समाज में असर होता है। बहुत से लोगों से ताल्लुक़ होता है। ऐसी सूरत में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला उनके हक़ में होता है। उनका फैसला उनके पक्ष में जाता है, जोकि मकान का मालिक होता है। यदि यह कहा जाय कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के फैसले की अपील करने का हक़ मकान मालिक को दिया जाये कि वह कमिश्नर के यहां अपील कर सके तो मैं समझता हूं कि इससे किरायेदार का और भी नुक़सान हो जायेगा। एक तो ज्यादातर फैसले मकान मालिक के हक़ में होते हैं और जो कभी भूले भटके किरायेदार के हक़ में हो जाये तो फिर उसकी अपील का हक़ मकान मालिक को हो जाता है कि वह कमिश्नर के यहां कर दे। मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला ही आख़िरी फैसला होना चाहिये।

दूसरी बात जो माननीय बृजेन्द्र स्वरूप जी ने कही, मैं उसका समर्थन करता हूं। सरकार को यह हक़ होना चाहिये कि वह किसी फाइल को मंगा ले। मेरे कहने का मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और आफिसर इस बात से डरते रहते हैं कि कहीं हमारी शिकायत मंत्री जी के पास न पहुंच जाय और वह फाइल मांग न लें। वह डरते रहेंगे कि वह किसी का पक्ष न करें और ठीक फैसला देने की कोशिश करेंगे। मैं यह बात मानता हूं कि सरकार को आफिसरों के फैसलों पर हस्तक्षेप न करना चाहिये।

उनके हाथ में क़ानून बनने के बाद लागू करने का अधिकार होना चाहिये। अब अगर हर एक फैसला आप करने लगेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ ग़लतफहमियां पैदा हो जायें। मेरे भी आप से ताल्लुक़ात हैं, कांग्रेसी भाइयों के भी ताल्लुक़ात हैं। मुमकिन है कि एक ही मामले में दोनों पहुंचें तो फिर इसमें बहुतों को प्रिजुडिस्ड होना पड़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस क्लाज को बिलकुल डिलीट कर दिया जाय जो बृजेन्द्र स्वरूप जी ने कहा है।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि एक फैसला जो मुंसिफ के यहां से हो जाय उसके बाद अपील की कोई गुंजायश न हो, जो ग़रीब हैं या जो ३० या ४० रुपया पाते हैं या जो छोटे छोटे लोग होते हैं इनको ही मकानों की जरूरत होती है। वह कहां तक मुक़द्दमेबाजी करेंगे। ऐसी सूरत में अगर मुंसिफ के फैसले के बाद अपील की गुंजायश रखी जाती है तो मुक़द्दमे बाज़ी बढ़ेगी। इसलिये मेरी राय है कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल के दोनों क्लाजेज को निकाल दिया जाय, ऐसा करने से लोगों की परेशानी कम हो जायगी। आज का मकान मालिक जानता है कि मकान खाली होने के बाद वह उसको अधिक किराये पर उठा सकता है। मैं यहां क्या ज़िक्र करूं, लेकिन कहना ही पड़ता है। अभी एक अफ़सर का बनारस ट्रांसफर हुआ। वहां उनको एक मकान एलाट हुआ लेकिन, मकान मालिक इसलिये हीला-हवाला कर रहा था कि उसको ५० रुपया चाहिये था और जब उन अफसर ने ५० रुपये देने का वादा कर लिया तब उनको पजेशन मिला। हालांकि क़ायदे से वह मकान ३५ रुपये का ही था। अगर आप इस सिद्धान्त को, इस बेसिस को मानते हैं कि जिनके पास निवासस्थान

[श्री प्रभूनारायण सिंह]

न हों उनको निवास-स्थान दिया जाय तो ज्यादा से ज्यादा क़ानून आपको उनके हक़ में बनाना चाहिये। अगर उनको, आपको फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है तो उनके पक्ष में आपको बहुत कुछ करना होगा। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में जो यह आशायश पैदा की गई है वह बहुत अच्छी है। रिपेयर्स के बारे में जो यह रखा गया है कि एक महीने की पूंजी से वह रिपेयर्स करा सकते हैं, जहां तक इस क्लाज का सवाल है मैं यह समझता हूं कि एक महीने का रिलीफ बहुत कम है। कम से कम ३ या ४ महीने का रिलीफ होना चाहिये था। अगर आपका यह सिद्धान्त है कि किरायेदारों को कुछ रिलीफ मिले तो आपका रिलीफ एफेक्टिव होना चाहिये। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो अच्छा है, लेकिन बावजूद इसके आपने रिलीफ किरायेदारों को दिया। माननीय राजा राम शास्त्री जी ने कहा कि जब मकान मालिक टैक्स नहीं अदा करते हैं तो नल म्यूनीसिपैलिटी वाले काट देते हैं। इसके बाद सेक्शन नाइन, सब सेक्शन ४ (फोर) को देखिये। इसमें बहुत सी सुविधायें किरायेदार को मिलती हैं।

If the District Magistrate, on inquiry finds that the tenant has been in enjoyment of the amenities and that they were cut off or withheld by the landlord without just or sufficient cause, he shall make an order asking the landlord to restore such amenities.

श्री राजाराम जी को मालूम होता है कि इसका पूरा ख्याल नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बिल से जो अमेनिटीज किरायेदार को मिलती हैं तो उन्हें कम करने के लिये कभी कभी लैन्ड लार्ड बहुत परेशान करते थे। इसके सम्बन्ध में उन्हें बहुत तकलीफ थी अब इससे कुछ राहत मिलती है इसलिये भी मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन स्वागत करते हुये मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिन जगहों पर उन्हें दिक्कत है और उनके हकूक मारे जाते हैं वहां पर आप ख्याल रखें। वे गरीब लोग हैं और मुकद्दमेबाजी नहीं कर सकते, निम्न मध्यम वर्ग के लोग और मजदूर लोग कैसे मुकद्दमेबाजी कर सकते हैं। लिटिगेशन करने में उन्हें बहुत खर्च करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े मकान मालिक हैं उनको परेशान करने से रोका जाय। इसमें शक नहीं कि कहीं कहीं किरायेदार भी खुद मकान मालिक को परेशान करते हैं, लेकिन वह बहुत ही कम हैं। अभी श्रीमती नेहरू जी ने कहा कि अगर कहीं अंग्रेजी चूल्हा बनाने का सवाल आ जाय तो वह नहीं रोकना चाहिए। मैं कहता हूं कि अब तो अंग्रेज चले गये हैं और जितने यहां रह गये हैं वह नहीं के बराबर हैं। मेरा तो ख्याल है कि कोई किरायेदार ऐसी बात को नहीं उठायेगा, लेकिन जो छोटे-छोटे किरायेदार हैं उनको रहने का हक है उनकी भी कुछ छोटी मोटी आशायश है और उनके लिये हम देखते हैं कि इस बिल में कुछ गुन्जाइश है। वह बहुत वाजिब और मुनासिब है। इन शब्दों के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अलाटमेंट के सम्बन्ध में भी दिक्कतें हो जाती है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अलाटमेन्ट के लिये अपलीकेशन तो बहुत पड़ती हैं, लेकिन नतीजा यह होता है कि किसी खास साहब को अलाटमेंट हो जाता है। यह भी कहा गया कि यदि कोई अच्छा मकान है और वह किसी चमार को अलाट हो गया और अलाट राजा साहब के नाम पर होना चाहिए था तो यह गलत बात है। राजा साहब को ही रहने का हक नहीं हैं, बल्कि उस चमार को भी है। इसमें यह देखना चाहिए कि उस किरायेदार की इतनी कैपेसिटी है कि वह इतना किराया दे सकता है। उसमें यह नहीं देखना चाहिए कि वह कौन है। यह दूसरी बात है कि आप किसी खास पर्पज या किसी पब्लिक पर्पज के लिये ले सकते हैं और उसके लिये प्रायरिटी का रूप भी दे सकते हैं, क्योंकि समाजिक कार्यों के लिये यदि ऐसी जगहों की आवश्यकता हो तो ऐसी सूरत में आप प्रायरिटी कर दें तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन प्रायरिटी के बाद यह होना चाहिए कि अप्लीकेशन के क्रम से ही मकान मिलें। यह होता है कि जो बड़ा

व्यक्ति होता है और उसका समाज में असर होता है वह कलेक्टर के पास जाता है और अपने असर से अलाटमेन्ट करा लेता है। जैसा हमारे साथी गुप्ता जी ने इस बात को अर्ज किया कि एक रजिस्टर होना चाहिए और जो अर्जियां जांय वह सब उसमें दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद जो प्रायरिटी तय हो जाय उसके अनुसार ही मकान मिलने चाहिए। इस तरह से मकान दिये जाने चाहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ दिक्कतें पैदा हों, लेकिन मकान किरायेदार की हैसियत से मिलना चाहिए।

इसमें दूसरा सवाल शिकमियों का है। जो मकान में बहुत दिनों से रहता चला आता है इस बिल के अन्दर उसके लिये कोई क्लाज ऐसा नहीं है। इसमें जरूर यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और लैन्ड लार्ड की परमिशन के बिना कोई शिकमीदार नहीं रख सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी मकान मालिक कभी नहीं चाहेगा कि शिकमीदार रखा जाय। अगर कोई किरायेदार एक सौ रुपया किराया देता है और वह शिकमीदार रखना चाहता है, जोकि ५० रु० दे दे तो ऐसी सूरत में मकान मालिक कभी उस शिकमीदार को नहीं आने देगा।

वह तो हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि जो १००, १०० रुपया महीना नहीं देते हैं उनको निकाल दिया जाय और उनकी जगह दूसरे किरायेदार आ जायें जो ज्यादा किराया दें। इस सिलसिले में मैजिस्ट्रेट को अधिक से अधिक अधिकार देना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बिल में कोई खास बात नहीं कही गई है कि जो पुराने शिकमीदार हैं उनको बेदखल न किया जाय। हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है कि कि चाहे आप सन् ५० रखें या इसके बाद रखें, लेकिन आपको यह जरूर तै कर देना चाहिए कि जो पुराने शिकमी हैं उनको बेदखल न किया जायगा। आगे जो शिकमी बनाये जायगें उनके लिए यहां पर कुछ सुझाव रखे गये हैं। हमारे भाई श्री परमात्मानन्द जी ने भी कुछ सुझाव दिये हैं। मकान मनुष्य के जीवन के लिए एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है, इसलिए उस पर सरकार को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके विषय में मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि जहां तक उनको ध्यान देना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं दिया है। मैं यह जानता हूं कि जिस समय हमारे हिन्दुस्तान का बटवारा हुआ, उस समय हमारी सरकार के सामने बहुत से सवाल थे, शरणार्थियों का सवाल था और दूसरे प्रश्न थे। मकानों की भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारी सरकार के सामने थी। मकानों की समस्या को हल करने के लिए कुछ सुझाव श्री परमात्मानन्द जी ने भी सदन के सामने रखे और उन्होंने कहा कि सरकार को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे जनता को आराम मिल सके। सरकार को चाहिए कि वह कुछ क्वार्टर्स बनवाये और लोगों को किस्त पर दे दे, १०,२० या ३० वर्ष में जब उनकी कीमत पूरी हो जाय, उस समय वह लोगों को दे दिये जायं। आपको इस के बारे में डिटेल में तै करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस समय मुल्क की हालत बहुत ही खराब है, आर्थिक हालत अच्छी नहीं है इस कारण से मुल्क में बहुत कम मकानात बन रहे हैं। गरीबों के पास रोटी कपड़े के लिए पैसा नहीं है, वह बेचारे मकान कहां से बना सकते हैं, आज कल मकान सिर्फ वही लोग बनवा रहे हैं जिन्होंने ब्लैकमार्केट से रुपया कमाया है। वही पूंजीपति लोग आज आलीशान इमारत खड़ी कर रहे हैं। आम जनता, मध्यम वर्ग के लोगों के पास आज इतना पैसा नहीं है कि वह आलीशान मकान तैयार कर सकें। आजकल जो हालत मकानों की हो रही है उस पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मकान बनवाने का समान जैसे ईंट और लोहा है उस पर सरकार ने कंट्रोल तो जरूर कर लिया, लेकिन फिर भी ५०, ५० और १०० रुपये तक बिक गईं। लोहे पर कंट्रोल था, लेकिन फिर भी लोहा कंट्रोल के दाम पर नहीं मिलता था। गरीबों के पास इतना पैसा नहीं कि वह ब्लैकमार्केट से चीजों को खरीद सकें और मकान बनायें।

[श्री प्रभूनारायण सिंह]

तो ऐसी सूरत में आज इन सामानों को सस्ता करने की जरूरत है। उन सामानों पर चाहें कंट्रोल लगाना हो, लेकिन वह कन्ट्रोल एफिशियेंट होना चाहिये। वह ऐसा होना चाहिये कि जिसमें जनता को विश्वास हो जाय कि इससे हमको राहत मिल सकेगी और हमको चीजों की कीमतें कम देनी पड़ेंगी। उसमें नौकरशाही की ओर से या चोर बाजारी की तरफ से लूट खसोट न हो सके। तो ऐसी सूरत में यह जरूरी है कि जनता को इस से राहत मिल सके इन शब्दों के साथ और इन संशोधनों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी रिलीफ मिले वही बहुत है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने जो वायदा किया है वह अगले सेशन में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जब कभी भी उनको सुविधा हो, इस बिल में अभी बहुत डिफेक्ट हैं तो उनको दूर करके और इस बिल का जल्दी से जल्दी सुधार करके और अन्य लोगों की राय लेकर इसे लायें, जिससे जो कुछ भी थोड़ी बहुत राहत जनता को मिलनी चाहिये, वह गरीब जनता को मिल सके।

श्रीमती तारा अग्रवाल--अगर समय हो गया हो तो मैं नहीं बोलूंगी।

डिप्टी चेयरमैन--आप अगर बोलना चाहती हैं तो मैं आपको समय दे सकता हूं, आप बोल सकती हैं।

श्रीमती तारा अग्रवाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि वैसे तो मेरी विशेष इच्छा नहीं थी कि इस बिल पर बोलूं, लेकिन अभी भाई प्रभुनारायण जी की स्पीच सुनने के बाद मेरी यह इच्छा हुई कि मैं भी इस पर कुछ अपने विचार प्रकट करूं। माननीय मंत्री द्वारा जो संशोधन विधेयक हाउस के सामने पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार अपने व्याख्यान दिये हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। कुछ ने तो किरायेदारों के पक्ष में और कुछ ने मकान मालिकों के पक्ष में अपने सुझाव पेश किये। मैं नहीं समझ पाती हूं कि कुछ वर्ष पहले जबकि मकान मालिकों को ज्यादा सुविधायें दी गई थीं, उस समय किरायेदारों की तरफ से बड़ा असन्तोष हुआ। उसके बाद जब संशोधन किये गये और किरायेदारों को सुविधायें दी गईं तो मकान मालिकों की तरफ से असन्तोष जाहिर किया गया। इस सरकार की दिक्कतों को महसूस करते हुये जब मैं यह देखती हूं कि वास्तव में जो संचालन करता है, जिसपर उसकी जिम्मेदारी होती है उसको वास्तव में बड़ी कठिनाई होती है और यह प्राब्लम इस बात से हल नहीं हो सकती है कि हम किरायेदारों के पक्ष में बोलें या कोई मकान मालिकों के पक्ष में बोलें। अभी भाई प्रभुनारायण जी ने कहा कि श्रीमती शिवराजवती नेहरू जब बोलीं तो मालूम ऐसा हुआ कि मकान मालिकों की प्रेसीडेंट होकर बोल रही हैं। मैं कहती हूं कि यदि उन्होंने यह सोचा तो उन्होंने बहुत दूर की सोची। हम चाहते हैं कि हम लोगों को कम से कम हर एक को कमेटी का प्रेसीडेन्ट होने का अवसर तो मिले। लेकिन उसके साथ-साथ मैं उनको यह भी बतलाना चाहती हूं, वास्तव में जो उनका ख्याल है, जिसको वह जनता कहते हैं, जिसको वह आम पब्लिक कहते हैं, जिनका वह हित चाहते हैं तो मकान मालिकों में सब करोड़पति या लखपती नहीं हैं, उनकी हालत ऐसी नहीं है, आज भी बहुत से मकान मालिक ऐसे हैं जो १०,१५ रुपये के किराये पर ही अपना जीवनयापन कर पाते हैं। आम तौर पर स्त्रियों को मैं देखती हूं, क्योंकि मैं भी स्त्रियों में काम करती हूं और कानपुर ऐसे विशाल नगर में जहां नाना प्रकार की फरियादें आती हैं, वहां मालिक मकानों की भी फरियादें आती हैं। बल्कि किरायेदारों की कम होती हैं और मालिक मकानों की ज्यादा होती हैं। वास्तव में हिन्दू धर्म में इस बात का ध्यान रक्खा जाता है कि अगर किसी का पुरुष न रहे तो कम से कम उस विधवा स्त्री के लिये एक मकान की सुविधा हो जाय, इस तरह के एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे मालिक मकान

मौजूद हैं। मैं समझती हूं कि इसी प्रदेश में होंगें जो १५,२० रुपये के किराये पर अपना जीवनयापन करती हैं तो क्या उनका जनता में शुमार नहीं है। मुझे पता नहीं चलता उनका हमेशा ध्यान चन्द इमारतों पर ही क्यों जाता है। वह बनारस के पंचमंजिली इमारतों को ही देखकर ही अपना विचार प्रकट करते हैं। लेकिन मैं कहती हूं कि जो असुविधायें मकान मालिकों की हैं और जो सुविधायें किरायेदारों को दी जा रही हैं उनका अभी भी निवारण नहीं हो सकता, जब तक कि मकानों की समस्या हल नहीं हो जाती और जब तक हमारे यहां मकानों की समस्या हल नहीं हो जाती तब तक न तो किराये-दार सन्तुष्ट हो सकते हैं और न मकान मालिक सन्तुष्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि हमारे प्रभुनारायण जी कहते हैं कि उनके समाजवादी नेता, आचार्य नरेन्द्र जी हैं और जिनका मैं बहुत आदर करती हूं, जिनका आधा फैजाबाद आबाद है यदि उनकी तरफ से कोई सफल योजना बना दी जाये तो उसका अनुकरण हमारी सरकार अवश्य कर लेगी।

तो आज इस तरह से प्लानिंग की आवश्यकता है और जैसा वह चाहते हैं वैसा ही गवर्नमेन्ट भी चाहती है तो दोनों को ऐसी बातें सामने रखनी चाहिये और उस समय यह नहीं सोचना चाहिये कि वह पक्ष की तरफ से हैं या विपक्ष की तरफ से, लेकिन जब तक आज मकानों को बढ़ाने की समस्या हल नहीं हो पाती, तब तक मकान मालिक या किरायेदार पर अधिक प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है और इस तरह से समस्या का हल नहीं निकलता है। मैं कहती हूं कि जैसा कि मकानों के बारे में अभी डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप साहब ने या डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने कहा यह मुझे ठीक याद नहीं है कि जिनके पास ४, ६ मकान हों उनसे उन मकानों को ले लिया जाय तो मैं कहती हूं कि अगर यह इस सदन की बात उन मकान मालिकों को मालूम होगी, जोकि आज नये मकान बना रहे हैं, तो वह मकान बनवाना छोड़ देंगे। तो आज हमें सबसे पहले मकानों की संख्या को बढ़ाना है जिससे कि गरीब लोग भी उसमें रह सकें और आज जिनके पास रुपया है वे ही इस कमी की पूर्ति कर सकते हैं। तो जिनके पास रुपया है उनको मकान बनाने की पूरी छूट दे देनी चाहिये और उस पर इन्कम टैक्स के आफिसरों द्वारा अधिक रुपये की छानबीन न करायी जाय तो इस तरह से देश के अन्दर जो बहुत सा रुपया है, वह मकान बनाने में लोग सर्फ करेंगे और इस तरह से मकानों की समस्या हल हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि मकानों के लिये जो जमीनें हैं वे अब सस्ती होनी चाहिये। अगर जमीनें सस्ती मिलने लगें तो जो हमारा मिडिल क्लास है वह भी मकान बनाने में अवश्य ही उत्साहित होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहती हूं कि कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड में यह हो रहा है कि ४ आने गज जो जमीन खरीदता है वह दो सौ ढाई सौ गज बेचता है। मिसाल के तौर पर अभी ४ आने गज डि० बोर्ड ने जो जमीन खरीदी थीं उसे उसने २२७ रुपये गज में बेचा है। तो इस तरह से काम करने से काम नहीं चल सकता है और इसके लिये बोर्ड पर नियन्त्रण रखना चाहिये कि किसी जमीन को वह ४ आने गज में खरीदे और उसको २५० रुपये गज बेचे। इस तरह से भी मकानों की असुविधा दूर नहीं की जा सकती है।

*स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सभी सदस्यों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुये बहुत सी बात कही मैंने सुना और जो आलोचनायें की गईं उनके सम्बन्ध में इतना समय नहीं है कि मैं सब का उत्तर दे सकूं, ताहम मैं उन प्रमुख बातों पर अवश्य कहूंगा जो सदस्यों ने इस सदन में कहीं हैं। इस बात का उत्तर कि सरकार की कोई नीति मकान निर्माण के सम्बन्ध में है या नहीं, मैं कल दे चुका हूं ताहम मैं मुनासिब समझता हूं कि फिर से सरकार की स्कीम घोषित कर दूं कि सरकार बराबर पिछले वर्ष से इस बात की चेष्टा में लगी हुई है कि वह इस प्रदेश में अधिक से अधिक मकान अपने द्वारा, म्युनिसपिल बोर्ड के द्वारा, कोआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, शूगर

---

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री]

फैक्ट्रीज के द्वारा और प्राइवेट इन्टरप्राइजेज के द्वारा बनवाये, क्योंकि वह यह महसूस करती है कि अधिक मकानों की आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुपात से प्रतिवर्ष मकान बन नहीं पा रहे हैं, मैंने परसों आंकड़े पेश किये थे सरकार की मकान निर्माण नीति के सम्बन्ध में। मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं, कि इस कि वर्ष सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है।

इस वर्ष सरकार, ८३७२ मकान पी० डब्लू० डी०, कोआपरेटिव सोसाइटीज, प्राइवेट इंटरप्राइज तथा जो रिफ्यूजी कालोनीज बन रही हैं, उसके अंतर्गत बनाना चाहती है। ये मकान १, ३४, ८२, ५०० रु० की लागत से बनेंगे। इसके अलावा सरकार ७५ लाख रुपया खर्च करके कानपुर, लखनऊ, आगरा में इंडस्ट्रियल लेबर के लिए इस वर्ष मकान बनाने की योजना तैयार कर रही है। जब इस वर्ष का बजट उपस्थित हुआ था, तब सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि मकान बनाने के सिलसिले में इस साल ७५ लाख रु० खर्च किया जाय। सरकार ने सब्सीडाइज्ड हाउसिंग स्कीम की भी एक योजना तैयार की है। इस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार से २ करोड़ रु० की मांग की गई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि १ करोड़ रु० तो दान के रूप में दे और १ करोड़ रु० सूद के रूप में दे। इस तरह से २ करोड़ रु० की लागत से सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद और दूसरे बड़े, बड़े शहरों में मकान बनायेगी। सरकार ने इस वर्ष कार्य आरंभ कर दिया है। इस योजना के अन्तर्गत कानपुर में ५० डार्मेटरीज, जिनमें ३६ क्वार्टर होंगे ,बनेंगे। इसी तरह से आगरे में भी ३ लाख ६० हजार रु० की लागत के क्वार्टर बनेंगे। इसी तरह से फिरोजाबाद में भी ११ लाख ४० हजार रु० की लागत के क्वार्टर बनेंगे। इसी प्रकार और और जगह भी क्वार्टर बनाने की योजना है। इस सिलसिले में खर्च की रकम करीब २ करोड़ के आती है, जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार से लिखा, पढ़ी हो रही है। सरकार उन स्थानों में भी जहां शुगर फैक्टरीज हैं, मकान बनवाने जा रही है। इस सिलसिले में भी कार्य आरम्भ कर दिया गया है। करीब ३०० मकान बन चुके हैं और इस वर्ष सरकार १५०० मकान बनवाना चाहती है। उम्मीद है वह भी कम्प्लीट हो जायेंगे। हम हर वर्ष के बजट में कुछ रुपया इस मद में रखते है। म्यूनिसिपैलिटीज के अन्तर्गत २० लाख रु० रखा गया है। म्युनिसिपैलिटीज ने ८, १० लाख रुपया लगाकर मकान बनवाये हैं। इस सिलसिले में हमें काफी दिक्कतें होती हैं और वे दिक्कतें कैश की होती हैं। अगर हम और आप इस बात की आशा करें कि जितने मकान इस प्रदेश के लिये जरूरी हैं उनको हम एक या दो वर्ष में बना डालें, यह संभव नहीं है। क्योंकि हमारे पास रुपया हो जाय तो हमारे पास सामग्री उन मकानों को बनाने के लिये नहीं होगी। हमें माल दूसरी जगहों से मंगाना पड़ता है, सीमेंट दूसरी जगहों से मंगाना पड़ता है। यह सब चीजें उस मात्रा में नहीं मिल सकतीं हैं, जिस मात्रा में मकान के लिये आवश्यकता है। एक सीमित मात्रा में सीमेन्ट और कोयला मिलता है। । बड़ी-बड़ी योजनायें हम कागज पर बना लें तो उनसे काम हल नहीं हो सकता है। जब आप सरकार के मकान निर्माण करने की नीति पर आलोचना करें तो उन दिक्कतों को सामने रख कर आप को आलोचना करना चाहिये और देशों में जैसी तरक्की हुई है, जहां उन देशों को भी ऐसे कार्य करने में वर्षों समय लगें हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहां दो या तीन वर्ष में सारी दरिद्रता दूर हो जाय, तो यह सम्भव नहीं है। यह समस्या ऐसी है कि यह आसानी से हल नहीं हो सकती है। मैं निवेदन करता हूं कि हमारी सरकार उन चीजों को सामने रखकर कार्य कर रही है और तरक्की करती जा रही है। मुझे विश्वास है कि जिस नीति को हमने उठाया है, उसमें इस सदन के सदस्यों का सहयोग रहेगा तो जैसा हमारी बहन श्रीमती तारा अग्रवाल ने बतलाया कि जो रुपया ज्यादा पड़ा हुआ है वह रुपया मकानों के बनवाने में लगाया जाय। सरकार ने जिस कार्य को हाथ में लिया है, उसको यह सम्भव नहीं है कि वह सारा मकान क्षण भर में

बना दे। पहली जनवरी सन् ५१ से सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि यह अधिनियम उन मकानों पर लागू नहीं होगा जो मकान प्राइवेट इन्टरप्राइज से बने हैं। हमने विधेयक के द्वारा संशोधन किया था। हमारा विश्वास है कि उत्तरोत्तर मकान बढ़ते जायगे। जब से हमने इस अधिनियम में तब्दीली की है तब से मकान अधिक बनने लगे हैं। १९५० ई० में कितने मकान बने थे, सन् १९५१ में कितने बने और ५२ में कितने बने हैं, मैं उनकी संख्या आप के सामने रखता हूं। उनसे पता चलेगा कि उत्तरोत्तर मकान हमारे यहां बढ़ते रहे हैं। जबसे हमने संशोधन किया है तब से वृद्धि हुई है। सन् १९५० में चार हजार या साढे चार हजार मकान बने, १९५१ ई० में ६ हजार मकान बने और जून सन् १९५२ तक पौने चार हजार मकान बने हैं। जब से हमने इस अधिनियम की तब्दीली की है, तब से मकानों के बनाने में वृद्धि होती चली जा रही है। हमें आशा है कि इस वर्ष भी पिछले वर्ष से अधिक मकान बनेंगे।

अब मैं उन बातों की ओर आता हूं, उन आलोचनाओं की ओर आता हूं जो इस विधेयक के सम्बन्ध में कही गई हैं। एक बात मैं साफ कह देना चाहता हूं, जिसका जिक्र मैंने विधेयक उपस्थित करते समय किया था। हमें मालूम है कि कुछ मकान मालिकों की यह शिकायत है कि वह समय से अपना किराया वसूल नहीं कर पाते। सरकार के पास प्रदेश के नगरों से बहुत सी विधवाओं की ओर से दरख्वास्तें आई हैं कि उनकी रोजी का जरिया महज मकान किराया ही है। जो कुछ उन विधवाओं ने लिखकर सरकार के पास भेजा है उसमें बहुत कुछ तथ्य है। हमारी बहन नेहरू ने अभी जो बात इस सदन के सामने मकान मालिकों की ओर से कही है वह मैं समझता हूं एक विधवा जिसकी आमदनी का और कोई जरिया नहीं है, जिसके पति नहीं है न लड़का है, उसका किराया समय से वसूल नहीं होता है, किरायादार दिक्कत पैदा करते हैं, उन दिक्कतों को इस सदन और सरकार को अपने सामने रखना चाहिये। उनकी वह बात सरकार के विचाराधीन है। इसीलिये मैं कहता था कि सरकार इस अधिनियम में कुछ और तब्दीलियां करना चाहती है, लेकिन वह संशोधन सरकार इस समय उपस्थित नहीं कर सकती क्योंकि ला आफिसर्स में कुछ मतभेद है और उन मतभेदों को अभी हम दूर नहीं कर पाये हैं, जिससे वह संशोधन इस विधेयक में नहीं आ पाय। लेकिन हम चाहते हैं कि २,४ इस सदन के सदस्य और २,४ उस सदन के सदस्य एक कमेटी के रूप में बैठें और हमें ऐसा सुझाव दें जिससे हम इस अधिनियम को किसी प्रकार संशोधित करें जिससे मकान मालिकों को और खास करके एक विधवा को अपना किराया समय पर मिल सके। इस सम्बन्ध में मैं यह घोषणा करता हूं कि सरकार एक कमेटी मुकर्रर करेगी और उसकी रिपोर्ट आने पर अपने ला आफिसर्स एक साथ बैठ कर सोचेंगे कि कौन सी सहूलियत उन विधवाओं को दी जाये और फिर उसको इस सदन में उपस्थित किया जायेगा। इसलिये उन बातों को जो मकान मालिक के किराया वसूल करने के सम्बन्ध में कही गई उनको मैं यहां नहीं रखूंगा। जब हम नये संशोधन इस अधिनियम में लायेंगे तब उस पर गौर होगा। श्री राजा राम शास्त्री ने स्वागत करते समय कुछ दिक्कतें किरायादारों के सम्बन्ध में, जो मकान मालिकों से उनको मिलती हैं उनका जिक्र किया, उन्होंने उन बातों का भी जिक्र किया, जो उन दिक्कतों को रफा करने के लिये संशोधन के रूप में इस विधेयक में रखी गई हैं। इसलिये मैं उनकी बातों का अब कोई उत्तर तो देता नहीं। उन्होंने सबसे बड़ी आलोचना जो सरकार के मकान बनाने की नीति के सम्बन्ध में किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया। हमारे दूसरे भाई श्री प्रभु नारायण जी ने आलोचना की कि सरकार ने सिर्फ मकान मालिकों की मनोवृत्ति और उनके हित में इस दफा तीन के परिवर्तन की बात सदन के सामने रखा है। जो नीति है वह मकान मालिकों को सुविधा देने की नीति को सामने रख कर किया गया है।

मैं नहीं जानता कि उनकी बातें कहां तक ठीक मानी जा सकती हैं। श्री राजा राम जी समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं। वह उस कमेटी के एक सदस्य थे, जिसने तमाम सिफारिशें रेंट कंट्रोल ऐक्ट के बारे में की थीं।

[स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री]

(इस समय चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)

उस कमेटी की यह सिफारिश थी कि दफा तीन इस तरह से बदल दिया जाये और वह सिफारिश मानकर दफा तीन इस तरह से बदली गई थी अब वह कहते हैं कि यह दफा तीन में जो तब्दीली की जा रही है वह लैंडलार्डस के हित में हो रही है और किरायेदारों के अहित में हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि जब राजाराम जी ने उस पर हस्ताक्षर किया था तो उन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण रक्खा था या नहीं और उनके दूसरे साथी को यह कहने का अधिकार नहीं है कि यह बात हमने सिर्फ मकान मालिकों के हित में ऐसा किया है। हमारा विश्वास है कि राजाराम जी ने न्याय संगत बातों को कमेटी में उपस्थित किया था और उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी न्याय संगत सिफारिशों पर ही किया था। यह जो दफा तीन का संशोधन है वह उसी कमेटी की सिफारिशों पर है, जिसके कि राजाराम जी मेम्बर थे, आधारित है प्रभूनारायण जी ने यह भी कहा है कि हमारे सरकारी कर्मचारी जितने हैं वह अमीरों का पक्षपात करते हैं और गरीबों का हमेशा अहित करते हैं। यह बात ऐसी लाई गई है जिसका उत्तर मैं क्या दूं। उनकी समाजवादी व्यवस्था में कौन काम करेगा क्या यह सरकारी कर्मचारी जो अभीतक काम करते आ रहे हैं वही काम करेंगें या नहीं। यदि वह कहते हैं कि यह सरकारी कर्मचारी हटा दिये जायेंगे तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह किस प्रकार का समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। क्या वह सब कर्मचारियों को निकालकर उसी शांतिमय ढंग से समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं, जिस प्रकार समाजवाद के बारे में वे भाषण देते हैं कि हम शांतिमय ढंग से समाजवाद स्थापित करेंगे। क्या वह शांतिमय ढंग छोड़कर उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं जो शांतिमय तरीकों को पसंद नहीं करते, आप उनका साथ छोड़ दीजिये क्योंकि आप कहते हैं कि आप शांतिमय ढंग से समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। जब आपको शांतिमय ढंग से चलना है तो यह कहना छोड़ दीजिये कि यह जितने सरकारी कर्मचारी हैं वह सब के सब अमीरों का पक्षपात करते हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है। आप सबको राजी करके उनको शिक्षा देकर ही तो सबको अपनी तरफ लाना चाहते हैं, नई व्यवस्था लादी नहीं जा सकती है और यदि लादी जायेगी तो उसका विरोध होगा। हमारा कहना है कि सरकारी कर्मचारी बदल रहे हैं और जो नहीं बदले हैं वह अब बदल रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में कोई सच्चाई नहीं है, उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने वेलफेयर स्टेट का जिक्र किया था और उन्होंने बड़े ऊंचे आदर्श और चन्द मौलिक बातों को सदन के सामने उपस्थित किया था। मैंने यह विधेयक एक सीमित कार्य के लिये सदन की स्वीकृति के लिये उपस्थित किया है। मैं उन बड़ी-बड़ी बातों को यहां पर न रखूंगा और न इस सदन को उन लम्बी बातों को हल करने का अधिकार है, जब तक वह विधान जो हमारे देश में चालू है, जिसके अन्तर्गत हम यहां बैठे हैं, कायम है। आज प्राइवेट प्रापरटीज को छीन लेने का हक हमको नहीं है। जब तक कान्सटीटयूशन आफ इंडिया इस देश में चालू है, तब तक उन लम्बी बातों को करना, जिनका जिक्र डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने किया है, सम्भव नहीं है। विधान प्राइवेट प्रापर्टीज को रखने की इजाजत देता है।

फिर एक बहन ने कहा कि लैन्डलार्डिज्म के माने क्या हैं। इसके माने क्या यह है कि एक आदमी जिसके पास ५० मकान हैं और जो उन्हीं की आमदनी पर रहता है या इसमें वह लोग भी आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से एक आध मकान अपने बीबी बच्चों के लिये बनवा दिया है। इस देश में बहुतसे आदमी ऐसे हैं, जिन्होंने एक-एक मकान अपनी गाढ़ी कमाई से बनवा दिया है और जो आज जीवित नहीं और अपनी बीबी बच्चों के लिये छोड़ गये हैं। क्या आप ऐसे व्यक्तियों को भी लैन्डलार्ड की श्रेणी में रख लीजियेगा। मैं अदब से कहूंगा कि दोनों श्रेणी के व्यक्ति

एक ही श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं। अधिकांश कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से एक-एक मकान बना लिया है और चूंकि वह अधिक दिन एक जगह पर नहीं रहने पाते और जब वह चले जाते हैं तब उनका मकान किराये पर उठा दिया जाता है। लेकिन जब वह नौकरी से इस्तीफा देते हैं या अलग होते हैं और वह अपने मकान में रहने के लिये आते हैं फिर लौट कर, तो क्या वह भी लैन्डलार्डिज्म की श्रेणी में आते हैं। कौन सा समाजवाद इस तरह के लोगों को भी मकान रखने की इजाजत नहीं देता है। आज कम्युनिस्ट भी इस बात को मानते हैं तो फिर अगर आप लैन्डलार्डिज्म की परिभाषा करें तो सोच समझ कर करना चाहिये, किन आदमियों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। सरकार जो बात करना चाहती है वह न्यायसंगत करना चाहती है। अगर कानून बनाकर ऐसे व्यक्तियों या विधवाओं को सरकार सहायता देती है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह पूंजीपतियों की मदद की जा रही है, मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जितने संशोधन इस विधेयक में उपस्थित किये गये हैं वह न्यायसंगत होने के नाते किये गये हैं। वह इस नीति को मानकर किये हैं कि किसी के प्रति अन्याय न हो और वह नीति जब जब हम संशोधन लायेंगे, हमारी रहेगी।

बहुत सी बातें अलाटमेंट के सिलसिले में कही गई। गुरु नरायन जी ने शिकायत की है कि अलाटमेंट करने में बहुत देर हो जाती है और देर हो जाने के कारण दो या एक महीने का जो समय लग जाता है, उसका किराया मकान मालिक को नहीं मिलता है, यदि उन्होंने हमारे अधिनियमों का अध्यन किया है और जो इसके अधिनियम साया कर दिये गये हैं तो शायद उनको यह आलोचना करने का मौका नहीं होता। यदि वह अधिनियमों को देखेंगे तो उन रूल्स को देखने से उसमें यह साफ जाहिर कर दिया है कि जब मकान खाली हो गया और ७ दिन के अन्दर मकान मालिक ने सूचना दे दी, उसके एक महीने के अन्दर अलाटमेंट जरूर होना चाहिए। इसमें लिखा है :--

If the landlord receives no notice from the District Magistrate within thirty days of the receipt by District Magistrate of the intimation given by the landlord under section 7 (1) (*a*), the landlord may nominate a tenant and the District Magistrate shall allot the accommodation to his nominee, unless, for reasons to be recorded in writing, he forthwith allots the accommodation to any other person.

The allottee shall, unless he intimates in writing to the District Magistrate his refusal to accept the accommodation within seven days of the receipt of the order, be liable for rent from the date of allotment.

तो हमने जो रूल्स इस अधिनियम के अन्तर्गत बना रखे हैं उसमें यह अधिकार दे रखा है कि उस अलाटी को किराया उस तारीख से देना पड़ेगा, जिस तारीख से अलाटमेंट हो जायेगा। यह भी शिकायत की गई है कि कभी-कभी अलाटमेंट ऐसे आदमियों के नाम हो जाता है, जिनको ओनर नहीं चाहते हैं और खासकर ऐसे मकानों में जिनमें कि ओनर खुद भी रहते हों। इस सिलसिले में हमने नियम बना रखे हैं। उनके अन्तर्गत जिला मैजिस्ट्रेट का यह फर्ज होता है कि वह ओनर से पूछे कि किस व्यक्ति को अपने साथ मकान के बाकी हिस्से में रखोगे। वह स्थिति अब हमने आर्डर्स के अन्दर दे रखी है। यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो अधिनियम के अन्तर्गत और रूल्स बन सकते हैं। सदन जो सुझाव देगा सरकार उन पर सहानुभूति से विचार करेगी और उस सिलसिले में रूल्स बनायेगी। प्रायरिटी के मसले को भी बहुत से साहबान ने यहां पर उठाया। श्री गुप्ता जी ने और श्री प्रभुनारायण सिंह जी ने खास तौर से इसे उठाया। जहां तक मकानों में प्रायरिटी देने का सवाल है यद्यपि सरकार ने ऐसे आर्डर्स नहीं किये हैं, लेकिन सरकार अवश्य ऐसे नियम बना सकती है और इस प्रकार के आदेश जिलाधीशों को दे सकती है, जिससे पूरी प्रायरिटी ध्यान में रखी जाय। तब भी चेष्टा की जाय कि जिन लोगों को बहुत दिनों से मकान नहीं मिले हैं, उनको मकान मिलना

[स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री]

चाहिए। इस वक्त प्रायरिटी का सवाल क्यों नहीं मंजूर किया जा सकता है, उसका भी कारण बतला दूं। बहुत से सरकारी कर्मचारी आते जाते रहते हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है कि उन्हें मकान दे। वह जिम्मेदारी समझती है कि ऐसे व्यक्तियों को आराम में रख कर उन्हें काम करने का मौका दे। अगर कोई सरकारी कर्मचारी बदलता है और नयी जगह पर यदि हम उसको मकान नहीं देते हैं तो उस कर्मचारी से आशा नहीं कर सकते हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी को निभाये और अपना काम पूरा कर सके। इसलिये हमें सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, उस समय ऐसे व्यक्ति जो लिस्ट पर पहले से चले आ रहें हों उनको मकान नहीं दे पाते हैं। कभी कभी जन हित में भी मकान देना पड़ता है। यदि किसी स्थान में विद्यार्थी ज्यादा हैं और उनके लिये होस्टल में जगह नहीं है तो उन्हें प्राथमिकता देंगे और वह ऐसे व्यक्ति के हक के मुकाबिले में देगें, जो व्यक्ति पहले से मकान प्राप्त नहीं कर सका है। इसी तरह से गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के कुछ लोग होते हैं जिनको मकान पहले देना होता है। यदि हमारे यहां ड्रग इन्स्टीट्यूट बनता है तो उसके लिये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो उसमें प्रमुख व्यक्ति हों, उनके रहन-सहन का इन्तजाम करें।

जहां पर इन्डिवीजुअल वितरण का सवाल है, वहां उस व्यक्ति को मकान पहले दिया जायगा, जिसका हक पहले है। ऐसे आदेश जिलाधीश के पास हैं कि उस व्यक्ति को मकान अवश्य दिये जायं। डा० बृजेन्द्र स्वरूप जी ने भी अपने कुछ एतराज पेश किये कि कमिश्नर को रेंट कंट्रोल और इविक्शन के सिलसिले में कागजात मंगाने में दिक्कत होती है। इस आलोचना का समर्थन श्री प्रभुनारायण सिंह जी ने भी किया कि सरकार के कर्मचारी केवल पूंजीपतियों का ही ध्यान रखते हैं और सारी कार्यवाही उन्हीं के पक्ष में करते हैं। मैं आप को बतला देना चाहता हूं कि उन लोगों के कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए हमने ऐक्ट की दफा ३ में तब्दीली की है। इस के बारे में मैं आपको एक वाकिया बता देना चाहता हूं। वह यह है कि आपही के कुछ भाई इलाहाबाद से शिकायत लेकर आये कि वहां के कमिश्नर और कलेक्टर ने हमारे साथ बेइन्साफी की है। हमने उनकी शिकायत को सुना और देखा तो वाकई में कलेक्टर और कमिश्नर की गलती थी। हमने उसमें हस्तक्षेप करना चाहा तो कलेक्टर और कमिश्नर ने कहा कि इसमें सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। वह मामला ऐसा था कि जिसमें कुछ सच्चाई थी। सरकार ने आखीर में उस वक्त लिखा पढ़ी करके उस मामले को तय कर दिया। इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने इसमें तब्दीली की है। लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार ने ऐसा किया है। ऐसे जो वजूहात हैं, उन वजूहात की बिना पर सरकार एतराज कर सकती है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—उदाहरण के लिए ऐसे क्या वजूहात हैं।

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—उदाहरण यह है कि एक आदमी है और वह मकान के लिए बहुत परेशान है और उसको मकान मिलना बहुत जरूरी है। ऊपर से नीचे तक कहीं भी उसकी रक्षा नहीं होती है तो सरकार का कर्तव्य होता है कि वह उसकी मदद करे और उसके लिए मकान का इन्तजाम करे और उसको मकान में रहने की इजाजत दे।

मैंने थोड़े शब्दों में सभी बातें, जिनका उत्तर नहीं दिया है, बता दी हैं। मोटी-मोटी बातें जो कहीं गई हैं उनका भी उत्तर दे दिया और मैं समझता हूं कि जो संशोधित विधेयक मैंने इस सदन में उपस्थित किया है वह काफी दूर तक उन लोगों को राहत पहुंचायेगा, जिनको राहत देने की जरूरत है। किरायेदारों को भी और मकान मालिकों को भी थोड़ी बहुत इससे राहत मिलेगी। और बातें जो बाकी रह गई हैं वह

उन संशोधनों द्वारा प्रदान की जायेंगी, जिनका जिक्र मैंने सदन के सामने कर दिया है, मुझे विश्वास है कि यह सदन अपनी स्वीकृति इस विधेयक को प्रदान करेगा।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २—५

२—यू०पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७, (जिसको यहां आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (४) में अंक "1952" के स्थान पर अंक "1954" रखा जायगा।

मूल अधिनियमकी धारा १ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (a) के बाद निम्नलिखित खंड (aa) बढ़ा दिया जायगा –

"(aa) Commissioner includes an Additional Commissoner"

मूल अधिनियमकी धारा २ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३ इस धारा की उपधारा (१) के रूप में पुनःपरिगणित की जायगी और

(क) शब्द "No suit shall" के पहले शब्द

"Subject to any order passed under sub-section (3)"

बढ़ा दिये जायेंगे :

(ख) निम्नलिखित उपधारायें (२) से (४) तक बढ़ा दी जायेंगी :—

मूल अधिनियमकी धारा ३ का संशोधन

"(2) The party aggrieved by the order of the District Magistrate granting or refusing to grant the permission referred to in sub-section (1) may, within 30 days from the date of the order or the date on which it is communicated to him, whichever is later, apply to the Commissioner to revise the order.

(3) The Commissioner shall, as far as may be, hear the application within six weeks from the date of its making and if he is satisfied that the District Magistrate has acted illegally or with material irregularity or has wrongly refused to act, he may confirm or set aside the order of the District Magistrate.

(4) The order of the Commissioner passed under sub-section (3) shall subject to any order passed by the State Government under section 7-F be final.

५—(१) मूल अधिनियम की धारा 3-A की उपधारा (१) में शब्द sub-clause (ii) of clause 3 के स्थान पर "under clause (2) or (3)" रख दिये जायेंगे।

(२) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (b) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :–

मूल अधिनियम की धारा ३–ए का संशोधन।

"(b) If it is accommodation—

(i) falling under clause (2) or sub-clause (i) of clause (3) of sub-section (f) of section 2, the principles therein set forth, and

(ii) falling under sub clause (i) of clause (3) of sub-section (f) aforesaid, the principles set forth in clause (a) of sub-section (1) of section 6"

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड २ से ५ तक इस विधेयक का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर नई धारा ७ का रखा जाना।

६--मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा:--

"7. (1) (*a*) Every landlord shall, within 7 days after an accomm dation becomes vacant by his ceasing to occupy it or by the tenan vacating it or otherwise ceasing to occupy it or by termination of tenancy or by release from requisition or in any other manner whatsoeve give notice of the vacancy in writing to the District Magistrate.

(*b*) Every tenant occupying accommodation shall, within 7 days of vacation of such accommodation or ceasing to occupy it give notice there of in writing to the District Magistrate.

(*c*) The notice given under clause (*a*) or (*b*) shall contain such parti culars as may be prescribed.

(2) The District Magistrate may by general or special order requir a landlord to let or not to let to any person any accommodation which i or has fallen vacant or is about to fall vacant.

(3) No tenant shall sub-let any portion of the accommodation in his tenancy except with the permission in writing of the landlord and of the District Magistrate previously obtained.

(4) The District Magistrate may, on application made to him by the landlord, require a prospective tenant of any accommodation in respec of which an order is made under this section to pay to the landlord an advance of rent equal:

(*a*) to one month's rent where the accommodation is to be let on a monthly basis, and

(*b*) to one half of the yearly rent where the accommodation is to be let on yearly basis.

Explanation--For purposes of this section the word "let" shall include the word "sublet."

Sri Kunwar Guru Narain: Sir, I beg to move that the following new clause be added to the proposed section 7 (2).

"In making the first allotment the District Magistrate shall allot it to the owner if the owner, not being in occupation of any other house owned by him in that municipality or other contiguous area to which the Act applies, genuinely requires such accommodation for his personal use".

श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है कि यह संशोधन जो मैंने रक्खा है, जब सन् ४७ का ऐक्ट पास हुआ उस वक्त भी यह मौजूद था जोकि मैंने रक्खा है। सन् ४८ में भी यह ऐक्ट अमेंड हुआ तब भी इतना हिस्सा मौजूद था। केवल इस मर्तबा जो अमेंडिंग बिल है उसमें यह नहीं रक्खा गया है। इस सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसके पास वाकई एक ही घर है और शहर में उसका कोई दूसरा घर नहीं है तो ऐसी हालत में अगर ओनर आफ दि हाउस को मकान न मिले तो उसके लिये बड़ी दुश्वारी हो जायगी या बहुत से लोग जो सर्विस में रहते हैं या दूसरी जगहों

में होते हैं और उनका शहर में मकान होता है और बाहर अपने काम में चले जाते हैं और जब रिटायरमेंट के बाद आते हैं तब तो उनको अपना मकान मिलना चाहिये। तो इसमें मैंने यह रक्खा है कि जब ऐसे मकानों का एलाटमेंट किया जायेगा तो डिस्ट्रिक्ट मैजिजिस्ट्रेट का फर्ज होगा कि वह पहले यह पता चलाये कि उसके ओनर के पास कोई दूसरा मकान तो नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसी सूरत में उसको पहले प्रीफरेन्स (preference) दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन है उसको माननीय मंत्री स्वीकार करें। मैं यह भी बता दूं कि माननीय मंत्री जी की ऐंक्जाइटी और डिफिकल्टी को हम जानते हैं और वह यह ख्याल करें कि जब यह पास हो जायेगा तब क्या होगा। यहां से यह दूसरे भवन में जायेगा और इस तरह काफी देर भी इसमें हो सकती है। इसके बाद माननीय मंत्री जी यह सोचें कि जब गवर्नमेन्ट इसके लिये कमेटी बनाये तब यह हो सकता है। लेकिन दोनों हाउस (विधान मंडल) तो अब भी चल रहे हैं और यह अमेंडमेंट जो है इससे इसमें कोई देर नहीं होगी और मेरा विचार है कि मेरा अमेंडमेंन्ट उचित है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मंजूर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं।

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कुंवर गुरु नारायण जी ने उपस्थित किया है, मैं उसे अनावश्यक समझता हूं। इसका कारण यह है कि यदि उन्होंने इसका अध्ययन किया होता कि दफा १७ के अन्तर्गत जो रूल हैं वह इसी के लिये बनाया गया है और यदि वे इसका अध्ययन करते तो वे अपने इस संशोधन को उपस्थित न करते। जो दफा, रूल १७ में बनायी गयी है तो उसमें साफतौर से दफा ६ में यह लिखा हुआ है कि "When the District Magistrate is satisfied that an accommodation which has fallen vacant or is likely to fall vacant is *bona fide* needed by the londlord for his own personal occupation, the District Magistrate may permit the landlord to occupy himself."
तो यह बात इस दफा में रख दी गई है। तो उनका यह कथन कि इस तरह की धारा जिसका उन्होंने जिक्र किया पहले सन् ४७ के कानून में थी और अब नहीं है ठीक नहीं मालूम पड़ता। तो ४७ के कानून में यह था और सन् ४६ के पहले जितने मकान ऐसे हो उनमें यह था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको प्राथमिकता दे। लेकिन अब जो नये मकान बन रहे हैं वे सारे मकान उससे फ्री कर दिये गये हैं। और वे मकान मालिक अपने पास वैसे ही रख सकते हैं। तो आज की बात में वे सब सुविधायें मकान मालिक को मिलनी चाहिये और वह हमने जो दफा १७ के अन्तर्गत नियम ६ बनाया है उससे वे अधिकार मकान मालिकों को प्राप्त हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--रूल ६ को फिर पढ़ दीजिये।

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री--
"When the District Magistrate is satisfied that an accommodation which has fallen vacant or is likely to fall vacant is *bona fide* needed by the landlord for his own personal occupation, the District Magistrate may permit the landlord to occupy himself."

तो इसमें वे अधिकार उनको प्राप्त हैं और जो बातें इसमें हैं अगर वह उनको पूरा कर दे तो इस दफा ६ के अन्तर्गत जो नियम है वह यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देता है कि वह उस हाउस को जो कि उसका ओनर है इस प्रकार की इजाजत दे दे कि वह उसमें रहें यदि उसके पास कोई और मकान नहीं है। तब तो इस संशोधन की आवश्यकता भी नहीं मालूम होती।

श्री कुंवर गुरु नारायण--जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया, वह सही है लेकिन जो रूल में है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ही डिसक्रिशन पर है और उसको अधिकार है कि वह चाहे उसे दे या न दे। तो यह जो संशोधन मैंने पेश किया है वह इसलिये कि इस तरह से उसे देना पड़ेगा।

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री--मैं तो यह समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहले तो नियमों का उलंघन नहीं करेगा और फिर उसके बाद मकान मालिक को अधिकार है कि वह अदालत में कमिश्नर के पास जा सकता है और उससे अपील कर सकता है कि मेरे पास एक ही मकान है और मुझे इस मकान की जरूरत है। तो इस तरह से कोई कमिश्नर उसके अधिकार को खारिज नहीं कर सकता है।

Chairman: The question is that the following be added as a new clause to the proposed section 7(2):

"In making the first allotment the District Magistrate shall allot it to the owner if the owner, not being in occupation of any other house owned by him in that municipality or other contiguous area to which the Act applies, genuinely requires such accommodation for his personal use. "

(The question was put and negatived)

श्री कुंवर गुरुनारायण--मैं, श्रीमान् जी की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि

"In the proposed section 7(4) line 2, *delete* the word "prospective"

श्रीमन्, इस संशोधन को उपस्थित करने से मेरी मन्शा यह है कि जो मकान का ओनर है उसको एक महीने का किराया ऐडवान्स दे दिया जाय, इसमें प्रास्पेक्टिव न होना चाहिए बल्कि सभी टेनेन्ट्स से लिया जाय यानी जो मौजूदा टेनेन्ट्स हैं उन सभी से।

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री--अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है वह अव्यवहारिक है। मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मतलब यह है कि जब पहिले-पहल मकान किसी को दिया जाय तो उससे एक महीने का ऐडवान्स किराया ले लिया जाय। आपका कथन है कि हर महीने उससे ऐडवान्स लिया जाय, यह अव्यावहारिक है। इन कारणों से मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कुंवर गुरुनारायण--मैं इस वक्त तो नहीं कह सकता कि यह अव्यावहारिक है। प्रासपेक्टिव तो लिखा हुआ है उसके लिये ही क्यों किया जाय, सबके लिये क्यों न हों।

Chairman: The question is that in the proposed section 7(4) of the amending Bill, the word "prospective" in the second line at the end be deleted.

(The question was put and negatived.)

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ६ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड ७ और ८

मूल अधिनियम की धारा ७-ए और ७-बी ा संशोधन।

७--मूल अधिनियम की धारा 7-A और 7-B में जहां-जहां भी शब्द और अंक "sub-section (1) of section 7" आये हों उनके स्थान पर शब्द और अंक "sub-section (2) of section 7" रख दिये जायेंगे।

मूल अधिनियम की धारा ७-बी ा संशोधन।

८--मूल अधिनियम की धारा 7-B की उपधारा (७) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जायगा :

"or furnishes security to the satisfaction of the Court."

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ७ और ८ इस बिल का भाग बने रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड–९

९—मूल अधिनियम की धारा 7–B के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जायगा :

मूल अधिनियम में धारा ७–सी, ७–डी, ७–ई, ७–एफ और ७–जी का बढ़ाया जाना :

"7-C. (1) When a landlord refuses to accept any rent lawfully paid to him by a tenant in respect of any accommodation the tenant may in the prescribed manner deposit such rent and continue to deposit any subsequent rent which becomes due in respect of such accommodation unless the landlord in the meantime signifies by notice in writing to the tenant his willingness to accept.

(2) Where any *bona fide* doubt or dispute has arisen as to the person who is entitled to receive any rent referred to in sub-section (1) in respect of any accommodation, the tenant may similarly deposit the rent stating the circumstances under which such deposit is made and may until such doubt has been removed or such dispute has been settled by the decision of any competent Court, or by settlement between the parties, continue to deposit, in like manner the rent that may subsequently become due in respect of such building.

(3) The deposit referred to in sub-section (1) or (2) shall be made in the Court of the Munsif having jurisdiction in the area where the accommodation is situate.

(4) On any deposit being made under sub-section (1) the Court shall cause a notice of the deposit to be served on the landlord, and the amount of deposit may be withdrawn by the landlord on application made by him to the Court in this behalf.

(5) When a deposit has been made under sub-section (2) the amount of the deposit shall be held by the Court for the benefit of the person who may be entitled to it and the same shall be payable to such person.

(6) In any case where a deposit has been made, as aforesaid, it shall be deemed that the rent has been duly paid by the tenant to the landlord.

7-D. (1) No landlord shall without just or sufficient cause cut off or withhold any of the amenities enjoyed by the tenant.

(2) The tenant in occupation of an accommodation may, if the landlord has contravened the provisions of this section, make an application to the District Magistrate complaining of such contravention.

(3) If the District Magistrate on inquiry finds that the tenant has been in enjoyment of the amenities and that they were cut off or withheld by the landlord without just or

(खंड-९)

sufficient cause, he shall make an order asking the landlord to restore such amenities.

(4) If the landlord fails to restore the said amenities within the time fixed by the District Magistarte it shall be competent for the District Magistrate to direct that the tenant may have such amenities restored and the cost thereof may be deducted from the rent which is payable to the landlord :

7-E. (1) Every landlord shall be bound to keep the accommodation in the occupation of a tenant wind-proof and water-proof and to carry out other repairs which he is bound to make by law, contract or custom.

(2) In sub-section (1), repair includes annual white-washing, recolouring and periodical repairs.

(3) If the landlord fails to carry out annual white-washing, recolouring and periodical repairs, the tenant may by notice require him to carry out the same within one month from the date of notice. If the landlord fails to do so within the period as aforesaid, the tenant may himself carry out the same at a cost not exceeding one month's rent for the accommodation and deduct the amount from the rent.

(4) If the landlord neglects to carry out any repairs, other than annual repairs, which he is bound to make to the accommodation by law or contract, the tenant may apply to the Munsif having jurisdiction for an order to the landlord for carrying out the same. The Munsif shall cause a notice to be served on the landlord to appear and show cause, within such time as may be fixed, against the application.

(5) If the landlord does not appear in obedience to the notice or if he appears but fails to satisfy the Munsif as to why he should not be directed to carry out the repairs or such of them as he finds the landlord is bound to make, the Munsif shall direct him to carry out the same within a time to be fixed.

(6) If the landlord still fails to carry out the repairs in accordance with the direction under sub-section (5), the Munsif may require the tenant to submit an estimate of the cost of such repairs and after considering the estimates and taking such other evidence, as he may consider necessary, permit the tenant to carry them out at a cost not exceeding such amount as may be specified in the order and to recover such cost from the landlord. It shall thereafter be lawful for the tenant to make such repairs and to deduct the cost thereof from the rent or to recover it otherwise from the landlord as if it were a debt due to him by the landlord,

(7) No order for carrying out of repairs under sub-section (5) shall be made if the Munsif is satisfied that the repairs involved were due to the apparent and absolute fault of the tenant.

(8) An appeal shall lie from the order the Munsif under sub-section (5) or (6) as if it were a decree and the order passed in appeal shall be final.

7-F. The State Government may call for the record of any case granting or refusing to grant permission for the filing of a suit for eviction referred to in section 3 or requiring any accommodation to be let or not to be let to any person under section 7 and may make such order as appears to it necessary for the ends of justice.

7-G. (1) For purposes of any inquiry under this Act, the District Magistrate may—

(*a*) enter, inspect or authorise any officer subordinate to him to enter and inspect any accommodation at any time between sunrise and sunset; or

(*b*) by written order require any person to produce for his inspection such rent receipts, books or other documents relevant to the enquiry at such time and at such place specified in the order:

Provided that no premises shall be entered under clause (*a*) without the consent of the occupier, unless at least 24 hours previous notice in writing has been given.

(2) The District Magistrate shall in so far as such powers are necessary for carrying out the different provisions of this Act, have power to summon and enforce the attendance of witnesses and to compel the production of documents in so far as may be in the same manner as is provided in the case of a Court under the Code of Civil Procedure, 1908.

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान् की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि:—

"*Delete* the proposed sections 7-E(1) and (2) and *substitute* the following:

"(1) Every landlord shall keep the accommodation in fairly good condition for habitation and shall carry out annually the very essential repairs.

(2) In sub-section (1) the repairs mentioned are annual white-washing, recolouring and other minor essential repairs.

जैसा कि हमारे माननीय सदस्य डा० ईश्वरी प्रसाद ने बहुत आसानी के साथ समझा दिया कि विन्ड प्रूफ और वाटर प्रूफ क्या है ऐसी बात आसान नहीं है यह चीज जब लीगल इन्टरप्रिटेशन के लिये जायगी तो उसमें बहुत सी मुश्किलात पेश हो सकती हैं । टेनेन्ट्स हाउस ओनर्स को मजबूर कर सकेंगे कि किस किस प्रकार की मरम्मत मकान मालिक करावें । यह कहना कि मकान मालिक मरम्मत नहीं कराना चाहते यह अस्वाभाविक है । इस पर दो रायें तो हो ही नहीं सकती । जिस शख्स की जिन्दगी भर की आमदनी का जरिया हो वह उसकी मरम्मत न करावे यह कैसे मुमकिन है । इन शब्दों की सफाई नहीं की गई । लीगल इन्टरप्रिटेशन में

[श्री कुंवर गुरुनारायण]

कुछ का कुछ हो सकता है और रिपेयर्स की आड़ में हम समझते हैं हाउस ओनर का जितना किराया है वह सब का सब रिपेयर्स में जा सकता है । ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह चीज क्लैरीफाई होनी चाहिए और इसीलिये मैंने जो संशोधन रखा है उसमें मैंने यह लगा दिया है-

The accommodation in fairly good condition for habitation and shall carry out annually the very essential repairs.

इस संशोधन के होने से कोई चीज ऐसी नहीं रह जाती है जिससे लीगल इन्टरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ी हो। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार न करें। दूसरी चीज यह है—

"White-washing, recolouring and other minor essential repairs.

पीरियाडिकल रिपेयर्स के क्या माने हैं। अगर माईनर एसेन्शियल रिपेयर्स है तो मेजर या दूसरी रिपेयर्स के लिये मकान मालिक को मजबूर नहीं किया जा सकता है । आशा है माननीय मन्त्री इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे ।

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री—मुझे दुख है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। हमने जो भाषा रखी है वह आपके संशोधन के भाषा से कहीं ज्यादा साफ है और हमने उसको उन अधिनियमों से लिया है जो अधिनियम और प्रदेशों में चालू हैं। उन अधिनियमों की भाषा के ऊपर कभी कोई कोर्ट में लीगल इन्टरप्रिटेशन में गड़बड़ी नहीं हुई । मैं इसलिये असमर्थ हूं संशोधन को स्वीकार करने के लिये और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस लेंगे।

Chairman: The question is that the proposed section 7-E(1) and (2) be deleted and the following be substituted in its place.

(1) Every landlord shall keep the accommodation in fairly good condition for habitation and shall carry out annually the very essential repairs.

(2) In sub-section (1), the repairs mentioned, are annual white-washing, recolouring and other minor repairs.

(The question was put and negatived)

श्री कुंवर गुरुनारायण—मैं आपकी आज्ञा से धारा ६ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं--

"In the proposed sub-section (3) of 7-E, in line 2, *delete* the word "periodical" and *substitute* "other minor essential".

अभी मैंने जैसा कहा पीरियाडिकल के बारे में हमारे माननीय मन्त्री जी ने हमारे संशोधनों को अस्वीकार कर दिया है। शब्द जो है वह बिल्कुल साफ है। जो शब्दावली मौजूद है उससे हमारा सैटिस्फेक्शन नहीं होता है। पीरियाडिकल रिपेयर्स से यह होगा कि कोई भी हाउस ओनर को परेशान कर सकेगा।

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री—मकानों की सफाई लोगों के यहां भिन्न-भिन्न समय पर हुआ करती है। कोई व्यक्ति दीवाली पर मकान की सफाई कराता है, कोई दशहरे पर, कोई होली पर तो इसलिये शब्द पीरियाडिकल रखा गया है और उसका यहां रखा जाना उचित है। इसलिये मैं उनके संशोधनों की मुखालिफत करता हूं।

Chairman: The question is that in the proposed sub-section (3) of 7-E in line 2, the word "periodical" be deleted and the words "other minor essential" be substituted in its place.

(The question was put and negatived.)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं आपकी आज्ञा यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि:—

"In the proposed section 7-E, *delete* sub-sections 4 to 8."

माननीय अध्यक्ष महोदय, चार से आठ तक जो सब-सेक्शन हैं इसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि अगर लैन्ड लार्ड निगलेक्ट करते हैं तो रिपेयर्स के लिये मुन्सिफ आदेश दे सकता है और हाउस ओनर को उसका आदेश मानना होगा और अगर नहीं करेगा तो उतना रुपया वसूल किया जायेगा हाउस ओनर से। यह तो अन्याय होगा हाउस ओनर के साथ। इस समय माननीय मंत्री महोदय मूड में नहीं हैं कि इन संशोधनों को स्वीकार करें। मैं भी ऐसे मूड में नहीं हूं कि मैं भी उनको वापस ले लूं। मैं तो यह कहूंगा कि आप इन उचित मांगों पर विचार करें;

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—माननीय सदस्य का ऐसा कहना कि मैं मूड न होने के कारण संशोधनों को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं, उचित नहीं है। यदि संशोधन न्याय-संगत हों और सही हों तो मैं उनको स्वीकार कर सकता हूं। यह जो संशोधन आपने उपस्थित किया, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप और प्रदेशों के अधिनियमों का अध्ययन करेंगे तो उनको देखने से आप को पता चलेगा कि और सूबों में दो महीने का किराया हाउस रिपेयर के लिये रखा गया है। हमने एक ही महीने का रखा है। यदि और रिपेयर्स की आवश्यकता हो तो हमने मुंसिफ के यहां जाने की इजाजत दी है। वहां से स्वीकार कराकर रिपेयर्स करावें। वे जन हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। यदि और प्रदेशों के अधिनियमों की धाराओं को लागू किया गया तो मैं समझता हूं कि जिन कारणों से वे वंचित कर रहे हैं उनसे उनको घाटा रहेगा। इसलिये मैं नहीं समझता कि जो संशोधन वह इस समय उपस्थित कर रहे हैं, उसको मंजूर करने की कोई आवश्यकता है। इसलिये मैं उनके इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे यह मालूम हो जाय कि दो ही महीने का किराया होगा और उसी की वसूलयाबी के लिये यह सेक्शन है तो मैं मान लूं। लेकिन जब रिपेयर्स अनलिमिटेड हैं, उसकी कोई कास्ट का अन्दाजा नहीं है कि क्या होगा तो ऐसी हालत में हम यह चाहते हैं कि इसको डिलीट कर दिया जाय।

Chairman: The question is that in the proposed section 7-E, sub-sections 4 to 8 be deleted.

(The question was put and negatived.)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ९ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रिएम्बिल तथा खंड १

क्योंकि सन् १९४८ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ़ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (अमेन्डमेंट) ऐक्ट द्वारा यू० पी० (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ़ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट, १९४७ को जारी रखा गया था और उसकी अवधि ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त हो जायगी:

और क्योंकि उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५४ तक जारी रखने की और आगे चलकर ज्ञात होने वाले प्रयोजनों के लिए उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है:

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ़ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९५२ कहलायेगा।

(२) यह १ अक्टूबर, १९५२ से प्रचलित हो जायगा।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रिऐम्बिल और खंड १ विधेयक का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ़ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ़ रेन्ट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिड-- वाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक कुछ माने में, जो तब्दीलियां हमारे स्वास्थ्य विभाग में हो गई हैं उनसे सम्बन्ध रखता है और कुछ ऐसी मान्यतायें हैं जो नर्सेज कौंसिल ऐक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, उनको इस विधेयक द्वारा इस अधिनियम में जारी करना चाहते हैं।

यह जो विधेयक उपस्थित किया गया है वह हेल्थ डिपार्टमेंट के नामों में कुछ तब्दीली की गई है उन्हीं को इस भवन के सामने रक्खा गया है कि भवन उसमें अपनी स्वीकृति दे दे। दूसरी बात जैसा कि मैंने कहा कि नर्सेरीज और मिडवाइफरीज को ऐसी मान्यता हो, जिनके नाम का समावेश इसमें किया गया है। मुझे आशा है कि सदन इस बात को मंजूर कर लेगा। इसमें कोई ज्यादा बहस की बात नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। परन्तु जो स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स हैं, इसमें अंग्रेजी में कुछ गल्तियां हैं।

Statement of objects and reasons ... Recently the designation of certain posts were altered... . Inspector General of Civil Hospitals .... Conformity ...

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री--मैंने जो विधेयक उपस्थित किया है, वह हिन्दी में है और हिन्दी में ही पास करने के लिये मांग किया है। बिल हिन्दी में है।

चेयरमैन--स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स जो है, वह बिल का भाग नहीं है। इसलिये उसके विषय में एतराज करने की आवश्यकता नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--कम से कम ग्रामर की जो गल्तियां हैं, उनको दूर कर दिया जाय।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रेजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश, नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) *विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नार्दर्न रेलवे ऐडवाइजरी कमेटी, कानपुर, के लिये एक सदस्य का निर्वाचन

चेयरमैन--सदस्यों से तीन कमेटियों के लिये जो नामजदगियां मांगी गई थीं, वह इस प्रकार से हैं :--

प्रस्तावक का नाम	समर्थक का नाम	नामांकित सदस्य
श्री महावीर सिंह	श्री ज्योति प्रसाद गुप्त	श्री राम किशोर शर्मा

क्योंकि इस समिति के लिये केवल एक ही नाम आया है, इसलिये मैं घोषित करता हूं कि श्री राम किशोर शर्मा नार्दर्न रेलवे ऐडवाइजरी कमेटी कानपुर, की सदस्यता के लिये निर्वाचित किये गये।

संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, के लिये एक सदस्य का निर्वाचन

चेयरमैन--संस्कृत शिक्षा परिषद् के लिये--

प्रस्तावक का नाम	समर्थक का नाम	नामांकित सदस्य
श्री महावीर सिंह	श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार	श्री सभापति उपाध्याय

मैं घोषित करता हूं कि श्री सभापति उपाध्याय संस्कृत शिक्षा परिषद् की सदस्यता के लिये निर्वाचित किये गये।

आगरा यूनिवर्सिटी की सीनेट के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन

चेयरमैन--आगरा यूनिवर्सिटी की सिनेट के लिये--

प्रस्तावक का नाम	समर्थक का नाम	नामांकित सदस्य
श्री हकीम बृज लाल बर्मन	श्री जगन्नाथ आचार्य	(१) श्री महावीर सिंह
		(२) श्री परमात्मा नन्द सिंह

मैं घोषित करता हूं कि श्री महावीर सिंह और श्री परमात्मा नन्द सिंह आगरा यूनिवर्सिटी की सीनेट की सदस्यता के लिये निर्वाचित किये गये।

---

*विधेयक के लिये देखिये नत्थी 'घ' पृष्ठ ५३२ पर।

सदन का कार्यक्रम

चेयरमैन—सात मेम्बरों ने मेरे पास एक प्रस्ताव पेश किया हैं कि "Council should not meet on Saturdays as is the practice in the case of Legislative Assembly यह एक जनरल प्रस्ताव है। इस वक्त इसको नहीं लिया जा सकता है। जनरल प्रैक्टिस के बारे में निश्चय इस समय नहीं हो सकता है। कल हम लोग बैठें या न बैठें इस पर राय ली जा सकती है।

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—अध्यक्ष, महोदय, अभी कई विधेयक ऐसे हैं, जो सदन के सामने आयेंगे। हम चाहते हैं कि यह विधेयक इस सदन से स्वीकृत हो जायं जिससे और जो जरूरी कार्य हैं वह सोमवार को आवें। इस तरह से यह सब विधेयक दशहरा के पहले समाप्त कर लिये जायं और फिर दशहरा के बाद दूसरे विधेयक लिये जायं। अगर सदस्य चाहते हैं कि कल बैठक न हो तो मुझे इसका कोई विरोध नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—माननीय मन्त्री जी ने जो कहा है उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कल इस सदन की बैठक न होनी चाहिए।

चेयरमैन—अधिकतर सदस्यों की राय क्या है ?

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—राय यही है कि कल बैठक न हो।

श्री कुंवर गुरु नारायण—यह विधेयक जो आ रहे हैं उनके लिये काफी समय मिलना चाहिए ताकि हम लोग सोच विचार कर लें। जहां तक सरकार का ताल्लुक है, वह तो अपने सेक्रेटेरियेट में नोट बना लेते हैं।

चेयरमैन—भिन्न-भिन्न कारणों से सदस्य यह चाहते हैं कि हम लोग सोमवार को मिलें।

श्री कुंवर गुरु नारायण—सोमवार के लिये क्या कार्यक्रम होगा वह भी बतला दिया जाय ?

स्वास्थ्य तथा रसद मन्त्री—सोमवार से जो बिल लिये जायेंगे वे ये हैं :—(१) यू० पी० एक्वीजिशन आफ प्राप्रर्टी (फ्लड रिलीफ) (अमेंडमेंट) बिल, १९५२ ई० (२) दि पुलिस (यू० पी०) (अमेंडमेंट) बिल, १९५२ ई० (३) यू० पी० प्रोहिबिशन आफ स्मोकिंग इन सिनेमा हाउसेज बिल, १९५२ ई० और (४) यू० पी० इन्टरटेनमेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, १९५२ ई०।

चेयरमैन—इसी क्रम से यह बिल लिये जायेंगे। अब कौंसिल सोमवार को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(५ बजे कौंसिल की बैठक, सोमवार, २२ सितम्बर, १९५२, को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई)

लखनऊ,
१९ सितम्बर, १९५२।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न संख्या पृष्ठ ४७५ पर)

परिशिष्ट 'क'

आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में १९५१-५२ में रोगियों और खर्च की सूचना

क्रम-संख्या	नाम जिला		१९५१-५२ में चिकित्सा किये गये रोगियों की संख्या	१९५१-५२ में खर्च की गयी धनराशि रु०	आ०	पा०
१	अलीगढ़	...	६८,५५६	२९,४०७	२	६
२	अल्मोड़ा	...	३२,१६२	२९,६५६	११	३
३	इलाहाबाद	...	७३,५६७	२६,८२१	९	०
४	आजमगढ़	...	१४,३,१४४	३०,५६७	१३	६
५	आगरा	...	१०,०,४७९	२१,८६१	१५	९
६	बाराबंकी	...	८७,०२७	३०,९७७	६	०
७	बुलन्दशहर	...	५८,२३६	२४,४९०	७	०
८	बांदा	...	३२,४६८	३५,३६३	०	६
९	बिजनौर	...	३७,५८०	२५,४०९	२	०
१०	बस्ती	...	१,१२,४८२	४७,७९८	१३	३
११	बनारस	...	१,३८,५२१	६९,२९५	१	९
१२	बरेली	...	४१,४१७	२७,१०४	१२	९
१३	बलिया	...	९५,९९७	४३,७५३	४	०
१४	बहराइच	...	१,५८,६१०	३३,४४२	३	०
१५	बदायूं	...	९५,७२१	२१,४४६	७	०

क्रम-संख्या	नाम जिला		१९५१-५२ में चिकित्सा किये गये रोगियों की संख्या	१९५१-५२ में ख़र्च की गयी धनराशि		
				रु०	आ०	पा०
१६	देहरादून	...	७२,१३२	२७,६७६	३	०
१७	देवरिया	...	६०,२६८	२३,७४०	२	६
१८	इटावा	...	९७,४५१	२६,५७२	३	९
१९	एटा	...	५५,६५७	२५,६०७	१	०
२०	फ़तेहपुर	...	३५,७२०	२०,८९२	७	०
२१	फ़र्रुखाबाद	...	१,३२,१५७	२९,३२४	१५	९
२२	फ़ैज़ाबाद	...	८४,९९५	२९,८६३	९	९
२३	गोंडा	...	६८,९४६	३०,३९१	९	०
२४	गाज़ीपुर	...	७५,९४४	२७,८४३	१	९
२५	गोरखपुर	...	९५,७३५	३९,५०६	१२	३
२६	गढ़वाल	...	५०,९९५	३३,२४५	१२	६
२७	हरदोई	...	६१,५३९	२९,२०८	१३	९
२८	हमीरपुर	...	७२,१११	३२,२६०	४	०
२९	जालौन	...	६७,४०३	२३,५१२	५	०
३०	जौनपुर	...	१,०१,१३०	२६,८१४	७	०
३१	झांसी	...	७१,६६२	२३,०१२	११	३
३२	खीरी	...	८१,४९९	२४,८६३	३	६
३३	कानपुर	...	६५,०४०	२५,३७०	४	०
३४	लखनऊ	...	५२,४३५	२४,६८५	५	०

क्रम-संख्या	नाम जिला		१९५१–५२ में चिकित्सा किये गये रोगियों की संख्या	१९५१–५२ में खर्च की गयी धनराशि		
				रु०	आ०	पा०
३५	मैनपुरी	...	४९,३७२	२२,८३९	७	०
३६	मेरठ	...	१,०२,४४८	३६,०८५	१०	९
३७	मुरादाबाद	...	३७,४०९	२६,२९०	१२	६
३८	मुजफ़्फ़रनगर	...	३१,५८८	२१,६२०	२	६
३९	मथुरा	...	९८,६५९	२७,४६३	४	६
४०	मिर्ज़ापुर	...	४४,६२८	३०,८०७	१	८
४१	नैनीताल	...	३६,०५८	२४,१५३	५	३
४२	प्रतापगढ़	...	७८,९८०	२५,९६९	०	०
४३	पीलीभीत	..	५९,३८८	२४,७७०	१३	०
४४	रायबरेली	...	५३,२११	२५,३३९	१०	६
४५	रामपुर	...	१२,४४५	२०,७४९	०	९
४६	सीतापुर	...	८४,०९८	२८,६४७	१	६
४७	शाहजहांपुर	...	१,०७,९६७	२०,९०३	१	९
४८	सहारनपुर	...	४१,३४७	३१,९२८	६	०
४९	सुल्तानपुर	...	१,०३,३१०	२७,३८४	३	६
५०	टेहरी–गढ़वाल	...	३,५५,९९७	४३,६५०	०	३
५१	उन्नाव	...	८२,१३३	२३,६९०	१०	९

नत्थी 'ख'

(देखिए प्रश्न संख्या ४७५ पृष्ठ पर)

परिशिष्ट 'ख'

उत्तर प्रदेशीय सरकार तथा स्थानीय बोर्डों द्वारा संचालित अस्पतालों तथा औषधालयों में सन् १९५१ में चिकित्सा किये गये रोगियों की जिलेवार सूची।

क्रम-संख्या	जिला	कुल संख्या	क्रम-संख्या	जिला	कुल संख्या
१	आगरा	५,७२,१६६	२७	हमीरपुर	१,३८,४११
२	इलाहाबाद	३,९२,३७५	२८	हरदोई	१,९६,६११
३	अलीगढ़	४,०३,१८४	२९	जालौन	१,३३,४८६
४	आजमगढ़	२,७१,९०६	३०	झांसी	१,७५,१९७
५	अल्मोड़ा	१,८१,७५९	३१	जौनपुर	१,५३,४४६
६	बांदा	१,४६,०२४	३२	खेरी	२,४९,४२६
७	बरेली	२,९८,४५२	३३	लखनऊ	१३,४५,५२०
८	बनारस	३,४२,८०९	३४	मेरठ	३,५८,३४२
९	बिजनौर	३,८७,८३२	३५	मिर्जापुर	१,५८,८७५
१०	बुलन्दशहर	३,३९,६६२	३६	मुरादाबाद	३,४४,६५६
११	बलिया	१,२२,५८२	३७	मुजफ्फरनगर	१,७२,६१०
१२	बदायूं	३,००,३२९	३८	मथुरा	१,९६,५४८
१३	बस्ती	२,०३,६७७	३९	मैनपुरी	१५,४८४
१४	बहराइच	२,६९,८६९	४०	नैनीताल	१,९७,३६३
१५	बाराबंकी	२,३९,७०३	४१	प्रतापगढ़	१,२९,०६७
१६	कानपुर	७,८७,९८५	४२	पीलीभीत	१,६४,३३०
१७	देहरादून	२,११,५८७	४३	रायबरेली	२,४२,९२७
१८	देवरिया	१,९६,९६२	४४	रामपुर	१,९८,९८३
१९	इटावा	१,९४,२५५	४५	सहारनपुर	३,०९,७९२
२०	फर्रुखाबाद	२,२६,५१६	४६	शाहजहांपुर	१,९२,२३७
२१	फतेहपुर	९१,९८७	४७	सीतापुर	२,८७,५७९
२२	फैजाबाद	१,८२,१३८	४८	सुल्तानपुर	२,१४,८७४
२३	गाजीपुर	१,२७,८०५	४९	उन्नाव	६५,५१०
२४	गोरखपुर	३,८१,०९७	५०	एटा	२,०४,००७
२५	गोंडा	२,९१,७७२	५१	टेहरी-गढ़वाल	३०,७०८
२६	गढ़वाल	१,५१,४३६			

नत्थी 'ग'

(देखिए प्रश्न संख्या ४७५ पृष्ठ पर)

परिशिष्ट 'ग'

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और औषधालयों पर आर्थिक वर्ष, १९५१-५२ में कुल खर्चे की जिलेवार सूची ।

क्रम-संख्या	जला	रकम	क्रम-संख्या	जिला	रकम
		रु०			रु०
१	आगरा	१०,९३,०००	२७	गढ़वाल	१,५३,३०८
२	इलाहाबाद	१,४६,१९४	२८	हमीरपुर	१,०५,३०४
३	अलीगढ़	१,५१,९३४	२९	हरदोई	७१,२१७
४	आजमगढ़	१,४८,७२९	३०	जालौन	५७,३४१
५	अल्मोड़ा	९९,२७७	३१	झांसी	१,१५,१४४
६	बांदा	५९,१८८	३२	जौनपुर	९२,७१४
७	बरेली	२,१४,९८५	३३	खेरी	८४,८५२
८	बनारस	३,८७,४२५	३४	लखनऊ	४,४३,६७०
९	बिजनौर	६४,७६६	३५	मेरठ	२,४७,७८१
१०	बुलन्दशहर	१,३०,७९७	३६	मिर्जापुर	१,६२,४८२
११	बलिया	५४,६६१	३७	मैनपुरी	६६,२५५
१२	बदायूं	७८,८००	३८	मुजफ्फरनगर	९७,५६४
१३	बस्ती	१,४८,५६७	३९	मुरादाबाद	१,२९,६१४
१४	बहराइच	३९,६६१	४०	मथुरा	१,१३,६०३
१५	बाराबंकी	२४,४४८	४१	नैनीताल	६,८८,१२१
१६	कानपुर	१०,७५,९१४	४२	प्रतापगढ़	७२,०७१
१७	देहरादन	४,५४,०२५	४३	पीलीभीत	६३,९५६
१८	देवरिया	३१,४१७	४४	रायबरेली	७१,३६६
१९	इटावा	८३,६२४	४५	रामपुर	२,८३,६४६
२०	एटा	१,१२,३१६	४६	सहारनपुर	६६,१८१
२१	फर्रुखाबाद	१,२४,४२८	४७	शाहजांहपुर	८२,२४१
२२	फतेहपुर	७३,२१०	४८	सीतापुर	१६,०९४
२३	फैजाबाद	१,२३,६५१	४९	सुल्तानपुर	१,०६,०७३
२४	गाजीपुर	१,०१,९२१	५०	उन्नाव	१,३१,८१०
२५	गोरखपुर	२,५७,०३७	५१	टेहरी-गढ़वाल	७४,१००
२६	गोंडा	१,०६,२३३			

नत्थी 'घ'

(देखिए पृष्ठ संख्या ५२५ पर)

उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइब्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट, १५

यू० पी० नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइब्ज, ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त और अधिक संशोधन करने का

विधेयक।

कुछ ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे "यू० पी० नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइब्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४" में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइब्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

१९३४ का यू० पी० ऐक्ट, १५ की धारा ४ में संशोधन

२—यू० पी० नर्सेज, मिडवाइब्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइब्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ में निम्नांकित संशोधन किये जायेंगे—

(१) उपधारा (१) में

(क) संख्या और शब्द "24 members" के स्थान पर शब्द "the fllowing members" रख दिये जायेंगे, और

(ख) वर्तमान खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*a*) *As ex officio members*—

(i) the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;

(ii) the Additional Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh;

(iii) the Deputy Director of Medical and Health Services (Women), Uttar Pradesh;

(iv) the Assistant Director of Medical and Health Services (Maternity and Child Welfare Section), Uttar Pradesh;

(v) the Superintendent of Nursing Services, Uttar Pradesh Lucknow;

(vi) the Superintendent, Silver Jubilee Health School, Lucknow; and

(vii) the Superintendent, Kamla Nehru Hospital, Allahabad."

(२) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा—

"(2) The Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh and the Additional Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh, shall be the *ex officio* President and Vice-President respectively of the Council."

१९३४ के यू० पी० ऐक्ट, २५ की धारा ८ में संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा १ में—

(क) खंड (d) में "[illegible]" के स्थान पर "[illegible]" रख दिया जायगा और उसके बाद शब्द 'or' जोड़ दिया जायगा ;

(ख) खंड (d) के बाद खंड (e) के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा—

"(*e*) if, being a nominated member he ceases to belong to the appropriate categories referred to in sub-section (1) of section 4."

१९३४ के यू० पी० ऐक्ट, २५ की धारा ६ में संशोधन।

४—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जायगा—

"If any member of the Council, whether elected or nominated, under sub-section ( ) of section 4, dies or resigns his membership or ceases to be a member under the provisions of sub-section (1) of section 8, the vacancy shall be filled within three months by a fresh election or nomination, as the case may be, in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 4 and in default of election by nomination in accordance with the provisions of section 5."

१९३४ के यू० पी० ऐक्ट, २५ की धारा २३ में संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा २३ में शब्द "(*a*) persons who have undergone....' से लेकर खंड (*b*) में शब्द "as may be prescribed" तक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा—

"(*a*) persons who hold qualifications in nursing or midwifery or health visiting recognised under the Indian Nursing Council Act, 1947 ;

(*b*) persons who hold assistant midwifery or certified midwifery certificates of the U. P. State Medical Faculty ; and

(*c*) persons who may be registered as nurses, midwives or health visitors under a scheme of reciprocity under the provisions of section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 by the Indian Council of Nursing constituted under the said Act.

१९३४ के यू० पी० ऐक्ट, २५ की धारा २४ का निकाला जाना।

६—मूल अधिनियम की धारा २४ को निकाल दिया जायगा—

१९३४ के यू० पी० ऐक्ट, २५ की धारा २३ में संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) के खंड (*a*) में से शब्द और संख्या "and section 24" निकाल दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

पब्लिक हेल्थ और मेडिकल विभाग के पुनर्संगठन के परिणाम स्वरूप कुछ पदों के नामों म हाल में परिवर्तन किया गया है जैसे "इन्स्पेक्टर जनरल आफ सिविल हास्पिटल तथा डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ" के पदों को मिलाकर "डाइरेक्टर आफ मेडिकल ऐन्ड हेल्थ सर्विसेज" का एक पद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इंडियन नर्सिंग कौंसिल ऐक्ट की धारा १० में कुछ ऐसी योग्यताओं की व्यवस्था की गयी है जो भारत के सभी राज्यों में मान्य होंगी। अतएव यह आवश्यक है कि यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ के संगत उपबन्धों में पारिणामिक परिवर्तन किया जाय जिससे वे इंडियन नर्सिंग कौंसिल ऐक्ट के उपबन्धों के अनुसार हो जायं। इस प्रकार यू० पी० नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९३४ में संशोधन आवश्यक हो गया है। इस अवसर का उपयोग उक्त अधिनियम में कुछ पारिणामिक परिवर्तनों के लिये भी किया गया है।

चन्द्रभानु गुप्त,
स्वास्थ्य मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०—५२ एल० सी०—१९५३—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५७)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महाबीर सिंह, श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
दीप चन्द्र, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बीर भान भाटिया, डाक्टर
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मंत्री)।

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)।

श्री कमलापति त्रिपाठी (सूचना मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

सरकारी कर्मचारियों की सूची जिनको कि पिछले ५ वर्षों में भ्रष्टाचार या अकर्मण्यता के कारण दन्ड दिया गया ।

१—**श्री रामकिशोर शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करेगी ।

विभिन्न सरकारी विभागों के गजटेड और नानगजटेड कर्मचारियों के नाम जो पिछले ५ वर्षों में भ्रष्टाचार अथवा अकर्मण्यता के मामलों के सम्बन्ध में बरखास्त, पदच्युत अथवा रिटायर किये गये ।

1. **Sri Ram Kishore Sharma** (*absent*): Will the Government be pleased to supply the following information :

> Names of gazetted and non-gazetted members of the staff of the different Government Departments who have been dismissed or degraded or retired in connexion with cases of corruption or inefficiency during the last 5 years ?

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये आवश्यक सामग्री एकत्रित करने में अत्यधिक समय लगेगा तथा उत्तर की उपादेयता की तुलना में श्रम और धन का अपव्यय होगा । अतः यदि माननीय सदस्य किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना चाहें तो आवश्यक विवरण दें तो उत्तर अविलम्ब दिया जायेगा ।

The Minister for Finance (Sri Hafiz Mohammad Ibrahim);—The collection of material to answer this question will take considerable time and unduly disproportionate labour and expense. So, if the honourable member wants any information about any particular individual or individuals and gives necessary particulars, answers will be given without delay.

२—**श्री रामकिशोर शर्मा** (अनुपस्थित)—क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के नामों को, जिनका उल्लेख प्रश्न १ में किया गया है, इस आशय से कि दूसरों के लिये यह एक उदाहरण हो सके, अन्य विभागों में सरकुलेट कराने के औचित्य पर विचार रखती है ?

2. **Sri Ram Kishore Sharma** (*absent*): Do the Government intend to consider the advisability of circulating in the different departments the names of the members of the staff as referred to in Question No. 1 in order to serve as an example for others ?

वित्त मन्त्री—वर्तमान व्यवस्था यह है कि प्रतिवर्ष ऐसे लोगों की, जिनके लिये सरकारी नौकरी निषेध है, एक सूची सब की जानकारी के लिये भेजी जाती है । अतएव पिछले पांच वर्षों में सरकारी नौकरियों से अलग किये गये व्यक्तियों की नवीन सूची वितरण करने में कोई लाभ नहीं होगा ।

The Minister for Finance: A list is circulated at present once every year containing names of persons who are debarred from Government service and in view of this it will not serve any useful purpose to have a fresh consolidated list giving names of Government servants dismissed during the last five years circulated.

बनारस में पावर हाउसों की बिजली का खर्च

३—**श्री रामकिशोर शर्मा** (अनुपस्थित)—बनारस शहर और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी क्षेत्र के विभिन्न पावर हाउसों की कुल कितनी बिजली पैदा करने की शक्ति है और १९५१ में ज्यादा से ज्यादा कुल कितनी बिजली खर्च हुई ।

3. **Sri Ram Kishore Sharma** (*absent*): What is the total generating capacity of the different Power Houses in Banaras town and in the Banaras Hindu University area and what has been the maximum consumption of electricity there in 1951?

वित्त मन्त्री—विवरण पत्र की एक प्रतिलिपि, जिसमें मांगी गई सूचना दी हुई है, माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

बनारस और हिन्दू यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में उत्पादन-शक्ति और अधिकतम उपभोग का विवरण-पत्र

		किलोवाट
ए—कुल उत्पादन शक्ति—		
	(१) बनारस एलेक्ट्रिक लाइट ऐन्ड पावर कम्पनी लिमिटेड	११,३५०
	(२) हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस	४८०
बी—सन् १९५१ में अधिकतम उपभोग—		
	(१) बनारस एलेक्ट्रिक लाइट ऐन्ड पावर कम्पनी लिमिटेड ..	६,४००
	(२) हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस	३३६.६

Minister for Finance: A statement giving the required information is laid on the table of the hon'ble member.

Statement showing the generating capacity and maximum consumption in 1951 *at Banaras and in the Hindu University Area*

		K. W.
A.	*Total Generating Capacity*—	
	(1) Banaras Electric Light and Power Co. Ltd.	11,750
	(2) Hindu University, Banaras ...	480
B.	*Maximum consumption in* 1951—	
	(1) Banaras Electric Light and Power Co. Ltd.	6,400
	(2) Hindu University, Banaras ...	3,386

मुगलसराय, ज्ञानपुर और बनारस में ट्यूबवेलों की मांग

४—श्री रामकिशोर शर्मा (अनुपस्थित)-(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मुगलसराय, ज्ञानपुर क्षेत्र में और बनारस के उत्तरी क्षेत्र में ट्यूबवेलों की बहुत मांग है?

(ख) क्या सरकार इन ट्यूबवेलों को बनारस के पावर हाउसों की बची हुई बिजली से बनवाना चाहती है या किसी दूसरे साधनों से?

4. **Sri Ram Kishore Sharma** (*absent*): (*a*) Is the Government aware of the demand for tube-wells in Mughalsarai Gyanpur area and in the area north of Banaras?

(*b*) Is the Government contemplating to construct these tube-wells either by utilising the surplus power available from the Power Houses in Banaras or by any other independent sources?

वित्त मन्त्री (अ)—हां।

(ब)—बनारस नगर के आस पास कुछ प्रयोगात्मक नलकूपों को बनारस बिजली-घर की अवशेष विद्युत-शक्ति से चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

Minister for Finance : (*a*) Yes.

(*b*) Proposals are under consideration for using any spare power in Banaras Power House for arranging a few experimental tube-wells in the vicinity of Banaras City.

जिला बनारस के जङ्गलों में काबिलकाश्त भूमि

५—**श्री राम नन्दन सिंह**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेंगी कि तहसील चकिया, जिला बनारस के जंगलों में कितनी भूमि ऐसी है जो काबिलकाश्त है और जिसका बन्दोबस्त किया जा सकता है ?

वित्त मन्त्री—साधारणतः पथरीली एवं ढालू पहाड़ी भूमि को छोड़ कर सम्पूर्ण वनभूमि कृषि योग हुआ करती है। चकिया जंगल की भी यही स्थिति है।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चकिया के जंगल में कितनी ऐसी जमीन है जो कि कबिलेकाश्त है ?

वित्त मन्त्री—मालूम होता है कि वहां की स्थिति इस किस्म की जमीन को छोड़ कर बाकी काबिलेकाश्त नहीं है।

६—**श्री राम नन्दन सिंह**—उपरोक्त जंगलों में कितनी भूमि ऐसी है जो चन्द्र प्रभा बान्ध, कर्मनासा बान्ध, कमला बान्ध, बसन्त बांध आदि में जलमग्न हो जायेगी ?

वित्त मन्त्री—कर्मनासा बांध जिसको बनाने का अभी निश्चय नहीं हुआ है, को छोड़ कर अन्य बांधों के लिये लगभग ५,००० एकड़ भूमि जलमग्न हो जावेगी।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या वह जमीन जो बांधों के बीच में टूट गयी है, वह रबी की काश्त में ली जा सकती है ?

वित्त मन्त्री—इसका जवाब देना मुश्किल है जब तक कि मौके पर जाकर नहीं देखा जाय।

चकिया के जंगलों में पशुओं के चरागाह

७—**श्री राम नन्दन सिंह**—क्या यह सच है कि चकिया के सभी जंगल पशुओं के चरागाह के काम आते हैं ?

वित्त मन्त्री—जी हां।

८—**श्री राम नन्दन सिंह**—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि प्रति वर्ष चरने वाले मवेशियों की औसत संख्या क्या है ?

वित्त मन्त्री—८८,०००।

श्री राम नन्दन सिंह—क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ८८,००० मवेशी जंगल में चरते हैं, उनसे कुछ नहीं लिया जा सकता ?

वित्त मन्त्री—इस वक्त मालूम नहीं है कि चरने का कुछ लिया जाना चाहिए।

श्री राम नन्दन सिंह—जो ये ८८,००० मवेशी वहां चरते हैं क्या यह उनके लिये काफी है ?

वित्त मन्त्री—रकबा इस वक्त मेरे पास नहीं है।

इटावा पाइलट स्कीम को योजना का जिला अल्मोड़ा में विस्तार

९—**श्री कृष्ण चन्द्र जोशी (अनुपस्थित)**—क्या सरकार यह बतलायेगी कि इटावा पाइलट स्कीम के विस्तार की योजना जिन ६ जिलों में सरकार चालू वर्ष में लागू करने वाली है, उनमें जिला अल्मोड़ा भी है ?

वित्त मन्त्री—यदि प्रश्नांकित योजना का तात्पर्य कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स से है तो इस योजना में जिला अल्मोड़ा भी है।

१०--श्री कृष्ण चन्द्र जोशी (अनुपस्थित) (क)--क्या सरकार बतलायेगी कि उसने कोई निर्णय इस विषय में कर लिया है या नहीं कि उपरोक्त योजना अल्मोड़ा जिला के किस भाग (क्षेत्र) में चालू की जावेगी ?

(ख) अगर नहीं, तो क्या सरकार इस योजना को चालू करने से पेश्तर इस बात का प्रयास करने का इरादा रखती है कि जिले के चारों सब-डिवीजनों में क्षेत्रों का निर्णय करने के निमित्त जांच कर ली जाय ?

(ग) अगर सरकार ने ऐसे क्षेत्र का निर्णय कर लिया हो, तो क्या सरकार बतलायेगी कि किस आधार पर यह निर्णय किया गया ?

वित्त मंत्री--(क) जी हां। यह योजना २५६ गांवों के क्षेत्र में जो कि गरुड़ बैजनाथ के आस पास स्थित है, चालू की जायगी।

(ख) प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) क्षेत्र का निर्णय जिला नियोजन समिति की अनुमति से किया गया है। यह जिले का सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है और यहां पर हार्टीकल्चर, फिशरीज और पोल्ट्री का विकास विशेषरूप से हो सकता है। इस क्षेत्र से बहने वाली नदियों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक की योजना भी जारी की जा सकती है।

११--श्री कृष्ण चन्द्र जोशी (अनुपस्थित) (क)--क्या इस योजना के चालू करने के लिये क्षेत्र का निर्णय करने के निमित्त जिला योजना कमेटी की कोई बैठक बुलाई गई थी ?

(ख) अगर हां, तो कब ?

वित्त मंत्री--(क) जी हां।

(ख) दिनांक ४ जून, १९५२ ई० को।

१२--श्री कृष्ण चन्द्र जोशी (अनुपस्थित)--अगर प्रश्न ११ का उत्तर हां में हो, तो क्या सरकार यह बतलायेगी--

(क) कि इस कमेटी के तहसील चम्पावत, ज़िला अल्मोड़ा के सदस्यों को उपरोक्त बैठक की सूचना कब और कैसे दी गई थी ?

(ख) क्या ज़िले के एम० एल० ए० तथा एम० एल० सी० महोदयान को भी परामर्श देने के निमित्त बैठक में बुलाया गया था ? अगर हां, तो किन-किन को बुलाया गया ?

वित्त मन्त्री--(क) इस बैठक की सूचना तहसील चम्पावत, ज़िला अल्मोड़ा के सदस्यों को दिनांक २३ मई, १९५२ ई० को डाक द्वारा दी गई थी और ज़िला नियोजन अधिकारी ने दिनांक २६ मई, १९५२ ई० को हाकिम इलाका, लोहाघाट को तार द्वारा सूचित किया कि वे सर्वश्री शीर्षराम तथा बद्री दत्त जोशी वकील जो कि चम्पावत तहसील के सदस्य हैं, नियोजन समिति की, दिनांक ४ जून, १९५२ ई० की बैठक की सूचना दे दें।

(ख) जी नहीं। केवल उन्हीं एम० एल० ए० और एम० एल० सी० महोदयान को बुलाया गया. था जो जिला नियोजन समिति के सदस्य हैं और जिनके नाम नीचे दिये गये हैं :--

(१) श्री एच० जी० पन्थ, एम० एल० ए०।
(२) श्री आर० पी० टम्टा, एम० एल० सी०।
(३) श्री बी० एस० खाती, एम० एल० ए०।

जुडीशियल अफसरों की संख्या तथा वेतन

१३--श्री रामलगन सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्थायी और अस्थायी जुडीशियल अफसरों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है तथा उनके वेतन का स्केल क्या है ?

वित्त मन्त्री—उत्तर प्रदेश में जुडीशियल अफसरों की वर्तमान संख्या १७३ है जिसमें से ६० स्थायी हैं और ११३ अस्थायी। इनके वेतन का स्केल ३००–२५/२–४००–ई० बी० २५/२–५०० रु० है।

श्री राम लगन सिंह—क्या न्याय संगत और अनुशासन की दृष्टि से सरकार इस बात को उचित नहीं समझती है कि इन जुडीशियल अफसरों को स्थायी रूप से रखा जाय ?

वित्त मन्त्री—परमानेन्ट (permanent) करने का प्रोसेज (process) इस के जवाब में मौजूद है । ६० आदमी परमानेन्ट कर दिये गये हैं और आगे अगर मुनासिब समझा जायगा तो और परमानेन्ट कर दिये जायेंगे ।

श्री राम लगन सिंह—क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यक्रम निर्धारित किया है ?

वित्त मन्त्री—कोई मुस्तकिल प्रोग्राम (programme) नहीं बनाया गया है हर साल काम को देखते हुए यह किया जाता है ।

१४—**श्री राम लगन सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुडीशियल अफसरों के वेतन का स्केल इसी प्रकार के काम करने वाले अन्य अफसरों के वेतन के स्केल से कम क्यों रखा गया है ?

वित्त मन्त्री—जुडीशियल अफसरों के वेतन का स्केल सब बातों का ख्याल करके जैसा उचित था, रखा गया । हर सर्विस का स्केल उसके लिहाज से रखा जाता है और इस किस्म का काम करने वाले बिना वेतन के भी हैं ।

श्री राम लगन सिंह—इन लोगों की तनख्वाह में इतना फर्क क्यों किया गया है ?

वित्त मन्त्री—इस किस्म का काम डिप्टी कलेक्टर या मुंसिफ करते हैं । लेकिन यह लोग कम्पिटीशन से आते हैं जब कि ये लोग वैसे ही मुकर्रर किये जाते हैं। जो आदमी कम्पिटीशन के जरिये आता है और जो नहीं आता है उनके अन्दर फर्क करना मेरे नजदीक जरूरी बात है। इसलिये जुडीशियल अफसरों की तनख्वाह इस तरह के और लोगों से नीचे रखी गयी है ।

श्री राम लगन सिंह—ये लोग भी पब्लिक सर्विस कमीशन (Public Service Commission) द्वारा कम्पिटीशन से आये हैं ?

वित्त मन्त्री—वह कम्पिटीशन इस माने में कम्पिटीशन नहीं है कि कुछ आदमी इम्तहान की तैयारी करने से पहिले दो साल या कुछ साल पहले सर्विस भी कर चुके हो क्योंकि जब वह सर्विस में थे तभी इम्तहान में बैठे और कमेटी के एक आदमी के सामने खड़े हो गये। मगर यह चीज दूसरों के इम्तहान से मुख्तलिफ है। वह कम्पिटीशन ही अलग है।

श्री राम लगन सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में रेवेन्यू आफिसरों का कोई कम्पिटीशन हुआ है ?

वित्त मन्त्री—यह मुझे याद नहीं है।

श्री राम लगन सिंह—क्या इस तरह के काम करने वाले गजटेड और नान गजटेड आफिसर में कुछ अन्तर है ?

वित्त मन्त्री—इस किस्म के काम करने वाले जुडीशियल आफिसर हैं, रेवेन्यू आफिसर, मुंसिफ और डिप्टी कलेक्टर भी काम करते हैं।

श्री राम लगन सिंह—क्या इनमें फर्क करना कुछ ठीक है ?

चेयरमैन—आप सूचना पूछ सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं।

श्री राम लगन सिंह—मैं सिर्फ इन्फार्मेशन के ही लिये पूछना चाहता हूं। क्या इसके लिये कोई कार्य निर्धारित किया गया है जैसा कि अन्य अफसरों के लिये है ?

वित्त मन्त्री—इनका स्केल ३०० रुपया से शुरू होता है और ८०० रुपये पर खत्म होता है ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुडीशियल अफसर किस काम के लिये मुकर्रर किये जाते हैं ?

वित्त मन्त्री—जुडीशियल काम के लिये ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जुडीशियल फसर ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर नियुक्त किये गये हैं ?

वित्त मन्त्री—जुडीशियल अफसर जुडीशियल काम के लिये होते हैं ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है कि १,२,३ अक्टूबर को बनारस में जुडिशियल अफसरों ने ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम किया है ।

वित्त मन्त्री—ऐसे तो बड़े-बड़े काम के लिये जब जरूरत पड़ती है तो दूसरे अफसरों को बुला लिया जाता है ।

श्री प्रभु नारायण सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिये सरकार का क्या रवैया है ?

चेयरमैन—ऐसे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं ।

१५—२१—**श्री शिव सुमरन लाल जाहरी**—(सदस्य की इच्छानुसार स्थगित किये गये ।)

फतेहपुर से कोयले की चूरी का बाहर भेजा जाना

२२—**श्री पन्ना लाल गुप्त**—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग आफिसर फतेहपुर ने फरवरी, १९५२ ई०, में १० वैगन डस्ट कोल दनकौर, जिला बुलन्दशहर भेजा था ?

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने प्रान्तीय आइरन स्टील कन्ट्रोलर से इसकी स्वीकृत ली थी ?

वित्त मन्त्री—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उठता ही नहीं ।

२३—**श्री पन्ना लाल गुप्त**—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९५२ ई० में ११० टन डस्ट कोल प्लानिंग आफिसर, फतेहपुर ने मुजफ्फरनगर भेजा ?

(ख) यदि हां, तो क्या जिले में इसकी आवश्यकता नहीं थी ?

वित्त मन्त्री—(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उठता ही नहीं ।

२४—**श्री पन्ना लाल गुप्त**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग आफिसर, फतेहपुर ने उपरोक्त कोयला दूसरी जगह भेजने के बाद प्रान्तीय आइरन स्टील कन्ट्रोलर से ६० वैगन कोयला मांगा ?

वित्त मन्त्री—उपरोक्त उत्तर से प्रश्न का पहला भाग उठता ही नहीं । यह सच है कि प्रान्तीय आइरन स्टील कन्ट्रोलर से ६० वैगन कोयला नये भट्ठों के लिये मांगा गया ।

शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या में कमी

आदि संख्या
१
ता०
२८-७-५२

२५—**श्री इन्द्र सिंह नयाल** (अनुपस्थित)—(क) १९४१ ई० की उपेक्षा १९५१ ई० में शेड्यूलड जातियों के लोगों की संख्या कम होने के कारण क्या हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि बहुत से व्यक्तियों ने जो १९४१ ई० में शेड्यूल्ड जातियों के थे, १९५१ ई० में अपने को शेड्यूल्ड जाति का नहीं बताया ?

(ग) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को किस जाति में रखा गया ?

O. No. 1 Date. 8-7-52 25. **Sri Indra Singh Nayal** (*absent*) : (*a*) What are the reasons for the decrease in the number of persons belonging to the Scheduled Castes in 1951 from that in 1941 ?

(*b*) Is it a fact that many members belonging to the Scheduled Castes in 1941 did not show themselves as belonging to the Scheduled Caste in 1951.

(*c*) If so, how have such persons been classified as to caste.

वित्त मन्त्री--(क) इस कमी का मुख्य कारण यह है कि कुछ जातियां जिनका वर्गीकरण गवर्नमेंट आफ इंडिया (शेड्यूल कास्ट) आर्डर, १९३६ ई०, के अधीन अनुसूचित जातियों के रूप में किया गया था, अब संविधान के अनुच्छेद २४१ के अधीन राष्ट्रपति द्वारा विज्ञापित अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा हाल में की गई जन-गणना में कुछ व्यक्तियों ने, जो अनुसूचित जातियों के थे, अपने को ऐसी जातियों का सदस्य दर्ज नहीं कराया।

(ख) जी हां।

(ग) जिसने अपनी जो जाति बताई उसी में उसका वर्गीकरण कर दिया गया।

Minister for Finance : (*a*) The main reason for this decrease is that some castes which were, under the Government of India (Scheduled Castes) Order, 1936, classified as Scheduled Castes are no longer included in the list of Scheduled Castes notified by the President under Article 341 of the Constitution. Moreover, during the recent census operations some persons belonging to the Scheduled Castes did not return themselves as members of such castes.

(*b*) Yes.

(*c*) They have been classified according to their own description of their castes.

२६-२७--श्री शिव सुमरनलाल जौहरी--(सदस्य की इच्छानुसार स्थगित किये गये।)

जिला नैनीताल में जङ्गल के प्लाटों का साफ करा दिया जाना

२८--श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)--क्या सरकार रानी बाग, जिला नैनीताल के या उसके आस-पास के रिजर्व फारेस्टों के कुछ प्लाटों के जंगल को साफ कराने का विचार रखती है ?

28. **Sri Indra Singh Nayal** (*absent*) : Does the Government intend to disforest some plots of reserved forest at or near about Ranibag (RANIBAG), district Naini Tal ?

वित्त मन्त्री--जी नहीं।

Minister for Finance : No.

२९--श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार उसके सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्योरा देने की कृपा करेगी :--

(क) प्लाटों की संख्या,

(ख) प्रत्येक प्लाट का क्षेत्रफल,

(ग) प्रत्येक प्लाट के पेड़ों का मूल्य,

(घ) प्रत्येक प्लाट के जंगल को साफ कराने का आशय।

29. **Sri Indra Singh Nayal** (*absent*): If so, will the Government please give the following particular of the same:

(*a*) Number of plots.

(*b*) Area of each plot.

(*c*) Value of trees on each plot.

(*d*) Purpose of disforestation of each plot.

वित्त मन्त्री—यह प्रश्न नहीं उठता।

Minister for Finance: The question does not arise.

३०—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से निर्धन किसान जिसमें राजनैतिक पीड़ित भी हैं, जिले में इधर उधर जमीन मांगते रहे हैं ?

30. **Sri Indra Singh Nayal** (*absent*): Is the Government aware that there are several poor cultivators including political sufferers who have been asking for land here and there in the district ?

वित्त मन्त्री—जी हां।

Minister for Finance: Yes.

३१—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार उपरोक्त प्लाटों या उनमें से किसी प्लाट पर उनको बसाने के बारे में कोई कदम उठाने का इरादा रखती है ?

31. **Sri Indra Singh Nayal** (*absent*): Do the Government intend to take steps to "rehabilitate' them on the above plots or any of the above plots.

वित्त मन्त्री—जी नहीं।

Minister for Finance: No

३२—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार उपरोक्त जमीन या उसके किसी भाग को कुमायूं इन्डस्ट्रीज कम्पनी को देने का विचार रखती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उस जमीन का ब्योरा देने की कृपा करेगी।

32. **Sri Indra Singh Nayal** (*absent*): (*a*) Does the Government intend to give the above land or a part of it to the Kumaun Industries Company ?

(*b*) If so, will the Government please give particulars of the land ?

वित्त मन्त्री—जी हां, सरकार कुछ भाग पट्टे पर इस कम्पनी को देना चाहती है। लगभग ३० एकड़।

Minister for Finance: Yes, Government intend to lease a part to this Company. About 30 acres.

३३—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—उपरोक्त कम्पनी से सरकार यह निश्चय करने के लिये क्या गारन्टी लेना चाहती है कि उपरोक्त जमीन पर लगे पेड़ों को बेचने से जो रुपया मिलेगा उसका दुरुपयोग न होगा और न वह किसी दूसरे काम में लगाया जायेगा और कम्पनी कुछ समय के बाद दिवालिया न हो जायेगी ?

33. **Sri Indra Singh Nayal** (*absent*): What guarantee does the Government propose to take from the said Company to ensure that the money raised from the sale of the trees standing on the land will not be misused and misapplied and the Company will not be liquidated after sometime.

वित्त मन्त्री—वृक्षों के दिये जाने का कोई सुझाव नहीं है।

Minister for Finance: There is no proposal to allow the Company to have the trees free of charge.

मल्टीपरपज सैम्पिल सर्वे की योजना

३४—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस राज्य में भारत सरकार की मल्टी परपज सैम्पिल सर्वे की योजना के अधीन राष्ट्रीय आय की जांच हो रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या जांच के बारे, में कोई योजना या नक्शे बनाये गये हैं ?

(ग) इस काम को कौन अफसर कर रहा है और किन जगहों की जांच हो चुकी है ?

(घ) यदि भाग (क) का उत्तर नहीं में है तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार की इस जांच वाली योजना में शरीक होना चाहती है ?

34. **Sri Jyoti Prasad Gupta**: (a) Will the Government kindly state whether any survey work is going apace in this State to compute the National income under the Multi-purpose Sample Survey Plan of the Government of India ?

(b) If so, whether any plans and designs regarding such a survey have been drawn up ?

(c) Who is the officer conducting the same and what places have so for been surveyed ?

(d) If answer to part (a) is in the negative, do the Government intend to associate itself with this survey plan of the Government of India ?

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—(क) कुछ समय पहले इस राज्य में केन्द्रीय सरकार की मल्टी परपज सैम्पिल सर्वे (Multi-Purpose Sample Survey) की योजना के अधीन राष्ट्रीय आय के कूतने की जांच हो रही थी, किन्तु इस सरकार को यह पता नहीं है कि यह योजना अब किस दशा में है ।

(ख) इस जांच से सम्बन्धित योजनायें भारत सरकार द्वारा बनाई गई हैं ।

(ग) भारत सरकार यह जांच अपने निरीक्षण में अपने ही अफसरों द्वारा करवा रही है और इस सरकार को इस विषय में विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है ।

(घ) यह सरकार भारत सरकार को इस जांच में वे सभी प्रकार की सुविधायें दे रही हैं जो भारत सरकार मांगती है और यह सरकार ऐसी सहायतायें भारत सरकार को देती भी रहेगी । इससे अधिक और कोई सहयोग भारत सरकार ने नहीं मांगा है ।

The Home Minister Dr. Sampurnanand: (*a*) A survey work was going apace some time back in this State under the Multipurpose Sample Survey Plan of the Government of India, but this Government is not aware of the stage it has reached.

(*b*) The plans and designs regarding the survey have been drawn up by the Government of India.

(*c*) The survey is being conducted directly by the Government of India with their own staff and this Government is not aware of any details in that respect.

(d) This Government has been lending all cooperation to the Government of India in the survey and rendering help to the extent asked for. It will continue to do so. No further association has been asked for by the Government of India.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या सरकार इसके सम्बन्ध में कोई विशेष विवरण भारत सरकार से प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी ?

गृह मन्त्री—अभी तो हमारा कोई खास ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन ऐसी आशा की जाती है कि शायद वे हमें बाद तक भेज देंगे।

मजदूर यूनियन का रजिस्ट्रेशन

३५—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मजदूर यूनियन के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मन्त्री—सरकार की नीति इंडियन ट्रेड यूनियन्स ऐक्ट, १९२६ में निर्धारित है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की नीति जो इंडियन ट्रेड यूनियन ऐक्ट से निर्धारित है, प्रान्तीय गवर्नमेंट ने कोई ऐसे आदेश जारी किये हैं कि उसका निर्णय उस समय तक न किया जाय जब तक गवर्नमेंट उसमें आज्ञा न दे ?

गृह मन्त्री—मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य को यह इत्तिला कहां से मिली।

३६—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या यह सच है कि आई० बी० आर० आई० इम्प्लाईज यूनियन एजटनगर, बरेली और केन्द्रीय पी० डब्ल्यू० डी०, बरेली, जिनकी फीस रजिस्ट्रेशन और सम्बन्धित कागजात को रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, यू० पी०, कानपुर के पास भेजे हुए एक वर्ष स भी अधिक समय हो गया है, किन्तु अभी तक उपरोक्त यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ?

(ख) इस काम में इतनी देर हो जाने का क्या कारण है ?

गृह मन्त्री—(क) जी हां।

(ख) चूंकि मामला रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स के विचाराधीन है, सरकार का कुछ अधिक कहना उचित नहीं होगा।

३७—श्री प्रतापचन्द्र आजाद—(क) क्या यह सच है कि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, कानपुर में कोई पत्र मन्त्री आई० बी० आर० आई० इम्प्लाइज यूनियन के पास इस आशय का भेजा है कि प्रान्तीय सरकार उनकी यूनियन के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह क्या विचार कर रही है ?

गृह मन्त्री—(क) जी हां।

(ख) जो अधिकार रजिस्ट्रार को कानून से प्राप्त है, उनमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—प्रश्न नं० ३७ में आपने जो जवाब दिया है कि जो अधिकार रजिस्ट्रार को कानून से प्राप्त हैं, उनमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती और ३७ (क) में जो प्रश्न पूछा गया कि क्या यह सच है कि रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, कानपुर ने कोई पत्र आई० बी० आर० आई० इम्प्लाईज यूनियन के पास इस आशय का भेजा है कि प्रान्तीय सरकार उनकी यूनियन के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में विचार कर रही है, इसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया, जी हां।

गृह मन्त्री--माननीय सदस्य अपने सवाल को देखें और फिर उसके जवाब को देखें तो उससे यह जाहिर नहीं होता, बल्कि उससे यह जाहिर होता है कि उसका गलत या सही जवाब दे दिया गया है ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि वह लेटर (letter), जोकि रजिस्ट्रार साहब के पास भेजा गया, उसमें क्या लिखा हुआ था ?

गृह मन्त्री--रजिस्ट्रार साहब ने क्या भेजा उसकी कोई इत्तिला नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रार साहब ने कब भेजा, उसकी इत्तिला इसमें है ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--जो पत्र रजिस्ट्रार साहब ने भेजा, उसमें उन्होंने क्या लिखा था ?

गृह मन्त्री--उन्होंने लिखा कि मामला सरकार के विचाराधीन है और उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्र-पान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक

***वित्त मन्त्री**--जनाब चेयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश धूम्र-पान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक पर विचार किया जाय ।

यह बिल बहुत ही छोटा सा है और उसमें जो कुछ क्लाजेज (clauses) हैं वे ही कन्सिडर (consider) करने के काबिल हैं । उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई आदमी जबकि सिनेमा घर में बैठा हुआ हो और कोई डिमान्स्ट्रेशन (demonstration) हो रहा हो। तो उस हालत में कोई तम्बाकू नहीं पियेगा। इसको कार्यान्वित करने के लिये यह तरीका है कि अगर कोई शख्स धूम्र-पान कर रहा हो, ऐसी जगहों में, तो उससे पहिले यह कह दिया जायेगा कि मत पियो, अगर अब भी वह नहीं मानेगा तो क्लाज में यह रख दिया गया है कि उसके खिलाफ रिपोर्ट करने के बाद कानूनी कार्यवाही होगी और उसमें ५० रुपये तक जुर्माना हो सकता है। यही बात इसमें है और इसका यही मन्शा है इसलिये यह जरूरी है कि इस बिल के जरिये से गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स (inforce) करे । तो इस पर कानूनी दो रायें नहीं हो सकती कि हमें इस बिल की निहायत जरूरत है । मुझे इसके बारे में कुछ सफाई करने की जरुरत नहीं है कि कहां २ स्मोकिंग (smoking) हो और कहां न हो । इसमें तो सिर्फ इतनी बात है कि सिनेमाघरों में इसकी मनाही है, जहां शान और इज्जत वाले कई लोग ऐसे बैठते हैं जोकि सिगरेट नहीं पीते । तो ऐसी जगहों में जहां बहुत से लोग सिगरेट नहीं पीते, ऐसा ऐटमास्फियर (atmosphere) हो जाता है कि दो-चार आदमियों की वजह से वहां सफोकेशन (suffocation) हो जाता है और इससे उन लोगों को जोकि सिगरेट नहीं पीते, तकलीफ हो जाती है । हाईजिनिक प्वाइन्ट आफ व्यू (hygienic point of view) से वहां पर इसका असर और लोगों पर बुरा पड़ता है । हमें वहां पर हाईजिनिक प्वाइन्ट का भी ख्याल रखना चाहिए । यह बावजूद इस बात के है कि पहले उनको मना कर दिया जायेगा कि वे सिगरेट न पियें और वे अगर फिर भी न मानें तब जुर्माना किया जा सकता है । इसके लिये मुनासिब समझा गया कि यह कानून बनाया जाय, तो मेरे ख्याल में यह कोई ऐसी बुरी बात नहीं है और न इसमें कोई डिस्कशन (discussion) का सवाल है और इस पर बहुत ज्यादा वक्त सर्फ करने की भी जरूरत नहीं है । मुझे उम्मीद है कि हाउस इसको मन्जूर करेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी लीडर आफ दि हाउस (Leader of the House) ने उत्तर प्रदेश धूम्र पान निषेध (सिनेमाघर) बिल सन् १९५२ को इस भवन के सम्मुख रखा है। श्रीमन् जब मैंने इस बिल को, जब यह असेम्बली में पेश हुआ था और जब अखबार में निकला, तब पढ़ा कि एक ऐसा बिल आ रहा है जिसके द्वारा सिनेमा हाउसेज में सिगरेट या बीड़ी या इसी तरह की चीजें पीना की मनाही की जा रही है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । मेरे दिल में फौरन यह ख्याल आया कि शायद कैबिनेट (Cabinet) में न पीने वाले मेम्बरों की अधिकता है और यही कारण है कि ऐसी बात सूझी कि सिनेमा में स्मोकिंग

---

*मंत्री ने भाषण शुद्ध नहीं किया ।

(smoking) बन्द की जाय। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि सिगरेट न पीना चाहिए, उससे नुकसान होता है यह तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि यह चीज तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि मैडिकल ऐडवाइजर्स (medical advisers) ने क्या इस सम्बन्ध में राय दी है और हेल्थ (health) पर क्या असर पड़ता है, लेकिन यह कि सिनेमा में सिगरेट या इसी तरह की और चीजें न पी जायं, कहां तक यह बिल प्रैक्टीकेबिल (practicable) होगा, इस चीज को भी सरकार अपने ध्यान में रखे। मेरा अपना ख्याल है कि सिनेमा देखने के लिये जब लोग जाते हैं, वह दिन भर आपके दफ्तर में काम करते करते परेशान हो जाते हैं, जो यहां के सेक्रेटेरियेट (Secretariat) के लोग हैं और जो छोटे वर्ग के लोग हैं, दिन भर मेहनत करते हैं वह रिलैक्सेशन (relaxation) के लिये सिनेमा जाते हैं। सिनेमा तो कोई पूजा घर है नहीं कि वहां जाकर उनको प्रसाद चढ़ाना है, मन्दिर तो है नहीं कि सिगरेट न पी सकें, बल्कि जो लोग सिनेमा जाते हैं उनका उद्देश्य ही सिर्फ यह होता है कि रिलैक्सेशन हो और मेरा ख्याल यह है कि मुमकिन है कि वह गलत हो और वह यह कि रिलैक्सेशन में सिगरेट और बीड़ी पीना भी एक जरूरी चीज होती है और उस पीरियड (period) में सिगरेट वगैरह उस रिलैक्सेशन का पार्ट ऐन्ड पार्सियल (part and parcel) अंग हो जाता है। इस चीज को बचाने के लिये कि सिनेमाज में हेल्थ प्वाइन्ट आफ व्यू (health point of view) से सिगरेट व बीड़ी न पी जाय इस तरह का कोई बिल किसी और प्रदेश में है या नहीं, मुझे नहीं मालूम और दूसरे अन्य देशों की क्या स्थिति है कि वहां स्मोकिंग (smoking) प्रोहिबिटेड (prohibited) है या नहीं, यह भी हमको नहीं मालूम लेकिन मैं समझता हूं कि मंशा यह है कि स्मोक (smoke) करने से वहां पर एक किस्म की दूषित वायु हो जाती है, उसके लिये सरकार कोई और तरीका ऐसा निकाल सकती थी कि सिनेमा हाउसेज जब कन्स्ट्रक्ट (construct) हों तो वैसे वेन्टीलेशन (ventilation) लगाये जायं या ऐसी बातें पैदा कर दी जायं, जिससे यह असुविधा दूर हो जाय।

लेकिन मुझे इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना है। मेरा जैसा अपना ख्याल है मैं समझता हूं कि यह बेकार सा बिल है और यह गवर्नमेंट की इनर्जीज (energies) और गवर्नमेंट का टाइम (time) वेस्ट (waste) करता है। लेकिन अगर उसूली तौर पर सरकार इस चीज को बैन (ban) करती है तब यह देखना पड़ेगा कि इस धूम्र पान को बैन करने में सरकार वाकई सीरियस (serious) है या नान-सीरियसली (non-seriously) इसको बैन (ban) करना चाहती है क्योंकि इस बिल की जो धारायें हैं उनको देखने से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मालूम होता है कि कोई माननीय मन्त्री कहीं सिनेमा देखने गये और वहां उनको धूम्र-पान बुरा लगा और उन्होंने इस बिल का सुझाव कैबिनेट (cabinet) में पेश कर दिया। अगर आप बिल की धारायें देखें तो आपको मालूम होगा कि वे ऐसी हैं जिनमें सरकार को अधिकार है कि जिस एरिया (area) में चाहें उस एरिया में इसको लागू कर दें और जिस एरिया में न चाहें उसमें न लागू करें। क्या इसके माने यह नहीं हैं कि आप सीरियस नहीं हैं। अगर एक चीज खराब है तो हर एरिया के लिये वह चीज खराब है। क्यों नहीं सरकार यह प्राविजन (provision) करती है कि तमाम उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया जाय। इसके क्या माने हैं कि इसको एक एरिया में लागू किया जाय और दूसरे में नहीं। इसके माने यह हैं कि सरकार इस विधेयक के लाने में स्वयं सीरियस नहीं है। वह स्वयं नहीं चाहती है कि इस विधेयक को अच्छे तरीके से लागू किया जाय। ऐसा ही एक विधेयक जो सरकार के द्वारा पेश किया गया था वह प्रोहिबिशन (prohibition) का था। वह कहीं पर लागू किया गया और कहीं नहीं किया गया। लखनऊ शहर में, जहां तमाम सरकारी कर्मचारी हैं, वहां हर शख्स पी सकता है और दूसरे शहरों में उसे लागू कर दिया गया। एक चीज जो खराब होती है वह हर जगह के लिये खराब होती है। यह कैसे हो सकता है कि वह एक शहर के लिये खराब है और दूसरे शहर के लिये अच्छी। ऐसी चीजों के होने से शंकाएं पैदा हो सकती हैं। मान लीजिए कि कोई माननीय मन्त्री जी जो स्मोक (smoke) करते हों, कहीं जायं और वहां यह बिल लागू हो वे बाद में नोटीफिकेशन निकलवाएं कि उस एरिया में यह बिल लागू नहीं होगा, यह तो एक बेजा चीज

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

है। यह चीज समझ में नहीं आती। एक बात जो इस बिल में और है, वह डिफरेंसिएशन (differentiation) की है। वह यह कि दफा ५ में लिख दिया गया है कि किसी एक सिनेमा हाउस में इसे लागू किया जा सकता है और दूसरे में नहीं। अगर किसी शहर में १० सिनेमा-घर हैं वहां ५ में इसको लागू किया जाय और ५ में न लागू किया जाय। यह बात तो असंग प्रतीत होती है। सरकार अगर इस चीज को ईविल (evil) समझती है तो इसे जरूर बन्द कि जाय, लेकिन उसमें एक व्यवहार होना चाहिए। एक नीति होनी चाहिए। दो तरह की नीति न होनी चाहिए, इसका परिणाम यह होगा कि स्मोकिंग पर प्रोहिबिशन लगाना और न लगान बिल्कुल बेकार होगा। जो इस बिल में उसूलों की बातें थी वह मैंने अर्ज कीं।

इसके अलावा मैंने इस बिल को पढ़ने के बाद देखा कि उसके एक प्राविजन में धारा ४ में यह लिखा हुआ है कि ५० रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है और यह भी है कि को पुलिस आफिसर वहां पर अगर किसी को सिगरेट पीते हुए देखे तो उसको गिरफ्तार कर सक है।

श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि गम्भीरता पूर्वक उस चीज के ऊपर सरकार विचार करे। आजकल क्या हालत है। जहां पर टाऊन एरिया में दफ ३४ लगाया जाता है तो उसका परिणाम यह होता है कि करप्शन (corruption) बढ़ता है स्मोकिंग करना बन्द नहीं होगा। लोग चुरा कर पियेंगे। पुलिस के अफसरान उनको पकड़ें और परेशान करेंगे और जनता पकड़े जाने के डर से और ५० रुपया फाइन (fine) के डर से उनकी जेबें भरना शुरू करेगी। एक तरफ तो हमारा उद्देश्य यह है कि सिनेमा हाउस में स्मोकिंग न हो। आज कल लोग चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, मरडर (murder) करते हैं। पुलिस को वे थाम लेते हैं और सब काम कर लेते हैं। जहां पर सिनेमा हाउसेज के मैनेजर पुलिस को थाम लेंगे तो यह कैसे लागू हो सकता है। यह बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबिल ऐक्ट (impracticable Act) है। इस प्रकार के ऐक्ट को लाकर सरकार व्यर्थ अपना समय नष्ट करती है और जनता की तकलीफों को बढ़ाती है। कोई फायदा इससे नहीं हो सकता है। फायदा हो सकता है तो इसको दूसरी दृष्टि से देखना चाहिए था और उसके लिये दूसरे किस्म का नियम बनाना चाहिए था, जिससे स्मोकिंग न हो सके। कोई आदमी सिनेमा जाता है तो उसका सर्च (search) ले। अगर किसी के पास बीड़ी सिगरेट निकले तो वह शख्स गिरफ्तार कर लिया जाय। यदि ऐसा होता था तो ठीक था। इसका परिणाम यह होगा कि तलाशी होने के डर से लोग सिगरेट इत्यादि लेकर ही सिनेमा न जायेंगे। लेकिन खाली आप स्मोकिंग को ही प्रोहिबिट (prohibit) करते हैं। उसका जुर्माना ५० रुपया रखा है जो बहुत ज्यादा है। यह मुमकिन हो सकता है कि पुलिस के लोग उन्हें हैरेस (harass) करना चाहें तो वे उनको गिरफ्तार कर लें। उसकी तो इज्जत मिट्टी मे मिल जायेगी। वहां गिरफ्तारी के बाद कोई जमानत कर ले इसका प्राविजन नहीं है और वह छूट जायं। इसमें इसकी कोई न कोई स्योरिटी (surity) होनी चाहिए। यह चीज बिल्कुल सीरियसली लागू नहीं हो सकती है। सिर्फ पुलिस को मौका मिलेगा, पब्लिक को हैरेस करने का। लोगों की दुश्वारियां बढ़ जायंगी। मैं चाहता हूं और निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री जी से, कि वे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और विचार करने के बाद इस बिल को वापस करें और ऐसे बिलों को आइन्दा मत लाया करें और ऐसा बिल न लाया जाय।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सिनेमा में स्मोकिंग के विरुद्ध पेश किया गया है, कुंवर साहब की राय है कि यह बिल नान-सीरियस है और शायद मजाक के तौर पर इस भवन के सामने लाया गया है। इसके संबन्ध में कुंवर साहब को यह शक पैदा हुआ कि शायद कोई मन्त्री महोदय किसी सिनेमा में गये होंगे और किसी व्यक्ति ने सिगरेट वगैरहः पी होगी। उस समय उनके मन में यह विचार पैदा हुआ होगा कि भवन में एक बिल इसके सम्बन्ध में पेश कर देना चाहिए।

संभव हो सकता है कि कुंवर साहब किसी जमाने की बात करते हों, जब इस प्रकार के पहले बिल पेश होते थे कि कोई मिनिस्टर या कोई बड़ा कर्मचारी सिनेमा वगैरह में जाता हो और उन्हें कोई तकलीफ महसूस होती हो तो बिल पेश कर देते रहे हों। हो सकता है कि कुंवर साहब को उस वक्त का कोई अनुभव हो। किन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है यह बड़े महत्व का बिल है। सिनेमा या दूसरी ऐसी जगहें होती हैं जहां बहुत सी चीजें कागज या और ऐसी चीजों की बनी होती हैं, जहां थोड़ी सी चिनगारी या दियासलाई गिर जाने से बड़े-बड़े नुकसानात हो सकते हैं? इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि सिनेमा देखने के लिये हर एक प्रकार के आदमी जाते हैं। जिस प्रकार की किसी संस्था में हर एक प्रकार के लोग जाते हैं, वहां यह ठीक नहीं मालूम होता कि एक व्यक्ति जो सिगरेट पीना पाप समझता हो या जिसको सगरेट से बदबू मालूम होती हो और वहां औरतें और बच्चे भी जाते हैं तो उस जगह पर सिगरेट वगैरह पीयें। यह कहना कि सरकार ने मजाक के तौर पर पेश कर दिया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि तो क्या कुंवर साहब ने भी मजाक के तौर पर अमेंडमेंट पेश किया है। अगर गौर से देखा जाय तो मालूम होगा कि किसी नेशन (nation) में कोई बुराई है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसको पहले ही से दूर कर देना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को सिगरेट या शराब पीना अच्छा मालूम होता हो, वह समझते हों कि शराब के अन्दर कोई बुरी बात नहीं है इससे ताकत बढ़ती है क्योंकि अंगूरी शराब से लोगों की धारणा है कि काफी ताकत आती है तो यह ख्याल तो कुछ ही व्यक्तियों के हो सकते हैं। जन साधारण के तो नहीं हो सकते। यदि पूरे नेशन को देखा जाय तो यह छोटी-छोटी बुराइयां, जो दिन-रात हो रही हैं उनको दूर न करना और कहना कि यह छोटी-छोटी बातें हैं और इन पर बहस करना भवन का समय नष्ट करना है, तो मैं कहूंगा कि जब तक छोटी-छोटी बुराइयां दूर नहीं होंगी, तब तक बड़ी-बड़ी बुराइयां भी दूर नहीं हो सकतीं। छोटी बातों से ही, छोटी खराबियों से ही बड़ी-बड़ी खराबियां आती हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि एक बात बहुत जरूरी कुंवर साहब को मालूम हुई। उन्होंने कहा कि जिस काम को करें उसको उसी ढंग से करें कि उसका असर हो। यह बहुत जरूरी है। मैं भी सरकार के लिये यह सुझाव पेश करूंगा कि जो ऐक्ट आप बनायें, जो बिल आप पास करें उसको लागू करते समय इस बात को देखना चाहिए, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि यह पूरे तौर से, पूरे ढंग से लागू हो रहा है। सरकार का एक आदेश है कि जो खराब सिनेमा हैं, जो अश्लील सिनेमा हैं उनको १८ वर्ष से कम के लड़के न देखें। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी सिनेमा का ऐसा चालान नहीं किया गया है, जिसने इस नियम का उल्लंघन किया हो। मेरा तो यह विचार है कि एक या दो सिनेमाओं का भी चालान नहीं किया गया, जिसने १८ वर्ष से नीचे के लड़कों को अश्लील सिनेमा दिखाया। जो ऐक्ट या कानून लागू हों उसको पूरी तौर से इस प्रकार से लागू करना चाहिए, जिससे उस ऐक्ट की जो मन्शा है वह पूरी हो जावे।

दूसरी बात कुंवर साहब ने कही कि इस बिल के अन्दर ५० रुपया की जो सजा रक्खी गयी है, पहले तो आपने यह बतलाया कि इससे कोई असर नहीं होगा फिर दूसरी बात उसके खिलाफ आपने यह कहा कि वह जुर्माना ज्यादा है, वह कम होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, रेलवे में एक कानून यह है कि चलती हुई गाड़ी की जो व्यक्ति जंजीर खींचेगा और अगर नाजायज खींची होगी तो उसको ५० रुपया जुर्माना देना होगा। साल दो साल के अन्दर एक दो मौके ऐसे आते हैं जब किसी ने फिजूल जंजीर खींची हो। पैसेन्जर्स (passengers) का कीमती सामान छूट जाता है, लेकिन वह जंजीर खींचने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि ५० रुपये की सजा से बचने के लिये कोई व्यक्ति पुलिस वालों को ५-१० रु० देकर छूटने की कोशिश करेगा। अगर हम इन बातों पर ध्यान देंगे कि पुलिस वाले रिश्वत लेकर छोड़ देंगे, मैजिस्ट्रेट (Magistrate) रिश्वत लेकर छोड़ देगा, तब हम कोई सुधार अपने प्रान्त में और अपने देश में नहीं कर सकते हैं। फिर तो जितने कानून आप बनायेंगे और जितनी व्यवस्था आप करेंगे उनमें सब में पुलिस वालों का हाथ होगा, मैजिस्ट्रेटों का हाथ

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

होगा इन सब में उन्हीं लोगों का हाथ होगा। अगर हमें यह देखना है कि कोई भी कानून पास हुआ तो उसका दुरुपयोग होगा लोग गलत तरीके पर गिरफ्तार किये जायेंगे तो फिर कोई कानून पास करना या व्यवस्था बनाना यह सारा का सारा फिजूल हो जायेगा। बेकार की बातें होंगी। हो सकता है कि एक या दो फीसदी लोग गलत मामलात में पकड़ जाते हों या गलत तरीके से पकड़ जाते हों, लेकिन जो चोर होता है वह जरूर पकड़ा जाता है। जो डाका डालता है वह पकड़ा जाता है, जो कत्ल करता है वह पकड़ा जाता है। यह भले ही होता हो कि वह किसी कानूनी दांव पेंच में आकर अदालत से छूट जाता हो। कुछ लोग गलत तरीके पर पकड़े भी जाते हैं और गलत तरीके से अदालत से छूट भी जाते हैं।

लेकिन इन बातों का कन्सिडरेशन (consideration) करके हम इस बात का इरादा ही छोड़ दें कि चूंकि जिस मामले में पुलिस पायेगी रिश्वत लेकर छोड़ देगी तो मैं समझता हूं कि हम कोई व्यवस्था ही नहीं कायम कर सकते हैं।

इसलिये मेरा अपना विचार है कि यह विधेयक जो इस भवन में पेश किया गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और जो अमेंडमेंट कुंवर साहब ने पेश किया है अगर उससे कोई नयी बात पैदा होती तो मैं समझता कि ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि केवल कुछ शब्दों का हेरफेर है और कोई बात नयी नहीं रखी गयी है। एक बात और कुंवर साहब ने कही कि यह बिल कुछ सिनेमाओं में लागू होगा और कुछ में नहीं। तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। बिल का असली मन्शा यह है कि यह सारे प्रान्त में लागू होगा, लेकिन पहले जहां-जहां सरकार जरूरी समझेगी वहीं पर लागू किया जायेगा। कुंवर साहब ने जो संशोधन रखे हैं उनमें कोई खास बात नहीं पैदा होती है। कुछ शब्दों को निकाल देने से या बढ़ा देने से इस बिल का महत्व नहीं बढ़ जाता है। इसलिये मैं कुंवर साहब के संशोधन का विरोध करता हूं और वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

***श्री अब्दुल शकूर नजमी**--माननीय चेयरमैन, जो बिल हाउस के सामने पेश किया गया है उसके बारे में मेरा ख्याल है कि जिनकी जानकारी है, जिनके मालूमात हैं, उनके लिये बहस में गुन्जाइश नहीं है, इसलिये मेरा ख्याल था कि इस पर कुछ न अर्ज किया जाय, लेकिन कुंवर साहब के विचारों के सुनने के बाद मेरे लिये यह जरूरी हो गया कि मैं २-३ बातों पर कुछ बोलूं। जो बिल सामने आया है उसको आधार बना कर मैं चन्द मोटी-मोटी बातें पेश करना चाहता हूं। जहां तक धूम्र पान निषेध का ताल्लुक है, इसमें बहस की कोई गुन्जाइश नहीं है। लेकिन जहां इसको इतना महत्व दिया गया है, वहां कुछ बातों की तरफ और भी ध्यान देना जरूरी है। जो टूरिंग टाकीज (touring talkies) हैं उसमें पेशाबखाने नहीं होते हैं और थोड़ी सी जगह में परदा लगा कर पेशाब खाने बना दिये जाते हैं। वैसे तो टूरिंग टाकीज चलने ही न चाहिए। हमारी गवर्नमेंट का फर्ज है कि जो वह ८० लाख रुपया के लगभग इन्टरटेनमेंट टैक्स (entertainment tax) से वसूल करती है उससे वह लोगों को कुछ सुख पहुंचाने की कोशिश करे। उनके पेशाबखाने के बारे में कुछ होना चाहिए और उनको मजबूर किया जाय कि वह इन्हें ठीक से बनवाये।

दूसरी बात है सिनेमाओं के एडवरटीजमेंट (advertisement) के बारे में। उनका जो एडवरटीजमेंट निकलता है उसको देख कर शर्म आती है। इस तरह के एडवरटीजमेंट बन्द होने चाहिए। लास्ट शो (last show) के बारे में मुझे यह कहना है कि यह १२-४५ पर जरूर खत्म कर दिये जायं और अगर वह न खत्म किये जायं तो उनके लाइसेन्स (licence) खत्म कर दिये जायं।

यह तीन मोटी-मोटी बातें हैं, जिनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब कुंवर जी के सवाल का जहां तक मतलब है उसके बारे में मैं उन्हें बतला देना चाहता हूं कि उन्हें यह जानकारी होनी

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चाहिए कि उन्हीं के लखनऊ में मे फेयर (May fair) सिनेमा है जिसके मालिक ने सिनेमा हाल में स्मोकिंग पर पाबन्दी लगा रखी है। उन्होंने नोटिस लगा रखा है कि स्मोकिंग नहीं होना चाहिए। जो जानता है कि स्वास्थ्य पर कितना नुकसान होता है और वह नहीं होना चाहिए तो उन्होंने पहले ही से पाबन्दी कर दी है। यह कोई आज की बात नहीं है।

माननीय चेयरमैन साहब, अगर किसी शख्स ने यह तय कर लिया है कि वह हर बात में मुखालिफत करे और यह सोच ले कि मुझे विरोध करना है और हर हालत में विरोध करना है तो उसके लिये कोई समय नहीं है। इस लिये कुंवर साहब की जानकारी के लिये मैंने मे फेयर की मिसाल दी है। इसी तरह दिल्ली में होता है, जोकि हमारे सूबे के बाहर है। दूसरी सरकार की क्या असल मन्शा है। असल में यह चीज कहां लागू होगी और कहां न होगी। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि यह मन्शा नहीं है जिसको जरूर कर दिया जाय। जिसका अभी कुंवर साहब ने एतराज किया है वह होना चाहिए। जो टूरिंग टाकीज हैं वे तम्बू में रहते हैं न कि बिल्डिंग में। इस तरह से जो धूम्र पान की बात है वह इन पर लागू नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि जिस वक्त यह बिल बन रहा हो उस वक्त सरकार की जेहन में यह बात रही हो।

आखिर में मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। हमारे सूबे के गवर्नर श्री के० एम० मुंशी जी ने पायनियर में एक लेख लिखा है, जिसका सारांश मैं यह समझा कि एक पिक्चर (picture) को देखने से उन्हें बहुत अफसोस हुआ। जरूर होना चाहिए, क्योंकि वे बड़े लेखक हैं और उन्होंने कई अच्छी अच्छी कहानियां भी लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि आजकल की जो पिक्चर हैं, हालांकि वे सेन्ट्रल सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमारी सरकार को ऐसी पिक्चरों को प्रोत्साहन देना चाहिए जैसे मिसाल के तौर पर "मां" या "हमलोग" पिक्चर चली हैं। ऐसी पिक्चर नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि "अन्जाम" पिक्चर यहां आई थी। कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए कि जो खराब पिक्चर आती हैं उन पर पाबन्दी होनी चाहिए, ताकि लोगों को अच्छे ढंग में ढलने का मौका मिले। ये मोटी-मोटी बातें हैं, जिन्हें मैं मिनिस्टर साहब के सामने लाना चाहता हूं।

डा० प्यारेलाल श्रीवास्तव—Mr. Chairman, Sir, I should like to congratulate the Government for bringing forward this measure of great social reform. I had hoped that not a single member of this House would object to a measure of this kind. The fundamental principle underlying this measure is that smoking is harmful and injurious in any place where a large number of people are sitting together. This principle has been accepted in all civilized countries. In England, in France, in all advanced countries where there is lot of smoking, trains have been divided into compartments marked as "smoking" and "non-smoking compartments." There are cinemas where smoking is prohibited. Now the Government has come forward to place that principle before this House and ask this House to accept it. If once you accept this principle the question remains of applying that principle. I think the Government having regard to the usual practice has tried to go slowly in inducing the public to accept this reform. It may be that there may be cinemas in a city where smoking will be permitted for the simple reason that those who are anxious to smoke during the demonstration should visit those cinemas.

Later on probably it will be necessary to prohibit smoking in those cinemas also. This anxiety on the part of the Government not to force a measure of social reform harshly upon the public should have been appreciated by Kunwar Sahib. On the contrary he complains that the Government is making discrimination between cinemas and cinemas and between places and places. I think that discrimination is very well founded

[डा० प्यारेलाल श्रीवास्तव]

ed. Every reform should be introduced gradually. Care should be taken that the harshness is mitigated as much as possible. Keeping these facts in view the Government has brought forward this measure, and I hope the House will give it its whole-hearted support.

Speaking as an educationist I am very happy, Sir, that a measure of this kind has been placed before the House. Our youngmen who generally frequent these cinema houses will think several times before they smoke inside those houses. If there is any gentleman who is very fond of smoking and who cannot go without smoking for two or three hours he can certainly walk out of the cinema house and have the pleasure of smoking outside.

Here we are all members of this House. Many of us are smokers, but we do not smoke inside the House. What we can do ourselves, we can certainly ask other citizens who are going to cinemas to practice. This is nothing unusual. I hope, Sir, the measure will be hailed throughout the length and breadth of the State as a great measure of reform and will be readily accepted by all the people and citizens who inhabit this State.

It should go to the credit of this Government that it is thinking not only of raising funds by levying taxes but at the same time it is also thinking of improving the health of the people by improving their social conduct. This is a measure of social conduct. I should have regard for my neighbour sitting on my right or left. If he does not want that I should smoke I should go outside the House and smoke. It is a social conduct which each one of us should cultivate and appreciate From this point of view I support the measure and I hope the House will accept it with great enthusiasm.

***श्री प्रभु नारायण सिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सामने आया है, उसका उद्देश्य इन शब्दों में लिखा हुआ है—

"Smoking is not beneficial to health but is definitely injurious to the health"

इस बिल को पेश करते हुए हमारे माननीय सदन के नेता ने यह बात कही कि सिनेमा हाउसेज में जो स्मोकिंग होती है, वह केवल इस बात से नहीं कि बैठने वालों को डिस्कम्फर्ट (discomfort) की बात है, बल्कि उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। ऐसी सूरत में यह सवाल यहां पर नहीं आता है कि हम इस पर डिस्कशन करें कि सिगरेट पीना अच्छा है या बुरी बात है। मेरे बहुत से साथियों ने यह सवाल उठाया है और इस सवाल को उठा कर उन्होंने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि सिगरेट पीना बुरा है। उन्होंने जो छोटे-छोटे मेजर (measure) हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन (restriction) लगाने की बात कही है। अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन्स होंगे जिनके ऊपर बहुत सी ऐसी रायें हो सकती हैं कि कुछ के सम्बन्ध में कहेंगे कि बहुत बुरी है और कुछ के सम्बन्ध में कहेंगे कि अच्छी है ? जैसे कि स्वयं पान को ही ले लीजिए, इसको कुछ लोग कहते हैं बहुत बुरी चीज है और कुछ की यह राय होती है कि अच्छी चीज है । इसी तरह से और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जिनके बारे में भिन्न-भिन्न राय हो सकती हैं। यहां पर सवाल इस बात का नहीं है कि सिगरेट पीना जायज है या नाजायज है। बहुत से लोग इस बात को महसूस करते हैं कि रिलेक्सेशन प्वाइन्ट आफ व्यू से इसका पिया जाना आवश्यक समझते हैं। आप

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

खास कर अपने कार्य के दिक्कतों में, बहुत से मुसीबत के समय में इसका पिया जाना जरूरी समझते हैं और उनको इससे राहत भी मिलती है और सिगरेट उनको काम करते समय में भी राहत देने वाली चीज होती है। इसलिये यह सवाल उठाना कि यह सिगरेट पीना अच्छा है या बुरा है, इसकी बहस यहां पर उठाना जरूरी नहीं है।

अब रही बात यह कि सिनेमा हाउसेज में सिगरेट पीना इन्जूरियस (injurious) है तो अब सवाल यह आता है कि इसको बन्द होना चाहिए या नहीं बन्द होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर माननीय मन्त्री जी इस बिल को सदन में इस लिये लाये होंगे कि उन्होंने उसमें कोई एक्सपर्ट (expert) की राय जरूर ली होगी। मैं तो इस बात का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो इस बात को महसूस कर सकूं कि सिनेमा हाउसेज में सिगरेट पीना हार्मफुल (harmful) है या नहीं है। यह तो जिस तरह की सिनेमा-हाल की बनावट होती है और उसमें बैठने की बात होती है तो जो ऐसे सिनेमा हाउसेज हैं कि जिनमें हवा बाहर आसानी से न निकलती हो तो ऐसी जगहों में स्मोकिंग [illegible] होता है और जो अगल बगल के लोग बैठे होते हैं उनको तकलीफ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रहा सवाल यह कि जो बिल इस सदन के सामने आया है तो उसमें कोई राय दी जाय या न दी जाय। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें कोई राय देने की बात नहीं है और अगर ऐसा बिल है कि इसके ऊपर बहस की भी आवश्यकता नहीं है और जब वे इस पर बोलने बैठते हैं तो कम से कम १५ मिनट उन्होंने अपनी राय देने में ले लिया और तरह तरह के सजेशन (suggestions) पेश किये। इसके अलावा उन्होंने ऐसे सजेशन्स दिये जिनका कि बिल से कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अच्छा हो कि जो विरोधी दल की तरफ से विरोधी सदस्य की हैसियत से कोई बात आये, उसको सुनने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिये नहीं कि विरोधी सदस्य की ओर से बात आई है, और चाहे अच्छी ही क्यों न हो, लेकिन नहीं माननी चाहिए। सरकारी पक्ष की ओर से जो बात पेश की जाती है चाहे वह बुरी हो क्यों न हो, लेकिन चूंकि सरकारी पक्ष की बात है इसलिये पास होना चाहिए, तो यह बात नहीं होनी चाहिए। हमारे मेम्बर साहबान ने दो एक बातें ऐसी कही हैं कि जिन पर गौर करना जरूरी है। पहली बात को मैं मानता हूं कि सिनेमा हाउसेज जिस तरह से बने हुए हैं उस हालत में ऐसे सिनेमा हाउसेज में स्मोकिंग करना हेल्थ (health) के लिये इन्जूरियस (injurious) है। लेकिन कुछ सुझाव उन्होंने ऐसे दिये हैं, जैसे कि एक साहब ने सुझाव के तौर पर यह बात कही है कि अब जो नये सिनेमा हाउसेज बनें उनमें इस बात की गुन्जाइश हो कि हवा खराब न होने पाये। जो सिनेमा हाउसेज इस वक्त बने हुए हैं उनमें इस बात की गुन्जाइश नहीं है, लेकिन आगे से ऐसे सिनेमा हाउसेज बनाने की इजाजत दी जाय कि जिनमें सिगरेट या बीड़ी पीने के बाद भी वह स्वास्थ्य को हानिकारक सिद्ध न हो, तो यह कोई जायज नहीं है।

दूसरा सवाल या सुझाव जो उन्होंने दिया है तो जो ५० रुपया फाइन (fine) किया जायेगा, उसके सम्बन्ध में दिया है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि इस बिल के बनाने में और खास तौर से इस दफा के बनाने में यह बात कही गई कि यदि सब-इन्स्पेक्टर्स के रैन्क का या सब-इन्स्पेक्टर्स से बड़े रैंक का आफिसर पहले उस आदमी के पास जाय जो कि सिगरेट पीता हो और उसको मना करे, यदि वह इस चीज को नहीं मानेगा तो उसके बाद उसका नाम, पता पूछे और अगर उनको यह शक हो कि उसका नाम या ऐड्रेस (address) सही नहीं है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाय, यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इतनी छोटी सी बात के लिये इतनी बड़ी सजा देना और ऐसी बात के लिये जिसको कि आम जिन्दगी में कोई बुरा नहीं समझा जाता और जिसके सम्बन्ध में लोगों की भिन्न राय भी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग जोकि सिगरेट वहां अपने मनोरंजन के लिये या रिक्रीयेशन (recreation) के लिये पीते हैं, तो उनके लिये यह बहुत बड़ी सजा हो जायगी। वैसे तो आपने शराब पीने के लिये भी प्रतिबन्ध लगा

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

रखा है, लेकिन वह भी हर सूबे में नहीं है, तो एक मामूली से जुर्म में कि वह सिनेमा हाल में सिगरेट पीता है, तो वह यदि अपना ऐड्रेस ठीक नहीं बतलाता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाय, तो मेरे विचार में यह स्टेप (step) उसके लिये बहुत ही ड्रास्टिक (drastic) है। यह गलती किसी से भी हो सकती है। जो आदमी कि चैन स्मोकर (Chain smoker) है और गलती से उसने वहां सिगरेट जला ली, तो उस मामूली सी गलती के लिये उसे गिरफ्तार कर लिया जाय, जबकि वह अपना पता ठीक या गलत जो भी बतलाता है, तो यह कहां तक उचित है। मैं इसके लिये आपके सामने यह सजेशन (suggestion) रखना चाहता हूं कि यदि वह गलती से वहां सिगरेट पीता है तो उसको ५ रुपया फाइन (fine) हो, क्योंकि यदि वह एक बार ५ रुपया दे देगा तो आगे वह ऐसी गलती करने से पहले सोच लेगा कि उसे फिर ५ रुपया देने पड़ेंगे तो वह ऐसी गलती नहीं करेगा। आजकल के जमाने में एक आदमी के लिये ५ रुपया फाइन देना भी बहुत होता है और उसके लिये यह सजा काफी है, बजाय इसके कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाय और बन्द कर दिया जाय। इस तरह से रिस्ट्रिक्शन (restriction) लगा देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आप यह कहेंगे कि साहब ५ रुपये तो बहुत कम हैं, ५० रुपये होने चाहिए तो इसमें महज रुपयों का ही सवाल नहीं है, बल्कि उसकी वहां पर बेइज्जती हो जायेगी अगर वह १० या ५ रु० उस आफिसर को नहीं देता है तो वह चाहे कोई भी आदमी हो, उसके द्वारा परेशान किया जायगा और उसमें प्रभु नारायण सिंह भी हो सकते हैं और माननीय मन्त्री भी हो सकते हैं। हमारा सामाजिक रवैया इस किस्म का है कि जिसकी वजह से उसे एक जरा से जुर्म के लिये बेइज्जत न होना पड़े और वह उसके लिये बन्द कर दिया जाय।

इसमें मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि इस जुर्म के लिये उसे सिर्फ ५ रुपया फाइन हो, क्योंकि जो आदमी समाज में इस तरह बैठा हुआ हो और अगर वह गलती से ऐसा काम करता है अपनी आदत के मुताबिक, तो उसके लिये मेरे ख्याल में ५ रुपया जुर्माना करदेना काफी है और वह भविष्य में फिर इस तरह की गलती करने से घबड़ायेगा क्योंकि वह नहीं चाहेगा कि वह फिर इस तरह से ५ रुपया दे क्योंकि ५ रुपया भी आजकल कोई मामूली बात तो है नहीं।

वैसे इसका दुरुपयोग सब-इन्स्पेक्टर कर सकता है जिसको कि यह अधिकार है कि वह उसे गिरफ्तार कर ले। तो इस तरह की गुन्जाइश हो सकती है कि वह सही या गलत जो भी ऐड्रेस उसको बतलाता है, उसको अधिकार है कि वह उसे गिरफ्तार कर ले और उसे बन्द कर ले। यदि सब-इन्स्पेक्टर उसे मना करता है, मगर उसकी किसी भी छोटी सी बात पर या बिहेवियर (behaviour) पर नाराज हो जाता है, तो फिर भी वह उसे गिरफ्तार कर सकता है और उसमें वह दूसरा आदमी फिर कैसे आपत्ति करेगा। वह किसी भी सिचूएशन (situation) में किसी आदमी को चाहे बन्द करा सकता है यदि वह आदमी उसको १० या ५ रुपया नहीं दे देता है। इस तरह से यदि वह अपना सही ऐड्रेस बतलाता है तो भी उसे सब-इन्स्पेक्टर गिरफ्तार कर सकता है और बन्द करा सकता है। इसी लिये मैं चाहता हूं कि उस आदमी को इसके लिये ५० रुपये के स्थान पर ५ रुपया जुर्माना कराया जाय और वह ५ रुपये तत्काल ही दे दिये जायं। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि जो सुझाव के रूप में हमने कहा है उद्देश्य पर बोलते हुए उसको ध्यान में रखा जाय और जो संशोधन श्री गुरू नारायण जी ने पेश किये हैं वह भी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर किये गये हैं तो मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इन संशोधनों को स्वीकार करने की कोशिश करेंगे।

***डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब यह बिल पेश किया गया तो मेरे दिल में यह ख्याल उठा कि इस बिल के आने में देर हुई जल्दी नहीं हुई। मैं सिर्फ दो-एक बातें माननीय मन्त्री जी के सामने सुझाव के

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

रूप में रखना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे। पहली बात यह है कि इस बिल में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई इनसिस्ट (insist) न करें तो जुर्माना होगा। मेरा ख्याल है और कहा गया है कि जुर्माना ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि अगर वह कहा न माने तो यह सजा लागू की जा सकती है और यह काफी सजा है और मुनासिब है, ज्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो मैं कहना चाहता हूं इसमें कहा गया है कि सिनेमाज में फर्क रखा गया है। मेरा तो ख्याल यह है कि जैसा कि कहा गया है कि करेक्टर (character) जुदागाना हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई मुखालिफत करे बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को यह अपने डिस्क्रेशन (discretion) पर रखना चाहिए कि जिससे वह चाहे लागू करे और जिसमें न चाहे न लागू करे।

तीसरी बात मैं आपके जरिये से यह कहना चाहता हूं कि अगर डिसिस्ट (desist) करने पर भी कोई बाज न आये तो सब इन्स्पेक्टर को अख्तियार दिया जाय कि वह उससे कहे कि वह सिनेमा हाउस छोड़ दें उसके बाद उनको अख्तियार होना चाहिए कि वह उसका नाम और पता पूछें और अगर पता देने से इन्कार करता हो तो उसको बन्द करने का अख्तियार होना चाहिए और अगर वह माकूल जमानत दे सकता है तो सब-इन्स्पेक्टर उसको वहीं पर छोड़ दें और उसको ज्यादा हैरेस (harass) करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर स्टूडेन्टस (students) में सिगरेट का पीना बन्द करा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा है। मेरा ख्याल है कि इस तरह से जेनरल करेक्टर (general character) पर असर पड़ेगा। मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि इस बिल को यूनानीमसली (unanimously) पास होना चाहिए।

श्री सभापति उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिनों से यह विचार कर रहा था कि कोई ऐसा विधान बने जिससे धूम्र-पान हर जगह बन्द हो जाय। आज मुझे प्रसन्नता हुई और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। सिगरेट का पीना, मैं निवेदन करूंगा कि अच्छी चीज नहीं है। कालेज, रेलवे, बस आदि में धूम्रपान मना है। माननीय सदस्य का यह कहना है "कि कहीं नहीं मना है" उनकी भूल है। जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उनको इससे बड़ी तकलीफ होती है सिनेमा घर में क्या यह तो सभी जगह बन्द होना चाहिए। ऐसा न होना चाहिए कि यह किसी सिनेमा में कहीं लागू किया जाय और दूसरे सिनेमा में नहीं। जो सजा वगैरह धूम्र-पान के लिये रखी गयी है वह ज्यादा है अगर इसे कम कर दिया जाय तो अच्छा है। यह बहुत ही अच्छी चीज है। इसे अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू--मैं इस बिल का हृदय से स्वागत करती हूं। मुझे इस बिल के आजाने से बड़ी प्रसन्नता हुयी। आजकल सिगरेट पीने का तो यह हाल हो गया है कि चार-चार पांच-पांच साल के बच्चे तक सिगरेट पीते हैं। सिनेमा में तो सिगरेट पीना बड़ा ही बुरा मालूम होता है। यदि सिनेमा में बैठकर सिगरेट पीने की किसी की आदत ही है तो वह इन्टरवल में बाहर जाकर पी सकता है। हम स्त्रियों को तो इससे बड़ी ही तकलीफ होती है। दूसरे देशों में तो लोग सिगरेट वगैरह पीने के लिये महिलाओं से इजाजत ले लेते हैं लेकिन यहां तो ऐसा है नहीं। अंग्रेजों के जमाने में जब यहां सिगरेट वगैरह नहीं बनती थी तब यह कहा जाता था कि हम सिगरेट इसलिये पीते हैं कि विदेशीय चीज है इसको जला कर फूंक देते हैं परन्तु अब तो यह सब यहीं बनने लगी हैं अब इसकी क्या जरूरत है इसको पीकर अपने हृदय को भी जलाया जाय। जैसा कि एक भाई ने कहा कि यह बिल तो पेश्तर आ जाना चाहिए था, यह ठीक है। देर से आया दुरुस्त आया। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं।

***श्री शिवसुमरन लाल जौहरी**--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हाउस के सामने प्रस्तुत है कि सिनेमा हाउसेज में सिगरेट पीने की इजाजत दी जाय या न दी जाय इसमें दो रायें

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शिवसुमरन लाल जौहरी]

नहीं हो सकती हैं। अगर दो राय हो सकती हैं तो सिर्फ इसमें हो सकती है कि किस तरह से इसको हल किया जाय। बजट सेशन में वित्त मन्त्री ने अपना बयान दिया था वह शराब के सिलसिले में था। उन्होंने कहा था कि हम कुछ ही जिलों में शराब बन्द किये हैं। बाकी जिलों में तो यह भावना स्वयं पैदा हो जायेगी कि शराब पीना बुरा है और ऐसी भावना पैदा हो जाय कि शराब पीना बन्द हो जाय। जिस तरह का कानून शराब के सिलसिले में है वही कानून सिगरेट के सिलसिले में होता तो अच्छा होता। कानून तो जितना कम हो उतना ही अच्छा है। जितना कानून बढ़ता है वह समाज के लिये अच्छा नहीं होता है इसमें कोई प्राविजन (Provision) हो और पीने वाले पर ५० रुपया जुर्माना हो और वह अदालत में जावे। १०७ वालों पर मुकद्दमा चलाया जाता है और उसको २० दफा कोर्ट में जाना पड़ता है। इस तरह से २० पेशियां होती हैं। उसकी सजा यही है कि वह २० बार अदालत में हाजिरी दे। सभी लोग सिनेमा जाते हैं। जो इस तरह का कानून बनता है तो हमारा तजुर्बा है कि जब वह लागू किया जाता है तो वह बड़े लोगों के खिलाफ लागू नहीं होता है। अगर कोई बड़ा आदमी सिगरेट पीते हुए पकड़ा जायेगा तो सब-इन्स्पेक्टर साहब उससे कहेंगे कि आप सिगरेट न पीजिए और अगर कोई मजदूर पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसका गला दबा देंगे। सिनेमा में किसी आदमी से कहा जाय कि सिगरेट न पीजिए अगर नहीं मानता है तो उससे जुर्माना ले लिया जाय। सिनेमा हाउसेज में सिगरेट पीने का जो बिल है उसकी कोई मुखालिफत नहीं करेगा। किस तरह से वह दूर किया जाय इसमें इख्तलाफ होता है। मैं सरकार से कहूंगा कि जो शराब के सिलसिले में कानून है वही तरीका इस सिलसिले में लागू किया जाय तो दूसरे कानून की जरूरत नहीं होगी। यही बात मैं कहना चाहता था।

श्री परमात्मानन्द सिंह--श्री मान चेयरमैन साहब, यह बिल जो हमारे सामने प्रस्तुत है मैं समझता हूं कि वह अपने समय से बहुत देर बाद आया है। चीज बड़ी साफ है और मैं तो यह आशा करता था कि इसका हर ओर स्वागत होगा और मैं समझता हूं कि हर ओर स्वागत ही हुआ है। सिर्फ एकाध मित्रों ने इसके विषय में कुछ आपत्ति की। शुरू शुरू में श्री कुंवर गुरुनारायण जी ने जो इशारा किया है कि धूम्रपान अच्छा है या बुरा है, यह अलग ही एक प्रश्न है, जो तै नहीं हुआ है।

तो क्या उनका यह भी विचार हो सकता है कि सामूहिक स्थान के ऊपर भी इसका स्वागत हो यानी धूम्रपान अच्छा समझा जाय। बिल यहां उपस्थित किया गया है, उसमें सरकार ने कदम उठाया है, एक पहिली सीढ़ी शुरू की है कि इस धूम्रपान जैसे बड़े राक्षस को हटाया जाय। रेल वगैरह तो सरकारी चीजें हैं हम लिख देते हैं कि यदि यात्रियों को एतराज हो तो सिगरेट बीड़ी पीना मना है, मगर सिनेमा घर तो व्यक्तिगत चीजें हैं, उसमें ऐसा करना चाहिए कि या तो सिनेमा मालिक के लिये यह जरूरी हो जाय कि वह किसी को वहां धूम्रपान न करने दे या दूसरा तरीका यह हो सकता है कि सरकारी अधिकारी सीधे ही हस्तक्षेप करें। इस विधेयक के द्वारा दूसरी बात आरम्भ की जाती है। इसमार्ग में पहिली जरूरी बात जो होगी वह यह कि इस बात का एक प्रचार हो जायगा कि सिनेमा में धूम्रपान करना मना है। बहुत कुछ तो असर इसका ही होगा। दूसरी बात यह है कि धूम्रपान करने वाले को पहिले मना किया जायगा और जो मना करने पर नहीं मानेंगे तो उसकी सजा तो अधिक होनी ही चाहिए दो, चार रुपया का जुर्माना एक मजाक होगा, ५० रुपया या १०० रुपया या इससे भी अधिक होना चाहिए जैसा कि बिल में रखा गया है। अफसर सब-इन्स्पेक्टर से कम दरजे का न हो। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा अगर मौके पर जुर्माना लिया जायगा तो हो सकता है कि जुर्माना वसूल करने वाला कोई रकम न ही जमा करे और इस तरह से करप्शन और बेईमानी बढ़ेगी मैं तो समझता हूं कि जो चीज बनाई गई है, जो कहा गया है कि कुछ जगहों पर लागू होगी यह कुछ जगहों पर नहीं होगी तो यह मेरी समझ में बड़ा अच्छा है। कुछ जगहों पर लागू करके हम पहिले देख लें कि व्यावहारिक रूप में लाने में कोई अड़चन तो नहीं पड़ती अगर पड़ती, है तो

बाद में हम दूसरा संशोधन बिल लाकर अड़चनों को रफा कर सकते हैं। यह धूम्रपान को हटाने का पहला कदम है, मैं समझता हूं कि हमारे भवन के मित्र इसको वैसे ही पास करेंगे जैसे यह लाया गया है। कुछ मित्रों ने जो अमेंडमेंट पेश किये हैं, शायद अब वह भी अपने अमेंडमेंट पेश न करेंगे और यह चूंकि पहला कदम है इसको वैसे ही पास हो जाने देंगे।

***श्री हयातुल्ला अन्सारी**---माननीय चेयरमैन जी, मुझे एक किताब याद आ गई है जोकि मैंने बचपन में पढ़ी थी और जिसमें धुंयें के बारे में लिखा हुआ था। उसमें जितना मुझे याद पड़ता है, यह लिखा हुआ था कि एक सन्दूक दो फुट दो फुट, दो फुट का और उसको पूरा सिगरेट के धुंयें से भर दो तो उसमें नीचे की चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर उस सन्दूक में कागज का फर्श बिछा दो तो उसमें महीन महीन स्याह जर्रे जमा हो जायेंगे। इसी तरह से सिनेमा हाउसेज, जो कि एक बाक्स की तरह है और जिसमें ५०० आदमी बैठ सकते हैं अगर वह चार, चार सिगरेट पियें तो दो हजार सिगरेट पीयेंगे। उनका धूंआ उसमें भर जायेगा। अगर सर्दी का मौसम हुआ तो वह सब फर्श में जमा होगा और वहां पर फर्श के माने हैं इंसानों के जिस्म। वह आसानी से लोगों की सांसों के जरिये से उनके फेफड़ों में जमा हो जायेगा। इस तरह से मर्ज जैसे कि टी० बी० (T. B.) वगैरह जो कि खांसी से ही पैदा होता है, वह हो जाने का अन्देशा रहेगा। इस तरह से एक तन्दुरुस्त आदमी भी सिनेमा से आसानी से खराब बीमारियों के जर्म्स (germs) ला सकता है, आजकल तो अच्छी गिजा किसी को मिलती नहीं है। दूध के नाम से हम पानी पीकर तसल्ली कर लेते हैं? घी भी मुयस्सर होता नहीं है। लेकिन अगर वह भी न मिले तब भी कुछ गनीमत है। लेकिन यहां होता यह है कि ऊपर से खराब बीमारियों के जर्म्स भी ले आते हैं। इन बातों की वजह से जो यह ऐक्ट पेश हुआ है, वह बहुत अच्छा है। जब धुआं हाउस में भरता है तो पिक्चर धुंधला नजर आता है। जब धुंआं आंखों के सामने से गुजरता है तो पिक्चर हिलता हुआ नजर आता है। यह भले ही हो कि चूंकि पिक्चर ब्लेक एन्ड व्हाइट (black and white) होता है इसलिये यह बात मालूम न पड़े। इससे दो नुकसान होते हैं एक तो पिक्चर धुंधला नजर आता है और दूसरा यह कि आंखों पर भी असर पड़ता है। आंखों के लिये यह बहुत ही मुजिर चीज है। बड़े बड़े पिक्चर हाउसेज में तो अपने यहां स्मोकिंग पहिले से ही बन्द कर रक्खा है और वह इस बात की इजाजत नहीं देते हैं कि हाउस के अन्दर कोई सिगरेट पिये। कलकत्ते के तो बड़े-बड़े सिनेमाओं ने पहिले ही से लिख रक्खा है कि हालके अन्दर सिगरेट पीना मना है। किसी पिक्चर हाल में अगर १० आदमी भी सिगरेट पियेंगे तो वह पिक्चर साफ़ नजर नहीं आयेगी। यह जरूर है कि पुलिस वाले इससे फायदा उठावेंगे।

ऐसा कौन सा कानून है जिससे पुलिस वाले फायदा नहीं उठाते। कोकीन को बेचने की इजाजत दे दीजिए। अभी क्यों कहीं कहीं छिप-छिप कर कोकीन बेची जाती है। आप सब कानून खत्म कर दीजिए। यह ठीक है कि अभी हमारे यहां की पुलिस एक आइडियल (ideal) पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस के डर से कानून बनाना तो नहीं बन्द किया जा सकता। बगैर कानून और पुलिस के काम कैसे चलाया जा सकता है। या तो यह हो सकता है कि अभी आप सब कानून उठा लीजिये और जबतक देश में आइडियल पुलिस न हो जाये तब तक कानून उठा लिये जायं। अभी हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाइए। यह कोशिश जरूर होनी चाहिए कि हमारे यहां की पुलिस आइडियल हो जावे लेकिन यह कैसे हो सकता है कि जब तक आइडियल पुलिस नहीं है तब तक सब कानून उठा लिये जायं। माननीय चेयरमैन जी, एक बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं।

सिर्फ जोर इस पर दिया गया है कि पुलिस ही इसको रोक सकती है और गवर्नमेंट के पास इसके सिवा और कोई हथियार नहीं है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि पब्लिक (public) को कन्फिडेन्स (confidence) में लेने में कौन सी रुकावट है पहले एक छोटी सी फिल्म (film) लगा कर पब्लिक को यह समझाया जाय कि स्मोकिंग

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हयातुल्ला अन्सारी]

से कितनी खराबी पैदा होती है। ढाई, तीन मिनट की फिल्म लगा कर उनको समझाया जाय कि जो जर्म्स उनके मुंह में जाते हैं इससे कितना कितना नुकसान होता है तो मुझे यकीन है कि हजार पीने वाले हैं तो वहां पर शायद एक ही पीने वाला निकले। एक छोटा सा फिल्म दिखा कर हम पब्लिक को कन्फिडेन्स में ले सकते हैं और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अच्छा कोई मौका नहीं होगा, पब्लिक को अपने कन्फिडेन्स में लेने का। इस तरह से अगर काम किया जायगा तो न किसी सब-इन्सपेक्टर की जरूरत होगी। और न किसी पुलिस की। सिर्फ समझा देना ही काफी है कि जरासीम जाने से तुम्हारे फेफड़े खराब हो जायंगे, टी० बी० का डर है इसलिये हमें इस कानून का पालन करना चाहिये। यह अगर अच्छे ढंग से कहा जायगा तो हर आदमी वहां का सिग्रेट पीना बन्द कर देगा, लेकिन अगर हुक्म से कहा जायगा या फिल्म से ही हुक्म दिया जायगा तो फिर उससे कोई फायदा न होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरे मुल्कों में जो कानून के जरिये से नहीं किया गया, वह पब्लिक को कन्फिडेन्स (confidence) में लेकर किया गया है। मसलन आज देखिये केले की फस्ल है, केला सस्ता बिकता है हर आदमी उसे खाता है और उसका छिलका सड़क पर डाल देता है जिससे बच्चे भी गिरते हैं औरतें भी गिरती हैं बूढे भी गिर जाते हैं। यह मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि पब्लिक को कन्फिडेन्स में लिया जाय। एक तरफ पब्लिक को कन्फिडेन्स में लेना होगा और दूसरी तरफ कानून बनाना होगा। इसीलिये इस किस्म के कानूनों की जरूरत होती है उनसे बचत नहीं हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक को भी कन्फिडेन्स में लेना चाहिये मैं समझता हूं कि जो मेरा मकसद था वह मैंने कह दिया, लेकिन एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अंधेरे में ज्यादा सिगरेट पीने की ख्वाहिश होती है और खास कर जब सिनेमा के परदे पर कोई पीने लगता है। इसलिये अगर एक छोटी सी फिल्म से पहले समझा दिया जाय कि उनका ही नुकसान है और जिस मकसद के लिये वे आये हैं वह भी अच्छी तरह से हल नहीं होता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग सिगरेट पीना बन्द कर देंगे। इसलिये मेरा कहना है कि पब्लिक को कन्फिडेन्स में लेना चाहिये

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--माननीय चेयरमैन महोदय, जिस मन्तव्य से सरकार ने यह बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है उसको मैं बहुत अच्छा समझता हूं। अच्छी बात तो यह होती कि सरकार धूम्रपान बन्द करा दे, उसका निषेध कर दे। परन्तु शायद ऐसा करना व्यावहारिक रूप से उचित नहीं होगा। इसलिये सरकार ने इस प्रकार का एक बिल प्रस्तुत किया है कि सिनेमा हाउसेज में धूम्रपान करना बन्द करा दिया जाय। धूम्रपान करना बुरी बात है परन्तु समाज में यह चीज प्रचलित है और इसका रिवाज बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कमेटियां या कान्फ्रेंस होती है उनमें बड़े बड़े अफसरान ऐसी बुरी तरह से पीते हैं कि दूसरे के मुंह में धुंआ लगा देते हैं हालांकि उस आदमी को यह बुरा लगता है लेकिन ये अफसरान इस तरह से पीते हैं कि दूसरों को असुविधा होती है। विद्यार्थियों में भी धूम्रपान का बहुत प्रचार हो गया है और जैसा कि अभी एक मित्र ने कहा बहुत से विद्यार्थी चैन स्मोकर हो गये हैं। यह जरूर है कि बहुत से लोगों को इसकी आदत पड़ जाती लेकिन यह आदत अच्छी नहीं कही जायेगी। आपको याद होगा कि लीडर अखबार के भूतपूर्व सम्पादक सी० वाई० चिन्तामणि जी इतना तम्बाकू पीते थे कि एक मिनट भी उसके बगैर नहीं रह सकते थे। हमारे अध्यक्ष महोदय को याद होगा कि मिसेज एनी बेसेन्ट को अगर किसी भी जलसे में तम्बाकू की महक आ जाती थी तो उनका वहां रहना असम्भव होता था। लोग उनका बड़ा आदर करते थे और उनके सामने तम्बाकू नहीं पीते थे।

अभी हयातुल्ला साहब ने दो बातें कहीं हैं। उन्होंने इस कानून का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार को पब्लिक को कन्फिडेन्स में लाना चाहिए। इस तरह से काम नहीं चल सकता कि आप एक तरफ सिनेमा हाल में इसको रोकने के लिये कानून बनायें और दूसरी तरफ उपदेश भी

दें। यह दूसरे तरीके से हो सकता है। आप इसके लिये स्कूलों में शिक्षा दे सकते हैं या लड़कों के लिये ऐसी पुस्तकें लिख सकते हैं यह तो स्मोकिंग की बात रही। मैं समझता हूं कि सरकार ने जनता का उपकार करने की चेष्टा की, इस सदन में इस बिल को पेश करके, की है। परन्तु दो एक बातें आवश्यक हैं जिन पर मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे ध्यान दें।

एक बात यह है कि पुलिस अफसरों को ज्यादा अधिकार देना ठीक नहीं है। जैसा हमारे मित्र डाक्टर बृजेन्द्र स्वरूप जी ने कहा कि पुलिस अफसर उस आदमी को पहले वहाँ से निकल जाने के लिये कहें तो अच्छा है। अगर वह निकलने में आनाकानी करें तब दूसरी कार्यवाही करनी चाहिए। श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने कहा जुर्माने ज्यादा मालूम होते हैं। लेकिन इसका सवाल तब आता है जब कोई आदमी सिगरेट पी रहा हो और वह पुलिस अफसर के आदेश पर बन्द नहीं करे और उस की आज्ञा का उलंघन करे तब पुलिस अफसर ऐसी कार्यवाही करेगा। फिर भी ५० रुपये मैं समझता हूं कि अधिक से अधिक है, ५, १० या २५ रुपया भी हो सकता है। अदालत में मैं समझता हूं कि अपराधी को देखकर और उसकी स्थिति को देखकर उस पर जुर्माना किया जायगा। यह नहीं है कि प्रत्येक हालत में ५० रुपया ही किया जायेगा। जुर्माने से अधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।

सिनेमा में बहुत से बदमाश भी जाते हैं, संभव है कि कोई बदमाश पुलिस अफसर का मुकाबिला करे, सिनेमा प्रोप्राईटर की मुखालिफत करे और दूसरे बीच बचाव करने वालों की भी मुखालिफत करे, तो पुलिस अफसर को ऐसे अधिकार को काम में लाना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे मौके बहुत कम आयेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जो उपनियम (५) है वह मुझे ठीक नहीं मालूम होता है। मैं नहीं समझता कि सरकार ने किस उद्देश्य से यह बनाया है। सरकार का ऐसा मन्तव्य नहीं हो सकता है कि एक सिनेमा में तो वह धूम्रपान की आज्ञा दे दें और दूसरे सिनेमा में वह आज्ञा न दें। सरकार ऐसा अन्याय नहीं कर सकती और खास कर कानून के द्वारा यह ऐसा नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि बहुत से ऐसे जल्से हैं जैसे मुशायरा, स्कूल कालेजों में ड्रामा इत्यादि, जहां हजारों आदमी इकट्ठा होते हैं, वहां पर पुलिस अफसरों को इसके निषेध का अधिकार नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सरकार का यह मन्शा नहीं है कि एक सिनेमा को तो आज्ञा दे दे दूसरे को न दे। जब माननीय मन्त्री जी इस बिल को असेम्बली में ले जायेंगे उस समय इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि इस उपनियम से सरकार का क्या मन्तव्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री गुरु नारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। वह इस प्रकार है—

"If the person so taken to custody produces a bonafide person as his surety he shall be freed from custody."

अगर पुलिस अफसर इस बात को जरूरी समझता हो कि किसी आदमी को गिरफ्तार किया जाये और उस समय थानेदार को उसे गिरफ्तार करना पड़ा तो सिनेमा हाउस में एक अच्छा खासा तमाशा हो जायेगा। संभव है कि बहुत से लोग उसका पक्ष लें। और उस आदमी को मदद करने को तैयार हो जायें तो इस तरह से झगड़ा होने की संभावना है। इसलिये जमानत की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसा कि हमारे मित्र कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा कि ऐसे अपराधी को जमानत की आज्ञा दे देनी चाहिए। इसमें जो खराबी है उसको दूर करना चाहिए। उपनियम ५ का दुरुपयोग भी हो सकता है। श्री गुरु नारायण सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं आशा करता हूं कि वह माननीय मन्त्री जी को स्वीकृत होगा और जब यह बिल असेम्बली में जायेगा तो वह इस बात को स्पष्ट कर देंगे।

विद्यार्थियों में भी धूम्रपान काफी प्रचलित है। कहीं-कहीं तो ऐसा देखने में आता है कि अध्यापक स्वयं पीते हैं और अपने विद्यार्थियों को भी पीने को देते हैं। हमारा यह फर्ज है कि हम उन सब बातों को दूर करें जो समाज के लिये हानिकारक हों। यह ऐसी बीमारी नहीं है

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

जो एक छोटे-मोटे कानून से दूर हो जाय। यह वह बीमारी है जिसके लिये खास दवा की आवश्यकता है। हमारे मित्र श्री अन्सारी साहब ने भी कहा कि यह खराब चीज है; इसको दूर करना चाहिए।

मेरी राय में सिनेमा ही एक अनिष्टकारी चीज है। लड़कों में ऐसी आदत हो गयी है कि कितना ही मना कीजिए वे मानते नहीं। ऐसे व्यसनों से स्वास्थ्य बिगड़ता है, पढ़ाई में हर्ज होता है। फिर सिनेमा में जाकर धूम्रपान करना और भी हानिकारक है। इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि सरकार जो बातें इस सदन में कही गई हैं, उन पर ध्यान देगी। श्री कुंवर गुरु नारायण जी का संशोधन भी विचारणीय है उसे स्वीकार करने में आपत्ति न होनी चाहिए।

वित्त मन्त्री--जनाब चेयरमैन साहब, मैंने आज इस बात को बहुत सोचा कि कुंवर साहब ने इस बिल की मुखालिफत क्यों फरमाई है। मगर बावजूद इनकी तकरीर को कान लगा कर सुनने के भी, मैं इस नतीजे पर सही तौर पर नहीं पहुंचा हूं कि उनके अपोजीशन (opposition) का क्या मतलब है। उनका मन्शा इस तरमीम को लाने का क्या है, आया उसमें कोई माकूल बात है जिसको कि इसमें आना चाहिए था। मगर बदकिस्मती से मेरी समझ में कोई ऐसी बात नहीं आई, जिसको मैं यह समझता कि यह कोई बड़ी माकूल बात है जिसकी वजह से यह बात पैदा हो कि इस कानून को या इस बिल को इस देश के अन्दर जारी न किया जाय। यह देश, जिसका हाल आज खुद कुंवर साहब की तकरीर से जाहिर हुआ कि ऐसी चीज जिसको मैं अभी अर्ज करूंगा, तब तो मेरे ख्याल में इस कानून की और भी ज्यादा जरूरत हो जाती है। कुंवर साहब ने यह समझा कि जबकि उनको इत्तला हुई इस बात की कि आखिर गवनमेंट इस कानून को क्यों लाई, किसी की भी यह बात समझ में आने वाली नहीं है। ऐसा कानून कोई दुनिया में नहीं बना पाया है तो कुंवर साहब की समझ में जो माकूल से माकूल वजह इस ऐक्ट को लाने की हो सकती है, वह यह कि गालिबन कोई मिनिस्टर सिनेमा गया और वहां उसके पास बैठकर सिगरेट किसी ने पिया। अब इस बात से उनको नागवार गुजरा और उन्होंने कैबिनेट में जाकर इस कानून को पेश कर दिया। खुदा जाने इस मुल्क का क्या हाल होगा जिस मुल्क के मिनिस्टर इस तवारीख के होंगे जैसा कि कुंवर साहब ने फरमाया है। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क की किश्ती किस साहिल से जाकर टकरायेगी और किस भंवर में जाकर बैठ जायेगी और कौन उसको निकालने वाला होगा। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि कुंवर साहब इस देश के अन्दर हजारों साल तक मौजूद रहें, ताकि उनके मुबारक हाथों से इस देश की किश्ती निकल आये, वरना यह कमबख्त मिनिस्टर इसको तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं रक्खेंगे। जिस देश के रहने वालों का यह हाल है कि उनके मिनिस्टर भी ऐसे हैं कि वह इस किस्म के परसनल ग्राउन्ड (personal ground) पर इस तरह से महसूस करते हैं कि जिनकी वजह से कानून बनाने की तजवीज करते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर जितने भी कानून लगे हुए हैं, जितनी भी शर्तें इनऐक्ट (enact) की जायं उनको जितना ही हम ताक में रख दें उतना ही अच्छा है।

जहां तक सिगरेट पीने या तम्बाकू पीने का ताल्लुक है, उसका मुझे याद नहीं है। मैंने देखा नहीं है और मेरा ख्याल है कि कुंवर साहब सिगरेट या तम्बाकू पीते नहीं हैं। वे शायद यह चाहते हैं कि इस कानून के जरिये से लोगों पर इतने कड़े प्रतिबन्ध इन्फोर्स न किये जायं तो इस तरह से सोचने से मेरे ख्याल से, इस बिल को ही थ्रो (throw) कर देना चाहिए और इसे पास नहीं करना चाहिए। कुछ बातें कुंवर साहब ने और भी कहीं हैं कि जो इस बिल के अन्दर बातें रखी हैं, वे यदि कुछ मुनासिब हैं तो भी उन्होंने उस पर अपने अमेंडमेंट पेश किये हैं। मैं समझता था कि वे उसे माकूल वक्त में कहेंगे जबकि उन अमेंडमेंट पर कहने का वक्त आयेगा और बात शायद माकूल भी है और अगर मैं भी उन पर इस वक्त कहने लगूं तो इससे सिवाय हाउस के वक्त जाया होने के और कुछ नहीं होगा। लेकिन उनमें से एक

बात को मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं इसलिये कि वह बिल्कुल गलतफहमी पर बनी है। थानेदार को जमानत लेने का अख्तियार नहीं होगा, यह इस कानून में कहीं लिखा नहीं है। यह बात नहीं है कि थानेदार को जमानत लेने का अख्तियार नहीं है। वह इस वक्त भी सिनेमा हाउस के अन्दर उसे ले सकता है, अगर वह शख्स उसको उसी वक्त जमानत देना चाहे पर इस तरह की कोई मजबूरी का सवाल नहीं है। वह तो उनके लिये है कि जिनके पास वहां पर जमानत नहीं है और जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (criminal procedure code) में है और इस तरह जो मामले पुलिस के पास जाते हैं और जिस तरह से वहां जमानत ली जाती है और इस तरह से उनके हाथ में कोई पाबन्दी होती है, तो वह जमानत लेते हैं, और इसी तरह का प्रोसीजर चलता है कि थानेदार उसे अपने यहां पकड़ कर थाने में ले जाय या किसी जगह पर जहां पर कि वह उससे जमानत ले सकता है तो वह मुनासिब समझा जायेगा। जहां तक इस कानून का ताल्लुक है तो वह इस कानून के द्वारा वहां पर भी जमानत ले सकता है और इसके लिये कोई मनाही इस बिल में नहीं है। उसे जमानत लेने का बराबर हक है। एक बात करप्शन (corruption) के बारे में भी उन्होंने फरमाया है। तो करप्शन की जहां तक बात है वह चाहे स्टेट के मिनिस्टर हों, या और कोई भी हो सकता है और उसके लिये इस तरह से कानून बनाना बन्द कर देना कहां तक गवारा हो सकता है। उसमें पुलिस के लोग भी हो सकते हैं। इसके लिये चाहे फिर पुलिस का थानेदार रखा जाय, या कोई दूसरा आफिसर रखा जाय, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं मगर हमें देखना यह है कि करप्शन को किस तरह से रोका जाय। क्योंकि वैसे चाहे हम थानेदार की जगह पर तहसीलदार को रख दें तब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें करप्शन की बात नहीं होगी। हो सकता है कि थानेदार से भी ज्यादा फायदा करने की कोशिश करें। लेकिन आज इसके साथ ही यह बात भी है कि अब थानेदार में इतनी तमीज हो गई है कि उसे किस मौके पर ऐसा करना चाहिए और किस मौके पर नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर इस तरह का एकदम इल्जाम लगा देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी करप्शन होगा या नहीं उसका इस कानून में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि इस कानून का बनाना रोका जाय।

अभी कुंवर साहब ने इरशाद फरमाया जुर्माने के मुताल्लिक कि ५ रुपया होना चाहिए। उनका जो अमेंडमेंट है मुमकिन है कि ऐलान हो जाय कि मंजूर फरमाया जाय तो उनकी राय हो जाय कि यह कानून पास कर दिया जाय। जहां तक ५ रुपये का जुर्माने के ताल्लुक है डाक्टर साहब ने भी फरमाया मैं भी अर्ज करूं कि एक आदमी मैं हूं, स्टेट के अन्दर कानून बन गया है कि फलां जगह सिगरेट पीने की मुमानियत है। मुझको सिगरेट नहीं पीना चाहिए। लेकिन मैं पीता हूं। उसके बाद एक साहब मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि साहब इनायत कीजिए। सिगरेट न पीजिए। एक तो कानून के खिलाफ है और दूसरे लोगों को तकलीफ देह है। इस पर भी मैं नहीं मानता और कहता हूं कि पिऊंगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और वह अगर अदालत में जाय, अदालत उस मामले को देखकर के जो कानून में आयेगा, जैसे आज मैं कह रहा हूं उस तरह से न होगा बल्कि वहां जो भी हालत हो मुमकिन है कि खींचातानी हो जाय और झगड़ा हो जाय, तलखी पैदा हो जाय, झगड़ा पैदा हो जाय, यह सब बातें हो सकती हैं तो जब वह मामला अदालत के सामने जायेगा तो जो वाकयात होंगे उसकी बिना पर यह अख्तियार होगा कि वह चाहे तो ५० रुपये जुर्माना करे या उसमें से २ रुपये करे या इस बीच में जो रकम ठीक समझे, वह कर दे। यह तवक्को नहीं किया जा सकता है कि जो कानून बने उसको तोड़ने वाला एक गरीब मजदूर ही हो।

मैंने ब्लैकमार्केटियर्स के किस्से सुने हैं। उसकी बिना पर कहता हूं कि ५ हजार जुर्माना एक ब्लैक मार्केट करने वाले पर किया जाता है तो उसको कुछ नहीं महसूस होता है और वह ज्यादा नफा पैदा कर लेता है। तवक्को यह भी की जाती है कि मेरे जैसा आदमी यह करेगा और वह मजदूर हिम्मत न करेगा कि कानून तोड़े जैसे कि मेरे सामने बैठे हुए दोस्त को उसकी हिमायत में बोलना पड़ा। मैं यह अर्ज करता हूं कि ५ या १० रुपये का

[वित्त मंत्री]

मेरे ऊपर क्या असर होगा। असर तो उस पर होगा जिसके पास है नहीं। असर किसी के दिमाग में यह हो सकता है कि कांग्रेस के लोगों ने यह किया है वह मुल्क की खिदमत के लिये जेल गये और सत्याग्रह किया और यह सत्याग्रह शुरू किया जाय कि सिगरेट पीयेंगे और इस लिये सत्याग्रह किया जाय। यह बात मुझे कोई माकूल बात नहीं मालूम होती है। जिसकी बिना पर मैं यह कह सकूं कि इस रकम के बदले कोई दूसरी रकम रखी जाय।

सदन का कार्यक्रम

वित्त मन्त्री—जनाब चेयरमैन साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस मसले को छोड़कर और एक जरूरी बात कहना चाहता हूं, वह अर्ज कर दूं।

इस स्टेट की फूड सिचुएशन (situation) पर डिस्कशन असेम्बली में हो चुका है।

जहां तक फूड डिस्कशन (discussion) का ताल्लुक है वह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और दूसरी चीजों के ऊपर उसको प्रायोरिटी (priority) मिलनी चाहिए। पहिले मैंने यह कहा था कि जहां तक जमीन्दारी अबालीशन रूल्स का ताल्लुक है उनको २३,२४ तारीख को डिस्कस (discuss) कर लिया जाय और २५ तारीख को फूड सिचुएशन पर डिस्कशन हो जाय। गवर्नमेंट इसके लिये तैयार है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फूड सिचुएशन पर डिस्कशन २५ तारीख को न रखा जाय क्योंकि वह नान-आफिशियल डे (non-official day) है। उस रोज इम्पार्टेंट रिज्योलूशन (important resolutions) हैं। फूड सिचुएशन पर कल बहस हो सकती है। जहां तक जमीन्दारी अबालिशन रूल्स का ताल्लुक है उनको आप २४ तारीख को डिसकस कर सकते हैं। रूल्स में कम से कम ३,४ रोज लगेंगे। १,२,३ दिन में तो वे खत्म नहीं हो सकते हैं। २५ तारीख को नान-आफिशियल रिज्योलूशन को ले सकते हैं।

वित्त मन्त्री—जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि रिज्योलूशन लैप्स (lapse) हो जायेंगे ऐसी बात नहीं है? गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई नान-आफिशियल रिज्योलूशन जाता रहे। उसके लिये इन्तजाम हो सकता है। दूसरे जुमेरात के दिन हो सकते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—इस सेशन (session) में तो नहीं हो सकते।

वित्त मन्त्री—हमारे पास ३ दिन हैं। मैंने तो हाउस से अर्ज किया कि फूड सिचुएशन पर डिस्कशन जल्दी हो जाय तो अच्छा हो। अगर हाउस फैसला करे कि जमीन्दारी अबालीशन रूल्स लेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। २३-२४ तारीख मैंने रूल्स के लिये इसलिये कहा कि इस पर ऐवान में पहिले कहा जा चुका है।

काम हो रहा है इसलिये मैंने सजेस्ट (suggest) किया था कि कल और परसों ले लिया जाय अगर नहीं लेना चाहते हैं तो २४ तारीख को ले सकते हैं।

चेयरमैन—गुरुवार हमारा नान-आफिशियल डे (Non-official day) है उसके लिये श्री कुंवर गुरुनारायण का निम्नलिखित रेज्योलूशन है:

"In view of the fact that the food situation in the Eastern districts does not show signs of improvement and conflicting and contradictory reports continue to pour in about the real conditions there, this House requests the Government to set apart a day to debate the food situation in the affected areas and devise ways and means of removing distress in the shortest possible time."

वे जो चाहते हैं और उनका जो मकसद था उसे गवर्नमेंट ने एक दिन एलाट (allot) करके पूरा कर दिया। मैं समझता हूं कि गुरुवार जो हमारा नान आफिशियल डे है वह फूड सिचुएशन

पर बहस करने के लिये मुनासिब होगा। मैं कुंवर गुरु नारायण को एक मिनट और वक्त देता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मेरे कहने का मन्शा यह था कि गवर्नमेंट ने जो तय किया है और अभी लीडर आफ दि हाउस ने कहा कि वे कल नहीं, परसों इस फूड पालिसी (Food policy) पर डिस्कशन करने के लिये तैयार हैं। रूल्स की बहस दो तीन दिन में खत्म नहीं होगी। परसों फूड पर रेज्योलूशन (resolution) ले लिया जाय। हमारा भी बहुत इम्पार्टेन्ट रेज्योलूशन है वह परसों ले लिया जाय। इस पर लीडर आफ दि हाउस तैयार भी हैं। परसों फूड पर डिबेट (debate) कर लिया जाय कल रूल्स खत्म नहीं होंगे।

चेयरमैन—मैं समझता हूं कि मैं अपना निश्चय बता दूं। कल और परसों जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अधीन बनाये हुए नियमों पर बहस होगी अगर वह किसी वजह से खत्म नहीं हुई और हाउस ने तय किया कि आगे चले तो अगले दिन वही चलेगी। गुरुवार को फूड सिचुएशन (Food situation) पर डिस्कशन होगा।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—मैं जानना चाहता था कि क्या काटेज इन्डस्ट्रीज (Cottage Industries) पर जो रिज्योलूशन चल रहा है वही चलता रहेगा।

चेयरमैन—मैं समझता हूं कि काटेज इन्डस्ट्रीज का जो मसला है वह दो चार हफ्ते में तय नहीं होगा। वह बहुत दिन तक चलेगा और इस पर बहस बाद में होगी।

कौंसिल दो बजकर १५ मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १ बजकर १५ मिनट पर अवकाश के लिये स्थगित हुई और २ बजकर ५१ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक

वित्त मन्त्री—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, एक बात बहस में यह कही गयी है कि इस बिल का इन्फोर्समेंट (enforcement) तमाम प्राविन्स (Province) में एक साथ क्यों नहीं किया जाता है। किसी खास एरिया (area) पर नोटिफिकेशन (notification) के जरिये से कानून को आयद कर दिया जाय, यह ठीक नहीं है। अगर इस कानून का नफाज तमाम सूबे में एक साथ कर दिया जाय तो बहुत सी दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। कहने के लिये तो यह बात आसान है और सही है। लेकिन जब कुंवर साहब अपनी तकरीर फरमा रहे थे तो उन्होंने एक बात ऐसी कही कि जिस पर अगर वह गौर करते तो मालूम होता कि इस कानून को क्यों एक लख्त तमाम प्राविन्स पर इन्फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। एक साहब ने अपनी तकरीर में फरमाया टुअरिंग टाकीज (Touring Talkies) भी हैं। टुअरिंग टाकीज का केस ऐसा है कि छोटी-छोटी उनकी यूनिट (unit) होती है और ज्यादातर वह छोटे छोटे जिलों में जाकर सिनेमा करते हैं। बमुकाबिले बड़ी जगहों के बहुत कम तादाद में आदमी उनको देखने आते हैं। इसके अलावा एक बात यह जरूरी होती है कि जिस लोकेलिटी (locality) में सिनेमा हो रहा हो, वह लोकेलिटी और उसकी इमारत या पन्डाल जिसमें जलसा किया जाता है उसकी क्या हालत है। उसके लिये इसका इन्फोर्समेंट होना जरूरी है या नहीं। इन चीजों का लिहाज करके यह जरूरत महसूस की जा सकती है कि बजाय एक लख्त तमाम जगहों पर आयद हो इसके लिये कुछ जगहें ऐसी चुन ली जायेंगी जहां इसका नफाज होना जरूरी हो।

यह बात सही है कि यह कानून इस किस्म का है कि उसको इन्फोर्समेंट के लिये जैसा कि इसमें लिखा है एक थानेदार की मौजूदगी हर वक्त जरूरी है। इसलिये कि अगर किसी एक शख्स ने एक ऐसी बात की जिसके रोकने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है तो उसको रोकने के लिये एक ऐसा शख्स होना चाहिए वह एक सब-इंस्पेक्टर से कम न होना चाहिए या फिर ऐसा शख्स होगा जिसको कि गवर्नमेंट तैनात करेगी और

[वित्त मंत्री]

सब-इन्स्पेक्टर से कम न होगा। इसलिये यह कानून रक्खा गया है कि जहां पर सिनेमा है वहां पर वह आफिसर उन बातों की चेकिंग (checking) करेगा जिन बातों का कि अन्देशा है कि वहां पर सिगरेट वगैरह पीने से वह नतायज होंगे जिनको रोकने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है। जो दफा इसमें इसके लिये रक्खी गयी है उसका मकसद सिर्फ यह है कि पहिले यह बात देखी जाय कि इस जगह पर यह ऐक्ट लागू हो सकेगा या नहीं। वहां पर इस किस्म के इन्तजाम का खर्च गवर्नमेंट बरदाश्त करेगी। मैं समझता हूं कि इस बात पर कुंवर साहब खुद ही गौर करेंगे। इसके लिये यह जरूरी है कि कोई अफसर पहिले यह देखे कि यह कानून किस जगह पर लागू करना जरूरी है और वहां कानून के लागू न करने से नुकसान होने का अन्देशा है। इसमें तरमीम की कोई खास जरूरत नहीं महसूस होती।

इसके बाद कोई और बात इस कानून में नई नहीं रहती है। जो जरूरी बातें कहीं गयी हैं उनमें से हर एक का जवाब मैंने देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस में जो कुछ मैंने कहा और जो कुंवर साहब ने कहा उसको उस ऐवान के मेम्बरान साहबान ने सुना होगा और अब वह फैसला करेंगे कि आया इस कानून को बनाया जाय या न बनावें।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खन्ड २

२—इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर—

परिभाषा

(क) "दर्शक स्थान (auditorium) का तात्पर्य सिनेमाघर के उस भाग से है जहां सिनेमा के फिल्म अथवा अन्य अभिनय या गीत वाद्य का निरूपण या प्रदर्शन देखने के लिये जनता के बैठने की व्यवस्था की जाती है।"

(ख) "सिनेमाघर" का तात्पर्य किसी ऐसी इमारत या छतदार और घिरे हुए निर्माण (रूफ्ड ऐन्ड इन्क्लोज्ड स्ट्रक्चर) से है जो सामान्यतया जनता के सम्मुख कोई शुल्क लेकर या अन्यथा, अभिनय अथवा गीत वाद्य अथवा सिनेमा के फिल्मों के निरूपण या प्रदर्शन (डिमांस्ट्रेशन आर एक्जीबीशन) के काम में आता हो; और..

(ग) "राज्य सारकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

श्री कुंवर गुरुनारायण—मैं आपकी आज्ञा से खंड २ में यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि—

In sub-clause (*a*), at the end, *add* the words "or Circus shows".

यह जो अमेंडमेंट मैंने रखा है मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा बहस की गुन्जाइश नहीं है। इसी वजह से यह बढ़ाया है कि इसमें सरकस शोज (circus shows) भी रखा जाय। इसमें भी वही पोजीशन है जो सिनेमा वगैरह में है।

वित्त मन्त्री—सरकसों पर यह कानून आयद हो या न हो यह सवाल है। इस दरमियान तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन जो मैंने पहिले देखा था उसकी बिना पर मैं कह सकता हूं कि वहां की जो आडियेन्स (audience) होती है उसको इस इन्तजाम में लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। वहां खुला हुआ होता है।

श्री कुंवर गुरुनारायण—वह कवर्ड (covered) होता है।

मिस मैत्रो—लेकिन वह जाली से कवर्ड होता है। सरकस और सिनेमा इन दोनों में बहुत फर्क होता है। सरकस को इस मद में लाने की कोई खास जरूरत नहीं है। इसलिये मुनासिब यह है कि यह अमेंडमेंट नामन्जूर किया जाय।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि उपखंड (क) की पंक्ति में शब्द 'प्रदर्शन' और देखने के बीच में शब्द "या सरकस प्रदर्शन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३—अभिनय अथवा गीत वाद्य अथवा सिनेमा के फिल्मों के निरूपण या प्रदर्शन के समय कोई भी व्यक्ति सिनेमा घर के दर्शक स्थान में, धूम्रपान नहीं करेगा।

सिनेमा घरों में धूम्रपान का निषेध।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ३ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४—(१) कोई पुलिस अधिकारी जो सब-इन्स्पेक्टर के पद से कम का न हो या कोई अन्य व्यक्ति जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से अधिकृत किया गया हो, धारा ३ में अनिदिष्ट निरूपण या प्रदर्शन के समय धूम्रपान करते पाये गये किसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह धूम्रपान न करे और यदि उक्त व्यक्ति धूम्रपान बन्द नहीं करता है तो उसको ऐसा अर्थ दन्ड दिया जा सकेगा जो ५० रुपये तक का हो सकता है।

सिनेमाघरों में धूम्रपान के लिये दन्ड।

(२) कोई पुलिस अधिकारी जो सब इन्स्पेक्टर के पद से कम का न हो या कोई अधिकृत व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को जो उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश के अनुसार धूम्रपान नहीं बन्द करता है, यह आदेश दे सकता है कि उक्त व्यक्ति उसे अपना नाम और पता तुरन्त बतलावे और यदि उक्त व्यक्ति अपना नाम व पता बतलाने से प्रतिषेध करे या न बतलावे अथवा पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति को समुचित रीति से यह सन्देह हो कि उक्त व्यक्ति ने झूठा नाम व पता बताया है, तो पुलिस अधिकारी या उक्त अधिकृत व्यक्ति उक्त व्यक्ति को बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है।

श्री कुंवर गुरुनारायण—Sir, I move that *for* sub-clause (2), the following be *substituted*.

> "(2) Any police officer not below the rank of Sub-Inspector or the person authorised may require a person who dose not desist from smoking as directed under sub-section (1) to leave the auditorium immediately. On refusing to go out, such person may be required to declare to the police officer or the person authorised his name and address and if that person refuses or fails to declare his name and address, or if the police officer or the person authorised reasonably suspects him of giving a false name or address the police officer or the person authorised may take him into custody."

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

> Provided that if the person so taken to custody produces a bona fi
> person as his surety he shall be freed from Custody."

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है इसमें जैसा अभी हमारे माननीय सदस्य डाक्टर ईश्व प्रसाद ने कहा कि पहला मौका मिलना चाहिए। पहले उससे यह कहना चाहिए कि तुम सिने हाल से बाहर चले जाओ। लेकिन इसका प्रावीजन इसमें नहीं है कि :

"To declare to him immediately his name and address and if the person refuses or fails to declare his name and address and if the polic officer or the person authorised reasonably suspects him of giving a fal name etc. etc."

तो इसमें यह प्रावीजन नहीं है। अगर किसी को ससपेक्ट (suspect) किया जात है तो उसको अरेस्ट (arrest) किया जाता है। इसके लिये मैंने रखा है कि पहि उसको मौका दें और उससे कहा जाय कि वह सिनेमा हाल से बाहर चला जाय। अग नहीं जाता है तो यह बात हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी चीज़ यह डाक्टर साहब का भी सजेशन (suggestion) है। इसे माननीय मन्त्री जी को अवश्य स्वीका कर लेना चाहिए।

श्री प्रभु नारायण सिंह——उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो हमारे कुंवर साहब ने रखा है इसके सम्बन्ध में इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री के सामने उन्होंने अप उद्देश्य पर बोलते समय जो बात कही है कि पुलिस के अधिकारियों को इस बात क हक होता है कि ऐसे जुर्मों के लिये वे बेल (bail) ले सकते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर वह अच्छे मूड (mood) में हैं या वह खुश हैं तो वह ले लेता है। अगर उसकी शान के खिलाफ कोई बात हो गई या वह उससे नाराज है तो वह उसक हथकड़ी पहना कर जेल भेज देगा। मैं समझता हूं कि बिल में जो यह खराबियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है इस लिये इसको मान लेना चाहिए।

श्री इन्द्र सिंह नयाल——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन की मुखालिफ करता हूं। इस अमेंडमेंट में यह है कि पुलिस अफसर को यह अधिकार दिये जायं कि वह उनको सिनेमा हाल से बाहर निकाल दें। जब पुलिस अफसर को यह अधिकार कानून से दे दिया कि उस शख्स को हाल से निकाल दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि यह अधिकार बहुत ज्यादा है। मैं समझता हूं कि जो तरमीम इस वक्त गुरु नारायण साहब ने पेश की है वह गलत तरमीम है इसलिये मैं उसको ठीक नहीं समझता हूं। दूसरी बात जमानत की है। जाब्ता फौजदारी में यह क्लाज है कि अगर कोई आदमी अपना नाम व पता नहीं बतलाता है और दूसरा कोई आदमी भी उसके बारे में कुछ नहीं बतलाता है तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। साइकिल का चालान करने में एक कांस्टेबिल (Constable) को यह अधिकार है कि अगर कोई अपना नाम व पता नहीं बतलाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाय, यहां पर तो एक थानेदार की हैसियत के आदमी को यह अधिकार दिया गया है। अगर वह आदमी अपना नाम व पता बतला देता है तो फिर गिरफ्तार करने की कोई बात ही नहीं उठती है। श्रीमान् जब थानेदार को उसका नाम और पूरा पता मालूम हो जाता है तो कानून की मन्शा पूरी हो जाती है। जब तक उसको कोई दूसरा आदमी जानता नहीं होगा उसकी जमानत ही नहीं देगा, बगैर नाम व पते के उसकी जमानत ही नहीं हो सकती है। नाम व पते से कानून की मन्शा पूरी हो जाती है। मैं समझता हूं कि यह तरमीम ठीक नहीं है इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

वित्त मंत्री——जनाब वाला, यह जो तरमीम पेश की गई है तो जहां तक पेश करने वाले साहब का मकसद है, मैं समझता हूं कि इसके मुतालिक मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि

उसको अख्तियार है जमानत पर छोड़ देने का। जो कुछ भी इसमें दिया हुआ है वह इस चीज को स्टैन्ड (stand) करता है। परन्तु मैं उससे यह समझा कि उनका मकसद यह है कि ऐसा हो जाय कि यह कानून जो पहले है, उसके जरिये उसे अख्तियार होगा कि वह छोड़ दे या न छोड़े तो कानून से भी यह मालूम हो सकता है कि यह तरमीम होनी चाहिए और इस तरमीम से इस तरह लाजिमी हो जायेगा कि वह छोड़ दे, तो यह चीज गलत है। अब जो तरमीम होगी और जो कानून बनेगा, तब भी उसको अख्तियार रहेगा और उतना ही अख्तियार रहेगा जितना अख्तियार किसी अफसर को रहना चाहिए। कोई हालत ऐसी हो सकती है कि उन हालत में जमानत न ली जायेगी तो उसको बाकी हक रहेंगे, फुल मेन्टेनेन्स आफ ला एन्ड आर्डर (full maintenance of law and order) के हक में कि हमेशा जो जरूरी चीज है, उस पर अमल किया जा सकता है। जितना कानून पहिले से बना हुआ है जैसे जाब्ता फौजदारी है, उसके अन्दर कोर्ट्स (courts) को भी अख्तियार दिया गया है और आफिसर को भी अख्तियार दिया गया है कि जमानत ले। उनमें इसी तरह से अदालत को भी अख्तियार है कि जो जमानत के काबिल हो और माकूल समझा जाता हो उसमें भी जमानत लेने का अख्तियार रहता है। जिसमें जमानत लेने की मांग है तो उसमें भी अदालत का हक यह कहता है कि अगर वह किसी वजह से मुनासिब समझे और किसी आदमी से जमानत ले ले तो उसको हक होगा। इस अमेंडमेंट का भी मकसद इसी किस्म से है जो कि इस वक्त हमारे सामने है। मैं श्री प्रभु नारायण सिंह जी को इत्तिला के लिये इतना अर्ज कर दूं कि यह गैर जरूरी इसलिए है कि जिस चीज के लिये पहिले से इन्तजाम मौजूद है, उसके लिए दुबारा या तिबारा मीट (meet) करना फिजूल है। इसलिये मैंने यह अर्ज किया था कि जो अमेंडमेंट है और उसका मकसद है वह तो वैसे ही हासिल हो चुका है और इस तरमीम को होना ही नहीं चाहिए।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that—

For sub-clause (2), the following be *substituted* :

"(2) Any police officer not below the rank of Sub-Inspector or the person authorised may require a person who does not desist from smoking as directed under sub-section (1) to leave the auditorium immediately. On refusing to go out, such person may be required to declare to the police officer or the person authorised his name and address and if that person refuses or fails to declare his name and address, or if the police officer or the person authorised reasonably suspects him of giving a false name or address the police officer or the person authorised may take him into custody.

Provided that if the person so taken to custody produces a *bonafide* person as his surety he shall be freed from Custody."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं देखता हूं कि जब कोई विधेयक लोअर हाउस से पास होकर आये और उस पर जब यहां संशोधन पेश किये जाते हैं तो उसके बाद अपर हाउस में गवर्नमेंट को बड़ी दुश्वारी हो जाती है कि अगर कोई रीजनेबिल (reasonable) अमेंडमेंट हो फिर भी वह उसको स्वीकार नहीं करती और वह इसलिये कि स्वीकार करने के बाद वह फिर लोअर हाउस में जायेगी और फिर उसके लिये ज्वाइंट सेशन (joint session) होगा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि अमेंडमेंट मूव (move) करना बेकार है। इसलिये जितने अमेंडमेंट मेरे नाम लिखे हुए हैं मैं उनको वापस लेता हूं।

खन्ड ५ और ६

अधिनियम को प्रवृत्ति से बाहर करने का अधिकार,

५—राज्य सरकार लेखबद्ध साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा यह आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध किसी सिनेमा घर या उसके अंतर किसी निरूपण या प्रदर्शन के सम्बन्ध में प्रवृत्त नहीं होंगे।

नियम।

६—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ५ और ६ इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रिएम्बिल तथा खन्ड १

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश में सिनेमा घरों में धूम्रपान का निषेध करना आवश्यक है; अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम प्रसार प्रारम्भ तथा निवर्तन।

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम, १९५२" होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों तथा स्थानों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

(४) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती ह कि ऐसे दिनांक से जो कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, यह अधिनियम ऐसे किन्हीं या सभी क्षेत्रों और स्थानों में जहां पर उपधारा (३) के अधीन यह प्रचलित हुआ था, प्रभावशून्य हो जायगा, और तब उत्तर प्रदेश जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ (यू० पी० ऐक्ट १, १९०४) की धारा ६ के उपबन्ध द्वारा इस प्रकार प्रभावशाली होंगे मानो कि उक्त अधिनियम उक्त क्षेत्र या स्थान में किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त (रिपील) किया गया था।

(५) उपधारा (३) के अधीन राज्य सरकार को प्राप्त अधिकार, उसी अथवा विभिन्न क्षेत्रों या स्थानों में अवसर के अनुसार जितनी बार आवश्यक हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रिएम्बिल तथा खंड १ इस बिल का भाग बनी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

वित्त मन्त्री—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) विधेयक को पारित किया जाय।

इस बिल की बाबत तो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं रही। लेकिन मेरे दोस्त कुंवर गरु नारायण साहब ने यह फरमाया कि जो भी अमेन्डमेन्ट्स यहां होते हैं यदि उनको मंजूर कर लिया जाय, तो उनको दुबारा दूसरे हाउस में ले जाना होता है, इसलिये उनको मंजूर नहीं किया जाता है। मैं अपने लायक दोस्त से कहूंगा, मुझे ठीक तो याद नहीं है कि कौन-कौन से बिल या फलां-फलां बिल में यहां अमेन्डमेन्ट्स हुये और वह असेम्बली से पास होकर आये। किन बिल में यहां अमेन्डमेन्ट्स हुये वह इस समय मुझे याद नहीं हैं, तो ऐसी बात नहीं है

जैसा कि उन्होंने कहा है। वैसे मेरिट (merit) पर किसी चीज को देखा जाता है और यदि वह मेरिट पर अमेन्डमेन्ट्स नहीं हैं, तो कैसे उनको मंजूर किया जा सकता है। वे ऐसा समझते हैं कि उनके अमेन्डमेन्ट उस मेरिट पर हैं कि उन्हें मंजूर हो जाना चाहिये, मगर मेरे ख्याल से वे अमेन्डमेन्ट्स इस क़ाबिल नहीं हैं कि मैं उनको मंजूर करूं। अगर इस क़ाबिल ही नहीं है तो उनको कैसे माना जायेगा। अगर उनमें कोई ऐसा होता जिनका कि मक़सद कुछ निकल सकता और वह मक़सद जरूरी होता, तो मैं समझता हूं कि वह जरूर ही मन्जूर कर लिया जाता। जैसा कि यहां पहले भी कई बार हो चुका है। चूंकि कुंवर साहब अभी हाल ही में यहां मेम्बर हुये हैं इसलिये उनको यह बात नहीं मालूम है, मगर अब आगे उनको मालूम होता चला जायेगा कि यहां अमेन्डमेन्ट्स मंजूर होना है या नहीं। मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कि इसका स्वागत किया है और मैं अब उनसे आशा करता हूं कि वे अब इस बिल को पास करेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जब कि यह बिल विचार करने के लिये उपस्थित था, उस समय जो वाद विवाद हुआ, मुझे दुख है कि जिस भाव में और जिस स्प्रिट (spirit) से ये संशोधन मैंने रखे थे, और जो बातें कही थीं, वे शायद ऐसे हों कि मैं उनको सही रख न पाया या हाउस ने गलत समझा हो। इस वाद विवाद को जो मैंने सुना, वह यह कि, सिगरेट पीना चाहिये या नहीं, धूम्रपान अच्छा है या बुरा है। मगर यह चीज नहीं है। जहां तक इसके उसूल का ताल्लुक़ है मैंने तब भी कहा और इस समय भी कहता हूं कि इस विधेयक के उसूलों का जहां तक संबंध है, इसमें कोई भी असहमत नहीं है। लेकिन जो मैंने कहा था वह यह कि सरकार अगर चाहे कि कोई विधेयक बने तो वह यह सोच समझ कर बनाये कि उसका अच्छी तरह से नियंत्रण रखा जाय कि वह चल सके यानी प्रैक्टीकेबिल (practicable) हो। इस तरह से न हो कि स्टेट्यूट बुक (Statute Book) में रख दिया जाय और उसके बाद उसकी धाराओं का उल्लंघन होने लगे। जैसे एक जगह लागू किया जाय और दूसरी जगह न लागू किया जाय तो इस तरह से नान-सीरियसनेस (non seriousness) सरकार की तरफ से जाहिर होती है और जनता यह समझती है कि सरकार क़दम तो उठाती है लेकिन उस पर सीरियस नहीं है तो यह चीज न होनी चाहिये। मेरे कहने का जो मंशा था वह यह था कि यह विधेयक जब लागू होगा तो इम्प्रैक्टिकेबिल (impracticable) होगा और उसकी धाराओं का खुले तौर पर उल्लंघन होगा। यहां जो बहस हुई उससे यह मालूम होता था कि मैं सिगरेट पीने के हक़ में हूं। ऐसी बात नहीं है।

लीडर आफ दि हाउस ने अपनी बातचीत में कहा कि एक डिगनिटी आफ दी हाउस (dignity of the House) होती है, यह मैं न समझ सका। यह सदन है इसकी डिगनिटी है कि सिगरेट न पी जाय। यह भी मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी का कनवोकेशन (Convocation) होता है या और भवन इस तरह के होते हैं उनकी डिगनिटी होती है कि सिगरेट न पी जाय तो मैं समझता हूं। लेकिन सिनेमा हाउस की डिगनिटी समझ में नहीं आई कि वहां क्यों न सिगरेट पी जाय। सिगरेट वहां न पीने से उस हाउस की डिगनिटी कहां तक इम्प्रूव (improve) हो जायेगी। यह मेरी समझ में नहीं आया।

मेरा ख्याल है कि जिस वक्त यह विधेयक बनाया जा रहा था उस वक्त डिगनिटी का कोई सवाल न होगा। बल्कि यह विधेयक इसलिये बनाया गया कि सिगरेट पीने से जो धुंआ उठता है वह नुकसानदेह होता है और लोगों को परेशानी होती है।

एक क्रिटिसिज्म (criticism) और हुई डाक्टर प्यारे लाल जी ने कहा टु इंड्यूस पीपुल फार सोशल रिफार्म (to induce people for social reforms)। इस प्रदेश में प्राहीबिशन (prohibition) किया गया। मैं नहीं जानता कि कितने लोगों को इंड्यूस किया गया कि वह शराब न पियें। बल्कि मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां प्राहीबिशन किया गया है

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

और जो लोग पीने वाले हैं वह बराबर पीते हैं अगर वहां नहीं पीते हैं तो दूसरे जिले में जाकर पीते हैं। सोशल रिफार्म सकसेसफुल (successful) होता है जब किसी काम में सीरियसनेस हो, या जब जनता स्वयं चाहे कि इस चीज का निषेध हो और जब तक ऐसा न हो तो जो कदम सरकार उठाती है उस पर पूरे तौर से अमल करे और मजबूत कदम उठाये। जब तक ढील रहेगी, सोशल रिफार्म सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। मुझे इस संबंध में अधिक नहीं कहना है मैंने पहले ही कह दिया है जब विधेयक पेश किया गया था यह २-१ बातें रह गयी थीं शायद गलत समझा गया, इसलिये मैंने मुनासिब समझा कि इसकी सफाई कर दूं।

श्री पन्नालाल गुप्त--जो विधेयक माननीय मन्त्री जी ने हाउस के सामने रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं। हमारे भाई कुंवर गुरु नारायण जी ने कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि हमको इससे कोई विरोध नहीं है। मैं समझ नहीं पाता कि उनको कोई विरोध भी नहीं है और उन्होंने संशोधन भी पेश किये और फिर उनको वापस लेते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें विरोधाभास जरूर था। अगर विरोधाभास न होता तो उन्होंने ऐसा न किया होता।

श्री कुंवर गुरु नारायण--उसूलों से मुझे विरोध नहीं है। प्रेक्टीकैबिलिटी (practicability) से मुझे विरोध है।

श्री पन्ना लाल गुप्त--खैर प्रेक्टीकैबिलिटी (practicability) से ही विरोध सही। उन्होंने मद्य निषेध के बारे में कहा कि उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अगर वे भंगी और मजदूरों की कालोनी (colony) में जायं तो उन्हें मालूम होगा कि उससे काफी फायदा हुआ। जहां लोग पीकर बेकार बातें करते थे, नशे में इधर इधर घूमते थे वहां अब ऐसी हालत न मिलेगी। गरीब तबके में पहिले से काफी सुधार हो गया है। औरतों के तन पर कपड़े हैं। खाना ठीक से खाने को मिलता है। यह मद्य निषेध का ही प्रभाव है। हमारे भाई कुंवर गुरु नारायण जी को तो शहरों में घूमना पड़ता है। उन्हें मजदूरों की बस्ती में जाने को तो फुरसत नहीं मिलती। उनका साबिका पड़ता है राजा महाराजा और नवाबों से। इसलिये उनकी नजर में जरूर वे चीजें दिखायी पड़ती होंगी जैसा कि उन्होंने कहा कि शराब बन्दी से कोई फायदा नहीं हुआ। यह जो स्मोकिंग का बिल रखा गया है मैं तो कहता हूं कि इस तरह से आगे बढ़ने की शुरूआत की गई है। मैं समझता हूं कि अगर सिनेमा घरों में लोगों ने सिगरेट पीना बन्द कर दिया तो उनकी हालत कुछ सुधर जायेगी और बाहर भी पीने की आदत में कुछ सुधार हो जायगा। हमारे आगे आने वाली संतानें भी सिगरेट पीना पसन्द न करेंगी। इस तरह से धीरे-धीरे सिगरेट भी पीना छूट जायगा। इस बिल के जरिये से शुरूआत की गई है शुरुआत का नतीजा अच्छा निकलेगा। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

*श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल की थर्ड रीडिंग के समय बोलने की इच्छा न रहते हुए भी क्योंकि माननीय हाफिज जी ने दो चार बातें कहीं उनके ऊपर कुछ बोलने की आवश्यकता हुई। जहां तक बिल के उसूलों का सवाल है उनका किसी ने विरोध नहीं किया। सभी ने इसको माना है। यह तो जरूरी ही है कि यदि किसी कार्य से किसी बगल में बैठे हुए आदमी को डिस्कम्फर्ट (discomfort) होता हो तो उसके रोकने का कोई बन्धन नहीं होना चाहिए।

हम बोलते हुए इस बात को साफ तौर से कहते हैं कि आजकल जो सिनेमा हाउसेज हैं, जिस तरह की उनकी बनावट है उससे वहां का वातावरण गन्दा होता है। उसका नतीजा यह होता है कि उसका असर स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता है। इस पर दो राय नहीं हैं कि इस बिल को एक जगह लागू किया जाय। मैंने इस बिल पर बोलते हुए यह कहा था कि आगे से यह देखना चाहिए कि सिनेमा हाउसेज ऐसे बनें जिनमें वैसी गन्दगी न पैदा हो जैसी पैदा होती है। ऐसे सिनेमा हाउसेज पर लागू होना चाहिए और किसी पर लागू नहीं होना चाहिए।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

सिनेमा हाल में सिगरेट पीने पर ५० रुपया जुर्माना रखा गया है और गिरफ्तारी रखी गयी है। माननीय मन्त्री ने कहा कि हमारे साथियों की ओर से चीजें मजदूरों और किसानों की दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह विरोधी पक्ष की तरफ से नहीं कहा गया। यदि विरोधी पक्ष कहता है तो यह सत्य कहता है। सरकारी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि ५० रुपया जुर्माने की बात है इसमें मजदूरों को हेरास करने की बात होगी। अकसर यह होता है कि यह बड़े लोग बच जाते हैं और छोटे लोग फंस जाते हैं। माननीय मन्त्री ने कहा कि अगर ब्लैकमार्केटीयर पर ५० रुपया जुर्माना नहीं हुआ तो ५ रुपये से उनका क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि ५० रुपया नहीं, बल्कि एक हजार रुपया जुर्माना करें तो अगर ब्लैक का पैसा है तो एक बार नहीं वह दस बार आपके कानून को तोड़ेगा। यदि चोर बाजारी करने वाला आदमी है तो दस बार कानून को तोड़ेगा। इस सूरत में देखना होगा कि ब्लैक मार्केटीयर्स कितने हैं जो सिनेमा देखने जाते हैं। पिटते हैं तो गरीब और निम्न वर्ग के लोग। इस सूरत में आपका जो नियम हो वह ऐसा हो जो आदत सुधारने वाला हो न कि हार्डशिप (hardship) डालने वाला हो। इक्जेम्पलरी पनिशमेंट (exemplary punishment) देने के लिये जो आप ५० रुपये का जुर्माना करते हैं और दरोगा को यह हक होगा कि वह उसको गिरफ्तार कर ले। आप कहते हैं कि दीगर जो अमेंडमेंट हैं उसको छोड़ दिया जाय। यदि उसको उस जगह पर जमानत मिले तो वह उसको ले ले वरना अफसरान को गुन्जाइश रहती है कि वह ले या न ले। सुझाव जो है वह जुडीशियल अफसरानों के बारे में है। आपने कहा था कि वह किसी की जमानत ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और जुडीशियल अफसरान में जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर हैं। दोनों के देखने के दृष्टिकोण में फर्क होता है। इस हालत में मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि सोशल जस्टिस (social justice) को देखना है जिसकी वजह से दिक्कत पैदा होती है। मैं जानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हुआ और नौकरशाही की आदतों में तब्दीली हो रही है जिस तरीके की तब्दीली हम चाहते हैं और जिस तरह का हम समाज चाहते हैं, उस तरह की तब्दीली अभी नहीं हुई है।

इसलिये लीगल नेसेसिटी (necessity) में न पड़कर सोशल जस्टिस के लिहाज से इसको देखिए। क्योंकि दरोगा जी और उस आदमी में कुछ कहा सुनी हो जाय जिससे मनोविज्ञान पर कुछ असर पड़े कि वह इसको अरेस्ट (arrest) कर ले अगर वह जान लें कि वह कोई मिनिस्टर हैं या एम० एल० ए० या कोई एम० एल० सी० हैं तब तो वह बड़ी खातिर यों ही करेगा। लेकिन जब तक वह उसको नहीं जान पाता और बातचीत में कुछ कश्मकश हो जाय या विन्डिक्टिव टेन्डेन्सी (vindictive tendency) पैदा हो जाय तो उसके लिये कुछ ऐसा सुधार हो जाना चाहिए। यदि जमानत मिलती है और वह जेन्वीइन (genvine) है तो फिर यह अधिकार है कि दरोगा चाहे तो मन्जूर करे या न करे। ऐसा होने से यह एक इक्जेम्पलरी पनिशमेंट हो जाता है। मैं इसको एक बड़ा रिफार्म नहीं कह सकता। क्योंकि सिगरेट पीना, तम्बाकू पीना एक आम बात है। हर एक घर में पिया जाता है और उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। अगर रोक उन पर हो जाय तो एक हार्डशिप (hardship) होगी।

दूसरी चीजों के लिये कहा जा रहा है कि धीरे-धीरे रिवोल्यूशन (revolution) के जरिये मिटा देंगे। मैं तो समझता हूं कि ऐसी चीजें जिससे आपत्ति हो उसको किसी जगह लागू करेंगे और किसी जगह नहीं करेंगे और फिर सब-इन्स्पेक्टर चाहे उसको जमानत पर छोड़े चाहे एरेस्ट करे, यह मुनासिब नहीं है। इसलिये जहां तक इस बिल के सिद्धांत का ताल्लुक है उसको मानते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक यह सुधार इसमें नहीं होता तब तक यह अधूरा ही रहता है और हार्डशिप को बढ़ाता है। यह रिफार्म की बात नहीं कही जा सकती बल्कि यह कहा जा सकता है कि हाल (hall) में पीने से इन्जूरियस (injurious) है और हार्डशिप है। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको बीमारी वगैरह के लिहाज से पीना जरूरी हो तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस बिल को पास करते हुए ध्यान में रखिए

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

कि कानून जो बने वह बिल्कुल साफ–साफ हो जिसमें कम से कम गलती हो। इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि गिरफ्तारी के बाद चाहे आप भले ही ५० या १०० या चाहें तो २०० रुपये जुर्माने के रख दें, अगर समझते हैं कि इससे वह मान जायेगा। मगर अधिकारियों के हाथ में जमानत का मानना न दें कि वह चाहें तो मानें चाहें तो न मानें। इससे यह बिल्कुल अधूरा ही रह जाता है।

श्री इन्द्र सिंह नयाल––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल आज का है वह साधारण है। किन्तु यहां की दलीलों से ऐसा मालूम होता है कि जैसा कि कोई बहुत बड़ा कानून पास किया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ (public health) को ठीक रखने के लिये ही इस बिल को लाया गया है। बहुत से सिनेमा हाल में यह होता है जो इतने कन्जस्टेड (congissted) होते हैं कि उनमें धूम्र पान करना हेल्थ (hea'th) के लिये हानिकारक मालूम होता है। ऐसे सिनेमा हालों में धूम्रपान की मनाही कर दी गई है। जो हाल अच्छे बने हैं और वेल वेंटिलेटेड (well ventilated) हैं और जहां पर धूम्रपान करने से दूसरों को नुकसान होने की संभावना नहीं है उनमें नहीं रोका जायगा। इस विधेयक के लाने का मकसद केवल यह है कि सिनेमा हाल के अन्दर धूम्रपान करने से दूसरे लोगों की हेल्थ पर जो बुरा असर पड़ता है उसको रोका जाय। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है इससे कोई बहुत बड़ा सुधार किया जा रहा है। जिन सिनेमा हालों में लोगों की हेल्थ धूम्रपान करने से खराब होने का डर है वहां पर बन्द किया जायगा और जहां पर इसका डर नहीं होगा वहां पर लोग पी सकते हैं। यह व्यक्ति की स्वतन्त्रता को रोक लेने का प्रश्न नहीं है। व्यक्ति तो पीने के लिये स्वतन्त्र है, परन्तु जहां पर सार्वजनिक रूप से हेल्थ पर असर पड़ने का डर है वहां पर रोक लगाई जा रही है। रहा जमानत का सवाल तो अगर कोई व्यक्ति अपना नाम ठीक से नहीं बतलाता है तो वह गिरफ्तार किया जा सकता है। यह तो म्युनिसिपैलिटी के बाईलाज के जुर्म करने में भी होता है कि अगर कोई शख्स अपना नाम ठीक नहीं बतलाता है तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर कोई दो आदमी वहां पर आकर बतलाते हैं कि इसका क्या नाम है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इस हालत में पुलिस वालों को उस शख्स को छोड़ना लाजिमी हो जाता है। तो यह बातें जो कही गयी हैं कि पुलिस वाले जमानत ही नहीं लेंगे यह गलतफहमी पर कही गयी हैं। यह कानून बिल्कुल साधारण है।

डिप्टी चेयरमैन––प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

सन् १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक

वित्त मन्त्री––मैं जनाब से यह गुजारिश करूंगा कि पुलिस बिल जो आज के एजेन्डा पर ८वें नम्बर पर है यह ले लिया जाय क्योंकि अभी पुलिस के मन्त्री साहब भी तशरीफ रखते हैं।

डिप्टी चेयरमैन––ठीक है।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

यह बहुत साधारण और हल्का सा विधेयक है और मैं आशा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे। बात इतनी है कि पुलिस ऐक्ट की जो दफा ३४ है वह शहरों में जहां लागू है और अगर गवर्नमेंट किसी खास टाऊन या नगर में लागू करना चाहती है तो १८६१ ई० के कानून के मुताबिक उसको एक्सटेन्ड (extend) कर सकती

हैं। लेकिन देहाती क्षेत्रों में लागू नहीं कर सकती हैं। बहुत सी जगहें हैं जहां हाट बाजार लगते हैं, मेले लगते हैं, उन जगहों में भी उसको लागू करने की जरूरत होती है और आजकल जब आने-जाने के साधन बस और रेलें हैं जिनसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तब तो लोग अकसर बहुत बड़ी संख्या में जमा हो जाते हैं। अभी हाल ही में जायस में एक फकीर साहब निकल आये थे और वहां बहुत मजमा इकट्ठा हो गया था। तो सब लोगों की स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जरूरी हो जाता है कि उसका प्रबन्ध किया जाय। इस विधेयक में इतना ही है कि देहाती क्षेत्रों में भी वह लागू किया जा सकता है हमेशा के लिये नहीं बल्कि एक थोड़ी सी मियाद के लिये।

एक बात और है। श्री कुंवर गुरु नारायण ने एक बात कही थी कि व्यावहारिक होना चाहिए तो मैं समझता हूं कि इसमें भी यह उतरता है। यह एक प्रैक्टिकल (practical) चीज है। इसकी कहीं भी शिकायत नहीं सुनने में आई है। नैनीताल में एक मेला हुआ वहां हमने इसको लागू किया तो वहां के मैनेजर साहब ने नोटिस दिया कि यह लागू नहीं हो सकता है। इसके बाद जब कानून देखा गया तो मालूम हुआ कि बीसों वर्ष से जो हो रहा था वह गलत हो रहा था। जो कानून व्यावहारिकता का प्रमाण देता है उसके लिये मुझे आशा है कि हाउस उसको स्वीकार करेगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—यह बिल जो सदन के सामने आया है उसको मैंने देखा है और उसी सिलसिले में १८६१ का कानून देखा है। जब यह बिल मैंने देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इस तरह से कानून की जहां मेले वगैरह लगते हैं बड़ी सख्त जरूरत थी। मैंने देखा कि इस तरह का ऐक्ट उन जगहों पर जहां मेले वगैरह लगते थे, लागू नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी लोगों के चालान हुए। इसको देखकर मुझको ताज्जुब हुआ। ऐसी सूरत में इस बात की जरूरत थी कि ऐसा कानून बनाया जाय। मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री जी इस तरह का बिल आज सदन में उपस्थित किया है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

गृह मन्त्री—मुझे कुछ नहीं कहना है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

गृह मन्त्री—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) *विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक

वित्त मन्त्री—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सम्पत्ति को हस्तगत करने के (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, पर विचार किया जाय।

सन् १९४८ ई० में जो बाढ़ आई इससे इस प्रदेश के पूर्वी जिलों के गांवों को बड़ी हानि हुई थी। उस वक्त यह समझा गया था कि जो गांव के गांव और वहां के मकानात गिर गये हैं उनको फिर रिकन्सट्रक्ट (reconstruct) कराया जाय। इसलिये यह मौका था कि उनका फिर से नया प्लान (plan) बनाया जाय और नये तरीके के साथ फिर आबाद कराया जाय। ऐसा करने के लिये जिस जमीन की जरूरत होती है वह जमीन दूसरों की मिल्कियत होती है और उसको हासिल करना होता है। इनको हासिल करने के लिये उन्हें मुआविजा दिया

---

*विधेयक के लिये देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ ५८९ पर।

[वित्त मंत्री]

जाता है। इस बात को देखते हुए यह संशोधन फिर आया है। सन् ४८ में यह कानून बना और जमीन हासिल की गई जो कि पब्लिक पर्पज (public purpose) के लिये थी। अब इस कानून की तारीख ३१ दिसम्बर सन् १९५२ ई० को खत्म हो जायेगी और उसके बाद अगर उसको न बढ़ाया गया तो जो काम हम इसके जरिये करते हैं वह न कर पायेंगे। इसलिये इसकी जरूरत को देखते हुए अब इस कानून को हमेशा के लिये बनाना चाहते हैं। इसीलिये यह इस ऐवान के सामने पेश किया गया है। इसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस कानून की लाइफ (life) ३१ दिसम्बर, १९५२ ई० को खत्म हो जायेगी और आगे के लिये नहीं रहेगा इसलिये इसे हमेशा के लिये रखा जाये। जिस वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी उसी वक्त इसके अनुसार काम किया जायेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इसको पसन्द करेगा और इस कानून को मुस्तकिल बनवायेगा।

श्री प्रभुनारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने जो बिल इस समय सदन के सामने पेश किया है जिसकी मियाद ३१ दिसम्बर, सन् १९५२ ई० को खत्म हो रही है और साथ ही साथ इसकी मियाद भी बढ़ाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस सदन के किसी भी सदस्य को इसका विरोध नहीं होगा। इसमें हम यह चाहते हैं कि सन् १९४८ ई० में जब यह बिल पास हुआ था, उस वक्त से लेकर सन् १९५२ ई० तक जितनी दफा बढ़ाई और इस सिलसिले में कितने आदमियों को मदद दी गई और कितने मकानात वगैरह बनाये गये अगर माननीय मन्त्री जी इन सब बातों के आंकड़े हमको दे देते तो हमको समझने में आसानी हो जाती। इससे सरकार का मन्शा दूसरों को मदद पहुंचाने का है, इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर माननीय मन्त्री जी हमको आंकड़े दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रसिंह नयाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल इस वक्त हाउस के सामने है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस कानून के अधिकारियों को हमेशा के लिये अधिकार दिया जाता है कि वह आड़े वक्त में कानून से काम ले सकें। इस कानून के विचार के लिये यह जरूरी नहीं होता कि उसके मातहत आज तक कितने मकान बनाये गये और कितने आदमियों को मुआविजा दिया गया। यह कानून तो वक्त जरूरत पर काम आने के लिये बनाया जाता है। ईश्वर न करे जब इस कानून की जरूरत पड़े, ऐसे खराब वक्त से भगवान देश को बचाये। ऐसे वक्त जो तकलीफ जनता को हो उसको दूर करना सरकार का फर्ज होता है। उसी तकलीफ को दूर करने के लिये यह बिल लाया गया है। हमको इस बिल का ज्यादा से ज्यादा समर्थन करना चाहिए।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जो विधेयक भवन के सामने माननीय वित्त मन्त्री जी ने रखा है वह बहुत ही ठीक है इसके बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं। मेरा तो पहिले ख्याल यह था कि यह कानून सन् ५२ के बजाय सन् ५४ तक बढ़ाया जा रहा है किन्तु जैसा कि वित्त मन्त्री जी के भाषण से स्पष्ट हुआ है, इस कानून को स्टेच्यूट बुक (statute book) में हमेशा के लिये रक्खा जा रहा है। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। इस कानून को स्टेच्यूट बुक (statute book) में रहना ही चाहिए। मैं दो बातों की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो यह है कि विधान की दफा ३१ (२) का जरा ख्याल कर लिया जाय कि उसके मातहत यह कानून उचित रूप से रक्खा जा रहा है या नहीं। इसको सही सही मानों में देखा जाय कि उसके कम्पेन्सेशन (compensation) का नियम आ गया है या नहीं। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि कांस्टीट्यूशन की आर्टिकिल २५४ में भारत सरकार जैसा कानून बनाती है और स्टेट की सरकार जैसा कानून बनाती है और अगर दोनों में एख्तिलाफ है तो भारत सरकार का कानून जारी होता है। हमारे विधान बनने से पहिले, मुझे पूरा पूरा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि अगर भारत सरकार ने कोई कानून बनाया और राज्य सरकार ने जो कानून बनाया है जिसको राज्य सरकार स्पेशल कानून समझती है तो उस कानून से प्रान्त के कानून का ज्यादा महत्व होता था। किन्तु अब हमारे कांस्टी–

ट्यूशन के आर्टिकिल २५४ में यह प्रोवाइड (provide) किया गया है कि जो कानून का दोनों को जूरिस्डिक्शन है उसमें अगर राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और भारत सरकार भी कोई कानून बनाती है और अगर दोनों में कोई एख्तिलाफ है तो उस हालत में भारत सरकार का ही कानून लागू होता है। २५४ में ही दूसरे पैरा में यह दिया गया है कि अगर कोई एक्जिसटिंग ला (existing law) भारत सरकार का ऐसा है जिस पर राज्य का कानून हो, जो चाहे पहले से पास हो चुका हो या बाद को पास हो, और इन दोनों में एख्तिलाफ है तब सेन्टर (Centre) का कानून जो है वह लागू रहेगा? मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट (Land Acquisition Act) का जो विधेयक हमारे सामने है उसमें जमीन को पब्लिक परपज (public purpose) के लिये लाने का विधान है। मेरे ख्याल से भारत सरकार के कानून लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट (Land Acquisition Act) में जो कम्पेन्सेशन का सिद्धांत है, उसका मौजूदा विधेयक से एख्तिलाफ है। भारत विधान के शेड्यूल के मद्द नम्बर ३६ में स्टेट को अधिकार है कि वह जमीन एक्वायर करने के लिये कानून बनाये। लेकिन उसमें यह लिखा हुआ है कि subject to item 42 of list III ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा माननीय वित्त मन्त्री जी से, कि एक तो हमारे विधान के ३१ (२) आर्टिकिल के अन्दर इस कानून को बनना चाहिए और दूसरे आर्टिकल २५४ के अनुसार यह नहीं होना चाहिए कि लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट से इख्तिलाफ हो। इन्हीं दो बातों की ओर में माननीय वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अब्दुल शकूर नजमी—माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, यह बिल तो बिल्कुल साफ और सीधा सादा सा है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इस पर बहस या डिस्कशन (discussion) हो लेकिन जैसा कि हमारे भाई प्रभु नारायण साहब जी ने कहा तो मैं उनको ही कुछ जवाब देना चाहता हूं और समझता हूं कि मेरी बातों से शायद मुझे कुछ मदद मिले और वह उनको मददगार साबित हों। आपने एक बात यह कही कि फिगर्स (figures) हमारे सामने नहीं है और अगर फिगर्स हमारे सामने होती, तो वे उसमें शायद कुछ सजेशन (suggestion) पेश कर सकते थे। जहां तक यह बिल यहां लाया गया है, मैं नहीं समझता इसमें कोई वजह ऐसी हो कि जिससे इसके बारे में यहां फिगर्स लाये जाते हैं और तभी उसके लिये यहां सजेशन पेश किये जायें। जहां तक इस तरह से रुपये, आना, पाई का सवाल है, तो वे अगर इसको मालूम करना चाहेंगे तो उनको डिपार्टमेंट से मालूम हो जायेगा। लेकिन इस तरह से इसका कोई हल नहीं हो सकता है और इस सिलसिले में कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात जो कि जरूरी है वह यह है कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो मैं इससे कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहता। जो हमारा पंच वर्षीय प्लान है, अगर आप उसको देखें तो, उसमें आपकी समझ में इसके बारे में बहुत कुछ आ जायेगा। गवर्नमेंट इसके लिये वैसे भी एड (add) कर रही है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि बांध के बांधने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसी जगहें जहां कि फसलें भी बरबाद हो जाती हैं और इससे कई हजार आदमियों पर असर पड़ता है। ऐसे फ्लड (flood) को रोकने के लिये गवर्नमेंट हर तरह से सहायता करती है और इससे लोगों को राहत भी मिलती है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से साल में कई बार, कई जगह पर बाढ़ आती रहती है, तो उसको रोकने के लिये भी गवर्नमेंट हर उपाय करती है और लोगों को मुसीबत से छुड़ाती है। आज इस तरह से जगह २ पर बांध बनाने की भी कोशिश की जा रही है। घाघरा में इस तरह से बाढ़ आने से कई सौ लोगों पर असर पड़ा था, तो उसके लिये भी कोशिश की गई और यह देखना भी है कि किस तरह से फ्लड को रोका जा सकता है और किस तरह से बांध वगैरह बांध कर इन सबका इन्तजाम किया जा सकता है। यह भी देखना है कि किस तरह से बन्जर जमीनों को उपजाऊ बनाया जा सकता है। इससे तो बिल की मन्शा बिलकुल साफ और सीधी सादी है और उसूलों पर तो किसी को भी कोई एतराज नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस बिल में कोई ऐसी बात हो जिससे कि इसपर ज्यादा डिस्कशन या बहस की जाय।

श्री विश्वनाथ—उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रूप में यह विधेयक वास्तव में आना चाहिए था, इस रूप में नहीं आया है। मैं गाजीपुर की बात बतलाना चाहता हूं कि सन् १९४८ में वहां जो फ्लड (flood) आया था मैं उसे अभी तक भूला नहीं हूं। जैसा वहां का भयानक दृश्य था, वह मुझे अभी तक याद है। उस समय कुछ लोगों के पास नावें थीं, परन्तु बेकार बांध रक्खी गयी थी और बहुत से उनके पड़ोसी नाव के अभाव में अपनी रक्षा के लिये परेशान थे। फिर भी नाव वाले लोग अपनी नावें उनकी सहायता के लिये नहीं देते थे, अतः ऐसी चीजों पर भी अधिकार कर लेने का चन्द रोजा अधिकार सरकार को मिलना चाहिए। परन्तु बिल में ऐसा नहीं है, इसलिये भविष्य में समावेश होना चाहिए। इसके अलावा इस विधेयक से यह मालूम होता है कि इमारती भूमि तथा इमारती सामान भी इस विधेयक द्वारा लिये जा सकेंगे। जिन्ह सरकार आगे बाढ़ पीड़ितों को दे सकेगी।

श्रीमान्, अधिकतर मकानों के बीच में गली होती है और बाढ़ का पानी गली में भर जाता है जिससे ऊंचाई के मकानों में भी खतरा उत्पन्न हो जाता है और वह गिर जाते हैं और इस तरह गांव बरबाद हो जाता है आवश्यकता तो इस बात की थी कि ऐसे सुधार किये जाते, जिससे यह मुसीबत भी हल हो जाती। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जो संशोधन इस समय बिल के अन्दर नहीं हो पा रहे हैं उनका आइन्दा ख्याल रखा जाय तब ठीक तरह से लोगों को सहायता मिल सकती है, भाई प्रभु नारायण जी ने जो पूछा है, कि क्या सरकार के पास कोई गणना है कि कहां–कहां पर सहायता दी गई। मुझे गाजीपुर याद है, वहां कई गांव इस तरह से बसाये गये हैं भूमि ऐक्वायर (acquire) करके, और आदर्श गांव बनाये गये हैं। इस तरह से यह विधेयक लाभदायक है और साथ ही साथ अधूरा है; कुछ बातें बढ़ा देने से अधिक लाभदायक हो जायेगा।

वित्त मंत्री—इस वक्त इस बिल के मुताल्लिक ज्यादा कहना नहीं है और न कोई ऐसी बात कही गयी है जो जवाब तलब हो। श्री प्रभु नारायण जी ने कुछ इन्फार्मेशन (information) मांगी हैं इस वक्त मुझे याद नहीं है और जब यह बिल उनके पास गया था तो उस वक्त अगर मुझसे पूछ लेते तो शायद मैं बतला सकता अब उनसे गुजारिश करूंगा कि वह मेरे पास लिख कर भेज दें तो मैं डिपार्टमेंट के पास भेज दूंगा और जितनी मिल सकती हैं वह इन्फार्मेशन (information) आपको मिल जायेंगी। माननीय इन्द्र सिंह साहब ने कुछ सजेशन्स (suggestions) दिये हैं मैं चाहता हूं कि वह भी लिखकर भेज दें तो उनको भी डिपार्टमेंट के पास भेज दूंगा और उस पर गौर कर लिया जायगा और चूंकि सब मिल कर इस बिल को मन्जूर करते हैं इसलिये इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने के (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्त मंत्री—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने के (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने के (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक* को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री—जनाब वाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

---

*विधेयक के लिये देखिये नत्थी "ख" पृष्ठ ५८२ पर।

यह कानून है इस देश का जो सन् १९३८-३९ में बना था। इसके जरिये सिनेमा टैक्स लिया जाता है और रेसेज (races) में जो टैक्स लिया जाता है वह भी इसके जरिये से वसूल किया जाता है। इसके मुताल्लिक मामले अदालतों में गये, हाई कोर्ट्स में गये। हाई कोर्ट्स में जो फैसले हुए उनकी बिना पर यह महसूस हुआ कि मौजूदा ऐक्ट की धाराओं में कुछ संशोधन किये जायं। जो अमेंडमेंट्स हैं उनको मैं एक एक करके पढ़ देता हूं और यह भी बता देता हूं कि उनका क्या मकसद है ताकि मेम्बरान को यह मालूम हो जाय कि इस बिल में क्या रखा गया है।

इसकी धारा २ में जो डिफिनीशन (definition) दी हुई है उनमें एक डिफिनीशन प्रोप्राइटर्स (proprietors) की है। यह डिफिनीशन यह है :

"2(7) Proprietor in relation to any entertainment includes any person responsible for the management thereof."

प्रोप्राइटर समझकर जिस शख्स के खिलाफ कार्यवाही की जाती थी और मुकदमा चलाया जाता था तो वह मामला हाई कोर्ट में जाकर छूट जाता था। इसलिए इसमें यह संशोधन करने की जरूरत पड़ी। इस डेफनीशन के साथ में एक एक्सप्लेनेशन (explanation) भी है उसे भी मैं पढ़ देता हूं। वह इस प्रकार है :—

"Explanation: A person charged with the work of admission to an entertainment is for purposes of sections 4 and 5 a person responsible for the management."

जो प्रोप्राइटर की डेफनीशन दी हुई है उसके साथ यह एक्सप्लेनेशन इसलिये दिया जा रहा है ताकि मैनेजमेंट (management) के रिप्रिजेन्टेटिव (representative) को भी उसके लिये रिस्पांसिबिल (responsible) ठहराया जा सके। यह तो एक अमेंडमेंट हुआ। दूसरा अमेंडमेंट इसमें है क्लाज ३ का। यह इसलिये है कि जो सिनेमा होता है उससे पहिले फिल्म चलाया जाता है और चीजें उसके बीच में जो आदमी बैठे हुए होते हैं उनको दिखलाई जाती है। यह कहा गया है कि यह बीच का समय उसके अन्दर नहीं शामिल है लिहाजा उसमें एक तरमीम की इसलिये जरूरत हुई कि जो आदमी तमाशा देखना चाहता है, तो वहां जो कुछ होता है, उसको देखता है इसलिये उसके ऊपर यह टैक्स बढ़ाना चाहिए। एक अमेंडमेंट इस बिल के अन्दर जिसका मकसद सिर्फ यह है, जिसको मैंने अर्ज किया।

Sub-Section 2 (3) "Explanation—The exhibition of news reels, documentaries,. advertisement slides and cartoons, whether before or during the exhibition of a feature film is 'entertainment".

दूसरा अमेंडमेंट जो है उसमें यह है और गवर्नमेंट को अख्तियार दिया गया है कि एक्सटेन्शन जो दिया गया है वह परमानेंट (permanent) होगा। इस प्रकार उसका एक्सटेन्शन कर देते हैं। कहीं पर दो महीने के लिये एक्वीजीशन हो रहा हो तो उसके नोटीफिकेशन के जरिये से टैक्स वसूल हो सकेगा। यह परमानेंट भी हो सकता है किसी शार्ट पीरियड (short period) के लिये एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट उसका एक्सटेन्शन किसी खास पीरियड (period) के लिये भी कर सकती है। एक अमेंडमेंट और है जो थोड़े समय के लिये हो सकता है वह इस प्रकार है :—

" This Act, has been extended to any area by notification under sub-section (2) the State Government may at any time by a similar notification withdraw it from that area and whenever the Act has been so with drawn from any area andin any case where it has been extended to an area under sub-section (2) for a specified period only."

उसके अलावा एक अमेंडमेंट इसमें यह है कि इसमें जो ऐक्ट है वह इस बात के लिये है जो उन जगहों पर लागू होगा। शेड्यूल जो उसका है उसमें लिखा हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी

[वित्त मंत्री]

टाउन एरिया वगैरह जो हैं उसको आफिशियल गजट (Official Gazette) में छाप कर किसी खास पीरियड के लिये एक्सटेन्ड (extend) किया जाय।

"It shall extend to every area which is or which may hereafter be declared a Municipality, a Cantonment, a Notified Area, or a Town Area and to any other area to which the State Government may, by notification in the Official Gazette, so extend either for a specified period or otherwise."

अंग्रेजी में जो अमेंडमेंट पढ़ा गया है इसका मकसद यह है कि जो चीज इसमें नहीं आती है वह आटोमेटिकली (automatically) इसमें आती है बगैर किसी गवर्नमेंट आर्डर के सेक्शन २ का हवाला जो बिल में दिया गया है उसमें लाइसेन्स बुक मेकर का मतलब है कि—

" Lincenced bookmaker means any person who carries on the business or vocation of, or acts as, a bookmaker or turf commission agent under a licence or permit issued by any racing club or by the stewards thereof."

इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट जरूरी हुआ और वह यह कि जो रेसेज रेस कोर्स पर होते हैं कि फलां घोड़ा निकलेगा। मैंने तो कभी देखा नहीं है। जो साहब देखे होंगे वह मुझसे ज्यादा समझेंगे। लेकिन अगर वह होने लगे हजरत गंज में या अमीनाबाद में और दूकानदार बेटिंग शुरू कर दें और प्राईसेज रख दें तो उनके ऊपर इसके मातहत हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। उनके लिये उनको इसमें लाने के लिये एक तरमीम और एक सेक्शन की जरूरत हुई। जो सेक्शन १६-सी है उसको पढ़कर सुना देता हूं उसमें लिखा है कि:—

"16-C.—Restriction on offer and receiving of bets—(1) No person, other than a licenced bookmaker, shall offer or receive bets on the result of any race held or conducted by a racing club and no such bets shall be offered or received except in an enclosure set apart for the purpose of that club.

(2) Any person who offers or receives bets in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine not exceeding Rs. 1,000."

जहां तक डेफिनीशन का ताल्लुक है वह यह है:—

Clause 3(*c*) of the Bill. "(11) 'bookmaker' means any person who, whether on his own account or as servant or agent to any other person, carries on whether occasionally or regularly, the business of receiving or negotiating bets or who in any manner, holds himself out, or permits himself to be held out in any manner, as a person, who receives or negotiates bets, or conducts such operations and includes a turf commission agent' and 'bookmaking' shall be construed accordingly; so however, that a person shall not be deemed to be a bookmaker by reason only of the fact that he operates, or is employed in operating a totalisator, and the operating of a totalisator shall be deemed not to be bookmaking; and' licensed bookmaker' means a bookmaker who is granted a licence or permit with the prior approval of the District Magistrate by any racing club or by Stewards thereof."

इसीलिये इसको लाया गया है कि अगर कोई शख्स किसी किस्म की कार्यवाही करना चाहता है तो उसको इस ऐक्ट के अन्दर लाना होगा और उसके ऊपर एक हजार रुपये तक जुर्माना हो सकेगा उसके लिये यह तरमीम की गई है कि--

In sub-section (I) of Section 3 of the principal Act for the words 'exceeds 2 annas' the words 'is two annas' shall be substituted.

जो टैक्स लिया जाता है उसके रेट्स लिखे हुए हैं।

एक बात उसमें यह है कि एक किस्सा जैसा कि जब स्मोकिंग बिल पेश था उसमें एक साहब ने सुनाया, कि उसमें अरेस्ट (arrest) की पावर्स (powers) दी जा रही हैं। जमानत की पावर उसमें पहले से है। इसमें सिर्फ इतने अमेंडमेंट्स हैं उसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है जिसमें बहस की जा सके।

डिप्टी चेयरमैन---प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

वित्त मन्त्री---मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

डिप्टी चेयरमैन---प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक *को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

डिप्टी चेयरमैन---कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल की बैठक ४ बजे दूसरे दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

लखनऊ
२२ सितम्बर, १९५२

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

---

* विधेयक के लिये देखिये नत्थी "ग" पृष्ठ ५८४ पर।

नत्थी "क"

(देखिये पिछले पृष्ठ ५७३ पर)

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ

उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के लिये पुलिस ऐक्ट, १८६१ में कुछ प्रयोजन निमित्त संशोधन करने के लिये

१८६१ का ऐक्ट, ५।

विधेयक

१८६१ का ऐक्ट ५।

उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के लिये पुलिस ऐक्ट, १८६१ में कुछ प्र के निमित्त संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम "पुलिस (उत्तर प्रदेश संशो अधिनियम, १९५२ ई०" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

१८६१ के ऐक्ट ५ की धारा ३४ में संशोनध।

२—(१) पुलिस ऐक्ट, १८६१ की वर्तमान धारा ३४, ३४(१) रूप में पुनः परिगणित होगी।

(२) पुनः परिगणित धारा ३४ की उपधारा (१) में "residents" और शब्द "or passengers" के बीच में शब्द "visit रख दिया जायगा और शब्द "section" के स्थान में शब्द "sub-sect रख दिया जायगा ।

(३) पुनः परिगणित धारा ३४ की उपधारा (१) के बाद निम्नलि नयी उपधारा (२) और (३) के रूप में रख दी जायगी :

"(2) The State Government may, by notification in the official G extend to any rural area, specified in the notification, the p visions of sub-section (1) and thereupon its provisions apply to such area as if it were a town to which the sub-section had been specially extended.

(3) The extension under sub-section (2) shall be for a specified pe and in respect of all or any of the offences as may be specifi

उद्देश्य और कारण

पुलिस ऐक्ट, १८६१ की धारा ३४ अभी केवल कस्बों में प्रसारित की जा सकती है, किन्तु अनुभव में यह प्रतीत हुआ कि ऐसे मेलों में भी जो प्रायः कस्बों की सीमा से बाहर लगा करते हैं इसे प्रसारित करना आवश्यक है। कस्बों से बाहर तथा ग्रामों में लगने वाले मेलों में उक्त धारा को प्रसारित करने की व्यवस्था के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

सम्पूर्णानन्द,
पुलिस मन्त्री।

नत्थी "ख"

(देखिए पिछले पृष्ठ ५७६ पर)

उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद् द्वारा
हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट ३९, १९४८। कुछ प्रयोजनों के निमित्त १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट में संशोधन करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ३६, १९४८। कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यह आवश्यक है कि १९४८ का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट में संशोधन किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है --

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। १--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट ३९, १९४८ की प्रस्तावना में संशोधन। २--१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना में --

(क) शब्द "संयुक्त प्रान्त के कुछ क्षेत्रों में हाल की बाढ़ों से विस्तृत हानि पहुंचने के कारण" निकाल दिये जायं।

(ख) शब्द "हो गया है कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के सहायतार्थ इमारत के लिये स्थान तथा इमारती सामान को तुरन्त अधिकृत और हस्तगत किया जाय और उस सम्बन्ध में अधिकारों की व्यवस्था की जाय" के स्थान पर शब्द "है कि बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में क्षति प्राप्त लोगों की सहायतार्थ इमारती स्थान तथा इमारती सामान को तुरन्त अधिकृत और हस्तगत करने के लिए अधिकारों की व्यवस्था की जाय" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ३६, १९४८ की धारा १ का संशोधन। ३--मूल अधिनियम की धारा १ में --

(क) उपधारा (१) में शब्द तथा "(अस्थायी अधिकार)" निकाल दिये जायं।

(ख) उपधारा (३) में "यह तुरन्त लागू होगा" के बाद के सब शब्द निकाल दिये जायं।

उद्देश्य और कारण

१९४८ में ऐसी बाढ़ आई जो पहले कभी नहीं आई थी। इसके कारण उत्तर प्रदेश में घरों और गांवों के स्थलों को बड़ी हानि पहुंची। परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोग निराश्रय हो गये और अपने घर द्वार से भी वंचित हो गये। अतएव सरकार ने इस अवसर पर यह निश्चय किया कि जहां तक सम्भव हो ऐसे क्षेत्रों में जहां ग्राम के स्थल बाढ़ से पूर्णतः या अंशतः बह गये हों, अविचारपूर्वक घर न बनाये जायं, किन्तु उक्त क्षेत्रों में ग्राम आधुनिक योजना के अनुसार पुनःसंघटित किये जायं।

इस उद्देश्य से तथा ग्राम स्थल के लिये भूमि को अधिकृत और हस्तगत करने एवं बाढ़-पीड़ितों को पुनर्वासित करने के उद्देश्य से १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सम्पत्ति को हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (अस्थायी अधिकार) ऐक्ट प्रचारित किया गया था। धारा १ (३) के अनुसार उक्त अधिनियम ३१ दिसम्बर, १९५० ई० को समाप्त हो जायगा और यह सम्भव है कि इस वर्ष या भविष्य में भी बड़ी बाढ़ आवे अतएव यह प्रस्ताव है कि उक्त अधिनियम को स्थायी रूप दिया जाय। इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

नत्थी "ग"

(देखिये पिछले पृष्ठ ५७६ पर)

उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा तथा विधान परिषद्
द्वारा पारित हुआ।)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० इन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ में और अधिक संशोधन करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी० इन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा १ का संशोधन।

२--यू० पी० इन्टरटेनमेंट ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट, १९३७ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ में--

(क) वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा:

"(2) It shall extend to every area which is or which may hereafter be declared a Municipality, a Cantonment, a Notified Area of a Town Area and to any other area to which the State Government may, by notification in the Official Gazette, so extend it either for a specified period or otherwise."

(ख) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नयी उपधाराएं (४) और (५) बढ़ा दी जायंगी:

"(4) Where this Act has been extended to any area by notification under sub-section (2) the State Government may at any time by a similar notification withdraw it from that area and whenever the Act has been so withdrawn from any area and, in any case where it has been extended to an area under sub-section (2) for a specified period only, upon the expiry of the period, the provisions of section 6 of the U. P. General Clauses Act, 1904 (U. P. Act I of 1904) shall have effect as if the Act had then been repealed in that area by an Uttar Pradesh Act.

(5) The powers conferred on the State Government under sub-section (2) may be exercised in respect of the same or different areas as often as occasion requires."

३—मूल अधिनियम की धारा २ में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे :

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा २ का संशोधन।

(क) खंड (३) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जायगा :

"*Explanation*—The exhibition of News Reels, documentaries, advertisement slides and cartoons, whether before or during the exhibition of a feature film is "entertainment"

(ख) खंड (७) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जायगा :

Explanation—A person charged with the work of admission to an entertainment is for purposes of sections 4 and 5 a person responsible for the management."

(ग) खंड (११) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा :

"(11) 'bookmaker' means any person who, whether on his own account or as servant or agent to any other person, carries on, whether occasionally or regularly, the business of receiving or negotiating bets or who in any manner holds himself out or permits himself to be held out in any manner, as a person who receives or negotiates bets, or conducts such operations and includes a 'turf commission agent', and 'bookmaking' shall be construed accordingly, so, however, that a person shall not be deemed to be a bookmaker by reason only of the fact that he operates, or is employed in operating a totalisator, and the operating of a totalisator shall be deemed not to be bookmaking; and 'licensed bookmaker' means a bookmaker who is granted a licence or permit with the prior approval of the District Magistrate by any racing club or by Stewards thereof."

४—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "exceeds two annas" के स्थान पर शब्द "is two annas" रख दिये जायेंगे।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा ३ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा ५ के बाद निम्नलिखित धारा ५-ए बढ़ा दी जायगी :

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा ५ के बाद नयी धारा ५-ए का बढ़ाया जाना।

"5-A. Any reference in this Chapter to admission to an entertainment or to a person admitted to an entertainment shall be deemed to include a reference to admission to another part of place of entertainment for admission to which part a payment involving entertainment tax or more entertainment tax is required of a person who has been admitted to one part of that place of entertainment, and to such a person admitted to such another part of a place of entertainment, and the provisions of this Chapter shall have effect accordingly."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा १६-बी का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा १६-बी में शब्द और अंक "section 16-A" के स्थान पर शब्द और अंक "section 16-C" रख दिये जायेंगे।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा १६-बी के बाद नयी धारा १६-सी का बढ़ाया जाना।

७--मूल अधिनियम की धारा १६-बी के बाद निम्नलिखित नयी धारा १६-सी बढ़ा दी जायगी।

"16-C. Restriction on offer and receiving of bets-(1) No person, other than a licensed bookmaker, shall offer or receive bets on the result of any race held or conducted by a racing club and no such bet shall be offered or received except in an enclosure set apart for the purpose of that club.

(2) Any person who offers or receives bets in contravention of the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine not exceeding Rs 1,000."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की धारा १७ के बाद नयी धारा १७-ए का बढ़ाया जाना।

८--मूल अधिनियम की धारा १७ के बाद निम्नलिखित नयी धारा १७-ए बढ़ा दी जायगी,

"17-A. Any officer authorised in this behalf by rule (hereinafter called in this Act as the prescribed authority) may ask a person, who is suspected of the contravention of any of the provisions of the Act or the rules made thereunder to declare immediately his name and address and if the person refuses or fails to give his name and address or the prescribed authority reasonably suspects him giving a false name or address, the prescribed authority may arrest him without a warrant and detain or get him detained in the nearest Police Station:

Provided that the prescribed authority shall release him on bail if he is prepared to give it. The prescribed authority may also, if it thinks fit, discharge him on his executing a bond with or without sureties for his appearance."

यू० पी० ऐक्ट ८, १९३७ की अनुसूची का निकाला जाना।

९--मूल अधिनियम की अनुसूची (schedule) निकाल दी जायगी।

उद्देश्य और कारण

इन्टरटेनमेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स ऐक्ट का संशोधन पिछली बार १९४८ ई० में ऐक्ट ३१, १९४८ द्वारा किया गया था। तब से उक्त अधिनियम के प्रयोग में लाने पर उसमें कुछ त्रुटियों का पता चला, जिन्हें इस विधेयक द्वारा दूर करना आवश्यक है। यह सन्देह प्रकट किया गया है कि उक्त ऐक्ट की धारा १ की उपधारा (२) के अधीन जैसा कि वह इस समय वर्तमान है, किसी क्षेत्र में सीमित अवधि के लिए उक्त अधिनियम को प्रसारित करने का अथवा उक्त प्रकार के प्रसारण की व्यवस्था के लिए प्रकाशित विज्ञप्ति को वापिस लेने का सरकार को अधिकार है या नहीं। उक्त अधिनियम के निपुण तथा समुचित प्रशासन के लिए यह स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकार निश्चित कर दिये जायं जिससे कि किसी प्रकार के सन्देह का अवसर न रहे। इसके अतिरिक्त हाल में ही राज्य सरकार बनाम ए० एन० दास (क्रिमिनल रेफरेंस २९०, १९५०) तथा राज्य सरकार बनाम जी० बी० माथुर (क्रिमिनल रिवीजन संख्या १०७१, १९५०) में, जो निर्णय हाईकोर्ट ने दिया है उससे यह आवश्यक हो गया है कि उक्त अधिनियम की कुछ धाराओं में ऐसा संशोधन कर दिया जाय जिससे इसके प्रशासन में किसी प्रकार की कठिनाई न रह जाय और सिनेमा के मालिकों तथा दर्शकों में अविचारी लोगों को यह अवसर न मिल सके कि वे मनोरंजन शुल्क (इन्टरटेनमेंट टैक्स) से बच जायं।

गोविन्द बल्लभ पन्त,
मुख्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी०--४८ एल० सी०--१९५२-८५०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल का बैठक विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५५)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टन्डन, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री

वालक राम वैश्य, श्री
वीर भानु भाटिया, डाक्टर
वेनी प्रसाद टन्डन, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्व नाथ, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :—

श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम (वित्त मन्त्री)।
श्री चरण सिंह (माल मन्त्री)।

प्रश्नोत्तर

१--१२--श्री शिवसुमरन लाल जौहरी--(सदस्य की इच्छानुसार स्थगित किये गये।)

पटवारियों द्वारा हड़ताल की नोटिस

१३--श्री प्रताप चन्द्र आजाद--(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कुछ पटवारियों ने हड़ताल करने की नोटिस सरकार को दे दिये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनके हड़ताल करने के क्या कारण हैं ?

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--(क) किसी भी पटवारी ने हड़ताल करने की नोटिस सरकार को नहीं दिया। केवल आगरा जिले में पटवारियों ने जिलाधीश को १ सितम्बर, सन् १९५२ से हड़ताल करने का नोटिस दिया, परन्तु हड़ताल नहीं की।

(ख) आगरे में पटवारियों की मांग उनके वेतन तथा मंहगाई का भत्ता बढ़ाने के लिये थी। यह मसला सरकार के विचाराधीन है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि बरेली जिले में सितम्बर के महीने में पटवारियों ने हड़ताल की है ?

माल मन्त्री--मुझे कोई सूचना नहीं है।

गांव में लगान वसूली का कार्य

१४--श्री प्रतापचन्द्र आजाद--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गांवों में लगान की वसूली का कार्य पटवारियों के सुपुर्द किया जायगा ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उनको क्या प्रतिसैकड़ा कमीशन देगी या कितना उनका वेतन बढ़ायेगी ?

माल मन्त्री--(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

१५--श्री प्रतापचन्द्र आजाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यदि पटवारियों द्वारा गांवों में लगान वसूल न कराया गया तो इस सम्बन्ध में सरकार और क्या प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

माल मन्त्री--सरकार ने आमतौर पर अमीनों के द्वारा गांवों में लगान वसूल करने का निर्णय किया है, परन्तु यदि कोई जिलाधीश अपने जिले के कुछ गांव सभाओं को इस काम में उपयुक्त समझते हैं तो उनकी सिफारिश पर उस क्षेत्र में लगान वसूली का काम गांव सभाओं के द्वारा कराया जा सकता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि कहीं के जिलाधीश ने भी अभी तक लिखकर सूचित किया है कि वहां की पञ्चायतें भी लगान वसूल करने के योग्य हैं ?

माल मन्त्री--जी हां, बहुत से जिलाधीशों ने भेजा है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि कहां पर अमीन लगान वसूल करेंगे और कहीं पर ग्राम-सभायें वसूल करेंगी यह कहां तक उचित होगा ?

माल मंत्री—अगर अनुचित होता तो सरकार कभी राजी नहीं होती।

१८–१९—**श्री शिव सुमरन लाल जौहरी**—(सदस्य की इच्छानुसार स्थगित किये गये।)

२०—**श्री ज्योति प्रसाद गुप्त**—(इनका उत्तर २२ सितम्बर, १९५२, को प्रश्न संख्या ३४ के रूप में दिया गया।

२१–२३—**श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद**—(इनका उत्तर २२ सितम्बर, १९५२ को प्रश्न संख्या ३५–३७ के रूप में दिया।)

२४–२७—**श्री ज्योति प्रसाद गुप्त**—(स्थगित)।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली १९५२ पर विवाद

मालमंत्री Sri Charan Singh—Sir, I beg to move that the legislative council do proceed to consider the amendments proposed to the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952 which were laid on the table on July 10, 1952.

जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के मातहत जो नियम तैयार हुए हैं वे गजट में प्रकाशित किये गये थे और लोगों को मौका दिया गया था कि जिनकी इन मसले से दिलचस्पी हो वह गवर्नमेंट को सुझाव दें। वक्त के निकल जाने के बाद ये नियम अन्तिम करार दिये गये और ये नियम १ जुलाई से लागू हैं और उन पर अमल हो रहा है। लेकिन जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ के अधीन यह आवश्यक है कि नियमावली विधान मंडल के सामने रखी जाय और विधान मंडल जो उसमें संशोधन करना उचित समझे वह करे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से धारा ३४४ की उपधारा (४) को पढ़कर सुनाता हूं—

344 (4) "All rules made under this Act shall be laid for not less than 14 days before the State Legislature as soon as they are made, and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they are so laid."

तो यह नियम पहिली जुलाई से लागू किये गये थे और शायद ७ जुलाई में विधान मंडल का सेशन शुरू हुआ था। जो संशोधन वहां पर लाये गये हैं वह विधान सभा से स्वीकृत हो चुके हैं अब उन नियमों को इस सदन के सामने विचार के लिये प्रस्तुत किया जाता है। इस सदन से जब संशोधन स्वीकार हो जायेंगे तो फिर उन पर अमल किया जायगा। श्रीमान् मैं चाहता हूं कि आपकी आज्ञा से इन संशोधनों पर विचार किया जाय।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं अपने विचार इन रूल्स के सम्बन्ध में जो अभी डिसकशन के लिये माननीय माल मन्त्री ने प्रस्तुत किये हैं, कुछ कहूं, मुझे आज एक नई चीज मालूम हुई है और वह यह है कि अभी तक मैंने सुना था कि कपड़े की चोरी होती है, धन की चोरी होती है और २ चीजों की चोरी होती है, लेकिन प्रस्ताव की चोरी भी होती है, वह मैंने आज तक नहीं सुना था। जो प्रस्ताव आज माननीय माल मन्त्री जी ने सदन के सामने रखा है, उस प्रस्ताव को नोटिस सबसे पहले मैंने दी थी और बिलकुल यही शब्द मैंने रखे थे। मेरा अपना यह विचार था कि मेरा अपना यह अधिकार होगा कि मैं इस प्रस्ताव को इस सदन के सामने रखता। लेकिन मालूम हुआ कि सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव आया है और यह स्वाभाविक है कि सरकार के ही प्रस्ताव को रखा जायगा और सरकार के सामने मेरा अधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का छिन जायेगा।

माल मन्त्री—खैर, प्रस्ताव की ही चोरी हुई। यह तो विधान सभा के ही शब्द हैं जो मैंने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

श्री कुंवर गुरुनारायण--बहरहाल चूंकि मेरा अधिकार छीन कर सरकार ने प्रस्तुत किया, इसलिये मैंने कहा। श्रीमान् जहां तक इन रूल्स का सम्बन्ध है जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि रूल्स किसी भी हाउस में डिसकशन के लिए नहीं आते हैं। लेकिन जैसा कि धारा ३४४ के अधीन यह प्राविज़न है कि जो रूल्स बनाये जायें उन पर यह हाउस और वह हाउस दोनों विचार करें, इसलिये यहां भी यह रक्खे गये। यहां पर यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि जो विधेयक हुआ करता है, ऐक्ट हुआ करता है वह एक्चुअल प्रैक्टिस (actual practice) में रूल्स द्वारा ही रन (run) करता है। जहां तक नये ऐक्ट का संबंध है यह एक ऐसा महत्वपूर्ण ऐक्ट है कि उनका प्रभाव कम से कम उन डेढ़ करोड़ किसानों की फेमिलीज़ पर, उनके परिवार पर पड़ेगा या इसका प्रभाव कम से कम उन २३-२४ लाख जमींदारों के परिवारों पर पड़ेगा, मेरा अपना ऐसा अनुमान है कि इस प्रान्त की १/३ जो पापुलेशन है वह इन अधिनियमों से प्रभावित होंगे। जहां तक इन अधिनियमों का सम्बन्ध है मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहूंगा और न अधिक डिटेल्स में ही जाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट काफ़ी दिनों तक चला और बहुत सी बातें लोगों को मालूम हुई। लेकिन कुछ बातें जरूर ऐसी हैं जिनकी ओर अभी हमें यह इशारा करना पड़ेगा कि कहां तक यह अधिनियम प्रेक्टिकेबुल होंगे और कहां तक न्यायपूर्ण नीति इन अधिनियमों द्वारा बरती जायगी।

श्रीमन् ८ अगस्त सन् ४६ की विधान सभा में इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया था जो कि मैं आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :

"This Assembly accepts the principle of the abolition of the zamindari system in this province which involves intermediaries between the cultivator and the State and resolves that the rights of such intermediaries should be acquired on payment of equitable compensation and that Government should appoint a committee to prepare a scheme for this purpose."

इस समय इस प्रस्ताव का ज़िक्र करने का मेरा मंशा यह था कि शुरू से सरकार की नीति यह रही है कि जहां तक फर्स्ट पार्ट आफ दि रेजोल्यूशन, उनके ज़मींदारी अबालिशन का है और जो इन्टरमीडियरीज़ हैं, बिटवीन कल्टीवेटर्स ऐंड स्टेट, उसके द्वारा वह तो समाप्त कर दिया है। लेकिन जो सेकेन्ड पार्ट इस प्रस्ताव का है कि जमींदारों को इक्वीटेबल कम्पेनसेशन मिलना चाहिये उस सम्बन्ध में सरकार की नियत कुछ अनुचित मालूम पड़ती है दो नीति यह प्रस्ताव निर्वारित करता है। एक तो अबालिशन आफ सिस्टम या अबालिशन आफ इन्टरमीडियरीज़ है और दूसरा कि इक्वीटेबुल कम्पेनसेशन मिलना चाहिये। मैं निसंकोच यह कहने के लिये तैयार हूं कि जहां तक पहले पार्ट का सम्बन्ध है कांग्रेस सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन जहां तक दूसरे पार्ट का सम्बन्ध है, इक्वीटेबुल कम्पेनसेशन देने का, उसमें कांग्रेस सरकार ने अनीति बरती और न्याय नहीं किया। शुरू से यह नीति तो रही कि अबालिशन कर दिया जाय लेकिन इस बात का बराबर एफर्ट किया गया कि जो कम्पेनसेशन हो, वह जहां तक हो कम से कम दिया जाय या न दिया जाय तो और भी अच्छा है, ऐसी नीति इन रूल्स में भी बरती गई है। मैं कम्पेनसेशन के महत्व को किसी भी प्रदेश के लिये और अपने देश के लिये इसलिये अधिक देखता हूं और मैं समझता हूं कि कम से कम अगर आपने प्राइवेट प्रापर्टी की सैंक्टिटी को नहीं रक्खा, अगर आपने प्राइवेट प्रापर्टी की सैंक्टिटी पर धक्का लगाया तो आप आज जमींदारी का विनाश तो भले ही कर सकते हैं लेकिन अगर निजी सम्पत्ति को अपहरण करके उसकी उचित क़ीमत भी सरकार द्वारा न मिले तो इसके दुष्परिणाम होंगे। जनता इससे शंकित होगी, वह मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं होगा। इसके परिणाम बजाय इसके कि अच्छे हों, सरकार के डेवलपमेंट प्लान अपूर्ण और कम होते चले जायेंगे और सरकार के प्रति जनता का विश्वास मिट जावेगा।

इसलिये मैं समझता हूं कि किसी भी समय सरकार का यह सबसे पहला कर्तव्य है कि वह प्राइवेट प्रापर्टी की हर तरह से रक्षा करे और इसके लिये चाहे कोई भी सरकार हो, अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह अपने नेतृत्व को अच्छी तरह से नहीं समझती है। तो जहां तक इस तरह की बात का सम्बन्ध है, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि शायद शुरू ही से सरकार की यह नीति रही है कि हम जमींदारों की जमींदारी तो ले लें मगर कम्पेनसेशन न दें और जो इंडिया का कान्स्टीट्यूशन यानी हमारा संविधान है, सरकार ने उसको तब्दील किया महज इसलिये कि उत्तर प्रदेश की सरकार या और दूसरी सरकारें जहां कि इस तरह को कम्पेनसेशन इत्यादि देने की सुविधायें सरकार को नहीं हैं, वे उनको दे दी जायें। ऐसे संविधान को जिसको कि इस देश में पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में बनाया गया है जिसमें कि प्राइवेट प्रापर्टी की सैंक्टिटी को उसूली तौर से माना गया हो, मगर वह सिर्फ इसलिये बदल दिया गया कि जमींदारों की सम्पत्ति पर सरकार कब्जा बिना मुआविजा दिये ही कर सके। लिहाजा इस तरह से कर देना, पहली चीज तो यही है और अब फिर उसको करने के बाद सरकार ने क्या किया कि कम्पेनसेशन इस सम्बन्ध में जो हम जमींदारों को मिलना चाहिये था और जो सरकार अपनी तरफ से ईमानदारी के साथ देना चाहती थी वह भी अब बेकार सा किया जा रहा है, और मुझे दुःख जब होता है जब कि मैं देखता हूं कि जो कुछ अपनी सरकार ने क़ानून भी बनाया तो उसमें भी ईमानदारी के बजाय, उसमें रूल्स की धाराओं को इसलिये इस प्रकार बनाया जा रहा है कि जिससे हम लोगों को मुआविजा पाने में परेशानी पैदा हो और इससे हमारी दुश्वारियां बढ़ा दी जायं, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि सरकार जो जमींदारों के लिये दावा करती थी कि उनको उचित कम्पेनसेशन दिया जायेगा और शीघ्र दिया जायेगा, उसमें उसको पूरा नहीं किया। अब इस तरह से जिनकी सम्पत्ति ली गई है उनको कैसे नगद कम्पेनसेशन दिया जाय, कैश में दिया जाय या पार्टली इन कैश और पार्टली इन बान्ड्स में दिया जाय, वह अपने अधिनियम में रक्खा और उसके लिये आपने ऐक्ट में प्रावीजन किया। मगर अब यह कि उसके लिये जितनी जल्दी हो सकता था, उतनी जल्दी जमींदारों को कम्पेनसेशन दिया जाता मगर उतनी जल्दी शायद सरकार नहीं देना चाहती। सम्पत्ति जब आप किसी की लेते हैं और कम्पेनसेशन देने की बात कहते हैं और ४० वर्ष बाद उसको देंगे, तो उसमें यह भी सम्भव है कि पता नहीं कि आप रहेंगे कि नहीं और फिर सोशलिस्ट पार्टी यहां आयेगी तो उसका भी यही दृष्टिकोण रहता है कि नहीं कि यह भी एक बड़ा प्रश्न है, फिर हमें उस समय हमारी सम्पत्ति का उचित मुआवजा मिले या न मिले। तो मुझे भी आपको यह बतलाना है, मगर इसकी क्या गारन्टी है कल जब दूसरी सरकार आती है तो जो कम्पेनसेशन के आउटम्स में आपने ऐट टाइम्स दि नेट ऐसेट की बात रखी है और जिस प्रकार हमें कम्पेनसेशन मिल रहा है, तो वह कम्पेनसेशन फिर बाद में भी मिल जायेगा। यह कहां का तरीका है कि आपने यह कह दिया कि वह तो ४० वर्ष तक मिलता रहेगा, और जब कि इसकी कोई गारन्टी नहीं है। तो जहां तक कम्पेनसेशन देने का सम्बन्ध है, उसमें अनीति बरती गई है।

मैं फिर इस भवन में कहना चाहता हूं और मुझे शंका भी है कि कोई खास सही पहलू पर डिस्कशन न होगा इस भवन में बल्कि जमींदारों के खिलाफ २५ या ३० उल्टी सीधी बातें कह दी जायेंगी। मैं तो आपसे कहूंगा कि जिस बात को आपने कहा आपको उसको पूरा करना चाहिए और आप का फर्ज है। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो जितनी भावी सरकारें होंगी उनके लिये यह एक प्रिसीडेन्ट कायम हो जायेगा वह सब इसी तरह से काम करेंगी कुछ कहेंगी कुछ, लिखेंगी कुछ और करेंगी कुछ कोई कुछ कह नहीं सकता है और तब यह कहा जायेगा कि जनता की सरकार थी और उसने इस तरह से काम किया है ठीक ही किया होगा। मेरा यह सजेशन था कि कैश कम्पेन्सेशन दिया जाता। रूल्स में प्रोवाइड किया गया है कि ४० वर्ष में कम्पेन्सेशन दिया जाय और वह भी बान्ड्स में जो नेगोशियेबुल भी न हो इसके बाद और जो रखा गया है वह रूल्स में वह मैं श्रीमान् जी की आज्ञा से बतलाना चाहता हूं।

[श्री कुंवर गुरुनारायण]

इन्टेरिम कम्पेन्सेशन का आइटम ले लीजिए। १ जुलाई सन् १९५२ को सरकार ने सब जमींदारियों को हस्तगत किया और हस्तगत करने के बाद इन्टेरिम कम्पेन्सेशन ९ महीने बाद मिले। इन रूल्स के हिसाब से यह है कि १ अप्रैल, १९५३ को सरकार के यहां दरख्वास्त दी जायेगी कि हमको इन्टेरिम कम्पेनसेशन दिया जाय लेकिन यह सफाई रूल्स में नहीं की गई कि वह इन्टेरिम कम्पेनसेशन, जिसकी जमींदार मांग करेगा वह कब तक पायेगा। २ या ४ महीने बाद या कब वह मिलेगा। आप इमेजिन (imagine) कीजिए कि हर जिले और तहसील से दरख्वास्तें गुजरेंगी। तो यह कितना अनप्रैक्टिकेबिल होगा और उसको कैसे तय किया जायगा। इसमें कोई इसकी व्यवस्था नहीं की गयी है। बल्कि यह कहा जायेगा कि जो रूल्स में है कि सरकार को ९ महीने बाद अपील कर सकते हैं और उसके बाद जो फैसला होगा, होता रहेगा। उसकी कोई चिन्ता नहीं है। इसी तरीके से छोटे जमींदारों की क्या हालत होगी। उसमें सरकार ने यह रखा है, मैं आपको बताऊं क्या दुश्वारियां होंगी। करीब-करीब १७ या २० लाख के जमींदार हैं जो कि इन फीगर्स से हैं जो जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में दी हुई हैं। सवा तीन लाख के अन्दर प्रोप्राइटर्स (under proprietors) हैं मैं समझता हूं कि यह फीगर्स ५ साल पहले की है अब शायद कुछ बढ़ती ही गई होगी और वह भी काफी। तो पोजीशन यह है तो हिसाब सरकार ने रखा है कि ५० रुपया कम्पेनसेशन हर जमींदार को कैश दिया जाय उसके माने यह है और हिसाब से यह आया कि जो ५ रु० ५ आना मालगुजारी देता है उसको ५० रुपया कैश कम्पेनसेशन मिलेगा। २५ रुपया जो मालगुजारी देता है या इससे कम, उनकी तादाद १७ लाख है अब जो जमींदार ५ रु० ५ आना मालगुजारी देता है उसकी कोई तादाद अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है। यह जमींदार कितने होंगे अनुमान किया जा सकता है कि ८ लाख की तादाद होगी।

इस तरह से ८ लाख जमींदार ५० रुपया कम्पेन्सेशन पा जायेंगे लेकिन और जो बाकी रह गये वह रहे १७ लाख। जो २५ रुपया से कम के हैं वे ९ लाख के बाकी रहे। ९ लाख जमींदारों को बौंड्स में कम्पेनसेशन मिलेगा। जो फीगर्स हमने वर्क आउट की हैं उससे मालूम होता है कि १ रु० ३ आना १ पाई जिनकी रेवेन्यू होगी उनको ६० रुपया कम्पेनसेशन बांड्स में मिलेगा। जो ४ रु० १० आ० ६ पाई देते हैं उनको २३४ रुपया मिलेगा अब आप यह देखिए कि जिनका टोटल कम्पनसेशन ६० रुपया है उनको दो मर्तबा अपनी अपनी तहसीलों में जाना पड़ेगा। होगा यह कि ४ रु० कुछ पैसे लेने के लिये उनको कितना खर्च करना पड़ेगा आने जाने में। उनको जितना कम्पेनसेशन मिलेगा कि वह सब आन जान में ही खर्च हो जायेगा बल्कि उससे और अधिक। पेमेंट की जो विधि रखी गई है उसके मुताबिक ज्यादातर तो जमींदार हैं वह ट्रैजरीज में ही जायेंगे। इस प्रकार की ट्रैजरीज लगभग ३०० के होती हैं। कम्पेनसेशन लेने वाले कम से कम १५-१६ लाख के होंगे। इस प्रकार हर ट्रैजरी पर करीब ५ हजार आदमी होंगे। बताइये कितनी परेशानी होगी। उनको चार-पांच रुपया पाने के लिये तीन-चार दिन ठहरना पड़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि जमींदार जायेंगे ही नहीं। उनका कम्पेनसेशन भी चला जायेगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि सरकार की नीति जहां पर यह है कि जमींदारी खत्म करे इन्टरमीडिअरीज को खत्म करें वहां न्याय यह कहता है हमारी संस्कृति यह कहती है कि आप जो वायदा करें उसको ईमानदारी के साथ पूरा करें। मैं गवर्नमेंट को चार्ज करता हूं कि उन्होंने जो यह प्रोसेस कम्पेनसेशन देने की रखी है उसमें डेलेबरेटली यह कोशिश की गयी है कि जितने ज्यादा जमींदारों को कम्पेनसेशन न मिले उतने ही अच्छा है। यह चीज अनुचित है और न होनी चाहिए। इसके अलावा सक्सेशन सर्टिफिकेट्स की कोई निर्धारित नीति नहीं है।

माल मन्त्री—मेरे माननीय मित्र बहुत तफसील में जा रहे हैं। जब संशोधन होंगे तभी इतनी तफसील में जाना ठीक होगा। इस तरह से एक-एक नियम लेकर बहस करना शुरू किया जाय तो वक्त ज्यादा खराब होगा।

चेयरमैन—मैं उनको ४५ मिनट दे दूंगा सवा ११ बजे से १२ बजे तक। उसूल की बातें सिर्फ आप कहें।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं कोशिश करूंगा आपकी इच्छा है कि २ दिन इन रूल्स पर विचार हो यह भी मुझे मालूम है। मैं यह भी जानता हूं कि अमेंडमेंट एक्सेप्ट न होंगे, लेकिन जनरल डिस्कशन में जो कुछ कहा जा सकता है वह मैं कहना चाहता हूं। जहां तक हो सकेगा हम कल तो खत्म कर ही देंगे। मैं रूल्स के ही सम्बन्ध में बोल रहा हूं।

चेयरमैन—४५ मिनट का वक्त बहुत होता है। आमतौर में नियम १५ मिनट का है उसको बढ़ा कर मैं २५ मिनट कर देता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—अगर कोई जमींदार मर जाता है तो उसके सक्सेसर की क्या पोजीशन होगी। उसका कम्पेन्सेशन रुक जायेगा। इसका एक तरीका हो सकता है। सरकार जिसे कम्पेन्सेशन आफिसर नियुक्त करती है उसको अधिकार दे कि वह उसके सर्टीफिकेट को ग्रान्ट कर दे कि वह उस आदमी का सक्सेसर है।

अब और देखिए बड़े दुख की बात है वह यह है कि रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट प्रोवाइड किया गया, इसलिये कि वह जरूरी था। अगर गवर्नमेंट ऐसा न करती तो उसको कम्पेन्सेशन डिफरेनशियेट करने के लिये जमीन्दारोंको पृथक् पृथक् कैटेगरीज में करना पड़ता, परिणाम यह होता है कि कम्पेन्सेशन बलाज हाई कोर्ट में जाकर इनवैलिड करार दे दिया जाता है इसलिये गवर्नमेंट ने दूसरा तरीका निकाला और कम्पेन्सेशन को एक ही मल्टीपुल में रखा और रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट रख दिया ताकि ऐक्ट इनवैलिड न करार दिया जाय। जो जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, उसमें साफ लिखा है कि :—

"That rehabilirtation grant was part of compersation but that the differenotiation was a legitimate classification."

रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट जो है वह छोटे जमीन्दारों को मिलता है तो इसे उनको पहिले दिया जाना चाहिए। रिहैबिलिटेशन देने का जो समय है उसका लुत्फ यह है कि सरकार अपनी तरफ से कम्पेन्सेशन की लिस्ट तो तैयार करेगी। जमींदारों को मुआविजा देने के लिये पर रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट पहले नहीं दिया जायेगा और उसके लिये यह रखा है। उसके मिलने की जिम्मेदारी जमींदारों के ऊपर फेंक दी गयी है कि जब तुम अप्लाई करो तब तुमको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट मिलेगी। मैं सबमिट करता हूं माननीय माल मन्त्री के सामने कि वह बहुत जरूरी था कि उसको प्रायरिटी दी जाती। इसके लिये भी उस शख्स को ऐप्लाई करना होगा। जब आप कम्पेन्सेशन रोल तैयार करें तो उस समय रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट भी तैयार करें। जो आपका नेट ऐसेट होगा। उसको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के मल्टीपुल से भाग दीजिए। रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट प्रत्येक जमींदार को मालूम हो जायेगी। आप जमींदारों के ऊपर क्यों छोड़ते हैं। इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि जो यह कानून बनाया गया है वह इस दृष्टिकोण से नहीं बनाया गया है कि जो कुछ हमें देना है उसको दे दें। कहने के लिये यह सब रखा गया है, लेकिन परेशानी जमींदारों की इससे बढ़ गयी है। वे चाहते हैं कि जमींदार इतने परेशान हो जायं कि वे अपने आप न लें। अब और देखिए कुल कम्पेन्सेशन सरकार को कितना देना पड़ेगा। ५० रुपया जिनको देना पड़ेगा वह लगभग ४ करोड़ रुपये के होता है। जहां तक मेरा अनुमान है कि रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट भी ले लें तो वह ४ करोड़ रुपय आयेगा। इस तरह से ८–१० करोड़ रुपये होता है और यह सरकार कैश दे सकती है। पर वह अब बान्ड्स में देता है। अब फिर इसकी चिन्ता भी क्या। आप कल इसको रिपील भी कर सकते हैं। समाजवादी आये या कोई आये लेकिन इतना कहता हूं कि समाजवादियों को तो मैं समझ सकता हूं। यह कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रापर्टी को ले लूंगा और मुआविजा नहीं दूंगा। लेकिन जो आप कहते हैं कि मुआविजा देंगे मगर जितना मुआ–

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

विजा है उनको पाने के लिये भी ऐसे तरीके अपने रूल्स में अख्तियार कर दें कि मुआविजा जमींदार को कुछ मिलही न पाये। यह एक खास अदा व खूबी आपकी है। मैं इस चीज को बिलकुल नामुनासिब समझता हूं, इससे सरकार कोई हेल्दी कन्वेन्शन या प्रिसिडेन्स अपने मुल्क में सेट अप नहीं कर रही है। आज जमींदारी अबालिशन से लोग जितना परेशान नहीं हैं उससे ज्यादा कहीं इस चीज से कि सरकार की निगाह में प्राइवेट प्रापर्टी की कोई वकअत नहीं है। बहरहाल आपका अधिकार है जैसे चाहें आप कर सकते हैं।

इसी तरह से एक आध चीजें और रख दी गयी हैं, मसलन किसी कागज के पाने के लिये जमींदार के मकान में सरचेज हो सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इन सरचेज से क्या परिणाम निकलेगा। जो वैलिड और रेलेवेंट पेपर्स हैं, वह तो पटवारी के पास मौजूद हैं, फिर जमींदार की सरचेज की क्या आवश्यकता है। यह रख दिया गया है, इसलिये मुमकिन हो बहुत से जिलों में उन पार्टियों के लोगों को, जिनसे कोई वैमनस्य हो, हैरेस करने के लिये कांग्रेस की पार्टी के लोग ऐसा करा सकते हैं। आज जिलों का शासन ऐसा है कि हर एक शख्स अपनी जगह पर डरता है। एक भी कांग्रेस का एम० एल० ए० हो तो उसकी निगाह में वह ताकत है कि कलेक्टर या रेवेन्यू आफिसर की हिम्मत नहीं होती कि उनके इच्छा के खिलाफ डिसीशन दे। यह इसलिये कि ऐसा करने से उन अफसरान को परेशानियों में पड़ना होगा। मैं केवल यह चाहता हूं कि जो भी चीज आप रखें उसमें कम से कम न्याय तो किया जाय।

इसके अतिरिक्त अब मैं लोकल रेट्स के मुताल्लिक आता हूं। सरकार को जमींदार अपनी मालगुजारी पर ६ पैसे फी रुपया देते थे। एक पैसा उनको अधिकार था काश्तकार से वसूल करने का। इसके लिये सरकार की तरफ से कोई आर्डर जिलों को अभी नहीं गये हैं। कम्पेन्सेशन रोल्स (compensation rolls) जो जिलों में तैयार हो रहा है उसमें ६ पैसे तो सरकार ने अपने वास्ते तो रखा है मगर एक पैसा जो काश्तकार से जमींदार को मिलता था वह नहीं रखा। इसके माने तमाम जमींदारों को जो काश्तकारों से मिलता था वह नहीं मिलेगा और इस हिसाब से जो कि १७ करोड़ के करीब रेन्टल है तो १७ करोड़ पैसे हुए और इसके माने यह हैं कि दो करोड़ रुपये का फर्क जमींदारों के मुआविजे में पड़ जायेगा। इस लोकल रेट्स को अगर सरकार ने संशोधित न किया तो जमींदारों पर काफी असर पड़ता है। उसका सरकार कोई तरीका निकाले, माल मन्त्री ऐसा कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को अथाराइज कर दें, एक पैसा कम करने के आधार पर कम्पेन्सेशन रोल्स तैयार करायें।

मैं तो कहता हूं कि अगर सरकार चाहती तो सरकार को भूमिधरी का लगान वसूल करने की ही जरूरत न पड़ती और वह जमींदारों को १५–२० साल में उनका कम्पेन्सेशन दे सकती थी। मैंने जो हिसाब लगाया है वह यह है कि इनकम जो सरकार की होती है आफटर दि अबालिशन वह २२ करोड़ की होती है और इस प्रकार है।

Income after abolition : (Z. A. C. Report, Vol. I, Page 406)	Lakhs
Recorded cash and grain rental	1,70
Average sayar income for the last 12 years	31
Assumed rent for the land included in holdings on which rent had not been determined or held without title ...	145
Estimated revenue on sir and khudkasht and groves payable by intermediaries after the abolition of zamindari ...	16
Incomes which will accrue but which have not been included by the Z. A. Committee :	
(i) Estimated rental on rent-free grants ...	20

(ii) Estimated rental on thekedars and mortagagees cultivation ...	12
(iii) Estimated—roughly and approximately only—income from premiums on letting out of vacant lands (by any of receipt of ten times rent at heriditary rates	50
(iv) **Additional**—Estimated income from forests, levy of taxes for utilising ponds, tanks, fisheries, etc. which will be levied not known ...	50
Total	2,109
or say 22 crores (round)	

तो यह २२ करोड़ की आमदनी होगी। जो इनकम सरकार को अबालिशन के पहले थी वह सवा ८ करोड़ के लगभग थी वह इस प्रकार है :—

Income before abolition : (Z. A. C. Report-, Vol. I- Page 406)

1945-46 as basis	Lakhs
Land Revenue	678
Cesses	99
	777
Add—Agricultural Income Tax levied after the ... Report of Z. A. Committee ..	100
about Total Income ...	877
or say Rs 8 crores	

अब जो इनकम अबालिशन के बाद होगी वह २२ करोड़ की होगी। इसमें लगभग ५ करोड़ के सरकार का ऐडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में खर्च होगा वह इस प्रकार है :—

Deductions from Income after abolition : (Z. A. C. report Vol. I Page 407)

	Lakhs
(i) Cost of Management	201
(ii) Sayar income (which will henceforth go to the village community)	31
(iii) Reduction in revenue from litigation in Revenue and Civil courts	150
(iv) Annuities for expenditure on waqfs and trusts	50
(v) Reduction in income from Agricultural income-tax. (Estimated only) (nothing is mentioned in Z. A. C. report)	80
Total deductions	512
or say 5 crores (round)	

Therefore the net gain after abolition of the Zamindari System will be—Rs. 22 crores less 5 crores- i.e. Rs.17 crores. This means that .....

इस प्रकार २२ करोड़ में से ५ करोड़ निकाल देने से १७ करोड़ बचता है। सवा ८ करोड़ अबालिशन के पहले की आमदनी निकाल देने के बाद भी ८¾ करोड़ रुपया सरकार के पास बचता है। इस रुपये में से सरकार हर साल जमींदारों को मुआविजा कैश दे सकती है।

लेकिन सरकार ने जिस प्रकार मुआविजे को बान्ड्स के द्वारा रखा है, मेरा अनुमान है कि ४ करोड़ तक देना होगा। मेरी मन्शा यह थी कि जब इतना रिवोल्यूशनरी चेन्ज होने जा रहा है, एक इतना बड़ा समुदाय इफैक्टेड होने जा रहा है तो कोई कारण नहीं था कि इस समस्या को इतनी लाइटली सरकार ट्रीट करती जितनी लाइटली ट्रीट कर रही है और मैं कह सकता हूं कि साढ़े आठ करोड़ में आप कैश यानी नगद मुआविजा हर साल देकर बीस साल के अन्दर ही कुल जमींदारों को अदा कर सकते हैं और अलग कर सकते हैं। दस गुना वसूल करने की

श्री कुंवर गुरु नारायण]

जरूरत न थी क्योंकि २० वर्ष में १६० करोड़ होता है आठ करोड़ सालाना बचत के हिसाब से और कुल १३७ करोड़ आपको देना है तो बजाय ४० साल के आप २० वर्ष में हर जमींदार को कैश दे सकते थे और इस तरह से सरकार को न कोई कठिनाई होती और न सरकार का कोई प्रोग्राम एफेक्टेड होता। मैंने जो बात शुरू में कही थी उसको फिर दोहराता हूं कि जो आपने निश्चय कर लिया है कि जमींदारी लेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम रुपया देना पड़े तो वह नीति नहीं अनीति है और मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मेरा कोई क्रीटीसाइज करने का मंशा नहीं है और मेरा यह भी मंशा नहीं है कि मैं इन अमेंडमेंट्स को दो ३ या अधिक दिन चलाऊं, लेकिन जो बातें हैं वह मैं जनता के सामने साफ साफ ला देना चाहता हूं, इसलिये मैंने माननीय चेयरमैन से निवेदन किया कि जनरल डिसकशन मेरे लिये बहुत इम्पार्टेन्ट है। मैं चाहता हूं कि सरकार अपना दृष्टिकोण कुछ बदले और जो कुछ उन्होंने कहा उसी बात का उन्हें पालन करना चाहिए और मुआविजा ईमानदारी के साथ कैश देना चाहिए। मैं और ज्यादा डिटेल्स में न जाकर प्रार्थना करूंगा कि माननीय माल मन्त्री से कि जो कुछ मैंने कहा उसको इस भाव से न समझें कि कोई मेरा क्रीटीसाइज का भाव था। फीगर्स में कुछ हेरफेर हो सकता है लेकिन असली चीज स्प्रिट की है अगर स्प्रिट ठीक है तो सब कुछ हो सकता है और उसमें गवर्नमेंट की स्प्रिट. यह होनी चाहिए कि हमने जमींदारी प्रथा को खत्म तो किया लेकिन हमारा यह इखलाकी फर्ज है कि जितना ज्यादा से ज्यादा कम्पेन्सेशन हो सके उतना दें और जल्दी से जल्दी दें और नगद ताकि उनको कोई कुछ न कह सके। और इन बेचारे जमींदारों को भी अपने को नई परिस्थिति में संभालने का मौका मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

डाक्टर प्यारेलाल श्रीवास्तव--Sir, with your permission I should like to make one or two observations which I hope the House will bear in mind while finalising these rules under the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act. My very esteemed friend Sri Guru Narain has raised the difficulties of the Zamindars before this House in the matter of payment of compensation. I should like Sir, with your permission, to raise the question of the charitable and educational trusts for the consideration of the Hon'ble Minister for Revenue. My difficultiy with regards to these trusts is two-folds. Firslty under this Act the rehabilitation grant is provided in chapter no. V. Section 73 of the Act says: There shall be paid by the State Government to every intermediary other than the thekadar whose estate or estates have been acquired under the provisions of this Act, a rehabilitation grant as hereinafter provided :

इस समय ११ बजकर ५५ मिनट पर डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) ने सभापति का आसन ग्रहण किया।

Provided that where on the date immediately preceding the date of vesting the aggregate land revenue payable by the intermediary in respect of all his estates situate in the area to which this Act applies exceeds Rs. 10,000, no such grant shall be paid to him.

The question which I am putting to the Hon'ble Minister is this: what will be the fate in view of these provisions of the charitable trusts and waqfs which were paying land revenue exceeding Rs 10,000 on the 1st of July, 1952. I should like the Government to clearly state its attitude towards these charitable trusts and waqfs which are to receive under certain circumstances any annuity to carry on their administration under Section 99. According to my interpretations if this proviso is applied, my submission is that no trust will be able to . . .

माल मंत्री—On a point of order Sir. This question has nothing to do with the rules. If at all, this is a matter of the amendment of the Act itself and it has been stated on behalf of the Government that it does propose to amend the particular section. In view of this statement, I do not think why the Hon'ble member has raised this question and as such I think it is irrelevant to the discussion today.

डा० प्यारे लाल श्रीवास्तव— I am satisfied, Sir, that the Government is intending to amend this Act to suit the charitable trusts. The second question which relates to the rules is this: We are not sure under these rules when these charitable institutions will get any interim grant and if so, what will be the amount of that grant. We should like the Hon'ble Minister and the Government to consider sympathetically the cases of these charitable institutions. I am running three trusts. All these trusts are exclusively devoted to giving scholarships to poor students. While you are laying down the rules for the award of compensation I should like the Government to consider the cases of these trusts which are exclusively devoted towards awarding scholarships for an interim grant. For the time being I have stopped all these scholarships because unless we know that the Government is coming forward to enable us to give these scholarships we cannot give these scholarships. The Kayastha Pathshala was awarding scholarships to the tune of Rs. 75,000/- a year and today we have stopped the award of all these scholarships simply because we do not know whether we shall get any amount of compensation from the Government under these rules in order to be able to make these awards to the students. Every day hundreds of applicants are making enquiries as to when it will be possible for the authorities of the Kayastha Pathshala to make these awards. We would like the Revenue Minister to tell us here when it will be possible under these rules which we are considering to get any compensation to be able to make the award of these scholarships to the poor students who have not received them so far.

***श्री प्रभु नारायण सिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने जमींदारी ऐबालिशन ऐक्ट के मुताबिक जो नियमावली बनी है उस पर डिस्कशन चल रहा है, इस सिलसिले में हमारे श्री गुरु नारायण जी ने कुछ सवालात सदन के सामने उठाये। उन्होंने कुछ सिद्धांत की बात कही है। उन सिद्धांतों पर एक तरफ सरकार की राय थी और दूसरी तरफ सोशलिस्ट पार्टी की राय थी और तीसरी तरफ जमीन्दार लोगों की राय थी। इस पर पहले बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है। आज कई वर्षों से हम जमींदारी एबालिशन बिल के सिलसिले में डिस्कशन कर रहे हैं और अब भी उसी पर रोने-गाने की जरूरत है। अभी श्री गुरु नारायण जी ने कुछ चर्चा की, इसलिये मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ कह देना चाहता हूं। पहली बात जो उन्होंने कही वह यह है कि कि सन् १९४६ में जो जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में जो रिज्योलूशन पास हुआ धारा सभा में, उस रिज्योलूशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में लोगों की मुख्तलिफ रायें रही हैं। हमारी तो यह शिकायत है कि जैसे कांग्रेस ने वायदे किये थे और जो जमीन्दारी ऐबालिशन के सिलसिले में फैसले किये थे उन फैसलों पर कायम नहीं रही। कम्पेन्सेशन का भी सवाल है। यह रिज्योलूशन ८ अगस्त, सन् १९४६ ई० को विधान सभा से पास हुआ था कि इस सूबे से जमींदारी का खात्मा हो। यह वह समय था जबकि हमारा हिन्दुस्तान आजाद नहीं था हम गुलामी के वातावरण

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

में थे। सन् १९३५ ई० का विधान हमारे ऊपर लागू था। ९ अगस्त सन् १९४२ ई० को यह रिज्योलूशन पास हुआ था कि अब एक्चुअल टिलर आफ दि स्वायल के बीच इन्टरमीडियरी कोई न रहेगा। मैं समझता हूं कि इस रिज्योलूशन का बहुत कुछ जमीन्दारी अबालीशन से सम्बन्ध था। कम्पेन्सेशन के मामले में तो सरकार को पता ही है कि उसने जमीन्दार लोगों के सामने घुटने टेक दिये हैं। यहां पर आचार्य नरेन्द्र देव जी के उस बयान का भी हवाला दिया गया, जो उन्होंने जमीन्दारी अबालिशन कमेटी के सिलसिले में दिया था। उन्होंने कम्पेन्सेशन के बारे में भी कहा था। लेकिन यह बातें उन्होंने उस समय कही थीं जब हमारे ऊपर सन् १९३५ ई० का कानून लागू था। हम आजाद नहीं थे। हमारे ऊपर विदेशी सरकार हुकूमत कर रही थी। तो ऐसी सूरत में यह महसूस करते थे कि जैसे भी हो, मुआविजा देकर ही जमीन्दारी खत्म कर दी जाय।

लेकिन जिस समय मुल्क आजाद हुआ तो हमारे वे लोग, हमारे वह माननीय सदस्य जो कि इसका विरोध करते हैं, जो आचार्य जी का नाम लेते हैं, वे कहते हैं कि आचार्य जी ने भी यह बात कही। मगर उनके दिल में यह बात सही थी कि कम्पेन्सेशन न दिया जाना चाहिए। अगर उनके दिल में यह बात रही है कि आचार्य जी ने कमेटी के सामने इस बात की गवाही दी है और वह सच्ची बात है कि उनके दिल में यह आया कि कम्पेन्सेशन दिया जाना चाहिए तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह बात उनके दिल में उस वक्त आई जबकि मुल्क आजाद नहीं था और उस पार्टी में बहुमत कांग्रेस पार्टी का था जिसकी सरकार आज सेंटर और हमारे सूबे में बैठी हुई है। यदि कम्पेन्सेशन की बात उनको पसन्द न होती तो अपने इन्डियन कांस्टीट्यूशन से शायद यह बात निकाल दी होती। कांस्टीट्यूशन की बात तो मैं अब नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इस मुल्क को इससे भी आगे ले जाया जा सकता था। लेकिन यह देश आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि बिल की वह क्लाज नहीं निकाली जाती। इस सिलसिले में जमीन्दारी अबालिशन के सिलसिले में जब कभी आचार्य जी का नाम लिया जाता है तो इस बात को याद रक्खा जाय कि इस बात का उनका इमोशन था, उनका सेंटीमेंट था कि सदियों से जो लोक पीड़ित हैं, उनको ऊपर उठाया जाय और किसी तरह से भी जमीन्दारी का खात्मा हो, हमें जमीन्दारी प्रथा को खत्म करना है। लेकिन इस जमाने में जबकि मुल्क आजाद है और अपने विधान को बनाने का हमको अधिकार है, तो उस समय हमने कभी भी इस चीज को पसन्द नहीं किया कि उसमें कोई भी इस किस्म की धारा हो कि जब प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन को खत्म किया जायगा तो उसके लिये कम्पेन्सेशन दिया जायेगा। हम तो सामाजिक सुधार के लिये प्राइवेट प्रापर्टी को लें तो उसमें प्राइवेट प्रापर्टी की सैंक्टिटी का सवाल नहीं आना चाहिए। अभी माननीय गुरु नारायण जी ने जिक्र करते हुए यह कहा कि जो सरकार है उसके शब्द यह हैं कि प्राइवेट प्रापर्टी बिना कम्पेन्सेशन के खत्म नहीं होनी चाहिए। तो वह सचमुच में गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती है जो प्राइवेट प्रापर्टी के सम्बन्ध में अपनी यह राय नहीं रखती कि उसका बिना कम्पेन्सेशन और इक्वेटेबिल कम्पेन्सेशन के खत्म किया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वह इक्वेटेबिल की इस समय बात करते हैं तो आज यह भी जरूरी है कि जो सदियों से पीड़ित हैं जिन लोगों ने सुख नहीं लिया और जिनकी मजलूमियत का लोगों ने फायदा उठाया, उनका सामाजिक सुधार करना जरूरी है। क्या उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनका बदला आज न लिया जाय। जिस इन्स्टीट्यूशन के जरिये से वे बेदखल किये गये, उसको खत्म किया जाय और वह इसलिये कि उस इन्स्टीट्यूशन के लिये किसी की प्राइवेट प्रापर्टी की सैंक्टिटी का सवाल उत्पन्न नहीं होता। अगर उत्पन्न है तो भी उसको खत्म होना चाहिए और उसको खत्म इस दृष्टि से होना चाहिए कि उसमें सामाजिक सुधार है। आप देखें कि जमीन्दारी अबालिशन के सिलसिले में यह बातें डिस्कस की जा रही हैं। इस समय उन चीजों पर गौर किया गया है, उन बातों पर सोचा गया है तो ऐसी सूरत में मैं आपके सामने कह देना चाहता हूं कि जो उन्होंने अभी सवाल उठाया है कि कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए किसी प्राइवेट प्रापर्टी का और इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन का सिद्धांत गलत चीज है। अगर आचार्य जी ने इसके बारे में अपना मत दिया है तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि . .

माल मन्त्री--मैं श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा से एक एतराज करना चाहता हूं और वह यह कि आचार्य जी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए या न मिलना चाहिए या तो मैं समझता हूं कि सरसरी तौर से जिक्र कर देना चाहिए, अगर्चे वह गैर जरूरी और गैर मुतालिक थी। लेकिन आपकी सारी तकरीर ही इस पर होती चली जा रही है। यह तो ऐक्ट में हमने तय कर लिया है कि कम्पेन्सेशन देंगे तो वह अब बदला नहीं जा सकता है तो इस पर बहस करना असंगत है। हां, अगर उनके नियमों पर बहस किया जाय तो सुसंगत हो सकती है। इस तरह से मैं समझता हूं कि सदन का समय खराब हो रहा है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह सवाल उठाना फंडामेंटल सवाल उठाना है और माननीय चेयरमैन साहब ने यह इजाजत दी है इसके बाद यह कहा जाना कि उसके ऊपर राय नहीं दी जायेगी, यह मेरी समझ में नहीं आया। इससे सम्बन्धित दूसरे क्लाजेज हैं और उस पर हम बहस करेंगे, लेकिन इसके पहिले कुछ बातों का जवाब देना बहुत जरूरी था। इस सिलसिले में मुझे कुछ बातें यह कहनी हैं कि जमीन्दारी अबालिशन के सिलसिले में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि नियम और कानून बनाते समय कही गई थीं कि जो टिलर आफ दि स्वायल होगा और जो खेत के जोतने के सिलसिले में मेहनत करता है उसको पूरे हकूक मिलने चाहिए, लेकिन इसमें उसकी पूर्ति उतनी नहीं हो रही है।

माल मन्त्री--ये सारे मामले तो जब ऐक्ट बना था तभी तय हो गये थे और अब तो यह रूल्स बनाये गये हैं और इस समय और बातें कहना सदन का व्यर्थ में समय लेना है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि अब रूल्स में वे सुधार करें जिससे जो ऐक्ट बना है उसमें इन बातों की गुन्जाइश हो सके। तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि मेरे एक ऐसे संशोधन से ताल्लुक है कि जिसकी वजह से इस नियमावली में सुधार करके ऐक्ट को अधिक उपयोगी बना सकते हैं और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यहां के सीर और खुदकाश्त हैं और जिसके सिलसिले में जो सेलेक्ट कमेटी बनी, तो उसमें मैंने जो अपनी राय दी कि इससे ऐक्ट में संशोधन हो जायेगा अगर उसकी नियमावली में सुधार करके हम उसको पूरा कर देते हैं। तो इसके अन्दर माननीय कृषि मन्त्री ने कुछ अमेन्डमेंट रखे हैं, लेकिन उसके सिलसिले में जो सुझाव मैंने रक्खे थे उनको उन्होंने नहीं माना है। तो इस कानून से जो हक किसानों को मिले हैं यदि उनकी रक्षा नहीं होती है, तो फिर इस नियमावली और अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती। लेकिन इसके साथ-साथ जो फायदे कांस्टीट्यूशन से भी उनको मिलने चाहिए और आप देखेंगे कि किसानों को दफा १६ और २० के अन्दर, जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट में जो हकूक उनको मिलते हैं, तो उसकी पुष्टि करने की जरूरत है और इस तरह से १३५६ में जितने लोगों के इन्दराज थे, चाहे पटवारी के यहां उसके इन्दराज हों या न हों, उनको बिलकुल कन्क्लूसिव प्रूफ माना जाय। इस तरह से किसानों का राइट सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस तरह से १३५७ और १३५८ में पटवारियों से मालूम किया जा सकता है कि उन्होंने इन्दराज किया या नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो नियमावली हमारे सामने है, और सरकार की जो पहले कानून बनाने की मंशा थी तो इससे यही बात साबित होती थी कि किसानों को किसी तरह से राहत मिले। अगर इसके सिलसिले में आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनको किसी तरह से राहत नहीं मिल सकती है। ऐसी सूरत में यह बात साफ तौर से हो जानी चाहिए कि १३५६ में जिन लोगों के नाम रिकार्ड में दर्ज हैं, और ५७ और ५८ में पटवारियों ने उनके नाम दर्ज नहीं किये हैं तो उनको अपनी जमीनों से हटा देने का जो सवाल है, उसको समाप्त कर देना चाहिए और उनको अधिकार मिलने चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि १३५६ में जिनके इन्दराज थे उनको ही कन्क्लूसिव प्रूफ माना जाय। इसके साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर कई ऐसी बातें हैं जिस पर कि गौर नहीं किया गया। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जमीन्दारी अबालिशन के सिलसिले में जमीन्दारों को कम्पेन्सेशन देने की बात है। माल मन्त्री जी यह कहेंगे कि फिर कम्पेन्सेशन की बात उठा ली

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो नियम हैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी न कम्पेन्सेशन देने के विषय में विरोध उठाया था वह इसलिये कि सोशलिस्ट पार्टी चाहती है जो रकम आप कम्पेन्सेशन में देना चाहते हैं वह इस तरह से आपके पास बच रहेगी और उस रकम से कृषि सुधार में आप खर्च कर सकेंगे। जो रकम आप मुआविजे की शक्ल में देना चाहते हैं वह एक दम से नहीं दी जायेगी और वह रकम मुल्क की उन्नति के कार्य में लग सकेगी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इन नियमावली के अन्दर इस बात की गुन्जाइश नहीं है, इसलिये मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि यदि यह उचित समझा जाय और सरकार को उचित समझना चाहिए कि कृषि की उन्नति के लिये मैं यह चाहता हूं कि इस तरह का कदम उठाया जाय। मैं इस सिलसिले में यह सुझाव देना चहता हूं कि आप जो नये नये टैक्स लगाने जा रहे हैं वह नहीं लगेंगे और आपको रकम मिल जायेगी, इसलिये मैं यह संशोधन चाहता हूं कि जो रकम मुआविजे में जमीन्दारों को दी जा रही है वह रोक दी जायं और कृषि सुधार के लिये उसको ले लिया जायं। इस सिलसिले में सरकार ने एक कदम उठाया है वह यह है कि छोटे जमीन्दारों को रकम दी जायेगी। मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि आप जो टैक्स लगाने की बात कहते हैं वह किसानों पर न लगायें बल्कि उन जमींदारों पर लगाये जो हमेशा से शोषण का काम करते रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के नाम से आपके दिल में हमदर्दी पैदा होती है तो मेरे ख्याल से उनको मुआविजा नहीं मिलना चाहिए और उनको कोई हक नहीं है। यह ठीक है कि ऐक्ट में पास कर दिया गया है कि मुआविजा दिया जायेगा, मैं उस पर नहीं बोलता हूं वह मेरे काबू के बाहर की बात है। लेकिन मैं श्रीमन् जी के जरिये से कहना चाहता हूं कि यदि ऐक्ट पास हो गया है तो कोई बात नहीं है हम इस समय नियमावली में यह कर सकते हैं जिससे कम्पेन्सेशन देना रोका जा सकता है और जो रकम छोटी छोटी दी जायेगी वह फजूल खर्च हो जायेगी और नतीजा यह होगा कि जो रुपया उनको दिया जायेगा उससे कोई फायदा न होगा वह कुछ प्रोड्यूस न कर सकेगा बल्कि बरबादी की तरफ जायेगा। हो सकता है कि आपके दिलों में इतनी मजबूती और हिम्मत न आये कि आप इतना बड़ा कदम उठा सकें।

माल मन्त्री--जब आप जानते हैं कि सरकार की हिम्मत नहीं है तो आप वक्त क्यों खराब कर रहे हैं ?

श्री प्रभु नारायण सिंह--शायद कुछ जोश दिलाने से हिम्मत आ जाय।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि इस ऐक्ट से जो मुआविजा मिलने वाला है वह इन संशोधनों से सरकार को यह हक मिले कि आगे के लिये पोस्टपोन किया जासके और उस रुपये को डेवेलपमेंट के काम में लगाया जा सके। और जो टैक्स लगाने की बात कही जा रही है वह भी न होगी। और जो बात इस वक्त किसानों पर टैक्स लगाने की कही जाती है वह बन्द होगी और आपको ६ या ७ करोड़ रुपया मिलेगा उससे आप डेवेलपमेंट का काम आगे बढ़ायें और उनका इन्टरेस्ट आप उनको दें। इसके साथ साथ मैं यह चाहता हूं कि नियमावली में ऐसे सुधार हों कि गांव समाज के अन्दर सभी का प्रतिनिधित्व हो जो कि उस गांव के रहने वाले हों। ५१ फीसदी जो वोट मिलता है उससे सरकार बनती है। जो वोट का तरीका है उससे हर आदमी अपनी राय जाहिर करता है। इसलिये यह जरूरी है कि उसका भी रिप्रेजेन्टेशन हो। हम सीमित मताधिकार चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने भूमिधर और सीरदार के मुआविजे के सम्बन्ध में जो कानून बनाया है और जो वैलूयेशन का तरीका निकाला है उसमें सीरदार के साथ ज्यादती की है। आप कहते हैं कि हम राहत देंगे। हम समाज की गाड़ी आगे खींच रहे हैं। जो पैसा नहीं दे सकते हैं उनके लिये आपने वैलूयेशन की यह दर लगा दी अगर भूमिधर के लिये २० गुना रखें तो सीरदार के लिये १० गुना रखें। सीरदार तो बराबर देता ही रहेगा। भूमिधर और सीरदार में इतनी हकतल्फी क्यों। आप अगर यह सवाल उठाते हैं कि उन्होंने लगान दे दिया तो आप यह करें भूमिधर का आधा रखें। ये सब दिक्कतें इस

नियमावली के अन्दर हैं। नियमावली में एक संशोधन यह भी है कि जो लगान नहीं दे पावेगा वह गिरफ्तार करके बन्द कर दिया जावेगा। जो लगान न दे पावे उसको आप जेल भेज दें। इससे तो करप्शन बढ़ने की गुन्जाइश है। यह तो गरीब किसानों के साथ हार्डशिप होगी। जहां तक लोगों के जेल भिजवाने का सवाल है उसको आप देर से करें। इसमें इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझते हैं कि जो हमारा कानून है उसमे काम नहीं चलेगा। ऐसा काम कीजिए जिससे सबके दिलों में गुन्जाइश हो। जो उसूल हमारे विधान सभा के सामने आया है उसमें त्रुटि है। जब तक वह त्रुटि दूर नहीं की जाती है तब तक यह नियमावली का नियम जो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में है उसकी पूर्ति नहीं होती। इसलिये मैं समझता हूं कि आपने विरोधी पक्ष के लोगों की यह बात मानी है कि असेम्बली के अन्दर जो आपने नियम बनाया है उसमें त्रुटि है। उसमें सभी लोगों ने राय दी। वहां जो सुझाव दिया गया है उस पर भी आप गौर फरमाइये। अगर पड़ने पर शायद उसको स्वीकार कर लें तो शायद जो तोड़-मरोड़ जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में है वह लोगों के योग्य हो सकता है।

माल मन्त्री--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर गुरु नारायण जी ने अपनी एक लम्बी तकरीर में जो कुछ कहा अभी मैं समझता हूं कि उनको काफी समय नहीं मिला है और उनको संतोष नहीं हुआ है। उन्होंने नियमों के तफसील में जाकर नियमों की त्रुटियों को जाहिर किया मैं उनका जवाब इस समय देना अनावश्यक समझता हूं। संशोधन आते समय भी वही बातें कहनी पड़ेंगी इसलिये उन बातों का जवाब यहां देना व्यर्थ होगा। जो एक दो बातें आमतौर पर उन्होंने कहीं और उनका जवाब देना आवश्यक समझता हूं उनकी तकरीर में जो उनकी शिकायत है वह असली यह है कि जमींदारों को नष्ट किया जा रहा है। जो वायदे किये थे वे पूरे नहीं किये जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसकी गवर्नमेंट बनी हुई है वह वादा करती है, लेकिन वह अपने वायदों को निभाना नहीं चाहती है। बड़ा अन्याय करती है। मैं उनको आपके जरिये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हरगिज ऐसी कोई बात नहीं है कि जो वायदा हमने किया है उसको हम ठुकराना चाहते हैं और उसको पूरा नहीं करना चाहते हैं। जब मैं यह बात कहता हूं तो उसको मैं समझता हूं और ठंडे दिल से सदन के सामने यह वाक्या रखना चाहता हूं। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इस अधिनियम के बनाने में जमींदारों के साथ उदारता का व्यवहार किया है इससे ज्यादा करना मुमकिन नहीं था। जमीन्दारों के पास जो अपनी सीर और खुदकाश्त की जमीन है वह उनके पास रहेगी। जो बागात हैं, जो उनके ट्यूबवेल हैं वे सब उनके पास रहेंगे। छोटे जमींदारों को पुनर्वासन दिया गया है। यह सब आपको दिया गया है फिर भी यह शिकायत करते हैं कि गवर्नमेंट बड़ा अन्याय कर रही है। यह जमींदारों को मिटाना चाहती है। इस शिकायत का मूल क्या है और इसमें कहां तक असलियत है यह तो हमारी समझ में नहीं आता है। यदि हम दुनिया के दूसरे देशों की तरफ निगाह डालते हैं मसलन चीन की तरफ तो वहां दूसरी मंजिल देखने को मिलती है। जब हम चीन और इजिप्ट की बातें करते हैं तो मेरा मतलब नहीं है कि हम एन्वी (envy) के साथ उनके कारणों को देखते हैं। लेकिन जब मैं चीन और इजिप्ट की ओर संकेत करता हूं तो माननीय गुरु नारायण जी और उन जैसे विचार रखने वाले सज्जनों का ध्यान केवल इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर जमींदार अपने पुराने पैमाने के मुताबिक अपने हकूक की दोहाई देता रहे और जो किसान हैं उनके बन्धनों को ढीला न करे तो इसका नतीजा वही होगा जो चीन में हुआ और जो इजिप्ट में होने जा रहा है। चीन में तो मुआविजे का भी सवाल नहीं लाया गया। हमारे यहां हर मामले में आपको जुडीशियल अधिकार हैं। जमींदार तो सुप्रीम कोर्ट तक, कि यह ऐक्ट वैध है या अवैध है, तय करने के लिये चले गये। अब भी मुआविजा कम है या यह ठीक नहीं है उनको अधिकार है इसको तय करा सकते हैं। मगर चीन में इन सब बातों का कोई अधिकार जमींदार को नहीं दिया गया था। जिन जमींदारों को वहां समझा गया कि यह चियांगकाई शेक की पार्टी का है या उससे सम्बन्ध रखता है और कम्यूनिस्ट पार्टी के उसूल के खिलाफ है उनको मुआविजा ही नहीं दिया गया बल्कि उनकी जमीनें छीन ली गयीं और दूसरे तरह से भी उनको परेशान

[माल मंत्री]

किया गया। इजीप्ट में अभी कल परसों अखबार में आपने पढ़ा होगा जो जमींदार दो सौ एकड़ से ज्यादा जमीन रखता है उसकी वह जमीन ले ली जाय, यह तय हुआ है। जो उस नियम और व्यवस्था में रुकावट डाले उस पर मार्शलला लागू होगा और मिलिटरी के जरिये उसके साथ व्यवहार किया जायेगा। यह हालत और व्यवहार है, जो आज जमींदारों के साथ हमारी और आपकी आंखों के सामने दुनिया में हो रहा है। यह तो चीन और इजिप्ट में हो रहा है। किन्तु इसके विपरीत हमारी गवर्नमेंट ने किया। फिर भी आप की तरफ से जरा भी यह नहीं हुआ कि हां, साहब, जमींदारी तो जाने ही वाली थी मगर जो कुछ गवर्नमेंट ने किया सराहनीय है। बजाय इसके करसेज ही आते रहे। जमींदार और काश्तकार की तादाद ६८,६९ फी सदी है। आपने जमींदारों की तादाद २३ लाख गिनाया है। मैं जमीन्दार उसको मानता हूं कि जो खुद जमीन पर काबिज न हो। जिसका जमीन पर कबजा हो वह सब किसान हैं। यह अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट है कि जिस हद तक जमीन पर मिल्कियत का सवाल है और कब्जा नहीं है उस हद तक वह जमीन्दार है, मध्यवर्ती है और उसका वह हक लिया जा रहा है। जो जमींदार की सीर और खुदकाश्त है और जिस पर वह काश्त करता है उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और उनको इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है और पहुंच रहा है तो बहुत कम। आप तो एकदम इतनी तादाद बतलाते हैं कि १ करोड़ ८६ लाख आदमियों को नुकसान पहुंच रहा है। २५ रुपये की जो मालगुजारी देते हैं वह जनाब की श्रेणी में नहीं आते हैं। वह तो अपनी जमीन की खुद ही काश्त करते हैं। वह जमीन तो उसी के पास रहेगी उसके हक में कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। पहले वह जमींदार कहलाता था और अब भूमिधर कहलायेगा। उसके नुकसान पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अभी मेरे सामने आंकड़े मौजूद हैं। सन् १९३१ के सेंसस रिपोर्ट को मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। हां, सन् १९५१ की सेंसस रिपोर्ट बतलाता हूं।

Non-cultivating owners of land, agricultural rent receivers and their dependents,

Males ...	304,286
Females ...	363,326
Total ...	667,612

तो हमारे सूबे की ६ करोड़ ३२ लाख की आबादी में से ६ लाख ६७ हजार व्यक्ति ऐसे हैं जो कि जमींदार हैं और नान कल्टीवेटर्स हैं। यह करीब एक फीसदी के होते हैं सही माने में एक दशमलव एक फी सदी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको इससे कुछ नुकसान पहुंचता है। उनको बढ़ा कर कभी एक तिहाई कहा जाता है कभी करोड़ों की तादाद बतलाई जाती है। माननीय गुरु नारायण जी ने यह शिकायत की है कि नकद मुआविजा ५० रुपये तक ही दिया जायेगा। और फिर उनके लिये लाजिमी होगा कि वह तहसीलों में जा करके वह रुपया लें। हिसाब लगाकर उन्होंने बतलाया कि ५ हजार जमींदार मुआविजा लेने के लिये ट्रेजरी में जायंगे। क्या वह पहले से सलाह कर लेंगे कि एक ही तारीख में ट्रेजरी में रुपया लेने चला जाय। उनका कहना यह है कि इतना रुपया लेने के लिये कौन तहसील जायेगा, लिहाजा वह मुआविजा लेने से महरूम रह जायेंगे। मैं तो यही ठीक समझता था कि वह ट्रेजरी से ही रुपया लें और अगर कुंवर गुरु नारायण कोई और तरकीब रुपया देने की बतलायेंगे तो मैं उसको मान लगा। यह कहना कि जानबूझकर गवर्नमेंट जमीन्दारों को मुआविजे से महरूम रखना चाहती है यह ठीक नहीं है। हमने भूमिधर को राइट आफ ट्रान्सफर दे दिया है। हर आदमी चाहता है कि जिस साधन से वह अपनी रोजी कमाता है जो उसका रोजी का जरिया होता है उस पर उसका पूरा अधिकार रहे। चाहे वह कारीगर हो चाहे किसान हो, वह उसका मालिक होना चाहता है। मिल्कियत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि राइट आफ ट्रान्सफर उसको हो। जिन खेतों पर वह मेहनत करता है

उन खेतों का वह मालिक बन जावे। वह मालिक पूरा तभी बनता है जब उसको राइट आफ ट्रान्सफर हो। इसलिये हमने भूमिधर की स्कीम जारी की। इसके अलावा दो एक और कारण थे। एक कारण यह था कि हम ४० साल या ३० साल या ५० साल के बान्ड्स देकर भविष्य के लिये अपने सूबे के रेवेन्यू को मारगेज करना मुनासिब नहीं समझते थे। हम ऐसा करना बहुत उचित नहीं समझते थे और फिर हम यह जानते थे कि जमींदारों को भी तसल्ली तब होगी जब नकद मिलेगा। गुरु नारायण जी ने जो आशंका प्रकट की है वह ठीक है और मुमकिन है कि यह पार्टी हुकूमत में न आवे। डिमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जनता की जो इच्छा है उसका जो सही प्रतिनिधित्व करे। मेरा ख्याल है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व करती है इसलिये कांग्रेस को कम से कम २५ साल तक हटाने का सवाल उठता ही नहीं है और कम से कम तब तक तो यह उठता ही नहीं है जब तक यह पीढ़ी जिसने २०,२०, और २५,२५, वर्ष तक कुर्बानी की मौजूद है। आप तब तक चाहे कितने ही हवाई किले बनावें और यह भी हो सकता है कि म्यूनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टिकट न मिलने पर आप दूसरी पार्टी में चले जायं और एक दूसरे रंग की टोपी पहन लें, लेकिन कांग्रेस को हटा न सकेंगे। एक और आशंका आपने प्रकट की। हो सकता है कि यही पार्टी रहती है और उनके मत में कोई अन्तर पड़ जाता है तो जहां तक हमारा सवाल है गवर्नमेंट ने जो वायदे किये हैं वह उनसे पीछे नहीं हटेगी, लेकिन फिर भी आशंका रहती है। वर्तमान में हम आशंका मिटा सकते थ और इसी ख्याल से हमने कोशिश की और प्रचार किया लेकिन हमारे जमींदारों का क्या रवैया रहा! जमींदारों की मीटिंग्स हुई, २०० आदमियों की हाजिरी को २० हजार की हाजिरी अखबारों में दिखाया गया और दिखाया गया कि टेनेन्टस इसके खिलाफ हैं। जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ आप थे लेकिन अगर जमींदारी खत्म की जाती है तो उस सूरत में भूमिधर से बेहतर कौन स्कीम किसानों के लिये हो सकती थी। यह मेरी समझ में नहीं आता। आपने हमारा विरोध किया लेकिन हमें आपसे शिकायत नहीं है। अगर हमारे कांग्रेस के भाइयों ने ठीक से हमारे सन्देश को किसानों के पास पेश किया होता तो रुपया बहुत ज्यादा आया होता। विधान सभा में मैंने कई बार बतलाया कि वह जिले जो गरीब समझे जाते थे और जिनकी जोतें और के मुकाबिले में छोटी हैं उन्होंने काफी रुपया दिया और अगर अच्छी तरह स समझाया जाता तो और अधिक रुपया इकट्ठा होता।

मुझे उस वर्ग से शिकायत है जो आज यह कहता है कि नगद मुआविजा दो। नगद मुआविजा कहां से और कैसे दिया जा सकता है क्या कोई जादू है। नगद मुआविजा आज तक दुनियां में कहीं मिला नहीं। जापान में या दूसरे देशों में जहां भी जमींदारी खत्म हुई वहां बान्ड्स में ही दिया गया। रूस में, रूमानिया में सभी जगह इसी तरह से किया गया। मुआविजा कहीं इस प्रकार जहां तक जमींदारी का ताल्लुक है, नगद दिया नहीं गया, दस्तावेज़ में दिया गया, लेकिन फिर भी हमने नक़द देने की स्कीम निकाली, क्योंकि हमने इसी में किसानों और देश का हित समझा था। हम समझते हैं कि पूर्वी ज़िलों की हालत अच्छी हो जायगी तो और भी लोग भूमिधर बनेंगे। अब भी भूमिधर बन रहे हैं। जहां तक हमारे माननीय मित्र श्री प्रभु नारायण सिंह जी का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वे अभी तक अपने को मार्किस्ट पार्टी का कहते रहे हैं, लेकिन अब कुछ रंग बदला है और अब अपने आप को गांधियन सोशलिस्ट कहते हैं। आखिर सोशलिस्ट पार्टी के जो मौलिक सिद्धान्त हैं या अभी तक रहे हैं वह परदेशों से लिये गये हैं और जिन किताबों को उन्होंने पढ़ा, उनको लिखने वाली पार्टी अभी तक इंगलेंड में राज करती रही है और जिसका नाम लेबर पार्टी है। उन्होंने हमेशा मुआविज़ा देने की बात कही है। उन्होंने अपने यहां कोल माइन्स को नेशनालाइज करके उनका मुआविज़ा दिया और वह मुआविज़ा इक्वीटेबिल नहीं, बल्कि फुल था। उन्होंने अदालत को भी यह अख्तियार दे रखा था कि पूरा कम्पेन-सेशन ज़ितना हो वह दिया जाय। सोशलिस्ट पार्टी को जहां भी दुनियां में बरसरे इक्तदार

[माल मंत्री]

होने का मौक़ा मिला वहां अगर कोई जायदाद नेशनालाइज की गई तो पूरा मुआविज़ा दिया गया है। आप यह कहते हैं कि इक्वीटेबिल कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट बिलकुल न हो तो यह आप की सब कलाबाज़ी की बात है। यह कहना कि सन् १९४५ में आचार्य नरेन्द्र देव ने इसलिये कहा था कि तब अंग्रेज थे और अब आजाद हो गये हैं इसलिये नहीं देना चाहिए। आजाद होने से पहले दो और दो चार होते थे और अब आजाद हो जाने के बाद क्या दो और दो पांच होते हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--आंचार्य जी ने कारण दिये हैं कि क्यों देना चाहिए।

माल मन्त्री--१२ सितम्बर, १९४५ को कलकत्ते में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें आचार्य नरेन्द्र देव मौजूद थे और साथ ही महात्मा गांधी जी भी मौजूद थे। उस वक्त आचार्य जी की सम्मति से भी प्रस्ताव पास हुआ था कि मुआविज़ा दिया जाय। उन्होंने उस वक्त कोई डिसेन्टिंग नोट नहीं दिया। क्योंकि यह क़ानून आजकल मजबूर करता है, इसलिये मुआविज़ा दिया जा रहा है। उस वक्त उनका प्रस्ताव होना चाहिए था कि मुआविज़ा नहीं देना चाहिए। आप इस के लिये बतलायें कि अगर सन् ३५ के क़ानून के अनुसार मुआविज़ा देना ज़रूरी था तो सन् ५० के संविधान के मातहत भी मुआविज़ा देना ज़रूरी है। यदि आप कोशिश करें कि सारे प्रदेशों में आप की मैजारिटी हो जाय और फिर आप संविधान को बदलें तब तो आपका कहना ठीक है और आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन असलियत यह है कि यह अधिनियम जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था का है, वह इतना क्रान्तिकारी है कि अकेले हमारे देश के लोगों ने ही नहीं बल्कि विदेशों के पत्रकारों और प्रोफेसरों ने भी जिनसे मैंने इस सम्बन्ध में बातचीत की, इस बात को तसलीम किया कि यह रिवोल्यूशनरी है। आपके तो केवल दो ही नारे हैं। उनमें एक यह है कि मुआविज़ा न दो और दूसरा यह है कि भूमि का वितरण कर दो। दुनियां भर में जहां भी समाजवादी सरकार हैं, वहां तो मुआविज़ा दिया जाता है और यहां के समाजवादी इसका विरोध करें तो यह स्वयं उसके विपरीत उठाया गया सवाल है। यह इसलिये उठाया गया है कि आप कैसे कहें कि यह बिल अच्छा है। क्योंकि आपके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता है इसलिये आप ऐसा कहते हैं। जो बातें भूमि वितरण के बारे में कही गई हैं, उनके बारे में मैं कह चुका हूं, इसके अलावा जो दो बातें श्री गुरुनारायण जी ने कहीं हैं उनका भी मैं जवाब दे चुका हूं। आप ने यह कहा कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी उसमें यह कहा गया है कि १३५६ में जो लोग बेदख़ल हो गये हैं उनको फिर दखल दे दिया जाय। आपने यह भी कहा है कि जो दफा १८० के मुक़द्दमे हैं उनको खारिज किया जाय। इसी तरह की बहुत सी बातें कही गई हैं। जो भी सवाल उठाया गया है वह ऐक्ट के खिलाफ पड़ता है इसलिये इसका मानना मेरी राय में ठीक नहीं है। ऐक्ट में जो राइट्स दिये गये हैं उसकी इसमें जरूरत है। मैं समझता हूं कि जो ऐक्ट है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती है, यह बात हरगिज़ नहीं हो सकती है। इन बातों को कह कर वक्त ख़राब किया गया है और आगे भी कह कर वक्त ख़राब किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर जनाब की पार्टी बरसरे इक्तदार होती तो शायद वह ऐसा क़ानून बनाती, हम तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। इस ऐक्ट के मातहत जो संशोधन पेश किये गये हैं उन्हीं पर विचार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को फिर सदन के सामने विचार के लिये प्रस्तुत करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that the Legislative Council do proceed to consider the amendments proposed to the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952, which were laid on the table on July 10, 1952.

(The question was put and agreed to.)

डिप्टी चेयरमैन—अब कौंसिल दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १२-५५ पर स्थगित हुई और २ बजे पुन: डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में आरम्भ हुई)।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :—

"In the last line of subclause (*a*) of Rule 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952, after the word "sunset" the following be added :

"Before making the search he shall state in writing the reasons for making the search and a copy of these reasons shall be handed over to the occupier of the building or the person nominated by the occupier to watch the search."

श्रीमन्, यह जो रूल है इस सम्बन्ध में, उसमें पहले रूल में यह है :—

"The Collector or an officer appointed by him in this behalf shall not ordinarily enter into any building for the purpose of searching or taking possession of books, accounts and other documents referred to in Section 25 before sunrise and after sunset."

इसमें शायद गवर्नमेंट का मंशा यह है कि कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि वह यदि इम्पलीमेन्टेशन आफ दि ऐक्ट के सम्बन्ध में और कम्पेनसेशन वगैरह के फार्म के सम्बन्ध में अगर यह आवश्यक समझता है कि वह जमींदारों के मकानों का सर्च करे, तो कर सकता है शायद यह अंदेशा है कि कुछ कागजात हों या कोई ऐसी चीज हों जिनसे वह समझता हो कि जमींदार उनको छिपा लेंगे तो ऐसी बात तो हमको नहीं मालूम होती। क्योंकि जितने भी वैलिड पेपर्स हैं, कन्टेनिंग कम्पेनसेशन एक्सेट्रा, वह तो पटवारी के पास रहते ही हैं और हर तहसील में हर चीज का रिकार्ड भी रहता है, तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह परेशानी पैदा की जायेगी और उसमें खामख्वाह के लिये एक बेइज्जती का मौक़ा उन लोगों के लिये होगा जिनको सर्च की जायगी तो इसलिये मैंने इसमें यह संशोधन रक्खा है। जो मेरा संशोधन है वह यह कि क़ब्ल इसके कि कोई सर्च करे, वह पहले (in writing) रीजन दे कि वह क्यों सर्च करना चाहता है और उसका मतलब सर्च करने का क्या है ताकि यह मालूम हो जाय कि आखिर किस लिये यह सर्च किया जा रहा है। इसमें रख दिया गया है कि कलेक्टर सर्च कर सकता है और उसमें रीजन्स और सबब बतलाने का प्राविजन है इसमें तो केवल इतना ही रक्खा गया है कि कलेक्टर जा सकता है और जाकर सर्च कर सकता है, तो यह चीज ठीक नहीं मालूम होती है और इसी अभिप्राय से मैंने यह अमेंडमेंट रख दिया है कि कारण अवश्य बतलाया जाय सर्च करने के पहले ही। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही इन्नोसेन्ट अमेंडमेंट है और माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

माल मंत्री—उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्च करने की नौबत तो जब आयेगी जबकि किसी जमींदार से कोई दस्तावेज, कोई कागजात या कोई बहीखाता वगैरह तलब किया जाय या कोई हिसाब मांगा जाय, और वह रूल में प्रोवाइड है, तो उसके लिये २६(२) रूल बना है रूल नम्बर २६(२) (बी) के मातहत यह दिया हुआ है :—

"The matters relating to the taking over of the Estates under section 25"

"Upon the publication of the notification under section 4 it shall be lawful for the Collector or any officer appointed by him in this behalf.

[माल मंत्री]

(*d*) If the books, accounts and other documents are not produced as required to enter upon any land, building or other places and seize and take possession of such books, accounts and other documents."

तो किताब, हिसाब और दूसरे दस्तावेज़ अगर तलब किये जायें, तब तो यह बात है। लेकिन आपके अमेन्डमेंट में है कि वह वजह बतलाये कि वह सर्च क्यों लेना चाहता है, यह तो ऐक्ट में दिया हुआ है। यह कहना कि रूल में भी ये रखें जायें कि वह वजह बतलाये तो यह बिलकुल गैर ज़रूरी है। जहां तक उसकी परेशानी का सवाल है, तो इस तरह से कोई सर्च ही नहीं होगा और न यह इसका इरादा है कि इसकी वजह से किसी को परेशान किया जाय। मैं समझता हूं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा करना ठीक नहीं होगा। यह आम तौर पर बिहार में होता है जहां कि हिसाब और किताब पटवारी बिलकुल नहीं करते हैं, बल्कि वह सब ज़मींदारों के यहां होता है। यह बात जो आपने कही वह ठीक है, लेकिन हमारे यहां ज्यादातर हिसाब पटवारी और तहसीलदार के यहां होता है और वह सारा हिसाब अपने काग़ज़ात पर रखता है और अगर ऐसा होने पर ज़मींदार न दे, तब यह सवाल उठता है। इसलिये जो प्रावीज़न रखा गया, उससे यह बात ज़ाहिर है कि इसकी ज़रूरत नहीं आयेगी। लेकिन जहां तक आपके संशोधन का सम्बन्ध है, उसके लिये तो मैंने कहा कि वजह के पाबन्दी करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे अफसोस है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ माननीय मंत्री ने कहा, यह चीज़ तो ठीक है कि अगर उसमें यह चीज़ दर्ज हो तो ऐसा होगा और अगर डाक्यूमेन्ट्स ऐसे नहीं हैं, तब यह सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो डाक्यूमेन्ट्स इस तरीक़े से दर्ज हैं और अगर कोई खास वजह नहीं मालूम करे और सर्च इस तरह से की जाय, तो इस तरह उचित नहीं हो सकता है। अगर थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि यह ऐक्ट बन गया और ये रूल्स बन गये और ज़मींदारों को इस चीज़ का पता भी हो गया कि सर्च हो सकती है, जबकि इस चीज़ का पता ज़मींदारों को है अगर उनको छिपाना होगा, तो वह फिर भी छिपा सकते हैं। इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है, क्योंकि अगर वह छिपाना चाहेंगे तो वह छिपा सकते हैं। आपके रूल्स जो हैं वह पब्लिक के सामने हैं और डाक्यूमेंट्स किसी को छिपाना है तो उसके लिये क्या किया जायेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिलकुल बेकार सी चीज़ है और इस तरह की कम से कम इजाज़त हो जाय और ज़मींदारों को बतला दिया जाय जिससे कि उन पेपर्स के ज़रिये से जो ईमानदारी होनी चाहिये, वह उसमें हो और इसके बिपरीत वह कलेक्टर व गवर्नमेंट की निगाह में ईमानदार हो। कलेक्टर अगर उनको हैरेस करना चाहता है, और वह उसको मजबूर करता है कि वह उसकी सर्च करे, तो यह ज्यादा मुनासिब नहीं है। तो ऐसी हालत में उसको हैरेसमेन्ट हो जायेगा। यह जानते हुये कि यह शख्स ईमानदार है, सर्च लाजिमी होगी। इस तरह से है रेसमेन्ट हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जाय और मैं इसको बहुत महत्व देता हूं और इस तरह से यदि उनकी तलाशी होती है, जैसा कि मौक़ा हो सकता है, लोकल परिस्थितियों के कारण तो उनकी बेइज्जती हो सकती है और सर्च का कोई नतीजा नहीं निकलेगा इसलिये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस संशोधन को मान लिया जाय।

माल मन्त्री--मालूम होता है कि आप सर्च के उसूल के खिलाफ हैं यह मौक़ा तो उस वक्त था जब ऐक्ट में धारा २२५ रखी गई थी। उस वक्त भी बहस हुई थी, लेकिन उस वक्त लेजिस्लेचर ने उसको रखना उचित समझा। उनको तो अख्तयार है कि वह ऐक्ट की रू से सर्च ले सकें अगर वह बुक्स, एकाउन्ट्स ऐन्ड अदर डाकूमेन्ट्स जो तलब किये गये हैं वह न दे, इसलिये वह बेइज्जत होगा यह बेकार की बात है और इस संशोधन से कोई फ़ायदा नहीं निकल सकता है। जहां तक परेशान किये जाने का अंदेशा है, मैं समझता हूं कि आज कई महीने हो गये कोई ऐसी मिसाल आप नहीं दे सकते हैं जहां कोई हैरेस किया गया हो और न कोई डी० एम० कोशिश करेगा कि कोई बेइज्जत किया जाय, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in the last line of sub-clause (*a*) of rule 3 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Rules, 1952, after the word "sunset" the following be added:

"Before making the search he shall state in writing the reasons for making the search and a copy of these reasons shall be handed over to the occupier of the building or the person nominated by the occupier to watch the search."

(The question was put and negatived; the House dividing as below)

पक्ष में—२

श्री कुंवर गुरु नारायण ।

श्री नरोत्तम दास टंडन ।

विपक्ष में—२०

श्री अब्दुल शकूर नजमी
श्री कुंवर महावीर सिंह
श्री कृष्ण चन्द्र जोशी
श्री खुशाल सिंह
श्री जगन्नाथ आचार्य
श्री ज्योति प्रसाद गुप्त
श्री प्रताप चन्द्र आजाद
श्री प्रभु नारायण सिंह
श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार
श्री बद्री प्रसाद कक्कड़
श्री बेनी प्रसाद टंडन
श्री महमूद असलम खां
श्री राना शिवअम्बर सिंह
श्री राम नन्दन सिंह
श्री राम लखन
श्री लालता प्रसाद सोनकर
श्री विश्वनाथ
श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल
श्रीमती शिवराजवती नेहरू
श्री श्याम सुन्दर लाल

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम ३ के उपनियम (ख) की अन्तिम पंक्ति के अन्तिम शब्द "देगा" के बाद में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :—

"कलेक्टर या तलाशी लेने वाला अधिकारी स्त्रियों के रहने के स्थान में या पूजाघर में प्रवेश न करेगा।"

श्रीमन्, इस अमेन्डमेन्ट के उपस्थित करने का मेरा मतलब कोई और नहीं है, जसा मैंने इस वक्त कहा कि इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट बहुत ही अहमियत रखता है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो रखा है यह उचित नहीं है केवल इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा हमने प्रार्थना की है कि किसी प्रकार से वर्शिप जो है, उसकी सैंक्टिटी क़ायम रहे। यही मेरी मंशा है और कोई मेरी मंशा नहीं है।

माल मन्त्री—उपाध्यक्ष महोदय, मर्दाना और जनानखाना निकाल दिया जाय तो जाहिर है कि स्टेट ऐसी हो गई कि सब मर्दाना और जनानखाना ही में निकल गया तो रहा क्या। अदालत का ज्युरिस्डिक्शन स्टैन्ड करता है, देश के हर एक कोने में। अगर जरूरत पड़ती है तो अदालत वहां भी जा सकती है। इसलिये एक तो तलाशी की जरूरत न हो और अगर जरूरत है तो उस काग़ज को खत्म किया जा सकता है जनाना घर या पूजा घर में रख कर। पूजा घर तो छोटा भी होता है, मगर जनाना घर तो सारा घर ही होता है। मर्दाना तो थोड़ा सा बाहर होता है। इसलिये यह चीज सही नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि उसूलन यह गलत है और इसीलिये मैंने पिछले अमेन्डमेंट को प्रेस किया था। यह सही है कि जनानखाना सभी मकान हो सकता है और कुछ हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन जब सर्च में रोजगार देने

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

को नहीं कहा जाता है और सर्च होगी, तो इसमें कम से कम इस बात को साफ कर दिया जाय कि लेडीज़ पर हैरसमेंट न हो। इसीलिये इस संशोधन पर इतनी अहमियत देते हैं। माननीय मन्त्री जी ने जो अभी कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

माल मन्त्री--महोदय, लेडीज़ की इज्ज़त रखना तो इस देश की संस्कृति है। इसमें दो राय तो हो ही नहीं सकती। अब यह कहना कि यह इज्ज़त है इसलिये सर्च न हो तो यह बात उपयुक्त नहीं है। अगर सर्च होगी तो वह लेडीज़ के ज़रिये से ही होगी। उनको आवाज़ देकर अलग बुलाकर होगी।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that in line 1 of rule 3 (*b*) after the ninth word "shall" the words "not enter the portion known as Zanankhana or Pujaghar and" be added.

(*The question was put and negatived*)

माल मन्त्री--महोदय, डिवीज़न के दो तरीक़े हैं, चाहे जिस तरीक़े से हो। voice के ज़रिये से या हाथ उठा कर भी कर सकते हैं। इसमें समय बेकार जाया नहीं होगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं समय बेकार नहीं करना चाहता। मैं रेकार्ड में इसको लाना चाहता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that in line 1 of rule 3 (*b*) after the ninth word "shall" the words "not enter the portion known as Zanankhana or Pujaghar and" be added.

(*The question was put and negatived*)

श्री कुंवर गुरु नारायण--संशोधन नम्बर तीन मैं मूव नहीं करना चाहता।

श्री कुंवर महावीर सिंह--Sir, I beg to move that in line 2 of sub-rule (*c*) of rule 3 the words "on the spot immediately after making the search" shall be inserted between the words "given" and "by the person".

श्रीमान् जी, यह जो अमेंडमेंट है इसके द्वारा दो अधिकार और हो जाते हैं वह यह कि मौक़े पर सर्च के बाद तुरन्त ही रसीद दे दी जाये। मिस्टर गुरु नारायण जी ने अपना अमेंडमेंट वापस ले लिया है। उसमें और इसमें डिफरेंस यह है कि फी मकान के सर्च के बाद रसीद दे दी जाय। यह नहीं था कि सर्च पहिले कर लिया जाये। अब यह है कि जब एक कमरे की सर्च के बाद दूसरे कमरे में जायें तो रसीद नहीं बन जानी चाहिये। ऐसी ग़लतफ़हमी नहीं रह सकती है। अब यह है कि जब सर्च हो जाये तब रसीद दी जावे।

माल मन्त्री--मुझको यह मंजूर है।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that in line 2 of sub-rule (*c*) of rule 3 the words "on the spot immediately after making the search" shall be inserted between the words "given" and "by the person".

(*The question was put and agreed to*)

श्री बद्री प्रसाद कक्कड़--Sir, I want to put one point before you for your information. There have been three amendments before us, two moved in English and one in Hindi. The two were in respect of searches and when I searched my table and searched the tables of other members I find that the amendments in English have not been provided to us.

(A copy of the English amendments was given to the member by the Council Office.)

***श्री कुंवर महावीर सिंह**--Sir, I beg to move that in rule 4 for the opening paragraphs the following shall be substituted :

"(1) All suits and proceedings whether of the first instance, appeal or revision of the nature as herein below specified, in respect of the area for which a notification under section 4 has been issued, pending in any court for hearing on the date of vesting, and

(2) All proceedings (except in so far as they relate to the realisation, otherwise than by ejectment of the judgment-debtor, of cost or compensation awarded in any suit or proceedings) upon any decree or order, unless it is a decree or order which became final before the date of vesting, but is not a decree which may be executed by ejectment of the judgment-debtor passed in any such suit or proceedings previous to the date of vesting shall be stayed."

श्रीमान् जी, जमींदारी उन्मूलन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के मातहत जो रूल्स बनाये गये थे उनमें रूल ४ को आप पढ़ें तो देखेंगे कि यह जो अमेन्डमेंट है इसमें शब्दावली वही है जो पहले थी, केवल सहूलियत के लिये विभाजन कर दिया गया है। पहले इतना लम्बा सेन्टेन्स चला जाता था कि गलतफहमी की गुंजायश हो सकती थी और उसी को दूर करने के लिये यह अमेन्डमेंट लाया गया है।

माल मन्त्री--मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that in rule 4 for the opening paragraph the following shall be substituted :

(1) All suits and proceedings whether of the first instance, appeal or revision of the nature as herein below specified, in respect of the area for which a notification under section 4 has been issued, pending in any court for hearing on the date of vesting, and

(2) All proceedings (except in so far as they relate to the realisation, otherwise than by ejectment of the judgment-debtor, of cost or compensation awarded in any suit or proceedings) upon any decree or order, unless it is a a decree or order which became final before the date of vesting, but is not a decree which may be executed by ejectment of the judgment-debtor passed in any such suit or proceedings previous to the date of vesting shall be stayed.

(The question was put and agreed to.)

***श्री कुंवर महावीर सिंह**--Sir, I beg to move that in line 3 of clause (iv) of rule 4 the figure "49" occurring between "16" and "55" shall be deleted and the following sentence shall be added at the end of the clause ;

"Also suits, applications or proceedings of similar nature against Thekadars."

श्रीमान् जी, इसके द्वारा ४९ का जो सेक्शन पहले रूल्स में इन्क्ल्यूड कर दिया गया था उसको निकाल दिया गया है। सेक्शन ४९ टेनेन्सी ऐक्ट का डिवीजन आफ होल्डिंग्स से सम्बन्ध रखता है और वह भी काश्तकारों से। काश्तकारों को इस ऐक्ट के मुताबिक हकूक दिये गये हैं अगर यह हकूक छीन लिये जाते हैं तो उनको बड़ी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ेगा। इसमें जमींदार और काश्तकार का सवाल नहीं है। क्योंकि डिवीजन काश्तकार और काश्तकार के बीच में होता है। ऐसी हालत में सेक्शन ४९ का वहां पर रहना गलत हो जाता है। बहुत से केसेज ऐसे हैं जिसमें काश्तकारों ने आपस के

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

ो वजह से दरख्वास्तें दी हैं कि हमारी जमीन का बटवारा हो जाय । कोई वजह
कि उनको रोका जाय और उनकी होडिंग का डिवीजन न हो सके । इस
क ग्रो मोर फूड का जमाना है हमें ऐसी चीजों को पूरी ताकत से रोकना
से ज्यादा अन्न पैदा हो । वह तभी संभव है जब आपस के झगड़े, जो
बीच में हैं, वह रफा किये जायं । ऐसी हालत में सेक्शन ४९ ऐसा है कि
ा जाय, अगर श्रीमान् जी इस तरह से सेक्शन ५९ को देखें जो कि डिक्ले-
ध रखता है तो उसमें यह होता है कि जो दरख्वास्त देता है वह ५९
है । मैं दफा ५९ को पढ़ देना चाहता हूं ।

rson claiming to be a tenant or joint tenant may sue a
'or a declaration that he is a tenant, or for the declaration
in such joint tenancy.

54 of the U. P. Tenancy Act— "Recovery of arrears in the
eral refusal to pay ".

जी वह डिक्लेरेशन इस बात का किया है कि हमारी ज्वाइन्ट टेनेन्सी
ाखिर में वह मुकद्दमा करते हैं कि हमारा हिस्सा मुकर्रर कर दिया जाय तो
ादालत में जाने के लिये मजबूर करना और फिर होल्डिंग का डिवीजन
ाथ ज्यादती हो जायेगी । जबकि उसको कानूनन फैसिलिटी मिली है
हूं कि यह उचित होगा कि सेक्शन ४९ को निकाल दिया जाय। दूसरी
न के द्वारा की गई है वह ठेकेदारों के सम्बन्ध में है । श्रीमान् जी को
यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में ठेकेदारों पर वही प्राविजन लागू होते हैं जो
र लागू होते हैं । इसमें बहुत से सेक्शन नमूने के तौर पर ७१,
१५४ हैं । ७१ का ताल्लुक राइट आफ लैंड होल्डर टु मेक इम्प्रूवमेंट्स से
का ताल्लुक डिसप्यूट इन रिगार्ड इम्प्रूवमेंट्स से है और १५४ का ताल्लुक रिकवरी
यर इन केस आफ डिसप्यूट से है । ये ऐसे सेक्शन हैं जिनका सम्बन्ध ठेकेदारों
है । अगर यह नहीं बताया जाय कि यह ठेकेदारों पर भी लागू होंगे तब
ज निकल जाता है । लेकिन वह इम्प्लाइड है और उसमें भिन्न भिन्न अदालतें
-अलग व्यू लेती हैं । इसलिये ऐसा करना चाहिए जिससे गलतफहमी न रह
जाय । इसलिये ठेकेदार को भी लागू करने के लिये तजवीज किया गया है । मैं
समझता हूं कि यह संशोधन मान लिया जायेगा ।

माल मंत्री—मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in line 3 of clause (IV) of rule 4 the figure "49" occurring between "16" and "55" shall be deleted and the following sentence shall be added at the end of the clause:

"Also suits, applications or proceedings of similar nature against Thekadars".

(*The question was put and agreed to.*)

श्री कुंवर महावीर सिंह—Sir, with your permission I beg to move that for the existing clause [V] of rule 4 the following shall be substituted:

"[V] Suits, application, and proceedings including appeals, references and revisions under section 180 of the U. P. Tenancy Act, 1939, or of similar nature pending in a civil court, except where the plaintiff is a tenant or where the land was the sir, khudkasht or grove of an intermediary and in which rights have not accrued to the defendant under section 16 or any other section of the said Act"

श्रीमान, इसके देखने से साफ जाहिर होता है कि जिन लोगों ने अपने मुकदमें सिविल कोर्ट में दायर कर रखें हैं उनको एक मौका देते हैं। किन्तु इससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता है। काश्तकार को जो हक हम देना चाहते हैं वह नहीं दे सकेंगे। ऐसे केसेज के लिए यह संशोधन लाजिमी हो जाता है। असल में जब यह ऐक्ट बन गया था, यह रूल्स बन गये थे तो इसका मंशा काश्तकारों को फायदा पहुंचाने का था और यह लाजमी भी था कि इससे काश्तकारों को फायदा पहुंचे। ऐसे केसेज जिसमें टेनेन्ट को प्लेन्टिफ का मौका है वह अपने केसेज को दायर कर सकता है। ऐसा कोई प्राविजो इसके अन्तर्गत नहीं रखा गया है कि जो मुकदमें दफा १८० के थे वह इसमें रखे जायंगे। जिसमें टेनेन्ट प्लेन्टिफ हो उसमें टेनेन्ट को नुकसान पहुंचेगा। लाजमी यह है और लाजमी यह था कि सीरदार और खुदकाश्त को उन केसेज में एक्ससेप्शन दे दिया जाय। श्रीमान यह जो संशोधन आया है इसमें काश्तकारों का ख्याल रखा गया है।

इसको देख करके मैं श्रीमान् जी को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त यह स्टेज निकल गई और शायद १३५६ फसली के यह आर्डर गवर्नमेन्ट की तरफ से निकाले गये कि जिस जमीन को दूसरों ने काबिज कर लिया है उनके ऊपर बेदखली के मुकद्दमे दायर नहीं होंगे और बहुत से लोगों ने जमीन्दारों की जमीन पर कब्जा कर लिये लेकिन सरकार ने उनको हक दिया और वह सीरदार हो गये। यह देखादेखी और यह समझ कर कि शायद उनको मौका मिल रहा है कब्जा करने का तो बहुत से लोगों ने जमीन्दारों की इनोसेन्ट खुदकाश्त पर भी कब्जा कर लिया। इस तरीके के बहुत से केसेज हैं जो सरकार के सामने आये हैं तो न्याय यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की खुदकाश्त या सीर है तो उसमें जमीन्दारों की रक्षा होनी चाहिये। क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति से हमको एतराज नहीं है। हमको तो जमीन्दारी प्रथा से एतराज है उसको हमने पसन्द नहीं किया और इसलिये हमने उसको खत्म कर दिया, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी नहीं चाहते कि किसी तरह से जमीन्दार अपने राज्य से खत्म हो जायं। इस दृष्टिकोण से जब हम यह बात अपने सामने रखते हैं तो यह अवश्य महसूस करते हैं कि वह सीर या खुदकाश्त जिन पर लोगों ने गासिबाना कब्जा १३५६ की फसली के बाद कर लिया है तो उन जमीन्दारों और सीरदारों को मौका मिले कि वह उनको बेदखल कर सकें। मैं समझता हूं कि यह न्यायपूर्ण चीज है और इसमें सभी लोग ऐग्री करेंगे। इस तरीके से मैं यह संशोधन आपके सामने पेश करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस इसको स्वीकार करेगा।

माल मंत्री—यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री प्रभुनारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री महाबीर सिंह द्वारा प्रस्तावित संशोधन में मेरा संशोधन इस तरह से है चूंकि हिन्दी में जो कापी है वह ठीक तरह से नहीं छपी है, लेकिन मैंने अपना अमेंडमेंट हिन्दी में दिया है और वह अंग्रेजी में भी होगा। मैं अपने संशोधन में इस क्लाज को चाहता हूं कि

Suits, applications and proceedings including appeals, references, revisions under section 180 of the U. P. Tenancy Act, 1939, or of similar nature pending in a civil court, except where the plaintiff is a tenant.

इतना हिस्सा तो ठीक है इसको रहने दिया जाय और शेष दूसरा पोर्शन (portion) इस प्रकार है—

"where the land was sir. khudkasht or grove of an intermediary and in which rights have not accrued to the defendant under section 16 or any other section of the said Act."

यह पोर्शन निकाल दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय कि मेरे दोस्त श्री महावीर सिंह जी अपने इस सेक्शन को मूव कर रहे थे उस समय मैं बहुत गौर से उनकी

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

स्पीच को सुन रहा था और इस सिलसिले में मुझे मालूम है कि वह इस चीज को महसूस करते हैं कि १८० के नाम से जमीन्दारों ने बहुत से मुकद्दमे ऐसे किये कि जो ठीक तरह से रेवेन्यू पर काबिज थे उनको बेदखल कर दिया और इसी बहाने से कि उनको निकाला जाय उन्होंने १८० के मुकद्दमें दायर किये। आपके रेवेन्यू कोर्टर्स और सिविल कोर्टस में और उनको राहत देने के लिये यह जरूरी है कि १८० के जो मुकद्दमें हैं उनको ठीक कर दिया जाय। जहां तक उनके सिद्धान्त का सवाल है मैं उसको मानता हूं और सरकार को इस बात के लिये धन्यबाद देता हूं। उन्होंने इतना तो कहा कि इस तरीके से १८० के अन्दर स्टे करने की बात तो करते हैं, लेकिन इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब वह एक क्लाज जरूरी देखते हैं तो

"or where the land was the sir. khudkasht or grove of an intermediary and in which rights have not accrued to the defendant under section 16 or any other section of the said Act." यह पोर्शन उसके महत्व को मिटा देता है।

यह बात सही है कि दफा १६ के अन्दर राइट किसानों को दिये गये हैं और जहां तक इस बात का सवाल है तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन सवाल तो इसमें यह है कि १३५६ में जो आपने हक दिये हैं और इस तरह से जितने किसान हैं जिस समय वे यह साबित कर सकें कि पटवारी के कागजात में उन जमीनों पर, जिन पर कि वे अब तक काबिज चले आ रहे थे उनके नाम दर्ज नहीं हैं तो क्या फिर उनको वह कब्जा नहीं मिलेगा। आपने जो कानून बनाया तो उसमें इस तरह की अमल दरामद होती रहती है और कानून बनाने के बाद आपने काश्तकारों को इस तरह का हकूक दे दिया और जब वह १०–२० वर्ष से खेत जोतता चला आ रहा है और आज भी मौजूद है, लेकिन उसका नाम दर्ज नहीं है और जमींदारी ऐबालिशन बिल में यह आया है कि उसको इस हालत में भी उस जमीन से निकाला नहीं जायेगा तो ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूं और कहना चाहता हूं कि यदि इस सेक्शन को रखते हुये दफा १८० के मातहत किसानों को जो थोड़ी–बहुत राहत मिलने वाली है वह नहीं मिलेगी और जबकि उसे राहत मिलनी चाहिये। जहां तक सवाल सीर और खुदकाश्त का है और जो इन्टरमिडियरी हैं उनको इससे राहत मिलेगी। मैं आपको बतलाऊं कि १८० में वह इसलिये दाखिल किया गया है कि इस पर किसान का कब्जा है, लेकिन किसी तरह से उस कागजात में इन्दराज नहीं हैं तो किसान को फिर भी यह हकूक मिलना चाहिये कि वह उसको जोत सके और आपको इस तरह का रास्ता निकालना चाहिये और जो कोई भी इसके लिये रास्ता आप निकालें वह उचित होना चाहिये। इस तरह से १३५६ में जो रिकार्ड है उससे उनको कब्जा दिया जाय। मैं समझता हूं कि जो मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है वह वाजिब है और किसानों के हक में आता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करने की कोशिश करेंगे।

माल मंत्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो अमेन्डमेन्ट माननीय प्रभु नारायण जी ने पेश किया है उसमें शायद उनको थोड़ी सी गलतफहमी है। १३५६ में है कि जिनका नाम दर्ज किसी तरह से है उनको राईट मिलेगा और ऐसे जिन लोगों का कब्जा ५७, ५८ और ५९ में हैं और उन्होंने जो मुकदमें दायर कर दिये तो वे मुकदमें अब भी रहेंगे न कि वह बिल्कुल ही चले जायेंगे। लेकिन आपका ख्याल शायद यह है कि जो काश्तकार बहुत पहले जमाने से चला आ रहा है, उनके नाम भी रहें। १८० के मुकदमें जमींदारों ने दायर किये हैं तो वे वहां दायर रहेंगे। तो उनका कहना है कि काश्तकारों को जोकि दर्ज नहीं हैं, लेकिन वे जोतते चले आये हैं उनको अधिकार मिलने चाहिये तो अगर १३५६ में वे दर्ज हैं तो उनको राइट तो मिलेगा ही और अगर दर्ज नहीं हैं तो जमींदार उसको जबरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं

करेगा जो दर्ज नहीं हैं उनके लिये एक बिल हम असेम्बली में पास कर रहे हैं। १३५६ में जिनका कब्जा था और नाम दर्ज नहीं था उन पर झगड़े चल रहे हैं उन पर डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार मौके पर जाकर के तहकीकात करेगा और कब्जा दर्ज कर दिया जायेगा और हक हासिल हो सकेगा। मगर उनके लिये जिनका नाम दर्ज नहीं है उनके लिये मैं पहले कह चुका हूं १३५६ में हैं इसलिये मुकदमें चलने चाहिये। अगर यह मुकदमें नहीं चलेंगे तो इन्साफ का खून होगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—जो मैंने संशोधन रखा है, जिसका मंत्री जी ने जिक्र किया है मैं थोड़ा सा भ्रम साफ कर दूं। मेरे कहने का मतलब यह था कि १३५६ में जिसका कब्जा उस पर था या अब तक रहता आया है और इन्दराज नहीं है। नतीजा यह होगा कि जिनका नाम दर्ज है उनको हक मिलेगा जिनका नाम नहीं है उनको नहीं मिलेगा। इसमें जमीन्दारों ने १३५७ में इन्दराज . . . . . .

माल मन्त्री—जिसका इन्दराज था उसको जबरदस्ती निकाला जाय और फिर दावा किया जाय यह बात प्रक्टीकेबिल नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—चूंकि माननीय मंत्री जी का कहना है मैं बताऊं, मैं बनारस जिले से आता हूं वहां अब भी ऐसे केसेज चल रहे हैं जिसमें जमीन्दारों ने अपना नाम दर्ज करा लिया है और कब्जा किसान का है। सेचुएशन यह है कि १३५७ में नाम दर्ज करा लिया तो इस बात का हक मिलता है कि ट्रेसपासर्स की हैसियत से आये। सेचुयेशन यह हो सकती है कि १३५६ में किसान का नाम नहीं था, १३५७ और १३५८ में कब्जा चल रहा है और १३५६ में नाम दर्ज नहीं है इसलिये हक नहीं है।

माल मन्त्री—१३५६ में नाम दर्ज नहीं है जमीन्दार के नाम है, अगर अदालत में दरख्वास्त देकर के दर्ज कराया है तब तो सवाल उठता नहीं, लेकिन १३५६ में नाम दर्ज नहीं है और जमीन्दार ने १८० में दावा कर दिया है, यह हो नहीं सकता है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—यह हो सकता है कि १३५६ में किसानों का नाम दर्ज रहे उसके बाद १३५७ और ५८ में क्या सेचुएशन होगी।

श्री कुंवर महाबीर सिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, चौधरी साहब ने मेरा काम हलका कर दिया है मैं समझता हूं कि प्रभु नारायण जी को कुछ गलतफहमी हो गई है इसलिये इस अमेंडमेन्ट को उन्होंने रखा है। अगर जमीन्दारों के नाम चल रहा है तो जमीन्दार कभी इस बात की कोशिश नहीं करेगा कि वह नाम कटवाये या कब्जा दिखाये, यह गलत चीज है। ऐसा है कि छोटे जमीन्दार भी हैं जब आप बहस करते हैं, सोशलिस्ट का सिद्धान्त रखते हैं तो यह भूल जाते हैं कि छोटे जमीन्दार हैं भी या नहीं। बड़े काश्तकारों से भी छोटे जमीन्दार हैं, उनकी तो रक्षा होनी ही चाहिए। अब तो वे भूमिधर हो गये। ऐसी हालत में उनकी रक्षा उचित ही होगी। इसलिये मैं यह अमेंडमेंट स्वीकार नहीं करता।

डिप्टी चेयरमैन—कुंवर महाबीर सिंह साहब ने एक अमेंडमेंट पेश किया है और श्री प्रभु नारायण जी ने उसमें एक और अमेंडमेन्ट पेश किया है। मैं पहिले श्री प्रभु नारायण जी के अमेंडमेंट पर मत लूंगा।

The question is that the words "or where the land was the sir, khudkast or grove of an intermediary and in which rights have not accrued to the defendant under section 16 or any other section of the said Act" occuring in the amendment moved by Kunwar Mahabir Singh be deleted.

(*The question was put and negatived.*)

डिप्टी चेयरमैन—The question is that for the existing clause (V) of rule 4, the following be substituted :

"(v) Suits, applications and proceedings including appeals, references and revisions under section 180 of the U. P. Tenancy Act, 1939 or of similar nature pending in a Civil Court, except where the plaintiff is a tenant or where the land was the sir, khudkasht or grove of an intermediary and in which rights have not accrued to the defendant under section 16 or any other section of the said Act."

(*The question was put and agreed to.*)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं ४-बी को मूव करना नहीं चाहता। इसके बाद वाला मूव करूंगा।

Sir, I beg to move that in rule 4, after sub-clause (iv) of the explanation the following new sub-clause (v) be added :

"(v) An estate advanced by it while under the management of the Court of Wards.

श्रीमन्, यह अमेंडमेन्ट जो मैंने मूव किया है अंडर दिस ऐक्सप्लेनेशन (under this explanation) इस किस्म का जो डेट (debt) है वह सरकार ने रिएलाइजेबिल (realisable) रखा है। मैं यह चाहता हूं कि वह डेट जो किसी स्टेट ने जब वह कोर्ट आफ वार्ड्स में हों या एक जमींदार ने दूसरे जमींदार से डेट लिया हो तो वह भी इस कैटैगरी (category) में आना चाहिए।

इसलिये इसमें जो धारा है उसमें पांचवीं धारा जोड़ दी जाय। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मुझे मालूम है १४८ लाख रुपया ऐसा है जो कोर्ट आफ वार्ड्स के ऊपर कर्ज है।

माल मन्त्री—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और कारण यह है कि जिस उसूल की बिना पर हम लोग सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कर्ज लेते हैं उस उसूल के मातहत कोर्ट आफ वार्ड के इन्तजाम में जो कमी थी, उसके लिये कर्जा लिया है। दूसरी चीज यह है कि यह रेयर केसेज में हैं। वैसे उसका कर्जा घटाया जाय या नहीं घटाया जाय यह सवाल यहां नहीं उठ सकता है। इसके लिये मैं तैयार नहीं हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मुझे ताज्जुब हुआ कि जो कर्जा दिया गया है वह एक प्रकार से गवर्नमेन्ट ने दिया है। कोर्ट आफ वार्ड गवर्नमेन्ट की बाडी है। जब गवर्नमेन्ट ने कर्जा लिया किसी स्टेट्स से तो उसकी जिम्मेदारी कोर्ट आफ वार्ड पर नहीं है। एक प्रकार से गवर्नमेन्ट ने कर्जा लिया तो उसको सिक्योर करने के लिये गवर्नमेन्ट आना-कानी करती है। मैं समझता हूं कि यह सारी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि कोर्ट आफ वार्ड सरकार की बाडी है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मंजूर करें।

माल मन्त्री—श्री कुंवर गुरु नारायण कहते हैं कि यह गवर्नमेन्ट की बाडी है। यह गलत है। इसका गवर्नमेन्ट से इतना ही सम्बन्ध है कि गवर्नमेन्ट ने कानून बनाया है और उसके मातहत वह काम करती है, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि इस कर्ज को मुस्तसना किया जाय या न किया जाय जब इस पर गौर किया जायगा तो इस पर विचार किया जायेगा। मैं वादा करता हूं कि जो कुछ आप कहते हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे यह इसके लिये उपयुक्त स्थान नहीं है।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that in rule 4 after sub-clause (iv) of the Explanation the following new sub-clause (v) be added:

"(v) An estate advanced by it while under the management of the Court of Wards."

(*The question was put and negatived; the House dividing as below.*)

पक्ष में--२

श्री कुंवर गुरु नारायण
श्री नरोत्तम दास टन्डन

विपक्ष में २०

श्री अब्दुल शकूर नजमी
श्री उमानाथ बली
श्री कुंवर महावीर सिंह
श्री जगन्नाथ आचार्य
श्री जमीलुर्रहमान किदवई
श्री ज्योति प्रसाद गुप्त
श्री प्रताप चन्द्र आजाद
श्री प्रभुनारायण सिंह
श्री प्रसिद्ध नारायण अनद
श्री परमात्मानन्द सिंह
श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार
श्री बद्री प्रसाद कक्कड़
श्री बशीर अहमद
श्री ब्रज लाल वर्मन (हकीम)
श्री राना शिवअम्बर सिंह
श्री राम नन्दन सिंह
श्री लालता प्रसाद सोनकर
श्री श्याम सुन्दर लाल
श्री सभापति उपाध्याय
श्री सरदार संतोष सिंह

श्री कुंवर गुरुनारायण--संशोधन नम्बर १० में मूव नहीं करना चाहता।

श्री कुंवर गुरु नारायण--उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निम्नलिखित संशोधन मूव करना चाहता हूं।

For the existing rule 5, the following be substituted:

"5. All suits and proceedings whether of the first instance, appeal or revision stayed under rule 4, shall be disposed of in accordance with the law in force at the time of institution of such suit or proceeding by the court before which the suit or proceeding is pending."

रूल ४ में कुछ ऐसे केसेज हैं जिनको गवर्नमेन्ट ने स्टे आर्डर दे रक्खा था। तो मेरा सजेशन यह है कि इस संशोधन के द्वारा अदालत के सामने जो पहिले कार्यवाही हो रही थी वह जारी रक्खी जाये। गवर्नमेन्ट न रूल ४ में यह अधिकार दे दिया है कि केसेज को फिर से ओपेन कर सकते हैं। एक लिटीगेशन में तमाम खर्च हो चुका है तो अब जो खर्च हो चुका है वह फिर से केसेज के रिव्यू करने से सारा का सारा बेकार हो जावेगा, यह मुनासिब नहीं होगा वजह सिर्फ यही है कि जो स्टेड सूट्स हैं उनकी उसी हालत में पैरवी की जाय जिसमें वह हैं। इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है।

माल मन्त्री--कुंवर गुरुनारायण ने जो बात कही है वह कुछ ठीक नहीं मालूम होती है। वह चाहते हैं कि इस कानून के जरिये से जो हकूक किसानों को मिले हैं उनके मुताबिक ही मुकदमें फैसल हों। अगर ऐसा किया जाय तो फिर कानून बनाना ही बेकार है इसमें लिखा है कि--

[माल मंत्री]

"5. All suits and proceedings whether of the first instance, appeal or revision stayed under rule 4, shall be disposed of in accordance with the law in force at the time of institution of such suit or proceeding by the court before which the suit or proceeding is pending."

इसका मतलब यह है कि जो ३० जून सन् १९५२ से पहले दायर मुक़द्दमें थे उनका निपटारा टेनेन्सी ऐक्ट के मुताबिक ही हो । इसका मतलब यह है कि जमींदारी ऐबालिशन से जो फायदा होता है वह न हो । यह बिलकुल अनुचित ह, इसलिये मैं इसकी मुख़ालिफत करता हूं ।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that for the existing rule 5 the following be substit

"5. All suits and proceedings whether of the first instance, appeal or revision stayed under rule 4 shall be disposed of in accordance with the law in force at the time of institution of such suit or proceeding by the Court before which the suit or proceeding is pending."

(*The question was put and negatived*)

श्री प्रभु नारायण सिंह—नियम ५, उपनियम (क) के अन्त में निम्नांकित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय :—

"अधिनियम की धारा १६ और २० के अनुसार जिस व्यक्ति का मौरूसी काश्तकार या अधिवासी होने का हक़ इस शर्त पर दिया गया है कि वे निहित होने के दिनांक से पहिले दिनांक को भूमि पर काबिज हों, वह व्यक्ति उस भूमि पर काबिज समझा जायगा जब तक कि पटवारी के कागज़ों के अलावा दूसरे नियमित लिखित प्रमाणों से यह सिद्ध न हो कि उसने उस दिनांक से पहिले जमीन पर क़ब्ज़ा छोड़ दिया है ।"

यह संशोधन विशेष तौर से इसलिये है कि १८० में जो मुक़द्दमें खारिज होंगे वह नये सूट्स............

श्री कुंवर महावीर सिंह—एक प्वाइंट आफ आर्डर है । यह अमेन्डमेन्ट यहां नहीं हो सकता है इसलिये कि हम रूल्स कन्सीडर कर रहे हैं ऐक्ट नहीं ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब दफ़ा १५, १६ से हक़ूक़ किसानों को दिये गये हैं तो मैं समझता हूं कि मेरा अमेन्डमेंट जायज है ।

श्री कुंवर महावीर सिंह—ऐक्ट की दफ़ा १६ में है कि जो ३५६ के कागजात हैं उनमें नाम दर्ज हों । तो इस संशोधन के द्वारा आप ऐक्ट को ही बदल देना चाहते हैं । जब इस वक्त ऐक्ट पर विचार नहीं कर सकते तो इस वक्त इस हाउस का अख्तियार नहीं है कि इस तरह के संशोधन पर विचार करे । यह तो बैकडोर से ऐक्ट को संशोधन करना है जिसका कि इस वक्त हक़ नहीं है ।

श्री प्रभुनारायण सिंह—मैं अपने संशोधन को फिर से पढ़ देना चाहता हूं :—

नियम ५, उपनियम (क) के अन्त में निम्नांकित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय :—

"अधिनियम की धारा १६ और २० के अनुसार जिस व्यक्ति का मौरूसी काश्तकार या अधिवासी होने का हक़ इस शर्त पर दिया गया है कि वे निहित होने के दिनांक से पहले दिनांक को भूमि पर काबिज हों, वह व्यक्ति उस भूमि पर काबिज समझा जायगा । जब तक कि पटवारी के कागज़ों के अलावा दूसरे नियमित लिखित प्रमाणों से यह सिद्ध न हो कि उसने उस दिनांक से पहिले जमीन पर क़ब्ज़ा छोड़ दिया है ।"

इस सम्बन्ध में यह कहना है कि धारा १६ और २० के सम्बन्ध में आप इस वक्त नियम बना रहे हैं। जबकि आप नियमावली बना रहे हैं तो उसके मुताल्लिक़ जो भी है उसको मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में नियम बनाने के लिये कह रहा हूं। यह बैकडोर से आने की बात नहीं है बल्कि यह सामने से आने की बात है। यह दूसरी बात है कि आप इसे बैकडोर से समझते हों। मैं समझता हूं कि यह नियम बनना जरूरी है।

माल मंत्री—मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। संशोधन यह कहता है कि ३० जून सन् १९५२ को क़ब्ज़ा होगा, जो धारा १६ और २० में दिया है, उसका यह इन्टरप्रेटेशन किया जाय कि उसका क़ब्ज़ा मान लें चाहे क़ब्ज़ा हो या न हो और जब तक पटवारी के कागज़ात से यह साबित न हो जाय कि उसने छोड़ दिया है। यह बहुत ही सब्सटैन्शियल बात है। हमारा जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में संशोधन लाने का विचार है। यदि माननीय सदस्य इसे उचित समझें तो उस वक्त विचार कर लेंगे।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने जा रहे हैं और उस वक्त इस पर विचार हो सकता है इसलिये मैं इसे वापस लेता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापस ले लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कुंवर महावीर सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं सीरियल नम्बर १३ और १४ को एक साथ लेना चाहता हूं। क्योंकि यह रूल ५ से सम्बन्धित है।

डिप्टी चेयरमैन—आप एक साथ मूव कर सकते हैं।

श्री कुंवर महावीर सिंह—Sir, I beg to move that in rule 5 for the words "of the first instance, appeal or revision stayed under clauses (i) to (iv) of rule 4 shall" occurring in sub-rule (*a*) (i) the words "pending in the court of first instance or in appeal or revision, stayed under clauses (i) to (v) of rule 4 shall together with the appeal or revision, if any" be substituted, and clauses (3) to (7) of sub-rule (*a*) of rule 5 shall be deleted.

श्रीमान् इस अमेन्डमेन्ट के द्वारा जो पहला हिस्सा है उसमें केवल एक तरमीम हुई है और वह यह है कि पहले यह जो रूल ५ था उसमें जो एक से ४ तक जो सब क्लाज़ हैं उसके अन्तर्गत आता है और ५ जो रूल है उसमें दूसरा प्रोसीजर दिया हुआ है। दफ़ा १८० के मातहत जो केसेज़ हैं उनके लिए रूल तीन-चार और पांच में प्रोसीजर था। दूसरी बात इसमें यह है कि यह एक लम्बा-चौड़ा प्रोसीजर है इसलिए यह बेकार चीज है, इसलिए इस चीज को यहां पर अमेन्ड किया गया है। नियम ५ के उपनियम (क) से ग खंड (३) से (७) तक निकाल दिये जायें। यह एक बिलकुल साफ बात है। दफ़ा १८० का इससे संबंध है, इसमें ६ माह का समय था, जिसके अन्दर पार्टी दर्ख्वास्त देकर अख्तियार हासिल कर ले। वह दर्ख्वास्त इस प्रकार सब-रूल ३ के मातहत दी जायगी, उनके लिए यह था। यह नेचर आफ राइट है, जिसके अन्तर्गत यह किया गया है। श्रीमान् इसका लगाव चूंकि ५, ६ और ७ से है इसलिए मैं आप की इजाजत से हाउस के सामने क्लाज़ ५, ६ और ७ पढ़ देना चाहता हूं इसके पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसको पढ़ना चाहता हूं जो इस प्रकार है:—

Rule 5—(*a*) (I) Every suit or proceeding whether of the first instance, appeal or revision stayed under clauses (*i*) to (*iv*) of rule 4 shall be abated by the court or the authority before which it may be pending after notice to the parties and giving them an opportunity to be heard.

[श्री कुंवर महाबीर सिंह]

(2) The abatement of any suit or proceeding under sub-rule (1) shall not debar any person from establishing his right in a court of competent jurisdiction in accordance with the law for the time being in force in respect of any matter in issue in such suit or proceeding.

(3) Where a suit has been stayed under clause (v) of rule 4 any party to the suit may within six months from the date of vesting apply to the court concerned to restart the issue.

(4) The application under sub-rule (3) shall, besides containing such other particulars as may be necessary, specify—

(i) whether the applicant has a subsisting right and the nature of the right in which he claims to restart the suit; and

(ii) the amendments, if any, which are necessary in the plaint as a consequence of the vesting of the Estates in the State under the provisions of the Act.

(5) The court shall, before allowing the application, issue notice to all other parties to the suit and hear their objections, if any.

(6) Whenever the court allows the applicant to restart the suit, it shall implead the Gaon Sabha concerned as a part unless the Gaon Sabha itself is the applicant, and transfer the case to the court having jurisdiction which would then proceed to decide it.

(7) Whenever a suit has been restarted under the provisions of the preceding sub-rule it shall be open to a party including the Gaon Sabha to file any additional pleading and the court shall, after framing such additional issues as may arise, proceed to decide the suit, having regard to the provisions of the Act.

(8) The proceedings referred to in clause (vi) or (vii) of rule 4 shall continue to remain stayed during a period of 12 months.

(6) Where any suit or proceeding hasi been stayed under rule 4 or has abated under rule 5 the period between the institution of such suit and its stay or abatement, as the case may be, shall be excluded in computing the period of limitation fixed for the institution of such suit or proceeding under the law applicable thereto.'

(7) In every suit or proceeding (not being a suit or proceeding staye or abated under the provisions of rule 4 or 5) under the U. P. Land Revenue Act, 1901, or the U. P. Tenancy Act, 1939, pending on the date of vesting in which an intermediary is a party, whether as plaintiff or defendant, the court may, where it considers it necessary in order to enable it effectually and completely to adjudicate upon and settle all questions involved in the suit or proceeding, order the Gaon Sabha to be joined as a party.

उसके मातहत जब भी अप्लीकेशन दी जायेगी और जब अदालत उसको लेगी तो लाजिमी यह है कि वह दूसरी पार्टी को जो सूट में है उसको डिस्कशन करने का मौक़ा देगी। अगर ऐसा अदालत नहीं करती है तो वह न्याय के विरुद्ध हो जाता है और उसका डिसीजन किसी पार्टी के लिये उचित न होगा और उसकी कोई बाइन्डिग दूसरी पार्टी के ऊपर नहीं होगी। अब उसको एक्सप्लेन करने या रोकने की जरूरत नहीं है। इसी तरीक़े से रूल ५ का जो क्लाज ६ है, उसको भी देखें, श्रीमान् जी यह एक प्रोसीजर की चीज है। अगर दरख्वास्त देने वाला

गांव सभा को पार्टी नहीं बनाता तो वह खुद अपना नुक़सान करता है। अगर वह गांव सभा को पार्टी नहीं बनाता है तो जिस तरीक़े से पहले सूट्स में ज़मीन्दार क्लास के यहां होता है कि अगर दूसरी पार्टी में गांव सभा आ जाती है और वह गांव सभा को पार्टी नहीं बनाता है तो खुद एक रिस्क मोल लेता है और रेवेन्यू कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स में वह ज़ाहिर करता है कि ऐसी हालत में भी वह इम्प्लाइड है और इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। सब-रूल ७ को भी देखते हुये श्रीमान् जी यह जाहिर होता है कि गांव सभा को इसके द्वारा मौका दिया जाता है कि वह ऐडिशनल प्लीडिंग दाखिल करे और उसको अदालत में फ्रेम करे और फिर डिसाइड करे कि वह रीजन होता है। जब एक मुक़द्दमा दायर किया जाता है और १८० के मातहत दायर किया जायेगा तो वह स्टे किया जायेगा और स्टे करने के बाद जब कभी उनको रिस्टार्ट करना चाहता हो तो लाजमी यह है कि गांव सभा उसमें पार्टी बना दी गई हो। इसके अलावा उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो तो इससे दिक्क़तें बढ़ेंगी तो उसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिये हमारे ऐक्ट में यह प्रोवाइडेड है कि जहां पर रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल से सम्बन्ध है जैसे कि जो केस सिविल कोर्ट्स में गया है तो उसमें सिविल प्रोसीजर कोर्ट अप्लाई करेगा तो सिविल प्रोसीजर कोर्ट में और रेवेन्यू मैनुअल में यह सब चीजें दी गई हैं और यहां पर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है उसको हाउस स्वीकार करेगा।

माल मंत्री—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in rule 5 for the words "of the first instance, appeal or revision stayed under clauses (i) to (iv) of rule 4 shall" occurring in sub-rule (a) (i) the words "pending in the court of first instance or in appeal or revision, stayed under clauses (i) to (v) of rule 4 shall together with the appeal or revision, if any" be substituted, and

Clauses (3) to (7) of sub-rule (a) of rule 5 be deleted.

(The question was put and agreed to)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं संशोधन नम्बर १५, १६, १७ और १८ को पेश नहीं करना चाहता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मैंने अपने संशोधन नम्बर १२ को वापस ले लिया, तो यह मेरा संशोधन उसी से सम्बन्धित था, तो मैं इस अपने संशोधन को पेश करना नहीं चाहता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं संशोधन नम्बर २० को पेश करना नहीं चाहता हूं।

श्री कुंवर महावीर सिंह—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं—

At the end of rule 23 the following sentence shall be added; "A copy of the statement shall be sent to the intermediary concerned as soon as the statement is ready."

यह बहुत इनोसेन्ट प्रस्ताव है और इसके द्वारा यह किया गया है कि इन्टरमिडियरी के पास जो कि उससे सम्बन्धित है तैयार हो जाने के बाद स्टेटमेंट की एक कापी भेज दी जायेगी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

माल मंत्री—मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन The question is that at the end of rule 23 the following sentence shall be added: "A copy of the statement shall be sent to the intermediary concerned as soon as the statement is ready."

(The question was put and agreed to)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं संशोधन नम्बर २२ को मूव नहीं करना चाहता हूं।

श्री कुंवर महावीर सिंह—Sir, I beg to move that in line 6 of rule 24 for the figure "15" the figure "30" shall be substituted.

यह भी बहुत ही इनोसेन्ट प्रस्ताव है और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया उसी तरह से इसमें है कि १५ दिन की मोहलत दी जाती थी जिसके अन्तर्गत इन्टरमीडियरी को अख्तियार था कि वह अपना स्टेटमेंट दाखिल करे, तो अब १५ दिन की जगह पर ३० दिन कर दिया गया है ताकि उसको शिकायत की गुंजाइश न रह जाय। मैं आशा करता हूं कि इसको मंजूर किया जायगा।

माल मंत्री—मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in line 6 of rule 24 for the figure "15" the figure "30" be substituted.

(*The question was put and agreed to.*)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं अपने अमेन्डमेन्ट नम्बर २४, २५ और २६ को नहीं पेश करना चाहता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—Sir, I beg to move that for the existing rule 32 the following be substituted ;

"32—A statement shall be prepared in Z. A. Form 21 tabulating the sayar income which has accrued during the last six years beginning August 8, 1946, in each Khata and Khewat. In this statement shall also be shown the income from hats, bazars and melas to which clause (*a*) of section 6 applies.

श्री कुंवर महावीर सिंह—a point of order, Sir, मैं यह एतराज करता हूं कि ऐक्ट में १० साल दिया गया है। यहां पर यह बदला नहीं जा सकता है क्योंकि इस तरह से ऐक्ट अमेन्ड होता है।

माल मन्त्री—ऐक्ट में १० साल दिया है और आप ६ साल चाहते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—किस धारा में है ?

माल मन्त्री—३९ (सी)।

श्री कुंवर गुरु नारायण—In view of this I would like to withdraw the amendment.

डिप्टी चेयरमैन—Is it the pleasure of the House that the motion be withdrawn?

(*The motion was by leave withdrawn*)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं अमेन्डमेंट नम्बर २८ मूव नहीं करता हूं।

श्री कुंवर महावीर सिंह—Sir, I beg to move that in line 34 at the end of sub-rule (2) the following sentence shall be added:

"The Compensation Officer may also call upon an Officer of the Forest Department not below the rank of a Divisional Forest Officer, to inspect the forest and submit his report about the estimate of forest income."

श्रीमान् जी, रूल ३४ में यह प्रोवाइड किया गया है कि जंगलों के बारे में जांच की जाय। जमीन्दारों और इन्टरमीडियरीज को मौक़ा दिया गया है कि वह सरकार के पास आबजेक्शंस फाइल करे और यह अधिकार कम्पेन्सेशन अफसर को होगा कि वह देखें कि आबजेक्शन ठीक है या नहीं, फारेस्ट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में टेक्निकल चीजें पेश हो सकती हैं। जैसा कि रूल ३४ सब-सेक्शन ४ में आप देखेंगे तो मालूम होगा कि एक्सपर्ट ही जाकर उसकी जांच

कर सकता है और वह कम्पेनसेशन आफिसर को मदद दे सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि यह अमेन्डमेंट स्वीकार किया जाय। इसके द्वारा कम्पेनसेशन आफिसर को यह अधिकार हो जाता है कि वह किसी आफिसर के जो फारेस्ट डिपार्टमेंट का हो मौके पर जाय और जाकर वहां देखे कि कैसा काम हो रहा है और उसकी ठीक २ रिपोर्ट दे और यह भी बताये कि इनकम क्या है। इसलिए यह अमेंडमेंट आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि हाउस इसे अवश्य स्वीकार करेगा।

माल मंत्री--Sir, I accept the amendment.

डिप्टी चेयरमैन--The qnestion is that in rule 34 at the end of sub-rule (2) the following sentence shall be added :

"The Compensation Officer may also call upon an officer of the Forest Department not below the rank of a Divisional Forest Officer to inspect the forest and submit his report about the estimate of forest income."

(*The question was put and agreed to*)

श्री कुंवर महावीर सिंह--Sir, I beg to move that in sub-rule (3) of rule 34 the words "considering the report of the Officer of the Forest Department and" be inserted between the words "after" and "hearing".

माल मंत्री--I accept the amendment.

डिप्टी चेयरमैन--The question is that in sub-rule (3) of rule 34 the words "considering the report of the Officer of the Forest Department and" be inserted between the words "after" and "hearing".

(*The question was put and agreed to*)

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं संशोधन संख्या ३१, ३२, ३३ मूव नहीं करना चाहता।

Sir, I beg to move that in the last line of rule 39 after the full-stop after the figure "23" the words "in the heading of 6 of Zamindari Abolition Form 26" after the last word "khewat" the word and figures "at 5 pice per rupee" be added:

श्रीमन्, यह संशोधन जैसा कि मैं सुबह जनरल डिस्कशन के समय बोल रहा था तो मैंने कहा था कि लोकल रेट्स और सेंसेज ६ पैसा फी रुपया जमींदार से रियलाइज किया गया है। एक पैसा उनका अधिकार है रियलाइज करने का टेनेन्ट से तो इस हालत में मैं यह समझता हूं, भवन को इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई एतराज न होगा।

माल मन्त्री--इसमें कहीं कहीं गलती रही है और यह मामला जेरे गौर है। मैं इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। इसमें कुछ पेचीदगियां हैं। उन पेचीदगियों की तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री कुंवर गुरुनारायण--जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसमें पेचीदगियां हैं तो मुझे मालूम नहीं होता है कि इसमें क्या पेचीदगी है। सिर्फ जमींदारों की गलती थी और कोई ऐसी बात नहीं है। शायद माननीय माल मंत्री जी का ध्यान उन्हीं जमींदारों ने आकर्षित किया हो। कुछ महीने पहले आदेश जारी कर दें ताकि गांवों में इस बात की घोषणा जारी कर दी जाय कि ६ पैसा फी रुपया गवर्नमेंट को जमींदारों से लेने का अधिकार है और उतना ही जमींदारों को किसानों से लेने का हो जाय। अगर यह चीज रेगुलराइज नहीं की गयी तो २ करोड़ रुपया कम्पेन्सेशन में नुकसान होगा।

माल मन्त्री--यह मामला गवर्नमेंट के विचाराधीन है। उसमें यह है कि एक पैसा रुपया बढ़ा दिया जाय या न बढ़ा दिया जाय। मैं इस वक्त इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that in the last line of rule 39 after the full stop after the figure "26" the words "in the heading of 6 of Z. A. Form 26 after the last word "khewat" the words and figures "at 5 pice per rupee" be added.

(*The question was put and negatived.*)

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्याय महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

After the existing rule 40 the following new rule 40-A be added :

"40-A. (*a*) The Compensation Officer shall add two new columns in Z. A. Form 27 : (i) 16 (*a*) under heading 'Multiple of Rehabilitation Grant' and (ii) 16 (*b*) 'Amount of Rehabilitation Grant payable'--'Col. 5 x Col. 16 (*a*)' of this Form".

(*b*) The Compensation Officer shall issue to the intermediary concerned a certificate in respect of the total amount of Rehabilitation Grant payable to him as shown in Col. 16 (*b*) of Z. A. Form 27 referred to in sub-rule (*a*). The intermediary shall produce this certificate before the Rehabilitation Grants Officer for the payment of his Rehabilitation Grant.

(*c*) The Compensation Officer shall also forward a copy of the certificate mentioned in sub-rule (*b*) to the Rehabilitation Grants Officer.

श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मुझे केवल यही निवेदन करना है कि आज सुबह जबकि प्रस्ताव के ऊपर विवाद हो रहा था तब उस समय मैंने यह कहा था कि रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के पेमेन्ट करने का छोटे ज़मींदारों के लिये एक ख़ास सुविधा होनी चाहिये।

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

जो सरकार ने अधिनियम बनाये हैं उन रूल्स के अनुसार किसी भी ज़मींदार को रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट के लिये एप्लाई करना होगा। उसके पूरे प्रमाण को साबित करना उस ज़मींदार की जिम्मेदारी होगी। यह कम्पेनसेशन रूल जो फ़ार्म २७ में दिया हुआ है, अगर आप देखें तो नेट एसेसमेंट का कालम ५ होता है। उसके बाद एरियर्स जो देने हैं वह १६ है।

"Amount of compensation, that is, 8 times of column 5."

मेरा संशोधन यह है कि जब नेट एमाउन्ट कम्पेनसेशन का १५ में से निकल आये तो उसके बाद एमाउन्ट पेबिल जो होगा एरियर्स निकाल कर वह होगा जो किसी मध्यवर्ती को मिलना चाहिये। तो हम यह चाहते हैं कि १६ के बाद १६-ए एक और कालम बढ़ा दिया जाय कि वह जो ज़मींदार है उसको किस मल्टीपुल से दिया जायेगा। इससे सहूलियत हो जायेंगी उन ज़मींदारों को कि वह इस कम्पेनसेशन के साथ ही साथ अपने रिहैबिलिटेशन ग्रांट को भी क्लेम कर सकते हैं जो दुश्वारियां उनको पैदा होने को हैं इस रिहैबिलिटेशन ग्रांट के पाने में उनसे उनको बचत हो जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन है यह अपनी अहमियत रखता है और इसलिये रखता है कि सरकार की इच्छा है कि उनको रिहैबिलिटेशन ग्रांट दिया जाय और सरकार अपने फार्म २७ में पूरा कम्पेनसेशन चार्ट तैयार कर रही है तो उसके साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन ग्रांट का मल्टीपुल भी निकलता है कि कितना दिया जायेगा तो उसको सरकार को करने में आपत्ति भी नहीं होनी चाहिये, नहीं तो ज़मींदार को अपनी रिहैबिलिटेशन ग्रांट के लिये फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का अनुमोदन करता हूं क्योंकि इसमें प्रिंसपिल की बात है इसमें इंटरमीडियरी के सहूलियत की बात कही जा रही है। मेरी समझ में इस बात की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये कि कोई इंटरमीडियरी कम्पेनसेशन ग्रांट के लिये अलग से दरख्वास्त दे। कम्पेनसेशन ग्रांट का प्रिंसपिल जब मान लिया गया है तो उसको सेल्फ वर्क करना चाहिये। तो उसके लिये सुविधा देने के लिये ऐसा क्लाज बढ़ाने में जिसमें गवर्नमेंट का कोई नुक़सान नहीं होता ठीक है। यह कोई प्रिंसपिल में डिफरेंस नहीं पैदा करता। नियमों में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। इसमें इंटरमीडियरी को सुविधा हो जायेगी।

माल मन्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के स्वीकार करने में बड़ी खुशी होती अगर यह ऐडमिनिस्ट्रेशन से मान्य होता और क़ानूनी दिक्क़त न होती। ऐसेसमेंट रोल हर जिले का अलग-अलग तैयार होगा। सारे सूबे में कितनी मालगुज़ारी वह देता है इस पर मुनहसर होगा। मान लीजिये महाराजा बलरामपुर का पूरा एक गांव गोंडा ज़िले में है और ज़िला फैज़ाबाद में वह किसी गांव की मालगुज़ारी सिर्फ़ १५० रु० देते हैं। तो फैज़ाबाद में जहां पर कि २२ या २५ फ़ीसदी से कंपेनसेशन रोल तैयार होगा तो उसमें उनका भी हिस्सा होगा क्योंकि उस महाल में वह उतनी ही मालगुज़ारी देते हैं। फैज़ाबाद में इतना ही मालूम हो सकता है कि वह इतनी मालगुज़ारी देते हैं यह नहीं मालूम होगा कि गोंडा में कितनी मालगुज़ारी देते हैं।

असल ऐक्ट में कम्पेनसेशन की धारा पहले रखी गई है और तब रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट की है। कुंवर साहब ने शिकायत की थी अपनी पहली स्पीच में कि ज़मींदारों के लिये क्यों लाज़िम किया जाय कि वह रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट की दरख्वास्त दें और क्यों न कम्पेनसेशन देने के समय ही वह दे दी जाय। लेकिन मुश्किल यह है कि जब कम्पेनसेशन तय होगा तो उस वक्त अफसर को क्या मालूम होगा कि वह कितने का मालगुज़ार है। कम्पेनसेशन का रेट सबके लिये एक ही है और कम्पेनसेशन जब सब को तय हो जाय तो फिर मध्यवर्ती जो हैं उनकी यह ज़िम्मेदारी है कि वह कहें कि मैं इतना बड़ा मालगुज़ार हूं और इसलिये मैं फलां फलां मल्टीपिल का मुस्तहक हूं और तब रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट की अप्लीकेशन देगा उस पर कन्सीडरेशन होगा। इसलिये यह दोनों काम साथ साथ नहीं चल सकते हैं। पहले कम्पेनसेशन तय होगा और बाद में रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट तय की जायगी। जब कम्पेनसेशन तय होगा तो पहले ज़मींदार को नोटिस दिया जायगा और वह उस पर फिर एतराज उठा सकता है इसके बाद कम्पेनसेशन डिटरमिन होगा। रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट बाद में तय होगी।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--यह मेरी समझ में नहीं आता कि रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट को निश्चत करने में क्या असुविधा है।

माल मन्त्री--मैं यही समझा रहा था कि कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट को एक साथ निश्चित करने में क्या कठिनाई है। मान लीजिये एक आदमी १० ज़िलों में ज़मींदार है और उसके हर गांव में ६०-६० खेवट हैं तो इस तरह से ६०० खेवट होंगे और जब तक सब असेसमेन्ट रोल एक जगह न हो जांय तब तक यह कैसे निश्चय किया जायगा कि वह रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का मुस्तहक भी है या नहीं। रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट मालगुज़ारी के साथ साथ वैरी करती है इसलिये ज़िम्मेदारी ज़मींदार पर होगी कि वह दरख्वास्त दे और कहे कि वह इतने का मालगुज़ार है जिससे कि रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट डिटरमिन किया जा सके।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय माल मंत्री ने जो अपनी दुश्वारी बतलाई वह यह है कि कोई ज़मींदार हो सकता है जिसकी कई जगह पर प्रापर्टी हो और उसके कई असेसमेंट रोल तैयार किये जायं। तो इसके लिये जरूर दुश्वारी हो सकती है। लेकिन मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जितने ज़मींदार हैं उनमें से कम से कम तीन-चौथाई हिस्सा ऐसा होगा जिनका एक सेन्ट्रल कम्पेनसेशन असेसमेंट रोल बन सकता है। क्योंकि जिनकी दुश्वारी माननीय मंत्री ने बतलाई वे बहुत थोड़े से लोग होंगे और इन थोड़े से लोगों

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

की दुश्वारी को अगर माननीय मंत्री जी चाहे तो इस वक्त हल कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस दुश्वारी को हल न किया जा सकता हो। जो २० या २२ लाख कम्पेसेशन रोल बनेंगे उनमें से मैं कह सकता हूं कि कम से कम १८ लाख कम्पेसेशन रोल ऐसे होंगे जो कि एक ही कम्पेनसेशन रोल से गाइड होंगे तो थोड़े से आदमियों के पीछे इतने आदमियों की ज़िम्मेदारी को रद्द करना कहां तक उचित होगा। मैं नहीं समझता कि यह ठीक है। मैं समझता हूं कि अगर १८ लाख आदमियों को आप सुविधा पहुंचाये और थोड़े से आदमियों की सुविधा को आप अपने सुपुर्द कर लें तो यह सारी परेशानी जो रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट की होगी वह दूर हो सकती है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा था। मैं माननीय मंत्री जी जो स्वयं इस चीज़ के पंडित हैं, उनसे निवेदन करूंगा और जोरदार शब्दों में कहूंगा कि थोड़ी सी उनकी दिक्कत है मगर इस दिक्कत के कारण आप इतनी बड़ी संख्या की असुविधा को भी सोच लीजिये। इसमें तो यह होना चाहिए कि थोड़े से आदमियों को अगर असुविधा होती है तो उस असुविधा को आप को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं फिर इस पर जोर दूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय। यह बहुत महत्व रखता है। यह छोटे जमींदारों की आवाज़ है।

माल मन्त्री--२० या २२ लाख में से १५ लाख ऐसे हो सकते हैं जो कि एक ही महाल के हिस्सेदार हों। लेकिन यह पता कैसे लगे कि यह आदमी उन १५ लाख में से है या उन बाकियों में से है जिनका हिस्सा कई जगह है। अगर माननीय गुरु नारायण जी इसका कोई गुर बतला दें और इसकी मिसाल दे दें तो मुझे बड़ा हर्ष होगा। हम भी चाहते हैं कि किसी तरह की दिक्कत न हो। परन्तु हमारे सामने कोई ऐसा तरीका इस वक्त नहीं है। इस वक्त ये रूल बन जायं और बाद में मैं उनसे बातचीत करूंगा उस वक्त वे कुछ तरकीब बतला देंगे। मुझे खुशी नहीं है कि इस तरह से किसी को कष्ट हो लेकिन हमारे सामने इस वक्त कोई दूसरा रास्ता इसके सिवाय है नहीं।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम ४० के बाद निम्नलिखित नया नियम ४० (क) लिख दिया जाय :--

"४०-क--(१) प्रतिकर अधिकारी जमींदारी विनाश आकार-पत्र २७ में निम्नलिखित दो नये स्तम्भ जोड़ेगा :

> (१) स्तम्भ १६ (क)--इसका शीर्षक 'पुनर्वासन अनुदान का गुणक' होगा और इस स्तम्भ में वह गुणक लिखा जायगा जिसका कि सम्बन्धित मध्यवर्ती अधिकारी हो।
>
> (२) स्तम्भ १६ (ख)--इसका शीर्षक 'पुनर्वासन अनुदान की मध्यवर्ती को देय धनराशि इस आकार-पत्र का स्तम्भ ५ स्तम्भ १६ (क)' होगा और इस स्तम्भ में पुनर्वासन अनुदान की वह धनराशि लिखी जायगी जो सम्बन्धित मध्यवर्ती को देय हो।

(२) आकार-पत्र २७ में विवरण तैयार हो जाने के बाद प्रतिकर अधिकारी सम्बन्धित मध्यवर्ती को एक प्रमाण-पत्र देगा जिसमें पुनर्वासन अनुदान की वह धनराशि लिखी होगी जो मध्यवर्ती को देय हो। इस प्रमाण-पत्र पर प्रतिकर अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के समक्ष सम्बन्धित मध्यवर्ती द्वारा इस प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर पुनर्वासन अनुदान अदा कर दिया जायगा।

(३) प्रमाण-पत्र मध्यवर्ती को दिये जाने के यथाशीघ्र बाद उसकी एक प्रतिलिपि पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के पास भेज दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और निम्नलिखित विभाजन के पश्चात् अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में ३

श्री कुंवर गुरु नारायण
डा० ईश्वरी प्रसाद
श्री नरोत्तम दास टंडन

विपक्ष में १३

श्री अब्दुल शकूर नजमी
श्री कुंवर महाबीर सिंह
श्री जगन्नाथ आचार्य
श्री ज्योति प्रसाद गुप्त
श्री निज़ामुद्दीन
श्री प्रेम चन्द्र शर्मा
श्री पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार
श्री ब्रज लाल वर्मन (हकीम)
श्री राना शिव अम्बर सिंह
श्री राम नन्दन सिंह
श्री लालता प्रसाद सोनकर
श्री श्याम सुन्दर लाल
श्री सभापति उपाध्याय

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं--

For the existing rule 62 the following be substituted:

62. "Subject to rule 75, the compensation shall be paid in cash."

श्रीमान् जी एक्जिस्टिंग रूल ६२ में यह है कि--

"Subject to rule 75, the compensation will be paid in non-negotiable bonds which will be described as Zamindari Abolition Compensation bonds and will be subject to such and such".

यह जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह इस भवन में कहना है कि जमीन्दारी सिस्टम के ऐबालिशन के बाद उनके लिये यह बहुत बड़े महत्व की चीज है कि जो कम्पेनसेशन दिया जाय, वह उनको कैश दिया जाय या बान्ड में दिया जाय और वह भी नान-निगोशियेबिल बान्ड में दिया जाय। सरकार ने अपने रूल में यह प्रोवाइड किया है कि यह जो कम्पेनसेशन होगा वह उन्होंने नान-निगोशियेबिल बान्ड्स में देना निश्चित किया है। इसी के सम्बन्ध में मेरा यह संशोधन है कि यह कम्पेनसेशन कैश में दिया जाय। मुझे दुख है कि मुझे इस समय यह कहना पड़ता है कि सुबह जिस समय माननीय मंत्री जी मेरे कहने के बाद, बोले अपने प्रस्ताव पर तो उन्होंने यह कहा कि हमारी यह इच्छा थी और हम यह चाहते थे कि जमीन्दारों को हम कम्पेनसेशन कैश में दें और हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि हमको बान्ड्स में उनको देना पड़े। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर यह भी इशारा किया और साफ तौर से कहा कि मैं भी उन व्यक्तियों में से था जिन्होंने देहातों में जाकर के किसानों को यह समझाया कि वह जो भूमिधरी का दस साल का लगान है, वह किसान न दें। क्योंकि उसमें उनका कोई फायदा नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने यद्यपि अपने भाषण में कहा था कि रोष की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन रोष में यह भी कह गये कि दो-दो सौ की मीटिंग्स को पांच हजार और बीस हजार की मीटिंग कह कर प्रचार किया गया। एक तरफ तो यह कि दो-दो सौ की मीटिंग्स और प्रचार हमने बीस-बीस हजार का किया। अगर दो सौ की मीटिंग थी और उसमें हमने प्रचार किया कि दस साल का लगान न दिया जाय तो उसका इतना बड़ा प्रभाव सारे प्रान्त के समस्त किसानों पर पड़ा कि जो दस साल का लगान किसानों को देने को कहा गया था वह उन्होंने नहीं दिया और सरकार की बातों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं आज भी यह कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि अगर किसान ने सरकार को दस साल का लगान नहीं दिया तो उसने यह समझकर नहीं दिया कि जमींदारों ने उससे कहा। यह भी माननीय मंत्री जानते हैं कि जमींदार जब कोई बात किसान से कहेगा तो किसान के

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

हृदय में वह इस तरह की व्यवस्था पैदा कर देता है और जमींदार के कहने में ही उनको सन्देह है और वह इसलिये कहते हैं कि उन्हीं के कहने से किसान ने ऐसा किया। लेकिन जमींदारों के कहने पर उन्होंने यह बात नहीं की बल्कि असल में बात यह है कि जो अधिकार या ट्रान्सफर करने का राइट माननीय मंत्री ने दिया और इसके लिये जो दस साल की पेशगी मांगी, तो उस अधिकार को उस वक्त किसानों ने नहीं चाहा और इसीलिये उन्होंने इस बात को नहीं पसन्द किया न कि इसलिये जमींदारों के कहने से उन्होंने ऐसा किया हो। क्योंकि वे यह समझते थे कि अगर वे दस साल का लगान पेशगी नहीं देते तो गिरफ्तारी और कई दूसरी तरह की डिफिकल्टी किसानों को उठानी पड़ेगी। वैसे किसान इस बात को नहीं मानते थे। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि कोई दूकानदार है, और उसके यहां मिठाई अच्छी बनती है, तो हर शख्स उसके यहां मिठाई खरीदने के लिये पहुंच जायेगा। लेकिन जिसके यहां मिठाई खराब बनती है, उसके यहां कोई नहीं जायेगा। तो इस तरह से उन्होंने यह नहीं उचित समझा कि आप उनसे दस साल का लगान पेशगी ले लें और हमें उसके लिये अधिकार दें क्योंकि इससे लगान उस तरह से अदा नहीं होता था। मैं अब इस समय इस विवरण में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस तरह से दस साल का लगान जमा न कराने में किसान से जमींदारों ने कुछ कहा हो। यह बात भी नहीं कि किसानों ने दस गुना न दिया हो। यह भी आपको मालूम होगा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जितने रुपये और हैं तो वह लगभग ३६, ३७ या ३८ करोड़ के हैं और जो कि किसी से छिपा नहीं है। यहां हाउस में यह सबको मालूम है और यहां कहा गया कि इस दस साल के लगान के वसूली में जो रुपया इकट्ठा किया गया, तो उसके लिये जितनी जबरदस्ती हो सकती थी, उतनी की गई और उनसे रुपया लिया गया तो जिस तरह से उनको परेशान किया गया, वह भी किसी से छिपा नहीं है।

चेयरमैन--इस समय यह कहना असंगत होगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कम्पेनसेशन कैश में देने का सम्बन्ध है और जमींदारों के लिये यह जीवन-मरण का सवाल है। अगर कम्पेनसेशन कैश में नहीं दिया गया तो इसका कारण यह बताया जाता है कि जमींदारों ने किसानों से दस गुना के लिये मना किया, इसलिये अब उनको कैश में नहीं दिया जा रहा है।

माल मंत्री--मैंने ऐसी बात कभी नहीं कही कि कैश में जो नहीं दिया जा रहा है, वह आप लोगों की वजह से नहीं दिया जा रहा है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--जैसा कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मैंने नहीं कहा है, तो उसके लिये प्रोसीडिंग देखी जा सकती है। जहां तक कम्पेनसेशन का सवाल है, वह जमींदारों के लिये बहुत महत्व की बात है। जमींदारों को अब नान-निगोशियेबिल बान्ड्स दिये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त सरकार के पास जो रिपोर्ट आती है तो उनसे मालूम होता है कि उन्होंने पहले कम्पेनसेशन के बाबत क्या कहा था।

अगर रिपोर्ट आती होगी तो उस पर विचार होना चाहिये शायद न भी होता हो लेकिन मैं जानता हूं कि जमींदार छोटे २ देहातों से हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि साहब आप क्या कर रहे हैं सरकार ने कौंसिल और असेम्बली के अन्दर यह पास किया था कि कम्पेन्सेशन कैश में मिलेगा और अब नहीं मिल रहा है उनको मैं क्या जवाब दूं। बड़े आदमियों के लिये कहा जा सकता है कि वह अपना जीवन-निर्वाह कुछ समय तक कर सकते हैं लेकिन वह भी कब तक? स्वाभाविक है कि एक दिन आयेगा जब उनकी सम्पत्ति खत्म हो जायेगी। जो छोटे छोटे जमीन्दार हैं जिनको रुपया कैश नहीं मिलेगा अगर उनको मिल जाता तो वह यह कर सकते थे कि उस रुपये को लेकर किसी किस्म की दूकान खोल लेते या कोई रोजगार कर लेते हालांकि रोजगार में भी कोई फायदा नहीं है लेकिन फिर भी उनको संतोष जरूर हो जाता। जमीन्दार आज व्याकुल हैं उसको कैश कम्पेन्सेशन देना चाहिये। दूसरी चीज यह है कि जो बान्ड दिये जा रहे हैं उनकी कोई वैलू नहीं है अगर निगोशियेबिल होते तो हम समझ लेते कि यह एक हुंडी है और भुनाई जा सकती है। तीसरी चीज सबसे बड़ी यह है जो मैं रखता

हूं कि जमीन्दारों के दिल में यह शंका है और पूरी तरह से शंका है कि यह जो ४० साल के बान्ड हैं ये ४० साल तो छोड़ दीजिये अगले ५ साल तक ही रह जाय तो गनीमत है और ५ साल तक रुपया ले लें यही बहुत है इस शंका से जमींदार वर्ग बहुत परेशान है। अभी आप देखें रूलिंग प्रिंसेज की जो परसेंज थी उनके बारे में भी एक रिजोल्यूशन आया था कि इनको बन्द कर दिया जाय वह तो ये कहिये कि प्रधान मंत्री पंडित नेहरू जी ने कान्ग्रेस कमेटी की बैठक में साफ कह दिया कि यह गलत बात है। इस तरह से यह नहीं बन्द हो सकता ह। लेकिन हालत यह है कि बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी। वह तो समझते हैं जैसे ही एक प्रस्ताव आ जाय कि प्रीवीपर्स खत्म की जाय और वह खत्म हो सकती है इसी तरह से यह भी खत्म हो सकता है। बान्ड्स के बारे में यह हो सकता है कि वह कहे कि हमारी नीति अब बदल गई है। लोगों को प्रेसर अधिक हो गया है हम नहीं दे सकते हैं उसको खत्म कर दिया जायेगा। तो यह ऐसा प्रश्न है कि हर जमींन्दार के जीवन से उसका सम्बन्ध है। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं कि इ स बात पर फिर विचार करना चाहिये इसलिये मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं। आशा कम है कि माननीय मंत्री जो इसको स्वीकार करेंगे लेकिन मैं प्रेस करूंगा कि यह आवश्यक संशोधन है जनता को मालूम होना चाहिये जो हम से कहते हैं, कि हम तो सरकार से आग्रह करते लेकिन सरकार नहीं मानती है इसलिये हम भी बेबस हो जाते हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुंवर साहब ने प्रस्ताव रखा है कि जमीन्दारों को मुआविजा कैश में देना चाहिए उसका विरोध करता हूं। खासतौर से इस वजह से आज जो हमारे सूबे की हालत है। सरकार ने कैश पेमेन्ट के लिये १० गुना वसूल करने का इन्तजाम किया था और इस बात की दरख्वास्त की कि हमको जमीन्दारों को देना है आप लोग दें और आपको देना चाहिये क्योंकि माल मंत्री जी को और सरकार को यह भरोसा था कि लोगों के पास काफ़ी रुपया है और काफ़ी रुपया मिलेगा।

लेकिन जिस समय यह सवाल आया उस समय हमने कहा था कि किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वे लगान का १० गुना दे सकें। आज सुबह भी हमारे माल मंत्री ने कहा कि जितना रुपया वसूल किया गया है उसका ३ गुना हो सकता था यदि कांग्रेस कार्य-कर्त्ताओं ने आलस्य न दिखाया होता। मैं आपके जरिये से कहना चाहता हूं कि हमारे सूबे में जितने किसान हैं उनमें ७२ फ़ीसदी ऐसे हैं जिनके पास खाने पीने के बाद कुछ नहीं बचता। केवल २३ फ़ीसदी ऐसे हैं जिनके पास खाने-पीने के बाद कुछ बच रहता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि हमारे माल मंत्री जी ने भी कही है और जमींदारी ऐबालिशन कमेटी रिपोर्ट में यह बात कही गई है। ऐसी सूरत में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका १० गुना लगान का उसूल ही गलत है। हमारे कुंवर साहब ने कहा कि कैश पेमेंट होना चाहिए। उसका नतीजा यह होगा कि थोड़ा बहुत रुपया जो गांव में पड़ा हुआ है जिससे वे अच्छी खाद खरीद सकते हैं अनाज की पैदावार बढ़ा सकते हैं जिसके न बढ़ने से करोड़ों रुपये का गल्ला बाहर से मंगाना पड़ता है खर्च हो जायगा। ऐसी सूरत में कैश पेमेंट की बात न होनी चाहिए। यदि कैश पेमेंट किया जाय तो क्या सबूत है कि किसानों का जो रुपया प्रोडक्शन में लगता है हमारे जमींदार महोदय उसको प्रोडक्टिव तरीक़े से यानी उपयोगी चीज़ों के पैदा करने में लगायेंगे। प्रोडक्टिव चीजों में वह रुपया लग सके ऐसी उम्मीद नहीं है। यदि रुपया मिला तो हो सकता है कि उसका दुरुपयोग हो। हमारे मुल्क की बहबूदी के लिए कैश पेमेंट की बात नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

माल मंत्री——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात का जिक्र किया था कि अब जमींदार रुपया मांगने के लिए स्टाप्ड हैं। हमारे यहां हिन्दी में कहावत है कि अब मुंह नहीं रह गया है। रुपया मांगने को वे अब नहीं कह सकते कि हमें रुपया नक़द दिया जाय। मैंने साफ कर दिया और उनके कहने का कोई असर नहीं पड़ा। चाहे हमारे जन सेवकों की शिथिलता ही रही हो इसको मैं मानता हूं। मैंने केवल यह कहा था कि यह स्टाप्ड है। वे नहीं कह सकते कि हमको नक़द रुपया दिया जाय। नक़द रुपया देना मैं चाहता था। अब

[माल मंत्री]

भी कोई तरकीब निकल आये तो मैं चाहता हूं लेकिन यह रुपया कहां से आयेगा। उसको माननीय कुंवर गुरु नारायण ने नहीं बतलाया। अभी डेढ़ करोड़ या सवा दो करोड़ रुपया हुआ होगा। १२५ करोड़ या १५० करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। जो हमारा रोजाना का काम है उससे इतना ही रुपया निकल सकता है। आप १२५ करोड़ रुपया निकाल दें यह मुश्किल उतना ही है जैसे बालू में से तेल निकालना। अगर कहीं हो सकता है तो बतलाइये हम तेल निकालें। हमको आप बतलाइये कि फलां जगह से रुपया आ सकता है तो हम आपको देने के लिये तैयार हैं। ऐसी कोई तरकीब नहीं बतलाई गई। क़र्ज़ हम ले सकते हैं तो क़र्ज़ और किसी से लेने के बदले हम आप ही से ले लिये। हमने स्टेट की तरफ से क़रजा आप से लिया है। न तो बम्बई के सेठों से न कलकत्ते के सेठों से आज करजा मिल सकता है इसलिये बाहर से क़र्ज़ नहीं लिया जा सकता है ज़मींन्दारों को बान्ड दिया जाता है उस बान्ड के लिये आपका कहना है कि वे नान-निगोशियेबिल हैं अगर निगोशियेबिल होते तो ठीक होता। इसका मतलब यह नहीं है कि यह ट्रान्सफरेबुल नहीं है। वह ट्रान्सफरेबुल है अगर आप ट्रान्सफर करना चाहते हैं तो जिस तरह से जायदाद ट्रान्सफर होती है उसी तरह से दस्तावेज लिखकर ान्सफर कर सकते हैं। ज़मींदार आवेश में आ सकते हैं और कुछ कारण हो सकता है कि बिना ोचे समझे अपने मन में आया और बान्ड दे दिये। इस तरह से उन ज़मींदारों के हित की बात नहीं है। यह बान्ड निगोशियेबिल और ट्रान्सफरेबुल है। इस तरह से यह उनके फायदे के लिये है। अगर यह नान निगोशियेबिल होता तो उनके शिकायत करने का मौक़ा था लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मुद्राप्रसार होता और इससे भी बाजार के भाव पर बुरा असर पड़ता। इसी तरह का एक और संशोधन है उसको मैंने रूल ७५ में पढ़ा। रूल कहता है कि जितना कैश में हो जायेगा जैसा कि ७५ में वर्णन है उसको छोड़कर बाकी बान्ड्स में दिया जायेगा। मगर आप कहते हैं कैश ही में सब दिया जाय इन सब कारणों से मैं इस संशोधन को मानने के लिये नहीं तैयार हूं और इसका विरोध करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने अभी उपस्थित किया उसके सम्बन्ध में हमारे भाई प्रभु नारायण जी ने और माननीय माल मन्त्री जी ने जो कहा वह बातें हमने सुनीं मगर उनसे हमें संतोष नहीं हुआ। श्री प्रभु नारायण जी ने कहा कि टेनेन्ट्स बेचारे ग़रीब हैं वह कहां से देंगे। १० गुना वह कहां से दे सकते हैं। अगर यह रुपया उनको देना पड़ा तो बड़ी मुश्किल पड़ जायेगी। यह बात हमारे समझ में नहीं आई क्योंकि यहां इस चीज़ का तो सवाल ही नहीं है। अगर हम भाई प्रभु नारायण जी से कहें कि आप अपना मकान हमें दे दीजिये, हम उसकी क़ीमत नहीं देंगे या ४० वर्ष बाद देंगे, तो इस चीज़ को कहां तक आप पसन्द करेंगे। प्रश्न यह नहीं कि रुपया कैसे दिया जाय या कहां से दिया जाय क्योंकि रुपया नहीं है। अगर ऐसा है तो इसके माने हुये कि चाहे किसी की सम्पत्ति हो उसको आप ले लें उसे कुछ देने की जरूरत नहीं। इससे तो कोई नियंत्रण बाजार पर रह ही नहीं जाता। यहां तो मुआवज़े का भी प्रश्न नहीं है। सवाल यहां यह है कि मुआवज़ा जो सरकार की नीति में उचित है उसे कैश में दिया जाय। मगर सरकार उसको कैश में देने को तैयार नहीं है। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि पैसा नहीं है इसलिये नहीं दिया जायेगा। अगर इसी का नाम राष्ट्रीयता है तो ईश्वर ही कल्याण करे इस राष्ट्र का। अभी हमारे माननीय माल मन्त्री जी ने कहा कि जितनी मुखालिफत हम कर सकते थे उसके करने के लिये अब हमारा मुंह नहीं रह गया है कि हम मुआवज़े को कैश में मांगें। मैं माननीय मन्त्री जी से इस भवन के सामने कहना चाहता हूं कि ज़मींदारों के एजीटेशन के सम्बन्ध में जितनी मीटिंगें हुई उनमें कहीं नहीं कहा गया कि १० गुना न दो। जो कुछ हमने कहा वह यह कि सरकार इस प्रकार का क़ानून ला रही है, वह १० साल के लगान को देने को कहते हैं उसके बदले में राइट आफ ट्रान्सफ़र आप को देते हैं। वसूलयाबी के लिये सरकार के नियंत्रण लागू हैं। इस पर हमने यही कहा कि तुम चाहो तो दो या न दो। अगर किसी ने नहीं दिया तो यह समझ कर नहीं दिया कि इस एेक्ट से कोई कल्याण नहीं था।

वहां अगर कोई अच्छी चीज होती है तो उसको छोड़ने के लिये कोई तैयार नहीं होता। अगर मैं लाख कहूं एक अच्छी चीज के लिये कि यह ख़राब चीज है तो कोई भी उसको नहीं छोड़ेगा और अगर किसी बुरी चीज के लिये कहूं कि यह अच्छी चीज है तो उसको लेने के लिये कोई तैयार नहीं होगा। तो इसलिये यह कहना कि हमारा मुंह नहीं है कि हम रुपया मांगें। हमारा मुह तो क्या सरकार का मुंह नहीं है कि जो बात आपने की उससे आप वापस जा रहे हैं। पहिले जब उन्होंने कंपेनसेशन देने के लिये कहा तो पहिले उसमें बड़ी अड़चनें डालीं और बाद में जब आठ गुना देने के लिये कहा तो उसको कैश देने में दुश्वारियां लगा दीं, सरकार की मंशा यह है कि रुपया ही न दे। वह तो एलेक्शन की एक चाल थी। उन्होंने कहा कि ४० वर्ष तक जमींदार लटके रहेंगे और हम ही को वोट देंगे तो क्यों न ऐसा कर दें कि वह हमें वोट दें। हमको त्रिशंकू की तरह लटका दिया गया कि केवल यह सोचकर कि जमींदार कांग्रेस ही को वोट देंगे। यह भी इसमें चाल है। इस तरह का जवाब मैं नहीं समझता हूं कि कैसे माननीय मंत्री जी के मुंह से निकला। माल मंत्री जी को मैं विद्वान आदमी समझता हूं, मैं सोचता था कि वह ऐसी वैसी तक़रीरें नहीं करेंगे, जिसमें किसी प्रकार का हल्कापन साबित हो। जहां आपने कहा कि रुपया कहां से आवे। यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है पहिले तो आपने किसी चीज को बर्बाद कर दिया और अब कहते हैं कि रुपया कहां से आवे। मैं कहता हूं कि आपने क्यों जमींदारी सिस्टम को हटाया। बिहार में भी अबालीशन किया गया है। वहां एक साथ सब इंटरमीडियरी को एक साथ नहीं खत्म किया गया। यहां आपने सब एक साथ खत्म कर दिया और अब कहते हैं कि रुपया कहां से आये। जो ३६ करोड़ रुपया आया उसको आपने क़र्ज़ वगैरह में खत्म कर दिया। बिहार ने यह किया कि जितना रुपया उसके पास था उसी के हिसाब से स्टेट खत्म किया। उन्होंने सब स्टेट्स को एक साथ नहीं लिया जितना हमारे पास धन है उतना ही खर्च कर सकते हैं और उतने ही की योजना बनानी चाहिये। अगर हम अपनी योजना करोड़ों रुपये की बना लेते हैं और हमारे पास रुपया लाखों की तादाद में है तो उसका जवाब भगवान भी नहीं दे सकता है कि रुपया माननीय मंत्री जी के पास कहां से आया, यह चीज मेरी समझ में नहीं आती है कि कहां तक उचित है। अब रहा यह कि नान-नीगोशियेबिल बान्ड्स देने में इन्फ्लेशन का डर है तो मेरा कहना यह है कि इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। अगर आप कोई ग़लत क़ानून बनाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सबजेक्ट्स के ऊपर नहीं आती है। सबजेक्ट्स तो यह चाहता है कि उनके साथ आप न्याय करें। इस तरह की बातें करना दूसरी चीज है कि हमने क़ानून बना दिया, हम रुपया कहां से दे सकते हैं। इन पर ज्यादा बात नहीं की जा सकती है।

कम से कम ऐसी आशा मुझे माननीय चरण सिंह से नहीं थी कि वह कहेंगे कि रुपया कहां से आवे, कहां से न आवे। क्योंकि मैं समझता हूं कि उनका बहुत बड़ा हाथ इस ऐक्ट के बनाने में रहा है उनको ऐसा रिफार्म करने की इच्छा बहुत दिनों से थी, लेकिन यह जान कर मुझे दुख होता है कि इच्छा तो उन्होंने जरूर पूरी की, लेकिन यह कार्य न्याय के साथ नहीं किया। बहरहाल मैं अपने संशोधन को प्रेस करना चाहता हूं और मैं माननीय माल मंत्री से एख्तलाफ राय रखता हूं।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम ६२ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"नियम ७५ को बाधित न करते हुये प्रतिकर नक़द अदा कर दिया जायगा।"

श्री कुंवर गुरु नारायण--यह संशोधन कम्पेनसेशन से सम्बन्धित है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि लिखित विभाजन किया जाय। मैं भवन का समय बेकार नष्ट नहीं करना चाहता हूं, जिसमें जरूरी समझता हूं कि विभाजन हो उसके लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि लिखित विभाजन किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और निम्नलिखित विभाजन के पश्चात् अस्वीकृत हुआ।)

पक्ष में २

श्री कुंवर गुरु नरायण
श्री नरोत्तम दास टंडन

विपक्ष में १७

श्री अब्दुल शकूर नजमी
श्री कुंवर महावीर सिंह
श्री जगन्नाथ आचार्य
श्री ज्योति प्रसाद गुप्त
श्री निजामुद्दीन
श्री प्रभु नारायण सिंह
श्री प्रेम चन्द्र शर्मा
श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार
श्री ब्रज लाल वर्मन (हकीम)
श्री मानपाल गुप्त
श्री राना शिव अम्बर सिंह
श्री राम नन्दन सिंह
श्री लालता प्रसाद सोनकर।
श्री विश्वनाथ
श्री शिव सुमरन लाल जौहरी
श्री श्याम सुन्दर लाल
श्री सरदार संतोष सिंह

सदन का कार्यक्रम

चेयरमैन--५ बज गये हैं। कौंसिल स्थगित करने से पहले मुझे एक कागज मिला है, जिसमें १० सदस्यों के हस्ताक्षर है। वे चाहते हैं कि कौंसिल २५ सितम्बर को न हो कर ६ अक्तूबर को हो। लेकिन २५ तारीख को फाइनेन्स मिनिस्टर सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट को पेश करने वाले हैं और इसके लिये वह दिन गवर्नर ने भी तय किया है। इसमें कैसे अन्तर किया जा सकता है?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--इसमें फर्क जरूर होगा। सप्लीमेंटरी ग्रान्ट असेम्बली में भी परसों नहीं पेश किया जायेगा। उसके लिये दूसरा आर्डर आ रहा है। सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स दोनों जगह एक साथ पेश होते हैं। अगर वहां कल पेश होंगे तो यहां भी कल हो जायेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--परसों नान आफिशियल डे होगा। मैंने पिछले नान-आफिशियल डे को कहा था कि आज ही मेरे रिज्योलूशन को ले लिया जाय तो उस दिन माननीय मंत्री ने कहा था कि अगले नान-आफिशियल डे यानी २५ तारीख को लिया जायेगा। यह जरूरी मामला है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--फूड का अहम मामला है उस पर पहले बहस होनी चाहिए थी। अगर आप फूड पर २४ तारीख को बहस करने के लिये तैयार है तो मेरा कोई एतराज नहीं है कि २५ को सेशन हो।

चेयरमैन--प्रायः जो प्रोग्राम तय किया जाता है उसे पूरा करना चाहिये। लेकिन यह बात हाउस के हाथ में है। अगर सदस्य किसी दिन बैठना न चाहे तो चेयर कैसे इसरार कर सकती है।

मैं हाउस की राय जानना चाहता हूं। जो प्रोग्राम पहले तैयार किया जा चुका है उसी के मुताबिक होगा या उसमें कुछ परिवर्तन आप लोग चाहते हैं? मैं अन्य सदस्यों की राय मालूम करना चाहता हूं कि वे फूड डिबेट २५ तारीख को चाहते हैं या ६ तारीख को चाहते हैं। लीडर आफ दी हाउस की क्या राय है।

वित्त मन्त्री--जनाब वाला, मुझे तो किसी बात में कोई एतराज नहीं है, चाहे २५ तारीख को लिया जाय या ६ तारीख को लिया जाय।

श्री कुंवर गुरुनारायण—मानतीय अध्यक्ष, जब लीडर आफ दि हाउस को कोई एतराज नहीं है तो फिर २५ तारीख को ही लिया जाय। यह मामला असेम्बली में डिसकस हो चुका है, इसलिए जल्दी ही इस सदन को भी अपनी राय जाहिर कर देना चाहिए। फूड का मसला एक बहुत जरूरी मसला है इसलिए इसमें देर करना कोई उचित बात नहीं मालूम होती है। श्रीमान्, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इसके लिए २५ तारीख को ही डिस्कशन की इजाजत दे दें।

श्री कुंवर महावीर सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, २५ तारीख और ६ तारीख में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।

चेयरमैन—जिन सदस्यों ने अपनी राय दे दी है उनके बारे में तो मालूम हो चुका है। लेकिन इसके अलावा जिनके नाम मेरे पास नहीं आये हैं उनकी राय मैं मालूम करना चाहता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—अगर २५ तारीख को नहीं हो सकता है तो २४ तारीख को ही इस पर डिस्कशन कर लिया जाय।

चेयरमैन—२३ और २४ तारीख तो रूल्स के बहस के लिए रखी गई हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि फूड पर डिबेट कब हो।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि जो बात पहले तय हो चुकी है उसको फिर बदला जाय। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि फूड पर २५ तारीख को ही डिस्कशन हो।

चेयरमैन—यह तो ठीक है। लेकिन यहां पर कोई किसी का अधिकार तो नहीं ले रहा है। क्या यह आम राय है कि फूड डिबेट ६ तारीख को लिया जाय ?

श्री हकीम बृजलाल वर्मन—लोग इतनी सी छोटी चीज के लिये इसरार करते हैं यह तो ठीक बात नहीं है और इसके लिये हम यह चाहते हैं कि यह २५ को ही होने दिया जाय।

चेयरमैन—जो प्रोग्राम बन जाता है, उसको पूरा करना चाहिये यह हमारा प्रोसीजर है और चूंकि एक प्रोग्राम बन गया है तो उसको पूरा करना चाहिये। अगर किसी को इसमें एतराज न हो तो इस प्रोग्राम को पूरा होने दिया जाय।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—मेरे ख्याल में सभी सदस्यों की यही राय है कि ६ तारीख को लिया जाय और मैं भी यही चाहूंगा कि अगर ६ तारीख को फूड डिबेट लिया जाय तो बेहतर होगी।

चेयरमैन—मैं जनरल सेन्स यही समझता हूं कि माननीय सदस्य २५ को बैठना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी यह मसला कल तय होगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—I claim the protection of the Chair. I have given notice of important amendments and want to move them. I can assure you that I do not want to prolong the debate simply because they should be taken on the 25th, Some of the members want to run away.

चेयरमैन—If the members do not want to meet the Chair cannot force the House to meet. The Council will be meeting tomorrow and the question will be decided then.

कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ५ बज कर २० मिनट पर दूसरे दिन, २४ सितम्बर, १९५२ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ.
२३ सितम्बर, १९५२

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० यस० यू० पी०—६१ एल० सी०—१९५२—८३०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौन्सिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५३)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डा०
उमानाथ बली, श्री
कुंवर गुरु नारायन, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रतापचन्द्र आज़ाद, श्री
प्रभुनारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मानन्द सिंह, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डा०
बद्रीप्रसाद कक्कड़, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बेनी प्रसाद टण्डन, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हक़ीम)
बृजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हर गोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मन्त्री भी उपस्थित थे :--

श्री सैयद अली ज़हीर (न्याय मंत्री)।
श्री चरण सिंह (माल मंत्री)।
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)।

प्रश्नोत्तर

१—४—श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—[वर्तमान बैठक के तीसरे सोमवार के लिये रक्खे गये]

आदित्य नारायण हायर सेकेन्डरी स्कूल, बनारस के अध्यापकों का स्थायी किया जाना

५—श्री राम नन्दन सिंह—(क) क्या शिक्षा मन्त्री को यह ज्ञात है कि आदित्य नारायण हायर सेकेन्डरी स्कूल के कुछ अध्यापकों को, जो विलीन काशी राज्य की सरकार के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं, स्थायी नहीं किया गया ?

(ख) क्या इन अध्यापकों की शिक्षा और योग्यता उत्तर प्रदेश के ६० अध्यापकों के समान है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हर गोविन्द सिंह)—(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

श्री रामनन्दन सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको स्थायी करने में कौन सी कठिनाई है ?

शिक्षा मंत्री—जब तक वह चीज़ शेडयूल आफ न्यू डिमान्ड में नहीं रखी जाती तब तक उनको स्थायी नहीं किया जा सकता ।

श्री रामनन्दन सिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इसका असर उनके वेतन और वार्षिक क्रमोन्नति पर नहीं पड़ेगा ?

शिक्षा मन्त्री—जो अस्थायी हैं उन पर असर पड़ना लाज़िमी है ।

६—श्री रामनन्दन सिंह—यदि हां तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री—अभी सब पद अस्थायी रूप से सृजित किये गये हैं ।

मेरठ कालेज की एल० टी० कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश

७—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—(क) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आया यह सच है कि मेरठ कालेज से सम्बद्ध एल० टी० कक्षाओं में प्रवेशों की संख्या इस वर्ष ६० तक ही सीमित रखी गई है जबकि पिछले वर्ष वह ६८ थी ?

(ख) इस बंधन का कारण क्या है ?

7. **Sri Jyoti Prasad Gupta:** (a) Will the Minister for Education kindly state whether it is a fact that the number of admission to the L. T. classes attached to the Meerut College has been restricted to 60 this year as against 68 last year ?

(b) If so, what is the reason for this restriction ?

शिक्षा मन्त्री—(क) इस वर्ष संख्या ६८ से घटा कर ६३ कर दी गयी थी, परन्तु कुल ५९ छात्र ही प्रविष्ट हुए, क्योंकि इससे अधिक छात्र उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) प्रशिक्षण कार्य को उचित प्रकार से चलाने के लिए छात्रों की संख्या अधिक होना ठीक नहीं है ।

Education Minister (Sri Har Govind Singh): (a) The number was reduced this year from 68 to 63; but actually only 59 candidates were admitted, as suitable candidates were not available in greater number.

(*b*) In order to carry on the work of training efficiently, it is not proper to have an unwieldy number of candidates.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि कालेज अथारिटी ने लिखा है कि इतनी संख्या में कठिनाई पड़ती है ?

शिक्षा मंत्री—इसका उत्तर दे दिया गया है कि ६८ के बजाय इस साल ६३ निश्चित किया है, लेकिन इतने भी लड़के नहीं आये हैं। इसके लिये कोई क्या कर सकता है।

८—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या सरकार इस दृष्टि से कि इन कक्षाओं में प्रवेशों की संख्या अधिक होती जा रही है इस बन्धन को हटाने के लिये तैयार है ?

8. **Sri Jyoti Prasad Gupta**: Is the Government prepared to remove this restriction in view of the great rush for admission to these classes ?

शिक्षा मन्त्री—जी नहीं।

Education Minister :—No, Sir.

राज्य सरकार द्वारा छोटे पैमाने के धन्धों और कुटीर उद्योगों का समीकरण और विकास

९—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—(क) क्या सरकार ने इस राज्य में छोटे पैमाने के धन्धों और कुटीर उद्योगों के समीकरण और विकास के लिये कोई संघ स्थापित किया है ? यदि नहीं तो क्या वह अब ऐसा करना चाहती है और कब ?

(ख) क्या सरकार राज्य में ऐसे उद्योगों की विस्तृत जांच करना चाहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस काम के लिये कोई योजना बनाई है ?

(ग) क्या सरकार ने इस राज्य में बड़े छोटे तथा कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई जाने वाली चीजों की हदबन्दी के बारे में कोई तजवीज केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ?

(घ) यदि ऐसा है तो क्या सरकार उनको मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

(ङ) क्या सरकार इस भवन को उन पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने का इरादा रखती है ?

(च) यदि नहीं तो क्या सरकार ऐसी तजवीजें बनाना चाहती है और कब ?

(छ) क्या सरकार इस राज्य में ऐसे उद्योगों के विकास के लिये अपनी योजना बनाने में किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति से सहायता लेने का विचार रखती है, यदि हां, तो किस प्रकार ?

9. **Sri Jyoti Prasad Gupta** : (*a*) Has the Government set up any organisation for the co-ordination and development of small scale and Cottage Industries in this State ? If not, does it propose to do so and when ?

(*b*) Does the Government propose to carry on a detailed survey of such industries in this State ? If so, has it framed any scheme for this purpose ?

(*c*) Has the Government made any proposals to the Central Government for the demarcation of fields of production in respect of large scale, small scale and Cottage Industries in this State ? If so, will the Government kindly place them on the table ?

(*d*) Does the Government propose to give an opportunity to this House for expression of its views thereon ?

(e) If not, does the Government propse to formulate any such proposals and when?

(f) Does the Government propose to associate any non-officials in framing its scheme for the development of such industries in the State? If so, in what way?

शिक्षा मंत्री—(क) जी हां, इस राज्य में एक पूर्ण विकसित काटेज इन्डस्ट्रीज़ डायरेक्टरेट है। इसके अलावा सरकार ने यू० पी० स्माल स्केल ऐंड काटेज इन्डस्ट्रीज़ ऐडवाइज़री कमेटी की स्थापना की है।

(ख) सरकार ने भूत काल में कुछ उद्योगों की जांच कराई है और अब भी कुछ मुख्य कुटीर उद्योगों की जांच करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अभी यह प्रश्न नहीं उठता। परन्तु सरकार ऐसे मामलों में सदन के विचारों का सदा स्वागत करती है।

(च) वही उत्तर जो (ग) में है।

(छ) सरकार द्वारा स्थापित ऐडवाइज़री कमेटी में कई गैर सरकारी व्यक्ति हैं जो सरकार को काटेज और स्माल स्केल उद्योगों की विभिन्न समस्याओं पर अपने सुझाव देते हैं। इसके अलावा इन्डस्ट्रीज़ पर लेजिस्लेचर की एक अन्य स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें गैर सरकारी सदस्य हैं।

Education Minister—(a) Yes. There is a full fledged Directorate of Cottage Industries. In addition, Government have appionted the U. P. Small Scale and Cottage Industries Advisory Committee.

(b) Government have in the past carried on surveys of some industries and have at present under consideration the proposal of carrying on a survey of some of the important cottage industries of the State.

(c) The matter is being considered.

(d) The question does not arise.

(e) At this stage, this does not arise. But Government alway welcomes the views of the House in such matters.

(f) Same as in (c).

(g) There are Several non-official members on the U. P. Small Scale and Cottage Industries Advisory Committee appointed by Government, which advises Government on different matters connected with the development of Cottage and small scale industries of the State. The Standing Committee of the Legislature on Industries is another body comprising of non-officials.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ ऐडवाइज़री कमेटी हैं उसके सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री—यदि आप चाहें तो मेरे दफ्तर में आ करके देख सकते हैं।

प्रसाद—क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस ऐडवाइज़री कमेटी में कोई इस

र है ?

शिक्षा मन्त्री--इस वक्त यह सूचना मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मेरे दफ्तर में आकर के देख सकते हैं।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--क्या कभी इस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ?

शिक्षा मन्त्री--इसकी कोई निश्चित रिपोर्ट नहीं है। यह कमेटी अपनी बैठक करती रही है और उसमें मामलों पर बहस करती रही है।

यदि आप आज्ञा दें तो कमेटी के सदस्यों की लिस्ट जो मेरे पास है, उसे पढ़ कर सुना दूं।

The Composition of the Board is as follows :

Ex-Officio :

(1) Secretary to Government, U. P., Industries Department
(2) Refugee Commissioner, U. P., Lucknow.
(3) Director of Resettlement and Employment, Lucknow.
(4) Sri Paul Telco, Advisor to Government for Light Industries.
(5) Secretary to Government, U. P., Public Works Department.
(6) Registrar, Co-operative Societies, U. P., Lucknow.
(7) Director of Cottage Industries, U. P., Kanpur.

Non-Official

(8) Srimati Sucheta Kripalani, M. L. A.
(9) Srimati Prabha Bannerji, Allahabad.
(10) Chaudhary Mukhtar Singh.
(11) Sri Ram Swarup Gupta, M. L. A.
(12) Sri Vichitra Narain Sharma
(13) Sri C. M. Sukhia, General Manager, Dayal Bagh Industries Agra.
(14) Sri Madan Mohan Singh, Ghazipur.
(15) Sri Jagan Nath Prasad Srivastava, Allahabad.
(16) Sri Akshay Kumar Karan, Banaras.
(17) Sri B. N. Gupta, New Delhi.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नाम अभी उन्होंने अंग्रेजी में पढ़े हैं, वह तो पुराने नाम हैं, उसमें अब सरकार कुछ तब्दीली करेगी?

शिक्षा मन्त्री--इसमें जो स्थान रिक्त हैं उनकी पूर्ति अवश्य होगी।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--क्या सरकार का उसमें कौंसिल के किसी सदस्य को लेने का विचार है ?

शिक्षा मन्त्री--इसमें पहले कौंसिल के एक सदस्य थे, जो अब मिनिस्टर हो गये हैं, अब सरकार इसके लिए विचार करेगी।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--सरकार जो विचार कर रही है वह कब तक खतम हो जायगा ?

शिक्षा मन्त्री--इसमें गवर्नमेंट आफ इन्डिया की सलाह की आवश्यकता है इस कारण सम्भव है कि समय लग जाय। लेकिन इसको जल्दी करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री ज्योतिप्रसाद गुप्त--राज्य के उद्योगों की विस्तृत जांच करने की सेन्ट्रल गवर्नमेंट को क्या जरूरत है। इसकी जांच कब तक की जायगी ?

शिक्षा मन्त्री—हां, इसमें जल्दी की जायगी।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या मैं इस उत्तर से यह समझूं कि ऐसी कोई तजवीज अभी भारत सरकार ने नहीं भेजी है ?

शिक्षा मन्त्री—इसके बारे में पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या माननीय मंत्री इस पत्र-व्यवहार को इस हाउस के अन्दर रखने की कृपा करेंगे।

शिक्षा मन्त्री—जी नहीं।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—"सरकार ऐसे मामलों में सदन के विचारों का स्वागत करती है"। इस स्वागत का आशय क्या मैं यह समझूं कि सरकार इस प्रश्न पर हाउस को डिस्कशन का मौका देगी ?

शिक्षा मन्त्री—यदि आवश्यकता होगी तो डिस्कशन का मौक़ा दिया जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य शारीरिक तथा अर्द्ध सैनिक शिक्षा योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार का मत तथा उत्तर

१०—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी आया कोई योजना केन्द्रीय सरकार से अनिवार्य शारीरिक और अर्द्ध सैनिक शिक्षा के बारे में सरकार का मत जानने के लिये यहां आई है और क्या इसका उत्तर भेज दिया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार उन योजना और उसके बारे में अपना उत्तर मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

10. **Sri Jyoti Prasad Gupta** :—(*a*) Will the Government kindly state whether any scheme for compulsory physical and semi-military training has been received for opinion from the Government of India and whether any reply to the same has been sent ?

(*b*) If so, will the Government be pleased to put the scheme and their reply thereto on the table ?

शिक्षा मन्त्री—(क) जी हां। अभी कोई उत्तर नहीं भेजा गया है।

(ख) योजना अभी विचाराधीन है ?

Education Minister :—(*a*) Yes. No reply has yet been sent.

(*b*) The scheme is still under consideration.

राज्य में सुरक्षा सम्बन्धी बड़े कारखानों की स्थापना

११—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस राज्य में कोई बड़े सुरक्षा सम्बन्धी कारखाने के स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से बातचीत हो रही है ?

यदि ऐसा है, तो इसके बारे में क्या कोई निर्णय हो चुका है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से यह तजवीज करने का इरादा रखती है कि वह अपने ऐसे कारखानों के विस्तार सम्बन्धी योजना के सिलसिले में इस राज्य में कोई बड़ा सुरक्षा सम्बन्धी कारखाना क़ायम करें ?

11. **Sri Jyoti Prasad Gupta** :—Will the Government kindly state whether any negotiations are going on with the Central Goverament regarding the establishment of some vital defence industry in this State ? If so, has any decision been arrived at ? If not, does the

Government intend to make a proposal to the Central Government for locating some vital defence industry in this State in their scheme of expansion of such industries ?

शिक्षा मन्त्री—जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है। तीसरे भाग का भी उत्तर नहीं में है।

Education Minister

(*a*) No.

(*b*) No.

(*c*) No.

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या इस प्रश्न के उत्तर से मैं यह समझूं कि राज्य में कोई डिफ़ेन्स इन्डस्ट्री क़ायम नहीं होगी ?

शिक्षा मन्त्री—इससे यह मतलब नहीं निकलता है।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि वह डिफ़ेन्स इन्डस्ट्री क़ायम करने के लिए भारत सरकार से प्रार्थना करे ?

शिक्षा मन्त्री—चूंकि यह चीज भारत सरकार के क्षेत्र में आती है इस कारण वही इस चीज को लायेगी।

१२-१३—श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन—[स्थगित किए गये]।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद

चेयरमैन—अब सन् १९५२ ई० की उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार जारी रहेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रूल ६२ में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं।

That for the existing rule 62 the following be substituted

"62. Subject to Rule 75 the compensation will be paid in negotiable bonds which will be described as Z A. Compensation Bonds and will be subject to the provisions of the Public Debt Act, 1944 (XVIII of 1944) and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

इसके बाद का जो हिस्सा है वह मैं नहीं प्रस्तुत करना चाहता हूं यानी "दीज प्राविजन्स" से लेकर "फो" तक का हिस्सा मैं छोड़ देना चाहता हूं। श्रीमन्, इस ६२ रूल में सरकार ने यह निश्चित किया है कि जो कम्पेनसेशन बान्ड्स में दिये जायेंगे, वह नान निगोशियेबुल बान्ड्स होंगे। मुझे यह संशोधन इसलिये लाना पड़ा कि जमींदारों को जो बान्ड्स दिये जायंगे वह निगोशियेबुल हों, ताकि जमींदार उनको भुना सकें और विशेषकर इसलिये इसकी आवश्यकता पड़ी कि सरकार का स्वयं यह ख्याल था और जैसा कि अक्सर कहा भी गया था और माननीय मंत्रियों ने भी कहा था कि जो छोटे जमींन्दार होंगे यानी जो ढाई सौ से कम की मालगुजारी देने वाले जमींदार होंगे, क्योंकि यही जमींदार छोटे जमींदारों की गणना में आते हैं, तो उनको सरकार इस प्रकार कन्ट्रेमप्लेट कर रही है कि वह पेमेंट कैश में हो। लेकिन जो सरकार ने कैश के लिये नियम बनाया उसमें तो सिर्फ इतना ही रक्खा कि जो हार्ड कैश पेमेंट होगा, किसी इन्टरमीडियरीज को, वह ५० रुपये से अधिक न होगा। अब ५० रुपया जिनको कम्पेनसेशन दिया जायेगा उन जमींन्दारों की जो मालगुजारी होगी, जो रेवेन्यू होगा, वह औसतन जो हिसाब लगाया गया तो वह ५ रुपया ५ आने के क़रीब पड़ती है और जिनकी तादाद उनमें से ८ लाख की तकरीबन होती है। तो अगर हम २२ या २३ लाख जमींदार हैं, जैसा कि जमींदारी एबालिशन कमेटी

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

की रिपोर्ट में है, जो ५ वर्ष पहले के आंकड़े हैं और अब तो वे उससे भी ज्यादा हो गये होंगे क्योंकि अब तो उनके परिवार भी बढ़ गये होंगे और इस कारण से अब तादाद पहले से ज्यादा हो गई होगी। यह तो पुरानी फीगर हैं। तो इनको निकाल देने के बाद भी १५ लाख या इससे अधिक जमींदारों को जो मुआविजा मिलेगा वह कैश नहीं मिलेगा, बल्कि बान्डस में मिलेगा और इन १५ लाख जमींदारों में से ५ रुपये ५ आने से ऊपर जो पेमेन्ट करने वाले होंगे यानी २५ तक होंगे उनको भी कैश कम्पेनसेशन नहीं मिलेगा, उनको भी नान निगोशियेबुल बान्ड्स दिये जायंगे। तो श्रीमान्, यह जाहिर है कि जहां तक बड़े जमींदारों का सम्बन्ध है, यह बात समझ में आ सकती है कि चूंकि मुआविजा ज्यादा है, मगर औरों को तो ज्यादा परेशानी होगी अपना कम्पेनसेशन लेने में और इस तरह से बड़े जमींदारों के लिये तो कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन उन छोटे जमींदारों को जिनको कि ६० रुपये ७०, १०० या १५० रुपये कुल कम्पेनसेशन मिलने वाला है, उनको निगोशियेबुल बान्डस अगर सरकार ने नहीं दिया, तो बड़ी परेशानी होगी। बल्कि कल मैंने संशोधन के द्वारा कहा था कि उनको कैश कम्पेनसेशन देना चाहिये लेकिन, अगर उनको कैश कम्पेनसेशन नहीं दिया जाता और अगर निगोशियेबुल बान्डस भी नहीं दिया गया, तो बहुत बड़ी दुश्वारियां उनके सामने पड़ जायेंगी। माननीय मंत्री जी ने कल जब कि वह भाषण कर रहे थे, यह कहा कि बान्डस तो नान निगोशियेबुल हैं, मगर साथ ही ट्रान्सफरेबुल कर दिये गये हैं और ट्रान्सफरेबुल होने के कारण वह बान्डस कोई भी जमींदार किसी दूसरे को दे सकता है। लेकिन अगर इस पर विचार किया जाय, तो असल में बान्डस के ट्रान्सफरेबुल का सवाल जब होता है और जब कोई शख्स किसी चीज को ले लेता है और वह तभी लेता है जब कि उसकी कोई वेल्यू हो। मार्केट वेल्यू नान निगोशियेबुल बान्डस की नहीं रहेगी और अगर कोई वेल्यू हो सकती है तो वह सिर्फ निगोशियेबुल बान्डस की हो सकती है। तो इसलिये नान निगोशियेबुल बान्डस का कोई सवाल ही नहीं होगा। यह मुमकिन हो सकता है कि बहुत से छोटे जमींदार हैं और उसका परिणाम यह होता है कि जिनको ६०, ७० और १०० रुपया कम्पेनसेशन मिलने वाला है और उनके पास ये बान्डस हैं वे बड़े जमींदारों के नाम मुन्तक़िल हो जायें मैं तो कहता हूं कि इन बातों की वेल्यू ही नहीं होगी। थोड़ी देर के लिये अगर मान लिया जाय कि उसकी वेल्यू होगी, तो उसका परिणाम यह होगा कि छोटे जमींदारों को जो कम्पेनसेशन मिलने वाला है तो वह उतना भी नहीं मिल पायेगा, जितना मिलना चाहिये और वह मुन्तक़िल हो जायेंगी। अगर ६० रुपये का बान्डस है, तो उसके लिये यानी डेढ़, दो रुपये के लिये उसे तहसील जाना पड़ेगा और अगर वह बान्डस किसी दूसरे के नाम लिख दिया गया, तो वह उससे १०, २० रुपया स्वाभाविक है घटवा लेगा। तो इसका परिणाम यह होगा और इस तरीक़े से वह बेचारे छोटे जमींदार, जिनके लिये सहायता देने के लिये यह बान्ड्स दिये जायेंगे वह उससे महरूम हो जायेंगे और उनका नुक़सान होगा फिर उसका भी नुक़सान होगा जो उनको लेगा। एक तो मैं समझता हूं कि कोई लेगा नहीं। मान लीजिये किसी बड़े जमींदार ने ले लिया और सोचा कि १० या ५ साल के बाद देखा जायेगा तो उनको भी कोई ख़ास फायदा न होगा। असल चीज यह है और सरकार का भी यही उद्देश्य था और मेरा भी यही है कि जो कम्पेनसेशन नियत किया गया है उनके लिये जो ज्यादा मालगुज़ारी देते हैं और जिनको ज्यादा कम्पेनसेशन मिलता है उनको तो किसी तरह भी दिया जाय यह वह अपना खर्च किसी तरह से चला सकते हैं, लेकिन उन छोटे जमींदारों को जिनका टोटल कम्पेनसेशन ६० या ७० रुपया है उनको नाननिगोशियेबिल बान्ड्स देना मेरे विचार से उससे उनको नुक़सान होगा और उनकी परेशानी और बढ़ जायेगी। इस समय मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह मसला २, ४ लोगों का नहीं है यह चीज ज्यादा लोगों के लिये लागू होगी। उनकी तादाद १६ या १७ लाख है और इससे भी ज्यादा होगी जिनका आश्रय अपनी सब सम्पत्ति खो कर ६० या ६५ रुपया मिलने पर होगा। तो उनको भी कैश न देना सरकार के लिये उचित न होगा। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि मैं निगोशियेबिल बान्ड्स देना चाहता हूं और कैश भी देना चाहता हूं, लेकिन हमको रुपया नहीं वसूल हुआ जिसकी वजह से हम कैश नहीं दे पा रहे हैं। हम निगोशियेबिल बान्ड्स देना चाहते

लेकिन हमारे सामने दुश्वारियां हैं, रिजर्व बैंक हमको परमिट नहीं करता कि हम निगोशियेबिल बान्ड्स जारी करें, क्योंकि इससे इनफ्लेशन बढ़ेगा। इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं हो सकता है। केवल यही उत्तर है कि आप को ऐसी सीमा के जमींदारों को लेना चाहिये या जिस सीमा तक इनफ्लेशन न बढ़ता और आप निगोशियेबिल बांडस दे सकते। लेकिन जो यह दुश्वारियां हैं उनके लिये सरकार विचार करे और ग़रीब जमींदार जो ५० या ६० रुपया पाने वाले हैं उनको अगर कैश में न दिया जा सके तो उनको नुक़सान होगा और उनके प्रति अन्याय होगा इसलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है कि यह जो बान्ड्स हैं वह निगोशियेबिल हों। मैं यह नहीं कह सकता कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा सरकार का कथन है माननीय मंत्री जी ने पहले भी कहा था कि छोटे जमींदार जो हैं उनको कैश कम्पेनसेशन पेमेन्ट किया जाय और उसके लिये सरकार ने १० साल का लगान वसूल करने की योजना भी बनाई थी और उनका विश्वास था कि वह इस रक़म को वसूल कर लेंगे और वह छोटे जमींदारों को दे दिया जायेगा। अब अगर उनको कैश नहीं दिया जा सकता है तो नान-निगोशियेबिल बांड्स उनको देना उचित नहीं है और इस तरह से छोटे जमीन्दारों को परेशानी उठाना होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इस संशोधन को मैं बहुत महत्व देता हूं और इसको उपस्थित करता हूं।

***माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)**--माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे चलकर एक नियम है ६८ जिसमें सरकार को अधिकार है कि जब उसके पास रुपया हो जाय तो उसे ४० वर्ष तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जब उसकी स्थिति इजाज़त दे तो वह फौरन बांड्स को रिडीम करने की कोशिश करे। जहां तक छोटे जमींदारों की बात है रूल ६७ के मुताबिक उसकी मंशा यह भी है कि जब रुपया हो तब पहिले छोटे जमींदारों के बांड्स का रिडम्प्शन किया जाय। यह हमारी नियत का सबूत है कि हम रुपया देना चाहते हैं छोटे और बड़े दोनों को। जब हमारी स्थिति इजाज़त देगी तो पहिले हम छोटे जमींदारों को देंगे। वायदा तो सब जमींदारों के लिए था, लेकिन क्योंकि छोटों के साथ सबकी हमदर्दी होती है हम भी पहिले छोटे जमींदारों को ही देंगे। यही हमारी नियत है। कुवर गुरु नारायण का कहना है कि सब के सब बांड्स निगोशिएबिल क्यों न कर दिये जायं। इसका जवाब पहिले दिया जा चुका है। इसका उत्तर यही है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जायगा। हर चीज़ के दाम बहुत बढ़ जायेंगे और इससे सारे प्रदेश को हानि पहुंचेगी। जब किसी चीज़ में मजबूरी हो तो नियत का सवाल ही कहां उठता है। हम ने ज़मींदारी खत्म की जनता के हित में। उससे कुछ ज़मींदार भाइयों को तकलीफ हुई। लेकिन जब कोई क़ानून बनता है तो कुछ को तो हानि पहुंचती ही है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने कहा और यहां भी ज़िक्र किया जा चुका है कि इन सब बातों को हमारे ज़मींदार भाइयों को गुड फेथ में लेना चाहिए। यह कहा जाता है कि ज़मींदारी अबालीशन से लोगों को हानि हो रही है। बहुत से तो ऐसे ज़मींदार हैं जो केवल रेंट रिसीवर्स हैं। जो बहुत छोटे ज़मींदार हैं बेशक उनको मुआविज़ा थोड़ा ही मिलेगा लेकिन ये लोग केवल अपनी गुजर बसर लगान पर ही नहीं करते थे। उनको जो लगान मिलता था वह सब्सीडियरी इनकम के तौर पर था। उनका सोर्स आफ इनकम दूसरा भी था। शहरों में हो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई काम एक साथ करते हैं अपनी गुजर बसर के लिए। ऐसे लोगों को या तो ज़मींदारी मिली विरासत में या उनके पास पहिले से चली आ रही है जोकि उनके सब्सीडियरी इन्कम का ज़रिया है। इन लोगों को तो हानि होती नहीं है। जहां तक बड़े ज़मींदारों का ताल्लुक़ है उन लोगों को मुआविज़ा इतना मिल जायगा कि जिससे उनकी गुजर बसर आसानी से हो सकती है।

बेशक उनका जो लिविंग स्टैन्डर्ड है वह क़ायम नहीं रहेगा। लेकिन जो लाखों करोड़ की बात कही जाती है वह ग़लत है। क्योंकि ६ लाख ९७ हज़ार आदमियों को छोड़ कर एक

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[माल मंत्री]

लाख बत्तीस हज़ार फैमली और होती है। उनकी हालत और जो जमींदार हैं उनके पास ख़ुदकाश्त है। इसके अलावा जो और जमींदार हैं उनके पास दूसरी आमदनी है।

श्री कुंवर गुरु नारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो छोटे जमींदार हैं उनके पास कोई न कोई व्यवसाय जमींदारी के अलावा और भी शहरों में और टाउन में हो सकता है। इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। यह चीज़ अगर बड़े जमींदारों की है तो जिनके पास कुछ पूंजी है जो पूंजी लगा कर कहीं व्यवसाय कर सकता है तो मैं उसको मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन जो छोटे जमींदार हैं और जिनको ६० या ७० रुपया कम्पेनसेशन मिलेगा, उनके पास कोई दूसरा व्यवसाय करने के लिये है तो यह बात सही मालूम नहीं होती है। उनकी आमदनी सीमित रही और उसी आमदनी में वे अपना भरण-पोषण करते रहे तो उनके लिए यह अनुमान कर लेना कि उनके पास ऐसा कोई तरीक़ा होगा कि ये कहीं न कहीं कुछ करते रहेंगे। यह चीज़ किस तरीक़े से सही कही जा सकती है। ये कितने आदमी हो सकते हैं। फीगर्स के सिलसिले में माननीय मंत्री जी कह सकते हैं। मैं तो जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट को कोट कर सकता हूं। यह अगर है तो काफ़ी जन समुदाय इससे इफैक्ट होने जा रहा है। जो इफैक्ट होगा मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उनका कहीं दूसरा रोज़गार नहीं हो सकता है। उनके पास इतना धन नहीं रहा कि वे दूसरी जगह जाकर कोई दूसरा रोज़गार चला सकें। यह उन लोगों के लिये कम से कम कहने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं इस अमेन्डमेन्ट को चाहूंगा कि माननीय मंत्री फिर इस पर विचार करें।

चेयरमैन---The question is that for the existing Rule 62 the following be substituted.

"62. Subject to Rule 75 the compensation will be paid in negotiable bonds which will be described as Z. A. Compensation Bonds and will be subject to the provisions of the Public Debt Act, 1944 (XVIII of 1944) and the Public Debt Rules, 1946 framed thereunder."

श्री कुंवर गुरु नारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डिवीज़न चाहता हूं ताकि रेकार्ड हो जाय कि कौन इसके विपक्ष में है।

चेयरमैन---डिवीजन के सिलसिले में इधर-उधर जाने-आने में काफ़ी समय लग जाता है। सदन का समय बचाने के लिये यदि यहीं पर आप का नाम रेकार्ड करा दिया जाय तो आप की मंशा पूरी हो जाती है।

श्री कुंवर गुरु नारायण---अगर क़ायदे से होता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है।

चेयरमैन---कोई और सदस्य संशोधन के पक्ष में नाम लिखाना चाहते हैं।

(श्री नरोत्तम दास टंडन अपने स्थान पर खड़े हुए)।

(The question was put and negatived, Sir Kunwar Guru Narain and Sri Narottam Das Tandon voting for the amendment.)

श्री कुंवर गुरु नारायण---माननीय महोदय, इससे तो यह भी हो सकता है कि बहुत से जो न्युट्रल हों उनका कैसे पता चलेगा।

चेयरमैन---किसी साहब को कोई एतराज़ हो तो वह बतावें। (कुछ ठहर कर) किसी को एतराज़ नहीं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :—

For the existing Rule 62 the following will be substituted :

"62. Subject to Rule 75 the compensation shall be paid half in cash and half in non-negotiable bonds which will be described as Z. A. Compensation Bonds and will be subject to the provisions of the Public Debt Act, 1944 (XVIII of 1944) and the Public Debt Rules, 1946, framed thereunder."

श्रीमन्, यह संशोधन जो मैंने उपस्थित किया है इसका तात्पर्य यह है कि अगर सरकार किन्हीं कारणों से निगोशियेबिल बान्डस नहीं दे सकती तो ऐसी हालत में कम से कम जो किसी भी मध्यवर्ती को कम्पेन्सेशन दिया जाय उसमें, जितना उसका कम्पेन्सेशन हो उसका आधा कैश में हो और आधा नान-निगोशियेबिल बान्डस में हो। खास करके नान-निगोशियेबिल बान्डस इसलिये रखते हैं कि निगोशियेबिल बान्डस देने में इनफ्लेशन बढ़ने का अन्देशा हो। मैं यह भी बतलाने में कोई नुक़सान नहीं समझता कि हम लोग इस हाउस और असेम्बली के कुछ सदस्य माननीय मुख्य मन्त्री से इस सम्बन्ध में मिले थे और हमने उनसे प्रार्थना की थी कि जो जमींदारों के मामले हों, मैं यह नहीं चाहता, जहां तक अब अवालीशन के सिस्टम का ताल्लुक है वह तो मंजूर कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद जो आपका उद्देश्य यह है कि जो जमींदार हैं उनको जो कुछ भी मिलना है वह मिल जाय तो उसके लिये कोई न कोई प्रबंध किया जाये कि जिससे किसी प्रकार की शिकायत न हो। मैं इस कंपेनसेशन के संबंध में जो प्रार्थना करता हूं अधिक कैश में कंपेनसेशन देने का, वह इसलिये नहीं कि मैं सरकार को किसी प्रकार ग़लत पोजीशन में रखना चाहता हूं। वह महज इसलिये कि मैं जानता हूं कि यह छोटे-छोटे आदमी अगर उनको पैसा न मिला और उसको संतोष न हुआ तो उससे हमारे प्रदेश में अराजकता का भय न पैदा हो जावे। आज हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। रेगुलर गैंग्स चारों तरफ से एजुकेटेड क्लासेज के लोग जो हैं उन लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। रेवेल्यूशनरी पार्टी के लोग भी इन कामों में शरीक हो रहे हैं। "आरत काह न करे कुकर्मू।" जब कोई शख्स मुसीबत में होता है तो यह नहीं हो सकता है कि वह और उसके बाल-बच्चे भूखों मरें और उसको खाने-पीने का आराम न हो तो उसके लिये लाजिमी हो जाता है कि वह सब कुछ करने लगता है। ऐसी हालत में आप विचार करें कि इतना बड़ा जन समुदाय अगर पहिली तारीख से उसकी संपत्ति ले ली गई और ४० वर्ष के अन्दर उसको थोड़ा थोड़ा सा रुपया देने के लिये तय किया गया, तो वह क्या कर सकता है। कैसे इस्टैब्लिश हो सकता है, किस प्रकार से अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है। पूर्वी क्षेत्र में भुखमरी की समस्या उपस्थित हो रही है। वहां पर लोगों के खर्च करने की शक्ति कम पड़ गई है। ऐसी हालत में अगर यहां भी इसी प्रकार यह चीज पैदा हुई लोगों को परेशानी हुई तो उसका परिणाम यह होगा कि देश में अराजकता का वातावरण फैल जायेगा और इसीलिये मैं इन संशोधनों को लाया। सरकार के पास बहुत सी स्कीमें हैं और सरकार कोई स्कीम निकाल सकती है जिससे उनको रुपया दिया जा सके। सरकार के पास ३६, ३७ करोड़ रुपया जमा हो चुका है। अगर थोड़ा और मिला दिया जाये, तो कुल सरकार को १३७ करोड़ रुपया कंपेनसेशन में देना है, ३७ करोड़ रुपया सरकार के पास है ही। अगर सरकार इसमें २०, २२ करोड़ रुपया और मिला दे तो वह इन छोटे छोटे लोगों को देने भर को ही हो जायेगा और सरकार इस परेशानी से बच सकती है। लेकिन इसके अलावा सरकार का जो दृष्टिकोण है कि जमींदारों को तकलीफ होगी ही नहीं इसका मुझे आश्चर्य है। जमींदारी खत्म होने के बाद जमींदारों को कोई परेशानी नहीं होगी और वह अपना प्रबंध कर लेगा। इस चीज को मैं कैसे सरकार के दिमाग से निकालूं, सिवा इसके कि हम इस बात की ओर संकेत करें कि जो आज प्रदेश में ला लेसनेस फैल गई है यह भी किसी हद तक इस बात का द्योतक है कि लोगों को चिन्ता हो गई है कि अब उनके परिवारों का पालन-पोषण कैसे होगा। अगर हमारे कहने से नहीं तो कम से कम जिस चीज

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

को हम देख रहे हैं अगर उसी चीज पर ध्यान कर लीजिये तो वह साबित करता है कि इन लोगों को जो कुछ देने को कहा गया है वह ४० वर्ष में न बांट कर फौरन दिया जाय। अगर फौरन नहीं दिया जाता है तो मैंने कहा कि एक बीच का रास्ता भी है और वह यह है कि आधा अभी दे दिया जाय और आधा नान-निगोशियेबुल बान्ड्स में दे दिया जाय जिससे कुछ तो सन्तोष हो जाय। अगर वह सन्तोष भी आप ठीक नहीं समझते हैं तो मैं और कह ही क्या सकता हूं। मेरा संशोधन बहुत ही महत्व रखता है और आशा करता हूं कि माननीय माल मंत्री इसको मंजूर करेंगे।

*डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--अध्यक्ष महोदय, मेरी राय में यह जो संशोधन कुंवर गुरु नारायण ने उपस्थित किया है वह कम्प्रोमाईजिंग है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं जो यहां पर कही गई हैं कि जमींदारी की समाप्ति से कितने आदमियों को कष्ट हुआ और कितनों को नहीं। मैं इस बात को नहीं समझ सका कि श्रीमान्, माल मंत्री ने कैसे समझ लिया है कि इससे बहुत थोड़े से लोगों को तकलीफ हुई है। यह बिलकुल गलत चीज है। फीगर्स की बात से आप विचार करते हैं, उनसे आप गलत नतीजे पर आ सकते हैं, सही नतीजे पर भी आ सकते हैं इसलिये एक अर्थशास्त्री ने लिखा है।

‘Figures cannot lie but liars can use figures to their advantage.”

माल मंत्री—बहुत कठोर बात कह रहे हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--मैं खुद नहीं कह रहा हूं, दूसरे का लिखा हुआ कोट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय जानते हैं कि जब अंग्रेजी राज्य हिन्दोस्तानी की दीनता के बारे में खोज करता था, अनुसंधान करता था तो सरकार के बड़े बड़े अनुभवी अफसर कहते थे कि इतनी आमदनी है और फीगर्स के द्वारा ही ऐसा होता था जिससे सत्य का निर्णय करना कठिन हो जाता था। फीगर्स की बात छोड़िये। जहां हम सब लोग रहते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में जमींदार रहते हैं, जमींदार कोई ऐसी जाति नहीं है जो हम से अलग हों। हम में से ही होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। हमे मालूम है कि उनको कितना कष्ट हो रहा है। माननीय माल मंत्री भी गांव के रहने वाले हैं, उनको मालूम है कि कितने आदमियों का जीवनयापन जमींदारी से ही होता था। मैं विश्वविद्यालय में देखता हूं कि बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि अब मां-बाप कहते हैं कि पढ़ाई बन्द कर दो इसलिये कि वह खर्च नहीं उठा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि लड़की सयानी हो गई है कैसे ब्याह किया जाय। तो मैं समझता हूं कि कुंवर साहब ने जो संशोधन उपस्थित किया है कि आधा रुपया कैश में दिया जाय और आधा नान-निगोशियेबिल बान्डस में दिया जाय, ठीक है। मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया है कि जब सरकार ने ३२ करोड़ रुपया इकट्ठा किया है और जब सरकार की आमदनी बढ़ती जायगी, क्योंकि बड़े बड़े और छोटे ताल्लुकेदारों की आमदनी सरकार के पास आ गई है तो ऐसी सूरत में क्या यह सम्भव नहीं होगा कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय। मुझे आशा है कि माननीय माल मंत्री इसको स्पष्ट करेंगे। आप को १३७ करोड़ रुपया देना है और अगर इसमें से आधा कैश में देते हैं तो कैश आप को ६८ करोड़ ही चाहिए जब कि आप के पास इस वक्त ३२ करोड़ आ गया है। मैं तो समझता हूं कि सरकार को यह संशोधन स्वीकार करना चाहिए और इसलिये स्वीकार करना चाहिए कि छोटे जमींदारों को तकलीफ होती है, जिनका अन्दाजा सबको है। यह दूसरी बात है कि पार्टी के कारण इस वक्त कोई न कह सके, लेकिन यह सब जानते हैं कि छोटे जमींदारों को बड़ी तकलीफ है। हमारी सरकार बड़ी दयालु है उसने सब के साथ दया की है। जहां तक हो सके कैश में दिया जाय। चीन और रूस की मिसाल दे कर काम नहीं चल सकता है। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करना हूं।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

***श्री प्रभु नारायण सिंह**--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गुरु नारायण जी ने यह प्रस्ताव रखा है कि जो कम्पेनसेशन की बात है वह आधा कैश में दिया जाय और आधा नान निगोशियेबल बान्डस में दिया जाय। मैं इसका विरोध करता हूं। खासतौर पर इस वजह से जब कि यह बात मान ली गई कि इस तरह के बान्डस ईशू करने से इन्फ्लेशन का खतरा हो सकता है तो यह बात सत्य है कि रुपया कहां से लाना है। सरकार उन्हीं लोगों से यह रुपया मांगेगी जो कि किसान वर्ग है और जो बहुत दिनों से इस माने में परेशानी की जिन्दगी बसर कर रहा है डाक्टर साहब ने कहा कि देहातों के अन्दर जो छोटे जमींदार हैं उनकी मजबूरियों की कहानी की कोई हद नहीं है। कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिये आता है तो कहता है कि मेरे पिता जी के पास रुपया नहीं है इसलिये नहीं पढ़ सकता। कहीं लड़की की शादी की बात आती है। यह जरूर ऐसी बातें हैं जोकि सेन्टीमेन्ट को टच करती हैं। परन्तु क्या कभी डाक्टर साहब ने इस बात पर गौर किया कि इन किसानों को सदियों तक कैसा कुचला गया और आज भी बेचारे किस तरह से गुजर करते हैं। जो वर्ग हमेशा से दूसरों की मेहनत पर पलता रहा है उनके लिये कहां तक उचित है कि उनको कम्पेनसेशन देने की बात मान लें और उनको कैश में दे दें जब कि उसका नतीजा यह होगा कि इस तरह से इन्फ्लेशन हो सकता है। अगर देहातों में आज पैसा है तो वह उत्पादन में लगा हुआ है। यदि दूसरी जगह से पैसा लिया जायेगा तो वह डेवलेपमेंट में लगाया जायेगा। ऐसी सूरत में उनका कैश में देना मुनासिब नहीं है। अभी आप के सामने अध्यक्ष महोदय बहुत से टैक्सेजन के बिल आने वाले हैं जोकि निम्न वर्ग के लोगों पर लगाये जा रहे हैं इसलिये कि डेवलपमेंट हो। हम चाहते हैं कि ऐसे टैक्सेज जो आने वाले हैं वे बन्द हो जायं और उसकी जगह जो बोझ है वह जमींदार भाइयों के लिये जिन्होंने नजराने के तौर पर न मालूम कितने रास्तों से किसानों को चूसा है, तो मैं समझता हूं कि कैश की बात हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि नकद कैश रुपया देने की बात नहीं हो सकती है। अब रह गया छोटे जमींदारों की बात, तो इन लोगों के लिये मैंने देखा है कि इसमें एक अमेंडमेंट है जो सरकारी पक्ष की तरफ से आ रहा है उसमें इन लोगों का ख्याल रखा गया है। जब कम्पेन्सेशन देने का मौका आयेगा तो छोटे जमींदारों को मुआविजा दिया जायेगा। अगर सरकार का मन्शा मुआविजा देने का है तो वह जरूर देगी। लेकिन इसमें यह कर दिया जाय कि आधा कैश में दिया जाय और आधा बान्ड्स में दिया जाय मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। आधा कैश में देने के लिये, जिस तरह से सरकार ने १० गुना वसूल करने के लिये अपने अहलकारों को मुकर्रर किया था और वार फन्ड की तरह रुपया वसूल किया गया था फिर वैसी ही बात की जाय तो इससे तमाम किसान वर्ग को बहुत परेशानी में डाल देना होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। दूसरी बात यह कही गयी कि इस सदन के सदस्य बहुत से छोटे मोटे जमीन्दार भी हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके वास्ते या उनके रिश्तेदारों के लिये अपने उसूल को तोड़ दें, यह चीज मुनासिब नहीं मालूम होती है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि श्री गुरु नारायण जी के संशोधन को मानना ठीक नहीं है इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

माल मन्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई नई बात नहीं कहनी है केवल जो बातें प्रस्तावक महोदय और उनके समर्थक ने कही है उन्हीं का मैं जवाब देना चाहता हूं। डाक्टर साहब ने यह फरमाया कि जमींदार अपने ही भाई हैं, अपने ही नाते रिश्तेदार हैं, हमारे ही लोग हैं तो फिर रूस और चीन की यह मिसाल क्यों दी जाती है। मैं तो जमीन्दारों को अपना ही खून और हड्डी समझता हूं, अपने और उनमें कोई फर्क नहीं समझता हूं। उन्हें अपना ही भाई समझता हूं। जमीन्दार कोई गैर नहीं हैं वह हमारी ही सोसाइटी के लोग हैं। हमारा समाज उन्हीं पर कायम है और उन्हीं से बना है। किसी के पास एक बीघा जमीन हो या १० बीघा जमीन हो इसमें कोई अन्तर नहीं है हमारी दृष्टि में सब लोग बराबर हैं। किसी में कोई फर्क नहीं है। सरकार की निगाह में और मौजूदा कांग्रेस पार्टी की निगाह में सब लोग बराबर हैं। चीन और रूस की मिसाल तो सिर्फ कुंवर साहब को संकेत करने के लिये

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[माल मंत्री]

कही गयी थी। हम यह नहीं चाहते हैं कि रूस और चीन की तरह हमारे यहां भी कुछ हो। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों के विपरीत नहीं जाना चाहते हैं। हम कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जो सिद्धांतों के खिलाफ हो। अब रह गया नकद रुपया देने की बात, उसके लिये यह कहा गया कि ७० करोड़ रुपये की बात है। इसमें से ४० करोड़ रुपया तो है, ३० करोड़ रुपये का इन्तजाम कर लिया जाय। इस सिलसिले में शायद लोगों को कुछ गलतफहमी है। मेरे भाई गुरु नारायण जी कभी ३६ करोड़ कहते हैं और कभी ३७ करोड़ कहते हैं और हमारे डाक्टर साहब ने तो एक दम से ४० करोड़ कह दिया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सवा तैंतीस करोड़ रुपया अब तक जमा हुआ है।

श्री कुंवर गुरु नारायण——बजट में तो ३६ करोड़ ३ लाख की रकम है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद——माननीय अर्थ मन्त्री ने अपने बजट के भाषण में ३२ करोड़ कहा था।

माल मन्त्री——जब मैं यह कहता हूं कि वह रकम सवा ३३ करोड़ की होती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य भवन के अन्दर हैं, वे मेरा विश्वास करेंगे कि जितना रुपया इकट्ठा हुआ है वह सवा ३३ करोड़ के होता है और सवा करोड़ रुपया जितने दिन तक तहरीक चली उसमें खर्च हो गया। सवा तीन करोड़ रुपया वह है जोकि जमीन्दारों को दिया गया और उसमें हमने केवल भूमिधरों का लगान अदा कर दिया, लेकिन अभी जमींदारों को पूरा नहीं दिया गया है। वह तो जो लगान भूमिधरों ने दिया है और जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जमींदारों को दिया, उसमें से १५, २० करोड़ रुपया निकल जायेगा, उस ५० रुपये तक नक़द देने में। क्योंकि जिनके नाम खातों में दर्ज हैं वह २० लाख के क़रीब हैं और हर स्टेट का अलग अलग मुआविजा तैयार हो रहा है। तो ५० रुपये से कम का मुआविजा देने वाले बहुत लोग हो जायेंगे। उसके आंकड़े मैं बता नहीं सकूंगा कि ठीक क्या है, लेकिन अन्दाजिया तकरीबन १५ या २० करोड़ के हैं। इसके अलावा जो रिलीजस वक्फ़स हैं या मन्दिर हैं इसके लिये गवर्नमेंट का यह निश्चय है कि उसको बराबर उतना ही दिया जायेगा। अभी कल डाक्टर श्रीवास्तव साहब ने और किसी और साहब ने भी इस तरह का सवाल उठाया और स्वयं बहुत सी तहरीक में इस तरह की बात चल रही है कि जो शिक्षा की संस्थायें हैं जिनमें कुछ ऐसी हैं कि उनको कुछ तादाद को जमीन्दार लोग मदद देते थे और अब वह चाहते हैं कि उनको उसका रुपया भी दिया जाय। तो इस तरीके से बहुत थोड़ा सा रुपया बचता है और यह ४० करोड़ की रक़म जो डाक्टर साहब ने बताई तो यह गलत है। अब अगर मान लिया जाय कि उसमें से कुछ रुपया बचे तो यह ६० करोड़ कहां से आये। १४ या १५ करोड़ रुपया जो वसूल किया जायगा तो पूर्वी जिलों में विकास का कार्य होगा। हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होगा उसके लिये कैसी स्कीम आयेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण में कहा है तो इस प्रकार को कोई चीज आये और उस पर भी थोड़ा रुपया जो वसूल हुआ है, अमल करना है। योजना के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है और वह मतभेद तो होगा, फिर ६० करोड़ रुपया कहां से आये। इसलिए लाजिम है कि पहले उस पर विचार किया जाय। अब रही यह बात कि आंकड़े गलत हैं तो अगर मेरे आंकड़े गलत हैं तो हर एक आंकड़े गलत नहीं हो सकते। माननीय डाक्टर साहब हिस्टोरियन हैं और वह जानते हैं कि वह सब आंकड़े जो इतिहास में होते हैं वह सब गलत नहीं होते हैं। उनसे नतीजा जो है वह गलत निकल सकता है और वह नतीजा उल्टा सीधा हो सकता है। जो सन् १९५२ के आंकड़े हैं वह विदिंग ऐग्रीकल्चरल लैंड जो है उस पर १ लाख ३३ हजार फैमिलीज हैं और इसलिये उनको थोड़ा सा कष्ट होगा तो क्या उसका मतलब यह है कि वह कष्ट गवर्नमेंट देना चाहती है। गवर्नमेंट कष्ट नहीं देना चाहती है, बल्कि मजबूर है। इसको थोड़ी सी रोशनी में देखा जाय। इन दि इन्ट्रेस्ट आफ लार्जर नम्बर गवर्नमेंट हर कार्य

को करती है। गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं चाहती है, गवर्नमेंट को हमदर्दी है और हम तो चाहते थे कि उनके लिविंग स्टैन्डर्ड को आन्तरिक करना पड़े, लेकिन हमदर्दी जरूर है अगर हमदर्दी नहीं होती तो यह गवर्नमेंट कभी भी तजवीज नहीं करती। लेकिन ऐग्रीकल्चरिस्ट और लेबरर्स, जो हजारों साल से गुलामी करते आये हैं और कष्ट उठाते आये हैं क्या उनके तईं डाक्टर साहब को हमदर्दी नहीं है। तो डाक्टर साहब कहते हैं कि उनको हमदर्दी नहीं है, और वे उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना नहीं चाहते हैं और उनके सुख व शान्ति और उनकी सुविधाओं की ओर उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। हमारा इतना कठोर हृदय तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम ये सब चीजें एकदम तो नहीं कर सकते हैं। हम इस तरह से चलते हैं कि उनको ठीक ढंग से मुआविजा मिल सके और दूसरी सुविधायें भी हम उनको दे और हम यह भी देखते हैं कि उनकी जमीनें जिनको मिली हैं वे उसका ठीक ढंग से सदुपयोग करें। तो जिन लोगों ने मुआविजे की या और दूसरी बातें कहीं, वह चाहे विधान सभा में कही हो, या विधान परिषद् में कहीं हो, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज भी हमारे गवर्नमेंट के लिये इस तरह से नहीं कहा कि जिससे यह मालूम हो कि जिस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, वह अच्छा है और हम चाहते हैं कि उसकी पूर्ति हो। यह भी नहीं कहा कि यह बिल अच्छा है और आपकी नियत भी इससे अच्छी मालूम पड़ती है, उन्होंने तो बस हमेशा शिकायतें ही की हैं। अब रही यह बात कि साहब जुर्म बढ़ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि वह हर्गिज नहीं बढ़ रहे हैं और हमेशा इस तरह से डाके इत्यादि सोसाइटी में होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, कत्ल होते थे और वे होते रहेंगे। तो इन सबके लिये यह कहना कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि ला ऐण्ड आर्डर की सिच्युएशन खराब हो गई है, तो यह बात बिलकुल गलत है। क्या जमींदारी एबालिशन की वजह से कुछ खराबियां हो गई हैं, कदापि नहीं। फिर यह सब कहना कहां तक ठीक है कि रिवोल्यूशनरी पार्टियां बढ़ रही हैं और उनको भी यह शिकायत रही है कि जमींदारों को मुआविजा दिया जाय। मेरे सामने प्रभुनारायण सिंह जी बैठे हुए हैं उनके हमेशा दो ही एतराज रहे और उनमें मुख्य यही है कि जमींदारों को मुआविजा क्यों दिया जा रहा है। मतलब यह है कि जितनी हमने जमींदारों के साथ रिआयत की भी है उनकी उतनी ही और शिकायतें हैं। उनका यह कहना कि आज इस तरह से रिवोल्यूशनरी पार्टियां बढ़ रही है और वह जनता को गुमराह कर सकती हैं तो यह बात तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन के समय देख ली और इलेक्शन ने इस बात को साबित कर दिया। किसान तो आज समझदार है और वह यह इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि उन लोगों को हमेशा स्वर्ग का सपना दिखलाया जाता है, मगर कुछ किया नहीं जाता। इस तरह से जमींदारों को लगान किसानों ने ३० जून के बाद दिया वह भी इसलिये कि हमारे यहां के किसान बहुत शान्तप्रिय हैं और वह वाजिब बात को समझते हैं। तो जहां तक हमारी जनता का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि हमारे यहां के हर एक विलेजर बहुत ही समझदार हैं और हम लोगों को उनसे ऐसी ही आशा है कि वे सही मार्ग को अपनायें। तो इस तरह से लेफ्टिस्ट और राईटिस्ट की बात का क्या महत्व हो सकता है और उनका यहां कहना बिलकुल बेकार सा है। तो इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने भवन में रखा था और जिसको मैंने यह समझा था कि उससे एक प्रकार का कम्प्रामाइज हो जायेगा वह गलत समझा गया।

माननीय माल मंत्री जी ने अभी यह कहा कि इस विधेयक के सम्बन्ध में जमींदारों की तरफ से अच्छाई की बात नहीं कही गई और कड़ी से कड़ी या अधिक से अधिक जितनी आलोचना हो सकती थी, वह की गई। श्रीमन्, उसका जवाब तो मैं कुछ देने में असमर्थ हूं, लेकिन इस विधेयक के सम्बन्ध में तारीफ या अच्छाई जो माननीय मंत्री जी कहते हैं नहीं की गई तो शायद इस बात की भावना उनके हृदय में उस समय उत्पन्न होती है, जब वह हमारे समाजवादी भाइयों को देखते हैं, क्योंकि समाजवादी चाहते हैं और वह कहते हैं कि बिला मुआविजे सब चीज खत्म

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

कर दी जाय तो माल मंत्री जी के हृदय में यह बात उत्पन्न होती है कि हम तो देने की भी बात करते हैं फिर भी हमको बुरा कहा जाता है तो यह कारण है और स्वाभाविक है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न तो यह है कि न्याय हो कि न हो फिर जो कुछ भी हुआ मंत्रिमंडल या सरकार के जरिये से मुआविजा देने के संबंध में और विचार परिवर्तन हुआ सरकार का तो सरकार यह जानती थी कि कैश कम्पेनसेशन मिलना चाहिये था, लेकिन कई कारणों से उसे इस विचार को बदलना पड़ा। उसके माने तो यह हुये कि जमींदार पीटा गया। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये थी। वह भी यह माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि हमें तो हमदर्दी थी हम मुहाविजा देने को तैयार हैं। मैं तो कहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी को हमदर्दी है वह मुमकिन है उसका यह भी कारण हो सकता है कि हमारा जो संविधान है उसमें इस बात का प्राविजन है कि कोई प्रापर्टी बिला मुआविजे के नहीं ली ला सकती है। जहाँ तक मुआविजे के कमी करने का सवाल था उसके कम कराने में और कम से कम देने में मध्यवर्तियों को संविधान को भी बदलवाने की भी कोशिश की गई। तो इस मंत्रिमंडल के द्वारा इस प्रकार की कोशिश की गई कि मुआविजा अगर दिया गया और कैश न हो पाया तो क्या होगा इसके लिये संविधान को बदला गया इसलिये मैं यह मानता हूं कि माननीय माल मंत्री को चूंकि संविधान मुआविजा देने को मंजूर करता है इस कारण हमदर्दी है, लेकिन मैं हमदर्दी इस हद तक और भी मानने के लिये तैयार हूं कि समाजवादी भाइयों के मुकाबिले में आप मुआविजा देने को कहते हैं। लेकिन जो देने को कहते हैं उसके प्रोसेस को ४० वर्ष में वितरण कर दिया गया है तो वह भी न देने के बराबर है। तो यदि इसके संबंध में कोई बात माननीय माल मंत्री जी से या सरकार से कही जाय तो मैं समझता हूं कि कोई गलती नहीं है। जहां तक माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि जो लोग डाके डालते हैं वह आर० एस० पी० पार्टी के लोग हैं। वह इन्करेज होंगे मैं यह नहीं कह सकता।

मैं तो कहता हूं कि जब किसी के पास धन न रहेगा और वह अपने परिवार का पालन पोषण न कर सकेगा तो वह रिवोल्यूशनरी हो जायगा। यह मैंने माना कि जो बड़े लोग हैं, वे ऐसे काम न करें क्योंकि वे समझते हैं कि इससे हमारा देश रसातल में चला जायगा। लेकिन गरीब आदमी और विषेशकर अशिक्षित समुदाय तो इसका शिकार बन जायगा। इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मेरा तो यह एक प्रस्ताव नान-आफिशियल रिज्योल्यूशन में इस संबंध में है, मुझे मालूम है कि जो फीगर्स लालेसनेस के संबंध में आब्टेन की जाती है वे बिबकुल गलत हैं क्योंकि जो लालेसनेस फैल रही है उसका ऐक्चुअल रिकार्ड ही नहीं है। अफसरान इस चीज का रिकार्ड ही नहीं रखते। इस फीगस से साबित कर देना कि लालेसनेस है या नहीं यह तो बिलकुल बेकार सी बात है। यह जो मैंने संशोधन रखा है वह इसलिये कि छोटे जमींदारों को फायदा पहुंचा। यह शब्द जो जमींदार है अगर अब बहस से हटा दिया जाय तो अच्छा हो क्योंकि जमींदारी तो अब रही ही नहीं। अब जो भूमिधर हैं जिनकी रक्षा के लिये सरकार ने सब कुछ किया यदि उनके लिये आधा कम्पेन्सेशन कैश में दे दे और आधा नान निगोशिएबिल बांड्स में दे तो उनको फायदा हो। इससे इन्पलेशन भी नहीं होगी। यह बात भी कही जा चुकी है कि बांड्स पहिले भी रिडम्प्शन किये जा सकते हैं। हमारे माननीय मंत्री ने कहा कि जमाने की दौड़ देखो। मैं ईजिप्ट, रूस और चीन की मात नहीं करता। तो अब हम जमाने की दौड़ देख रहे हैं कि जमाना किधर जा रहा है। पहिले सरकार का यह ख्याल था कि कम्पेन्सेशन छोटे जमींदारों को दिया जाय। उसके लिये योजना बनाई गई उसमें असफलता हुई। भूमिधरों को तमाम परेशानियां हुई। तो अभी एक मर्तबे हमको सबक मिल चुका है और हम फिर ध्यान में रखें कि इसका ४० वर्ष में रिडेम्पसन हो जायेगा तो यह मेरी समझ में नहीं आता। जिसके पास थोड़ी सी सद्बुद्धि होगी वह इसको मानने के लिये तैयार नहीं है। वह चालीस वर्ष तक इत्मीनान करे यह बिलकुल गलत धारणा है शायद इसमें रिडेम्पसन का प्रावीजन कर दिया है। जितनी जल्दी रुपया होगा हम दे देंगे, लेकिन रुपया कहां से आयेगा और कहां से होगा। हमारी यह

धारणा है कि रिडेम्पसन की नौबत ही नहीं आयेगी। अगर यह मानना पड़े कि यह जमाने की दौड़ है, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा, मैं उसके शब्दों से सतर्क हूं। इसलिये मैं उन्हीं शब्दों में यह रखना चाहता हूं। हम आप के नान निगोशियेबुल बान्ड को मानते हैं, लेकिन कुछ बेचारे छोटे जमींदारों को मिल जाय, तो बाबा दे दो। हम ४० वर्ष में बाकी को निपटायेंगे। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह जरूरी है कि यह संशोधन मंजूर किया जाय। जहां तक हमारे भाई श्री प्रभुनारायण सिंह का सम्बन्ध है, उन्होंने तो अभी कह डाला कि टैक्स लगाया जा रहा है। मुआविजा देने का सवाल क्या है तो उनकी नीति के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। वह तो एक घुड़ दौड़ है, कांग्रेस पार्टी तथा समाजवादियों की। जब आप एक क़दम चले तो आप यानी सोशलिस्ट चार कदम बढ़ गये। जो मौजूदा सरकार है वह न्याय करने की कोशिश करती भी है, लेकिन फिर करते करते रुक जाती है। अगर सोशलिस्टों की हुकूमत हो जाय तो क्या कहें। स्त्रियां मर्द हो जायं और मर्द स्त्रियां हो जायं। इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है। जो आप के मन में आये वह हो सकता है। आप की हुकूमत में किसी प्रकार के व्यवहार की जरूरत नहीं है। उस चीज के लिये मैं कुछ नहीं कहता हूं। यह मेरा कर्तव्य है कि जो दुखी हैं और जिनकी सम्पत्ति ली जा रही है, उनकी आवाज जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं सरकार के मस्तिष्क तक पहुंचा दूं। इसके साथ मैं अपने संशोधन को पेश करता हूं।

चेयरमैन--The question is that for the existing Rule 62 the following be substituted :

"62. Subject to Rule 75 the compensation shall be paid half in cash and half in non-negotiable bonds which will be described as Z. A. Compensation Bonds and will be subject to the provisions of the Public Debt Act, 1944 (XVIII of 1944) and the Public Debt Rules, 1946, framed thereunder"?

(The question was put and negatived, Sri Guru Narain, Sri Nattamro Das Tandon and Dr. Ishwari Prasad voting for the amendment.)

श्री प्रभुनारायण सिंह--नियम ६२ में अविनिमय योग्य (नान निगोशियेबुल) के बाद अपरिवर्तनीय (नान-ट्रान्सफरेबुल) शब्द बढ़ा दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ विशेष बात नहीं कहनी है। दो दिन से बहस जमींदारी एबालिशन के सम्बन्ध में हो रही है। कल माल मंत्री ने कहा था कि नान-निगोशियेबुल बान्डस से इन्फलेशन बढ़ेगा। इस सूरत में जब कि महंगाई काफ़ी बढ़ी है, लोगों की दिक्कतें चरम सीमा तक पहुंच गई हैं, चार गुना, पांच गुना एसेंशियल चीजों के दाम बढ़ गये हैं और उसके लिये उनको दाम देना पड़ रहा है।

ऐसी सूरत में जैसा कि माननीय माल मन्त्री जी ने इस बात को मन्जूर किया है कि इससे इन्फलेशन बढ़ने का खतरा है, तो इसी चीज को रफ़ा करने के लिये मैं यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं कि खतरे की चीज क्यों रहे। मैं माननीय माल मन्त्री जी की बातों को सुन कर यही समझता हूं कि वह कहते तो हैं, मगर अमल करने की बात जब आती है तो भाग जाते हैं। कल माननीय माल मन्त्री जी ने स्वयं ही कहा कि इससे इन्फलेशन बढ़ने का खतरा है। अतः मैं इस संशोधन को चाहता हूं कि वह स्वीकार कर लें।

माल मन्त्री--मैं इसका विरोध करने के लिये मजबूर हूं। जैसा कि कुंवर साहब ने कहा वह उचित नहीं है। वैसे ही भाई प्रभु नारायण जी की भी बात उचित नहीं है। कुंवर गुरु नारायण जी के बात से ज्यादा इन्फलेशन होगा और आपकी बात से इन्फलेशन का खतरा है, इसलिये जो न्याय पर चलता है वह दोनों साइड को देख कर एक बीच का रास्ता अपनाता है। अगर हम इसको निगोशियेबल कर दें जैसा कि कुंवर साहब चाहते हैं तो बिल्कुल इन्फलेशन

[माल मंत्री]

हो जायेगा और अगर ट्रान्सफरेबुल कर दें, जिसमें कि इन्फ्लेशन का खतरा है तो वह भी उचित नहीं। यों तो खतरा हर एक बात में होता है। छत के नीचे हम हैं इसके गिरने का भी खतरा हो सकता है। आदमी शादी करता है उसमें भी खतरा होता है। अब देखना है कि आप दोनों की राय ठीक है या बीच का रास्ता रखा जाय वह ठीक है। मेरी समझ में बीच का रास्ता सब से अच्छा है। इसलिये मैं आपके संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मुझे और विशेष बात कोई नहीं कहनी है। मैं पहले ही स्थान पर इसका समर्थन फिर करता हूं।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि नियम ६२ में अविनिमय योग्य (नान निगोशियेबुल) के बाद अपरिवर्तनीय (नान ट्रान्सफरेबुल) शब्द बढ़ा दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखि संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :--

In line 5' of Rule 62 after the full stop after the word 'thereunder'' the words "The bonds shall bear a guarantee of the Government of India against repudiation by any future State Government of Uttar Pradesh" be added.

श्रीमान् जी, जहां तक इस संशोधन का महत्व है, मुझे यह निवेदन करना है कि पहले तो मैंने इस बात की कोशिश की अपने संशोधनों द्वारा कि मैं कैश-कंपेनसेशन दिला सकूं। इसके बाद मैंने इस बात की कोशिश की जमींदारों की परेशानी को बचाने के लिये, अगर कैश कंपेनसेशन न मिले तो आधा ही कैश मिल जाये। इसके बाद मैंने यह कोशिश की कि निगोशियेबुल बांड्स में कंपेनसेशन दिया जाये। तब फिर मैंने यह कोशिश की कि आधा कैश और आधा नान-निगोशियेबुल बांड्स दिये जायें। जब इसको भी माननीय माल मंत्री जी ने अस्वीकार कर दिया तो मेरे पास और कोई चारा न था। नान निगोशियेबुल बांड्स मिलें, लेकिन इन बांड्स में यह लिखा हो और गवर्नमेंट आफ इंडिया की सील लगी हो कि यह जो बांड्स होंगे यह कोई भी गवर्नमेंट आगे आ करके लिक्विडियेट नहीं कर सकती है। मेरा ख्याल ऐसा है कि इस संशोधन के संबंध में सरकार को न तो इन्फ्लेशन की आपत्ति हो सकती है न सरकार की जेब से कुछ पैसा ही इसमें जाता है। क्योंकि इस चीज़ का भय, जो उनके हृदय में है, जिनकी संपत्ति सरकार ने इस क़ानून के द्वारा ले ली है उस भय को यह दूर करता है। यह कहा जा सकता है कि आज की सरकार कल के लिए दूसरों को बाध्य नहीं कर सकती है। आज की पार्टी की जो सरकार है और कल दूसरी पार्टी की जो सरकार होगी वह कैसे उस बात के लिये बाध्य की जा सकती है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि मुमकिन है कि जितना उसका जोर हो, तो, लेकिन अगर यह चीज़ रख दी जाती है तो थोड़ा सा संकोच होगा। अगर एक पार्टी की सरकार ने कुछ तै कर दिया है तो दूसरी पार्टी की सरकार का उसको निभाने में कुछ तो उत्तरदायित्व हो जाता है, भले ही वह उसको न माने। ऐसी हालत में, मैं यह नहीं समझता हूं कि इस संशोधन को मंजूर करने में सरकार को आपत्ति हो सकती है। माननीय माल मंत्री जी ने जब कि असेम्बली में डिबेट हो रही थी, उस समय यह फर्माया था कि पब्लिक डेट जो हैं वह कन्सालिडेटेड फन्ड से सिक्योर्ड हैं। जब पब्लिक डेट्स सिक्योर्ड हैं, तब इसमें हमको आशंका नहीं होनी चाहिये। जब गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी है तब इस चीज को रखने का आग्रह क्यों करें। लेकिन उसका जवाब में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पब्लिक डेट्स सिक्योर्ड हैं तो भी इसको रखने से कोई नुक़सान सरकार का नहीं है और फ़ायदा इतना होता है कि सरकार बिना एक पैसा दिये हुये और बिना अपनी स्कीम से हटे हुये, ऐसे लोगों को कान्फीडेंस दे सकेगी, जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि कोई वजह हो सकती है कि सरकार ने जो नान निगोशियेबुल बांड्स दिये हैं, उनको

सिक्योरिटी गवर्नमेंट आफ इंडिया द्वारा भी कर दी जाये कि ४० साल तक यह लिक्यूडियेट नहीं होने चाहिये। मुमकिन है कि इस चीज़ की हिम्मत सरकार की न हो, लेकिन जिन लोगों की संपत्ति गई है उनके हृदयों से आप पूछें। उनकी हालत यह है कि ऐसा होना उनके लिये यानी डूबते के लिये तिनके का सहारा होगा। उनके लिये यह आश्वासन बहुत बड़ा आश्वासन होगा फिर चाहे वह लिक्वीडियेट ही क्यों हो जावे। किसी हद तक यह धन जो उनको मिलना है वह सिक्योर्ड हो जायेगा और उसके ख़िलाफ कोई बात न होगी। तो मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को रखता हूं और प्रार्थना करूंगा कि माननीय माल मंत्री इस पर विचार करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री कुंवर नारायण ने रखा है, मैं समझता हूं कि वह संशोधन बिलकुल उचित नहीं है। वह इस माने में कि जब तक इन्डियन कान्स्टीट्यूशन में कम्पेनसेशन क्लाज़ है उस सूरत में उनको इस बात का खतरा न होना चाहिये और इस सरकार के रहते हुये वह हटाया नहीं जा सकता है। वह चाहते हैं कि अगर कोई दूसरी सरकार आवे तो इसको बदल न सके, लेकिन अगर ऐसा कर भी दिया गया तो जिस तरह से यह सरकार ऐसा कर सकती है उसी तरह अगर दूसरी सरकार विधान मंडल में आती है तो वह भी उसी तरह से उसमें संशोधन कर सकती है। दूसरी बात यह है कि इतना तो कुंवर गुरुनारायण जी को विश्वास होना चाहिये कि २५ वर्ष तो यह सरकार जाती नहीं है जैसा कि कल माननीय माल मंत्री ने कहा है। इसे तो उनको ठन्डे तरीके से सोचना चाहिये और उनको विश्वास करना चाहिये इस सरकार पर। मैं देख भी रहा हूं कि अब उन्होंने समाजवादियों में और कांग्रेस में फर्क भी करना शुरू कर दिया है। उनकी पिछली स्पीचेज़ से यह मालूम हो रहा है और ऐसा लगता है कि अब वह दोनों नजदीक आ रहे हैं। ऐसी सूरत में आपको खतरा नहीं महसूस करना चाहिये।

माल मन्त्री—मुझे सिर्फ दो बातें कहना है। जिस सिक्योरिटी को मेरे दोस्त चाहते हैं वह सिक्योरिटी बाहर से नहीं आवेगी वह दिल में ही आवेगी और अगर दिल में संशय रहा तो बाहर से नहीं हो सकती है। आमतौर पर जिस पार्टी की हुकूमत प्रदेशों में होगी उसी की केन्द्र में होगी। जब दोनों जगह ही एक पार्टी होगी तो शायद स्टेट गवर्नमेंट रिपुडियेट कर दे और सेन्ट्रल न करे। दूसरी बात यह कि जैसा मैंने विधान सभा में कहा कि यह एक प्रकार से डेट है और आर्टिकिल २९३ के मुताबिक एक कन्सालिडेटेड फन्ड है। आर्टिकिल २९३ इस प्रकार से है :—

Article 293 (1) : "Subject to the provisions of this Article the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the consolidated funds of the State within such limits, if any, as may, from time to time, be fixed by the Legislature of such a State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, that may be so fixed."

तो अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया से गारन्टी चाहते हैं तो फिर ऐक्ट में तरमीम हो और फिर प्रेसीडेन्ट को, जिन्होंने ऐक्ट में स्वीकृत दी, उनको सोचना होगा कि वह ऐसा अस्योरेन्स देने को तैयार हैं। तो ऐक्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। रूल्स के जरिये हम गवर्नमेंट आफ इन्डिया पर ऐसी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। इस तरह टेक्नीकली यह नामुकिन बात है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय माल मंत्री ने जो कुछ कहा तो जैसा उनके विचार में था उन्होंने कहा, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर क्यों इसमें यह चीज न की जाय और क्यों गवर्नमेंट आफ इन्डिया की सिक्योरिटी बान्डस पर न ली जाय, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। हम इसमें जो फर्क कर रहे हैं वह इसलिये कि हम इस सिक्यूरिटी को स्ट्रेन्थेन करना चाहते हैं। हम इस से सहमत नहीं हैं कि जो प्रदेशों में अधिकांश हुकूमत होंगी वही सेन्टर में भी होगी। मेरा तो अपना ऐसा ख्याल है जैसा कि अभी तक इलेक्शन से पता चला है। मुमकिन है कि फर्क हो और सेन्टर तथा प्रदेश में एक जैसी हुकूमत न हो।

माल मन्त्री—मैंने आमतौर पर कहा था।

श्री कुंवर गुरु नारायण—जहां तक इस चीज का संबंध है, आज माननीय मंत्री को इन्फलेशन का डर है और गवर्नमेंट आफ इन्डिया का रिजर्व बैंक इजाजत नहीं देता है, इसलिये वह नान निगोशियेबल बान्डस नहीं कर पाये हैं। अभी कुछ दिन हुये माननीय मुख्य मंत्री ने मुझसे कहा था कि हम चाहते हैं कि निगोशियेबल बान्डस दें और उसके लिये हमने रिजर्व बैंक और केन्द्रीय सरकार से जांच की, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने इतनी आपत्ति लगायी तो इतनी जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लेनी होगी कि जिसे कोई प्रादेशिक सरकार एक वैधानिक तरीक़े से और सोच समझ कर करती है और जब ४० साल के बान्डस दिये गये तो केन्द्र की सम्मत्ति से दिये गये, ताकि स्टेट पर किसी तरह की खास लायबिलिटी न आने पायेगी और फाइनेन्स में किसी प्रकार का ख़ास चेन्ज नहीं होगा तो एक राइट तरीक़े से तथा एक सही तरीक़े से एक प्रदेश की सरकार यह चीज करती है तो मैं समझता हूं कि हर हालत में सेन्ट्रल गवर्नमेंट जो है उसको यह उत्तर-दायित्व अपने ऊपर लेना पड़ेगा। इसलिये मैं यह समझता हूं और मैं इसको जरूरी भी समझता हूं कि अगर इस जिम्मेदारी से भी सरकार हटती है तो इससे हम लोगों के हृदय में शंका का बीज उत्पन्न होता है। जो नान निगोशियेबल बान्डस हैं हम उनकी खाली मजबूती चाहते हैं। अगर वह सिक्योरिटी नहीं मिलती है और शंका पैदा होती है उन छोटे लोगों के हृदय में जिनकी सम्पत्ति ली जा रही है तो कोई गलत शंका नहीं होगी। मैं आशा करता था और अब भी करता हूं कि अगर प्रादेशिक सरकार कहे तो कोई वजह नहीं है कि सेन्ट्रल सरकार न माने। वह मान सकती है। आज बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं जिस पर प्रदेश की सरकार ने जोर दिया और वह मानी गयीं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको न माना जा सके। इसी सरकार के कहने पर भारत के विधान में तब्दीली की गई तो यह कौन सी बड़ी भारी बात है जिस पर वह आप को रजमान्दी न दें। यह बात जभी पैदा हो सकती है जब केन्द्रीय सरकार यह समझे कि प्रादेशिक सरकार कोई ऐसा कार्य कर रही है जोकि गलत है। तो अगर गलत कार्य कर रहे हैं तभी तो उस भय से नहीं दे सकती है। लेकिन जब प्रान्तीय सरकार स्वयं किसी कार्य को क़ायदे के साथ कर रही है और केन्द्र की अनुमति से कर रही है तो कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन इसका कारण यह है कि माननीय माल मंत्री ने और हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस बारे में पूछ ताछ करने की कोशिश नहीं की। अगर आप अब भी लिखें तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं कह सकता हूं, जैसा मैंने कल कहा कि जितनी लाइटली इस चीज को लिया जाता है उतना नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसकी अहमियत को समझ कर के इस चीज को समझना चाहिए। अगर कोई वर्ग पुष्टी चाहता है, जिसमें किसी प्रकार का धन खर्च नहीं होता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ फिर अपने अमेंडमेंट को प्रेस करता हूं।

चेयरमैन—The question is that In line 5 of Rule 62 after the full stop after the words 'thereunder' the words 'The bonds shall bear a guarantee of the Government of India against repudiation by any future State Government of Uttar Pradesh" be added.

(The question was put and negatived Sri Kunwar Guru Narain and Sri Narottam Das Tandon voting in favour of the amendment)

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मैं संशोधन संख्या ४३ और ४४ पेश नहीं करना चाहता हूं। अब मैं ४५ संशोधन पेश करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से रूल ६४ में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :--

"In line 3 of Sub-rule (a) of Rule 64 for the figures "40" the figures "20" be substituted."

इस संशोधन के द्वारा मैंने यह मांग की है कि सरकार ने जो बान्ड्स के देने की मियाद ४० वर्ष रखी है उसको वह २० वर्ष कर दे ? श्रीमान्, जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि मैं इसमें भी नाकामयाब रहूंगा। लेकिन इसका असर जनता पर काफ़ी पड़ता है कि मुआविज़ा नक़द दिया जाय या बान्ड्स में दिया जाय। अब मेरा सुझाव सरकार के सामने यह है कि वह बांड्स की मियाद ४० वर्ष के बजाय २० वर्ष कर दे। और मुझे तो प्रोत्साहन हुआ इस चीज़ से, यह दैवयोग समझिये या मेरी खुश किस्मती समझिये, कल माननीय चरण सिंह जी ने अपने मुंह से कह दिया कि अभी २५, ३० वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रहेगी।

माल मन्त्री—यह तो हम को पता नहीं है क्योंकि तब हम नहीं रहेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण—तो जब माननीय माल मंत्री ने यह कहा कि २५-३० वर्ष तक तो अभी हम रहेंगे ही, कांग्रेस सरकार रहेगी तो एक प्रकार का हमें भी प्रोत्साहन मिला और उत्साह भी हुआ कि अब और किसी प्रकार से सिक्योरिटी नहीं होती। आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट की भी सलाह नहीं लेना चाहते, और मान लिया जाय कि जल्दी ही कांग्रेस की सरकार चली गई, जहां तक माल मंत्री जी का कहना है, वह एक साथ खास व्यक्ति हैं और स्थिति को समझते हैं और जानते हैं कि ऐसा विचार लोगों का है तो क्या होगा।

माल मन्त्री—मैंने और किसी बात का विश्वास नहीं किया सिर्फ एक बात का किया है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—तो ऐसी हालत में मुझे हिम्मत पड़ती है कि मैं इस बात के लिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह ४० साल से हटा करके २० साल की मियाद कर दें। इस तरह से एक प्रकार का शान्तिमय वातावरण देहातों में पैदा हो जायगा और हम लोग जा करके प्रचार करेंगे कि जो बात हो सकती थी वह हम लोगों ने की और सरकार को भी ऐसा कहना हो जायेगा कि यह सरकार तो २५, ३० वर्ष तक रहेगी ही लेकिन २० वर्ष के अन्दर तुम्हारा मुआविज़ा दिला देंगे और जितना वह कर सकते थे वह नहीं कर पाये लेकिन इतना तो जरूर कर लिया है। तो ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री की तरफ से यह चाहूंगा कि वह इस पर विचार कर ले। मैं समझता हूं कि यह कोई गलत बात न होगी। मैं जानता हूं कि माननीय माल मंत्री का यह कहना कि मुआविज़ा तो हम जल्द ही दिला देंगे लेकिन स्टेट के ऊपर लाइबिलिटीज हो जायेंगी और हर साल स्टेट को कुछ करोड़ रुपया अधिक देना पड़ेगा। जितना भी देना पड़ता हो इसका तो गालिबन माल मंत्री को तजुर्बा होगा और इसके लिये मैं इतना ही जवाब देना चाहता हूं कि यह भी बड़ी भारी लाइबिलिटी है जोकि आज आप लेने जा रहे हैं, इस जमींदारी प्रथा को नष्ट करने के बाद। तो इतनी लाइबिलिटी सरकार टेक-अप न करे यह कह कर कि कुछ करोड़ रुपया और अधिक बढ़ जायेंगे और हमारे प्रान्त के बजट का जो अनुमान है, हम उसे एडजेस्ट नहीं कर पायेंगे और जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको रोकना पड़ेगा। तो यह बात कह कर यह चीज शान्त नहीं की जा सकती है। हम जानते हैं कि "Where there is a will there is a way"। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट के पास सोर्सेज होते हैं। मैं आपको बतला दूं कि मेरा जैसा अपना अनुमान है और जैसा कि मैंने कल भी कहा कि एबालिशन आफ दि जमींदारी के बाद लगभग २२ करोड़ रुपये की आमदनी यहां से होती है। अगर प्रायर टू दि अबालिशन जो मेरा कैलक्यूलेशन है उससे अधिक लगभग सवा आठ करोड़ रुपया सरकार की आय आज होती है। बल्कि ९ या १० करोड़ रुपया ऐसा होगा जो कि सरकार के पास बचेगा।

अब हमारे सामने यह प्रश्न उठ सकता है कि उस रुपये में से कितना रुपया हम जमींदारों को कम्पेनसेशन देने में लगायें और कितना रुपया उसमें से घटाकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगायें। मेरा अपना अनुमान है कि और माननीय मंत्री जी चाहें और सरकार चाहे तो वह इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो समझता हूं कि

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

कि आज माल मंत्री जैसा कि उन्होंने कहा कि डेवलपमेन्ट होना चाहिये तो उस से पहले आज हर मनुष्य के हृदय में शान्ति हो और उसे कोई चिन्ता न हो और अगर उसे परेशानी उठानी पड़ेगी तो उसका हृदय अशान्तमय हो जायेगा। करोड़ों रुपया डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स में भी लगाया हुआ बेकार हो जायगा और जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर माननीय मंत्री जी चाहे "wher there is a will, there is a way" तो कोई कारण नहीं कि वह ऐसा नहीं कर सकती हैं वह अपने बजट से बहुत सी जीजें हटा कर बहुत से नवीन जो टैक्सेशन हैं उनको लगाकर और दूसरी चीजों को निकाल कर वह इसके लिये अच्छी तरह से रास्ता निकाल सकते हैं और बान्ड्स के पेमेन्ट को ४० वर्ष के बजाय वह २० वर्ष कर सकते हैं डेवलपमेन्ट प्रोजक्टस भी नहीं रुकेंगे और जमींदारों को भी मुआविजा मिल जायगा और वातावरण भी शान्त हो जावेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी तक तो उन्होंने मेरे सब संशोधन नामंजूर कर दिये, वह इसको अब अवश्य मंजूर कर लेंगे।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—मैं इसमें एक छोटा सा संशोधन रखना चाहता हूं और वह यह है कि २० की जगह २५ रख दिया जाय। माननीय माल मंत्री जी ने कुंवर साहब को बहुत आश्वासन दिये हैं और वे उससे प्रोत्साहित हो गये और उन्होंने अब अपना दृष्टिकोण भी बतलाया है। माननीय माल मंत्री ने सदन के सामने शिकायत की है।

चेयरमैन—१ बज गया है मैं समझता हूं कि इस पर २ बजे के बाद बहस हो।

चेयरमैन—कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[कौंसिल की बैठक १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गई और अवकाश के पश्चात् २ बजे पुनः डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

माल मन्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मंशा यह है कि बजाय ४० साल के दस्तावेज के २० साल कर दिया जाय जिससे २० साल में वह रकम बेबाक हो जाय। जैसा कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने कहा मेरा जवाब यही होगा इतना रुपया हमारे पास नहीं है और न हर साल इतनी बचत हो सकती है जिससे वह रकम दी जा सके। हिसाब उन्होंने बताया था आज नहीं कल उससे जाहिर होता है कि जमीन्दारी अबालिशन के बाद आमदनी १७ करोड़ दर्ज लगान की होती है जो कि काश्तकार जमीन्दार को देते थे वह रकम १७ करोड़ की है और १ करोड़ २ लाख रुपया जमीन्दारों की सीर व खुदकाश्त की जमीन की मालगुजारी है, जो जमीन्दार देगा। बाकी ६ करोड़ की मालगुजारी वह है जो सीर काश्तकारों के कब्जे में है और उसका लगान वह जमीन्दारों को दे रहे हैं तो इस तरह से १७ करोड़ की रकम एक होती है और १ करोड़ और सरकार को मिलती है इस तरह से १८ करोड़ रुपये की आमदनी होती है और आपने जो ३१ लाख की आमदनी बताई वह तो पंचायतों और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चली जायेगी, सरकार को नहीं मिलेगी। तो १७ और १, १८ होते हैं इसमें से मैं ७० लाख रुपया रखता हूं उस जमीन का लगान या मालगुजारी जो बिला तसफिया लगान है।

जमीन्दारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट वल्यूम २ सेक्शन ५ को देखेंगे जिसमें लिखा है:

"Occupiers of land without the consent of the person entitled to admit as tenant ——13,99,478 acres,

जमींदारी अबालीशन कमेटी रिपोर्ट वाल्यूम नं० २ पेज नं० ७ आइटम नं० ११ में जो एरिया दिया हुआ है वह है १३, ९९, ५०० । अब फी रुपया फी एकड़ के हिसाब से मालगुजारी लगा लीजिए। इस तरह से पौने १९ करोड़ स्टेट की आमदनी हुई। इसमें से कुछ रकम घटानी पड़ेगी। जो भूमिधर घट गए उनका लगान १ करोड़ ६५ लाख

कम हुआ यानी पौने २ करोड़ की आमदनी घटानी होगी । इस तरह से १७ करोड़ स्टेट की आमदनी हुई । इसमें जो १ करोड़ ८ लाख रुपये तो सेसेज की आमदनी होती है । यह उस जमीन की होती है जो कि किसानों के कब्जे में ३० जून तक थी उनसे टैक्स लिया नहीं जायगा । सवा करोड़ रुपया टैक्स का जमींदारों से आता है । इस तरह से कम से कम दो तिहाई आमदनी वह घट जायगी । १७ करोड़ में से २ करोड़ निकल गये तो १५ करोड़ हुआ जिसको कि आपने २२ करोड़ बतलाया था । ४० साल के अगर हम बांड्स रखते हैं तो ५ करोड़ रुपया सालाना अदा करना पड़ेगा ।

तो यह अन्दाज रहा है कि १८० करोड़ रुपया होगा । उसको ४० में तकसीम करें । इस तरह से हमको १ करोड़ का फायदा रहा है जैसा कि एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा था । इसके साथ यह भी हम को ध्यान रखना है कि चैरिटेबुल ट्रस्ट की पूरी आमदनी हमको देना है । हिसाब लगाने से यह मालूम हुआ है कि ४० साल से कम मुद्दत बान्ड को यह स्टेट बरदाशत नहीं कर सकता है । बल्कि मैं समझता हूं कि अगर यह ५० साल का होता तो ज्यादा मुनासिब होता लेकिन आप को ज्यादा शिकायत हो जाती । मैं आपको शिकायत करने का ज्यादा मौका नहीं देना चाहता हूं । मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं । वास्तव में जो कुछ मुझे याद था उसको मैंने कह दिया है लेकिन हो सकता है मेरा जो आर्गुमेन्ट है उसका कोई असर नहीं पड़ता है ।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने उपस्थित किया था और उसके सम्बन्ध में मुझे जो कुछ कहना था वह मैंने पहले कहा और जहां तक कि फीगर्स का ताल्लुक है जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा तो मेरा तो जैसा अपना ख्याल था वैसा अब भी है । माल मंत्री जी कहते हैं कि सही तौर से सीर खुदकाश्त के ऊपर इस नियमावली के अनुसार जो भी उसका रेन्ट है, वह बढ़ जायेगा और उससे लगभग ३५ या ४० लाख रुपये की आमदनी होगी लेकिन अब ये चीजें ऐसी हैं जिनको वर्क आउट करने पर ही आ सकती हैं । अनुमान से मंत्री जी ने अपना एक खाका खींचा और उसमें जो डिफेक्ट है उसका जिक्र किया मैंने पहले भी कहा था और अब भी कहता हूं कि डिफिकल्टी है और उन डिफिकलटियों को मैं जानता हूं । यह सरकार रुपया नहीं देना चाहती है ।

माल मंत्री--ऐसी बात नहीं है ।

श्री कुंवर गुरु नारायण--उस हद तक मैं आक्षेप नहीं करता लेकिन यह जरूर आक्षेप करता हूं कि सरकार स्वयं प्रयत्न नहीं करती है । सरकार ने एक स्कीम चलाई और कोशिश की रुपया कलेक्ट करने के लिये कि दूसरों से रुपया कलेक्ट हो जाय तो अदा कर दें । लेकिन यह सरकार रुपया इकट्ठा करने में फेल हो गयी । मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि उस रकम को जो वह देना चाहती है २० साल में अगर इस बात की कोशिश करे तो कोई न कोई तरीका निकल आयेगा । इसके अलावे मुझे और कुछ नहीं कहना है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मालमंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that in line 3 of sub-rule (a) of rule 64 for the figures "40" the figures "20" be substitituted.

(*The question was put and negatived.*)

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं ।

In line 3 of sub-rule (a) of rule 64 for the figures "40" the figures "30" be substituted.

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है जो दलील मुझे इस सम्बन्ध में देनी थी वह मैंने पहले संशोधन में उपस्थित किया था। यह एक अन्तिम संशोधन है कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में जिससे जमींदारों को कुछ रिलीफ मिल सकती है माननीय मंत्री ने यह अपनी डिफिकल्टी बतलायी कि ४० साल से २० साल करने में उनकी लायबलिटी बढ़ जाती है तो इसीलिये मैंने ३० साल रखा। ४० से ३० घटाने में लायबिलिटी स्टेट की बहुत कम पड़ेगी बमुकाबले २० या १० के। मेरा अपना ऐसा ख्याल था और मैं समझता था कि शायद यह संशोधन ऐक्सेप्ट भी हो जाय क्योंकि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और लायबिलिटी भी सरकार की बहुत कम थी। जब मैं मुख्य मंत्री के पास गया था तो उन्होंने हम लोगों की डिफिकल्टी को सुना था। हम लोगों ने इस प्रकार की बहुत सी बातें रखी जैसे ऐग्रीक्लचर इन्कम टैक्स है, उसको न काटा जाय और बहुत सी बातें जमींदारों के सम्बन्ध में रखो। लेकिन जब हमने यह बातें मुख्य मंत्री के सामने रखी कि आप का भी तो कुछ उत्तरादायीत्व होना चाहिये, आप नान निगोशियेबुल बान्ड्स दे रहे हैं तो अवधि में कम से कम कुछ कमी कर दें जिससे कुछ थोड़ा बहुत जमींदारों को जिनकी सम्पत्ति ली गई है, मिल जाय, पर कोई संतोषजनक उत्तर जैसी आशा थी, नहीं मिला। मेरा अपना अनुमान है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत राज मद में न आवे तो मुमकिन है कि हमारे समाजवादी भाई यह कहें कि इतने दिन नहीं रह सकती है लेकिन मेरा अनुमान है कि अगर वह सही रास्ते पर चली और राज मद जो होता है उसने उसे न फंसाया तो कोई कारण नहीं है कि कम से कम २०-२५ साल तक चल सकता ह एसा हालत म अगर आप ऐसा कर देंगे तो जमींदारों को संतोष होगा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि यह जो चीज है यह जरूर करने की है और इसमें तो कोई बात नहीं मालूम होती लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने कहा कि लायबिलिटीज बढ़ जायेंगी। तो क्या करेंगे तो हम लोगों ने कहा कि बहरहाल लायलबिटीज तो बढेगी ही, लेकिन जब आपने इतनी बड़ी लायबिलिटी अपने सर ले ली है और लाखो आदमियों की सम्पत्ति आपने ले ली तथा उनको बे रोजगार कर दिया तो यह बहुत थोड़ी लायबिलिटी है। बहरहाल, उनका ऐसा झुकाव मालूम हुआ कि शायद किसी अंश तक इस संशोधन पर विचार करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं जानता। हमारे छोटे जमींदारों ने हमसे कहा था कि हम मुख्य मंत्री जी के पास जायं और कहें कि कम से कम जो तकलीफें हैं उनको उनके सामने रक्खें और उनसे कहें उसूल तो तय हो गया अब बांड्स जो मिलें वह निगोशियेबुल नहीं मिलें लेकिन वह नान-निगोशियेबुल मिले। कैश की भी संभावना नहीं। तब इसके बाद अगर कोई शक्ल निकल सकती थी तो वह यह थी कि जितना कम पीरियड हम कर सकें वही अच्छा हो। और इसी लाइन पर मैंने पंत जी से कहा था और उन्होंने विचार किया मालूम होता है कि किन्हीं कारणों से वह स्थगित कर दिया गया। तो फिर मैं अपने संशोधनों द्वारा माननीय माल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस संशोधन के मानने से और १० वर्ष कम करने से शायद सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन पर अधिक असर नहीं पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ जमींदारों का फायदा हो जायेगा और सब से बड़ी बात यह होगी कि जमींदारों को यह संतोष होगा कि सरकार उनके साथ किसी हद तक रियायत करने के तैयार है। इसीलिये मैंने यह संशोधन इस भवन के सामने रक्खा है। मैं आशा करता हूं कि कम से कम आप इस लिमिटेशन पर ध्यान देंगे। मैं यह भी जानता हूं कि अगर माननीय माल मंत्री जी चाहें तो मुख्य मंत्री जी को इसे मानने में कोई आपत्ति न होगी।

माल मंत्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन कारणों से पहिले मैंने पहिले संशोधनों को स्वीकार नहीं किया है उन्हीं कारणों पर इस संशोधन को भी अस्वीकार करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in line 3 of sub-rule (a) of rule 64 for the figures "40" The figures "30" be substituted.

(The question was put and negatived, Sri Kunwar Guru Narain and Sri Narottam Das Tondon voting in favour of the amendment)

श्री प्रभु नारायण सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम ६४ उपनियम (क) के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि सरकार ज़मींदारी विनाश प्रतिकर की रक़म के किसी हिस्से को कृषि विकास योजना में लगा सकेगी और ऐसी हालत में सरकार की इच्छा पर किसी वर्ग या वर्गों के बन्धों (बान्ड्स) के अर्धवार्षिक किस्तों की अदायगी सरकार द्वारा निश्चित अवधि के लिये स्थगित की जा सकती है।"

दफ़ा ६४ में यह बात कही गई है कि बान्ड्स जो दिये जायेंगे उनका पेमेन्ट किस तरह से होगा, उसी सिलसिले में मैंने यह संशोधन रखा है। ऐसी कृषि योजनाओं को, जिनमें रुपया लगाने की ज़रूरत हो, तो सरकार इस संशोधन द्वारा वह रक़म जो अर्धवार्षिक देना है, रोक सकती है और उन योजनाओं में लगा सकती है। मैंने जो संशोधन दिया है, उसका मतलब यह था कि हमें उन्नति की ओर जाना है। आज देहातों की हालत बहुत ही नाज़ुक है। अपने गावों की तरफ जब मैं देखता हूं तो हमको मालूम होता है कि हमारे गावों की ग़रीबी अपनी चरमसीमा तक पहुंची हुई है। अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग आधा पेट खाते हैं और उनकी जिन्दगी का स्तर बहुत गिरा हुआ है। न दवा दारू का प्रबन्ध है और न शिक्षा का प्रबन्ध है। वह अपने को आगे नहीं बढ़ा पाते। एक बात मैंने कही थी और आज फिर उसको दोहराना चाहता हूं कि ५०-५१ के जो आंकड़े हैं वह बताते हैं कि हमारे गावों की आमदनी १६ रुपये की है। मैं ठीक तो नहीं कह सकता, लेकिन इसी के करीब है। मेरी समझ में यह जो आंकड़े निकाले गये हैं, वह उस समय के हैं जब बड़े-बड़े ज़मींदार और बड़े-बड़े काश्तकार भी उसमें शामिल थे। ऐसी हालत में अगर देखा जाय तो साफ मालूम होगा कि ८-९ रुपये के करीब आमदनी पड़ती है ऐसी हालत में, मैं समझता हूं कि कृषि के डेवेलपमेंट का कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिये और इस सम्बन्ध में हमारी सरकार भी चिन्तित है। उसी सिलसिले में मैंने यह संशोधन रखा कि जो रुपया ज़मींदारों को देना है अगर उस समय ज़रूरत पड़े, तो उस अवधि को जो अर्धवार्षिक है उसको किसी समय बढ़ा सकते हैं जिसमें वह रुपया डेवलपमेंट के कार्य में लगाया जा सके।

अक्सर यह सवाल उठाया जाता है और न्याय का प्रश्न उठाया जाता है और उस में चीन तथा रूस का जिक्र किया जाता है। यह बात कही जाती है कि हमने चीन और रूस का रास्ता नहीं अख्तियार किया। हमने तो जमींदारों की बड़ी सीरें और खुदकाश्तें छोड़ दी, उनके जो मकानात थे उनको छोड़ दिया, तथा बड़े-बड़े ताल्लुक़ेदारों के जो महल थे उनको भी छोड़ दिया। चीन और रूस में जो हुआ हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां चीन में इतना हुआ है, यानी आप के कहने के मुताबिक बहुत ज्यादतियां हुई हैं, तो आप के देश में यह हुआ कि इन जमींदारों की सीर खुदकाश्त और बाग बगीचों को साफ छोड़ दिया गया जब कि ग़रीब किसान सदियों तक इनके जुये के नीचे दबे रहे। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज जो मुआविज़ा का सवाल है वह तो आप ने अपने क़ानून में मान लिया है। लेकिन अब मुआविज़ा को बान्ड्स में देने का सवाल है। जो बान्डस में दिये जाने का सवाल है वह रोका जाय और जो हमारे यहां कृषि के उन्नति के कार्य हैं उनमें यह लगाया जाय। अभी जो आंकड़ें हमारे कृषि मंत्री ने बताये हैं वे हमारे सामने हैं। उन्होंने जो आंकड़े पेश किये हैं मैं समझता हूं कि वे सही होंगे और अगर थोड़ा बहुत हेर फेर हो तो वह थोड़ा ही हो सकता है। १७ करोड़ रुपये के क़रीब इस सरकार की आमदनी होती है जिसमें से पौने दो करोड़ रुपया जो भूमिधर अपना दस गुना जमा कर चुके हैं उनकी मालगुज़ारी में से सरकार को कम मिलेगा। इस तरह से माननीय माल मंत्री ने बताया कि १५ करोड़ ही

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

सरकार के पास रह जायेगा। दूसरी तरफ आप ने बताया कि इस वर्ष १९ करोड़ रुपये में से पौने दो करोड़ तो इस तरह से कम हो गया तो १७ करोड़ रह गया। इसी तरह से उन्होंने बताया कि सरकार की आमदनी एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स से साढ़े नौ करोड़ होती थी लेकिन जमींदारी विनाश बिल के पास हो जाने से उस में भी २ करोड़ की कमी होने की गुंजायश है। इस तरह से सरकार को साढ़े ७ करोड़ रुपया ही मिलेगी। उधर सरकार की आमदनी १७ करोड़ हो गयी और इधर साढ़े सात करोड़ रह गयी तो इस तरह से सरकार की आमदनी में काफ़ी कमी हो गयी। मैं समझता हूं कि आजकल जो मुल्क की हालत है उसको ध्यान में रखते हुए और अपने सूबे के किसानों की हालत को देखते हुये यह जरूरी है कि ४ या ५ करोड़ रुपया जो भी बचे वह रुपया किसानों की बहबूदी में लगाया जाय। वह इसलिये कि आप ने दस गुना रुपया जमा करके अपने देहातों से काफ़ी रुपया खींच लिया है ताकि इन ज़मींदारों को मुआविज़ा दिया जाय। जो पूंजी उत्पादन के कार्य में लगी हुई थी जिस से हमारी आर्थिक हालत मजबूत होती, वह पूंजी तो खींची गई है। इस तरह से वह उत्पादन का कार्य रुक गया है और जो छोटी-छोटी रक़में आप जमींदारों को देंगे, वह कोई ऐसा कार्य न कर पायेंगे जिससे उत्पादन के कार्यों में उपयोगी चीज़ कर सकें। इसलिये मुल्क के आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और सूबे के आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये आज जो पूंजी है, वह उत्पादन के कार्यों में लगायी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये इस बात पर जोर देता हूं कि चूंकि जीवन स्तर को ऊपर उठाने का जो सिद्धान्त है उस को सभी सदस्य मानते हैं और सरकार भी इसमें प्रयत्नशील रही है। यह वह कसौटी है जिस कसौटीपर आप यह फैसला कर लें कि आखिर उत्पादन के कार्य को बढ़ाने के लिए हम को कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। जो मुआविजा देने की बात है उस को आप रोक सकते हैं और उस रुपये को उत्पादन के कार्य में लगायें जिस से देश की उन्नति हो। सरकार को डेवलपमेन्ट के कार्य की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि उस को देश की जनता का अधिक ध्यान रखना चाहिए। माननीय माल मंत्री के कहने से शायद श्री गुरु नारायण जी को इस बात का यकीन हो गया कि कांग्रेस सरकार ३० या ४० वर्ष तक इस देश पर हुकूमत करती रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि आप मेरे संशोधन को २० वर्ष या २५ वर्ष तक के लिए ही मान लें यहां तक कि वह ३० वर्ष तक के लिए राजी हो गये। अब जमाने की रविश बदल रही है। जमाना करवट बदल रहा है देखिये वह किस तरफ जाता है।

माल मन्त्री--मेरे ख्याल में अब ज्यादा वक्त लेना बेकार है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, यह वक्त खराब करने की बात नहीं है। यह बहुत जरूरी संशोधन है इसलिये मैं इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता समझता हूं। इस सिलसिले में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने टोपी के रंग को इस लिए बदल दिया कि उन को कांग्रेस का टिकट नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, इस के साथ साथ मैं यह भी बात कह देना चाहता हूं कि बहुत से मिनिस्टर भी पहले सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते थे। सोशलिस्ट पार्टी सन् ३४ से अपना कार्यक्रम कर रही है। इलेक्शन में जो कांग्रेस की जीत हुई वह सिर्फ कांग्रेस के नाम की वजह से हुई। मैं माननीय माल मंत्री से यह भी कहना चाहता हूं कि जो इस चुनाव का नतीजा हुआ है उसी के नतीजे को देख कर शायद आप इस अमेन्डमेन्ट को भी न मानें। मैं आप से फिर यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस चुनाव में जो आप की जीत हुई है वह सिर्फ कांग्रेस के नाम की ही वजह से हुई है।

डिप्टी चेयरमैन--आप को अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में बोलना चाहिए। इलेक्शन के बारे में कहने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन के बारे में ही कह रहा था। जमाना बहुत जल्द बदल रहा है और इस का फैसला ५ वर्ष के बाद होगा कि किस की सरकार फिर बनेगी। उपाध्यक्ष महोदय, बिना चुनाव की हार जीत को ख्याल किये इस संशोधन पर विचार ही नहीं हो सकता है। खैर मैं अब हार जीत को छोड़ देता हूं लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है इसलिए सरकार को इस को जरूर मानना चाहिए। मैं यह जरूर समझता हूं कि कांग्रेस का बहुमत है। बिना बहुमत का ख्याल किये हुए सरकार को इस महत्वपूर्ण संशोधन पर विचार करना चाहिये। यह संशोधन बहुत जरूरी है इसलिये सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

माल मन्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना इस बात में जाये कि उन का संशोधन उचित है या अनुचित है मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक ऐक्ट को ही ठीक न कर दिया जाय तब तक यह मुमकिन नहीं है कि नियमों से ही हम यह तै कर सकें सिर्फ नियमावली से हम यह तय नहीं कर सकते हैं कि जो मुआविजा जमीन्दारों को दिया जाना है वह कृषि विकास में या उद्योग के विकास में लगा लें। लेकिन ऐक्ट में उनको मुआविजा देने की बात है और यह भी लिख दिया है कि कैश में दिया जाय या बान्ड्स में दिया जाय या पार्टली कैश में और पार्टली बान्ड्स में दिया जाय। इसलिये नियमावली से यह तय नहीं हो सकता है कि उस रुपये को अन्य विकास कार्य में लगाया जाय।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री ने जो ऐक्ट का हवाला दिया है मैं उससे इत्तिफाक करता हूं यानी ऐक्ट बन चुका है कि उसमें मुआविजा दिया जायेगा या नहीं और दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि उसको अर्धवार्षीक किस्तों में दिया जायेगा। ऐसी हालत में मैंने यह बात रखी और मेरे विचार से जो संशोधन मैंने पेश किया है, वह सही है। इस सिलसिले में ऐक्ट बन भी चुका है कि उनको मुआविजा दिया जाय।

माल मंत्री--ऐक्ट में यह भी दिया गया है कि बान्ड्स में दिया जायेगा या कैश में दिया जायेगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह--वह ठीक है कि नान इन्स्टुमेंटल तरीके से वे बान्ड्स न दिये जायेंगे लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि नियमावली यह बने कि अर्धवार्षिक किस्तों के रूप में दिया जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कम्पेनसेशन जो किस्तों में दिया जायेगा उसमें अच्छा हो कि आप एक डिफनिट पीरियड रखें और वह इस ऐक्ट के खिलाफ नहीं है। यह भी मानी हुई बात है कि जहां से पैसा आये यानी अगर वह किसानों से आता है तो अच्छा यही है कि वह कृषि के काम लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि ऐक्ट के सिलसिले में इस नियमावली से कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं अपने अमेन्डमेन्ट पर स्टिक करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि नियम ६४ उपनियम (क) के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय:--

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि सरकार जमींदारी विनाश प्रतिकर की रकम के किसी हिस्से को कृषि विकास योजना में लगा सकेगी और ऐसी हालत में सरकार की इच्छा पर किसी वर्ग या वर्गों के बन्धों (बान्ड्स) के अर्धवार्षिक किस्तों की अदायगी सरकार द्वारा निश्चित अवधि के लिये स्थगित की जा सकती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री कुंवर महाबीर सिंह**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:--

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

In sub-rule (b) of rule 64 for the words and figures "August 20 and February 20" substitute "October 1 and April 1".

श्री गुरु नारायण जी का आगे एक संशोधन है और वह उचित संशोधन है और उसी से प्रायः मिलता जुलता मेरा यह संशोधन है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

माल मंत्री--मैं इसको स्वीकार करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that In sub-rule (b) of rule 64 for the words and figures "August 20 and February 20" *substitut* "October 1 and April 1".

(The question was put and agreed to)

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं क्रम संख्या ४९ को मूव नहीं करना चाहता क्योंकि यह संशोधन हमारी तरफ से लोवर हाउस में लाया गया था और वहां पर माननीय मंत्री जी ने इसको मंजूर कर लिया था।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

For the existing rules 65 and 66 the following be substituted :

"65 (*a*) The instalments due on a bond from the date of its enfacement will be payable on the first date for the half-yearly payment, which falls next after the delivery of the bond to the intermediary.

(*b*) The instalment will be paid at the General Treasury at Delhi, all the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India, or at any treasury or sub-treasury in Uttar Pradesh for which the bond is enfaced provided that where the amount of instalment is Rs. 100 and less the payment shall be made by money order or through a Co-operative Bank."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो मैंने इस रूल में उपस्थित किया है उसका मतलब यह है :

"The instalment due on a bond from the date of its enfacement will be payable on presentation on the first date for the half-yearly payment which falls next after the delivery of the bond to the intermediary."

मैं इस संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि वह जमींदार जिसको एक सौ रुपये का कम्पेन्सेशन मिलता है उन का इन्सटालमेन्ट जो मिलना है, वह उसको मनी-आर्डर द्वारा भेजा जाय।

इस संशोधन के रखने का तात्पर्य यह है कि छोटे जमीन्दारों के लिये कुछ सहूलियत पैदा हो जाय। उनको दिक्कत होती है, तहसीलों में जाना होता है जैसा कि मैंने कल बताया इस प्रान्त में लगभग ३ सौ से ज्यादा ट्रेजरी होंगी और कम से कम ५ हजार जमीन्दारों की भीड़ हर खजानों पर होगी तो इस तरह से छोटे जमीन्दारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं यह समझता हूं कि जो छोटे जमीन्दार हैं उनको यह सहूलियत दी जाय, जिनको १०० रु० तक पाना है उनको उन की छमाही किस्त मनीआर्डर के द्वारा भेजी जाय। कल माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्या उपाय है माना कि ५ हजार की भीड़ हो जायेगी। उसका उपाय यह है कि छोटे जमीन्दारों को आप अधिकार दे सकते हैं उनका जो कम्पेंसेशन हो, उसको आप उनके पास मनीआर्डर के द्वारा भेजें और मनीआर्डर भेजने में सरकार का कोई खर्च न होगा और उनको अपने घर पर मिल जायेगा। जब

असेम्बली में बहस हो रही थी उस समय यह शब्द नहीं थे, आन प्रेजेन्टेशन लेकिन अब यह है इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है मैं समझता हूं कि यह एक मौका है जिससे छोटे जमीन्दारों के पास यह रुपया भेजा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इस संशोधन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और न धन की मांग है और एक सहूलियत पैदा हो सकती है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये इसलिये मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और इसमें कोई आपत्ति न उठेगी ।

माल मंत्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आमतौर पर जो संशोधन पेश करने वाले होते हैं वह यह बात भूल जाया करते हैं कि जो नियम या बिल सरकार यहां पर लाती है वह अच्छी तरह से सोच विचार कर के लाती है। जिस समय यह नियम बनाया जा रहा था उस वक्त भी यह अमेन्डमेन्ट आया था। उस वक्त एक कमेटी मुकर्रर की गई थी। मैं उन बातों को छोड़ता हूं लेकिन यह कहता हूं कि बहुत सोच समझ कर यह नियम बनाये गये और उसके बाद पब्लिश किये गये। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने एक कमेटी मुकर्रर की थी उसमें इस सदन के और विधान सभा के भी मेम्बर थे, उसने २ दिन तक विचार किया और आदि से अन्त तक विचार किया उसके सामने भी यह संशोधन आया था और कमेटी ने विचार करके कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। कारण यह है कि जो बान्ड्स होते हैं उसकी पुश्त पर लिखा होता है कि पुश्त पर इनडोर्समेन्ट होना चाहिये। अगर डाकखाने से भेजे जायेंगे तो बान्ड्स उनके कब्जे में होंगे तो इन्डोर्समेन्ट कौन करेगा।

इसलिए उस शख्स का ट्रेजरी में आना लाजिमी है। दूसरी बात यह है कि अगर मनीआर्डर करने की जिम्मेदारी ट्रेजरी के ऊपर पड़ गई तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जायगा। कभी कभी मनी आर्डर गलत भी पहुंच जाता है। कोआपरेटिव बैंक्स की जो बात कही गई है वह तो प्राइवेट बैंक्स हैं। उन पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी डालना ठीक न होगा। दूसरी सब तहसीलों में कोआपरेटिव बैंक्स हैं भी नहीं। कोआपरेटिव बैंक्स के जरिए रुपया भेजना उचित नहीं है।

श्री कुंवर गुरु नारायण---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो डिफीकल्टी माननीय माल मंत्री ने बताई उसको मैंने सुना। एक बात जो आपने कही कि उसमें दस्तखत करने पड़ते हैं मैं उसके बारे में कहूंगा कि जब मनीआर्डर जाता है तो रसीद तो आ ही जाती है। जमींदार को जो दिक्कत होती है वह उससे बच जाता है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि स्टाफ की डिफीकल्टी पड़ जायगी। स्टाफ की डिफीकल्टी के लिए तो मैं क्या कहूं वह तो होगी ही। लेकिन उन लोगों की डिफिकल्टी कहीं ज्यादा होगी जो थोड़े से रुपये के लिए दूर दूर से आवेंगे। बहरहाल मैं समझता हूं कि मनीआर्डर का जो सिस्टम है वह अच्छी तरह से काम करेगा।

डिप्टी चेयरमैन---The question is that for the existing Roles 65 and 66 the following be substituted:

> "65 (*a*) The instalments due on a bond from the date of its enfacement will be payable on first date for the half-yearly payment which falls next after the delivery of the bond to the intermediary.
>
> (*b*) The instalment will be paid at the General Treasury at Delhi, all the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India, or at any treasury or sub terasury in Uttar Pradesh for which the bond is enfaced provided that where the amount of instalment is Rs. 100 and less the payment shall be made by money order or through a Co-operative Bank."

(The question was put and negatived)

श्री कुंवर महावीर सिंह—Sir, I beg to move that the existing rule 67 shall be renumbered as sub-rule(1) of that rule and the following shall be added as sub-rule (2) :

"(2) In redeeming the bonds, priority shall ordinarily be given to the bonds held by intermediaries entitled to small amounts as compensation."

यह संशोधन बहुत आवश्यक है, इसलिए हाउस की स्वीकृति के लिए मैं इसे पेश कर रहा हूं।

माल मंत्री—मुझे यह संशोधन स्वीकार है ।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that the existing Rule 67 shall be renumbered as sub-rule (1) of that rule and the following shall be added as sub-rule (2) :

"(2) In redeeming the bonds, priority shall ordinarily be given to the bonds held by intermediaries entitled to small amounts as compensation."

(*The question was put and agreed to*)

श्री कुंवर गुरुनारायण—मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन रूल ७५ में पेश करना चाहता हूं—

In line 2 of sub-clause (2) of Rule 75 for the figures "50" the figures "250" be *substituted.*

श्रीमान् जी, इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि सरकार ने ५० रुपया कैश पेमेन्ट का रखा है, जमीन्दार को जो दिया जायेगा । उस कैटेगरी में केवल पांच रुपया पांच आना वाले जमीन्दार हैं जो लैन्ड रेवन्यू देते हैं । २५० रुपया तक कैश कम्पेनसेशन दिया जाय। बजाय ५० रुपये के २५० रुपया कर दिया जाय । तो इस प्रकार जो जमीन्दार २५ रुपया मालगुजारी देते थे उनका कम्पेनसेशन कवर हो जाता है। मैं जैसा पहले बता चुका हूं अपने अनुमान से, कि करीब १७ लाख आदमी जमीन्दार हैं जो २५ रुपया से कम लैन्ड रेवन्यू देते हैं । उसमें से करीब ८ लाख ऐसे होंगे जिनको कि ५० रुपया कम्पेनसेशन मिलेगा । तो लगभग ९ लाख जमीन्दार रह जाते हैं । अभी तक सरकार का यह दावा रहा है और हमेशा मंशा रही है कि छोटे जमीन्दारों को जो वाकई में छोटे हैं उनको कम्पेंसेशन कैश देना चाहती है । जो २५ रुपया के जमीन्दार हैं उनकी गणना छोटे जमीन्दारों में होनी चाहिये । जो २५० रुपया मालगुजारी देने वाले हैं उनको हम कहें कि छोटे जमीन्दार हैं, तो भी ठीक बात होगी, लेकिन सरकार की फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ जायेगी ।

मैंने ५० रुपया के कैटेगरी के जमींदारों को अपने संशोधन से हटा दिया इसलिये कि उसमें ५०० देना पड़ता था। उचित यह समझा कि जो जमींदार २५ रुपया मालगुजारी देते हैं और जिनका कम्पेंसेशन लगभग ढाई सौ के करीब होगा उसको कम से कम कैश में मिलना चाहिये । आज सुबह भी मैंने कहा था और अब दुहराने की जरूरत नहीं लेकिन फिर कहता हूं कि इन छोटे जमींदारों को थोड़ी सी सहायता जरूर मिलनी चाहिये और इसलिये मैं यह चाहता हूं । ४० साल में नान-निगोशियेबुल बान्ड्स प्राप्त करने से उनकी कठिनाई बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी । इसी आशय से इस संशोधन का रखा है। आशा करता हूं माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

माल मंत्री—चूंकि इतना रुपया नहीं है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in line 2 of sub-clause (2) of rule 75 for the figure "50" the figures "250" be substituted.

(The question was put and negatived, Sri Kunwar Guru Narain voting infavour of the amendment)

***श्री ज्योति प्रसाद गुप्त**—Sir, I beg to move that in rule 95 in the formulae for marginal adjustment beginning with "exceeding Rs. 250" the figure "8" for "9" be substituted.

यह अरिथमेटिकल मिस्टेक है इसको दुरुस्त करने के लिये यह अमेन्डमेन्ट पेश किया गया।

माल मंत्री—मैं इसको स्वीकार करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in the rule 95 in the formulae far marginal adjustment beginning with "exceeding Rs.250" the figure "8" for "9" be substituted.".

(The question was put and agreed to.)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that in rule 96 the following sentence be added at the end:

"The Bonds issued for rehabilitation grant shall be described as Zamindari Abolition Rehabilitation Grant Bonds."

माल मन्त्री—Sir, I accept the amendment.

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in rules 96 the following sentence be added at the end:

"The Bonds issued for rehabilitation grant shall be described as Zamindari Abolition Rehabilitation Grant Bonds."

(The question was put and agreed to.)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that rule 99 be deleted. असल में ३४१ में, क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड में, यह है। यह बेकार यहां है। इसलिये डिलीट कर दिया जाय।

माल मंत्री—मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that rule 99 be deleted.

(The question was put and agreed to.)

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं नियम १०६ के प्रारम्भ में निम्नांकित जोड़ दिया जाय—

"धारा १२२ के निर्देशों के अनुसार समिति के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सीमित मतदान (लिमिटेड वोटिंग) प्रथा के अनुसार होगा।"

यह संशोधन इसलिये रक्खा गया है कि यह होता है कि गांव पंचायतों या गांव सभाओं में जो नया कांस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है उसके हिसाब में भूमि वितरण उसके ऊपर होगी। इस उसूल के मुताबिक हमारे गांवों में जो पार्टियां बनती हैं वह आपस में एक दूसरे को दबा न सकेंगी।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

माल मंत्री--मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। लैंड रिफार्म के अख्तियारात में गांव सभाओं को नहीं देना चाहता। इससे झगड़ा बढ़ेगा। फैसला करने वाले जहां पर जितने कम होंगे उतनी ही आसानी से फैसला होगा वहां पर १० आदमी तो वैसे ही होते हैं अगर आप उसको गांव सभाओं को दे देंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। इसलिये दफा ११८ में लिखा है कि गांव सभाओं के फैसलों पर जो एतराज होंगे उनकी सुनवाई एस० डी० ओ० के यहां होगी।

श्री प्रभु नारायण सिंह--सवाल यह है कि मैंने तो उसके चुनाव के सिलसिले में बात कही है।

माल मंत्री--मैं माफी चाहता हूं। आप यह चाहते हैं कि प्रपोर्शनल एलेक्शन गांव के इलेक्शन में जरूरी कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि गांव वालों के लिये इससे कठिन कोई चीज नहीं होगी। जैसे हमारे जनरल एलेक्शन हो चुके हैं उसके लिये जब रूल बना था तो उस वक्त यह सवाल हुआ था कि सिंगिल मेजारिटी होना चाहिये या प्रपोर्शनेट होना चाहिये। माननीय सदस्यों को याद होगा कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ने राय स्टेट्स से मांगी थी और तकरीबन सब स्टेटों ने यही राय दी थी कि सिंगिल मेजारिटी से होना चाहिये प्रपोर्शनेट रेप्रेजेंटेशन से नहीं। इससे यह होगा कि गांवों में मजहबों के झगड़ों की वजह से जातियों की वजह से और अगर एक ही जाति है तो गोत्रों की वजह से या मुहल्लों की वजह से पार्टियांबन्दी होंगी। अगर इसको जारी कर दिया जाये तो फिर गांवों के जीवन में वैसा ही हो जायेगा जैसा कि बन्दरों के बीच में डंडे फेंक देने से होता है। उनमें आपस में झगड़े होंगे। प्रपोर्शनेट रेप्रेजेंटेशन फ्रांस में है। वहां ८ या ९ महीने से ज्यादा कोई गवर्नमेन्ट नहीं ठहरती है १५-२० पार्टियां हैं। ३ या ४ पार्टियां मिलकर राज्य बनाती हैं उनमें से किसी पार्टी से किसी बात पर मतभेद हो जाता है तो वह विरोधी पार्टी जा कर मिल जाती है इसीलिये फ्रांस की गवर्नमेन्ट बहुत कमजोर होती है। ब्रिटेन ने भी इसको माना है कि सिंगिल मेजारिटी में भी कुछ दोष हैं लेकिन प्रपोर्शनेट मेजारिटी में बहुत अधिक दोष हैं। जहां जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट कामयाब हुई है वहां-वहां सिंगिल मेजारिटी है। जर्मनी ने भी इसको लाने की कोशिश की थी लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। माननीय सदस्य इस पर विचार करें। मैं चाहता हूं कि पोलीटिकल पार्टियां अपने लम्बे लम्बे प्रोग्राम लेकर गांवों में न जायें। अगर वहा प्रपोर्शनेट रेप्रेजेंटेशन हो जायेगा तो बड़ा झगड़ा होगा। लेकिन इस रोग को छोड़ना चाहिये। इससे गांवों को जरूर बहुत बड़ी हानि होगी इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय माल मंत्री ने जो बातें सिंगिल मेजारिटी सिस्टम के बारे में कही हैं मैंने उनको ध्यान पूर्वक सुना है। उन्होंने कहा है कि उसी से सरकार बनना चाहिये। जहां तक सिंगल मेजारिटी सिस्टम का सवाल है मैं उसकी अच्छाई बुराई के सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपनी राय जाहिर की है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक सरकार के बनाने का सवाल है उसमें तो सिंगिल मेजारिटी सिस्टम चल रहा है। सवाल यह है कि सिंगिल मेजारिटी सिस्टम से यह हो या प्रोपोरेशनल मेजारिटी सिस्टम से हो और दूसरे यह कि गावों में भी सिंगिल मेजारिटी सिस्टम रायज किया जाय या नहीं! जहां तक मैं समझता हूं हिन्दोस्तान में प्रपोर्शनल मेजारिटी सिस्टम अब तक वर्क कर रहा है। बम्बई के कारपोरेशन इसी तरह से है प्रोपोशर्नल मेजारिटी सिस्टम से सभी रिप्रेजेन्ट होंगे। मैं माननीय माल मंत्री से इस बात पर इत्तिफाक करता हूं कि निर्माण योजनाओं को पार्टी बेसिस का आधार न बनाना चाहिये। इन्हें इस बात का भ्रम हुआ कि शायद हम ऐसा कर रहे हैं मैं इस बात को अपनी तरफ से साफ कर देना चाहता हूं कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। मैंने सुना है, पता नहीं कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है कि

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव पंचायत यूनिट्स से होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर यूनिट के आधार पर लड़ाई होगी और अगर ऐसा है तो जो बिल आने वाला है, वह न आयेगा गांव की पार्टीबाजी बहुत गन्दी होती है और ऐसी सूरत में अगर सब का रिप्रेजेन्टेशन न होगा तो अनजस्टिसेज बहुत होंगी। जहां तक स्टेबुल गवर्नमेन्ट बनाने का सवाल है, उसमें तो सिंगिल मेजारिटी सिस्टम मान लिया गया है। मैं तो यह चाहता हूं कि हर आदमी के साथ न्याय हो। तो मैं समझता हूं कि गांवों की जिन्दगी साफ सुथरी बनाने के लिये यह जरूरी है कि जो कमेटियां बनें उन कमेटियों को पार्टी के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि हर एक पार्टी जो कि गांव की पार्टी है, उसमें सब का प्रतिनिधित्व हो। यदि माल मंत्री यह मानते हैं कि गांवों के अन्दर इस तरीके से पार्टी पोलिटिक्स को उठाया जाय, तो मैं समझता हूं कि मेरा सुझाव बहुत जरूरी है जो कि गांव समाज को उठाने वाला है।

माल मन्त्री—इसका मतलब है कि मल्टीपल मेम्बर कान्स्टिटुएंसी हो, क्योंकि प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन वहीं होता है जहां २ या ३ से ज्यादा मेम्बर चुने जायं। यह इतना पेचीदा तरीका है जोकि पढ़े-लिखे लोगों के भी समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से वोटें गिनी जायं, तो गांव सभा के लोगों के समझ में आना तो और भी कठिन है। मुझे इस बात की झेंप नहीं है कि मैं खुद इसको ठीक तरह से समझा नहीं कि किस तरीके से ये वोट गिन जायं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं अपनी इन्फारमेशन के लिये इतना पूछना चाहता हूं कि यह जरूर है कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन मुश्किल है। लेकिन जहां ६ आदमी आये हों....

डिप्टी चेयरमैन—अब आपको राइट आफ रिप्लाई (Right of reply) नहीं है। प्रश्न यह है कि नियम १०६ के प्रारम्भ में निम्नांकित जोड़ दिया जाय:

"धारा १२२ के निदेशों के अनुसार समिति के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सीमित मतदान (लिमिटेड वोटिंग) प्रथा के अनुसार होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ)

श्री कुंवर गुरु नारायण—Sir, I beg to move that for the existing rule 11 the following be substituted:

"111. The Gaon Sabha or the Gaon Panchayat shall have full powers to revise any decision of the Land Management Committee relating to the settling and management of land or such other functions as are prescribed in rule 115."

श्रीमान् जब मैंने रूल १११ देखा, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आज इस प्रजातंत्र के युग में जबकि हम प्रजा को अधिक से अधिक अधिकार दे रहे हैं, हम जनता के अधिकारों को इस रूल के द्वारा सीमित कर देना चाहते हैं। गांव सभा और गांव पंचायतों को कांग्रेस सरकार का एक बहुत खास उत्पादन समझा जाता है और इस पर गौरव किया जाता है। यही सरकार ऐसी थी जिसने गांव सभा और गांव पंचायतों को क़ायम करके जनता को पूरे तरीक़े से अधिकार दिया और उनको अपने अधिकारों के बर्तने का मौक़ा दिया। एक प्रकार से यह विलेज रिपब्लिक ही है। गांव सभा को कुछ ऐसे अधिकार हैं, लेकिन इस रूल द्वारा गांव सभा और ग्राम पंचायत को अपने यहां जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है, उसके डिसीजन को रिवाइज़ करने का अधिकार नहीं दिया गया है और छिन गया है पंचायत राज्य ऐक्ट की धारा के अन्तर्गत यह अधिकार है कि यह लैंड मैनेजमेन्ट कमेटी बनाई जा सकती है और वह उस गांव पंचायत के द्वारा बनाई जायेगी यह एक बड़ा ताज्जुब की बात है कि जब हम गांव सभा को बनाते हैं तो हमारा उद्देश्य यह होता है कि हर व्यक्ति उसके कार्य का जिम्मेदार हो और अधिक से अधिक अधिकार उस गांव सभा और गांव पंचायत को दिये जायं। यह जो लैंड मैनेजमेन्ट कमेटी है उसको भी इस रूल १११ के अन्दर काफ़ी अधिकार है। उनको अधिकार है कि वह नान कल्टीवेटेड लैंड, जंगलों और तालाबों पर प्रतिबन्ध कर सकें। आप इस लैंड मैनेजमेन्ट कमेटी को गांव सभा और गांव पंचायत के द्वारा बनाते हैं तो उनको भी यह अधिकार होना चाहिए कि अगर वह कोई गलती करे तो उसकी पूरी गांव सभा जिम्मेदार

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

हो। सरकार का लैंड रिफार्म का जो सरकारी मुहकमा होगा वह इसे डील करेगा, ऐसा है।

मैं समझता हूं कि यह सही चीज़ नहीं है। आज जबकि हम प्रजातंत्र युग से गुजर रहे हैं और जबकि हमारा यह विश्वास है कि हम अधिक से अधिक उपाय करें और जब हम यह चाहते हैं कि हर बात पर अपने हक़ों की मांग करते हैं और अपने हकों की बात कहते हैं तो एक तरफ तो इन गांव सभाओं को बनाना और गांव पंचायतों को क़ायम करना और दूसरी तरफ उनके अधिकारों को कमेटी के सुपुर्द करना और उस कमेटी के डिसीजन का उत्तरदायित्व किसी सरकारी कर्मचारी के अधिकार में कर देना, यह कोई मुनासिब और उचित बात नहीं है। यह चीज़ प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के खिलाफ होती है। उनको पूरा अधिकार होना चाहिये। इन गांव सभाओं को, जिनके द्वारा यह लैन्ड मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई तो गई लेकिन कार्य सरकार के अपने हाथ में है। यद्यपि सरकार यह समझती है कि हमें अधिक से अधिक अधिकार देने चाहिये लेकिन सरकार के दिल में इस बात की चिन्ता भी है कि जनता अपने अधिकारों को अच्छी तरीक़े से बरत भी नहीं सकती। इस प्रकार का सन्देह सरकार के दिल में है और यह चीज़ हम लोगों ने बराबर कही और यह कहा कि गांव सभाओं और गांव पंचायतों के हम विरुद्ध नहीं हैं और हम चाहते हैं कि यह चीज़ पूरे तौर से डेवलप की जाय लेकिन क़ब्ल इसके कि यह चीज़ डेवलप की जाय, यह चीज़ें क़ायम की जायें, जरूरत इस बात की है कि जब तक समाज या जनसमुदाय शिक्षित व चरित्रवान नहीं होगा तब तक यह अच्छे तरीक़े से चल नहीं सकती है। इस प्रकार की प्रणाली कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकती है। यह मुमकिन है कि हमारे देश वासी जो देहातों में रहते हैं, उनकी अशिक्षिता के कारण वह इन्तज़ाम अपने अपने हाथों में ले कर के, उनका संचालन अच्छी तरीक़े से नहीं कर सकते हैं, इसलिये सरकार ने यह चीज़ रक्खी। इस बात का विचार सरकार ने किया हो कि जो आदमी होंगे वह पढ़े-लिखे तो होंगे नहीं, उल्टा सीधा तमाशा होगा और जो बहुत सी चीज़ें होनी होंगी वह गड़बड़ होंगी, इसलिये सरकार ने यही मुनासिब समझा कि उसने इसमें यह धारा रख दी कि यह जो लैन्ड मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं वह रिवीज़न की अथारिटी गांव सभा से छीन लें और वह छीन कर अपने अधिकारियों के हाथ में दे दे जो उस विभाग से सम्बन्ध रखते हों। पर प्रजातंत्र के उसूलों के यह विपरीत है तो एक प्रकार से कहने को है कि प्रजातन्त्र है रिपब्लिक है और गांव में हमने इस चीज़ को स्थापित किया है लेकिन दूसरी तरफ सरकार स्वयं कड़ा नियन्त्रण रखना चाहती है और सारी की सारी ताक़त इन गांव सभाओं से उनके इन्तज़ाम को अपने हाथ में लेना चाहती है। यह चीज़ हम लोगों ने बार-बार कही और शुरू से हम लोग यह बात कहते चले आ रहे हैं। जिस वक्त जमींदारी अबालिशन ऐक्ट चल रहा था तो हमारे दिल में शंका थी और वह यह शंका थी कि सरकार आज जो जमीन्दारी सिस्टम देहातों से हटाने जा रही है उसको हटा कर के अगर उसका इन्तजाम वह गांव वालों के हाथ में दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम को भय था कि सरकार स्वयं इस प्रथा को हटा करके स्टेट लैन्ड लार्डइज्म रखना चाहती है और वही इसका परिणाम भी हुआ कि इस प्रकार की कमेटियां स्थापित करके सरकार ने आज यह कहा कि जो गांव सभा के लोग हैं वे सभी बात का इन्तज़ाम नहीं कर सकते हैं तो यह ८-१० आदमी हैं और यह चुन लिये जायंगे और यह १० आदमी जो होंगे वह धीरे-धीरे सरकार के कर्मचारी हो जायेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट पार्टीज़ होंगी उनके ऊपर इनका इतना प्रभाव पड़ेगा जिससे कि सरकार स्वयं उनके ज़रिये से काम करायेगी। आज जो स्वतंत्रता है वह कहने भर की स्वतंत्रता है। जो क्षेत्र की स्वतंत्रता है वह ख़त्म हो जाती है। आज देहातों में ऐसा करने के बाद अगर हम यह कहें कि देहात वालों को हम स्वतंत्रता देते हैं और वह अपने घर का इन्तज़ाम स्वयं करें और फिर वह इन्तजाम उनके हाथ से हटा दिया जाता है तो बड़ा आश्चर्य है।

मैं जानता हूं कि माननीय माल मंत्री कहेंगे कि गांव वालों ने उस कमेटी को बनाया है और उनके सुपुर्द हमने इन्तज़ाम किया। यह ठीक है कि गांव सभा ने इस कमेटी को बनाया है तो उसके ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिये न कि उन आफिसरों के प्रति होनी चाहिये

जिनके ऊपर कि सरकार का अपना नियंत्रण है और वह उनके नेतृत्व में है और यह चीज़ तो जैसा मैंने पहले कहा बिल्कुल प्रजातन्त्र के उसूल के विरुद्ध है। हम लोगों ने बराबर यह चाहा कि जमींदारी प्रथा या जमींदारी सिस्टम हटाकर जो कार्य कि पहले ज़मींदार लोग करते थे और उसी के सिलसिले में जो भी दूसरी चीज़ें वे किया करते थे, और इस तरह से जो गांव का प्रबन्ध होता था, तो उस प्रबन्ध को आप हटा रहे हैं और इस तरह से हटा करके आप स्वयं उस चीज़ को अपने हाथ में ले रहे हैं और आप इस कमेटी के द्वारा भी ऐसा कर रहे हैं। तो यह अधिकार गांव सभा और गांव पंचायत को न देकर जिनके द्वारा यह कमेटी बनाई जा रही है, सरकार उसके सब अधिकार अपने हाथ में स्वयं ले रही है। यह जो संशोधन मैंने रखा है उसका तात्पर्य बिल्कुल साफ है और मैं यह चाहता हूं कि उन गांव सभा या उन गांव पंचायतों को पूरा अधिकार रहे और लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी का जो डिसीजन हो, उसको रिवाइज करने के अधिकार उनको प्राप्त हों न कि सरकारी कर्मचारियों को। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--मैं दो एक बातें इस सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं। जैसा कि कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा है कि देखने में तो यह नियम प्रजातंत्र सिद्धान्त के विरुद्ध है कि लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी को जो अधिकार दिये गये हैं और जिनकी कई उपनियमों में व्याख्या है और यह बात है कि ऐसी बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ देहात में होनी चाहिये और जैसा कि उन्होंने कहा कि इस लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव गांव सभा या गांव पंचायत करेगी, तो इस तरह से गांव सभा या गांव पंचायत एक सुपीरियर बाडी हुई, जो कि उनका निर्वाचन करेगी परन्तु उस गांव सभा या गांव पंचायत का कोई नियन्त्रण नहीं रहेगा तो यह बात समझ में नहीं आती है कि सरकार ने ऐसे नियम क्यों बनाये। इस तरह का अगर नियंत्रण सरकार ने रखा तो मैं समझता हूं कि उन गांव वालों से सरकार को लाभ होगा और उनसे उसे सहयोग भी मिलेगा। दूसरे मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी का जो नियन्त्रण होगा अगर उससे कोई असन्तुष्ट है, तो वह क्या करेगा। इसके लिये इसमें नियम ऐसे नहीं बनाये गये हैं कि अगर वह इस तरह से असन्तुष्ट है, तो उसके लिये क्या आवश्यक होगा।

श्री कुंवर महाबीर सिंह--यह ऐक्ट में दिया हुआ है। आप १०६ को देखिये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--यदि लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी पर गांव सभा या गांव पंचायत का नियन्त्रण रहेगा तो मैं समझता हूं कि इससे गवर्नमेंट को भी सहयोग मिलेगा। जैसा कि कुंवर साहब ने बतलाया कि हमारी गवर्नमेंट का इसमें उद्देश्य यह है कि देहात के लोग स्वतंत्र संस्थायें स्थापित करेंगे और इस तरह से काम करने से उनमें सुख व सहिष्णुता अधिक से अधिक बढ़ेगी और अगर उन्हें इस तरह से प्रोत्साहन मिल जाय, तो इससे हमारे उद्देश्य की भी पूर्ति होगी। यदि उसके मेम्बर उसमें होंगे और यदि उस सभा पर गांव सभा या गांव पंचायत अपना प्रभाव रखेगी तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। तो जो कुंवर साहब ने संशोधन सभा के सामने उपस्थित किया है, उस पर सरकार विचार करेगी और इससे देहात के लोगों को भी उत्साह मिलेगा और गवर्नमेंट का भी उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

माल मंत्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कुंवर गुरु नारायण साहब ने जो कुछ कहा है, उससे मुझे ताज्जुब नहीं है। लेकिन डाक्टर साहब ने उनकी ताईद की, इसका मुझे ताज्जुब है।

डाक्टर साहब तो हिस्ट्री के ज्ञाता हैं और वह जानते हैं कि हिस्ट्री के अन्दर पालिटिक्स होती है यह एक छोटा सा उसूल है उनके लिये यह नावाक़िफ नहीं कहा जा सकता है। मैं केवल २ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कुंवर साहब ने यह कहा कि गांव सभा के लोग अपढ़ होते हैं और वह इन्तजाम ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे, सरकार यह मानती नहीं थी और वह यह कहते थे कि नये सिरे से गांव वालों को देंगे लिहाजा आप का कहना शुरू से आखिर तक यही है कि यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आपने कहा कि वे सारा काम अच्छी तरह से

[माल मंत्री]

नहीं कर सकेंगे। मैं अर्ज़ करता हूं कि दलील क्या हुई। मैंने कहा था कि गांव वाले ठीक काम नहीं कर सकेंगे, और जो मैं कहता था वह तो आप के अनुकूल पड़ता है। मैं उनको अपील का हक़ नहीं देता हूं, कुंवर साहब को एतराज़ क्यों है और शिकायत क्यों है। यानी यह जो आपकी लम्बी चौड़ी तक़रीर हुई और उपदेश आपने दे डाला कि गांव वालों का यों है और आपने यह उनसे छीन लिया इस तरह से तो यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आप बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं और मैंने चूंकि पहले कहा था कि गांव सभा ठीक काम न कर सकेगी लिहाज़ा अख्तियार नहीं दिया जा रहा है, यह कोई दलील नहीं हुई। आप की बात में शुरू से आखिर तक एक दूसरे का विरोध है। मैंने जैसा कि प्रभु नारायण सिंह जी के संशोधन पर कल कहा था, असल बात यह है कि किसी काम के लिये एक कमेटी २ या ४ आदमियों की बनती है। मसलन रीजनल कमेटी हमने बना रखी है जो कि मोटर का परमिट देती है अब उसकी अपील लेजिस्लेटिव असेम्बली में नहीं हो सकती है, उसकी अपील रीजनल ट्रान्सपोर्ट आफ़ीसर के यहां होती है, उसकी अपील यहां नहीं आती है। जैसे कोई आफीसर है और उसका ट्रान्सफर होना है तो इसका अख्तियार एक आदमी को है। या जमीन के बारे में एक सुपरिन्टेन्डेन्ट है उसको यह अख्तियार है कि वह १०० एकड़ तक जमीन किसी को दे दे अगर उसके खिलाफ कोई अपील करना चाहे तो वह लैन्ड रिफार्म कमेटी के पास आती है इसमें चाहे तो गवर्नमेंट इन्टरफियर कर सकती है लेकिन लेजिस्लेचर को यह अख्तियार नहीं है कि उस चीज़ को गौर करे कि यह लैन्ड किस को दी जाय और किसको न दी जाय क्या यह डेमोक्रेसी नहीं है या यह जो काम सब हो रहे हैं वह सब अनडेमोक्रेटिक हैं। जैसे एक डिप्टी कलेक्टर है या सुपरिन्टेन्डेन्ट है कि किस आदमी को हटाया जाय और किस को क्या किया जाय तो यह बातें हेड आफ दी डिपार्टमेंट तै करता है लेकिन लेजिस्लेचर के सामने यह चीज नहीं आती है। तो क्या यह डेमोक्रेसी नहीं है। किस को जमीन दी जाय और किसको न दी जाय, लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें १० आदमी हैं एक छोटी सी कमेटी है, उसने कोई काम किया तो उसकी अपील जाय ३ हजार आदमियों के बीच में ऐसा हो सकता है अगर किसी जगह की गांव सभा है और उसमें इतने आदमी हो सकते हैं।

कहीं २ तो ५०० होगा, तो मामूली सी चीज है। किसी २ गांव सभा के मेम्बर्स की संख्या तो १,००० है। तो क्या १००० वाली गांव सभा यह तय करे कि यह जमीन किसको दी जाय। १० की अपील १००० आदमियों में जाय यह डिमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—अपील का प्रावीजन कहां है?

माल मन्त्री—यह ऐक्ट में दिया हुआ है।

इस सिलसिले में, मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं कि गांव सभा तो ऐक्ट के अधीन क़ायम है। अगर हमने गांव सभा में अपील भेज दी तो हमारा जो उसूल है वही खत्म हो जायेगा। गांव समाज हर गांव में होता है। जिस गांव में २० ऐडल्ट्स होंगे उसमें भी गांव समाज होगा। अगर गांव सभा को अख्तियार दे देते हैं तो हमारा मतलब होगा कि छोटे गांव की जमीन खाली हुई या वहां का लावारिस किसान मर गया तो वह जमीन अपने गांव के ही किसी आदमी को ही मिल जायगी। हर आदमी एक दूसरे से ताल्लुक रखता है वह एक अलाहिदा ऐंटिटी है। हमने गांव समाज को क़ायम किया लेकिन हमने उसको नान-फंक्शनिंग बाडी रखा है। पंचायत के बाद लैंड मैनेजमेंट कमेटी काम करती है। लैंड मैनेजमेंट कमेटी हर गांव की अलाहिदा अलाहिदा होती है। लैंड मैनेजमेंट कमेटी उन लोगों की होगी जो कि गांव पंचायत के अंदर होंगे।

आमतौर पर आदमी आयेंगे और कहेंगे कि हमको जमीन मिले। अगर उनको कोई असन्तोष है तो वे डिप्टी कलेक्टर के पास जा कर एतराज करें। कुंवर साहब ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह असंगत है। वे इसको वापस ले लें। जितनी बड़ी बाडी होगी

उसी तरह का जमीन का मामला जायेगा। हमारा तजुर्बा बतलाता है कि वह ठीक नहीं है। हमारी जो मंशा है वह खत्म हो जायेगी।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--ऐसा न हो जाय कि आप की जो मैनेजमेन्ट कमेटी हो वह निरंकुश हो जाय।

माल मन्त्री--अंकुश रहेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं माननीय मंत्री को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी मंशा बिल्कुल नहीं है कि समय खर्च किया जाय। इसमें तो जितना डिस्कशन अधिक से अधिक होगा उतना ही अच्छा है।

माल मन्त्री--ऐसे बड़े हाउस में जहां चार सौ से ज्यादा मेम्बर हैं वहां तीन दिन में रूल्स खत्म हो गये लेकिन यहां दो दिन हो गये और अभी तक रूल्स आधे भी नहीं हुये। आप दो हफ्ता तक चलायें मुझे कोई एतराज़ नहीं है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी यह बिल्कुल मंशा नहीं है। मैंने शुरू से इस बात का प्रयत्न किया है कि जहां तक मुमकिन हो सके इसको जल्दी खत्म किया जाय। माननीय मंत्री को इस बात पर क्रोध न आये। हाउस तो डिस्कसन कर रहा है। श्रीमान् जी, जैसा कि अभी मैंने लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी के सम्बन्ध में कहा था तो अभी माननीय मंत्री ने कहा कि मेरी मंशा थी। अगर ऐसा था तो गांव वालों को अधिकार न दिया जाता। तो मेरा कोई नुकसान नहीं था इससे मतलब यह नहीं निकलता। मेरी तो मंशा यह नहीं थी कि गांव वालों को अधिकार न दिया जाय। मेरी तो मंशा है कि गांव वालों को अधिकार दिया जाय। मेरी मंशा है कि जब कभी उनको अधिकार दिया जाय तो उनको एकदम न दिया जाय। उसमें आप का प्लान भी गड़बड़ हो जायेगा। आहिस्ते आहिस्ते जब तक जनता के अन्दर जिम्मेदारी पैदा न हो जाय तब तक उनको अधिकार देना उनके अधिकारों को छीनना है। पहले जो चीज मैंने कहा और माननीय मंत्री ने कहा है कि तीन चार हजार आदमियों के डिसीजन को कैसे रिवाइज करें। गांवों में जहां काफ़ी आदमी हैं उसको रिवाइज करना असम्भव है। तो इस कांस्ट्रेक्शन की जिम्मेदारी को मैं नहीं ले सकता हूं।

इस कंन्सट्रक्शन की जिम्मेदारी गांव वालों के हाथ से हटा ली जाती है इसके माने हुये एस० डी० ओ० को पूरा अधिकार है जिसे चाहें जमीन दें। फिर तो लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी हो या न हो उसकी कोई वकत ही नहीं। क्योंकि हो सकता है फाइनल डिसीजन के लिये सैकड़ों दरख्वास्तें एस० डी० ओ० के यहां पड़ेंगी और वह उन पर अपना फाइनल डिसीजन देगा। इसके लिये कोई सहूलियत कैसे निकल सकती है, यह तो गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है। जिस गांव का प्रबन्ध करना हो वहां की जो लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी हो उसकी जिम्मेदारी उसी गांव के रहने वाले उतने ही आदमियों पर हो जो उसके मेम्बर हों तो ज्यादा अच्छा हो। वह शंकायें जिनसे परेशानी उत्पन्न होने की सम्भावना है, जैसा कि माल मन्त्री जी ने संकेत किया है, वह इससे दूर हो जाती है। यों तो माननीय मन्त्री जी जैसे चाहें रूल्स बना सकते हैं, लेकिन मैं उस उसूल का जरूर विरोध करता हूं। एक तरफ लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी को और गांव सभा को अधिकार दें और दूसरी तरफ उसके रिवीजन का अधिकार एस० डी० ओ० को दें, इसके माने हुये वही ब्यूरोक्रेटिक उसूल आप लागू रखना चाहते हैं।

माल मन्त्री--मान लीजिये एक गांव है जिसमें १० हजार आदमी हों और वहां दो गांव सभायें हों तो कैसे वह मामला होगा?

श्री कुंवर गुरु नारायण--यह माना कि एक गांव में ५ हजार आदमी हैं तो उस सम्बन्ध में मैं नहीं कहता। अगर ५ हजार हैं तो पूरा अधिकार उनके रिवीजन का नहीं हो सकता है। मेरा जो अपोजीशन का उद्देश्य है वह यह है कि उनके जो रिवीजन की पावर हैं वह आपने

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

अपने सर्विस के आदमियों के हाथ में दे दी। मैं नहीं चाहता कि आप अपने सर्विस के आदमियों के हाथ में पावर उनके रिवीजन की दें। इसके माने होते हैं ब्यूरोक्रेटिक तरीक़े से उसको आप अब भी चलाना चाहते हैं अगर आप जनता के ५० आदमियों को एक बाडी के हाथ में दे दें तो अच्छा है। इसी लिये मने यह संशोधन पेश किया है कि माननीय मन्त्री जी इसकी ओर ध्यान दें। जो आपत्ति अभी माननीय मन्त्री जी ने पेश की है तो इस तरह से वह हमारे हर एक अमेंडमेंट पर आपत्ति करते हैं। लेकिन अपना तो ऐसा विचार है कि गांव समाज का अधिकारी यानी उनका फाइनल रिवीजन उनके ही ऊपर छोड़ा जाय।

माल मन्त्री--अफ़सर को अधिकार देना कौन सा पाप है। ब्यूरोक्रेसी कह कर आप अफ़सर को कोई अधिकार ही नहीं देना चाहते हैं। अगर आपकी बातें मानी जायं तो फिर सुपरिंटेंडेंट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी चुनाव के द्वारा ही नियुक्त होना चाहिये। थानेदार भी चुनाव के द्वारा होना चाहिये क्योंकि इक्जीक्यूटिव पावर आप किसी अफ़सर को देना पसंद ही न करेंगे। गांव की सभा भी आपकी राय के मुताबिक तै करेगी कि आया फलां आदमी चोर है कि नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--विधान का प्रश्न। लैंड मैनेजमेंट कमेटी अगर कोई काम खराब करती है तो उसको सुपरसीड करने के लिये भी किसी को अख्तियार है या नहीं।

माल मन्त्री--जी हां, गांव सभा को दफ़ा १२६ के मातहत है।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that for the existing rule 111 the following be substituted:

"111. The Gaon Sabha or the Gaon Panchayat shall have full powers to revise any decision of the Land Management Committee relating to the settling and management of land or such other functions as are prescribed in rule 115."

(*The question was put and negatived.*)

श्री ज्योती प्रसाद गुप्त--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:--

नियम ११५ के खंड (२) में शब्द "वन के पश्चात्" शब्द "जो गांव समाज में निहित हों" जोड़े जायं और इसी नियम के खंड (ग) में शब्द "वृक्षों" के पूर्व शब्द "उन" और शब्द "निस्तारण(disposal)" के पश्चात् शब्द "जो गांव समाज में निहित हों" जोड़े जायं और शब्द "निस्तारण" के पूर्व शब्द "उनका" निकाल दिया जाय। रूल ११५ में दो अमेंडमेंट हैं। उसमें नियमों के मुताबिक लैंड मनेजमेंट कमेटी दो काम करेगी, उसमें फारेस्ट का भी सुधार वह करेगी। उसमें यह संशोधन है कि "वेस्टेड इन दि गांव समाज" बढ़ा दिया जाय। बहुत से फ़ारेस्ट एसे भी हो सकते हैं जो फारेस्ट डिपार्टमेंट में हों

माल मन्त्री--मुझको यह मंजूर है।

डिप्टी चेयरमैन--The question is that in rule 115 after the word "boundaries" occurring in clauses (*a*) (*b*) (ii) *add* the following after the fullstop:

"*vested in the Gaon Samaj*" and similarly in sub-clause (*c*) of the same rule *add* the following after deleting the fullstop.

"vested in the Gaon Samaj"

(*The question was put and agreed to.*)

श्री प्रभु नारायण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि नियम १५९ खंड १ उपखंड ख में "दस गुना" शब्द निकाल कर उसकी जगह "साढ़े बारह गुना" रख दिया जाये।

बटवारे के सिलसिले में यह क़ानून बनाया गया था कि भूमिधर की जमीन जो है उसका मुआविज़ा २५ गुना होता है और अगर सीरदार की जमीन है, तो उसका मुआविज़ा केवल १० गुना होगा। मैं यह समझता हूं कि इसको साढ़े बारह गुना होना चाहिये। इसमें कोई लम्बी तक़रीर की जरूरत नहीं है। यह कोई बात नहीं मालूम होती कि इतना बड़ा फ़र्क क्यों रक्खा जाये।

२० साल के बाद उसका लगाना आधा ही रहेगा, लेकिन जो सीरदार हैं, उनका नहीं होता है, इसलिये सीरदार और भूमिधर के वैलुयेशन में इतना फ़र्क होना उचित नहीं है। उसका भी साढ़े १२ गुना हो।

माल मन्त्री--मुझे ताज्जुब है कि प्रभु नारायण सिंह जैसे समझदार व्यक्ति ने कैसे ऐसा संशोधन रख दिया है। वह चाहते हैं कि सीरदार का मूल्यांकन मौरूसी दर से साढ़े १२ गुना रख दिया जाय तो यह कैसे हो सकता हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--भूमिधर की स्थिति में आपने २५ गुना रखा है। मेरा कहना यह है कि सीरदार को वैलुयेशन के समय मौरूसी दर से साढ़े १२ गुना हो बजाय १० गुना के।

माल मन्त्री--सीरदार और भूमिधर की क़ीमत में ५-६ गुना का फ़र्क होना ही चाहिये। हमने केवल ढाई गुना रखा है सीरदार को १० गुना और भूमिधर को २५ गुना। २० गुना होने तक तो कोई दिक्क़त नहीं हो सकती है लेकिन आप कहते हैं कि साढ़े बारह हो। सीरदार और भूमिधर के हक़ूक़ में जितना अन्तर होना चाहिये उतना रखा गया है। मैं समझता हूं कि इसमें भूमिधर को और ज्यादा होना चाहिये था क्योंकि सीरदार को राइट आफ ट्रान्सफर नहीं है, वह लगान पर भी नहीं दे सकता है उसको अपनी जमीन सुपुर्द में गांव सभा को छोड़नी होगी। भूमिधर को राइट आफ ट्रान्सफर है, तो जहां तक रुपये पैसे का ताल्लुक़ है उसका मुक़ाबला सीरदार से नहीं हो सकता है, इसीलिये हमने २०-२५ का अन्तर रखा है, आप उसको साढ़े बारह और २५ का करना चाहते हैं। यह मुनासिब नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय माल मंत्री ने कहा है कि भूमिधर को राइट आफ ट्रान्सफर हासिल है, इसलिये उसका वैलुयेशन अधिक होना चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि राइट आफ ट्रांसफर से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है।

क्योंकि आपने जो राइट आफ ट्रान्सफर दिया है वह सिर्फ उन्हीं को दिया है जो कि भूमिधर बन गये हैं। जब आप ने उनको यह हक़ूक़ दे दिया है तो अब उनकी तरफदारी की जा रही है, क्योंकि उन्होंने आप की स्कीम का साथ दिया।

माल मन्त्री--हम कोई तरफदारी नहीं करने जा रहे हैं। सवाल तो यह है कि एक को जायदाद को ट्रान्सफर करने का राइट है और दूसरे को नहीं है, तो उनमें अन्तर होना ही चाहिए।

श्री प्रभु नारायण सिंह--जहां तक राइट आफ ट्रान्सफर का सवाल है उसको तो इस वक्त डिसकस नहीं करना चाहिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सीरदार जो है उसकी वेलूएशन इसलिये कम होती है कि चूंकि उसने दस गुना जमा नहीं किया, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो ऐसी सूरत में सीरदार के साथ ज्यादती होगी। इसलिये हम कहते हैं कि चूंकि भूमिधर का लगान आधा हो चुका है, तो उसकी हैसियत से जितने सीरदार होने चाहिए थे उससे दुगना होना चाहिए। यह ग़रीब वर्ग के साथ, जो भूमिधर नहीं हो सका, ज्यादती होगी। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि दस गुना की जगह साढ़े बारह गुना रख दिया जाय।

(इस समय ४ बजकर ८ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया)।

माल मंत्री--मुझे कुछ नहीं कहना है।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि नियम १५९ खंड १, उपखंड (ख) में "दस गुना" शब्द निकाल कर उसकी जगह "साढ़े बारह गुना" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)।

चेयरमैन—हम लोग अभी ६५ अमेंडमेंट तक आये हैं और कुल अमेंडमेंट १२५ हैं। मैं भवन से दरख्वास्त करूंगा कि अब सब को मालूम तो है ही कि किसकी क्या राय है। अगर कुंवर साहब इस बात को मंजूर कर लें कि जो जरूरी संशोधन हैं, उनको पेश करें और गवर्नमेंट की तरफ से हां या नहीं हो जाय और उसमें जो कोई मत रिकार्ड कराना चाहें, वह रिकार्ड करा ले, तो इस तरह से प्रोसीडिंग जल्दी हो जायेगी। आप और हम इसे अच्छी तरह जानते हैं कि कोई नया आर्गूमेंट इसमें नहीं है जो पिछले दो वर्ष के अन्दर न किया गया हो और अब इसे आधे घंटे में करना मुश्किल है। अगर कुंवर साहब की मदद होगी तो हम जल्दी काम कर सकेंगे।

श्री प्रभु नारायण सिंह—केवल कुंवर साहब के ही संशोधन नहीं हैं बल्कि मेरे भी संशोधन हैं।

चेयरमैन—श्री प्रभु नारायण सिंह जी की जो राय है वह भी सब को मालूम है। इसलिये आप भी जो जरूरी संशोधन हैं उन्हीं को मूव करें तो काफी सुविधा होगी।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रभु नारायण जी के अमेन्डमेंट हैं, उनके शायद कुछ डिस्ट्रक्टिव हों, लेकिन मेरे तो सब संशोधन कांस्ट्रक्टिव हैं। अगर आप की आज्ञा न हो तो मैं एक भी पेश करने के लिए तैयार नहीं हूं।

माल मंत्री—आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी सबूत दर्ज हो गया है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मेरे कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन पर प्रकाश डालना काफी जरूरी है। इसलिए मेरी यह राय है कि हाउस ५ बजे एडजर्न कर दिया जाय और दो घंटे के बाद हम लोग फिर यहां पर बैठ जाये और ९ बजे तक हम इसको पूरा कर लें।

चेयरमैन—मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—अगर आप की आज्ञा हो तो मैं एक भी संशोधन को मूव न करूं।

चेयरमैन—ऐसी आज्ञा देने का न मुझे अधिकार है और न मैं दे सकता हूं। इस भवन की जो रायें हैं, उसके मुताबिक मुझे काम करना है। जैसी भवन की राय होगी उसी के अनुसार काम होगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह बात हो सकती है कि गवर्नमेंट के जितने अमेन्डमेंट हैं उनको पास कर दिया जाय।

चेयरमैन—वह तो होगा ही।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that in sub-rule (2) of rule 171 the fullstop at the end be deleted and the following words be added:

"and the guardian shall without delay issue receipt for the payment to the asami".

यह एक बिलकुल सीधी सी बात है।

माल मंत्री—मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन—The question is that in sub-rule (2) of rule 171 the fullstop at the end shall be deleted and the following words be added:

"and the guardian shall without delay issue receipt for the payment to the asami".

(The question was put and agreed to.)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that for rule 174 the ollowing shall be substituted.

"On the said date a meeting of the Committee shall be held to prepare a list of all such persons who are present and express their desire to be admitted to the land. The committee shall in the same meeting announce the revenue or the rent to be fixed for the land as also the names of the persons included in the list."

इसमें कुछ थोड़ी सी तरमीम की गई है वह चीज इसमें आ गई है।

माल मंत्री—मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि नियम १७४ के स्थान में निम्नलिखित रखा जाय :—

> "उक्त दिनांक को समिति की एक बैठक होगी जिसमें समिति ऐसे समस्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो वहां पर उपस्थित हों और यह इच्छा प्रकट करे कि उन्हें भूमि उठा दी जाय। उसी बैठक में समिति भूमि के लिए निश्चित की जाने वाली मालगुजारी या लगान और उक्त सूची में दर्ज किये गये व्यक्तियों के नाम घोषित करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से रूल १७५ में निम्नलिखित संशोधन चाहता हूं।

> "175. If more than one person belonging to the same order of preference mentioned in section 198, appear and express their desire to be admitted to the land at the revenue or rent fixed by the Committee, the Committee shall decide the matter by drawing lots."

श्रीमान्, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि कम से कम बोलूं, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ प्रश्न ऐसा ही आ जाता है कि मुझे बोलना ही पड़ता है। मैं इस संशोधन पर कम से कम बोलूंगा। जो वेकेन्ट लैंड गांवों में होगी उनको नीलाम किया जायगा और जो अधिक से अधिक नजराना देगा उसको वह खाली जमीनें दी जायगी। लेकिन उसके बाद सरकार ने यह प्राविजन किया और वह यह है कि १० गुना अपना हेरीडेटरी रेन्ट उस शख्स को देना पड़ेगा जो कि फी एकड़ नजराने के तौर पर ऐसी जमीन को लेगा। यह प्रति एकड़ के हिसाब से लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी को देना पड़ेगा। मेरा संशोधन यह है कि यह न रक्खा जाय। सरकार जमीन्दारों का क्रिटिसिज्म करती है इसलिये कि जमीन्दार नजराना लेकर जमीन उठाते थे और उससे जनता को परेशानी होती थी और जनता पीड़ित होती है लेकिन वही सिस्टम आज सरकार भी चालू करने जा रही है। पहले तो सरकार ने यह रक्खा कि हाइस्ट बिडर को दिया जाय, तो इतना तो ठीक है लेकिन अब सरकार ने यह रक्खा है कि हेरीडेटरी रेन्ट उसका दस गुना जितना भी आता हो वह नजराने के रूप में देना पड़ेगा। मेरा संशोधन यह है कि हुजूर नजराना न देना पड़े। अब जब कि खाली जमीन पर बोली बोली गई तो उसमें यह कि दस साल का लगान देना पड़ेगा। यह उचित बात नहीं प्रतीत होती है। मैं समझता हूं कि जिस चीज का सरकार स्वयं विरोध करती थी आज वह स्वयं उस चीज को करने जा रही है। जिस चीज के लिये वह दूसरों की आलोचना किया करती थी, उसको स्वयं भी करने लगी है तो यह तो कोई ठीक बात नहीं है। इन्हीं कारणों से मैं यह संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय माल मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

माल मंत्री—मैं इसका विरोध करता हूं।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम १७५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"१७५—यदि धारा १९८ में उल्लिखित एक ही तारतम्य (आर्डर आफ प्रिफरेन्स) के एक से अधिक व्यक्ति उपस्थित हों और अपनी यह इच्छा प्रकट करें कि समिति द्वारा निश्चित मालगुजारी या लगान पर उन्हें भूमि उठा दी जाय, तो ऐसी दशा में समिति इस विषय को लाटरी डाल कर तय करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, Ibeg to move that for sub-rule (1) of rule 175 the following be shall substituted :

(1) "Where more than one person belonging to the ssame order of preference mentioned in section 198, appear and expres their desire to be admitted to the land at the revenue or rent by the Committee, the Committee shall draw lots to determine the person to whom the land should be given and the person so determined shall before being admitted to the land, pay to the Land Management Committee an amount equal to ten times the rent of the land calculated at hereditary rates :

Provided that no such amount shall be payable by any person belonging to the class mentioned in clause (*d*) of sub-section (1) of section 198."

माल मन्त्री—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि नियम १७५ के उपनियम (१) के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रखा जाय :—

"(१) उस दशा में जब धारा १९८ में उल्लिखित एक ही तारतम्य के एक से अधिक व्यक्ति उपस्थित हों और अपनी यह इच्छा प्रकट करें कि समिति द्वारा निश्चित मालगुजारी या लगान पर उन्हें भूमि उठा दी जाय, तो समिति ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि भूमि दी जानी चाहिए, निर्धारित करने के सम्बन्ध में लाटरी डालेगी और इस प्रकार निर्धारित व्यक्ति को भूमि उठाने के पहिले उसे भूमि प्रबन्धक समिति को एक ऐसी धनराशि देनी पड़ेगी जो मौरूसी दर से लगाये गये लगान का दस गुना होगी।"

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा १९८ की उपधारा (१) के खण्ड (घ) में उल्लिखित वर्ग के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की किसी भी धनराशि का भुगतान नहीं किया जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that rule 178 be deleted.

माल मन्त्री—I accept the amendment.

चेयरमैन—The question is that rule 178 be deleted.

(*The question was put and agreed to.*)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that after rule 182, the following shall be added as new rule numbered as 182-A and 182-B.

182-A. For every instalment of rent paid by an asami to the Gaon Sabha or the land-holder, the assami shall be entitled to get a receipt immediately.

182-B. Delivery of possession in execution of a decree or order for ejectment shall not be made before the fifteenth April or after the thirtieth day of June in any year:

"Provided that the State Government may by notification specify in respect of any local area other dates between which delivery of possession shall be made."

माल मंत्री--मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि नियम १८२ के बाद निम्नलिखित नये नियम १८२-क और १८२-ख के रूप में बढ़ायें जायें।

"१८२-क--असामी द्वारा गांव सभा या क्षेत्रपति को दी गई लगान की प्रत्येक किस्त के लिये वह तुरन्त रसीद पाने का अधिकारी होगी।

"१८२-ख--किसी डिगरी के निष्पादन या बेदखली की आज्ञा के पालन के सिलसिले में कब्जा १५ अप्रैल के पूर्व या ३० जून के बाद न दिया जायेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र के सम्बन्ध में वर्ष की ऐसी अन्य तारीख निर्दिष्ट कर सकती है, जिनमें कब्जा दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move for the existing sub-rule (2) of rule 183 the following shall be substituted :

"(2) The application shall be accompanied by a certified copy of the order, if any, in pursuance of which the applicant was evicted from the land."

माल मंत्री--मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम १८३ के उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

"(२) प्रार्थना-पत्र के साथ ऐसी आज्ञा की यदि कोई हो, प्रमाणित प्रतिलिपि भी रहेगी, जिसके अनुसार प्रार्थी को भूमि से हटा दिया गया था।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ,)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that for the existing rule 185, the follownig shall be substituted :

"185--On receipt of an application under section 242 or sub-section (2) of section 237, the Assistant Collector shall send for the relevant Khataunis and other records and make such other enquiry as may be necessary in this connexion."

माल मन्त्री--मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम १८५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :--

"१८५ धारा २३२ अथवा धारा २३७ की उपधारा (२) के अधीन प्रार्थना-पत्र पाने पर असिस्टेन्ट कलेक्टर सम्बन्धित खतौनी तथा अन्य अभिलेख मंगायेगा और ऐसी अन्य जांच करेगा, जो इस सम्बन्ध में आवश्यक होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that after rule 193, the following new rule numbered as 193-A be added :

"193-A Any person receiving rent from an adhivasi shall issue a receipt for the same."

माल मंत्री—मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि नियम १९३ के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम, नियम १९३-क के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"१९३-क--कोई व्यक्ति जो किसी अधिवासी से लगान लेगा इस धनराशि के लिये तुरन्त रसीद देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण--श्रीमान् जी, मैं कोई भी अपना संशोधन नहीं उपस्थित करना चाहता, क्योंकि माननीय मन्त्री जी उस का उत्तर नहीं देंगे।

चेयरमैन—यह तो सदस्य की इच्छा है। चेयर इसमें मजबूर भी नहीं कर सकती है। क्या आप अपना कोई भी संशोधन मूव करना नहीं चाहते हैं ?

श्री कुंवर गुरु नारायण--जी नहीं, मैं अपना कोई भी संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मैं भी अपने सब संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that for the existing sub-rule (2) of rule 208, the following be substituted :

"(2) In cases where amins are appointed for collection of revenue, payment shall ordinarily be made to the amin within whose jurisdiction the holding on account of which payment is made, is situate."

माल मंत्री--मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि वर्तमान नियम २०८ के उपनियम (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

> "(२) उन स्थितियों में जबकि मालगुजारी वसूल करने के लिये अमीन नियुक्त किये जायें, तो लगान का भुगतान साधारणतया उस अमीन का किया जायेगा जिसके अधिक्षेत्र में खाता पड़ता हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that for the word "Patwari' wherever it occurs in rules 211, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 287, 289, 290 and 291, be substituted by the word "Amin".

माल मंत्री--Sir, I accept the amendment.

चेयरमैन--The question is that for the word "Patwari" wherever it occurs in rules 211, 220, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 287, 289, 290 and 291, be substituted by the word "Amin".

(*The question was put and agreed to*)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that in rule 215 between the word "prepare" and the words "a statement", the words "in triplicate" be inserted.

माल मंत्री--I accept the amendment.

चेयरमैन--The question is that in rule 215 between the word "prepare" and the words "a statement", the words "in triplicate" be inserted.

(*The question was put and agreed to*)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that in rule 216 the last two sentences be substituted by the following :

"The statement shall then be further checked and signed by the Supervisor-Qanungo. The statement in triplicate shall be submitted to the Tahsildar so as to reach him latest by the 31st of August each year."

माल मंत्रीः—Sir, I accept the amendment.

चेयरमैन—The question is that in rule 216, the last two sentences be substituted by the following :

"The statement shall then be further checked and signed by the Supervisor-Qanungo. The statement in triplicate shall be submitted to the Tahsildar so as to reach him latest by the 31st of August each year."

(The question was put and agreed to)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that in rule 217, the last sentence shall be substituted by the following :

"One copy shall be handed over to the Amin and another to the Pradhan of the Gaon Panchayat."

माल मंत्री—Sir, I accept the amendment.

चेयरमैन—The question is that in rule 217 the last sentence shall be substituted by the following :

"One copy shall be handed over to the amin and another to the Pradhan of the Gaon Panchayat."

(The question was put and agreed to)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that the following new sentence be added at the end of sub-rule (1) of rule 225 : "Every foil of the receipt book shall bear the Stamp of the Tahsil."

माल मंत्री—Sir, I accept the amendment.

चेयरमैन—The question is that the following new sentence be added at the end of sub-rule (1) of rule 225 :

"Every foil of the receipt book shall bear the Stamp of the Tahsil."

(The question was put and agreed to)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that in rule 287 for the words "Supervisor-Qanungo", wherever they occur, the words "Naib-Tahsildar" be substituted; and the words "through the Naib-Tahsildar" occurring in the first sentence of sub-rule (1) of this rule be deleted, and for the words "once in an agriculture year" occuring in the same sentence the words "once in a Fasal" be substituted.

माल मंत्री—Sir, I accept the amendment.

चेयरमैन—The question is that in rule 287 for the words "Supervisor-Qanungo" wherever they occur, the words "Naib-Tahsildar" be substituted, and the words "through the Naib-Tahsildar" occurring in the first sentence of sub-rule (1) of this rule be deleted, and for the words "once in an agricultural year" occurring in the same sentence the words "once in a Fasal" be substituted.

(The question was put and agreed to)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that rule 288 be deleted

माल मन्त्री—Sir, I accept the amendment.

चेयरमैन—The question is that Rule 288 be deleted.

(*The question was put and agreed to*)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that the words "the Supervisr-Qanungo and" occurring in the first sentence of sub-rule (I) of rule 289 be deleted.

माल मन्त्री—Sir, I accept the amendment.

चेयरमैन—The question is that the words "the Supervisor-Qanungo and" occurring in the first sentence of sub-rule (I) of rule 289, be deleted.

(*The question was put and agreed to*)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that the words "Bhumidhar members of the Farm" occurring in the third line of sub-rule (3) of rule 318, be substituted by the words "Bhumidar and the farm."

माल मन्त्री—Sir, I accept the amendment.

चेयरमैन—The question is that the words "Bhumidhar members of the Farm" occurring in the third line of sub-rule (3) of rule 318, be substituted by the words "Bhumidar and the farm."

(*The question was put and agreed to*)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that the following new rule 342 shall be added after rule 341.

"342. The abatement of any suit or proceeding (including appeal, reference and revision), under section 49 of the U. P. Tenancy Act, 1939, stayed under clause (IV) of rule 4 as it stood before its modification by the legislature under sub-section (4) of section 344 and abated under clause (1) of this sub-rule, shall be set aside by the court concerned on its own motion, and such suit and proceeding shall be resorted to the stage at which it was abated."

माल मन्त्री—मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि नियम ३४१ के बाद निम्नलिखित नया नियम ३४२ बढ़ा दिया जाय :—

"३४२—धारा ४९, यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के अन्तर्गत वे सभी वाद अथवा व्यवहार जिनके अंतर्गत अपील अभिदेश और पुनरीक्षण भी है। जो नियम ४ के उपनियम ४ के अन्तर्गत धारा ३४४ की उपधारा ४ के अधीन धारा सभा द्वारा संशोधित होने के पूर्व स्थगित होकर समाप्त हो गये हैं, सम्बन्धित न्यायालय द्वारा स्वयमेव पुनः संचालित कर दिये जायेंगे। यह सभी वाद अथवा व्यवहार उसी स्थान से प्रारम्भ किये जायेंगे जहां से स्थगित अथवा समाप्त हुए थे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that the word "*Pargana*" shall be substituted for the words "*Patuaris' Halqa*" occurring in column 2 of Z. A. Form 63.

माल मन्त्री—मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि आकार-पत्र ६३ के स्तम्भ (२) में "पटवारी का हल्का" के स्थान पर "परगना" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that for the words "*Patwari*" occurring in column (9) of Z. A. Form 64, the word "*amin*" shall be substituted.

माल मन्त्री--मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि आकार-पत्र ६४ के स्तम्भ (९) में शब्द 'पटवारी' के स्थान पर पर शब्द 'अमीन' लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that the word "*amin*" shall be substituted for the word "*Patwari*" occurring in the heading and column 7 of Z. A. Form 65.

माल मन्त्री--मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि आकार-पत्र ६५ के शीर्षक और स्तम्भ ७ में 'पटवारी' के स्थान पर शब्द 'अमीन' लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that the word "*Pargana*" shall be substituted for the words "*Patwari's Halqa*" occurring in column 2 of Z. A. Form 66.

माल मन्त्री--मैं इसको स्वीकार करता हूं।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि आकार-पत्र ६६ के स्तम्भ (२) में शब्द "पटवारी का हलका" के स्थान पर शब्द 'परगना' लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that the word "*amin*" shall be substituted for the word "*Patwari*" occurring in the heading of Z. A. Form 76 and for the word "*circle*" in the heading of the same Form the words "Name of amin" shall be substituted.

माल मन्त्री--मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि आकार-पत्र ७६ के शीर्षक में शब्द 'पटवारी' के स्थान पर शब्द 'अमीन' और शब्द 'मंडल' के स्थान पर शब्द "अमीन का नाम" लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त--Sir, I beg to move that the following amendments shall be made in Appendix II :

(I) At the end of model by-law 6, the following proviso shall be added :

"Provided that these restrictions shall apply only in the case of new members and not in the case of persons who become members by inheritence."

(II) From model by-law 13, the items (IV) and (V) shall be deleted.

(III) For clause (*b*) of model by-law 14 the following shall be substituted

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

(*b*) A member may be expelled by a resolution of the Committee supported by not less than two-thirds of the members constituting the Committee and satisfied by not less than two-thirds of the members of the farm."

(IV) For model by-law 15, the following shall be substituted :

"15. A member of the farm who resigns or is expelled or removed, shall be entitled to receive back land in a consolidated block, equivalent to that contributed by him to the farm."

(V) In the beginning of model by-law 16, the following words shall be inserted and the article "A" in the beginning of the existing by-law shall be substituted by a small "a".

"Subject to any personal law restricting his powers with regard to the disposal of property."

(VI) For the word "may" in model by-law 37, the word "shall" shall be substituted.

(VII) In model by-law 39, for the words and figures "by-laws 37 and 38" the words and figures "by-law 38" shall be substituted.

(VIII) The following explanation shall be added at the end of each of the model by-law 49 and 50 :

"*Explanation*—A member shall not be deemed to hold an office of profit under the society merely by reason of doing manual work therefore on payment of wages."

(IX) In model by-law 59, the words "a person who is trained in or has sufficient experience of agriculture" shall be substituted for the words "a person trained in agriculture".

माल मन्त्री—मुझे स्वीकार है।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि परिशिष्ट २ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं :—

(१) आदर्श उपविधि ६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद बढ़ा दिया जाय अर्थात् "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह निरोध केवल नये सदस्यों के सम्बन्ध में लागू होंगे न कि उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो दायाधिकार द्वारा सदस्य बन गये हों।"

(२) आदर्श उपविधि १२ में से मदें ४ और ५ निकाल दी जायं :—

(३) आदर्श उपविधि १४ के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय। अर्थात् (ख) कोई भी सदस्य समिति के किसी ऐसे प्रस्ताव द्वारा निकाला जा सकता है जिसका समर्थन समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्य करें और जिसकी पुष्टि फार्म के कम से कम दो तिहाई सदस्य करें।"

(४) आदर्श उपविधि १५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"१५—फार्म के किसी ऐसे सदस्य को, जिसने इस्तीफा दे दिया हो या जो निकाल दिया गया हो या जो हटा दिया गया हो किसी चकबन्दी वाले ब्लाक में उस भूमि के बराबर भूमि प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो उसने फार्म को अंशदान के रूप में दी हो।"

(५) आदर्श उपविधि १६ की पहली पंक्ति में शब्द "कोई भी सदस्य" तथा शब्द "किसी ऐसे" के बीच शब्द "सम्पत्ति निस्तारण के सम्बन्ध में उसके अधिकारों का निरोध करने वाली किसी वैयक्तिक विधि को बाधित न करते हुए" रख दिये जायं।

(६) आदर्श उपविधि ३७ में शब्द "दे सकती है" के स्थान पर शब्द "देगी" रख दिया जाय।

(७) आदर्श उपविधि ३९ में शब्द और अंक "उपविधि ३७ और ३८" के स्थान पर "उपविधि ३८" लिख दिया जाय।

(८) आदर्श उपविधि ४९ और ५० में से प्रत्येक के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाय :—

"स्पष्टीकरण-कोई सदस्य केवल, इसलिये कि वह मजदूरी पर समिति के लिये शारीरिक परिश्रम का कार्य करता है, समिति के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न समझा जायेगा।"

(९) आदर्श उपविधि ५९ में शब्द "जिसे कृषि प्रशिक्षण प्राप्त हो" उसके स्थान पर शब्द "जिसे कृषि में प्रशिक्षण या परियाप्त अनुभव प्राप्त हो", लिखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—Sir, I beg to move that the following amendments shall be made in Appendix III :

(I) For the existing entry in column 5, against serial no. 25 (ii) the words "From the date of vesting where the cause of action arose under section 202 (*b*) before the date of vesting and in all other cases, from the date on which the cause of action arose" shall be substituted.

(II) For the exsiting entry in clumn 4, against serial no. 25 (iv) the words and figures "six months", and for the existing entry in column 5, the words "From the date of satisfaction of the mortgage" shall be substituted.

(III) For the existing entry in column 6, against serial no. 30, the words "As payable for a suit under section 180 of the U. P. Tenancy Act and assessed on the revenue payable" shall be substituted.

माल मन्त्री—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि परिशिष्ट ३ में निम्नलिखित संशोधन किये जायं।—

(१) क्रम संख्या २५ (२) के सामने स्तम्भ ५ की वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर वाक्य "उस स्थिति में जब कि धारा २०(ख) के अधीन व्यवहार का कारण निहित होने के दिनांक के पूर्व प्रारम्भ हुआ हो निहित होने के दिनांक से और अन्य स्थितियों में उस दिनांक से जब व्यवहार का कारण (cause of action) प्रारम्भ हुआ हो", लिखा जाय।

(२) क्रम-संख्या २५(४) के सामने स्तम्भ ४ की वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर अंक और शब्द "६ मास" और स्तम्भ ५ की वतमान प्रविष्ट के स्थान पर शब्द (बन्धक) "नियुक्ति (satisfaction) के दिनांक से" लिखे जायं।

(३) क्रम संख्या ३० के सामने स्तम्भ ६ की वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर शब्द "जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट की धारा १८० के अधीन किसी वाद (suit) के लिये दय और देय मालगुजारी पर निर्धारित हों" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा सचिवों को परामर्श देने के लिये परामर्श-दात्री समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नियमों की स्वीकृति का प्रस्ताव

माल मन्त्री—मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि यह विधान परिषद (क) मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा सचिवों को परामर्श देने के लिये परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन, विधान इत्यादि के नियन्त्रण के निमित्त बने हुए संलग्न नियमों को स्वीकार करती है तथा (ख) संलग्न नियमों क नियम १ में दी हुई विधि के अनुसार उसी नियम में उल्लिखित प्रत्येक समिति में वित्तीय वर्ष १९५२–५३ में कार्य करने के लिये ३ सदस्य निर्वाचित करने के लिये कार्यारम्भ करती है। यह पुराना नियम है सिर्फ संख्या का अन्तर है।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि यह विधान परिषद्:—

(क) मन्त्रियों, उपमन्त्रियों और सभा सचिवों को परामर्श देने के लिये परामर्श-दात्री समितियों के निर्वाचन, विधान इत्यादि नियन्त्रण के निमित्त बने हुए संलग्न नियमों को स्वीकार करती है, तथा *

(ख) संलग्न नियमों के नियम (१) में दी हुई विधि के अनुसार उसी नियम में उल्लिखित प्रत्येक समिति में वित्तीय वर्ष १९५२–५३ में कार्य करने के लिये तीन सदस्य निर्वाचित करने के लिये कार्यारम्भ करती है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—इन समितियों के नामिनेशन्स आप लोग तारीख ९ को १२ बजे तक सेक्रेटरी को दे दें।

पूरक अनुदान, १९५२–५३ के लिये मांगे

माल मन्त्री—Sir, I present the demands for Supplementary Grants for 1952-53.

चेयरमैन—सदस्यों को ६ तारीख का सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर बहस करने के लिये तैयार रहना चाहिए।

सन १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौन्सिल—श्रीमान् जी, आपकी आज्ञा से मैं १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश इलक्ट्रिसिटी ड्यूटी विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह विधयक विधान सभा ने १७ सितम्बर को पारित किया और यहां आज सायंकाल ३ बजे आया।

मानानीय अध्यक्ष ने यह प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक है

सदन का कार्यक्रम

श्री कुंवर महावीर सिंह—श्रीमान् जी, कल एक सवाल आया था कि तारीख २५ को सभा का कार्य स्थगित रखा जाये।

---

* नियमावली के लिए देखिए नत्थी "क" पृष्ठ ६८६ पर।

चेयरमैन--मुझे यह मालूम हुआ है कि भवन के अधिकतर मेम्बर यह चाहते हैं कि कल सभा न हो और ६ तारीख तक के लिये इसे स्थगित किया जाय। क्या मेम्बरों की राय है कि कल सभा स्थगित रक्खी जाय ?

(सदन ने अनुमति दे दी।)

चेयरमैन--अब कौंसिल ६ ता० को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ४ बजकर ४५ मिनट पर ६-१०-५२ को ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

लखनऊ,
२४ सितम्बर, १९५२ ई०।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्यविधि के नियम

१—(क) स्तम्भ २ में उल्लिखित विषयों पर मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये निम्नलिखित स्थायी समितियां होंगी और उनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) से यथास्थिति विधान सभा और विधान परिषद् द्वारा किया जायगा :—

क्रम-संख्या	विषय	सदस्यों की संख्या जो चुने जायेंगे	
		विधान सभा द्वारा।	विधान परिषद् द्वारा.
१	२	३	४
१	हरिजन सम्बन्धी	१४	३
२	शरणार्थी	१४	३
३	सामान्य प्रशासन	१४	३
४	सार्वजनिक निर्माण विभाग (इमारत तथा सड़कें)	१४	३
५	सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई) ...	१४	३
६	सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत) ...	१४	३
७	शिक्षा	१४	३
८	श्रम	१४	३
९	वन	१४	३
१०	माल	१४	३
११	न्याय तथा विधान सम्बन्धी ...	१४	३
१२	कृषि तथा पशु पालन ...	१४	३
१३	आबकारी	१४	३
१४	जल	१४	३

क्रम-संख्या	विषय		सदस्यों की संख्या जो चुने जायेंगे	
			विधान सभा द्वारा	विधान परिषद् द्वारा
१	२		३	४
१५	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	...	१४	३
१६	स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी संस्थाएं	...	१४	३
१७	सूचना ...	...	१४	३
१८	रसद ...	...	१४	३
१९	पुलिस ...	...	१४	३
२०	यातायात ...	...	१४	३
२१	उद्योग ...	...	१४	३
२२	विकास ...	...	१४	३
२३	सहकारी ...	...	१४	३

(ख) मन्त्री, उपमन्त्री तथा सभा सचिव (Parliamentary Secretaries) अपने अपने विषयों के सम्बन्ध में समितियों (Committees) के सदस्य अपने पद के अधिकार से होंगे।

(ग) जब कभी भी आवश्यक हो, एक या एक से अधिक सम्बन्धित मन्त्री दो या दो से अधिक समितियों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

(घ) यदि विधान सभा का कोई ऐसा सदस्य जो गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत कर रहा हो, सम्बन्धित समिति का सदस्य न हो तो वह समिति की उस बैठक में सम्मिलित हो सकता है जिसमें प्रस्तावित बिल पर विचार किया जा रहा हो, परन्तु उसको मत (Vote) देने का अधिकार न होगा।

(ङ) समितियों के सदस्यों का कार्य-काल वह आर्थिक वर्ष होगा जिसके लिये वे चुने गये हों या उस आर्थिक वर्ष का जिसके लिये वे चुने गये हों वह भाग होगा, जो उनके चुने जाने के समय शेष रह गया हो, परन्तु कोई भी सदस्य फिर से चुना जा सकेगा।

२—प्रत्येक समिति का सभापति (चेयरमैन) उस विषय का इन्चार्ज मन्त्री होगा जिसके लिये समिति बनायी गयी हो या कोई उपमन्त्री या सभा सचिव होगा या कोई ऐसा सदस्य होगा जिसे सभापति (चेयरमैन) के रूप में कार्य करने के लिये उक्त मन्त्री, उस समय नामजद करे,

जब वह उपस्थित न हो सके। मन्त्री का नामजद किया हुआ कोई अफसर समिति का सचिव (Secretary) होगा।

३--किसी समिति का कोई सदस्य, जो यथास्थिति विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य न रहे, उस समिति का सदस्य नहीं रहेगा और यदि इस कारण या किसी अन्य कारण से उस अवधि के भीतर जिसके लिये समिति नियुक्त की गयी हो, समिति में कोई स्थान रिक्त हो जाय तो ऐसे रिक्त स्थान को भरने के लिये सदस्य के चुनाव के लिये यथास्थिति विधान सभा या विधान परिषद् में यथा शीघ्र प्रस्ताव रक्खा जायेगा।

४--स्थायी समिति के सामने साधारणतया निम्नलिखित विषय रक्खे जायेंगे :--

(क) ऐसे सब गैर सरकारी बिल जो विधान मंडल (Legislature) में प्रस्तुत किये जायं या जिनको प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हो और ऐसे विधान सम्बन्धी प्रस्ताव (Legislature proposals) जिन पर सम्बन्धित मिनिस्ट्री कार्यवाही करना चाहे।

(ख) समितियों और कमीशनों की रिपोर्टें (जिनमें वैभागिक समितियों की अप्रकाशित रिपोर्टें सम्मिलित नहीं हैं।)

(ग) सामान्य नीति सम्बन्धी बड़े प्रश्न तथा बड़ी योजनायें जिन पर इन्चार्ज मन्त्री समिति की परामर्श लेना चाहें।

(घ) वार्षिक रिपोर्टें।

(ङ) इन्चार्ज मन्त्री की अनुमति से सार्वजनिक महत्व का कोई भी विषय जो समिति के कार्यक्षेत्र में हो और जो समिति का कोई भी सदस्य विचार के लिये प्रस्तुत करे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि :--

(१) अत्यन्त आवश्यकता की दशा में सम्बन्धित मन्त्री को अधिकार होगा कि वह समिति की परामर्श न ले।

(२) नीचे लिखे हुए मामले समिति के कार्य-क्षेत्र में न होंगे :--

(१) व्यक्तिगत अधिकारियों अथवा कर्मचारियों से सम्बन्धित ऐसे मामले जिनका सम्बन्ध नियुक्तियों, स्थान-नियुक्तियों, स्थान परिवर्तनों अथवा अनुशासन सम्बन्धी मामले से हों;

(२) ऐसे सब मामले जिनको इन्चार्ज मन्त्री जनहित के विचार से समिति के सामने प्रस्तुत करना उचित न समझें।

५--स्थायी समितियों का काम परामर्श देना होगा और उनकी कार्यवाहियां बिलकुल गोपनीय होंगी। समिति की किसी भी बैठक में प्रेस के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।

६--सचिव स्थायी समिति की बैठक साधारणतः वर्ष में कम से कम दो बार और यदि हो सके तो तीन बार ऐसी तारीखों पर बुलायेंगे जिन्हें इन्चार्ज मन्त्री निर्धारित करें। बैठक कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा और उसे वह ऐसे स्मृति-पत्र के साथ परिचालित करेगा जिसमें यह स्पष्ट बताया जाय कि प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे कागज पत्रों की प्रतियां भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें इन्चार्ज मन्त्री प्रस्तुत करने का आदेश दें। सदस्यगण प्रत्येक बैठक के समाप्त होने पर उक्त कागज पत्र सचिव को लौटा देंगे। समिति की कार्यवाहियां उन्हीं मदों तक सीमित रहेंगी जिनका उल्लेख कार्यक्रम में हो तथा और अधिक सूचना की प्रार्थना पर इन्चार्ज मन्त्री की आज्ञा से विचार किया जायगा।

७—किसी स्थायी समिति की किसी बैठक में सभापति सचिव अथवा विभाग के किसी ऐसे अधिकारी से, जो विशेष निमन्त्रण से वहां उपस्थित हो, कार्यवाही की किसी बात को समझाने के लिये कह सकता है।

८—इसके पश्चात् सभापति सदस्यों से वाद-विवाद करने के लिये कहेगा और सचिव विभाग की फाइल में समिति का सामान्य मत नोट कर देगा।

पी० एस० यू० पी० ६४–एल० सी०–१९५२—८३०।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड २६

"अ"

अध्यापकों—

- प्र० वि०—आदित्य नारायण हायर सेकेन्डरी स्कूल, बनारस के——का स्थायी किया जाना। अं० १५, पृ० ६३६।
- प्र० वि०—लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के——का प्रदर्शन। अं० १०, पृ० ३७२, ३७३, ३७४।

अनियमित—

- प्र० वि०—बरेली कालेज के बोर्ड आफ कन्ट्रोल का——होना। अं० १०, पृ० ३७०, ३७१।

अनुदान—

- पूरक——, १९५२-५३ के लिये मांगें। (पेश किया गया)। अं० १५, पृ० ६८४।

अफसरों—

- प्र० वि०—जुडीशियल——की संख्या तथा वेतन। अं० १३, पृ० ५३९, ५४०, ५४१।

अब्दुल शकूर नजमी, श्री—

- वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ७४, ७५—७८, ७९।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्र-पान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५५०, ५५१।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २८१, २८२, २८३।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७५।
- सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३९४, ३९५।

अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री—

- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २२४, २२५।

अर्द्ध सैनिक शिक्षा—

- प्र० वि—केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य शारीरिक तथा——योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार का मत तथा उत्तर। अं० १५, पृ० ६४०।

"आ"

आय-व्ययक (बजट)--
  वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के -----पर साधारण विवाद। अं०, ३, पृ० ४३--९०, ९१। अं० ४, पृ० ९४--१४९, १५०। अं० ५, पृ० १५४, १५५--२०८।

आज्ञा--
  उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (विविध व्यवहार) कठिनाइयों को दूर करने की-----१९५२ ई०। (मेज पर रखी गई।) अं० ९, पृ० ३५९।

"इ"

इन्द्र सिंह नयाल, श्री--
  "देखिये प्रश्नोत्तर।"
  वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ६८, ६९, ७०।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३७८, ३७९।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५६६, ५७२।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक। अं० २, पृ० ३८ ३९।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) अं० ६, पृ० २२१, २२२।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७४, ५७५।
  सन् १९५२ ई० का यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कांटिनुएंसी आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३९१, ३९२।

"ई"

ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर--
  उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। अं० १४, पृ० ६२५। अं० १५, पृ० ६४६, ६४८, ६५६, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७४।
  प्रस्ताव कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के लिये सरकार एक कुटीर उद्योग संघ की स्थापना करे और ऐसे उद्योगों तथा धंधों की उन्नति तथा विकास के लिये उपर्युक्त योजना तैयार करे। अं० ११, पृ० ४७०, ४७१, ४७२।
  प्रस्ताव कि सरकार १९३९ ई० के कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करे या इस सम्बंध में नया कानून बना कर चकबंदी की उचित व्यवस्था करे। अं० ११, पृ० ४५९।
  सदन का कार्यक्रम। अं० ११, पृ० ४७२।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ४९०, ४९१, ४९२।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३२९, ३३०।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५५८, ५५९, ५६०।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ५२४।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २३०, २३१-२३४, २३५, २४९। अं० ७, पृ० २९४।

सन् १९५२–५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १०६, १०७—११०, १११—११३, ११४।

"उ"

उद्योग मंत्री—
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक। (प्रस्तुत किया) अं० १, पृ० ३।

  सन् १९५२–५३ ई० का आय–व्ययक (बजट)। (प्रस्तुत किया) अं० १, पृ० ३, ४—२७, २८।

उमा नाथ बली, श्री—
  देखिये "प्रश्नोत्तर"।

  सन् १९५२–५३ ई० के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १५४, १५५, १५६।

"ए"

एलाटमेन्ट आर्डर—
  प्र० वि०–रुड़की के ए० आर० आ० द्वार मकान का——का परिवर्तित किया जाना। अं० १२, पृ० ४७४।

"क"

कन्हैया लाल गुप्त, श्री—
  प्रस्ताव कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के लिये सरकार एक कुटीर उद्योग संघ (Cottage Industries Board) की स्थापना करे और ऐसे उद्योगों तथा धन्धों की उन्नति तथा विकास के लिये उपर्युक्त योजना तैयार करे। अं० ११, पृ० ४६३।

  सदन का कार्यक्रम। अं० १२, पृ० ५२६।

  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ५१४।

  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३२४ ३२५।

  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमंडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३७५ ३७६, ३७८।

  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २२५, २२६–२२७, २२८।

  सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १७५, १७६—१७८, १९१।

कारखानों—
  प्र० वि०—राज्य में सुरक्षा सन्बन्धी बड़े ——की स्थापना। अं० १५, पृ० ६४०, ६४१।

कार्यक्रम—
  सदन का ———। अं० १, पृ० ३, २८–२९। अं० २, पृ० ३९, ४०। अं० ३, पृ० ९१। अं० ४, पृ० १५०, १५१। अं० ७, पृ० २९९। अं० ८, पृ० ३४८। अं० ९, पृ० ३६०–३६१। अं० १०, पृ० ४०५, ४०६। अं० ११, पृ० ४७२। अं० १२, पृ० ५२६। अं० १३, पृ० ५६२, ५६३। अं० १४, पृ० ६३२, ६३३। अं० १५, पृ० ६८४, ६८५।

कुटीर उद्योगों—
  प्र० वि०—राज्य सरकार द्वारा छोटे पैमाने के धन्धों और——का समीकरण और विकास। अं० १५ पृ० ६३६, ६३८–६३९, ६४०।

कुंवर गुरु नारायण, श्री—
  उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। अं० १४, पृ० ५९१, ५९२–५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६१६, ६१७, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८,

कुंवर गुरु नारायण, श्री—
६२९, ६३० । अं० १५, पृ० ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६६२, ६६३, ६६४, ६६७, ६६८, ६६९, ६७१, ६७२, ६७४, ६७५. ६७८ ।
प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४२९, ४३०, ४४५, ४४६—४४८, ४४९ ।
सदन का कार्यक्रम। अं० १, पृ० २८, २९ । अं० ९, पृ० ३६०, ३६१ । अं० १०, पृ० ४०५। अं० १२, पृ० ५२६ । अं० १३, पृ० ५६२, ५६३ । अं० १४, पृ० ६३२, ६३३ ।
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ४८७, ४८८, ४८९, ४९२, ५१६, ५१७, ५१८, ५२१, ५२२, ५२३ ।
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १० पृ० ३८६, ३८७ ।
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५४६, ५४७, ५४८, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६९, ५७० ।
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २१६, २१७, २१८ ।
सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३९०, ३९१ ।
सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९। अं० ५, पृ० २०७, २०८ ।

कुंवर महावीर सिंह, श्री—
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। अं० १४, पृ० ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१५, ६१८, ६१९ ६२०, ६२१, ६२२, ६२३ । अं० १५, पृ० ६६१, ६६२, ६६४, ६६९ ।
सदन का कार्यक्रम। अं० १४, पृ० ६३३ । अं० १५, पृ० ६८४।
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३३८, ३३९।
सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १७२, १७३–१७४, १७५।

कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री—
देखिये "प्रश्नोत्तर" ।
प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३८।
सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १४२, १४३–१४४, १४५।

"ख"

खाद्य तथा रसद मंत्री—
सदन का कार्यक्रम। अं० १०, पृ० ४०५ ।
सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३७४, ३७७, ३७८, ३८३, ३८४, ३८५, ३८७, ३८८।
सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधयक। अं० १०, पृ० ३८८, ४०१, ४०२, ४०३, ४०५।

"ग"

गृह मंत्री
  वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या १३६३ (३)टी० पी०/३०--५०-टी (८)-५२, तारीख २ जुलाई, सन् १९५२ ई० (मेज पर रखा)। अं० ९, पृ० ३५९।
  वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४२९१-टी/३०--७५९-टी-१९४९, तारीख १५ नवम्बर, १९५१ ई० (मेज पर रखा)। अं० ९, पृ० ३५९।
  सन १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७२, ५७३।
  सन् १९५२--५३ के आय-व्यय (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १९५, १९६-१९९, २००।

ग्रेड--
  प्र० वि०--बरेली कालेज के तीन अध्यापकों को सरकारी आदेश के प्रतिकूल----दिया जाना। अं० ८, पृ० ३१८।

गोविन्द सहाय, श्री--
  देखिये "प्रश्नोत्तर"।
  वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ५४, ५५-६१, ६२।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३३०, ३३१, ३३२।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २१८, २१९-२२०, २२१।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २८४।

"घ"

घोषणा--
  सन् १९४७ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की----। अं० १, पृ० २।
  सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की----। अं० ९, पृ० ३५८।
  सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी अत्ययिक अधिकार (खाली करने और अधिगृहीत करने) के विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की----। अं० १, पृ० २।
  सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की----। अं० ३, पृ० ४२।
  सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की----। अं० १, पृ० २।
  सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की----। अं० १, पृ० २।
  सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारक) (द्वितीय) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की----। अं० १, पृ० २।
  सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की----। अं० १, पृ० २।
  सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश लगान के नकदों में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की----। अं० ३, पृ० ४२।

घोषणा--
- सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर गवर्नर की स्वीकृति की-----। अं० ९, पृ० ३५८।
- सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश शूगर फैक्ट्रीज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति की-----। अं० ९, पृ० ३५८।
- सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति की-----। अं० ९, पृ० ३५८।
- श्री शिवमूर्ति सिंह, सदस्य, लेजिस्लेटिव कौंसिल, के त्याग-पत्र की-----। अं० ७, पृ० २५६।

"च"

चरागाह--
- प्र० वि०--चकिया के जंगलों में पशुओं के----। अं० १३, पृ० ५३८।

चिकित्सालयों--
- प्र० वि०--उत्तर प्रदेश में एलोपैथिक आयुर्वेदिक तथा यूनानी----की संख्या तथा उनमें व्यय की गई धनराशि। अं० १२, पृ० ४७४, ४७५।

चुनाव--
- आरकोलाजिकल म्यूजियम, मथुरा की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य का-----। अं० ४, पृ० १५०।
- किंग एडवर्ड सप्तम सैनेटोरियम भुवाली की ऐडवाइजरी कमेटी के लिये एक सदस्य का----- (स्वीकृत हुआ)। अं० ६, पृ० २१२।
- उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये दो सदस्यों का-----। अं० ४, पृ० १५०।
- बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश के लिये एक सदस्य का-----। अं० ४, पृ० १५०।
- सन् १९५२-५३ ई० के लिये २२ स्टैंन्डिग कमेटियों के लिये-----। (स्वीकृत हुआ)। अं० ६, पृ० २११, २१२।
- स्टेट म्यूजियम, लखनऊ की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य का----। अं० ४, पृ० १५०।

चूरी--
- प्र० वि०--फतेहपुर से कोयले की----का बाहर भेजा जाना। अं० १३, पृ० ५४१।

चेयरमैन--
- आगरा यूनिवर्सिटी की सिनेट के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन। अं० १२, पृ० ५२५।
- आरकोलाजिकल म्यूजियम, मथुरा की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव (घोषित किया)। अं० ४, पृ० १५०।
- उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति, लखनऊ के लिये दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव। अं० २, पृ० ३४।
- उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये दो सदस्यों का चुनाव (घोषित किया)। अं० ४, पृ० १५०।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। अं० १४, पृ० ५९५।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। अं० १४, पृ० ६२६, ६२७, ६२८, ६३१, ६३२।
- उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। अं० १५, पृ० ६४१, ६४४, ६४६, ६५१, ६५२, ६५४, ६५६, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३।
- उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव। अं० २, पृ० ३४।
- एक सदस्य का नार्दर्न रेलवे (पुरानी ई० आई० आर०) की लोकल ऐडवाइजरी कमेटी के लिये चुनाव का प्रस्ताव। अं० ९, पृ० ३५९।
- एक सदस्य का संस्कृत शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिये चुनाव का प्रस्ताव। अं० ९, पृ० ३५९।

किंग एडवर्ड सप्तम सैनेटोरियम भुवाली की ऐडवाइजरी कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव। अं० ६, पृ० २१२।

दो सदस्यों का आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये चुनाव का प्रस्ताव। अं० ९, पृ० ३५९।

नार्दर्न रेलवे ऐडवाइजरी कमेटी, कानपुर के लिये एक सदस्य का निर्वाचन। अं० १२, पृ० ५२५।

पूरक अनुदान, १९५२-५३ के लिये मांगे। अं० १५, पृ० ६८४।

प्रदेशीय आरकोलाजिकल म्यूजियम, मथुरा की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव। अं० २, पृ० ३४।

प्रदेशीय म्यूजियम लखनऊ की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव। अं० २, पृ० ३४।

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४२०।

प्रस्ताव कि कौंसिल के नियमों का नियम १२५ (२) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक सन् १९५२ ई० के विचार किये जाने के सम्बन्ध में स्थगित किया जाय। अं० ६, पृ० २१२।

बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश के लिये एक सदस्य का चुनाव (घोषित किया)। अं० ४, पृ० १५०।

मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों को परामर्श देने के लिये परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नियमों की स्वीकृति का प्रस्ताव। अं० १५, पृ० ६८४।

वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ६२, ८१।

सदन का कार्यक्रम। अं० १, पृ० ३२८, ३२९। अं० २, पृ० ३९, ४०। अं० ३, पृ० ५१। अं० ४, पृ० १५०, १५१। अं० ७, पृ० २९९। अं० ८, पृ० ३४८। अं० ९, पृ० ३६०, ३६१। अं० १२, पृ० ५२६। अं० १३, पृ० ५६२, ५६३। अं० १४, पृ० ६३२, ६३३, अं० १५, पृ० ६८५।

संस्कृत शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के लिये एक सदस्य का निर्वाचन। अं० १२, पृ० ५२५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ४९३, ४९५, ५१५, ५१६, ५१८, ५२२, ५२३, ५२४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३२४, ३३३, ३४८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८५, ३८७, ३८८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ५२४, ५२५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक। अं० २, पृ० ३८, ३९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २१५, २१६, २३०, २३५, २४८, २४९, २५२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) अं० ७, पृ० २५६, २८६, २८८, २९९।

सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० ९५, ११४, ११७, १२०, १५०। अं० ५, पृ० १५४, २०७, २०८।

चेयरमैन--
  सन् १९५२-५३ ई० के लिये २२ स्टैंडिंग कमेटियों के लिये चुनाव। अं० ६, पृ० २११, २१२।
  स्टेट म्यूजियम, लखनऊ की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव (घोषित किया)। अं० ४, पृ० १५०।
  श्री शिव मूर्ति सिंह, सदस्य, लेजिस्लेटिव कौंसिल, के त्याग-पत्र की घोषणा। अं० ७, पृ० २५६।

"छ"

छात्रों--
  प्र० वि०--मेरठ कालेज की एल० टी० कक्षाओं में--------का प्रवेश। अं० १५, पृ० ६३६, ६३७।

"ज"

जगन्नाथ आचार्य, श्री--
  सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १८४, १८५।

"जनता हेल्पर्स स्कीम"--
  प्र० वि०--बरेली शहर में "------" की सरकार की अनुमति। अं० ९, पृ० ३५६, ३५७।

ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री--
  उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली पर विवाद। अं० १५, पृ० ६६५, ६७२, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३।
  देखिये "प्रश्नोत्तर"।
  प्रस्ताव कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के लिये सरकार एक कुटीर उद्योग संघ (Cottage Industries Board) की स्थापना करे और ऐसे उद्योगों तथा धन्धों की उन्नति तथा विकास के लिये उपर्युक्त योजना तैयार करे। अं० ११, पृ० ४६०, ४६१, ४६२, ४६३।
  प्रस्ताव कि सरकार १९३९ ई० के कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स एक्ट को संशोधित करे या इस सम्बन्ध में नया कानून बना कर चकबन्दी की उचित व्यवस्था करे। अं० ११, पृ० ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५-४५७, ४५८, ४५९।
  वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ६५, ६६-६७, ६८।
  सदन का कार्यक्रम। अं० ११, पृ० ४७२। अं० १२, पृ० ५२६। अं० १३, पृ० ५६३।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३३९, ३४०, ३४१।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३७९, ३८०।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) अं० ६, पृ० २४७, २४८, २४९, २५०-२५१, २५२।

"ट"

ट्यूबवेलों--
  प्र० वि०--मुगलसराय, ज्ञानपुर और बनारस में ----- की मांग। अं० १३, पृ० ५३७, ५३८।

"ड"

डिग्री कालेजों--
  प्र० वि०--नैनीताल और ज्ञानपुर बनारस के दोनों ----- का वार्षिक खर्च तथा कर्मचारियों की संख्या।

डिप्टी चेयरमैन--
  उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। अं० १४, पृ० ६०६, ६०७, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४। अं० १५, पृ० ६५७, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६७२।

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४४५, ४४९, ४५०।

प्रस्ताव कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के लिये सरकार एक कुटीर उद्योग संघ (Calitage Industries Board) की स्थापना करे और ऐसे उद्योगों तथा धन्धों की उन्नति तथा विकास के लिये उपर्युक्त योजना तैयार करे। अं ११, पृ० ४६२, ४६३।

प्रस्ताव कि सरकार १९३९ ई० के कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करे या इस सम्बन्ध में नया कानून बना कर चकबन्दी की उचित व्यवस्था करे। अं० ११, पृ० ४५३, ४५४, ४५८, ४५९, ४६०।

वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ६२, ६९, ७१।

सदन का कार्यक्रम। अं० १०, पृ० ४०५, ४०६। अं० ११, पृ० ४७२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ४९७, ४९८, ५०८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५६४, ५६५, ५६७, ५६८, ५७२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २८१, २८४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७६।

सन् १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७२, ५७३।

सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिन्युएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ४०३, ४०५।

सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १२९। अं० ५, पृ० १७८।

"त"

तारा अग्रवाल, श्रीमती—
देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ५०८, ५०९।

सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५ पृ० १६५, १६६।

ताल-भूमि
प्र० वि०—जिला बनारस, तहसील चकिया ग्राम सभा उतरौला के मौजा सोको की——। अं० ९, पृ० ३५५, ३५६।

तेलूराम, श्री—
प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३३।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २७८, २७९।

"द"

दंड—
प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों की सूची जिनको कि पिछले ५ वर्षों में भ्रष्टाचार या अकर्मण्यता के कारण—— दिया गया। अं० १३, पृ० ५३६।

दवाइयों——
- प्र० वि०——नैनीताल क अस्पतालों में आवश्यक——का भेजा जाना। अं० ३, पृ० ४२।

दूकान——
- प्र० वि०——देवसिंह डिग्री कालेज, नैनीताल में चाय की ——का खोला जाना। अं०८, पृ०३०८,३०९,३१०।

दूध——
- प्र० वि०——शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को सस्ते भाव पर——दिलाने के लिये म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा सहायता। अं० ८, पृ० ३१०, ३११।

"ध"

धन——
- प्र० वि०——सहायक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को महंगाई भत्ते के रूप में दिया गया——। अं० ८, पृ० ३१६, ३१७।

"न"

निजामुद्दीन, श्री——
- प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासिन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३३, ४३४।
- सन् १९५२ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २४४, २४५।
- सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १६६, १६७-१६८, १६९।

नियमावली——
- उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था——। १९५२ पर विवाद (विचार जारी)। अं० १४, पृ० ५९१, ५९२-६३१, ६३२।
- (विवाद समाप्त) अं० १५, पृ० ६४१, ६४२-६८३।

निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री——
- सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १७०, १७१, १७२।

निर्वाचन——
- आगरा यूनीवर्सिटी की सीनेट के लिये दो सदस्यों का——। अं० १२, पृ० ५२५।
- नार्दर्न रेलवे एडवाइजरी कमेटी, कानपुर के लिये एक सदस्य का——। अं० १२, पृ० ५२५।
- संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये एक सदस्य का——। अंक १२, पृ० ५२५।

"प"

पट्टा——
- प्र० वि——गांव भंडसार, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली के जमींदार द्वारा कई सौ बीघा बंजर जमीन का——। अं० ९ पृ० ३५५।
- प्र० वि०——दीवान गोकुल चन्द्र का——सरकार द्वारा बहाल किया जाना। अं० ८, पृ० ३११।

परमात्मा नन्द सिंह, श्री——
- सन् १९५२ ई०का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ४९२, ४९३, ४९४।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) संशोधन विधेयक। अं० ८, पृ० ३४१।
- सन् १९५२ई०का उत्तर प्रदेश धूम्र-पान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५५६, ५५७।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २४६, २४७।

परिवर्तन——
- प्र वि०——जिला तथा म्युनिसिपल बोर्ड के स्थापित तथा मन्त्रियों के पद——। अं० ११, पृ० ४२८, ४२९।

प्लाटों——
- प्र० वि०——जिला नैनीताल में जंगलों के——का साफ करा दिया जाना। अं० १३, पृ० ५४२, ५४३, ५४४।

प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर—
- उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। अं० १४, पृ० ५९८, ५९९।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५५१, ५५२।
- सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १०२, १०३-१०५, १०६।

पिछड़ा—
- प्र० वि०—अल्मोड़ा जिले में चम्पावत तहसील का सब से———हुआ हिस्सा होना। अं० १०, पृ० ३६६, ३६७।

पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री—
- देखिये "प्रश्नोत्तर"।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश, एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३४१, ३४२।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३७६, ३७७।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) अं० ६, पृ० २२८, २२९, २३०।
- सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ४००, ४०१।
- सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १८३, १८४।

पंचायत घर—
- प्र० वि०—जिला नैनीताल के ग्राम लोहरियासाल के———का बनना। अं० २, पृ० ३२।

पन्ना लाल गुप्त, श्री—
- देखिये "प्रश्नोत्तर"।
- प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३२, ४३३।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३७७, ३७८।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७०।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २७१, २७२, २७३।
- सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिनुएंस आफ पावर्स) विधेयक। अं० १०, पृ० ३९३, ३९४।
- सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १२०, १२१-१२२, १२३।

प्रगति व अवनति—
- प्र० वि०—सन् १९४८ से १९५२ तक प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिपल बोर्डों की———। अं० ११, पृ० ४२८।

प्रभु नारायण सिंह, श्री—
- उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। अं० १४, पृ० ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०६, ६१३, ६१४, ६१५, ६१८, ६१९, ६२१, ६२९। अं० १५, पृ० ६४७, ६५१, ६५२, ६५३, ६५९, ६६०, ६६१, ६६५, ६६६, ६६७, ६७२, ६७३, ६७४, ६७८।
- देखिये "प्रश्नोत्तर"।
- प्रस्ताव कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के लिये सरकार एक कुटीर उद्योग संघ

[प्रभु नारायण सिंह, श्री]

(Cottage Industries Board) की स्थापना करे और ऐसे उद्योगों तथा धन्धों की उन्नति तथा विकास के लिये उपर्युक्त योजना तैयार करे अं० ११, पृ० ४६२, ४६७, ४६८–४६९, ४७० ।

प्रस्ताव कि सरकार १९३९ ई० के कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करे या इस सम्बन्ध में नया कानून बना कर चकबन्दी की उचित व्यवस्था करे। अं० ११, पृ० ४५३, ४५४, ४५८, ४५९, ४६० ।

सदन का कार्यक्रम। अं० १०, पृ० ४०५ । अं० १४, पृ० ६३२ ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ५०३, ५०४––५०७, ५०८, ५१७।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३२२, ३३३, ३३४––३३५, ३३६।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३७५, ३७७।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५५२, ५५३, ५५४, ५६६, ५७०, ५७१, ५७२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थापित करने का (मिर्जापुर) विधेयक। अं० २, पृ० ३५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७४।

सन् १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७३।

सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३८८, ३८९, ३९०।

सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० ११७, ११८–११९, १२०।

प्रताप चन्द्र आजाद, श्री––

देखिए "प्रश्नोत्तर"।

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३०, ४३१, ४३२, ४५०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३२२, ३२३, ३२४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५४८, ५४९, ५५०।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २२२, २२३, २२४।

सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १३२, १३३, १३४।

प्रतिलिपियां––

वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्याएं २०८१–टी–पी/३०––१०९७–टी–५१ और १६९६–टी–पी/३०––१००५–टी–५०, तारीख २३ मई, १९५२ ई० की––––––। अं० २, पृ० ३३।

प्रतिलिपि––

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था नियमों की––––––। अं० २, पृ० ३३।

प्रश्नोत्तर

इन्द्र सिंह नयाल, श्री––

प्र० वि०––जिला नैनीताल के ग्राम लोहरियासाल के पंचायतघर का बनना। अं० २, पृ० ३२।

- प्र० वि०—जिला नैनीताल में जंगल के प्लाटों का साफ करा दिया जाना। अं० १३, पृ० ५४२, ५४३, ५४४।
- प्र० वि०—देव सिंह डिग्री कालेज, नैनीताल में चाय की दूकान का खोला जाना। अं० ८, पृ० ३०८, ३०९, ३१०।
- प्र० वि०—नैनीताल के अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों का भेजा जाना। अं० ३, पृ० ४२।
- प्र० वि०—फसल के बचाव, निजी सुरक्षा, शिकार तथा प्रदर्शन के लिए बन्दूक का लाइसेन्स देने में सरकार की नीति। अं० ९, पृ० ३५२, ३५३, ३५४।
- प्र० वि०—मौन पालन विभाग नैनीताल को सहायता। अं० ७, पृ० २५४, २५५।
- प्र० वि०—शिक्षा संबंधी संस्थाओं को सस्ते भाव पर दूध दिलाने के लिए म्युनिसिपल बोर्डों द्वारा सहायता। अं० ८, पृ० ३१०, ३११।
- प्र० वि०—शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की संख्या में कमी। अं० १३, पृ० ५४१, ५४२।

उमा नाथ बली, श्री—
- प्र० वि०—सरकार तथा एडेड स्कूलों में संगीत शिक्षा। अं० १०, पृ० ३७१, ३७२।

कृष्ण चन्द्र, श्री—
- प्र० वि०—अल्मोड़ा जिले में चम्पावत तहसील का शिक्षा में सब से पिछड़ा हुआ हिस्सा होना। अं० १०, पृ० ३६६, ३६७।
- प्र० वि०—इटावा पाइलट स्कीम की योजना का जिला अल्मोड़ा में विस्तार। अं० १३, पृ० ५३८।

गोविन्द सहाय, श्री—
- प्र० वि०—प्रदेश के पंचायत मंत्रियों को वेतन का न मिलना। अं० २, पृ० ३३।

ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री—
- प्र० वि०—केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य शारीरिक तथा अर्द्ध सैनिक शिक्षा योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार का मत तथा उत्तर। अं० १५, पृ० ६४०।
- प्र० वि०—मल्टीपरपज सैम्पिल सर्वे की योजना। अं० १३, पृ० ५४४, ५४५।
- प्र० वि०—मेरठ कालेज की एल० टी० कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश। अं० १५, पृ० ६३६, ६३७।
- प्र० वि०—मेरठ में ईंटों की भट्ठों की स्थिति। अं० १२, पृ० ४७६, ४७७–४७९।
- प्र० वि०—राज्य में सुरक्षा सम्बन्धी बड़े कारखानों की स्थापना। अं० १५, पृ० ६४०, ६४१।
- प्र० वि०—राज्य सरकार द्वारा छोटे पैमाने के धन्धों और कुटीर-उद्योगों का समीकरण और विकास। अं० १५, पृ० ६३७, ६३८–६३९, ६४०।

तारा अग्रवाल, श्रीमती—
- प्र० वि०—दहेज प्रथा, बहुपत्नी प्रथा एवं वेश्यावृत्ति की रोक। अं० ११ पृ० ४२७।
- प्र० वि०—बालिका शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य महिला व्यायाम शिक्षा केन्द्रों को वार्षिक आर्थिक सहायता। अं० १०, पृ० ३६४।

पन्ना लाल गुप्त, श्री—
- प्र० वि०—फतेहपुर से कोयले की चूरी का बाहर भेजा जाना। अं० १३, पृ० ५४१।

पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री—
- प्र० वि०—रुड़की के ए० आर० ओ० द्वारा मकान का एलाटमेन्ट आर्डर का परिवर्तित किया जाना। अं० १२, पृ० ४७४।

प्रताप चन्द्र आजाद, श्री—
- प्र० वि०—गांव भंडसर, थाना हाफिजगंज, जिला बरेली के जमींदार द्वारा कई सौ बीघा बंजर जमीन का पट्टा। अं० ९, पृ० ३५५।

[प्रताप चन्द्र आजाद, श्री]

प्र० वि—गांव में लगान वसूली का कार्य। अं० १४, पृ० ५९०, ५९१।

प्र० वि०—पटवारियों द्वारा हड़ताल की नोटिस। अं० १४, पृ० ५९०।

प्र० वि०—बरेली एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की शिकायतें। अं० ६, पृ० २१०, २११।

प्र० वि०—बरेली कालेज के बोर्ड आफ कन्ट्रोल का अनियन्त्रित होना। अं० १०, पृ० ३७०, ३७१।

प्र० वि०—बरेली कालेज के तीन अध्यापकों को सरकारी आदेश के प्रतिकूल ग्रेड दिया जाना। अं० ८, पृ० ३१८।

प्र० वि०—बरेली कालेज के हिन्दी अध्यापक से दो स्पेशल इन्क्रीमेंट का ६ महीने बाद छीन लिया जाना। अं० ८, पृ० ३१८।

प्र० वि०—बरेली राजकीय काष्ठ-कला विद्यालय के प्रिंसिपल की योग्यतायें। अं० १०, पृ० ३६४, ३६५, ३६६।

प्र० वि०—बरेली शहर में "जनता हेल्पर्स स्कीम" को सरकार की अनुमति। अं० ९, पृ० ३५६, ३५७।

प्र० वि०—मजदूर यूनियन का रजिस्ट्रेशन। अं० १३, पृ० ५४५, ५४६।

प्रभू नारायण सिंह, श्री—

प्र० वि०—मोगलसराय के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। अं० ११, पृ० ४२६, ४२७।

राजा राम शास्त्री, श्री—

प्र० वि०—इन्कम टैक्स प्रैक्टिशनर्स द्वारा सेल्स टैक्स के मुकद्दमों की वकालत। अं० ५, पृ० १५४।

राम किशोर रस्तोगी, श्री—

प्र० वि०—लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यापकों का प्रदर्शन। अं० १०, पृ० ३७२, ३७३, ३७४।

राम किशोर शर्मा, श्री—

प्र० वि०—उत्तर प्रदेश एजूकेशन सर्विस की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के सेलरी ग्रेडों को दूसरे डिग्री कालेज के अध्यापकों के लिये लागू किया जाना। अं० ८, पृ० ३१६।

प्र० वि०—बगैर इस्तेमाल के पड़े हुये २,००० रु० से अधिक मूल्य की प्रत्येक प्रकार के सीमेन्ट, लोहा, कोयला और टिम्बर का अलग-अलग निकटतम मिकदार। अं० ८, पृ० ३१८, ३१९, ३२०।

प्र० वि०—बरेली की टरपेन्टाइन और बेबिन मिलों को सरकार के हाथ में आने के समय से आर्थिक हानि। अं० ८, पृ० ३१७, ३१८।

प्र० वि०—नैनीताल और ज्ञानपुर, बनारस के दोनों डिग्री कालजों का वार्षिक खर्च तथा कर्मचारियों की संख्या। अं० १०, पृ० ३६८, ३६९, ३७०।

प्र० वि—बनारस में पावर हाउसों की बिजली का खर्च। अं० १३, पृ० ५३६, ५३७।

प्र० वि०—मुगलसराय, ज्ञानपुर और बनारस में ट्यूबवेलों की मांग। अं० १३, पृ० ५३७, ५३८।

प्र० वि०—राज्य में सरकारी रोडवेज को चलाने के व्यय का प्रशासकीय तथा उपरिव्यय के साथ अनुपात की सूचना। अं० ९, पृ० ३५४, ३५५।

प्र० वि०—शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। अं० ८, पृ० ३१७।

प्र० वि०—सरकारी कर्मचारियों की सूची जिनको कि पिछले ५ वर्षों में भ्रष्टाचार या अकर्मण्यता के कारण दन्ड दिया जाय। अं० १३, पृ० ५३६।

प्र० वि०—सहायक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को महंगाई भत्ते के रूप में दिया गया धन। अं० ८, पृ० ३१६, ३१७।

राम नन्दन सिंह, श्री—

प्र० वि०—अकाल पीड़ित क्षेत्रों की आर्थिक सहायता। अं० ७, पृ० २५५, २५६।

प्र० वि०—आ० ना० हायर सेकन्डरी स्कूल, चकिया, जिला बनारस का भवन। अं० ८, पृ० ३११।

प्र० वि०—आदित्य नारायण हायर सेकन्डरी स्कूल, बनारस के अध्यापकों का स्थायी किया जाना। अं० १५, पृ० ६३६।

प्र० वि०—आदित्य पुस्तकालय, चकिया के लिये महाराज विभूति नारायण सिंह के दिये हुये रुपये। अं० १०, पृ० ३६७, ३६८।

प्र० वि०—काशी राज्य होजरी मिल्स लिमिटेड, रामनगर। अं० १०, पृ० ३६४।

प्र० वि०—चकिया के जंगलों में पशुओं के चरागाह। अं० १३, पृ० ५३८।

प्र० वि०—जिला बनारस के जंगलों में काबिल काश्त भूमि। अं० १३, पृ० ५३८।

प्र० वि०—जिला बाराणसी, तहसील चकिया, ग्राम सभा उतरौला के मौजा सीको की ताल भूमि। अं० ९, पृ० ३५५, ३५६।

प्र० वि०—तहसील चकिया, जिला बनारस की ग्राम सभाओं और अदालत पंचायतों के लिये मुहरें बनवाने की व्यवस्था। अं० २, पृ० ३२।

प्र० वि०—दिवान गोकुल चन्द्र का पट्टा सरकार द्वारा बहाल किया जाना। अं० ८, पृ० ३११।

प्र० वि०—सरकारी नौकरियों में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्यों को मान्यता न दिया जाना। अं० ८, पृ० ३०८।

प्र० वि०—श्री राम नन्दन सिंह एम० एल० ए० के अप्रैल के शिकायती पत्र पर सरकार की कार्यवाही। अं० १२, पृ० ४७५, ४७६।

राम लगन सिंह, श्री—

प्र० वि०—जुडिशियल अफसरों की संख्या तथा वेतन। अं० १३, पृ० ५३९, ५४०, ५४१।

व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)—

प्र० वि०—उत्तर प्रदेश में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा युनानी चिकित्सालयों की संख्या तथा उनमें व्यय की गई धनराशि। अं० १२, पृ० ४७४, ४७५।

प्र० वि०—जिला तथा म्युनिसिपल बोर्ड के सभापति तथा मंत्रियों के पद परिवर्तन। अं० ११, पृ० ४२८, ४२९।

प्र० वि०—सन् १९४८ से १९५२ तक प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट और म्युनिसिसिपल बोर्डों की प्रगति व अवनति। अं० ११, पृ० ४२८।

प्र० वि०—स्थानीय संस्थाओं की समालोचना के प्रकाशन का स्थगन। अं० ११, पृ० ४२७, ४२८।

हृदय नारायण सिंह, श्री—

प्र० वि०—बेटर मैनेजमेंट कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने वाले हायर सेकेन्डरी स्कूल तथा कालेजों की संख्या। अं० ८, पृ० ३१३, ३१४।

प्र० वि०—सन् १९५०-५१, १९५१-५२ में हायर सेकेन्डरी संस्थाओं के मुस्तकिल अध्यापकों की बरख्वास्त तथा मध्यस्त निर्णय के लिये अपीलों तथा आर्बिट्रेशन बोर्ड द्वारा तय किये गये मामलों की संख्या। अं० ८, पृ० ३११, ३१२, ३१३।

प्र० वि०—सरकार के निर्णय के अनुसार उच्चतम ग्रेड वाले अध्यापकों को वित्तीय लाभ। अं० ८, पृ० ३१५।

प्रस्ताव—

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति, लखनऊ के लिये दो सदस्यों के चुनाव का——(स्वीकृत हुआ)। अं० २, पृ० ३३, ३४।

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन के लिये एक सदस्य के चुनाव का——(स्वीकृत हुआ)। अं० २, पृ० ३४।

एक सदस्य का नार्दन रेलवे (पुरानी ई० आई० आर०) की लोकल एडवाइजरी कमेटी के लिये चुनाव

[प्रस्ताव---]

का---- (स्वीकृत हुआ) अं० ९, पृ० ३५९।

एक सदस्य का संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये चुनाव का----। (स्वीकृत हुआ)। अ० ९, पृ० ३५९।

----कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। (अस्वीकृत हुआ)। अं० ११, पृ० ४२६, ४३०, ४४६, ४५०।

----कि कौंसिल के नियमों का नियम १२५ (२) उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक सन् १९५२ ई० के विचार किये जाने के सम्बन्ध में स्थगित किया जाय (स्वीकृत हुआ)। अं० ६, पृ० २१२।

----कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के लिये सरकार एक कुटीर उद्योग संघ (Cottage Industies Board) की स्थापना करे और ऐसे उद्योगों तथा धन्धों की उन्नति तथा विकास के लिये उपर्युक्त योजना तैयार करे। (विचार जारी)। अं० ११, पृ० ४६०, ४६१---४७१, ४७२।

----कि सरकार १९३९ ई० के कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करे या इस सम्बन्ध में नया कानून बना कर चकबन्दी की उचित व्यवस्था करे। (वापस लिया गया) अं० ११, पृ० ४५०, ४५१---४५९, ४६०।

दो सदस्यों का आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये चुनाव का----। (स्वीकृत हुआ)। अ० ६, पृ० ३५९।

प्रदेशीय आरकाला-जिकल म्यूजियम, मथुरा की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का----। (स्वीकृत हुआ)। (अं० २) पृ० ३४।

प्रदेशीय म्यूजियम, लखनऊ की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का---- (स्वीकृत हुआ)। अं० २, पृ० ३४।

प्र० वि०---मुगलसराय के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का----। अं० ११, पृ० ४२६, ४२७।

मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों को परामर्श देने के लिये परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नियमों की स्वीकृति का ---- (स्वीकार किया गया)। अं० १५, पृ० ६८४।

प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री--

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३२।

वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ७०, ७१, ७२।

सदन का कार्यक्रम। अं० १४, पृ० ६३३।

"ब"

बजट--

सन् ११५२-५३ ई० का आय-व्ययक ---- (प्रस्तुत किया गया)। अं० १, पृ० ३, ४---२७, २८।

बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री--

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। अं० १४, पृ० ६१०।

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलम नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३२६, ३२७।

- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) रिक्वीजिशन (संशोधन) विधेयक। अं० १० पृ० ३८२, ३८३।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २३५, २३६, २३७।
- सन् ११५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २९५।

बन्शीधर शुक्ल, श्री—

- प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३५, ४३६, ४३७।
- प्रस्ताव कि सरकार १९३९ ई० के कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करे या इस सम्बन्ध में नया कानून बनाकर चकबन्दी की उचित व्यवस्था करें। अं० ११, पृ० ४५२, ४५३।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३३७।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७ पृ० २८३, २८४, २८५।
- सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १२३, १२४-१२५, १२६।

बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री—

- सन् ११५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधरण विवाद। अं० ३, पृ० ८८, ८९-९०, ९१।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३३२, ३३३।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७ पृ० २६९, २७०, २७१।

बालक राम वैश्य, श्री—

- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २३७, २३८।
- सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १३४, १३५, १३६।

बिजली—

- प्र० वि०—बनारस में पावर हाउसों को——का खर्च। अं० १३, पृ० ५३६, ५३७।

बी० बी० भाटिया, डाक्टर—

- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २६१, २६२, २६३, २६४।

"भ"

भट्ठों—

- प्र० वि०—मेरठ के ईंटों के——की स्थिति। अं० १२, पृ० ४७६, ४७७—४७९।

भवन—

- प्र० वि०—आ० ना० हायर सेकेन्डरी स्कूल, चकिया, जिला बनारस का——। अं० ८, पृ० ३११।

भूमि—

- प्र० वि०—जिला बनारस के जंगलों में काबिल काश्त——। अं० १३, पृ० ५३८।

"म"

महादेवी वर्मा, श्रीमती—

- सन् ११५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १६१, १६२, १६३।

मान पाल गुप्त, श्री—

- प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर

[मान पाल गुप्त,श्री--]

लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३७, ४३८।

मान्यता--

प्र० वि०--सरकारी नौकरियों में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्यों को -----न दिया जाना । अं० ८, पृ० ३०८ ।

मामलों--

प्र० वि०--सन् १९५०-५१, १९५१-५२ में हायर सेकेन्डरी संस्थाओं के मुस्तकिल अध्यापकों को बरखवास्त तथा अपदस्त निर्णय के लिये अपीलों तथा आर्बिट्रेशन बोर्ड द्वारा तय किये गए -----की संख्या। अं० ८, पृ० ३११, ३१२, ३१३ ।

माल मंत्री--

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ पर विवाद। (प्रस्तुत किया) अं० १४, पृ० ५९१, ५९४, ५९९, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२१, ६२२, ६२३, ६२५, ६२६, ६२८, ६२९, ६३०। अं० १५, पृ० ६४३, ६४४, ६४७, ६४८, ६४९, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३ ।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (विविध व्यवहार) कठिनाइयों को दूर करने की आज्ञा, १९५२ (मेज पर रखा) अं० ९, पृ० ३५९ ।

पूरक अनुदान, १९५२-५३ के लिये मांगें। अं० १५, पृ० ६८४।

मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों को परामर्श देने के लिये परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नियमों की स्वीकृति का प्रस्ताव। अं० १५, पृ० ६८४।

सदन का कार्यक्रम। अं० ९, पृ० ३६१।

मिकदार--

प्र० वि०--बगैर इस्तेमाल के पड़े हुये २,००० रु० से अधिक मूल्य की प्रत्येक प्रकार के सीमेन्ट, लोहा, कोयला और टिम्बर की अलग-अलग निकटतम ----- । अं० ८, पृ० ३१८, ३१९, ३२०।

मिलों--

प्र० वि०--बरेली की टरपेन्टाइन और बेलिन----- को सरकार के हाथ में आने के समय से आर्थिक हानि। अं० ८, पृ० ३१७, ३१८।

मुकद्दमों--

प्र० वि०--इन्कम टैक्स प्रैक्टिशनर्स द्वारा सेल्स टैक्स के ----की वकालत। अं० ५, पृ० १५४।

मुकुट विहारी लाल, प्रोफेसर--

प्रस्ताव कि कौंसिल के नियमों का नियम १२५ (२), उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५२ ई० के विचार किये जाने के सम्बन्ध में स्थगित किया जाय (प्रस्ताव किया) । अं० ६, पृ० २१२।

वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ ई० के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ४३--५०, ५१।

सदन का कार्यक्रम । अं० १, पृ० २८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (ऐप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २१३, २१४, २१५, २४१, २४९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) अं० ७, पृ० २९५।

सन् १२५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १६९, १८६, १८७, २०४।

मुहरें—

प्र० वि--तहसील चकिया, जिला बनारस की ग्राम सभाओं और अदालत पंचायतों के लिये---- बनवाने की व्यवस्था। अं० २, पृ० ३२।

"य"

योग्यतायें--

प्र० वि०--बरेली राजकीय काष्ठकला विद्यालय के प्रिंसिपल की----। अं० १०, पृ० ३६४, ३६५, ३६६।

"र"

रजिस्ट्रेशन--

प्र० वि०--मजदूर यूनियन का-----। अं० १३, पृ० ५४५, ५४६।

राजाराम शास्त्री, श्री--

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३९, ४४०-४४१, ४४२, ४४५।

प्रस्ताव कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के के लिये सरकार एक कुटीर उद्योग संघ (Cottage Industrise Board) की स्थापना करे और ऐसे उद्योग तथा धंधों की उन्नति तथा विकास के लिये उपर्युक्त योजना तैयार करे। अं० ११, पृ० ४६३।

प्रस्ताव कि सरकार १९३९ ई० के कान्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करे या इस सम्बन्ध में नया कानून बना कर चकबन्दी की उचित व्यवस्था करे। अं० ११, पृ० ४५०, ४५८, ४५९, ४६०।

सदन का कार्यक्रम। अं० ७, पृ० २९९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ४८२, ४८३—४८६, ४८७, ३८८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३२७, ३२८, ३२९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३८०, ३८१, ३८२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थापित करने का (मिर्जापुर) विधेयक। अं० २, पृ० ३५, ३६।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २३९--२४२, २४३, २५२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल)। अं० ७, पृ० २८८।

सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कांटिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३९३, ३९५, ३९६—३९९, ४००, ४०३, ४०४, ४०५।

सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १५८, १५९-१६०, १६१।

राम किशोर रस्तोगी, श्री—

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३८, ४३९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २७३, २७४, २७५।

[राम किशोर रस्तोगी, श्री]
- सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कांटिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधयक। अं० १०, पृ० ३९२, ३९३।
- सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर सधारण विवाद। अं० ४, पृ० १२९, १३०–१३१, १३२। देखिये "प्रश्नोत्तर"।
- वित्तीय वर्ष सन् १९५२–५३ ई० के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ६२, ६३–६४, ६५।

राम नन्दन सिंह, श्री——
- देखिये "प्रश्नोत्तर"।
- सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १४५, १४६, १४७।

राम लगन सिंह, श्री——
- देखिये "प्रश्नोत्तर"।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २८६, २८७, २८८।
- सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १६९, १७०।

राष्ट्रीयकरण——
- प्र० वि०——शिक्षा का———। अं० ८, पृ० ३१७।

रुक्नुद्दीन खां, श्री——
- सदन का कार्य–क्रम। अं० १, पृ० २८।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २६४, २६५, २६६।

,ये——
- प्र० वि०——आदित्य पुस्तकालय, चकिया, के लिये महाराज विभूति नारायण सिंह के दिये हुये———। अं० १०, पृ० ३६७, ३६८।

रूलिंग——
- एप्रोप्रिएशन बिल पर बजट के जनरल डिस्कशन की तरह बहस नहीं हो सकती है। अं० ६, पृ० २१५।
- किसी भी विधेयक के तीसरे वाचन के समय संशोधन नहीं दिए जा सकते। अं० १०, पृ० ३८७।
- जब किसी कानून को कुछ समय तक बढ़ाये जाने के लिये एक विधेयक विचाराधीन होता है तो उस मूल अधिनियम के किसी भी भाग को संशोधित किया जा सकता है। अं० १०, पृ० ३७९।
- सदन के अन्दर कोई भी संशोधन एप्रोप्रिएशन बिल के संबंध में नहीं हो सकता है। अं० ६, पृ० २४८।

रोक——
- प्र० वि०——दहेज प्रथा, बहुपत्नी तथा वेश्यावृत्ति की———। अं० ११, पृ० ४२७।

रोडवेज
- प्र० वि०——राज्य में सरकारी———को चलाने के व्यय का प्रशासकीय तथा उपरिव्यय के साथ अनुपात की सूचना। अं० ९, पृ० ३५४, ३५५।

"ल"

लगान——
- प्र० वि०——गांव में———वसूली का कार्य। अं० १४, पृ० ५९०, ५९१।

लल्लू राम द्विवेदी, श्री——
- सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १३६, १३७, १३८।

लाइसेन्स——
- प्र० वि०——फसल के बचाव, निजी सुरक्षा, शिकार तथा प्रदर्शन के लिये बन्दूक का———देने में सरकार की नीति। अं० ९, पृ० ३५२, ३५३, ३५४।

लाभ——
- प्र० वि०——सरकार के निर्णय के अनुसार उच्चतम ग्रेड वाले अध्यापकों को वित्तीय———। अं० ८, पृ० ३१५।

लालता प्रसाद सोनकर, श्री——
  सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १८१, १८२ ।
लाल सुरेश सिंह, श्री——
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २७७ ।

'व'

व्यक्तिगत प्रश्न——
  आदित्य नारायण——
    ————हायर सेकन्डरी स्कूल, बनारस के अध्यापकों का स्थायी किया जाना। अं० १५, पृ० ६३६ ।
  दीवान गोकुल चन्द्र——
    ————का पट्टा सरकार द्वारा बहाल किया जाना। अं० ८, पृ० ३११ ।
  महाराज विभूति नारायण सिंह——
    आदित्य पुस्तकालय, चकिया के लिये ————के दिये हुये रुपये। अं० १०, पृ० ३६७, ३६८।
  राम नन्दन सिंह, श्री——
    ————एम० एल० ए० के अप्रैल के शिकायती पत्र पर सरकार की कार्यवाही। अं० १२, पृ० ४७५, ४७६ ।
विजयानगरम, महाराजकुमार, श्री——
  वित्तीय वर्ष सन् १९५२–५३ ई० के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ५१, ५२–५३, ५४।
विश्वनाथ, श्री——
  वित्तीय वर्ष सन् १९५२–५३ ई० के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ८५, ८६–८७, ८८।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २८५, २८६ ।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति क हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७६।
वित्त मंत्री——
  उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० (प्रस्तुत किया)। अं० ६, पृ० २११।
  किंग एडवर्ड सप्तम सैनेटोरियम, भुवाली की ऐडवाइजरी कमेटी के लिये एक सदस्य का चुनाव (प्रस्ताव किया)। अं० ६, पृ० २१२।
  प्रस्ताव कि कौंसिल के नियमों का नियम १२५ (२), उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९५२ ई० के विचार किये जाने के सम्बन्ध में स्थगित किया जाय। अं० ६, पृ० २१२।
  सदन का कार्यक्रम। अं० १, पृ० २८।
    अं० ७, पृ० २९९।
    अं० ८, पृ० ३४८ ।
    अं० ९, पृ० ३६०, ३६१।
    अं० १३, पृ० ५६२।
    अं० १४, पृ० ६३२ ।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७६, ५७७, ५७८, ५७९।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३२०, ३२१, ३२२, ३२४, ३२६, ३३२, ३४२, ३४३–३४७, ३४८।
  सन् ११५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २१३, २१७, २३०, २४०, २४१, २४२।
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५४६, ५६०, ५६१, ५६२, ४६३, ४६४, ४६५ , ४६६, ४६७, ४६८, ४६९।

[वित्त मंत्री]

सन् १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश, संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७२।

सन् १९५२ ई० का उत्तरप्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २९०, २९१——२९४, २९५, २९६——२९८, २९९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन) विधेयक। अं० १३, पृ० ५७३, ५७४, ५७६।

सन् १९५२–५३ ई० के लिये २२ स्टैंडिंग कमेटियों के लिये चुनाव (प्रस्ताव किया)। अं० ६, पृ० २११।

सन् १९५२–५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० ९७। अं० ५, पृ० २००, २०१–२०७, २०८।

विधेयक——

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) ——१९५२ ई० (प्रस्तुत किया गया)। अं० ६, पृ० २११।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश अस्थायी कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन)—— (मेज पर रक्खा गया)। अं० १० पृ० ३७४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन)—— (विचार किया गया तथा पारित हुआ)। अं० १२, पृ० ४८०——५२३, ५२४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इन्टरटेन्मेंट एन्ट बेटिंग टैक्स (संशोधन) —— (मेज पर रक्खा गया)। अं० ९, पृ० ३५८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इन्टरटन्मेन्ट एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन)—— (विचार किया गया तथा पारित हुआ)। अं० १३, पृ० ५७६, ५७७, ५७८, ५७९।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन)——(स्वीकृत हुआ)। अं० ८, पृ० ३२०, ३२१——३४८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी—— (मेज पर रखा गया)। अं० १५, पृ० ६८४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन)—— (मेज पर रखा गया)। अं० १०, पृ० ३७४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशन) (संशोधन)—— (मेज पर रखा गया)। अं० ९, पृ० ३५७।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन)—— (विचार किया गया–स्वीकृत हुआ)। अं० १० पृ० ३७४, ३७५——३८७, ३८८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर)—— (मेज पर रखा गया)। अं० ९, पृ० ३५७।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर)—— (विचार किया गया तथा पारित हुआ)। अं० १३, पृ० ५४६, ५४७–५६१, ५६२, ५६३, ५६४——५७१, ५७२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन)—— (मेज पर रखा गया)। अं० ९ पृ० ३५८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन)—— (विचार किया गया तथा पारित हुआ)। अं० १२ पृ० ५२४, ५२५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन)—— (मेज पर रखा गया)। अं० १०, पृ० ३७४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर)———— । अं० १, पृ० ३ ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर)————(स्वीकृत हुआ)। अं० २, पृ० ३४, ३५——३८, ३९ ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग————(एप्रोप्रिएशन बिल) (मेज पर रखा गया)। अं० ६, पृ० २११ ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग————(एप्रोप्रिएशन बिल) (विवाद जारी)। अं० ६, पृ० २१३—२५२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग————(एप्रोप्रिएशन बिल) (पारित हुआ) । अं० ७, पृ० २५६, २५७——२९८, २९९ ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायक) (संशोधन)———— (मेज पर रखा गया)। अं० ९, पृ० ३५७ ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करन का (बाढ़ सहायक) (संशोधन)———— (विचार किया गया तथा पारित हुआ)। अं० १३, पृ० ५७३, ५७४—५७५, ५७६ ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स (संशोधन)———— (मेज पर रखा गया)। अं० १०, पृ० ३७४।

सन् १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन)———— (मेज पर रखा गया)। अं० ९, पृ० ३५७।

सन् १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन)———— (विचार किया गया तथा पारित हुआ)। अं० १३, पृ० ५७२, ५७३ ।

सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन)———— (मेज पर रखा गया)। अं० ९, पृ० ३५८ ।

सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टिनुएंस आफ पावर्स) (संशोधन)————(विचार किया गया तथा स्वीकृत हुआ)। अं० १०, पृ० ३८८, ३८९——४०४, ४०५ ।

विज्ञप्ति——

वाहन विभाग की————संख्या १३६३ (३) टी० पी० / ३०——५०-टी-(८)-१९५२, तारीख २ जुलाई, १९५२ ई०————(मेज पर रखा गया)। अं० ९, पृ० ३५९ ।

वाहन विभाग की————संख्या ४२९१-टी / ३०——७५९-टी-१९४९, तारीख १५ नवम्बर, १९५१ ई०————(मेज पर रखी गई)। अं० ९, पृ० ३५९ ।

वेतन——

प्र० वि०——प्रदेश के पंचायत मंत्रियों को————न मिलना। अं० २, पृ० ३३।

ब्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)——

देखिये प्रश्नोत्तर।

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३४ ।

सदन का कार्यक्रम। अं० १४, पृ० ६३३ ।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक। अं० १०, पृ० ३७५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २ ९, २८०, २८१, २८८ ।

सन् १५५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १२६, १२७-१२८, १२९।

ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर——

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ४९८, ४९९, ५००।

[ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर]

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३३६, ३३७।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५५४, ५५५।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २५९, २६०, २६१।

सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० ९९, १००–१०१, १०२।

‘श’

शपथ––

सदस्यता की––––ग्रहण करना। (श्री बशीर अहमद ने सदस्यता की शपथ ग्रहण की)। अं० ९, पृ० ३५२।

सदस्यता की––––ग्रहण करना। (श्री सभापति उपाध्याय द्वारा सदस्यता की शपथ ग्रहण करना)। अं० १, पृ० २।

श्याम सुन्दर लाल, श्री––

सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १८२, १८३।

शान्ति देवी, श्रीमती––

सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १४०, १४१, १४२।

शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री––

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २५६, २५७, २५८, २५९।

सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १६३, १६४, १६५।

शिकायती पत्र––

प्र० वि०––श्री राम नन्दन सिंह, एम० एल० ए० के अप्रैल के––––पर सरकार की कार्यवाही। अं० १२, पृ० ४७५, ४७६।

शिकायतें––

प्र० वि०––बरेली एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की––––––। अं० ६, पृ० २१०, २११।

शिवराजवती नेहरू, श्रीमती––

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ५०२, ५०३।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३२५, २२६, ३४८।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५५५।

सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० ११५–११६, ११७।

शिव सुमरन लाल जौहरी––

वित्तीय वर्ष सन् १९५२–५३ ई० के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ७९, ८०––८२, ८३।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५५५, ५५६।

शिक्षा मंत्री––

एक सदस्य का संस्कृत शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रस्ताव (प्रस्तुत किया)। अं० ९, पृ० ३५९।

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति, लखनऊ के लिये दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव (प्रस्तुत किया)। अं० २, पृ० ३३।

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ इन्डियन मेडिसिन के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव (प्रस्तुत किया)। अं० २, पृ० ३४।

दो सदस्यों का आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिये चुनाव का प्रस्ताव (प्रस्तुत किया)। अं० ९, पृ० ३५९।

प्रदेशीय आरकालाजिकल म्युजियम, मथुरा की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव। (प्रस्तुत किया) अं० २, पृ० ३४।

प्रदेशीय म्युजियम, लखनऊ की मैनेजिंग कमेटी के लिये एक सदस्य के चुनाव का प्रस्ताव (प्रस्तुत किया)। अं० २, पृ० ३४, ।

प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के संबंध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४४२, ४४३–४४४, ४४५, ४४९।

प्रस्ताव कि सरकार १९३९ ई० के कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट को संशोधित करे या इस सम्बन्ध में नया कानून बना कर चकबन्दी की उचित व्यवस्था करे। अं० ११, पृ० ४५३, ४५४, ४५८, ४५९, ४६०।

वाहन विभाग की विज्ञप्ति संख्याएं २०८१–टी० पी०/३०—१०९७ टी०–५१ और १६९६—टी० पी०/३०—१००५–टी०–५०, तारीख २३ मई, १९५२ ई० की प्रतिलिपियां। अं० २, पृ० ३३।

सदन का कार्यक्रम। अं० ११, पृ० ४७२।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक। अं० २, पृ० ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९।

सन् ११५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमों की प्रतिलिपि। (मेज पर रखा)। अं० २, पृ० ३३।

सन् ११५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं ४, पृ० ११०, ११४। अं० ५, पृ० १८०, १८५, १८६, १८७, १८८—१९२, १९३।

शेड्यूल्ड कास्ट—
- प्र० वि०— ——के लोगों की संख्या में कमी। अं० १३, पृ० ५४१, ५४२

'स'

सत्यप्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री—
- वित्तीय वर्ष सन् १९५२–१९५३ ई० के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ८३, ८४, ८५।

संगीत शिक्षा—
- प्र० वि० सरकारी तथा एडेड स्कूलों में——। अं० १०, पृ० ३७१, ३७२।

सभापति उपाध्याय, श्री—
- वित्तीय वर्ष सन् १९५२–५३ ई० के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ३, पृ० ७२, ७३, ७४।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५५५।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ६, पृ० २४३, २४४।

समालोचना—
- प्र० वि०—स्थानीय संस्थाओं की—— के प्रकाशन का स्थगन। अं० ११, पृ० ४२७, ४२८।

सरदार सन्तोष सिंह, श्री—
- प्रस्ताव कि उत्तर प्रवेश में जमींदारी उन्मूलन नीति के फलस्वरूप जमींदारों के नौकरों को रोजगार पर लगाने और उनके पुनर्वासन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। अं० ११, पृ० ४३७।
- प्रस्ताव कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के लिये सरकार एक कुटीर उद्योग संघ की स्थापना करे और ऐसे उद्योगों तथा धन्धों की उन्नति तथा विकास के लिये उपर्युक्त योजना तैयार करे। अं० ११, पृ० ४६६, ४६७।

[सरदार संतोष सिंह, श्री]

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) अं० ७, पृ० २६७, २६८, २६९।

सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १३८, १३९, १४०।

सर्वे--

प्र० वि०--मल्टीपरपज सैम्पिल-----की योजना। अं० १३, पृ० ५४४, ५४५।

सहायता--

प्र० वि०--अकाल पीड़ित क्षेत्रों की आर्थिक-----। अं० ७, पृ० २५५, २५६।

प्र० वि०--बालिका शिक्षण संस्थाओं तथा अन्य महिला व्यायाम-शिक्षा केन्द्रों को वार्षिक आर्थिक---। अं० १०, पृ० ३६४।

प्र० वि०--मौनपालन विभाग, नैनीताल की-----। अं० ७, पृ० २५४, २५५।

स्कीम--

प्र० वि०--इटावा पाइलट-----की योजना का जिला अल्मोड़ा में विस्तार। अं० १३ पृ० ५३८, ५३९।

स्कूल तथा कालेजों--

प्र० वि०--बेटर मैनेजमेंट कमेटी की सिफारिशों पर अमल करने वाले हायर सेकेन्डरी------की संख्या। अं० पृ० ३१३, ३१४।

स्थानीय प्रश्न--

अल्मोड़ा--

इटावा पाइलट स्कीम की योजना का जिला-----में विस्तार। अं० १३, पृ० ५३८, ५३९।

-----जिले में चम्पावत तहसील का शिक्षा में सब से पिछड़ा हुआ हिस्सा होना। अं० १०, पृ० ३६६, ३६७।

इटावा--

-----पाइलट स्कीम की योजना का जिला अल्मोड़ा में विस्तार। अं० १३, पृ० ५३८, ५३९।

उतरौला--

जिला बनारस, तहसील चकिया ग्राम सभा-----के मौजा सीको की ताल भूमि। अं० ९, पृ० ३५५, ३५६।

काशी--

-----राज्य होजरी मिल्स लिमिटेड, रामनगर। अं० १०, पृ० ३६४।

सरकारी नौकरियों में-----हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्यों को मान्यता न दिया जाना। अं० ८, पृ० ३०८।

चकिया--

आ० ना० हायर सेकेन्डरी स्कूल-----, जिला बनारस का भवन। अं० ८, पृ० ३११।

आदित्य पुस्तकालय, ----- के लिये महाराज विभूति नारायण सिंह के दिये हुये रुपये। अं० १०, पृ० ३६७, ३६८।

-----के जंगलों में पशुओं के चरागाह। अं० १३, पृ० ५३८।

जिला बनारस, तहसील -----ग्राम सभा उतरौला के मौजा सीको की ताल भूमि। अं० ९, पृ० ३५५, ३५६।

तहसील-----, जिला बनारस की ग्राम सभाओं और अदालत पंचायतों के लिये मुहरें बनवाने की व्यवस्था। अं० २, पृ० ३२।

चम्पावत--

अल्मोड़ा जिले में -----तहसील का शिक्षा में सब से पिछड़ा हुआ हिस्सा होना। अं० १०, पृ० ३६६, ३६७।

नैनीताल--

-----और ज्ञानपुर, बनारस के दोनों डिग्री कालेजों का वार्षिक खर्च तथा कर्मचारियों की संख्या। अं० १०, पृ० ३६८, ३६९, ३७०।

——के अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों का भेजा जाना। अं० ३, पृ० ४२।

जिला ——के ग्राम लोहरियासाल के पंचायतघर का बनना। अं० २, पृ० ३२।

जिला ——में जंगल के प्लाटों का साफ करा दिया जाना। अं० १३, पृ० ५४२, ५४३, ५४४।

देव सिंह डिग्री कालेज,——में चाय की दूकान का खोला जाना। अं० ८, पृ० ३०८, ३०९, ३१०।

मौन पालन विभाग——को सहायता। अं० ७, पृ० २५४, २५५।

फतेहपुर——

——से कोयले की चूरी का बाहर भेजा जाना। अं० १३, पृ० ५४१।

बनारस——

आदित्य नारायण हायर सेकेन्डरी स्कूल——के अध्यापकों का स्थायी किया जाना। अं० १५, पृ० ६३६।

अ० ना० हायर सेकेन्डरी स्कूल, चकिया जिला——का भवन। अं० ८, पृ० ३११।

जिला——के जंगलों में काबिल काश्त भूमि। अं० १३, पृ० ५३८।

जिला——, तहसील चकिया ग्राम सभा उतरोला के मौजा सीको की ताल भूमि। अं० ९, पृ० ३५५, ३५६।

तहसील चकिया जिला——की ग्राम सभाओं और अदालत पंचायतों के के लिये मुहरें बनवाने की व्यवस्था। अं० २, पृ० ३२।

मुगलसराय, ज्ञानपुर और——में ट्यूबवेलों की मांग। अं० १३, पृ० ५३७, ५३८।

——में पावर हाउसों की बिजली का खर्च। अं० १३, पृ० ५३६, ५३७।

बरेली——

——एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की शिकायतें। अं० ६, पृ० २१०, २११।

बरेली——

——कालेज के बोर्ड आफ कन्ट्रोल का अनियमित होना। अं० १०, पृ० ३७०, ३७१।

——कालेज के तीन अध्यापकों को सरकारी आदेश के प्रतिकूल ग्रेड दिया जाना। अं० ८, पृ० ३१८।

——कालेज के हिन्दी अध्यापक से दो स्पेशल इन्क्रीमेन्ट का ६ महीने बाद छीन लिया जाना। अं० ८, पृ० ३१८।

——की टरपेन्टाइन और बेबिन मिलों को सरकार के हाथ में आने के समय से आर्थिक हानि। अं० ८, पृ० ३१७, ३१८।

गांव मंडसर थाना हाफिजगंज जिला ——के जमींदार द्वारा कई सौ बीघा बंजर जमीन का पट्टा। अं० ९, पृ० ३५५।

——राजकीय काष्ठ कला विद्यालय, प्रिंसिपल की योग्यतायें। अं० १०, पृ० ३६४, ३६५, ३६६।

——शहर में जनता हेल्पर्स स्कीम को सरकार की अनुमति। अं० ९, पृ० ३५६, ३५७।

मंडसर——

गांव——थाना हाफिजगंज जिला बरेली के जमींदार द्वारा कई सौ बीघा बंजर जमीन का पट्टा। अं० ९, पृ० ३५५।

मुगलसराय——

——, ज्ञानपुर और बनारस में ट्यूबवेलों की मांग। अं० १३, पृ० ५३७, ५३८।

मेरठ——

——कालिज की एल० टी० कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश। अं० १५, पृ० ६३६, ६३७।

——में ईंटों के भट्टठों की स्थिति। अं० १२, पृ० ४७६, ४७७——४७९।

मुगलसराय——

——के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव। अं० ११, पृ० ४२६, ४२७।

रामनगर——
- काशी राज्य होजरी मिल्स लिमिटेड, ————। अं० १०, पृ० ३६४।

रुड़की——
- ————के ए० आर० ओ० द्वारा मकान का एलाटमेंट आर्डर का परिवर्तित किया जाना। अं० १२, पृ० ४७४।

लखनऊ——
- ————म्युनिसपल बोर्ड के अध्यापकों का प्रदर्शन। अं० १०, पृ० ३७२, ३७३, ३७४।

लोहारियासाल——
- जिला नैनीताल के ग्राम————के पंचायत घर का बनना। अं० २, पृ० ३२।

ज्ञानपुर——
- नैनीताल और————, बनारस के दोनों डिग्री कालेजों का वार्षिक खर्च तथा कर्मचारियों की संख्या। अं० १०, पृ० ३६८, ३६९, ३७०।
- मुगलसराय,————और बनारस में ट्यूबवेलों की मांग। अं० १३, पृ० ५३७, ५३८।

स्पेशल इन्क्रीमेंट——
- प्र० वि०——बरेली कालेज के हिन्दी अध्यापक से दो————का ६ महीने बाद छीन लिया जाना। अं० ८, पृ० ३१८।

स्वशासन मंत्री——
- सन् १९५२-५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १९३, १९४, १९५।

स्वास्थ्य तथा रसद मंत्री——
- सदन का कार्य-क्रम। अं० १२, पृ० ५२६।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ४८०-४८१, ४८२, ४८८, ५०९, ५१०-५१३, ५१४, ५१५, ५१७, ५१८, ५२२, ५२३, ५२४।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश नर्सेज, मिडवाइव्ज, असिस्टेंट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ५२४, ५२५।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री——
- एक सदस्य का नार्दर्न रेलवे (पुरानी ई० आई० आर०) की लोकल एडवाइजरी कमेटी के लिए चुनाव का प्रस्ताव (प्रस्तुत किया)। अं० ९, पृ० ३५९।

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल——
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश, अस्थायी कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० १०, पृ० ३७४।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इन्टर-टेन्मेंट ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० ९, पृ० ३५८।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विधेयक (मेज पर रखा)। अं० १५, पृ० ६८४।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश, कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० १०, पृ० ३७४।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी एकोमोडेशन रिक्वीजीशन) (संशोधन) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० ९, ३५७।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० ९, पृ० ३५७।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश नर्सेज मिडवाइव्ज, असिस्टेन्ट मिडवाइव्ज ऐन्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन (संशोधन) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० ९, पृ० ३५८।
- सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० १०, पृ० ३७४।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) (मेज पर रखा)। अं० ६, पृ० २११

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़-सहायक) संशोधन विधेयक (मेज पर रखा)। अं० ९, पृ० ३५७।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स (संशोधन) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० १०, पृ० ३७४।

सन् १९५२ ई० का पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० ९, पृ० ३५७।

सन् १९५२ ई० का यू० पी० कन्ट्रोल आफ सप्लाईज (कान्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक (मेज पर रखा)। अं० ९, पृ० ३५८।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा। अं० ९, पृ० ३५८।

सन् १९५१ ई० के उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी अत्यधिक अधिकार (खाली कराने और अधिगृहीत करने) के विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा। अं० १, पृ० २।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रामण विनियमन) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा। अं० ३, पृ० ४२।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) के विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा। अं० १, पृ० २।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा। अं० १, पृ० २।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारक) (द्वितीय) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा। अं० १, पृ० २।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा। अं० १, पृ० २।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल) पर गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा। अं० ९, पृ० ३५८।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश लगान के नकदी में परिवर्तन (व्यवहारों का नियमन) विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की घोषणा। अं० ३, पृ० ४२।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश शूगर फैक्ट्रीज कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति की घोषणा। अं० ९, पृ० ३५८।

सन् १९४७ ई० के उत्तर प्रदश होम्योपैथिक मेडिसिन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की घोषणा। अं० १, पृ० २।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति की घोषणा। अं० ९, पृ० ३५८।

सेलरी ग्रेडों—

प्र० वि०—उत्तर प्रदेश एजूकेशन सर्विस की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के—को दूसरे डिग्री कालेज के अध्यापकों के लिये लागू किया जाना। अं० ८, पृ० ३१६, ३१७।

'ह'

हड़ताल—

प्र० वि०—पटवारियों द्वारा——की नोटिस। अं० १४, पृ० ५९०।

हयातुल्ला अन्सारी, श्री--
  प्रस्ताव कि राज्य में व्यापक बेरोजगारी तथा काम की कमी को दूर करने के लिये सरकार एक कुटीर उद्योग संघ (Cottage Industries Board) की स्थापना करें और ऐसे उद्योगों तथा धन्धों की उन्नति तथा विकास के लिये उपर्युक्त योजना तैयार करे। अं० ११, पृ० ४६४–४६५, ४६६।

  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) विधेयक। अं० १३, पृ० ५५७, ५५८।

  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २७५, २७६, २७७, २८०।

  सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १७९–१८०, १८१, १९३।

हर गोविन्द मिश्र, श्री--
  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ़ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक। अं० ८, पृ० ३३७, ३३८।

  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (एप्रोप्रिएशन बिल)। अं० ७, पृ० २८८, २८९, २९०।

  सन् १९५२–५३ के आय-व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ५, पृ० १५६, १५७, १५८।

होजरी मिल्स—
  प्र० वि०—काशी राज्य——लिमिटेड, रामनगर। अं० १०, पृ० ३६४।

हृदय नारायण सिंह, श्री--
  देखिय प्रश्नोत्तर।

  सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक। अं० १२, पृ० ५००, ५०१, ५०२।

  सन् १९५२–५३ के आय–व्ययक (बजट) पर साधारण विवाद। अं० ४, पृ० १४७, १४८, १४९, १५०।

पी० एस० यू० पी०—१७४ एल० सी०—१९५७—८०१ (प्रो०)